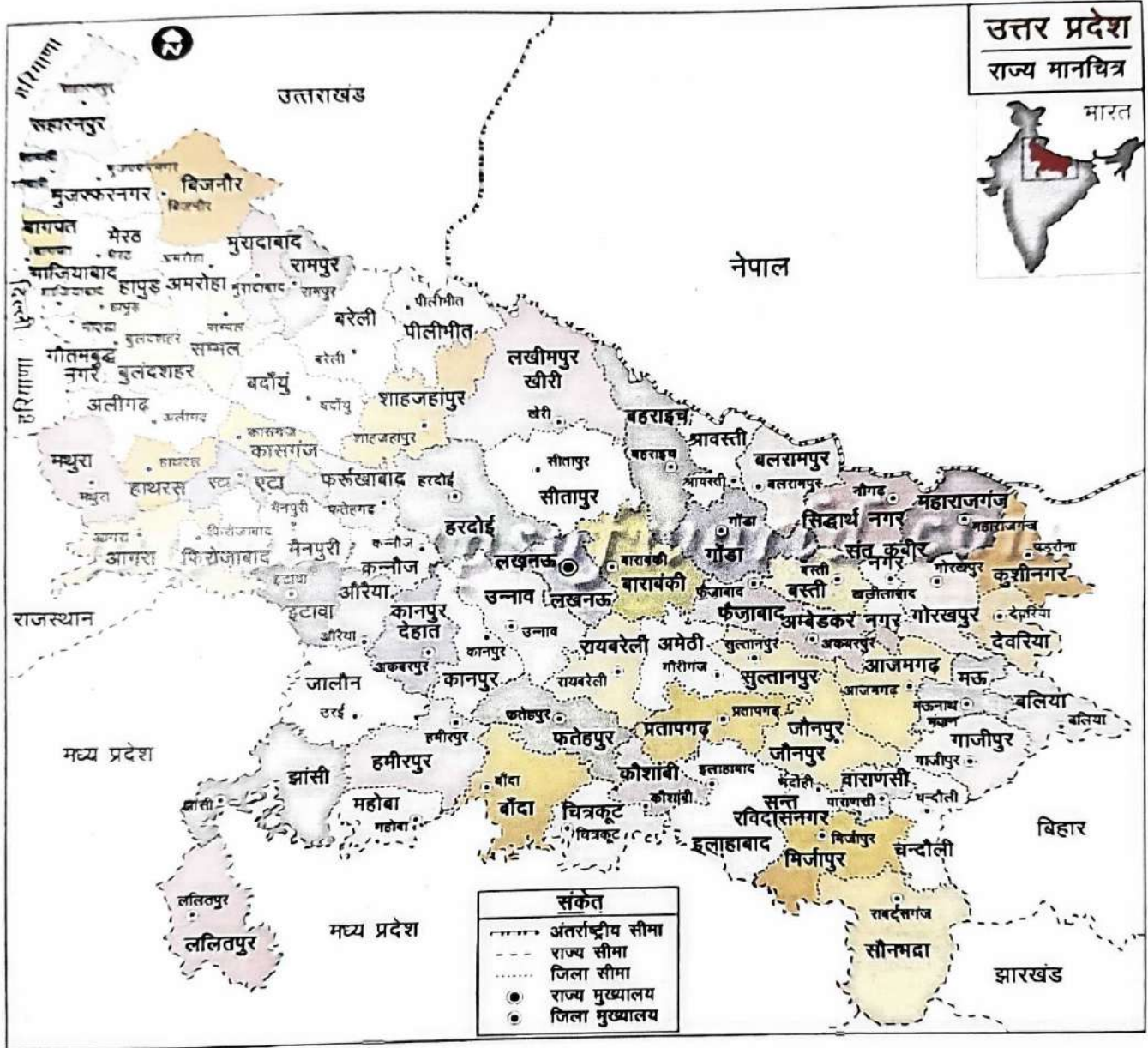


निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।



**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020-2021
भाग-2**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

क्षेत्र पंचायत आगरा वर्ष 2020-21

1- क्षेत्र पंचायत - पिनाहट वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक

प्रस्तर -1 व्यय की पुष्टि में संस्था के पास व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावलियों का नहीं पाया जाना- आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रांट रजिस्टर-02 व वर्करजिस्टर के विवरणानुसार विविध निर्माण एवं मजदूरी पर कुल रु0 367025400 व्यय दर्शित किया गया है (प्रारूप-01 के विवरणानुसार), लेकिन लेखा परीक्षा दौरान उक्त व्यय की पुष्टि में संस्था के पास व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियों नहीं पायी गयी या फिर अनिलेख तैयार ही नहीं किए गए या फिर जान बूझकर जाँच हेतु प्रस्तुत ही नहीं किए गए। जिससे निम्न तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी, कि-

1. आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए टेंडर आमन्त्रित किए गए कि नहीं।
2. प्रत्येक टेंडर प्रक्रिया में न्यूनतम फर्मों ने भाग लिया या नहीं।
3. प्रत्येक निविदा प्रक्रिया के समय क्या इन्हीं चुनिदा फर्मों ने ही टेण्डर हेतु आवेदन किया या नहीं।
4. प्रत्येक कार्य प्रारम्भ के पूर्व ससमय एवं सक्षम स्तर से तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गयी या नहीं।
5. टेंडर प्रक्रिया का नियमानुसार पालन किया गया या नहीं।
6. आपूर्तिकर्ता फर्म क्षेत्र पंचायत में पंजीकृत है या नहीं।
7. निविदाएं न्यूनतम तीन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गयी या नहीं।
8. निविदायें सील्ड लिफाफों में उनके सलंगनों के साथ प्राप्त की गयी है कि नहीं, या फिर पत्रावली पूर्ण करने के लिए निविदाओं के साथ लिफाफे व सलंगन लगाकर औपचारिकतायें बाद में पूर्ण की गयी है।
9. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता द्वारा 2 प्रतिशत धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/खण्ड विकास अधिकारी के पक्ष में बंधक बनाकर जमा किया गया या नहीं।
10. निविदा स्वीकृति के पश्चात् 8 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में निविदा दाताओं से ली गयी या नहीं।
11. सभी निविदाओं के साथ अनुभव प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, आयकर, विकी कर प्रमाण पत्र पत्रावली में सलंगन किया गया या नहीं।
12. निविदा खोले जाने के समय ईट बालू व इण्टरलॉकिंग ईट आदि का नमूना जांच का कोई साक्ष्य पत्रावली में सलंगन किया गया या नहीं।
13. स्वीकृत प्राक्कलन का कार्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप कार्य सम्पादित कराया गया है या नहीं।
14. उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36के प्रस्तर 8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज मापों की जांच 25 प्रतिशत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी है या नहीं।
15. शासनादेश संख्या 2618/आर०ई०/30-4-59 एम/85 दिनांक 18-12-1985 को संदर्भित पैरा 6 के अनुसार 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन उपरान्त किया जाएगा तथा शेष 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की संस्तुति के उपरान्त किया जाएगा, उपरोक्त शासनादेश का पालन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है या नहीं।

16. स्वीकृत समस्त कार्य निर्धारित अवधि के अंदर समाप्त किए गए या नहीं।
17. कृत कार्यों की समस्त धनराशि का भुगतान कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के पश्चात किया गया या नहीं।
18. कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य समाप्ती के पश्चात कार्य स्थल के फोटो पत्रावली में सलंगन किए गए हैं या नहीं इत्यादि।

इस प्रकार लेखा परीक्षा दौरान संस्था के पास सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/ निर्माण कार्य पत्रावलियों के नहीं पाये जाने से या फिर अभिलेख तैयार ही नहीं किए गए या फिर जान बूझकर जाँच हेतु प्रस्तुत ही नहीं किए गए जिससे उक्त तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी, अतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, कि संस्था के अभिलेखों में फर्जी व्यय/निर्माण कार्य दर्शाकर उक्त धनराशि का गबन कर लिया गया हो, जो कि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सा० लेखा) नियमावली 1965 के नियम-174 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा उक्त स्थिति में नियम 117 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, जे०ई० एवं लेखाकार का संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए, नियम-179 (2) के (क) से (ड) के तहत स्पष्टीकरण प्राप्त कर वर्ष में निर्माण कार्यों के नाम पर आहरित की गयी धनराशि रु० 36,70,254.00 का खण्ड विकास अधिकारी श्री भोले चन्द्र त्रिपाठी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री आर०के सिंह, श्री रजत गुप्ता व श्री सुमन्त यादव ब्लॉक प्रमुख, सुगीव सिंह जे०ई० श्री आर० के० शर्मा एवं लेखाकार श्री मुकेश सारस्वत, श्री अशोक अग्रवाल व श्री अमित बाबू से नियम-182 के तहत अधिभार की धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या -2)

2. क्षेत्र पंचायत फतेहाबाद लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21

अधिभार/ अपहरण/ दुरुपयोग / गंभीर अनियमितताओं से सम्बन्धित आपत्तियों का मूल विवरण

प्रस्तर अधिभार/ अपहरण / दुरुपयोग / गंभीर अनियमितताओं से सम्बन्धित आपत्तियों का मूल विवरण

प्रस्तर-2 क्षेत्र पंचायत फतेहाबाद की लेखा परीक्षा में केवल ग्रांट रजिस्टर 1 व 3 एवं बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किये गये अधिकांश अभिलेख या तो तैयार ही नहीं किये गये या पूर्ण नहीं है। क्षेत्र पंचायत फतेहाबाद की ग्रांट रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि से रु० 32956092.16 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों, निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त व्यय रु० 32956092.16 का गबन / अपहरण कर लिया गया हो, जो कि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सा० लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त स्थिति में नियम 177 के अधीन संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमकार सिंह श्री अमित काले व श्री आर० के सिंह, ब्लॉक प्रमुख श्री राकेश धनगर जे०ई० श्री आर० आर० शर्मा तथा लेखाकार श्री कुँवर सेन का संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियम 179 (2) के (क) से (ड) के तहत स्पष्टीकरण प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय रु० 32956092.16 से संबंधित नियम 162 के तहत अधिभार की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0	वित्तीय वर्ष	उत्तरदायीव्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
01	2020-21	श्री ओमकार सिंह/ श्री अमित काले/ श्री आर के सिंह	खण्ड विकास अधिकारी	16478048.08
		श्री राकेश धनकर	प्रमुख क्षेत्र पंचायत	16478048.08
महायोग -				रु० 32956092.16

(आपत्ति संख्या -2)

3- क्षेत्र पंचायत -बरोली अहीर

प्रस्तर-3 व्यय की पुष्टि में संस्था के पास व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावलियों का नहीं पाया जाना-

आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रांट रजिस्टर-02 व वर्क रजि० के विवरणानुसार विविध निर्माण एवं पेयजल कार्यो पर रु० 304,30,997.00 व मजदूरी पर रु० 1,11,125.00 सहित कुल रु० 305,42,122.00 व्यय दर्शित किया गया हैं (प्रारूप-01 के विवरणानुसार), लेकिन लेखा परीक्षा दौरान उक्त व्यय की पुष्टि में संस्था के पास व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियों नहीं पायी गयी या फिर अभिलेख तैयार ही नहीं किये गये या फिर जान बूझकर जाँच हेतु प्रस्तुत ही नहीं किये गये। जिससे निम्न तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी, कि-

1. आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य के लिये टेंडर आमन्त्रित किये गये कि नहीं।
2. प्रत्येक टेंडर प्रक्रिया में न्यूनतम फर्मों ने भाग लिया या नहीं।
3. प्रत्येक निविदा प्रक्रिया के समय क्या इन्ही चुनिंदा फर्मों ने ही टेण्डर हेतु आवेदन किया या नहीं।
4. प्रत्येक कार्य प्रारंभ के पूर्व ससमय एवं सक्षम स्तर से तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गयी या नहीं।
5. टेंडर प्रक्रिया का नियमानुसार पालन किया गया या नहीं।
6. आपूर्तिकर्ता फर्म क्षेत्र पंचायत में पंजीकृत है या नहीं।
7. निविदाएं न्यूनतम तीन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गयी या नहीं।
8. निविदायें सील्ड लिफाफों में उनके संलग्नकों के साथ प्राप्त की गयी हैं कि नहीं, या फिर पत्रावली पूर्ण करने के लिए निविदाओं के साथ लिफाफे व संलग्नक लगाकर औपचारिकतायें बाद में पूर्ण की गयी हैं।
9. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता द्वारा 2 प्रतिशत धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट खण्ड विकास अधिकारी के पक्ष में बंधक बनाकर जमा किया गया या नहीं।
10. निविदा स्वीकृति के पश्चात् 8 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में निविदा दाताओं से ली गयी या नहीं।
11. सभी निविदाओं के साथ अनुभव प्रमाण पत्र, हिसियत प्रमाण पत्र, आयकर, बिक्री कर प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया या नहीं।
12. निविदा खोले जाने के समय ईट बालू व इण्टरलकिंग ईट आदि का नमूना जाँच का कोई साक्ष्य पत्रावली में संलग्न किया गया या नहीं।
13. स्वीकृत प्राक्कलन का कार्य 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप कार्य सम्पादित कराया गया है या नहीं।

14. 30 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम-36 के प्रस्तर 8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज मापों की जाँच 25 प्रतिशत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी है या नहीं।
15. शासनादेश संख्या 2618/आर0 ई0/30-4-59 एम/85 दिनांक 18-12-1985 के सन्दर्भित पैरा 6 के अनुसार-80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन उपरान्त किया जायेगा तथा शेष 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की संस्तुति के उपरान्त किया जायेगा, उपरोक्त शासनादेश का पालन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है या नहीं।
16. स्वीकृत समस्त कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर समाप्त किये गये या नहीं।
17. कृत कार्यों की समस्त धनराशि का भुगतान कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के पश्चात किया गया या नहीं।
18. कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य समाप्ती के पश्चात कार्य स्थल के फोटो पत्रावली में संलग्न किये गये हैं या नहीं इत्यादि।

इस प्रकार लेखा परीक्षा दौरान संस्था के पास संबन्धित व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियों के नहीं पाये जाने से या फिर अभिलेख तैयार ही नहीं किये गये या फिर जान बूझकर जाँच हेतु प्रस्तुत ही नहीं किये गये जिससे उक्त तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी, अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, कि संस्था के अभिलेखों में फर्जी व्यय/निर्माण कार्य दर्शाकर उक्त धनराशि का गबन कर लिया गया हो, जो कि 30प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सा0 लेखा) नियमावली 1965 के नियम-174 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा उक्त स्थिति में नियम-177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री अंकुर कौशिक व श्रीमती तूलिका श्रीवास्तव, ब्लाक प्रमुख श्रीमती गीता सिंह, जेई श्री राजेश कुमार एवं लेखाकार श्री सुशील कुमार का संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए, नियम-179 (2) के (क) से (ड) के तहत स्पष्टीकरण प्राप्त कर वर्ष में निर्माण कार्यों के नाम पर आहरित की गयी धनराशि ₹0 305,42,122.00 का संबन्धित से नियम-182 के तहत अधिभार की ब्याज सहित बसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपति संख्या -2)

प्रस्तर -4 कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती न किया जाना:- 30प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार ;रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियमद्ध नियम 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार-ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा। उक्त कृम में लेखा परीक्षा में पाया गया, कि क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्षों में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय किया है।

कृ0	आलोच्य वर्ष	कुल निर्माण व्यय	संस्था द्वारा कटौती	लेखापरीक्षानुसार कटौती	राजस्व हानि
01.	2020-21	3,04,30,997.00	2,98,031.00	3,04,310.00	6,279.00

योग	3,04,30,997.00	2,98,031.00	3,04,310.00	6,279.00

उक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि संस्था ने निर्माण कार्यो पर वित्त वर्ष 2020-21 में कुल रु0 3,04,30,997.00 व्यय किये हैं, परन्तु उसके सापेक्ष फर्म/ठेकेदार को भुगतानित बिलो से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से लेखा परीक्षा की गणनानुसार रु0 3,04,310.00 लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि संस्था द्वारा केवल रु0 2,98,031.00 लेबर सेस की कटौती की गयी है, जिससे सरकार को रु0 6,279.00 राजस्व की हानि हुई, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं, जिस हेतु संबन्धित बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः कटौती की गयी धनराशि रु0 2,98,031.00 की जमा की पुष्टि कराते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों खण्ड विकास अधिकारी श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री अंकुर कौशिक व श्रीमती तूलिका श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री सुशील कुमार से शेष लेबर सेस रु0 6,279.00 की ब्याज सहित बसूली कर कर्मकार कल्याण उपकर कोश/ शीर्ष में जमा कराये जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत अरांव

जनपद -फिरोजबाद

प्रस्तर 01- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान- वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु0 36,69,275=00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रु0 36,69,275=00 का वर्ष 2020-21 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली श्री योगेन्द्र कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, श्री कमलेश राजपूत, ब्लाक प्रमुख, श्री अरविन्द कुमार, जे0ई0 एवं श्री सुखदेव कुमार, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। वसूली की धनराशि रु0 36,69,275=00

प्रस्तर 02- देय जी0एस0टी0 की कटौती निर्माण बिलों से न कर केन्द्रीय राजस्व को हानि पहुंचाना- क्षेत्र पंचायत के वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई जी0एस0टी0 कटौती निर्माण बिलों से नहीं की गई है, विवरण निम्नवत् रहा-

वित्तीय वर्ष	कुल क्रय सामग्री का मूल्य देय जी0एस0टी0	दो प्रतिशतजी0एस0टी0 कटौती	देय अवशेष
जी0एस0टी0	2020-21	1,90,88,298=00	381766.00 0.00
सर्वयोग			381766.00

इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्धारित दर अनुसार जी0एस0टी0 कटौती न किये जाने के कारण रु0 381766=00 कम जी0एस0टी0 कटौती जमा कर ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.50% प्रति माह ब्याज/100 रु0 प्रति दिवस की दर से श्री योगेन्द्र कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अरविन्द कुमार, जे0ई0 एवं श्री सुखदेव कुमार, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना- क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात्

क्षेत्र पंचायतें अन्तरग्रामित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएँ भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। ₹0 2,27,57,573=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय ₹0 2,27,57,573=00 के दुरुपयोग का प्रकरण 30प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4- देय रायल्टी नियमानुसार न काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना- आगणित रायल्टी की धनराशि ₹0 5,69,975=70 अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी और न ही वैध अभिवहन प्रपत्र ही प्राप्त किया गया। अतः कुल धनराशि ₹0 5,69,975=70 को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853-अलौह खनन में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व को भारी क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी वसूली श्री योगेन्द्र कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, श्री कमलेश राजपूत, ब्लाक प्रमुख एवं श्री सुखदेव कुमार, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 5,69,975=70

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत टूण्डला

प्रस्तर 05- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान- वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 33,27,785=00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन ₹0 33,27,785=00 का वर्ष 2020-21 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली श्री नरेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, श्री सतेन्द्र कुमार धनगर, ब्लाक प्रमुख, श्री सतेन्द्र हितैषी, जे0ई0 एवं श्री प्रबल प्रताप सिंह, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। वसूली की धनराशि ₹0 33,27,785=00

प्रस्तर 06- देय जी0एस0टी0 की कटौती निर्माण बिलों से न कर केन्द्रीय राजस्व को हानि पहुंचाना- क्षेत्र पंचायत के वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई जी0एस0टी0 कटौती निर्माण बिलों से नहीं की गई है, विवरण निम्नवत् रहा-

वित्तीय वर्ष	कुल क्रय सामग्री का मूल्य देय जी0एस0टी0	दो प्रतिशत जी0एस0टी0 कटौती	देय अवशेष जी0एस0टी0
2020-21	1,36,93,579=00	273872.00	0.00 273872=00
सर्वयोग		273872.00	

इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्धारित दर अनुसार जी0एस0टी0 कटौती न किये जाने के कारण रु0 273872=00 कम जी0एस0टी0 कटौती जमा कर ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.50% प्रति माह ब्याज/100 रु0 प्रति दिवस की दर से वसूली श्री नरेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, श्री सतेन्द्र हितैषी, जे0ई0 एवं श्री प्रबल प्रताप सिंह, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना- क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अन्तर्ग्रामित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रु0 1,70,21,364=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रु0 1,70,21,364=00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8- देय रायल्टी नियमानुसार न काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना- आगणित रायल्टी की धनराशि ₹0 4,15,551=30 अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी और न ही वैध अभिवहन प्रपत्र ही प्राप्त किया गया। अतः कुल धनराशि ₹0 4,15,551=30 को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853-अलौह खनन में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व को भारी क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी वसूली श्री नरेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, श्री सतेन्द्र कुमार धनगर, ब्लाक प्रमुख एवं श्री प्रबल प्रताप सिंह, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।
वसूली की धनराशि ₹0 4,15,551=30

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद

प्रस्तर-9- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना- क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अब्जगमित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। ₹0 3,02,46,848=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय ₹0 3,02,46,848=00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10- टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना - आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण ₹0

3,67,494=00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से श्री लक्ष्मी नारायण यादव ब्लॉक प्रमुख श्री प्रेमपाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अरविन्द, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। वसूली की धनराशि 3,67,494=00

प्रस्तर-11- कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना - ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 तक निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार कुछ भुगतानों में से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल ₹0 1,64,062=00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी वसूली ता-तारीख सूद सहित श्री प्रेमपाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अरविन्द, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि ₹0 1,64,062=00

प्रस्तर-12- निर्धारित प्राधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्यों पर व्यय करना-

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 34,28,133=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 34,28,133=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु डा लक्ष्मीनारायण यादव ब्लॉक प्रमुख, श्री प्रेमपाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, सुरेशचन्द्र, जे0ई0 संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

वसूली की धनराशि

₹0 34,28,133=00

प्रस्तर-13- निर्धारित प्राधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्यो पर व्यय करना-

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य- वाटर हार्वेस्टिंग छत मरम्मत प्लास्टर सोकपिट विद्युत आदि कार्य में ₹0 1,83,950=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 1,83,950=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु डा लक्ष्मीनारायण यादव ब्लॉक प्रमुख, श्री प्रेमपाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, सुरेशचन्द्र, जे0ई0 संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली डॉ श्री लक्ष्मी नारायण यादव ब्लॉक प्रमुख, श्री प्रेम पल सिंह खंड विकास अधिकारी व श्री सुरेश चंद्रा जे0ई0 से की जानी है।

वसूली की धनराशि

₹0 1,83,950=00

प्रस्तर-14- बिना एम0आई0एस0फीडिंग के निर्माण कार्यो पर व्यय करना- शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03-/2015 के प्रस्तर 2-5 के अनुसार कराये गये कार्य की एम0आई0एस0फीडिंग करायी जायेगी तथा एक कार्य की एम0आई0एस0 फीडिंग के उपरान्त ही दूसरा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त का पूर्ण दायित्व खण्ड विकास अधिकारी का होगा। उक्त निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यो कुल ₹0 57,83,739 की एम0आई0एस0फीडिंग नहीं करायी गयी है परन्तु कार्यो पर अनियमित पूर्वक धनराशि व्यय की गई है। अतः इन कार्यो पर व्यय ₹0 57,83,739=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु डा लक्ष्मीनारायण यादव ब्लॉक प्रमुख, श्री प्रेमपाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, सुरेशचन्द्र, जे0ई0 संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि ₹0 57,83,739=00

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत मदनपुर

प्रस्तर-15- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना - क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अब्जग्रामित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये

गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। ₹0 1,00,88,967=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय ₹0 1,00,88,967=00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 16- देय जी0एस0टी0 की कटौती निर्माण बिलों से न कर केन्द्रीय राजस्व को हानि पहुंचाना- क्षेत्र पंचायत के वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोई जी0एस0टी0 कटौती निर्माण बिलों से नहीं की गई है, क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्धारित दर अनुसार जी0एस0टी0 कटौती न किये जाने के कारण ₹0 134654=02 कम जी0एस0टी0 कटौती जमा कर ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.50% प्रति माह ब्याज/100 ₹0 प्रति दिवस की दर से वसूली श्री पी0एस0आनन्द, श्री मती नवोदिता शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, श्री सुखवीर सिंह, जे0ई0 एवं श्री दलवीर सिंह, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17- कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना - ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 तक निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार कुछ भुगतानों में से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल ₹0 2,755=24 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी वसूली श्री पी0एस0आनन्द, श्री मती नवोदिता शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, श्री मती पुष्पा देवी, ब्लाक प्रमुख, श्री सुखवीर सिंह, जे0ई0 एवं श्री दलवीर सिंह, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। वसूली की धनराशि ₹0 2,755=24

प्रस्तर-18- टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना - आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण ₹0 2,21,617=00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से श्री पी0एस0आनन्द, श्री मती नवोदिता शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, श्री मती पुष्पा देवी, ब्लाक प्रमुख एवं श्री दलवीर सिंह, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। वसूली की धनराशि ₹0 2,21,617=00

प्रस्तर-19- देय रायल्टी नियमानुसार न काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना- आगणित राँयल्टी की धनराशि ₹0 6,14,761=80 अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी और न ही वैध अभिवहन प्रपत्र ही प्राप्त किया गया। अतः कुल धनराशि ₹0 6,14,761=80 को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853-अलौह खनन में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व को भारी क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली श्री पी0एस0आनन्द, श्री मती नवोदिता शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री दलवीर सिंह, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।
वसूली की धनराशि ₹0 6,14,761=80

प्रस्तर-20- स्वीकृत प्राक्कलन के सापेक्ष एम0बी में अंकित मापों में अधिक माप दर्शाकर निर्माण कार्यों में धन का अपहरण- कार्य- नगला देवकरन में डाबर रोड से रोजन्द्र सिंह के घर एवं राकेश कुमार चन्द्रशेखर वाली गली में सी0सी0 व नाली निर्माण, नगला गढसान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर इण्टरलाकिंग कार्य, ग्राम पंचायत रूचन मानिकपुर में बलरई भदान मार्ग से पीपरा की मढैया होते हुए नगला केसरी सम्पर्क मार्ग में देवी थान से खोखा तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण तथा ग्राम नगला विशनू में लिंग रोड से ग्राम तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य में स्वीकृत प्राक्कलन के सापेक्ष एम0बी0 में अंकित मापें उससे काफी अधिक व काल्पनिक पायी गयीं जिन्हें स्वीकृत नहीं कराया गया है] जिसकी वसूली श्री पी0एस0आनन्द, श्री मती नवोदिता शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, श्री मती पुष्पा देवी, ब्लाक प्रमुख, श्री सुखवीर सिंह, जे0ई0 एवं श्री दलवीर सिंह, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। वसूली की धनराशि ₹0 2,51,622=59

प्रस्तर-21- फर्जी मिट्टी कार्य दर्शाकर निर्माण कार्यों में धन का अपहरण- कार्य- नगला देवकरन में डाबर रोड से रोजन्द्र सिंह के घर एवं राकेश कुमार चन्द्रशेखर वाली गली में सी0सी0 व नाली निर्माण, नगला गढसान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के टनदर इण्टरलाकिंग कार्य, ग्राम पंचायत रूचन मानिकपुर में

बलरई भदान मार्ग से पीपरा की मढैया होते हुए नगला केसरी सम्पर्क मार्ग में देवी थान से खोखा तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण तथा ग्राम नगला विश्नू में लिंग रोड से ग्राम तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि कार्य कराने से पूर्व वहाँ अंकित गहराई जैसी स्थिति विद्यमान नहीं थी और न ही मिट्टी भराव कराते समय का फोटोग्राफ ही संलग्न किया गया है जिससे मिट्टी कार्य संदिग्ध एवं काल्पनिक है जिसकी वसूली श्री पी0एस0आनन्द, श्री मती नवोदिता शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, श्री मती पुष्पा देवी, ब्लाक प्रमुख, श्री सुखवीर सिंह, जे0ई0 एवं श्री दलवीर सिंह, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। वसूली की धनराशि

रु0

3,65,321=02

प्रस्तर-22- पुराने खडंजे से प्राप्त ईंटों का अपहरण - ग्राम नगला विश्नू में लिंग रोड से ग्राम तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यस्थल पर विद्यमान पुराने खडंजे से 233.45 घन मी0 के आधार पर 14007 नग ईंटें निर्माण सामग्री में प्रयुक्त की गई हैं जबकि डिस्मेण्टल राने की स्थिति में क्षेत्र पंचायत द्वारा पुन उसी कार्यस्थल पर पुरानी ईंटों से कम से कम 8404 नग ईंटें प्राप्त दर्शानी चाहिए थीं, अत समतुल्य धनराशि रु0 52,945=20की वसूली श्री पी0एस0आनन्द, श्री मती नवोदिता शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, श्री मती पुष्पा देवी, ब्लाक प्रमुख, श्री सुखवीर सिंह, जे0ई0 एवं श्री दलवीर सिंह, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। वसूली की धनराशि

रु0 52,945=20

जनपद- मैनपुरी

मण्डल - आगरा

क्षेत्र पंचायत सुल्तानगंज 2020-21

1- प्रस्तर 1- उ0प्र0 जिला एवं क्षेत्र पंचायत अधि0 1961 के अध्याय (03) के धारा 33 (02) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत विकास खण्डों के मध्य सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों को बनाने का अधिकार उक्त धारा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को प्रदत्त किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबंधन कमेटी द्वारा भी इस हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा उ0प्र जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधि0 1961 के अध्याय 03 कि धारा 34(02) के अधीन क्षेत्र पंचायत को कार्य हेतु अधिकृत किया गया।

कार्य संख्या 09 द्वारिकापुर-रक्षपाल के घर से कालीचरन की आबादी तक इंटरलाकिंग कार्य रु 977580.00

कार्य संख्या 11 मलपुर-प्रमोद के घर से कायम सिंह के घर तक इंटरलाकिंग/नाली रु 991174.00

कार्य संख्या 14 जमादार के घर से जयपाल के घर तक सीसी निर्माण रु 922114.00

योग- रु 2890868.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकारों का अतिक्रमण करके रु 28.91 लाख का निर्माण कार्य अनियमित रूप से कराया गया है। अतः श्री आदित्य कुमार ख0वि0अधि0 सुल्तानगंज एंव श्री मती रीतु भारती क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। अतः कार्यवाही अपेक्षित है। (आपति संख्या-20)

क्षेत्र पंचायत-बेवर 2020-21

प्रस्तर-2-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से ग्राम हरजापुर में रामऔतार के घर से प्राथमिक विद्यालय तक नाली/इण्टरलाकिंग का कार्य कराया गया। सम्बन्धित पत्रावली की जाच में निम्न कमियां पायी गयी। (अनुमानित/स्वीकृत लागत-5.424 लाख)

(1) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक-2029 दिनांक 19.03.2020 द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना आमंत्रित की गयी जिसमें दैनिक हिन्दुस्तान एवं आज में निविदा प्रकाशित करने हेतु उनके सम्पादक महोदय को प्रति की गयी थी किन्तु निविदा से सम्बन्धित कोई भी प्रकाशन की प्रति पत्रावली में अप्राप्त रही।

(2) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ 2% धरोहर धनराशि (रु0-10848.00) की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी, बेवर के पदनाम से बंधक बनाकर जमा करने के निर्देश थे किन्तु किसी भी निविदा के प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि नहीं ली गयी इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा प्रपत्र स्वीकार करना अनियमित रहा।

(3) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, आयकर, जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति लगानी होगी किन्तु किसी भी निविदा के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये।

(4) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक रहित दिनांक 28.03.2020 के द्वारा माँ शारदा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स मैनपुरी कुसमरा को सामग्री आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया जिसमें अनुबन्ध पत्र के साथ जमानत की राशि रु0-94200.00 की एफ0डी0 एवं रु0-3794.00 का जुडिशिएल स्टाम्प भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु दिनांक 08.06.2020 को किये गये अनुबन्ध पत्र के साथ यह संलग्न नहीं पाये गये। इस प्रकार अनियमित रूप से अनुबन्ध पत्र स्वीकृत किया गया।

(5) संलग्न एम0बी0 में एम0बी0 नम्बर, पृष्ठ संख्या, किस व्यक्ति को कब निर्गत की गयी, कार्य प्रारम्भ की तिथि, कार्य समाप्त की तिथि, ठेकेदार का नाम आदि का विवरण अंकित नहीं है न ही सक्षम अधिकारी (एकाउन्ट आफिसर) द्वारा प्रमाणित ही है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय रु0-538974.00 अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय सिंह एवं लेखाकार श्री उदयवीर सिंह उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-10)

प्रस्तर 3. आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से ग्राम हजार (मल्लामई) में बाबू जी झोपड़ी से राजेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य कराया गया। सम्बन्धित पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पायी गयी। (अनुमानित/स्वीकृत लागत-3.343 लाख)

(1) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक-2029 दिनांक 19.03.2020 द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना आमंत्रित की गयी जिसमें दैनिक हिन्दुस्तान एवं आज में निविदा प्रकाशित करने हेतु उनके सम्पादक महोदय को प्रति की गयी थी किन्तु निविदा से सम्बन्धित कोई भी प्रकाशन की प्रति पत्रावली में अप्राप्त रही।

(2) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ 2० धरोहर धनराशि (रु0-6690.00) की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी, बेवर के पदनाम से बंधक बनाकर जमा करने के निर्देश थे किन्तु किसी भी निविदा के प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि नहीं ली गयी इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा प्रपत्र स्वीकार करना अनियमित रहा।

(3) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, आयकर, जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति लगानी होगी किन्तु किसी भी निविदा के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये।

(4) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक रहित दिनांक 28.03.2020 के द्वारा माँ शारदा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स मैनपुरी कुसमरा को सामग्री आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया जिसमें अनुबन्ध पत्र के साथ जमानत की राशि का कालम एवं जुडिशिएल स्टाम्प का कालम खाली है लेखा परीक्षा अनुसार जमानत की धनराशि रु0-26744.00 होती है किन्तु दिनांक 08.06.2020 को किये गये अनुबन्ध पत्र के साथ यह संलग्न नहीं पाये गये। इस प्रकार अनियमित रूप से अनुबन्ध पत्र स्वीकृत किया गया।

(5) संलग्न एम0बी0 में एम0बी0 नम्बर, पृष्ठ संख्या, किस व्यक्ति को कब निर्गत की गयी, कार्य प्रारम्भ की तिथि, कार्य समाप्त की तिथि, ठेकेदार का नाम आदि का विवरण अंकित नहीं है न ही सक्षम अधिकारी (एकाउन्ट आफिसर) द्वारा प्रमाणित ही है। एम0बी0 पर श्री धीरेन्द्र कुमार दुबे, अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मैनपुरी के हस्ताक्षर भी नहीं है।

(6) तुलनात्मक चार्ट में प्रस्तुत दरों के कालम नहीं भरे हैं फिर भी लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मा शारदा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स मैनपुरी कुसमरा का टेण्डर स्वीकृत कर दिया गया।

(7) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर के पत्रांक रहित दिनांक 08.06.2020 के अनुबन्ध में श्री धीरेन्द्र कुमार दुबे, अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर फर्म के बिल को प्रमाणित करने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु उनके द्वारा बिल प्रमाणित नहीं किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय रु0-263757.00 अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय सिंह एवं लेखाकार श्री उदयवीर सिंह उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(मूल आपति संख्या-11)

प्रस्तर 4. आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से ग्राम पंचायत मधुकरपुर के मजरा लकड़िया में विशेष के दरवाजे से शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग का कार्य कराया गया। सम्बन्धित पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पायी गयी। (अनुमानित/स्वीकृत लागत-5.05 लाख)

(1) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक-2029 दिनांक 19.03.2020 द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना आमंत्रित की गयी जिसमें दैनिक हिन्दुस्तान एवं आज में निविदा प्रकाशित करने हेतु उनके सम्पादक महोदय को प्रति की गयी थी किन्तु निविदा से सम्बन्धित कोई भी प्रकाशन की प्रति पत्रावली में अप्राप्त रही।

(2) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ 2: धरोहर धनराशि (रु0-12350.00) की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी, बेवर के पदनाम से बंधक बनाकर जमा करने के निर्देश थे किन्तु किसी भी निविदा के प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि नहीं ली गयी इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा प्रपत्र स्वीकार करना अनियमित रहा।

(3) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, आयकर, जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति लगानी होगी किन्तु किसी भी निविदा के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये।

(4) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक रहित दिनांक 28.03.2020 के द्वारा माँ शारदा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स मैनपुरी कुसमरा को सामग्री आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया जिसमें अनुबन्ध पत्र के साथ जमानत की राशि का कालम एवं जुडिशिएल स्टाम्प का कालम खाली है लेखा परीक्षा अनुसार जमानत की धनराशि रु0-40400.00 होती है किन्तु दिनांक 08.06.2020 को किये गये अनुबन्ध पत्र के साथ यह संलग्न नहीं पाये गये। इस प्रकार अनियमित रूप से अनुबन्ध पत्र स्वीकृत किया गया।

(5) संलग्न एम0बी0 में एम0बी0 नम्बर, पृष्ठ संख्या, किस व्यक्ति को कब निर्गत की गयी, कार्य प्रारम्भ की तिथि, कार्य समाप्त की तिथि, ठेकेदार का नाम आदि का विवरण अंकित नहीं है न ही सक्षम अधिकारी (एकाउन्ट आफिसर) द्वारा प्रमाणित ही है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय रु0-503086.00 अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय सिंह एवं लेखाकार श्री उदयवीर सिंह उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(मूल आपति संख्या-12)

प्रस्तर 5. आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से ग्राम करुआमई में मेन रोड से पंकज के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य कराया गया। सम्बन्धित पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पायी गयी। (अनुमानित/स्वीकृत लागत-4.32 लाख)

(1) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक-2029 दिनांक 19.03.2020 द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना आमंत्रित की गयी जिसमें दैनिक हिन्दुस्तान एवं आज में निविदा प्रकाशित करने हेतु उनके सम्पादक महोदय को प्रति की गयी थी किन्तु निविदा से सम्बन्धित कोई भी प्रकाशन की प्रति पत्रावली में अप्राप्त रही।

(2) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ 2% धरोहर धनराशि (रु0-8640.00) की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी, बेवर के पदनाम से बंधक बनाकर जमा करने के निर्देश थे किन्तु किसी भी निविदा के प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि नहीं ली गयी इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा प्रपत्र स्वीकार करना अनियमित रहा।

(3) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, आयकर, जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति लगानी होगी किन्तु किसी भी निविदा के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये।

(4) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक रहित दिनांक 28.03.2020 के द्वारा माँ शारदा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स मैनपुरी कुसमरा को सामग्री आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया जिसमें अनुबन्ध पत्र के साथ जमानत की राशि का कालम एवं जुडिशिएल स्टाम्प का कालम खाली है लेखा परीक्षा अनुसार जमानत की धनराशि रु0-34560.00 होती है किन्तु दिनांक 08.06.2020 को किये गये अनुबन्ध पत्र के साथ यह संलग्न नहीं पाये गये। इस प्रकार अनियमित रूप से अनुबन्ध पत्र स्वीकृत किया गया।

(5) संलग्न एम0बी0 में एम0बी0 नम्बर, पृष्ठ संख्या, किस व्यक्ति को कब निर्गत की गयी, कार्य प्रारम्भ की तिथि, कार्य समाप्त की तिथि, ठेकेदार का नाम आदि का विवरण अंकित नहीं है न ही सक्षम अधिकारी (एकाउन्ट आफिसर) द्वारा प्रमाणित ही है।

(6) तुलनात्मक चार्ट में प्रस्तुत दरों के कालम नहीं भरे हैं फिर भी लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माँ शारदा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स मैनपुरी कुसमरा का टेण्डर स्वीकृत कर दिया गया।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय रु0-402207.00 अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय सिंह एवं लेखाकार श्री उदयवीर सिंह उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(मूल आपति संख्या-13)

प्रस्तर 6. आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से ग्राम जसमई में नगला नाद में सड़क से सोनू चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य कराया गया। सम्बन्धित पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पायी गयी। (अनुमानित/स्वीकृत लागत-7.944 लाख)

(1) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक-2029 दिनांक 19.03.2020 द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना आमंत्रित की गयी जिसमें दैनिक हिन्दुस्तान एवं आज में निविदा प्रकाशित करने हेतु उनके सम्पादक महोदय को प्रति की गयी थी किन्तु निविदा से सम्बन्धित कोई भी प्रकाशन की प्रति पत्रावली में अप्राप्त रही।

(2) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ 2% धरोहर धनराशि (रु0-15890.00) की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी, बेवर के पदनाम से बंधक बनाकर जमा करने के निर्देश थे किन्तु किसी भी निविदा के प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि नहीं ली गयी इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा प्रपत्र स्वीकार करना अनियमित रहा।

(3) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, आयकर, जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति लगानी होगी किन्तु किसी भी निविदा के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये।

(4) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक रहित दिनांक 28.03.2020 के द्वारा माँ शारदा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स मैनपुरी कुसमरा को सामग्री आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया जिसमें अनुबन्ध पत्र के साथ जमानत की राशि का कालम एवं जुडिशिएल स्टाम्प का कालम खाली है लेखा परीक्षा अनुसार जमानत की धनराशि ₹0-63552.00 होती है किन्तु दिनांक 08.06.2020 को किये गये अनुबन्ध पत्र के साथ यह संलग्न नहीं पाये गये। इस प्रकार अनियमित रूप से अनुबन्ध पत्र स्वीकृत किया गया।

(5) संलग्न एम0बी0 में एम0बी0 नम्बर, पृष्ठ संख्या, किस व्यक्ति को कब निर्गत की गयी, कार्य प्रारम्भ की तिथि, कार्य समाप्त की तिथि, ठेकेदार का नाम आदि का विवरण अंकित नहीं है न ही सक्षम अधिकारी (एकाउन्ट आफिसर) द्वारा प्रमाणित ही है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय ₹0-787305.00 अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय सिंह एवं लेखाकार श्री उदयवीर सिंह उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(मूल आपति संख्या-14)

प्रस्तर 7. आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से ग्राम नैकामऊ में कमला देवी के घर से बलराम के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य कराया गया। सम्बन्धित पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पायी गयी। (अनुमानित/स्वीकृत लागत-9.18 लाख)

(1) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक-2029 दिनांक 19.03.2020 द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना आमंत्रित की गयी जिसमें दैनिक हिन्दुस्तान एवं आज में निविदा प्रकाशित करने हेतु उनके सम्पादक महोदय को प्रति की गयी थी किन्तु निविदा से सम्बन्धित कोई भी प्रकाशन की प्रति पत्रावली में अप्राप्त रही।

(2) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ 2% धरोहर धनराशि (₹0-18360.00) की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी, बेवर के पदनाम से बंधक बनाकर जमा करने के निर्देश थे किन्तु किसी भी निविदा के प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि नहीं ली गयी इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा प्रपत्र स्वीकार करना अनियमित रहा।

(3) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, आयकर, जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति लगानी होगी किन्तु किसी भी निविदा के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये।

(4) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक रहित दिनांक 28.03.2020 के द्वारा माँ शारदा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स मैनपुरी कुसमरा को सामग्री आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया जिसमें अनुबन्ध पत्र के साथ जमानत की राशि ₹0-51800.00 की एफ0डी0 एवं ₹0-6426.00 का जुडिशिएल स्टाम्प भी प्रस्तुत करने के

निर्देश दिये गये थे किन्तु दिनांक 08.06.2020 को किये गये अनुबन्ध पत्र के साथ यह संलग्न नहीं पाये गये। इस प्रकार अनियमित रूप से अनुबन्ध पत्र स्वीकृत किया गया।

(1) संलग्न एम0बी0 में एम0बी0 नम्बर, पृष्ठ संख्या, किस व्यक्ति को कब निर्गत की गयी, कार्य प्रारम्भ की तिथि, कार्य समाप्त की तिथि, ठेकेदार का नाम आदि का विवरण अंकित नहीं है न ही सक्षम अधिकारी (एकाउन्ट आफिसर) द्वारा प्रमाणित ही है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय रू0-905487.00 अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय सिंह एवं लेखाकार श्री उदयवीर सिंह उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(मूल आपति संख्या-15)

प्रस्तर 8. आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से ग्राम विरायमपुर सतधरा में देवी के मंदिर से विद्याचरन के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य कराया गया। सम्बन्धित पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पायी गयी। (अनुमानित/स्वीकृत लागत-5.07 लाख)

(1) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक-2029 दिनांक 19.03.2020 द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना आमंत्रित की गयी जिसमें दैनिक हिन्दुस्तान एवं आज में निविदा प्रकाशित करने हेतु उनके सम्पादक महोदय को प्रति की गयी थी किन्तु निविदा से सम्बन्धित कोई भी प्रकाशन की प्रति पत्रावली में अप्राप्त रही।

(2) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ 2० धरोहर धनराशि (रू0-10150.00) की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी, बेवर के पदनाम से बंधक बनाकर जमा करने के निर्देश थे किन्तु किसी भी निविदा के प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि नहीं ली गयी इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा प्रपत्र स्वीकार करना अनियमित रहा।

(3) उपरोक्त पत्र में दी गयी निविदादाताओं की शर्तों के अनुसार निविदा के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, आयकर, जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति लगानी होगी किन्तु किसी भी निविदा के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये।

(4) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बेवर मैनपुरी के पत्रांक रहित दिनांक 28.03.2020 के द्वारा मा शारदा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स मैनपुरी कुसमरा को सामग्री आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया जिसमें अनुबन्ध पत्र के साथ जमानत की राशि का कालम एवं जुडिशिएल स्टाम्प का कालम खाली है लेखा परीक्षा अनुसार जमानत की धनराशि रू0-40560.00 होती है किन्तु दिनांक 08.06.2020 को किये गये अनुबन्ध पत्र के साथ यह संलग्न नहीं पाये गये। इस प्रकार अनियमित रूप से अनुबन्ध पत्र स्वीकृत किया गया।

(5) संलग्न एम0बी0 में एम0बी0 नम्बर, पृष्ठ संख्या, किस व्यक्ति को कब निर्गत की गयी, कार्य प्रारम्भ की तिथि, कार्य समाप्त की तिथि, ठेकेदार का नाम आदि का विवरण अंकित नहीं है न ही सक्षम अधिकारी (एकाउन्ट आफिसर) द्वारा प्रमाणित ही है।

(6) तुलनात्मक चार्ट में प्रस्तुत दरों के कालम नहीं भरे हैं फिर भी लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मा शारदा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स मैनपुरी कुसमरा का टेण्डर स्वीकृत कर दिया गया।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय रु0-499893.00 अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय सिंह एवं लेखाकार श्री उदयवीर सिंह उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-16)

प्रस्तर 9. आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा पाया गया कि दिनांक 31.03.2021 को राज्य वित्त योजना में रु0-148857.78, पंचम राज्य वित्त में रु0-4079243.30 एवं 15वें वित्त आयोग में रु0-20994656.42 अवशेष दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। अनुदान का शत-प्रतिशत उपयोग अपेक्षित रहा। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशीष शुक्ला, श्री विजय सिंह एवं लेखाकार श्री उदयवीर सिंह उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-17)

क्षेत्र पंचायत किशनी वर्ष 2014-15

प्रस्तर 10- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण मद में किये गये व्यय रु 50000.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहना। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 रियाज से वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0- 01)

प्रस्तर 11- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बायो गैस मद में किये गये व्यय रु 40000.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहना। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 रियाज से वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0- 05)

प्रस्तर 12-लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आर्थिक जातिगत गणना मद में किये गये व्यय रु 5209.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहना। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा

लेखाकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 रियाज से वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0- 06)

प्रस्तर 13- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी मद में किये गये व्यय रु 144461.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 रियाज से वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0- 07)

प्रस्तर 14-लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग मद में किये गये व्यय रु 3337342.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 रियाज से वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0- 08)

प्रस्तर 15-लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना मद में किये गये व्यय रु 658625.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 रियाज से वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-10)

प्रस्तर 16- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में तेरहवें वित्त आयोग मद में किये गये व्यय रु 12724387.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 रियाज लेखाकार से वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-11)

प्रस्तर 17- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में संजीव चैकीदार की वसूली मद में किये गये 52200.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 रियाज से वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-12)**

प्रस्तर 18- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में मनरेगा आडिट पार्टी मानदेय मद में किये गये व्यय रु 44500.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 रियाज से वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-13)**

प्रस्तर 19- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में एन0आर0एल0एम0 सरस मेंला टी0ए0 मद में किये गये व्यय रु 4782.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 रियाज से वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-14)**

प्रस्तर 20- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में क्वाटर किराया फायर बिग्रेड मद में किये गये व्यय रु 21850.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 रियाज से वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-15)**

क्षेत्र पंचायत करहल वर्ष 2016-17 से 2019-20

प्रस्तर 21- लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में तृतीय रा0वि0 आयोग मद में किये गये व्यय रु 31838.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम शिरोमणि मौर्य एवं सुप्रिया तथा लेखाकार श्री रामकिशोर दुबे एवं इन्द्रपाल से वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-01)**

प्रस्तर 22- लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना मद में किये गये व्यय रु 55000.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम शिरोमणि मौर्य एवं सुप्रिया तथा लेखाकार श्री रामकिशोर दुबे एवं इन्द्रपाल से वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-03)**

प्रस्तर 23- लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में विविध प्राप्तियां मद में किये गये व्यय रु 30137.92 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम शिरोमणि मौर्य एवं सुप्रिया तथा लेखाकार श्री रामकिशोर दुबे एवं इन्द्रपाल से वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-05)**

प्रस्तर 24- लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में विधायक निधि मद में किये गये व्यय रु 1684830.75 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम शिरोमणि मौर्य एवं सुप्रिया तथा लेखाकार श्री रामकिशोर दुबे एवं इन्द्रपाल से वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-06)**

प्रस्तर 25- लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में चतुर्थ रा0वि0 आयोग मद में किये गये व्यय रु 2068840.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहना। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम शिरोमणि मौर्य एवं सुप्रिया तथा लेखाकार श्री रामकिशोर दुबे एवं इन्द्रपाल से वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-08)**

प्रस्तर 26- लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में टी0डी0एस0 अंकन रु 13796.00 के भुगतान से सम्बन्धित के प्रमाणक/चालान लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहने के कारण भुगतान अनियमित रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मती सुप्रिया मिश्रा , श्री जे0एन0 कुरील एवं अब्दुल माजिद तथा श्री प्रेमचन्द्र बाथम कार्य प्रभारी एवं श्री इन्द्रपाल लेखाकार पर कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-10)**

प्रस्तर 36- लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में पी0एम0ए0बाई0 कन्टीजेन्सी मद में व्यय किये गये व्यय रु 260381.70 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मती सुप्रिया मिश्रा , श्री जे0एन0 कुरील एवं अब्दुल माजिद तथा श्री इन्द्रपाल लेखाकार पर कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0- 25)

प्रस्तर 38- लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में टी0डी0एस अंकन रु 4923.00 के भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक/चालान लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहने के कारण भुगतान अनियमित रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अब्दुल माजिद, संजय वर्मा एवं विमला देवी तथा श्री प्रेमचन्द्र बाथम कार्य प्रभारी एवं श्री इन्द्रपाल लेखाकार पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-29)

प्रस्तर 39- लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में टी0डी0एस अंकन रु 6623.00 के भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक/चालान लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहने के कारण भुगतान अनियमित रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अब्दुल माजिद, संजय वर्मा एवं विमला देवी तथा श्री प्रेमचन्द्र बाथम कार्य प्रभारी एवं श्री इन्द्रपाल लेखाकार पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-30)

प्रस्तर 40- लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में टी0डी0एस अंकन रु 18003.00 के भुगतान से सम्बंधित प्रमाणक/चालान लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहने के कारण भुगतान अनियमित रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अब्दुल माजिद, संजय वर्मा एवं विमला देवी तथा श्री प्रेमचन्द्र बाथम कार्य प्रभारी एवं श्री इन्द्रपाल लेखाकार पर कार्यवाही अपेक्षित है। (मल आपत्ति सं0-31)

प्रस्तर 41- लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में टी0डी0एस अंकन रु 8866.00 के भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक/चालान लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहने के कारण भुगतान अनियमित रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अब्दुल माजिद, संजय वर्मा एवं विमला देवी तथा श्री प्रेमचन्द्र बाथम कार्य प्रभारी एवं श्री इन्द्रपाल लेखाकार पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-32)

प्रस्तर 42- लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में टी0डी0एस अंकन रु 5890.00 के भुगतान से सम्बंधित प्रमाणक/चालान लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहने के कारण भुगतान अनियमित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अब्दुल माजिद, संजय वर्मा एवं विमला देवी तथा श्री प्रेमचन्द्र बाथम कार्य प्रभारी एवं श्री इन्द्रपाल लेखाकार पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-33)

प्रस्तर 43- लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में टी0डी0एस अंकन रु 10849.00 के भुगतान से सम्बंधित प्रमाणक/चालान लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहने के कारण भुगतान अनियमित रहा। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अब्दुल माजिद,

(मूल आपत्ति सं०-34)

(मूल आपत्ति सं०-35)

(मूल आपत्ति सं०-36)

(मूल आपत्ति सं०-38)

(मूल आपत्ति सं०-39)

(मूल आपत्ति सं०-40)

(मूल आपत्ति सं०-41)

(मूल आपत्ति सं०-42)

प्रस्तर 61- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ रा0वि0 आयोग मद में किये गये व्यय रु 1090820.32 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहना। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मती विमला देवी एवं रामप्रसाद तथा श्री इन्द्रपाल लेखाकार पर कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-60)**

प्रस्तर 62- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आगंनबाडी केन्द्रो की धनराशि मद में किये गये व्यय रु 83403.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहना। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मती विमला देवी एवं रामप्रसाद तथा श्री इन्द्रपाल लेखाकार पर कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-61)**

प्रस्तर 63- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में पी0एम0ए0बाई0 कन्टीजेन्सी मद में किये गये व्यय रु 99296.30 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहना। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मती विमला देवी एवं रामप्रसाद तथा श्री इन्द्रपाल लेखाकार पर कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-62)**

प्रस्तर 64- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में सा0वि0यो0 मद में किये गये व्यय रु 2894000.00 के प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण अपुष्ट रहना। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मती विमला देवी एवं रामप्रसाद तथा श्री इन्द्रपाल लेखाकार पर कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-61)**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 :- क्षेत्र पंचायतें

1- संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत टप्पल जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 01-शासनादेश संख्या- 389/77-5-2002-1(216)93 दिनांक 05 अगस्त 2002 व शासनोदश संख्य- 2974/86-2012-200/77 टी0सी0-2 लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर 12 के अनुसार वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों पर रायल्टी नहीं काटी गई है और न ही निर्माण पत्रावली में वैद्य रमन्ना (एम0एम0-11) पाया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र 0 सं0	कार्य का नाम	उपखनिज की मात्रा	दर	रायल्टी की धनराशि
1	ग्रामनागल खुर्द में किरनपाल के मकान से राम आश्रम तक सी0सी0 निर्माण कार्य	फाईन सैण्ड 40 घ0मी0	65	2600
		कोर्स सैण्ड 40 घ0मी0	100	4000
		ग्रिड स्टोन 40 घ0मी0	110	4400
		मिट्टी कार्य 789.96घ0मी0	30	23699
2	ग्राम हजियापुर में करमवीर के मकान से ललित के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य	फाईन सैण्ड 37.70 घ0मी0	65	2450
		कोर्स सैण्ड 42.57 घ0मी0	100	4257
		ग्रिड स्टोन 84.20 घ0मी0	110	9262
		मिट्टी कार्य 219 घ0मी0	30	6579
3	ग्राम नगरिया विजना में गिरीश के मकान से सुखवीर के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य	फाईन सैण्ड 34 घ0मी0	65	2210
		कोर्स सैण्ड 11.60 घ0मी0	100	1160
		ग्रिड स्टोन 23.30 घ0मी0	110	2563

		मिट्टी कार्य 115 घ0मी0	30	3450
4	ग्राम नागल खुर्द में मंजीत के मकान से राजकुमार के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	फाईन सैण्ड 44.80 घ0मी0	65	2912
		कोर्स सैण्ड 33 घ0मी0	100	3300
		ग्रिड स्टोन 65 घ0मी0	110	7150
		मिट्टी कार्य 115 घ0मी0	30	3450
5	ग्राम हजियापुर में कुवंर पाल के घर से भूरा के घर तक सी0सी0/नाली निर्माण कार्य	फाईन सैण्ड 40 घ0मी0	65	2600
		कोर्स सैण्ड 40 घ0मी0	100	4000
		ग्रिड स्टोन 80 घ0मी0	110	8800
		मिट्टी कार्य 565.20 घ0मी0	30	16956
योग				111798

उपरोक्त निर्माण कार्यों के उपखनिज/मिट्टी पर रायल्टी न काटकर रु0 111798.00 राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके दोषी तत्कालीन अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए रायल्टी की धनराशि राजकीय राजस्व में जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर 02-ग्राम हजियापुर में करमवीर के मकान से ललित खां के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य की पत्रावली में निम्न कमियां प्रकाश में आयी-

1- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार निर्माण कार्य से पूर्व 02 राष्ट्रीय अखबार में निविदा का प्रकाशन कराया जाना अनिवार्य है परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य से पूर्व निविदा प्रकाशित नहीं की गयी। न ही किसी भी फर्म के टेण्डर प्राप्त किये गये और न ही पत्रावली में आपूर्ति आदेश संलग्न पाया गया।

2- उक्त निर्माण कार्य का प्राक्कलन रु0 16.48 लाख का था। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नियमानुसार जिला अधिकारी महोदय से नहीं ली गयी।

3- निर्माण पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये।

उक्त निर्माण कार्य बिना टेण्डर एवं वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति के बिना (रायल्टी की धनराशि काटकर) रु0 912210.00 की अनियमितता पायी गयी। जिसके दोषी तत्कालीन अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए रायल्टी की धनराशि राजकीय राजस्व में जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर 03-वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा-33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों

व शक्तियों का अतिक्रमणकर एवं शासनादेश संख्या- 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभागके पत्रांक संख्या 4/866/33-14-93 जी/2004 दिनांक 24.06.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र सं	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि (रायल्टी काटकर)
1	ग्राम नागल खुर्द में किरनपाल के मकान से राम आश्रम तक सी0सी0 निर्माण कार्य	537603
2	ग्राम नगरिया विजना में गिरीश के मकान से सुखवीर के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य	746216
3	ग्राम नागल खुर्द में मंजीत के मकान से राजकुमार के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	220745
4	ग्राम हजियापुर में कुवंरपाल के घर से भूरा के घर तक सी0सी0/नाली निर्माण कार्य	578437
योग		2083001

उपरोक्त निर्माण कार्य पर ₹0 2083001.00 की अनियमितता की गयी। जिसके दोषी तत्कालीन अवर अभियन्ता,लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए रायल्टी की धनराशि राजकीय राजस्व में जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर 04-शासनादेश संख्या- 389/77-5-2002-1(216)93 दिनांक 05 अगस्त 2002 व शासनोदश संख्य- 2974/86-2012-200/77 टी0सी0-2 लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर 12 के अनुसार वर्ष 2018-19 में सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों पर रायल्टी नहीं काटी गई है और न ही निर्माण पत्रावली में वैद्य रमन्ना (एम0एम0-11) पाया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं 0	कार्य का नाम	उपखनिज की मात्रा	दर	रायल्टी की धनराशि
1	ग्राम पखौदना में सुरेशचन्द्र के मकान से महेश चन्द्र के मकान तक सी0सी0/नाली निर्माण कार्य	फाईन सैण्ड 22.65 घ0मी0	65	1472
		कोर्स सैण्ड 25.95 घ0मी0	100	2595
		ग्रिड स्टोन 25.95 घ0मी0	110	2855
2	ग्राम पखौदना में प्रा0वि0 से महेश के मकान तक सी0सी0/नाली निर्माण कार्य	फाईन सैण्ड 22.65 घ0मी0	65	1472
		कोर्स सैण्ड 25.98 घ0मी0	100	2598

		ग्रिड स्टोन 51.96 घ0मी0	110	5716
3	ग्राम मालव के मजरा रामगढ़ी में कल्ली के मकान से चतुरी के खेत तक खण्डंजा/नाली निर्माण कार्य	फाईन सैण्ड 22.29 घ0मी0	65	1449
		कोर्स सैण्ड 04.07 घ0मी0	100	407
		ग्रिड स्टोन 08.19 घ0मी0	110	901
4	ग्राम वाजिदपुर में डोरी के मकान से निरंजन के मकान तक इण्टर लॉकिंग/नाली निर्माण कार्य	फाईन सैण्ड 31.15 घ0मी0	65	2025
		कोर्स सैण्ड 01.88 घ0मी0	100	188
		ग्रिड स्टोन 03.76 घ0मी0	110	414
		लोकल सैण्ड 19.80 घ0मी0	55	1089
5	ग्राम ऊटांसानी में श्रीदेवी के घर से पथवारी तक सी0सी0 निर्माण कार्य	फाईन सैण्ड 20.70 घ0मी0	65	1345
		कोर्स सैण्ड 44 घ0मी0	150	6600
		ग्रिड स्टोन 45 घ0मी0	110	4950
		बदरपुर 28.40 घ0मी0	150	4260
योग				40336

उपरोक्त निर्माण कार्यों के उपखनिज/मिट्टी पर रायल्टी न काटकर ₹0 40336.00 राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके दोषी तत्कालीन अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए रायल्टी की धनराशि राजकीय राजस्व में जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर 05-वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा-33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या- 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-14-93 जी/2004 दिनांक 24.06.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र 0 सं 0	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि (रायल्टी काटकर)
1	ग्राम मालव में देशराज के खेत से फतेह सिंह के खेत तक मिट्टी/खडंजा कार्य	785382
2	ग्राम मालव में प्रा0पा0 से कब्रिस्तान तक मिट्टी/खडंजा कार्य	235042
3	ग्राम मालव में सचदेव के घर से सुन्दर मास्टर के घर तक मिट्टी/खडंजा/एल0टाईप नाली	212655
4	ग्राम मालव में पूरन फौजी के खेत से देशराज के खेत तक मिट्टी/खडंजा/नाली कार्य	891721
5	ग्राम गढ़ी सूरजमल में बम्बा से चन्द्रपाल भगत जी के घर तक सी0सी0/नाली कार्य	544885
6	ग्राम पखौदना में सुरेशचन्द्र के मकान से महेश चन्द्र के मकान तक सी0सी0/नाली निर्माण कार्य	623040
7	ग्राम पखौदना में प्रा0वि0 से महेश के मकान तक सी0सी0/नाली निर्माण कार्य	620176
8	ग्राम मालव के मजरा रामगढ़ी में कल्लू के मकान से चतुरी के खेत तक नाली/खडंजा निर्माण कार्य	800481
9	ग्राम वाजिदपुर में डोरी के मकान से निरंजन के मकान तक इण्टर लॉकिंग/नाली निर्माण कार्य	749726
10	ग्राम उटांसानी में श्रीदेवी के घर से पथवारी तक सी0सी0 निर्माण कार्य	715112
11	ग्राम मालव के मजरा रामगढ़ी में रवि के मकान से प्रसाद के मकान तक खडंजा/नाली निर्माण कार्य	226749
12	ग्राम मालव के मजरा रामगढ़ी में मैन्नन खां के घर से कुवंरपाल के मकान तक खडंजा/मिट्टी कार्य	75821
13	ग्राम उटांसानी में भूरा के मकान से कल्लू के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	122320
योग		6603110

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर ₹0 6603110.00 की अनियमितता की गयी। जिसके दोषी तत्कालीन अवर अभियन्ता,लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए रायल्टी की धनराशि राजकीय राजस्व में जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर 06-उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 97/2016/2811/33-3-2016-3/2015 दिनांक 26.11.2016 के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमित धनराशि के उपभोग के मार्ग दर्शक सिद्धांत में यह व्यवस्था दी गयी कि क्षेत्र पंचायतें संवर्धित धनराशि का 50 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत की स्वयं की एवं उन्हें हस्तांतरित सम्पत्तियों यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केंद्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत एवं रख रखाव पर अवश्य व्यय किया जाए। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण

कार्यों पर व्यय किया जायेगा। लेकिन लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत टप्पल में पुरानी सम्पत्तियों के रख-रखाव पर शून्य प्रतिशत किया गया है। जिसका निम्न विवरण है-

वर्ष	कुल व्यय	50 प्रतिशत	मरम्मत पर व्यय	कम व्यय
2019-20	2558901	1279450	शून्य	1279450

इस प्रकार 2019-20 में ₹0 1279450.00 अनियमित तरीके से पुरानी सम्पत्तियों के रख-रखाव पर व्यय न कर खडंजा एवं इण्टर लॉकिंग जैसे नये निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है। जो शासकीय आदेशों का उल्लंघन है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं | (सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर 07-उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 97/2016/2811/33-3-2016-3/2015 दिनांक 26.11.2016 के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमित धनराशि के उपभोग के मार्ग दर्शक सिद्धांत में यह व्यवस्था दी गयी कि क्षेत्र पंचायतें संवर्धित धनराशि का 50 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत की स्वयं की एवं उन्हें हस्तांतरित सम्पत्तियों यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केंद्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत एवं रख रखाव पर अवश्य व्यय किया जाए। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर व्यय किया जायेगा। लेकिन लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत टप्पल में पुरानी सम्पत्तियों के रख-रखाव पर मात्र 01 कार्य किया गया है। जिसका निम्न विवरण है-

वर्ष	कुल व्यय	50 प्रतिशत	मरम्मत पर व्यय	कम व्यय
2020-21	8994588	4497294	147589	4349705

इस प्रकार 2020-21 में ₹0 4349705.00 अनियमित तरीके से पुरानी सम्पत्तियों के रख-रखाव पर व्यय न कर खडंजा एवं इण्टर लॉकिंग जैसे नये निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है। जो शासकीय आदेशों का उल्लंघन है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं | (सा0आ0सं0-07)

प्रस्तर 08-वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा-33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या- 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-14-93 जी/2004 दिनांक 24.06.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से ग्राम के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं 0	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि
1	ग्राम घाघौली में मोहन के घर से महेन्द्र के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	215577
2	ग्राम गढ़ी सूरजमल में शहीदपार्क में इंटर लॉकिंग कार्य	231437

3	ग्राम रायपुर में प्रधान के घर से धर्मपाल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	555317
4	ग्राम हामिदपुर में नरेन्द्र के घर से केहरसिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	81349
5	ग्राम पालर में मुख्य सड़क से दादा शंकर के घर तक सी0सी0 रोड कार्य	471473
6	ग्राम हामिदपुर में मनवीर के घर से भगवान सिंह के घर तक सी0सी0 रोड कार्य	507758
7	ग्राम उटवारा में मोहन के घर से महेन्द्र के घर तक सी0सी0 कार्य	328158
8	ग्रामरायपुर में मुख्य सड़क से समय सिंह नत्थी के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	568484
9	ग्राम रायपुर में पीतम के घर से बाबू के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	356917
10	ग्राम रायपुर में मुख्तार के घर से सतवीर के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	510656
11	ग्राम हामिदपुर में मुख्य सड़क से ज्ञानेन्द्र के घर तक सी0सी0 कार्य	576011
12	थाना टप्पल परिसर में इंटर लॉकिंग कार्य	598555
13	स्यारौल में मुकेश के घर से भारत सिंह के घर तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण कार्य	255995
14	स्यारौल में थान सिंह के घर से राजवीर के घर तक सी0सी0 रोड	301440
15	स्यारौल में देवेन्द्र के घर से मुकेश के घर तक सी0सी0 रोड	404669
16	ग्राम माधव में साहब सिंह के घर से नाले तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	184377
17	ग्राम टप्पल में श्मशान घाट में कमरा निर्माण कार्य	155401
18	ग्राम माधव में कन्छी के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	135726
19	ग्राम रायपुर में महेन्द्र के घर से मांगे के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	199085
20	ग्राम नागल खुर्द में सावरिया के घर से शीशपाल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	663465
21	ग्राम भरतपुर में जगदीशके घर से सोहन के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	459487
22	ग्रामबुढ़का में शास्त्री जी के घर तक सी0सी0 कार्य	685689
	कुल योग	8446936

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर ₹0 8446936.00 की अनियमितता की गयी। जिसके दोषी तत्कालीन अवर अभियन्ता, लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए रायल्टी की धनराशि राजकीय राजस्व में जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-08)

प्रस्तर 09- वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा-33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या- 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-14-93 जी/2004 दिनांक 24.06.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर वर्ष 2020-21 में 15 वें वित्त आयोग की धनराशि से ग्राम के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं 0	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि
1	ग्राम गढ़ी सूरजमल में कर्मवीर के घर से लालापदम सिंह के घर तक यू0 टाईप नाली निर्माण कार्य	212676
2	ग्राम नगलिया विजना में चन्द्रवीर के घर से नाहर सिंह के ट्यूब बैल तक यू0 टाईप नाली निर्माण कार्य	209126
3	ग्राम खेडिया बुजुर्ग (लंगोट गढ़ी) डा0 बच्चू के घर से नाले तक यू0 टाईप नाली निर्माण कार्य	105578
4	ग्राम खेडिया बुजुर्ग में करन सिंह के घर से नाले तक यू0 टाईप नाली निर्माण कार्य	484934
5	ग्राम सालपुर में रविन्द्र के घर से टूकी राम के घर तक ईट खड़जा कार्य	105505
6	ग्राम रायपुर में घरबरा मुख्य सड़क से प्रधान जी धर्मपाल पन्नी के घर तक यू0 टाईप नाली निर्माण कार्य	307755
7	ग्राम रायपुर में यशपाल के घर से समरजी जाटव के घर तक नाली निर्माण कार्य	466393
8	ग्रामस्यारौल में मुख्य सड़क से महेश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	273815
9	ग्राम हामिदपुर में जोगेन्द्र के घर से मूला मंदिर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	852016
10	ग्राम हामिदपुर में महावीर के घर से मुख्य सड़क तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	398765
11	ग्रामस्यारौल में भरत सिंह के घर से देवेन्द्र के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	176802
12	ग्राम सालपुर में गुलवीर के घर से वलबीर के घर तक नाली निर्माण कार्य	416199
13	ग्राम भरतपुर में सुभाष के घर से ओमवीर के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	413217

14	ग्राम मानपुर में रामसिंह के घर से रामप्रसाद के घर तक यू0टाईप नाली निर्माण कार्य	259298
15	ग्राम मालवमें देशराज के घर से शिराम के घर तक यू0टाईप नाली निर्माण कार्य	28304
16	ग्राम मादक में भोले की दुकान से नाले तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	275257
	कुल योग	4985540

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर रू0 4985540.00 की अनियमितता की गयी। जिसके दोषी तत्कालीन अवर अभियन्ता, लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए रायल्टी की धनराशि राजकीय राजस्व में जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09)

2- संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत बिजौली जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 10- वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू0 5 लाख से अधिक किन्तु रू010 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू0 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियमावली की निर्धारित व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग व तेरहवां वित्त आयोग के अंतर्गत कराये गये कुल कार्यों में दोनों योजनाओं में उक्त आंकड़ों के अनुसार कुल 14 कार्यों का भुगतान, जो रू0 5 लाख से अधिक धनराशि के थे, कुल भुगतान रू0 11085350.00 नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राकेश अग्रवाल दोषी एवं उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या- 04)

प्रस्तर 11- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम संख्या- 18 के अंतर्गत सभी ठेकेदारों का पंजीकरण क्षेत्र पंचायत में किया जाना अनिवार्य है। किन्तु क्षेत्र पंचायत में एक भी ठेकेदार का पंजीकरण नहीं कराया गया है। इससे उक्त वर्षों में सभी चार ठेकेदारों से 100.00 एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की दर से प्रति कुल 472.00 की हानि क्षेत्र पंचायत को कारित की गई है। इसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री राकेश अग्रवाल से की जानी अपेक्षित है। सभी कार्यके इच्छुक ठेकेदारों का टेंडर डालने से पहले पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। (मूल आपति संख्या- 15)

प्रस्तर 12-आलोच्य वर्ष में कराए गए किसी भी इंटर लॉकिंग/खड़जा कार्य में अवर अभियन्ता द्वारा तैयार प्राक्कलन में ब्रिक्स/टाइल्स के ऊपर फाइन-सैन्ड की परत का प्रावधान नहीं किया है जो की पी0डब्लू0डी0 के मानकों का उल्लंघन है। यह कृत्प अवमानक निर्माण की श्रेणी में आता है। इस प्रति तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री जितेंद्र दोषी हैं। अतः उक्त सभी निर्माण कार्यों की कुल धनराशि ₹0 6985508.00 के भुगतान के प्रति तत्कालीन अवर अभियन्ता के विरुद्ध संगत कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या- 16)

3- संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत गौण्डा जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 13- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उनकी जांच व समीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पत्रांक संख्या- 4/866/33-2-14- जी/2004 दिनांक 24.06.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा- 33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों, अंतर्ग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। पंचायतीराज संस्था द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिद्धान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की संभावना बनी है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के संबंध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये कुल 14 कार्यों में से 08 कार्यों को ग्राम पंचायतों के अन्दर कराया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये कार्यों की कुल लागत ₹0-4609103.00 है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये कुल 04 कार्यों में से 03 कार्यों को ग्राम पंचायतों के अन्दर कराया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये कार्यों की कुल लागत ₹0- 2106871.00 है। इस प्रकार दोनों योजनाओं से कुल 11 निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये हैं जिनकी कुल लागत ₹0-6715974.00 है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति त्रुटिपूर्ण थी। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। आपति संख्या- 02)

प्रस्तर 14- वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि ₹0 5 लाख से अधिक किन्तु ₹010 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा ₹0 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियमावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णता: उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत कराये गये कुल 18 कार्यों में 11 कार्य ₹0 5 लाख से अधिक परंतु ₹0 10 लाख से कम लागत के कराये गये, जिनकी कुल लागत ₹0 8883988 है। तथा इसीक्रम में ₹0 10 लाख से अधिक लागत का एक कार्य कराया गया है जिसकी कुल लागत ₹0- 1265266.00 है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 12 निर्माण कार्यों का भुगतान,नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है। जिसकी कुल लागत ₹0 10149254.00 है। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खंड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 03)

प्रस्तर 15-ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय व कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में ठेकेदारों के निर्माण कार्य बिलों से उपकर (लेबर सेस) की कुल कटौती ₹0- 112452.00 की गयी है। गत वर्षका अवशेष लेबर सेस शून्य था। इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में ₹0- 73659.00 ही संबंधित विभाग को भेजा गया है। इस प्रकार वर्ष के अन्त में कुल लेबर सेस ₹0- 38793.00 संबंधित विभाग को भुगतान नहीं किया गया है। इसके संबंध में लेखाकार से जानकारी प्राप्त करने पर कोई उचित व स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल अवशेष लेबर सेस ₹0- 38793.00 संस्था के ही पास है इसका यथाशीघ्र संबंधित विभाग को भुगतान कराये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। उक्त धनराशि को यथा समय भुगतान न करने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 04)

प्रस्तर 16- ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय व कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में जी0एस0टी0 के रूप में ठेकेदारों के बिलों से कुल कटौती ₹0- 224904.00 की गयी है। जिसके सापेक्ष पूरे वित्तीय वर्ष ₹0- 213484.00 राजकीय कोषागार में जमा किया गया है। इस प्रकार ₹0- 11420.00 शेष रहा। उक्त धनराशि को यथाशीघ्र राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। उक्त धनराशि को यथा समय कोषागार में जमा न करने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

व तत्कालीन लेखाकार दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 05)

प्रस्तर 17- निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य ग्राम छैछऊ में सुरेश के घर से करूआ पुत्र भगवान सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग व नाली निर्माण में तीन ठेकेदारों के टेण्डर लिफाफे प्राप्त हुए हैं। नं0 1 श्रीराम कॉन्ट्रैक्टर (श्री महेश) नं0 2 भूदेव सिंह व नं0 3 ई0एम0बी0आई0 टेक (श्रीमती सुनीता देवी) ठेकेदार हैं। इन तीनों ठेकेदारों के बिडिंग डाक्यूमेन्ट बुकलेट में ऊपरी पृष्ठ पर ही सबसे ऊपर टेण्डर की दर अंकित की गयी है, जो कि गलत है। टेण्डर दर लिखने का वह उचित स्थान नहीं है। तीनों ठेकेदारों की अंकित टेण्डर दरें क्रमशः इस प्रकार हैं।

नं0 1- विभागीयदर से 1 (एक) रूपया कम दर पर कार्य करने को तैयार हूं जिसमें कटिंग कर एक रूपया के स्थान पर 50 पैसा अंकित किया गया है। कटिंग पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है।

नं0 2- विभागीय दर से 20 पैसा कम दर पर कार्य करने को तैयार हूं लेकिन अंकित दर की पुष्टि में किसी के हस्ताक्षर नहीं है।

नं0 3- विभागीय दर से 0.5 प्रतिशत कम दर पर कार्य करने को तैयार हूं जिसमें अपलेखन कर 0.5 के स्थान पर 0.1 किया गया है। अपलेखन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है।

उक्त तीनों ठेकेदारों का तुलनात्मक चार्ट तैयार किया गया है, जो निम्नवत है।

क्रमांक	नाम ठेकेदार	कार्य की अनुमानित लागत	प्रस्तुत दर
1	श्री राम कॉन्ट्रैक्टर	8.76 लाख	0.50 कम दर पर
2	श्री भूदेव सिंह	8.76 लाख	0.20 कम दर पर
3	ई0एम0बी0आई0 टेक (श्रीमती सुनीता देवी)	8.76 लाख	1.00 कम दर पर

उक्त चार्ट में क्र0सं0 3 पर अंकित दर संज्ञान में लें जिसके टेण्डर लिफाफे के डाक्यूमेन्ट में दर 0.5 प्रतिशत कम दर को अपलेखित कर 0.1 प्रतिशत अंकित है, जबकि चार्ट में 0.1 के स्थान पर 1.00 दर्शाकर कार्य का ठेका स्वीकृत किया गया है। तुलनात्मक बनाने वाले अधिकारियों की मिली भगत विशेष दबाव में किया गया कार्य प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट है कि पत्रावलीमें प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार तुलनात्मक चार्ट मेल नहीं खाता है। टेण्डर दरों में कटिंग व अपलेखन किया गया है। और किसी का हस्ताक्षर न होने के बावजूद दरों को स्वीकार किया जाना विकास खण्ड की प्रशासनिक लापवाही को व मनमानी को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार उक्त कार्य के टेण्डर की पूरी प्रक्रिया अनियमित पायी गयी। उक्त कार्य की कुल लागत रु0 853410.00 थी। उक्त अनियमितता के लिए टेण्डर खोले जाने वाली पूरी कमेटी दोषी व उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 07)

प्रस्तर 18- निर्माण कार्य ग्राम जटवार में शिवराम के घर से गोरई इगलास डाबर रोड तक इंटर लॉकिंग एवं नाली कार्य की अनुमानित लागत रु0- 7.37 लाख थी। इस कार्य हेतु केवल सामग्री आपूर्ति की ही निविदा डाली गयी है इसमें सामग्री का व्यय रु0- 629820.00 अंकित है। सामग्री आपूर्ति के बिल का भुगतान मय जी0एस0टी0 के रु0 644406.00 पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से दिनांक 05.02.2021 को हो चुका है। लेकिन कार्य करने

वाले मजदूरों का भुगतान मार्च 2021 तक भी नहीं हो सका था। इसके अलावा स्पष्ट करना है कि कार्य की एम0बी0 भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस प्रति लेखाकार से जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि एम0बी0 अवर अभियन्ता के पास है, जबकि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद एम0बी0 लेखाकार के ही पास होना चाहिए था। इस प्रकार स्थिति संदिग्ध है। इस प्रकार कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति के उपभोग की पुष्टि नहीं होती है। इस अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रति वास्तविक स्थिति स्पष्ट करायी जाये एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 08)

4- संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत खैर जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 19- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उनकी जांच व समीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पत्रांक संख्या- 4/866/33-2-14- जी/2004 दिनांक 24.06.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा- 33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों, अंतर्ग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। पंचायतीराज संस्था द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिद्धान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की संभावना बनी है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के संबंध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये कुल 52 कार्यों में से 40 कार्यों को ग्राम पंचायतों के अन्दर कराया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये कार्यों की कुल लागत रु0- 1,71,73,677.00 है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति त्रुटिपूर्ण थी। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 02)

प्रस्तर 20- वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रु0 5 लाख से अधिक किन्तु रु010 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रु0 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य

नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियमावली की निर्धारित व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत कराये गये कुल कार्यों में ₹0 5 लाख से अधिक परंतु ₹0 10 लाख से कम लागत के कुल 18 कार्य कराये गये, जिनकी कुल लागत ₹0 13318341.00 है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यों का भुगतान, नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है। जिसकी कुल लागत ₹0 13318341.00 है। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खंड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 03)

प्रस्तर 21-ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय व कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में ठेकेदारों के निर्माण कार्य बिलों से उपकर (लेबर सेस) की कुल कटौती ₹0- 112452.00 की गयी है। गत वर्षका अवशेष लेबर सेस शून्य था। इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में ₹0- 73659.00 ही संबंधित विभाग को भेजा गया है। इस प्रकार वर्ष के अन्त में कुल लेबर सेस ₹0- 38793.00 संबंधित विभाग को भुगतान नहीं किया गया है। इसके संबंध में लेखाकार से जानकारी प्राप्त करने पर कोई उचित व स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल अवशेष लेबर सेस ₹0- 38793.00 संस्था के ही पास है इसका यथाशीघ्र संबंधित विभाग को भुगतान कराये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। उक्त धनराशि को यथा समय भुगतान न करने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 04)

प्रस्तर 22-ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय व कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में रॉयल्टी के रूप में ठेकेदारों के बिलों से कुल कटौती ₹0- 301100.00 की गयी है। गत वर्ष का अवशेष शून्य था। रॉयल्टी की धनराशि ₹0- 301100.00 को पूरे वित्तीय वर्ष में राजकीय कोषागार में जमा किया गया है। इसके संबंध में लेखाकार से जानकारी प्राप्त करने पर कोई उचित कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की कुल रॉयल्टी वसूली की धनराशि ₹0- 301100.00 संस्था के ही पास है जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त धनराशि को यथाशीघ्र राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। उक्त धनराशि को यथा समय कोषागार में जमा न करने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 05)

5- संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत इगलास जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 23-वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि ₹0 5 लाख से अधिक किन्तु ₹010 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियमावली की निर्धारित शर्तों का पूर्णतः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कराये गये कार्यों में ₹0 5 लाख से अधिक परंतु ₹0 10 लाख से कम लागत के 03 कार्य कराये गये, जिन पर ₹0 2993795.00 की लागत रही। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानोंकी बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए श्री लवकेश कुमार तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं पंकज यादव खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2020-21 में ₹0 5 लाख से अधिक व ₹0 10 लाख से कम के कार्य

क्रमांक	कार्य का विवरण	कुल लागत
1	जैथोली अरनिया मार्ग से नगला संती बाईपास तक इंटर लॉकिंग कार्य	997521.00
2	नगला संती पोखर से पीपली डाबर मार्ग की ओर इंटर लॉकिंग	997366.00
3	हस्थपुर पीपली डाबर रोड से नगला संती तक इंटर लॉकिंग	998908.00
	योग	2993795.00

(आपत्ति संख्या- 03)

6- संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत अतरौली जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर-24 -- वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि ₹0 5 लाख से अधिक किन्तु ₹010 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियमावली की निर्धारित शर्तों का पूर्णतः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवां वित्त आयोग के अंतर्गत कराये गये कार्यों में ₹0 5 लाख से अधिक परंतु ₹0 10 लाख से कम लागत के 14 कार्य कराये गये, जिन पर ₹0 11085350-00 की लागत रही। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानोंकी बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए श्री लवकेश कुमार तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं पंकज यादव खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी

अन्तर्गत सभी ठेकेदारों का पंजीकरण क्षेत्र पंचायत में किया जाना अनिवार्य है किन्तु क्षेत्र पंचायत में एक भी ठेकेदार का पंजियन नहीं कराया गया। इससे उक्त वर्षों में सभी ठेकेदारों से ₹0 10-00 =18% जीएसटी की दर से कुल ₹0 472-00 की हानि क्षेत्र पंचायत को कारित की गई है। इसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री राकेश अग्रवाल से की जानी अपेक्षित है। सभी कार्य के इच्छुक ठेकेदारों का टेण्डर डालने से पहले पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। (आपत्ति संख्या- 15)

प्रस्तर-26 - आलेख्य वर्ष में कराये गये किसी भी इण्टरलकिंग / खडण्जा कार्य में अवर अभियन्ता द्वारा तैयार प्राक्कलन में ब्रिक्स / टायल्स के ऊपर फाइन-सेण्ड की परत का प्रावधान नहीं किया गया जो कि पी0डब्लू0डी0के मानको का उल्लंघन है। यह कृत अवमानक निर्माण की श्रेणी में आता है। इस प्रति तत्कालीन अवर अभियन्ता दोषी है। अतः उक्त सभी निर्माण कार्यों की कुल धनराशि ₹0 6985508.00 के भुगतान के प्रति तत्कालीन अवर अभियन्ता के विरुद्ध संगत कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 16)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 :- क्षेत्र पंचायतें

1- संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत, शीतलपुर जनपद- एटा मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 01- वर्ष 2020-21 में मनरेगा कंटीजेंसी मद में ग्रांट रजिस्टर पार्ट 3के अनुसार अंतिम अवशेष ₹0 434970.80 दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि इस मद में अंतिम अवशेष वास्तविक रूप में ₹0 442401.80 होना चाहिए। इस प्रकार ₹0 7430.60 कम दर्शाकर धनराशि का अनियमित व्यय कर लिया गया है जिसकेलिए क्षितिज कुमार लेखाकार एवं बी0डी0ओ0 एन.सिंह कुशवाहा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है आपत्ति संख्या- 11

प्रस्तर 02- उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 सेक्शन 33 (2) तथा शासनादेश संख्या 1838/33/3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं-

क्र 0 सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	धनराशि

1	ग्राम पं0 कीलरमउ के न0 लोकी में सुभाष के घर से झम्मन के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण	2020-21	988536.00
2	ग्राम पं0 लालगढी में रारपटटी सड़कसे अरविन्द के घर तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण	2020-21	389580.00
3	ग्राम पं0 जिरसमी में राकेश गोला के घर से गिरी के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	2020-21	466906.00
4	ग्राम पं0 शाहपुर मिलावली में नेत्रपाल के घर से मुख्य सडक गंजडुण्डवारा रोड तक खण्डंजा	2020-21	875020.00
5	ग्राम पं0 लालगढी में रारपटटी सडक से सरकारी नल तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	2020-21	366980.00
6	ग्राम पं0 हरनावली में एटा अलीगंज रोड से शिवराज के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण	2020-21	931116.00
7	ग्रामपं0 चौंचा वनगांव में टयूलिप रोड से श्रीराम नरेश के घर तक इंटर् लॉकिंग एवं नाली निर्माण	2020-21	393492.00
8	ग्राम पं0 नगला पवल में अम्बेडकर पार्क की मरम्मत व बाउंडरी बॉल निर्माण	2020-21	925778.00
9	ग्राम पं0 हरनावली में एटा अलीगंज रोड से राममिलन के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण	2020-21	433810.00
10	ग्राम पं0 ककरावली में ग्राम हरिगपुर से देवी थाने तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण	2020-21	536766.00
11	ग्राम पं0 न्यौराई में नगला समल से महेन्द्र/रमनी के घर तक खण्डंजा	2020-21	914775.00
12	ग्राम पं0 जिरसमी में सहावर रोड से पं0 दीनदयाल इण्टर कालेज तक खडंजा	2020-21	961089.00
13	ग्राम पं0 असरौली में कासगंज रोड से विपीन सोनपाल के घर तक इंटर् लॉकिंग कार्य	2020-21	564630.00
14	ग्राम पं0 भगीपुर में अवन्तीवाई नगर से एफ0एस0स्कूल वाली गली से राजेश यादव के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण	2020-21	899586.00
15	ग्रामपं0 चौंचा वनगांव में निधौली रोड से टयूलिप रोड से शीशपाल के घर तक खंडजा एवं नाली निर्माण	2020-21	208965.00
16	ग्राम पंचायत भगीपुर के तेलीनगला में दशरथ फौजी के घर से संपर्क मार्ग तक इंटर् लॉकिंग व नाली निर्माण	2020-21	600672.00

17	गां0 पं0 जिरसमी में ब्राह्मण वाले रास्ते में इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	2020-21	992323.00
18	गां0 पं0 गाजी पहाँर में शरवेष फौजी के घर से आगरा रोड तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	2020-21	997414.00
19	गां0 पं0 असरौली में कासगंज रोड से विनोद फौजी के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	2020-21	981628.00
	कुल योग		13429066.00

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य करने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) एवं शासनादेश संख्या- 1838/33/-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अंदर कार्य कराये गये हैं जिससे डुपलीकेसी के संभावनाये बनी रहती हैं। इस संबंध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्ययोजना की स्वीकृती प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराने का अधिकारी क्षेत्र पंचायत को नहीं है। अतः रु० 13429066.00 के अनियमित व्यय के लिए लेखाकार व ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन अपर अभियन्ता सामुहिक रूप से उत्तरदायी हैं कार्यवाही अपेक्षित हैं। आपत्ति संख्या- 12

प्रस्तर 03- उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवाशर्तें विनियम) नियमावली 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार "ठेकेदार से बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में न्यौक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा।"

क्षेत्र पंचायत शीतलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में रु० 9781706.00 की निर्माण सामग्री क्रय कर 19 कार्य कराये गये हैं। सभी कार्यों में कर्मकार उपकर की 1 प्रतिशत की धनराशि की कटौती न कर रु० 97817.06 का सीधा लाभ आपूर्ति कर्ता फर्मों को पहुंचाया गया है। जिससे राजकीय राजस्व की हानि हुई है जिसके लिए क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीएस. एन कुशवाहा, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री शिव कुमार सामुहिक रूप से उत्तरदायी हैं क्योंकि सेस की कटौती कर उसको राजकीय कोष में जमा करने का उत्तरदायित्व उक्त पदाधिकारियों का था। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 13

प्रस्तर 04- विशेष सचिव उ०प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश संख्या- ए-1-864/दस-05-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु० 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय करने के लिए कोटेशन व 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जायेगी। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत शीतलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कुल 19 कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी। जिसमें प्रत्येक कार्य के लिये तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुई। प्रत्येक निविदा पत्र का मूल्य रु० 500.00 निर्धारित

था। जिससे क्षेत्रपंचायत शीतलपुर को वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से ₹0 (19*3*500=28500.00) की आय होनी चाहिए थी। आपूर्तिकर्ता फर्मों को निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को ₹0 28500.00 अर्थिक क्षति हुई है। जिसके लिए निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सामूहिक ₹0 से उत्तरदायी हैं। अतः ₹0 28500.00 की क्षतिपूर्ति श्रीएस. एन कुशवाहा खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री शिव कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 14

2-संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत, जैथरा जनपद- एटा मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 05- वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यों में सामग्री पर कुल व्यय ₹0 5733501.00 पर टी0डी0एस0 ₹0 126494.00 की कटौती कर ली गयी है। किंतु आयकर विभाग में जमा नहीं किया गया है जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए श्री राकेश कुमार शुक्ल खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री साजिद अली पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं कार्यवाही अपेक्षित हैं ।

आपति संख्या- 08

प्रस्तर 06- वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यों में सामग्री पर कुल व्यय ₹0 5733501.00 पर जी0एस0टी0 ₹0 110044.00 की कटौती कर ली गयी है। जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार शुक्ल एवं लेखाकार श्री साजिद अली पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित हैं । आपति संख्या- 09

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 :- क्षेत्र पंचायतें

01 संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत सोरों जनपद- कासगंज मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 01- वर्षालोच्य में 31.03.2021 को ग्रांट रजिस्टर 03 में राज्य वित्त मद में धनराशि 3557088.00 ₹0 अंतिम शेष दर्शित किया गया है जबकि इसी मद में 31.03.2021 को ही केनरा बैंक सोरों खाता संख्या 0197101020578 में अंतिम अवशेष धनराशि 3741003.00 दर्शित है। कुल अंतर रुपये 183915.00 का पाया गया। उक्त अंतर के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रांट रजिस्टर 03 में उक्त अंतर की धनराशि का चैक/बिल/वाउचर के गैरभुना होने का उल्लेख नहीं पाया गया। उक्त अंतर का कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। उक्त अनियमितता के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री बृजेश कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित हैं

आपति संख्या- 11

प्रस्तर 02- दिनांक 31.03.2021 को ग्रांट रजिस्टर 03 में तेरहवां वित्त के अंतर्गत ₹0- 143415.00 का अंतिम अवशेष दर्शित है। जबकि उक्त आयोग को समाप्त हुए कई वर्ष बीत गये तब से उक्त मद का अवशेष ग्रांट

रजिस्टर में दिखाया जाने का कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। यदि इस मद के अवशेष का समय से उपभोग क्षेत्र पंचायत द्वारा कर लिया होता तो जनता को लाभ मिला होता जोकि अपेक्षित रहा। उक्त धनराशि का शत प्रतिशत उपभोग न किये जाने से हुई आर्थिक अनियमितता हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री बृजेश कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित है आपत्ति संख्या- 12

प्रस्तर 03- आलोच्य वर्ष 2020-21 में 30प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए समस्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियां एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कराया जाना आवश्यक है। किंतु लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं करायी गई।

क्रम	मद	कार्य का नाम	धनराशि	फर्म का नाम
1	15 वां वित्त	सहायक विकास अधिकारी आवास में स्टील शेड एवं अन्य मरम्मत कार्य	374827	श्री बालाजी कंट्रक्शन
2	15 वां वित्त	नगला उल्फत में सुगडपाल के घर से 194 नंबर खलियान तक नाली निर्माण	680755	श्री बालाजी कंट्रक्शन
3	15 वां वित्त	अल्लीपुर चौराहे से मैन रोड तक नाली निर्माण	486668	श्री बालाजी कंट्रक्शन
4	15 वां वित्त	सहायक विकास अधिकारी टाइप आवास की मरम्मत तथा रगाई पुताई कार्य	528044	श्री बालाजी कंट्रक्शन
5	15 वां वित्त	सहायक विकास अधिकारी आवास में स्टील शेड एवं अन्य मरम्मत कार्य	222346	श्री बालाजी कंट्रक्शन
6	राज्य वित्त	सलेमपुर बीबी में नाला निर्माण कार्य	349766	श्री बालाजी कंट्रक्शन
7	राज्य वित्त	ब्लॉक कार्यालय से पूर्व की तरु कम्युनिटी हॉल की मरम्मत कार्य	492104	श्री बालाजी कंट्रक्शन
8	राज्य वित्त	ब्लॉक कार्यालय से पूर्व की तरु कम्युनिटी हॉल की मरम्मत कार्य	401128	श्री बालाजी कंट्रक्शन
		कुल योग	3535638	

इस प्रकार उक्त निर्माण कार्यों पर कुल व्यय ₹0 3535638 है। इस हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री बृजेश कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 3535638 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 13

प्रस्तर 04- वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराए गए उन पर श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत 1 प्रतिशत की दर से श्रमिक उपकर काटा जाना चाहिए था जो कि नहीं काटा गया।

उक्त वर्ष में कराए गए निर्माण कार्य निम्नलिखित हैं तथा उनपर 1 प्रतिशत की दर से श्रमिक उपकर इस प्रकार है-

क्रम	योजना	कार्य का नाम	धनराशि	1 प्रतिशत उपकर
1	राज्य वित्त	सियपुर पुल से कुमरौआ बॉर्डर तक खड़जा कार्य	512685.00	5127
2	राज्य वित्त	गोयती में महाराज के खेत से राजवीर के कोल्हू तक इण्टर लॉकिंग	985774.00	9858
3	राज्य वित्त	सलेमपुर बीवी में गोस्वामी नगला मार्ग से मकसूदा बाद तक खड़जा कार्य	989888.00	9899
4	राज्य वित्त	मिर्जापुर में खेड़ा रोड से गेंदालाल के स्कूल तक इण्टर लॉकिंग कार्य	652693.00	6527
5	राज्य वित्त	ग्राम बहेरिया में सरदार सिंह के खेत से प्राइमरी विद्यालय बहेरिया तक इण्टर लॉकिंग कार्य	986344.00	9863
6	15 वां वित्त	नगला उल्फत में चामुंडा मंदिर से तालाब तक नाली निर्माण	434281.00	4343
7	राज्य वित्त	क्यामपुर बहेरिया में डाबर रोड से रमेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	997052.63	9971
8	राज्य वित्त	गोयती करूआबारा रोड से खेमकरण के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	847794.86	8478
9	राज्य वित्त	मुनव्वरपुर गडिया में रघुवीर की बैठक से आबादी तक इण्टर लॉकिंग कार्य	856709.49	8567
10	राज्य वित्त	गंगागढ़ में रेलवे फाटक से मनोज के प्लाट तक खड़जा कार्य	416811.33	4168
11	राज्य वित्त	महेंद्र के घर से प्राथमिक विद्यालय तारापुर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	891888.00	8919
12	राज्य वित्त	पेसोई में पंजाबी घर से रंभू के तिरायेतक इण्टर लॉकिंग	807393.00	8074
13	राज्य वित्त	लालपुर में मातामंदिर से फूलसिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	753577.00	7536

14	15 वां वित्त	तारापुर कनक में रामसिंह के घर से मंदिरके आगे तक नाली निर्माण	970050.00	9700
15	15 वां वित्त	बनूपुर पुख्ता घटियारी में माता मंदिर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	591606.00	5916
16	15 वां वित्त	फतेहपुर में दूरवीन के घर से मिर्जापुर रोड तक खड़जा कार्य	944451.00	9444
17	राज्य वित्त	ग्राम अडुपुर मंदिर से पेसोई मार्ग तक इंटर लॉकिंग कार्य	948175.00	9482
18	15 वां वित्त	विकास खंड परिसर में सोलर लाइट स्थापना	236800.00	2368
19	15 वां वित्त	हरनाठेर में रामकिशन के मकान से हरिओम शर्मा के प्लाट तक नाली निर्माण	246554.00	2465
20	राज्य वित्त	तारापुर में लालमन के घर से अनोखे के खेत तक इंटर लॉकिंग कार्य	943910.00	9439
21	राज्य वित्त	आलमपुर का नाला से गोयती करूआबारा रोड तक खड़जा निर्माण कार्य	759127.00	7591
22	राज्य वित्त	गोयती सलेमपुर रोड से दरियाव सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	556179.00	5562
23	राज्य वित्त	गढ़ी डाबर से दुलीचंद के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	881456.00	8815
24	15 वां वित्त	ग्राम भाउपुर से गुलाब गढ़ी तक खड़जा कार्य	976345.00	9763
25	15 वां वित्त	हजारा में हजारा मंदिर से मेन रोड तक इंटर लॉकिंग कार्य	896128.00	8961
26	15 वां वित्त	हरनाठेर में मेन रोड से तालाब तक नाली निर्माण	246333.00	2463
27	15 वां वित्त	कुमरौआ मार्ग से रघुनंदन की चक्की से अनेक सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	982297.00	9823
28	15 वां वित्त	अल्लीपुर बरवारा चौराहे से पुलिया तक नाली निर्माण	923316.00	9233

29	15 वां वित्त	विकास खंड की बाउंड्री बाल की मरम्मत और रंगाई पुताई कार्य	379663.00	3797
30	15 वां वित्त	कुमरौआ मार्ग से सुडलिया तक खड़जा कार्य	959952.00	9600
31	15 वां वित्त	ग्राम मलिकपुर नगला बघेल में राजेश के घर से झंडू के घर तक खड़जा	320598.00	3206
32	15 वां वित्त	ग्राम करुआबारा में भीकम के घर से मेन रोड तक इंटर लॉकिंग कार्य	917470.00	9175
33	15 वां वित्त	करुआबारा में बदरिया गोमती रोड से ओम प्रकाश जाटव के घर तक खड़जा कार्य	487269.00	4873
34	राज्य वित्त	बरौली ऊर्फ बड़ागांव डाबर रोड से चकरी की होली तक खड़जा कार्य	992608.00	9926
35	राज्य वित्त	बड़ौदा में रविंद्र के घर से सोपाली की बैठक तक इंटर लॉकिंग कार्य	919184.00	9192
36	15 वां वित्त	ग्राम गोयती से बूढ़ी गंगा तक नाला निर्माण कार्य	981177.00	9812
37	राज्य वित्त	ग्राम गोयती से जंगाली के खेत तक इंटर लॉकिंग कार्य	984998.00	9850
38	15 वां वित्त	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोरों में इंटर लॉकिंग कार्य	341146.00	3411
			402233.00	4022
		कुल योग	28921916.77	289219

इस प्रकार वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त के अंतर्गत कुल धनराशि 28921916.77 रूपए का निर्माण कार्य कराया गया। इस कुल धनराशि पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेरा की काटी जाने वाली धनराशि 289219.00 होनी चाहिए जिसे उक्त संस्था द्वारा न काटकर अनियमितता की है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री बृजेश कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित हैं।

आपत्ति संख्या- 14

प्रस्तर 05- वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा 15 वां वित्त आयोग से विकास खंड परिसर में सोलर लाइट की स्थापना कराई गयी। उक्त सोलर लाइटों पर कुल धनराशि ₹0 236800.00 व्यय किया गया है। उक्त सोलर लाइट की स्थापना क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राइवेट फर्म श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी सोरों गेट कासगंज द्वारा कराया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या- 33/2017/977/45-वि0(अति0उ0स्त्रो0वि0)/2017 के अनुसार सोलर लाइट की स्थापना केवल यू0पी0नेडा से कराया जाना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा लाइट्स की स्थापना यू0पी0नेडा से न कराकर प्राइवेट फर्म से कराना अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री बृजेश कुमार

एवं खंड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित हैं ।
 आपति संख्या- 15

प्रस्तर 06- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार एवं शासनादेशों में निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों का कार्य क्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों अंतर्ग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण है। वित्तीय नियमानुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु उन्हें प्रदान किया गया हो, जिसमें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से क्षेत्र पंचायत को ऐसे कार्य कराना था जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हों। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निर्धारित किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्त का अतिक्रमण

किया गया है। जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की संभावना बनी है। अतः पंचायती राज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के संबंध में निर्धारित की गई क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग तथा केंद्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों के अंदर कराए गए कार्य इस प्रकार हैं:-

क्रमांक	योजना	कार्य का विवरण	धनराशि
1	राज्य वित्त	ग्राम बहेरिया में सरदार सिंह के खेत से प्राइमरी विद्यालय बहेरिया तक इंटर लॉकिंग	986344.00
2	राज्य वित्त	क्यामपुर बहेरिया में डाबर रोड से रमेश के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	997052.63
3	राज्य वित्त	मुनव्वरपुर गडिया में रघुवीर की बैठक से आबादी तक इंटर लॉकिंग कार्य	856709.49
4	राज्य वित्त	महेंद्र के घर से प्राथमिक विद्यालय तारापुर तक इंटर लॉकिंग कार्य	891888.00
5	राज्य वित्त	लालपुर में माता मंदिर से फूलसिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	753577.00
6	राज्य वित्त	बड़ौदा में रविंद्र के घर से सोपाली की बैठक तक इंटर लॉकिंग कार्य	919184.00
7	15 वां वित्त	तारापुर कनक में रामसिंह के घर से मंदिर के आगे तक नाली निर्माण	970050.00
8	15 वां वित्त	हरनाठेर में रामकिशन के मकान से हरिओम शर्मा के प्लाट तक नाली निर्माण	246554.00
9	15 वां वित्त	कुमरौआ मार्ग से रघुनंदन की चक्की से अनेक सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	982297.00

10	15 वां वित्त	ग्राम मलिकपुर नगला बघेल में राजेश के घर से झंडू के घर तक खंडजा	320598.00
		कुल धनराशि	7924254.12

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से कराये गये कार्यों की संख्या 06 तथा पंद्रहवां वित्त से कराये गये कार्यों की संख्या 04 है। जिन पर ₹0 7924254.12 व्यय हुआ है जो कि अनियमित है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य योजना का प्रस्ताव और उस पर प्राप्त प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति त्रुटिपूर्ण थी। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह, लेखाकार श्री बृजेश कुमार एवं अवर अभियंता री अजीत कुमार दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराए जाने से पूर्व अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, आर0ई0एस0 जिल पंचायत आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया जो अपेक्षित था। ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराए गए कार्यों का विवरण संलग्न है।

आपत्ति संख्या- 16

प्रस्तर 07- वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत के द्वारा राज्य वित्त आयोग मद से लालपुर में माता मंदिर से फूल सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य कराया गया। जिसकी कुल व्यय धनराशि 993825.00 ₹0 थी। जिसमें ₹0 39753.00 जी0एस0टी0 तथा आयकर का भुगतान काट कर शुद्ध भुगतान ₹0 954072.00 किया गया। जिसमें से धनराशि 723433.00 ₹0 का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 द्वारा 25.03.2021 को तथा धनराशि 230639.00 का भुगतान दिनांक 10.03.2021 को जितेंद्र कुमार कांटेक्टर ग्राम फतेहपुर कलां सोरों को किया गया। जो पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी, उसमें दिनांक 10.03.2021 को धनराशि 230639.00 ₹0 का भुगतान किया गया उससे संबंधित कोई भी बिल/व्यय प्रमाण निर्माण पत्रावली में नहीं पाया गया। जो कि गंभीर आपत्ति का विषय है। इस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री बृजेश कुमार दोषी व उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 230639.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 17

प्रस्तर 08- वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत के द्वारा 15 वां केंद्रीय वित्त आयोग मद से विकास खंड की बाउंड्रीवॉल की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य कराया गया। जिसकी कुल व्यय धनराशि 777227.00 ₹ थी। जिसमें ₹ 31089.00 जी0एस0टी0 तथा आयकर का भुगतान काट कर शुद्ध भुगतान ₹ 746138.00 किया गया। जिसमें से धनराशि ₹ 364477.00 का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 द्वारा 16.03.2021 को तथा धनराशि 381661.00 का भुगतान दिनांक 01.03.2021 (स्टेटमेंट के अनुसार) को श्री बालाजी कंट्रक्शन सोरो गेट कासगंज को किया गया। जो पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी, उसमें दिनांक 01.03.2021 को धनराशि 381661.00 ₹ का भुगतान किया गया उससे संबंधित कोई भी बिल/व्यय प्रमाण निर्माण पत्रावली में नहीं पाया गया। जो कि गंभीर आपत्ति का विषय है। इस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री बृजेश कुमार दोषी व उत्तदायी हैं। इस लिए ₹ 381661.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 18

प्रारूप-2
वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

जनपद-अमेठी

मण्डल का नाम:- अयोध्या

क्षेत्र पंचायत का नाम- भादर

वर्ष 2019-20 से 2020-21

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या -01

आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत में अनुदान पंजिका के अनुसार कुल ₹0 12631842.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त नहीं और दिनांक 07.07.2021 एवं 06.08.2021 के पत्रों द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गयीं। मदवार विवरण निम्नवत है-

क्र.	मद का नाम	अनुदान पंजिका के अनुसार व्यय धनराशि	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध रही	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध नहीं रही	अधिभार योग्य धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त	2714529.00	0.00	2714529.00	2714529.00
2	टेण्डर मूल्य	7050.00	0.00	7050.00	7050.00
3	मनरेगा प्रशासनिक मद	5005879.00	0.00	5005879.00	5005879.00
4	प्रधानमंत्री आ0 प्र0 मद	29256.00	0.00	29256.00	29256.00
5	बायो गैस अनुदान	33434.00	0.00	33434.00	33434.00
6	विधायक निधि	718304.00	0.00	718304.00	718304.00
7	मुख्यमंत्री सा0वि0 अनुदान	3096170.00	0.00	3096170.00	3096170.00
8	आंगनबाड़ी केन्द्र	500000.00	0.00	500000.00	500000.00
9	चारागाह पशु आश्रय	527220.00	0.00	527220.00	527220.00
	योग	12631842.00	0.00	12631842.00	12631842.00

इस प्रकार का विवरणहीन व्यय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं अधिभार के योग्य है। अतः ₹0 12631842.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामकृष्ण पाण्डेय तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 02

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत में अनुदान पंजिका के अनुसार कुल ₹0 20433890.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि में से ₹0 5190802.00 का व्यय विवरण/कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध कराया गया। शेष ₹0 15243088.00 का व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त रही और दिनांक 07.07.2021 एवं 06.08.2021 के पत्रों द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गयीं। मदवार विवरण निम्नवत है-

क्र.	मद का नाम	अनुदान पंजिका के अनुसार व्यय धनराशि	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध रही	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध नहीं रही	अधिभार योग्य धनराशि
1	चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त	8486263.00	5190802.00	3295461.00	3295461.00
2	मनरेगा प्रशासनिक मद	348923.00	00.00	348923.00	348923.00
3	मुख्यमंत्री सा0वि0 अनुदान	670000.00	00.00	670000.00	670000.00
4	आंगनबाड़ी केन्द्र	1300000.00	00.00	1300000.00	1300000.00
5	चारागाह पशु आश्रय	1179320.00	00.00	1179320.00	1179320.00
6	केन्द्रीय वित्त (15वां) आयोग	8449384.00	00.00	8449384.00	8449384.00
	योग	20433890.00	5190802.00	15243088.00	15243088.00

इस प्रकार का विवरणहीन व्यय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं अधिभार के योग्य है। अतः ₹0 15243088.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 03

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत में टी.डी.एस (जी.एस.टी.) की कटौती ₹0 509305.00 की गयी है। किन्तु टी.डी.एस (जी.एस.टी.) की धनराशि को जमा किये जाने संबंधी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धनराशि के जमा की पुष्टि नहीं हुई।

टी.डी.एस. जी.एस.टी. के मद में काटी गयी धनराशि ₹0 509305.00 के राजकोष में जमा न करने पर उक्त धनराशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से हुई ब्याज भी टी.डी.एस. धनराशि के अतिरिक्त जमा किया जाना अपेक्षित है।

उक्त के अतिरिक्त यू0पी0जी0एस0टी0 तथा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 73 अथवा धारा 74 के अंतर्गत उत्तरदायी व्यक्तियों पर अर्थदण्ड की धनराशि जो कि टी.डी.एस (जी.एस.टी.) की धनराशि एवं देय ब्याज के अतिरिक्त होगी, से संबंधित कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 01-10-2018 से प्रभावी है। अतः जी0एस0टी0 की कटौती की धनराशि ₹0 509305.00 जो कि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है, की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 04

आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत में कराये गये निर्माण कार्यो से संबंधित कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त रहीं। अतः प्रारूप 1 से 4 की आलोच्य वर्ष 2019-20 से संबंधित सूचनायें नहीं भरी जा सकी। क्षेत्र पंचायत में आलोच्य वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित निर्माण कार्य कराये गये हैं- वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्य

क्र सं	कार्य का नाम व पूर्ण पता	लागत/ धनराशि
1	ब्रजेश तिवारी के घर से बिहारी हरिजन के मशीन तक इण्टरलॉकिंग कार्य	476327.00
2	रामवृक्ष हरिजन के घर से रामफेर यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	191945.00
3	जामों भादर रोड से टिकैत का पुरवा तक इण्टरलॉकिंग कार्य	326742.00
4	बड़े लाल सिंह के मशीन से राधे के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	340063.00
5	देवतादीन के घर से रबी सरोज के घर तक भूमिगत नाली एवं इण्टरलॉकिंग कार्य	215095.00
6	सन्तराम वर्मा के घर से राम किशोर यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	617956.00
7	लहना रोड से अनीता के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	101533.00
8	भैंसहा अग्रेसर मार्ग से रामकृपाल यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य	335787.00
9	दुर्गापुर मार्ग से वलीपुर मार्ग सद्दाम अग्रहरी के सामने इण्टरलॉकिंग कार्य	259015.00
10	रामलाल के घर से पाण्डेय बाबा तालाब तक इण्टरलॉकिंग कार्य	351742.00
11	सोनू मौर्या के घर से दशरथ के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	235888.00
12	भागीपुर में खड़न्जा से अशोक यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	82501.00
13	भादर जामों मार्ग से राज बहादुर दूबे के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	335555.00
14	रामकृपाल पाल के घर से रामजस के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	363180.00
15	राम प्रताप सरोज के घर से रामचन्द्र सरोज के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	204341.00

1 6	परमानंद वर्मा के घर से प्रतापगढ़ बार्डर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	417733.00
1 7	भादर अन्तू मार्ग से काली सहाय के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	335399.00
	योग-	5190802.00

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों के अवलोकन व लेखाकार से प्राप्त जानकारी में गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में आये। उक्त प्रत्येक कार्य से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्य क्रमांक 1 से संबंधित कार्य के सापेक्ष भुगतान दिनांक 21.12.2020 को कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 23.12.2020 के पूर्व ही कर दिया गया है जो कि अवास्तविक व काल्पनिक है तथा नियमविरुद्ध है।
2. क्रमांक 9 से संबंधित कार्य के सापेक्ष भुगतान कार्य की समाप्ति की तिथि दिनांक 27.06.2020 को कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 07.07.2020 के पूर्व ही हो गया है जो कि अवास्तविक व काल्पनिक है तथा नियमविरुद्ध है।
3. सम्पूर्ण कार्यों में तीन फर्म के ठेकेदारों द्वारा निविदा डाली गयी है किन्तु निविदा फार्म की बिक्री की धनराशि नक्शा आय में प्रदर्शित नहीं है तथा पत्रावली में उपलब्ध निविदा फार्म पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत कार्यालय द्वारा जारी नियत प्रारूप पर निविदा नहीं डाली गयी तथा अन्य प्रारूप पर डाली गयी निविदा विचार योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश (क्षेत्र पंचायत) तथा (जिला पंचायत) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 02 के क्रमांक 307 में उक्त आशय का उल्लेख है।
4. सभी टेण्डर के साथ अर्नेस्ट मनी नहीं जमा की गयी जिससे प्राप्त टेण्डर विचारयोग्य ही नहीं रहा।
5. टेण्डर पर विचार करने व टेण्डर लिफाफा खोलने के लिये समिति का गठन ही नहीं हुआ। टेण्डर के लिफाफे व टेण्डर प्रपत्र पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
6. निविदा स्वीकृति के पश्चात 10 प्रतिशत (निविदा मूल्य का) जमानत धनराशि जमा कर अनुबन्ध नहीं कराया गया है। 10 प्रतिशत जमानत धनराशि में 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी सम्मिलित रहती है।
7. ठेकेदारों को भुगतान के समय 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनिवार्य रूप से उनके बिलों से काटनी चाहिये किन्तु इसे नहीं काटी गयी है। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।
8. नियमानुसार रायल्टी की कटौती नहीं हुई है।
9. किसी भी टेण्डर के साथ ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होता है एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी होता है निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं रहा।
10. निर्माण पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।
11. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल/अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के नियम संख्या 3(1) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत मार्गों के साथ-साथ अन्य सृजित परिसम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखित करने के लिये परिसम्पत्ति पंजिका रख-रखाव अपेक्षित है तथा उक्त नियमावली के नियम संख्या-04 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखित करने हेतु मार्ग पंजिका का रख-रखाव अपेक्षित है। किन्तु आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुरक्षित व नवनिर्मित कार्यों का क्षेत्र पंचायत के परिसम्पत्ति पंजिका में संलग्न नहीं पाये गये और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा अलग से कोई मार्ग पंजिका तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। लेखाकार द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों अभिलेख बनाये ही नहीं गये हैं।

12. आलोच्य वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती की धनराशि क्रमशः रु0 51908.00 की कटौती की जानी चाहिये थीए जो कि नहीं की गई है। लेबर सेस की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है।

इस प्रकार क्रमांक 1 से 12 तक की आपतियों से सुस्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रारूप 01 पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रमांक 01 से 17 तक उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य पूर्ण मनमानी एवं अनियमित होने के साथ अवास्तविक व काल्पनिक हैं। अतः उक्त कार्यों पर व्यय धनराशि रु. 5190802.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये वर्ष 2020-21 में उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह रहे। उक्त धनराशि में से रु. 2595401.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह एवं रु. 2595401.00 की वसूली लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- अमेठी

वर्ष 2020-21

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या 05

वित्त वर्ष 2020-21 में पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रु. 5968410.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्यय के सापेक्ष रु. 5857416.00 के व्यय प्रमाणक/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत की गयी किन्तु शेष व्यय धनराशि रु. 110994.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावलियाँ लेखापरीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित एवं विवरणहीन तथा नियम विरुद्ध है जो अधिभार योग्य है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिकृष्ण मिश्र से रु.55497.00 तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से रु. 55497.00, कुल धनराशि रु. 110994.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 06

वित्त वर्ष 2020-21 में पंचम राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रु. 6465628.00 व्यय दर्शित किया गया है उक्त व्यय के सापेक्ष रु. 5349646.00 धनराशि के व्यय प्रमाणक/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत की गयी किन्तु शेष व्यय धनराशि 1115982.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिसे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित विवरणहीन तथा अनियमित है जो अधिभार के योग्य है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिकृष्ण मिश्र से रु. 557991.00 तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से रु. 557991.00, कुल धनराशि रु. 1115982.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 07

वित्त वर्ष 2020-21 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) योजनान्तर्गत ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रु. 4737387.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्यय के सापेक्ष रु. 2399780.00 के व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत की गयी किन्तु शेष व्यय धनराशि रु. 2337607.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित विवरणहीन नियम विरुद्ध होने के कारण

अपहरण है जो अधिभार के योग्य है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिकृष्ण मिश्र से रु. 1168804.00 तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से रु. 1168803.00, कुल धनराशि रु. 2337607.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-08

आलोच्य वर्ष में पशु आश्रय स्थल योजनान्तर्गत रु. 2634540.00 ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार व्यय किया गया दर्शित है किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, मानदेय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित विवरणहीन तथा नियम विरुद्ध होने के कारण अपहरण है जो अधिभार के योग्य है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिकृष्ण मिश्र से रु. 1317270.00 एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से रु. 1317270.00 कुल धनराशि रु. 263454.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09

वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजना अंतर्गत कराये गये कार्यों का विवरण निम्नलिखित है-

क्रम	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रुपयों में)
1	पूरे गोपाल में लाल जी शुक्ला के घर से तालाब तक नाली निर्माण	188529.00
2.	रामगढ के रामगढ पुरवा में पिच रोड से ओम प्रकाश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	409081.00
3.	विशेसर गंज ग्रामीण बैंक के समाने रूफ वाटर हारवेस्टिंग कार्य	84188.00
4.	गंगौली में रुद्र प्रताप सिंह के घर से जयकरना गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	450779.00
5	रामगढ में अजय सिंह के घर से अभय सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	179883.00
6.	बरियापुर में रामलाल के घर से जगननाथ के घर तक नाली निर्माण	125215.00
7.	ब्लाक कालोनी में टाइप-2 आवास संख्या 2 का मरम्मत कार्य	124191.00
8.	सेंठा विशेसर गंगमार्ग से छोटेलाल कनौजिया के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	202026.00
9.	उमापुरगानापट्टी में पक्की सड़क से राम खेलावन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	314418.00

10.	हिम्मतगढ़ विशेषरंगंज में ददन सिंह के घर से आटा मिल तक इण्टरलाकिंग कार्य	308726.00
11.	हिम्मतगढ़ विशेषरंगंज में बजरंगी गुप्ता के घर से तालाब तक नाली निर्माण	93002.00
12.	पूरे जमा में मोतीलाल यादव के घर से तालाब तक नाली निर्माण	197317.00
13.	प्रसावां में रामनाथपुर इण्टरलाकिंग से हनुमान मंदिर नन्दलाल मिश्र के घर तक इ0ला0कार्य	77850.00
14.	चचकापुर में वीनू के घर से नाला तक नाली निर्माण	50928.00
15.	हिम्मतगढ़ में देवीदयाल के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30336.00
16.	हिम्मतगढ़ में डा0 वीरेन्द्र के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30370.00
17.	रामगढ़ में ब्रह्मा यादव के दरवाजे हैण्डपम्प रिवोर	30414.00
18.	रामगढ़ में शेष राज सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30370.00
19.	डेढ़पसार में एतवारी के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30437.00
20.	रामपुर फुलवारी में बाबू लाल सरोज के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33502.00
21.	सैदापुर में दयाराम के घर के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33577.00
22.	नुवावा द्वारिका के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33497.00
23.	हिम्मतगढ़ राज वर्मा के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33557.00
24.	हिम्मतगढ़ में पूरे अजीत इ0ला0 से राजू शर्मा के घर तक इ0ला0कार्य	356335.00
25.	कोहरा में इण्टर लाकिंग से नियम सिंह के दरवाजे तक इ0ला0कार्य	92778.00
26.	गोपालपुर पिच रोड से दयाराम यादव व साधू यादव के घर तक इ0ला0 कार्य	245398.00
27.	सरैया दुबान में उदयभान सिंह के घर के सामने से आशीष सिंह के दरवाजे तक इ0ला0कार्य	444353.00
28.	रामनाथपुर बड़ा में शिव मंदिर से शिवानन्द शुक्ला के घर तक तक इ0ला0कार्य	542923.00
29.	महमूदपुर मार्ग से आदित्य मौर्य के घर तक इ0ला0कार्य	380824.00
30.	गंगौली उत्तर ग्राम मार्ग से अजय सिंह के घर तक इ0ला0कार्य	555589.00

31.	अमर बहादुर के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30112.00
32.	रण विजय सिंह के दरवाजे के पास हैण्डपम्प रिवोर	30084.00
33.	उदयभान ंसिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30112.00
34.	कोहरा में रामजी मिश्र के घर के पास खड़न्जा से पूरे गंगा मिश्र व रामपाल सरोज के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य।	380784.00
35.	विजय शंकर शुक्ल के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30039.00
36.	सन्तलाला के दरवाजे पर के पास हैण्डपम्प रिवोर	29384.00
37.	शिवमंदिर के बगल हैण्डपम्प रिवोर	30090.00
38.	हिम्मतगढ़ सुरेन्द्र सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	28880.00
39	हिम्मतगढ़ दिनेश सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30224.00
40	हिम्मतगढ़ में काली चरन के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	29138.00
41	नुावावा संजीव शुक्ला के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30084.00
42	रामगढ़ में नन्हे यादव के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30145.00
43	रामगढ़ में राजू सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30168.00
44	रामगढ़ में श्री राम पासी के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	29994.00
45	नुवावा में लालू शुक्ला के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30034.00
46	रामगढ़ में विन्देश्वरी के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिवोर	30056.00
47	हिम्मतगढ़ में मोहित लाल के घर से नहर तक नाली निर्माण	84698.00
48	गोपालपुर में पिच रोड से रामदेव गुप्ता के घर इण्टरलाकिंग कार्य	566723.00
49	महमूदपुर में मनोज यादव के घर से देवी मंदिर होते हुये खान साहब के घर इण्टरलाकिंग कार्य	543746.00
50	रामबहादुर के दरवाजे से भोला सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	390055.00
51	गंगौली में अजय सिंह के घर जाने वाले मोड से हरी सिंह के मशीन व घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	552810.00
52	रामगढ़ के माजी खान पुरवा में पिच रोड से रामलाल वर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	325683.00
53	ब्होरापुर में राजा रामकोरी के घर से रंजीत कोरी के घर तक नाली निर्माण कार्य	176289.00

54	रामगढ (प्राथमिक विद्यालय) इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिवोर	33577.00
55	रामगढ हैण्डपम्प रिवोर श्री राम सिंह के घर के पास	33352.00
56	रामपुर फुलवारी राधेश्याम पाण्डेय के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33617.00
57	रामगढ रामापुर में पप्पू सिंह के पाह से सूबेदार के घर तक इण्टरलांकिंग कार्य	805861.00
58	डेढपसार जमाल पट्टी में रामवली यादव के घर से राम सजीवन के घर तक नाली निर्माण	59459.00
59	राम अवध विश्वकर्मा के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30224.00
60	इदना पत्नी वसीर के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30364.00
61	कल्पवृक्ष रेस्टोरेन्ट के सामने हैण्डपम्प रिवोर	30196.00
62	रामबरन के घर के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30280.00
63	रामलौट के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30420.00
64	अजय मिश्रा के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30280.00
65	रामगढ शीतला प्रसाद यादव के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30420.00
66	रामगढ में रघुराज सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30437.00
67	गडेरी इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प रिवोर नहर के पास खेत में	33317.00
68	गडेरी में विवेक सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33597.00
69	हिम्मतगढ इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिवारे ओम प्रकाश के घर के पास	33327.00
70	कटरा महारानी इण्डियामार्का रिवोर छात्रावास के पास	33352.00
71	पूरबगांव में राम सुन्दर मौर्य के घर से सरकारी नाली तक नाली निर्माण	118656.00
72	रामगढ पुत्तन सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33502.00
73	रामगढ जगनरायन के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33352.00
74	रामगढ कल्लू सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33597.00
75	रामगढ दयाशंकर तिवारी के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30414.00
76	रामगढ में अयोध्या प्रसाद के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33417.00
77	रामगढ में राम नारायन तिवारी के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30364.00

78	महमूदपुर में लाल जी तिवारी के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30224.00
79	रामगढ़ में रामकेश यादव के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30196.00
80	हिम्मतगढ़ ग्रामीण बैंक के पास हैण्डपम्प रिवोर	30308.00
81	गडेरी में डी0एम0 दुबे के घर के पार हैण्डपम्प रिवोर	29888.00
82	रामगढ़ में द्वारिका विश्वकर्मा के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30336.00
83	रामगढ़ में लल्लू सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30392.00
84	गडेरी में डी0एम0 दुबे के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33287.00
85	हिम्मतगढ़ जयसिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33317.00
86	हिम्मतगढ़ भरत चौहान के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	33617.00
87	ओमप्रकाश शर्मा के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	29776.00
88	रामगढ़ में रामनाथ के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30224.00
89	रामनरेश यादव के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर	30370.00
	योग	11207062.00

वित्त वर्ष 2020-21 में विधायक निधि योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण निम्नलिखित है-

क्रम	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रुपयों में)
1	ग्राम सभा गडेरी के सड़वा सोड़या पिच रोड सम्पर्क मार्ग से चिंगू सरोज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	393382.00
2.	ग्राम सभा नरैनी के पूरे डीह में बब्बन सिंह के घर से मनोहर लाल मौर्य के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	961621.00
3.	डेढ़पसार में बारात घर का निर्माण	1044777.00
	योग	2399780.00

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजना अंतर्गत संलग्न प्रारूप 01 में कुल 89 कार्यों तथा विधायक निधि योजना अंतर्गत संलग्न प्रारूप में कुल 03 कार्यों का उल्लेख है जिस पर कुल 13606840.00 का व्यय दर्शित है पत्रावलियों के अवलोकन व लेखाकार से प्राप्त जानकारी में गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में आये विवरण निम्नवत् है-

1. सम्पूर्ण कार्यों राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजना अंतर्गत क्रमांक 01 से 89 तथा विधायक निधि योजना अन्तर्गत क्रमांक 01 से 03 तक में तीन फर्मों के ठेकेदारों द्वारा निविदा डाली गयी है किन्तु निविदा फार्म की बिक्री की धनराशि नक्शा आय में प्रदर्शित नहीं है तथा पत्रावली में उपलब्ध निविदा फार्म पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत कार्यालय द्वारा जारी नियत प्रारूप पर निविदा नहीं डाली गयी तथा अन्य प्रारूप पर डाली गयी निविदा विचार योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 02 के क्रमांक 307 में उक्त आशय का उल्लेख है।

2. सभी टेण्डर के साथ अर्नेस्ट मनी नहीं जमा की गयी जिससे प्राप्त टेण्डर विचार योग्य नहीं है।
3. टेण्डर पर विचार करने व टेण्डर लिफाफा खोलने के लिये समिति का गठन ही नहीं हुआ। टेण्डर के लिफाफे व टेण्डर प्रपत्र पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
4. निविदा स्वीकृति के पश्चात 10 प्रतिशत (निविदा मूल्य का) जमानत धनराशि जमा कर अनुबन्ध नहीं कराया गया है। 10 प्रतिशत जमानत धनराशि में 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी सम्मिलित रहती है।
5. ठेकेदारों को भुगतान के समय 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा 01 प्रतिशत लेबर सेस अनिवार्य रूप से उनके बिलों से काटनी चाहिये किन्तु इसे नहीं काटी गयी है। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।
6. नियमानुसार रायल्टी की कटौती नहीं हुई है।
7. किसी भी टेण्डर के साथ ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होता है एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी होता है निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं रहा।
8. निर्माण पत्रावलियां में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग का प्रमाण संलग्न नहीं रहा।
9. शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर में दी गयी व्यवस्थानुसार चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत संग्रहित धनराशि (धन का उपयोग) एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये किन्तु क्रमांक 01 से 89 तक के अधिकतर कार्य एक ही राजस्व गांव के हैं जो कि उक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। फलस्वरूप अनियमित है।
10. क्रमांक 81 तथा क्रमांक 84 पर ही कार्य गडैरी में डी0एम0 दुबे के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर का उल्लेख है जिस पर दो बार भुगतान क्रमशः 29888.00 तथा 33287.00 धनराशि व्यय दर्शित है जो कि अनियमित तथा धन का अपहरण है।
11. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल/अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के नियम संख्या 3(1) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत मार्गों के साथ-साथ अन्य सृजित परिसम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखित करने के लिये परिसम्पत्ति पंजिका रख-रखाव अपेक्षित है तथा उक्त नियमावली के नियम संख्या-04 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखित करने हेतु मार्ग पंजिका का रख-रखाव अपेक्षित है। किन्तु आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुरक्षित व नवनिर्मित कार्यों का क्षेत्र पंचायत के परिसम्पत्ति पंजिका में संलग्न नहीं पाये गये और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा अलग से कोई मार्ग पंजिका तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। लेखाकार द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों अभिलेख बनाये ही नहीं गये हैं।
12. विधायक निधि योजना अंतर्गत 2.27 प्रतिशत की दर से आयकर रु. 42974.00 की कटौती ठेकेदार के बिलों से की गयी किन्तु सुसंगत शीर्ष खाते में उक्त धनराशि को जमा हाने का प्रमाण नहीं दिखाया गया राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में आयकर की कटौती नहीं की गयी है जो नियम विरुद्ध है।
13. पत्रावली के जांच में पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ठेकेदारों को कार्यदेश जारी नहीं किया गया है जिस पर कार्य प्रारम्भ की तिथि, समाप्त तिथि के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने की अवधि दर्शित होती है। उक्त सूचना के अभाव में कार्य करने सम्बन्धी वैधता शून्य हो जाती है।
14. स्टॉक रजिस्टर तथा निर्माण कार्य रजिस्टर अप्रस्तुत रहा। लेखाकार द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य रजिस्टर बना ही नहीं है।
15. अधिकतर निर्माण कार्यों में सहायक विकास अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मचारी को प्रभारी नियुक्त किया गया है जो कि अनियमित है।

इस प्रकार क्रमांक 01 से 15 तक की आपतियों से सुस्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रारूप 01 पर क्रमांक 01 से 89 तक (राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत) तथा विधायक निधि योजना अन्तर्गत क्रमांक 01 से 03 तक उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य पूर्ण मनमानी एवं अनियमित तरीके से कराया गया है उक्त कार्यों पर व्यय धनराशि राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना अन्तर्गत रु. 11207062.00 तथा विधायक निधि योजना अन्तर्गत रु. 2399780.00 कुल रु. 13606840.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिकृष्ण मिश्र तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिकृष्ण मिश्र से रु. 6803421.00 तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से रु. 6803421.00 कुल रु. 13606840.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

01.क्षेत्र पंचायत मिल्कीपुर जनपद-अयोध्या वर्ष 2020-21

प्रस्तर-1. निम्न प्रकार मनरेगा प्रशासनिक मद से किये गये भुगतान भ्रामक/ फर्जी/आधारहीन रहे हैं जिनसे संबन्धित मांग पत्र/बिल/क्रय हेतु कोटेशनस, स्टोक लेखा आदि विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध ही नहीं रहे। अतः भुगतान अपुष्ट एवं अनियमित रहे हैं, विभागीय उच्चधिकारियों के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है।

क्रम सं०	तिथि/चेक सं०	धनराशि व्यय रु०	अन्य विवरण
01.	000106/ 28.05.2020	23,600.00	मै० सी० के इण्टर प्राइजेज सुपर मार्केट सुल्तानपुर कार्यालय के कम्प्यूटर कार्टेज मरम्मत आदि
02	000107/ 28.05.2020	29,511.00	मै० घनश्याम एशोशियेट चौक ख्वास पुरा अयोध्या को जाब कार्ड हेतु
03.	000108/ 1.6.2020	32,400.00	मै० परी बैटरी सर्विस नाका वाई पास, अयोध्या को कार्यालय में बैट्री इवर्टर क्रय हेतु
04	000111/ 17.6.2020	58,574.00	मै० घनश्याम एशोशियेट चौक अयोध्या को “सामग्री” आपूर्ति हेतु दो बिलों संबन्धित
	योग धनराशि	1,44,085.00	(रुपये एक लाख चवालिस हजार पचासी मात्र)

अतः कुल धनराशि रु 1,44,085.00 अप्रत्यक्ष रूप से अपहरित धनराशि रही है, प्रकरण अनियमित पाया गया, अतः अधिभार के अन्तर्गत “अपहरण” की श्रेणी में रहा है। अविलम्ब वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार क्रमशः श्री अमित सिंह प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अकील अहमद लेखाकार से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 2- मनरेगा प्रासंगिक मद से द्वारा चेक संख्या 000118/दि0 29/06/2020 को रु 38253.00 का भुगतान वास्ते शासकीय जीप संख्या ए0जी0-0314 में डीजल आपूर्ति मद में किया गया है। यह भुगतान मै0 विनोद कुमार एण्ड कम्पनी के पक्ष में दर्शित है। परन्तु जीप लागबुक, डीजल, मांग, बिल/प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में मांग के पश्चात भी उपलब्ध ही नहीं कराये जा सके। अतः व्यय के औचित्य की किसी प्रकार पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार धनराशि रु० 38253.00 का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित सिंह (प्रभारी) एवं लेखाकार श्री अकील अहमद द्वारा संयुक्त साँठ-गाँठ से किया गया है। अतः प्रकरण अपहरण की श्रेणी में अधिभार अन्तर्गत लाया जाता है। सख्त विरुद्ध कार्यवाही व संयुक्त रूप से अविलम्ब वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित सिंह (प्रभारी) से धनराशि एवं लेखाकार श्री अकील अहमद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

02. क्षेत्र पंचायत -पूराबाजार जनपद-अयोध्या वर्ष 2020-21

प्रस्तर 3- आलोच्य वर्ष 2020-21 में मनरेगा प्रशासनिक मद में निम्नलिखित विवरण के अनुसार जाँब कार्ड, मनरेगा रजि0, का क्रय किया गया। जिसे स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए था तथा आवश्यकतानुसार जिसे यह जाँब कार्ड एवं मनरेगा रजिस्टर प्राप्त कराये गये हैं उनसे माँग पत्र लेकर दिया जाना चाहिए। किन्तु स्टॉक-स्टेशनरी रजिस्टर उपलब्ध न कराये जाने से उक्त क्रय एवं वितरण की जानकारी न हो सकी।

क्रमांक	चेक संख्या/दिनांक जिससे भुगतान किया गया	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता फर्म का नाम
1.	281944/19.06.2020	42000.00	सिंह पेपर प्रोडक्ट एवं प्रिन्टर्स बस्ती।
2.	0	29246.00	सिंह पेपर प्रोडक्ट एण्ड प्रिन्टर्स बस्ती।
3.	281945/19.06.2020	88077.00	सिंह पेपर प्रोडक्ट एण्ड प्रिन्टर्स
4.	0	32754.00	घनश्याम एसोसियेट अयोध्या
	283511/29.10.2020		
	283483/09.03.2021		
5	283513/29.10.2020	23863.00	घनश्याम एसोसियेट अयोध्या
	योग	215940.00	

उक्त स्टेशनरी क्रय से सम्बन्धित कोटेशन की कार्यवाही, खरीद वाउचर, तथा विवरण रजि0 लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने के कारण खरीद की गई सामग्री/स्टेशनरी की पुष्टि न की जा सकी। वाउचर के न प्रस्तुत करने के कारण उक्त क्रय सन्दिग्ध है। तथा अतः धनराशि रु०215940.00 वसूली योग्य है। इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री के.डी. गोस्वामी से एवं श्रीराम जन्म पाण्डेय लेखाकार, से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-06

प्रस्तर 4-- राजेपुर में लाला के खेत से रघुराज सिंह के खेत तथा मिट्टी पटाई/सोलिंग कार्य 1300 वर्ग मीटर इसकी निर्माण पत्रावली में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियां पायी गयी:-

1-इस्टीमेट में ईटों का अलग से प्राविधान नहीं किया गया बल्कि प्रति वर्ग मीटर खर्च रु० 360/0 की दर से कुल रु0 1300x360=48000 लिख दिया गया, तथा इसी पर आगे की गणना की गई, जो कि आपत्तिजनक है विस्तृत इस्टीमेट बनाया जाना चाहिए।

2.निर्माण स्थल पर (सी.आई.बी.) नागरिक सूचना बोर्ड लगाये जाने का कोई प्रमाण संलग्न नहीं पाया गया।

3.1-ई/डब्लू इक्सकेवेशन 588.71 घनमीटर दर 95.00 = 55927.45

2. लेइंग ऑफ बी.ओ.ई. सोलिंग

$$\begin{array}{rcl} 1300 \text{ वर्ग मीटर दर } 360 & & = 468000.00 \\ \text{कुल योग-} & & \text{रु० } 523927.45 \end{array}$$

परन्तु अवर अभियन्ता श्री आर.के विश्वकर्मा द्वारा कुल योग 527927=45 लिखा गया है इस प्रकार 527927.25-523927.45 =3999.80 या 4000=00 का अधिक भुगतान ठेकेदार को कराया गया। इसकी वसूली श्री के०डी० गोस्वामी (खण्ड विकास अधिकारी) श्री आर०के० विश्वकर्मा,(जे०ई०आर०ई०डी०)एवं श्री राम जन्म पाण्डेय (लेखाकार) से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-07

प्रस्तर 5-- ग्रा.प. राजेपुर में आदर्श के घर से सी.सी. रोड इंटरलाकिंग कार्य:- इस कार्य पर लेखा परीक्षा में निम्न लिखित कमियाँ निर्माण पत्रावली में पायी गयी:-

1.इस्टीमेट से अधिक का जे.ई. बिल प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया गया। विवरण निम्नवत् है:-

विवरण	इस्टीमेट से	जे.ई. बिल	अन्तर धनराशि
1-कान्सट्रक्शन ऑफ गैनुलर सब बेस दर 3144.64 प्रति घनमीटर	13.66 घनमीटर दर	17.22 घनमीटर	3.56x3144.64=11149.95

2.जिग जैग रबर मोल्डेड रिफ्लेक्टिव दर 912/वर्ग मीटर	124.80वर्ग मीटर	162.00 वर्गमीटर	37.2x912=33926.40
योग (कुल अन्तर)			45121.35 या 45121.00

उपरोक्त विवरण के आधार पर रु0 45121.00 का अधिक बिल प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली श्री के.डी. गोस्वामी खण्ड विकास अधिकारी, श्री आर.के. विश्वकर्मा अवर अभियन्ता एवं रामजन्म पाण्डेय लेखाकार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-8

प्रस्तर 6-- ग्राम पंचायत मंडना में देवेन्द्र यादव के घर से राजेन्द्र यादव के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य- इस कार्य पर निम्नलिखित कमियाँ निर्माण पत्रावली को लेखा परीक्षा में पायी गयी.

1. ठेकेदार चन्द्रा डेवलपर द्वारा निविदा में जो दर लिखी गई है, उससे भिन्न विभागीय दर पर निविदा स्वीकृत की गई। तथा प्रत्येक भुगतान भी किया गया। विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	विवरण	विभागीय दर	ठेकेदार की दर
1	ई/डब्लू इक्सकेवेशन	120/घनमीटर	110/घनमीटर
2	कान्सट्रक्शन ऑफ ग्रेनुलर बेस	3033/घनमीटर	3144 घनमीटर
3	फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क	5160/प्रतिहजार	4920/प्रतिहजार
4	प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग पी.सी.सी. वर्क	7800/वर्गमीटर	6000/वर्गमीटर
5	प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग iइण्टरलॉकिंग	915/वर्गमीटर	912/वर्गमीटर

अतः निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं नियमों का पालन न करते हुए उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 2(ध) का उल्लंघन है फलस्वरूप किया गया समस्त व्यय काल्पनिक है तथा वसूली योग्य है। इस प्रकार उक्त परियोजना पर कुल भुगतान धनराशि रु० **330833.00** की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री के.डी. गोस्वामी, श्री आर.के. विश्वकर्मा अवर अभियन्ता एवं श्री रामजन्म पाण्डेय लेखाकार से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(6) नागरिक सूचना बोर्ड (सी.आई.बी.) भी निर्माण स्थल पर लगा होने का कोई साक्ष्य निर्माण पत्रावली में संलग्न पाया जाया।

(7)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी निर्माण पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

आपत्ति संख्या-09

प्रस्तर 7-- जलालुद्दीन नगर में अयोध्या अम्बेडकरनगर संपर्क मार्ग से ईरम हास्पिटल के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य- इस कार्य पर लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी-

1.इस्टीमेट में दर्शित धनराशि से कम मात्रा में धनराशि व्यय करके कार्य गुणवत्ता विहीन तथा अधोमानक पूर्ण किया गया।

	इस्टीमेट	एम.बी.	अन्तर धनराशि	एम.बी.का इस्टीमेट से अन्तर
ई/डब्लू इक्सकेवेशन 110/ घनमीटर /घनमीटर	15.12	6.0	$9.12 \times 10 = 1003.20$	39.68%
कान्सट्रक्शन ऑफ सब ग्रैनुलर बेस दर3144.64/घनमीटर	49.21	44.74	$4.47 \times 3144.64 = 14056.54$	90.91%
फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:4 सीमेंट कोर्स सैंड मोर्टार दर4920/ वर्गमीटर	16.23	8.40	$7.83 \times 4920 = 38523$	51.75%
प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग 80एम.एम. थिन रबर मोल्डेड जिग जैग टाइल्स दर512.89/ वर्गमीटर	512.89	508.35	$4.54 \times 512.89 = 4140.48$	99.11%
प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग पी.सी.सी. वर्क इन 1:2:4 मोर्टार	1.45	-	8700.00	शून्य

सप्लाई एण्ड फिक्सिंग ऑफ सॉइल बोर्ड दर 4200	1	-	4200.00	शून्य

उपरोक्त तालिका में दर्शित आँकड़ों के आधार पर क्रमांक 1,3,5, पर दर्शित विवरण के आधार पर स्वयं सिद्ध होता है कि कार्य की गुणवत्ता अधोमानक रही है। इसकी जाँच (स्थलीय) तकनीकी समिति से कराये जाने की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। तथा इस परियोजना पर किया गया समस्त भुगतान वसूली योग्य तथा फर्म को किया गया कुल भुगतान रु० 693797.00 की वसूली श्री के.डी. गोस्वामी खण्ड विकास अधिकारी, श्री आर.के. विश्वकर्मा अवर अभियन्ता, व श्री रामजन्म पाण्डेय लेखाकार से बराबर हिस्सों में कराया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-10

03. क्षेत्र पंचायत अमानीगंज अयोध्या वर्ष 2020-21

प्रस्तर 8- वर्ष 2020-21 में निम्न प्रकार व्यय चतुर्थ रा० वित्त मद से वास्ते प्रकाशन/विज्ञापन व्यय भुगतान दर्शाए गए हैं -

.सं.	चेक सं /दि०	धनराशि	अन्य विवरण
1.	000380/04.01.2021	15645.00	मे० तरुण मित्र दैनिक
2.	000383/25.01.2021	84902.00	मे० तरुण जागरण दैनिक प्रकाशन
3.	000386/03.02.2021	15140.00	मे० तरुण मित्र दैनिक
4.	000389/05.02.2021	23292.00	मे० जनमोर्चा प्रकाशन
	योग	138979.00	

उपरोक्त के संबंध में निम्न प्रकार गंभीर तथ्य पाए गए |

1. टेंडर प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में न देकर अधिकांश रूप से स्थानीय समाचार पत्रों में दिए गए |
2. टेण्डर जिन-2 परियोजनाओं का दिया गया उसकी कोई सूची उपलब्ध नहीं रही है |
3. टेण्डर प्रकाशन की कोई पुष्टि सम्बंधित प्रकाशन के अनुसार पृष्ठ के अभाव में नहीं होती हैं |
4. बिल/कैश मेमो आदि का रखरखाव भी शून्य रहा है।

अतः उक्त प्रकार अनियमित भुगतान दर्शा करके धनराशि कुल रु० 138979.00 का अपहरण सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा किया गया है | अतः दण्डात्मक 18% व्याज सहित धनराशि की वसूली लेखाकार श्री अकील अहमद व खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित त्रिपाठी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 9- बैंक खाते मात्र राज्यवित्त व केंद्र वित्त के उपलब्ध कराए गए जिससे अन्य खातों जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा खाता 6912,21842 तथा 21902 का मिलान अनुदान पंजी- 3 नहीं किया जा सका समस्त सक्रिय/निष्क्रिय खातों का विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। लेखाकार की लापरवाही इस सम्बन्ध में स्पष्ट होती है।

बैंकखातासं .11150100024867 राज्यवित्त खाता जो बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा-कुमारगंज में संचालित है स्टेटमेंट के अनुसार रु .10405069.35 31-02-2021 को अवशेष हैं जबकि अनुदान पंजी-3 के अनुसार रु 9913727.35 का लेखा दर्शाया गया है। इस प्रकार अन्तर रु 491342.00 का रहा हैं जबकि कुल अनाहरित चेके मात्र रु 56500.00 की है तथा चेके भी कालातीत हो चुकी है इस प्रकार अन्तर रु 491342.00 एक गंभीर अनियमितता का विषय हैं अतः प्रकरण अधिभार के अन्तर्गत लाया जाता है। विभागीय कार्यवाही लेखाकार श्री अकील अहमद एवं खण्ड विकास अधिकारी अमित कुमार के विरुद्ध वांछित हैं।

प्रस्तर 10--. कतिपय अनुदान विगत वर्षों से यथावत रोके गए हैं अप्रयुक्त अनुदान को आवश्यक रूप से संस्था में रोका जाना पाया गया। जिस पर विभागीय अधिकारी मौन हैं। विवरण के अनुसार स्थिति निम्नवत है-

1- बायो गैस संयंत्र--.....	रु 8790.00
2- युवक मंगल दल).....	रु 24000.00
3- व्याज राशि रु 00.....	रु 1601436.79
4- अम्बेडकर विशेष रोज 0 योजना	रु 50000.00
5- उपनिदेशक कृषि	रु 10000.00
योग	1694226.79

इस प्रकार लेखाकार व ख०वि०अ० की संयुक्त उदासीनता अनुदान के समय गत उपभोग अथवा जिला योजना को प्रत्यावर्तित करने में रही है। अतः अनियमितता की परिधि में रु 1694226.79 की धनराशि अधिभार अन्तर्गत लायी जाती है। विभागीय कार्यवाही लेखाकार श्री अकील अहमद, श्री राजकरन तिवारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों श्री विकास सिंह, स्वाप्निल कुमार यादव, राम विलास, अमित त्रिपाठी के विरुद्ध वांछित हैं।

04- क्षेत्र पंचायत तारुन अयोध्या वर्ष 2020-21

प्रस्तर 11- आडिट में क्षेत्र पंचायत द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020.21 में व्यय रु 4041064.07 एवं एवं मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत व्यय रु 1313872.00 कुल रु 5354936.00 के सम्बन्ध में व्यय की पुष्टि में आडिट में कोई व्यय पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त मदों पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत न करना भारी वित्तीय अनियमितता को द्योतक है। उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में सुसंगत नियमों (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 179) के अंतर्गत रु 5354936.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सर्वेश मोहन एवं लेखाकार संजय आचारी से बराबर हिस्सों में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप -03

1-क्षेत्र पंचायत-दरियाबाद**वर्ष-2020-21****जनपद-बाराबंकी**

प्रस्तर संख्या-01 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आय-व्यय की समीक्षा में यह संज्ञान में आया कि दिनांक 31.03.2021 को आयकर मद में रुपये 5465.00 आयकर जमा करना शेष रहा जो नियमानुसार वर्षान्त तक अवश्य जमा कर दिया जाना चाहिए। अतः उक्त रु0 5465.00 को अविलम्ब जमा किया जाना अपेक्षित है। उक्त आयकर की धनराशि वर्षान्त तक जमा न कर अनियमितता की गयी। आयकर की धनराशि वर्षान्त तक जमा न जमा किए जाने हेतु संबंधित लेखाकर पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-06 धनराशि-5465.00

प्रस्तर संख्या- 02 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आय-व्यय की समीक्षा में यह संज्ञान में आया कि दि0 31.03.2021 को जी0एस0टी0 की अत्यधिक धनराशि रु0 283664.00 जमा करना शेष रहा जो नियमानुसार वर्षान्त तक अवश्य जमा कर दिया जाना चाहिए परन्तु नहीं किया गया। उक्त अत्याधिक जी0एस0टी0 अवशेष रु0 283664.00 समायान्तर्गत जमा न कर अनियमितता की गयी। आयकर की धनराशि वर्षान्त तक जमा न जमा किए जाने हेतु संबंधित लेखाकर पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-07 धनराशि-283664.00

प्रस्तर संख्या-03 लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली की जांच में यह प्रकाश में आया कि स्वीकृत टेण्डर से सम्बन्धित ठेकेदारों से अनुबन्ध के पूर्व मात्र 2% बयाने की धनराशि ही ली जाती है जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 23 के अनुसार “ठेकेदार को प्रारम्भ में उतनी धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करने की अनुज्ञा दे सकता है जो बयाने की धनराशि सहित ठेके की धनराशि के 5% के बराबर हो। कोई भी ठेका जब तक न वैध होगा और न कोई कार्य तब तक प्रारम्भ किया जायेगा जब तक कि 5% अपेक्षित प्रतिभूति जमा न कर दी जाए और ठेके के विलेख पर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाये।” अतः उक्त नियम के अनुसार ठेके की धनराशि का न्यूनतम 5% धनराशि प्रतिभूति के रूप में ठेका स्वीकृत करने के पूर्व ठेकेदारों से ले लिया जाना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल रु0 25171323.00 का निर्माण कार्य कराया गया जिस पर 5% प्रतिभूति रु0 1258566.00 के स्थान पर स्वीकृत टेण्डरों से सम्बन्धित ठेकेदारों से मात्र 2% की प्रतिभूति रु0 503426.00 ही लिया गया। इस प्रकार समस्त ठेकों रु0 755139.00 की प्रतिभूति कम लेकर अनियमितता की गयी। इस अनियमितता हेतु संबंधित लेखाकार तथा संबंधित खंड विकास अधिकारी पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-09 धनराशि-755139.00

प्रस्तर संख्या-04 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आय-व्यय की समीक्षा में यह संज्ञान में आया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लेखा परीक्षा वर्ष में 1105155.00 का उपयोग किया गया परन्तु, मांगोपरान्त लेखाकार द्वारा उक्त धनराशि से लाभांशित पात्रों की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसे सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-09 धनराशि-1105155.00

प्रस्तर संख्या-05 जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के अध्याय ग के नियम 66(1) क, 51(2) (6) के अन्तर्गत राजकीय आहरण वितरण अधिकारी (बी0डी0ओ0) को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत एस0जी0एस0टी0 1% सी0जी0एस0टी0:1 कुल 2% जी0एस0टी0 की कटौती ठेकेदारों के बिलों से किया जाना चाहिए था। परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों में देयकों में 12% जी0एस0टी0 जोड़कर भुगतान किया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है। नियमानुसार 10% जी0एस0टी0 ठेकेदारों के बिलों में जोड़कर भुगतान होना चाहिए एवं 2% जी0एस0टी0, लेखाकार द्वारा स्वयं ठेकेदारों के बिलों से कटौती कर भुगतान किया जाना चाहिए। संलग्न आय-व्यय के अनुसार पंचम राज्य वित्त में रु0

8921865.10, 15वाँ वित्त आयोग में रु0 1161461.00, आँगनबाड़ी केन्द्र में कुल रु0 4293581.00 तथा विधायक निधि में रु0 341264.00 व्यय किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्यों पर कुल रु0 22474395.00 भुगतान (12% जी0एस0टी0 छोड़कर) किया गया जिसका 2% धनराशि रु0 449488.00 टी0डी0एस0 कटौती न कर खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिए संबंधित लेखाकार तथा संबंधित खंड विकास अधिकारी पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपति संख्या-11 धनराशि-449488.00

प्रस्तर संख्या-06 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मनरेगा प्रशासनिक मद में व्यय किये गये वाउचरों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

क्रसं	फर्म का नाम	कार्य	भुगतान का विवरण			अनुदान पंजिका द्वितीय का विवरण	
			बिल सं	दिनांक	धनराशि	तिथि	पृष्ठ सं
1	मे0दीपक इलेक्ट्रिक्स लखनऊ	जनरेटर सर्विस		07-12-2020	404300-00	10-03-2021	8
2	श्री कुंवर प्रवीण रंजन	वायरिंग कार्य		14-09-2020	2720-00	10-03-2021	8
3	श्री कुंवर प्रवीण रंजन	सोशल ऑडिट	605 543 761	04-09-2020 05-09-2020 05-09-2020	605400-00	10-03-2021	75
4	एस0आर0एम0 मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	जीप सर्विस	1803027	10-08-2020	25340-00	10-08-2021	7
				योग	637503-00		

उक्त रु0 637503.00 का भुगतान बिना प्रमाणक/वाउचर के किया गया। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया जिसे लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। मूल आपति संख्या -13 धनराशि - 637503-00

प्रस्तर संख्या-07 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत प्रधानमंत्री आवास योजना के कन्टीजेन्सी मद से निम्नलिखित व्यय किया गया।

क्रसं	फर्म का विवरण	भुगतान का विवरण			अनुदान पंजिका द्वितीय का विवरण	
		बिल सं	दिनांक	धनराशि	तिथि	पृष्ठ सं

1	डीजल पर व्यय मे0 हमारा पम्प मथुरा नगर, दरियाबाद भिटिया रोड बाराबंकी	265	28-2-2021	9572+81	28-2-21	7
2	—	264 238	28-02-21 31-12-20	6331-60 8949-60	28-02-21 28-02-21	7 8
3	—	233	30-11-20	7205-20	31-12-20	6
4	—	234	30-11-20	14000-20	30-11-20	6
			योग	46059-21		

उक्त व्ययों की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त रू0 46059.21 का व्यय अप्रमाणित रहा। अतः रू0 46059.21 का अपहरण किया गया जिसे लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या -13 धनराशि - 46059-21

प्रस्तर-8 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय तथा ग्रांट IएIII की समीक्षा में यह प्रकाश में आया कि विधायक निधि में रू0 7116900.00 पंचायत निर्वाचन में रू0 26140.00 तथा निर्धन चूल्हा में रू0 21300.00 ऋणात्मक धनराशि दर्शित है। उक्त ऋणात्मक धनराशि के सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा यह अवगत कराया गया कि आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग के वर्ष 2009-10 के प्रतिवेदन में उल्लिखित किया गया था कि उक्त मदों में धन न होने पर भी तत्कालीन आंकिक श्री कमलेन्द्र प्रताप ंसिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री एच0आर0खान तथा श्री पी0के0 यादव ने अन्य मदों में उपलब्ध धन से विचलन कर अनियमित भुगतान किया गया। अतः उक्त कुल रू0 164340.00 का अनिमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया जिसे उत्तरदायी आंकिक श्री कमलेन्द्र प्रताप सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री एच0आर0खान तथा पी0के0 यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-23 धनराशि-164340.00

2. क्षेत्र पंचायत-बनीकोडर वर्ष 2019-20 व 2020-21 जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर संख्या-09 आलोच्य वर्ष 2019-2020 में मनरेगा प्रशासनिक मद में (उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार) प्रारम्भिक शेषरू0 1100801.00 वर्ष में कुल प्राप्त रू0 4665700.00 सहित रू0 5766501.00 उपलब्धता थी। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में रू0 6636018.00 व्यय किया गया है। इसप्रकार योजना मद में उपलब्ध धनराशि से रू0 569517.00 अधिक व्यय करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। उपरोक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का उत्तर दायित्व निर्धारित करने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। **मूल आपति संख्या-1. धनराशि-569517.00**

प्रस्तर संख्या-10 आलोच्य वर्ष 2019-2020 में सामग्री प्रमाणों (उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार) भुगतान के समय रू0 251863.00 आयकर टी0डी0एस0 की कटौती की गई है, काटे गये उक्त धनराशि की पुष्टि में इश्यू चेक नम्बर/दाखिल

रिटर्न/चालान/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया गया है अथवा नहीं। जॉचोपरान्त खण्ड विकास अधिकारी से तातारीख दण्डनीय व्याज सहित धनराशि ₹0 251863.00 राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-2 धनराशि-251863.00

प्रस्तर संख्या-11 आलोच्य वर्ष 2019-2020 में सामग्री प्रमाणों (उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार) भुगतान के समय ₹0 241646.00 जीएसटी की कटौती की गई है काटे गये उक्त धनराशि की पुष्टि में इश्यू चेक नम्बर/दाखिल रिटर्न/चालान/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म से की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया गया है अथवा नहीं। जॉचोपरान्त खण्ड विकास अधिकारी से तातारीख दण्डनीय व्याज सहित धनराशि ₹0 241646.00 राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-3 धनराशि-241646.00

प्रस्तर संख्या-12 आलोच्य वर्ष 2019-2020 में उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार ₹0 64836.00 लेबर सेस की कटौती की गई है काटे गये उक्त धनराशि की पुष्टि में इश्यू चेक नम्बर/दाखिल रिटर्न/चालान/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म से की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया गया है अथवा नहीं। जॉचोपरान्त खण्ड विकास अधिकारी से तातारीख दण्डनीय व्याज सहित धनराशि ₹0 64836.00 राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-4 धनराशि-64836.00

प्रस्तर संख्या-13 आलोच्य वर्ष 2019-2020 में उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार रुपये 60720.00 मिशन अन्त्योदय मानदेय के भुगतान का उल्लेख है, उक्त धनराशि की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रश्नगत किसे एवं किस प्रकार किया गया है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि फर्जी तथा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपये 60720.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः जॉचोपरान्त अपहत धनराशि की वसूली की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-5. धनराशि-60720.00

प्रस्तर संख्या-14 आलोच्य वर्ष 2019-2020 में प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रा0) प्रशासनिक मद में रुपये 1970263.00 के भुगतान का उल्लेख है, उक्त धनराशि की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बाउचर्स/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रश्नगत भुगतान योजनान्तर्गत अनुमन्य मदों में अथवा किस मद में किया गया है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि फर्जी तथा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपये 1970263.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः जॉचोपरान्त अपहत धनराशि की वसूली की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-6 धनराशि-1970263.00

प्रस्तर संख्या-15 आलोच्य वर्ष 2019-2020 में उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार रुपये के ₹0 464106.00 जमानत वापसी के भुगतान का उल्लेख है, उक्त धनराशि की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बाउचर्स/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा के

समय प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रश्नगत् जमानत वापसी किस कार्य की है एवं कार्य की स्थिति क्या है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि फर्जी तथा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपये 464106.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः जॉचोपरान्त अपहृत धनराशि की वसूली की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-7.. धनराशि-464106.00

प्रस्तर संख्या-16 आलोच्य वर्ष 2020-21 में सामग्री प्रमाणों (उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार) भुगतान के समय रु0 765343.00 आयकर टी0डी0एस0 की कटौती की गई है, काटे गये उक्त धनराशि की पुष्टि में इश्यू चेक नम्बर/दाखिल रिटर्न/चालान/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया गया है अथवा नहीं। जॉचोपरान्त खण्ड विकास अधिकारी से ततारीख दण्डनीय व्याज सहित धनराशि रु0 765343.00 राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-..1 धनराशि-765343.00

प्रस्तर संख्या-17 आलोच्य वर्ष 2020-21 में कतिपय मदों में अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 591653.11 के (उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार) भुगतान/जमा की गई धनराशि की पुष्टि में इश्यू चेक नम्बर/चालान/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रश्नगत् ब्याज कि समद से अर्जित एवं किस शासकीय हेड में जमा किया गया है। जॉचोपरान्त खण्ड विकास अधिकारी से ततारीख दण्डनीय व्याजसहित धनराशि रु0 591653.11 राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-..2. धनराशि-591653.11

प्रस्तर संख्या-18 आलोच्य वर्ष 2020-21 में उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार रु0 258350.00 लेबर सेस की कटौती की गई है काटे गये उक्त धनराशि की पुष्टि में इश्यू चेक नम्बर/जमा रसीद/चालान/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया गया है अथवा नहीं। जॉचोपरान्त खण्ड विकास अधिकारी से ततारीख दण्डनीय व्याज सहित धनराशि रु0 258350.00 राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-..3 धनराशि-258350.00

प्रस्तर संख्या-19 आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र निधि से कराये (उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार) रु0 25962776.00 व्यय किया गया है। जिस पर नियमानुसार स्रोतपर 2 प्रतिशत की दर से कटौती रु0 519256.00 की जानी थी। अनुदान पंजिका के अवलोकन में उक्त कटौती किया जाना नहीं पाया गया। उक्त वितीय अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का उत्तर दायित्व निर्धारित करने हुए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किए जाने की ओर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-..4. धनराशि-519256.00

प्रस्तर संख्या-20 आलोच्य वर्ष 2020-21 में उपलब्ध पत्रावलियों/अनुदान पंजिका भाग-02 के अनुसार ऑगन बाडी केन्द्र भवनों के निर्माण कार्य रुपये 2295062.00 के भुगतान का उल्लेख है। उक्त भुगतान की गई धनराशि पर नियमानुसार देय शासकीय कटौती (टी0डी0एस0) रुपये 45901.00 किये जाने का उल्लेख अनुदान पंजिका में नहीं पाया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार संयुक्त रूप से इस अनियमितता के लिये

उत्तरदायी है जिन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-5. धनराशि-45901.00

प्रस्तर संख्या-21 आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत उपलब्ध पत्रावलियों/अनुदान पंजिका भाग-02 के रुपये 14215500.00 के भुगतान किया गया है। शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायत के अधीन आने वाले कार्यालय भवनों/परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर रुपये 7107750.00 व्यय किया जाना था। जिसके सापेक्ष मात्र 07 कार्य अनुरक्षण सम्बन्धी कराते हुये रुपये 2912518.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार रुपये 4195232.00 शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार व्यय न करके अन्य मद में व्यय करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार व प्रमुख संयुक्त रूप से इस अनियमितता के लिये उत्तरदायी है जिन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-6 धनराशि-4195232.00

प्रस्तर संख्या-22 आलोच्य वर्ष 2020-21 में उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार मुख्य मन्त्री सामूहिक विवाह योजना में रुपये 358681.00 के भुगतान का उल्लेख है, उक्त धनराशि की पुष्टि मे इश्यू चेक न0/बाउचर्स/बैंक स्टेट मेन्ट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रश्नगत भुगतान किस फर्म/संस्था/विभाग को किया गया है तथा भुगतान के लिये टेण्डर किस स्तर से किया गया है। लेखाकार द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि इस हेतु फर्मों का चयन जिला स्तर से टेण्डर करके किया गया है। किन्तु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः जॉचोपरान्त अपहत धनराशि की वसूली की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-7. धनराशि-358681.00

प्रस्तर संख्या-23 आलोच्य वर्ष 2020-2021 में मनरेगा प्रशासनिक मद में रुपये 1291500.00 के भुगतान का उल्लेख है, उक्त धनराशि की पुष्टि मे इश्यू चेक न0/बाउचर्स/बैंक स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रश्नगत भुगतान योजनान्तर्गत अनुमन्य मदों में अथवा किसमद में किया गया है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि फर्जी तथा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपये 1291500.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः अपहत धनराशि की वसूली की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-8. धनराशि-1291500.00

प्रस्तर संख्या-24 आलोच्य वर्ष 2020-21 में उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार रुपये के रु0 851981.00 जमानत वापसी के भुगतान का उल्लेख है, उक्त धनराशि की पुष्टि मे इश्यू चेक न0/बाउचर्स/बैंक स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रश्नगत जमानत वापसी किस कार्य की है एवं कार्य की स्थिति क्या है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि फर्जी तथा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपये 851981.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः अपहत धनराशि की वसूली की ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-9. धनराशि-851981.00

प्रस्तर संख्या-25 आलोच्य वर्ष 2020-2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा0) मद में रुपये 148763.00 के भुगतान का उल्लेख है, उक्त धनराशि की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बाउचर्स/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रश्नगत भुगतान योजनान्तर्गत अनुमन्य मदों में अथवा किस मद में किया गया है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि फर्जी तथा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपये 148763.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अपहरित धनराशि की वसूली की ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-..10 धनराशि-148763.00

प्रस्तर संख्या-26 आलोच्य वर्ष 2020-2021 में विविध मद में रुपये 1228479.00 के भुगतान का उल्लेख है, उक्त धनराशि की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बाउचर्स/बैंक स्टेटमेंट से सम्बन्धित अन्य कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में माँगों उपरान्त उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे यह जानकारी न हो सकी कि उक्त भुगतान किस मद से एवं किसे किया गया है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि फर्जी तथा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपये 1228479.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः जाँचोपरान्त अपहृत धनराशि की वसूली की ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या-..11 धनराशि- 1228479.00

3- क्षेत्र पंचायत- दरियाबाद वर्ष 2019-20 जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर संख्या-27 क्षेत्र पंचायत- दरियाबाद में चतुर्थ राज्य वित्त से वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराए गए निर्माण कार्य रानीकटरा में कृष्णमगन के घर से खसरहा तालाब तक खड्ज्जा मरम्मत कार्य (360 मी० × 3.30 मी०) से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न तथ्य प्रकट हुए-

(1) पत्रावली में संलग्न एम०बी० में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित पेज क्रमांक व एम०बी० क्रमांक नहीं पाया गया।

(2) एम०बी० के अन्त में अवर अभियन्ता द्वारा अपनी मोहर लगा कर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(3) उ०प्र० खनिज परिहार नियमावली, क्रमांक 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/ बालू/ गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम०बी० 11 या फार्म 3-सी न होने पर निर्धारित दर से रायल्टी काट कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

4- स्थल विवाद के कारण उक्त कार्य बीच में ही रोक दिया गया। 360मी० खड्ज्जा मरम्मत के स्थान पर मात्र 150 मीटर खड्ज्जा मरम्मत का कार्य हुआ। जिस पर कुल ₹0 174987.78 व्यय हुआ। स्टीमेट बनाते समय अवर अभियन्ता द्वारा किसी स्थल विवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। कार्य के दौरान स्थल विवाद होने के कारण कार्य पूर्ण न हो सका। अतः उक्त व्यय ₹0 174987.78 अनुपयोगी रहा। इस प्रकार ₹0 174987.78 के दुरुपयोग हेतु अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त व्यय धनराशि ₹0 174987.78 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या-22 धनराशि-174987.78**

प्रस्तर संख्या-28 चतुर्थ राज्य वित्त से कराए गए निर्माण कार्य- ग्राम पंचायत गाजीपुर में कमलेश के घर के पास से अनूप श्रीवास्तव के घर होते हुए तालाब तक नाली निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली की जाँच में निम्न तथ्य प्रकट हुए -

(1) पत्रावली में संलग्न एम०बी० में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित पेज क्रमांक व एम०बी० क्रमांक नहीं पाया गया।

(2) एम०बी० के अंत में अवर अभियन्ता द्वारा अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(3) उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/बालू/ गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम०एम०- 11 व फॉर्म 3-सी न होने पर निर्धारित दर से रायल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

(4) एम०बी० के अनुसार कार्य दिनांक 24-05-2019 को समाप्त हो गया जबकि 25 ली० क्षमता का वोल्टास वाटर कूलर (डब्लू सी)150/150 एफ0एस0एस0, स्टेबलाइजर वी0एम0आर0 400 की खरीद (लखनऊ ग्रामोफोन हाल, धनोखर तालाब, बाराबंकी) इनवारस नम्बर 1812 दिनांक- 25 मई 2019 की है। कार्य समाप्ति के बाद की तिथि की इनवाइस होना कार्य का संदिग्ध/ अनियमित होना दर्शाता है।

(5) उक्त कार्य में प्राक्कलन एवं एम०बी० में निम्न सीमा तक विचलन पाया गया-

क्रमांक	आईटम एम0बी0 डिफरेंस	स्टीमेट			एम0बी0		डिफरेंस
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि
1	एम-150 कसास ब्रिक इन 1: 4 सीमेंट एण्ड कोर्स सैण्ड	0.68	5160	3508	0.46	2373.6	1134.4 (32.34)%
2	12 एम0एम0 थिक प्लास्टर इन 1:4 सीमेंट	4.50	190	855	2.10	399	456 (53.33) %
3	संड फिलिंग इन वाटर टैंक प्लेटफार्म	0.614	550	337.92	-	-	337.92 (100)%
योग							1928.32

उक्त सभी विचलन सारवान है तथा 10 प्रतिशत से अधिक है। जिसके लिए नियम-8 एवं 15 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उक्त सारणी से स्पष्ट है कि क्रमांक 3 पर प्राक्कलित कार्य प्राक्कलन में लिखित होने के बावजूद भी मौके पर नहीं कराए गए हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुयी है। अतः उक्त कार्य में कुल राशि अधिभार 1928.32 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख व लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त राशि रु० 1928.32 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-23 धनराशि-

1928.32

प्रस्तर संख्या-29 चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य “ग्राम पंचायत गाजीपुर में कमलेश के घर के पास से अनूप श्रीवास्तव के घर होते हुए तालाब तक नाली निर्माण कार्य” से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में निम्न तथ्य प्रकट हुए-

(1) पत्रावली में संलग्न एम०बी० में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित पेज क्रमांक व एम०बी० क्रमांक नहीं पाया गया।

(2) एम०बी० के अंत में अवर अभियन्ता द्वारा अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(3) उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/बालू/ गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम०एम०- 11 व फॉर्म 3-सी न होने पर निर्धारित दर से रायल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

(4) उक्त कार्य में प्राक्कलन व एम०बी० में निम्न सीमा विचलन पाया गया -

क्रमांक	आईटम	स्टीमेट			एम०बी०		डिफरेंस
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि
1.	ई०/डब्लू इन एग्जिगावेशन	104.00	140	14560	81.36	11390.4	3169.6 (21.7%)
2.	प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग इन सीमेंट कंकरीट 1:6:12	19.50	3750.00	73125.00	14.83	55612.5	17512.5 (23.94%)
3.	प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग 25 एम०एम० थिक पी फ्लोर इन 1:2:4 विद सीमेंट	46.00	280.00	12880.00	53.52	14985.6	2105.6 (16.34%)
4.	12 एम०एम० थिक प्लास्टर इन 1:3 सीमेंट कोर्स सैण्ड मोटर इनक्लूडिंग लेबर	150.00	190.00	28500.00	127.50	24225.00	4275.00 (15/%)
5	आर०सी०सी० वर्क इन 1:2:4 विद सीमेंट, कोर्स सैण्ड आफ 20 एम०एम० गेज स्टोन सैण्ड	2.30	8274.00	19030.2	5.62	46500.00	27470.00 (14.4%)

6	मिल्ड स्टील	2.26	7360.0 0	16633.6	3.95	29072.0 0	12438.00 (74%)
7	सर्वे, टाईपिंग, फोटोकॉपी	1.00	500.00	500.00	-	-	500 (100%)
8	एस0/एफ0 साईन बोर्ड	1.00	6000.0 0	6000.00	-	-	6000 (100%)
योग							73470.7

उक्त सभी विचलन सारवान है तथा 10 प्रतिशत से अधिक है, जिसके लिए नियम- 8 एवं 15 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उक्त प्राक्कलन में लिखित होने के बाद भी, कार्य मौके पर नहीं कराए गए हैं। अतः उक्त कार्य में कुल राशि रु० 73470.7 की वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख व लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त राशि रुपये- 73470.7 की वसूली अभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-24 धनराशि-73470.7

प्रस्तर संख्या-30 चतुर्थ राज्य वित्त से कराए गए निर्माण कार्य- अद्रा चौराहे से रानी बीना सिंह के फार्म हाउस तक खण्डज्जा निर्माण कार्य (530 मी०* 3.30 मी०) से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न तथ्य प्रकट हुए -

- (1) पत्रावली में संलग्न एम०बी० में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित क्रमांक व एम०बी० क्रमांक नहीं पाया गया।
- (2) एम०बी०के अन्त में अवर अभियन्ता द्वारा अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
- (3) उत्तर प्रदेश परिहार नियमावली- 1963 के नियम- 21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/बालू/गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम०एम-11 या फार्म फार्म- 3सी न होने पर निर्धारित दर से रायल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

उक्त कार्य में प्राक्कलन व एम०बी०में निम्न सीमा तक विचलन पाया गया-

क्रमांक	आईटम	स्टीमेट			एम०बी०		डिफरेंस
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि
1	ई0/डब्लू कटिंग आर फिलिंग इम्ब्यूटमेंट	834	112	93408	641.68	71868.16	21539.84 (23%)
2	फोटोकॉपी	1	500	500	-	-	500 (100%)
3	साईन बोर्ड	1	600 0	6000	-	-	6000 (100%)

Total	28039.8

उक्त सभी विचलन सारवान हैं तथा 10 प्रतिशत से अधिक हैं, जिसके लिए नियम-8 एवं 15 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि क्रमांक 2 व 3 पर प्राकलित कार्य प्राक्कलन में लिखित होने के बावजूद यह कार्य मौके पर नहीं कराए गए हैं। अतः उक्त कार्य में रुपये- 28039.80 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख व लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रुपये- 28039.80 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-25धनराशि-28039.80

प्रस्तर संख्या-31 चतुर्थ राज्य वित्त में कराए गए निर्माण कार्य- ग्राम पंचायत श्यामनगर कोटवा में बन्तीलाल के दरवाजे से नान्हू प्रसाद के घर के बीच में पुलिया निर्माण कार्य (1*900 एम एम दिया फर्न पाइप कलवेंट) से संबंधित पत्रावली की जाँच में निम्न तथ्य प्रकट हुए-

- (1) पत्रावली में संलग्न एम०बी० में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित पेज क्रमांक व एम०बी० क्रमांक नहीं पाया गया।
- (2) एम०बी० के अन्त में अवर अभियन्ता द्वारा अपनी मुहर लगाकर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
- (3) उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्य में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/बालू/ गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम०एम० 11 या फॉर्म-3सी न होने पर निर्धारित दर से रॉयल्टी काट कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु उक्त कार्य में रॉयल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।
- (4) उक्त कार्य में प्राक्कलन व एम०बी० में निम्न सीमा तक विचलन पाया गया-

क्र मां क	आईटम	स्टीमेट			एम०बी०		डिफरेंस
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि
1.	डिस्मेंटलिंग आर ब्रिक एण्ड एज	66.00	9	594.00	-	-	594 (100%)
2.	ई०/डब्लू इज कटिंग आर इन इम्बार्कमेंट	34.33	112	3844.96		8960.00	5115 (13.3%)
3.	बी०ओ०ई० सोलिंग विद एम-275 ब्रिक आफ फीलिंग आफ ज्वाइन्ट विद लोकल अर्थ	126.00	434	54684.00	38.70	16795.8	37888.2 (69.28%)
4.	फोटोग्राफी	1	1000	1000.00		-	1000 (100%)
5	साइनबोर्ड		5000	5000.00		-	5000 (100%)
6	एज इन साईड रोड	1	-	-	60	540.00	540 (100%)

7	सी0सी0इज 1:6:12 इन एफ0/एस0	-	-	-	4.42 दर3 745	16552. 9	16552.9 (100%)
8	बी0/डब्लू इन 1:4 इन सी0एण्ड डी0	-	-	-	13.9 8 दर5 160	72136 .8	72136.8 (100%)
9	पेंटिंग 1:3	-	-	-	16.3 8 दर6 8	1113. 84	1113.84 (100%)
10	रेलिंग आफ 900 एम0एम0 पी 3 पाईप	-	-	-	10 दर5 672	56720 .00	56720 (100%)
11	ई0/डब्ल्यू इज फिलिंग	-	-	-	11.6 1 दर1 12	1300. 32	1300.32 (100%)
योग							197961. 06

उक्त सभी विचलन सारवान है तथा 10 प्रतिशत से अधिक है। उक्त सारणी में क्रमांक 6,7,8,9,10 व 11 पर उल्लिखित कार्य प्राक्कलन में नहीं थे जबकि इनका भुगतान एम०बी० में किया गया है। इस प्रकार ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः उक्त कार्य में कुल धनराशि रुपये- 197961.06 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख व लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त राशि रुपये- 197961.06 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-26धनराशि-197961.06

प्रस्तर संख्या-32 चतुर्थ राज्य वित्त से कराए गए कार्य- ग्राम इटौरा में धुव अवस्थी के घर के सामने नहर से भलमत्था तालाब तक खड्गज्जा मरम्मत (1050 मी०×3.30 मी०) से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न तथ्य प्रकट हुए-

- (1) पत्रावली में संलग्न एम०बी० में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित पेज क्रमांक व एम०बी० क्रमांक नहीं पाया गया।
- (2) एम०बी० के अन्त में अवर अभियन्ता द्वारा अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
- (3) उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली- 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्य की भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/ बालू/ गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम०एम०-11 या फार्म -3सी न होने पर निर्धारित दर से रॉयल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। परन्तु उक्त कार्य में रॉयल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।
- (4) उक्त कार्य में प्राक्कलन एवं एम०बी० में निम्न सीमा तक विचलन पाया गया-

क्रमांक	आईटम	स्टीमेट			एम0बी0		डिफरेंस
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि
1	ई0/डब्लू इज कटिंग	1488.38	112.00	166698.50	1080.59	121026.00	45672 (27%)
2	रिलाइंग ब्रिक सोलिंगलैडन एज	2016.00	83.00	167328.00	1622.61	134676.00	32652 (19.51%)
3	बी0ओ0ई0 सोलिंग विद एम-275 ब्रिक एंड फीलिंग आफ ज्वाइंट विथ लोकल अर्थ	1449.00	434.00	628866.00	1248.30	541762.00	87103 (13.8%)
4	फोटोग्राफी	1	1000.00	1000.00	-	-	1000 (100%)
5	साइनबोर्ड	1	5000.00	5000.00	-	-	5000 (100%)
योग							171427.00

उक्त सभी विचलन सारवान है तथा 10 प्रतिशत से अधिक है जिसके लिए नियम- 8 व 15 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुयी है। अतः उक्त कार्य में कुल राशि रुपये- 171427.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी ब्लॉक प्रमुख व लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त राशि रुपये, 171427.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या-27धनराशि-171427.00**

प्रस्तर संख्या-33 चतुर्थ राज्य वित्त से कराए गए कार्य जदवापुर रोड से जदवापुर नाला तक खड्गज्जा मरम्मत कार्य (600 मी० * 3.30 मी०) से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न तथ्य प्रकट हुए-

(1) पत्रावली में संलग्न एम०बी० में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित पेज क्रमांक व एम०बी० क्रमांक नहीं पाया गया।

(2) एम०बी० के अन्त में अवर अभियन्ता द्वारा अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(3) उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली- 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्य की भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/ बालू/ गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम०एम०-11 या फार्म -3सी न होने पर निर्धारित दर से रॉयल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। परन्तु उक्त कार्य में रॉयल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

(4) उक्त कार्य में प्राक्कलन एवं एम०बी० में निम्न सीमा तक विचलन पाया गया-

क्रमांक	आईटम	स्टीमेट			एम0बी0		डिफरेंस
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि
1	ई0/डब्लू इज कटिंग	866.25	112	97020	168.52	86074	10945.76 (11.28)

2	फोटोग्राफी	1	1000	1000	-	-	1000 (100%)
3	साइनबोर्ड	1	5000	5000	-	-	5000 (100%)
योग							16945.76

उक्त विचलन सारवान है तथा 10 प्रतिशत से अधिक है। जिसके लिए नियम 8 व 15 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुयी है। अतः उक्त कार्य में कुल धनराशि रुपये- 16945.76 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख व लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त राशि रुपये 16945.76 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-28धनराशि-16945.76

प्रस्तर संख्या-34 चतुर्थ राज्य वित्त से कराए गए निर्माण कार्य- ग्राम पंचायत अरियामऊ में सी०सी० रोड से जदवापुर पक्की रोड तक खण्डज्जा मरम्त कार्य (460 मी० × 3.30 मी०) से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न तथ्य प्रकट हुए-

- (1)) पत्रावली में संलग्न एम०बी० में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित पेज क्रमांक व एम०बी० क्रमांक नहीं पाया गया।
- (2) एम०बी० के अन्त में अवर अभियन्ता द्वारा अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर नहीं किए गए है।
- (3) उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली- 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्य की भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/ बालू/ गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम०एम०-11 या फार्म -3सी न होने पर निर्धारित दर से रॉयल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। परन्तु उक्त कार्य में रॉयल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।
- (4) उक्त कार्य में प्राक्कलन एवं एम०बी० में निम्न सीमा तक विचलन पाया गया-

क्र मां क	आईटम	स्टीमेट			एम०बी०		डिफरेंस
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि
1	डिसमेंटलिंग आफ ब्रिक	1380	9	12420	1537.03	1383	1413.27 (11.37%)
2	ई०/डब्लू इज कटिंग	627.90	112	70324.8	530.77	59446	10879 (15.46%)
3	फोटोग्राफी	1	1000	1000	-	-	1000 (100%)
4	साइनबोर्ड	1	5000	5000	-	-	5000 (100%)
योग							18292.27

उक्त सभी विचलन सारवान है तथा 10 प्रतिशत से अधिक है। जिसके लिए नियम- 8 व 15 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ-साथ ठेकेदार को अनुचित लाभ भी पहुंचाया गया है। अतः उक्त कार्य में कुल राशि रुपये- 18292.27 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख व लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त राशि रुपये- 18292.27 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या-29धनराशि-18292.27**

प्रस्तर संख्या-35 चतुर्थ राज्य वित्त से कराए गए निर्माण कार्य- ग्राम पंचायत नोहरेपुर प्राथमिक विद्यालय से नवनपुरवा तक खड्गज्जा निर्माण कार्य (300 मी० × 3.30 मी०) से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच निम्न तथ्य से प्रकट हुए-

(1)) पत्रावली में संलग्न एम०बी० में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित पेज क्रमांक व एम०बी० क्रमांक नहीं पाया गया।

(2) एम०बी० के अन्त में अवर अभियन्ता द्वारा अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(3) उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली- 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्य की भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/ बालू/ गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम०एम०-11 या फार्म -3सी न होने पर निर्धारित दर से रॉयल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। परन्तु उक्त कार्य में रॉयल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

(4) उक्त कार्य में प्राक्कलन एवं एम०बी० में निम्न सीमा तक विचलन पाया गया-

क्रमांक	आईटम	स्टीमेट			एम०बी०		डिफरेंस
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि
1	ई०/डब्लू इज कटिंग आर इन इम्बार्कमेंट	472.37	112	52905	396.16	44370	8535 (16.13%)
2	फोटोग्राफी	1	500	500	-	-	500 (100%)
3	साइनबोर्ड	1	6000	6000	-	-	6000 (100%)
योग							15035.00

उक्त सभी विचलन सारवान है तथा 10 प्रतिशत से अधिक है। जिसके लिए नियम- 8 व 15 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ-साथ ठेकेदार को अनुचित लाभ भी पहुंचाया गया है। अतः उक्त कार्य में कुल राशि रुपये- 15035.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख व लेखाकार श्री लल्लूराम उत्तरदायी है। अतः उक्त राशि रुपये- 15035.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-30धनराशि-15035.00

4. क्षेत्र पंचायत रामनगर वर्ष 2018-19

जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर संख्या- 36 ग्राम पंचायत मड़ना के ग्राम हरि नरारयनपुर में सी0सी0 रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराया गया। कार्य की लम्बाई 82.50 मी0, अनुमानित लागत- 349000.00 टेण्डर लागत 348302.00, वास्तविक लागत 335220.00 तथा जो कार्य योजना में क्रमांक-(13) पर दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न गम्भीर आपतियों प्रकाश में आयीं।

1. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 पेज नं0 730 में उल्लिखित ठेका की शर्तों खण्ड 2 ग के अनुसार समय ठेके का सार तत्व है। तथा ठेकेदार टेण्डर में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा। इस अवधि की गणना उस दिनांक से की जायेगी जब ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिया जाये।

उक्त कार्य का कार्यादेश पत्रांक 237 दिनांक 09.05.2018 को ठेकेदार मेसर्स जुगल किशोर को कार्य एक माह में पूर्ण करने का आदेश दिया गया किन्तु एम0बी0 के अनुसार दिनांक 15.05.2018 को प्रारम्भ कर दिनांक 25.06.2018 को समाप्त किया जाना दर्शित है। अतः निर्माण कार्य (16) दिवस विलम्ब से पूर्ण किया गया। विलम्ब से कार्य पूर्ण करने के कारण ठेकेदार के बिलों से अर्थ दण्ड नहीं वसूला गया जबकि वास्तविक लागत का 10 प्रतिशत अर्थ दण्ड 3352.00 वसूली ठेकेदार के बिलों से होनी चाहिए थी। उक्त की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों- लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी वांछित है।

2. उक्त कार्य के प्राक्लन के बिल ऑफ क्वान्टिटी में एम - 150 ब्रिक वर्क 1:4 में दर 4070/से.मी. है जबकि संलग्न ऐनालिसिस ऑफ रेट के अनुसार ब्रिक वर्क 1:4 में सीरियल नंबर-305 बी की दर 4970-00 होना चाहिए | बिल ऑफ क्वान्टिटी एमबी तथा एमबी में दर 4070/सेमी किया गया है जो वास्तव में ब्रिक वर्क 1:6 की दर है (ऐनालिसिस ऑफ रेट सीरियल नंबर .305 बी) के अनुसार इस प्रकार बॉक्सिंग कार्य में ब्रिक वर्क 1:4 में न कराकर वास्तव में 1:6 में कराया गया है | इस प्रकार कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित कर कार्य कराया गया है | कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित कर कार्य कराया जाना अनियमित है | जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

3. उक्त कार्य से सम्बन्ध में संलग्न अनुमोदित कार्य योजना (वर्ष 2017-18) में अंकित क्रमांक (13) पर उक्त कार्य ग्राम पंचायत मड़ना हरि नरारयनपुर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य 350 मी0 दर्शित है जबकि वास्तविक रूप में 82.50 मी0 का ही सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराया गया है। कार्य योजना में दर्शित कार्य को स्थानीय आवश्यकतानुसार तैयार किया जाता है। ऐसी दशा में उक्त कार्य को 350 मी0 के स्थान पर मात्र 82.50 मी0 ही कराना यह प्रकट करता है कि कार्य स्थानीय आवश्यकता एवं उद्देश्य के विपरीत जाकर अधूरा कराया गया। अधूरा कार्य अपनी स्थानीय आवश्यकता एवं उद्देश्य के विपरीत जाकर अधूरा कराया गया। अधूरा कार्य स्थानीय आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। ऐसा कराया गया कार्य अनियमितता की श्रेणी में है। इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही वांछित है।

अतः आपति के उक्त बिन्दुओं (1)(2)(3) के आलोक में उक्त कार्य में निर्माण कार्य पर किया गया कुल व्यय 335220.00 अनियमित है। इस अनियमितता के लिए सम्बन्धित , खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है जिनपर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | **मूल आपति संख्या.02 धनराशि.335220.00**

प्रस्तर संख्या- 37 प्रमाणकों की जांच एवं मिलान में यह गंभीर तथ्य प्रकाश में आया कि ग्रांट 2 रजिस्टर के पेज नं0 (50) के अनुसार- इंदिरा आवास योजना 31.03.2016 को समाप्त होने के उपरान्त जिला ग्राम्य विकास अधिकारी बाराबंकी के पत्रांक- 1086/परि0ले0ई0आ0यो0प्रा0मद/2018-19 दिनांक 07.07.2018 के अनुसार इन्दिरा आवास प्रसंगिक पद के अवशेष धनराशि डी0आर0डी0ए0 को वापस करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में खण्ड

विकास अधिकारी रामनगर के द्वारा परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 को अपने पत्रांक- 682/आंकिक/ईआ0प्रास0मद0/2018-19 दिनांक 13 जुलाई 2018 के माध्यम से इंदिरा आवास प्रासंगिक मद की अवशेष धनराशि रू0 151149.00 चेक संख्या- 036567/दिनांक 11.01.2018 के द्वारा प्रेषित (वापस) कर दी गयी। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि ग्रांट 2 रजिस्टर के पेज नं0 (50) के अनुसार इन्दिरा आवास प्रासंगिक मद (कांटीजेंसी मद) में 01.04.2017 को मात्र 3215.00 का अवशेष था। ग्रांट 2 रजिस्टर के पेज नं0 (67) पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रासंगिक मद में दिनांक 11.07.2018 को 715673.00 अवशेष था। इसमें इंदिरा आवास प्रासंगिक मद की मात्र 3215.00 की धनराशि ही समाहित थी। ऐसी दशा में डी0आर0डी0ए0 को 151149.00 की इंदिरा आवास प्रासंगिक मद की धनराशि वापस करना अत्यन्त आपत्तिजनक है। इंदिरा आवास प्रासंगिक मद की अवशेष धनराशि 3215.00 को ही डी0आर0डी0ए0 को वापस करना चाहिए था। इस प्रकार रू0 151149.3215+147934.00 की धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रासंगिक मद से सम्बन्धित धनराशि डी0आर0डी0ए0 को वापस करना गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार तथा लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा समान रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति समुचित कार्यवाही वांछित है।

मूल आपति संख्या.03 धनराशि.147934.00

प्रस्तर संख्या-38 प्रमाणको की जांच एवं मिलान में यह गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियों में विभिन्न सामाग्री क्रय की गयी, किन्तु क्रय सामाग्रियों के सम्बन्ध में विभिन्न फर्मों/विक्रेताओं के कोटेशन नहीं प्राप्त किये गये जबकि शासनादेश संख्या ए-1-864/10.08.2015(1)/86 दिनांक 23 दिसम्बर 2008 के अनुसार 20000.00 से अधिक के क्रय में कम से कम तीन कोटेशन प्राप्त करने चाहिए थे। परन्तु आलोच्य वर्ष में उक्त नियम का पालन नहीं कर शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय औचित्य सिद्धान्त का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार तथा लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी के प्रति समुचित कार्यवाही की जानी वांछित है। विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	फर्म/विक्रेता का नाम	क्रय सामग्री का नाम	बिल संख्या/दिनांक	ग्रांट 2 रजिस्टर पेज नं0 एवं दिनांक	चेकर्स एवं दिनांक	क्रय धनराशि
	मेसर्स अम्बे एडवर्टाइजिंग कम्पनी बाराबंकी	स्टेशनरी क्रय	198/11.06.2018	51/11.06.2018	038562/11.06.2018	21027.00
	मेसर्स अभय कान्ट्रक्टर्स एण्ड सप्लायर्स	प्रपत्र छपवाई एवं रजिस्टर क्रय	40 एवं 41 21.07.18	67/18.09.201 8	037183 एवं 18.09.2018	31087.00
					कुल योग-	52114.00

मूल आपति संख्या.04 धनराशि-52114.00

प्रस्तर संख्या- 39 प्रमाणकों की जाँच एवं मिलान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मेसर्स पी0के0ट्रेडर्स गोण्डा को विभिन्न तिथियों को कार्यालय कम्प्यूटर सामाग्री क्रय की गयी थी, उसका कुल रू0 27190.00 का भुगतान दिनांक 18.07.18 को चेक संख्या 038566 दिनांक 11.07.18 के माध्यम से एक साथ किया गया है। भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रासंगिक मद से ग्रांट 2 रजिस्टर पेज नं0-67 पर दिनांक 11.07.2018 को दर्शित है। इस सम्बंध में

विभिन्न फर्मों/विक्रेताओं से कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 20000.00 से ज्यादा धनराशि के सामग्री क्रय भुगतान के लिए कोटेशन प्राप्त करना चाहिए था। संस्था स्तर पर कोटेशन लेने से बचने के लिए विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय दर्शित की गयी एवं भुगतान सम्बंधित फर्म को एक साथ किया गया है। ऐसा करना उचित नहीं है। सामग्री क्रय में निश्चित रूप वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का उल्लंघन कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस सम्बंध में समुचित कार्यवाही वांछित है।

क्रम संख्या	बिल संख्या / दिनांक	बिल की धनराशि
01	090/27-04-2018	6499-00
02	078/11-04-2018	6150-00
03	097/17-05-2018	3600-00
04	098/17-05-18	3200-00
05	096/17-05-2018	7741-00
	योग	27190-00

मूल आपति संख्या.05 धनराशि.27190.00

प्रस्तर संख्या-40 प्रमाणकों की जांच एवं मिलान में यह गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि प्रधानमंत्री मद से ग्रांट 2 रजिस्टर के पेज नं०- पर आर०टी०जी०एस० के माध्यम से चेक सं० 037325 के द्वारा दिनांक 01.01.2019 को 40040.00 का भुगतान मेसर्स एडवान्स इलेक्ट्रानिक बाराबंकी को इनवर्टर एवं बैटरी आपूर्ति हेतु किया जाना दर्शित है। उक्त सामग्री क्रय के सम्बंध में प्रमाणक (वाउचर) व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ और न ही स्टाक रजिस्टर पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ। उक्त खरीद में कोटेशन भी प्राप्त हुआ।

अतः उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा साधारण लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (इ) तक के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय कर अनियमितता की गई है जिसे वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या.06 धनराशि.40040.00

प्रस्तर संख्या- 41 जी०एस०टी० अधिनियम 2017 के अध्याय 10 के रूल 66, धारा 51(1) डी०, 51(2), 51(6) के अन्तर्गत राजकीय आहरण वितरण अधिकारी (डी०डी०ओ०) को जी०एस०टी० के अन्तर्गत एस०जी०एस०टी० 01 प्रतिशत सी० जी०एस०टी० 01 प्रतिशत कुल 02 प्रतिशत जी०एस०टी० की कटौती ठेकेदारों के बिलों से किया जाना चाहिए था। परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों के देयकों में 12 प्रतिशत जी०एस०टी० जोड़कर भुगतान किया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है। होना ये चाहिए था थी 10 प्रतिशत जी०एस०टी० ठेकेदारों के बिलों में जोड़कर भुगतान होना चाहिए एवं 2 प्रतिशत जी०एस०टी०, डी०डी०ओ० द्वारा स्वयं ठेकेदार के बिलों काटकर भुगतान किया जाना चाहिए। संलग्न निर्माण कार्यों की सूची के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त में ₹० 9800554, विधायक निधि में ₹० 1259560 तथा आँगनवाडी केन्द्र निर्माण में ₹० 6124343 कुल ₹० 17184457 (12 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित) ठेकेदारों को भुगतान किया गया। जिसका 2 प्रतिशत धनराशि ₹० 306865 का टी०डी०एस० कटौती न कर खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार द्वारा अनियमितता की गयी है, जिस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपति संख्या.08 धनराशि.306865.00

प्रस्तर संख्या-42 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम (24) के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले ठेकेदारों द्वारा अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत बयाने की धनराशि जमा की जायेगी तभी वे टेण्डर प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। विकास खण्ड स्तर पर निर्माण कार्यों के टेण्डर प्रक्रिया

में निम्नलिखित ठेकेदारों ने टेण्डर प्रक्रिया में प्रतिभाग किया था। एवं उनका टेण्डर अस्वीकृत हो गया था, उनके द्वारा बयाने की धनराशि ₹0 132710.00 जमा करने की पुष्टि निर्माण पत्रावली से नहीं हुई। टेण्डर प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए बयाने की धनराशि जमा न करना अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। इस गम्भीर अनियमितता के लिए सम्बंधित, खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा समान रूप से उत्तरदायी हैं। सम्बंधित उत्तरदायी हैं। सम्बंधित उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति उचित कार्यवाही वांछित है।

(संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार)

क्रमांक	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम जिनका टेण्डर ठेका अस्वीकृत हो गया	कार्य की अनुमानित लागत	2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जो ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की गयी।
01	रामनगर तहसील परिसर में वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के बैठने हेतु एवं बरामदा निर्माण	मे0 जुगुल किशोर का0 कम्पनी	466700-00	9334-00
02	ललूपुर से भागीरथ पुरवा तक अवशेष खडण्जा कार्य	(01) मे0 जुगुल किशोर का0 कम्पनी (02) मे0 गौरी का0 कम्पनी	226300-00	4526-00
03	खण्ड विकास अधिकारी के आवास की रंगाई पुताई व अन्य कार्य	मे0 जुगुल किशोर का0 कम्पनी	349300-00	6986-00
04	सूरतगंज रोड से चंदीपुर मंदिर तक खडण्जा निर्माण कार्य (राज्य वित्त)	मे0 जुगुल किशोर कम्पनी	1094300-00	21886-00
05	विकास खण्ड कार्यालय की रंगाई पुताई एवं मरम्मत का कार्य (राज्य वित्त)	(01) मे0 जुगुल किशोर का0 कम्पनी (02) मे0 गौरी का0 कम्पनी	454000-00	8080-00 9080-00
06	बिलखिया डामर रोड से अतरौली तक खडण्जा निर्माण कार्य	(01) मे0 अम्बरीश कुमार (02) मे0 गौरी का0 कम्पनी	988300-00	19766-00 19766-00
07	साधन सह0 समि0 विछलखा का मरम्मत कार्य (राज्य वित्त)	(01) मे0 गौरी का0 कम्पनी (02) मे0 अम्बरीश कुमार	366000-00	7320-00 7320-00

08	रामकरन के घर से गोन्दौरा मार्ग तक इण्टर लाकिंग कार्य (राज्य वित्त से)½	(01) मे0 गौरी का0 कम्पनी (01) मे0 जुगल किशोर का0 कम्पनी	328000-00	6560-00 6560-00
			कुल योग	132710-00

मूल आपति संख्या-09 धनराशि-132710.00

प्रस्तर संख्या-43 आलोच्य वर्ष में कतिपय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में मात्र दो टेण्डर प्राप्त किये गये एवं दो ठेकेदारों के मध्य ही तुलनात्मक समीक्षा कर कार्य के ठेका का आवंटन किया गया। जबकि निर्माण कार्य को ठेके पर कराने के लिए कम से कम तीन निविदाएँ प्राप्त होनी चाहिए थी। यदि प्रथमबार में मात्र दो निविदाएँ प्राप्त होती हैं तो पुनः निविदा आमंत्रित करनी चाहिए थी जो नहीं किया गया एवं दो निविदाओं के मध्य ही तुलनात्मक समीक्षा कर ठेके का आवंटन कर दिया गया। ऐसा कर ठेका आवंटन में गम्भीर अनियमितता की गयी। इस गम्भीर अनियमितता के लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार तथा लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा समान रूप से जिम्मेदार हैं। सम्बन्धित उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति समुचित कार्यवाही वांछित है। ऐसे निर्माण कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	कार्य की वास्तविक लागत
1	वि०खण्ड में वाहन गैराज उच्चीकरण कार्य (राज्य वित्त से)	1-मे0अम्बरीश कुमार (ठेका स्वीकृत) 2-मे0जुगल किशारे (अस्वीकृत)	301500-00	298433-00
2	खण्ड विकास अधिकारी आवास की रंगाई-पुताई एवं मरम्मत कार्य (राज्य वित्त से)	1-मे0अम्बरीश कुमार (ठेका स्वीकृत) 2-मे0जुगल किशारे (अस्वीकृत)	349300-00	345511-00
3	सूरतगंज रोड से संदीपुर मंदिर तक खडपजा निर्माण कार्य (राज्य वित्त से)	1-मे0अम्बरीश कुमार (ठेका स्वीकृत) 2-मे0जुगल किशारे (अस्वीकृत)	1094300-00	320095-00
4	गणेशपुर डामर रोड से लोहटीजई सी०सी०रोड निर्माण(राज्य वित्त से)	1-मे0जुगल किशारे (ठेका स्वीकृत) 2-मे0अम्बरीश कुमार (अस्वीकृत)	407100-00	398667-00

5	राम प्रसाद के घर से शाहपुर भीखा सम्पर्क से मिश्रीलाल की बाग तक खडण्जा निर्माण कार्य (राज्य वित्त से)	1-मे0जुगुल किशारे (ठेका स्वीकृत) 2-मे0अम्बरीश कुमार (अस्वीकृत)	260000-00	252043-00
6	कुम्हरवन पुरवा से अहिरन पुरवा तक (राज्य वित्त से)	1-मे0अम्बरीश कुमार (ठेका स्वीकृत) 2-मे0जुगुल किशारे (अस्वीकृत)	1456200-00	1431148-00
7	लालपुर में चरे पुरवा सम्पर्क मार्ग से मिश्रीलाल के घर तक अवशेष खडण्जा निर्माण कार्य (राज्य वित्त से)	1-मे0जुगुल किशारे (ठेका स्वीकृत) 2-मे0अम्बरीश कुमार (अस्वीकृत)	386500-00	377997-00
8	सूरत गंज रोड से चन्दी मन्दिर तक खडण्जा निर्माण	1-मे0अम्बरीश कुमार 2-मे0जुगुल किशारे	1094300-00	1075015-00
9	मड़ना के ग्राम हरिनारायन पुर में सी0सी0रोड निर्माण	1-मे0जुगुल किशारे 2-मे0अम्बरीश कुमार	349000-00	335220-00
10	वि0खण्ड परिसर में सी0सी0रोड का निर्माण	1-मे0जुगुल किशारे	848100-00	809084-00
11	तहसील परिसर में अधिवक्ताओं एवं वाद कार्यों के बैठने हेतु खुला बराबदा का निर्माण	2-मे0अम्बरीश कुमार	466700-00	450476-00
		कुल योग		6093689-00

मूल आपति संख्या.10 धनराशि.6093689.00

प्रस्तर संख्या-44 आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में यह प्रकाश में आया कि ऐसे ठेकेदार जिनका कि टेण्डर प्रक्रिया में निविदा अस्वीकृत हो गयी थी, उनसे निविदा में सम्मिलित होने के लिए अल्पकालीन निविदा के नोटिसमें विन्दु संख्या-1 के अनुसार जो शर्तें निर्धारित थी, उनको पूरा न करने के उपरान्त भी टेण्डर प्रक्रिया सम्मिलित किया गया। विन्दु सं01 में उल्लिखित है कि उन्हीं ठेकेदारों की निविदा पर विचार किया जायेगा जिनके हसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, 100 रु0 के स्टाम्प पर नोटरी सहित निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराये जायेंगे किन्तु ठेकेदारों द्वारा उक्त प्रपत्र उपलब्ध न कराये जाने के उपरान्त भी टेण्डर प्रक्रिया में शामिल किया गया है एवं टेण्डर प्रक्रिया में अनियमितता बरती गयी। ऐसा किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। इस अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा समान रूप से उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही वांछित है।

क्रम सं०	निर्माण कार्य का नाम	ऐसे ठेकेदार के नाम जिनके द्वारा वांछित प्रपत्र प्रस्तुत न करने के उपरान्त भी टेण्डर प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया।	कार्य की अनुमानित लागत	कार्य की वास्तविक लागत
1	रामप्रसाद के घर से शाहपुर भीखा सम्पर्क मार्ग से अवशेष खडण्जा कार्य (राज्य वित्त से)	मे०अम्बरीश कुमार	260000-0	252043-00
2	कुम्हारन पुरवा से अहिरत पुरवा तक खडण्जा निर्माण कार्य (राज्य वित्त से)	मे०अम्बरीश कुमार	1456200-00	1431148-00
3	ललूपुर में चेरे पुरवा सम्पर्क मार्ग से मिश्रीलाल के घर तक अवशेष खडण्जा निर्माण कार्य (राज्य वित्त से)	मे०अम्बरीश कुमार	386500-00	377997-00
4	खण्ड विकास अधिकारी के आवास की मरम्मत, रंगाई पुताई व अन्य कार्य (राज्य वित्त से)	मे०जुगुल किशारे	349300-00	345511-00
5	सूरतगंज रोड से चंदीपुर मंदिर तक खडण्जा निर्माण कार्य (राज्य वित्त से)	मे०जुगुल किशारे	1094300-00	320095-00
		योग		2726794-00

मूल आपति संख्या.11 धनराशि.2726794.00

प्रस्तर संख्या-45 पंचायती राज विभाग के शासनादेश सं० 1639/33-3/2015-03/2015 दिनांक 19.जून 2015 के द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया। जिसके अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि का 50 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत स्तर पर पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव (सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियों का रख-रखाव) पर व्यय किया जायेगा। शेष धनराशि से नये निर्माण कार्य कराये जा सकेंगे। उक्त शासनादेश के आलोक में जांच में प्रकाश में आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्रांट तृतीय रजिस्टर के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद में कुल 9912491.00 का व्यय किया गया। जिसका 50 प्रतिशत 4956246.00 शासनादेश के अनुसार मरम्मत कार्यों (अनुरक्षण) पर व्यय किया जाना चाहिए था। किन्तु लेखा परीक्षा प्रतिवेद के साथ संलग्न निर्माण कार्यों के विवरण प्रारूप 1 के अनुसार क्रमांक 11 से 18 तक पर दर्शित मरम्मत कार्यों पर कुल व्यय मात्र 3803422.00 ही किया गया है। इसप्रकार मरम्मत कार्यों (अनुरक्षण रख-रखाव कार्यों) परमानक से 1152824.00 (4956246-3803422.00=1152824.00) कम कर व्यय किया गया है एवं नए कार्यों पर इतनी ही धनराशि से ज्यादा से ज्यादा कर कुल 6109069.00 का व्यय किया गया है। इसप्रकार सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव/ अनुरक्षण (पुराने कार्यों के मरम्मत) पर मानक के अनुरूप व्यय न

कर 1152824.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा समान रूप से उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही वांछित है।

मूल आपति संख्या.12 धनराशि.1152824.00

प्रस्तर संख्या-46 व्यय प्रमाणकों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्रांट द्वितीय रजिस्टर पेज सं0(9) पर दिनांक 17.09.2018 को मनरेगा प्राथमिक मद में वाहन सं0 यूपी41जी4046 की सर्विसिंग हेतु 15000.00 का अग्रिम भुगतान देवी प्रसाद गुप्ता जीप चालक को किया गया। श्री देवी प्रसाद गुप्ता मेसर्स एस0आर0एम0 मोटर प्राइवेट लि0 द्वारा प्रदत्त 10835.00 का सर्विसेज चार्ज बिल समायोजन हेतु प्रस्तुत किया गया। अग्रिम की अवशेष धनराशि (15000-10835) 4165.00 नकद वापस किये जाने का उल्लेख है किन्तु ग्रांट द्वितीय रजिस्टर में दिनांक 04.10.2018 को मात्र 2865.00 वापस करना अंकित है शेष 1300.00 (4165-2865=1300) अग्रिम से समायोजित नहीं कराया गया। क्योंकि ग्रांट द्वितीय रजिस्टर मनरेगा कांटीजेंसी मद में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अतः लिये गये अग्रिम की अवशेष धनराशि 1300.00 की वापसी जीप चालक श्री देवीप्रसाद गुप्ता से अविलम्ब करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों- खण्डविकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा से समान रूप से वसूली वांछित है।

मूल आपति संख्या.13

धनराशि.1300.00

प्रस्तर संख्या-47 निर्माण पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री का भुगतान सम्बन्धित फ़र्मों का न कर कार्य प्रभारी ए0डी0ओ0 (पं0) श्री श्याम कृष्ण श्रीवास्तव को किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा भुगतान सम्बन्धी फ़र्मों को न कर कार्य प्रभारी श्री श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ए0डी0ओ0 (पं0) को किया जाना अनियमितता एवं आपत्तिजनक है। उक्त प्रकरण पर उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं	कार्य का नाम	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	आंगनबाड़ी भवन रामनगर मरम्मत एवं रंगाई-पुताई	94763-00	श्री श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ए0डी0ओ0 (पं0)
2	सहायक विकास अधिकारी (पं0) के संसाधन केन्द्र में सफाई, रंगाई पुताई विद्युतीकरण कार्य	87064-00	उपरोक्त
3	विकास खण्ड के सभाकक्ष की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण	87526-00	उपरोक्त
	योग	269353-00	

मूल आपति संख्या-14 धनराशि-269353.00

1-क्षेत्र पंचायत -अहिरौला**जनपद -आजमगढ़****मण्डल -आजमगढ़****लेखा परीक्षा वर्ष -2017-18 से 2020-21**

प्रस्तर -1 क्षेत्र पंचायत अहिरौला में वर्ष 2020-21 में 15 वां केन्द्रीय वित्त योजना के अन्तर्गत रु0 6895418.00(अनटाइड) व रु0 2496920.00 (टाइड)पर व्यय किया गया है , किन्तु लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई । इस प्रकार कुल रु0 9392338.00 की निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई , जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी (1) श्री आजम अली (2)श्री विनोद विन्द , एवं लेखाकार -श्री महेंद्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -2

क्षेत्र पंचायत अहिरौला में वर्ष 2019-20 में 4 राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत रु0 6380713.00 सा0 निर्माण कार्य पर व्यय किया गया , किन्तु लेखा परीक्षा दौरान रु0 5775622.00 की सा0 निर्माण कार्य पत्रावली उपलब्ध रही । इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में 5 राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत रु0 7867525.00 व्यय किया गया है , किन्तु लेखा परीक्षा दौरान रु0 1862000.00 की सा0 निर्माण कार्य पत्रावली उपलब्ध रही । इस प्रकार रु0 6610616.00 की निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई , जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी (1) श्री आजम अली (2)श्री विनोद विन्द एवं लेखाकार -श्री महेंद्र सिंह से की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्न प्रकार से है

क्रम सं.	वर्ष	राज्य वित्त योजना	कुल व्यय धनराशि	लेखा परीक्षा में उपलब्ध निर्माण पत्रावली	लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध निर्माण पत्रावली
1.	2019-20	4	6380713.00	5775622.00	605091.00
2.	2020-21	5	7867525.00	1862000.00	6005525.00
		योग -	14248238.00	7637622.00	6610616.00

प्रस्तर -3

क्षेत्र पंचायत अहिरौला में वर्ष 2020 -21 में विधायक निधि योजना के अन्तर्गत रु0 732000.00 व्यय किया गया है , किन्तु लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई । इस प्रकार रु0 732000.00 की निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई , जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी (1) श्री आजम अली (2)श्री विनोद विन्द एवं लेखाकार -श्री महेंद्र सिंह से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर -4

आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित)की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है । आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे । वर्षांत 2020-21 में आयकर कटौती से प्राप्त धनराशि रु0 566951.00 राजकीय कोष में जमा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई

,जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी (1) श्री आजम अली (2)श्री विनोद विन्द एवं लेखाकार -श्री महेंद्र सिंह से की जानी अपेक्षित है ।

**2-क्षेत्र पंचायत -अतरौलिया
लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21**

प्रस्तर -5

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में देखा गया कि निम्नलिखित मद /योजना की धनराशि वर्षांत में दिनांक 31.03.2021 खाते में अवशेष पड़ी है ,जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं.	योजना/मद का नाम	31.03.2021 को अवशेष धनराशि
1.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	76135.00
2.	पंचायत निर्वाचन	6030.00
3.	टेंडर जमानत धनराशि	101280.82
	योग -	183445.82

उक्त अवशेष धनराशि ₹0 183445.82 को संबंधित विभाग को समर्पित /जमा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आजम अली एवं श्री विनोद कुमार विन्द संयुक्त रूप से उत्तरदायी है अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

3- क्षेत्र पंचायत - पवई

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -6

आंगनवाड़ी योजना की धनराशियों की वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई आय-व्यय नहीं हुआ है । आय व उपभोग न होने के कारण संबंधित विभाग को वापस कर दिया जाना अपेक्षित है । विवरण निम्न है-

क्रम सं.	योजना का नाम	धनराशि
1.	आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण	185945.00
	योग -	185945.00

4-क्षेत्र पंचायत - हरैया**लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21****प्रस्तर -7**

निम्नलिखित योजनाओं की धनराशियों की वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई भी अनुदान न प्राप्त हुआ न ही वित्तीय वर्ष में कोई उपभोग किया गया है ना ही अवशेष धनराशि से संबंधित विभाग को वापस किया गया है । संबंधित योजना की धनराशि वापस न करके लेखाकार श्री राजेश्वर प्रसाद व खण्ड विकास अधिकारी श्री इरशाद अहमद द्वारा अनियमितता की गयी है । जिसका विवरण निम्नलिखित है -

क्रम सं.	योजना का नाम	धनराशि
1.	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	529775.00
2.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	163328.00
3.	बी. आर. जी. एफ.	107400.00
	योग -	800503.00

5- क्षेत्र पंचायत -फूलपुर**लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21****प्रस्तर -8**

आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित)की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है । आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे । वर्षांत 2020-21 में आयकर कटौती से प्राप्त धनराशि रु0 330488.00 राजकीय कोष में जमा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई ,जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार पूर्णरूप से जिम्मेदार है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -9

क्षेत्र पंचायत फूलपुर में वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त /4/5 राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत रु0 9409706.00 व्यय किया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में रु0 3236437.00 की निर्माण पत्रावली प्रस्तुत की गयी । इस प्रकार कुल रु0 6173269.00 लाख की निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई , जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -10

क्षेत्र पंचायत फूलपुर में वर्ष 2020-21 में 15 वां केन्द्रीय वित्त योजना के अन्तर्गत रु0 6417026.00 व्यय किया गया है , किन्तु लेखा परीक्षा में रु0 3628420.00 की निर्माण पत्रावली प्रस्तुत की गई । इस प्रकार कुल रु0 2788606.00 की निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई , जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर -11

जी एस टी ऐक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार 2%की दर से स्रोत पर कटौती व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी है दिनांक 31.03.2021 को जी0 एस0 टी0 मद में रु0 293545.00 अपने पास रोककर रखा गया है । जो कि गंभीर आपत्तिजनक रहा । इसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है ।

6- क्षेत्र पंचायत -मार्टिनगंज

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -12

आलोच्य वर्ष में आयकर के मद में दिनांक 01. 04 2021 को रुपया 13220.00 शेष था। वर्ष में रुपया 301 824.00 की प्राप्ति हुई तथा रुपया 177469 .00 व्यय दर्शित है। इस प्रकार वर्षांत आयकर जमा हेतु रुपया 137575.00 अवशेष रहा। उक्त से स्पष्ट है कि पूर्व वर्षों का अवशेष एवं एवं आलोच्य वर्ष की वसूली में से रुपया 137575.54 आयकर जमा न करके वित्तीय अनियमितता की गई है ,साथ ही आलोच्य वर्ष में जमा आयकर रुपया 177469.00 से संबंधित प्रमाणक की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा इस प्रकार रुपया 117575.00 जमा न करके तथा रुपया 177469 .00 से संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत न करके कुल रुपया 315 044.00 के वित्तीय अनियमितता हेतु प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है । उत्तरदायी श्री आलोक कुमार सिंह खंड विकास अधिकारी श्री शंभू प्रसाद लेखाकार से उक्त धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर -13

आलोच्य वर्ष में जीएसटी से प्राप्त रुपया 130643.00 के सापेक्ष मात्र रुपया 87123.00 जमा दर्शित है । पूर्व के रुपया 17354.00 जमा हेतु अवशेष था। इस प्रकार पूर्व वर्षों में जमा हेतु बकाया एवं आलोच्य वर्ष में रुपया 43520.00 कुल रुपया 60874.00 जमा न करके राजस्व की हानि की गई है। जिसके लिए संस्था के श्री आलोक कुमार सिंह खंड विकास अधिकारी श्री शंभू प्रसाद लेखाकार उत्तरदायी रहे हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही होनी अपेक्षित है।

7- क्षेत्र पंचायत -लालगंज

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -14

आलोच्य वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत बने ग्राम सचिवालय 1. अमिलिया बालडीह व 2. तरफकाजी की जाँच में तत्कालीन अवर अभियंता आर.ई.एस. के दिनांक 20.12.19 की जांच में निर्माणाधीन सचिवालय पर कुल व्यय धनराशि में विचलन पाया गया और उसके जिम्मेदार कर्मचारी से विचलन की धनराशि की वसूली की अनुशंसा की गई।

विचलन की धनराशि 1. अमिलिया बालडीह रु.76000.00

2. तरफकाजी रु. 53000.0

योग-

129000.00

तत्कालीन बी.डी.ओ. श्री अशोक कुमार मौर्या ने उपरोक्त धनराशि की वसूली कार्य प्रभारी सुरेंद्र प्रताप सिंह ए.डी.ओ.सह. से करने के लिए कार्यवाही प्रस्तावित करने की अनुशंसा की गई थी किन्तु आतिथि उक्त धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी है जिसकी जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी सुरेंद्र प्रताप सिंह ए.डी.ओ. सह. व लेखाकार की रही।

प्रस्तर -15

क्षेत्र पंचायत लालगंज की वर्ष 20-2021 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि दिनांक 31.03.2021 को आयकर व जी.एस.टी.की धनराशि क्रमशः 290987.00 व 284916.00 (योग-575,903.00) की कटौती करके राजकीय कोष में जमा नहीं किया जा रहा है जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है अतः उपरोक्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा ।

8- क्षेत्र पंचायत -महराजगंज

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -16

दिनांक 31-03-2021 को जीप अनुरक्षण मद में रु० 19700.00 पूर्व कई वर्षों से यथावत जमा दर्शित है। अवशेष धन को सम्बंधित मद में वापस न करके रु० 19700.00 गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार मिश्र और श्री आकाश सिंह व लेखाकार श्री पवन कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -17

आलोच्य वर्ष 2020-21 में आयकर/जी०एस०टी० मद में रु० 473574.00 प्राप्त हुआ तथा रु० 93629.00 जमा किया गया दर्शित है, जो कि अत्यल्प है। पूर्व वर्ष का अवशेष रु० 18267.00 था। जिसके कारण वर्षान्त में कुल रु० 398212.00 जमा हेतु अवशेष रहा है। उक्त से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान जान बूझ कर मात्र रु० 93629.00 जमा करके शेष धनराशि रु० 398212.00 को खाते में रोका गया है, जिससे राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रकार रु० 398212.00 को जमा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है साथ ही साथ आयकर और जी एस टी को अलग-अलग न रख कर वित्तीय नियमों की अवहेलना की गयी है। उक्त अनियमित धनराशि रु० 398212.00 हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार मिश्र और श्री आकाश सिंह व लेखाकार श्री पवन कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

09-क्षेत्र पंचायत -अजमतगढ़

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -18

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में देखा गया कि दिनांक 31 मार्च, 2021 को आंगनबाड़ी केंद्र मद की धनराशि रु० 203482.00 पड़ी हुई है, जिसे सम्बंधित विभाग को समर्पित / जमा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री इरशाद अहमद एवं तत्कालीन लेखाकार श्री जफ़र मसूद अब्बासी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -19

वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान पंजिका तृतीय की जाँच में पाया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना/मद में माह अप्रैल 2020 का अंतिम अवशेष रु० 272000.00 दर्शित है तथा माह मई 2020 का प्रारम्भिक अवशेष रु० 209648.00 अंकित किया गया है, जबकि माह अप्रैल का अंतिम अवशेष ही माह मई का प्रारम्भिक अवशेष होना चाहिए। किन्तु ग्रांट रजिस्टर तृतीय में मई, 2020 का प्रारम्भिक अवशेष माह अप्रैल, 2020 के अंतिम अवशेष से रु० 62352.00 कम अंकित किया गया है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना / मद से रु० 62352.00 आहरित कर एवं बिना व्यय दर्शित किये अपहरण कर लिया गया है। जांचोपरान्त जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री इरशाद अहमद एवं तत्कालीन लेखाकार श्री जफर मसूद अब्बासी से किया जाना अपेक्षित है।

10-क्षेत्र पंचायत -मुहम्मदपुर

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -20

आलोच्य वर्ष 2020-21 में विधायक निधि से सम्पन्न कराये गये निर्माण कार्यो पर अंकन रु० 751755.00 मजदूरी का भुगतान किया गया जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी-

1. श्रमांश का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में न कर कार्य प्रभारी श्री मिथिलेश राय पदनाम सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को रु० 124722.00 श्री प्रमोद कुमार यादव, ए०डी०ओ० आई०एस०बी० को रु० 279041.00 एवं श्री पशुपति प्रसाद खरे (ए०डी०ओ० सहकारिता) को रु० 347992.00 का भुगतान किया गया।
 2. पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर मस्टररोल कमांक अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।
 3. मस्टररोल पर जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है।
 4. कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं का भी उल्लेख मस्टररोल में नहीं है।
 5. श्रमांश भुगतान निर्माण कार्य समिति से स्वीकृत नहीं है।
 6. पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं रहा की उक्त परियोजनाओं पर विगत पांच वर्ष में कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा भी कार्य नहीं कराया गया है।
- उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य पर किये गये मजदूरी भुगतान में नियमों का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये बी०डी०ओ० श्री संतोष नारायण गुप्ता / जे०ई० श्री जय प्रकाश सिंह/ लेखाकार श्री विजय कुमार तथा कार्य प्रभारी श्री मिथिलेश राय, स.वि.अ., पंचायत, श्री प्रमोद कुमार यादव, स.वि.अ. आई.एस.बी. तथा श्री पशुपति प्रसाद खरे स.वि.अ. सहकारिता समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -21

वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में उपलब्ध निर्माण कार्य के पत्रावली में संलग्न टेबल-03 के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त से रु० 12646269.00 तथा विधायक निधि से 3260620.00 कुल रु० 15906889.00 की सामग्री (फर्म द्वारा चार्ज किये गये जी०एस०टी० को छोड़कर) कय किया गया। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु० 356314.00 टी०डी०एस० काटा जाना था जबकि ग्राण्ट रजि० अनुसार रु० 342304.00 काटा गया है। इस प्रकार टी०डी०एस० रु० 14010.00 से कम कटौती करके राजस्व की क्षति की गई जिसके लिये बी०डी०ओ० श्री संतोष नारायण गुप्ता तथा लेखाकार श्री विजय कुमार समान रूप से उत्तरदायी है।

प्रस्तर -22

वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में उपलब्ध निर्माण कार्य के पत्रावली में संलग्न टेबल-03 के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त से रु० 12646269.00 तथा विधायक निधि से 327620.00 कुल रु० 15906889.00 की सामग्री (फर्म द्वारा चार्ज किये गये जी०एस०टी० को छोड़कर) कय किया गया। जिसपर 2 प्रतिशत की दर से रु० 318138.00 जी०एस०टी० कटौती किया जाना था। जबकि ग्राण्ट रजि० अनुसार रु० 177055.00 काटा गया है। इस प्रकार

जी०एस०टी० रु0 14183.00 से कम कटौती करके राजस्व की क्षति की गई जिसके लिये बी०डी०ओ० श्री संतोष नारायण गुप्ता तथा लेखाकार श्री विजय कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही होनी अपेक्षित है।

प्रस्तर -23

ग्राण्ट रजिस्टर अनुसार 31.03.2021 को रु0 138714.00 जी०एस०टी० कटौती का तथा 270360.00 आयकर कटौती का अवशेष जमा रहा। विकास खण्ड द्वारा प्रायः विलम्ब से आयकर एवं जी०एस०टी० कटौती की धनराशि सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा किया जाता है। जी०एस०टी० एवं आयकर कटौती की धनराशि सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा जिसके लिये बी०डी०ओ० श्री संतोष नारायण गुप्ता तथा लेखाकार श्री विजय कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

11-क्षेत्र पंचायत -पल्हनी

लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20 से 2020-21

प्रस्तर-24

आलोच्य वर्ष 2019.20,20-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अग्र लिखित कार्य विवाद के कारण अधूरे रहे जिससे विकास बाधित हुआ एवं उन कार्यों पर व्यय धनराशि रु. 1199679.00 के दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहती है। इन अधूरे कार्यों के शीघ्र पूरा करने की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रमांक	हस्तगत कार्य का विवरण	अनु० लागत	31 मार्च 21 तक कुल व्यय	वर्ष में प्राप्त धनराशि	वर्षान्त में शेष	वर्षान्त में कार्य की स्थिति
1.	ग्रा.पं. पल्हनी में माली के घर से चन्दा नर्सिंग होम तक सी.सी. रोड निर्माण	9.79 लाख	401604.00	00	00	अपूर्ण
2.	हीरापट्टी में डॉ. अभिमन्यु सिंह के घर से बलेदीन के घर तक इंटर लॉकिंग	4.05 लाख	167030.00	00	00	अपूर्ण
3.	ममरखापुर में काली माँ ... बभनौली माफ़ी संपर्क मार्ग तक खडंजा निर्माण	4.67 लाख	191065.00	00	00	अपूर्ण

4.	बेलागर में पिच रोड से कमलेश के घर तक खडंजा निर्माण	9.96 लाख	272950.00	00	00	अपूर्ण
5.	हीरापट्टी में डॉ. अभिमन्यु सिंह.... बालेदीन के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य। योग	4.05 लाख	167030.00	00	00	अपूर्ण
	योग -		1199679.00			

प्रस्तर -25

क्षेत्र पंचायत पल्हनी की वर्ष 2019-2020 व 2020-21 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि दिनांक 31.03.2021 को आयकर व जी.एस.टी.की धनराशि क्रमशः रु0 58198.00 व 28883.00 की कटौती करके राजकीय कोष में जमा नहीं किया जा रहा है जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है अतः उपरोक्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा।

12-क्षेत्र पंचायत -कोयलसा

लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20 से 2020-21

प्रस्तर -26

आलोच्य वर्ष 2019-20 से 2020-21 की लेखा परीक्षा में देखा गया है कि वर्ष 2019-20 से 2020-21 टैंडर फॉर्म के मद में क्रमशः रु० 42700.00 एवं 38790.00 व्यय किया गया है। व्यय किस मद और किसको किया गया है इस सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। जिससे व्यय की गयी धनराशि अनियमित रही। उक्त अनियमित तरीके से कुल व्यय धनराशि रु० 81490.00 के जिम्मेदार तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह और श्री अखिलेश कुमार मिश्र व लेखाकार श्री पवन कुमार श्रीवास्तव और श्री जगदम्बा दुबे हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -27

आलोच्य वर्ष 2019-20 से 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर-III के आयकर मद में प्राप्तियां एवं जमा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आयकर से प्राप्तियां कई महीने तक रोकर कर एक साथ जमा किया गया है। संस्था पर आयकर की धनराशि को रोक कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। आलोच्य वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 12% ब्याज की दर से कुल रु०15655.00 के ब्याज की हानि पहुंचायी गयी है। विवरण निम्न है -

आय कर कटौती से सम्बंधित विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

	ओपनिंग	आयकर कटौती	आयकर जमा	क्लोजिंग
अप्रैल -2019	00.00	7519.00	--	7519.00

-मई 2019	7519.00	980.00	--	8499.00
जून -2019	8499.00	4834.00	--	13333.00
जुलाई 2019	13333.00	13908.00	--	27241.00
अगस्त 2019	27241.00	--	--	27241.00
सितम्बर - 2019	27241.00	--	--	27241.00
अक्टूबर -2019	27241.00	7023.00	--	34264.00
नवम्बर -2019	34264.00	---	--	34264.00
दिसम्बर - 2019	34264.00	13748.00	--	48012.00
जनवरी -2020	48012.00	11937.00	--	59949.00
फरवरी -2020	59949.00	22358.00	82307.00	00.00
मार्च -2020	00.00	92833.00	--	92833.00
	योग -	175140.00	82307.00	92833.00

आय कर कटौती से सम्बंधित विवरण वित्तीय वर्ष 2020-21

	ओपनिंग	आयकर कटौती	आयकर जमा	क्लोजिंग
अप्रैल -2020	92833.00	15119.00	--	107952.00
-मई 2020	107952.00	---	--	107952.00
जून -2020	107952.00	---	107952.00	00.00
जुलाई 2020	00.00	10407.00	--	10407.00
अगस्त 2020	10407.00	25130.00	--	35537.00
सितम्बर 2020	35537.00	35812.00	--	71349.00
अक्टूबर - 2020	71349.00	53024.00	--	124373.00
नवम्बर -2020	124373.00	---	--	124373.00

दिसम्बर - 2020	124373.00	---	--	124373.00
जनवरी -2021	124373.00	39354.00	--	163727.00
फरवरी -2021	163727.00	86708.00		250435.00
मार्च -2021	250435.00	289362.00	334861.00	204936.00
	योग -	554286.00	442183.00	---

रोके गये आयकर पर ब्याज की गणना 2019-20

	धनराशि	रोके जाने की अवधि	ब्याज की दर	कुल ब्याज
अप्रैल -2019	7519.00	9 माह	12%	676.71
-मई 2019	980.00	8 माह	12%	88.20
जून -2019	4834.00	7 माह	12%	338.38
जुलाई 2019	13908.00	6 माह	12%	834.48
अगस्त 2019	---	--	--	---
सितम्बर - 2019	----	--	--	---
अक्टूबर -2019	7023.00	3 माह	12%	210.69
नवम्बर -2019	----	---	--	---
दिसम्बर - 2019	13748.00	2 माह	12%	274.96
जनवरी -2020	11937.00	1 माह	12%	119.37
फरवरी -2020	---	---	----	---
मार्च -2020	92834.00	2 माह	12%	1856.66
			योग -	4399.45

रोके गये आयकर पर ब्याज की गणना 2020 -21

	धनराशि	रोके जाने की अवधि	ब्याज की दर	कुल ब्याज
अप्रैल -2020	11519.00	1 माह	12%	151.19
-मई 2020	---	---	--	---
जून -2020	----	---	---	---
जुलाई 2020	10407.00	8 माह	12%	832.56
अगस्त 2020	25130.00	7 माह	12%	1759.10
सितम्बर 2020	35812.00	6 माह	12%	2148.72
अक्टूबर -2020	53024.00	5 माह	12%	2660.00
नवम्बर -2020	---	---	--	---
दिसम्बर -2020	----	---	--	---
जनवरी -2021	39354.00	2 माह	12%	787.08
फरवरी -2021	86708.00	1 माह	12%	867.08
मार्च -2021	204936.00	1 माह	12%	2049.36
			योग -	11255.29

आयकर पर कुल ब्याज = 4399.45 + 11255.29

= 15654.74 = 15655.00

इस प्रकार उक्त विवरणों से स्पष्ट है कि आयकर कटौती से संस्था पर रोकी धनराशि पर 12% ब्याज की दर से रु० 15655.00 की वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह और श्री अखिलेश कुमार मिश्र व लेखाकार श्री पवन कुमार श्रीवास्तव और श्री जगदम्बा दुबे से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -28

आलोच्य वर्ष 2019-20 से 2020-21 में जी0 एस0 टी0 की कटौतियाँ बहुत ही अनियमित ढंग से की गयी है तथा कटौती की धनराशियाँ सम्बंधित मद में जमा न कर और संस्था पर रोक कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। ग्रांट रजिस्टर-III के अनुसार जी0 एस0 टी0 मद में प्राप्तियाँ एवं भुगतान का विवरण जी0 एस0 टी0 की कटौती, जमा और रोके गए जी0 एस0 टी0 पर ब्याज की गणना निम्नवत है-

जी0 एस0 टी0 कटौती से सम्बंधित कटौती वर्ष 2019-20

	ओपनिंग	जी एस टी कटौती	जी एस टी जमा	क्लोजिंग
अप्रैल -2019	00.00	00.00	--	00.00

-मई 2019	00.00	00.00	--	00.00
जून -2019	00.00	00.00	--	00.00
जुलाई 2019	00.00	11915.00	--	11915.00
अगस्त 2019	11915.00	--	--	11915.00
सितम्बर - 2019	11915.00	--	--	11915.00
अक्टूबर -2019	11915.00	6221.00	--	18136.00
नवम्बर -2019	18136.00	---	--	18136.00
दिसम्बर - 2019	18136.00	13748.00	18136.00	13748.00
जनवरी -2020	13748.00	---	--	13748.00
फरवरी -2020	13748.00	16963.00	30711.00	00.00
मार्च -2020	00.00	10196.00	--	10196.00
	योग -	59043.00	48847.00	

जी एस टी कटौती से संबंधित कटौती वर्ष 2020-21

	ओपनिंग	जी एस टी कटौती	जी एस टी जमा	क्लोजिंग
अप्रैल -2020	10196.00	13679.00	--	23875.00
-मई 2020	23875.00	---	--	23875.00
जून -2020	23875.00	---	--	23875.00
जुलाई 2020	23875.00	---	--	23875.00
अगस्त 2020	23875.00	---	--	23875.00
सितम्बर 2020	23875.00	---	--	23875.00
अक्टूबर - 2020	23875.00	---	--	23875.00
नवम्बर -2020	23875.00	---	--	23875.00
दिसम्बर - 2020	23875.00	---	--	23875.00
जनवरी -2021	23875.00	---	--	23875.00

फरवरी -2021	23875.00	43365.00	---	67240.00
मार्च -2021	67240.00	---	---	67240.00
	योग -	57044.00	---	---

रोके गये जी एस टी पर ब्याज की गणना 2019-20

	धनराशि	रोके जाने की अवधि	ब्याज की दर	कुल ब्याज
अप्रैल -2019	---	---	---	---
-मई 2019	---	---	---	---
जून -2019	---	---	---	---
जुलाई 2019	11915.00	4 माह	12%	476.60
अगस्त 2019	---	--	--	---
सितम्बर -2019	----	--	--	---
अक्टूबर -2019	6221.00	2 माह	12%	124.40
नवम्बर -2019	----	---	--	---
दिसम्बर -2019	13748.00	2 माह	12%	274.96
जनवरी -2020	---	---	---	---
फरवरी -2020	---	---	----	---
मार्च -2020	10196.00	13 माह	12%	1325.48
			योग -	2201.41

रोके गये जी एस टी पर ब्याज की गणना 2020-21

	धनराशि	रोके जाने की अवधि	ब्याज की दर	कुल ब्याज
अप्रैल -2020	13679.00	12 माह	12%	1641.48
-मई 2020	---	---	--	---
जून -2020	----	---	---	---
जुलाई 2020	---	---	--	---

अगस्त 22020	---	---	--	---
सितम्बर 2020	---	---	--	---
अक्टूबर - 2020	---	---	--	---
नवम्बर -2020	---	---	--	---
दिसम्बर - 2020	---	---	--	---
जनवरी -2021	---	---	--	---
फरवरी -2021	43365.00	2 माह	12%	867.30
मार्च -2021	---	---	--	---
			योग -	2508.78

जी0 एस0 टी0 पर कुल ब्याज = 2201.41+2508.78

=4710.19

इस प्रकार उक्त से स्पष्ट है कि जी0 एस0 टी0 से प्राप्त धनराशियाँ जानबुझकर संस्था पर रोक कर राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। रोके गए जी0 एस0 टी0 पर दण्डात्मक ब्याज 12% की दर से कुल रु० 4710.00 की वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह और श्री अखिलेश कुमार मिश्र व लेखाकार श्री पवन कुमार श्रीवास्तव और श्री जगदम्बा दुबे से किया जाना अपेक्षित है

1. क्षेत्र पंचायत- पन्दह जनपद - बलिया

प्रस्तर- 1

वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत पन्दह के लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से की गयी आयकर एवं जी0एस0टी0 कटौती क्रमशः रु0 108154.00 एवं रु0 13836.00 को राजकीय कोषागार में आयुक्त लेखा शीर्षक में जमा नहीं की गयी जिससे राजकीय राजस्व को हानि हुई। कटौती की गयी आयकर एवं जी0एस0टी0 को राजकीय कोष में जमा न करना गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश गुप्ता एवं श्री विनय कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं। आवश्यक विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 2

वर्ष 2020-21 में वर्षान्त में निम्नानुसार रु0 15363501.00 अनुदान अवशेष दर्शित है जबकि विभागीय निर्देशानुसार वर्षान्त तक शत प्रतिशत अनुदान का उपभोग कर लिया जाना चाहिए।

विवरण	धनराशि
(क) राज्य वित्त आयोग	5343110.00
(ख) विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि	1323415.00
(ग) आगनवाड़ी भवन निर्माण	153108.00
(घ) केन्द्रीय वित्त आयोग	8528373.00
(ङ) स्वच्छ भारत मिशन	9440.00
(च) क्रिटिकल गैस योजना	6055.00
योग-	15363501.00

समयानर्गत अनुदान का उपभोग न होने से निर्माण लागत में वृद्धि होती है। जनता को भी योजनाओं का लाभ समय से नहीं मिल पाता। अतः अनुदान का उपभोग न होना गंभीर अनियमितता है। जिस हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिस हेतु लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश गुप्ता एवं श्री विनय कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं।

2. क्षेत्र पंचायत- बेरुआरवारी

प्रस्तर- 3

शिवपुर में सती मईया स्थान का चबूतरा निर्माण राज्य वित्त मद से किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर निम्न प्रकरण प्रकाश में आये-

- बी0डी0ओ0- श्री रणजीत कुमार, कार्यप्रभारी श्री गिरीश पाण्डेय, ग्राम विकास अधिकारी, जे0ई0 श्री सतीश चौहान, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लेखाकार श्री शिवजी राम

- बिना स्टीमेट के कार्य कराया गया। सहायक विकास अधिकारी के समकक्ष कार्यप्रभारी न बनाकर ग्राम विकास अधिकारी को कार्यप्रभारी, धार्मिक स्थान पर कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। उक्त कार्य में अद्यतन मजदूरी नहीं दी गयी है। प्रशासनिक, तकनीकी वित्तीय स्वीकृति, फोटोग्राम, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 इत्यादि अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं रहे। प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन पंचायती राज अनुभाग-03 के शासनादेश सं0-1838/33-3-2015/03/2015 दिनांक 31-03-2015 में संदर्भित शासनादेश सं0-1639/33-3-200/2015 दिनांक 19-06-2015, शासार क्षेत्र पंचायत को एक से अधिक राजस्व गाँवों को लाभान्वित करने हेतु कार्य कराने हेतु आदेश निर्गत है जिसका पालन नहीं किया गया है।

- उक्त कार्य पर ओम ट्रेडर्स कटरिया, मिड्डा, बलिया को बिल सं0 -226 दिनांक अंकित नहीं से रु0 77151.00 का भुगतान सामग्री मद में कर दिया गया है जबकि मजदूरी नहीं दी गयी है। सामग्री क्रय पर उपभोग न कर रु0 77151.00 का धन का अनियमितता किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रणजीत कुमार, कार्य प्रभारी श्री गिरीश पाण्डेय (ग्राम विकास अधिकारी) अवर अभियन्ता श्री सन्तोष चौहान (आर0ई0डी0) लेखाकार श्री शिवजी राम उत्तरदायी है। सामग्री को प्राप्त कर एवं स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 4

नारायणपुर में खेल के मैदान में सोलर लाइट, झूला, इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प, सीमेंट बेंच, स्थापना पर राज्य वित्त मद से रु0 504000.00 का भुगतान ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया को बिल सीरियल नं0 229 दिनांक 08-03-2021 के आधार पर किया गया है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट राज्य वित्त सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कैथवली के खाता सं0 3103729399 द्वारा दिनांक 18-03-2021 से पुष्टि हुई परन्तु बिल एवं फर्म के लाइसेंस का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त सामग्री का सप्लाई करने हेतु फर्म अधिकृत नहीं रही। दो राजस्व ग्रामों को जोड़ने का प्रमाण नहीं मिला, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति नहीं लिया गया है फर्म को सामग्री आपूर्ति करने का आदेश पत्र नहीं रहा तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन सं0- 391/2020-21 दिनांक 28-01-2021 में कुल अनुमानित लागत रु0 884045.04 रही। लेकिन पत्रावली में सिर्फ उक्त सामग्री क्रय है। प्राक्कलन के अनुसार वालीबाल कोर्ट, योग कोर्ट का निर्माण हेतु प्रावधान है जो पत्रावली के अनुसार नहीं रहा। अतः बिना प्रमाणित फर्म के उक्त धनराशि रु0 504000.00 का भुगतान कर दिया गया है। अतः भुगतान की गयी धनराशि रु0 504000.00 अनियमित रही। जांचोपरान्त खण्ड विकास अधिकारी श्री रणजीत कुमार, जे0ई0 श्री सतीश चौहान कार्य प्रभारी श्री गिरीश पाण्डेय ग्राम विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिवजी राम एवं ओम ट्रेडर्स के ओनर श्री राजेश कुमार मिश्र पर विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है एवं अधूरे कार्य को पूर्ण किया जाना आवश्यक रहा।

प्रस्तर- 5

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा सूर्यपुरा में वशिष्ठ नारायण के दरवाजे से गडारी नाला तक हयूम पाइप नाली निर्माण केन्द्रीय वित्त से किया गया है। निर्माण पत्रावली अवलोकित है अवलोकन से निम्न प्रकरण प्रकाश में आये-

मस्टररोल के भुगतान हेतु लेखाकार का खण्ड विकास अधिकारी के नाम पत्र के अनुसार जे0ई0 के एम0बी0-15 के पृष्ठ सं0-48 से 51 जो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं के अनुसार रु0 35530.00 का भुगतान हेतु आदेश स्वीकृति कराना है जिसकी संस्तुति खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कर भुगतान कर दिया गया है। जबकि प्रस्तुत मस्टररोल क्रमांक रहित अवधि 06-03-2021 से 16-03-2021 तक का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि मिस्त्री एवं मजदूर का हस्ताक्षर नहीं रहा तथा प्रस्तुत मस्टररोल में मिस्त्री एवं मजदूर के उपस्थिति के अनुसार वास्तविक भुगतान

$$1. \text{ मिस्त्री - } 12 \times 400 = 4800.00$$

$$2. \text{ मजदूर- } 55 \times 270 = 14850.00$$

$$\text{योग- } 19650.00$$

इस प्रकार ₹0 35530.00- 19650.00 15880.00 का ज्यादा भुगतान कर दिया गया जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री रणजीत कुमार कार्य प्रभारी श्री गिरीश पाण्डेय, जे0ई0 श्री सतीश चौहान , लेखाकार श्री शिवजी राम से सब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 6

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त मद से निर्माण पत्रावली के अनुसार निम्न कार्य भुगतान की स्थिति एवं अवलोकन के उपरान्त निम्न प्रकरण प्रकाश में आये-

1. बडसरी में दीनानाथ के घर से जगधारी यादव के दरवाजे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।
2. भवरपुर में शिवपुर सुखपुरा पिच मार्ग से शंभुनाथ यादव के घर तक पेवर्स कार्य।
3. सेमरी रामपुर में प्याम जी के घर से गंगापुर सीवान तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य।
4. सेमरी रामपुर में अनुद्वीन खान के घर से राजभर बस्ती होते हुए बह तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य।

	बिल नं0	दिनांक	बिल की धनराशि	शुद्ध भुगतान	प्राप्तकर्ता
क्रमांक 02 के कार्य पर भुगतान की स्थिति	74	05-02-2021	180253.00	173048.00	ओम ट्रेडर्स मिड्डा
	84	20-02-2021	103156.00	99030.00	
क्रमांक- 01	205	17-12-2020	356824.00	342551.00	ओम ट्रेडर्स मिड्डा
	236	बिना तिथि	273586.00	262643.00	
क्रमांक- 03	232	बिना तिथि	96558.48	92696.00	ओम ट्रेडर्स मिड्डा
क्रमांक- 04	231	बिना तिथि	154818.00	148625.00	ओम ट्रेडर्स मिड्डा
		योग-		1118593.00	

उक्त चारों कार्यों पर मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ न ही पत्रावली में मस्टर रोल रहा एवं डिमाण्ड से सम्बन्धित पत्रावली संलग्न नहीं रहा जबकि पत्रावली में प्राक्कलन में मजदूरी का प्रावधान किया गया था जिसका विवरण कार्यवार क्रमशः निम्न रहा

(i)	तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव-2 दिनांक 05-11-2020 के क्रम में प्रत्रांक-65/एफ एफ/2020-21/23-09-2020 पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा सत्यापन	सामग्री	मजदूरी
		685131.19	93714.00
(ii)	प्राक्कलन सं0 अज्ञात से अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड पी0डब्ल्यू0डी0 क्रमांक-73/2020-21/एफ0एफ0/18-2-2020 द्वारा स्वीकृति	284419.88	37799.60
(ii)	प्राक्कलन सं0 अज्ञात दिनांक अज्ञात से प्रत्रांक-160/2020-21/एफ एफ/11-02-2021 पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा तकनीकी स्वीकृति	257700.48	47562.51

i)			
(i v)	प्राक्कलन सं० अज्ञात दिनांक अज्ञात से प्रत्रांक-160/2020-21/एफ एफ/11-02-2021 पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा तकनीकी स्वीकृति	384356.47	71341.14

अन्य प्रकरण निम्न रहे-

1. किसी पत्रावली में त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं रहा।
2. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं रहा।
3. प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति आदेश की प्रति।
4. टेण्डर पत्रावली संलग्न नहीं रहे।
5. दो राजस्व ग्रामों को जोड़ने वाला प्रमाण-पत्र।
6. कार्य का एम०बी० बुक प्रस्तुत नहीं रहा।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिना पत्रावली पूर्ण किये कार्य हेतु सामग्री क्रय रही मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया जिससे उक्त चारों कार्यों पर कुल सामग्री क्रय रु० 1118593.00 रोककर धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए प्रमुख श्रीमती ललिता यादव खण्ड विकास अधिकारी श्री रणजीत कुमार जे०ई० श्री सतीश चौहान कार्य प्रभारी श्री गिरीश पाण्डेय लेखाकार श्री शिवजी राम उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 7

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न कार्य कराया गया निर्माण पत्रावली जो अवलोकित है मस्टर रोल एवं अन्य पत्रावली निरीक्षण के उपरान्त समान रूप से प्रकरण प्रकाश में आये विवरण निम्न रहा -

		सामग्री पर भुगतान	मजदूरी	योग
1	नरायनपुर में दस अदद सोखता निर्माण	145597.00	20960.00	166557.00
2	अपायल में दस अदद सोखता निर्माण	145597.00	20960.00	166557.00
3	शाहपुर में छः अदद सोखता निर्माण	85750.00	12100.00	97850.00
4	बेरुआरवारी में सुखपुरा पिच रोड से प्रा०स्वा० केन्द्र बेरुआरवारी तक पेवर्स(i)(ii) पार्ट	862903\$3840\$549412\$ 155065	81960.00 69180.00	1722360.00
5	विकास खण्ड डवाकरा हाल में टाईल्स कार्य।	917551.00	102010.00	1019561.00
6	सेमरी रामपुर पहिया में प्रधानमंत्री सड़क से बच्चा यादव के घर तक पेवर्स कार्य	319515.00	44300.00	363815.00

7	साहोडीह में स्थित संन्तोष वर्मा के घर से बृजेश वर्मा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	287887.00	32250.00	320137.00
8	असेगा में बाबा शोकहरण मन्दिर पर कुए का चबूतरा निर्माण	37273.00	7800.00	45073.00
9	शाहपुर में स्वच्छता हेतु कमला यादव के घर से नहर की पुलिया तक ह्यूम पाईप नाली निर्माण कार्य।	145935.00	15980.00	161915.00
10	विकास खण्ड परिसर में पुरुष, महिला शौचालय निर्माण।	386291.00	84240.00	470531.00
	कुल योग-	4042616.00	491740.00	4534356.00

उक्त पत्रावली की जांच में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये-

1. किसी पत्रावली में कोटेशन/टेण्डर का प्रपत्र नहीं रहा।
2. प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी।
3. प्रस्तुत मस्टर रोल बिना क्रमांक में किसी मिस्त्री/मजदूर का हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी नहीं।
4. दो राजस्व ग्रामों को जोड़ने वाला प्रमाण-पत्र।
5. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं रहा जब कि कार्य प्रभारी के प्रत्येक वर्क आर्डर में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य अंकित है।
6. पन्द्रहवें वित्त गाईड लाइन के अनुसार त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं रहा।
7. क्रमांक-4 पर अंकित कार्य को टुकड़ों में बांटकर कार्य कराया गया।
8. क्रमांक-7 पर अंकित कार्य स्टीमेंट का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्राक्कलन-03 दिनांक 10-12-2020 अंकित है जबकि स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, पी0 डब्ल्यू0डी0 से पत्रांक-64/एफ0एफ0/2020-21/23-09-2020 को लिया गया है एवं खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय बेरुआरवारी के पत्रांक-628 दिनांक 10-12-2020 से कार्य प्रभारी श्री गिरीश पाण्डेय की नियुक्ति एवं फर्म ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्ढा, बलिया को सामग्री आपूर्ति आदेश निर्गत है। क्रमांक-8 पर अंकित कार्य की पत्रावली जांच में स्पष्ट हुआ कि पत्रांक-719ए दिनांक 12-01-2021 द्वारा काय प्रभारी श्री गिरीश पाण्डेय की नियुक्ति एवं फर्म को सप्लाई हेतु आदेशित किया गया है। क्रमांक-9 पर अंकित कार्य की पत्रावली जांच में स्पष्ट हुआ कि पत्रांक-726ए दिनांक 15-01-2021 से कार्य प्रभारी श्री गिरीश पाण्डेय एवं फर्म ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्ढा, बलिया को सामग्री आपूर्ति आदेश निर्गत है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त वर्णित कार्यों में नियमों की अनदेखी की गयी, बिना उचित प्रमाणक तैयार कर यथोचित को भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार रू0 4534356.00 का अपहरण/वितरण में अनियमितता की गयी है जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उक्त सामग्री की धनराशि रू0 4042616.00 आपत्ति सं0-07 के इसी प्रतिवेदन में शामिल है अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0 4534356.00 के आहरण वितरण में गंभीर अनियमितता की गयी है से रू0 4042616.00 घटाते हुए धनराशि रू0 491740.00 मजदूरी की धनराशि आपत्ति में सम्मिलित है, जिसके लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती ललिता यादव तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रणजीत कुमार कार्य प्रभारी श्री

गिरीश पाण्डेय (ग्रा0वि0अ0) लेखाकार श्री शिवजी राम पूर्णतः उत्तरदायी है, विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 8

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत बेरुआरवारी में निर्माण कार्य एवं अन्य क्रय हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु फर्म ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा, बलिया की निविदा स्वीकृति है। फर्म द्वारा वर्ष के दौरान रु0 7557193.21 धनराशि बिल द्वारा सामग्री आपूर्ति की गयी है। सम्बन्धित फर्म का जी0एस0टी0 लाइसेंस प्रपत्र जो टेण्डर फाइल में संलग्न है "जी0एस0टी0 रज-06 सेक्शन रूल-10 (1) " अंकित है जिस पर फर्म को रेगुलर श्रेणी में दिखाया गया है। प्रपत्र पर फर्म के ओनर श्री राजेश कुमार मिश्रा का हस्ताक्षर भी रहा वहीं आनलाइन प्रपत्र में फर्म कम्पोजिशन श्रेणी में है जिसका जी0एस0टी0 नं0- 09एवाईपीएम2696एन2जेडक्यू रहा परिणाम स्वरूप वर्ष में फर्म द्वारा बिल आफ स्प्लाई प्रोफार्मा पर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत रहा दोनों श्रेणी की पत्रावली मूल आलेख में संलग्न है इस प्रकार ओम ट्रेडर्स फर्म के प्रोप्राइटर श्री राजेश कुमार मिश्रा द्वारा धोखाधड़ी कर निविदा प्राप्त किया गया है। अतः स्पष्ट है कि जी0एस0टी0 नियम बी-2-बी बिजनेस के तहत ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया क्रेता से जी0एस0टी0 दर लगाकर सामग्री का मूल्य का भुगतान नहीं प्राप्त कर सकती। लेकिन पत्रावली में सम्बन्धित अवर अभियन्ता श्री सतीश चहान द्वारा प्राक्कलन में सामग्री वार जी0एस0टी0 दर लगाकर सामग्री का मूल्य अंकित है। जिस पर फर्म ने भुगतान प्राप्त किया है कुछ एवं प्राक्कलन में जी0एस0टी0 दर नहीं लगायी गयी है बिलों में फ्लैट रेट लगाकर भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। विवरण निम्न रहा-

1. मरम्मत इत्यादि पत्रावली में बिल 228 दिनांक 07-03-2021 द्वारा प्लास्टिक कुर्सी, स्टील कुर्सी, रिवाल्विंग कुर्सी, मेज, माइकसेट, पर्दा, डैसबोर्ड, स्ट्रीट लाइट, सेनेटरी फीटिंग का क्रय है परन्तु प्राक्कलन संख्या- अंकित नहीं दिनांक अंकित नहीं तकनीकी स्वीकृति-109/2021/एफ0एफ0/ ब्लाक/28-12-2020 में जी0एस0टी0 दर अंकित नहीं है।
2. अपाइल में 10 अदद सोखता निर्माण में बिल संख्या-218/08-03-2021 द्वारा पी0वी0सी0 पाईप पी0वी0सी0 बैण्ड क्रय है परन्तु प्राक्कलन संख्या संख्या-अंकित नहीं दिनांक अंकित नहीं तकनीकी स्वीकृति-147/2021/एफ0एफ0/ब्लाक/10-20-21 पी0डब्लू0डी0 में जी0एस0डी0 दर अंकित नहीं लगाया गया है।
3. नरायनपुर में खेल का मैदान विकासित करने के लिए बालीबाल कोर्ट योगा कोर्ट इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्थापना इत्यादि कार्य हेतु बिल संख्या-229/18-03-2021 से सीमेंट, बेंच, सोलर लाइट झूला, प्लांटेशन, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प- 2 ह्यूम पाईप बोर्ड क्रय है जिस पर प्राक्कलन संख्या-391/20-21 दिनांक 28-01-2021/आर0ई0डी0 में उक्त क्रय सामग्री पर सामग्रीवार जी0एस0टी0 दर अंकित नहीं रहा

उक्त तीनों प्रकरणों में जो सामग्री क्रय है उस पर स्पष्ट नहीं हुआ कि सामग्री में जी0एस0टी0 लगायी गयी है कि नहीं यदि लगायी है तो सामग्रीवार प्रतिशत दर क्या रहा। अतः बिलों पर वास्तविक जी0एस0टी0 की धनराशि जो फर्जी तरीके से फर्म को भुगतान कर दिया गया आंकलन नहीं किया जा सका। अतः बिलों के सापेक्ष सम्बन्धित अवर अभियन्ता श्री सतीश चौहान आर ई डी द्वारा प्राक्कलन में जी0एस0टी0 दर अंकित कर बिलों पर वास्तविक जी0एस0टी0 दर का आंकलन करते हुए फर्म को भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा दण्डात्मक कार्यवाही अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ब्लाक प्रमुख श्रीमती ललिता यादव खण्ड विकास अधिकारी श्री रणजीत कुमार लेखाकार श्री शिवजी राम, अवर अभियन्ता श्री सतीश चौहान कार्यप्रभारी श्री गिरीश पाण्डेय पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर सब्याज सहित वसूल करते हुए विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। कार्यवार बिल एवं सन्निहित धनराशि का विवरण निम्न रहा:-

क्रम सं0	कार्य का नाम (राज्यवित्त)	बिल संख्या दिनांक	सन्निहित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
			राज्यवित्त	

1	शिवपुर में सती मईया स्थान का चबूतर निर्माण कार्य	226/अंकित नहीं	80365.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
2	नरायनपुर में खेल के मैदान विकास	229/8-3-2021	525000.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
		केन्द्रीय वित्त		
3	नरायनपुर में विभिन्न स्थानों पर दस अदद सोखता निर्माण	95/06-03-2021	151664.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
4	अपायल में दस अदद सोखता निर्माण	218/08-03-2021	151664.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
5	शाहपुर में विभिन्न स्थानों पर छः अदद सोखता निर्माण	219/08-03-2021	89323.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
6	ग्राम पंचायत सूर्यपुरा में वशिष्ठ के दरवाजे से गड़ारी नाला तक ह्यूम पाईप नाली निर्माण	96/06-03-2021	377535.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
7	बेरुआरवारी में सुखपुरा पिच रोड से प्रा0स्वा0 केन्द्र बेरुआरवारी तक पेवर्स (i)	78/15-02-2021 93/01-03-2021	898858.00 4000.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
8	बेरुआरवारी में सुखपुरा पिच रोड से प्रा0स्वा0 केन्द्र बेरुआरवारी तक पेवर्स(ii)	79/15-02-2021 91/01-03-2021	572409.73 161526.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
9	करममर मठिया में बिहारी यादव के घर तक पेवर्स ब्लाक	88/24-01-2021	533762.57	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
10	विकास खण्ड के अन्दर पुरुष,महिल के लिए अलग-अलग शौचालय निर्माण	220/10-03-2021 221/10-03-2021	26771.00 120678.23 11599.40 243337.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया

		222/10-03-2021 86/23-02-2021		
11	विकास खण्ड डवाकरा हाल में टाईल लगाने का कार्य	94/02-03-2021 228/07-03-2021	627766.00 317600.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
12	सेमरी रामपुर में अनुदवीन खान के घर से राजभर बस्ती होते हुए बह नाला तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य	231/अंकित नहीं	154818.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
13	ग्राम सभा नरायनपुर में विजयशंकर सिंह के घर से शिवशंकर राजभर के द्वार तक खडंजा कार्य।	83/20-02-2021	232990.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
14	सेमरी रामपुर में श्याम जी के घर से गंगापुर सीवन तक ढक्कन सहित नाली निर्माण	232/अंकित नहीं	96558.48	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
15	कार्य भंवरपुर में शिवपुर सुखपुरा पिच मार्ग से शम्भुनाथ यादव के घर तक पेवर्स कार्य	74/05-02-2021 84/20-02-2021	180253.00 103156.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
16	शाहपुर में स्वच्छता हेतु कमला यादव के घर से नहर की पुलिया तक पाईप नाली निर्माण कार्य।	72/03-02-2021	152016.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
17	असेगा में बाबा शोकहरण मन्दिर पर कुएँ का चबूतरा निर्माण	73/03-02-2021	38826.24	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
18	बडसरी में दीनाराम के घर से जगधारी यादव के दरवा तक सी0सी0 रोड का निर्माण	205/17-12-2020 226/अंकित नहीं	356824.45 273582.00	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया

19	साहोडीह में स्द्ध्यित सन्तोष वर्मा के घर से बृजेश वर्मा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	206/17-12-2020 216/05-02-2021	171808.44 128074.86	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
20	सुखपुरा बांसडीह पी0डब्लू0डी0 रोड से विक्रमा चौधरी के डेरा तक पेवर्स ब्लाक कार्य।	208/17-12-2020 75/21-01-2021	374192.84 67406.99	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
21	ग्राम पंचायत सेमरी रामपुर पहिया में प्रधानमंत्री सड़क से बच्चा यादव के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य।	212/17-12-2020	171808.44	ओम ट्रेडर्स कटरिया मिड्डा बलिया
	योग-		7557193.21	

प्रस्तर- 9

आलोच्य वर्ष 2020-21 की निर्माण पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट रहा कि विभिन्न बिलों से राज्य/केन्द्र वित्त मद में आयकर ₹0 146646.50 जी0एस0टी0 ₹0 146639.50 कुल ₹0 293286.00 की कटौती की गयी है परन्तु यह धनराशि किसी सम्बन्धित हेड में जमा नहीं की गयी है न ही जमा दर्शित है। अनुदान रजि0-3 में भी अंकन नहीं है। इस प्रकार शासकीय धन को रोककर धन को अनियमित किया गया है अतः इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग को चालान द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है। यह कटौती की धनराशि खाते में पड़ी हुई है उक्त अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री रणजीत कुमार एवं लेखाकार श्री शिवजी राम उत्तरदायी रहे हैं तथा विलम्ब चार्ज की वसूली भी इन्हीं से किया जाना है।

3.क्षेत्र पंचायत- नगरा

प्रस्तर- 10

पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या (1017/33.3.2020-11/2020 दिनांक 6 जून 2020 के अनुसार भारत सरकार के अद्र्वशासकीय पत्र दिनांक 28 नवम्बर 2019 में यह दिर्नेश दिए गए हैं। कि पंचायतीराज विभाग के केन्द्र पुरोनिधानित समस्त योजनाओं की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ही व्यय की जायेगी। इस काम में सभी सम्बन्धित एजेंसी एवं वेण्डर्स को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर रजिस्टर एवं मैप करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों एवं वेण्डर्स को भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ही किया जाये। यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी एजेंसी द्वारा वेण्डर मजदूर अथवा कार्यालय व्यय हेतु एडवांस का भुगतान आरईएटी(रेसिप्ट एक्सपेंडीचर एडवांस एंड ट्रान्सफर मॉडल)जो पी0एफ0एम0एस0 पर है, उसके माध्यम से ही किया जाना है। अगर किसी योजना की धनराशि

जनपद स्तर क्षेत्र पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भेजी जाती है तो जनपद स्तर क्षेत्र पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर भी प्रत्येक योजना का एक पृथक -पृथक बैंक खाता होगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जनपद स्तर का उस योजना विशेष से सम्बन्धित बैंक खाता योजना के राज्य स्तरीय बैंक खाते के साथ मैप होगा। इसी के बिन्दु)3ii (के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर से मैटेरियल के भुगतान के लिए वेण्डर व मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूरों का बैंक खाता भी पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से मैप किए जायेंगे। चूंकि केन्द्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की धनराशि जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत को भी विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करायी जा रही है। अतः जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों को भी पी0एफ0एम0एस0 की प्रक्रिया का पालन करना होगा। के बिन्दु 2 के अनुसार दिनांक 30.06.2020 के उपरान्त सभी भुगतान पी0एफ0एम0एस0/ की व्यवस्था के अनुसार ही किए जाने चाहिए। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं किए गए भुगतान की राशि की वसूली भी उनसे की जा सकती है। क्षेत्र पंचायत में मजदूर की मजदूरी का भुगतान किया गया है लेकिन इसे मजदूर के खाता में सीधे न भेज कर कार्यप्रभारी श्री रमाकांत राम ए0 डी0 ओ0 (ए0जी0) के माध्यम से कर रु0 797625.00 की गंभीर अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार शमसाद आलम व कार्य प्रभारी रमाकांत राम ए0डी0ओ0 (ए0जी0) उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

4.क्षेत्र पंचायत- चिलकहर

प्रस्तर- 11

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (उपकर) नियम 2009 नियम 4 (3) के द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार ने कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस (कर्मकार उपकर) आरोपित करने का आदेश 04 फरवरी 2009 में दिया था। जिसकी वसूली आयकर की तरह प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समस्त स्रोत पर किया जाना अपेक्षित है। संस्था द्वारा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आदि के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर कुल रु0 2007411.00 व्यय किया गया । उक्त कराये गये कार्यों में निर्धारित 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती रु0 20074.00 नहीं की गयी है। जो कि वित्तीय अनियमितता है। उक्त धनराशि की कटौती कराकर खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह एवं लेखाकार श्री विनोद सिंह से जमा करवाया जाना अपेक्षित है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 12

क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त के तहत संवरा पाण्डेय मार्ग से चन्द्रशंखर बाबा महाविद्यालय के गेट तक इण्टरलाकिंग का कार्य करवाया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावली में रोल नहीं था और मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। इस कार्य पर रु0

328842.00 व्यय किया गया है। सामग्री क्रय हेतु/बिना मजदूरों के कार्यपूर्ण नहीं हो सकता है। इस प्रकार उक्त कार्य काल्पनिक दर्शाकर ₹0 328842.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 13

शासनादेश संख्या ए-1-112/दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की होती है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जुलाई 2019 में ₹0 122707.00 निकालकर व्यय किया गया है। (ग्रांट iii रजि0 के अनुसार) इस व्यय ब्याज की धनराशि का लेखा परीक्षा के दौरान कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया है। देय प्रमाणक के अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती। इससे यह प्रतीत होता है कि इस धनराशि का खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अपहरण किया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 14

संस्था के वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब्याज मद के माह अगस्त 2019 (ग्रांट- iii रजि0 के अनुसार) अन्तिम अवशेष ₹0 848455.00 अंकित है और माह सितम्बर 2019 के प्रारम्भिक अवशेष ₹0 747803.00 अंकित है। 31-08-2019 और 01-09-2019 के अवशेष में ₹0 100652.00 का अन्तर है। जांच में लेखाकार द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। अन्तर की धनराशि ₹0 100652.00 की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट/पासबुक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार ₹0 100652.00 निकालकर अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 15

जी0एस0टी0 एक्ट 2017 का क्रियान्वयन 1 जुलाई 2017 में हुआ। तक से यह आदेशित है कि कोई भी योजना से धनराशि प्राप्त करती है तो उससे कोई निर्माण कार्य करवाती है। तो जिस फर्म से सामग्री क्रय करती है तो सम्पूर्ण सामग्री धनराशि का 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 (1 प्रतिशत जी0एस0टी0 एवं एसजी0एस0टी0) कटौती कर भुगतान करें साथ ही साथ 2 टी0डी0एस0 की भी कटौती की जाय। 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि को संस्था के (टैन) अकाउण्ट में जमा किया जाय। लेकिन संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त के तहत कराये गये किसी भी कार्य के लिए क्रय सामग्री पर फर्म से जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त के तहत ₹0 1748411.00 की सामग्री क्रय दर्शित है लेकिन इस पर जी0एस0टी0 कटौती नहीं की गयी हैं, जिससे राज्य सरकार को ₹0 34964.00 की राजस्व की

क्षति हुई है। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा ₹0 34964.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह एवं लेखाका श्री विनोद कुमार सिंह से कटौती करवाकर जमा किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है -

तालिका-1

योजना का नाम- राज्य वित्त योजना वर्ष 2019-20

क्र० सं०	कार्य का नाम	सम्पूर्ण सामग्री लागत	सामग्री लागत	सामग्री क्रय संस्था	जी० एस० टी०	टी०डी० एस०	मजदूरी	कार्य प्रभारी
1	मझौता डेहरी में राजभर बस्ती से लकड़ा नाला तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य।	61816	60580	शिवा बिल्डिंग मैटेरियल सेल्स एण्ड सप्लायर्स कझारी चिलकहर, रसड़ा, बलिया	--	1236	12700	श्री रविन्द्रनाथ पाण्डेय
2	कोडरा माफी में शिवजी यादव के घर से पुलिया तक हयूम पाइप नाली एवं चैम्बर निर्माण कार्य	279410	273822		--	5588	31300	
3	संवरा पाण्डेय मार्ग से चन्द्रशेखर द्वाबा महाविद्यालय के गेट तक इण्टरलाकिंग कार्य	328842	322266		--	6576	मजदूरी नहीं	
4	बसनवार डीह पर बने खण्डजा से विश्वनाथ	231636	227004		--	4632	50250	

	वर्मा के नये मकान के पूरब तक मिट्टी खडंजा कार्य							
5	रधुनाथपुर में श्रीकान्त यादव एवं ललन यादव के घर से सुरेन्द्र के घर तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य	112900	110642		--	2258	27050	
6	नगपुरा बाजार से ताजिया चैक होते हुए दुर्गा मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	84317	82631		--	1586	9950	
7	संवरा रेलवे स्टेशन के पश्चिम गेट से ज्ञान कुंज विद्यालय तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य	278227	272663		--	5564	61500	
8	बसनवार में पीच रोड से राधा मोहन अशोक मोतीलाल के घर तक खडंजा कार्य	64900	63602		--	1298	14950	
9	बसनवार मे बब्बन यादव के घर से देवनाथ यादव के घर तक ढक्कन सहित नाली एवं सी0सी0 रोड कार्य	217892	231535		--	4357	30500	
10	मझौली में इन्द्रजीत के घर	88471	86702		--	1769	20800	

	से रोड तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य।							
	योग -	1748411				34964	259000	

प्रस्तर- 16

क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त से प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित कार्य करवाया गया है-

क्रमांक	कार्य का नाम	क्रय सामग्री की धनराशि
1	कल्यानीपुर चौहान बस्ती से सड़क किनारे से रामइकबाल के घर से रामकेवल,रामानन् एवं रामजी के घर होते हुए बड़े नाले तक नाली निर्माण	274227.00
2	ग्राम पंचायत संवरा में उदियानपुर में दूधनाथ यादव के घर से बैजनाथ यादव के घर होते हुए पीच सड़क तक इण्टरलाकिंग पेवर्स बलाक कार्य	369886.00
3	ग्राम पंचायत बसनवार में यात्री प्रतिक्शालय का निर्माण	340318.00
4	ग्राम पंचायत कोड़ा कझारी में यात्री प्रतिक्शालय का निर्माण	340318.00
5	ग्राम पंचायत चिलकहर में यात्री प्रतिक्शालय का निर्माण	340318.00
6	ग्राम पंचायत नगपुर में यात्री प्रतिक्शालय का निर्माण	340318.00
7	ग्राम पंचायत सहदेश में कृष्णानन्द सिंह के दरवाजे से खड़कबहादुर सिंह के हाता तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	365687.00
8	ग्राम सभा शंकरपुर उर्फविष्णुपुरा में स्वामीनाथ के घर से बृजेश यादव के घर तक पेवर्स निर्माण कार्य।	216381.00

9	खलीलपुर में महातम राय के दरवाजे से प्यारेलाल के दरवाजे होते हुए हद्वयलाल के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य।	229563.00
10	ग्राम पंचायत चिलकहर में चिलकहर टीकादेवरी सम्पर्क मार्ग पर से मथुरा दास महाविद्यालय तक नाली निर्माण कार्य।	450951.00
11	बसनवार में पीच सड़क से देवनाथ यादव के खेत से रामायण यादव अन्जनी यादव पारस श्रीनाथ के घर होते हुए रामनाथ यादव के नीम तक पेवर्स ब्लाक कार्य।	355760.00
12	ग्राम सभा बसनवार में रामायण यादव के खेत से रघुनाथ पुर सम्पर्क मार्ग तक नाली निर्माण कार्य।	63558.00
13	ग्राम पंचायत मंगरौली में डुमरी कोठी बन्धे से रविन्द यादव के घर तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य।	483802.00
14	वि0ख0 चिलकहर परिसर में स्थित इवाकरा हाल का मरममत व टाइल्स निर्माण कार्य।	366915.00
15	ग्राम सभा मंगरौली में मुन्ना यादव के घर से शिव मंदिर तक पेवर्स बलाक रोड का निर्माण कार्य।	186205.00
16	नगपुरा पिचरोड से रमाशंकर सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	176056.00
17	बसनवार में देवनाथ यादव के घर से रामायण यादव के खेत तक नाली ह्यूम पाइप का निर्माण।	185110.00
	योग-	5085373.00

क्षेत्र पंचायत द्वारा उपर्युक्त कार्यों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं- 1. निर्माण कार्यों की कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। 2. ग्राण्ट 2 रजि0 के अनुसार उपर्युक्त कार्यों की मजदूरी नहीं दी गयी है। 3. जी0एस0टी0 एवं टी0डी0एस0 कटौती भी नहीं दर्शित है। 4. बिल/बाउचर भी नहीं प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार सिद्ध होता है कि उपर्युक्त कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है एवं रू0 5085373.00 का खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली खण्ड

विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार एवं श्री संतोष कुमार यादव और लेखाकार श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री शिवजी सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 17

क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त के तहत निम्नलिखित स्थानों पर आर0ओ0 प्लाट स्थापना कार्य करवाने का विवरण इस प्रकार है-

क्रमांक	कार्य का नाम	क्रय सामग्री की धनराशि
	ग्राम सभा बसनवार में ब्रम्हबाबा के स्थान के प्रांगण में आर0ओ0 प्लान्ट का कार्य।	463468.00
	ग्राम सभा बसनवार में इन्दरपुर- रघुनाथपुर पिच मार्ग पर रामदेव कटरा के पास आर0ओ0 प्लान्ट स्थापना।	461316.00

उपर्युक्त आर0ओ0 प्लान्ट स्थापना पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1. आर0ओ0 प्लान्ट स्थापना का कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. आर0ओ0 प्लान्ट क्रय का कोई भी बिल/बाउचर नहीं प्रस्तुत किया गया।

इससे यह सिद्ध होता है कि उपर्युक्त आर0ओ0 प्लान्ट स्थापना को काल्पनिक दर्शाकर ₹0 924784.00 की धनराशि का खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अपहरण किया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार यादव एवं लेखाकार श्री शिवजी सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 18

ग्राण्ट रजि0 द्वितीय के अनुसार क्षेत्र पंचायत चिलकहर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीयवित्त के तहत ग्राम पंचायतों में ₹0 1942510.00 धनराशि की सोलर लाइट लगवाने का विवरण अंकित है। लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान सोलर लाइट क्रय का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं गया। इस प्रकार बिना कोई बिल/बाउचर के धनराशि को अपहरित मानी जायेगी। जिसकी ₹0 1942510.00 वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार एवं लेखाकार श्री शिवजी सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 19

क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त के तहत कराये गये कार्यों की क्रय सामग्री पर टी0डी0एस0 की कटौती ₹0 34964.00 धनराशि की गयी है। लेकिन उक्त धनराशि को ग्राण्ट -iii में पकड़ा नहीं गया है और नहीं ₹0 34964.00 का अपहरित कर लिया गया है। सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं किया गया है। जमा धनराशि की पुष्टि में ट्रेजरी/चालान, दाखिल रिटर्न, कोषागार स्टेटमेंट या सम्बन्धित विभाग से प्राप्त पुष्टि पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया। इससे यह धनराशि अपहरित सिद्ध होती है। इस धनराशि ₹0 34964.00 को खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती

मीना सिंह एवं श्री अशोक कुमार एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूल कर सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 20

क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राण्ट-iii रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त योजना के तहत ₹0 7101849.00 व्यय दर्शित है। इस दर्शित व्यय की बार-बार लेखाकार से पत्रावली की मांग की गयी। लेखा परीक्षा हेतु लेकिन लेखाकार द्वारा कोई भी पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गयी। पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना उक्त धनराशि का कोई व्यय प्रमाणक नहीं है। इससे ₹0 710184.00 की धनराशि अपहरित सिद्ध होती है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार एवं संतोष कुमार यादव और लेखाकार श्री विनोद सिंह एवं श्री शिवजी सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

5.क्षेत्र पंचायत- दुबहड़ (2018-19 से 2020-21 तक)

प्रस्तर- 21

उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली-2009 एवं शासनादेश सं0-1312/3-2-11-10जी/2011 दिनांक 04-08-2011 के द्वारा कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लबर सेस आरोपित किया जायेगा जिसकी वसूली प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समय स्रोत पर किया जायेगा किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 में कराये गये कार्यों पर 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नलिखित है-

वित्तीय वर्ष- 2018-19

क्रम 0 सं0	मद का नाम	निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि
1	सासद निधि	6250688.00
2	विधायक निधि	574906.00
3	राज्य वित्त/तेरहवां	5876009.00
4	प्रधानमंत्री आवास	51890.00
	योग-	127534393.00

वित्तीय वर्ष- 2019-20

क्रम 0 सं0	मद का नाम	निर्माण कार्यो पर व्यय धनराशि
1	सासद निधि	5008072.00
2	विधायक निधि	366346.00
3	राज्य वित्त/ चौदहवां	628755.00
4	प्रधानमंत्री आवास	157747.00
	योग-	6160920.00

वित्तीय वर्ष- 2020-21

क्रम 0 सं0	मद का नाम	निर्माण कार्यो पर व्यय धनराशि
1	सासद निधि	767552.00
2	विधायक निधि	460324.00
3	राज्य वित्त	11167047.00
4	क्षेत्रीय निधि/ केन्द्रीय वित्त	12296183.00
	योग-	24691106.00

इस प्रकार वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यो पर व्यय धनराशि ₹0 12753493.00 पर 1प्रतिशत लेबर सेस ₹0 127534.93 वर्ष 2019-20 में निर्माण कार्यो पर व्यय धनराशि 6160920.00 पर 1 प्रतिशत लेबर सेस ₹0 61609.20 तथा 2020-21 में निर्माण कार्यो पर व्यय धनराशि ₹0 24691106.00 पर 1प्रतिशत लेबर सेस ₹0 246911.06 की कटौती की जानी चाहिए थी। आलोच्य वर्ष में कुल ₹0 436055.19 लेबर सेस की कटौती न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश राय, श्री कपिलदेव, श्री दिनेश कुमार सिंह, श्री रमेश कुमार यादव तथा सचिव भारतीय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सुरेश एवं श्री अखिलेश उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 22

आलोच्य वर्ष 2018-19 में सांसद निधि द्वारा किये गये कार्य जो तालिका सं0-1 के क्रमांक-4 पर अंति ग्राम छाता ब्रह्मदेवता में अरविन्द सिंह के खेत से वशिष्ठ पटेल के घर तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य पर ₹0 48735.00 की मजदूरी का भुगतान 12 मजदूरों हेतु किया गया किन्तु अवलोकित मस्टर रोल पर मजदूरों के अंगूठा निशान एवं हस्ताक्षर अंकित न होने पर भी मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा करके अनियमितता किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड

विकास अधिकारी श्री कपिलदेव, तत्कालीन एवं कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार राय संयुक्त रूप उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 23

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में यह पाया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यो में सामग्री क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों के कच्चे बिल/पैड पर बिल संख्या एवं टिन नं० अंकित मेमो वाले प्रमाणकों के आधार पर भुगतान किया है।

क्र ० सं०	कार्य विवरण	सामग्री क्रय	कटौतीयां		शुद्ध भुगतान	कच्चे बिल/पैड/बि ल संख्या
			जी०एस०टी०	टी०डी०एस०		
	ग्राम सभा रामपुरटिहि में रूप नारायण बाबा के स्थान से पी०डब्ल्यू०डी० रोड तक सी०सी० रोड कार्य	480901.00	-	9618.00	471283.00	
	ग्राम छाता ब्रह्मदेवता में अरविन्द्र सिंह के खेत से वशिष्ठ पटेल के घर तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य	232839.0 0	-	4657.00	228182.00	
	योग-	713740.00	-	14275.00	699465.0 0	

उक्त विवृत भुगतान पूर्णतया अनियमित है। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 24

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तालिका-1/2 के अनुसार सांसद/विधायक निधि/राज्य वित्त योजना से कराये गये कार्यो क्रमांक तालिका-1 वर्णित के सापेक्ष कृत सामग्री पर जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र 0 सं0	तालिका-1 में दर्शित कार्य की क्रम सं0	कृत सामग्री का मूल्य	सी0जी0एस0टी0 कटौती	एस0जीएस0टी0 कटौती
1	01	103006.00	--	--
2	02	194150.00	--	--
3	03	372272.00	--	--
4	03	4200.00	--	--
5	04	232839.00	--	--
6	05	410849.00	--	--
7	06	470971.00	--	--
8	07	283320.00	--	--
9	07	138388.00	--	--
10	08	210683.00	--	--
11	08	251443.00	--	--
12	09	448291.00	--	--
13	10	511747.00	--	--
14	11	463674.00	--	--
15	12	325695.00	--	--
16	12	181746.00	--	--
17	13	386044.00	--	--
18	13	264299.00	--	--
19	14	143943.00	--	--
20	14	173906.00	--	--
21	15	191279.00	--	--
22	16	170533.00	--	--
23	17	212652.00	--	--
24	17	222447.00	--	--
25	18	480901.00	--	--

	योग-	6849278.00		

क्र 0 सं0	तालिका-1 में दर्शित कार्य की क्रम सं0	कृत सामग्री का मूल्य	सी0जी0एस0टी0 कटौती	एस0जीएस0टी0 कटौती
26	01	203938.00	--	--
27	02	241661.00	--	--
28	03	198106.00	--	--
29	04	49772.00	--	--
30	08	345732.00	--	--
तालिका-4				
31	03	99900.00	--	--
32	25	224986.00	--	--
	योग-	8213373.00	--	--

इस प्रकार उपर्युक्त विवृत कार्यों पर 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 (1%CGST 1%SGST) की दर से ₹0 164267.00 की कटौती न करके अनियमितता की गयी है फलतः राजकीय राजस्व की क्षति पहुँची। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कपिलदेव श्री राजेश राय एवं सचिन भारतीय तथा लेखाकार श्री सुरेश कुमार एवं श्री अखिलेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 25

आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत दुबहड़ से प्राप्त निर्माण पत्रावलियों में कुल ₹0 527947.00 का आयकर काटा गया है जिसकी पुष्टि ग्राण्ट-ii से भी होती है। कुल काटे गये टी0डी0एस0 के सापेक्ष विभिन्न तिथियों में ₹0 520419.00 जमा की पुष्टि ग्राण्ट –ii से होती है किन्तु इसकी पुष्टि चेक इश्यू रजिस्टर बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न प्रस्तुत करना अपेक्षित रहा। ज्ञातव्य है कि काटी गयी शेष टी0डी0एस0 की धनराशि ₹0 7528.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाकर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सुरेश एवं अखिलेश सिंह उत्तरदायी है नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 26

आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत दुबहड़ से प्रस्तुत पत्रावलियों में कुल ₹0 354063.00 जी0एस0टी0 काटने की पुष्टि ग्राण्ट-ii से भी होती है। कुल काटे गये जी0एस0टी0 के सापेक्ष विभिन्न तिथियों

में ₹0 276072.00 जमा की पुष्टि ग्राण्ट-ii से होती है किन्तु इसकी पुष्टि चेक इश्यू रजिस्टर बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न प्रस्तुत करना अपेक्षित रहा ध्यातव्य है कि काटी गयी शेष जी0एस0टी0 ₹0 276072.00 जमा की पुष्टि ग्राण्ट-ii से होती है किन्तु इसकी पुष्टि चेक इश्यू रजिस्टर बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न प्रस्तुत करना अपेक्षित रहा। ध्यातव्य है कि काटी गयी शेष जी0एस0टी0 ₹0 77991.00 जमा न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री सुरेश एवं श्री अखिलेश सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

6.क्षेत्र पंचायत- गडवार (2019-20 से 2020-21 तक)

प्रस्तर- 27

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ₹0 3250508 वर्ष 2020-21 में ₹0 4328388.00 इस प्रकार कुल सामग्री क्रय का भुगतान ₹0 7586896.00 की पुष्टि में जो बिल प्रस्तुत रहे अवलोकन करने पर निम्न कमिया प्रकाश में आयी:-

1. कच्चे/पैड पर सामग्री वाउचर प्रस्तुत।
2. बिना वाउचर सीरियल नं0-के।
- 3.टिन नं0 वाला विल।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 व 2020-21 में कुल क्रय की गयी सामग्री का मूल्य जो फर्म को भुगतान किया गया जो ₹0 7586896.00 है। जो बिना उचित प्रमाणक प्राप्त किये फर्म को किया गया जो अनियमित रहा। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री रणजीत कुमार, श्री विनोद मणि त्रिपाठी, श्री पी०के० सिंह एवं लेखाकार श्री शिवजी राम, श्री विजय उपाध्याय, श्री वीरेंद्र राम, श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी है नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 28

आलोच्य वर्ष 2019-20 व 2020-21 में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार मजदूरी जो भुगतान की गयी क्रमशः ₹0 202860.00 एवं 919620.00 इस प्रकार कुल मजदूरी ₹0 (112248-169640 आपत्ति सं0 10 की धनराशि को घटाते हुए) ₹0 952840.00 के सापेक्ष जो मास्टर रोल प्रस्तुत है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मस्टर रोल जारी नहीं है एवं मस्टर रोल पर श्रमिक का पूर्ण नाम पता अंकित नहीं रहा। कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर भी नहीं पाये गये। मस्टर रोल को भुगतान के बाद निरस्त भी नहीं किया गया। इस प्रकार बिना सही प्रमाणक प्राप्त किये मजदूरी का भुगतान कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री रणजीत कुमार, श्री विनोद मणि त्रिपाठी, श्री पी०के० सिंह एवं लेखाकार श्री शिवजी राम, श्री विजय उपाध्याय, श्री वीरेंद्र राम, श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी है नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 29

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यकार कल्पाण उपकर नियम 2019 नियम 4 (3) के द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार ने कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस आरोपित करनेका आदेश 4 रवरी 2009 में दिया गया जिसकी वसूली आयकर की तरह प्रत्येक कार्य लागतपर भुगतान के समस्त स्रोत पर किया जाना अपेक्षित है। संस्था द्वारा वर्ष 2019-20 व 2020-21 तक राज्य वित्त आयोग चैदहवे वित्त आयोग व क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर निम्न विवरणानुसार कुल ₹0 29525969.00 खर्च है। उक्त कराये गये कार्यों में निर्धारित 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस (कार्य का उपकर) की कटौती ₹0 295259.69 नहीं की गयी जो नियम विरुद्ध है अतः ₹0 295259.69 जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री रणजीत कुमार, श्री विनोद मणि त्रिपाठी, श्री पी०के० सिंह एवं लेखाकार श्री शिवजी राम, श्री विजय उपाध्याय, श्री वीरेंद्र राम, श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी है

क्र 0 सं0	वर्ष	मद का नाम	निर्माण कार्य व्यय	लेबर सेस 1%
1	2019-20	राज्य वित्त	3298349.00	
2	2019-20	विधायक निधि	197915.00	
3	2019-20	राज्य सभा, सांसद निधि	3697939.00	
4	2020-21	राज्य वित्त	10766910.00	
5	2020-21	राज्य सभा, सांसद निधि	1195063.00	
6	2020-21	केन्द्रीय वित्त आयोग	10369793.00	
		योग	29525969.00	295259.69

प्रस्तर- 30

निम्नलिखित कार्य प्रभारी परमेश्वर यादव द्वारा कराया गया है। 1. रामगढ़ में मुख्य सड़क से विशुनदेव यादव के मकान तक सोलिंग कार्य गया। 2. सिहांचवर कला में पी0डब्लू0डी0 रोड से राजनाथ यादव के मकान तक इंटर लाकिंग नाली निर्माण कार्य कराया गया।

उक्त दोनों कार्यों में मजदूरी ₹0 120210.00 व ₹0 49430.00 कार्य प्रभारी द्वारा लिया गया लेकिन उक्त की पुष्टि में निर्माण पत्रावली में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं है और न ही मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। इससे ₹0 169640.00 कार्य प्रभारी द्वारा अपहरण कर लिया

गया जिनकी वसूली ब्याज सहित कार्य प्रभारी परमेश्वर यादव से की जाने की सिफारिश की जाती है।

7.क्षेत्र पंचायत- हनुमानगंज

प्रस्तर- 31

क्षेत्र पंचायत हनुमानगंज वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा में राज्य वित्त 14 वा वित्त तथा 15 वा वित्त के अंतर्गत कोषवही, पत्रावली, प्रस्तुत प्रमाणको के अध्ययन के पश्चात निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई।

1.दिनांक 19- 6 -2020 को क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत 25 सोलर लाइट लगाने हेतु मैसर्स श्री हनुमानजी कंस्ट्रक्शन को रुपया ₹537600 तथा उक्त तिथि में 25 और सोलर लाइट लगाने हेतु हनुमान जी कंस्ट्रक्शन को रुपया 537600 का भुगतान किया गया

2.दिनांक 29-6 -2020 को 10 सोलर लाइट है हेतु मेसर्स हनुमानजी कंस्ट्रक्शन को रुपए ₹219520 का भुगतान दर्शित है

3. दिनांक 1-10- 2020 को 35 सोलर लाइट की स्थापना हेतु रुपया 752640 का भुगतान हनुमान जी कंस्ट्रक्शन को किया गया

4. दिनांक 21- 1 -2021 को बिशनपुरा में पंचायत भवन के बगल में हाई मास्ट लाइट की स्थापना हेतु रुपया 165620 का भुगतान श्री हनुमानजी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर को किया गया

5. दिनांक 31 -12- 2020 को 15वें वित्त के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत में सोलर लाइट की स्थापना हेतु रुपया 903168 का भुगतान मैसर्स श्री हनुमानजी कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर को क्षेत्र पंचायत के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट की स्थापना हेतु भुगतान दर्शित है

अतः आलोच्य वर्ष में कुल रुपए 3116148 का व्यय सोलर लाइट तथा स्ट्रीट लाइट हाई मास्ट की स्थापना हेतु व्यय किया गया है प्रमाणक प्रस्तुत रहे परंतु इन कार्यों में टेंडर संबंधी नियम को दरकिनार कर दिया गया है क्योंकि न ही टेंडर फार्म का मूल्य लिया गया है न ही उनसे जमानत की धनराशि लेकर कोषवही/ग्रांट रजिस्टर पार्ट 3 में सम्मिलित किया गया है अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या- 33/2017/977/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017 दिनांक 29अगस्त 2017 के द्वारा सौर उर्जा आधारित संयंत्रों की गुणवत्ता और क्रियाशालता को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत विभिन्न विभागों की योजनाओं से कराये जाने वाले सौर ऊर्जा संबंधी समस्त कार्य भारत सरकार की नोडल एजेंसी यूपीनेडा से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।जिसमें शासनादेश संख्या- 38/2017/1378/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017 दिनांक 17 अक्टूबर 2017 के द्वारा संशोधन करते हुए मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी क्षेत्र विकास निधियों/अन्य निधियों से कराये जाने वाले कार्यों में जिलाधिकारी के द्वारा यूपीनेडा के अतिरिक्त अन्य संस्था का नियमानुसार चयन किया जा सकता है किन्तु मानक यूपी नेडा के ही होने चाहिए। यूपी नेडा द्वारा बेबसाइट पर घोषित

स्वीकृत दर को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए और 5 वर्ष की वारंटी और वार्षिक रखरखाव भी इसमें सम्मिलित होगा।

अ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा सोलर लाइटों की स्थापना का कार्य कराया गया है किन्तु यह कार्य यूपीनेडा से न कराकर अन्य स्थानीय फर्म से कराया गया है। स्थान का चयन कार्ययोजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है यह अस्पष्ट रहा।

उक्त स्थानीय फर्म यूपीनेडा के निर्धारित मानकों, दर, वारंटी आदि का पालन करती है या नहीं, और फर्म के जिलाधिकारी के द्वारा चयन से सम्बन्धित कोई अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे तत्सम्बन्धी जांच एवं टिप्पणी नहीं की जा सकी। गुणवत्ता और क्रियाशीलता को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत सोलर लाइट स्थापना के संबंध में यूपीनेडा मानक संबंधी पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं रहा उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि रुपए 3116148 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है अतः खंड विकास अधिकारी, जेई(द्वारा कार्य के सापेक्ष कोई आख्या नहीं दी गयी जबकि सोलर लाइट की स्थापना हेतु तकनीकी सहायता उन्हें ही दिया जाना था) , लेखाकार कार्यप्रभारी धर्मेन्द्र यादव तथा ब्लाक प्रमुख संजय तिवारी जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है स्थापित सोलर लाइट की जांच किया जाना चाहिए

प्रस्तर- 32

निम्नलिखित कार्य क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत कराए गए हैं परंतु उस मस्टररोल में मजदूरी की तिथि नहीं लिखी गई है जिससे यह नहीं पता चलता यह कार्य कब प्रारंभ हुआ तथा कब समाप्त हुआ इसके अतिरिक्त व्यय प्रमाणक पर विक्रेता तथा कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर भी नहीं पाया गया स्पष्ट रूप से धन का अपहरण कर लिया गया है कुल रुपया 2276462 की वसूली संबद्ध पक्षों से किया जाना अपेक्षित है

अ) दिनांक 7-6-20 तथा अन्य तिथियों में पी०डब्लू०डी० मार्ग से सोबरन भर के घर तक नाली इन्टरलॉकिंग पर रुपया 225544 का भुगतान कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया परन्तु आयकर तथा जीएसटी पर टीडीएस दर 2% रुपया 4511 तथा 4512 नहीं कटा गया अतः रुपया 9023 की वसूली खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है उक्त कार्य पर अज्ञात तिथि को सिरिअल नंबर 54, बुक नंबर 02 से सामग्री रुपया 396825 का भुगतान कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया परन्तु वाउचर पर विक्रेता तथा कार्यप्रभारी धर्मेन्द्र यादव का हस्ताक्षर नहीं है जबकि मजदूरी हेतु मस्टर रोल रुपया 50340 पर दिनांक नहीं लिखा जिससे यह नहीं पता चल पाया कि कार्य कब से कब तक की गयी अतः रुपया 447165 का अपहरण कर लिया गया अतः खंड विकास अधिकारी, जेई(द्वारा कार्य के सापेक्ष कोई आख्या नहीं दी गयी सिर्फ हस्ताक्षर किया गया), लेखाकार कार्यप्रभारी धर्मेन्द्र यादव तथा ब्लाक प्रमुख संजय तिवारी जिम्मेवार है सब्याज वसूली अपेक्षित है

ब) दिनांक 7-6-20 तथा अन्य तिथियों में करनई में विजयशंकर के घर से गडही तक नाली पेबर्स ब्लॉक पर रुपया 414180 का भुगतान कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया जिसमें दिनांक 4-8-20 को रुपया 72143 का भुगतान किया गया परन्तु वाउचर पर विक्रेता का हस्ताक्षर नहीं है जबकि मजदूरी हेतु मस्टर रोल रुपया 56660 पर दिनांक नहीं लिखा जिससे यह नहीं पता चल पाया की कार्य कब से कब तक की गयी अतः कुल रुपया 542983 का अपहरण कर लिया गया अतः खंड विकास अधिकारी ,जेई(द्वारा कार्य के सापेक्ष कोई आख्या नहीं दी गयी सिर्फ हस्ताक्षर किया गया),लेखाकार कार्यप्रभारी धर्मेन्द्र यादव तथा ब्लाक प्रमुख संजय तिवारी जिम्मेवार है सब्याज वसूली अपेक्षित है

स.दिनांक 7-6-20 को करनईमें नादानजी के घर से अशोक राय के घर के कोने तक नाली पेबर्स पर रुपया 286560 का भुगतान कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया परन्तु मजदूरी हेतु मस्टर रोल रुपया 42000 पर दिनांक नहीं लिखा जिससे यह नहीं पता चल पाया की कार्य कब से कब तक की गयी अतः रुपया 328560 का अपहरण कर लिया गया अतः खंड विकास अधिकारी ,जेई(द्वारा कार्य के सापेक्ष कोई आख्या नहीं दी गयी सिर्फ हस्ताक्षर किया गया),लेखाकार कार्यप्रभारी धर्मेन्द्र यादव तथा ब्लाक प्रमुख संजय तिवारी जिम्मेवार है सब्याज वसूली अपेक्षित है

द) दिनांक 7-6-20 को करनई में अशोक राय के घर से मैन रोड गडही तक पेबर्स ब्लॉक पर रुपया 206427 का भुगतान कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया परन्तु मजदूरी हेतु मस्टर रोल रुपया 30400 पर दिनांक नहीं लिखा इसके अतिरिक्त मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं पाया गया स्पष्टरूप से रुपया 236827 का अपहरण कर लिया गया अतः खंड विकास अधिकारी ,जेई(द्वारा कार्य के सापेक्ष कोई आख्या नहीं दी गयी सिर्फ हस्ताक्षर किया गया),लेखाकार कार्यप्रभारी धर्मेन्द्र यादव तथा ब्लाक प्रमुख संजय तिवारी जिम्मेवार है सब्याज वसूली अपेक्षित है

इ) दिनांक 8-2-21 को पनपोखरा करनई मैन रोड से रामाशीष राजभर के घर तक पेबर्स ब्लॉक पर रुपया 219920 का भुगतान कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया परन्तु मजदूरी हेतु मस्टर रोल रुपया 44670 पर दिनांक नहीं लिखा जिससे यह नहीं पता चल पाया की कार्य कब से कब तक की गयी अतः रुपया 264590 का अपहरण कर लिया गया अतः खंड विकास अधिकारी ,जेई(द्वारा कार्य के सापेक्ष कोई आख्या नहीं दी गयी सिर्फ हस्ताक्षर किया गया),लेखाकार कार्यप्रभारी धर्मेन्द्र यादव तथा ब्लाक प्रमुख संजय तिवारी जिम्मेवार है सब्याज वसूली अपेक्षित है

एफ) दिनांक 4-2-21 तथा अन्य तिथियों में मकरधुन गौंड के दरवाजे से अनिल तिवारी के घर तक पेबर्स ब्लॉक कार्य पर कुल रुपया 416447 का भुगतान कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया परन्तु मजदूरी हेतु मस्टर रोल रुपया 39890 पर दिनांक नहीं लिखा जिससे यह नहीं पता चल पाया की कार्य कब से कब तक की गयी अतः रुपया 456337 का अपहरण कर लिया गया अतः

खंड विकास अधिकारी ,जेई(द्वारा कार्य के सापेक्ष कोई आख्या नहीं दी गयी सिर्फ हस्ताक्षर किया गया),लेखाकार कार्यप्रभारी धर्मेन्द्र यादव तथा ब्लाक प्रमुख संजय तिवारी जिम्मेवार है सब्याज वसूली अपेक्षित है

प्रस्तर- 33

राज्य वित्त, 14 वा वित्त, तथा 15 वा वित्त के अंतर्गत आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित कार्य कराए गए हैं परंतु इन कार्यों के अध्ययन से स्पष्ट होता है की समान मजदूर एक ही दिन में 2 या उससे अधिक कार्यों में मजदूरी कर रहे हैं जो फर्जी तथा नियम विरुद्ध है स्पष्ट रूप से फर्जी कार्य दिखाकर तथा मिलीभगत करके संपूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी, जिन्होंने बिना टेंडर कराए, बिना जमानत लिए ही धन का भुगतान कर तथा बिना जांचे परखे कार्य करा कर, जे0 ई0 बिना साइट पर गए तथा देखे ही फर्जी एमबी तथा एस्टीमेट बनाकर कार्य के सापेक्ष आख्या न देकर, लेखाकार ,जिन्होंने बिना जांचे परखे ही भुगतान किया तथा पत्रावली बनाई,कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र यादव ने न सिर्फ सामग्री आपूर्ति से लेकर फर्जी मस्टररोल बनाकर धन के अपहरण में सहयोग प्रदान किया तथा ब्लाक प्रमुख ने संपूर्ण कार्यों में सामग्री आपूर्ति कर धन के अपहरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया अतः सभी जिम्मेवार हैं तथा सब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है उदाहरण निम्नलिखित कार्य उद्धरित है---(क). करनई पोखरे के घाट का नवनिर्माण सुन्दरीकरण कार्य (दक्षिण साइड)पर सामग्री रुपया 789960 क्रय हुआ जबकि मजदूरी रुपया 170100 दिया गया इस कार्य पर कुल ₹960060 व्यय हुआ है इस कार्य में कुल 25 मजदूर तथा मिस्त्री रहे (उनके नाम इस प्रकार रहे विशंभर / रामनाथ, रिशु / गणेश ,नन्हे / सुदामा, रजनीश / भोला, राजेश / तेज बहादुर ,नरेंद्र / उमानाथ ,दिगंबर / विशंभर ,विवेक मणि / नरेंद्र ,विष्णु मणि / शिव नाथ ,आलोक /निठाली ,माया /आलोक ,वृंदा /विशंभर ,विनोद /रामनाथ ,रागिनी/ विनोद सुभद्रा /राजेश ,विजय बहादुर/ बैजनाथ, बिंदु/ वीरेंद्र ,शिखा/ राजेश द्रविड़/ विजय बहादुर, नेहा /राजेश, विनोद /राजेंद्र, मनोज/ राजेंद्र ,शिवजी /केदार शशि कला/ शिव जी ,सुभाष /जानकी) यह कार्य दिनांक 3-11-20 से 30-11-20 तक कराया गया, उक्त तिथि में ही करनई पोखरा के घाट का नवनिर्माण (पूरब साइड) के सुंदरीकरण पर समान मजदूरों द्वारा काम किया गया है इस पर कुल व्यय रुपया 918357 रहा जिसमें सामग्री पर रुपया ₹726357 कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को भुगतान किया गया तथा मजदूरी 192080 दी गई , करनई पोखरे के घाट का नवनिर्माण सुन्दरीकरण कार्य (उत्तरी साइड)पर सामग्री रुपया 632399 क्रय हुआ जबकि मजदूरी रुपया 126840 दिया गया इस कार्य पर कुल ₹759239 व्यय हुआ है यह कार्य दिनांक 28 -11-20 से 22-12-20 तक कराया गया,यहाँ भी उन्हीं मजदूरों ने कार्य किया ,ग्राम पंचायत विशुनपुरा में पंचायत भवन परिसर में जिग जैग पेबर्स ब्लाक निर्माण कार्य दिनांक 29-11-20 से 18-12-20 तक कराया गया,यहाँ भी उन्हीं मजदूरों ने कार्य किया इस पर कुल व्यय रुपया 823206 रहा जिसमें सामग्री पर रुपया ₹740806 कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को भुगतान किया

गया तथा मजदूरी 82400 दी गई, टेंगरा राजभर के घर से नहर तक नाली निर्माण कार्य दिनांक 06-12-20 से 21-12-20 तक कराया गया,यहाँ भी उन्हीं मजदूरों ने कार्य किया इस पर कुल व्यय रुपया 353356 रहा जिसमें सामग्री पर रुपया ₹303706 कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को भुगतान किया गया तथा मजदूरी 31650 दी गई, डवाकरा भवन का मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य दिनांक 22-12-20 से 18-01-21 तक कराया गया,यहाँ भी उन्हीं मजदूरों ने कार्य किया इस पर कुल व्यय रुपया 616744 रहा जिसमें सामग्री पर रुपया ₹475554 कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को भुगतान किया गया तथा मजदूरी 141190 दी गई , गायत्री नगर करनई से आंवला नाला तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य दिनांक 04-12-20 से 22-12-20 तक कराया गया,यहाँ भी उन्हीं मजदूरों ने कार्य किया इस पर कुल व्यय रुपया 596708 रहा जिसमें सामग्री पर रुपया ₹542678 कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को भुगतान किया गया तथा मजदूरी 54030 दी गई, अन्य कार्यों का विवरण निम्नलिखित है जिसमे उक्त मजदूरों द्वारा समान तिथि में अलग अलग जगहों पर कार्य किया है जो संभव नहीं है अतः समस्त कार्य फर्जी है सभी तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजेश यादव ,धनप्राप्त यादव /प्रशासक ,जे०ई० विरेन्द्र कुशवाहा, लेखाकार माजिद अली खान ,कार्यप्रभारी धर्मेन्द्र यादव तथा ब्लाक प्रमुख संजय तिवारी जिम्मेवार है सब्याज वसूली तथा कड़े अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है

क्रम	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	कुल व्यय	मजदूरों तथा मिस्त्री के नाम
01	करनई पोखरे के घाट का नवनिर्माण सुन्दरीकरण कार्य (दक्षिण साइड) यह कार्य दिनांक 3-11-20 से 30- 11 -20 तक	789960	170100	960060	विशंभर / रामनाथ, रिशु / गणेश ,नन्हे / सुदामा, रजनीश / भोला, राजेश / तेज बहादुर ,नरेंद्र / उमानाथ ,दिगंबर / विशंभर ,विवेक मणि / नरेंद्र ,विष्णु मणि / शिव नाथ ,आलोक /निठाली ,माया /आलोक ,वृंदा /विशंभर ,विनोद /रामनाथ ,रागिनी/ विनोद सुभद्रा /राजेश ,विजय बहादुर/ बैजनाथ, बिंदु/ वीरेंद्र ,शिखा/ राजेश द्रविड़/ विजय बहादुर, नेहा /राजेश, विनोद /राजेंद्र, मनोज/ राजेंद्र ,शिवजी /केदार शशि कला/ शिव जी ,सुभाष /जानकी)

02	करनई पोखरा के घाट का नवनिर्माण सुन्दरीकरण पूरब साइड उक्त तिथि में	726357	192080	918437	यहाँ भी उन्हीं 29 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 3-11-20 से 30- 11 -20 तक
03	करनई पोखरे के घाट का नवनिर्माण सुन्दरीकरण कार्य (उत्तरी साइड)	632399	126840	759239	यहाँ भी उन्हीं 30 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 28 -11-20 से 22-12-20 तक
04	ग्राम पंचायत विशुनपुरा में पंचायत भवन परिसर में जिग जैग पेबर्स ब्लाक	740806	82400	823206	यहाँ भी उन्हीं 17मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 29-11-20 से 18-12-20 तक
05	टेंगरा राजभर के घर से नहर तक नाली निर्माण	303706	31650	335356	यहाँ भी उन्हीं 9 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 06-12-20 से 21-12-20 तक
06	डवाकरा भवन का मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	475554	141190	616744	यहाँ भी उन्हीं 21मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 22-12-20 से 18-01-21 तक
07	गायत्री नगर करनई से आंवला नाला तक भूमिगत नाली	542678	54030	596708	यहाँ भी उन्हीं 12मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 04-12-20 से 22-12-20 तक
08	तीखमपुर में आनन्द वर्मा के घर से ललन वर्मा के घर तक इंटरलॉकिंग	154190	15830	170020	यहाँ भी उन्हीं 9 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 20-01-21 से 27-01-21 तक
09	भरतपुरा में राकेश पाण्डेय के घर से मैन खडंजा तक इंटरलॉकिंग	323858	34200	358058	यहाँ भी उन्हीं 8 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 20-01-21 से 03-02-21 तक
10	करनई पोखरे के घाट के उत्तरी छोर से नाला तक नाली निर्माण	246579	70710	317289	यहाँ भी उन्हीं 13 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 2-02-21 से 25-02-21 तक

11	वि०ख० में कार्यालय मरम्मत एवं रंगाई पुताई	161108	50550	211658	यहाँ भी उन्हीं 13 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 8-02-21 से 25-02-21 तक
12	जीराबस्ती में में बच्चालाल के घर से श्रीनिवास उपाध्याय के घर तक पेबर्स	196096	28080	224176	यहाँ भी उन्हीं 08 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 8-02-21 से 23-02-21 तक
13	करनई पोखरे का पाथवे निर्माण	397142	75800	472942	यहाँ भी उन्हीं 16 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 08-02- 21 से 28-02-21 तक
14	वि०ख०कार्यालय और आवासीय भवनों में वायरिंग मरम्मत	45974	18150	64124	यहाँ भी उन्हीं 08 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 08-02- 21 से 15-02-21 तक
15	करनई पोखरे के घाट के उत्तरी छोर से नाला तक नाली निर्माण	353195	70710	423905	यहाँ भी उन्हीं 13 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 2-02-21 से 25-02-21 तक
16	एच के जी स्कूल जे०पी०नगर वाले गली के मुहाने से कटहल नाला तक ह्यूमपाइप	801700	87400	889100	यहाँ भी उन्हीं 16 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 6-02-21 से 28-02-21 तक
17	बसन्तपुर मेन रोड से चेतन सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग	444174	59200	503374	यहाँ भी उन्हीं 13 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 6-02-21 से 28-02-21 तक
18	जीराबस्ती में उदयभान सिंह के घर से मुरलीधर के घर तक इंटरलॉकिंग	204358	29760	234118	यहाँ भी उन्हीं 09 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 6-02-21 से 20-02-21 तक

19	विसुनपुरा हनुमान मन्दिर पर व्यायामशाला	287188	89310	376498	यहाँ भी उन्हीं 17 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 9-02-21 से 05-03-21 तक
20	सोबईबांध में पी डब्ल्यू डी रोड के किनारे हरिशंकर के घर से पेट्रोलपंप के आगे तक नाली	693809	69900	763709	यहाँ भी उन्हीं 12 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 09-02-21 से 08-03-21 तक
21	बिभिन्न स्थानों पर 20 अदद सोखता	379396	61200	440596	यहाँ भी उन्हीं 13 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 6-02-21 से 26-02-21 तक
22	वि0ख0कार्यालय परिसर में गेट के सामने सी सी रोड	379384	47820	427204	यहाँ भी उन्हीं 12 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 10-02-21 से 27-02-21 तक
23	करनई में राजकुमार के घर से विजय के घर तक पेबर्स ब्लाक	213916	26590	240506	यहाँ भी उन्हीं 09 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 08-02-21 से 20-02-21 तक
24	करनई में शिवमंदिर पोखरे का जलसंचयन हेतु जीर्णोद्धार	444007	39050	483057	यहाँ भी उन्हीं 13 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 8-02-21 से 28-02-21 तक
25	करनई पोखरे के घाट का नवनिर्माण सुन्दरीकरण (पश्चिम साइड)	757969	205370	963339	यहाँ भी उन्हीं 35 मजदूरों ने कार्य किया दिनांक 22-02-21 से 20-03-21 तक
	योग	10695503	1877920	12573423	

प्रस्तर- 34

आलोच्य वर्ष में 5 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है प्रत्येक की लागत रुपया 571000 है जिसमे 15 वित्त से रुपया 472603 सामग्री अंश तथा मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत रुपया 98397 मजदूरी मद पर व्यय किया जाना है परन्तु एम् बी करते समय इंजीनियर ने मिस्त्री तथा मजदुर पर होने वाले व्यय को अलग अलग नहीं किया जो अपेक्षित रहा ,पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है इन कार्यों के सापेक्ष टेंडर नहीं कराया गया जो अनियमित रहा इन कार्यों हेतु कमला इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गयी है तथा मजदूरी(अकुशल मजदुर को मनरेगा

कन्वर्जेन्स के अंतर्गत) दिया गया परन्तु कुशल मजदुर/मिस्त्री को मजदूरी न दे कर गंभीर अनियमितता रुपया (2134456 - 91053 =2043403)की गयी है जिसके लिये कार्यक्रम/खण्ड विकास अधिकारी,जे ई लेखाकार तथा कार्यप्रभारी जिम्मेवार है क्योंकि शौचालय का निर्माण कार्य अकुशल मजदुर नहीं कर सकते तथा कुशल मजदुर को मजदूरी न देकर उनका आर्थिक शोषण किया गया है कार्य की उच्चस्तरीय जाँच किया जाना चाहिए

क्रम	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	कुल व्यय
01	ए एन एम सेण्टर करनई के पास सामुदायिक शौचालय	451150	83616	534766
02	वि0ख0कार्यालय परिसर में सामुदायिक शौचालय	439896	52260	492156
03	पंचायत भवन विशुनपुरा के बगल में सामुदायिक शौचालय	451120	49647	500767
04	करनई शिवमंदिर के पास सामुदायिक शौचालय	218662	83616	302278
05	बिसुनपुरा में केदारनाथ सेवासदन में सामुदायिक शौचालय	218662	85827	304489

कार्य संख्या 4,5 में दिनांक 8-12-20 को सामग्री का भुगतान किया गया परन्तु मनरेगा के अंतर्गत मस्टर रोल संख्या 5088 तथा 5089, 5086,5087 से दिनांक 23-2-21 से दिनांक 8-3-21 तक कार्य के सापेक्ष रुपया 44421,46632 मजदूरी दी गयी जबकि सामग्री क्रय ही नहीं हुई जबकि यहाँ भी शिखा तिवारी, मुन्नी, नरेन्द्र राजेश तिवारी, सुभद्रा, विवेकमणि, नरेन्द्र, बिंदु तिवारी मीना, पूजा तिवारी द्वारा कार्य किया गया है जबकि इन्होंने कार्य संख्या 25 में उन्ही तिथियों में कार्य किया है स्पष्ट रूप से फर्जी मजदूरी दिया गया है जिसके लिये कार्यक्रम अधिकारी, जे ई लेखाकार तथा कार्यप्रभारी जिम्मेवार है अतः रुपया 44421+46632 = 91053 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है

प्रस्तर- 35

पन्द्रहवा वित्त के अंतर्गत दिनांक 26-11-2020 को क्षेत्रपंचायत हनुमानगंज में बिभिन्न स्थानों पर 70 कूड़ादान/डस्टबिन की स्थापना हेतु माँ दुर्गा कंस्ट्रक्शन कुम्हैला को रुपया 403200 का भुगतान किया गया परन्तु अभिलेख देखने पर स्पष्ट होता है इस कार्य हेतु टेंडर नहीं कराया गया क्योंकि न ही टेंडर फॉर्म बेचा गया न ही जमानत की धनराशी ही लिया गया परन्तु कूड़ादान/डस्टबिन की स्थापना कहाँ की गयी सम्बंधित सूची/फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में नहीं दी गयी जिससे क्रय की पुष्टि हो सके अतः सरकारी धन के व्यय में अनियमितता की गयी है जिसके लिये राजेश यादव, खण्ड विकास अधिकारी,वीरेन्द्र कुशवाहा जे० ई०(इस निर्देश के साथ की वे अपने तकनिकी मार्गदर्शन का अनुपालन सुनिश्चित

करें तथा कार्य के सापेक्ष आख्या दे) लेखाकार तथा कार्यप्रभारी (को कार्य पूर्ण करने तथा स्थलवार सूचि तथा फोटोग्राफ प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी है) जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर- 36

अ).दिनांक 7-6-20 तथा अन्य तिथियों में pwd मार्ग से सोबरन भर के घर तक नाली इन्टरलॉकिंग पर रुपया 225544 का भुगतान कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया परन्तु आयकर तथा जीएसटी पर टीडीएस दर 2%रुपया 4511 तथा 4512 नहीं कटा गया अतः रुपया 9023 की वसली खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है उक्त कार्य पर अज्ञात तिथि को सिरिअल नंबर 54,बुक नंबर 02 से सामग्री रुपया 396825 का भुगतान कमला इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया परन्तु वाउचर पर विक्रेता तथा कार्यप्रभारी धर्मेन्द्र यादव का हस्ताक्षर नहीं है जबकि मजदूरी हेतु मस्टर रोल रुपया 50340 पर दिनांक नहीं लिखा जिससे यह नहीं पता चल पाया की कार्य कब से कब तक की गयी अतः रुपया 447165 का अपहरण कर लिया गया अतः खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव ,जेई श्री वीरेंदर कुशवाहा (द्वारा कार्य के सापेक्ष कोई आख्या नहीं दी गयी सिर्फ हस्ताक्षर किया गया),लेखाकार श्री माजिद अली खान कार्यप्रभारी धर्मेन्द्र यादव तथा ब्लाक प्रमुख संजय तिवारी जिम्मेवार है सब्याज वसूली अपेक्षित है

प्रस्तर- 37

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत हनुमानगंज के अंतर्गत राज्य वित्त 14वां वित्त तथा 15 वा वित्त के अंतर्गत कुल 50 कार्य कराए गए हैं परंतु सिर्फ 3 कार्य के सापेक्ष रुपए 9000 टेंडर फार्म की बिक्री दर्शित है जबकि अन्य कार्यों के सापेक्ष टेंडर प्रपत्र की बिक्री न कर तथा ग्रांट रजिस्टर में अंकित न कर धन रुपया 141000 का अपहरण कर लिया गया है $(50 \times 3 \times 1000 = 150000 - 9000 = 141000)$ प्राप्त नियमों के अनुसार टेंडर प्रपत्र का मूल्य एक लाख से 10 लाख के अनुमानित मूल्य के टेंडर के लिए अनुमानित मूल्य का 0.2% और 10 लाख से ऊपर के लिए 0.15% सुनिश्चित किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार जिम्मेवार है सब्याज वसूली अपेक्षित है जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, श्री धनप्राप्त यादव एवं लेखाकार श्री माजिद अली खान उत्तरदायी है

प्रस्तर- 38

चन्दुकी करनई मुख्य मार्ग से ओंकार राय के घर तक मिट्टी और खड्गजा निर्माण कार्य हेतु 235.87 घनमी कार्टेज मिट्टी दर रुपया 195.7 रुपया 46159.76 क्रय किया गया परन्तु पत्रावली में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया है परन्तु पत्रावली में एम0-11/ फार्म 3 सी0 प्रस्तुत नहीं रहा अतः उनके विलों पर पूर्व निर्धारित दर से (रु0 30 प्रति घन मी0 रु0 7076.00 की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में जमा नहीं किया गया। अतः 7076 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से कर सम्वद्व लेखा शीर्ष में जमा किया जाना चाहिये।

8.क्षेत्र पंचायत- सोहॉव वर्ष 2020-21

प्रस्तर- 39

ग्राम पंचायत खमीरपुरडीह में पिच रोड से हरखदेव यादव के घर तक रोड में पुलिया निर्माण एवं खड्गजा मरम्मत कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयी:-

1.स्टीमंट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं

है। टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धी कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण -पत्र कि संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

3. फर्म मां कामाख्या कन्सल्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो अपत्तिजनक है।

कार्य के प्रारम्भ ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

5. इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6. मस्टररोल रु0 115750.00 में से रु0 60000.00 चेक सं0 026700 दिनांक 18-5-2020 एवं रु0 55750.00 चेक सं0 026374 दिनांक 25-9-2020 द्वारा कार्यप्रभारी श्री वागेयवर कुमार सहायक विकास अधिकारी सहकारिता को भुगतान किया गया है। कार्य 23-3-2020 से 28-3-2020 एवं 17-4-2020 से 22-4-2020 तथा 18-5-2020 से 25-5-2020 तक किया गया है जबकि मस्टररोल एक ही बनाया गया है। प्रथम प्राप्त 60000.00 में से किन-किन मजदूरों को कितना भुगतान किया गया है स्पष्ट नहीं किया गया है। कार्य समाप्ति तिथि 25-5-2020 के ठीक 4 माह बाद शेष रु0 55750.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। स्पष्ट है कि मजदूरों के मजदूरी का भुगतान विलम्ब से कर स्थानीय मजदूरों का आर्थिक शोषण किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य संपादन में दर्शित कटौती उपरान्त सामग्री मूल्य रु0 492293.00 सहित कुल व्यय धनराशि रु0 608043.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री वागेश्वर कुमार कार्यप्रभारी श्री बृजेश कुमार गुप्ता लेखाकार श्री सुराली पासवान अवर अभियन्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार चौरसिया संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 40

ग्राम पंचायत सरवनपुर में नाग बाबा के कुटिया तक पेवर्स कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं-

1. स्टीमंट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं

है। टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धी कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण -पत्र कि संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पन्न नहीं है इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

3. फर्म मां कामाख्या कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो अपत्तिजनक है।

4. कार्य के प्रारम्भ ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

5. इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6. मस्टररोल रु0 86400.00 में से रु0 50000.00 चेक सं0 026700 दिनांक 18-5-2020 एवं रु0 36400.00 चेक सं0 026374 दिनांक 25-9-2020 द्वारा कार्यप्रभारी श्री वागेयवर कुमार सहायक विकास अधिकारी सहकारिता को भुगतान किया गया है। कार्य 25-3-2020 से 30-3-2020 एवं 14-4-2020 से 19-4-2020 तथा 12-5-2020 से 24-5-2020 तक किया गया है जबकि मस्टररोल एक ही बनाया गया है। प्रथम प्राप्त 50000.00 में से किन-किन मजदूरों को कितना भुगतान किया गया है स्पष्ट नहीं किया गया है। कार्य समाप्ति तिथि 24-5-2020 के ठीक 4 माह बाद शेष रु0 36400.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। स्पष्ट है कि मजदूरों के मजदूरी का भुगतान विलम्ब से कर स्थानीय मजदूरों का आर्थिक शोषण किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य सम्पन्न में दर्शित कटौती उपरान्त सामग्री मूल्य रु0 501263.00 सहित कुल व्यय धनराशि रु0 587661.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री वागेश्वर कुमार कार्यप्रभारी श्री बृजेश कुमार गुप्ता लेखाकार श्री सुराली पासवान अवर अभियन्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार चौरसिया संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा

परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 41

नरही थाना परिसर में इन्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियों पाई गयीं-

1. स्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धी कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण -पत्र कि संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पन्नित नहीं है इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। थाना परिसर में क्षेत्र पंचायत द्वारा इन्टरलाकिंग कार्य कराने सम्बन्धी कोई गाइडलाइन आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। 3.
3. फर्म नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी मानपुर बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो अपत्तिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
5. इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. मस्टररोल रू0 108600.00 में से प्रथम रू0 16000.00 दूसरा रू0 32600.00 के मस्टररोल पर कार्य की अवधि एवं मजदूरों का नाम,पता,हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशान नहीं अंकित है एवं न ही इसका भुगतान कार्य प्रभारी अथवा मजदूरों को पी0एफ0ए0एस0 द्वारा किये जाने का कोई साक्ष्य ही पत्रावली में उपलब्ध है। तीसरे मस्टररोल रू0 60000.00 पर कार्य अवधि मजदूरों का हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान एवं पी0एफ0एम0एस0 से भुगतान का साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। प्रथम एवं दूसरे मस्टररोल से कार्य कराया गया या नहीं है। यदि कार्य कराया गया है और मजदूरी का भुगतान ही नहीं किया गया है तो यह अत्यन्त ही गम्भीर प्रकार का प्रकरण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य संपादन में दर्शित कटौती उपरान्त सामग्री मूल्य रू0 1246120.00 सहित कुल व्यय धनराशि रू0 1354720.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री रितेश कुमार राय ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यप्रभारी श्री बृजेश कुमार गुप्ता लेखाकार श्री सुराली पासवान अवर अभियन्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 42

ग्राम पिंपरा कला में राकेश सिंह के घर से शिव कुमार के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:

1. स्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धी कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण -पत्र कि संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पन्न नहीं है इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी मानपुर बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो अपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
5. इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूति प्रमाण पत्र/एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. मस्टररोल रु0 38300.00 में से प्रथम रु0 20000.00 के मस्टर रोल पर मजदूरों का हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशान नहीं अंकित है एवं ही इसका भुगतान कार्य प्रभारी अथवा मजदूरों को पी0एफ0एम0एस0 द्वारा किये जाने का कोई साक्ष्य ही पत्रावली में उपलब्ध है। दूसरा मस्टररोल रु0 18300.00 पर मजदूरों का हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान एवं पी0एफ0एम0एस0 से भुगतान का साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। प्रथम मस्टररोल से कार्य कराया गया यानहीं स्पष्ट नहीं है। यदि कार्य कराया गया है और मजदूरी का भुगतान ही नहीं किया गया है तो यह अत्यन्त ही गम्भीर प्रकार का प्रकरण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य संपादन में दर्शित कटौती उपरान्त सामग्री मूल्य रु0 333844.00 सहित कुल व्यय धनराशि रु0 372144.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री प्रमोद कुमार गुप्ता ए0डी0ओ0 आई0 एस0बी0 कार्यप्रभारी श्री बृजेश कुमार गुप्ता लेखाकार श्री सुराली पासवान अवर अभियन्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 43

ग्राम खमीरपुरडीह में शिवजी के खेत से देवनाथ के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं-

1. टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धी कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण -पत्र कि संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पन्न नहीं है इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

3. फर्म नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी मानपुर बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो अपतिजनक है।
4. फर्म के बिल सं० 144 दिनांक 3-2-2021 एवं बिल सं० 351 दिनांक 10-2-2021 रु० 17272.00 में कटौती उपरान्त रु० 147165.00 तथा 16436.00 के भुगतान सम्बन्धी कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. मस्टररोल रु० 22000.00 कार्य दिनांक 8-2-2021 तक का भुगतान कार्य प्रभारी अथवा मजदूरों को पी०एफ०एम०एस० द्वारा किये जाने का कोई साक्ष्य ही पत्रावली में उपलब्ध है। कार्य कराया गया है और मजदूरी का भुगतान ही नहीं किया गया है तो यह अत्यन्त ही गम्भीर प्रकार का प्रकरण है।

7. कार्य के प्रारम्भ ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य सम्पदन में दर्शित कटौती उपरान्त सामग्री मूल्य रु० 163601.00 सहित कुल व्यय धनराशि रु० 185601.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री प्रमोद कुमार गुप्ता ए०डी०ओ० आई० एस०बी० कार्यप्रभारी श्री बृजेश कुमार गुप्ता लेखाकार श्री सुराली पासवान अवर अभियन्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 44

ग्राम पंचायत सरायकोटा के पी०डब्ल्यू०डी अतिथि गृह में आर०ओ० प्लॉट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपतितयां पाई गयीं-

1. टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धी कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। स्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण -पत्र कि संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पन्न नहीं है इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी मानपुर बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो अपतिजनक है।
4. फर्म के बिल सं० 362 दिनांक 26-3-2021 में रु० 474300.00 में कटौती उपरान्त रु० 454047.00 के भुगतान सम्बन्धी टिप्पणी एवं आदेश पत्रावली में संलग्न नोटशीट पर अंकित है। इसका अंकन मार्च-2021 के बाद ग्राण्ट रजिस्टर भाग-2 में किया गया है। बैंक स्टेटमेंट

के अनुसार बिल की सम्पूर्ण धनराशि रु0 474300.00 का भुगतान किया गया है। कोई कटौती नहीं किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिल दिनांक 26-3-2021 के सापेक्ष खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 621 दिनांक 20-5-2021 द्वारा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बलिया से सहमति एवं अनुमति मांगी गई है एवं इसी पत्र पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा 24-5-2021 की तिथि में संस्तुति भी किया गया है।

5. इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6. कार्य के प्रारम्भ ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

इस प्रकार उपरोक्त क्रय स्टॉक के आमद एवं उपभोग/स्थापना सम्बन्धि कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मिली भगत कर स्टॉक/अनुदान का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु श्री प्रमोद कुमार गुप्ता ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 कार्य प्रभारी श्री बृजेश कुमार गुप्ता लेखाकार श्री सुराली पासवान अवर अभियन्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांचोपरान्त वसूली एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 45

कोरन्टाडीह पुलिस चौकी में आर0ओ0 प्लॉट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं-

1. टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धी कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। स्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण -पत्र कि संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी मानपुर बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो अपत्तिजनक है।
4. फर्म के बिल सं0 363 दिनांक 26-3-2021 रु0 474300.00 में कटौती उपरान्त रु0 454047.00 के भुगतान सम्बन्धी टिप्पणी एवं आदेश पत्रावली में संलग्न नोटशीट पर अंकित है। इसका अंकन मार्च-2021 के बाद ग्राण्ट रजिस्टर भाग-2 में किया गया है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बिल की सम्पूर्ण धनराशि रु0 474300.00 का भुगतान किया गया है। कोई कटौती नहीं किया गया है।
5. इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. कार्य के प्रारम्भ ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

इस प्रकार उपरोक्त क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग/स्थापना सम्बंधित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मिली भगत कर स्टाक/अनुदान का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु श्री वागेश्वर कुमार ए0डी0ओ0 सहकारिता कार्य प्रभारी श्री बृजेश कुमार गुप्ता लेखाकार श्री सुराली पासवान अवर अभियन्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांचोपरान्त वसूली एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 46

एन0एच0-31 लक्ष्मणपुर चट्टी पर आर0ओ0 प्लाट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं-

1. टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धी कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। स्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण -पत्र कि संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पन्न नहीं है इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी मानपुर बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो अपतिजनक है।
4. फर्म के बिल सं0 364 दिनांक 28-3-2021 रु0 474300.00 में कटौती उपरान्त रु0 454047.00 के भुगतान सम्बन्धी टिप्पणी एवं आदेश पत्रावली में संलग्न नोटशीट पर अंकित है। इसका अंकन मार्च-2021 के बाद ग्राण्ट रजिस्टर भाग-2 में किया गया है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बिल की सम्पूर्ण धनराशि रु0 474300.00 का भुगतान किया गया है। कोई कटौती नहीं किया गया है।
5. इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. कार्य के प्रारम्भ ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

इस प्रकार उपरोक्त क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग/स्थापना सम्बन्धी कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मिली भगत कर स्टाक/अनुदान का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु श्री रितेश कुमार राय ग्रा0पं0अ0 कार्यप्रभारी बृजेश कुमार गुप्ता लेखाकार श्री सुराली पासवान अवर अभियन्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांचोपरान्त वसूली एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 47

थाना नरही परिसर में आर0ओ0 प्लान्ट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं-

1. टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धी कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। स्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण -पत्र कि संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पन्न नहीं है इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी मानपुर बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो अपतिजनक है।
4. फर्म के बिल सं0 365 दिनांक 28-3-2021 ₹0 474300.00 में कटौती उपरान्त ₹0 454047.00 के भुगतान सम्बन्धी टिप्पणी एवं आदेश पत्रावली में संलग्न नोटशीट पर अंकित है। इसका अंकन मार्च-2021 के बाद ग्राण्ट रजिस्टर भाग-2 में किया गया है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बिल की सम्पूर्ण धनराशि ₹0 474300.00 का भुगतान किया गया है। कोई कटौती नहीं किया गया है।
5. इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. कार्य के प्रारम्भ ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

इस प्रकार उपरोक्त क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग/स्थापना सम्बन्धी कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मिली भगत कर स्टाक/अनुदान का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु श्री रितेश कुमार राय ग्रा0पं0अ0 कार्यप्रभारी बृजेश कुमार गुप्ता लेखाकार श्री सुराली पासवान अवर अभियन्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांचोपरान्त वसूली एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48

निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय बिलों से जी0एस0टी0 की कटौती नहीं किया गया है

क्र 0 सं0	कार्य का नाम	बिल की	आंकलित जी0एस0टी0 2 प्रतिशत	ग्रान्ट- 2 पेज	अन्य
1	नसीर पेवर्स ब्लाक सामग्री	206128	4122.56	175	
2	सरवन पेवर्स ब्लाक सामग्री	190086	3801.72	175	
3	खमीरपुरडीह पुलिया निर्माण	161333	3226.66	175	
4	नसीरपुर कला पेवर्स ब्लाक सामग्री	166713	3334.26	175	

5	नसीरपुर टुटुवारी पेवर्स मरम्मत	199293	3985.86	175	
6	सरवनपुर पेवर्स निर्माण	144843	2896.86	175	
7	खमीरपुरडीह पुलिया निर्माण	194249	3884.98	175	
8	नसीरपुर कला पेवर्स ब्लाक सामग्री	216057	4321.14	175	
9	सरवनपुर पेवर्स ब्लाक निर्माण	166332	3326.64	175	
10	खमीरपुरडीह पुलिया निर्माण	136711	2734.22	175	
11	नसीरपुर कला पेवर्स ब्लाक सामग्री	199429	3988.58	176	
12	कुल्हड़िया पेवर्स निर्माण	189946	3798.92	176	
13	खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत	36246	724.92	176	
14	नसीरपुर मठ पेवर्स ब्लाक सामग्री	81568	1631.36	176	
15	नरही थाना परिसर सी0सी0 कार्य	94935	1898.70	176	
16	कुल्हड़िया पेवर्स कार्य	174831	3496.62	176	
17	आर0ओ0 प्लांट स्थापना	440000	8800.00	176	
18	नसीरपुर कला पेवर्स ब्लाक सामग्री	211589	4231.78	44	
19	सोहांव में सी0सी0 रोड एवं ड्रेन	96848	1936.96	147	
	योग-		66142.74		

उपरोक्त विवरण के अनुसार जी0एस0टी0 में रु0 66143.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है जो गम्भीर अनियमिता है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री आनन्द राजेश अतुल एवं लेखाकार श्री बृजेश संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। इस प्रकार हुई क्षतिपूर्ति विभागीय जांचोपरान्त इनसे की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 49

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा-

क्र 0 सं0	चेक सं0/दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	अभ्युक्ति	ग्रांट-2 पेज
1	029097/27-1-2021	14488.00	मे0 सहारा इन्डिया कम्युनिकेशन	विज्ञापन प्रकाशन	20
2	026696/8.5.2020	40000.00	लक्ष्मी एडवर्टाइजर्स	सेनिटाइजेशन	23
3	026697/8-5-2020	74700.00	सैनिम इलेक्ट्रिक	आलमारी क्रय	23
4	026363/18-5-2020	40330.00	रामू स्टेशनरी	स्टेशनरी	23
5	018489/28-4-2020	9706.00	इन्जिनियर फिलिंग सेन्टर	डीजल	24
6	018492/18-6-2020	70000.00	शा0प्र0 सी0बी0आई सोहांव	शादी अनुदान	26
7	00005/26-3-2021	81969.00	शा0प्र0 एस0बी0आई0 बलिया	आयकर जमा	95
8	018504/26-3-2021	38528.00	शा0प्र0 एस0बी0आई0 बलिया	जी0एस0 टी0 जमा	108
9	018037/10-2-2021	33662.00	मुख्य विकास अधिकारी बलिया	सांसद निधि ब्याज वापस	121
10	018498/10-2-2021	201712.00	पी0डी0बलिया	वि0नि0 बयाज वापस	121
11	पी0एफ0एम0एस0	36060.00	बलिया इनर्जी प्वाइन्ट	डीजल	178
12	018499/23-3-2021	279118.00	शा0 प्र0 एस0बी0आई0 बलिया	आयकर जमा	51
13	018503/26-3-2021	240750.00	शा0प्र0 सी0बी0आई0 बलिया	जी0एस0 टी0 जमा	62
	योग-	1161023.00			

इस प्रकार उक्त रू0 1161023.00 व्यय के सापेक्ष प्रमाणक,बिल बाउचर अथवा पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय राजकीय धन का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु लेखाकार श्री बृजेश खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द राजेश एवं अतुल संयुक्त रूप से जिम्मेदार

है। विभागीय जांचोपरान्त कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए इनसे वसूली एवं विधिक कार्यवाही वांछित है।

प्रस्तर- 50

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा-

क्र 0 सं0	चेक सं0/दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	अभ्युक्ति	ग्रांट-2 पेज
1	पी0एफ0एम0एस0/21-11-2020	469077	लूमिस्ट्रा सोलर	सीमेन्टेड बेंच	2
2	पी0एफ0एम0एस0/	469077	लूमिस्ट्रा सोलर	सीमेन्टेड बेंच	2
3	पी0एफ0एम0एस0/	454047		नेशनल ट्रेडिंग कमपनी	2
4	पी0एफ0एम0एस0/	454047		आर0ओ0प्लांट स्थापना	2
5	पी0एफ0एम0एस0/	300149	लूमिस्ट्रा सोलर	सोलर लाइट	2
6	पी0एफ0एम0एस0/	536088	लूमिस्ट्रा सोलर	सोलर लाइट	5
7	25-09-20	1072176	पाठक इन्टर प्राइजेज	सोलर लाइट	177
8	19-01-21	771967	लूमिस्ट्रा सोलर	सोलर लाइट	178
9	19-01-21	536088	लूमिस्ट्रा सोलर	सोलर लाइट	178
10	19-01-21	536008	लूमिस्ट्रा सोलर	सोलर लाइट	178
11	पी0एफ0एम0एस0/2.3.21	214435	लूमिस्ट्रा सोलर	सोलर लाइट	179
12	पी0एफ0एम0एस0/2.3.21	214435	लूमिस्ट्रा सोलर	सोलर लाइट	179
	योग-	6027594			

इस प्रकार उक्त रू0 6027594.00 व्यय के सापेक्ष बाउचर अथवा पत्रावली टेंडर जियोटैग आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय राजकीय धन का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु लेखकार श्री बृजेश खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द राजेश एवं अतुल संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। विभागीय जांचोपरान्त कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए इनसे वसूली एवं विधिक कार्यवाही वांछित है।

9.क्षेत्र पंचायत- नवानगर

प्रस्तर- 51

शासनादेश सं0-977/45-वि0 (अति0, उर्जा स्रोत वि0)/2017 दिनांक 29-08-2017 के अनुसार सोलर लाइट की स्थापना हेतु सोलर लाइट का क्रय उ0प्र0 नेडा से किया जाएगा। किन्तु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त से क्षेत्र पंचायत के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 40 अदद सोलर लाईट की स्थापना का कार्य कराया गया है। उक्त सोलर लाईट स्थापना कार्य में कुल रू0 1723680.00 का भुगतान “पाठक इंटरप्राइजेज,देवरिया” को किया गया है। इस प्रकार सोलर लाईट स्थापना कार्य में उ0प्र0 नेडा को भुगतान न करके प्राइवेट संस्था को किया गया है साथ ही उपलब्ध फाइल सोलर लाईट स्थापना का फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं है इस प्रकार सोलर लाईट स्थापना कार्य में उक्त शासनादेश का उलंघन कर रू0 1723680.00 की अनियमितता की गयी है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार वर्मा खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रसिद्ध नाथ त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री विजयंत सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-52

क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बैठक हेतु यात्रा भत्ता रू0 68000.00 का भुगतान दिनांक 14-09-2020 को चेक सं. 005963 से कैशियर श्री अनिरुद्ध कुमार को किया गया है, किन्तु यात्रा भत्ता की पुष्टि में प्राप्त रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे बैठक/यात्रा भत्ता में व्यय धनराशि रू0 68000.00 की पुष्टि नहीं हो सकी। लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि के संदर्भ में अभिलेख प्रस्तुत न करके रू० 68000.00 की अनियमितता की गयी है, जिसके लिए कैशियर श्री अनिरुद्ध कुमार ,खंड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार वर्मा उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-53

दिनांक 31-03-2021 को ग्रांट रजि0-3 में जी.एस.टी. कटौती रू0 118446.00 अवशेष के रूप में दर्शित है। स्पष्ट है की वित्तीय वर्ष के अंत तक जी.एस.टी. कटौती की सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा नहीं किया गया है। जी.एस.टी. कटौती की सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा न करके अनियमितता की गयी है, जिसके लिए लेखाकार श्री विजयंत सिंह एवं खंड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार वर्मा उत्तरदायी है। जी.एस.टी. कटौती की शेष धनराशि व्याज सहित जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54

क्षेत्र पंचायत नवानगर में दिनांक 31-03-2021 को ग्रांट रजिस्टर 3 में आयकर कटौती ₹0 154961.00 अवशेष के रूप में दर्शित है। उक्त धनराशि को आयकर विभाग को जमा किया जाना चाहिए था। इस प्रकार आयकर कटौती की धनराशि रोककर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए लेखाकार श्री विजयंत सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार वर्मा उत्तरदायी है। आयकर कटौती की शेष धनराशि ब्याज सहित जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-55

राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों पर मजदूरी का भुगतान कार्य कराने के 3 महीने से 8 महीने के बाद किया गया है, जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों को उनके खातों में साप्ताहिक रूप से किया जाना चाहिए इस प्रकार मजदूरों को मजदूरी का भुगतान विलम्ब से करके अनियमितता की गयी है।

विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	मस्टर रोल में अंकित कार्य अवधि	पी०एफ०एम०एस० से भुगतान का दिनांक	मजदूरी की धनराशि
1	ग्राम पंचायत गोसाईपुर में मनियर-सिकन्दरपुर पी.डब्ल्यू.डी. रोड से विजय सिंह के घर तक पेवर्स कार्य	19-01-2021 से 31-01-2021	10-06-2021	18040.00
		01-02-2021 से 25-02-2021	10-06-2021	36080.00
2	ग्राम पंचायत जजौली में मज्बुल्लाह के घर से पवन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	19-01-2021 से 31-01-2021	10-06-2021	18040.00
		01-02-2021 से 25-02-2021	10-06-2021	36080.00
3	ग्राम पंचायत नवानगर में शान्ति देवी मेमोरियल स्कूल के सामने आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य	19-01-2021 से 30-01-2021	27-06-2021	9020.00
		01-02-2021 से 28-02-2021	27-06-2021	19680.00
		01-03-2021	27-06-2021	11480.00
4	ग्राम पंचायत जजौली में मोहन गुप्ता के घर से सड़क तक पेवर्स	19-01-2021 से 31-01-2021	10-06-2021	9020.00
		01-02-2021 से 28-02-2021	10-06-2021	19680.00

		01-03-2021 से 06-03-2021	10-06-2021	4920.00
5	डूहा बिहरा के भारतीय पूरा में जय नारायण के घर से मेन पिच रोड तक पेवर्स कार्य	19-01-2021 से 30-01-2021	10-06-2021	9020.00
		01-02-2021 से 28-02-2021	10-06-2021	20500.00
		01-03-2021 से 20-03-2021	10-06-2021	22140.00
6	ग्राम पंचायत हडसर में नरेश वर्मा के खेत से महाबीर के घर तक पेवर्स कार्य	15-05-2020 से 30-05-2020	09-02-2021	22960.00
		01-05-2020 से 17-06-2020	09-02-2021	26010.00
7	ग्राम पंचायत गोसाईपुर में हीरामन वर्मा के खेत से विनोद गौड़ के घर होते हुए भीम चौहान के घर तक पेवर्स कार्य	01-07-2020 से 21-07-2020	09-02-2021	14055.00
		01-06-2020 से 30-06-2020	09-02-2021	21320.00
		11-05-2020 से 30-05-2020	09-02-2021	14760.00
8	ग्राम पंचायत जमालपुर में गड़ देई माई मंदिर से मुन्नी सिंह के घर एवं जब्बार के घर होते हुए मेन खडंजा तक पेवर्स	11-05-2020 से 10-06-2020	09-02-2021	46740.00
		01-06-2020 से 30-06-2020		
		01-07-2020 से 15-07-2020		
9	गोसाई पुर में भूषण के घर से छकौड़ी के घर तक पेवर्स कार्य	01-05-2020 से 16-06-2020	09-02-2021	50375.00
		13-05-2020 से 30-05-2020		
10	ग्राम पंचायत डूहा बिहरा के भारतीय पूरा में राम नारायण के घर से राम अवध के घर तक पेवर्स कार्य	11-05-2020 से 30-05-2020	17-02-2021	14760.00
		01-06-2020 से 22-06-2020		15580.00

11	जमुई में टी.एस.बंधा से योगी नाथ इंटर कालेज तक इंटरलाकिंग कार्य	15-05-2020 से 30-05-2020	09-02-2021	45920.00
		01-06-2020 से 17-06-2020		
12	कुंडीडीह में चंद्रमा सिंह के घर से सियाराम के घर तक आर.सी.सी. नाली कवर निर्माण	19-01-2021 से 27-02-2021	14-06-2021	59040.00
13	ग्राम पंचायत सिसोटार में हरिपुर में शिवनाथ के घर से पानी टंकी तक आर.सी.सी. नाली	19-01-2021 से 18-02-2021	14-06-2021	73800.00
14	ग्राम पंचायत सिसोटार में मुन्ना चौधरी के घर से शंकर चौहान के दरवाजे तक आर.सी.सी. नाली	19-01-2021 से 18-02-2021	14-06-2021	44280.00
15	ग्राम पंचायत जमालपुर में अरूण सिंह के पोखरे से जानकुन्ज स्कूल के गेट तक आर.सी.सी. नाली	19-01-2021 से 26-03-2021	27-06-2021	49200.00
16	ग्राम पंचायत झूहा बिहरा में पिंटू राम के घर से अवधेश राम के घर तक आर.सी.सी. नाली	19-01-2021 से 15-02-2021	14-06-2021	39360.00
17	ग्राम पंचायत डोरीडीह में रामचंद्र चौहान के घर से मेन रोड तक आर.सी.सी.नाली	19-01-2021 से 30-01-2021	26-06-2021	42640.00
18	ग्राम पंचायत जजौली में निर्मल के घर से मुसलमान बस्ती तक आर.सी.सी. नाली	19-01-2021 से 20-02-2021	16-06-2021	47560.00
19	झूहा बिहरा में जर्नादन प्रजापति के घर से अरविन्द गौड के घर तक आर.सी.सी.नाली	19-01-2021 से 17-03-2021	26-06-2021	41000.00
20	ग्राम पंचायत सरियांव में मुसलमान बस्ती से मेन गढ़ही तक आर.सी.सी. नाली	19-01-2021 से 17-03-2021	14-06-2021	42405.00

योग-	945465.00

इस प्रकार मजदूरी का भुगतान विलम्ब से करके रु0 945465.00 की अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री प्रसिद्ध नाथ त्रिपाठी, श्री विनय कुमार वर्मा, लेखकार-श्री विजयंत सिंह, प्रशासक-श्री अभय कुमार सिंह तत्कालीन उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3

वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायतों में उदघाटित अपहरण/दुरुपयोग/अनियमितता की आपतियों का विवरण-

क्षेत्र पंचायत-फतेहपुर मण्डाव

जनपद - मऊ

प्रस्तर-1

शासनादेश संख्या 41866/33-2-14 जी/2004 टी0सी दिनांक 24.06.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि "क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है इससे दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय।" इसका स्पष्ट उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं किया गया है विवरण निम्नांकित है-

उपलब्ध कराई गयी निमार्ण कार्य पत्रावलियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्य-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य पर व्यय की गयी धनराशि	कार्य प्रभारी
1	ग्राम पंचायत आलापुर में राजेन्द्र राजभर के घर से शिव मन्दिर तक खण्डजा मिट्टी कार्य-	4,64,954	श्री राम चन्द्रर यादव (स0वि0अ0)
2	ग्राम पंचायत कुवरपुरवा में काली मन्दिर से बसावन बाबा के स्थान तक मिट्टी खण्डजा कार्य।	4,17,901	श्री राम चन्द्रर यादव (स0वि0अ0)
3	ग्राम पंचायत मोलनापुर में गोलूमप्रसाद के घर से कोमल साहनी के घर तक मिट्टी खण्डजा कार्य	1,23,097	श्री राम चन्द्रर यादव (स0वि0अ0)
4	ग्राम पंचायत कमल सागर में छांगुर के घर से जयशंकर के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य	3,17,130	श्री राम चन्द्रर यादव (स0वि0अ0)
	योग -	13,23,082	

उक्त धनराशि के दुरुपयोग हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी (श्री देव कुमार चतुर्वेदी एवं विजय कुमार सिंह) कार्य प्रभारी श्री राम चन्दर यादव एवं लेखाकार श्री उल्लास सिंह जिम्मेदार रहे। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । (आपति संख्या-13)

प्रस्तर -2

ग्रान्ट रजिस्टर पार्ट 2 मनरेगा कन्टीलेन्सी मद से निम्न विवरणानुसार सरकारी वाहन एवं जनरेटर हेतु डीजल आदि पर व्यय किया गया दर्शित है।

क0 स0	मद का नाम	चेक संख्या /दिनांक	धनरा शि	विवरण
1	मनरेगा कन्टीजेन्सी	10008965/ दि027.04.2020	5400=00	मै0सिरताज आटो सर्विस को डीजल आपूर्ति का भुगतान
2	मनरेगा कन्टीजेन्सी	1000897/ दि011.09.2020	29500=00	मै0सिरताज आटो सर्विस को ईंधन आपूर्ति का भुगतान

योग-34900

उक्त विवरणानुसार डीजल एवं मरम्मत आदि पर व्यय किया गया है परन्तु व्यय की पुष्टि में सरकारी बाहन एवं जनरेटर की लागबुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। लाग बुक के अभाव में व्यय की गयी धनराशि अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार चतुर्वेदी व श्री विजय कुमार सिंह एवं जीप चालक जिम्मेदार रहे। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । (आपति संख्या-14)

प्रस्तर -3

दिनांक28.04.2020 को चेक संख्या 10008966 द्वारा मनरेगा कन्टीजेन्सी मद से रु 13000 श्री राजेश कुमार दुबे को वेतन बिल आदि के प्रिन्ट का वार्षिक बिल का भुगतान हेतु भुगतान किया गया दर्शित है। इस प्रकार रुपया 13000 बाहर से वेतन विल तैयार कराने हेतु भुगतान धनराशि का दुरुपयोग है क्योंकि क्षेत्र पंचायत में लिपिक स्तर के कई कर्मचारी व लेखाकार होते हुए तथा क्षेत्र पंचायत में कम्प्यूटर प्रिन्टर भी कई संख्या मे होते व कोषागर द्वारा समय-समय पर वेतन विल के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित करने के उपरान्त भी बाहर से वेतन विल तैयार कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। सम्बन्धित पटल पर नियुक्त कर्मचारी अयोग्यता को भी प्रदर्शित करता है, जिसके सम्बन्ध में विभागीय जांच करायी जानी अपेक्षित है। इस प्रकार रु 13000 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री राजेश कुमार दुबे एवं देवेश कुमार चतुर्वेदी से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।(आपति संख्या-17)

प्रस्तर -4

लेखा परीक्षा के दौरान क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव में कराये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों के अनुसार टी0डी0एस0 की कुल कटौती रु 118997 की गयी है जबकि ग्रांट रजिस्टर-3 में आयकर कटौती से सम्बन्धित कोई भी मद नहीं खोला गया है। उक्त कटौती की धनराशि को भारत सरकार के आयकर विभाग में जमा किये जाने से सम्बन्धित को भी चालान/जमा प्रमाण पत्र/रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि क्षेत्र पंचायत स्तर पर अनियमित रूप से रोक कर तथा ग्रांट-3 में इसका कही भी उल्लेख न कर धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार चतुर्वेदी व श्री विजय कुमार सिंह एवं लेखाकार (तत्कालीन) श्री उल्लास सिंह जिम्मेदार रहे। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । (आपति संख्या-18)

क 0 स 0	कार्य का नाम	बाउचर न0/दिनांक	धनराशि	फर्म द्वारा चार्ज किया गया वैट	टी0डी 0एस0	शुद्ध भुगतान
1	हरियाव में डाफिया मेन पीच रोड से पूरब प्रदीप के चक तक मिटटी एवं खण्डजा कार्य ।	65/नील	234525	11726	4925	241326
2	ग्रा0पं0 कमलसागर में छागुर के घर से जयषंकर के घर तक इन्टर लाकिगकार्य	22/31-07- 20	178980	44445	4468	218965
3	अम्मा भेलउर में पीचे रोड से हनुमान मन्दिर तक इन्टर लकिंग कार्य।	110/23-08- 20 60/13-08- 20	142728 3091411	10386 75991	3062 7702	150052 377420
4	मोलनापुर गोलीप्रसाद के घर से कोमल साहनी के घर तक मिटटी खण्डजा कार्य	110/13-07- 20	117236	5861. 80	2462	120685
5	भेलउर मल्ल में विविध चन्द्र के घर से जबहादुर के घर तक नाली पटिया निर्माण कार्य	224/30-08- 20 58/30-08- 20	71429 99264 30452	5387 16032 8967	1934 2305 788	94774 112990 38631

		752/30-06-20				
6	आलापुर में गजेन्द्र राजभर के घर से शिव मन्दिर तक मिटटी खण्डजा कार्य।	05/24-08-20	384594	19229	8076	395747
7	कुवरपुरवा में कालीमादी से बसावन बाबा के स्थान तक मिटटी/खण्डजा कार्य	606/09-07-20	296290	14814	6221	304872
8	मोलनापुर में डिहबाबा के स्थान से ढग साहनी के घर तक मिटटी खण्डजा कार्य।	226,227/20-08-20	451067	22553	9472	464148
9	कन्धरापुर में पीच रोड से साधुयादव के घर तक इन्टरलिकिंग	229/17-09-20 03/20-09-20	89637 190582	4481 46679	1882 4745	92236 232515
10	बेलागदायन पट्टी से वसीम के खेत से स्वामीनाथ मौर्य के खेत तक कार्य।	06/09-07-20	308657	15431	6481	317582
11	दुबारी में हरिन्द्र के घर से शिवनाथ के घर तक इन्टरलिकिंग कार्य-	470/शून्य /शून्य 22/शून्य	145832 88163 85648	10715 15244 23981	3131 2068 2192	153416 101339 107437
12	महमूदसराय में समुददीन के घर होते हुए विश्वनाथ के घर तक नाली व पटिया निर्माण कार्य।	2115/	115440 94544.20	18965 5399.41	2688 1998	131717 97949.61
13	लोँवासाथ में देवानन्द के मकान से परीखा राजभर के मकान तक खण्डजाकार्य	453/ 17/	99804 65938	14928 3296	2294 1385	112438 67849
14	भठीया में मन्नू पाण्डेय के घर से अवतार प्रसाद के घर तक मिटटी खण्डजाकार्य	78/22-08-20 56/20-09-20	356478 184876	17823 32472	7486 4406	366815 215940
15	रामपुर चादपुर में एहसान के घर से मंदर से तक इन्टरलिकिंग कार्य।	56/20-09-20 57/20-09-20 228/17-09-20	187876 44456 96421	32472 8863 7165	4406 1060 2071	215940 52253 101515

1 6	पहाड़ी में अरुण के खेत से टरकुलही मंदिर तक मिटटी /खण्डजा कार्य।	128/09-09-20	285964	14298	6005	294257
1 7	अहिरूपुर में अहिरूपुर खण्डजेसे लौवासाथ पुलिया तक मिटटी/ खण्डजा कार्य।	65/07-07-20 58/01-07-20	133851 318000	6692 15900	2810 6678	137733 327222
1 8	दुबारी में श्रीकान्त के घर से राजेन्द्रप्रसाद के घर तक मिटटी/खण्डजा- मिटटी कार्य।	409/शून्य	34397 53419	1719 8914	722 1246	35394 61087
1 9	दुबारी में श्रीकान्त के घर से राजेन्द्रप्रसाद के घर तकनाली/पटिया कार्य	164/06-09-20	44654	2803	949	46508
	योग			118124		

प्रस्तर -5

क्षेत्र पंचायत-बडरांव

वर्ष 2020-21

राज्य वित्त मद से क्षेत्र पंचायत बडरांव द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में से मात्र रु 38,78,938 की धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलिया लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गयी जबकि ग्रांट रजिस्टर पार्ट 3 के अनुसार वर्ष 20-21 में क्षेत्र पंचायत बडरांव द्वारा राज्य वित्त मद से रु 75,55,240 की धनराशि का व्यय किया गया है। इस प्रकार 7555240-3878938=36,76302 व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलिया लेखा परीक्षा के दौरान जाच हेतु बारम्बार मोबाईल फोन से मौखिक /व्यक्तिगत रूप से एवं लिखित रूप से मांग किये जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं की गयी। सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में स्टीमेट, कोटेशन /टेण्डर कार्यालय आदेश, कार्य प्रभारी की नियुक्ति आदेश, परियोजनाओं की स्वीकृति सूची, क्रय प्रमाणक, क्रय आदेश, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य स्थल विवरण, कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त तिथि, स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में धनराशि 36,76302 के व्यय की पुष्टि नहीं हो पाती है। इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि 36,76,302 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी / कार्य प्रभारी श्रीमती सुवेदीता सिंह एवं लेखाकार श्री रामनगीना यादव जिम्मेदार है। इनसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर - 6

शासनादेश संख्या-4/866/33-2-14/2004 टी0सी0दिनांक24.06.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि “क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है इससे दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय” इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्रीमती सुवेदीता सिंह कार्य प्रभारी अखिलेश मल्ल एवं लेखाकार राम नगीना यादव जिम्मेदार हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्राप्त निर्माण कार्य पत्रावलियों के अनुसार वित्तिय वर्ष 20-21 में कराये गये कार्य-

क्रमांक	कार्य का नाम (राज्य वित्त से)	कार्य पर व्यय की गयी धनराशि	कार्य प्रभारी
1	रामपुर में सुधाकर सिंह के घर से टुनटुन शर्मा के घर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	175782	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
2	रामपुर चक जगरनाथ में विजय सिंह के पोखरी से सतीश मौर्या के घर तक मिटटी खण्डजा कार्य।	96379	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
3	रामपुर में रामसमुझ के घर से भूषण के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	332923	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
4	रामपुर चकजगरनाथ में पिच रोड से कृपाल के घर तक मिटटी खण्डजा कार्य।	70476	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
5	रामपुर चकजगरनाथ में ब् रोड से नरसिंह के खेत तक मिटटी खण्डजा कार्य।	127794	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
6	रामपुर में काली स्थान से पिच रोड तक इन्टरलाकिंग ग निर्माण कार्य।	217768	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
	तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	353844	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0

8	अमिला पिचरोड से विरेन्द्र के घर तक इन्टर लांकिंग निर्माण कार्य।	546459	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
9	रामपुर चक जगरनाथ में कुमार के घर से भान के घर तक इन्टरलांकिंग निर्माण कार्य s	1005563	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
10	रामपुर चक जगरनाथ में सुनील के घर से झिनके के घर तक इन्टरलांकिंग कार्य।	307024	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
11	रामपुर में सुबाष के घर से शिव प्रसाद के घर तक तक इन्टरलांकिंग निर्माण कार्य	117338	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
		3351350	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0

क्रमांक	कार्य का नाम (राज्य वित्त से)	कार्य पर व्यय की गयी धनराशि	कार्य प्रभारी
1	रामपुर में प्रकाश की दुकान से हरिजन बस्ती तक नाला व पटिया निर्माण कार्य।	876361	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
2	रामपुर में सुनील के घर से वसुली बगीचा तक नाला पटिया निर्माण कार्य।	234954	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
3	लल्लन के घर से प्रेम चन्द्र के घर होते हुए पोखरी तक नाली पटिया कार्य	364824	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
4	सोनू राय के घर से ज्योती शंकर के ट्यूबवेल तक नाली पटिया कार्य।	220291	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0

5	रामपुर में प्रेम के घर से भगान के घर तक होते हुए परमहंस के घर तक इन्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	465126	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
6	सोहण पिच रोड से तिलक धारी के घर तक मिटटी खण्डजा निर्माण कार्य।	126976	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
	रामपुर हिरउडांड में पिच रोड से कुश यादव के घर तक इन्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	796313	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
8	बोझी कटिहारी मार्ग से शम्भू शाही के खेत तक इन्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	787303	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
9	सोहड हरिजन बस्ती से पिच रोड तक खण्डजा मिटटी मार्ग निर्माण कार्य।	365427	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
10	श्राम पुर में सबरहद नहर से गुलाब के घर से अभिराम प्रति के घर तक इन्टरलाकिंग मार्ग निर्माण ।	803766	अखिलेश मल्ल ए0डी0ओ0
		5939341	
	योग-	8390691	

प्रस्तर - 7

मनरेगा कन्टीजेन्सी मद से निम्न विवरणानुसार व्यय मनरेगा जी0आर0के पेज न0 37 पर दर्शित है।

क्र०स०	चेक सं० /दिनांक	धनराशि	विवरण	जिसको चेक निर्गत किया गया
1	20716/अप्रैल 20	2477	कार्यालय व्यय	श्री अजय कुमार सिंह
2	20719/अप्रैल 20	11500	दर्शित नहीं	श्री राम नगीना यादव
3	25361/13..6.20	153200	स्टेशनरी क्रय	डमा टेडर्स,मऊ
4	25363/13.06.20	21046	ईंधन आपूर्ति	घोसी पेट्रोलियम,घोसी
5	25363/13..6.20	16997	ईंधन आपूर्ति	घोसी पेट्रोलियम,घोसी
6	25364/13..6.20	5400	बैट्री जीप क्रय	रिजवान बैट्री,घोसी

		210620		

उक्त व्ययो की पुष्टि में कोई भी प्रमाण पत्र /अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त धनराशि रु 220620 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार जिम्मेदार रहे। उक्त धनराशि रु 210620 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुवेदीता सिंह एवं लेखाकार श्री रामनगीना यादव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -8

क्षेत्र पंचायत-परदहा

वर्ष 2020-21

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में चतुर्थ राज्य वित्त मद से राजकीय पशु अस्पताल ताजोपुर में बाउंड्री वाल निर्माण कार्य पर मजदूरी हेतु रु0 76200 का भुगतान किया गया है तथा दिनांक 03.01.21 से 24.01.21 तक चतुर्थ राज्य वित्त मद से ग्राम पंचायत कैथवली में गोल्डेन के खेत से प्रमोद यादव के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य पर मजदूरी हेतु रु0 107532 का भुगतान किया गया है । इस प्रकार उपरोक्त दोनों कार्यो पर कुल रु0 183732 मजदूरी का भुगतान किया गया । इस कार्य पर लेखा परीक्षा में निम्न कमिया प्रकाश में आयी-

- 1- उक्त दोनों कार्य हेतु जिस मस्टर रोल के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया है , उस पर कार्यरत मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान अंकित नहीं है, स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल के आधार पर भुगतान दर्शाया गया है।
- 2- मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान न होने से प्रमाणित होता है कि कार्य प्रभारी द्वारा बिना मस्टर रोल प्रमाणित किए ही भुगतान स्वीकृत कराया गया है।
- 3- राजकीय पशु अस्पताल ताजोपुर में बाउंड्री वाल निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मस्टर रोल पर कार्य के प्रारम्भ व समाप्ति का दिनांक भी अंकित नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल पर उपरोक्त दोनों कार्य पर भुगतान श्रमिकों के खाते में कराकर वास्तव में राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभार श्री हरिमोहन सिंह, लेखाकार/कैशियर श्री जमील अहमद व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी हैं। उक्त के संबंध में विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर-9

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.05.20 से 28.06.20 तक चतुर्थ राज्य वित्त मद से कुशमौर में रेलवे फाटक से भगवानपुर अनु0 बस्ती तक ,खड़ण्जा मरम्मत कार्य पर बाउचर सं0 3/130 दिनांक 05.06.20, बाउचर सं0 3/131 दिनांक 10.06.20 व बाउचर सं0 3/132 दिनांक 14.06.20 द्वारा कुल रु0 327218 का भुगतान सामग्री हेतु मे0 एल0एसर्0ईट उद्योग लसरा को किया गया दर्शित है, तथा इस कार्य पर रु0 256908 मजदूरी मद में भुगतान किया गया दर्शित है। इस प्रकार इस कार्य पर कुल रु0 584126 का भुगतान किया गया है। इस कार्य पर लेखा परीक्षा में निम्न कमिया प्रकाश में आयीं -

- 1.लेखा परीक्षा वर्ष में विकास खण्ड परदहा में कार्य कराने हेतु समाचार पत्रों में जो विज्ञापन का प्रकाशन हुआ है उसमें इस कार्य का कोई उल्लेख नहीं है अर्थात बिना विज्ञापन के ही कार्य कराकर भुगतान किया गया है।
- 2.लेखा परीक्षा में इस कार्य की पत्रावलियों की जाच में निविदाकर्ताओं से सम्बन्धित कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ अर्थात बिना टेण्डर के ही कार्य हेतु मे0 एल0एसर्0ईट उद्योग लसरा को सामग्री हेतु भुगतान किया गया है।
- 3.सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है तथा न ही सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर पाया गया।

इस प्रकार उपरोक्त कमियों के आलोक में क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 584126 अनियमित है, जिसके लिए लेखाकार/कैशियर श्री जमील अहमद व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अशुतोश कुमार राय,श्री निरंकार,श्री रजनीश श्री उमेश कुमार एवं श्री अखिलेश कुमार गुप्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 03)

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा

वर्ष 2020-21

प्रस्तर-10

क्षेत्र पंचायत रतनपुरा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अधिभार के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है -

- 1.आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत रतनपुरा मे दिनांक 22.04.20 को चेक सं0 013326 द्वारा मनरेगा कंटीजेंसी मद से रु0 6440 वाहन मरम्मत पर व्यय किया गया ग्राण्ट रजिस्टर 2 में दर्शित है , किन्तु इस व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, पत्रावली में वाहन की खराबी व व्यय के प्राक्कलन

की आर0 आई रिपोर्ट भी जाच में प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार भुगतान अवास्तविक रहा , एवं धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । इस प्रकार रु0 6440 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार गुप्ता व लेखाकार/कैशियर श्री जयनाथ प्रसाद से अपेक्षित है।

प्रस्तर-11

दिनांक 01.04.20 को चेक संख्या 13323 द्वारा मनरेगा केटिजेंसी मद से रु0 14350 श्री राजेश कुमार दूबे को वेतन बिल तैयार करने हेतु भुगतान दर्शित है , इस प्रकार कुल रु0 14350 बाहर से वेतन बिल तैयार कराने हेतु भुगतान धनराशि का दुरुपयोग है, क्योंकि क्षेत्र पंचायत में लिपिक स्तर के कई कर्मचारी, कम्प्यूटर आपरेटर व लेखाकार इत्यादि के होते हुए तथा क्षेत्रपंचायत में कम्प्यूटर, प्रिन्टर की कई संख्या होते हुए व कोषागार द्वारा समय समय पर वेतन बिल के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित करने के उपरान्त भी बाहर से वेतन बिल तैयार कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है व सम्बन्धित पटल पर नियुक्त कर्मचारी की अयोग्यता को भी प्रदर्शित करता है, जिसके सम्बन्ध में विभागीय जाच करायी जानी अपेक्षित है। इस प्रकार रु0 14350 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश यादव व लेखाकार/कैशियर श्री जयनाथ प्रसाद से अपेक्षित है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीजेंसी/ मानदेय अनुदान मद से दिनांक 14.08.20 को चेक सं0 013333 द्वारा विविध व्यय शीर्षक से रु0 16730 विभिन्न क्रय सामग्रियों का भुगतान सम्बन्धित फर्मों को न कर विकास खण्ड के लेखाकार श्री जयनाथ प्रसाद के खाते में भुगतान हेतु चेक निर्गत किया गया है, जबकि व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त रहे। क्रय सामग्री का भुगतान सम्बन्धित फर्म को ही किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा न कर भुगतान की गयी धनराशि रु0 16730 अनियमित है, साथ ही साथ क्रय सामग्रियों के आमद उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। जिसके लिए सम्बन्धित भुगतान प्राप्तकर्ता , लेखाकार/कैशियर श्री जयनाथ प्रसाद तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार गुप्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी रहे, जिनसे इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-13

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त/14 वा वित्त के अन्तर्गत कराये गए कार्यों का विवरण निम्नवत है-

क्र मां क	कार्य का नाम	प्रमाणक सं0 व दिनांक (सामग्री)	सामग्री भुगतान	श्रमांश	कुल भुगतान	क्रमांक	कार्य का नाम
1	ग्रा0पं0 गुलौरी में हरिकेश के घर से दया घोबी के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य (दिनांक 21.01.21 से 15.02.21 तक)	331/21-01-21	45410	3525 4	80664	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान

2	ग्रा0पं0 गुलौरी में अनिल के घर से अलगू के खेत तक नाली व पटिया निर्माण कार्य (दिनांक 21.01.21 से 16.02.21 तक)	332/21-01-21	242355	4232 7	28468 2	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
3	ग्रा0पं0पिलखीवरु.ाकेगो नईपुरमेंमुसाफिरयादवके घरसेनालातकनालीनिर्मा ण (दिनांक02.05.20 से13.05.20 तक)	255/02-05-20	277454	5015 4	32760 8	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
4	ग्रा0पं0पिलखीवरुमेंबस न्तकेघरसेमंजीतकेघरतक इंटरलाकिंगकार्य (दिनांक17.06.20 से28.06.20 तक)	83/19-06-20 381/17-06-20	343472	4980 2	39327 4	शाम्भवी इ.टरप्राइजे ज सिद्धार्थ ट्रेडर्स	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
5	(दिनांक19.06.20से15.0 2.21तक)	333/21-01-21 301/20-06-20	377566	6807 7	44564 3	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
6	ग्रा0पं0पिलखीवरु.ाके गोनईपुरमेंविनयकेघरसे नालातकहयूमपाईपकार्य	305/14-07-20	202760	2347 1	22623 1	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
7	(दिनांक 14.07.20 से 25.07.20 तक) ग्रा0पं0 मोलनापुर में जय प्रकाश सिंह के ट्यूबवेल से मुन्ना राजभर के घर तक खंडजा मरम्मत कार्य(दिनांक अप्राप्त)	302/25-06-20	114083	70044	18412 7	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान

8	ग्रा0पं0 मोलनापुर में रामजीतके घर से सूरजबली के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	303/25-06-20 402/25-06-20	270707	4192 5	31263 2	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
						शाम्भवी इ.टरप्राइजे ज	
9	गुलौरी में शिवलोचन के घर से हरगुन के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य (दिनांक 20.01.21 से 09.02.21 तक)	329/20-01-21 420/20-01-21	328933	4914 7	37808 0	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
						शाम्भवी इ.टरप्राइजे ज	
10	ग्रा0पं0 गुलौरी में मरहू के ट्यूबवेल से माया के घर होते हुए पोखरी तक नाली व पटिया निर्माण कार्य (दिनांक 21.01.21 से 14.02.21 तक)	330/21-01-21	277826	5045 0	32827 6	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
11	ग्रा0पं0 गुलौरी में रेलवे लाईन से सलिकियादवके घर तक मिट्टीवखंडंजा निर्माण व मरम्मत कार्य (दिनांक 15.11.20 से 09.12.20 तक)	320/09-11-20	257481	2119 33	46941 4	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
12	ग्रा0पं0 जमालपुर में शीलाके दरवाजे से मठिया जमालपुर मार्ग तक मिट्टीवखंडंजा निर्माण व मरम्मत कार्य (दिनांक 25.11.20 से 08.12.20 तक)	321/25-11-20	106708	3776 3	14447 1	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान

1 3	ग्रा0पं0चकरामेंपहसाचकरा मार्गपरपिचरोडसेराजेशके स्कूलतकइन्टरलाकिंग कार्य (दिनांक12.07.20 से31.07.20 तक)	304/12-07-20 401/25-06-20	323072	4833 6	37140 8	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा शाम्भवी इ.टरप्राइजे ज	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
1 4	ग्रा0पं0नसीराबादकलामेंर विदासमंदिरसेमुन्नाराजभर केघरतकखडंजा मरम्मतकार्य (दिनांक03.10.20 से18.10.20 तक)	307/03-10-20	183088	1201 09	30319 7	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
1 5	ग्रामपं0गढ़वामेंआर0सी0 सी0रोडसेसंतोषकेघरतकइ न्टरलाकिंग कार्य (दिनांक03.10.20 से15.10.20 तक)	306/01-10-20 403/01-10-20	826359	1356 03	96196 2	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा शाम्भवी इ.टरप्राइजे ज	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
1 6	ग्रा0पं0पिलखीवरु.ामेंबी रेन्द्रकेघरसेपिचसड़कतकप क्कीनालीवपटियानिर्माण कार्य (दिनांक04.10.20 से30.10.20 तक)	308/04-10-20	796311	1356 55	93196 6	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
1 7	ग्रा0पं0गुलौरीमेंपरमहंसके घरसेरमाशंकरवलगनकेघ रहोतुहुएनालीवपटियाकार्य (दिनांक13.10.20 से25.12.20 तक)	309/04-10-20 & 319/20-10- 20 404/04-10-20	435003	7477 4	50977 7	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा शाम्भवी इ.टरप्राइजे ज	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
1 8	ग्रा0पं0पिलखीवरु.ामें पिचसड़कसेमोतीचन्द्रकेघर तकखडंजा मरम्मतकार्य	315/31-10-20	285459	2662 99	55175 8	सिद्धार्थ टेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के

	(दिनांक 31.10.20 से 27.11.20 तक)						खाते में भुगतान
19	गा0 पं0 जमालपुर में मठिया मार्ग से परषोत्तम राम के घर होते हुए रेलवे लाईन तक इन्टरलाकिंग कार्य (दिनांक 16.10.20 से 11.11.20 तक)	316/16-10-20 415/16-10-20	578818	90670	669488	सिद्धार्थ टैडर्स रतनपुरा शाम्भवी इ.टरप्राइजेज	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
20	गा0पं0 जमाजपुर में मुरारी के डेरा से गणेश राजभर के घर होते हुए रेलवे लाईन तक इन्टरलाकिंग व नाली मरम्मत कार्य (दिनांक 16.10.20 से 05.11.20 तक)	317/16-10-20 416/16-10-20	709640	49674	759314	सिद्धार्थ टैडर्स रतनपुरा शाम्भवी इ.टरप्राइजेज	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
21	गा0पं0 पिलख गोन्ईपुर में रामआधार के घर से रामवृक्ष के घर होते हुए सरकारी नाला तक नाली व पटिया कार्य (दिनांक 11.12.20 से 07.01.21 तक)	323/11-12-20	603281	103208	706489	सिद्धार्थ टैडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
22	बेलौझा में अवध लाल के घर से प्रेम के स्कूल तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य (दिनांक 08.01.21 से 27.01.21 तक)	226/08-01-21 417/08-01-21	767261	120109	887370	सिद्धार्थ टैडर्स रतनपुरा शाम्भवी इ.टरप्राइजेज	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान

2 4	ग्रा0पं0 कन्सों में मेन पिच से हरिप्रसाद सिंह के ट्यूबवेल तक पक्की नाली निर्माण कार्य (दिनांक 26.12.20 से 08.01.21 तक)	325/26-12-20	271576	5466 4	32624 0	सिद्धार्थ ट्रेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
2 5	ग्रा0पं0 ढोलवन में तिलेसर के घर से घूरहू के घर तक खडंजा कार्य (दिनांक 20.01.21 से 09.02.21 तक)	328/17-01-21	95873	3625 9	13213 2	सिद्धार्थ ट्रेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
2 6	ग्रा0पं0 पिलखी गोनईपुर में आर0सी0सी0 से शिवधनी के खेत तक इन्टरलाकिंग कार्य (दिनांक 13.01.21 से 09.02.21 तक)	327/13-01-21 418/13-01-21	542860	8460 2	62746 2	सिद्धार्थ ट्रेडर्स रतनपुरा	सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान
2 7	कुल योग		₹0 9263356	₹0 2050309	₹0 113136 65		

उपरोक्त के सम्बन्ध में नियमों एवं प्रक्रियाओं को कड़ाई से पालन करना न केवल भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त करता है बल्कि व्यवस्था में आवश्यक पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है। आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त विवरणानुसार राज्य वित्त की अधिकांश कार्यों में निर्माण नियमावली 1984 के निविदा प्रक्रियाओं एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। कार्य के प्राक्कलन, निविदा सूचना, निविदा अभिलेख, निविदा खोलना, समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रित, निविदा दरों, कार्य आदेश निर्गत करना एवं अनुबन्ध करना और प्रतिभूति/निष्पादन गारण्टी सूचित करने से संबंधित कमिया नीचे वर्णित हैं।

क्र0सं0	कमी का क्षेत्र	कमी की प्रकृति
1	कार्य का आगणन	प्राक्कलन बिना तिथि अंकित किये हस्ताक्षरित किया जाना
2	निविदा सूचना	1-पत्रावलियों में निविदा सूचना दो समाचारपत्रों में प्रकाशित होने का विवरण संलग्न न पाया जाना । 2- टेण्डर का दिनांक पत्रावलियों में संलग्न न पाया जाना

		3- न्यूनतम 21 दिन का स्पष्ट समय निविदा प्रस्तुत करने हेतु नहीं दिया जाना 4- निविदा प्रपत्र बिना आवश्यक अभिलेखांके के स्वीकार किये गया 5- निविदा प्रपत्र बिना आवश्यक अभिलेखांके के स्वीकार किये गया निविदा फार्म/ठेकेदार को सूचना में निविदा दरो की वैधता अवधि का उल्लेख नहीं होना। 6-केवल स्वीकृत फर्म का विवरण ही पत्रावलियों में संलग्न पाया गया
3	निविदा अभिलेख	1. तीन फर्मों के निविदा प्रपत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाए गए 2. निविदा लिफाफे सील न करके चिपकाये/नत्थी किये गये 3. निविदायें बिना देय जमानत राशि के स्वीकार की गयीं 4. निविदायें बिना आवश्यक अभिलेखांके एवं शपथपत्र के साथ प्रस्तुत की गयीं।
4	निविदा खोलना	1. टेण्डर खुलने का दिनांक पत्रावलियों में संलग्न न पाया जाना 2. निविदाये खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा स्वयं नहीं खोली गयीं 3. निविदायें अभियन्ता/लेखाकार की उपस्थिति में नहीं खोली गयी 4. निविदा लिफाफों में निविदा खोले जाने की तिथि में सभी संबंधितों के हस्ताक्षर नहीं थे
5	निविदा दरें	1. अभिलिखित दरो को शब्दों में नहीं अंकित किया गया था 2. निविदायें खोलने के उपरान्त अभिलिखित दरों को घेरा/चिन्हित नहीं किया गया था
6	निविदा प्रक्रिया	1. तुलनात्मक विवरण को बनाने की तिथि अंकित नहीं की गयी थी 2. निविदा अनुमोदन में निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पायी गयी थी या हस्ताक्षर एक समान तिथि में नहीं पायी गयी।
7	कार्य आदेश जारी करना	1. अनुमोदन के एक सप्ताह के भीतर कार्य आदेश जारी नहीं किये गये थे।
8	अनुबन्ध करना	1. कार्यादेश निर्गत होने के 21 दिन के भीतर ठेकेदार से अनुबन्ध नहीं किया गया था। 2. कार्यादेश अधिकतर बिना पत्रांक व दिनांक के अंकित हैं 3.
9	प्रतिभूति/निष्पादन गारण्टी	1. स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध न करके सादे कागज पर ठेके के मुख्य विवरण अभिलेखित किये गये थे 2. निष्पादन प्रतिभूति की वसूली नहीं की गयी थी 3. प्रतिभूति जमा/निष्पादन गारण्टी को निर्गत न किया जाना

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य पत्रावलियों में निम्न कमिया भी पायी गयीं।

1. फाइलों में फर्म के रजिस्ट्रेशन टीन नं0 पैन व आधार कार्ड की कापी संलग्न नहीं पायी गयी। व अधिकांश आवेदन प्रपत्रों पर फर्म के स्वामी के तिथि सहित हस्ताक्षर अंकित नहीं थे।
 2. लेखापरीक्षा में पाया गया कि सड़कों के नक्शे नहीं बनाये गये थे जिसके कारण सड़कों के अस्तित्व एवं लम्बाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका।
 3. सड़क पंजिका नहीं बनायी जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप, सड़कों के निर्माण/मरम्मत की तिथि अज्ञात थी। फलस्वरूप सड़कों की पूर्व में कब मरम्मत की गयी एवं आठ वर्षों के चक्रीय मरम्मत की नीति को लेखापरीक्षा में नहीं जांचा जा सका।
 4. सम्पत्ति पंजिका भी नहीं बनायी जा रही थी। फलस्वरूप, निर्मित सड़कों जिन पर धनराशि व्यय की गयी थी इसका विवरण ज्ञात नहीं हो सका।
 5. कार्य निष्पादन में सामग्री आपूर्ति की प्राप्ति का अनुमोदन निर्माण कार्य समिति से नहीं लिया गया एवं बिना नियंत्रण संख्या के श्रमिक-चिट्ठा पर श्रमिकों के हस्ताक्षर अथवा अँगूठे के निशान लेकर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया गया।
 6. फर्म द्वारा प्रापर जी0एस0टी0 बिल प्रस्तुत न कर कच्ची बिल प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् जो क्रय सामग्री प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स(आय कर को छोड़कर) की दर व धनराशि अंकित नहीं है। इस प्रकार कच्चे बिल पर ही समस्त भुगतान स्वीकृत किया गया है।
 7. अधिकांश पत्रावलियों में कार्य के तीनों चरण (प्रारम्भ , मध्य व समाप्ति) के फोटो मानक के अनुरूप संलग्न न कर, तथा किसी भी कार्य हेतु शाईन बोर्ड का न लगाना व भुगतान न होना कार्य को संदिग्ध बनाता है।
 8. किसी भी पत्रावली के किसी भी प्रमाणक/स्वीकृति आदेश पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के दिनांक कहीं भी अंकित नहीं हैं।
 9. सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है तथा न ही सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर पाया गया।
 10. सामग्री क्रयादेश लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
 11. वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्रापर डिस्पैच द्वारा न कराकर मेमों द्वारा किया गया है।
 12. निविदा सूचना से सम्बन्धित समाचार पत्र किसी भी पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया ।
 13. लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं में व्यय की गयी धनराशि के सन्दर्भ में परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र(निर्धारित प्रारूप पर नहीं), उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तथा कार्य हस्तांतरण पत्र, इत्यादि प्रस्तुत नहीं रहा।
- उपरोक्त कमियों के आलोक में क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 11313665 अनियमित है, जिसके लिए लेखाकार/कैशियर श्री जयनाथ प्रसाद व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश यादव, श्री अखिलेश कुमार गुप्ता व श्री आर0के0वर्मा पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-14

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटिजेंसी अनुदान मद से दिनांक 22.04.20 को चेक सं0 13326 द्वारा रु0 9236 एवं दिनांक 14.08.20 को चेक सं0 013332 द्वारा रुपया 55698 इस प्रकार कुल रुपया 64934 डीजल मद में भुगतान में0 सिरताजी फिलिंग स्टेशन रतनपुरा को ग्राण्ट रजिस्टर दो में किया गया दर्शित है । किन्तु डीजल खपत से सम्बन्धित लाग बुक प्रस्तुत नहीं होने से डीजल व्यय के विवरण की जाच एवं खपत की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार बिना लाग बुक तैयार किए डीजल खपत पर किया गया व्यय अनियमित है , लागबुक प्रस्तुत कर

डीजल मद में व्यय की पुष्टि कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उक्त अनियमित व्यय हेतु लेखाकार/कैशियर श्री जयनाथ प्रसाद व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश यादव व श्री अखिलेश कुमार गुप्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15

क्षेत्र पंचायत-कोपागंज वर्ष 2020-21

शासनादेश सं० 4/866/33-2-14 जी/2004टी०सी०दिनांक24.06.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों प्राप्त होती है। इससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय। इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर करा कर अनुदान राशि का अनियमित भुगतान किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनिय है कि ग्राम पंचायतों से अनाआपति प्रमाण पत्र भी कार्य कराये जाने सम्बन्ध में प्राप्त नहीं कराया गया है।

विवरण निम्नलिखित है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय	कार्य प्रभारी का नाम
01	अन्नूपार में बहादुर के घर से श्रवण के घर तक खण्डजा निर्माण		श्री दुर्ग विजय सिंह ए०डी०ओ०(ए० जी०)
02	युसुफपुर में विन्ध्याचल के खेत से पोखरी तक खण्डजा निर्माण		श्री दुर्ग विजय सिंह ए०डी०ओ०(पं०)
03	युसुफपुर में लल्लन के खेत से प्रेम चन्द्र के खेत तक खण्डजा निर्माण		श्री दुर्ग विजय सिंह ए०डी०ओ०(पं०)
	योग-	614500.00	

जिसका उत्तरदायीत्व सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी, कुलदीप कुमार सिंह एवं प्रसिद्धि नारायण सिंह लेखाकार, तथा सम्बन्धित कार्यप्रभार श्री दुर्ग विजय सिंह श्री शिव कुमार सिंह का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

क्षेत्र पंचायत-घोसी वर्ष-2020-21

शासनादेश सं0 4/866/33-2-14 जी/2004टी0सी0दिनांक24.06.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों प्राप्त होती है। इससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभाविन्त करने के लिए कार्य कराया जाय। इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर करा कर अनुदान राशि का अनियमित भुगतान किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनिय है कि ग्राम पंचायतों से अनाआपति प्रमाण पत्र भी कार्य कराये जाने सम्बन्ध में प्राप्त नहीं कराया गया है।

विवरण निम्नलिखित है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय	कार्य प्रभारी का नाम
01	खानपुर बुर्जर्ग में पंचम के घर से हरिलाल का घर होते हुए विनोद के घर तक खण्डजा	211300	श्री श्री अनिल कुमार सिंह ए0डी0ओ0(ए0 जी0)
02	धर्मपुरकसायर में प्राथमिक पाठशाला से विलास यादव के घर तक खण्डजा मरम्मत	141100	श्री हर्देश पाण्डेय ए0डी0ओ0(पं0)
	योग-	342400	

जिसका उत्तरदायीत्व सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी, श्री जयेश सिंह देव कुमार सिंह/श्री देव कुमार चतुर्वेदी लेखाकार, श्री अच्छेलाल एवं सम्बन्धित कार्यप्रभार श्री अनिल कुमार सिंह श्री हर्देश पाण्डेय का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-17

क्षेत्र पंचायत-रानीपुर वर्ष 2020-21

शासनादेश सं0 4/866/33-2-14 जी/2004टी0सी0दिनांक24.06.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों प्राप्त होती है। इससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभाविन्त करने के

लिए कार्य कराया जाय । इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर करा कर अनुदान राशि का अनियमित भुगतान किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों से अनायास प्रमाण पत्र भी कार्य कराये जाने सम्बन्ध में प्राप्त नहीं कराया गया है।

विवरण निम्नलिखित है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय	कार्य प्रभारी का नाम
1	अल्देमऊ में कैलाश के घर से रामदरश के घर तक सोलिंग कार्य	48000	श्री सुरेन्द्र यादव ए०डी०ओ०
2	अस्सी भवन में घर से सुरेन्द्र के घर सोलिंग कार्य	437000	श्री सुरेन्द्र यादव ए०डी०ओ०
3	चितविसाव में शिवनाथ के घर से हरिनन्दन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	251500	श्री सुरेन्द्र यादव ए०डी०ओ०
4	अस्सीभवन भवनपुरा में सुरेन्द्र के घर से केदार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	475500	श्री सुरेन्द्र यादव ए०डी०ओ०
5	बकरी में श्रीकांत के घर से गिरीश के घर तक सोलिंग कार्य	154360	श्री सुरेन्द्र यादव ए०डी०ओ०
6	देवखरी में अरूण के घर से जय प्रकाश के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	383900	श्री सुरेन्द्र यादव ए०डी०ओ०
7	देवखरी में प्रदीप के घर से रामविजय के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	349600	श्री सुरेन्द्र यादव ए०डी०ओ०
8	देवखरी में त्रिभुवन के घर से संदीप के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	349600	श्री सुरेन्द्र यादव ए०डी०ओ०
9	देवखरी में जय प्रकाश के घर से कमलेश के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	214920	श्री सुरेन्द्र यादव ए०डी०ओ०
	योग-	3174380	

जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी, श्री जयेश सिंह लेखाकार, श्री इरशाद अहमद एवं सम्बन्धित कार्यप्रभार श्री सुरेन्द्र यादव श्री रविकान्त यादव का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद वर्ष-2020-21

शासनादेश सं० 4/866/33-2-14 जी/2004टी०सी० दिनांक 24.06.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों प्राप्त होती है । इससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को

लाभाविन्त करने के लिए कार्य कराया जाय । इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायतो के अन्दर करा कर अनुदान राशि का अनियमित भुगतान किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखित है कि ग्राम पंचायतो से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्य करायें जाने सम्बन्ध में प्राप्त नहीं कराया गया है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नलिखित है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय	कार्य प्रभारी का नाम
1	ग्राम पंचायत इटौरा चैबेपुर में रामसमुझ के खेत से बरसाती के खेत तक खण्डजा मरम्मत	316000.00	श्री आन्नद कुमार श्रीवास्तव ए०डी०ओ०(सी)
2	ग्राम पंचायत देवसीपुर में फुलचन्द्र के खेत से बृजेश के खेत तक सीसी रोड निर्माण	470000.00	श्री आन्नद कुमार श्रीवास्तव ए०डी०ओ०(सी)
	योग-	786000.00	

जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी, लेखाकार, एवं सम्बन्धित कार्यप्रभार श्री आन्नद कुमार श्रीवास्तव का रहा।

प्रस्तर-19

क्षेत्र पंचायत-दोहरीघाट वर्ष-2020-21

क्षेत्र पंचायत दोहरीघाट के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण ,दुरुपयोग, व अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आयेजिस पर बैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपत्ति का विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	प्रोजेक्ट का नाम	इस्टीमेट के अनुसार	क्रय	अधिक क्रय	मूल्य
1	पनइल विहटा में काली के स्थान से श्री राम राय के घर तक इण्टर लांकिंग कार्य -	ईट 10668दर16000	11357	689	11024
2	धनौली रामपुर में पिच रोड से परमहंस राम के घर तक इण्टरलांकिंग कार्य।	ईट11151दर16000	11878	727	11632
3	धनौली रामपुर में विनोद राय के घर से पोखरी तक सी०सी०रोड का निर्माण	सीमेन्ट-444 बैगदर280	450 27.10	06 1.26	1680 2335

		कोरसेन्ड 25.84दर1853/ डालग्रीट 40.5दर2687.8 पीलीथीन सीट- 381दर28	43 410	2.5 29	6720 812
4	कौरोली में दोहरीघाट मधुबन मार्ग से नागेन्द्र राय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।	ईट 10566दर20 प्रति नग	10986	420	8400
5	राजेश राय के घर से राजदेव राय के खेत तक इण्टर लाकिंग कार्य।	ईट- 7112दर16000 प्रति	8058	946	15136
6	पतजीवा में नूर के घर से अमीचन्द्र के खेत तक इण्टर लाकिंग कार्य	ईट 10668दर16000 प्रति	11379	711	11376
		योग-	-	-	69115

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वर्ष 2020-21 में रु 69115 का स्टीमेट से अधिक सामाग्री क्रय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग के धन का अपहरण किया गया है। रु 69115 के लिए लेखाकार श्री अखिलानन्द चौबे तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार सिंह ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। सामान्य आपति संख्या -04

प्रस्तर-20

उ0प्र0 माल एवं सेवाकर अधिनियम के धारा 51 के अन्तर्गत श्रोत पर आयकर की कटौती के सम्बन्ध में कमीशनर वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या /एडी कमीशन जी0ए0टी0अनु0/2018-19 /1819049/705/वाणिज्य कर दिनांक26.09.2018 के क्रम में ऐसे भुगतान जो रु 2.50 लाख से अधिक है के भुगतान पर एक प्रतिशत एस जी0एस0टी0 एवं एक प्रतिशत सी जी0एस0टी0 कटौती दिनांक1.10.2018 से किया जाना आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत दोहरीघाट के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग से कराये गये कार्य पर लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत में/ दो प्रतिशत से रु 156023 (एक प्रतिशत एस जी0एस0टी व एक प्रतिशत सी जी0एस0टी0)जी0एस0टी0 काटी गई है। जी0एस0टी से सम्बन्धित रजिस्टर नहीं बनाया गया है। वर्ष लेखा परीक्षा में जी0एस0टी की धनराशि क्षेत्र पंचायत स्तर पर ही रखी गई है जिसको खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जमा नहीं कराया गया है। जो अनियमितता है। जिसकी जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार सिंह व लेखाकार श्री अखिलानन्द चौबे की रही। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या-5)

प्रस्तर-21

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर तृतीय में दर्शित विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवा वित्त शीर्ष के अंतर्गत अनुदान रजिस्टर तृतीय व बैंक पासबुक बुक के अनुसार अनुदान रजिस्टर तृतीय के दिनांक

31.03.2021 के अंतिम अवशेष में राज्य वित्त 15 वां वित्त का अवशेष रु 5644284 से कम पाया गया क्षेत्र पंचायत में बैंक के सामाधान विवरण पत्र नहीं रखा गया। अनुदान रजिस्टर में चेक का विवरण भी अंकित नहीं है। उक्त अन्तर गम्भीर अनियमितता का विषय रहा जिसकी जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी श्री विजय कुमार सिंह व लेखाकार श्री अखिलानन्द चैबे की रही उक्त अन्तर का सामाधान किया जाना अपेक्षित है। उक्त अनियमितता हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(क्षेत्र पंचायतो से संबंधित आपत्तियां)

जनपद-बस्ती

मण्डल-बस्ती

प्रस्तर-1 क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर-III के अनुसार 31.03.2021 को रु 137946.00 अप्रयुक्त (निष्प्रयोज्य) अनुदान रोके रखा गया था जबकि वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत इसको विकास कार्यों पर खर्च कर लिया जाना चाहिये था। वित्तीय वर्ष में खर्च न कर पाना खण्ड विकास अधिकारी की अक्षमता तथा अवशेष अनुदान को समय से वापस न करना उनकी लापरवाही का द्योतक है। इस सम्बन्ध में श्रीमती श्वेता वर्मा खंड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री रामसुरेश के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। अवशेष का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	अनुदान का विवरण	धनराशि
1	बायोगैस अनुदान	648.00
2	पिछडा वर्ग क्षेत्र अनुदान निधि	13645.00
3	क्षेत्र निधि खातों पर ब्याज	315940.93
4	युवक मंगल दल की प्रोत्साहन की धनराशि	16000.00
5	जे०ई०/ए०ई०एस० प्रशिक्षण की धनराशि	55000.00
6	डा० भीमराव अम्बेडकर दिवस	4500.00
7	जमानत निविदा पत्रों की बिक्री की धनराशि	30239.00
8	नवनिर्वाचित प्रधान प्रशिक्षण की धनराशि	32207.00
	योग	137946.00

प्रस्तर-2 क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या-पंचायतीराज अनुभाग-02/04/866-33-02-14-93 जी/2004 टी०सी० दिनांक 24.06.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रसारित है कि क्षेत्र पंचायत को जो अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त है। उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये। परन्तु आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराकर व्यय दर्शाया गया है विवरण निम्नलिखित प्रकार है:-

(क)-	ग्राम पंचायत खम्हरिया में इसरार के घर के सामने होकर मुख्य मार्ग तक सी०सी०रोड निर्माण	187138.00
(ख)-	ग्राम पंचायत नटौवा में मनोज चौहान के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य-	421589.00

	योग	608727.00

उक्त व्यय धनराशि अनियमितता की श्रेणी में आता है इस संबंध में श्रीमती श्वेता वर्मा खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री रामसुरेश के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर-11 अनुसार दिनांक-15.03.2021 को 15वें वित्त की धनराशि से निम्न विवरणानुसार सामाग्री क्रय किया जाना दर्शित है

क्र०सं 0	पी०एफ०एम०एस० नं०	सामाग्री का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	एक्स०वी०एफ०सी० /2020-21/पी/124	विकास खण्ड कार्यालय हेतु कुर्सी मेज क्रय	68373.00	अज्ञात
2	एक्स०वी०एफ०सी० /2020-21/पी /122	विकास खण्ड कार्यालय हेतु कुर्सी मेज क्रय	63727.00	अज्ञात
3	एक्स०वी०एफ०सी० /2020-21/पी /121	विकास खण्ड कार्यालय हेतु कुर्सी मेज क्रय	84269.00	अज्ञात
4	एक्स०वी०एफ०सी० /2020-21/पी /121	विकास खण्ड कार्यालय हेतु अलमारी क्रय	2772	अज्ञात
5		योग	302553.00	

उपरोक्त क्रय की गयी कुर्सी मेंज एवं अलमारी क्रय से सम्बन्धित कार्यालय मांग पत्र , क्रय आदेश, कोटेशन, निविदा तथा क्रय प्रमाणक (बिल) लेखा परीक्षा समय मागें जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही स्टॉक रजिस्टर में उक्त क्रय की गयी सामग्री को अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा तथा स्टॉक पंजी अनुपलब्ध रहने से फर्जी क्रय दर्शाकर निजीहित में धनराशि का उपयोग किया गया है। अतः लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से रु 302553.00 का अपहरण किया गया है। प्रकरण अधिभार अर्न्तगत लाया जाता है। अतः धनराशि के अविलम्ब ब्याज सहित वसूली ख०वि०अधि० श्रीमती श्वेता वर्मा एवं लेखाकार श्री रामसुरेश से की जाय तथा नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-4 क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष में मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अर्न्तगत रु 408000.00 व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा। यह स्थिति असंतोषजनक है। इस प्रकार धनराशि रु 408000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती श्वेता वर्मा तथा लेखाकार श्री रामसुरेश उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कराये गये निर्माण कार्य हेतु क्रय की गयी सामाग्री पर फर्म से टी0डी0एस0 आयकर की कुल कटौती रु 355578.00 की गयी है परन्तु की गयी कटौती को आयकर विभाग के निर्धारित शीर्ष में जमा करने का कोई भी विवरण व चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। जिससे स्पष्ट है कि कटौती की गयी धनराशि को ससमय सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं कर अनियमितता की गयी है इस प्रति ख0वि0अधि0 श्री प्रेम प्रकाश मीणा, श्री उमाशंकर सिंह श्री अनुपम कुमार मिश्र, श्री मती श्वेता वर्मा कार्यकाल अनुसार एवं लेखाकार श्री रामसुरेश पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अतएव कटौती की गयी टी0डी0एस0 आयकर की धनराशि रु 355578.00 को तत्काल सम्बन्धित विभाग के लेखा शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है जमा करते समय अगर सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई अर्थ दण्ड आंकलित किया जाता है तो सम्बन्धित उत्तरदायी ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार से वसूल कर जमा किया जाये। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कराये गये निर्माण कार्य हेतु क्रय की गयी सामाग्री पर फर्म से टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 की कुल कटौती रु 325271.00 की गयी है परन्तु की गयी कटौती को व्यापार कर विभाग के निर्धारित शीर्ष में जमा करने का कोई भी विवरण व चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। जिससे स्पष्ट है कि कटौती की गयी धनराशि को ससमय सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं कर अनियमितता की गयी है इस प्रति ख0वि0अधि0 श्री प्रेम प्रकाश मीणा, श्री उमाशंकर सिंह श्री अनुपम कुमार मिश्र, श्री मती श्वेता वर्मा कार्यकाल अनुसार एवं लेखाकार श्री रामसुरेश पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अतएव कटौती की गयी टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 की धनराशि रु 325271.00 को तत्काल सम्बन्धित विभाग के लेखा शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है जमा करते समय अगर सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई अर्थ दण्ड आंकलित किया जाता है तो सम्बन्धित उत्तरदायी ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार से वसूल कर जमा किया जाये। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही कार्य प्रभारी की नियुक्ति कर कार्य प्रारम्भ कर लिया गया है। जो अनियमित रहा। कार्यों का विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	निर्माण कार्य का विवरण	तकनीकी स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रभारी की नियुक्ति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक	निर्माण कार्य लागत
1	अशोक इ0का0 के सामने इ0ला0 कार्य	18.01.2021	19.12.2020	01.01.2021	911271.00
2	ग्राम अकला में पोखरा पर 4 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य	18.01.2021	26.12.2020	01.01.2021	850966.00

3	विकास खण्ड परिसर का मरम्भ कार्य	18.01.2021	26.12.2020	27.12.2021	798236.00
4	ग्राम खम्हरिया में इसरार के घर के सामने होते हुये मुख्य सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	18.01.2021	29.12.2020	01.01.2021	926860.00
				योग	3487333.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तकनीकी स्वीकृति तिथि से पहले ही कार्यप्रभारी को नियुक्ति कर कार्य प्रारम्भ कर रु 3487333.00 का अनियमित कार्य कराया गया है इस प्रति ख0वि0अधि0 श्री मती श्वेता वर्मा एवं जे0ई0 श्री नरेन्द्र देव सिंह पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नविवरणानुसार राज्य वित्त से कराये गये कार्यों पर श्रमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में न कर कार्यप्रभारी को भुगतान करके अनियमितता बरती गयी है-

क्रमांक	विवरण	श्रमाश की धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	हल्लौर नगरा में पिचरोड से टी0एम0एस0 स्कूल तक कार्य पर मजदूरी	20286	638032	26.05.20	श्री अरुण कुमार पाण्डेय बी0ओ0
2	गंगौरी में इण्टरलाकिंग कार्य	44675	638048	19.10.20	श्री अरुण कुमार पाण्डेय बी0ओ0
3	दिसम्बर में काली मंदिर पर सी0सी0 पुलिया निर्माण	58446	638034	25.06.20	श्री अरुण कुमार पाण्डेय बी0ओ0
4	विकासखण्ड में अभिलेखागार निर्माण	93370	637591	09.11.20	श्री मनोज कुमार चतुर्वेदी ए0डी0ओ0 सहा0
5	सजहरा में हरिजन बस्ती में इ0ला0 कार्य	23226	638037	09.10.20	श्री मनोज कुमार चतुर्वेदी ए0डी0ओ0 सहा0
6	अमरडोभा में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	54926	638045	17.10.20	श्री धर्मपाल त्रिपाठी

	योग	294929			

अतएव उपरोक्त तालिका अनुसार रु 294929.00 श्रमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में नहीं कर कार्यप्रभारी को भुगतान कर अनियमितता की गयी है। इस अनियमितता हेतु ख०वि०अधि० श्रीमती श्वेता वर्मा व श्री अजित कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री शाहिद अली उत्तरदायी हैं। प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा की जांच में पाया गया कि वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों में रु 78728.00 टी०डी०एस० आयकर के रूप में कटौती की गयी है। कटौती की गयी आयकर की धनराशि को नियमानुसार ससमय आयकर विभाग के निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं किया गया है जो गम्भीर अनियमितता का विषय रहा। वर्ष 2020-21 में कटौती की गयी टी०डी०एस० आयकर की धनराशि को तत्काल जमा किया जाना अपेक्षित है। आयकर विभाग द्वारा अगर विलम्ब में जमा करने पर कोई दंड/ब्याज आरोपित किया गया जाता है तो नियमानुसार दंड/ब्याज की ब्याज सहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी से वसूलकर जमा किया जाये। उपरोक्त अनियमितता के प्रति ख०वि०अधि० कार्यकाल अनुसार श्रीमती श्वेता वर्मा, श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव व श्री मती मंजू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री शाहिद अली उत्तरदायी हैं। प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा की जांच में पाया गया कि वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों में रु 78728.00 टी०डी०एस० जी०एस०टी० के रूप में कटौती की गयी है। कटौती की गयी आयकर की धनराशि को नियमानुसार ससमय जी०एस०टी० विभाग के निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं किया गया है जो गम्भीर अनियमितता का विषय रहा। वर्ष 2020-21 में कटौती की गयी टी०डी०एस० जी०एस०टी० की धनराशि को तत्काल जमा किया जाना अपेक्षित है। जी०एस०टी० विभाग द्वारा अगर विलम्ब में जमा करने पर कोई दंड/ब्याज आरोपित किया गया जाता है तो नियमानुसार दंड/ब्याज की ब्याज सहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी से वसूलकर जमा किया जाये। उपरोक्त अनियमितता के प्रति ख०वि०अधि० कार्यकाल अनुसार श्रीमती श्वेता वर्मा, श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव व श्री मती मंजू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री शाहिद अली उत्तरदायी हैं। प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर ।।। अनुसार 31.03.2021 को बी०आर०जी०एफ० ब्याज की धनराशि रु 3691.00 अवशेष दर्शित है अवगत कराना है उक्त योजना बंद हो चुकी है तथा शेष धनराशि को प्रदाता विभाग को वापस करना है। परन्तु रु 3691.00 जो संस्था स्तर पर शेष है को वापस नहीं कर अनियमितता की गयी है। अवशेष धनराशि रु 3691.00 को तत्काल प्रदाता विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है इस अनियमितता के प्रति ख०वि०अधि० कार्यकाल अनुसार श्रीमती श्वेता वर्मा, श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव व श्री मती मंजू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री शाहिद अली उत्तरदायी हैं। प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 क्षेत्र पंचायत सांउघाट की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नविवरणानुसार राज्य वित्त से कराये गये कार्यों पर श्रमांश का भुगतान प्रभारी को करके अनियमितता बरती गयी है-

क्रमांक	विवरण	श्रमाश की धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	सांउघाट ग्राम में जयप्रकाश के घर के दक्षिण सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	125277.00	062019	26.06.20	श्री सुनील कुमार आर्या ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)
2	शिव मंदिर के सामने से राककृष्ण त्रिपाठी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	56672.00	062026	21.07.20	उपरोक्त
3	रसूलपुर ग्राम में स्थित शिवमंदिर परिसर में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	41343.00	062007	05.06.20	श्री कन्हैया लाल सहा0वि0अधि0 (कृषि)
4	पठखौली ग्राम सभा में एन0एच0 से देवनारायण मिश्रा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	31389.00	062011	05.06.20	श्री सुनील कुमार आर्या ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)
5	चैनपुरवा में हनुमान के खेत से उमेश चन्द के घर तक इ0ला0 कार्य	76920.00	062017	26.06.20	उपरोक्त
6	ग्राम सभा महसिन में पुजारीयादव के बाग से रामसेवक के घर तक इ0ला0 कार्य	91114.00	062036	11.09.20	श्री कन्हैया लाल सहा0वि0अधि0 (कृषि)
7	सांउघाट ग्राम सभा में कब्रिस्तान के पुलिया से पंचम के खेत तक इ0ला0 कार्य	93256.00	062029	27.07.20	श्री सुनील कुमार आर्या ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)
8	सिहारी पुरैना में मेंहदावल मार्ग से अब्दुल अजीज के घर तक इ0ला0 कार्य	46704.00	062028	27.07.20	श्री कन्हैया लाल सहा0वि0अधि0 (कृषि)
9	सांउघाट के दक्षिण पंचम के खेत से फागू मास्टर के घर तक इ0ला0 कार्य	85233.00	062041	30.09.20	श्री सुनील कुमार आर्या ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)
	योग	647908.00			

उपरोक्त तालिका अनुसार रु 647908.00 श्रमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में नहीं कर कार्यप्रभारी को भुगतान कर अनियमितता की गयी है। इस अनियमितता हेतु ख0वि0अधि0 श्रीमती मंजू त्रिवेदी, व श्रीराम दुलार एवं लेखाकार श्री नरसिंहनारायण उत्तरदायी है। प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-13 क्षेत्र पंचायत सांउघाट की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार कराये गये कार्यों में जी0एस0टी0 (2 प्रतिशत) की कटौती न करके अनियमितता की गई है।

क्र 0 सं 0	कार्य का नाम विवरण	भुगतान की गयी धनराशि	जी0एस0टी 0	चेक नं0/दिनांक	फर्म का नाम
1	सांउघाट ग्राम में जयप्रकाश के घर के दक्षिण सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	367892.00	7657	19.06.20	राजेश्वर कांस्ट्र क्शन
2	तदैव	412151.00	8263	20.05.20	तदैव
3	शिवमंदिर के सामने से रामकृष्ण त्रिपाठी के घर तक सी0सी0 रोड	272651.00	5453	062001/21.05.20	तदैव
4	रसूलपुर ग्राम में स्थित शिवमंदिर परिसर में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	138616.00	2772	062002/21.05.2 0	तदैव
5	तदैव	13600.00	2720	062006/05.06.2 0	तदैव
6	रसूलपुर ग्राम में सभा स्थल पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	509036	10780	062008/05.06.2 0	तदैव
7	ग्राम सभा पठखौली में एन0एच0 से देव नारायण मिश्रा के घर	167690	3353	062010/05.06.2 0	तदैव

	तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य				
8	ग्राम चैनपुरवा में हनुमान के खेत से उमेश चन्द्र के घर तक इ0ला0 कार्य	565400	11308	062014/15.06.20	तदैव
9	तदैव	47725	954	062016/26.06.20	तदैव
10	ग्राम सभा महसो में पुजारी यादव के बाग से रामसेवक के घर तक इ0ला0 कार्य	649840	12997	062020/26.06.20	तदैव
11	तदैव	15641	312	-	तदैव
12	ग्राम सभा सांउघाट में कब्रिस्तान के पुलिया से पंचम के खेत तक इ0ला0 कार्य	630969	12619	062022/29.06.20	तदैव
13	सिहारीपुरैना में मेंहदावल मार्ग से अब्दुल अजीज के घर तक इ0ला0 कार्य	331826	6636	062024/29.06.20	तदैव
14	तदैव	24808	496	062027/27.07.20	तदैव
	योग		86020		

इस प्रकार रु 86020.00 जी0एस0टी0 की कटौती न काटकर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्रीमती मंजू त्रिवेदी व लेखाकार श्री नरसिंह नारायण उत्तरदायी है। प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 क्षेत्र पंचायत सांउघाट की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कई मदों में वर्ष में कोई आय व व्यय नहीं हुआ है अतएव 31.03.2021 को अवशेष धनराशि निष्प्रयोज्य संस्था में जमा है विवरण निम्न है-

क्र०सं०	मद का विवरण	01.04.2020 को अवशेष	31.03.2021 को अवशेष
1	राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान	29500	29500
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	10040	10040
3	विधायक निधि अर्जित ब्याज	74059	74059
4	विधायक निधि बस्ती सदर	178267	178267
	योग	282826.00	282826.00

इस प्रकार स्पष्ट है कि धनराशियां खातों में ज्यों का त्यों पड़ी हुई हैं जिससे प्रदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। निष्प्रयोज्य पड़ी धनराशि को प्रदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। इस अनियमितता के प्रति ख०वि०अधि० श्री मती मंजू त्रिवेदी व श्री रामदुलार एवं लेखाकार श्री नरसिंह नारायण व श्री गुलाब चन्द्र उत्तरदायी हैं। प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन/परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2020-21 में रु 1388806.00 का मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह ए०डी०ओ० (सह०) , श्री देवेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) एवं श्रीमती माधुरी देवी ए०डी०ओ० (महिला) को किया गया है पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नम्बर अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है जो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं इसका भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरों का पैसा कार्यप्रभारी द्वारा नगद भुगतान कर अनियमितता की गयी इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
30291.00	श्रीमती श्वेता ख०वि०अधि०, श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
49149.00	श्रीमती श्वेता ख०वि०अधि०, श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
77034.00	श्रीमती श्वेता ख०वि०अधि०, श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
41708.00	श्रीमती श्वेता ख०वि०अधि०, श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार

28080.00	श्रीमती श्वेता ख0वि0अधि0, श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
74904.00	श्रीमती श्वेता ख0वि0अधि0, श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
73470.00	श्रीमती श्वेता ख0वि0अधि0, श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
64158.00	श्रीमती श्वेता ख0वि0अधि0, श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
33951.00	श्रीमती श्वेता ख0वि0अधि0, श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
138531.00	श्रीमती श्वेता ख0वि0अधि0, श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
40713.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्रीमती माधुरी देवी कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
28623.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्रीमती माधुरी देवी कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
21441.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्रीमती माधुरी देवी कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
100851.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्रीमती माधुरी देवी कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
67134.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्रीमती माधुरी देवी कार्यप्रभारी व श्री रविशंकर लेखाकार
61929.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्री देवेन्द्र कुमार कार्यप्रभारी एवं श्री रविशंकर लेखाकार
62319.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्री देवेन्द्र कुमार कार्यप्रभारी एवं श्री रविशंकर लेखाकार
61125.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्री देवेन्द्र कुमार कार्यप्रभारी एवं श्री रविशंकर लेखाकार
68301.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्री देवेन्द्र कुमार कार्यप्रभारी एवं श्री रविशंकर लेखाकार
156225.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्री देवेन्द्र कुमार कार्यप्रभारी एवं श्री रविशंकर लेखाकार
47744.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्री देवेन्द्र कुमार कार्यप्रभारी एवं श्री रविशंकर लेखाकार
61125.00	श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0अधि0, श्री देवेन्द्र कुमार कार्यप्रभारी एवं श्री रविशंकर लेखाकार
1388806.00	योग

प्रस्तर-16 क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में सामाग्री क्रय पर कुल रु 351873.00 की आयकर टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है उक्त काटी गयी धनराशि को ससमय आयकर के निर्धारित शीर्षक में जमा नहीं किया गया है इस प्रकार ससमय कटौती की गयी धनराशि को जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस अनियमितता के हेतु श्रीमती श्वेता वर्मा ख0वि0 अधि0 एवं श्री रविशंकर लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। साथ ही आयकर टी0डी0एस0 आयकर मद में कटौती की गयी धनराशि रु 351873.00

को आयकर के निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है यदि जमा करते समय आयकर विभाग द्वारा विलम्ब से जमा करते समय आयकर विभाग द्वारा विलम्ब से जमा करने का ब्याज एवं अर्थ दण्ड की ब्याज सहित वसूली आयकर नियमानुसार आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अधि० श्रीमती श्वेता वर्मा, श्री रविशंकर लेखाकार से संयुक्त रूप से वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में सप्लायर को भुगतान करते समय कुल धनराशि रु 367181.00 पर निर्धारित 2.24 प्रतिशत जी०एस०टी० की कटौती की गयी धनराशि को ससमय जी०एस०टी० के निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार ससमय कटौती की गयी धनराशि को जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस अनियमितता हेतु श्रीमती श्वेता वर्मा ख०वि०अधि० एवं श्री रविशंकर लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। साथ ही जी०एस०टी० मद में कटौती की गयी धनराशि रु 367181.00 को आयकर के निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है यदि जमा करते समय जी०एस०टी० विभाग द्वारा विलम्ब से जमा करने का ब्याज एवं अर्थ दण्ड की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अधि० श्रीमती श्वेता वर्मा, श्री रविशंकर लेखाकार से संयुक्त रूप से वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश सं०-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों को ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य करने को प्रतिबंधित किया गया है उपरोक्त प्रतिबंध मुख्यतः डुप्लीकेसी को रोकने के लिया किया गया है लेकिन क्षेत्र पंचायत के द्वारा मनमाने ढंग से बिना गाइड लाइन के कार्य कराया गया है। आगे यह कार्य पंचायत अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 51/2018/1701/33-3-2018/40/2018 दिनांक- 13.06.2018 के गाइडलाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर एल०ई०डी० स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य कराया गया है। लेकिन सक्षम अधिकारी के द्वारा ग्राम सभा में उ०प्र० कारपोरेशन के खंभों पर लाइट लगवाने हेतु एन०ओ०सी० और विद्युत कनेक्शन पूर्ण के भुगतान संबंधी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी है। एल०ई०डी० लाइट के संदर्भ वाट उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण डी०एम० महोदय की समिति के किये जाने सम्बन्धी पत्रावली भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रही। क्रय प्रक्रिया में भी दिनांक 19.06.2000 के शासनादेश के अनुसार जेम से क्रय के नियम का पालन नहीं किया गया है यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इनकी स्थापना के स्थान चयन की प्रक्रिया क्या रही। साथ ही यदि इनकी स्थापना पुराने लाइट के स्थान पर की गयी है तो पुराने के निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही है। इस प्रकार स्ट्रीट लाइट का क्रय जेम से न कर मे० आशुतोष ऑटोमोबाईल हरैया बस्ती से रु 72462.00 किया गया है जिसके जिम्मेदार ख०वि०अधि० श्रीमती श्वेता वर्मा एवं श्री रविशंकर लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के पत्रावली जांच में पाया गया कि फर्म को भुगतान करते समय नियमानुसार टी०डी०एस० आयकर की धनराशि की कटौती नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र०सं०	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	कटौती जो की जानी चाहिये
01	मे० हर्ष इण्टर प्राइजेज	50/11.12.20	10030	201.00
02	मे० राजकुमार	38/11.12.20	19966	399.00
03	उ०प्र०रा० कर्मचारी कल्याण निगम	150/11.12.20	50000	1000.00
04	मे० हर्ष इ०प्रा०	47/16.02.21	10030	201.00
05	मे० राजकुमार	35/16.02.21	19966	399.00
06	उ०प्र० रा० कर्म० कल्याण निगम	147/16.02.21	50000	1000.00
07	मे० हर्ष इ०प्रा०	98/06.03.21	60180	1204.00
08	मे० राजकुमार	89/06.03.21	119795	2396.00
09	उ०प्र०रा० कर्म० कल्याण निगम	151/06.03.21	300000	6000.00
	योग			12800.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म को भुगतान करते समय नियमानुसार टी०डी०एस० आयकर की धनराशि कटौती नहीं कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाकर अनियमितता की गयी है। इस अनियमितता के प्रति ख०वि०अधि० श्रीमती श्वेता वर्मा एवं लेखाकार श्री रविशंकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतएव कटौती नहीं की गयी टी०डी०एस० आयकर की धनराशि रु 12800.00 फर्म से प्राप्त कर आयकर के निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाये। फर्म से वसूल नहीं होने की दशा में नियमानुसार आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अधि० श्रीमती श्वेता वर्मा एवं लेखाकार श्री रविशंकर से संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराया जाये। प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर-III के माह मार्च 2021 में अनुदानों के अन्तिम अवशेषों का कुल योग लेखा परीक्षा अनुसार रु 9603022.78 होता है परन्तु ग्राण्ट-III में कुल योग 9560641.78 अंकित किया गया। इस प्रकार ग्राण्ट रजिस्टर-III में 31.03.2021 को कुल अवशेष अनुदान रु-42381.00 कम दर्शित कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस प्रति ख०वि०अधि० श्रीमती श्वेता वर्मा एवं श्री रविशंकर लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्यों के लिये सप्लायर्स फर्म नीलकण्ठ से निम्न निर्माण कार्यों हेतु मिटटी क्रय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	क्रय की गयी मिटटी	30 रु०प्रति घनमी० की दर से रायल्टी
1	थाना खास में विनय श्रीवास्तव के घर से राकेश श्रीवास्तव के घर तक मिटटी खण्डजा	265 घनमी०	7950.00
2	ग्रा०पं० सकरदहा में राजबहादुर सिंह के घर से विश्वनाथ सिंह के घर तक मिटटी खण्डजा	312.95 घनमी०	9388.50
3	हरदिया हरिजन बस्ती से काशीपुर मार्ग तक मिटटी खण्डजा	611.06 घन मी०	18331.80
4	बरहपुर हरैयार श्रीपतिपुर सम्पर्क मार्ग से चमरहिया रतनपुर सरहद तक मिटटी खण्डजा	1530 घनमी०	45900.00
	योग	2719.01	81570.30

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सप्लायर फर्म से कुल 2719.01 घनमी० मिटटी क्रय किया गया जिसका रायल्टी रु 30 प्रतिघन मी० से रु 81570.30 होता है की कटौती फर्म के बिल से नहीं कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाकर अनियमितता की गयी है। इस प्रति ख०वि०अधि० श्रीमती श्वेता वर्मा एवं लेखाकार श्री रविशंकर संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। कटौती नहीं की गयी रायल्टी की धनराशि रु 81570.30 को तत्काल फर्म नीलकण्ठ से वसूल कर खनन विभाग के निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाये। फर्म से वसूल नहीं होने की दशा में आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अधि० श्रीमती श्वेता वर्मा एवं लेखाकार श्री रविशंकर से वसूल कर जमा किया जाये। प्रकरण उच्चअधिकारियों के सज्जन में लाया जाता है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में सामाग्री क्रय प्रमाणको की धनराशि रु 2167095.00 पर रु 368865.00 की जी०एस०टी० कटौती की गयी है किन्तु लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त निर्धारित लेखा शीर्षक जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि को जमा न कर अनियमितता कीगयी है जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री रामरेखा सरोज व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में सामाग्री क्रय प्रमाणको की धनराशि रु 2167095.00 पर रु 416025.00 की आयकर कटौती की गयी है किन्तु लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त निर्धारित लेखा शीर्षक जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि को जमा न कर अनियमितता कीगयी है जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री रामरेखा सरोज व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अनुदानपंजी-III के अनुसार मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अर्न्तगत रु 306000.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री रामरेखा सरोज व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अनुदानपंजी-III के अनुसार राज्य वित्त से प्राप्त होने वाली अनुदान रु 9131220.00 तथा केन्द्रीय वित्त से प्राप्त होने वाले अनुदान रु 13062636.00 इस प्रकार कुल रु 22193856.00 व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में 21104926.00 का ही व्यय बाउचर एवं निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत किया गया है शेष धनराशि रु 1088930.00 का अभिलेख/व्यय बाउचर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री रामरेखा सरोज व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में सामाग्री क्रय प्रमाणको की धनराशि रु 20609277.00 पर रु 462899.00 की आयकर कटौती की गयी है किन्तु लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त निर्धारित लेखा शीर्षक जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि को जमा न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री प्रभाशंकर चौबे व लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में सामाग्री क्रय प्रमाणको की धनराशि रु 17226556.00 पर रु 344533.00 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी है किन्तु लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त निर्धारित लेखा शीर्षक जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि को जमा न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री प्रभाशंकर चौबे व लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में सामाग्री क्रय प्रमाणको की धनराशि रु 3382721.00 पर रु 67654.00 की जी0एस0टी0 कटौती न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री प्रभाशंकर चौबे व लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अनुदानपंजी-III के अनुसार मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अर्न्तगत रु 289996.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री प्रभाशंकर चौबे व लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया विगत कई वर्षों से निष्प्रयोज्य धनराशि को अनुदानदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की जा रही है जिसके लिये

ख0वि0अधि0 श्री प्रभाशंकर चौबे व लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है। इस धनराशि का विवरण निम्नवत है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

1. राष्ट्रीयबायोगैस-	17598.00
2. जे0ई0/ए0ई0एस0-	10000.00
3. युवक मंगलदल-	38000.00
4. राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता मिशन-	30446.00
5. 13 वां वित्त-	6917.00
6. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान काण्टीजेन्सी-	3500.00
7. जनगणना 2011-	361.00
योग-	105822.00

प्रस्तर-31 क्षेत्र पंचायत बस्ती सदरकी वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निष्प्रयोज पडी धनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है विवरण निम्न प्रकार है-

1. पंचायत निर्वाचन धनराशि- 33079.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि रु 33079.00 प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री प्रभाशंकर चौबे व लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 क्षेत्र पंचायत बस्ती सदरकी वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर-III की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि टी0डी0एस0 आयकर की वर्ष में कटौती रु 399872.00 किया जाना तथा वर्ष में आयकर विभाग में रु 153286.00 जमा किया जाना एवं दिनांक 31.3.21 को रु 246586.00 अन्तिम शेष के रूप में दर्शित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वर्ष में काटे गये टी0डी0एस0 आयकर को नियमानुसार ससमय आयकर विभाग के निर्धारित जमा शीर्ष में जमा नहीं किया गया है जो गम्भीर अनियमितता का विषय रहा है।

अतएव अन्तिम शेष रु 246586.00 को तत्काल आयकर विभाग के निर्धारित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है अगर आयकर विभाग द्वारा विलम्ब से जमा किये जाने के प्रति कोई भी अर्थदण्ड लगाया जाता है तो अर्थदण्ड की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अधि0 से वसूल कर जमा कराया जाये।

कटौती की गयी टी0डी0एस0 आयकर की धनराशि रु 246586.00 ससमय आयकर विभाग के निर्धारित शीर्ष में जमा न कर की गयी अनियमितता के प्रति ख0वि0अधि0 श्री प्रभाशंकर चौबे व लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है। साथ ही इस अनियमितता के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-33 क्षेत्र पंचायत बस्ती सदरकी वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर-III की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 की वर्ष में कटौती रु 355588.00 किया जाना तथा वर्ष में आयकर विभाग में रु 136862.00 जमा किया जाना एवं दिनांक 31.3.21 को रु 218726.00 अन्तिम शेष के रूप में दर्शित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वर्ष में काटे गये टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 को

नियमानुसार ससमय आयकर विभाग के निर्धारित जमा शीर्ष में जमा नहीं किया गया है जो गम्भीर अनियमितता का विषय रहा है।

अतएव अन्तिम शेष रु 218726.00 को तत्काल आयकर विभाग के निर्धारित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है अगर आयकर विभाग द्वारा विलम्ब से जमा किये जाने के प्रति कोई भी अर्थदण्ड लगाया जाता है तो अर्थदण्ड की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अधि0 से वसूल कर जमा कराया जाये।

कटौती की गयी टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 की धनराशि रु 218726.00 ससमय आयकर विभाग के निर्धारित शीर्ष में जमा न कर की गयी अनियमितता के प्रति ख0वि0अधि0 श्री प्रभाशंकर चौबे व लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है। साथ ही इस अनियमितता के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-34 क्षेत्र पंचायत दुबौलिया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निष्प्रयोज पड़ी धनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0स0	मद	धनराशि
1	पिछडा वर्ग अनुदान	120226.00
2	आजीविका मिशन	183.00
3	जे0ई/एईएस	7753.00
	योग-	128162.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि रु 128162.00 प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री संजेश कुमार श्रीवास्तव व लेखाकार श्री मो0 सलीम उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 क्षेत्र पंचायत दुबौलिया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित कार्यो पर भुगतान करते समय नियमानुसार टीडीएस जीएसटी की कटौती नहीं की गयी है-

कार्य का नाम	व्यय की गयी धनराशि	फर्म का नाम	जीएसटी की कटौती जो नहीं किया गया (2प्रतिशत)
सेमरा मुस्तहकम में मुंशीराम के घर से आंगनवाडी केन्द्र तक इ0ला0का0	499024.00	मे0ओम ट्रेडर्स	9980.48
अवधूत नगर में भगवानदीन के घर से विरेन्द्र के घर तक इ0ला0कार्य	472828.00	मे0ओम ट्रेडर्स	9456.56
विकास खण्ड दुबौलिया के मिटिंग हाल में टाइल्स लगाने,हाल एवं छत मरम्मत	587544.00	मे0ओम ट्रेडर्स	11750.88

सेमरा पिच मार्ग से तालुकदार के घर तक इ0ला0कार्य	439813.00	मे0ओम ट्रेडर्स	8796.26
उमरिया सम्पर्क मार्ग से देवरहवा बाबा के स्थान तक इ0ल0 कार्य	550394.00	मे0ओम ट्रेडर्स	11007.88
सेमरा राम बहादुर के घर से जग नरायन के घर तक इ0ला0 कार्य	460499.00	मे0ओम ट्रेडर्स	9209.98
योग-	3010102.00		60202.04

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भुगतान करते समय टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 की कटौती रु 60202.04 नहीं कर राजकीय राजस्व कीक्षति की गयी है अतएव कटौती न की गयी धनराशि रु 60202.04 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित सप्लायर्स फर्म जिससे कटौती की जानी थी, से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रु 60202.04 की ब्याज सहित वसूली ख0वि0अधि0 श्री इन्द्रपाल सिंह यादव लेखाकार श्री मो0 सलीम से सयुक्त रूप से वसूल कर जी0एस0टी0 निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है साथ ही जी0एस0टी0 विभाग द्वारा कोईअर्थदण्ड लगाया जाता है तो उसकी भी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी है।

इस प्रकार टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 की कटौती भुगतान करते समय नहीं किये जाने के अनियमितता के प्रति ख0वि0अधि0 श्री इन्द्रपाल सिंह यादव लेखाकार मो0 सलीम उत्तरदायी है। साथ ही प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इसप्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित परियोजनाओं पर 2.24 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति कर अनियमितता गयी है-

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	सामग्री की धनराशि	2.24 प्रतिशत टी0डी0एस जो कटौती नहीं की गयी
1	इ0ला0 कार्य-पिपरपाती एह0 में पिच रोड से शेषनाथ के घर तक	767644.00	17195.00
2	सी0सी0रोड निर्माण-कोप में चौराहे से मस्तराम के घर तक	676265.00	15148.00
3	सी0सी0रोड निर्माण-कोप में चन्द्रशेखर के घर से कालीजी के स्थानतक	794449.00	17796.00
4	इ0ला0 कार्य-पिपरपाती एह0 में पिच रोड से रामभुआल के घरतक	340850.00	7635.00

5	इ0ला0 कार्य-ग्राम पंचायत जनवल में गुरुशरणपाल के घर के सामने	348180.00	7799.00
6	इ0ला0 कार्य-कुदरहा बाजार में मेन रोड से अंगदसोनार के घर के आगे तक	343548.00	7695.00
7	नाली निर्माण-लालगंज में सिराजुद्दीन के घर से रामउजागिर के घर तक	765664.00	15807.00
8	नाली निर्माण-लालगंज में घनश्याम के घर से बहरैची के घर तक	765664.00	15807.00
9	शौचालय निर्माण-आर0आर0टी स्कूल के बगल में	362440.00	8119.00
10	सी0सी0रोड निर्माण-जमालपुर में शिवमंदिर से राजू के घर होते हुए मेन रोड तक	694755.00	15562.00
11	सी0सी0रोड निर्माण-तुरकौलिया में पिच रोड से प्रधान के घर के आगे तक	698437.00	15645.00
	योग-	7212627.00	161562.00

उक्तानुसार बिलों से टी0डी0एस0 रु 161562.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार नायक एवं लेखाकार श्री दोस्त मुहम्मद जिम्मेदार हैं, आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित परियोजनाओं पर 2 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति कर अनियमितता गयी है-

क्र 0 सं 0	परियोजना का नाम	सामग्री की धनराशि	2 प्रतिशत जी0एस0टीजोक टौतीनहीं की गयी
1	नाली निर्माण-ग्राम पंचायत लालगंज में सिराजुद्दीन के घर से रामउजागिर के घर तक	705664.00	14113.00
2	नाली निर्माण-ग्राम पंचायत लालगंज में घनश्याम के घर से बहरैची के घर तक	705664.00	14113.00
3	शौचालय निर्माण-आर0आर0टी स्कूल के बगल में	362440.00	7249.00

4	सी0सी0रोड निर्माण-जमालपुर में शिवमंदिर से राजूके घर होते हुए मेन रोड तक	694755.00	13895.00
5	सी0सी0रोड निर्माण-तुरकौलिया में पिच रोड से प्रधान के घर के आगेतक	698437.00	13969.00
6	नाली निर्माण-डुबेहना में रामचेत के घर से तालाब तक	774731.00	15495.00
	योग-	3941691.00	78834.00

उक्तानुसार बिलों से जी0एस0टी रु 78834.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार नायक एवं लेखाकार श्री दोस्तमुहम्मद जिम्मेदार हैं, आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निष्प्रयोज्य पडी धनराशि वापस न कर अनियमितता-दिनांक 31.03.2021 को ग्राण्ट रजिस्टर।। अनुसार निष्प्रयोज्य पडी धनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है, विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	टेण्डर की धनराशि	35900.00
2	मुख्यमंत्री शादी-विवाहअनुदान	259545.00
	योग-	295445.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि रु 295445.00प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है।जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार नायक तथा लेखाकार श्री दोस्तमुहम्मद जिम्मेदार हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक.31.03.2021 को ग्राण्ट रजि0-।।। में अंतिम शेष रु0 6488136.30 अंकित पाया गया तथा बैंक खाताओं में जमा अंतिम शेष रु0 5813698.14 अंकित पाया गया। इस प्रकार ग्राण्ट रजि0-।।। में अवशेष अनुदान एवं बैंक में जमा शेष धनराशि में रु0 674438.16 का अन्तर पाया गया जो कि बैंक में कम दर्शित है अन्तर की धनराशि के संबन्ध में समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं

किया गया है तथा लेखा परीक्षा समय पूछे जाने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया जो गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

अतः अन्तर की धनराशि ₹0 674438.16 जो कम दर्शित है के अनियमितता के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार नायक व लेखाकार श्री दोस्त मोहम्मद पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में शासनदेश सं0 (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)- सं0 3385/86-2015-292/2015 दिनांक- 15.10.2015 एवं 641/86-2018-153/2017 लखनऊ दिनांक 27 मार्च 2018 के द्वारा निर्माण कार्य सामाग्रियों में प्रयुक्त होने वाली सामाग्रियों यथा चूना पत्थर, मोरंग, बालू, पत्थर गिट्टी इत्यादि की आपूर्ति करने वाले फर्म की बिल के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न न होने की दशा में निर्धारित दर से उनकी बिलों से रायल्टी काटने का निर्देश निर्गत है। लेखा परीक्षा में निम्नलिखित विवरणानुसार सामाग्रियों की आपूर्ति पर फर्म को भुगतान किये गये बिलों के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न नहीं पाया गया, फिर भी संस्था द्वारा बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती न करके मनमाने ढंग से बिल का पूर्ण भुगतान कर अनियमितता करते हुये राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। इस सन्दर्भ में संस्था से लिखित रूप से भी पूछे जाने पर भी संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्र 0 सं 0	नाम परियोजना राज्य वित्त आयोग	बालू दर ₹0 55/ध0मी0		मोरंग दर ₹0 75/ध0मी0		पत्थर गिट्टी दर ₹0110/ध0मी0		कुल योग ₹0	उत्तरदायी कर्मचारी/अ धिकारी का नाम एवं पदनाम
		मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी		
1	स0मा0 बढ़या से एस0डी0जी0 पब्लिक स्कूल इंटरलाकिंग कार्य	55.34	3044	-	-	-	-	3044	श्री संजय कुमार नायक, ख0वि0अधि 0 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार
2	कटरी पटखौलीराजा सम्पर्क मार्ग से मुकुलपुरवा तक इंटरलाकिंग	64.29	3536	-	-	-	-	3536	--"--

3	कोइलरा बघौडा मार्ग से राजकुमार यादव के घर तक इण्टरलांकिंग	70.14	3858	-	-	-	-	3858	--“--
4	ग्राम पं0 मांझा में मढनी ताल से टिनिच सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलांकिंग कार्य	62.60	3443	-	-	-	-	3443	--“--
5	करचोलिया में टिनिच संपर्क मार्ग कप्तानगंज से कल्यानपुर ग्राम तक इ0ला0	64	3520	-	-	-	-	3520	--“--
6	ग्रा0पं0 नकटीदेई टिनिच सं0मा0 से गोपीनाथ के घर तक सी0सी0 रोड निमार्ण	5.73	315	4.59	344	9.19	1011	1670	--“--
7	ग्रा0पं0 बैहार में दुबौलिया बैहार सं0मा0 से बैहार गाव वीरेन्दरओझा के घरतक इ0ला0	65.87	3568	-	-	-	-	3568	--“--
8	वि0ख0 कप्तानगंज के पशु अस्पताल से द्वितीय गेट तक सी0सी0 रोड निमार्ण	1.42	78	5.31	398	10.62	1168	1644	--“--
9	ग्रा0 दुबौली दूबे में सं0मा0 गोटा टिनिच से दुबौली दूबे दुर्गामंदिर तक सी0सी0 रोड	26.70	1469	22.97	1723	45.95	5055	8247	--“--
10	ग्राम रानीपुर में रेहरा रानीपुर सं0मा0 से कन्हैयालाल के घर तक इ0ला0	62.89	3459	-	-	-	-	3459	--“--
11	ग्रा0पं0 करचोलिया टिनिच सं0मा0 से मगरू प्रजापति के घरतक इ0ला0	30.32	1668	-	-	-	-	1668	--“--

1 2	ग्रा0पं0कप्तानगंज नरायनपुरपाण्डेय छोटापुरवा श्रीहरिषंकरपाण्डेय के घरसे सं0मा0 तक इ0ला0	34.72	1910	-	-	-	-	1910	श्री संजय कुमार नायक, ख0वि0अधि 0 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार
1 3	खजुहा मांझा सं0मा0 से ग्रा0पं0 रानीपुर में रामप्रसाद षर्मा के घर तक इ0ला0	54.30	2987	-	-	-	-	2987	--“--
1 4	कटईया पिच मार्ग से रोहित तिवारी के घर होते हुए सुबास के घर तक इ0ला0	75.08	4129	-	-	-	-	4129	--“--
1 5	ग्रा0पं0 सरैया मिश्र के रा0ग्रा0 बनकटादूबे के सं0मा0 से सुरेशमौर्या के घरतक इ0ला0	68.92	3792	1.54	116	3	330	4242	--“--
1 6	पोखरा रखिया मार्ग सदानन्द ल0मा0वि0 से शिवमंदिर तक इ0ला0	23.67	1302	-	-	-	-	1302	--“--
1 7	ग्रा0पं0 करचोलिया में माखन के घर से टिनिच पिचमार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण	33.21	1827	17.32	1299	34.63	3809	6935	--“--
1 8	महाराजगंज तेलियाडीह स0मा0 से धरमसिंह महाराजगंज सं0मा0 तक इ0ला0	46.85	2577	-	-	-	-	2577	--“--
	15 वां वित्त आयोग								
1	कप्तानगंज थाने में पिक पौचालय निर्माण	15.70	864	5.85	439	9.18	1010	2313	--“--

2	ग्रा0पं0मरवटियातिवारी प्रा0म0सडक से दुख छोरनाथ मंदिर को जोडनेवाली सडकतक सी0सी0 रोड निमार्ण	22.43	1234	23.87	1790	47.75	5253	8277	--“--
3	ग्रा0पं0 मांझा में हयूम पाइप नाली निमार्ण	4.80	264	0.72	54	1.44	158	476	--“--
4	ग्रा0पं0 मंझरिया में हयूम पाइप नाली कार्य	4.87	268	0.72	54	1.44	158	480	--“--
5	ग्रा0 पं0 दुबौली मिश्र में रामचरितर के धर से रामआजा के घर तक हयूम पाइप नाली निमार्ण	4.70	259	0.68	51	1.37	151	461	--“--
6	स0मा0 नकटीदेई से मा गायत्री इ0का0 होते एन0एच0-28 तक सी0सी0 रोड	13.20	726	13.08	981	26.15	2877	4584	--“--
7	ग्रा0पं0नकटीदेईबुजुर्ग में टिनिच कप्तानगंज सं0मा0से तिनियहवासरहद तक इ0ला0	55.44	3049	-	-	-	-	3049	--“--
8	स0मा0 बसुआपार से डा0 वी0के0 वर्मा इस्टीटयूट मे0साइन्स तक तक इ0ला0	52.46	2885	-	-	-	-	2885	--“--
9	ग्रा0पं0 बढया सं0मा0 से नीना के घर तक इण्टरलांकिग कार्य	22.02	1211	-	-	-	-	1211	--“--
1 0	ग्रा0पं0 करचोलिया में जानदास के घर से तीरथराम के चक हयूमपाइप नाली निमार्ण	12.72	700	1.17	88	1.80	198	986	--“--

1	वि०खण्ड के परिसरमें	12.21	672	10.17	763	20.33	2236	3671	--“--
1	अभिलेखागार कक्ष निर्माण								
	योग-	-	-	-	-	-	-	90132	

उपरोक्त प्रकार नियमानुसार निर्धारित कटौती कुल ₹0 90132.00 नहीं की गयी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः ₹0 90132.00 में से ₹0 45066.00 की ब्याज सहित वसूली श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी व ₹0 45066.0 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार से दण्ड सहित संयुक्त रूप से करते हुए निर्धारित शीर्ष में जमा कराकर रबीद/चालान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि मे० ए०पी० शुक्ला क० के बोर्ड के प्रमाणक राज्य वित्त की 18 परियोजनाओं एवं 15 वे वित्त आयोग से 4 परियोजनाओं कुल 22 परियोजनाओं पर कुल ₹0 109890 का भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त फर्म ने आलोच्य वर्ष में अधिकांश निर्माण कार्य सामग्रियों की आपूर्ति कर ₹0 250000.00 से अधिक का भुगतान प्राप्त किया है। संस्था द्वारा अन्य व्यय प्रमाणकों से टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० की कटौती की गयी है किन्तु ₹0 109890.00 से आयकर ₹0 2444.00 एवं जी०एस०टी० ₹0 2198.00 कुल ₹0 4642.00 की कटौती न कर पूर्ण भुगतान कर अधिक भुगतान कर धन का दुरुपयोग करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। अतः ₹0 4642.00 में से ₹0 2321.00 श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी एवं ₹0 2321.00 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार से वसूल किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-42 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं०-एडी० कमि० जी०एस०टी० अनु०/2018-19/1819049/705/वाणिज्य कर दिनांक 26.9.2018 के अनुपालन में संस्था निर्माण कार्य सामग्रियों की बिलों से आलोच्य वर्ष में कुल ₹0 283415.00 की कटौती की गयी है। जिसका विवरण तालिका-2 पर (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पृष्ठ सं०-8,9 व 10) दर्शाया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा तिथि तक संबन्धित शीर्ष/खाते में जमा न करके अनियमितता की गयी है। इस संदर्भ में संस्था से लिखित रूप से पूछे जाने पर भी संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। उक्त कटौती को जमा न करने हेतु श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार उत्तरदायी है। इसे तत्काल निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए। जमा करने में यदि कोई विलम्ब शुल्क देना पड़ता है तो उसे उत्तरदायी उक्त अधिकारी/कर्मचारी से वसूल किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-43 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य सामग्रियों की बिलों से टी०डी०एस० की कुल ₹0 317482.00 की कटौती की गयी है जिसका विवरण तालिका-2 पर (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पृष्ठ सं०-8,9 व 10) दर्शाया गया है किन्तु

इस धनराशि को लेखा परीक्षा तिथि तक निर्धारित शीर्षक में जमा न कर/26 क्यू प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। इस संदर्भ में संस्था से लिखित रूप से पूछे जाने पर भी संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। उक्त कटौती को जमा न करने हेतु श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार उत्तरदायी हैं। इसे तत्काल निर्धारित शीर्षक में जमा किया जाना चाहिए। जमा करने में यदि कोई विलम्ब शुल्क देना पड़ता है तो उसे उत्तरदायी उक्त अधिकारी/कर्मचारी से वसूल किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-44 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उत्तर प्रदेश जि०पं० तथा क्षे०पं० बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार स्वीकृत नक्शों या अनुमानों में परिवर्तन और विस्तार करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकृत नक्शों या अनुमान या निर्माण कार्य में तब तक कोई सारवार परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो, उसकी स्वीकृति न दे दे। निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं में बिना उपरोक्त प्रकार आवश्यक स्वीकृति के स्टीमेट से अधिक निर्माण कार्य सामग्री पर व्यय करके राजकीय धन कुल ₹ 96213.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस संदर्भ में संस्था से लिखित रूप से पूछे जाने पर भी संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। धनराशि संबंधित से वसूल की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम परियोजना	सामग्री का नाम	स्टीमेट में स्वीकृत सामग्री	प्रयुक्त सामग्री	अन्तर×दर	मूल्य	उत्तरदायी व्यक्ति
1	स०मा० बढया से एस०डी०जी० पब्लिक स्कूल इण्टरलांकिंग कार्य	मिटटी	60 घन मी०	82.95 घनमी०	22.95×105.70	2426.00	श्री संजय कुमार नायक, ख०वि०अधि० श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री मदन चन्द्र मौर्या, कार्य प्रभारी

2	कटरी पटखौलीराजा सम्पर्क मार्ग से मुकुलपुरवा तक इण्टरलांकिंग	ईट	9310 नग	9895 नग	585×6.66	3896.00	--“--
3	ग्राम पं0 मांझा में मढनी ताल से टिनिच सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलांकिंग कार्य	मिटटी	348 घन मी0	397.44 घन मी0	49.44×105.70	5225.00	--“--
4	करचोलिया में टिनिच संपर्क मार्ग कप्तानगंज से कल्यानपुर ग्राम तक इ0ला0	इण्टरलांकिंग ईट	18018 नग	18076 नग	58×23.20	1346.00	--“--
5	ग्रा0पं0 नकटीदेई टिनिच सं0मा0 से गोपीनाथ के घर तक सी0सी0 रोड निमार्ण	ईट	796 नग	1265 नग	469×6.66	3124.00	--“--
6	ग्रा0पं0कप्तानगंज नरायनपुरपाण्डेय छोटापुरवा श्रीहरिषंकरपाण्डेय केघरसे सं0मा0 तक इ0ला0	इण्टरलांकिंग ईट	13335 नग	14310 नग	975×23.20	22620.00	श्री संजय कुमार नायक, ख0वि0अधि0 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री सहजराम, कार्य प्रभारी
7	खजुहा मांझा सं0मा0 से ग्रा0पं0 रानीपुर में	मिटटी	36 घन मी0	58.05 घन मी0	22.05×105.70	2331.00	--“--

	रामप्रसाद शर्मा के घर तक इ0ला0						
8	ग्रा0पं0 सरैया मिश्र के रा0ग्रा0 बनकटादूबे के सं0मा0 से सुरेशमौर्या के घरतक इ0ला0	सीमेण्ट	181 बोरी	199 बोरी	18×354.40	6379.00	--“--
9	पोखरा रखिया मार्ग सदानन्द ल0मा0वि0 से शिवमंदिर तक इ0ला0	ईट	4856 नग	5998 नग	1142×6.66	7606.00	--“--
		इण्टरलांकिंग ईट	20388 नग	21446 नग	1058×23.20	24546.00	
10	ग्रा0पं0 करचोलिया में माखन के घर से टिनिच पिचमार्ग तक सी0सी0 रोड निमार्ण	बालू	28.94 घनमी0	33.21 घन मी0	4.27×1052.40	4494.00	--“--
		पालीथीन सीट	434.60	563.85	129.25×3186	4118.00	
		मिटटी	शून्य	76.65 घनमी0	76.65×105.70	8102.00	
	योग	-	-	-	-	96213.00	

अतः उपरोक्त दुरुपयोगित धनराशि कुल ₹0 96213.00 में से ₹0 32071.00 श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी से, ₹0 32071.00 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार, ₹0 5339.00 श्री मदनचन्द्र मौर्या, कार्य प्रभारी एवं ₹0 26732.00 श्री सहजराम, कार्य प्रभारी से ब्याज सहित वसूली करते हुए राज्य वित्त में जमा कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर-45 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उत्तर प्रदेश जि0पं0 तथा क्षे0पं0 बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निमार्ण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार स्वीकृत नक्षो या अनुमानों में परिवर्तन और विस्तार करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकृत नक्षे या अनुमान या निमार्ण कार्य में तब तक कोई सारवार परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्षा और अनुमान स्वीकृत किया हो, उसकी स्वीकृति न दे दे। निमार्ण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं में बिना उपरोक्त प्रकार आवश्यक स्वीकृति के स्टीमेट से कम व्यय करके गुणवत्ता को

प्रभावित करते हुए कुल ₹0 05.22 की अनियमितता की गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस संदर्भ में संस्था से लिखित रूप से पूछे जाने पर भी संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्टीमेटेड व्यय	वास्तविक व्यय	अन्तर	उत्तरदायी व्यक्ति
1	15वां वित्त- ग्रा०पं० मरवटियातिवारी प्रा०म० सडक से दुखछोरनाथमंदिर को जोडनेवाली सडक तक सी०सी० रोड निर्माण	8.77 लाख	7.10 लाख	1.67 लाख	श्री संजय कुमार नायक, ख०वि०अधि० श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री मदनचन्द्र मौर्या, कार्य प्रभारी
2	राज्य वित्त- महाराजगंज तेलियाडीह स०मा० से धरमसिंह महाराजगंज सं०मा० तक इ०ला०	8.46 लाख	6.95 लाख	1.51 लाख	श्री संजय कुमार नायक, ख०वि०अधि० श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री सहजराम, कार्य प्रभारी
3	राज्य वित्त- वि०ख० कप्तानगंज के पशु अस्पताल से द्वितीय गेट तक सी०सी० रोड निर्माण	1.99 लाख	1.68 लाख	0.31 लाख	श्री संजय कुमार नायक, ख०वि०अधि० श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री मदनचन्द्र मौर्या, कार्य प्रभारी
4	राज्य वित्त- ग्राम रानीपुर में रेहरा रानीपुर सं०मा० से कन्हैयालाल के घर तक इ०ला०	9.34 लाख	7.61 लाख	1.73 लाख	श्री संजय कुमार नायक, ख०वि०अधि० श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री सहजराम, कार्य प्रभारी
				5.22 लाख	

उपरोक्त प्रकार स्वीकृत स्टीमेट/मानक से कम व्यय करके निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं स्वीकृति को प्रभावित करके अनियमितता की गयी है। जिस हेतु संबन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है। इस संदर्भ में संस्था से लिखित रूप से पूछे जाने पर भी संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-46 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त अन्तर्गत परियोजना-ग्राम पंचायत करचोलिया टिनिच सं0मा0 से मंगरू प्रजापति के घर से इण्टरलांकिंग कार्य में ए0पी0शुक्ल एण्ड कं0 के प्रयुक्त वाउचर संख्या 57/15.01.21 के आधार पर टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 कटौती उपरान्त कुल रु0 295173.00 का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 संख्या- 210279 दिनांक- 26.02.21 द्वारा किया गया है। बिल का योग करने पर कुल रु0 264572.00 होता है। इस प्रकार अन्तर रु0 30601.00 का अधिक भुगतान फर्म को करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस संदर्भ में संस्था से लिखित रूप से पूछे जाने पर भी संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अन्तर रु0 30601.00 में से रु0 10201.00 श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी, रु0 10200.00 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं रु0 10200.00 श्री सहजराम, कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से दण्ड सहित ब्याज सहित वसूली करते हुए राज्य वित्त के खाते में जमा कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर-47 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त अन्तर्गत परियोजना-ग्राम पंचायत मांझा में मढनीताल से टिनिच सं0मा0 तक इण्टरलांकिंग में ग्राण्ट-।। में दिनांक 20.02.21 को पी0एफ0एम0एस0 संख्या- 2111059 दिनांक 20.02.21 के द्वारा कुल रु0 126261.00 का भुगतान माँ अम्बे ब्रिक वर्क्स को किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली में रु0 68376.00 का प्रमाणक संलग्न पाया गया किन्तु रु0 57885.00 का प्रमाणक संलग्न नहीं पाया गया। जिससे उसकी जांच नहीं की जा सकी साथ ही टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 कटौती की स्थिति भी अस्पष्ट रही। इस संदर्भ में संस्था से लिखित रूप से पूछे जाने पर भी संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि बिना प्रमाणक के काल्पनिक भुगतान करके रु0 57885.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः रु0 57885.00 में से रु0 28943.00 श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी एवं रु0 28942.00 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से दण्ड सहित ब्याज सहित वसूली करते हुए राज्य वित्त के खाते में जमा कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर-48 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत परियोजना- ग्राम पंचायत करचोलिया में टिनिच गोटा सं0मा0 पर हीरागुप्ता के मुल्ला निषाद के चक नाली तक हयूम पाइप नाली की निर्माण कार्य पत्रावली में केवल हयूम पाइप रु0 223026.00 का प्रमाणक क्रमांक 207/29.10.20 ए0पी0 शुक्ला एण्ड कं0 का एवं मजदूरी का मस्टररोल रु0 26105.00 का संलग्न है। परियोजना में हयूम पाइप के अतिरिक्त अन्य सामग्री सीमेण्ट/बालू आदि का प्रयोग नहीं किया गया है जबकि कार्यालय द्वारा निर्माण सामग्री- सीमेण्ट 20 बैग, बालू 4.50 धन मी0 तथा हयूम पाइप 50 नग की आपूर्ति हेतु ए0पी0 शुक्ला एण्ड कं0 को दिनांक 18.10.20 को पत्र निर्गत किया गया है। परियोजना में अन्य सामग्री

सीमेण्ट/बालू आदि का प्रयोग नहीं किये जाने से ह्यूम पाइप के फिक्सिंग का कार्य संदिग्ध/काल्पनिक स्पष्ट होता है। इस संदर्भ में संस्था से लिखित रूप से पूछे जाने पर भी संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। उपरोक्त स्थिति में कुल ₹0 249131.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः ₹0 249131.00 में से ₹0 83044.00 श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी, ₹0 83044.00 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं ₹0 83043.00 श्री सहजराम, कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से दण्ड सहित ब्याज सहित वसूली करते हुए राज्य वित्त के खाते में जमा कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर-49 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त अन्तर्गत परियोजना-ग्राम दुबौली दूबे में सं0मा0 गोटवा टिनिच से दुबौली दूबे दुर्गा मंदिर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि स्टीमेट सी0सी0 रोड का स्वीकृत है जबकि इसकी वर्क आई0डी0 संख्या- 44913320 इण्टरलांकिंग की जनरेट है। यह स्थिति परियोजना के विचलन को दर्शाता है। इस संदर्भ में संस्था से लिखित रूप से पूछे जाने पर भी संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। परियोजना पर कुल ₹0 692328.00 का व्यय किया गया है। स्वीकृत आई0डी0 से इतर परियोजना पर व्यय करके ₹0 692328.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः ₹0 692328.00 में से ₹0 230776.00 श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी, ₹0 230776.00 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं ₹0 230776.00 कु0 स्नेहलता, कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से दण्ड सहित ब्याज सहित वसूली करते हुए राज्य वित्त के खाते में जमा कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर-50 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित योजनाओं की पत्रावलियां अनेक बार मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर एवं जांच न कराकर अनियमितता की गयी है, जिस हेतु श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार उत्तरदायी रहे:-

क्र0सं0	नाम योजना	वर्ष में व्यय धनराशि
1	मनरेगा प्रशासनिक मद	486757-00
2	अस्थायी गौवंश आश्रय	810605-00
3	स्वच्छ भारत मिशन	103748-00
	योग	1401110-00

उपरोक्त योजनाओं की आय व व्यय आदि की जांच कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्माण कार्य पत्रावलियों में संलग्न बिलों के ग्रांट-2 रजिस्टर से मिलान में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं की पत्रावलियों में संलग्न बिलों/मस्टर रोलों से किये गये भुगतानों को ग्रांट-2 एवं 3 पंजिका में व्यय में सम्मिलित नहीं किया गया है:-

क्र 0 सं 0	परियोजना	मद	धनराशि	पीएफएमए स स0/दिनां क
1	करचोलिया में टिनिच सम्पर्क मार्ग कप्तानगंज से कल्यानपुर तक इण्टरलाकिंग	मजदूरी	95056-00	-/14-3-21
2	करचोलिया में माखन के धर से टिनिच पिच मार्ग तक सी0सी0 रोड	मजदूरी	80267-00	-/3-3-21
	योग		175323-00	

उक्त के परिणामस्वरूप ग्रांट-2 एवं ग्रांट-3 में राज्य वित्त आयोग शीर्ष में दिनांक 31-3-2021 को दर्शित कुल व्यय एवं अन्तिम शेष की धनराशि त्रुटिपूर्ण है। उक्त प्रकार अभिलेखों में रु0 175323-00 से त्रुटिपूर्ण बैलेंस दर्शाकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री संजय कुमार नायक, ख0वि0अधि0 एवं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। उल्लेखनीय है कि दिनांक 31-3-21 को राज्य वित्त आयोग का अन्तिम शेष रु0 132226-00 ग्रांट-2 एवं 3 में दर्शाया गया है और उक्त के सुधारोपरान्त (-) 43097-00 होगा जो संभव नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित कर्मचारी द्वारा कार्य का सम्पादन सतर्कतापूर्वक न करके उपेक्षापूर्ण ढंग से किया गया है। और जानबूझ कर ग्रांट-3 पर दिनांक 31-3-21 को दर्शित शीर्षवार अवशेषों के सापेक्ष बैंक खातों में जमा शेष का विवरण नहीं बनाया गया है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्रांट-2 पंजी की जांच में पाया गया कि दिनांक 31-3-21 को आय/विक्री कर कटौती शीर्ष में अन्तिम बैलेंस रु0 275326-00 दर्शित है जो विगत वर्ष से यथावत चला आया है। इसकी पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अनुपलब्ध रही जिसके अभाव में वास्तविक स्थिति अज्ञात रही। मौखिक रूप से पूछे जाने पर संस्था द्वारा बताया गया कि यह धनराशि विगत वर्ष में आय/विक्री कर कटौती की है। इस धनराशि को नियमतः संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिये था किन्तु ऐसा न कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री नन्दकुमार मिश्र द्वारा अनियमितता करते हुए राज्य सरकार को राजकीय धन से विरत किया गयौ है। अतः कटौती का विवरण तलाश करके इसे तत्काल संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाना चाहिये। जमा करने पर विलम्ब

शुल्क की देयता की दशा में देय विलम्ब शुल्क की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये। **प्रस्तर-53** क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर-11 पंजी की जांच में पाया गया कि बाल विकास परियोजना कार्यालय भवन किराया शीर्ष में दिनांक 06-7-2019 को रु0 7830-00 किराये से आय के उपरान्त अन्तिम बैलेंस रु0 108646-00 दर्शाया गया है। इसकी किराया पत्रावली मांगोपरान्त अनुपलब्ध रही जिसके अभाव में किरायेदारी की शर्त एवं अनुबन्ध आदि की स्थिति अज्ञात रही। संस्था द्वारा मौखिक से पूछे जाने पर बताया गया कि रु0 2610-00 प्रति माह किराया निर्धारित रहा है जिसकी ब्याज सहित वसूली माह जून 2019 तक की हुई है। जुलाई 19 से अघावधि तक न तो किराये की डिमाण्ड की गयी है और न वसूल किया गया है। इस प्रकार किराये की ब्याज सहित वसूली न कर उक्त दर के आधार पर माह मार्च 2022 तक कुल रु0 86130-00 के लाभ से संस्था को बंचित किया गया है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः प्रकरण की छानबीन कराते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारीगण का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-54 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रीय अधिषासी अभियन्ता (नियोजना) के द्वारा निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरणानुसार 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से कम के कराये गये हैं किन्तु पत्रावलियों में नियमानुसार निर्धारित अधिकारी के निरीक्षण के प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है और अन्तिम भुगतान किया गया है:-

क्र	परियोजना का नाम	कुल व्यय
0 सं 0	राज्य वित्त आयोग	
1	स0मा0 बढ़या से एस0डी0जी0 पब्लिक स्कूल इण्टरलांकिंग कार्य	798084
2	कटरी पटखौलीराजा सम्पर्क मार्ग से मुकुलपुरवा तक इण्टरलांकिंग	794522
3	कोइलरा बघौडा मार्ग से राजकुमार यादव के घर तक इण्टरलांकिंग	860457
4	ग्राम पं0 मांझा में मढनी ताल से टिनिच सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलांकिंग कार्य	770733
5	करचोलिया में टिनिच संपर्क मार्ग कप्तानगंज से कल्यानपुर ग्राम तक इ0ला0	792805
6	ग्रा0पं0 बैहार में दुबौलिया बैहार सं0मा0 से बैहार गाव वीरेन्दरओझा के घरतक इ0ला0	791197
7	ग्रा0 दुबौली दूबे में स0मा0 गोटा टिनिच से दुबौली दूबे दुर्गामंदिर तक सी0सी0 रोड	692328
8	ग्राम रानीपुर में रेहरा रानीपुर सं0मा0 से कन्हैयालाल के घर तक इ0ला0	761874

9	ग्रा0पं0कप्तानगंज नरायनपुरपाण्डेय छोटापुरवा श्रीहरिषंकरपाण्डेय केघरसे सं0मा0 तक इ0ला0	564333
10	खजुहा मांझा सं0मा0 से ग्रा0पं0 रानीपुर में रामप्रसाद शर्मा के घर तक इ0ला0	639068
11	कटईया पिच मार्ग से रोहित तिवारी के घर होते हुए सुबास के घर तक इ0ला0	925904
12	ग्रा0पं0 सरैया मिश्र के रा0ग्रा0 बनकटादूबे के सं0मा0 से सुरेशमौर्या के घरतक इ0ला0	901137
13	पोखरा रखिया मार्ग सदानन्द ल0मा0वि0 से शिवमंदिर तक इ0ला0	746337
14	ग्रा0पं0 करचोलिया में माखन के घर से टिनिच पिचमार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण	671176
15	महाराजगंज तेलियाडीह सं0मा0 से धरमसिंह महाराजगंज सं0मा0 तक इ0ला0	694789
	15 वां वित्त आयोग	
1	ग्रा0पं0 मरवटियातिवारी प्रा0म0 सडक से दुखछोरनाथमंदिर को जोडनेवाली सडक तक सी0सी0 रोड निर्माण	710424
2	ग्रा0पं0 मांझा में हयूम पाइप नाली निर्माण	816186
3	ग्रा0पं0 मंझरिया में हयूम पाइप नाली कार्य	767920
4	ग्रा0 पं0 दुबौली मिश्र में रामचरितर के घर से रामआजा के घर तक हयूम पाइप नाली निर्माण	679082
5	ग्रा0पं0नकटीदेईबुजुर्ग में टिनिच कप्तानगंज सं0मा0से तिनियहवासरहद तक इ0ला0	788608
6	सं0मा0 बसुआपार से डा0 वी0के0 वर्मा इस्टीट्यूट मे0साइन्स तक तक इ0ला0	773571
7	ग्रा0पं0 करचोलिया में ज्ञानदास के घर से तीरथराम के चक हयूमपाइप नाली निर्माण	815061
	योग-	167555 96.00

उपरोक्त प्रकार बिना सक्षम अधिकारी के निरीक्षण किये अन्तिम भुगतान कुल रु0 16755596.00 करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रस्तर-55 क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से कराये गए कार्य ग्राम सभा करमहिया मे गांव के दक्षिण कटान पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण पत्रावली की लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि उक्त कार्य वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना मे अंकित है जो कि चतुर्थ राज्य वित्त

के अनुदान से कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य पर सामग्री मद में ₹0 548859.00 तथा श्रमांश मद में ₹0 178084.00 कुल ₹0 726943.00 का व्यय किया है। चूंकि कार्ययोजना चतुर्थ राज्य वित्त से पास थी तथा उक्त कार्य पंचम राज्य वित्त से बिना पास किये कराया गया है। अतः उक्तानुसार कार्य का भुगतान पंचम राज्य वित्त से करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी उत्तरदायी हैं। इसप्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त कार्य ग्राम सभा करमहिया में गांव के दक्षिण कटान पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण पत्रावली (मस्टररोल/एम0बी0) के अवलोकन से यह भी प्रकाश में आया कि उक्त कार्य दिनांक 9.5.2020 को प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 11.5.2020 तक अर्थात् कुल 3 दिन तक कुशल मजदूर के रूप में (मिस्त्री) 6 मजदूरों ने 18 मानव दिवस तक कार्य किया है। जिसके लिए उन्हें ₹0 375.00 प्रति दिवस की दर से मजदूरी का भुगतान कुल ₹0 6750.00 किया गया है। उपरोक्त कार्य पर सामग्री खरीद दिनांक 12.5.2020 से की गयी। बिना अकुशल मजदूर व सामग्री के उक्त कुशल मजदूर 18 मानव दिवस तक क्या कार्य करते रहे यह व्यावहारिक समझ के परे है। उक्त भुगतान के औचित्य के बाबत संस्था द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर न दिये जाने से लेखा परीक्षा द्वारा धनराशि ₹0 6750.00 के भुगतान को अपव्यय घोषित किया जाता है। इस प्रकार दुरुपयोग कर ₹0 6750.00 की संस्था की हानि हेतु अवर अभियन्ता श्री अमर सिंह चौधरी व कार्य प्रभारी श्री अर्जुन चौधरी उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर-57 क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से कराये गए कार्य असनहरी पिच रोड से करैली मार्ग पर खण्णजा निर्माण की प्रस्तुत पत्रावली में कार्य के विभिन्न चरणों में अपनाई गयी प्रक्रिया का तथ्यगत विवरण निम्नानुसार है-

निविदा खुलने का दिनांक	टी0एस0/दिनांक	कार्यप्रभारी की नियुक्ति/दिनांक	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	सामग्री आपूर्ति का दिनांक
28.7.2020	134/20.10.2020	552/27.8.2020	10.10.2020	8.10.2020

इस प्रकार उक्त कार्य पर टी0एस0 होने के पूर्व ही सामग्री की खरीद कर कार्य को प्रारम्भ कर दिया गया। जिससे टी0एस0 कराने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। अर्थात् ख0वि0अधिकारी व कार्य प्रभारी व अवर अभियन्ता द्वारा अनुमान लगाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। जिससे कार्य की लागत व गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। ऐसे कृत्य से संस्था की अर्थिक/संस्थागत हानि की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस बाबत संस्था द्वारा केवल उत्तर के रूप में प्रक्रियात्मक त्रुटि बताई गयी। किसी संतोषजनक उत्तर के अभाव में लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त परियोजना पर कुल व्यय ₹0 480279.00 अनियमित घोषित किया जाता है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्रीमती मंजू त्रिवेदी, अवर अभियन्ता श्री अमर सिंह चौधरी व कार्य प्रभारी श्री अर्जुन चौधरी जिम्मेदार हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से कराये गए कार्य ब्लाक मुख्यालय के अन्दर मिट्टि भराई एवं पार्क निर्माण की प्रस्तुत पत्रावली में कार्य के विभिन्न चरणों में भुगतान की प्रक्रिया का तथ्यगत विवरण निम्नानुसार है-

सामग्री	श्रमांश	योग	भुगतान प्राप्तकर्ता	चेक सं०/ दिनांक
96324.00	87435.00	183459.00	श्री अर्जुन चौधरी	757758/14.10.2020

इस प्रकार उपरोक्त परियोजना पर फर्म को भुगतान न कर चेक द्वारा कार्य प्रभारी श्री अर्जुन चौधरी को भुगतान किया गया है। जबकि सामग्री बिल के रूप में फर्म में रामबचन चौधरी का बाउचर लगा है। जिस प्रकार अन्य कार्यों पर स्वीकृत टेण्डर के अनुसार में रामबचन चौधरी को सीधे भुगतान किया गया है उक्त कार्य पर भी भुगतान फर्म को ही किया जाना था ऐसा न करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख०वि०अ० श्रीमती मंजू त्रिवेदी उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर-59 क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली अनुसार कराये गये कार्यों पर श्रमांश पर हुए समस्त भुगतान मजदूरों के खाते में न करके नगद भुगतान कर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अ० श्रीमती मंजू त्रिवेदी व कार्य प्रभारी श्री अर्जुन चौधरी उत्तरदायी हैं। विवरण निम्न है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	श्रमांश
1	ब्लाक में मिट्टि भराई एवं पार्क निर्माण	87435
2	ब्लाक में सा०शौ० के पास इ०ला० एवंनाली	34152
3	करमहिया के दक्षिण कटान पर पुलिया	178084
4	अलावलजोत सीताराम के घर से बाग तक खणनजा	168672
5	चन्दोखा पिच रोड से गनेश के घर तक खणनजा	74829
6	असनहरी में मेन सड़क से अरविन्द के घर तक खणनजा	91695
7	प्रा०पा० से शेखडीह व पिच से कब्रिस्तान तक खणनजा	54906
8	दरियापुर लोहारडीह खडनजा से सुखदेव के घर तक ख०	60627

9	गरदहिया मेन सड़क से मन्दिर तक खणन्जा	33039
10	त्रिभुवनपाल के घर से मेन सड़क तक खणन्जा	156690
11	असनहरी पिच रोड से करैली मार्ग पर खणन्जा	85368
12	जोलहा पुरवा से सरहद मार्ग पर खणन्जा	62094
13	धौरहरा पिच से सरहद तक खणन्जा एवं पाइप पुलिया	157333
14	कलन्दर पिच रोड से जोगिन्दर के घर तक खणन्जा	26541
15	ब्लाक चहारदिवारी मरम्मत मिट्टि भराई व रंगाई पुताई	242475
16	नौवागांव तेलियाडीह से यादव जी के बाग तक इ0ला0	86658
17	दरियापुर बाबूराम के घर से मदारी के घर तक नाली	47334
18	डिडईमाफी मेन सड़क से जोखू के घर तक ई0ला0	89232
19	आल्हेकुइया रामराज के घर से गढ,ढे तक नाली	36723
20	विकास खण्ड मे अभिलेखागार निर्माण	145029
21	नौवाडीह पिच रोड से यादवडीह बाग तक इ0ला0	100500
22	वि0ख0 मे सामुदायिक शौचालय	115461
23	सगरा रामकरन के विद्यालय से पिच रोड तक इ0ला0	75603
24	आल्हेकुइयां पिच रोड से पकड़ी सरहद तक ख0नि0	108402
25	शंकरपुर चौराहे से भोलापुर गांव तक सीवर नाली	62558

26	तुसायल जलालुदीन के दुकान से नफीस के घर तकनाली	51717
	योग-	2433160.00

इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-60 क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त से कराये गए कार्य ब्लाक कैम्पस के चहारदिवारी की मरम्मत ,मिट्टि भराई एवं रंगाई-पुताई की प्रस्तुत पत्रावली की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर तथ्य प्रकाश में आये-

(1)कार्य हेतु किसी भी कार्य प्रभारी की नियुक्ति नहीं किया गया है।जबकि श्रमांश रु0 242475.00 का भुगतान श्री अर्जुन चौधरी को किया गया है।

(2)मस्टररोल पर किसी भी मजदूर के न तो नाम हैं व न ही हस्ताक्षर हैं।(लेखा परीक्षा समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा मस्टररोल हस्ताक्षर सहित अवलोकित किया गया है) केवल कार्य दिवस के सापेक्ष भुगतान अंकित है।जिसे श्री अर्जुन चौधरी तथा अवर अभियन्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है।श्री अर्जुन चौधरी द्वारा अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित किया गया भी किया गया है कि भुगतान उनके द्वारा किया गया है।

(3)मस्टररोल अवधि रहित है।

(4)रु0 272624.00 सामग्री के बाउचर पर दिनांक व हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

उपरोक्त कमियों के बाबत संस्था द्वारा यह बताया गया कि ख0वि0अधिकारी को उक्त कमियों से अवगत करा दिया गया था।बावजूद उसके खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान किया गया।निष्कर्ष निम्नवत है-

-बिन्दु संख्या(1)यह प्रमाणित करता है कि श्रमांश व्यय के रूप में कार्य हेतु मौखिक आदेश पर ही ख0वि0अधिकारी से धनराशि रु0 242475.00 प्राप्त किया गया।

-बिन्दु संख्या(2)व (3)यह प्रमाणित करते हैं कि अवर अभियन्ता व श्री अर्जुन चौधरी द्वारा ख0वि0अधिकारी से मिलीभगत कर उक्त धन को बिना कार्य कराये प्राप्त किया गया है।

-बिन्दु संख्या(4)सामग्री के बाउचर को फर्जी सिद्ध करता है।

इस प्रकार उपरोक्त परियोजना पर वास्तविक रूप से कार्य न कराकर दर्शित कुल व्यय रु0 515099.00 (सामग्री-272624.00, श्रमांश-242475.00) का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है।जिसके लिए ख0वि0अ0 श्रीमती मंजू त्रिवेदी,श्रमांश प्राप्तकर्ता श्री अर्जुन चौधरी व अवर अभियन्ता श्री अमर सिंह चौधरी जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त से कराये गए निम्न कार्यों पर भुगतान आदि का तथ्यगत विवरण निम्नानुसार है-

कार्य का नाम	अवधि	सामग्री	श्रमांश	योग
चन्दोखा पिच रोड से मन्दिर से गनेश गिरि के घर तक इ0ला0	9.1.2021 से 31.1.2021	625718. 00	74829. 00	700547.0 0

डिडईमाफी मेन सड़क से इंद्रीश के घर से मस्जिद होते हुए जोखू के घर तक ई0ला0	9.1.2021 से 31.1.2021	730673.00	89232.00	819905.00
			योग-	1520452.00

उपरोक्त दोनों कार्यो पर पत्रावली मे सलग्न मस्टररोलों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि दोनों कार्य की अवधि दिनांक 9.1.2021 से 31.1.2021 तक मिस्त्री व लेबर के नाम एक ही हैं। अर्थात् दोनों जगहों पर एक साथ एक ही समय मे समान श्रमिक(साक्ष्य संलग्न-फोटो प्रति मस्टररोल)निर्माण कार्य कर रहे थे(लेखा परीक्षा समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा मस्टररोल हस्ताक्षर सहित अवलोकित किया गया है)। इस बाबत लेखा परीक्षा मे संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि वास्तविक कार्य नहीं हुआ है। तथा शासकीय धन का अपहरण करने की नियत से मात्र आहरण को दर्शित करने हेतु पत्रावली तैयार की गयी है। तथा धनराशि रु0 1520452.00 का मिलीभगत कर अपहरण कर लिया है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्रीमती मंजू त्रिवेदी, कार्य प्रभारी श्री अर्जुन चौधरी व अवर अभियन्ता श्री अमर सिंह चौधरी जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-62 क्षेत्र पंचायत सल्टौआगोपालपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यो पर मजदूरी के मद में भुगतान की गयी धनराशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते मे कर प्रभारी को चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है जिनका विवरण निम्नवत है-

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	कार्य प्रभारी	ख0वि0अधि0	लेखाकार
344043	28.12.20	16651.00	श्री प्रशान्त खरे ए0डी0ओ0 एस0के0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344042	28.12.20	105009.00	श्री प्रशान्त खरे ए0डी0ओ0 एस0के0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344082	28.12.20	102571.00	श्री सुरेन्द्र कुमार राव ए0डी0ओ0 पं0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344100	14.1.21	43670.00	श्री सुरेन्द्र कुमार राव ए0डी0ओ0 पं0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344097	14.1.21	18894.00	श्री सुरेन्द्र कुमार राव ए0डी0ओ0 पं0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर

344052	25.6.20	56789.00	श्री सुरेन्द्र कुमार राव ए0डी0ओ0 पं0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344060	27.6.20	28094.00	श्री रामराज ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344050	27.6.20	53979.00	श्री रामराज ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344356	26.6.20	55987.00	श्री सुरेन्द्र कुमार राव ए0डी0ओ0 पं0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344062	27.6.20	164016.00	श्री रामराज ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344092	28.12.20	52203.00	श्री सुरेन्द्र कुमार राव ए0डी0ओ0 पं0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344064	27.6.20	76855.00	श्री रामराज ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344056	27.6.20	54532.00	श्री रामराज ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344094	28.12.20	88440.00	श्री प्रशान्त खरे ए0डी0ओ0 एस0के0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
344093	28.12.20	119021.00	श्री प्रशान्त खरे ए0डी0ओ0 एस0के0	श्री रामप्रकाश सिंह	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व गुलाब चन्द्र सोनकर
	योग	1036761.00			

इस प्रकार रु 1036761.00 की अनियमितता की गयी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 क्षेत्र पंचायत सल्टौआगोपालपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में सामाग्री क्रय प्रमाणकों की धनराशि पर 2.24 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 आयकर की कटौती की जानी थी। किन्तु पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि टी0डी0एस0 आयकर की कटौती कर ससमय आयकर विभाग में जमा नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

बाउचर सं0/दिनांक	धनराशि	टी0डी0एस0 आयकर	फर्म का नाम	चेक नं0
061/19.12.20	46285.00	926.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344077
202/19.12.20	38856.00	777.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344078
205/19.12.20	85731.00	1715.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344074
62/19.12.20	567568.00	11351.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344073
60/19.12.20	587365.00	11747.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344075
201/19.12.20	78171.00	1563.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344076
213/13.01.21	62693.00	1254.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344098
66/13.1.21	305452.00	6109.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344099
235/9.3.21	54677.00	1094.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
98/9.3.21	279501.00	5590.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
234/9.3.21	52527.00	1051.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
97/9.3.21	894241.00	17885.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
233/9.3.21	59258.00	1185.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
96/9.3.21	330791.00	6616.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
225/20.2.21	120845.00	2417.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
88/20.2.21	494145.00	9883.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
231/20.2.21	25674.00	513.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
94/20.2.21	454659.00	9033.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
228/20.2.21	570045.00	11400.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
91/20.2.21	109730.00	2195.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
85/20.2.21	118272.00	2365.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0

86/20.2.21	128202.00	2564.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
227/20.2.21	224017.00	4480.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
90/20.2.21	47632.00	953.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
216/30.1.21	83300.00	1666.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
211/13.1.21	18669.00	373.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
223/21.1.21	15536.00	312.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
69/13.1.21	65538.00	1311.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
64/13.1.21	141876.00	2838.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
82/20.1.21	300609.00	6012.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
238/2.3.21	51057.00	1021.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
101/9.3.21	400563.00	8011.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
240/15.3.21	34011.00	630.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
104/15.3.21	166357.00	3327.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
241/15.3.21	106581.00	2132.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
106/15.3.21	547230.00	10945.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
214/15.3.21	113232.00	2265.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
109/15.3.21	493890.00	9878.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
218/21.2.21	61896.00	1238.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
71/21.2.21	268442.00	5373.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
229/21.2.21	32736.00	655.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
92/20.2.21	373834.00	7477.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
80/21.1.21	37813.00	756.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
230/20.2.21	32127.00	643.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
93/20.2.21	685076.00	13702.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
217/21.2.21	133848.00	2677.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
70/21.2.21	739049.00	14781.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0

210/13.1.21	17904.00	358.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
215/13.1.21	16575.00	332.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
63/13.1.21	157969.00	3159.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
68/13.1.21	266432.00	5329.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
226/20.2.21	25154.00	503.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
89/20.2.21	515928.00	10319.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
237/9.3.21	20519.00	410.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
220/21.1.21	71785.00	1436.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
100/9.3.21	96033.00	1921.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
76/21.1.21	73324.00	1466.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
222/21.1.21	76545.00	1531.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
79/21.1.21	333690.00	6674.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
224/20.2.21	248686.00	4974.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
87/20.2.21	42291.00	846.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
212/13.1.21	67806.00	1356.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
65/13.1.21	168375.00	3368.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
221/13.1.21	41104.00	822.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
77-78/21.1.21	339430.00	6789.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
102/9.3.21	110000.00	2200.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
243/15.3.21	162012.00	3240.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
108/15.3.21	19078.00	382.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
239/15.3.21	8554.00	171.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
103/15.3.21	288473.00	5769.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
54/20.2.21	89600.00	1792.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
107/15.3.21	39891.00	798.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
242/15.3.21	12004.00	240.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0

219/21.1.21	95495.00	1910.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
75/21.1.21	278912.00	5578.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
99/21.1.21	225959.00	4519.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
214/13.1.21	40338.00	860.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344095
67/13.1.21	16031.00	321.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344096
52/17.6.20	62355.00	1247.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344051
40/15.6.20	316570.00	6331.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344040
57/17.6.20	22925.00	459.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344059
28/15.6.20	164686.00	3294.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344039
51/17.6.20	62787.00	1256.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344049
38/15.6.20	316570.00	6331.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344038
54/17.6.20	60420.00	1208.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344055
44/16.6.20	316570.00	6331.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344044
56/17.6.20	134160.00	2683.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344061
46/15.6.20	163800.00	3276.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344046
232/20.2.20	19971.00	399.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	पी0एफ0एम0एस0
95/20.2.20	26221.00	524.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	पी0एफ0एम0एस0
45/15.06.20	328634.00	6570.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344045
49/15.6.20	25062.00	501.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344071
42/15.6.20	316570.00	6331.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344042
209/20.12.20	70331.00	1407.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344086
74/20.12.20	318243.00	6365.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344087
55/17.06.20	74482.00	1490.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344063
23/15.06.20	412049.00	8241.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344043
53/17.06.20	60677.00	1216.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344053
41/15.6.20	316570.00	6331.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344041

206/20.12.20	351377.00	7028.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344084
72/20.12.20	52391.00	1048.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344085
208/20.12.20	286201.00	5724.00	मे0 आशुतोष कांस्ट्रक्शन	344088
73/20.12.20	213828.00	4277.00	त्रिपाठी ब्रिक फील्ड	344089

इस प्रकार रु 381990.00 की टी0डी0एस0 आयकर की धनराशि कटौती कर ससमय जमा न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री रामप्रकाश सिंह व लेखाकार श्री गुलाब चन्द्र सोनकर व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-64 क्षेत्र पंचायत सल्टौआगोपालपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर-III के अनुसार 31.03.21 को रु 89246.00 अप्रयुक्त रोके रखा गया था जबकि इसको विकास कार्यो पर वित्तीय वर्ष के अर्न्तगत व्यय कर लिया जाना चाहिये था वित्तीय वर्ष में व्यय न कर पाना ख0वि0अधि0 के अक्षमता का द्योतक एवं अवशेष अनुदान समय से वापस न करना भी लापरवाही का द्योतक है। अप्रयुक्त अनुदान सम्बन्धित को वापस किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अप्रयुक्त धनराशि रु 89246.00 को प्रदाता को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये श्री रामप्रकाश सिंह ख0वि0अधि0 व श्री गुलाब चन्द्र सोनकर श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-65 क्षेत्र पंचायत सल्टौआगोपालपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा दिनांक 26.06.20, 27.06.20 को कुल रु 151000.00 का सोलर लाईट क्रय किया गया है। किन्तु सोलर लाईट को यू0पी0 नेडा से न क्रय कर मे0 आशुतोष आटोमोबाईल हरैया बस्ती स्थानीय फर्म से कराया गया है। शासनादेश सं0-977/45-वी(अति0 उ0सो0वि0)/2017 द्वारा निर्देशित है कि सौर उर्जा सम्बन्धी समस्त कार्य यू0पी0 नेडा के माध्यम से कराये जायेंगे। उक्त स्थानीय फर्म यू0पी0 नेडा के निर्धारित मानकों दर वारन्टी आदि का पालन करती है या नहीं तथा उक्त फर्म का जिलाधिकारी द्वारा चयनित प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे तत्सम्बन्धी जांच व टिप्पणी नहीं की जा सकी इस प्रकार उक्त सोलर लाईट को यू0पी0 नेडा से न क्रय कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये श्री रामप्रकाश सिंह ख0वि0अधि0 व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यो पर मजदूरी के मद में भुगतान की गई धनराशि रु 658038.00 का भुगतान मजदूरों के खाते में न कर कार्य प्रभारी को चेक के माध्यम से किया गया है। जो अनियमित रहा। साथ ही कार्य पत्रावली में लगे मस्टररोलों पर क्रम संख्या अंकित नहीं पायी गयी जिससे मस्टररोलों को खंड विकास कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया है या नहीं स्पष्ट नहीं हो पाया । लेखा परीक्षा समय मस्टररोल निर्गमन रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है कि खंड विकास कार्यालय द्वारा मनरेगा अंतर्गत कराये गये कार्यो मे मजदूरी का भुगतान यदि मजदूरों के बैंक खाते में किया

जाता है तो अन्य योजनाओं के मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में किया जाना चाहिये। उक्त अनियमितता के लिये खंड विकास अधिकारी श्री मती विमला चौधरी तथा लेखाकार श्री सत्यनारायण उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	धनराशि	प्राप्तकर्ता कार्य प्रभारी
1	खम्हरिया 2 में रामरोहित के घर से राम जनक के घर तक बणबण् रोड	72549.00	सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए०डी०ओ० समाज कल्याण
2	कलवारी मुस्तकहम में पिच रोड से राजवंत के घर तक खड़जा कार्य	18060.00	सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए०डी०ओ० समाज कल्याण
3	ब्लॉक में आरो० प्लांट के जल निकासी हेतु नाली	2733.00	सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए०डी०ओ० समाज कल्याण
4	कलवारी एहतमाली में पप्पू के घर से गड़ही तक सी०सी० रोड एवं ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य	70559.00	सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए०डी०ओ० समाज कल्याण
5	कलवारी एहतमाली में एनएच मार्ग से अमरेन्द्र यादव के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	71745.00	सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए०डी०ओ० समाज कल्याण
6	भेड़िया में मग्धू के घर से हृदयराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	46557.00	सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए०डी०ओ० समाज कल्याण
7	मालपुर में नंदलाल के घर से बाबूराम के घर तक खड़जा कार्य	82998.00	सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए०डी०ओ० समाज कल्याण
8	दुधौरा राम प्यारे के घर से राजेन्द्र के घर तक खड़जा कार्य	45822.00	सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए०डी०ओ० समाज कल्याण
9	गोड़ियाजोत में सड़क से संतराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	41331.00	मिट्ठू राम वर्मा ए०डी०ओ० सहकारिता
10	कलवारी मुस्तकहम में बणबण् रोड से मजार तक इंटरलॉकिंग कार्य	21972.00	मिट्ठू राम वर्मा ए०डी०ओ० सहकारिता
11	गोविन्दापुर रामकुमार शर्मा के घर से नंदू शर्मा के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	36576.00	मिट्ठू राम वर्मा ए०डी०ओ० सहकारिता
12	माझाखुर्द में नरेश के चक से बंधा तक खड़जा कार्य	47295.00	मिट्ठू राम वर्मा ए०डी०ओ० सहकारिता

13	माझाखुर्द में गंगाराम के चक से मुल्ला के चक तक खड़जा कार्य	47430.00	मिट्टू राम वर्मा ए0डी0ओ0 सहकारिता
14	माझाखुर्द में अमेरिका सिंह के खेत से जैसराज के चक तक खड़जा कार्य	57411.00	मिट्टू राम वर्मा ए0डी0ओ0 सहकारिता
	योग	658038.00	

प्रस्तर-67 क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर -II में राज्य वित्त आयोग मद में दर्शित कार्य गोविन्दापुर संपर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण में सामग्री मद में ₹0 208724.00 शिवशक्ति कॉन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर को दिनांक 25.6.2020 को दिया जाना अंकित है। परंतु उक्त कार्य पर आलोच्य वर्ष 2020-21 में मजदूरी दिये जाने का कोई विवरण ग्रांट रजिस्टर-II में अंकित नहीं है। जिससे उक्त कार्य कराये जाने की प्रामाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः उक्त कार्य में केवल सामग्री मद में भुगतान किये जाने से धन का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के लिये खंड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी एवं लेखाकार श्री सत्यनारायन उत्तरदायी है। उक्त धन की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-68 क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ब्लॉक स्वच्छता समिति मद खाते से दिनांक 30.10.2020 को चेक संख्या 917287 द्वारा ₹0 6050.00 कम्प्यूटर मरम्मत हेतु तरंग कम्प्यूटर बस्ती को दिया जाना ग्रांट रजिस्टर -II में दर्शित है। जबकि उक्त मद में प्राप्त धनराशि को स्वच्छता संबंधी कार्यों में व्यय किया जाना चाहिये। इस प्रकार ₹0 6050.00 का अन्य मद में उपभोग कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। उक्त के लिये खंड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी एवं लेखाकार श्री सत्यनारायन उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-69 क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ₹0 15877.00 टेंडर प्रकाशन के रूप में जागरण प्रकाशन को ₹0 9274.00 तथा अमर ऊजाला प्रकाशन को ₹0 6603.00 व्यय टेंडर /जमानत धनराशि मद में प्राप्त धन से किया जाना ग्रांट रजिस्टर .II में दर्शित है। जबकि टेंडर प्रकाशन हेतु राज्य वित्त मद से व्यय किये जाने का प्रावधान है। टेंडर /जमानत धनराशि मद में प्राप्त धन को राजकीय राजकोष में जमा किया जाना चाहिये । अतः उक्त मद में से ₹0 15877.00 टेंडर प्रकाशन हेतु कर धन का दुरुपयोग किया गया है। उक्त के लिये खंड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी एवं लेखाकार श्री सत्यनारायन उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-70 क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में मनरेगा प्रशासनिक मद में ₹0 232247.00 का व्यय किया गया है। परंतु उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली/व्यय बाउचर प्रस्तुत न रहने से पुष्टि

नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त के लिये खंड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी एवं लेखाकार श्री सत्यनारायन उत्तरदायी है। उक्त धन की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-71 क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में एन0आर0एल0एम0 प्रबंध इकाई मद में ₹0 35000.00 का भुगतान दिनांक 11.9.2020 को चेक संख्या 518516 द्वारा श्री हरि ओम पाण्डेय को किया जाना ग्रांट रजिस्टर .II में अंकित है परंतु उक्त धनराशि का अंकन ग्रांट रजिस्टर .III में न कर अनियमितता की गई है। उक्त के लिये लेखाकार श्री सत्यनारायन उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर .II में राज्य वित्त मद में माह मार्च 2021 में दिनांक 17.3.2021 को ₹0 4171.00 पी0एफ0एम0एस0 भुगतान संख्या डी0आर0/आर0ओ0 321014917-88 एवं ₹0 169036.00 पी0एफ0एम0एस0 भुगतान संख्या डी0आर0/आर0ओ0 32101465-724 से भुगतान दर्शित है। परंतु उक्त भुगतान किस हेतु किया गया इसका पूर्ण विवरण न तो ग्रांट रजिस्टर .II में अंकित है और न ही उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त के लिये खंड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी एवं लेखाकार श्री सत्यनारायन उत्तरदायी है। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-73 क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से कराये गये कार्य भेड़िया में मग्धू के घर से हृदयराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य में मस्टररोल की जांच में पाया गया की क्रमांक 3 पर अंकित कुशल मजदूर रामदीन पुत्र सीताराम एवं क्रमांक 15 पर अंकित मजदूर संजय पुत्र लालप्रसाद दिनांक 14.6.2020 को अनुपस्थित दर्शित है जबकि उक्त दोनों का कुल कार्य दिवस 14.14 दिन अंकित है। जबकि अन्य सभी मजदूरों का कार्य दिवस 13.13 दिन अंकित है। इस प्रकार दोनों मजदूरों को एक दिन की मजदूरी क्रमशः ₹0 375.00 एवं ₹0 201.00 अर्थात् ₹0 576.00 अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। उक्त के लिये कार्यप्रभारी श्री सुरेन्द्रनाथ चौधरी सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण , खंड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी एवं लेखाकार श्री सत्यनारायन उत्तरदायी है। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली तीनों से संयुक्त रूप से करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से कराये गये कार्य 1-कलवारी एहतमाली में पप्पू के घर से गड़ही तक सी0सी0 रोड एवं ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य एवं 2- कलवारी एहतमाली में एन0एच0 मार्ग से अमरेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य के वर्क स्टीमेट में 20 एम0एम0 स्टोन गिट की खरीद हेतु ₹0 4040.80/घन से0मी0 की दर निर्धारित की गई थी परंतु उक्त दोनों कार्यों में क्रमशः 1-शिवशक्ति कॉन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर के बिल संख्या 537/8.6.2020 द्वारा प्रस्तुत बाउचर में 20 एम0एम0 स्टोन गिट 18.16 घन से0मी0 की खरीद ₹0 4103.73 की दर एवं 2- शिवशक्ति

कॉन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर के बिल संख्या 538/8.6.2020 द्वारा प्रस्तुत बाउचर में 20 एम0एम0 स्टोन गिट 41.27 घनसे0मी0 की खरीद हेतु रू0 4103.73 की दर से की गयी। विवरण निम्नवत है।

कार्य का नाम	वर्क स्टीमेट में सामग्री की मात्रा एवं दर	फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में सामग्री खरीद की मात्रा एवं दर	अधिक भुगतानित धनराशि
1-कलवारी एहतमाली में पप्पू के घर से गड़ही तक सी0सी0 रोड एवं ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य	22.50 घनसे0मी0 दर 4040.80=73380.92	18.16 घनसे0मी0 दर 4103.73 =74523.74	74523.74-73380.92 =1143
2-कलवारी एहतमाली में एनणएचण् मार्ग से अमरेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	22.50 घनसे0मी0 दर 4040.80=166763.81	41.27 घनसे0मी0 दर 4103.73=169360.94	169360.94-166763.81 =2557
		योग	3700.00

इस प्रकार प्रथम कार्य पर रू0 1143.00 एवं द्वितीय कार्य पर रू0 2557.00 अर्थात रू0 3700.00 अधिक भुगतान कर संस्था को क्षति पहुँचाई गई। उक्त क्षति के लिये खंड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी एवं लेखाकार श्री सत्यनारायन उत्तरदायी हैं। अधिक भुगतान की धनराशि की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-75 क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से कराये गये कार्य कलवारी एहतमाली में एन0एच0 मार्ग से अमरेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य के वर्क स्टीमेट में 20 एम0एम0 स्टोन गिट का उपभोग 22.50 घनसे0मी0 होना था परंतु उक्त कार्य में 41.27 घनसे0मी0 स्टोन गिट का उपभोग हुआ, इसी प्रकार 40 एम0एम0 ब्रिक ब्लास्ट का उपभोग होना था, जबकि 32.91 घनसे0मी0 उपभोग हुआ। जबकि अन्य सामग्री का उपभोग वर्क स्टीमेट में प्रावधानित मात्रा से कम हुआ। विवरण निम्न है-

वर्क स्टीमेट में सामग्री उपभोग की मात्रा	वास्तविक खरीदी गई सामग्री	एम0बी0 अनुसार उपभोग
सीमेंट 509 बोरी दर 320	400 बोरी दर 319	400 बोरी
ईट 10368 दर 6300	5000 दर 6295	5000

फाइन सैंड 41.07 दर 1085.60	19.80 घनसेमी0 दर 1085.40	19.80
कोरस सैंड 11.25घनसेमी0 दर 3485.79	20.63 घनसेमी0 दर 3484.79	20.63
20 एम0एम0 स्टोन गिट 22.50 घनसेमी0 दर 4044.80	41.27 घनसेमी0 दर 4103.79	41.27
40 एम0एम0 ब्रिक ब्लास्ट 28.90 घनसेमी0 दर 1470	32.91 घनसेमी0 दर 1467	32.91

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य में अन्य सामग्रियों का उपभोग कम मात्रा में हुआ तथा ईट भी प्रावधानित मात्रा से आधी लगी तो उक्त कार्य में 20 एम0एम0 स्टोन गिट तथा 40 एम0एम0 ब्रिक ब्लास्ट अधिक कैसे लग सकता है। अतः उपभोग की मात्रा से अधिक सामग्री खरीद कर संस्था को क्षति पहुँचाई गई। उक्त क्षति के लिये अवर अभियंता श्री महेंद्र यादव व कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण एवं खंड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी उत्तरदायी हैं। उक्त अधिक खरीद की गई सामग्री की धनराशि ₹0 82909.67 की ब्याज सहित वसूली तीनों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है.

वर्क स्टीमेट में सामग्री उपभोग की मात्रा	वास्तविक खरीदी गई सामग्री .वर्क स्टीमेट में सामग्री उपभोग की मात्रा/दर	अधिक भुगतानित धनराशि
20 एम0एम0 स्टोन गिट 22.50 घनसेमी0 दर 4044.80	41.27 घनसेमी0 - 22.50 घनसेमी0=18.77 दर 4103.73	77027.00
40 एम0एम0 ब्रिक ब्लास्ट 28.90 घनसेमी0 दर 1470	32.91 घनसेमी0 . 28.90 घनसेमी0 = 4.01 दर 1467	5882.67
	योग	82909.67

प्रस्तर-76 क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर II एवं ग्रांट रजिस्टर III की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्रांट रजिस्टर II में वर्ष 2020.21 में राज्य वित्त मद में माह जून 2020 में कुल व्यय धनराशि 4235902.00 है जबकि ग्रांट रजिस्टर III में माह जून 2020 में कुल व्यय धनराशि 5214378.00 अंकित है। अतः धनराशि 5214378.00-4235902.00 = ₹0 978476

का कोई विवरण ग्रांट रजिस्टर ॥में दर्शित न होने से उक्त धन के अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । लेखा परीक्षा दौरान उक्त व्यय से संबंधित कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं रहा । जिसके लिये खंड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी एवं लेखाकार श्री सत्यनारायन उत्तरदायी है। प्रकरण की जाँच कर अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रारूप -03
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21
(क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ)

जनपद- संतकबीरनगर

संभाग -बस्ती

प्रस्तर -01

क्षेत्र पंचायत मेंहदावल की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में निम्न धनराशिया वर्षात तक निष्प्रयोज्य पड़ी रहीं –

क्रम संख्या	मद	धनराशि
1	सांसद निधि	27462.00
2	डी0आर0डी0ए0 कंटीजेन्सी	426.00
3	विधायक निधि	53334.00
4	पू0वि0 नि0	30714.00
5	पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी	18290.00
6	धूम्र रहित चूल्हा	10694.00
7	महिला काम्पलेक्स	1107.00
8	एन.आर.ई.पी. लिपिक वेतन	3671.00

9	जनता बायोगैस अनुदान	54420.00
10	ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैंडपंप	7.00
11	संसद निधि सूखा राहत	3819.00
12	प्रा0वि0 चहारदीवारी	21977.00
13	डी0आर0 डी0ए0 कंटीजेंसी	426.00
	योग	226347.00

इस प्रकार उपरोक्त धनराशि रु. 226347.00 दिनांक 31.3.2021 तक निष्प्रयोज्य पड़ी रही जिसे अनुदानदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु तत्कालीन ख0वि0 अ0 श्री महाबीर सिंह व लेखाकार श्री विनोद कुमार गौड़ उत्तरदायी हैं, इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	226347.00	226347.00

प्रस्तर संख्या -02

क्षेत्र पंचायत मेंहदावल की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में 15 वां वित्त से कराये कार्य ग्राम पंचायत करमैनी में सामुदायिक शौचालय निर्माण में पत्रावली अनुसार व्यय आदि का विवरण निम्नवत है-

टी0एस0 सं./ दिनांक	कार्यप्रभारी की नियुक्ति दिनांक	फर्म	बउचर सं0/ दिनांक	भुगतानित धनराशि कटौती उपरान्त	मस्टररोल की देय धनराशि	भुगतान
725/28.1.21	1120/29.1.2021	जयमहाकाल ब्रिक फिल्ड	36/8.12.2020	26642.00	29489.00	शून्य
		सिंह ट्रेडर्स	99/3.2.21 100/3.2.21	235976.00	-	-
			योग	262618.00	29489.00	

इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त परियोजना पर मस्टररोल का भुगतान नहीं किया गया है जबकि संलग्न मस्टररोल के अनुसार 118 कार्यदिवसों का मजदूरों का कुल मजदूरी देय रु. 29489.00 का बनता है। पुनः मस्टररोल पर क्रम सं. 2 पर अंकित राजेश पुत्र चन्द्रभूषण व क्रम संख्या 8 पर अंकित मजदूर माया पुत्र पारस की हाजिरी 15 दिवसों का बनता है जबकि केवल दिनों की गणना में कार्यप्रभारी द्वारा केवल 14 दिवसों का ही

अंकन है। तथा कार्यप्रभारी की नियुक्ति के पूर्व ही सामग्री प्राप्त किया गया। अर्थात् उक्त परियोजना पर भुगतान अनियमित रूप से किया गया है। लेखाकार श्री विनोद कुमार गौड़ व खण्ड विकास अधिकारी श्री महावीर सिंह अवर अभियंता श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डे व कार्यप्रभारी श्री दीप श्रीवास्तव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	262618.00	262618.00

प्रस्तर संख्या -03

क्षेत्र पंचायत मेंहदावल की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में कराये गये निम्न कार्यों पर भुगतान आदि का तथ्यगत विवरण निम्नानुसार है-

कार्य का नाम	अवधि	सामग्री	श्रमांश	योग
ग्राम पं. पचनेउरी में वजीर यादव के घर से शत्रुघन पाण्डे के खेततक ढक्कन सहित नाली निर्माण (15 वां वित्त)	5.1.2021से 31.1.2021	553267.00	112730.00	665997.00
ग्रां पं. बरईपुर में भुज टोला से हरपुर ईण्टरलाकिंग तक सी0सी0 रोड निर्माण -(राज्य वित्त)	2.1.2021 से 31.1.21	735083.00	94083.00	829166.00
			.योग	1495163.00

उपरोक्त दोनों कार्यों पर पत्रावली में सलग्न मस्टररोलों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि दोनों कार्य की अवधि में कुछ श्रमिकों के नाम एक ही हैं। अर्थात् दोनों जगहों पर एक साथ एक ही समय में समान श्रमिक निर्माण कार्य कर रहे थे(लेखा परीक्षा समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा मस्टररोल हस्ताक्षर सहित अवलोकित किया गया है) इस बाबत लेखा परीक्षा में संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि वास्तविक कार्य नहीं हुआ है। तथा शासकीय धन का अपहरण करने की नियत से मात्र आहरण को दर्शित करने हेतु पत्रावली तैयार की गयी है। तथा धनराशि रु.1495163.00 का मिलीभगत कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री महावीर सिंह ,अवर अभियंता श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डे व कार्यप्रभारी श्री दीप श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1495163.00	-	-	1495163.00

प्रस्तर सं0-04

क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 के ग्रांट III में माह जुलाई 2020 में राष्ट्रपति पुरस्कार मद में अन्तिम अवशेष रु. 243119.00 अंकित है, तथा माह अगस्त

2020 में प्रारम्भिक अवशेष मद में रु. 55516.00 अंकित है जबकि माह अगस्त का प्रारम्भिक अवशेष माह जुलाई के अंतिम अवशेष रु. 243119.00 के समान होना चाहिए, क्योंकि माह जुलाई के व्यय पक्ष में कोई भी अंकन नहीं है। लेखा परीक्षा में भी उक्त कमी / व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः स्पष्ट है कि उक्त धन को बिना व्यय के ही सीधे अनुदान से कम करके अन्तर धनराशि रु. 187603.00 का अपहरण लेखाकार श्री विनोद कुमार गौड़ एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री महावीर सिंह द्वारा कर लिया गया है जिनसे ब्याज सहति वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
187603.00	-	-	187603.00

प्रस्तर संख्या 05

क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **वर्षांत (31-3-2021) को निम्न मदों में अवशेष अनुदान धनराशि प्रदाता को वापस न कर अनियमितता** - आलोच्य वर्ष 2020-21 में निम्न मदों में धनराशि शेष रही, जिसे प्रदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री महावीर सिंह एवं लेखाकार श्री अनिल सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण-

मद	धनराशि
1. आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण मद	712151.00
2. सांसद निधि	50984.00
3. सोशल ऑडिट सदस्य मानदेय	52000.00
योग	815135.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	815135.00	815135.00

प्रस्तर संख्या 06

क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कंटीजेन्सी कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्रांट रजिस्टर-11

में रुपया 19500.00 पी0एफ0एम0एस0 भुगतान संख्या सी 092022400825 दिनांक 15-9-2020 द्वारा कंटीजेन्सी कार्य हेतु प्रताप कॉन्स्ट्रक्शन को दिया जाना दर्शित है, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित

व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न रहने से व्यय किस हेतु किया गया है, कि पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रुपया 19500.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणक से न कराकर धन का अपहरण कर लिया गया। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपक सिंह एवं लेखाकर श्री अनिल सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त धन की वसूली नियमानुसार संयुक्त रूप की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
19500.00	-	-	19500.00

प्रस्तर संख्या 07

क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्रांट रजिस्टर- II में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त मद से दूल्हापार में मुस्लिम बस्ती में जल निकासी कार्य हेतु नाली निर्माण पर सामग्री मद में रु 33295.00 पी0एफ0एम0एस0 भुगतान संख्या सी122011951189 द्वारा दिनांक 10-12-2020 को दाता ब्रिक फील्ड तथा रु 134680.00 पी0एफ0एम0एस0 भुगतान संख्या सी122011942880 द्वारा दिनांक 10-12-2020 को प्रताप कॉन्स्ट्रक्शन को दिया जाना दर्शित है, परंतु उक्त कार्य पर वर्ष भर मजदूरी दिये जाने का उल्लेख ग्रांट रजिस्टर-II में नहीं पाया गया और न ही उक्त कार्य की कार्य पत्रावली ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। अतः मजदूरी का भुगतान न किये जाने तथा कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने से स्पष्ट है कि कार्य न कराकर केवल सामग्री मद में फर्म की मिली-भगत से भुगतान कर धन रु 33295.00 + रु 134680.00 = रु 167975.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर.के.चतुर्वेदी, लेखाकर श्री अनिल सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त धन की वसूली नियमानुसार संयुक्त रूप की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
167975.00	-	-	167975.00

प्रस्तर संख्या -08

कार्य पत्रावली प्रस्तुत न कर अनियमितता - क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में माँगोपरांत भी राज्य वित्त मद में कराये गये कार्यों से संबंधित कुल रु 7961338.00 के सापेक्ष रु 4342731.00 की कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी। जिसके लिये लेखाकर श्री अनिल सिंह उत्तरदायी हैं। पत्रावलियां प्रस्तुत न रहने से कराये गये कार्य अपुष्टित रहे। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी
खलीलपुर में राजदेव के घर से ग्रीश के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	321076.00	43380.00
खलीलपुर में ग्रीश के घर से धन्नी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	320902.00	43755.00
शिवापार पिच रोड से नित्यानंद के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	2502.00	17850.00

	दीपपुर मठिया से आर सी सी पुलिया मरम्मत कार्य	4179.00	34300.00
	विजलहिया गाँव से डिहवा संपर्क मार्ग पर खड़जा कार्य	-----	103775.00
	पौली के बगही में अछईवर तिवारी के समीप संपर्क मार्ग आर सी सी पुलिया	82856.00	114275.00
	संपर्क मार्ग खरचा में हनुमान के घर से रामरती के घर तक एच पी नाली कार्य	109968.00	41133.00
	कार्यालय पौली विकास खंड आवास भवन मरम्मत कार्य	130737.00	73533.00
	चौराकला में डाक्टर साहब के घर से गड़ही तक एच पी नाली कार्य	18898.00	11339.00
	बजहरा में मुख्य मार्ग से सोखा के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	182400.00	26112.00
	अमौली इंटरलाकिंग रोड से लुटावन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	175782.00	23553.00
	बजहरा में इंटरलाकिंग रोड से सोखा के घर से लखन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	122698.00	15126.00
	छितौनी में रामबदन के घर से खदेरु के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	389256.00	54381.00
	छितौनी में रामनाथ के घर से पिच रोड तक इंटरलाकिंग कार्य	425156.00	65769.00
	मटिहना पिच रोड से ज्ञान शंकर के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	171030.00	23553.00
	छितौनी में उमरिया पाण्डेय अनुसूचित बस्ती में एच पी नाली/ इंटरलाकिंग कार्य	359165.00	57945.00
	चकिया में खलीलपुर ललमन के मड़ई से पिच रोड तक इंटरलाकिंग कार्य	485157.00	67926.00
	चौराकला में राजस्व ग्राम घोरहट के अनुसूचित बस्ती में एच पी नाली/ सी.सी. रोड	192838.00	30426.00
	योग	3494600.00	848131.00

कुल योग (सामग्री+ मजदूरी)=4342731.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	4342731.00	4342731.00

प्रस्तर संख्या -09

क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में निम्न धनराशिया वर्षांत तक निष्प्रयोज्य पड़ी रहीं -

क्रम संख्या	मद	धनराशि
1	सांसद निधि	236698.00
2	डी0आर0डी0ए0 कंटीजेन्सी	71031.00
3	शौचालय मद	28500.00
4	पूर्वाचल विकास निधि	267487.00
5	संशोधित निर्बल वर्ग आवास	75234.00
6	जे0 आर0 वाई0/ एस0आर0 वाई0 अवशेष मद	6094.00
7	ग्रामीण पेयजल / पोखरा सौन्दर्यीकरण	1056.00
8	पेयजल प्रशिक्षण	9820.00
9	मु0 सामूहिक विवाह योजना	16.00
10	प्रा0 वि0 चहारदीवारी	547500.00
11	शौचालय मद (स्वच्छ भारत)	36000.00
	योग	1279436.00

इस प्रकार उपरोक्त धनराशि रु. 1279436.00 31.3.2021 तक निष्प्रयोज्य पड़ी रही। जिसे अनुदानदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु तत्कालीन ख0वि0 अ0 श्रीमती रेनू चौधरी व लेखाकार श्री राजीव राय उत्तरदायी हैं, इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	1279436.00	1279436.00

प्रस्तर संख्या -10

क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त से साधन सहकारी समिति मोतीपुर का मरम्मत कार्य कराया गया है। जिस पर न्यू सुपर ट्रेडर्स को रु. 220646.00 (चेक सं0- 21984/8.10.20) व कार्य प्रभारी को रु. 70099.00 (चेक संख्या -22106/8.10.2020) कुल रु. 290745.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि साधन सहकारी समिति एक स्वतंत्र निकाय होती है। जो कि अपने कार्य व्यापार के माध्यम से आत्मनिर्भर होती है तथा जिसके अपने अध्यक्ष व सचिव द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। तथा उस पर सहकारिता विभाग का अलग नियंत्रण व विशेष कार्य हेतु शासकीय धनराशि निर्गत की जाती है। पत्रावली में कहीं भी समिति की मरम्मत हेतु सहकारिता विभाग अथवा स्वयं समिति की मांग पत्र अथवा अन्य कोई भी स्वीकृति पत्र संलग्न नहीं पायी गयी। न ही संस्था द्वारा ऐसा कोई आदेश उपलब्ध कराया गया कि संस्था अन्य किसी विभाग के भवन का मरम्मत करा सकती है। स्पष्ट है कि तत्कालीन खण्ड विकास

अधिकारी श्रीमती रेनू चौधरी द्वारा उक्त कार्य नियमों के विपरीत कराकर अनियमितता की गयी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	290745.00	290745.00

प्रस्तर संख्या -11

क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके कार्यप्रभारी को करके अनियमितता - आलोच्य वर्ष में निम्नानुसार पी0एफ0एम0 एस0 नियमों का पालन न कर मजदूरी आदि पर नगद भुगतान करके खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रेनू चौधरी द्वारा अनियमितता की गयी है।

क्रम सं.	कार्य का नाम	भुगतानित धनराशि
1	सा0 सह0समि0 मोतीपुर का मरम्मत	70099.00
2	जिगिना में बदू के घर से पक्के नाले तक नाली निर्माण	15646.00
3	रजउर में प्रा0 वि0 से समय माता के स्थान तक इ0ला0	81078.00
4	गौरीराई में महेन्द्र के घर से पी0 डब्लू0 डी रोड तक इ0ला0	88291.00
5	मुडिला कला में ईदगाह से प्रा0 वि0 तक इ0ला0	103934.00
6	पसाई में अरबिया स्कूल से गचईया गड़ही तक इ0ला0	61512.00
7	गोईठहा में बाबूलाल से हरिशचन्द्र के घर तक इ0ला0	73134.00
8	झुडिया में अमरगढ़ मार्ग से शिव मंदिर तक इ0ला0	71940.00
9	महदेवा में मूसे के घर से रामबेलास के घर तक इ0ला0	122752.00
10	कोटिया में दिनेशसे प्रकाश के घर तक इ0ला0	64259.00
11	बनेथू में ईदगाह से जाहिद के घर तक इ0 ला0	111650.00
12	महदेवा में कोदू के खेत के पास पुलिया निर्माण	52965.00
13	ब्लाक में बीज भण्डार का मरम्मत	69225.00
14	वि0ख0 में इ0ला0	94532.00
15	भटौरा से पुरैना सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया	69864.00
16	विकास खण्ड में सार्वजनिक शौचालय	30437.00
17	पाखापार में रामचेत से संतदेव के घर तक इ0ला0	19867.00

18	पाखापार में पी0डब्लू0डी0 से रामचन्दर के घर तक इ0ला0	30709.00
19	मुडिला कला में जूनियर स्कूल के पुलिया निर्माण	63798.00
20	ग्राम साथा में मकसूद के घर से गोपी के घर के आगे तक इ0ला0	72433.00
	योग	1368125.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	1368125.00	1368125.00

इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-12

क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में विकास खण्ड में इ0ला0 कार्य पर श्रमांश भुगतान कार्यप्रभारी श्री राधेश्याम मिश्र को रु. 94532.00 (श्रमांश -89532.00 व साईन बोर्ड -5000.00) का किया है। मस्टररोल के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि कुशल श्रमिकों द्वारा कुल 52 दिवस रु. 400.00 की दर से व अकुशल श्रमिकों द्वारा कुल 332 दिवस रु. 201.00 की दर से कुल रु. 87532.00 की ही मांग की गयी है। जबकि कार्यप्रभारी को श्रमिकों को भुगतान हेतु रु. 89532.00 का भुगतान दिया गया। लेखा परीक्षा में उक्त के बाबत विविध व्यय बताया गया किन्तु इसके सापेक्ष कोई स्पष्ट विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी द्वारा रु. 2000.00 का अधिक भुगतान कर व कार्यप्रभारी द्वारा उक्त का समायोजन बिल न दे कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रेनू चौधरी व कार्यप्रभारी श्री राधेश्याम मिश्र उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2000.00	-	-	2000.00

प्रस्तर सं0-13

क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशियों में से उपभोगोपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार अवशेष धनराशियां दिनांक 31.3.21 को निष्प्रयोज्य रूप में पड़ी हुई हैं जिसे अब तक प्रदाता को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए लेखाकार श्री राजीव राय तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महावीर सिंह, श्रीमती रेनू चौधरी एवं श्री राकेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। धनराशियों को तत्काल प्रदाता को वापस कर दिया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं.	योजना का नाम	दि. 31.3.2020 को अवशेष धनराशि
1	विधायक निधि	482946.00
2	स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (सांसद निधि)	100000.00
3	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	200524.00

4	डी0आर0डी0ए0 कंटीजेंसी	27384.00
5	आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण मद	3257318.00
6	प्राथमिक विद्यालय चहारदीवारी निर्माण	547500.00
	योग	4615672.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	4615672.00	4615672.00

इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 14

क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त मद से पजराभीरी में अवधराज के खेत से रामलखन के घर तक इं0ला0 कार्य पर सामग्री क्रय हेतु दिनांक 17.11.2020 को वारसी कांन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर को रु. 142918.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिना मजदूरी के कार्य कराया जाना संभव नहीं है। अतः बिना कार्य कराये फर्म की मिली - भगत से फर्जी सामग्री क्रय का प्रमाणक संलग्न कर रु. 142918.00 का अपहरण, उक्त कार्य के कार्यप्रभारी श्री राजेश पाण्डेय, ग्रा0पं0 अधि0 एवं तत्कालीन ख0वि0 अधि0 श्रीमती रेनू चौधरी द्वारा कर लिया गया है। जिनसे संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
142918.00	-		142918.00

प्रस्तर सं0 -15

क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की विगत वर्ष में विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशियों में से उपभोगोपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार अवशेष धनराशियां दिनांक 31.3.21 को निष्प्रयोज्य रूप में पड़ी हुई है जिसे अब तक प्रदाता को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए लेखाकार श्री रामविलास तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ पाण्डे एवं श्री दीपक सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। धनराशियों को तत्काल प्रदाता को वापस कर दिया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं.	योजना का नाम	दिनांक 31.3.20 को अवशेष धनराशि
1	सांसद निधि	39120.00
2	बी0आर0जी0 एफ0	26448.00
3	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	13295.00

	योग	78863.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	78863.00	78863.00

प्रस्तर सं0 16

क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में सांसद निधि योजनांतर्गत दिनांक 9.12.20 को रु. 22164.00 विज्ञापन मद पर व्यय दर्शित है। उल्लेखनीय है कि उक्त योजनाओं में जो पैसा संस्थाओं को हस्तांतरित की जाती है वह किन्हीं विशेष कार्य हेतु अनुमानितलागत के सापेक्ष की जाती है, जिसका व्यय उतना धनराशियों के सापेक्ष करना होता है। उक्त परिस्थिति में यदि संस्था द्वारा धनराशि में किसी अन्य मद पर व्यय कर कमी की जाती है तो संबंधित कार्य की धनराशि का कम होना स्वाभाविक है। अतः उक्तानुसार सांसद निधि द्वारा हस्तांतरित किसी कार्य विशेष के धनराशि का संस्था द्वारा विज्ञापन मद में व्यय कर दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए लेखाकार श्री राम विलास तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ पाण्डे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	22164.00	-	22164.00

प्रस्तर सं0 -17

क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्रांट 2 अनुसार दिनांक 26.3.21 को व्याज मद से रु. 800000.00 राज्य वित्त में अंतरित किया गया है। चूंकि किसी योजना विशेष के खाते में प्राप्त ब्याज की धनराशि का व्यय उसी योजना के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान है। ऐसे में किसी अन्य योजना पर प्राप्त ब्याज से अंतरित धनराशि एवं उसे राज्य वित्त के कार्यों में व्यय किया जाना, गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए लेखाकार श्री राम विलास तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपक सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	800000.00	800000.00

प्रस्तर सं0 -18

क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्रांट-2 अनुसार दिनांक 2.3.2021 को क्रमशः रु. 4000.00, रु. 6351.00 एवं रु. 10000.00 अर्थात् कुल रु. 20351.00 आहरित किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय किस कार्य हेतु किया गया उसका अंकन अनुदान पंजी - 2 में नहीं किया गया है और न ही लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार बिना विवरण तथा व्यय प्रमाणक के उक्त धनराशि रु. 20351.00 का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए लेखाकार श्री राम विलास तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ पाण्डे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20351.00	-	-	20351.00

प्रस्तर सं0 -19

क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्रांट - 3 अनुसार दुकान किराया मद में प्राप्त धनराशि में से माह नवम्बर 2020 में 23700.00 तथा फरवरी 2021 में 66075.00 कुल रु. 89775.00 व्यय दर्शित है जो कि विवरणहीन है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार बिना विवरण तथा व्यय प्रमाणक के उक्त धनराशि रु. 89775.00 का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ पाण्डे तथा लेखाकार श्री रामविलास संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
89775.00	-	-	89775.00

प्रस्तर सं0 -20

क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में दुकान किराया पंजी की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त पंजी पूर्ण कर अद्यतन रूप से नहीं रखी गयी है और नही किराएदारों से नियमित निर्धारित किरायों की वसूली ही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में किरायेदारों से किये गये अनुबन्धों की पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह ज्ञात न हो सका कि क्या वास्तव में किराएदारों के अनुबन्ध का समय बना हुआ है अथवा समाप्त हो गया है।

किरायेदारों से पुराने भवनों पर रु. 300.00 प्रति माह तथा नए भवनों पर रु. 500.00 प्रति माह की दर से किराए के निर्धारण की बात लेखाकार द्वारा बतायी गयी। लेखा परीक्षा में किराया प्राप्ति हेतु रसीद -385 का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह भी स्पष्ट न हो सका कि जो भी किराए की वसूली हुई है वह किस किराएदार की है। पुराने बकाए के आधार पर पुरानी दुकानों में से 25 दुकानों पर दिनांक 31.3.2021 तक रु. 334200.00 तथा नवनिर्मित दुकानों में से 10 दुकानों पर 172500.00 कुल रु. 506700.00 का बकाया आडिट में आंकलित किया गया जिसकी वसूली का कोई प्रयास न किया जाना गंभीर अनियमितता है जिसके लिए लेखाकार श्री रामविलास तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ पाण्डे एवं श्री दीपक सिंह उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विवरण निम्नवत है।

आडिट आगणन द्वारा दिनांक 31.3.2021 को बकाया किराय (पुरानी दुकान)

क्र म सं .	नाम आबंटी दुकान	किराया बकाया अवधि	31.3.2021 को बकाया धनराशि
1	चिरागअली पुत्र रुस्तम अली	1.9.2016 से 31.3.2021	16500.00
2	फूलचन्द पाठक पुत्र भगवती पाठक	1.1.2018 से 31.3.2021	11700.00

3	निधु पुत्र सोमन	1.1.2019 से 31.3.2021	8100.00
4	रिन्तू पुत्र सोमन	1.7.2019 से 31.3.2021	6300.00
5	अधारे पुत्र नोहर	1.12.2016 से 31.3.2021	15600.00
6	उदयराम पुत्र बाबूराम चौधरी	1.12.2016 से 31.3.2021	15600.00
7	तारि अली	1.1.2018 से 31.3.2021	11700.00
8	अब्दुल गरीब पुत्र रोहराब अली	1.9.2019 से 31.3.2021	5700.00
9	रामकुमार पुत्र महादेव	1.9.2019 से 31.3.2021	5700.00
1 0	स्वामीनाथ पुत्र महादेव	1.1.2019 से 31.3.2021	8100.00
1 1	मोबीन अहमद	1.1.2019 से 31.3.2021	8100.00
1 2	अतीक उर रहमान	1.1.2019 से 31.3.2021	8100.00
1 3	मुर्तजा हुसैन पुत्र लाल मोहम्मद	1.1.2019 से 31.3.2021	8100.00
1 4	अली अहमद पुत्र अब्दुल्ला	1.2.2018 से 31.3.2021	11400.00
1 5	समसुद्दीन पुत्र वली मुहम्मद	1.2.2018 से 31.3.2021	11400.00
1 6	जयलाल जायसवाल / केदारनाथगुप्ता	1.3.2009 से 31.3.2021	43500.00
1 7	कामेश्वर जयसवाल/शिवपूजन पुत्र जगन्नाथ	1.3.2009 से 31.3.2021	43500.00
1 8	त्रिलोकी पुत्र महादेव	1.3.2018 से 31.3.2021	11100.00
1 9	सफीकुल्लाह पुत्र रफीकुल्लाह	1.4.2016 से 31.3.2021	18000.00
2 0	अब्बास अली पुत्र मो0 इद्रीस	1.4.2016 से 31.3.2021	18000.00

2 1	ठाकुर पुत्र रामलाल	1.11.2017 से 31.3.2021	12300.00
2 2	राधेश्याम पुत्र अगनू	1.9.2019 से 31.3.2021	6000.00
2 3	दल सिंगार पुत्र बुद्धु	1.1.2019 से 31.3.2021	8100.00
2 4	सीताराम पुत्र रामबली	1.11.2019 से 31.3.2021	5100.00
2 5	मोहम्मद उमर पुत्र सफी मोहम्मद	1.9.2016 से 31.3.2021	16500.00
	योग		334200.00

आडिट आगणन द्वारा दिनांक 31.3.21 को बकाया (नवनिर्मित दुकान)

क्रम सं.	नाम आबंटी दुकान	किराया बकाया अवधि	31.3.2021 को बकाया धनराशि
1	भक्त वत्सल /जनार्दन प्रसाद	16.5.2018 से 31.3.21	17250.00
2	अवधेश सिंह पुत्र प्रसिद्ध सिंह	16.5.2018 से 31.3.21	17250.00
3	सचिन्द्र पाल पुत्र उग्रसेन सिंह	16.5.2018 से 31.3.21	17250.00
4	नीलम सिंह पत्नी अवधेश सिंह, सुप्रिया सिंह पत्नी सचिन्द्रपाल सिंह	16.5.2018 से 31.3.21	17250.00
5	रामअशीष पुत्र भगीरथ	16.5.2018 से 31.3.21	17250.00
6	प्रवीण कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद	16.5.2018 से 31.3.21	17250.00
7	मालती देवी पत्नी सिरपत	16.5.2018 से 31.3.21	17250.00

8	<u>अर्जुन राय पुत्र रामदेव</u>	<u>16.5.2018 से</u> <u>31.3.21</u>	<u>17250.00</u>
9	<u>रत्नेश मणि पुत्र गोमती</u>	<u>16.5.2018 से</u> <u>31.3.21</u>	<u>17250.00</u>
10	<u>मोहम्मद सोहेल पुत्र अनवर अली</u>	<u>16.5.2018 से</u> <u>31.3.21</u>	<u>17250.00</u>
	<u>योग</u>		<u>172500.00</u>

इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-21

क्षेत्र पंचायत हेंसर बाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.3.21 को प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण मद में अनुदान की अवशेष धनराशि रु. 15000.00 जो विगत वर्ष से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	15000.00	15000.00

प्रस्तर सं0-22

क्षेत्र पंचायत हेंसर बाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.3.21 को विधायक निधि मद में अनुदान की अवशेष धनराशि रुपया 439313.00 जो विगत वर्ष से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	439313.00	439313.00

प्रस्तर सं0-23

क्षेत्र पंचायत हेंसर बाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.3.21 को आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण मद में अनुदान की अवशेष धनराशि रु. 632450.00 जो विगत वर्ष से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	632450.00	632450.00

प्रस्तर सं0-24

क्षेत्र पंचायत हेंसर बाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.3.21 को जे.ई / ए0इ0एस0 प्रशिक्षण मद में अनुदान की अवशेष धनराशि रु. 3650.00 जो विगत वर्ष से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	3650.00	3650.00

प्रस्तर सं0-25

क्षेत्र पंचायत हेंसर बाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.3.21 को पूर्वांचल विकास निधि मद में अनुदान की अवशेष धनराशि रु. 91869.00 जो विगत वर्ष से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	91869.00	91869.00

प्रस्तर सं0-26

क्षेत्र पंचायत हेंसर बाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.3.21 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में अनुदान की अवशेष धनराशि रु. 30479.00 जो विगत वर्ष से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	30479.00	30479.00

प्रस्तर सं0-27

क्षेत्र पंचायत हेंसर बाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.3.21 को पूर्वांचल विकास निधि जलांश मद में अनुदान की अवशेष धनराशि रु. 94028.00 जो विगत वर्ष से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	94028.00	94028.00

प्रस्तर सं0-28

क्षेत्र पंचायत हेंसर बाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.3.21 को प्राथमिक विधालय चहार दीवारी निर्माण मद में अनुदान की अवशेष धनराशि रु. 101044.00 जो विगत वर्ष से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	101044.00	101044.00

प्रस्तर सं0-29

क्षेत्र पंचायत हेंसर बाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार वर्ष 2020-21 में निर्माण सामग्री की बिलों से कुल रु. 906808.00 आयकर / जी0एस0टी0 की कटौती दर्शित की गयी है जिसे वर्षांत तक निर्धारित लेखा शीर्ष में न जमा कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री अखिलेश शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उपरोक्त धनराशि को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित लेखा शीर्ष / कोष में जमा कराया जाना चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	906808.00	906808.00

प्रस्तर सं0-30

क्षेत्र पंचायत हेंसर बाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग) -243 /86-2016-200/77 टी0सी0 -2 लखनऊ दिनांक 19.1.2016 के द्वारा निर्माण कार्य सामग्रियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा चूना पत्थर, मोरंग , बालू , पत्थर गिट्टी इत्यादि की आपूर्ति करने वाले फर्म की बिल के साथ फार्म एम0एम0 -11 संलग्न न होने की दशा में निर्धारित दर से उनकी बिलों से रायल्टी काटने का निर्देश निर्गत है। परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आदेश पत्र में भी इन कटौतियों को करने

का निर्देश दिया गया है। लेखा परीक्षा में निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति पर फर्म शिवम ट्रेडर्स को भुगतान किये गये बिल के साथ फार्म एम0एम0 -11 संलग्न नहीं पाया गया, फिर भी संस्था द्वारा बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व की हानि कर अनियमितता करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

क्र म सं	नाम परियोजना	बालू दर रु. 55/ घ0मी0		मोरंग दर रु. 75 / घ0मी0		पत्थर गिट्टी दर रु. 110/ घ0मी0		कुल योग	उत्तरदायी कर्मचारी / अधिकारी का नाम एवं पदनाम
		मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी	मा त्रा	राय ल्टी		
1	ग्राम सभा बडगों में चकिया पुरवा पर 2.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी पुलिया निर्माण कार्य	26. 50	1457. 50	3.2 5	243.75	6.5 0	715. 00	2416. 25	श्री जानेन्द्र सिंह - ख0वि0अ0 श्री अखिलेश शर्मा लेखाकार
	कुल योग	26. 50	1457. 50	3.2 5	243.75	6. 50	715. 00	2416. 25	

अतः कुल योग रु. 2416.00 में से 1208.00 की वसूली श्री जानेन्द्र सिंह, ख0वि0अ0 एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार शर्मा से रु. 1208.00 की वसूली की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	2416.00	2416.00

प्रस्तर सं0-31

क्षेत्र पंचायत हैंसर बाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय तथा सामग्री की आपूर्ति का अलग- अलग टेंडर करने के लिए समाचार पत्रों में कार्यालय क्षेत्र पंचायत हैंसरबाजार द्वारा दिनांक 8.9.2020 को विज्ञापन किया गया । कार्यालय द्वारा प्रति आवेदन शुल्क की दर रु. 500.00 रखी गयी । इस प्रकार न्यूनतम यदि 6 टेंडर फार्म की बिक्री की गयी होगी जैसा की टेंडर पत्रावली / रजिस्टर में दर्शित है, तब भी रु. 3000.00 की आय क्षेत्र निधि में जमा किया जाना चाहिए था जिससे निजी स्रोत की आय होती । इस प्रकार रु. 3000.00 क्षेत्र निधि में जमा कर अपहरण किया गया है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री जानेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः इनसे रु. 3000.00 की संयुक्त रूप से वसूली कर के क्षेत्र निधि में जमा कराया जाना चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
3000.00	-	-	3000.00

प्रस्तर सं0-32

क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.3.21 को पूर्वांचल विकास निधि मद में अनुदान की अवशेष धनराशि रु. 106943.00 जो विगत वर्ष से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री श्री तरुण कुमार शांडिल्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	106943.00	106943.00

प्रस्तर सं0-33

क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.3.21 को एस0जी0एस0वाई0 मद में अनुदान की अवशेष धनराशि रु. 24992.00 जो विगत वर्ष से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री श्री तरुण कुमार शांडिल्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	24992.00	24992.00

प्रस्तर सं0-34

क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.3.21 को आपदा राहत मद में अनुदान की अवशेष धनराशि रु. 122563.00 जो विगत वर्ष से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री श्री तरुण कुमार शांडिल्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	122563.00	122563.00

प्रस्तर सं0-35

क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निर्माण सामग्री की बिलों से कुल रु. 77882.00 की टी0डी0एस0 की कटौती की गयी दर्शित है जिसे राजकीय कोष में जमा कराने की पुष्टि लेखा परीक्षा में न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री विजय कुमार पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री तरुण कुमार शांडिल्य लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उपरोक्त धनराशि को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार राजकीय शीर्ष / कोष में जमा कराया जाना चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

-	-	77882.00	77882.00

प्रस्तर सं0-36

क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग) -243 /86-2016-200/77 टी0सी0 -2 लखनऊ दिनांक 19.1.2016 के द्वारा निर्माण कार्य सामग्रियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा चूना पत्थर, मोरंग , बालू , पत्थर गिट्टी इत्यादि की आपूर्ति करने वाले फर्म की बिल के साथ फार्म एम0एम0 -11 संलग्न न होने की दशा में निर्धारित दर से उनकी बिलों से रायल्टी काटने का निर्देश निर्गत है। परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आदेश पत्र में भी इन कटौतियों को करने का निर्देश दिया गया है। लेखा परीक्षा में निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति पर फर्म शिवम ट्रेडर्स को भुगतान किये गये बिल के साथ फार्म एम0एम0 -11 संलग्न नहीं पाया गया, फिर भी संस्था द्वारा बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व की हानि कर अनियमितता करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए ख0वि0अ0 एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

क्र म सं	नाम परियोजना	बालू दर रु. 55/ घ0मी0		मोरंग दर रु. 75 / घ0मी0		पत्थर गिट्टी दर रु. 110/ घ0मी0		कुल योग	उत्तरदायी कर्मचारी / अधिकारी का नाम एवं पदनाम
		मा त्रा	राय ल्टी	मा त्रा	राय ल्टी	मात्रा	रायल्टी		
1	ग्रा. पं. सुकरौली में संगम शुक्ला के घर से ब्रह्म सागर शुक्ला के घर तक इ0ला0 कार्य	43. 25	2378. 75	0.9 3	69.75	1.94	213.40	2661. 90	श्री दीपक कुमार सिंह - ख0वि0अ 0 श्री तरुण कुमार शांडिल्य लेखाकार
2	ग्रा. पं. रेवली खुर्द के रा0ग्राम डोमफीह परौसी पुलिया से पश्चिम महेन्द्र तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	29. 20	1606. 00	16. 63	1247. 40	32.5 0	3575. 00	6428. 40	श्री दीपक कुमार सिंह - ख0वि0अ 0 श्री तरुण कुमार

									शांडिल्य लेखाकार
	कुल योग	72. 45	3984. 75	17. 56	1317. 15	34.4 4	3788. 40	9090. 30	

अतः कुल योग रु. 9090.30 में से रु. 1330.95 की वसूली श्री दीपक कुमार सिंह , खण्ड विकास अधिकारी , रु. 3214.20 श्री राकेश ख0वि0अ0 एवं रु. 4545.15 , श्री तरुण कुमार शांडिल्य , लेखाकार से की जानी चाहिए ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	9090.30	9090.30

प्रस्तर सं0-37

क्षेत्र पंचायत सेमरियांवा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निष्प्रयोज्य धनराशि को वापस न कर अनियमितता आलोच्य वर्ष (2020-21) में निम्न धनराशियाँ वर्षांत तक निष्प्रयोज्य पड़ी रहीं।

क्रम सं	मद	धनराशि
1	राष्ट्रीय बायोगैस	19798.00
2	आर्थिक, सामाजिक , जातिगत जनगणना कंटीजेंसी	18781.00
3	राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता	16400.00
4	त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 20-21 बी0एल0ओ0 मानदेय	29250.00
5	विधायक निधि	68839.00
6	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	408647.00
7	बी0एस0ए0 सं0क0नगर द्वारा विद्यालय बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि	623003.00
		1184718.00

इस प्रकार उपरोक्त धनराशि रु. 1184718.00 दिनांक 31.3.2021 तक निष्प्रयोज्य पड़ी रही । जिसे अनुदानदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है । इस हेतु तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह व लेखाकार श्री अमरनाथ उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

-	-	1184718.00	1184718.00

प्रस्तर सं0-38

क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निष्प्रयोज्य धनराशि को वापस न कर अनियमितता - आलोच्य वर्ष में निम्न धनराशियां वर्षांत तक निष्प्रयोज्य पड़ी रहीं।

क्रम सं.	मद	धनराशि
1	स्थानीय क्षेत्र वि० निधि (सांसद निधि)	3596.00
2	विधायक निधि	394482.00
3	उपग्राम ढोढ़ा व तिघरा चहारदिवारी निर्माण	1095000.00
		1493078.00

इस प्रकार उपरोक्त धनराशि रु. 1493078.00 दिनांक 31.3.2021 तक निष्प्रयोज्य पड़ी रहीं। जिसे अनुदानदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु तत्कालीन ख०वि०अ० ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह व लेखाकार अमरनाथ उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	1493078.00	1493078.00

प्रस्तर सं0-39

क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में दिनांक 3.2.2021 को रु. 5600.00 शिवम कम्प्यूटर खलीलाबाद को (आर.टी.जी.एस -6012135999541 /3-2-2021) वर्ष 2019-20 की राज्य वित्त की फाईलों का ई - स्वराज पर फीडिंग का पारिश्रमिक भुगतान पर व्यय दर्शित है। उल्लेखनीय है कि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में लेखा सम्बन्धित कार्य व फीडिंग आदि हेतु पुरा सरकारी स्टाफ व स्वयं इस हेतु एक लेखाकार को इन्हीं कार्यों हेतु नियुक्त किया गया है। बावजूद इसके कार्यालय कार्य को बाहर से कराए जाने का औचित्य समझ में नहीं आता। जबकि कार्यालय में सरकारी खर्च पर वाई -फाई व अन्य कार्यों हेतु कई कम्प्यूटर सेट भी लगे हैं। पुनः दिनांक 16.2.2021 को राज्य वित्त से एक और कम्प्यूटर सेट का भुगतान भी किया गया है इस प्रकार लेखाकार द्वारा स्वयं कार्य न करके अन्य से कार्य कराकर भुगतान कर राजकीय धनराशि दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधि० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह व लेखाकार श्री अमरनाथ उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	5600.00	-	5600.00

प्रस्तर सं0-40

क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर II के अनुसार निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त की धनराशि का अनधिकृत तरीके से जे0आर0वाई इन्दिरा आवास खाते में अंतरण किया गया है जिसका कोई भी समायोजन बिल / अंतरित करने हेतु वैध आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया -

क्रम सं.	दिनांक	अंतरित धनराशि
1	9.10.2020	59389.00
2	20.10.2020	89676.00
3	5.11.2020	2049.00
4	2.12.2020	11555.00
5	2-12-2020	11555.00
6	4.1.2021	14086.00
7	4.1.2021	14086.00
8	1.2.2021	26918.00
9	1.2.2021	26918.00
	योग	256232.00

लेखा परीक्षा में बताया गया कि उल्लेखनीय है कि जे0आर0वाई इन्दिरा आवास योजना बन्द हो चुका है। ऐसे में राज्य वित्त की धनराशि का अन्तरण उक्त खातों में किया जाना औचित्य से परे है। अतः धनराशि रु.256232.00 का डायवर्जन कर दुरुपयोग किया गया है इस हेतु तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह व लेखाकार श्री अमरनाथ उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	256232.00	-	256232.00

प्रस्तर सं0-41

क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार लेखा परीक्षा में ग्रांट -III अनुसार व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित कार्यपत्रावली प्रस्तुत न कर तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह व लेखाकार श्री अमरनाथ द्वारा अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम सं.	योजना	व्यय धनराशि
1.	सांसद निधि	356955.00

2.	विधायक निधि	179306.00
3.	15 वां वित्त	4236480.00
	योग	4772741.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	4772741.00	4772741.00

जिला-सिद्धार्थनगर मण्डल-बस्ती क्षेत्र पंचायत की आपतियाँ

01. क्षेत्र पंचायत -बांसी

लेखा परीक्षा वर्ष-20-21

विकास खंड -बांसी

प्रस्तर संख्या-01-क्षेत्र पंचायत बांसी के वर्ष 20-21 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मजदूरी रु०2326467.00 का भुगतान कार्यप्रभारी को कर के वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री राम प्रकाश संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	2326467.00	2326467.00

प्रस्तर संख्या-02-अनुदान पंजिका भाग-3 वर्ष 20-21 की जाँच में पाया गया कि वर्षांत में कुल रु० 6849592.00 अनावश्यक अवशेष पड़ा रहा आलोच्य वर्ष में इसे न तो व्यय किया गया और न ही सम्बन्धित विभाग को ही वापस किया गया, जो अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री राम प्रकाश संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	6849592.00	6849592.00

प्रस्तर संख्या-03-वर्ष 20-21 की राज्य वित्त से सम्बंधित निर्माण पत्रावली (विकास खंड परिसर में टाईप.2कर्मचारी आवास तक इंटरलॉकिंग कार्य)की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या-58 दिनांक 29.11.2020 में मो० हारुन से रु०619319.00 की सामग्री क्रय किया गया है जिसपर 2 प्रतिशत की दर से रु० 12386.00 की जगह रु० 12382.00 की ही कटौती की गयी है जो रु० 4.0 कम है ।इस प्रकार तत्कालीन लेखाकार व खंड विकास अधिकारी द्वारा बिक्री कर की कम कटौती करके अनियमितता किया गया है ।उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	4.00	4.00

प्रस्तर संख्या-04-वर्ष 20-21 की पन्द्रहवा वित्त से सम्बंधित निर्माण पत्रावली (ग्राम पंचायत पटखौली में नाली से विनय के घर होते हुए पुलिया तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य)की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या.75 दिनांक 13.01.2021 में मो० हारुन से रु० 537704.00 की सामग्री क्रय किया गया है जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से आय कर रु० 12045.00 की जगह रु० 12043.00 की ही कटौती करके भुगतान रु० 514905.00 किया गया है जो रु० 2 कम है ।इस प्रकार तत्कालीन लेखाकार व खंड विकास अधिकारी द्वारा आय कर की कम कटौती व भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है । इस धनराशि की तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2.00	0	0	2.00

प्रस्तर संख्या-05-वर्ष 20-21 की राज्य वित्त से सम्बंधित निर्माण पत्रावली (विकास खंड परिसर में पंचायत उद्योग भवन का जीर्णोद्धार कार्य)की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या-21 दिनांक 18.10.2020 में मो० हारुन से रु० 17424.00 की सामग्री क्रय किया गया है जिसपर 2 प्रतिशत की दर से बिक्री कर रु० 3448.00 की जगह रु० 3439.00 की ही कटौती की गयी है जो रु० 9.0 कम है ।इस प्रकार तत्कालीन लेखाकार व खंड विकास अधिकारी द्वारा बिक्री कर की कम कटौती करके अनियमितता किया गया है । इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को सम्बंधित लेखा शीर्ष में जमा कराकर तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	9.00	9.00

प्रस्तर संख्या-06-वर्ष 2020-21 की 32 निर्माण पत्रावलियों में आयकर व जी०एस०टी क्रमशः रु० 413540.00 व रु० 369216.00 अर्थात् कुल रु० 782756.00 की कटौती किया गया है। जिसे सम्बंधित विभाग में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार तत्कालीन लेखाकार व बी०डी०ओं द्वारा आयकर व जी०एस०टी की धनराशि रु० 782756.0 सम्बन्धित विभाग में जमा न करके अनियमितता किया गया है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	782756.0	782756.0

क्षेत्र पंचायत -बढ़नी

लेखा परीक्षा वर्ष-20-21

प्रस्तर संख्या-07-वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित है कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को रु० 2776172.00 का भुगतान किया गया है तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान पी०एफ०एम०एस द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

क्र ०स	कार्य का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	पदनाम
केन्द्रीय वित्त				
1	मटियार भूतहवा में मुन्ना के घर से गड़दे तक नाली	25320	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
2	मटियार भूतहवा में साहू के घर से गड़दे तक नाली	77220	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
3	मानपुर में संतोष मिश्र के घर से किशन के घर तक नाली	78774	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि

4	ग्राम तलकुंडा के टोला जलपरवा में दुर्गा प्रसादके घर से सुकई के घर तक इन्टरलॉकिंग	58759	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
5	मटियार गाव में खदर के घर से गड्डे तक नालीनिर्माण	94167	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
6	मानपुर में किसान चौधरी के घर से गड्डे तक नालीनिर्माण	66249	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
7	मानपुर ग्राम पंचायत में पितई चौरसिया के घर से गड्डे तक नाली	24570	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
8	खुरहरिया में लोधी के घर से दक्षिण नाला तक नालीनिर्माण	61680	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
9	विकास खंड बड़नी के परिसर में शौचालय का निर्माण	180906	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
10	ग्राम पंचायत मानपुर में दुर्गा मन्दिर से गड्डेतक नाली निर्माण	96297	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
11	ग्राम पंचायत परसा स्टेशन में बौध परिपथ रोड सेहरिजन बस्ती मार्ग पर एक मीटर आर०सी०सी पुलिया	74262	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
12	ग्राम पंचायत मोहन कोला पेटेंड रोड से विजय के घरतक इन्टरलॉकिंग	60018	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
13	ग्राम पंचायत परसा स्टेशन में राजकुमार के घर सेबाब के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	30237	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
14	ग्राम पंचायत बसहिया के पारस यादव के घर से नालेतक नाली निर्माण कार्य	52650	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि

15	ग्राम पंचायत घरुवार के टोला डढउल में नालीनिर्माण	46608	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
16	ग्राम पंचायत सेवरा में साबिर के घर से मेन नालातक नाली	53052	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
17	ग्राम पंचायत खुरहरिया टोला दूधवानिया खुर्द मेंभगवान चौधरी के घर से राम सुमिरन के घर तक नाला निर्माण	78600	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
18	ग्राम पंचायत औदहिकला में भट्ठे से एफ०न०बी०इस रोडके तरफ इन्टरलॉकिंग	17751	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
19	ग्राम पंचायत औधिकला में मावुद के खेत से भट्ठा तकइन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	76443	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
20	ग्राम पंचायत कोटिया में कोटिया पूर्वाचल बैंक सेतालाब तक नाली	74313	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
21	मोहन कोला गाव पूर्व 2 मी स्पान की पुलिया	67688	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
22	ग्राम पंचायत बोहली में शौचालय निर्माण कार्य	153132	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
राज्य वित्त				
23	विकास खंड बढनी के परिसर में दुग्ध शाला का मरम्मत	125181	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
24	खैरा में एल /आर तौलिहवा मार्ग से खैरी झुगहवामार्ग पर ०३ मी० सपन कि पुलिया	28857	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
25	गोलौहरा में कल्लू के घर से हकिकुल के घर तक सी०सीका अवशेष भाग	48912	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि

26	मलगहिया में सुरेश के गुप्ता के घर से गामा के घरतक इंटरलॉकिंग	52307	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
27	जियाभारी में श्याम लाल चतुर्वेदी के घर सेलक्ष्मण के घर तक इंटरलॉकिंग	60420	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
28	तिलकधारी के घारी से प्राथमिक स्कूल से बादशाहपाण्डेय के घर तक इंटरलॉकिंग	54057	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
29	तिलकधारी के घर से प्राथमिक विद्यालय तकइंटरलॉकिंग	74220	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
30	प्राथमिक विद्यालय मानपुर में नन्दकिशोर के घरजाने वाले मार्ग पर 1 मी स्पान कि पुलिया	72318	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
31	ग्राम पंचायत सेवरा में हरीशचन्द्र के घर तक मुख्यसड़क तक सी 0सी रोड	28656	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
32	खुरहरिया में रामकरन के घर से नीवर के घर तकइंटरलॉकिंग	59268	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
33	कल्याणनगर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए विजयप्रकाश यादव के घर तक इन्टरलॉकिंग	71754	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
34	ब्लाक पंचायत हाल बढ़नी का निर्माण	38640	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
35	रोहनिया में जयशंकर पाण्डेय के घर से अयोध्या एवंउमाशंकर के घर तक इन्टरलॉकिंग	34698	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
36	बेनीनगर में मस्जिद से मौर्या के घर तकइन्टरलॉकिंग	24168	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि

37	गोल्हौरा रोड से जाने वाले खडंजे मार्ग पर 01 मीटरस्पान कि पुलिया	41343	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
38	मल्गाहिया में चंदराम के घर से पासी प्रधान के घर तक इंटरलॉकिंग	31992	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
39	डढउल में रोड से सुभाष के घर तक इंटरलॉकिंग	50694	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
40	गोल्हौरा गाव में भुलाई के घर से हकिकुलाह के घर तक सी0सी	58518	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
41	ग्राम पंचायत मानपुर में छोटाडीह में सीताराम नाईके घर तक इंटरलॉकिंग	7998	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
42	हृदयनगर मिलन के घर से महेश के घर तक इंटरलॉकिंग	51471	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
43	गोल्हौर में मिडिल स्कूल से मोहन मिश्र के खेत तक ईट सोलिंग	68073	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
44	गोल्हौर में अहिया मालिक के खेत से एन०एच०रोडतक ईट सोलिंग	68046	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
45	गोल्हौर में मैमा तेली के खेत से जिमी हाजीके खेत तक ईट सोलिंग	75885	श्री राजेन्द्र यादव	स०वि०अधि
		2776172		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	2776172.00	2776172.00

प्रस्तर संख्या-08-शासकीय कार्यों में सामग्री

आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा की जाने वाली सामग्री आपूर्ति के भुगतान से पूर्व जी0एस0टी कटौती 2% की दर से करने के उपरान्त ही संबंधित आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान किया जाना चाहिए।

राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि वर्ष 20-21 में कुल ₹0 1825518.00 की सामग्री के बिलों का भुगतान आपूर्तिकर्ताओं को किया गया, किन्तु निर्धारित दर से जी0एस0टी की कटौती नहीं की गयी है। जिससे ₹ 36512.0 के शासकीय राजस्व की हानि हुई है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है.

क्र ०स	कार्य का नाम	दिनांक	बाउचर संख्या	फर्म का नाम	बिल की धनराशि	निधारित जी०एस० टी०
1	मानपुर में पितई चैरसिया के घर से गडडे तक नाली	8.03.21	423	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	76440.00	1529.00
		8.03.21	02	मे०चौधरी बिल्डिंग	83815.00	1676.00
2	ग्राम पंचायत औदहीकला में भट्ठे से एफ0एन0बी0एस रोड के तरफ इण्टरलाकिंग	12.03.21	438	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	34695.00	694.00
		12.03.21	31	मे०चौधरी बिल्डिंग	105837.00	2117.00
3	खैरा में एल0आर0 तौलिहवा मार्ग से खैरी झुगहवा मार्ग पर 3 मी0 सपान की पुलिया	11.03.21	15	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	45990.00	2779.00
		11.03.21	446	मे०चौधरी बिल्डिंग	138934.00	920.00
4	ग्राम पंचायत सेवरा में हरीषचन्द्र के घर तक	11.03.21	13	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	34125.00	683.00
		11.03.21	443	मे०चौधरी बिल्डिंग	103269.00	2065.00
5	क्षेत्र पंचायत बैठक हाल में बिजली वायरिंग एवं सुन्दरीकरण	11.03.21	16	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	5670.00	113.00
		11.03.21	442	मे०चौधरी बिल्डिंग	150045.00	3001.00
6	गोल्हौरा गाँव में भुलई के घर से हकीकुल्ला के घर तक सी0सी	13.10.20	127	मे०जिंदल सप्लायर्स	420221.00	8404.00
		13.10.20	129	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	10400.00	208.00
		13.10.20	163	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	106995.00	2140.00
7	ग्राम पंचायत मानपुर में छोटाडीह में सीताराम नाई के घर तक इण्टरलाकिंग	27.10.20	132	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	10290.00	206.0
		27.10.20	166	मे०जिंदल सप्लायर्स	88575.00	1772.00
8	हृदय नगर मिलन के घर से महेश के घर तक इण्टरलाकिंग	13.10.20	106	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	25350.00	507.0
		13.10.20	121	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	94080.00	1882.00

		13.10.20	163	मे०जिंदल सप्लायर्स	290787.00	5816.00
					1825518.00	36512.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	36512.00	36512.00

प्रस्तर संख्या-09-उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अन्तर्गत शासकीय कार्य में सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा की जाने वाली सामग्री आपूर्ति के भुगतान से पूर्व निर्धारित दर से स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) 2% की दर से करने के उपरान्त ही संबंधित आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान किया जाना चाहिए। राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त की पत्रावली की जांच में पाया गया कि वर्ष 20.21 में कुल रु० 947833.00 की सामग्री के बिलों का भुगतान आपूर्तिकर्ताओं को किया गया, किन्तु निर्धारित दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु० 18957.0 के शासकीय राजस्व की हानि हुई है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	दिनांक	वाउचर सं०	फर्म का नाम	बिल की धनराशि	निर्धारित आयकर 2% की दर से
1	गोल्हौरा गांव में भुलई के घर से हकीकुल्ला के घर तक सी०सी	13.10.20	127	मे०जिंदल सप्लायर्स	420221.00	8404.0
		13.10.20	129	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	10400.00	208.00
		13.10.20	164	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	106995.00	2140.00
2	हृदय नगर मिलन के घर से महेश के घर तक इण्टरलाकिंग	13.10.20	106	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	25350.00	507.00
		13.10.20	121	मे० हामिद ब्रिक फील्ड	94080.00	1882.00
		13.10.20	163	मे०जिंदल सप्लायर्स	290787.00	5816.00
					947833.00	18957.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	18957.00	18957.00

प्रस्तर संख्या-10- उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 20-21 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से कराए गए कार्यों के लिए सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान से 2 प्रतिशत की दर से कुल रु0 192916.00 की आयकर कटौती की गयी थी जिसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा न कराकर संस्था के खाते में रोककर रखी गयी है। आयकर कटौती एवं काटी गयी धनराशि समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे स्पष्ट है कि ऐसा न करके लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकार द्वारा वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है.

सामग्रीभुगतान का विवरण)केन्द्रीय वित्त(					
क्र०स०	कार्य का नाम	वाउचर न०/दिनांक	धनराशि	आयकर कटौति 2.24 %	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	मटियार भूतहवा में मुन्ना के घर से गड्डे तक नाली	10/01.02.21	110798	2482	चौधरी बिल्डिंग म०
		428/1.02.21	66990	1501	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
2	मटियार भूतहवा में साहू के घर से गड्डे तक नाली	432/01.02.21	190050	4257	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		98/01.02.21	268017	6004	चौधरी बिल्डिंग म०
3	मानपुर में संतोष मिश्र के घर से किशन के घर तक नाली	425/01.02.21	215880	4836	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		03/01.02.21	266488	5969	चौधरी बिल्डिंग म०
4	ग्राम तलकुंडा के टोला जलपरवा में दुर्गा प्रसाद के घर से सुकई	428/.	215880	4836	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		09/01.02.21	327370	7333	चौधरी बिल्डिंग म०

	के घर तक इन्टरलॉकिंग				
5	मटियार गाव में खदर के घर से गड्ढे तक नाली निर्माण	429/.	224910	5038	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		11/.	353625	7921	चौधरी बिल्डिंग म०
6	मानपुर में किसान चौधरी के घर से गड्ढे तक नाली निर्माण	417/.	237300	5316	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		08/.	188464	4222	चौधरी बिल्डिंग म०
7	मानपुर ग्राम पंचायत में पितई चौरसिया के घर से गड्ढे तक नाली	423/.	76440	1712	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		02/.	83815	1877	चौधरी बिल्डिंग म०
8	खुरहरिया में लोधी के घर से दक्षिण नाला तक नाली निर्माण	418/.	105210	2357	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		01/.	248035	5556	चौधरी बिल्डिंग म०
9	विकास खंड बढ़नी के परिसर में शौचालय का निर्माण	409/.	95550	2140	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		07/.	66280	1485	चौधरी बिल्डिंग म०
		11/.	122867	2752	चौधरी बिल्डिंग म०
10	ग्राम पंचायत मानपुर में दुर्गा मन्दिर से गड्ढे तक नाली निर्माण	401/.	230580	5165	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		07/.	364633	8168	चौधरी बिल्डिंग म०
11	ग्राम पंचायत परसा स्टेशन में	441/.	169050	3787	में० हामिद ब्रिक फिल्ड

	बौध परिपथ रोड से हरिजन बस्ती मार्ग पर एक मीटर आर०सी०सी पुलिया	09/01.02.21	148633	3329	चौधरी बिल्डिंग म०
12	ग्राम पंचायत मोहन कोला पेटेंड रोड से विजय के घर तक इन्टरलॉकिंग	431/01.02.21	160020	3584	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		20/01.02.21	371164	8314	चौधरी बिल्डिंग म०
13	ग्राम पंचायत परसा स्टेसन में राजकुमार के घर से बाब के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	435/.	53130	1190	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		26/01.02.21	175705	3936	चौधरी बिल्डिंग म०
14	ग्राम पंचायत बसहिया के पारस यादव के घर से नाले तक नाली निर्माण कार्य	445/01.02.21	182700	4092	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		32/01.02.21	164771	3691	चौधरी बिल्डिंग म०
15	ग्राम पंचायत घरुवार के टोला डढउल में नाली निर्माण	434/01.02.21	156765	3512	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		30/01.02.21	155507	3483	चौधरी बिल्डिंग म०
16	ग्राम पंचायत सेवरा में साबिर के घर से मेन नाला तक नाली	436/01.02.21	185535	4156	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		27/01.02.21	126567	2835	चौधरी बिल्डिंग म०

17	ग्राम पंचायत खुरहरिया टोला दूधवानिया खुर्द में भगवान चौधरी के घर से राम सुमिरन के घर तक नाला निर्माण	427/01.02.21	215040	4817	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		18/01.02.21	253870	5687	चौधरी बिल्डिंग म०
18	ग्राम पंचायत औदहिकला में भट्टे से एफ०न०बी०इस रोड के तरफ इन्टरलॉकिंग	438/01.02.21	34965	783	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		31/01.02.21	105837	2371	चौधरी बिल्डिंग म०
19	ग्राम पंचायत औधिकला में मावुद के खेत से भट्ठा तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	442/01.02.21	124530	2791	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		24/01.02.21	269520	6037	चौधरी बिल्डिंग म०
		25/01.02.21	126110	2825	चौधरी बिल्डिंग म०
20	ग्राम पंचायत कोटिया में कोटिया पूर्वांचल बैंक से तालाब तक नाली	431/01.02.21	227430	5094	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		12/01.02.21	214154	4797	चौधरी बिल्डिंग म०
21	मोहन कोला गाव पूर्व 2 मी स्पान की पुलिया	429/01.02.21	204750	4586	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		21/01.02.21	230238	5157	चौधरी बिल्डिंग म०
22	ग्राम पंचायत बोहली में शौचालय निर्माण कार्य	432/01.02.21	151620	3396	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		22/01.02.21	204487	4581	चौधरी बिल्डिंग म०

		29/01.02.21	141000	3158	चौधरीबिल्डिंग म०
			8612280	192916.00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	192916.00	192916.00

प्रस्तर संख्या-11-जी0एस0टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्राधिकार विनिर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम 01.07.2017 से प्रभावी है। इस संबंध में कमिशनर वाणिज्य कर ने 26 सितम्बर 2018 में निर्देशित किया है कि समस्त सरकारी विभागों सरकारी एजेंसियों एवं स्थानिय निकायों द्वारा रुपया 2.50 लाख से अधिक के सप्लाइ के आदेश के विरुद्ध किये गए भुगतान पर 1 प्रतिशत की दर से सी0जी0एस0टी एवं 1 प्रतिशत की दर से एस0जी0एस0टी की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तथा काटी गयी धनराशि को अगले माह के 10 दिवस के अंदर निर्धारित लेखाशीर्ष जमा करा दिया जाना चाहिए। परन्तु लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि केन्द्रीय वित्त योजना मद से क्रय की गयी सामग्री के बिलों से जी0एस0टी के रूप में काटी गयी धनराशि रु0 166228.00 को राजकोष में जमा न कराकर संस्था के खाते में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि श्री सतीश सिंह एवं लेखाकार श्री राजकिशोर सोनकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामग्रीभुगतान का विवरण)केन्द्रीय वित्त(					
क्र०सं०	कार्य का नाम	वाउचर न०/दिनांक	धनराशि	जी०एस०टीकटौति 2 %	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	मटियार भूतहवा में मुन्ना के घर से गड़दे तक नाली	10/01.02.21	110798	2216	चौधरी बिल्डिंग म०
		428/1.02.21	66990	1340	मै० हामिद ब्रिक फिल्ड
2	मटियार भूतहवा में साहू के घर से गड़दे तक नाली	432/01.02.21	190050	3802	मै० हामिद ब्रिक फिल्ड
		98/01.02.21	268017	5360	चौधरी बिल्डिंग म०
3	मानपुर में संतोष मिश्र के घर से किशन के घर तक नाली	425/01.02.21	215880	4318	मै० हामिद ब्रिक फिल्ड
		03/01.02.21	266488	5330	चौधरी बिल्डिंग म०
4	ग्राम तलकुंडा के टोला जलपरवा में दुर्गा प्रसाद के घर से सुकई के घर तक इन्टरलॉकिंग	428/.	215880	4318	मै० हामिद ब्रिक फिल्ड
		09/01.02.21	327370	6548	चौधरी बिल्डिंग म०
5	मटियार गाव में खदर के घर से गड़दे तक नाली निर्माण	429/.	224910	4498	मै० हामिद ब्रिक फिल्ड
		11/.	353625	7072	चौधरी बिल्डिंग म०

6	मानपुर में किसान चौधरी के घर से गड़दे तक नाली निर्माण	417/.	237300	4746	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		08/.	188464	3770	चौधरी बिल्डिंग म०
7	मानपुर ग्राम पंचायत में पितई चौरसिया के घर से गड़दे तक नाली	423/.	76440	0	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		02/.	83815	0	चौधरी बिल्डिंग म०
8	खुरहरिया में लोधी के घर से दक्षिण नाला तक नाली निर्माण	418/.	105210	2104	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		01/.	248035	4960	चौधरी बिल्डिंग म०
9	विकास खंड बढनी के परिसर में शौचालय का निर्माण	409/.	95550	1912	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		07/.	66280	1326	चौधरी बिल्डिंग म०
		11/.	122867	2458	चौधरी बिल्डिंग म०
10	ग्राम पंचायत मानपुर में दुर्गा मन्दिर से गड़दे तक नाली निर्माण	401/.	230580	4612	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		07/.	364633	7292	चौधरी बिल्डिंग म०
11	ग्राम पंचायत परसा स्टेशन में बौध परिपथ रोड से हरिजन बस्ती मार्ग पर एक मीटर आर०सी०सी पुलिया	441/.	169050	3382	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		09/01.02.21	148633	2972	चौधरी बिल्डिंग म०
12	ग्राम पंचायत मोहन कोला पेटेंड रोड से विजय के घर तक इन्टरलॉकिंग	431/01.02.21	160020	3200	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		20/01.02.21	371164	7424	चौधरी बिल्डिंग म०
13	ग्राम पंचायत परसा स्टेशन में राजकुमार के घर से बाब के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	435/.	53130	1062	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		26/01.02.21	175705	3514	चौधरी बिल्डिंग म०
14	ग्राम पंचायत बसहिया के पारस यादव के घर से नाले तक नाली निर्माण कार्य	445/01.02.21	182700	3654	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		32/01.02.21	164771	3296	चौधरी बिल्डिंग म०
15	ग्राम पंचायत घरवार के टोला डढउल में नाली निर्माण	434/01.02.21	156765	3136	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		30/01.02.21	155507	3110	चौधरी बिल्डिंग म०
16	ग्राम पंचायत सेवरा में साबिर के घर से मेन नाला तक नाली	436/01.02.21	185535	3710	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		27/01.02.21	126567	2532	चौधरी बिल्डिंग म०
17	ग्राम पंचायत खुरहरिया टोला दूधवानिया खुर्द में भगवान चौधरी के घर से राम सुमिरन के घर तक नाला निर्माण	427/01.02.21	215040	4300	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		18/01.02.21	253870	5078	चौधरी बिल्डिंग म०

18	ग्राम पंचायत औदहिकला में भट्टे से एफ०न०बी०इस रोड के तरफ इन्टरलॉकिंग	438/01.02.21	34965	0	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		31/01.02.21	105837	0	चौधरी बिल्डिंग म०
19	ग्राम पंचायत औदहिकला में मावुद के खेत से भट्टा तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	442/01.02.21	124530	2490	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		24/01.02.21	269520	5390	चौधरी बिल्डिंग म०
		25/01.02.21	126110	2522	चौधरी बिल्डिंग म०
20	ग्राम पंचायत कोटिया में कोटिया पूर्वांचल बैंक से तालाब तक नाली	431/01.02.21	227430	4548	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		12/01.02.21	214154	4284	चौधरी बिल्डिंग म०
21	मोहन कोला गाव पूर्व 2 मी स्पान की पुलिया	429/01.02.21	204750	4096	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		21/01.02.21	230238	4604	चौधरी बिल्डिंग म०
22	ग्राम पंचायत बोहली में शौचालय निर्माण कार्य	432/01.02.21	151620	3032	में० हामिद ब्रिक फिल्ड
		22/01.02.21	204487	4090	चौधरी बिल्डिंग म०
		29/01.02.21	141000	2820	चौधरी बिल्डिंग म०
			8612280	166228.00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	166228.00	166228.00

प्रस्तर संख्या-12-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 20-21 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनुदान पंजिका भाग.3 के अनुसार वर्ष दौरान आयकर कटौती प्राप्ति मद में कुल रु0 140777.00 अंकित (विवरण के अनुसार क्रमांक .27 पर रु0 104098.00 एवं क्रमांक.40 पर रु0 36679.00 कुल रु0 140777.00) किया गया है जबकि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य प्रभावली (राज्य वित्त) में संलग्न वाउचर के अनुसार सामग्रीयों पर किए गए भुगतान के आधार पर बिलो से कुल रु0 175861.00 की आयकर कटौती की गयी है। इस प्रकार अनुदान पंजिका भाग.3 में आयकर कटौती मद में रु0 35084.00 कम दर्शाया जा रहा है। जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में आयकर कटौती की धनराशि जमा ही न किया जाय। इस प्रकार आयकर कटौती मद में रु0 35084.00 की कम कटौती दर्शाकर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए ख0वि0अधि श्री सतीश सिंह एवं लेखाकार श्री रामानंद सिन्हा एवं श्री राजकिशोर सोनकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	35084.00	35084.00

प्रस्तर संख्या-13-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 20.21 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनुदान पंजिका भाग.3 के अनुसार वर्ष दौरान जी0एस0टी कटौती प्राप्ति मद (राज्य वित्त) में कुल रु0 110200.00 अंकित (विवरण के अनुसार क्रमांक .30) किया गया है जबकि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य प्रभावली (राज्य वित्त) में संलग्न वाउचर

के अनुसार सामग्रीयों पर किए गए भुगतान के आधार पर बिलों से कुल ₹0 145489.00 की आयकर कटौती की गयी है। इस प्रकार अनुदान पंजिका भाग.3 में आयकर कटौती मद में ₹0 35289.00 कम दर्शाया जा रहा है। जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में आयकर कटौती की धनराशि जमा ही न किया जाय। इस प्रकार जी0एस0टी कटौती मद में ₹0 35289.00 की कम कटौती दर्शा कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए ख0वि0अधि श्री सतीश सिंह एवं लेखाकार श्री रामानंद सिन्हा एवं श्री राजकिशोर सोनकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	35289.00	35289.00

क्षेत्र पंचायत - शोहरतगढ़

लेखा परीक्षा वर्ष-20-21

प्रस्तर संख्या-14-वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित है कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारियों को पी0एफ0एम0एस के द्वारा उनके खाते में किया गया है। रा0वि मद से कराये गए कुछ कार्यों का भुगतान कार्यप्रभारियों को चेक के द्वारा भी किया गया है, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान आर्काउंट पेई चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ऐजाज अहमद, लेखाकार श्री अशोक तिवारी /कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

क्र०स	कार्य का नाम	योजना	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1	चिल्हिया से एन०एच मार्ग के पास इण्टरलाकिंग	रा०वि	8226	श्री राजेन्द्र यादव
2	चिल्हिया में दिनेश सिंह इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग	रा०वि	25428	श्री राजेन्द्र यादव
3	ग्रा0प पंचायत पल्टा देवी में बबलू के घर से सेतू के घर तक इण्टरलाकिंग	रा०वि	41478	श्री राजेन्द्र यादव
4	शोहरतगढ़ ब्लॉक के विभिन्न टोलो पर स्ट्रीट लाईट	रा०वि	00	श्री राजेन्द्र यादव

5	चिल्हिया में स्वर्गीय गौकरन दिनेश महाविद्यालय का इण्टरलाकिंग कार्य	रा०वि	26433	श्री राजेन्द्र यादव
6	ग्राम पंचायत चिल्हिया में इण्टरलाकिंग	रा०वि	95322	श्री राजेन्द्र यादव
7	रामपुर खास में पी०डब्लू०डी रोड से केसारी गिरी के घर से दुर्गा मंदिर तक मि०/ख०	रा०वि	122439	श्री राजेन्द्र यादव
8	पल्टा देवी पिछौरा में गोविंद के घर से मल्लू यादव के खेत तक खडन्जा मरम्मत	रा०वि	107526	श्री राजेन्द्र यादव
9	ग्राम पंचायत पल्टा देवी में नाली रिपेयर का कार्य	रा०वि	93888	श्री राजेन्द्र यादव
10	ग्राम पंचायत चिल्हिया में नाली रिपेयर कार्य	रा०वि	51834	श्री राजेन्द्र यादव
11	रफीक के घर से कुला तक सड़क के दोनों तरफ नाली	रा०वि	55170	श्री राजेन्द्र यादव
12	सीतापरामपुर में भगवानपुर में मस्जिद से उपेन्द्र के खेत तक नाली रिपेयर	रा०वि	66903	श्री राजेन्द्र यादव
13	चिल्हिया इण्टर कालेज मेन गेट से शौचालय तक इण्टरलाकिंग	रा०वि	26982	श्री राजेन्द्र यादव
14	चोड़ार में पी०डब्लू०डी रोड से ज्ञान प्रकाश के घर तक नाली मरम्मत	रा०वि	39000	श्री शकील अहमद
15	एन०एच मार्ग से पूरब विद्यालय के आगे इण्टरलाकिंग	रा०वि	6650	श्री शकील अहमद
16	चिल्हिया में मेन रोड से बहवा सरहद तक नाली	रा०वि	59475	श्री शकील अहमद
17	डिग्री कालेज के पीछे नाली मरम्मत	रा०वि	63000	श्री शकील अहमद
18	भोला के खेत से रामतीरथ के खेत तक सड़क के दोनों तरफ नाली	रा०वि	133575	श्री शकील अहमद
19	ओम प्रकाश के घर से गोबरे के घर होते हुए मुनेजर के घर तक सड़क के दोनों तरफ नाली	रा०वि	105900	श्री शकील अहमद

20	पल्टा देवी के टोला मिठवल में सिकंदर के बागीचे से प्राईमरी स्कूल तक सी०सी	रा०वि	67375	श्री राम शंकर वर्मा
21	नहर के मोड से राजाराम यादव के घर तक खड़न्जा	रा०वि	8775	श्री शकील अहमद
			1205379	
1	ग्राम पंचायत अगया में बगीचे से सन्तोरी सरहद तक ख०	के०वि	323001	श्री राजेन्द्र यादव
2	ग्राम संतोरा में गांव के दक्षिण सड़क के पास नाली मरम्मत	के०वि	133008	श्री राजेन्द्र यादव
3	ग्राम सीतारामपुर में राम कुमार के घर से गडढे तक पक्की नाली	के०वि	11682	श्री राजेन्द्र यादव
4	सीतारामपुर में अहमद के घर से चन्द्रिका के घर तक इण्टरलाकिंग	के०वि	26808	श्री राजेन्द्र यादव
5	महमूदवा में बंधे के दक्षिण ईदगाह तक मिट्टी/ख०	के०वि	172137	श्री राजेन्द्र यादव
6	पल्टा देवी टोला मिठवल में प्राइमरी स्कूल के बगल में रमाधंकर और सहदेव के खेत के बीच एक अदद पुलिया	के०वि	103722	श्री राजेन्द्र यादव
7	ग्राम पंचायत चोड़ार में मेन रोड से विक्रम के घर तक नाली/खड़न्जा	के०वि	7971	श्री राजेन्द्र यादव
8	पल्टा देवी मंदिर परिसर में शौचालय	के०वि	19626	श्री राजेन्द्र यादव
9	सीतारामपुर टोला भगवानपुर में अकरम के घर से जय प्रकाश के खेत तक इण्टरलाकिंग	के०वि	29727	श्री राजेन्द्र यादव
10	पल्टा देवी टोला रामगढवा में हसन के घर के मोड से राजाराम के घर तक इण्टरलाकिंग	के०वि	30117	श्री राजेन्द्र यादव
11	पल्टा देवी के टोला मिठवल में बिक्री के खेत से मनौव्वर के घर तक सी०सी	के०वि	36657	श्री राजेन्द्र यादव
12	ग्राम पंचायत अगया में पी०डब्लू०डी सडक से आगे पुल तक खड़न्जा	के०वि	322671	श्री राजेन्द्र यादव

13	अतरी गांव के पश्चिम सड़क के बग लमे नाली मरम्मत	के०वि	72546	श्री राजेन्द्र यादव
14	अलीदापुर में स्कूल के घर से अजीज के घर तक इण्टरलाकिंग	के०वि	10584	श्री राजेन्द्र यादव
15	ग्राम पंचायत पल्टा देवी में शौचालय का निर्माण	के०वि	28161	श्री जितेन्द्र नाथ वर्मा
16	चिल्हिया इण्टर कालेज में शौचालय निर्माण	के०वि	30117	श्री जितेन्द्र नाथ वर्मा
17	डिग्री कालेज चिल्हिया में शौचालय का निर्माण	के०वि	30117	श्री जितेन्द्र नाथ वर्मा
18	किसान सेवा सहकारी समिति में एक अदद शौचालय निर्माण	के०वि	30117	श्री जितेन्द्र नाथ वर्मा
19	ग्राम पंचायत महदेवा नानकार में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य	के०वि	12312	श्री जितेन्द्र नाथ वर्मा
20	मदरहना उर्फ दत्तपुर में नाली मरम्मत कार्य	के०वि	85086	श्री जितेन्द्र नाथ वर्मा
21	ग्राम पंचायत के टोला डफरा मे नाली निर्माण	के०वि	21918	श्री जितेन्द्र नाथ वर्मा
22	पल्टा देवी में मेन रोड चैराहे पर नाली निर्माण	के०वि	51633	श्री जितेन्द्र नाथ वर्मा
23	ग्राम पंचायत जमूनी में इण्टरलाकिंग कार्य	के०वि	7650	श्री जितेन्द्र नाथ वर्मा
24	ग्राम पंचायत सेमरा में नाली निर्माण कार्य	के०वि	18958	श्री जितेन्द्र नाथ वर्मा
25	ग्राम पंचायत चोड़ार म नाली निर्माण कार्य	के०वि	85488	श्री जितेन्द्र नाथ वर्मा
			1701814	

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य वित्त योजना से ₹0 1205379.00 एवं केन्द्रीय वित्त योजना मद से ₹0 1701814.00 कराये गए कार्यों पर मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारियों को कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। वित्तीय वर्ष 20-21 में कुल ₹0 2907193.00 (रा०वि/के०वि) मजदूरी की धनराशि का भुगतान कार्यप्रभारियों को किया गया है जिसका विवरण निम्न है.

क्र० स	कार्य प्रभारी का नाम	पदनाम	रा०वि	के०वि	योग
1	राजेन्द्र यादव	सहा०वि०अधि	721629.00	1300257.00	2021886.00
2	शकील अहमद	ग्रा०प०अधि	416375.00	0	416375.00
3	जितेन्द्र नाथ तिवारी	सहा०वि०अधि	0	401557.00	401557.00
4	राम शंकर वर्मा	सहा०वि०अधि	67375.00	0	67375.00
			1205379.00	1701814.00	2907193.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	2907193.00	2907193.00

प्रस्तर संख्या-15- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(सी) के अन्तर्गत शासकीय कार्यों में सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा की जाने वाली सामग्री आपूर्ति के भुगतान से पूर्व निर्धारित दर से स्रोत पर आयकर की कटौती (टी०डी०एस) 2% की दर से करने के उपरान्त ही संबंधित आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की पत्रावली की जांच में पाया गया कि वर्ष 20.21 में कुल रु 162326.00 की सामग्री के बिलों का भुगतान आपूर्तिकर्ताओं को किया गया, किन्तु उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित दर से स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु 3247.00 आयकर के शासकीय राजस्व की हानि हुई है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस कर कटौती की धनराशि को जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

क्र० स	दिनांक	फर्म का नाम	बिल की धनराशि	निर्धारित आयकर
01	05/03/20	में० विशाल गिफ्ट इम्पोरियम	122346.00	2447.00
01	26/03/21	में० विशाल गिफ्ट इम्पोरियम	39980.00	800.00
			162326.00	3247.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	3247.00	3247.00

प्रस्तर संख्या-16- क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ वर्ष 20-21 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पंद्रहवा वित्त अनुदान मद से कराए गए कार्यों के लिए सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान से 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु0 151030.00 की आयकर कटौती की गयी थी जिसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा न कराकर संस्था के खाते में रोककर रखा गया है। आयकर अधिनियम की धारा 200 के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति को स्रोत पर काटी गई कर की राशि को नियम 30 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कोष में निर्धारित समय अवधि के अन्दर जमा कराना होता है। स्पष्ट है कि ऐसा न करके लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकार द्वारा वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

	कार्य का नाम	बिल/वाउचर सं	बिल की धनराशि	आयकर कटौती की धनराशि 2.24 की दर से
01	ग्राम पंचायत अगया में बगीचे से सन्तोरी सरहद तक ख0	169/07.11.21	134123	3004
		104/30.11.21	226678	5078
02	ग्राम संतोरा में गाव के दक्षिण सड़क के पास नाली मरम्मत	1804/10.11.20	74561	1670
		106/11.11.20	59005	1321
		1782/31.10.20	225818	5058
		435/31.10.20	205592	4605
03	ग्राम सीतारामपुर में राम कुमार के घर से गडडे तक पक्की नाली	1811/01.03.21	23241	521
		365/02.03.21	7003	157
		1798/22.01.21	19336	433
		346/23.01.21	29606	663
04	सीतारामपुर में अहमद के घर से चन्द्रिका के घर तक इण्टरलाकिंग	2059/26.01.21	30909	692
		254/26.01.21	89887	2013
		228/27.01.21	16543	371
		1880/07.01.21	19019	426
		179/07.01.21	70500	1579
		371/06.01.21	56048	1266

05	महमूदवा में बंधे के दक्षिण ईदगाह तक मिट्टी/खडंजा	335/.	200010	4480
		439/05.11.20	33501	750
06	पल्टा देवी टोला मिठवल में प्राइमरी स्कूल के बगल में रमाशंकर और सहदेव के खेत के बीच एक अदद पुलिया	2060/27.01.21	145992	3271
		242/28.01.21	126571	2835
		1884/07.01.21	96160	2154
		357/06.01.21	121362	2719
07	ग्राम पंचायत चोड़ार में मेन रोड से विक्रम के घर तक नाली/खडंजा	1878/08.01.21	2091	47
		200/09.01.21	35250	790
		450/09.01.21	11074	245
		1879/30.01.21	10339	232
		199/31.01.21	26437	592
		372/31.01.21	7513	168
08	पल्टा देवी मंदिर परिसर में शौचालय	1885/06.01.21	32538	729
		351/07.01.21	29606	663
		2583/29.02.21	75651	1695
		219/30.01.21	45676	1023
		252/31.01.21	142298	3187
09	सीतारामपुर टोला भगवानपुर में अकरम के घर से जय प्रकाश के खेत तक इण्टरलाकिंग	1829/09.01.21	21710	486
		208/10.01.21	70500	1579
		370/10.01.21	41358	928
		1800/18.01.21	21203	475
		201/20.01.21	121765	2727
10	पल्टा देवी टोला रामगढवा में हसन के घर के मोड से राजाराम के घर तक इण्टरलाकिंग	1830/26.11.20	14628	327
		176/26.11.20	94000	2106
		352/26.11.20	30962	699
		2994/20.02.21	12537	281
		366/26.02.21	34555	774
		206/21.02.21	104150	2333
11		1825/26.11.20	99422	2227

	पलटा देवी के टोला मिठवल में बिकी के खेत से मनौव्वर के घर तक सी०सी	353/26.11.20	30962	693
		2068/29.01.21	102591	2306
		218/31.01.21	30936	693
12	ग्राम पंचायत आजया में पी०डब्लू०डी सड़क से आगे पुल तक खंडजा	421/30.10.20	306682	6870
		437/15.11.20	54119	1212
13	अतरी गाव के पश्चिम सड़क के बगल में नाली मरम्मत	1787/07.11.20	107216	2402
		105/07.11.20	93338	2091
		445/31.11.20	60403	1353
		1803/12.11.20	56036	1255
14	अलीदापुर में स्कूल के घर से अजीज के घर तक इण्टरलाकिंग	150/30.10.20	35250	790
		433/30.10.20	14012	314
		1785/31.10.20	3950	88
		1806/10.11.20	12577	282
		145/10.11.20	29022	650
		446/10.11.20	6407	144
15	ग्राम पंचायत पलटा देवी में शौचालय निर्माण	247/16.02.21	44409	995
		2048/16.02.21	36778	824
		165/19.02.21	98760	2212
		367/18.02.21	33587	752
		2093/18.02.21	42555	953
16	चिल्हिया इन्टर कॉलेज में शौचालय निर्माण	244/16.02.21	44409	995
		2747/16.02.21	36778	824
		2990/18.02.21	44950	1007
		237/19.02.21	36909	827
		255/19.02.21	101002	2262
17	डिग्री कॉलेज चिल्हिया में शौचालय निर्माण	246/16.02.21	44409	995
		244/16.02.21	36778	824
		2791/18.02.21	44950	1007
		241/18.02.21	36909	827

		203/19.02.21	101002	2262
18	किसान सेवा सहकारी समिति में एक अदद शौचालय निर्मा	2051/18.02.21	36778	824
		225/18.02.21	44409	995
		2092/19.02.21	44950	1007
		243/19.02.21	36909	827
		205/20.02.21	101002	2262
19	ग्राम पंचायत महदेवा नानाकार में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य	226/16.02.21	44409	995
		2252/18.02.21	36778	824
		2996/20.02.21	44950	1007
		240/20.02.21	36909	827
		204/21.02.21	101002	2262
20	मदरहना उर्फ दत्तपुर में नाली मरम्मत कार्य	221/21.02.21	106672	2389
		2780/24.02.21	107429	2406
		233/25.02.21	93338	2091
		2963/20.02.21	91435	2048
21	ग्राम पंचायत के टोला डफरा में नाली निर्माण	2584/02.03.21	35929	805
		216/03.03.21	44409	995
		1810/04.03.21	37090	831
		596/05.03.21	14407	323
22	पलटा देवी में रोड चौराहे पर नाली निर्माण	2785/02.03.21	72414	1622
		217/03.03.21	78422	1757
		2885/04.03.21	74964	1679
		362/05.03.21	63743	1428
23	ग्राम पंचायत जमुनी में नाली इंटरलॉकिंग	1805/07.03.21	7318	164
		121/08.03.21	2938	66
		207/07.03.21	26437	592
		2988/05.03.21	3140	70
		238/05.03.21	12543	281
		202/05.03.21	35250	780

24	ग्राम पंचायत सेमरा में नाली निर्माण कार्य	2098/05.03.21	29799	667
		235/05.03.21	20679	463
		1808/06.03.21	29373	658
		118/07.03.21	22939	514
25	ग्राम पंचायत चोडार में नाली निर्माण कार्य	2087/05.03.21	93008	2083
		239/05.03.21	106672	2389
		1809/07.03.21	81732	1831
		119/06.03.21	97338	2180
		;ksx	6741928	151030

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	151030.00	151030.00

प्रस्तर स०-17-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ वर्ष-20-21 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पंद्रहवा वित्त अनुदान मद से कराए गए कार्यों के लिए सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान से 2 प्रतिशत की दर से कुल रु0134778.00 की जी०एस०टी कटौती की गयी थी जिसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा न कराकर संस्था के खाते में रोककर रखा गया है। जिसके लिए ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

	कार्य का नाम	बिल/वाउचर सं	बिल की धनराशि	आयकर कटौती की धनराशि 2.24 की दर से
01	ग्राम पंचायत अगया में बगीचे से सन्तोरी सरहद तक ख०	169/07.11.21	134123	2682
		104/30.11.21	226678	4534
02	ग्राम संतोरा में गाव के दक्षिण सड़क के पास नाली मरम्मत	1804/10.11.20	74561	1491
		106/11.11.20	59005	1180
		1782/31.10.20	225818	4516
		435/31.10.20	205592	4112
03	ग्राम सीतारामपुर में राम कुमार के घर से गडदे तक पक्की नाली	1811/01.03.21	23241	465
		365/02.03.21	7003	140
		1798/22.01.21	19336	386

		346/23.01.21	29606	592
04	सीतारामपुर में अहमद के घर से चन्द्रिका के घर तक इण्टरलाकिंग	2059/26.01.21	30909	618
		254/26.01.21	89887	1798
		228/27.01.21	16543	331
		1880/07.01.21	19019	380
		179/07.01.21	70500	1410
		371/06.01.21	56048	1120
05	महमूदवा में बंधे के दक्षिण ईदगाह तक मिट्टी/खडंजा	335/&	200010	4000
		439/05.11.20	33501	670
06	पल्टा देवी टोला मिठवल में प्राइमरी स्कूल के बगल में रमाशंकर और सहदेव के खेत के बीच एक अदद पुलिया	2060/27.01.21	145992	2920
		242/28.01.21	126571	2532
		1884/07.01.21	96160	1932
		357/06.01.21	121362	2427
07	ग्राम पंचायत चोड़ार में मेन रोड से विक्रम के घर तक नाली/खडंजा	1878/08.01.21	2091	42
		200/09.01.21	35250	705
		450/09.01.21	11074	221
		1879/30.01.21	10339	207
		199/31.01.21	26437	529
		372/31.01.21	7513	150
08	पल्टा देवी मंदिर परिसर में शौचालय	1885/06.01.21	32538	651
		351/07.01.21	29606	521
		2583/29.02.21	75651	1513
		219/30.01.21	45676	914
		252/31.01.21	142298	2846
09	सीतारामपुर टोला भगवानपुर में अकरम के घर से जय प्रकाश के खेत तक इण्टरलाकिंग	1829/09.01.21	21710	434
		208/10.01.21	70500	1410
		370/10.01.21	41358	827
		1800/18.01.21	21203	424
		201/20.01.21	121765	2435

10	पलटा देवी टोला रामगढवा में हसन के घर के मोड से राजाराम के घर तक इण्टरलाकिंग	1830/26.11.20	14628	292
		176/26.11.20	94000	1880
		352/26.11.20	30962	619
		2994/20.02.21	12537	251
		366/26.02.21	34555	691
		206/21.02.21	104150	2083
11	पलटा देवी के टोला मिठवल में बिकी के खेत से मनौव्वर के घर तक सी०सी	1825/26.11.20	99422	1988
		353/26.11.20	30962	619
		2068/29.01.21	102591	2059
		218/31.01.21	30936	619
12	ग्राम पंचायत आजया में पी०डब्लू०डी सड़क से आगे पुल तक खडंजा	421/30.10.20	306682	6134
		437/15.11.20	54119	1082
13	अतरी गाव के पश्चिम सड़क के बगल मे नाली मरम्मत	1787/07.11.20	107216	2144
		105/07.11.20	93338	1867
		445/31.11.20	60403	1200
		1803/12.11.20	56036	1121
14	अलीदापुर में स्कूल के घर से अजीज के घर तक इण्टरलाकिंग	150/30.10.20	35250	705
		433/30.10.20	14012	280
		1785/31.10.20	3950	79
		1806/10.11.20	12577	252
		145/10.11.20	29022	580
		446/10.11.20	6407	128
15	ग्राम पंचायत पलटा देवी में शौचालय निर्माण	247/16.02.21	44409	888
		2048/16.02.21	36778	736
		165/19.02.21	98760	1975
		367/18.02.21	33587	672
		2093/18.02.21	42555	851
16		244/16.02.21	44409	888
		2747/16.02.21	36778	734

	चिल्हिया इन्टर कॉलेज में शौचालय निर्माण	2990/18.02.21	44950	899
		237/19.02.21	36909	738
		255/19.02.21	101002	2020
17	डिग्री कॉलेज चिल्हिया में शौचालय निर्माण	246/16.02.21	44409	888
		244/16.02.21	36778	736
		2791/18.02.21	44950	899
		241/18.02.21	36909	738
		203/19.02.21	101002	2020
18	किसान सेवा सहकारी समिति में एक अदद शौचालय निर्मा	2051/18.02.21	36778	736
		225/18.02.21	44409	888
		2092/19.02.21	44950	899
		243/19.02.21	36909	738
		205/20.02.21	101002	2020
19	ग्राम पंचायत महदेवा नानाकार में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य	226/16.02.21	44409	888
		2252/18.02.21	36778	736
		2996/20.02.21	44950	899
		240/20.02.21	36909	738
		204/21.02.21	101002	2020
20	मदरहना उर्फ दत्तपुर में नाली मरम्मत कार्य	221/21.02.21	106672	2133
		2780/24.02.21	107429	2149
		233/25.02.21	93338	1867
		2963/20.02.21	91435	1829
21	ग्राम पंचायत के टोला डफरा में नाली निर्माण	2584/02.03.21	35929	718
		216/03.03.21	44409	888
		1810/04.03.21	37090	742
		596/05.03.21	14407	288
22		2785/02.03.21	72414	1448

	पलटा देवी में में रोड चौराहे पर नाली निर्माण	217/03.03.21	78422	1568
		2885/04.03.21	74964	1499
		362/05.03.21	63743	1275
23	ग्राम पंचायत जमुनी में नाली इंटरलॉकिंग	1805/07.03.21	7318	146
		121/08.03.21	2938	59
		207/07.03.21	26437	529
		2988/05.03.21	3140	63
		238/05.03.21	12543	251
		202/05.03.21	35250	705
24	ग्राम पंचायत सेमरा में नाली निर्माण कार्य	2098/05.03.21	29799	596
		235/05.03.21	20679	414
		1808/06.03.21	29373	587
		118/07.03.21	22939	456
25	ग्राम पंचायत चोडार में नाली निर्माण कार्य	2087/05.03.21	93008	1860
		239/05.03.21	106672	2144
		1809/07.03.21	81732	1635
		119/06.03.21	97338	1947
		योग	6741928	134778

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	134778.00	134778.00

प्रस्तर स०-18-राज्य वित्त के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या .4753002100012162 के बैंक स्टेटमेंट की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 13.11.2020 को चेक संख्या 212624 द्वारा रु0 49000.00 का भुगतान श्री हनुमंत सिंह मौर्य को नगद किया जाना अंकित है। परन्तु इसकी पुष्टि में न तो कोई प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया गया और न ही अनुदान पंजिका भाग.2 में उक्त भुगतान अंकित किया है। उल्लेखनीय है कि अनुदान पंजिका भाग.दो में सभी भुगतान अंकित किए जाते हैं। स्पष्ट है कि बिना किसी प्रमाणक के अनुदान पंजिका भाग.दो में उक्त भुगतान को अंकित किए बिना बैंक खाते से रु0 49000.00 की धनराशि आहरित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार अशोक तिवारी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री एजाज अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उच्च अधिकारियों का ध्यान इस गंभीर प्रकरण की ओर आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
49000.00	0	0	49000.00

क्षेत्र पंचायत -इटवा लेखा परीक्षा वर्ष-20-21

विकास खंड -इटवा

प्रस्तर स०-19-2020-21 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित है कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को पी एफ एम एस द्वारा भुगतान किया गया है, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थितव निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या.(1017/22.3.2020.11/2020 दिनांक 6 जून 2020) के अनुसार भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2019 में यह निर्देश है कि पंचायती राज विभाग के समस्त योजनाओं की धनराशि पी0एफ0एम0एस के माध्यम से ही व्यय की जाएगी। इस संबंध में सभी एजेन्सी एवं वेण्डर्स को पी0एफ0एम0एस पोर्टल पर रजिस्टर एवं मैप करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों एवं वेण्डर्स का भुगतान भी पी0एफ0एम0एस के माध्यम से किया जाये। परन्तु क्षेत्र पंचायत इटवा में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न भेजकर सीधे कार्यप्रभारी के खाते में किया गया है। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

क्र सं	कार्य का नाम	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम	पदनाम
1	ग्रामबहुती में राउफ के घर से राम शंकर के चक्की तक इंटरलॉकिंग	58044	श्री सुनील कुमार	सहा०वि०अधि
2	ग्राम पंचायत विरवापूर में कुतुबुल्लाह के हगर से काली जी के स्थानतक इंटरलॉकिंग	90840	श्री सुनील कुमार	सहा०वि०अधि

3	खंड विकास अधिकारी कार्यालय के मीटिंग हाल का मरम्मत	56259	श्री सुनील कुमार	सहा०वि०अधि
4	ग्राम चेचराफ बुजुर्ग में लतीफ बाबा के घर से टिक्कू के घर तक सी०सी रोड	65142	श्री सुनील कुमार	सहा०वि०अधि
5	ग्राम मल्हवार बुजुर्ग में सोनबरसा में पी०डब्लू०डी रोड से राम हरखके घर तक सी०सी कार्य	74025	श्री सुनील कुमार	सहा०वि०अधि
6	ग्राम पिरैलामें तिराहा से जवाहिर के घर तक सी०सी	71064	श्री सुनील कुमार	सहा०वि०अधि
7	ग्राम पिरैला में हदीश मिया के घर से ओम प्रकाश के घर तक सी०सी रोड	74628	श्री सुनील कुमार	सहा०वि०अधि
8	ग्राम कापिया लोहटी में प्रहलाद के घर से मंदिर तक सी०सी रोड	107601	श्री सुनील कुमार	सहा०वि०अधि
9	सहायक विकास अधिकारी आवास मरम्मत कार्य	93090	श्री सुनील कुमार	सहा०वि०अधि
10	सहायक विकास अधिकारी आवास मरम्मत कार्य	71868	श्री सुनील कुमार	सहा०वि०अधि
		762561.00		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	762561.00	762561.00

प्रस्तर सं०-20-क्षेत्र पंचायत इटवा वर्ष 20.21 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त एवं पंद्रहवा वित्त अनुदान मद से कराए गए कार्यों के लिए सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान से 2% की दर से कुल रु० 388848.00 की आयकर कटौती की गयी थी जिसमें से मात्र रु० 120203.00 की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया गया ,पेश धनराशि रु० 268645.00 लेखापरीक्षा की अवधि तक जमा नहीं कराया गया था। स्पष्ट है कि रु० 268645.00 लेखाशीर्ष में जमा न कराकर संस्था के खाते में रोककर रखी गयी है।नियमानुसार ,आयकर कटौती एवं काटी गयी धनराशि समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे स्पष्ट है कि ऐसा न करके लेखाकार एवं खण्ड विकास

अधिकार द्वारा वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	268645.00	268645.00

प्रस्तर सं०-21-जी०एस०टी प्रणाली के अंतर्गत जी०एस०टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्राधिकार विनिर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम 01.10.2018 से प्रभावी है। इसके अनुसार 2.50 लाख से अधिक की सप्लाय पर किये गए भुगतान पर 2% प्रतिशत की दर से जी०एस०टी की कटौती किया जाना अपेक्षित है। परन्तु लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कुछ बिलों से जी०एस०टी की कटौती नहीं किए जाने से रु० 4895.00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है.

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियो जना	वाउचर सं०	धनराशि	अवधारित जी०एस०टी	जी०एस०टी की कटौती	अंतर
01	मीटिंग हाल में कांफ्रेंसिंग सिस्टम	रा०वि	81/13.03.21	15000.00	300.00	00	300.00
02	विकास खंड कार्यालय में शौचालय निर्माण	के०वि	378/02.02.21	59242.00	1185.00	00	1185.00
03	बी०डी०ओ आवास में शौचालय	के०वि	18/07.01.21	33766.00	675.00	00	675.00
			17/07.01.21	49416.00	988.00	00	988.00
04	विकास खंड कार्यालय में शौचालय	के०वि	20/22.02.21	70574.00	1411.00	00	1411.00
05	चेचराफ बुजुर्ग में काली जी के स्थान से भगवानदास के घर तक नाली	रा०वि	17/27.02.21	5600.00	112.00	00	112.00
06	चेचराफ बुजुर्ग में पी०डब्लू०डी रोड से चन्द्रबलि के घर तक इंटरलाकिंग	रा०वि	18/27.02.21	5600.00	112.00	00	112.00

07	बनकटवा में पिच रोड से जुगुन के घर तक नाली	रा०वि	986@25.02.21	5600.00	12.00	00	112.00
				244798.00	4895.00	00	4895.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	4895.00	4895.00

प्रस्तर सं०-22-क्षेत्र पंचायत इटवा के वर्ष 20.21 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत खरिकवा में मंतराम के घर से हनुमान जी के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य (के०वि)की पत्रावली में रु० 101628.00 का वाउचर संलग्न किया गया है, जबकि नोट सीट में रु० 158196.00 के भुगतान के लिए संस्तुति की गयी है। पत्रावली में संलग्न वाउचर पर खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख/जे०इ के हस्ताक्षर नहीं है और न ही वाउचर को पेड एण्ड कैसिल किया गया है। माप पुस्तिका सं०.124 के पृष्ठ सं०.24 के अवलोकन में पाया गया कि मे० सुशील चन्द्र को रु० 158196.00 का भुगतान किया गया है। स्पष्ट है कि लेखाकार/ख०वि०अधि द्वारा फर्म से बिना वाउचर प्राप्त किए ही सामग्री की आपूर्ति का भुगतान किया गया है। पत्रावली में सादे वाउचर का पाया जाना से प्रमाणित करता है कि लेखाकार द्वारा सादे वाउचर रखा जा रहा है और बाद में उन्हें स्वयं भर कर पत्रावली में संलग्न किया जा रहा है। बिना वाउचर के सामग्री आपूर्ति के लिए किया गया भुगतान रु० 158196.00 की पुष्टि नहीं की जा सकती, स्पष्ट है कि ख०वि०अधि/लेखाकार द्वारा फर्म की मिलीभगत से रु० 158196.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
158196.00	0	0	158196.00

प्रस्तर सं०-23-क्षेत्र पंचायत इटवा की निर्माण पत्रावली की जांच में पाया गया है कि कतिपय कार्यों के प्राक्कलन में जितना इण्टरलाकिंग ब्रिक /पत्थर गिट्टी का प्राविधान किया गया था उससे अधिक का भुगतान कर के राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है, विवरण निम्न है।

क्र ० सं ०	कार्य का नाम	प्राक्कलन के अनुसार सामग्री एवं दर	बिल के अनुसार	अंतर की धनराशि

0 1	ग्राम बहुती में रउफ के घर से रामशंकर के चक्की तक इण्टरलाकिंग	इंटरलॉकिंग ब्रिक संख्या 12250 दर 23.60=रु. 289100.00	13678 दर 23.60=रु. 322800.00	33700.00
0 2	ग्राम विरवापुर में कुतुब्लाह के घर से काली जी के स्थान तक इण्टरलाकिंग	इंटरलॉकिंग ब्रिक संख्या 19688 दर 23.60=रु. 464636.00	21396 दर 23.60= #0 504945.00	40582.00
0 3	ग्राम चेचराफ बुजुर्ग मे लतीफ बाबा के घर से टिक्कू के घर तक सी0सी	पत्थर गिट्टी35.34घ०मी दर 4338.80=रु. 153333.00	पत्थर गिट्टी45.17 घ०मी दर 4338.8=रु. 195947.00	42614.00
0 4	चेचराफ बुजुर्ग पी0डब्लू0डी रोड से चन्द्रबली के घर तक इण्टरलाकिंग	8938दर 6.66=59527	11385दर 6.66=75824	16297.00
				133193.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	133193.00	0	133193.00

प्रस्तर सं०-24-क्षेत्र पंचायत इटवा के वर्ष 20.21 के आवास आवंटन पंजिका की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्री सत्येन्द्र कुमार कम्प्यूटर आपरेटर को टाईप.02 आवास दिनांक 01.01.2017 को रु0 450 प्रति माह की दर पर आवंटित किया गया था । किराया रजिस्टर के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से लेखापरीक्षा तिथि दिनांक 31.03.2021 तक श्री सत्येन्द्र कुमार कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा किराया मद में कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है। पटल प्रभारी द्वारा किराया रजिस्टर में मांग, वसूली एवं वसूली के पश्चात अवशेष बकाया किराया को अंकित नहीं किया गया है। किराया पंजिका निर्धारित प्रारूप पर नहीं बनाया गया है , कालम पूर्ण रूप से नहीं भरा गया है ,स्पष्ट है कि किराया पंजिका/आवास आवंटन पंजिका का रख.रखाव निम्न स्तर का है। इस प्रकार श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.03.2021 तक कुल 51 माह का किराया रु0 450 की दर से कुल रु0 22950.00 नहीं जमा किया गया है, जिससे संस्था को रु0 22950.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जिसके लिए श्री सत्येन्द्र कुमार, पटल सहायक एवं ख0वि0अधि0 संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उच्च अधिकारियों का ध्यान बकाये किराए को ब्याज सहित वसूल कराये जाने हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

0	0	22950.00	22950.00

प्रस्तर सं०-25-क्षेत्र पंचायत इटवा वर्ष 20.21 में विकास खंड के वाहन में डीजल व्यय के पुष्टि में लाग बुक के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ख०वि०अधि० द्वारा राष्ट्रीय अवकाश,राजकीय अवकाश एवं रविवार में वाहन संख्या सं० 55एटी 1246 का उपयोग नरेगा /शौचालय निरीक्षण एवं जिले पर बैठक में भाग लेने के लिए किया गया है। भ्रमण की पुष्टि में लेखापरीक्षा में निरीक्षण संबंधित रिपोर्ट/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया । यह भी उल्लेखनीय है कि 11 जूलाई 2020 से लेकर 27 मार्च 2021 तक कुल 258 दिवस होते हैं और वाहन का प्रयोग भी 258 दिन लगातार किया गया है। राष्ट्रीय अवकाश,राजकीय अवकाश एवं प्रत्येक रविवारीय अवकाश को नरेगा/शौचालय/अन्य कार्य का निरीक्षण /मीटींग में भाग लेना इस ओर इंगित करता है कि लाग बुक में फर्जी प्रविष्टिया कर योजनाबद्ध तरीके से राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। इस गंभीर तथ्य की ओर उच्चअधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कार्यवाही अपेक्षित है ,विवरण निम्न है.

क्र०सं०	दिनांक	कि०मी०	जाने का स्थान	जाने का कारण	अभ्युक्ति
1	12.07.20	100	इटवा से औरहवा मदरहवा ,तेनुआ इटवा वापस	नरेगा का कार्य देखने	रविवार
2	19.07.20	145	इटवा से बैरहवा से लमुईया विस्कोहर वापस इटवा	नरेगा एवं आवास देखने	रविवार
3	26.07.20	120	इटवा से कठेला जनुबी से सोनबरसा ,खडसरी वापस इटवा	नरेगा एवं आवास देखने	रविवार
4	02.08.20	140	इटवा से सिद्धार्थनगर	बैठक में भाग लेने	रविवार
5	03.08.20	140	इटवा से खडसरी से गोनरा से कठेला वापस इटवा	नरेगा कार्य देखने	रक्षाबंधन
6	09.08.20	170	इटवा से कठेला जनुबी , चचराफ तेनुआ वापस इटवा	नरेगा कार्य देखने	रविवार
7	12.08.20	145	इटवा से कठेला शर्की ,बजराभारी ,तेनुआ वापस इटवा	आवास देखने	जन्माष्टमी का राज० अवकाश
8	15.08.20	130	इटवा से खरदेउरी कठेला शर्की,मेहदानी वापस इटवा	नरेगा कार्य देखने	स्वतंत्रता दिवस

9	16.08.20	160	इटवा से सिद्धार्थनगर वापस इटवा	बैठक में भाग लेने	रविवार
10	23.08.20	138	इटवा से औरहवा ,मदरहवा वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	रविवार
11	30.08.20	150	इटवा से बैरहवा छगड़िहवा वापस इटवा	नरेगा एवं पौचालय देखने	मोहर्रम का अवकाष
12	06.09.20	140	इटवा से कठेला गर्वी ,औरहवा वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	रविवार
13	13.09.20	130	आवास देखने परियोजना निदेशक के कहने पर (स्थान विवरण अंकित नहीं है)	कार्य देखने	रविवार
14	20.09.20	130	इटवा से समरी ,वापस इटवा	बैठक में भाग लेने	रविवार
15	27.09.20	130	इटवा से कठेला कोठी ,तेनुआ वापस इटवा	आवास देखने	रविवार
16	02.10.20	130	इटवा से औरहवा मदरहवा खडसरी वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	गांधी जयंती
17	04.10.20	130	इटवा से बबुरहवा ,जिगिना ,बजराभारी वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	रविवार
18	11.10.20	140	इटवा से औरहवा ,तेनुआ ,खडसरी वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	रविवार
19	24.10.20	150	इटवा से बजराभारी औरहवा वापस इटवा	नरेगा एवं पौचालय देखने	महानवमी का राज0 अवकाश
20	25.10.20	140	इटवा से सोनबरसा ,परसोहन ,बिस्कोहर वानस इटवा	नरेगा एवं पौचालय का कार्य देखने	विजयदशमी का राज0 अव0
21	30.10.20	130	इटवा से कठेला कोठी ,वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	बरावफात का राजकीय अवकाष
22	01.11.20	140	इटवा से सिद्धार्थनगर पुनः वापस इटवा	बैठक में भाग लेने	रविवार
23	08.11.20	150	इटवा से कठेला षर्की ,सोनबरसा ,तेनुआ वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	रविवार

24	14.11.20	140	इटवा से सिद्धाथनगर वापस इटवा	बैठक मेंभाग लेने	छीपावली का अवकाष
25	15.11.20	40	इटवा से वन्दुआरी ,कठेला कोठी वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	गोवर्धन पुजा का अवकाष
26	16.11.20	40	इटवा से जिगिना षुक्ल से गनवरिया वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	भैया दूज का अवकाष
27	22.11.20	140	इटवा से धोबहा ,गौरडीह,सिहुनिया वापस इटवा	नरेगा और शौचालय का कार्य देखने	रविवार
28	17.11.20	300	इटवा से लखनऊ	अंकित नहीं	
29	18.11.20	300	लखनऊ से इटवा	अंकित नहीं	
30	29.11.20	140	इटवा से औरहवा मदरहवा कठेला वापस इटवा	नरेगा एवं स्कूल देखने	रविवार
31	30.11.20	160	इटवा से इमिलिया परसोहन विस्कोहर वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	कार्तिक पूर्णिमा का राज0 अव0
32	06.12.20	140	इटवा से तिघरा मटेसर वापस इटवा	नरेगा और शौचालय देखने	रविवार
33	13.12.20	130	इटवा से खुनियावं पैदा पचमोहनी भिटिया वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	रविवार
34	20.12.20	140	इटवा से गोरडीह चूहीग्रान्ट खडसरी वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	रविवार
35	25.12.20	180	इटवा से धोबहा गौरडीह वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	क्रिसमस डे का राजकीय अवकाष
36	27.12.20	160	इटवा से बसंतपुर लमुड़या बैरिहवा वापस इटवा	शौचालय देखने	रविवार
37	03.01.21	120	इटवा से धन्धरात्रिलोकपुरबहुती वापस इटवा	अंकित नहीं	रविवार
38	10.01.21	150	इटवा से खुनियावं गौरा पैदानानकार मटेसर नानकार	अंकित नहीं	रविवार

39	17.01.21	140	इटवा से खुनियावं धोबहा वापस इटवा	नरेगा का कार्य देखने	रविवार
40	24.01.21	150	इटवा से कठेला शर्की वापस इटवा	अंकित नहीं	रविवार
41	26.01.21	130	इटवा से बगुलहवा ग्रान्ट गौरा वापस इटवा	अंकित नहीं	गणतंत्र दिवस
42	31.01.21	140	इटवा से सिहोरवा तिवारी खुखुरीसेहरी जनिचौरा वापस इटवा	अंकित नहीं	रविवार
43	07.02.21	160	इटवा से मंदरहवा कठेला शर्की ,कडजहवा वापस इटवा	अंकित नहीं	रविवार
44	14.02.21	160	इटवा से सेहरी ,खुखुरी वापस इटवा	अंकित नहीं	रविवार
45	21.02.21	170	इटवा से सकतपुर खरिकवासोननगरमूसा वापस इटवा	अंकित नहीं	रविवार
46	26.02.21	120	इटवा से तेनुआ मंदरहवा औरहवा वापस इटवा	अंकित नहीं	मे0 हजरत अली का जन्मदिवस
47	28.02.21	100	इटवा से कठेला शर्की वापस इटवा	अंकित नहीं	रविवार
48	07.03.21	140	इटवा से लमुईया से बसंतपुर इमिलिया वापस इटवा	कोविड का टीका लगवाने	रविवार
49	11.03.21	110	इटवा से सिद्धार्थनगर वापस इटवा	बैठक में भाग लेने	महाशिवरात्रि का अवकाश
50	14.03.21	120	इटवा से सिद्धार्थनगर वापस इटवा	बैठक में भाग लेने	रविवार
51	21.03.21	110	इटवा से धोबहा वापस इटवा	कोविड का दौरा	रविवार

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि राजकीय अवकाश/राष्ट्रीय अवकाश/रविवार के दिनों में कुल 7208 कि०मी का दौरा दर्शाया गया है ,जो कि संदिग्ध प्रतीत होता है।लाग बुक के अनुसार वाहन का माइलेज 10 मि०मी प्रति लीटर है , इस हिसाब से कुल 720.8 लीटर का डीजल क्रय किया गया है ।यदि डीजल का मूल्य 80 प्रति लीटर की दर से माना जाय तो कुल रु0 57664.00 का (80x720.8=57664.00) व्यय दर्शाकर ख०वि०अधि० द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है ,जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

57664.00	0	0	57664.00

प्रस्तर सं०-26-पंद्रहवा विता योजना से कराए गए कार्य मुड़िलाशिवदत्त में रामचन्द्र के घर से छेदी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि परियोजना पर मजदूरी पर रु0 59220.0 का व्यय किया गया है परन्तु परियोजना पर सामग्री पर व्यय नहीं किया गया है। सामग्री पर व्यय किए बिना मजदूरी पर किए गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः संस्था द्वारा रु0 59220.00 कादुरुपयोग किया गया है जिसके लिए ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली संबंधित से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	59220.00	0	59220.00

प्रस्तर सं०-27-क्षेत्र पंचायत इटवा वर्ष 20.21 में राज्य वित्त परियोजना मद से कराए गए कार्य “ककरही मे पी0डब्लू0डी से सई0 मो0 के घर तक सी0सी रोड “की पत्रावली में संलग्न मस्टररोल की जांच में पाया गया कि सुन्दरी पत्नी गिरधारी द्वारा दिनांक 01.03.2021 से 03.03.21 तक मात्र दो दिन कार्य किया गया है ,जिस हेतु 201 रु0 प्रति दिन के दर से कुल 402 रु0 मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए था ,परन्तु मजदूरी का भुगतान कुल रु0 5025.00 किया गया है। इस प्रकार कुल रु0 4623.00 का अधिक भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है ,जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
4623.00	0	0	4623.00

05. क्षेत्र पंचायत -बर्डपुर लेखा परीक्षा वर्ष-19-20 से 20-21 विकास खंड -बर्डपुर

प्रस्तर सं०-28-लेखा परीक्षा वर्ष 2019.20 में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में संलग्न म0रो0 की जांच में निम्न विवरणानुसार पत्रावली में संलग्नक मस्टररोल पर क्रमांक दर्ज नहीं पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रयुक्त म0रो0 विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं किए गए। निर्धारित व्यवस्थानुसार वि0ख0 कार्यालय में म0रो0 की स्टॉक पंजिका रखी जानी चाहिए एवं आवश्यकता के अनुरूप कार्यप्रभारी की माँग पर क्रमवार निर्गत किया जाना चाहिए, जिसका लेखा वि0ख0 कार्यालय में भी होनी चाहिए। देय मजदूरी के भुगतान से संबंधित चेक का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। संलग्नक प्रारूप.04 के अनुसार भुगतान की स्थिति निम्नवत् रही.

क्र० स	मस्टर रोल का क्रमांक	कार्य का नाम	अवधि	मजदूरों की संख्या	धनराशि	मोड़ ऑफ पयेमेंट			भुगतान प्राप्तकर्ता	
						नगद	चेक न0	दिनांक	नाम	पदनाम
1	.	विकास खण्ड कार्यालय में वायरिंगपंखा आदि लगाने का कार्य	7.3.19 से 13.3.19	16	24850		098748	26.4.19	श्री विजय कुमार मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस०बी

2	.	विकास खण्ड कार्यालय में भवनों की रंगाई पुताई	1.1.20 से 17.1.20	43	172050		124409	20.1.20	अम्बरीश यादव	ऐंडी०ओ० सहकारिता
3	.	विकास खण्ड कालानी में बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य	1.1.20 से 10.1.20	6	12600		124412	20.1.20	श्री विजय कुमार मिश्र	ऐंडी०ओ० आई०एस० बी
4	.	बर्डपुर नं० 7 टोला बेलौही में मुनीब के घर से मुईल के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य	1.1.20 से 5.1.20	13	41991		124415	20.1.20	श्री विजय कुमार मिश्र	ऐंडी०ओ० आई०एस० बी
5	.	दीपक वर्मा के घर से मन्दिर तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण	6.1.20 से 5.1.20	8	17328		124418	20.1.20	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐंडी०ओ० कृषि
6	.	नोनहवा पक्की सडक से घोघिहवा पुलिया तक खडजा मरम्मत	1.2.20 से 13.2.20	35	92846		124421	19.2.20	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐंडी०ओ० कृषि
			कुल योग.		361665					

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	361665.00	361665.00

प्रस्तर सं०-29-आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194सी० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 के सेक्शन 51 के अंतर्गत राज्य वित्तियोजना अंतर्गत निम्न विवरणानुसार आयकर एवं जी०एस०टी० की कटौती की गई है.

क्र० सं०	परियोजनाका नाम	फर्मको देय धनराशि	2 प्रतिशत की दर से देय आयकर	2.24 प्रतिशत की दर से की गई कटौती.	2 प्रतिशत की दर से देय जी०एस०टी०	2 प्रतिशत की दर से की गई जी०एस०टी० की कटौती.	आयकर की कम कटौती की धनराशि	जी०एस०टी० की कम कटौती की धनराशि
1	विकास खण्ड कार्यालय में वायरिंग, पंखा आदि लगाने का कार्य	64666	1293.32	1449	1293	0	0	1293

2	विकास खण्ड कार्यालय में भवनों की रंगाईपुताई	101125		2265		2022		
			2022.5		2023		0	1
		224130	4482.6	5021	4483	4482	0	1
3	विकास खण्ड कालानी में बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य	16380		367		0		
			327.6		328		0	328
		11340	226.8	254	227	0	0	227
		12532	250.64	281	251	0	0	251
		19374	387.48	434	387	0	0	387
4	बर्डपुर नं0 7 टोला बेलौही में मुनीब के घर से मुईल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य	64995		1456		1300		
			1299.9		1300		0	0
		42000	840	941	840	840	0	0
		79628	1592.56	1784	1593	1592	0	1
		122445	2448.9	2743	2449	2448	0	1
5	दीपक वर्मा के घर से मन्दिर तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण	52357		1173		0		
			1047.14		1047		0	1047
		94275	1885.5	2117	1886	0	0	1886
		26439	528.78	592	529	0	0	529
		46777	935.54	1048	936	0	0	936
6	नोनहवा पक्की सडक से घोघिहवा पुलिया तक खडंजा मरम्मत	151200		3387		3024		
			3024		3024		0	0
		1129663	22593.26	25312	22596	15708	0	6888

(अ)-विवरण से स्पष्ट है कि राज्या वित्ता योजनान्तर्गत कराये गए निर्माण कार्य के सापेक्ष फर्म के बिलों से कुल ₹० 25312.00 आयकर की कटौती गई है।। आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत से की गई हैजबकि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194सी० के अंतर्गत वर्ष 20.21 में कोई सरचार्ज नहीं था। लेखा परीक्षा में उक्त। कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा करने का चालान प्रस्तुत नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि आयकर की कटौती की धनराशि जमा कर संबंधित फर्म को प्रमाण पत्र देने का प्राविधान है। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	25312.00	25312.00

(ब).उपरोक्त सारणी में संस्था द्वारा कटौती की गई जी0एस0टी0 की धनराशि एवं लेखा परीक्षा में 2 प्रतिशत की दर से आगणित जी0एस0टी0 की धनराशि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 19.20 में निर्धारित दर से कुल देय जी0एस0टी0 की धनराशि कुल रू0 22596. है जबकि संस्था द्वारा इस मद में कुल कटौती रू0 15708.00 किया गया है। इस प्रकार प्राप्त बिलों के सापेक्ष कुल रू0(22596.15708) 6888.00 कम जी0एस0टी0 कि कटौती की गयी है। कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	6888.00	6888.00

(स).कटौती गई की जी0एस0टी0 की कुल धनराशि रू0 15708 .00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराया गया था। इस संबंध में भारत सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र सं0.65/39/2018.डी0ओ0आर0ए0 एफ0एल0ओ.एस0.एस0टी0.में.2, दि0 14 सितम्बर 2018 में निहित प्राविधान तथा डी0डी0ओ द्वारा जी0एस0टी0आर0.7 दाखिल करने के प्रति क्षेत्र प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता इससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस हेतु तत्कालीन ख0वि0अ0 व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कर चालान से पुष्टि कराये जाने हेतु संस्था का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	15708.00	15708.00

प्रस्तर सं-30-वर्ष 20-21 में रांवि० योजनान्तर्गत कराये गए निर्माण कार्य के सापेक्ष पत्रावली में संलग्नक मं०रो० की जांच –

राज्य वित्त मद से वर्ष 20.21 निम्नलिखित विवरण के अनुसार मजदूरी पर ब्यय किया गया है .

क्र०स	म स्टर रोल का क्र मां क	कार्य का नाम	अवधि	मजदू रों की संख्या	धनराशि	मोड ऑफ पेमेंट			भुगतान प्राप्तकर्ता	
						न ग द	चेक न०	दिनांक	नाम	पदनाम
1	::	नोनहवा पक्की सडक से धोबिहवा पुलिया तक मि०/ख० कार्य (रा०वि०)	22.4.20 से 5.5.20	58	86478		1244 26	11.5.20	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ० कृषि
2	::	बर्डपुर 09 हथिहवा गाव में जीत बहादुर के घर से बाबूराम के घर से सी०सी० रोड/इण्टरलार्किंग कार्य (रा०वि०)	22.4.20 से 30.4.20	11	3031			11.5.20	श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० वी

3	::	विकास खंड कार्यालय परिसर में स्थित दुग्धशाला कक्ष का मरम्मत एवं रंगाई पुताई (रा0वि0)	10.5.20से31.5.20	8	43032		पी एफ एम एस		श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० बी
	::	बर्डपुर 04 रामाशंकर के घर से मां0 जीमल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (रा0वि0)	1.6.20से22.6.20	14	77028		पी एफ एम एस	3.12.20	श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० बी
	::	बेलौही मेन सडक से बजीजुदीन के घर तक सी0सी0 रोड नाली नि0 कार्य (रा0वि0)	1.7.20से30.7.20	5	51000		पी एफ एम एस		श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० बी
4	::	नोनहवा पक्की सडक से धोविहवा पुलिया तक मि0/ख0 कार्य (रा0वि0)	10.5.20से31.5.20	16	81669		1244 65	19.8.20	श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० बी
5	::	बर्डपुर 09 हथिहवा गाव में जीत बहादुर के घर से बाबूराम के घर से सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग कार्य (रा0वि0)	4.5.20से15.5.20	10	30384		1244 54	3.7.20	श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० बी
	::		9.6.20से18.6.20	13	28203		1244 54	3.7.20	श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० बी
6	::	बडपुर 07 धर्मपुर में विवेक के घर से विजय के घर तक इण्टर0/नाली कार्य (रा0वि0)	1.5.20से7.5.20	18	28578		1244 38	11.5.20	श्री अम्बरीश यादव	ऐ०डी०ओ० सहकारिता
7	::	बडपुर 07 पंडितपुर गाँव में पिन्टू के घर से पिचरोड तक सी0सी0 कार्य (रा0वि0)	4.5.20से13.5.20	19	45150		1244 61	3.7.20	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ० कृषि
	::		10.6.20से17.6.20	10	17457		1244 61	3.7.20	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ० कृषि
8	::	विकास खण्ड कार्यालय में शौचालय नि0 (रा0वि0)	1.5.20से3.5.20	5	3657		1244 45	11.5.20	श्री अम्बरीश यादव	ऐ०डी०ओ० सहकारिता

9	::	बर्डपुर 10 पी0डब्लू0डी0कृषि बीज भण्डार तक मि0/ख0 कार्य (रा0वि0)	24.4.2 0से30. 4.20	16	14349		1444 48	3.7.20	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ ०कृषि
1 0	::	पकडी/ मुडीला में गौरी पूरब में नेपाल बाडर से गौरी पुलिया तक इण्टरलाकिंग (रा0वि0)	2.6.20 से15.6. 20	17	56082		1244 51	3.7.20	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ ०कृषि
1 1	::	पंडितपुर गाव में सतीष के घर से जनक लाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण (रा0वि0)	5.5.20 से14.5. 20	21	50910		1244 58	3.7.20	श्री अम्बरीश यादव	ऐ०डी०ओ ० सहकारिता
	::		12.6.2 0से19. 6.20	13	24276		1244 58	3.7.20	श्री अम्बरीश यादव	ऐ०डी०ओ ० सहकारिता
1 2	::	गैजड.तीरथ के घर से नरेन्द्र चौधरी के घर तक सी0सी0/नाली निर्माण(रा0वि0)		8	51753		पी एफ एम एस	16.12. 20	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ ०कृषि
1 3	::	बर्डपुर 04 रामकुमार के घर से सी0सी0 रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण (रा0वि0)	25.8.2 0से23. 8.20	8	11736		पी एफ एम एस	15.3.2 1	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ ०कृषि
	::		1.11.2 0से14.1 1.20	9	26154		पी एफ एम एस	15.3.2 1	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ ०कृषि
1 4	::	विकास खंड परिसर में निर्मित पुराने शौचालय का मरम्मत(रा0वि0)	25.10. 20से29 .10.20	6	7569		पी एफ एम एस	15.12. 20	mes'k pUnz jk;	ofj0 lgk;d
1 5	::	रमबापुर में नतिहर के घर से गढे तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण(रा0वि0)	1.11.2 0से28. 11.20	10	64215		पी एफ एम एस	16.12. 20	श्री अम्बरीश यादव	ऐ०डी०ओ ० सहकारिता
1 6	::	पकडी उर्फ मुडीला मे पष्चिम पोखरे से अ0 मोबिन के घर तक पक्की नाली नि0	4.11.2 0से18.1 1.20	23	75777		पी एफ एम एस	18.12. 20	श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ ० आई०एस० वी

17	::	परसपुर में इन्द्रजीत के घर से राजेन्द्र के घर तक सी0सी0 कार्य (रा0वि0)	1.11.20से30.11.20	9	69930		पी एफ एम एस	31.12.20	श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० वी
18	::	महुअवा शेख म गोविन्द के घर होते हुए भगत के घर तक नाली निर्माण(रा0वि0)	23.10.20से31.10.20	12	24840		पी एफ एम एस	31.1.21	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ० कृषि
	::		3.12.20से11.12.20	12	23232		पी एफ एम एस	31.1.21	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ० कृषि
19	::	खण्ड विकास अधिकारी के आवास की रंगाई पुताई(रा0वि0)	1.12.20से12.12.20	11	43035		पी एफ एम एस	31.12.20	mes'k pUnz jk;	ofj0 lgk;d
20	::	कपिलवस्तु थाने में टाईल्स कार्य (रा0वि0)	2.12.20से15.12.20	13	46250		पी एफ एम एस	14.1.21	श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० वी
21	::	बर्डपुर 07 परसपुर में पुलिया से चन्द्रजीत के घर तक सी0सी0 कार्य (रा0वि0)	3.12.20से9.12.20	12	19533		पी एफ एम एस	14.1.21	श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० वी
22	::	बर्डपुर 06 टोला गोनहवा राजेन्द्र के घर से मनोज के घर तक सी0सी0रोड कार्य(रा0वि0)	3.12.20से12.12.20	9	20565		पी एफ एम एस	20.2.21	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ० कृषि
23	::	विकास खण्ड कार्यालय में सीमेंट बेंच लगाने का कार्य(रा0वि0)			0					
24	::	बर्डपुर 10 घोसवा में गुलाब के घर से बरम बाबा के स्थान तक इण्टरलाकिंग(रा0वि0)	10.2.21से19.2.21	12	28737		पी एफ एम एस	15.3.21	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ० कृषि
25	::	बर्डपुर 07 रामबचन तेली के घर के पीछे से अजय के	1.2.21से14.2.21	16	50925		पी एफ	15.3.21	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ० कृषि

		घर तक सी0सी0 रोड कार्य(रा0वि0)					एम एस			
26	::	विकास खण्ड कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष का छत मरममत एवं केबिन कार्य (रा0वि0)	24.4.20से28.4.20	8	9846		पी एफ एम एस	16.3.21	श्री अम्बरीश यादव	ऐ०डी०ओ० सहकारिता
27	::	विकास खण्ड कार्यालय में मेन गेट का उद्घीकरण एवं सी0सी0 निर्माण(रा0वि0)	3.1.21से16.1.21	23	76725		पी एफ एम एस	15.3.21	उमेश चन्द्र राय	वरि०सहायक
28	::	बर्डपुर 07 सिरसिया गा०व के पश्चिम नाले पर पुलिया निर्माण(रा0वि0)	2.2.21से27.2.21	30	134583		पी एफ एम एस	16.3.21	श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० वी
29	::	सिरसिया में अवध राम के घर से राज कुमार के घर तक सी0सी0 /नाली नि0 (रा0वि0)	1.2.21से14.2.21	13	38841		पी एफ एम एस	15.3.21	श्री रमाकांत कुशवाहा	ऐ०डी०ओ० कृषि
30	::	बर्डपुर 06तिवारीपुर में कन्हैया के घर से राजमन के घर तक इण्टर0/नाली नि0	8.2.21से21.2.21	27	84315		पी एफ एम एस	16.3.21	श्री विजय मिश्र	ऐ०डी०ओ० आई०एस० वी
	योग				1549845					

उपरोक्त भुगतान की जांच में लेखा परीक्षा में निम्न विसंगतियां प्रकाश में आयी.

(क) रा०वि० मद से देय श्रमांश की कुल धनराशि रु० 1549845.00 का भुगतान मजदूरों के खातें न करचेक/ पी०एफ०एम०एस० से कार्य प्रभारी के खातें में किया गया है तथा निर्गत चेक का भुगतान भी कार्य प्रभारी द्वारा लिया गया है, जो नियम विरुद्ध है। लेखा परीक्षा इस तथ्य से अवगत नहीं हो सका कि कार्य प्रभारी द्वारा श्रमिकों के देय श्रमांश का भुगतान कब और किस प्रकार किया गया। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन लेखाकार, कार्यप्रभारी व ख०वि०अ० है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) किसी भी म०रो० पर क्रमांक दर्ज नहीं किया गया है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	1549845.00	1549845.00

प्रस्तर स०-31-15 वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के आलोक में अपर मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०.1817/33.3.2020.33/2020 दि० 24 जुलाई 2020 धनराशि के उपभोग के लिए निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा.6.5 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्य के सापेक्ष किये जाने वाले

भुगतान(यथा वेडर व श्रमिकों का भुगतान)सीधे उनके बैंक खातों में ई.ग्रामस्वगराज.पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जाएगा।लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्देशों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य के सापेक्ष श्रमांश मद की धनराशि संबंधित श्रमिकों के खातों में न कर अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते में किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है.

क्र०स	मस्टर रोल का क्र०स०	कार्य का नाम	अवधि	मजदूरी की सं०	धनराशि	मोड ऑफ़ पेमेंट			भुगतान प्राप्तकर्ता	
						न ग द	चेक न०	दिनांक	नाम	प द नाम
01	.	बर्डपुर 07 धरमपुर में अब्दुल रहमान के घर से पाला तक नाली निर्माण (के०वि०)	1.12.20से14.12.20	17	56175		पी एफ एम एस	24.1.21	राम सेवक	
02	.	बर्डपुर 07 रमवापुर में चन्द्रभूषण के घर से नतिहर के घर तक नाला नि०(के०वि०)	1.12.20से18.12.20	24	104820		पी एफ एम एस	24.1.21	राजकुमार चौधरी	
03	.	बर्डपुर 07 तेनुहा गाँव में गौकरन के घर से प० सलीम के घर तक सी०सी०/नाली नि०	5.12.20से18.12.20	15	49116		पी एफ एम एस	24.1.21	अनिल कुमार चौधरी	
	.		25.10.20से31.10.20	13	21945		पी एफ एम एस	24.1.21	अनिल कुमार चौधरी	
04	.	बर्डपुर 07 रमवापुर में गडे से गोरख यादव के घर तक सी०सी०/नाली नि०	25.10.20से31.10.20	8	13692		पी एफ एम एस	24.1.21	राजकुमार चौधरी	
	.		21.11.20से30.11.20	12	26796		पी एफ एम एस	24.1.21	राजकुमार चौधरी	
5	.	बर्डपुर 07 मजिगवा में राममिलन के घर से चुन्नीलाल के घर तक सी०सी० रोड नि०	25.10.20से31.10.20	8	13692		पी एफ एम एस	24.1.21	अनिल कुमार चौधरी	
	.		17.11.20से30.11.20	9	29796		पी एफ एम एस	24.1.21	अनिल कुमार चौधरी	
6	.	मजिगवा में नन्दलाल के घर से चौधरी के घर तक सी०सी० रोड नि०	19.11.20से30.11.20	9	26688		पी एफ एम एस	24.1.21	राम सेवक	
	.		25.10.20से31.10.20	8	13692		पी एफ एम एस	24.1.21	राम सेवक	
7	.	मजिगवा में कन्हैया के घर से माखन पासवान के घर तक सी०सी० रोड नि०	25.10.20से31.10.20	8	13690		पी एफ एम एस	24.1.21	राजकुमार चौधरी	
	.		23.11.2से30.11.20	7	12648		पी एफ एम एस	24.1.21	राजकुमार चौधरी	

8	.	रमवापुर में नतिहर के घर से गढ़े तक नाली निर्माण	2.12.20से14.12.20	11	35076		पी एफ एम एस	24.1.21	राजकुमार चौधरी	
9	.	श्री बेलवा गाँव में पक्की नाली निर्माण	3.12.20से16.12.20	17	57207		पी एफ एम एस	24.1.21	अनिल कुमार चौधरी	
10	.	एन0एच0 रोड से घोसवा गांव में इण्डरलाकिंग कार्य	3.12.20से20.12.20	19	78657		पी एफ एम एस	28.2.21	राजकुमार चौधरी	
11	.	दुलहादरम्यानी के टोला महलिया में नारायन के घर से अयोध्या के घर तक इण्डरलाकिंग/नाली नि0 कार्य	3.1.21से16.1.21	18	58185		पी एफ एम एस	28.2.21	राजकुमार चौधरी	
12	.	सिरसिहवा में राकेप के घर से सी0सी0 रोड तक सी0सी0/नाली नि0	1.2.21से14.2.21	11	34821		पी एफ एम एस	12.3.26	राजकुमार चौधरी	
13	.	बर्डपुर 07 सिरसिहवा में गणेश के घर से सी0सी0 रोड तक सी0सी0 नाली निर्माण	1.2.21से14.2.21		32409		पी एफ एम एस	12.3.21	अनिल कुमार चौधरी	
14	.	बर्डपुर 07 तेनुहा में जनार्दन के घर से रामसेवक के घर तक सी0सी0/नाली नि0	4.1.21से17.1.21	23	73683		पी एफ एम एस	12.3.21	राजकुमार चौधरी	
15	.	महुआ में गोविन्द के घर से गढ़े तक नाली नि0	1.12.20से14.12.20	17	55170		पी एफ एम एस	12.3.21	राजकुमार चौधरी	
16	.	मजिगवा में त्रियोगी चौधरी के घर से गढ़े तक नाली नि0	3.1.21से16.1.21	10	33414		पी एफ एम एस	12.3.21	राजकुमार चौधरी	
17	.	पिपरसन में टोला देवियापुर में नाली नि0	1.2.21से14.2.21	22	69843		पी एफ एम एस	14.3.21	अनिल कुमार चौधरी	
18	.	बर्डपुर 07 महुआ में सलीम के घर से गढ़े तक नाली नि0	1.2.21से14.2.21		75270		पी एफ एम एस	14.3.21	राजकुमार चौधरी	
19	.	टोला सिरसिहवा में धनेसर गुप्ता के घर से गोली के घर तक सी0सी0/नाली नि0	1.2.21से10.2.21	8	18354		पी एफ एम एस	14.3.21	राजकुमार चौधरी	
20	.	सिरसिया में कृष्णा के घर से मिस्त्री के घर तक सी0सी0 रोड कार्य	5.1.21से18.1.21	20	64215		पी एफ एम एस	14.3.21	राजकुमार चौधरी	

21	.	बेलौही मेंबुखानी के घर से वजीउद्दीन के घर तक नाली नि०	1.2.21से11.2.21	8	20712		पी एफ एम एस	10.3.21	राजकुमार चौधरी	
22	.	बर्डपुर 02 चन्द्रभान के घर से इटौवा गाँव तक सी०सी० नि० कार्य	23.10.20से 31.10.20	8	17604		पी एफ एम एस	24.1.21	राम सेवक	
	.		2811.20से30.11.20	9	6471		पी एफ एम एस	24.1.21	राम सेवक	
23	.	बर्डपुर 07 तेनुहवा में नजीर के घर से होते हुए सहदेव के घर तक सी०सी० रोड/नाली नि०	5.1.21से8.1.21	16	49719		पी एफ एम एस	14.3.21	राजकुमार चौधरी	
	योग				1163560					

विवरण से स्पष्ट है कि 15 वां वित्तत योजनान्तर्गत कुल 23 परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रू० 1163560.00 का भुगतान योजना के गार्डलाईस के विपरीत मजदूरों के खाते में न कर के अन्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत खातों में किया गया है। संबंधित पत्रावली की जांच में लेखा परीक्षा में इस तथ्य का निर्धारण नहीं हो सका कि कब और कितनी मात्रा में तथा किस तरीके से श्रमांश की उक्त धनराशि को संबंधित श्रमिकों को भुगतान किया गया। योजना के गार्ड लाईन के विपरीत भुगतान अनियमित पाया गया जिसके लिए संबंधित लेखाकार और खंड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	1163560.00	1163560.00

प्रस्तर स०-32 आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194सी० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 के सेक्शन 51 के अंतर्गत राज्य वित्त योजना अंतर्गत निम्ना विवरणानुसार आयकर एवं जी०एस०टी० की कटौती की गई है।

क्र० सं०	परियोजनाका नाम	फर्म को देय धनराशि	2 प्रतिशत की दर से देय आयकर	2.24 प्रतिशत की दर से की गई कटौती.	2 प्रतिशत की दर से देय जी०एस०टी०	2 प्रतिशत की दर से की गई जी०एस०टी० की कटौती.	आयकर की कम कटौती की धनराशि	जी०एस०टी० की कम कटौती की धनराशि
1	नोनहवा पक्की सड़क से धोबिहवा पुलिया तक मि०/ख० कार्य (रा०वि०)	64575	1292	1446	1292	1292	0	0

2	बर्डपुर 09 हथिहवा गाँव में जीत बहादुर के घर से बाबुराम के घर से सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग कार्य (रा0वि0)	24990	500	560	500	500	0	0
		212370	4247	4757	4247	4248	0	0
3	विकास खंड कार्यालय परिसर में स्थित दुग्धघाला कक्ष का मरम्मत एवं रंगाई पुताई (रा0वि0)	38430	769	861	769	768	0	1
		70156	1403	1571	1403	1404	0	0
		18400	368	412	368	368	0	0
		18428	369	413	369	368	0	1
		353164	7063	7911	7063	7064	0	0
4	बर्डपुर 04 रामाषंकर के घर से मां0 जीमल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (रा0वि0)	283504	5670	6350	5670	5670	0	0
		94500	1890	2117	1890	1890	0	0
		152500	3050	3416	3050	3050	0	0
		84399	1688	1891	1688	1688	0	0
5	बेलौही मेन सडक से वजीरुद्दीन के घर तक सी0सी0 रोड नाली नि0 कार्य (रा0वि0)	119700	2394	2681	2394	2394	0	0
		226524	4530	5074	4530	4530	0	0
		40854	817	915	817	818	0	0
		12568	251	282	251	252	0	0
6	बड़पुर 07 धर्मपुर में विवेक के घर से विजय के घर तक इण्टर0/नाली कार्य (रा0वि0)	70770	1415	1585	1415	1416	0	0
		170619	3412	3822	3412	3412	0	0
7	बड़पुर 07 पंडितपुर गाँव में पिन्डू के घर से पिचरोड तक सी0सी0 कार्य (रा0वि0)	81900	1638	1835	1638	1638	0	0
		195303	3906	4375	3906	3906	0	0
		24851	497	557	497	498	0	0
		167388	3348	3749	3348	3348	0	0
8	विकास खण्ड कार्यालय में शौचालय नि0 (रा0वि0))	17903	358	401	358	0	0	358
		5355	107	120	107	0	0	107
9	बर्डपुर 10 पी0डब्लू0डी0 कृषि बीज भण्डार तक मि0/ख0 कार्य (रा0वि0)	76126	1523	1705	1523	0	0	1523
		320886	6418	7188	6418	6418	0	0

10	पकडी/मुडिला में गौरीपुरब में नेपाल बार्डर से गौरी पुलिया तक इंटरलाकिंग	120960		2710		2420		
			2419		2419		0	0
11	पंडितपुर गाँव में सतीष के घर से जनक लाल के घर तक सी0सी0 रोडनिर्माण (रा0वि0)	107100	2142	2399	2142	2142	0	0
		280868	5617	6291	5617	5618	0	0
		51769	1035	1160	1035	1036	0	0
		158159		3543		3164		
			3163		3163		0	0
12	गैजड.तीरथ के घर से नरेन्द्र चौधरी के घर तक सी0सी/नाली निर्माण(रा0वि0)	102520	2050	2296	2050	2050	0	0
		229371	4587	5138	4587	4588	0	0
		14471	289	324	289	290	0	0
		132332		2964		2646		
			2647		2647		0	1
13	बर्डपुर 04 रामकुमार के घर से सी0सी0 रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण (रा0वि0)	84090	1682	1884	1682	1682	0	0
		190518		4268		3810		
			3810		3810		0	0
14	विकास खंड परिसर में निर्मित पुराने पौचालय का मरम्मत(रा0वि0)	2940	59	66	59	0	0	59
		118644		2658		0		
			2373		2373		0	2373
15	रमवापुर में नतिहर के घर से गढ़े तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण(रा0वि0)	134884	2698	3021	2698	2698	0	0
		196789	3936	4408	3936	3936	0	0
		22661	453	508	453	454	0	0
		125756	2515	2817	2515	2516	0	0
16	पकडी उर्फ मुडिला मे पश्चिम पोखरे से अ0 मोबिन के घर तक पक्की नाली नि0	236409	4728	5296	4728	4728	0	0
		230330		5159		4606		
			4607		4607		0	1
17	परसपुर में इन्द्रजीत के घर से राजेन्द्र के घर तक सी0सी0 कार्य (रा0वि0)	95115	1902	2131	1902	1902	0	0
		290322	5806	6503	5806	5806	0	0
		28264	565	633	565	566	0	0
		219157	4383	4909	4383	4384	0	0
18	महुअवा शेख में गोविन्द के घर होते हुए भगत के घर तक नाली निर्माण(रा0वि0)	51083	1022	1144	1022	1022	0	0
		130160	2603	2916	2603	2604	0	0
		45902	918	1028	918	918	0	0
		53986	1080	1209	1080	1080	0	0

1 9	खण्ड विकास अधिकारी के आवास की रंगाई पुताई(रा0वि0)	138482	2770	3102	2770	0	0	2770
2 0	कपिलवस्तु थाने में टाईल्स कार्य (रा0वि0)	12348	247	277	247	246	0	1
		39725	795	890	795	794	0	1
		207989	4160	4659	4160	4160	0	0
2 1	बर्डपुर 07 परसपुर में पुलिया से चन्द्रजीत के घर तक सी0सी0 कार्य (रा0वि0)	136064	2721	3048	2721	0	0	2721
		37703	754	845	754	0	0	754
2 2	बर्डपुर 06 टोला गोनहवा राजेन्द्र के घर से मनोज के घर तक सी0सी0रोड कार्य(रा0वि0)	40575	812	909	812	0	0	812
		112255	2245	2515	2245	0	0	2245
		35808	716	802	716	0	0	716
2 3	विकास खण्ड कार्यालय में सीमेंट बैंच लगाने का कार्य(रा0वि0)	99750	1995	2234	1995	0	0	1995
2 4	बर्डपुर 10 घोसवा में गुलाब के घर से बरम बाबा के स्थान तक इण्टरलाकिंग(रा0वि0)	60107	1202	1346	1202	1202	0	0
		203910	4078	4568	4078	4078	0	0
2 5	बर्डपुर 07 रामबचन तेली के घर के पीछे से अजय के घर तक सी0सी0 रोड कार्य(रा0वि0)	87785	1756	1966	1756	1756	0	0
		349001	6980	7818	6980	6980	0	0
2 6	विकास खण्ड कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष का छत मरममत एवं केबिन कार्य (रा0वि0)	16398	328	367	328	0	0	328
		4850	97	109	97	0	0	97
		58752	1175	1316	1175	0	0	1175
2 7	विकास खण्ड कार्यालय में मेन गेट का उद्घीकरण एवं सी0सी0 निर्माण(रा0वि0)	38094	762	853	762	762	0	0
		255006	5100	5712	5100	5100	0	0

28	बर्डपुर 07 सिरसिया गांव के पश्चिम नाले पर पुलिया निर्माण(रा0वि0)	253823	5076	5686	5076	5076	0	0
		240948		5397		4818		
			4819		4819		0	1
29	सिरसिया में अवध राम के घर से राज कुमार के घर तक सी0सी0 /नाली नि0 (रा0वि0)	251782	5036	5640	5036	5036	0	0
		72936		1634		1458		
			1459		1459		0	1
30	बर्डपुर 06तिवारीपुर में कन्हैया के घर से राजमन के घर तक इण्टर/नाली नि0	322291	6446	7219	6446	6446	0	0
		71903	1438	1610	1438	1438	0	0
	GT	9549 008	19097 9	213899	190979	17295 6	0	18041. 00

(क).विवरण से स्पष्ट है कि राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गए निर्माण कार्य के सापेक्ष फर्म के बिलों से कुल ₹ 213899.00 आयकर की कटौती गई है। आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत से की गई है जबकि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194सी० के अंतर्गत वर्ष 20.21 में कोई सरचार्ज नहीं था। लेखा परीक्षा में उक्त कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा करने का चालान प्रस्तुत नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि आयकर की कटौती की धनराशि जमा कर संबंधित फर्म को प्रमाण पत्र देने का प्राविधान है। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	213899.00	213899.00

(ख).उपरोक्त सारणी में संस्था द्वारा कटौती की गई जी0एस0टी0 की धनराशि एवं लेखा परीक्षा में 2 प्रतिशत की दर से आगणित जी0एस0टी0 की धनराशि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 20.21 में निर्धारित दर से देय जी0एस0टी0 की धनराशि प्राप्त बिलों के सापेक्ष कुल ₹ 18041.00 कम जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार हैं। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	18041.00	18041.00

(ग).कटौती गई की जी0एस0टी0 की कुल धनराशि ₹ 172956.00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराया गया था। इस संबंध में भारत सरकार एवं राजस्व विभाग के परिपत्र सं०.65/39/2018.डी0ओ0आर0ए0 एफ0एल0ओ.एस0.एस0टी0.में.2दि० 14 सितम्बर 2018 में निहित प्राविधान तथा डी0डी0ओ द्वारा जी0एस0टी0आर0.7 दाखिल करने के प्रति क्षेत्रीय प्रशासन

का ध्यान आकृष्ट कराया जाता इससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस हेतु तत्कालिन ख०वि०अ० व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जी०एस०टी० कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कर चालान से पुष्टि कराये जाने हेतु संस्था का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	172956.00	172956.00

प्रस्तर स०-33-वर्ष 20-21 में 15 वां वित्त योजना से संबंधित फर्म को भुगतान के सापेक्ष टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० की कटौती एवं उनके जमा होने की स्थिति. आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194सी० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 के सेक्शन 51 के अंतर्गत 15 वां वित्त योजना अंतर्गत निम्न विवरणानुसार आयकर एवं जी०एस०टी० की कटौती की गई है.

क्र. सं.	परियोजनाका नाम	फर्मको देय धनराशि	2 प्रतिशत की दर से देय आयकर	2.24 प्रतिशत की दर से की गई कटौती.	2 प्रतिशत की दर से देय जी०एस०टी०	2 प्रतिशत की दर से की गई जी०एस०टी० की कटौती.	आयकर की कम कटौती की धनराशि	जी०एस०टी० की कम कटौती की धनराशि
1	बर्डपुर 7 धरमपुर में अब्दुल रहमान के घर से नाला तक नाली निर्माण	67830	1357	1519	1357	1356	0	1
		142020	2840	3181	2840	2840	0	0
		50163	1003	1124	1003	1004	0	0
		47478	950	1064	950	950	0	0
2	बर्डपुर 07 रमवापुर में चन्द्रभूषण के घर से नतिहर के घर तक नाला नि० (के०वि०)	272280	5446	6099	5446	5446	0	0
		167880	3358	3761	3358	3358	0	0
		89977	1800	2015	1800	1800	0	0
		18962	379	425	379	380	0	0
3	बर्डपुर 07 तेनुहा गाँव में गौकरन के घर से प० सलीम के घर तक सी०सी०/नाली नि०	127755	2555	2862	2555	2556	0	0
		252049	5041	5646	5041	5040	0	1
		31599	632	708	632	632	0	0
		165523	3310	3708	3310	3310	0	0
4		218461	4369	4894	4369	4370	0	0

	बर्डपुर 07 रमवापुर में गढे से गोरख यादव के घर तक सी0सी0/नाली नि0	104254	2085	2335	2085	2086	0	0
		54543	1091	1222	1091	1090	0	1
		2832	57	63	57	56	0	1
5	बर्डपुर 07 मजिगवा में राममिलन के घर से चुन्नीलाल के घर तक सी0सी0 रोड नि0	70860	1417	1587	1417	1418	0	0
		163868	3277	3671	3277	3278	0	0
		78061	1561	1749	1561	1562	0	0
		16711	334	374	334	334	0	0
6	मजिगवा में नन्दलाल के घर से चैधरी के घर तक सी0सी0 रोड नि0	64592	1292	1447	1292	1292	0	0
		156397	3128	3503	3128	3128	0	0
		95636	1913	2141	1913	1912	0	1
		9232	185	207	185	184	0	1
7	मजिगवा में कन्हैया के घर से माखन पासवान के घर तक सी0सी0 रोड नि0	48269	965	1081	965	0	0	965
		101746	2035	2279	2035	0	0	2035
		61059	1221	1368	1221	0	0	1221
		1470	29	33	29	0	0	29
8	रमवापुर में नतिहर के घर से गढे तक नाली निर्माण	90270	1805	2022	1805	0	0	1805
		61928	1239	1163	1239	0	0	1239
		29326	587	657	587	0	0	587
		13938	279	312	279	0	0	279
9	श्री बेलवा गांव में पक्की नाली निर्माण	99714	1994	2234	1994	1994	0	0
		121560	2431	2723	2431	2432	0	0
		71721	1434	1607	1434	1434	0	0
		29060	581	651	581	582	0	0
10	एन0एच0 रोड से घोसवा गांव में इण्टरलाकिंग कार्य	114325	2287	2561	2287	2286	0	1
		229956	4599	5151	4599	4600	0	0
		225942	4519	5061	4519	4518	0	1
		42192	844	945	844	844	0	0
11	दुलहादरम्यानी के टोला महलिया में नारायण के घर से अयोध्या के घर तक इण्टरलाकिंग/नाली नि0 कार्य	309606	6192	6935	6192	6192	0	0
		95489	1910	2139	1910	1910	0	0

1 2	सिरसिहवा में राकेश के घर से सी0सी0 रोड तक सी0सी0/नाली नि0	197909	3958	4433	3958	3958	0	0
		76349	1527	1710	1527	1526	0	1
1 3	बर्डपुर 07 सिरसिहवा में गणेश के घर से सी0सी0 रोड तक सी0सी0 नाली निर्माण	201115	4022	4505	4022	4022	0	0
		64930	1299	1454	1299	1298	0	1
1 4	बर्डपुर 07 तेनुहा में जनार्दन के घर से रामसेवक के घर तक सी0सी0/नाली नि0	455181	9104	10196	9104	9104	0	0
		154950	3099	3471	3099	3100	0	0
1 5	महुआ में गोविन्द के घर से गढे तक नाली नि0	203555	4071	4560	4071	4072	0	0
		139971	2799	3125	2799	2800	0	0
1 6	मजिगवा में त्रियोगी चैधरी के घर से गढे तक नाली नि0	133287	2666	2986	2666	2666	0	0
		74790	1496	1675	1496	1496	0	0
1 7	पिपरसन में टोला देवियापुर में नाली नि0	213402	4268	4780	4268	4268	0	0
		180578	3612	4045	3612	3612	0	0
1 8	बर्डपुर 07 महुआ में सलीम के घर से गढे तक नाली नि0	201220	4024	4507	4024	4024	0	0
		260213	5204	5829	5204	5204	0	0
1 9	टोला सिरसिहवा में धनेसर गुप्ता के घर से गोली के घर तक सी0सी0/नाली नि0	32881	658	737	658	0	0	658
		126508	2530	2834	2530	0	0	2530
2 0	सिरसिया में कृष्णा के घर से मिछी के घर तक सी0सी0 रोड कार्य	357093	7142	7999	7142	7142	0	0
		125655	2513	2815	2513	2514	0	0
2 1	बेलौही में बुखानी के घर से वजीउद्दीन के घर तक नाली नि0	72941	1459	1634	1459	0	0	1459
		38688	774	867	774	0	0	774
2 2	बर्डपुर 02 चन्द्रभान के घर से इटौवा गांव तक सी0सी0 नि0 कार्य	43515	870	975	870	870	0	0
		146861	2937	3290	2937	2938	0	0
		4665	93	104	93	94	0	0
		30340	607	680	607	606	0	1
		121855	2437	2730	2437	2438	0	0

2 3	बर्डपुर 07 तेनुहवा में नजीर के घर से होते हुए सहदेव के घर तक सी0सी0 रोड/नाली नि0	28625 4	5725	6412	5725	5726	0	0
		816124 0	1632 25	182580	163225	149652	0	1359 2

(क).विवरण से स्पष्ट है कि 15वें वित्त योजनान्तर्गत कराये गए निर्माण कार्य के सापेक्ष फर्म के बिलों से कुल रू० 182580.00

आयकर की कटौती गई है। आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत से की गई है। जबकि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194सी० के अंतर्गत वर्ष 20.21 में कोई सरचार्ज नहीं था। लेखा परीक्षा में उक्त कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा करने का चालान प्रस्तुत नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि आयकर की कटौती की धनराशि जमा कर संबंधित फर्म को प्रमाण पत्र देने का प्राविधान है। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	182580.00	182580.00

(ख).उपरोक्त सारणी में संस्था द्वारा कटौती की गई जी0एस0टी0 की धनराशि एवं लेखा परीक्षा में 2 प्रतिशत की दर से आगणित जी0एस0टी0 की धनराशि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 20.21 में निर्धारित दर से देय जी0एस0टी0 की धनराशि प्राप्त बिलों के सापेक्ष कुल 13592.00 कम जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार हैं। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	13592.00	13592.00

(ग).कटौती की गई जी0एस0टी0 की कुल धनराशि रू0149652.00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराया गया था। इस संबंध में भारत सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र सं०.65/39/2018.डी0ओ0आर0ए0 एफ0एल0ओ.एस0.एस0टी0.में.2दि0 14 सितम्बर 2018 में निहित प्राविधान तथा डी0डी0ओ द्वारा जी0एस0टी0आर0.7 दाखिल करने के प्रति क्षेत्र प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता इससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस हेतु तत्कालीन ख0वि0अ0 व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष जमा कर चालान से पुष्टि कराये जाने हेतु संस्था का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	149652.00	149652.00

06- क्षेत्र पंचायत -खेसरहा लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -खेसरहा

प्रस्तर सं०-34-15 वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के आलोक में अपर मुख्य सचिव,उ0प्र० शासन के शासनादेश सं०.1817/33.3.2020.33/2020, दि० 24 जुलाई 2020 धनराशि के उपभोग के लिए निर्गत

मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा.6.5 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्य के सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान(यथा वेडर व श्रमिकों का भुगतान)सीधे उनके बैंक खातों में ई.ग्रामस्वराज.पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जाएगा।लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्देशों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य के सापेक्ष श्रमांश मद की धनराशि संबंधित श्रमिकों के खातों में न कर कार्य प्रभारी श्री उमाशंकर गौतम(सहा०वि०अ०,आई०एस०बी०) के बैंक खातों में किया गया है, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।विवरण निम्नवत् है.

क्र०सं०	परियोजना का नाम	श्रमांश मद की धनराशि	भुगतान की तिथि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	बेलउख में प्रा०वि० के सामने 1× 2 मी० स्पान आर०सी०सी० पुलिया	122115	8.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम
2	विसरी शत्रुघ्न राय के खेत पर गल्लू 1× 2 मी० स्पान आर०सी०सी० पुलिया	152379	8.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम
3	कसिहरा में सेमरा बेलौहा पी०डब्लू०डी० सडक से प्रकाश राय के घर तक इ०लॉ०	110982	8.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम
4	रामदेव उर्फ मगन के घर के पूरब पिचरोड से उ० तरफ गाँव जाने वाली रोड पर 1× 2 मी० स्पान आर०सी०सी० पुलिया	95937	8.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम
5	ग्राम सभा घोसियारी में प्रा०वि० से रामअचल माली के घर के मोड तक इ०लॉ०	112737	14.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम
6	ब्लॉक परिसर में आवासीय भवनों.टाईप 2 .का मरम्मत व टाईल्स कार्य	387432	14.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम
7	परोई में कृष्ण मुरारी के घर से गाँव के उ० पुलिया तक नाली निर्माण	88113	14.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम
8	ग्राम० सभा पेडारी में रामचरन के घर से जगलाल जगलाल के घर होते हुए नाली निर्माण	121914	14.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम
9	विकास खंड परिसर में अवस्थित शहीद स्तंभ का जीर्णोद्धार	38490	14.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम
10	घोसियारी.बदुरगहना मार्ग से दुधनाथ के घर तक इ०लॉ०	55866	14.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम
11	वि०ख० परिसर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय का विस्तार व निर्माण	68955	14.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम
12	कुडजा.टीकुर पक्की सडक से उमरिया गाँव जाने वाली रोड पर इ०लॉ० कार्य	267675	14.3.21	श्रीउमाशंकर गौतम

13	वि०ख० खेसरहा में महिला/पुरुष शौचालय, बाउण्ट्रीवाल/गेट का निर्माण	162177	15.3.2 1	श्रीउमाशंकर गौतम
14	ग्राम सभा सकारपार पी०डब्लू०डी० रोड से रूद्रनाथ त्रिपाठी के घर तक इ०लॉ० कार्य	138714	16.3.2 1	श्रीउमाशंकर गौतम
15	ग्राम पंचायत टिकरी में मोती के घर से पिंदू के घर तक भूमिगत नाली निर्माण निर्माण	12949 8	15.3.2 1	श्रीउमाशंकर गौतम
16	कुडजा.धर्मसिंहवा मार्ग से छोटेलाल बी०डी०सी० के घर तक इ०लॉ० कार्य	37968	15.3.2 1	श्रीउमाशंकर गौतम
17	ग्राम सभा सेमरा में इ०लॉ० से हरिजन बस्ती जरनेवाले रास्ते पर इ०लॉ०	215160	15.3.2 1	श्रीउमाशंकर गौतम
	कुल भुगतान	230611 2		

विवरण से स्पष्ट है कि 15 वां वित्त योजनान्तर्गत कुल 17 परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 2306112.00 का भुगतान योजना के गार्डलाईस के विपरीत कार्यप्रभारी के व्यक्तिगत खातों में किया गया है। संबंधित पत्रावली की जांच में लेखा परीक्षा में इस तथ्य का निर्धारण नहीं हो सका कि कार्यप्रभारी द्वारा कब और कितनी मात्रा में तथा किस तरीके से श्रमांश की उक्त धनराशि को संबंधित श्रमिकों को भुगतान किया गया। स्थिति का निराकरण अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में धनराशि के दुरुपयोग/अनियमितता की स्थिति में संबंधित कार्यप्रभारी, लेखाकार और खंड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	2306112	2306112

प्रस्तर सं०-35- 15 वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०.1817/33.3.2020.33/2020, दि० 24 जुलाई 2020 धनराशि के उपभोग के लिए निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनटाईड ग्रांट से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में कुछ प्रतिबंध/नकारात्मक कार्यों की सूची भी है। क्षेत्र०प० खेसरहा द्वारा इस योजना में कराये गए कुछ कार्य ऐसे हैं, जो पूर्व में अन्य स्कीम के अंतर्गत कराये गए थे, जिन पर मरम्मत/जीर्णोद्धार के मद में व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	परियोजना का नाम	सामग्री पर व्यय	श्रमांश पर व्यय	कुल व्यय
	ब्लॉक परिसर में आवासीय भवनों. टाईप 2 .का मरम्मत व टाईल्स कार्य	1170588	387432	1558020
	विकास खंड परिसर में अवस्थित शहीद स्तंभ का जीर्णोद्धार	195450	38490	233940

	वि०ख० परिसर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय का विस्तार व निर्माण	262987	68955	331942
	कुल योग	1629025	494877	2123902

विवरण से स्पष्ट है कि 15 वां के गार्डलाईस के विपरीत अन्य स्कीम के अंतर्गत पूर्व निर्मित परियोजनाओं के मरम्मत/विस्तार/जीर्णोद्धार मद में कुल लागत 2123902 है जिसमें सामग्री मद पर रू० 1629025.00 तथा श्रमांश मद पर कुल रू० 494877.00 है। लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त व्यय अनुमन्य नहीं पाया गया। संबंधित व्यय दर्शित धनराशि को लेखा परीक्षा में अनियमित भुगतान की श्रेणी में मानने का पर्याप्त आधार है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति खं० वि० अ० और लेखाकार होंगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	2123902.00	2123902.00

प्रस्तर स०-36-आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194सी० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 के सेक्शन 51 के अंतर्गत 15 वां वित्त योजना अंतर्गत निम्न विवरणानुसार आयकर एवं जी०एस०टी० की कटौती की गई है.

	परियोजनाका नाम	फर्मको देय धनराशि	2 प्रतिशत की दर से देय आयकर	2.24 प्रतिशत की दर से की गई कटौती.	2 प्रतिशत की दर से देय जी०एस०टी०	2 प्रतिशत की दर से की गई जी०एस०टी० की कटौती.	आयकरकी कम कटौती की धनराशि	जी०एस०टी० की कम कटौती की धनराशि
1	बेलउख में प्रा०वि० के सामने 1× 2 मी० स्पान आर०सी०सी० पुलिया	449637	8992.74	10072	8992.74	8992	0	0.74
2	बिसरी शत्रुघ्न राय के खेत पर गल्लू 1× 2 मी० स्पान आर०सी०सी० पुलिया	484034	9680.68	10842	9680.68	9680	0	0.68
3	कसिहरा में सेमरा बेलौहा पी०डब्लू०डी० सडक से प्रकाश राय के घर तक इ०लॉ०	581240	11624.8	13020	11624.8	11624	0	0.8
4	रामदेव उर्फ मगन के घर के पूरब पिचरोड से उ० तरफ गाँव जाने वाली रोड पर 1× 2 मी० स्पान आर०सी०सी० पुलिया	411496	8229.92	9218	8229.92	8230	0	.0.0 8
5	ग्राम सभा घोसियारी में प्रा०वि० से रामअचल माली के घर के मोड तक इ०लॉ०	576775	11535.5	12920	11535.5	11536	0	.0.5
6	ब्लॉक परिसर में आवासीय भवनों.टाईप 2 .का मरम्मत व टाईल्स कार्य	972588	19451.76	21786	19451.76	19452	0	.0.2 4
		198000	3960	4435	3960	3960	0	0
7	परोई में कृष्ण मुरारी के घर से गाँव के उ० पुलिया तक नाली निर्माण	500113	10002.26	11203	10002.26	10002	0	0.26
8	ग्राम० सभा पेडारी में रामचरन के घर से जगलाल जगलाल के घर होते हुए नाली निर्माण	805029	16100.58	18032	16100.58	16100	0	0.58
9	विकास खंड परिसर में अवस्थित शहीद स्तंभ का जीर्णोद्धार	195450	3909	4378	3909	3910	0	.1
10	घोसियारी.बदुरगहना मार्ग से दुधनाथ के घर तक इ०लॉ०	295839	5916.78	6627	5916.78	5916	0	0.78

1 1	वि०ख० परिसर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय का विस्तार व निर्माण	262987	5259.74	5891	5259.74	5260	0	.0.2 6
1 2	कुडजा.टीकुर पक्की सडक से डुमरिया गांव जाने वाली रोड पर इं०लॉ० कार्य	763110	15262.2	17094	15262.2	15262	0	0.2
1 3	वि०ख० खेसरहा में महिला/पुरुष शौचालय, बाउण्ड्रीवाल/गेट का निर्माण	845602	16912.04	18941	16912.0 4	16912	0	0.04
1 4	ग्राम सभा सकारपार पी०डब्ल्यू०डी० रोड से रुद्रनाथ त्रिपाठी के घर तक इं०लॉ० कार्य	406146	8122.92	9098	8122.92	8122	0	0.92
1 5	ग्राम पंचायत टिकरी में मोती के घर से पिंटू के घर तक भूमिगत नाली निर्माण निर्माण	253353	5067.06	5675	5067.06	5068	0	.0.9 4
1 6	ग्राम सभा सेमरा में इं०लॉ० से हरिजन बस्ती जरनेवाले रास्ते पर इं०लॉ०	750101	15002.02	16802	15002.0 2	15002	0	0.02
1 7	कुडजा.धर्मसिंहवा मार्ग से छोटेलाल बी०डी०सी० के घर तक इं०लॉ० कार्य	214686	4293.72	4809	4293.72	4294	0	.0.2 8
1 7	ग्राम सभा सेमरा में इं०लॉ० से हरिजन बस्ती जरनेवाले रास्ते पर इं०लॉ०	111830 6	22366.12	25050	22366.1 2	22366	0	0.12
	G.T	107224 92	214449.8	24018 4	214449. 8	214448	0	1.84

विवरण से स्पष्ट है कि 15 वां वित्त योजनान्तर्गत कराये गए निर्माण कार्य के सापेक्ष फर्म के बिलों से कुल रू० 240184.00

आयकर तथा रू० 214448.00 जी०एस०टी० की कटौती गई है। आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत से की गई है, जबकि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194सी० के अंतर्गत वर्ष 20-21 में कोई सरचार्ज नहीं था। लेखा परीक्षा में उक्त कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा करने का चालान प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे टी०डी०एस० जमा होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि आयकर की कटौती की धनराशि जमा कर संबंधित फर्म को प्रमाण पत्र देने का प्राविधान है। इसी प्रकार जी०एस०टी० की कटौती की धनराशि को जमा कर रिटर्न फाईल करने का उत्तरदायित्व कटौती कर्ता का है। उक्त के संबंध में स्थिति को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा राजकीय राजस्व की क्षति होने पर संबंधित लेखाकार और खं०वि०अ० उत्तरदायी होंगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	454632.00	454632.00

प्रस्तर स०-37-आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194सी० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 के सेक्शन 51 के अंतर्गत 15 वां वित्त योजना अंतर्गत निम्न विवरणानुसार आयकर एवं जी०एस०टी० की कटौती की गई है.

क्र. सं.	परियोजनाका नाम	कर्मको देय धनराशि	2 प्रतिशत की दर से देय आयकर	2.24 प्रतिशत की दर से की गई कटौती.	2 प्रतिशत की दर से देय जी०एस०टी०	2 प्रतिशत की दर से की गई जी०एस०टी० की कटौती.	आयकर की कम कटौती की धनराशि	जी०एस०टी० की कम कटौती की धनराशि
1	ग्रामसभा कोटिया में बासीधानी मार्ग से कोटिया गाँव तक इं०लॉ०	509574	10191.48	11415	10191.48	10191	0	0.48
2	ग्रामसभा पेडारी में राजेश्वर के घर से विश्वनाथ मिश्रा के घर तक इं०लॉ० कार्य	429542	8590.84	9622	8590.84	8591	0	0.06
		28303	566.06	634	566.06	566	0	0.06
3	ग्रामसभा सुहई कनपुरवा में जगदीश के घर से कन्हैया वर्मा के घर तक इं०लॉ० कार्य	462794	9255.88	10367	9255.88	9256	0	0.5
		124675	2493.5	2793	2493.5	2494	0	0.5
4	ग्रामसभा महुलानी में बासी.धानी मार्ग से अमरपाल पंडित के घर के बगल तक इं०लॉ० कार्य	353290	7065.8	7914	7065.8	7065	0	0.5
		40175	803.5	900	803.5	804	0	0.5
5	वि०ख०परिसर में सहा०वि०अ०(पं) के कार्यालय के बगल में इं०लॉ० कार्य	355227	7104.54	7957	7104.54	7105	0	0.46
6	वि०ख०परिसर खेसरहा में इं०लॉ० कार्य	262755	5255.1	5886	5255.1	5255	0	0.1
7	वि०ख०परिसर में नया नाली निर्माण व नाली मरम्मत कार्य	365273	7305.46	8182	7305.46	7306	0	0.54
8	वि०ख०खेसरहा में प्रमुख कक्ष एवं कार्यालय के पीछे इं०लॉ० कार्य	548303	10966.06	12282	10966.06	10966	0	0.06
9	ग्रामसभा पिपरादोयम में इंद्रजीत चौधरी के घर से कोईल तेली के घर तक इं०लॉ० कार्य	314117	6282.34	7036	6282.34	6282	0	0.34
10	ग्रामसभा सुपौली में जमील के घर के सामने 1×2 मी० स्पान आर०सी०सी० पुलिया	558967	11179.34	12521	11179.34	11180	0	0.66
11	वि०ख०परिसर खेसरहा में लेबर क्वार्टर एवं इंडियामार्क हैंडपंप मरम्मत कार्य	61713	1234.26	1382	1234.26	1234	0	0.26
12	ग्रामसभा पेडारी में पुलिया से भान के घर तक इं०लॉ० कार्य	428620	8572.4	9601	8572.4	8572	0	0.58
		22829	456.58	511	456.58	456	0	0.58
13	ग्रामसभा बतशा में हीरालाल के घर से रामदास के घर तक इं०लॉ० कार्य	458849	9176.98	10278	9176.98	9176	0	0.98
14	ग्रामसभा नगवा में पारस पाण्डेय के घर से राकेश के घर तक इं०लॉ० कार्य	565705	11314.1	12672	11314.1	11314	0	0.1

1 5	ग्रामसभा परोई में लक्ष्मी पाण्डेय के घर से कुउजा पक्की सड़क तक इं०लों० कार्य	465487		10427		9310		
			9309.74		9309.74		0	.026
1 6	ग्रामसभा बतौरिहा में पिचमार्ग से युनूस के खेत होते हुए मुम्हत रजा के घर तक इं०लों० कार्य	527617		11819		10552		
			10552.34		10552.34		0	0.34
1 7	ग्रामसभा टिकुर में गोदाम से रिखिलेश्वर पाण्डेय के घर तक सी०सी० रोड	1685887		37764		33718		
			33717.74		33717.74		0	.026
1 8	ग्रामसभा कुडजा में चोरई ताल चकरोड पर बार्डर पर आदित्य यादव के खेत के पास 1×2मी० आर०सी०सी० पुलिया निर्माण	308290		6906		6166		
			6165.8		6165.8		0	.02
		159791	3195.82	3579	3195.82	3196		
1 9	ग्रामसभा बनूहिया बुजुर्ग में प्रधानमंत्री सड़क से हरेंद्रनाथ के घर तक इं०लों० कार्य	372068		8334		7442		
			7441.36		7441.36		0	.064
2 0	ग्रामसभा बनोहिया में पी०डब्लू०डी० रोड से नंदलाल के घर तक इं०लों० कार्य	455209		10197		9104		
			9104.18		9104.18		0	0.18
2 1	बासी.डिडईमार्ग से टिकरी में धर्मेन्द्र के घर तक इं०लों०	548325		12282		10966		
			10966.5		10966.5		0	0.5
2 2	ग्रामसभा टिकुर में सतीश के घर से विनोद के घर तक इं०लों० कार्य	350830		7859		7016		
			7016.6		7016.6		0	0.6
2 3	ग्रामसभा सिंसहनिया में छयवर के घर से पी०डब्लू०डी० रोड तक इं०लों० कार्य	562962		12610		11260		
			11259.24		11259.24		0	.076
2 4	ग्रामसभा दुहनी में संतकुमार के घर से भोला के घर तक इं०लों० कार्य	587252		13154		11746		
			11745.04		11745.04		0	.096
2 5	रिउनाघोसियारी पडरी मार्ग से रिउना में लालदास के घर तक इं०लों० कार्य	295844		6627		5916		
			5916.88		5916.88		0	0.88
2 6	ग्रामसभा टिकरी पकरिया में दुखरन के खेत के बगल में 2मी० स्पान आर०सी०सी० पुलिया	450230		10085		9004		
			9004.6		9004.6		0	0.6
2 7	वि०ख०परिसर में मिटिंग हॉल का मरम्मत/पेंटिंग कार्य	86929		0		0	1738.58	1738.58
		259035	5180.7	5802	5180.7	5180	0	0.7
2 8	वि०ख०परिसर में शौचालय, सर्विस रोड एवं इं०लों० कार्य	29767		667		596		
		81027	1620.54	1815	1620.54	1620	0	0.54
2 9	वि०ख०खेसराहा के प्रमुख आवास का मरम्मत/पेंटिंग कार्य	22464		503		450		
		26940	538.8	603	538.8	538	0	0.8
3 0	वि०ख०परिसर में जंगल कटाई, लेवलिंग भरायी एवं बाउण्ड्रीवाल गेट का मरम्मत/पेंटिंग कार्य	45990		1030		920		
		553800	919.8	12405	919.8	11076	0	0
3 1	वि०ख०खेसराहा के परिसर में शौचालय का मरम्मत/पेंटिंग कार्य	4410		99		88		
		27690	88.2	620	88.2	554	0	.02
	कुल योग	13798555	275971.10	307140	275971.10	274231	1738.58	1740.74

विवरण से स्पष्ट है कि चतुर्थ एवं पंचम वित्त योजनान्तर्गत कराये गए निर्माण कार्य के सापेक्ष फर्म के बिलों से कुल रू० 307140.00 आयकर तथा रू० 274231.00 जी०एस०टी० की कटौती गई है। साथ ही परियोजना क्रमांक.27 के सापेक्ष आयकर रू० 1738.58 तथा जी०एस०टी०(अन्य परि० के साथ) रू० 1740.74 की कटौती नहीं की गई है, जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत से की गई है, जबकि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194सी० के अंतर्गत वर्ष 20.21 में कोई सरचार्ज नहीं था। लेखा परीक्षा में उक्त कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा करने का चालान प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे टी०डी०एस० जमा होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि आयकर की कटौती की धनराशि जमा कर संबंधित फर्म को प्रमाण पत्र देने का प्राविधान है। इसी प्रकार जी०एस०टी० की कटौती की धनराशि को जमा कर रिटर्न फाइल करने का उत्तरदायित्व कटौती कर्ता का है। उक्त के संबंध में स्थिति को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा राजकीय राजस्व की क्षति होने पर संबंधित लेखाकार और खं०वि०अ० उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार कटौती की धनराशि से संबंधित चालान प्रस्तुत किया जाना एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	584850.32	584850.32

प्रस्तर सं-38-चतुर्थ व पंचम रा०वि० योजनान्तर्गत कराये गए निर्माण कार्य के सापेक्ष पत्रावली में संलग्नक म०रो० की जांच - म०रो० का विवरण निम्नवत् है।(कॉलम सं०.1 में परियोजना का क्रमांक दर्ज, जिसे संलग्नक प्रारूप.1 में देखा जा सकता है)

परि० का क्रमांक	म०रो० का क्रमांक	अवधि(कब से कब तक)	मजदूरों की सं०	धनराशि	मोड ऑफ पेमेंट			भुगतान प्राप्तकर्ता	
					नकद	चेकसं०/डोंगल	दि०	नाम	पदनाम
18	दर्ज नहीं	1.11.20 से 28.11.20	14	93003		पी०एफ०ए म०एस०	23.12.2 0	श्री उमार्शंक र गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
19	दर्ज नहीं	1.11.20 से 30.11.20	13	90270		पी०एफ०ए म०एस०	23.12.2 0	श्री उमार्शंक र गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
20	दर्ज नहीं	1.11.20 से 26.11.20	18	109803		पी०एफ०ए म०एस०	18.1.21	श्री उमार्शंक र गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
21	दर्ज नहीं	दर्ज नहीं	13	77181		पी०एफ०ए म०एस०	23.12.2 0	श्री उमार्शंक र गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
22	दर्ज नहीं	19.10.20 से 28.10.20	19	48846		पी०एफ०ए म०एस०	31.10.2 0	श्री उमार्शंक र गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
23	दर्ज नहीं	16.10.20 से 25.10.20	14	30666		पी०एफ०ए म०एस०	दर्ज नहीं	श्री उमार्शंक र गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०

24	दर्ज नहीं	10.10.20 से 19.10.20 14.10.20 से 23.10.20	49	118203		पी०एफ०ए म०एस०	3.10.2 0	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
25	दर्ज नहीं	15.10.20 से 24.10.20	32	76002		पी०एफ०ए म०एस०	दर्ज नहीं	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
26	दर्ज नहीं	1.11.20 से 19.11.20	13	57621		पी०एफ०ए म०एस०	29.12.2 0	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
27	दर्ज नहीं	1.11.20 से 27.11.20	18	114894		पी०एफ०ए म०एस०	29.12.2 0	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
28	दर्ज नहीं	1.11.20 से 18.11.20		22869		पी०एफ०ए म०एस०	29.12.2 0	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
29	दर्ज नहीं	1.12.20 से 24.12.20	15	84402		पी०एफ०ए म०एस०	18.1.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
30	दर्ज नहीं	1.1.21 से 10.1.21	40	85311		पी०एफ०ए म०एस०	18.1.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
31	दर्ज नहीं	17.12.20 से 31.12.20	22	107646		पी०एफ०ए म०एस०	18.1.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
32	दर्ज नहीं	10.12.20 से 31.12.20	17	88113		पी०एफ०ए म०एस०	18.1.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
33	दर्ज नहीं	1.1.21 से 10.1.21	40	95535		पी०एफ०ए म०एस०	18.1.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
34	दर्ज नहीं	10.12.20 से 31.12.20	56	297738		पी०एफ०ए म०एस०	18.1.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
35	दर्ज नहीं	1.1.21 से 25.1.21	23	138915		पी०एफ०ए म०एस०	26.2.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
36	दर्ज नहीं	1.1.21 से 28.1.21	11	69933		पी०एफ०ए म०एस०	18.2.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
37	दर्ज नहीं	1.1.21 से 27.1.21	14	85956		पी०एफ०ए म०एस०	18.2.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०

38	दर्ज नहीं	1.1.21 से 25.1.21	18	107070		पी०एफ०ए म०एस०	18.2.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
39	दर्ज नहीं	20.1.21 से 31.1.21	24	65070		पी०एफ०ए म०एस०	26.2.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
40	दर्ज नहीं	1.1.21 से 25.1.21	19	112911		पी०एफ०ए म०एस०	26.2.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
41	दर्ज नहीं	1.1.21 से 23.1.21	18	97089		पी०एफ०ए म०एस०	7.3.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
42	दर्ज नहीं	1.1.21 से 20.1.21	12	55491		पी०एफ०ए म०एस०	7.3.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
43	दर्ज नहीं	1.2.21 से 28.2.21	23	150249		पी०एफ०ए म०एस०	14.3.21	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
44	दर्ज नहीं	दर्ज नहीं	25	159300		206288	9.6.20	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
45	दर्ज नहीं	दर्ज नहीं	4	15100		206294	9.6.20	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
46	दर्ज नहीं	दर्ज नहीं	9	23384		206289	9.6.20	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
47	दर्ज नहीं	दर्ज नहीं	65	442720		206300	9.6.20	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
48	दर्ज नहीं	दर्ज नहीं	4	17863		206297	9.6.20	श्री उमाशंकर गौतम	सहा०वि० अ०(आई० एस०बी०
			योग.	313915 4					

उपरोक्त भुगतान की जांच में लेखा परीक्षा में निम्न विसंगतियां प्रकाश में आयी.

(क) रा०वि० मद से देय श्रमांश की कुल धनराशि रू० 3139154.00 का भुगतान मजदूरों के खातों न कर पी०एफ०एम०एस० के कार्य प्रभारी के खातों में किया गया है तथा निर्गत चेक का भुगतान भी कार्य प्रभारी द्वारा लिया गया है, जो नियम विरुद्ध है। लेखा परीक्षा इस तथ्य से अवगत नहीं हो सका कि कार्य प्रभारी द्वारा श्रमिकों के देय श्रमांश का भुगतान कब और किस प्रकार किया गया। स्थिति को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में लेखाकार, कार्य प्रभारी व ख०वि० अ० संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) किसी भी म०रो० पर क्रमांक दर्ज नहीं किया गया है।

(ग) परियोजना क्रमांक.21,44,45,46,47 व 48 के सापेक्ष म०रो० कार्य की तिथि(कब से कब तक) का विवरण दर्ज न होने से कार्य की अवधि ज्ञात न की जा सकी,जो अपेक्षित है।साथ ही परि० क्रमांक 23 व 25 के सापेक्ष भुगतान की तिथि का विवरण दर्ज नहीं पाया ,जो अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	3139154.00	3139154.00

प्रस्तर स०-39-15 वां वित्त योजना के अनटाइट ग्रांट से कराये गए निर्माण कार्य “ ब्लॉक परिसर में आवासीय भवनों का मरम्मत/टाईल्स कार्य “ के निर्माण पत्रावली की जांच में पाया कि फर्म शान्वी ट्रेडर्स के द्वारा प्रस्तुत बिल रू० 198000.00 (बिल सं०.239/1.03.21) में से आयकर व जी०एस०टी० की धनराशि क्रमशः रू० 4435 व 3960 अर्थात् कुल रू० 8395.00 की कटौती के बाद फर्म को शुद्ध देयक रू० 189605.00 होता है,जबकि क्षेत्र० द्वारा उक्त धनराशि के सापेक्ष रू० 193605.00 का भुगतान कर दिया गया है।इसप्रकार फर्म को वास्तविक देय से रू० 4000.00 अधिक भुगतान कर आपसी दुरभिःसंधि द्वारा रू० 4000.00 की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।इस हेतु तत्कालिन लेखाकार,व खं०वि०अ० संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
4000.00	0	0	4000.00

प्रस्तर स०-40 -स्टेशनरी मद में भुगतान.लेखा परीक्षा वर्ष में इस मद में कुल भुगतान रू० 147723 दर्शित है।अनुदान पंजिका में फर्म का नाम दर्ज नहीं पाया गया।पत्रावली की जांच में पाया गया कि दि० 9.6.20 को चेक सं० 505815 के भुगतान के सापेक्ष फर्म प्रकाश स्टेशनर्स का बाउचर अनुरक्षित है, लेकिन उसी तिथि में चेक सं०.501816 द्वारा पुनः स्टेशनरी रू० 26000 का क्रय दर्शित है,जिसके सापेक्ष फर्म स्टार बैटरी इलेक्ट्रिक का बाउचर लगाया गया है।लेखा परीक्षा इस तथ्य से अवगत नहीं हो सका कि स्टेशनरी क्रय के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री करने वाले फर्म का बाउचर क्यों लगाया गया है।क्षेत्र० प्रशासन द्वारा स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया।शेष स्टेशनरी भुगतान के सापेक्ष सोनू ट्रेडर्स का बाउचर लगा है।उपरोक्त आधार दर्शित व्यय रू० 26000.00 अनियमित श्रेणी में पाया गया।इस हेतु तत्कालिन लेखाकार,व खं०वि०अ० संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	26000.00	26000.00

प्रस्तर स०-41 -अलमारी/कपाट मनरेगा अभिलेख मद.लेखा परीक्षा वर्ष में इस मद में कुल भुगतान रू० 50400.00 दर्शित है।अनुदान पंजिका में फर्म का नाम दर्ज नहीं है।पत्रावली की जांच में पाया कि उक्त भुगतान के सापेक्ष फर्म मॉर्डन फर्नीचर हाउस का क्रय प्रमाणक लगाया गया है,लेकिन प्रमाणक पर फर्म का जी०एस०टी० सं० तथा बुक सं० एवं प्रमाणक का सीरियल नं० दर्ज नहीं है,जिससे बाउचर की स्थिति

संदिग्ध पायी गई। क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया। इस मद में अनुमन्य भुगतान की पुष्टि में क्षेत्र प्रशासन से शासनादेश की माँग लेखा परीक्षा में की गई, जिसका कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। उपरोक्त आधार दर्शित व्यय अनियमित श्रेणी में पाया गया। इस हेतु तत्कालिन लेखाकार, व. खं. वि. अ. संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	50400.00	50400.00

प्रस्तर सं-42 -गाडी मद में भुगतान.लेखा परीक्षा वर्ष में इस मद में कुल भुगतान रू० 36000 दर्शित है। अनुदान पंजिका में दर्ज विवरण के अनुसार उक्त भुगतान श्री हरिगोपाल, जीप चालक को अग्रिम किया गया दर्शाया गया है। पत्रावली की जांच में पाया गया कि संबंधित चालक द्वारा नकद प्राप्त धन रू० 36000 के सापेक्ष बोलेरो गाडी सं०. UP 55G 0134 हेतु रू० 21000.00 का चार टायर क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष दि० 9.2.21 को निर्गत फर्म गुरुनानक ट्रेडर्स का बाउचर प्रस्तुत किया गया। पुनः दि० 10.2.21 को फर्म कृष्णा ऑटो पार्ट्स का रू० 8380.00 का बाउचर प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रस्तुत बाउचर पर फर्म का जी०एस०टी० सं० दर्ज नहीं पाया गया, साथ क्रय सामग्री के नाम से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका, जो पुष्टि हेतु अपेक्षित है। शेष रू० 6620 का भुगतान नवीन सीट मेकर को किया गया है, जिसके बाउचर पर भी जी०एस०टी० सं० दर्ज नहीं पाया गया। रोजगार गारंटी आयुक्त उ० प्र० के पत्रांक. 750/मनरेगा सेल/शी०म०/2013.14 दि० 24.3.14 के साथ संलग्न अन्य सचिव, ग्राम विकास अनुभाग. 7 उ० प्र० शासन के शासनादेश सं०. जी०आई०. 53/38.7.14.38 नरेगा//2014 दि० 14.3.14 जो कि मनरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय के निधि का पेट्रोल, लुब्रिकेंट (पी०ओ०एल०) वाहन मरम्मत व अनुरक्षण, डीजल तथा पेट्रोल के क्रय बिलों, स्टेशनरी व इलेक्ट्रॉनिक सामानों, जेनरेटर, रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन, इन्वर्टर आदि मद में उपभोग नहीं करना है। इस संबंध में क्षेत्र प्रशासन के द्वारा इसकी अनुमन्यता के संबंध में कोई नवीनतम/संशोधित शासनादेश प्रस्तुत कर इस मद में व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गई। अतः दर्शित व्यय की धनराशि को लेखा परीक्षा में अनियमित भुगतान की श्रेणी में माना गया। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन लेखाकार, व. खं. वि. अ. है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	36000.00	36000.00

07. क्षेत्र पंचायत -खुनियावं लेखा परीक्षा वर्ष-20-21

विकास खंड -खुनियावं

प्रस्तर स०-43 -लेखा परीक्षा के दौरान संस्था से बार.बार मौखिक वार्तालाप एवं पत्राचार द्वारा मांग के बाद भी ज्यादातर अभिलेख यथा आलोच्य वर्ष की अनुमोदित कार्ययोजना, तकनीकी/वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, निविदा पंजिका/पत्रावली, स्टॉक पंजिका, कार्यवाही पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माणकार्य पंजिका, रोकड़ बही, निरीक्षण पंजिका, मस्टररोल पंजिका, कर कटौती पंजिका, करकटौती के सापेक्ष जमाचालान की प्रति, 15वें वित्तआयोग के दिशानिर्देश के क्रम में टाईड एवं अन टाईडफंड से कराए गए कार्यों के निमित्त अलग.2 पंजिकाआदि (वित्तीय वर्ष 2020.21 की अपूर्ण अनुदान पंजिकाओं, अपूर्ण एवं अस्त.व्यस्त निर्माण कार्य पत्रावली तथा आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा संचालित कुल 10 बैंक खातों के सापेक्ष 9 बैंक खातों के बैंकस्टेटमेंटको छोड़कर) लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।संस्था से किए गए पत्राचार की छाया प्रतिलेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कार्यालय प्रति के साथ संलग्न है। संस्था द्वारा प्रस्तुत अनुदान पंजिका.3 में लेखा परीक्षा पूर्ण किए जाने की तिथि तक अधिकांश मदों यथा राज्य वित्त, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, जी0एस0टी0, आयकर, टेण्डर जमानत राशि, टेण्डर बिक्री, गोवंश संरक्षण एवं केन्द्रीय वित्त मद के सापेक्ष मात्र माह नवम्बर 2020 तक के ही आकड़े अंकित किए गए हैं, वो भी असंगत रूप से, साथ ही अनुदान पंजिका पर मदवार व माहवार बैंक समाधान विवरण भी नहीं बनाया गया है जिसके कारण अनुदान पंजिका एवं संस्था द्वारा संचालित बैंक खातों के माहवार अन्तिम शेष के मध्य अन्तर के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट ही हो सकी।अप्रस्तुत बैंक खाते का बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर एवं अनुदान पंजिका पर मदवार व माहवार बैंक समाधान विवरण अंकित कर अन्तर का कारण यदि अन्तर है तो स्पष्ट करते हुए वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। इस ओर संबंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त परिस्थिति के कारण ही लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्राप्त बैंक खातों के बैंकस्टेटमेंट के आधार पर जो आय.व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया है सकी वास्तविक स्थिति को भी संपुष्टित किया जाना संभव न हो सका। इस ओर संबंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यानविशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।चूंकि लेखा परीक्षा के दौरान संस्था से बार.बार मौखिक वार्तालाप एवं पत्राचार द्वारा मांग के बाद भी ज्यादातर अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।इससे ऐसा मानने का पर्याप्त आधार बनता है कि, संस्था द्वारा वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही विभिन्न योजना मद में प्राप्त धनराशि को खाते से आहरित कर व्यय कर दिया गया है।संस्था स्तर पर यह स्थिति गंभीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक है। इस ओर सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यानविशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में वर्ष 2020.21 की लेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार बनता है कि संस्था के स्तर पर वांछितअभिलेख तैयार किए बिना ही संस्था द्वारा संचालित विभिन्न खातों(कुल 10 बैंक खातों के सापेक्ष 9 खातों के बैंक स्टेटमेंट जो लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए हैं के आधार पर वर्ष 2020.21 में वांछित अभिलेख तैयार किए बिना ही कुल रु0 35055361.15 की धनराशि आहरित कर व्यय कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।जिसके लिए कार्यावधि अनुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/अवरअभियन्ता/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।उपरोक्त आहरित कर व्यय किए गए रु035055361.15 की धनराशि का मदवार/खातावार विवरण निम्नवत है.

क्र०सं	मद का नाम	खाता सं	व्यय
1	क्षेत्र निधि	3239049896	1832620.00
2	राज्य वित्त आयोग	2278025195	14638260.60
3	मनरेगा कांटीजेसी	2277957671	2948028.55

4	क्षेत्र निधि केन्द्रीय वित्त आयोग	3833524787	11782552.00
5	गोवंश	3736647905	3853900.00
		योग	35055361.15

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	35055361.15	35055361.15

08. क्षेत्र पंचायत -जोगिया लेखा परीक्षा वर्ष-20-21

विकास खंड -जोगिया

प्रस्तर स०-44 -क्षे० पं० जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों /भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2019.2020 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्रियों के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि से कुल रु० 90112.00 की टैक्स कटौती आई०टी० मद में की गयी है, परंतु काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में संस्था द्वारा जमा कर जमा चालान की प्रतिलेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जिससे लेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	90112.00	90112.00

प्रस्तर स०-45 -क्षे० पं० जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों /भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2019.2020 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्रियों के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि से कुल रु० 88707 की टैक्स कटौती जी०एस०टी० मद में की गयी है, परंतु काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में संस्था द्वारा जमा कर जमा चालान की प्रतिलेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जिससे लेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। इसी प्रकार व्यय प्रमाणकों (क्रीत सामग्रियों) के सापेक्ष भुगतान के समय फर्म के बिल से जी०एस०टी० कटौती की जाँच व डी०डी०ओ० के दायित्व संबंधी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिशानिर्देश के क्रम में डी०डी०ओ० द्वारा जी०एस०टी० आर.7 दाखिल किए जाने से संबंधित कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जो कि अपेक्षित है। इस ओर संबंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	88707.00	88707.00

प्रस्तर स०-46 -क्षे० पं० जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों/भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि, वर्ष 2019.2020 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु 1158007 की सामग्री विभिन्न निर्माण कार्यों के सापेक्ष फर्मों से क्रय की गयी।उपरोक्त क्रय के सापेक्ष सामग्री मूल्य रु० 1158007 में से 2 प्रतिशत टैक्स कटौती आई०टी० मदमें रु० 23160 काटकर अवशेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए था।परंतु यहाँ आकलित टैक्स न काटकर बिल की संपूर्ण धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	23160.00	23160.00

प्रस्तर स०-47 -क्षे० पं० जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों/भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि, वर्ष 2019.2020 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु 1158007 की सामग्री विभिन्न निर्माण कार्यों के सापेक्ष फर्मों से क्रय की गयी।उपरोक्त क्रय के सापेक्ष सामग्री मूल्य रु० 1158007 में से 2 प्रतिशत टैक्स कटौती जी०एस०टी० मदमें रु० 23160 काटकर अवशेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता का किया जाना चाहिए था।परंतु यहाँ आकलित टैक्स न काटकर बिल की संपूर्ण धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	23160.00	23160.00

प्रस्तर स०-48 -क्षे० पं० जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों/भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित मस्टररोलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2019.2020 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु कुल रु० 1197000 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न कर के कार्यप्रभारी को किया गया है।जबकि नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार रु० 1197000 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न कर के कार्यप्रभारी को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	1197000.00	1197000.00

प्रस्तर स०-49 -क्षे० पं० जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों/भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2020.2021 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्रियों के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि से कुल रु० 44037 की टैक्स कटौती आई०टी० मदमें की गयी है, परंतु काटे गए टैक्स की धनराशिको निर्धारित लेखा शीर्षमें संस्था द्वारा जमा कर जमा चालान की प्रतिलेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।जिससे लेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है,जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास

अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	44037.00	44037.00

प्रस्तर स०-50 -क्षे० पं० जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों /भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2020.2021 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्रियों के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि से कुल रु० 39321 की टैक्स कटौती जी०एस०टी० मदमें की गयी है, परंतु काटे गए टैक्स की धनराशिको निर्धारित लेखा शीर्ष में संस्था द्वारा जमा कर जमा चालान की प्रतिलेखा परीक्षा म अप्रस्तुत रही।जिससेलेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की धनराशिको निर्धारितलेखा शीर्ष में जमा न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयीहै,जिसकेलिए तत्कालीन खण्डविकासअधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है।इसी प्रकार व्यय प्रमाणकों (क्रीत सामग्रियों) के सापेक्ष भुगतान के समय फर्म के बिल से जी०एस०टी० कटौती की जाच व डी०डी०ओ० के दायित्व संबंधी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्वविभाग के दिशानिर्देश के क्रममें डी०डी०ओ० द्वारा जी०एस०टी० आर.7 दाखिलकिए जाने से संबंधित कोई अभिलेखीय साक्ष्य भीलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जो कि अपेक्षित है। इस ओर संबंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	39321.00	39321.00

प्रस्तर स०-51 -क्षे० पं० जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा मेंराज्य वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों /भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि, वर्ष 2020.2021 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु 1464546 की सामग्री विभिन्न निर्माण कार्यों के सापेक्ष फर्मों से क्रय की गयी।उपरोक्त क्रय के सापेक्ष सामग्री मूल्य रु० 1464546 में से 2 प्रतिशत टैक्स कटौती आई०टी० मदमें रु० 29291 काट कर अवशेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए था।परंतु यहाँ आकलित टैक्स न काटकर बिल की संपूर्ण धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिसके लिए तत्कालीन खण्डविकासअधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	29291.00	29291.00

प्रस्तर स०-52 -क्षे० पं० जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों /भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि, वर्ष 2020.2021 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु 1464546 की सामग्री विभिन्न निर्माण कार्यों के

सापेक्ष फर्मों से क्रय की गयी।उपरोक्त क्रय के सापेक्ष सामग्री मूल्य रु0 1464546 में से 2 प्रतिशत टैक्स कटौती जी0एस0टी0 मदमें रु0 29291 काटकर अवशेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए था।परंतु यहा आकलित टैक्स न काटकर बिल की संपूर्ण धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	29291.00	29291.00

प्रस्तर स०-53 -क्षे0 पं0 जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा मेंराज्य वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों /भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित मस्टररोलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2020.2021 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु कुल रु0 625622 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न कर के कार्यप्रभारी को किया गया है।जबकि नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खाते में कियाजाना चाहिए। इस प्रकार रु0 625622 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न कर के कार्यप्रभारी को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	625622.00	625622.00

प्रस्तर स०-54 -क्षे0 पं0 जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में केन्द्र वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों /भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2020.2021 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्रियों के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि से कुल रु0 172677 की टैक्स कटौती आई0टी0 मदमें की गयी है, परंतु काटे गए टैक्स की धनराशिको निर्धारितलेखा शीर्ष में संस्था द्वारा जमा कर जमा चालान की प्रति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।जिससे लेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की धनराशिको निर्धारितलेखा शीर्षमेंजमा न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है,जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	172677.00	172677.00

प्रस्तर स०-55 -क्षे0 पं0 जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में केन्द्र वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों /भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2020.2021 में कराए गए निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्रियों के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि से कुल रु0 154742 की टैक्स कटौती जी0एस0टी0 मदमें की गयी है, परंतु काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में संस्था द्वारा जमा कर जमा चालान की प्रतिलेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।जिससे लेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की धनराशिको निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है,जिसके

लिए तत्कालीन खण्डविकासअधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है।इसी प्रकार व्यय प्रमाणकों (क्रीत सामग्रियों) के सापेक्ष भुगतान के समय फर्म के बिल से जी0एस0टी0 कटौती की जाच व डी0डी0ओ0 के दायित्वसंबंधी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्वविभाग के दिशानिर्देश के क्रममें डी0डी0ओ0 द्वारा जी0एस0टी0 आर.7 दाखिलकिए जाने से संबंधित कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जो कि अपेक्षित है। इस ओर संबंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	154742.00	154742.00

प्रस्तर स०.56 .पं0 जोगिया के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में केन्द्र वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यो /भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित मस्टररोलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2020.2021 में कराए गए निर्माण कार्यो हेतु कुल रु0 1014415 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न कर के कार्यप्रभारी को किया गया है।जबकि नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार रु0 1014415मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न कर के कार्यप्रभारी को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	1014415.00	1014415.00

09. क्षेत्र पंचायत -उसका लेखा परीक्षा वर्ष-20-21

विकास खंड -उसका

प्रस्तर स०-57 -वित्तीय वर्ष 20-21 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया की पत्रावली में संलग्न मस्टररोल से संबंधित समस्त मजदूरी की धनराशि रु0 2275281.00 कार्य प्रभारी को भुगतान किया गया जबकि मजदूरी की धनराशि मजदूरों के खातों में बैंक के माध्यम से किया जाना नियमानुसार होता। अत स्पष्ट है कि संस्था द्वारा ऐसा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया जिसके लिए ख0वि0अधि0 सुश्री संगीता यादव ब्लॉक प्रमुख श्रीमती राजमती लोधी व लेखाकार श्री विनोद कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।विवरण.

अनुदान	कार्यप्रभारीश्रीसत्येन्द्रपटेल	कार्यप्रभारीश्रीशिवमणि	योग
विधायकनिधि	36090.00	.	36090.00
राज्यवित्त	202111.00	960796.000	1162907
केन्द्रीयवित्त	.	1076284.00	1076284.00

	सम्पूर्ण योग	2275281.00

क्र 0 सं 0	कार्य का नाम	कार्य अवधि कब से कब तक	मानव दिवस	धनराशि	मोड ऑफ पेमेंट			भुगतान प्राप्तकर्ता	
					नकद	पी0एफ0एम /0यस0 चेक सं0	दिनांक	नाम	पदनाम
	विधायक निधि								
0 1	कोल्हुआ में पी0डब्लू0डी0 रोड से चंदी मास्टर के घर तक इ0ला0 कार्य प्रथम कार्य 19.20 का अवशेष भुगतान	16.6.20 से 30.6.20	135	3609 0	.	779418	20.7.27	श्री सत्येन्द्र पटेल	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
	राज्य वित्त								
0 1	खंड विकास अधिकारी आवास का फर्श का टायल्स/ मार्बल व स0 कार्य 19.20 का अवशेष भुगतान	01.07.20 से30 .07.20	510	1363 40	.	77942 3	20.7.22	श्री शिवम णि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
0 2	वि0ख0 कार्यालय का स0 व रंगाई.पुताई कार्य	1.5.20 से 16.5.20	336	8276 8	.	779411	20.5.17	श्री सत्येन्द्र पटेल	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
0 3	कोल्हुआ में पी0डब्लू0डी0 रोड से चंदी मास्टर के घर तक इ0ला0 कार्य द्वितीय कार्य 19.20 का अवशेष भुगतान	1.5.20 से 16.5.20	351	8646 3	.	77940 6	20.5.17	श्री सत्येन्द्र पटेल	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
0 4	वि0ख0 परिसर में पेय जल प्रबंध हेतु समर सेबल पम्प स्थापना कार्य 19.20 का अवशेष भुगतान	1.5.20 से 11.5.20	134	3288 0	.	77940 8	20.5.17	श्री सत्येन्द्र पटेल	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
0 5	सरोली पी0डब्लू0डी0 रोड से काली स्थान होते हुए रामवृक्ष लोधी एवं राजाराम लोधी के घर तक इ0ला0 कार्य	25.10.20 से 8.11.20	267	7137 8	.	सी .0 9299	20.10.20	श्री शिवम णि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
0 6	बरदहा तिनुहवा बंधे से भगवान दास के घर तक इ0ला0 कार्य	25.10.20 से 5.11.20	171	4551 5	.	सी .0 7871	20.11.20	श्री शिवम णि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0

07	बरदहा तेनुहवा बंधे से राममिलन यादव के घर तक इ0ला0 कार्य	25.10.20 से 511.20	192	51328	.	सी .0 5895	20.11.20	श्री शिवमणि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
08	दुग्धशाला भवन का म0 कार्य व टायल्स कार्य	111.20 से 9.11.20	135	36090	.	सी .0 3281	20.11.20	श्री शिवमणि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
		18.12.20 से 24.12.20	246	65764	.	सी .0 2483	21.1.6	श्री शिवमणि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
		16.1.20 से 31.1.21	261	70172	.	सी .0 3933	21.2.8	श्री शिवमणि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
		योग	642	172026	.				
09	बरदहा टोला अम्बरपुर पी0डब्लू0डी0 रोड से गोमती के घर तक इ0ला0 कार्य	1.11.20 से 7.11.20	165	44110	.	सी30.0 28	20.11.20	श्री शिवमणि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
10	सरौली मनखही चौराहे पर गेट नि0	18.12.20 से 24.12.20	84	22456	.	सी .0 1790	21.1.7	श्री शिवमणि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
		18.1.21 से 31.1.21	193	52130	.	सी .0 9178	21.2.8	श्री शिवमणि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
		योग	277	745886					
11	बरदहा महदेवा राय व अखिलेश राय के घर से मानबहादुर के घर तक इ0ला0 कार्य	11.12.20 से 17.12.20	177	47318	.	सी .0 6218	12.12.22	श्री शिवमणि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
12	वि0ख0 कार्यालय में मनरेगा कर्मियों के बैठाने हेतु केविन नि0	21.11.20 से 1012.20	579	154786	.	सी .0 0953	12.12.22	श्री शिवमणि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
13	काली स्थान परर ताली नि0 एवं इ0ला0 कार्य	11.12.20 से 17.12.20	114	30476	.	सी .0 0286	12.12.22	श्री शिवमणि	ए 0डी0ओ0 आई0यस0बी0
14	बरदहा टोला महदेवा राय पी0डब्लू0डी0 के घर से शंकर के घर तक इ0ला0 कार्य	21.12.20 से 5.1.21	225	60150	.	सी .0 8020	21.2.8	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0बी0
15	अम्बरपुर तुफानी के घर से पारस के घर तक इ0ला0 कार्य	15.1.21 से 21.1.21	60	15841	.	सी .0 1286	21.2.27	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0बी0
16	अजिगरा बौध से हरिहर यादव के घर तक इ0ला0 कार्य	22.12.20 से 5.1.21	213	56942	.	सी .0 2658	21.2.27	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0

									आई0यस0 बी0
			योग	1198 997. 00					

मजदूरी केन्द्रीय वित्त 20-21

क्र 0 सं 0	कार्य का नाम	कार्य अवधि कब से कब तक	मानव दिवस	धनराशि	मोड ऑफ पेमेंट			भुगतान प्राप्तकर्ता	
					न क द	पी0एफ0 एम0यस 0	दि नॉक	नाम	पदनाम
0 1	ख 0वि0अधिकारी व प्रमुख कक्ष का म0 व पेटिंग कार्य	से 21.2.1 21.2.19	219	58546	.	सी34.0 13	3.5 22.	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
0 2	ख 0वि0अधि0 कक्ष को तोड़कर बड़ा किया जाना कार्य	से 21.2.1 21.2.15	180	48120	.	सी30.0 68	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
0 3	वि 0ख0 परिसर में कचरा/किचन वेस्ट गड्डा कार्य	से 21.2.1 21.2.4	24	6416	.	सी29.0 28	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
0 4	वि 0ख0परिसर में वाटर रिचार्ज पिट का नि0	से 21.2.1 21.2.13	78	20852	.	सी29.0 89	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
0 5	वि 0ख0कालोनी में चारदीवारी म0 व पेटिंग कार्य	से 21.2.1 21.2.28	528	141152	.	सी33.0 12	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
0 6	वि0ख0परिसर के पीछे नॉली नि0	से 21.2.1 21.2.28	282	75388	.	सी24.0 95	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
0 7	वि 0ख0परिसर मेंसामुदायिक शौ0नि0	से 21.2.1 21.2.28	294	78596	.	सी23.0 37	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0

08	बसावनपुर में पी 0डब्लू0डी0 रोड से अलाउददीन के घर तक इ0ला0 कार्य	से 21.2.1 21.2.16	108	28872	.	सी38.0 61	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
09	महरिया महुवाडीह शिवमंदिर से काली जी मंदिर तक इ0ला0 कार्य	से 21.2.1 21.2.23	171	45714	.	सी43.0 51	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
10	बरदहा टोला मधुबेनिया प्राइमरी स्कूल से लेकर घनश्याम यादव के घर तक इ0ला0 कार्य	से 21.2.8 21.2.24	198	52932	.	सी40.0 25	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
11	बरदहा में महदेवा झारखण्डी कार्य हेतु इ0ला0 कार्य	से 21.2.8 21.2.16	108	28872	.	सी43.0 89	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
12	बरदहा टोला श्रीनगर भरोस के घर से चन्द्रबली के घर तक ख 0नि0 कार्य	से 21.2.8 21.2.19	135	36090	.	सी42.0 88	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
13	बरदहा टोला धूमैठा में काली जी स्थान से हनुमान लोधी के घर तक इ0ला0 कार्य	से 21.2.9 21.2.25	213	56942	.	सी36.0 81	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
14	देवलाहाग्रांट फुलवसपुर हंसराज के घर से हरीराम के घर तक इ 0ला0 कार्य	21.2.8 से 21.2.24	255	68170	.	सी39.0 23	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
15	बरदहा नरसिंहपुर सहाबुददीन के घर से विशहिया नाली नि दक्कन 0 सहित।	से 21.2.8 21.2.28	309	82606	.	सी35.0 93	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
16	बरदहा धमालू के घर से सुलभ शौ0तक नाली नि0	से 21.2.8 21.2.17	120	32080	.	सी26.0 04	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
17	सजनी में गाँव के दक्षिण प्रेम त्रिपाठी के घर तक इ0ला0 कार्य	से 21.2.8 21.2.16	108	28872	.	सी44.0 28	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
18	वि 0ख0 कार्यालय के पीछे इ0ला0 कार्य	से 21.2.8 21.2.19	144	38496	.	सी36.0 61	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0

									आई0यस0 बी0
1 9	वि 0ख0 कालोनी के बाबू आवास का म0 कार्य	से 21.2.8 21.2.25	195	55338	.	सी30.0 41	„	श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
2 0	वि 0ख0परिसर में चतुर्थश्रेणी आवास म0 कार्य	से 21.2.8 28.2.12	345	92230	.	सी0.28 98		श्री शिवमणि	ए0डी0ओ0 आई0यस0 बी0
			योग	107628 4					

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	2275281.00	2275281.00

प्रस्तर स०-58 -क्षेत्र पंचायत उसका में आलोच्य वर्ष में आयकर एवं जी०एस०टी के रूप में निम्न विवरणानुसार कटौती की गयी है

मद का नाम	वर्ष की कटौती			योग	वर्ष में जमा	शेष
	विधायक निधि	राज्य वित्त	केन्द्रीय वित्त			
आयकर	5765	133357	132820	271942	33100	238842
जी०एस०टी०	5148	120864	113946	239958	29562	210396
						449238.00

इस प्रकार आयकर के रूप में रु० 238842.00 व जी०एस०टी० के रूप में रु० 210396.00 लेखा शेष है जिसे आतिथि कोषागार के निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया जिसके लिए ख०वि०अधि० श्रीमती संगीता यादव एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार उत्तरदायी है। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	449238.00	449238.00

10 - क्षेत्र पंचायत -लोटन लेखा परीक्षा वर्ष-19-20 से 20-21

विकास खंड -लोटन

प्रस्तर सं०-59 -क्षेत्र पंचायत लोटन के लेखा परीक्षा वर्ष 19-20 में ₹0 105440.00 व वर्ष 20.21 में ₹0 248826.00 की जी०यस०टी० कटौती की गयी है जिसके सापेक्ष वर्ष 19-20 में ₹0 102574.00 व 20-21 में ₹0 127724.00 ही जमा किया गया है। शेष ₹0 123968.00 जी०एस०टी० कटौती की धनराशि समय से राजकीय कोषागार में जमा न करके अनियमितता की गयी है जिस हेतु ख०वि०अधि० व लेखाकार उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	123968.00	0	123968.00

प्रस्तर सं०-60 -क्षेत्र पंचायत लोटन के लेखा परीक्षा वर्ष 19-20 में ₹0 101747.00 व वर्ष 20.21 में ₹0 265253.00 की आयकर कटौती की गयी है जिसके सापेक्ष वर्ष 19-20 में ₹0 94881.00 व 20.21 में ₹0 133285.00 ही जमा किया गया है। शेष ₹0 138834.00 आयकर कटौती की धनराशि समय से राजकीय कोषागार में जमा न करके अनियमितता की गयी है जिस हेतु ख०वि०अधि० व लेखाकार उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	138834.00	0	138834.00

प्रस्तर सं०-61 -वित्त वर्ष 20-21 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया की पत्रावली में संलग्नी मस्टररोल से संबंधित समस्तर मजदूरी की धनराशि ₹0 2663454.00 कार्य प्रभारी को भुगतान किया गया जबकि मजदूरी की धनराशि मजदूरों के खातों में बैंक के माध्यम से किया जाना नियमानुसार होता। अतः स्पष्ट है कि संस्थान द्वारा ऐसा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया जिसके लिए ख०वि०अधि० श्री महावीर सिंह, श्री राजकुमार वर्मा, श्री सच्चिदानंद, श्री रामविलास राय व लेखाकार श्री लक्ष्मी शंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण.

राज्य वित्त मजदूरी वर्ष 19-20

क्र० सं०	कार्य का नाम	मानव दिवस	धनराशि	मोडऑफसेट		भुगतान प्राप्तकर्ता नाम
				पी०एफ० म०यस०	दिनांक	
01	ग्रा०पं० भीटपरा मे खबरा पुल से आम के पेड तक मि०ख० कार्य	213	51450	6259	04.09.19	श्रीइनूसअंसारी
		120	29200	6278	31.10.19	„
02	ग्रा०पं० भीटपरा में लल्लू के खेत से अब्दुल्ला के खेत तक मि०/ इ०ला० कार्य	212	51018	6262	04.09.19	„
		216	30660	6279	30.01.19	„
03	शहाबुद्दीन के खेत से अब्दुल्ला के खेत तक मि० / इ०ला० कार्य	189	40320	6265	04.09.19	„
		191	46350	6280	31.10.19	„

04	वि0ख0लोटन के छत व फर्श म0 व टायल्स कार्य तथा रंगाई-पुताई कार्य	40	7200	6268	16-9-19	„
		243	43740	6268	„	„
		120	44400	6267	„	„
		20	7400	6267	„	„
		168	40880	6288	„	„
05	डिगुरकेखेतसेशहाबुददीनकेखेततकमि0/ इ0ला0 कार्य	234	47060	6284	4-11-19	„
		18	7240	6284	„	„
06	ग्रा0पं0 गदहमरवा में स्व0 शिवपूजन के घर के बगल से मस्जिद तक पक्की नाली कार्य	66	16060	6281	31-10-19	„
07	लोधपुरवागौवसेडीगुरकेखेततकमि0 / इ0ला0 कार्य	251	60950	6290	13-11-19	„
		144	35040	6547	13-1-20	„
08	देवपुरमस्जिदियामेंभगानेकेघरकेपासकूपम0	83	20182	6529	„	„
09	मुडिलीमेंराजारामकेघरसेकिसानकेघरतक ख0/ नालीकार्य	195	47710	6531	3-12-19	„
10	करूवावलकलामेवकीलकेघरसेमेउददीनके घरतकनाली /ख0/मि0कार्य	108	26424	6542	13-1-20	„
11	ग्रा0सपहीमेंवारिसअलीकेघरसेमो0उमरके घरतकनाली/ख0 म0 कार्य	00	8808	6545	„	„
12	ग्रा0पं0 बरडाड बरगदही में सभाजीत के घर से अरविन्द के घर तक सी0सी0 रोड कार्य	89	21650	6539	13-1-20	„
13	ग्रा0पं0 पननी में अयोध्या के घर से विष्णु के घर तक ख0म0 कार्य	117	28626	6537	„	„
14	हरिगाँवमेंसोहनपी0डब्बूडी0 सडकसेरमाशंकरकेघरतकख0म0 कार्य	378	92484	6552	17-2-20	„
15	भिटपरामेंपटूकेखेतसेसोखाकेखेततकइ0 ला0 कार्य	44	10640	6555	19-2-20	„
16	भुसौलामाफीमेंशेषनाथशुक्लाकेघरसेहृदय नारायणकेघरतकख0नालीम0	48	13946	6558	19-3-20	„
17	वि0ख0कार्यालयमेंविदुतमकार्य 0	00	8808	6561	20-3-20	„
18	वि 0ख0 में20 नगकुर्सीविआर0ओ0क्रयकार्य	00	8808	6561	20-3-20	„
19	विकासखण्डकार्यालयकाबाउन्डीवाल्म0 एवंरंगाई-पुताईकार्य	159	38902	6563	31-3-20	„

		योग	889506. 00			

राज्य वित्त मजदूरी वर्ष 20-21

क्र 0 सं 0	कार्यप्रारम्भतिथि	मानवदि वस	धनराशि	मोडऑफपेमेंट		भुगतानप्राप्तकर्ता	
				पी0एफ0ए म0यस0 न0	दिनांक	नाम	पदनाम
0 1	लोटनथानेमेंइ0ला0 कार्य	246	65764	3892	15-1-21	श्रीइनू सअं सारी	ए 0डी0ओ0)सह(0
0 2	लोटनथानेमेंअवशेषइ0ला0 कार्य	75	20050	3397	26-2-21	„	„
0 3	वि 0ख0 कार्यालयमेंएल्युमिनियमकेबिनआदिकार्य	113	31278	8914	8-12-20	„	„
0 4	पनेराखैरहवाके 0जी0 /बंधेसेमस्जिदतकमि0खकार्य 0	115	30876	1809	8-12-20	„	„
0 5	पक्कीसडकसेहाजीकरमहुसेनसाफियापब्लिक स्कूलसेखखराबु0तकसी0सी0 कार्य	159	42506	1560	8-12-20	„	„
		186	49724	4925	15-1-21	„	„
		345	92230				
0 6	वि 0ख0 लोटनकार्यालयकेबुरामदेमेंलोहेकाचैनलगेटनि 0	30	8020	4342	15-5-21	„	„
0 7	वि 0ख0 परिसरमेंस्थितख0वि0 अध्रि0आवासकाम0 कार्य	72	19248	2575	8-12-20	„	„
		240	64560	„	„	„	„
		168	44912	4687	15-1-20	„	„
		480	12832 0			„	„
0 8	जगदीशप्रसादवरिष्ठलिपिकेआवासकेछत कामकार्य 0	240	64160	9691	8-12-20	„	„
		132	35288	„	„	„	„
		129	34486	5860	15-1-20	„	„
		501	13393 4			„	„
0 9	वि 0ख0 परिसरमेंराष्ट्रीयग्रामीणआजीविकामिशनकेभ वनकाछतम0 कार्य	330	88220	2812	26-2-21	„	„
1 0	बसहियागांवमेंशहाबुददीनकेखेततकइ 0ला0 कार्य	192	51328	0251	8-12-20	„	„
		78	20852	5442	15-1-20	„	„

		270	72180			”	”
1 1	भीटपरामेंदीनानाथकेखेतसेशहाबुददीनकेखेत तकइ0ला0कार्य	90	22020	6567	11-5-20	”	”
		255	62399	”	”	”	”
		345	84419			”	”
1 2	भीटपरामेंलौटूकेघरसेरामप्रसादकेघरतकइ0 ला0 कार्य	351	85878	6571	21-520	”	”
1 3	भीटपरामेंअबुल्लाहकेखेतसेशहाबुददीनकेखे ततकइ0ला0 कार्य	342	83676	6573	21-5-20	”	”
1 4	के0जी0बंधेसेकालेकेघरतकसोलिंगम0 कार्य	186	45508	6565	4.5.20	”	”
		योग	9707 53				

केन्द्रीय वित्त मजदूरी भुगतान वर्ष 20-21

क्र 0 सं 0	कार्यप्रारम्भतिथि	मानव दिवस	धनरा शि	मोडऑफपेमेंट		भुगतानप्राप्तकर्ता	
				पी0एफ0 एम0यस0 न0	दिनों क	नाम	पदनाम
0 1	कौलपुरनिविहवामेंकालीजीस्थानसेसमयमातास्थानतकसो लिंगकार्य	357	71378	0222	15-3- 21	श्रीडनूस अंसारी	ए0डी0ओ0) सह(0
0 2	भीटपरामेंपक्कीसडकसमजीबुल्लाहकेघरतकसी0सी0 कार्य	144	38496	9472	”	”	”
0 3	भीटपरामेंमहगूकेघरसेगोलीकेघरतकइ0ला0 कार्य	195	52130	9663	”		
0 4	भीटपरामेंफरीदकेघरसेप्राइमरीस्कूलतकइ0ला0 कार्य	225	60150	9319	”	”	”
0 5	केसारीमेंचिनककेघरसेलमुहियातालतकनानी	315	84210	9081	133-- 21	”	”
0 6	कौलपुरग्रांटमेंहफीजुल्लाहकेघरसेप्रधानकेघरतकनानीढक्क/ नकार्य	204	54536	8323	”	”	”
0 7	भीटपरामेंफरीदकेघरसेप्राइमरीस्कूलतकनानीनिकार्य 0	342	91428	9554	”	”	”
0 8	मैनहवारूआबकेघरसेमालककेघरतकइ0ला0 कार्य	273	69774	9388	”	”	”
0 9	मैनहवामेंहफीजुल्लाहकेघरसेवासिमप्रधानकेघरतकइ 0ला0 काग्र	186	49724	0952	”	”	”
1 0	भीटपरामेंप्राइमरीस्कूलसेगोलीकेघरतकइ0ला0 कार्य	195	52130	9616	15-3- 21	”	”
1 1	बडहरामेंभोलेयादवकेखेतसेप्राइमरीस्कूलतकइ0ला0 कार्य	153	40902	1020	13-3- 21	”	”
1 2	वि0ब0 परिसरमेंसामुदायिकशौचालयनि0	294	78596	8269	”	”	”

1 3	कौलपुरमैनहवामेंमालककेघरसप्रधानकेघरतकइ0ला0 कार्य	225	60150	8698	15-3-21	„	„
		योग	803604				

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	2663454.00	2663454.00

11 - क्षेत्र पंचायत -मिठवल लेखा परीक्षा वर्ष-19-20 से 20-21 विकास खंड -मिठवल

प्रस्तर स०-62 -वित्तवर्ष 20-21 की केन्द्रीयवित्त मदके लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञानमें आया की पत्रावलीमें संलग्न मस्टररोलसे संबंधित कई मजदूरोंकी धनराशि कुछ मजदूरोंके खातेमें भुगतान किया गया जबकि मजदूरीकी धनराशि मस्टररोलमें लगे मजदूरोंके अलग-अलग खातेमें बैंकके माध्यमसे किया जाना नियमानुसार होता। अतः स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मजदूरोंसे मिलीभगत कर के राजकीय धन का अपहरण किया गया जिसकेलिए ख०वि०अधि० श्रीरघुनाथसिंह व लेखाकार श्रीअर्जुनप्रसाद उत्तरदायी है।उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली ख०वि०अधि० श्रीरघुनाथसिंह व लेखाकार श्री अर्जुनप्रसाद से किया जाना अपेक्षित है। विवरण-

क्र 0 सं 0	कार्यकानाम केन्द्रीयवित्त अनटाइड फण्ड	कार्यअव धि	मजदूरोंका नाम	धनराशि	भेजी गयी धनराशि	प्राप्त कर्त्ता का नाम	पी०एफ०ए०य स० सं०	दिनांक	अपहरण की धनराशि
0 1	धवर राजेन्द्र के घर से बाग तक इ०ला० कार्य आई०डी० नं० 46342846	3.02.21 से 16.02.21	अभय पाण्डेय	5600	11200	अभय पाण्डेय	121885	23.02.21	5600
			रिषभ	5600					
			सुरेश	2814	5628	रामकली	121936	23.02.21	2814
			रामकली	2814					
			देवेन्द्र	2814	5628	देवेन्द्र	121975	23.02.21	2814
			शैलेन्द्र	2814					
			राजनवर्मा	2814	3013	राजनवर्मा	121890	23.02.21	201
			पवनवर्मा	201					
			विनयकुमार	5600	8000	विनयकुमार	121902	23.02.21	2400
			विजयकुमार	2400					
								योग	13829
0 2	सियरापार दिलीप के खेत के पास आर०सी०सी० पुलिया	3.02.21 से 16.02.21	सुरेश	6400	23200	सुरेश खातासं०	121959	23.02.21	16800

			प्रेमप्रकाश	6400		362444776			
			अजुर्न	6400		6			
			सुखई	4000					
			रामचन्द्र	3216	9648	रामचन्द्र	121972	23.02.21	6432
			अवधेश	3216		खातासं0			
			गायत्री	3216		312300925			
								23.02.21	
			अजयकुमार	3216	9648	अजयकुमार	121965	23.02.21	6432
			अंजना	3216		खातासं0			
			शेषराम	3216		750692985			
						78			
			प्रहलाद	3216	6432	प्रहलाद	121910	23.02.21	3216
			सुदामा	3216		खातासं0			
						370221579			
						97			
			जगताराम	3216	6432	मन्नीदेवी	121935	23.02.21	3216
			मन्नीदेवी	3216		खातासं0			
						323802723			
						8			
			अशोक	3216	10500	अशोक	121888	23.02.21	7284
			सजीवन	3216		खातासं0			
						100152804			
			विनोदशर्मा	3216	9648	प्रिसशर्मा	121875	23.02.21	6432
			प्रिसशर्मा	3216		खातासं0			
						382410146			
						2			
			अंजूदेवी	3216	9648	अंजूदेवी	121897	23.02.21	6432
			फूलचन्द	3216		खातासं0			
			रजनी	402		357745070			
						2			
								योग	56244

03	वि0ख0 पसिरमेंचिल्डेनगार्डेन नि0 कार्य	3.02.2 1 से 16 02.21	सतीशच न्द्र	5600	23600	सतीशचन्द्र खातासं0 338883973 54	14279	6.03.21	18000
			महेशचन्द्र	5600					
			कृष्णचन्द्र	5600	17085	कृष्णचन्द्र खातासं0 751038547 66	14283	6.03.21	11485
			श्यामचन्द्र	5600				6.03.21	
			गणेशचन्द्र	5600	6834	गणेशचन्द्र खातासं0 316261233 08	14290	6.03. 21	1234
								योग	30719
04	प्रा0वि0रामनगरलेह डाकेबगलमेंआर0सी0 सी0 पुलियानि0नि0	1.02.2 1से 16.02. 21	अतुलचौधरी	6400	21200	अतुल चौधरी खातासं0 75112914251	121879	23.02 .21	14800
			रामहित	6400					
			रोहित	6400					
			गव्वू	200					
			अरविन्द	3216	12864	अरविन्द खातासं0 323807848 7	121943	23.02 .21	9648
			मिक्की	3216					
			गोलू	3216					
			पवन	3216					
			सुभाषच न्द्र	3216	12864	सुभाषचन्द्र खातासं0 323804707 3	121946	23.02 .21	9648
			धीरू	3216					
			विनय	3216					
			वीरू	3216					
			रामजतन	3216	9648	रामजतन खातासं0	121921	23.02 .21	6432
			करिया	3216					

			मुसारे	3216		345203294 6			
			श्रीमती	3216	9648	श्रीमती खातासं0 750296509 71	121930	23.02 .21	6432
			रानी	3216					
			गुडिया	3216					
			अनीता	3216	9648	अनीता खातासं0 323802866 2	121916	23.02 .21	6432
			रम्पी	3216					
			सिम्पी	3216					
			आनंद	3216	9648	आनंद खातासं0 750440432 08	121964	23.02 .21	6432
			राजेश	3216					
			सुनीता	3216					
			सुनील	3216					
								योग	59824
0 5	दानोकुइयॉनहरपुलि यासेगैसएजेंसीतकइ0 ला0 कार्य	12.02. 21से28 .02.21	सतीशच न्द्र	6800	23600	सतीशचन्द्र खातासं0 221832673 0	214279	6.03. 21	16800
			वृजेश	6800					
			मनोज	6800					
			दिनेश	3200					
			कृष्णचन्द्र	3417	17085	कृष्णचन्द्र खातासं0 751038547 66	214283	6.03. 21	13668
			चन्द्रभान	3417					
			रिंकू	3417					
			किसुन	3417					
			सैरागी	3417					
			गणेशचन्द्र	3417	6834	गणेशचन्द्र खातासं0 3162612330 8	214290	6.03. 21	3417
			कृष्णा	3417					
								योग	33885
0 6	धवरपिचरोडसेचन्द्र भानकेघरतकसी0सी0 कार्य	1.02.2 1 से	परमेश्वर	6400	19200	परमेश्वर खातासं0	21300 0	27.02 .21	12800

		16.02. 21				3238017264			
			राजेश	6400					
			सुरेश	6400					
			प्रतापनारायण	6400	11200	प्रतापनारायण खातासं0	12999	27.02 .21	4800
			अवधेश	4800		7504458744 3			
			रतन	3216	9648	रतन	12998	27.02 .21	6432
			रंजीत	3216		खातासं0 6500000100 129815			
			संचीत	3216				27.02 .21	
			सचिन	3216	9648	सचिनखातास 0	129997	27.02 .21	6432
			रमेश	3216		650000010017 2127			
			सुरेश	3216					
			सुगतिनारायण	3216	13668	सुगतिनारायण खातास0	129996	27.02 .21	10452
			भगत	3216		9180100799 96577			
			सतीश	3216					
			रोहित	3216					
			विनय	804					
								योग	40916
	केन्द्रीयवित्त टाइड फण्ड								
0 6	तिलौली के तिलौला पिच रोड नाली से गडदे तक ह्यूम पाइप नाली नि0 कार्य	3.02.2 1से 14.02. 21	प्रमोदकुमार	4800	7212	प्रमोदकुमार खातासं0	121982	27.02 .21	2412
			दीपककुमार	2412		3079506589 9			
			रामचन्द्रर	2412	3618	रामचन्द्रर	121917	27.02 .21	1206
			जयचन्द्र	1206		खातासं0 11714161897			

								योग	3618
07	भरमामेंबाबूराम के घर से भूलन के घर तक दककन सहति नाली कार्य	3.02.2 1से 16.02. 21	अभिषेक	5600	11200	अभिषेक खातासं0 6302010009 168	121945	27.02 .21	5600
			आलोक	5600					
			निखिल	5600	11200	निखिल खातासं0 6302010000 2155	121922	27.02 .21	5600
			अखिल	5600					
			प्रदीपकुमार	5600	6800	प्रदीपकुमार खातासं0 6500000100 027775	121969	27.02 .21	1200
			मनोजकुमार	1200					
			गौरववर्मा	2814	8442	गौरववर्मा खातासं0 3292067850 7	121873	27.02 .21	5628
			सौरभवर्मा	2814					
			गौखीवर्मा	2814					
			हिमांशु	2814	8442	हिमांशु खाता सं0 6500000100 165334	121944	27.02 .21	5628
			सुधांशु	2814					
			धर्मेन्द्रपाठक	2814					
			शुभमपाण्डेय	2814	5628	शुभमपाण्डेय खातासं0 7363020100 01334	121890	27.02 .21	2814
			अभयपाण्डेय	2814					
			अभिषेक चौधरी	2814	8241	अभिषेक चौधरी खातासं0 7363020100 01504	121880	27.02 .21	5427
			संतोष चौधरी	2814					
			निखिल चौधरी	2613					
								योग	31897
08	धवरमेंगोपालकेघरसे गडढेतकहयूमपाइप/	3.02.2 1से	सावित्रीदेवी	2010	4020	सावित्रीदेवी	121907	27.02 .21	2010

	नाली एवं इ0ला0कार्य	12.02. 21				खातासं0 323803673 0			
			रानी	2010					
								योग	2010
0 9	करहीमेंदीनदयालकेघ रसेगडदेतकहयूमपाइ पनालीनि0 कार्य	12.02. 21से 28.02. 21	राहुल	1206	10854	राहुल	214302	6.02. 21	9648
			लक्ष्मी	3216					
			अनिकेत	3216					
			रीनाकुमा री	3216					
								योग	9648
1 0	धंवरमेंवसीमकेखेतस पोखरेतकनालीनि0	12.02. 21से 28.02. 21	संतोष	6800	29600	संतोष खातासं0 3598597138	214285	6.02. 21	22800
			रामसमेर	6800					
			फिरोज	6800					
			सददाम	6800					
			कासिम	2400					
			खुर्शीद	3417	20502	खुर्शीद खातासं0 3919018173	214288	6.02. 21	17085
			इरमान	3417					
			बकाउल्ला ह	3417					
			सनाउल्ला ह	3417					
			मो0नदीम	3417					
			संजय	3417					
			अशोक	3216	13467	अशोक खातासं0	214277	6.02. 21	10251
			काजोल	3417					

			शालू	3417		6500000100			
			रमेश	3417		152804			
								योग	50136
							सम्पूर्णयोग		332726

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
332726.00	0	0	332726.00

प्रस्तर स०-63-वित्त वर्ष 20-21 की राज्य वित्त मद के लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया की पत्रावली में संलग्न मस्टररोल

से संबंधित समस्त मजदूरी की धनराशि रू0 2105049.00 कार्य प्रभारी को भुगतान किया गया जबकि मजदूरी की धनराशि मजदूरों के खातों में बैंक के माध्यम से किया जाना नियमानुसार होता। अत स्पष्ट है कि संस्था द्वारा ऐसा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया जिसके लिए ख0वि0अधि0 श्री रघुनाथ सिंह ब्लॉक प्रमुख श्रीमती निशा चौधरी व लेखाकार श्री अर्जुन प्रसाद उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण-

क्र 0 सं 0	कार्यकानाम	मानवदिवस	धनराशि	मोडऑफपेमेंट		भुगतानप्राप्तकर्ता	
				पी0एफ0एम0 यस0 न0	दिनांक	नाम	पदनाम
0 1	बांसी मार्ग पर तिबस्तो लौली चौराहे से पूरब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लौली तक इंटरलॉकिंग कार्य 19 -20 का अवशेष भुगतान	90	19742	2258	7.5.20	श्री राम सरन	जे0ई0एम0आई
		198	43428	„	„	„	„
		93	20286	„	„	„	„
0 2	बांसी -बस्ती मार्ग से दानोकुईया सी०सी० रोड तक इंटरलॉकिंग	168	40026	2561	23.5.20	„	„
		356	84072	6564	24.6.20	„	„
0 3	बांसी -बस्ती मार्ग पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली डॉक्टर के आवासीय भवन में बाउंड्रीवाल तक इंटरलॉकिंग कार्य	168	40026	2564	23.5.20	„	„
		97	22626	6566	24.6.20	„	„
		265	62652				

04	विकास खंड के पूव गेट से इन्द्रजीत के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य	168	40026	2570	23.5.20	”	”
		341	81057	6585	30.6.20	”	”
		509	121083				
05	धवरहरिजनटोलामेंसी 0सी0 रोडसेबहरैचीकेघरतकइ0ला0कार्य	168	40026	2587	23.5.20	”	”
		286	66873	6577	25.6.20	”	”
		454	106899				
06	धवरगाँवमेंचौदअलीकेघरसेसंतरामकेघरतकइ0ला0 कार्य	98	29498	6553	24.5.20	”	”
		92	21621	6575	25.6.20	”	”
		190	51119			”	”
07	कहरपुरवाँसाधूसरनकेकुआँसेपुलियातकनालीड/ बकनसहितखण्डंजानि0	98	29498	6556	24.5.20	”	”
		102	26760	6578	25.6.20	”	”
		200	56258				
						”	”
08	विकास खंड परिसर में शौचालय निर्माण	39	9925	6559	24.5.20	”	”
		68	16797	6591	30.6.20	”	”
		107	26722			”	”
09	अकसरामाफीमोहनलालकेघरसेकालीस्थानतक खकार्य 0	141	31470	6568	24.6.20	”	”
10	विकास खंड परिसर में ग्राम सचिवालय एवं शौचालय मरम्मत एवं रंगाई पुताई	105	27363	6581	25.6.20	”	”
		270	71981	0799	1.11.20	”	”
		375	99344			”	
11	विकास खंड परिसर में रिसोर्स सेंटर एवं स्टोर रूम मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	257	61044	6588	30.6.20	श्री विरेन्द्र कुमार	सहा०वि०अधि०

1 2	विकास खंड परिसर में ए०डी०ओ आवास में अतिरिक्त कक्ष मरम्मत	141	37097	2142	1.11.20	श्री राम सरन	जे०ई०एम०आई
		20	5015	9373	18.12.20	”	”
		115	31075	”	”	”	”
		276	73187			”	”
1 3	विकास खंड परिसर में स्थित दुग्ध शाला /मीटिंग हाल का मरम्मत कार्य	60	16040	1519	1.11.20	”	”
		246	65764	”	”	”	”
		72	19049	0748	18.12.20	”	”
		378	100853			”	”
1 4	वि०ख० परिसर आवास टाइप-3 मकान 0	40	10030	2522	1.11.20	”	”
		71	45336	”	”	”	”
		269	45113	2994	18.12.20	”	”
		380	100479			”	”
1 5	डिडईएन फार्मसी पश्चिम से एच० मार्ग कालेज तक इ०ला० कार्य	45	12030	9501	1.11.20	”	”
		178	46723	”	”	”	”
		142	37696	1555	18.12.20	”	”
		19	4615	”	”	”	”
		384	101064			”	”
1 6	जोगिया बुजुर्ग गाँव के पिचरोड से रामचन्द्रमुंशी के घर तक इ०ला० कार्य	239	62765	1415	1.11.20	”	”
		12	3009	”	”	”	”
		139	36695	7829	18.12.20	”	”
		390	102469				
1 7	परसियाजमील के घर से मदरस से तक ख०नि० कार्य	122	24522	8706	18.12.20	”	”
		122	24522	8940	18.12.20	”	”
		244	49044				

1 8	नेउसा गाँव के पश्चिम सी जग्गा से 0सी0 रोड तक घर केसी0सी0कार्य	66	17445	3118	18.12.20	”	”
		66	17445	2930	”	”	”
		132	34890				
1 9	बि /0ख0परिसरमेंबाउन्डीवॉलरंगाई-पुताई जनरेटरभवननि0	487	119379	8908	18.12.20	”	”
2 0	मसिना पूर्वांचल बैंक के सामने इ0ला0 कार्य	139	36496	0378	10.2.21	”	”
2 1	दानोकुइयॉनहरइ तक पुलिया 0ला0 से इ0ला0 कार्य	187	49129	9781	10.2.21	”	”
		221	60560	2969	25.2.21	”	”
		308	109689			”	”
2 2	बि एवं सचिवालय ग्राम में 0ख0 परिसर इ0ला0 कार्य तक शौचालय	136	35694	9186	10.2.21	”	”
		252	66771	4983	25.2.21	”	”
		388	102465			”	”
2 3	धवरिया गाँव से कब्रिस्तान तक इ0ला0 कार्य	225	59557	8160	10.2.21	”	”
		202	50152	4585	25.2.21	”	”
		427	109709			”	”
2 4	तिलौली पिच रोड से पूरब श्यामचन्द्र के खेत तक इ0ला0 कार्य	187	49129	7160	10.2.21	”	”
		231	60560	4319	25.2.21	”	”
		418	109689			”	”
2 5	धवर में नरेश के घर के पास आर 0सी0सी0 पुलिया	354	81104	7745	13.3.21	”	”
		219	50387	”		”	”
		573	131491			”	”
		योग	2105049				

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	2105049	2105049

प्रस्तर स०-64—ग्रंट पजिका तृतीय में आयकर व जी०एस०टी० मद का अलग-अलग खाता नहीं खोला गया है जिससे आयकर व जी०एस०टी० मद का आकलन तथा जमा की गणना अस्पष्ट रही। पत्रावलियों के विवरणनुसार आयकर व जी०एस०टी० का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	अनुदान का मद		आयकर	जी०एस०टी०
01	राज्य वित्त		293398.00	271875.00
02	केन्द्रीय वित्त	टाइड	96366	86038
		अनटाइड	153778	137303
	योग		543542.00	495216.00

उपरोक्त विवरणानुसार आयकर मद में ₹ 543542.00 तथा जी०एस०टी० मद में ₹ 495216.00 निर्धारित लेखा शीर्ष जमा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री रघुनाथ सिंह व लेखाकार श्री अर्जुन प्रसाद उत्तरदायी है। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	1038758	1038758

12 - क्षेत्र पंचायत -डुमरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -डुमरियागंज

प्रस्तर स०-65-वर्ष 20-21 की 15 वा वित्त से संबंधित निर्माण पत्रावली (ग्राम चौरा से राम जी पाण्डेय के घर तक 400 मीटर इन्टरलॉकिंग कि जांच में पाया गया कि मे०पी०के इन्टरप्राइजेज़ तेनुहार का वाउचर संख्या 149 दिनांक 20.02.21 की धनराशि 303081.00 जिसमें आई०टी और जी०एस०टी क्रमशः ₹ 5428 व 4846.00 की कटौती के बाद ₹ 292807.00 की जगह ₹ 293107.00 का भुगतान किया गया है जो ₹ 300.00 अधिक है। बैंक स्टेटमेंट के अभाव में वास्तविक भुगतान की जानकारी नहीं हो सकी। इस प्रकार खंड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा फर्म को बिल से ₹ 300.00 का अधिक भुगतान कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसकी वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	300.00	0	300.00

प्रस्तर स०-66-वर्ष 20-21 कि राज्य वित्त से सम्बंधित निम्न 11 निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कुल मजदूरी ₹ 1146169.00 का भुगतान कार्यप्रभारी श्री शिवबहादुर ए०डी०ओं आई०एस०वी को किया गया है। जो अनियमित है। मजदूरी का भुगतान सम्बंधित मजदूरों के खातों में किया जाना चाहिए था। उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ख०वि०अधि० एवं लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण

क्र ०स	कार्य का नाम	मजदूरी	चेक संख्या	दिनांक
1	ग्राम खानतारा में विमला नेशनल स्कूल श्यामपुर से सटे 1x2 स्पां की पुलिया	153414	342318	16.06.20
2	ग्राम खानतारा में सी सी रोड से हुँरे के खेत तक 200मीटर सी सी रोड	105314	342321	18.06.20
3	ग्राम विलवट में पी०डब्लू०डी रोड से विश्वमित्र तिवारी से घर तक 215 मी० सी०सी रोड	100527	342324	18.06.20
4	ए०डी०ओ पंचायत कार्यालय भवन का मरम्मत एवं उद्घीकरण	89721	342310	15.06.20
5	भलूवाही में ज्ञान प्रकाश के स्कूल से प्रकाश के घर तक सी०सी रोड	121413	342309	15.06.20
6	तुरकौलिया के अचलपुर में 175 मी० सी०सी रोड	29718	342304	15.06.20
7	ग्राम तेलियाडीह पी०डब्लू०डी रोड से हाजी साहब के घर तक 200 मी सी०सी रोड	123624	342314	16.06.20
8	ग्राम तुरकौलिया में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मार्ग पर 200 मी० सी०सी रोड	129260	684467	18.06.20
9	ग्राम परसा जमाल में हरिद्वार के खेत से मदन चौधरी के घर तक 170 मी० सी०सीरोड	112505	684473	18.06.20
10	भरवटिया गांव में पी०डब्लू०डी रोड से सब्बल के खेत तक 200 मी० सी०सी रोड	86188	684470	18.06.20
11	धोबिया तकब से पश्चिम पोखरे पर जाने वाले नाले पर 1x2 स्पां की पुलिया	94485	342303	12.06.20
		1146169		

प्रस्तर स०-67-अनुदान पंजिका भाग -2 व 3 वर्ष 2020-21 कि जाँच में टी०डी०एस व जी०एस०टी जमा से सम्बंधित विवरण नहीं मिला जो आलोच्य वर्ष में क्रमशः रु 550500.00 व रु 493221.00 अर्थात् कुल रु 1043721.00 है जिसकी कटौती चालू वर्ष में हुआ है। आलोच्य वर्ष में इसे सम्बंधित हेड में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन अनावश्यक पड़ा रहा। जो अनियमित है। साथ ही टी०डी०एस एवं जी०एस०टी कटौती को अनुदान पंजिका में अलग शीर्ष में दर्शित नहीं किया गया है, जिससे इन मदों ला प्रारंभिक अवशेष, वर्ष में कटौती व जमा तथा अंतिम अवशेष की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	1043721.00	1043721.00

13- क्षेत्र पंचायत -भनवापुर लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर स०-68-अनुदान पंजिका भाग-3 वर्ष 2019-20 व 2020-21 की जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2021 को कुल ₹0 81819.00 अनवाश्यक अवशेष पड़ा रहा। इसे संबन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया है जो अनियमित है। इस प्रकार तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा राजकीय धन रोककर वित्तीय अनियमितता किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नाम योजना	अवशेष				
01	तेरहवा वित्त	3572				
02	सांसद निधि	23117				
03	पिछड़ा वर्ग कल्याण	9380				
04	बीएलबो मानदेय	45750				
	योग	81819.00				
			अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
			0	0	81819.00	81819.00

प्रस्तर स०-69-वर्ष 2019-20 की राज्य वित्त से संबंधित निम्न निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि ₹0 113904.00 कम जीएसटी0 (दर 2 प्रतिशत) की कटौती करके फर्म को भुगतान किया गया है। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इसमें से कुछ भुगतान का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा फर्म से कम जीएसटी0 की कटौती करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जाँचोपरान्त वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	वाउचर सं० एवं दिनांक	साम ग्री मूल्य	अवधारित जी०एसटी	जी०एसटी कटौती	कम कटौती	फर्म का नाम	अभ्युक्ति
1	विकास खण्ड कार्यालय में अनुरक्षण कार्य	61/24.09.2019	2032 69	4065	-	4065	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
2	हनुआ धनोहरी संपर्क मार्ग पर 2 मी स्पाण की पुलिया निर्माण	83/09.12.2019	1500 04	3000	-	3000	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	

3	महनुआ धनोहरी संपर्क मार्ग पर 2 मी सस्पान की पुलिया निर्माण	221/09.12.2019	1867 32	3735	-	3735	स्टार ब्रिक फिल्ड बिजवार बढ़ई	
4	मगरराव से डिहवा संपर्क मार्ग के बीच 2 मी स्पान की पुलिया	7/28.11.2019	150004	3000	-	3000	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
5	मगरराव से डिहवा संपर्क मार्ग के बीच 2 मी स्पान की पुलिया	223/18.11.2019	186732	3735	-	3735	स्टार ब्रिक फिल्ड बिजवार बढ़ई	
6	मगरराव से डिहवा संपर्क मार्ग के बीच 2 मी स्पान की पुलिया	66/64/तिथि नहीं	107715	2154	216	38	स्टार ब्रिक फिल्ड बिजवार बढ़ई	
7	पू0मा0वि0 चिताही प्रागड़ का सुन्दरीकरण इंटरलार्किंग कार्य	90/11.12.2019	276053	5521	-	5521	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	09. 12.1 9 को भुग तान
8	पू0मा0वि0 चिताही प्रागड़ का सुन्दरीकरण इंटरलार्किंग कार्य	232/11.12.2019	51975	1040	-	1040	स्टार ब्रिक फिल्ड बिजवार बढ़ई	
9	पप्पू सिंह के खेत के सामने पुलिया निर्माण कार्य	87/08.12.2019	150004	3000	-	3000	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
10	पप्पू सिंह के खेत के सामने पुलिया निर्माण कार्य	218/08.12.2019	186732	3735	-	3735	स्टार ब्रिक फिल्ड बिजवार बढ़ई	
11	विकास खण्ड कार्यालय गेट निर्माण कार्य	95/18.11.2019	368484	7370	-	7370	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
12	विकास खण्ड कार्यालय गेट निर्माण कार्य	53/ तिथि नहीं है	202052	4041	-	4041	पाण्डेय कंस्ट्रक्शन	भुग तान नहीं
13	विकास खण्ड कार्यालय गेट निर्माण कार्य	166/ तिथि नहीं है	4175	84	-	84	जनता ब्रिक फिल्ड	भुग तान नहीं
14	पक्की रोड से बब्लू के घर तक सीसी रोड/नाली कार्य	63/01.10.2019	278416	5568	-	5568	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
15	पक्की रोड से बब्लू के घर तक सीसी रोड/नाली कार्य	205/01.10.2019	73962	1479	-	1479	स्टार ब्रिक फिल्ड बिजवार बढ़ई	

1 6	अमौली एकडेगवा संपर्क मार्ग पर 2 मी स्पांन की पुलिया निर्माण	79/18.11.2019	150005	3000	-	3000	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
1 7	अमौली एकडेगवा संपर्क मार्ग पर 2 मी स्पांन की पुलिया निर्माण	225/18.11.2019	186732	3735	-	3735	स्टॉर ब्रिक फिल्ड बिजवास् बढ़ई	
1 8	पीडब्लूडी0 रोड से हनुमान मंदिर तक सीसीरोड निर्माण	64/08.10.2019	273916	5478	-	5478	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
1 9	पीडब्लूडी0 रोड से हनुमान मंदिर तक सीसीरोड निर्माण	206/03.10.2019	64890	1298	-	1298	स्टॉर ब्रिक फिल्ड बिजवास् बढ़ई	
2 0	मगराव डिहवा पर नाली निर्माण कार्य	70/01.10.2019	33006	660	-	660	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
2 1	मगराव डिहवा पर नाली निर्माण कार्य	212/01.10.2019	25883	518	-	518	स्टॉर ब्रिक फिल्ड बिजवास् बढ़ई	
2 2	डिहवा पर सीसीरोड निर्माण कार्य	216/12.12.2019	71190	1424	-	1424	स्टॉर ब्रिक फिल्ड बिजवास् बढ़ई	
2 3	डिहवा पर सीसीरोड निर्माण कार्य	76/12.12.2019	189365	3787	-	3787	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
2 4	सुरेष् के घर से चिररू के घर तक सीसीरोड निर्माण कार्य	74/10.12.2019	189365	3787	-	3787	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
2 5	सुरेष् के घर से चिररू के घर तक सीसीरोड निर्माण कार्य	214/10.12.2019	71190	1424	-	1424	स्टॉर ब्रिक फिल्ड बिजवास् बढ़ई	
2 6	मन्नीजोत की पीडब्लूडी रोड पर पुलिया निर्माण	84/11.12.2019	150005	3000	-	3000	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
2 7	मन्नीजोत की पीडब्लूडी रोड पर पुलिया निर्माण	222/11.12.2019	186732	3735	-	3735	स्टॉर ब्रिक फिल्ड बिजवास् बढ़ई	
2 8	मन्नीजोत पोखरे के पास पुलिया निर्माण कार्य	85/11.12.2019	150005	3000	-	3000	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
2 9	मन्नीजोत पोखरे के पास पुलिया निर्माण कार्य	220/11.12.2019	186732	3735	-	3735	स्टॉर ब्रिक फिल्ड बिजवास् बढ़ई	

30	बीआरसी0 भनवापुर का गेट निर्माण कार्य	91/11.12.2019	197379	3948	-	3948	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
31	बीआरसी0 भनवापुर का गेट निर्माण कार्य	238/11.12.2019	2205	44	-	44	स्टार ब्रिक फिल्ड बिजवार बडई	
32	बिस्कोहर इटवा मार्ग से सेमरी पाखा नहर तक पहुच मार्ग पर पुलिया	86/11.12.2019	150005	3000	-	3000	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
33	बिस्कोहर इटवा मार्ग से सेमरी पाखा नहर तक पहुच मार्ग पर पुलिया	219/11.12.2019	186732	3735	-	3735	स्टार ब्रिक फिल्ड बिजवार बडई	
34	गोपिया चैखान पर पुलिया निर्माण	78/11.12.2019	150056	3001	-	3001	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
35	गोपिया चैखान पर पुलिया निर्माण	229/11.12.2019	186732	3735	-	3735	स्टार ब्रिक फिल्ड बिजवार बडई	
36	थाना त्रिलोकपुर आवासीय भवनो के सामने सीसीरोड निर्माण	291/11.12.2019	85680	1714	-	1714	स्टार ब्रिक फिल्ड बिजवार बडई	
37	मंगराव पोखरे के पास पुलिया निर्माण कार्य	80/10.12.2019	150005	3000	-	3000	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
38	मंगराव पोखरे के पास पुलिया निर्माण कार्य	226/10.12.2019	186732	3735	-	3735	स्टार ब्रिक फिल्ड बिजवार बडई	
			योग	116020	2116	113904		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	113904.00	113904.00

प्रस्तर स०-70 -वर्ष 2019-20 की राज्य वित्त से संबंधित निम्न निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि ₹0 7007.00 कम आयकर (दर 2.24 प्रतिशत) की कटौती करके फर्म को भुगतान किया गया है। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इसमें से कुछ भुगतान का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा फर्म से कम आयकर की कटौती करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है।

क्र०स	कार्य का नाम	वाउचर स० एवं दिनांक	सामग्री मूल्य	अवधारित आयकर	आयकर कटौती	कम कटौती	फर्म का नाम	अभ्युक्ति
1	हिजुरा से सेखुई संपर्क मार्ग के बीच 2 मी स्पान की पुलिया	97/01.01.2020	91467	2049	204	1845	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
2	हिजुरा से सेखुई संपर्क मार्ग के बीच 2 मी स्पान की पुलिया	238/01.01.2020	54142	1213	671	542	कनौजिया कंस्ट्रक्शन	
3	विकास खण्ड कार्यालय गेट निर्माण कार्य	53/ तिथि नहीं है	202052	4526	--	4526	पाण्डेय कंस्ट्रक्शन	भुगतान नहीं
4	विकास खण्ड कार्यालय गेट निर्माण कार्य	166/तिथि नहीं है	4175	94	--	94	जनता ब्रिक फिल्ड	भुगतान नहीं
		योग	351836	7882	875	7007		
				अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग	
				0	0	7007.00	7007.00	

प्रस्तर स०-71-वर्ष 2019-20 की राज्य वित्त से संबंधित निम्न निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि फर्म को कर कटौती के बाद अधिक जो भुगतान होना चाहिए उससे ₹0 566.00 अधिक धन का भुगतान किया गया है। बैंक स्टेटमेंट के अभाव में वास्तविक भुगतान की जानकारी नहीं हो सकी। इस प्रकार तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड

विकास अधिकारी द्वारा फर्म को अधिक भुगतान करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न है

क्र०सं०	कार्य का नाम	बाउचरसं०/तिथि	समग्री मूल्य	कटौती		भुगतान जो हुआ	भुगतान जो होना चाहिए	अधिक भुगतान की धनराशि	फर्म का नाम
				आयकर	जीएसटी०				
01	सभागार कक्ष के किनारे सीसी रोड निमाण कार्य	55/28.12.2019	35186	788	2128	32770	32270	500	स्टार ब्रिक फिल्ड विजवार बढई
02	मगराव से डिहवा संपर्क मार्ग के बीच 2 मी स्पान की पुलिया	223/18.11.2019	186732	4183	-	182589	182549	40	स्टार ब्रिक फिल्ड विजवार बढई
03	मगराव डिहवा पर नाली निर्माण कार्य	70/01.10.2019	33006	739	-	32293	32267	26	कनौजिया कंस्ट्रक्शन
	योग		254924	5710	2128	247652	247086	566	

प्रस्तर सं०-72 -वर्ष 2019-20 की राज्य वित्त से संबंधित निर्माण पत्रावलियों (सामान्य प्रतिवेदन से संलग्न प्रारूप-2)की जाँच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा सामग्री एवं श्रमांश पर कुल धनराशि ₹0 15555491.00 ही व्यय किया गया है जबकि अनुदान पंजिका में राज्य वित्त का व्यय ₹0 16707526.00 दर्शित है। इस प्रकार संस्था द्वारा ₹0 1152035.00 का प्रमाणक, कार्यदिश, एमबी, स्टीमेट, कर कटौती, कार्यपूर्ति इत्यादि का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव में अनुदान पंजिका में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1152035.00	0	0	1152035.00

प्रस्तर सं०-73-वर्ष 2019-20 का अनुदान पंजिका की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में ₹0 2491772.00 व्यय किया गया दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं

किया गया। बैंक स्टेटमेंट के अभाव में संबंधित फर्म/ व्यक्ति के भुगतान प्राप्त करने की पुष्टि भी नहीं किया जा सका। साथ ही मानदेय पंजिका, स्टीमेट, एमबी0, कर कटौती, कार्यपूर्ति इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।-

क्र०सं०	मद	व्यय धन				
01	बीएलओ का मानदेय	106500				
02	गोवंष आश्रय स्थल	340308				
03	मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह	1492113				
04	निर्मल नीर परियोजना	60000				
05	आवास कन्टीजेन्सी	449337				
06	जे०ई०(आई०ई०एस०)	43514				
	योग	2491772				
		अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग	
		2491772.0	0	0	2491772.00	

प्रस्तर सं०-74 अनुदान पंजिका भाग-2 व 03 वर्ष 2019-20 की जाँच में टीडीएस व जीएसटी जमा से संबंधित विवरण नहीं मिला जो आलोच्य वर्ष में क्रमशः ₹0 343600.00 व ₹0 199548.00 अर्थात् कुल ₹0 543148.00 है जिसकी कटौती चालू वर्ष में किया गया है। आलोच्य वर्ष में इसे संबंधित हेड में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन अनावश्यक रूप से रोक कर रखा गया है। अतः तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कर जमा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इस प्रकार कम कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	543148.00	543148.00

प्रस्तर सं०-75-वर्ष 2019-20 की राज्य वित्त से संबंधित निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निम्न कार्यों पर मजदूरी ₹0 2759165.00 का भुगतान संबंधित मजदूरों के खाते में न करके कार्यप्रभारी को किया गया है। इस प्रकार तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है। साथ ही ₹0 529895.00 का मस्टररोल के भुगतान का विवरण अंकित ही नहीं किया गया है। कुछ मस्टररोल पर तो मजदूरों का नाम, हस्ताक्षर/ अंगुठा निशान तक अंकित नहीं है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम व पद	कुल मजदुरी	चेक सं०	भुगतान की तिथि	अभ्युक्ति
01	विकास खण्ड विकास खण्ड कार्यालय में अनुरक्षण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	75838	95625	20-02-2020	—
02	महनुआ पीडब्लूडी0 रोड के सामने 2 मी स्पान की पुलिया निर्माण	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	58786	95671	31-03-2020	—
			94081	95619	20-02-2020	—
03	वि०ख० कार्यालय के सामने फिल्ड का उच्चीकरण एवं इंटरलाँकिंग	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	91644	95633	20-02-2020	—
04	भनवापुर विकास खण्ड परिसर में आर सीसी नाली निर्माण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	175653	95634	20-02-2020	—
05	विकास खण्ड परिसर में पूर्व निर्मित रोड का अनुरक्षण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	68955	95622	20-02-2020	—
06	सभागार कक्ष का अनुरक्षण एवं उच्चीकरण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	39471	95626	20-02-2020	—
07	महनुआ धनोहरी संपर्क मार्ग पर 2 मी स्पान की पुलिया निर्माण	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	148019	95638	31-03-2020	—
08	सरोथर संपर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	81231	95629	20-02-2020	—
			74802	95667	31-03-2020	—
09	मननीय प्रमुख कक्ष का उच्चीकरण/अनुरक्षण फर्निचर कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	21652	95623	20-02-2020	—
10	वि० ख० परिसर का चाहरदिवारी का नव निर्माण एवं अनुरक्षण	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	174522	95624	20-02-2020	—
11	सभागार कक्ष के किनारे सीसी रोड निर्माण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	62904	95630	20-02-2020	—
12	मगराव से डिहवा संपर्क मार्ग के बीच 2 मी स्पान की पुलिया	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	150203	95641	21-03-2020	—
13	हरनाखुरी संपर्क मार्ग पर 2 मी स्पान की पुलिया निर्माण	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	84518	95632	20-02-2020	—

1 4	हिजुरा से सेखुई संपर्क मार्ग के बीच 2 मी स्पान की पुलिया	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	84336	95631	20-02-2020	—
			60424	95669	31-03-2020	—

	संजय के घर से सोनू के घर तक सीसी /इंटरलाकिंग नाली					
1 5	पू0मा0वि0 चिताही प्रागड का सुन्दरीकरण इंटरलाकिंग कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	67211	95628	20-02-2020	—
1 6	बीआरसी0 मे बाउंड्रीवाल निर्माण	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	85114	भुगतान	का विवरण नहीं	—
1 7	पप्पू सिंह के खेत के सामने पुलिया निर्माण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	119014	95627	20-02-2020	—
1 8	विकास खण्ड कार्यालय गेट निर्माण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	133131	भुगतान	का विवरण नहीं	—
1 9	पक्की रोड से बब्लू के घर तक सीसी रोड/नाली कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	128991	भुगतान	का विवरण नहीं	—
2 0	अमौली एकडेगवा संपर्क मार्ग पर 2 मी स्पाॅन की पुलिया निर्माण	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	27106	भुगतान	का विवरण नहीं	—
2 1	पीडब्लूडी0 रोड से हनुमान मंदिर तक सीसीरोड निर्माण	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	—	भुगतान	का विवरण नहीं	—
2 2	मगरावं डिहवा पर नाली निर्माण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	33746	95659	30-03-2020	—
2 3	हिजुरा से सेखुई संपर्क मार्ग के बीच 2 मी स्पाॅन की पुलिया	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	18261	भुगतान	का विवरण नहीं	मजदुरों का नाम व हस्ताक्षर/अंगुठा निशान नहीं
2 4	डिहवा पर सीसीरोड निर्माण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	35020	95656	30-03-2020	—
2 5	सुरेश के घर से चिररू के घर तक सीसीरोड निर्माण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	33200	95650	21-03-2020	—
2 6	मन्नीजोत की पीडब्लूडी रोड पर पुलिया निर्माण	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	84154	95653	21-03-2020	—
2 7	मन्नीजोत पोखरे के पास पुलिया निर्माण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	82472	95645	21-03-2020	—
2 8	बीआरसी0 भनवापुर का गेट निर्माण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	84256	भुगतान	का विवरण नहीं	मजदुरों का नाम व हस्ताक्षर/अंगुठा

						निशान नहीं
2 9	बिस्कोहर इटवा मार्ग से सेमरी षाखा नहर तक पहुँच मार्ग पर पुलिया गोपिया चौखान पर पुलिया निर्माण	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	53036	भुगतान	का विवरण नहीं	मजदूरों का नाम व हस्ताक्षर /अंगुठा निशान नहीं
			84154	95662	31-03-2020	—
3 0	थाना त्रिलोकपुर आवासीय भवनो के सामने सीसीरोड निर्माण	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	—	भुगतान	का विवरण नहीं	—
3 1	मंगराव पोखरे के पास पुलिया निर्माण कार्य	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	—	भुगतान	का विवरण नहीं	—
3 2	बिस्कोहर इटवा मार्ग से सेमरी षाखा नहर तक पहुँच मार्ग पर पुलिया	श्री खुर्शीद अली खान (ए०डी०ओ)	82290	9563 5	21-03-2020	—
	—	कुल योग	2759165	—	—	—
	—	योग (जिस मस्टररोल का भुगतान नहीं हुआ है)	529895	—	—	—
	—	योग (जिस मस्टररोल का भुगतान हुआ है)	2229270	—	—	—

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	2759165.0 0	2759165.0 0

उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ख०वि०अधि० एवं लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर स०-76-वर्ष 2019-20 की राज्य वित्त से संबंधित निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निम्न कार्यों पर मजदूरी से संबंधित मस्टररोल संलग्न नहीं है। अतः कार्य नहीं कराया गया है। जबकि उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय किया गया है। स्टॉक पंजिका के अभाव में सामग्री की वर्तमान स्थिति एवं सत्यापन की जानकारी नहीं हो सकी। इस प्रकार अतः स्पष्ट है कि अनावश्यक रूप से सामग्री क्रय करके तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा राजकीय धन रु० 1373282.00 का दुरुपयोग किया गया है। इस धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ख०वि०अधि० व लेखाकार से अपेक्षित है।

क्र०स०	कार्य का नाम	क्रय सामग्री का मूल्य
1	अमौली एकडेंगवा संपर्क मार्ग पर 2 मी० स्पान की पुलिया	336767
2	गोपिय चौखान पर पुलिया निर्माण	551851

3	थाना त्रिलोकपुर आवासीय भवनों के सामने सी०सी० रोड	484694
	योग	1373282

प्रस्तर स०-77 -अनुदान पंजिका वर्ष 2020-21 की जाँच में पाया गया कि राज्य वित्त मद में ₹0 2356496.00 व्यय किया गया दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, अनापत्ति पत्र, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉक बुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदिश, टेंडर, कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र, मस्टररोल, कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2356496.00	0	0	2356496.00

प्रस्तर स०-78-अनुदान पंजिका वर्ष 2020-21 की जाँच में पाया गया कि 15 वा वित्त मद में ₹0 11863667.00 व्यय किया गया दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, ग्राम पंचायतों का अनापत्ति पत्र, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉक बुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदिश, टेंडर, कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र, मस्टररोल, कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
11863667.00	0	0	11863667.00

प्रस्तर स०-79 -वर्ष 2020-21 का अनुदान पंजिका की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में ₹0 2393828.00 व्यय किया गया दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बैंक स्टेटमेंट के अभाव में संबंधित फर्म/ व्यक्ति के भुगतान प्राप्त करने की पुष्टि भी नहीं किया जा सका। साथ ही कैशबुक, स्टीमेट, एमबी0, कर कटौती, कार्यपूर्ति इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	मद	व्यय धन
1	आर०ओ०प्लांट	167170
2	गोवंस आश्रय स्थल	304872
3	मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह	1741786
	निर्मल नीर परियोजना	180000

	योग	2393828

जनपद चित्रकूट

मण्डल- चित्रकूट

क्षेत्र पंचायत रामनगर

-: क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ :

प्रस्तर सं० 1 क्षेत्र पंचायत रामनगर द्वारा वर्ष 20-21 में कराये गये निर्माण / मरम्मत कार्यों में पर हुए व्यय का भुगतान संबंधित ठेकेदारों को उनके द्वारा प्रस्तुत बिलों पर 12% जी० एस०टी०. [1% सी०जी०एस०टी०.+1% एस०जी०एस०टी०. + 10% जी० एस०टी०.] जोड़कर किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	कार्य विवरण	बिल की धनराशि	जी० एस० टी० 12%	योग (2+3)	क्षे०पं० द्वारा 2% जी० एस० टी०.	शेष 10% जी० एस० टी० . (3-5) भुगतानित
1	घुरेहटा मजरा रामटेकवा में इ०ला०ख०नि०	882683	105922	988605	19772	86150
2	एन० आर एल० एम०कक्ष में टाइल्स कार्य	164910	19789	184699	3694	16095
3	आई० आर० डी०. कक्ष में टाइल्स फिक्सिंग एवं रंगाई पुताई	77715	9325	86909	1738	7587
4	छीबो में डब्लू० बी० एम० रोड नि० प्रथम	654180	78500	732680	14654	63846
5.	छीबो में डब्लू० बी० एम०. रोड नि० द्वितीय	651868	78224	730092	14602	63622

6	छीबो में पुलिया मरम्मत प्रथम	84566	10148	94714	1894	8254
7	छीबो में पुलिया मरम्मत द्वितीय	84566	10148	94714	1894	8254
8	पिपरियामाफी में रविशंकर से नागेन्द्रके घर तक इ०ला०ख०नि०	492813	59137	551950	11039	48098
9	पिपरियामाफी में सी0 सी0 रोड से चकोली के घर तक इ०ला०ख०नि०	348704	41847	390551	7812	34035
10	घुरेहटा मेन रोड से राजेन्द्र पाण्डेय के दरवाजे तक इ०ला० ख०नि०	485972	58316	544288	10886	47430
11	घुरेहटा मजरा अमरपुर में रामसागर त्रिपाठी के घर से हनुमान मन्दिर तक इ०ला०ख०नि०	877517	105614	983131	19663	85951
12	घुरेहटा मजरा अमरपुर में सूरजमान के घर से राजकुमार के हैण्डपम्प तक इ०ला० ख०नि०	480197	57624	537821	10756	46868
13	वि०ख० रामनगर में बाउन्ड्री निर्माण	402120	48254	450374	9008	39246
14	वि० ख० परिसर में नाली / ढक्कन का कार्य	394942	43393	438335	8766	34627
15	आजीविका मिशन की छत मरम्मत	58775	7050	65825	1316	5734
		--	733291	--	137494	595797

उपर्युक्त की जाँच में पाय गया कि 2% जी0एस0टी0. [1% सी0जी0एस0टी0.+1% एस0जी0एस0टी0.] क्षेत्र पंचायत द्वारा सीधे जी0एस0टी0. विभाग चित्रकूट को चालान द्वारा जमा किया गया। शेष 10% जी0एस0टी0. संबंधित / सप्लायरों के चेक/ पी0एफ0एम0एस0. द्वारा उनको, (ठेकेदारों) बिलों की सकल धनराशि में जोड़कर इस आशय से भुगतान किया गया कि 10% जी0एस0टी0.. को जी0एस0टी0.. विभाग में जमाकर चालान की एक प्रति फोटो की क्षेत्र पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे किंतु ठेकेदारों / सप्लायरों द्वारा चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी। क्षेत्र पंचायत द्वारा संबंधित ठेकेदारों / सप्लायरों की जी0एस0टी0.. रजिस्ट्रेशन नम्बर पर न जमाकर क्षेत्र पंचायत की जी0एस0टी0..

नम्बर पर जमा किये जाने से शेष 10% जी0एस0टी0.लेखाकार श्री अतुलकान्त खरे एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम पटेल दोनो द्वारा राजस्व की क्षति कर संबंधित ठेकेदारों / सप्लायरों को लाभान्वित किया गया है।

अतः 10% जी0एस0टी0.से राजस्व की क्षति को लेखाकार श्री अतुलकान्त खरे एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम पटेल द्वारा जी0एस0टी0.विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में की गयी अनियमितता को ब्याज सहित संयुक्त रूप से रु0 297898.50 बराबर बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तर सं० 2आलोच्य वर्ष 20 21 में क्षेत्र पंचायत रामनगर द्वारा कराये गये डब्लू0 बी0 एम0. रोड निर्माण की प्रस्तुत पत्रावली हटवा राजापुर मार्ग से छीबों गौशाला तक प्रथम भाग (400 मी०) एवं द्वितीय भाग (400 मी०) अनुमानित लागत रु 9.92 लाख एवं 9.92 लाख की स्वीकृत निविदा रुद्रा ट्रेडर्स छीबो द्वारा श्री सुभाष चक्रवर्ती जे0ई0 (एम0 आई0) तकनीकी कार्य प्रभारी की देख-रेख में पत्रांक 2031/27.11.2020 स्वीकृत के पश्चात् दिनांक 15.12.2020 से दोनो कार्य प्रारम्भकर प्रथम भाग दिनांक 20.02.2021 तथा द्वितीय भाग 10.02.2021 को पूर्ण दर्शित पाया गया। फर्म रुद्रा ट्रेडर्स छीबों द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिलों पर किया गया भुगतान कमशः निम्न प्रकार रहा-

क्रमांक	बिल नम्बर	बिलो की धनराशि	12% जी0एस0टी0	कुल कटौतिया टी0डी0एस0.+2 % जी0एस0टी0+ सेस+जमानत	शुद्ध धनराशि	भुगतान का दिनांक
प्रथम भाग	62,63,64,65	654180	78500	97227	635453	31.01.21
	13,12,2020					
द्वितीयभाग	66,67,68,69	651868	78224	96883	633209	31.01.21
	14.12.20					
योग -		1306048	156724	194110	1268662	
प्रथम भाग	86/24.06.21	215820	25898	12739	228979	अवशेष
द्वितीय भाग	87/27.06.21	212273	25529	12529	225216	अवशेष

अवशेष उपरोक्त पर निम्नलिखित बिन्दु रहें -

- 1- दोनों कार्यों पर निविदा अलग-अलग थी।
- 2- दोनों कार्यों पर डाली गयी निविदायें अलग-अलग थी।
- 3- दोनों कार्यों हेतु एक ही फर्म/ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गयी।
- 4- दोनों कार्यों के संचालन हेतु एक ही पत्र / पत्रांक/दिनांक से अवगत कराया गया।
- 5- एक ही कार्य को दो भागो में बाँटकर अलग-अलग निविदा प्रकाशित कराकर एक ही व्यक्ति से कराया गया। अलग-अलग कार्य कराकर शासनादेशों का पालन नहीं किया गया।
- 6- कराये गये कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।

- 7- निर्माण कार्य प्रथम भाग दिनांक 20.02.2021 तथा द्वितीय भाग दिनांक 10.02.2021 को समाप्त एम. बी. में दर्शित पायी गयी।
- 8- क्षेत्र पंचायत में रुद्रा ट्रेडर्स द्वारा कार्यों के पूर्ण पश्चात् अपना अन्तिम बिल कमशः दिनांक 24.06.2021 वे 27.06.2021 को कमशः 215820.00 व रु 212273.00 प्रस्तुत किया। किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा गणना के पश्चात् तातारीख तक बिलो का भुगतान नहीं किया गया। जबकि बिलो में पूरी कार्यवाही पश्चात् की " पेड एंड कैंसिल " की मोहर लगी पायी गयी। साथ ही शेष भुगतान पाने हेतु फर्म/ठेकेदार द्वारा कोई भी पत्राचार भी किया गया, नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से सपष्ट है, कि कार्य पूर्ण पश्चात् संपूर्ण एम. बी. किये जाने के बाद भी फर्म द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिलों का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा न किया जाना दोनों कार्य संदिग्ध प्रतीत होते हैं। अतः उपरोक्त निर्मित कार्यों पर भुगतानित धनराशि कमशः रु 732680.00 व रु 730092.00 कुल रुपये 1462772.00 का व्यय कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, तकनीकी प्रभारी एवं लेखाकार चारों संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री बालमुकुन्द पाण्डेय तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम पटेल, तत्कालीन तकनीकी प्रभारी श्री सुभाष चकवर्ती एवं श्री अतुल कान्त खरे चारों में से प्रत्येक से रूपया 365693.00 तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 3 क्षेत्र पंचायत कर्वी के वर्ष 2019 20 से 2020-21 के अनुदान रजिस्टर 2 में दर्शित धनराशि, जो सम्बन्धित को निम्न प्रकार से भुगतानित थी।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
13.08.20	171467	688640.00	में आर के त्रिपाठी सप्लायर नि० पुरवा तरौहा

उपरोक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली ग्रा० पं० गंगा के घर तक नाली निर्माण कार्य की जांच में स्पष्ट हुआ कि यह कार्य कराया गया था। पत्रावली में बिल सं० 29 धनराशि 670190.00 में बिल सं० पर तारीख 14.07.2015 अंकित है। इस प्रकार 2014-15 में कराये गये कार्य का बराछ में रामदीन के घर से वित्तीय वर्ष 2014-15 में 30 धनराशि 18450.00 भुगतान 06 वर्षों के बाद किया गया है। भुगतान में देरी का कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। पत्रावली में संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 31.03.2015 अंकित है, परन्तु कार्य पूर्ण करने की तिथि अंकित नहीं है। सम्बन्धित कार्य की पत्रावली में न तो कोई पत्र और न ही जांच से सम्बन्धित पत्रावली ही संलग्न है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किन परिस्थितियों में भुगतान में इतना विलम्ब हुआ। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आधे-अधूरे स्वरूप में संलग्न होने से कार्य पूर्ण होने की संभावना पर भी प्रश्नचिन्ह है। इस प्रकार उपरोक्त बिल में दर्शित धनराशि 688640.00 का भुगतान बिना किसी जांच/शिकायत /कारण के अत्याधिक विलम्ब से किये जाने से सम्पूर्ण भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसके लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री गुलाब सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुन्नीलाल गुप्ता उत्तरदायी हैं। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित व्यय 688640.00 अनियमित होने के कारण सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 4 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 एवं शासनादेश सं० 97/2016/2811/33-3-2016-03 / 2015 दिनांक- 28.11.2016 के मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। जिसके प्रस्तर दो के अनुसार एवं प्रस्तर 6 की संशोधित व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाना तथा शासनादेश सं० 97/2016/2811/33-03/2015 दिनांक 28 नवम्बर 2016 के प्रस्तर 6 की संशोधित

व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तांतरित सम्पत्तियां यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , पशुचिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रख रखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों / सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा।

परन्तु उक्त शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2019-20 व 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की क्षेत्र पंचायत पहाड़ी द्वारा निम्नवत ऐसे कार्य कराये गये जो एक ग्राम पंचायत तक सीमित थे।

क्र० सं०	ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्यों का विवरण	धनराशि	खण्ड विकास अधिकारी	ब्लाक प्रमुख
1.	जी०पी० बीरघुमाई सुरकी में मेनरोड से रामसिया केपुरवा तक इ०ला० रोड निर्माण ।	467933.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
2.	जी०पी० सरघुआ में गरीब पुरवा मेन रोड से मुन्नासिंह के डेरा तक इ०ला० रोड निर्माण ।	986798.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
3.	जी०पी० मिर्जापुर में राम खेलावन के खेत से रंजीतके पुरवा तक इ०ला०ख० व पुलिया निर्माण ।	996419.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
4.	जी०पी० इटौरा मेन रोड से देवी जी तक इ०ला० रोडनाली ।	986852.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
5.	जी०पी० चिल्लीमल गाँव से यमुना नदी घाट तक इ०ला० ख० कार्य ।	989661.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
6.	जी०पी० लोहदा में चौसठ योगिनी मंदिर से मेन रोडतक सी०सी० रोड निर्माण ।	987476.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
7.	जी०पी० नादी में आनन्दी प्रसाद तिवारी जी के घर केपास यादव पुरवा तक डब्लू. बी. एम. संपर्क मार्ग ।	969383.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
8.	जी०पी० कुचारम में सिंहपुर पहाड़ी मेन रोड सेभुजबल के खेत तक नाहर पटरी में डब्लू. बी. एम. रोडनिर्माण कार्य	530304.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
9.	अरछा बरेठी में नहर रोड से बालकेश्वरी देवी रोडतक डब्लू बी एम रोड निर्माण ।	984148.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
10.	जी०पी० असोह में मेन रोड से सिंघनिया बाबा तालाबके पास से बच्चू यादव के पुरवा तक डब्लू बी एम रोड कानिर्माण।	987400.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
11.	जी०पी० सुरवल में देव त्रिपाठी के पुरवा से उमेशत्रिपाठी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण।	507657.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव

12.	जी०पी० तौरा सिकरिया में रोड लखन देवी मंदिर सेअहिरन पुरवा तक इ०ला० रोड निर्माण कार्य ।	994453.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
13.	जी०पी० पहाडी बुजुर्ग में ओवरी मेन रोड वोडाफोनटावर के पास से विवेक तिवारी के घर तक इ०ला० व नाली निर्माण।	291001.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
14.	जी०पी० कुसैली में कुसैली मेन रोड कामता केवट केदरवाजे से प्रकाश सिंह के दरवाजे तक इ०ला० रोडनिर्माण ।	969407.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
15.	जी०पी० उननायबन्ना का मजरा बघवारा अकबरिया मेन रोड से रामदास के पुरवा तक डब्लू. बी. एम. रोड व पुलियानिर्माण ।	987639.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
16.	जी०पी० बालापुर खालसा मजरा कालूपुर में लौपर पुरवाडमर रोड से कालूपुर तक डब्लू. बी. एम. रोड का निर्माण ।	996061.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
17.	जी०पी० नादी में आन्नदी तिवारी जी के घर के पास सेयादव पुरवा तक डब्लू बी एम एवं संपर्क मार्ग एवं पुलियानिर्माण अव० कार्य ।	501000.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
18.	जी०पी० लोहदा पाण्डेय पुरवा संपर्क मार्ग से श्रीलवदीप के डेरा तक डब्लू. बी. एम. रोड निर्माण कार्य ।	992067.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
19.	जी०पी० देहरूछ माफी के मजरा भुजौली मार्ग में मेनरोड से गयाप्रसाद के पुरवा तक इ०ला०ख० एवं कासिंगनाली का निर्माण ।	987363.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
20.	जी०पी० असोह में मेन रोड सिधनिया बाबा तालाब केपास श्री बच्चू यादव के पुरवा तक डब्लू. बी. एम. अव० कार्य ।	567769.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
21.	जी०पी० बदरन में स्व० श्री नाथू सिंह चंदेल इ०ला० मेंइ०का० निर्माण ।	924418.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
22.	जी०पी० अर्को मेन रोड से नत्थू यादव के घर के पासकनकोल बाबा तक इ०ला०ख० निर्माण।	965237.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
23.	जी०पी० अर्जुन पुर में देवी दयाल के घर से जू० हा०स्कूल की ओर इ०ला०ख० एवं नाली निर्माण ।	991821.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
24.	जी०पी० असोह में मेन रोड से सिधनिया बाबा तालाबके पास से बच्चू यादव के पुरवा तक डब्लू बी एम निर्माण।	748238.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
25.	जी०पी० बालापुर खालसा में भागवानदीन महाविधालय25 से बालापुर खालसा तक डब्लू बी एम रोड अवशेष कानिर्माण ।	948328.00	श्री विपिन कुमार सिंह	श्रीमती रेखा यादव
	योग	21258833.00		

शासनादेशों के विपरीत किया गया उपरोक्त व्यय अनियमित हैं। अतः संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों पर कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद हमीरपुर

मण्डल -चित्रकूट

क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं0- 01:- क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर की वर्ष 2019-20 के निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि टी0डी0एस0 कटौती की गयी है किन्तु संस्था द्वारा टी0डी0एस0 कटौती रु0 75260=00 दिनांक 31.03.2020 तक जमा न करके गंभीर अनियमितता की गयी है, जो पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार योग्य है। जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 03:- क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर वर्ष 2019-20 के निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि जी0एस0टी0 की कटौतियां कर रूपया 54260=00 दिनांक 31.03.2020 तक जमा न करके गंभीर अनियमितता की गयी है, जो पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार योग्य है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 03:- क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर की वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षण में भवन एवं अन्य सानिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 की धारा-3 में उपकर तथा उसके संग्रह किये जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों के हित लाभ सुनिश्चित किये जाने हेतु 1 प्रतिशत बतौर सेस वसूल करके बोर्ड के नियन्त्रणाधीन गठित फण्ड में जमा कराये जाने हेतु अधिसूचना संख्या 1412/36-2-09 दिनांक 20 नवम्बर 2009 के द्वारा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहक नियुक्त किया गया है। के क्रम में वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त से कराये गये निर्माण कार्यों का लागत मूल्य 1818637=00 है। जिससे 18186=00 रूपया श्रम प्रतिकर की कटौती कर रूपया 18186=00 जमा न करके गंभीर अनियमितता की गयी है, जो पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार योग्य

है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी को जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप- 3

जनपद का नाम - गोण्डा

मण्डल का नाम- देवीपाटन

क्षेत्र पंचायतों के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

क्षेत्र पंचायत- मुजेहना

प्रस्तर-01

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं	कार्य का विवरण	दिनांक	मोड आ0 पेमेंट	धनराशि सामग्री	श्र मां श	प्राप्त कर्ता
0						
1	ग्रा.पं. पूरेनेवल पड़वा में काशीपुरवा लिंक रोड पर पुलिया निर्माण	20-03-20	पी. एफ. एम.एस.	971870-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
2	ग्रा.पं. रानीजोत मे साधू गोलई के घर के पास आर.सी.सी पुलिया निर्माण	24-08-20	पी. एफ. एम.एस.	947559-00	--	मे. सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
3	ग्रा.पं.महेश भारी मे जयकरन के घर के पास पुलिया निर्माण	22-08-20	पी. एफ. एम.एस.	947559-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
4	ग्रा. पं. दुढाब मे भिटवा गाँव में आर. सी.सी. पुलिया निर्माण	23-08-20	पी. एफ. एम.एस.	916924-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन

5	ग्रा. पं. रेतवागाढ़ा मे साधन सह. समिति मरम्मत	02-09-20	पी. एफ. एम.एस.	895209-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
6	ग्रा. पं. महेशभारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत	26-08-20	पी. एफ. एम.एस.	758330-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
7	ग्रा.पं. जैतापुर मे आर. सी.सी. पुलिया निर्माण	13-11-20	पी. एफ. एम.एस.	940592-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
8	ग्रा.पं. दुल्लापुर बनकट लिंक रोड पर आर. सी. सी. पुलिया निर्माण	04-01-21	पी. एफ. एम.एस.	967910-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
9	ग्रा.पं. रेतवागाढ़ा में वंशीलाल के घर के पास पुलिया निर्माण	05-04-20	पी. एफ. एम.एस.	976864-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
10	ग्रा. पं. पूरेतेन्दुआ के कुतुबगंज के पशु अस्पताल मरम्मत	10-04-20	पी. एफ. एम.एस.	823633-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
11	धानेपुर मे साधन सहकारी समिति मरम्मत	08-09-20	पी. एफ. एम.एस.	762688-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
12	ग्रा. पं. मूसापुर में आर. सी.सी. पुलिया निर्माण	24-12-20	पी. एफ. एम.एस.	930817-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
13	ग्रा.पं. पेड़ारन में राजेन्द्र कुमार के खेत के बगल आर. सी.सी. पुलिया निर्माण	25-08-20	पी. एफ. एम.एस.	906813-00	--	मे. सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
14	ग्रा.पं. माधवपुर मे साधन सहकारी समिति मरम्मत	01-08-20	पी. एफ. एम.एस.	890133-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन

15	ग्रा.पं. वैजपुर में राजकुमार (बरडी) शुक्ला के दुकान वाले रोड पर पुलिया निर्माण	21-08-20	पी. एफ. एम.एस.	917729-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
16	ग्रा.पं. जैतापुर में धनीराम के घर के पास आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	19-08-20	पी. एफ. एम.एस.	917729-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन
17	ग्रा.पं. जैतापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत	27-08-20	पी. एफ. एम.एस.	766981-00	--	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन

योग = 15239340-00

उपर्युक्त दर्शित तालिका (विवरण) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में कराये गये निर्माण कार्य/मरम्मत कार्यों पर व्यय धनराशि **₹-15239340-00** में सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन से सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है। कराये गये निर्माण/मरम्मत कार्यों पर मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे बिना श्रमांश भुगतान के कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण/मरम्मत पत्रावली में मंरोल/स्टीमेट/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया। ऐसे में कार्य प्रारम्भ तिथि, कार्य समाप्त तिथि तथा कराये गये कार्य पर सामग्री/श्रमांश पर व्यय कार्य पूर्ण है या नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सका।

अतः **₹-15239340-00** व्यय धनराशि से कराये गये निर्माण/मरम्मत कार्यों पर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीश चन्द राम प्रजापति (उपायुक्त श्रम रोजगार) श्री शेर बहादुर, श्री श्रृंगार सिंह चौहान, लेखाकार श्री नन्द श्याम तथा कार्यप्रभारी श्री सुधीर कुमार सिंह, अवर अभियन्ता श्री राम नयन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर-02

वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण/मरम्मत कार्यों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	मोड आफ पेमेंट	धनराशि	प्राप्त कर्ता
1-	ग्रा.पं. तेदुआमोहनी के बधवा कस्नाद मार्ग पर पुलिया निर्माण	05-04-2020	पी.एफ.एम एस.	676830-00	मे.सदगुरु कृपा कास्ट्रक्सन

2-	ग्रा. पं. सिसईभीखपुर में कर्ता राम के घर के पास पुलिया निर्माण	06-11- 2020	पी.एफ.एम एस.	941822- 00	मे.सदगुरु कृपा कांस्ट्रक्सन
3-	ग्रा.पं.धानेपुर हाट बाजार में आर. सी.सी. पुलिया निर्माण	25-11- 2020	पी.एफ.एम एस.	939773- 00	मे.सदगुरु कृपा कांस्ट्रक्सन

योग = 2558425-00

आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय धनराशि **₹-2558425-00** का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इस कारण उपर्युक्त कार्यों की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने पर व्यय धनराशि अपहरण है तथा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1985 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि अपहरित है।

अतः उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि **₹-2558425-00** अपहरित है। इसके जिम्मेदार ख०वि० अधि० श्री हरीश चन्द राम प्रजापति (उपायुक्त श्रम रोजगार) एवं श्री शेर बहादुर, लेखाकार श्री नन्द श्याम, अवर अभियन्ता श्री रामनयन तथा कार्य प्रभारी है। उपर्युक्त अपहरित धनराशि **₹- 2558425-00** की वसूली बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-11)

क्षेत्र पंचायत- इटियाथोक

प्रस्तर-03

क्षेत्र पंचायत इटियाथोक वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से व्यय धनराशि, निर्माण/ मरम्मत कार्यों पर निम्न आपत्तियाँ पायी गयी। जिसके निराकरणार्थ विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

क्र ० सं ०	कार्य विवरण	कार्य आई.डी.	सामग्री	श्रमांश	योग	प्राप्त कर्ता
1	ग्रा.पं. विशुनुपुर तिवारी के पाचूपुरवा में इस्लाम अली के घर से भगौती प्रसाद के घर तक इ0 ला0 सी0 सी0 रोड निर्माण	44878545	255313-00	24000-00	279313-00	मेंसर्स खान कांस्ट्रक्सन

2	ग्रा. पं. सीरबनकट में नदावर सम्पर्क मार्ग में गोपाल नाथ मन्दिर	44874574	495267-00	45120-00	540387-00	मेंसर्स खान कांस्ट्रक्सन
3	ग्रा.पं. पूरेहाड़ा के दत्तपुरवा में छोटेलाल के घर से राजकुमार के घर तक इ0 ला0 रोड निर्माण	44877087	190552-00	17544-00	208096-00	मेंसर्स खान कांस्ट्रक्सन
4	ग्रा.पं.विशुनपुर संगम के मधईजोत में शेषराम के घर से बीडीसी के घर तक इ0 ला0 रोड निर्माण	44878536	385141-00	34548-00	419689-00	मेंसर्स खान कांस्ट्रक्सन
5	तेलियार रोड से कब्रिस्तान तक इ0 ला0 रोड निर्माण	44896479	346453-00	31677-00	378130-00	मेंसर्स खान कांस्ट्रक्सन
6	ग्रा0 पं0 दिखलौल के वादीपुर पक्की रोड से रामश्रृंगार के घर से मन्दिर तक इ0 ला0 रोड निर्माण	44879365	847865-00	78480-00	926345-00	मेंसर्स खान कांस्ट्रक्सन
7	ग्रा0 पं0 विशुनपुर संगम के बैजनाथ पुरवा में राम किशुन के घर से रज्जन तिवारी के घर तक इ0 ला0 रोड निर्माण	44878939	847381-00	78450-00	925831-00	मेंसर्स खान कांस्ट्रक्सन
8	ग्रा0 पं0 बहेर कुआँ में मेन रोड से पश्चिम ज्ञान दूबे के घर तक इ0 ला0 रोड निर्माण	44874472	655050-00	47406-00	702456-00	मेंसर्स खान कांस्ट्रक्सन
9	ग्रा0 पं0 कोनिया बनकट में बिहुरी सम्पर्क मार्ग पर रामकृपाल के खेत के पास पुलिया निर्माण	44879552	839469-00	115209-00	954678-00	मेंसर्स खान कांस्ट्रक्सन
10	ग्रा0 पं0 के पूरे हाड़ा के पूरे ठाकुर में पिच रोड से प्रेम प्रकाश के घर तक इ0 ला0 रोड निर्माण	44878745	565030-00	52488-00	617518-00	मेंसर्स खान कांस्ट्रक्सन

1	ग्रा0 पं0 शिवपुरिया के बंजरिया	44878530	368036-00	33730-00	401766-00	मेंसर्स खान
1	में राम अधार दूबे के घर से भल्ला धोबी के घर तक इ0 ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन
1	ग्रा0 पं0 गूगीदेयी में राजू सिंह	44876998	306841-00	29745-00	336586-00	मेंसर्स खान
2	के घर से प्रवीण सिंह के घर तक इ0 ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन
1	ग्रा0 पं0 परिसिया बहोरीपुर में	44878577	297583-00	27651-00	325234-00	मेंसर्स खान
3	पारसनाथ के घर से चिरगढ़वा तक इ0 ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन
1	ग्रा0 पं0 विशुनपुर तिवारी के	44879508	895503-00	85113-00	980616-00	मेंसर्स खान
4	लगढ़िया में भैयायादव के घर से गंगाराम तेली के घर तक इ0 ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन
1	ग्रा0 पं0 पारा सराय से	44877440	852466-00	80676-00	933142-00	मेंसर्स खान
5	अलावल देवरिया मार्ग पर पुलिया तक इ0 ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन
1	ग्रा0 पं0 विजय गढ़वा में	44875549	846858-00	80892-00	927750-00	मेंसर्स खान
6	चौहट्टा से सिकरी पुरवा तक इ0 ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन
1	ग्रा0 पं0 इटियाथोक के	32893527	493684-00	43578-00	537262-00	मेंसर्स खान
7	इटियाथोक पुरवा में अबदुल्ला के घर से हरेया झूमन बाँडर तक इ0 ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन
1	ग्रा0 पं0 शिवपुरिया में जहीर	44878786	710956-00	66792-00	777748-00	मेंसर्स खान
8	के घर से नाँनमून यादव के घर तक इ0ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन
1	ग्रा0 पं0 कुकरीहा में डामर रोड	--	767365-00	69606-00	836971-00	मेंसर्स खान
9	से मो0 हा0 व चाँद अली के घर होते हुये जाकिर के घर तक इ0 ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन

2	ग्रा0पं0 पारा सराय में गोण्डा	32893956	564003-00	42507-00	606510-00	मेंसर्स खान
0	बलरामपुर मार्ग से अकबर बेकरी के घर तक इ0 ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन
2	ग्रा0 पं0 परिसिया गूदर में	44879531	819184-00	76833-00	896017-00	मेंसर्स खान
1	रमेश के घर से जू0 हा0 स्कूल तेलियानी कानूनगो तक इ0 ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन
2	ग्रा0पं0 परिसिया बहोरीपुर में	32896525	297583-00	27651-00	325234-00	मेंसर्स खान
2	पारस नाथ मिश्र के घर से चिरगढ़वा तालाब तक इ0ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन
2	ग्रा0पं0 पारा सराय में सी0	32896525	881692-00	80442-00	962134-00	मेंसर्स खान
3	बी0 एस0 पब्लिक स्कूल तक इ0 ला0 रोड निर्माण					कांस्ट्रक्सन

योग

-- **13529275.00 ,1270138.00 ,14799413.00**

उपर्युक्त विवरण के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों की पुष्टि में पत्रावली में कोटेशन/निविदा का तुलनात्मक चार्ट, निविदा आमन्त्रण, निविदा स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटो नहीं है इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा नियमों का पालन किये बिना ही धनराशि व्यय की जा रही है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम 2 (क) से (ड़) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया व्यय **रु० 14799413-00** अनियमित रहा। इसके जिम्मेदार ख०वि०अधि० श्री अजीत कुमार एवं श्री पन्नालाल, लेखाकार श्री अखिलेश श्रीवास्तव एवं कार्यप्रभारी श्री जगदीश प्रसाद है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा०अ०सं०-15)

प्रस्तर-04

वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से निर्माण/ मरम्मत कार्यों पर ग्रांट रजि० के अनुसार कुल रु० 18526809-00 व्यय दर्शित है। जबकि लेखा परीक्षा में रु० 14799413-00 के ही निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत की गयी। अर्थात् रु० 18526809-14799431= 3727378-00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/ निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय की गई धनराशि अपहरण है। तथा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम 2 (क) से (ड़) तक के अनुसार

क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया व्यय रु० 3727378-00 अपहरित है। जिसके लिए ख०वि०अधि० श्री अजीत कुमार एवं श्री पन्नालाल, लेखाकार अखिलेश श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी जिम्मेदार है।

अतः रु०-3727378-00 की वसूली सम्बन्धित से बराबर-बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-16)

प्रस्तर-05

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रांट रजि० के अनुसार रु०-1803102-00 आगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण मद से व्यय दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयीं। इस कारण व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं होने पर व्यय की गयी धनराशि अपहरण है। तथा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) अधिनियम 1965 का नियम 179 के उपनियम 2 के (क) से (इ) तक के अनुसार रु०-1803102-00 अपहरित है। इसके जिम्मेदार ख०वि०अधि० श्री अजीत कुमार एवं श्री पन्नालाल, लेखाकार श्री अखिलेश श्रीवास्तव है।

अतः रु०-1803102-00 की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से बराबर-बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-17)

प्रस्तर-06

वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 62400-00 निविदा मद से व्यय ग्रांट रजि० में दर्शित है। किन्तु व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय धनराशि की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार अपहरण है। तथा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम 2 के (क) से (इ) तक के अनुसार किया गया व्यय रु० 62400 अपहरित है। इसके जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री पन्नालाल, लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है।

अतः अपहरित धनराशि रु० 62400 की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-18)

प्रस्तर-07

वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 664460.00 मनरेगा प्रशासनिक मद से व्यय ग्रांट रजि० में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय धनराशि की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने पर व्यय की गयी धनराशि अपहरण है। तथा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम 2 के (क) से (इ) तक के अनुसार व्यय की गयी धनराशि रु० 664460.00 अपहरित है। जिसके जिम्मेदार ख०वि०अधि० श्री अजीत कुमार एवं श्री पन्नालाल लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है।

अतः अपहरित धनराशि रु० 664460.00 की वसूली बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-19)

प्रस्तर-08

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 10000.00 आगनबाड़ी केन्द्र पेयजल मद से ग्रांट रजि० में व्यय दर्शित है। किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय धनराशि की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार अपहरण है तथा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम 2 के (क) से (इ) तक के अनुसार व्यय की गयी धनराशि ₹ 10000.00 अपहरित है। जिसके जिम्मेदार ख०वि०अधि० श्री अजीत कुमार एवं श्री पन्नालाल लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव हैं।

अतः अपहरित धनराशि ₹ 10000.00 की वसूली बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-20)

प्रस्तर-09

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 99000-00 नीर निर्मल योजना कार्यशाला मद से व्यय ग्रांट रजि० में दर्शित है। किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय धनराशि की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार अपहरण है तथा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम 2 के (क) से (इ) तक के अनुसार व्यय की गयी धनराशि ₹ 99000-00 अपहरित है। जिसके जिम्मेदार ख०वि० अधि० श्री अजीत कुमार एवं श्री पन्नालाल लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव हैं।

अतः अपहरित धनराशि ₹ 99000-00 की वसूली बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-21)

प्रस्तर-10

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रांट रजि० के अनुसार ₹ 7994469-00 का व्यय 15वाँ वित्त आयोग योजना मद से दर्शित है। किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय धनराशि की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार अपहरण है तथा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम 2 के (क) से (इ) तक के अनुसार व्यय की गयी धनराशि ₹ 7994469-00 अपहरित है। जिसके जिम्मेदार ख०वि०अधि० श्री अजीत कुमार एवं श्री पन्नालाल लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव हैं।

अतः अपहरित धनराशि ₹ 7994469-00 की वसूली बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-22)

क्षेत्र पंचायत- तरबगंज

प्रस्तर- 11

वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा ई0 ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय को आधार मानकर सम्पन्न किया गया । व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	वा0 सं0	दिनांक	चेक नं0	धनराशि		योग	प्राप्त कर्ता
					सामग्री	श्रमांश		
1-	पूरे घिसी रामपुरवा में सी.सी. रोड निर्माण	पी-1	02-04-13	008921	--	40000-00		
		पी-2	06-05-13	008924	17092	---	192092-00	---
		पी-5	09-05-13	008925	--	35000-00		
2-	स्ट्रीट लाईट स्थापना क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर	पी-3	06-05-13	008926	839270	---		
		पी-9	16-09-13	008931				
				008932				
				008933				
				008934	1591533	--	2430803-00	--
3-	वि0 ख0 परिसर में बाउंड्री वाल निर्माण	पी-4	09-02-14	008922	--	30000-00		
		पी-11	03-02-14	008937	.	.		
		.	.	008939	131287	----		
		पी-14	06-02-14	008942	352816	---		
		पी-15	07-02-14	008944	---	75000-00	700298-00	
		पी-18	24-02-14	008945	30965	--		
		पी-19	28-02-14	008949	---	80230-00		
4-	बसेरिया में कच्ची रोड का निर्माण	--	09-05-14	008923	--	15000-00	15000-00	---
5-	खानपुर में सी.सी. रोड निर्माण	पी-34	28-05-13	008927	251229	--	.	
		पी-35	28-05-13	008928		45000-00	296229-00	

6-	ग्राम	पी-5	28-02-14	060002	277023	--	.	.
	पंचायत	पी-4	28-02-14	060004	--	40000-00	317023-00	--
	भैरमपुर से							
	दुर्गापुर तक							
	सी.सी. रोड							
	निर्माण							
7-	ग्राम	पी-20	04-03-14	008947	518519	--	.	.
	पंचायत	पी-21	04-03-14	008952	--	118040-00	636559-00	--
	गिरधरपुर							
	मे सी.सी.							
	रोड निर्माण							
8-	ग्रा.पं.रामपुर	पी-14	04-03-14	008950	726975	.	.	.
	में पुलिया	पी-24	04-03-14	008953	--	75837-00	802812-00	--
	निर्माण							
9-	अंजनी के	पी-25	04-03-14	008956	71160	--	.	.
	घर से	पी-28	06-03-14	008948	--	11881-00	83041-00	--
	रामापुर तक							
	सी.सी. रोड							
	निर्माण							
10	ग्रा0 पं0	पी-31	10-03-14	008960	1173648	--	.	.
	रागी में	पी-33	10-03-14	008961		198796-00	1372444-00	
	इ0ला0 रोड							
	निर्माण							

योग-

6081517 764784-00 6846301-00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार व्यय धनराशि रु0- 6846301-00 जिसमें रु0-6081517-00 सामग्री क्रय एवं रु0-764784-00 श्रमांश पर व्यय दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय की धनराशि की पुष्टि कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस कारण व्यय धनराशि की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं ख के अनुसार व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने समस्त धनराशि अपहरण है, तथा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत बजट तथा समान्य लेखा नियमावली- 1985 के नियम- 179(2) के (क) से (ड.) तक के अंतरगत धनराशि अपहरित है।

अतः उपर्युक्त व्यय धनराशि रु0 6846301-00 अपहरित है। जिसके जिम्मेदार तत्कालीन ख0वि0 अधिकारी श्री कृष्णपाल सिंह लेखाकार कन्हैयालाल एवं तत्कालीन कार्यप्रभारी है। उक्त धन की वसूली बराबर- बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-10)

वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो क्रय की गयी सामग्री की धनराशि पर रु0-121508-00 टी0 डी0 एस0 कटौती दर्शित है किन्तु टी0 डी0 एस0 जमा की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इन्कम टैक्स अधिनियम -1961 की धारा 44ए के अंतरगत टी0 डी0 एस0 की कटौती को बैंक में जमा किया जाएगा लेकिन टी0 डी0 एस0 कटौती रु0 121508-00 बैंक में जमा न कर रु0- 121508-00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके जिम्मेदार तत्कालीन ख0 वि0 अधि0 श्री कृष्णपाल सिंह एवं लेखाकार श्री कन्हैयालाल है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर-12

वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई0 ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय को आधार मानकर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी है। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

बी0आर0जी0एफ0 मद से व्यय का विवरण-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	वा0स0	दिनांक	चेक नं0	सामग्री	श्रमांश	योग

सी.सी. रोड निर्माण	पी-1	07-04-14	060008	163937-00	---	
	पी-2	07-04-14	060005	345556-00	--	
	पी-3	09-04-14	060011	---	27008-00	
	पी-4	09-04-14	060007	---	53056-00	
	पी-7	22-04-14	060014	--	50000-00	
	पी-8	24-04-14	060017	--	50000-00	
	पी-9	24-04-14	060012	208889-00	--	
	पी-10	24-04-14	060015	211148-00	--	
	पी-11	23-05-14	060020	---	29356-00	
	पी-12	24-09-14	060027	--	225000-00	
	पी-14	24-09-14	060025	710617-00	--	
	पी-20	03-03-15	060034	--	187612-00	
	पी-21	03-03-15	060032	292105-00	--	
	पी-22	05-03-15	060035	321237-00	--	
	पी-23	10-03-15	060037	--	188892-00	
	पी-28	23-05-14	060023	--	25664-00	
	पी-29	23-05-14	060021	133380-00	--	
	पी-30	25-05-14	060018	131264-00	--	
	पी-35	25-03-15	062116	17294-00	--	
	पी-36	25-03-15	062113	103821-00	--	
योग-	--	--	--	2639284-00	836588-00	3475872-00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा बी० आर० जी० एफ० मद में दर्शित व्यय रु० 2639284-00 सामग्री क्रय एवं रु० 836588-00 श्रमांश पर, कुल व्यय धनराशि रु० 3475872-00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इस कारण व्यय धनराशि की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं ख के अनुसार व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय की गयी धनराशि अपहरण है तथा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1985 के नियम 179 (2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अपहरित है। जिसके जिम्मेदार तत्कालीन ख० वि०

अधि० श्री कृष्णपाल सिंह एवं अखिलेश कुमार चौबे, लेखाकार श्री कन्हैयालाल तथा कार्यप्रभारी हैं। अपहरित धनराशि रु० 3475872-00 की वसूली बराबर-बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर-13

वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा बी० आर० जी० एफ० मद से क्रय की गयी निर्माण कार्य सामग्री पर रु० 80474-00 टी० डी० एस० जमा ई० ग्राम स्वराज पर दर्शित है। किन्तु पुष्टि में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण टी० डी० एस० जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। इन्कम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 44 ए के अन्तर्गत टी० डी० एस० की कटौती को बैंक में जमा किया जाएगा , लेकिन टी० डी० एस० कटौती बैंक में जमा न कर 80474-00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके जिम्मेदार तत्कालीन ख० वि० अधिकारी श्री कृष्णपाल सिंह एवं श्री अखिलेश कुमार चौबे एवं लेखाकार श्री कन्हैयालाल है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-13)

प्रस्तर-14

वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई० ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय को आधार मानकर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी है। विवरण निम्न प्रकार है:-

बी०आर०जी०एफ० से व्यय का विवरण -

क्र. सं.	कार्य का विवरण	वा०सं०	दिनांक	चेक नं०	सामग्री	श्रमांश
	ई० ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्य का विवरण अप्राप्त रहा	पी-1	07-04-14	008963	108941-00	--
		पी-2	09-04-14	008965	--	16428-00
		पी-4	24-04-14	008968	--	30000-00
		पी-5	24-04-14	008971	--	50000-00
		पी-6	24-04-14	008966	128295-00	--
		पी-7	24-04-14	008969	225557-00	--
		पी-8	23-05-14	008967	--	19420-00
		पी-9	23-05-14	008972	146980-00	--
		पी-12	23-05-14	008974	--	29954-00
		पी-15	23-05-14	008975	80380-00	--
		पी-16	25-08-14	008986	964109-00	--
		पी-17	28-08-14	008988	--	173190-00

पी-18	02-09--14	008989	353275-00	--
पी-19	03-09-14	008991	--	63526-00
पी-20	19-09-14	008995	535113-00	--
पी-21	19-09-14	008992	389171-00	--
पी-22	23-09-14	008997	--	141786-00
पी-23	23-09-14	008994	--	110944-00
पी-26	20-10-14	009000	213634-00	--
पी-27	20-10-14	008998	770875-00	--
पी-34	11-03-15	062101	772060-00	--
पी-35	12-03-15	062103	--	193350-00
पी-38	16-03-15	062106	--	9500-00
पी-40	25-03-15	062109	--	25348-00
पी-41	25-03-15	062120	--	29094-00
पी-42	25-03-15	062112	--	57229-00

योग-

4688390-00

949760-00

सकल योग - 5638150-00

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रु0 4688390-00 सामग्री क्रय एवं रु0 949760-00 श्रमांश पर, कुल योग रु0-5638150-00 व्यय दर्शित है। व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इस कारण व्यय धनराशि की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड क एवं ख के अनुसार व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है। तथा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1985 के नियम 179(2) के (क) से(ड.) तक के अन्तर्गत अपहरित है। जिसके जिम्मेदार तत्कालीन ख0 वि0 अधि0 श्री कृष्णपाल सिंह एवं अखिलेश कुमार चौबे, लेखाकार श्री कन्हैयालाल एवं कार्यप्रभारी है। अपहरित धनराशि 5638150-00 की वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-14)

प्रस्तर-15

वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग मद से क्रय की गयी निर्माण सामग्री पर रु0 80440-00 टी0 डी0 एस0 कटौती ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में टी0 डी0 एस0 जमा की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण टी0 डी0 एस0 जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। इन्कम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 44 ए के अन्तर्गत टी0 डी0 एस0 की कटौती को बैंक में

जमा किया जाएगा लेकिन टी0 डी0 एस0 कटौती बैंक में जमा न कर रु0 80440-00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके जिम्मेदार तत्कालीन ख0 वि0 अधिकारी श्री कृष्णपाल सिंह एवं अखिलेश कुमार चौबे तथा लेखाकार श्री कन्हैयालाल है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-15)

प्रस्तर- 16

वित्तीय वर्ष 2014-15 मे 13वाँ वित्त आयोग मद से व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। लेखा परीक्षा ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय को आधार मानकर सम्पन्न किया गया है। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्य की विवरण	वा0 सं0	दिनांक	चेक नं0	सामग्री	श्रमांश
	ई0 ग्राम	पी-1	13-06-14	008984	207740-00	--
	स्वराज	पी-2	12-06-14	008982	290336-00	--
	पोर्टल पर	पी-3	03-06-14	008980	290336-00	-
	कार्य विवरण	पी-4	03-06-14	008978	290336-00	--
	अप्राप्त रहा ।	पी-12	25-03-15	062117	173035-0	--
		पी-13	25-03-15	062121	62293-00	--
		पी-14	25-03-15	062107	116461-00	--
		पी-15	25-03-15	062110	249943-00	--
		पी-16	25-03-15	062115	--	18300-00
		पी-17	25-03-15	062123	-	11000-00
		पी-18	25-03-15	062119	--	32100-00
		पी-19	26-03-15	062124	--	10364-00
	योग-	--	--	--	1680480-00	71764-00

सकल योग- 1752244-00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार रु0 1680480-00 सामग्री क्रय एवं रु0 71764-00 श्रमांश पर कुल योग रु0 1752244-00 व्यय दर्शित है। व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इस कारण व्यय धनराशि की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय धनराशि की

पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है, तथा 30 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1985 के नियम 179 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत अपहरित है। जिसके जिम्मेदार तत्कालीन ख0 वि0 अधिकारी श्री कृष्णपाल सिंह एवं अखिलेश कुमार चौबे, लेखाकार श्री कन्हैयालाल तथा कार्यप्रभारी है। अपहरित धनराशि रु0 1752244-00 की वसूली बराबर-बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-16)

प्रस्तर-17

वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13वाँ वित्त आयोग मद से क्रय की गयी सामग्री पर रु0 22831-00 टी0 डी0 एस0 कटौती दर्शित है। किन्तु टी0 डी0 एस0 जमा की पुष्टि में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण टी0 डी0 एस0 जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। इन्कम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 44 ए के अन्तर्गत टी0 डी0 एस0 की कटौती को बैंक में जमा किया जाएगा लेकिन टी0 डी0 एस0 कटौती बैंक में जमा न कर रु0 22831-00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके जिम्मेदार तत्कालीन ख0 वि0 अधिकारी श्री अखिलेश कुमार चौबे एवं लेखाकार श्री कन्हैयालाल है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है (सा०आ०सं०-17)

प्रस्तर-18

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त/केन्द्र वित्त आयोग मद से व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय को आधार मानकर सम्पन्न किया गया। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं	कार्य का विवरण	वा0सं0	दिनांक	चेक नं0	सामग्री	श्रमांश
	ई0 ग्राम	पी-1	07-11-15	062148	60000-00	--
	स्वराज पर	पी-2	07-11-15	062146	345600-	--
	कार्य का	पी-3	10-11-15	062147	00	--
	विवरण अप्राप्त	पी-5	10-03-16	062150	14400-00	--
		पी-6	10-03-16	062151	220209-	--
		पी-7	14-03-16	062152	00	85920-00
					5071-00	
					--	
	योग	--	--	--	645280-00	85920-00

सकल योग- 731200-00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार रु0 645280-00 सामग्री क्रय एवं रु0 85920-00 श्रमास पर, कुल योग रु0 731200-00 व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। इस कारण व्यय धनराशि की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है, तथा उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1985 के नियम 179 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत अपहरित है। जिसके जिम्मेदार तत्कालीन ख0 वि0 अधिकारी श्री यश. पी. सिंह एवं सन्तोष कुमार गुप्त, लेखाकार श्री कन्हैयालाल एवं कार्यप्रभारी है। अपहरित धनराशि रु0 731200-00 की वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-18)

प्रस्तर-19

वित्तीय वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में वी. आर. जी. एफ. मद से कराये गये निर्माण कार्य/मरम्मत कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय को आधार मानकर किया गया। ई0 ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	दिनांक	वा0 सं0	चेक सं0	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	16-10-2016	पी-1	0621125	175114-00	सामग्रीक्रय
2	27-10-2016	पी-2	060010	469296-00	सामग्रीक्रय

योग - 644410-00

उपर्युक्त धनराशि रु0- 644410-00 व्यय सामग्री क्रय पर दर्शित है। व्यय की पुष्टि कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि उपर्युक्त व्यय धनराशि किस कार्य पर व्यय किया गया है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 8 क एवं ख के अनुसार व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है। तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत रु0- 644410-00 अपहरित है।

अतः उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रु0- 644410-00 का अपहरण कर लिया गया है। इसके जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मृणाल सिंह एवं श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री कन्हैयालाल एवं कार्यप्रभारी है। जिसकी वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 11)

प्रस्तर-20

वित्तीय वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में 13वाँ वित्त आयोग मद से कराये गये निर्माण कार्य/मरम्मत कार्यो पर व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय को आधार मानकर किया गया है। ई0 ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	दिनांक	वा0सं0	चेक सं0	धनराशि	विवरण
1-	21-10-2016	पी-1	062126	7149-00	सामग्री
2-	27-10-2016	पी-2	062127	1734553-00	सामग्री

योग - 1741702

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रु-1741702-00 व्यय सामग्री क्रय पर दर्शित है। व्यय की पुष्टि कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि उपर्युक्त व्यय धनराशि किस कार्य पर व्यय किया गया है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 8 क एवं ख के अनुसार व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है। तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) के अन्तर्गत रु0- 1741702-00 अपहरित है।

अतः उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रु0- 1741702-00 का अपहरण कर लिया गया है। इसके जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मृणाल सिंह एवं श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री कन्हैयालाल एवं कार्यप्रभारी है। जिसकी वसूली बराबर-बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 12)

प्रस्तर-21

वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा मनरेगा योजना मद से कराये गये निर्माण कार्य/मरम्मत कार्यो पर व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय को आधार मानकर किया गया है। ई0 ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	दिनांक	वा0 सं0	चेक सं0	धनराशि	विवरण
1-	15-12-16	पी-1	लेटर अड्वाइस नंबर-205	1012900-00	सामाग्री क्रय

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु0-1012900-00 उपर्युक्त धनराशि रु0- 1012900-00 व्यय सामग्री क्रय पर दर्शित है। व्यय की पुष्टि कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि उपर्युक्त व्यय धनराशि किस कार्य पर व्यय किया गया है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 8 क एवं ख के अनुसार व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है। तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं

जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) के अन्तर्गत रु० 1012900-00 अपहरित है।

अतः उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रु०- 1012900-00 का अपहरण कर लिया गया है। इसके जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मृणाल सिंह एवं श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री कन्हैयालाल एवं कार्यप्रभारी है। जिसकी वसूली बराबर-बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

(सा०आ०सं०- 13)

प्रस्तर-22

वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा ई० ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय को आधार मानकर किया गया है। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	वा० सं०	दिनांक	चेक न०	धनराशि	व्यय का मद
1-	ग्राम पंचायत पिपरीरोहुआ में लोनियन पुरवा में रामू लोनिया के घर से मुख्य मार्ग तक सी०सी० रोड निर्माण।	पी-1	23-04-17	062128		सामग्री क्रय
2-	ग्राम पंचायत रामापुर के साहिदपुरवा इलाही से पंडित पुरवा तक खडजा मरम्मत कार्य।	पी-2	23-04-17	062129	189602-00	सामग्री क्रय
3-	ग्राम पंचायत रामापुर के मेनवाज पुरवा दरगाही के खेत के बगल से रैकवार पुरवा पी०डब्ल्यू०डी० सडक तक खडजा निर्माण।	पी-3	23-04-17	062130	229331-00	सामग्री क्रय
4-	विकास खण्ड परिसर मे आवास मरम्मत।	पी-4	25-02-18	062155	56417-00	सामग्री क्रय
5-	विकास खण्ड परिसर में ग्राम विकास अधिकारी आवास मरम्मत।	पी-5	25-02-18	062156	85187-00	सामग्री क्रय
6-	विकास खण्ड परिसर में अभिलेखगार मरम्मत।	पी-6	25-02-18	062157	209176-00	सामग्री क्रय

7-	विकास खण्ड परिसर में बाउंड्री वाल निर्माण।	पी- 7	26-02-18	062158	498315-00	सामग्री क्रय
8-	ग्राम पंचायत बहादुरा में करौदा सरहद तक इ0 ला0 रोड निर्माण।	पी- 8	26-02-18	062159	813214-00	सामग्री क्रय
9-	विकास खण्ड कार्यालय मरम्मत।	पी- 9	26-02-18	062160	818969-00	सामग्री क्रय
10	विकास खण्ड परिसर मरम्मत कार्य।	पी-10	26-02-18	062162	1013322-00	सामग्री क्रय
-						
योग-		-	-	-	4123331-00	

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु0-4123331-00 उपर्युक्त धनराशि रु0- 4123331-00 व्यय सामग्री क्रय पर दर्शित है। व्यय की पुष्टि कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि उपर्युक्त व्यय धनराशि किस कार्य पर व्यय किया गया है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 8 क एवं ख के अनुसार व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है। तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) के अन्तर्गत रु0-4123331-00 अपहरित है।

अतः उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रु0- 4123331-00 का अपहरण कर लिया गया है। इसके जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री कन्हैयालाल एवं कार्यप्रभारी है। जिसकी वसूली बराबर-बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 14)

प्रस्तर-23

वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा ई0 ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय को आधार मानकर किया गया है। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	वा0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	ग्राम पंचायत बहादुरपुर से खडौवा सरहद तक इन्टर लॉकिंग रोड निर्माण।	पी-1	26-04-18	062163	815157-00	सामग्री क्रय
2-	विकास खण्ड परिसर में ग्राम विकास अधिकारी कक्ष मरम्मत।	पी-2 पी-5	26-04- 28	062164 062167	60955-00 190427-00	

22-09-18

3-	विकास खण्ड परिसर में बाउंड्री वाल निर्माण।	पी-3	26-04-18	062165	995688-00	सामग्री क्रय
		पी-6	18-12-18	038620	307032-00	
4-	ग्राम पंचायत बहादुरपुर सरहद से परसापुरवा सरहद तक ई0ला0 रोड निर्माण।	पी-7	18-12-18	038621	299979-00	सामग्री क्रय
		पी-15	03-02-19	038629	274568-00	
5-	सी.बी. एन. मार्ग से रामापुर सरहद तक इ0ला0 रोड निर्माण।	पी-8	18-12-18	038622	368282-00	सामग्री क्रय
		पी-16	13-02-19	038630	221642-00	
6-	विकास खण्ड में मीटिंग हाल मरम्मत।	पी-9	18-12-18	038623	242790-00	सामग्री क्रय
7-	ग्राम पंचायत कदरुआ से बहादुरपुर सरहद तक सी.वी.रोड निर्माण।	पी-10	18-12-18	038624	302461-00	सामग्री क्रय
8-	विकास खण्ड अधिकारी आवास मरम्मत।	पी-11	18-01-19	038625	238636-00	सामग्री क्रय
9-	पशु चिकित्सालय भवन मरम्मत।	पी-12	18-01-19	038626	127531-00	सामग्री क्रय
10-	आँगनवाडी केन्द्र मरम्मत रंगाई/पोताई।	पी-13	18-01-19	038627	221597-00	सामग्री क्रय
11-	कृषि रक्षा भवन मरम्मत।	पी-14	18-01-19	038628	217063-00	सामग्री क्रय
12-	विकास खण्ड परिसर मरम्मत।	पी-17	13-03-19	038631	1091452-00	सामग्री क्रय

योग-

- -

5975300-00

उपर्युक्त धनराशि रु0- 5975300-00 व्यय सामग्री क्रय पर दर्शित है। व्यय की पुष्टि कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि उपर्युक्त व्यय धनराशि किस कार्य पर व्यय किया गया है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 8 क एवं ख के अनुसार व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है। तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य

लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) के अन्तर्गत रु0- 5975300-00 अपहरित है ।

अतः उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रु0- 5975300-00का अपहरण कर लिया गया है। इसके जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं श्री राजाराम, लेखाकार श्री कन्हैयालाल एवं कार्यप्रभारी है। जिसकी वसूली बराबर-बराबर हिस्सो में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०- 15)

क्षेत्र पंचायत- परसपुर

प्रस्तर-24

वर्ष 2017-18 के लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष का ग्रांट-2 पत्रिका एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां मांगोपरान्त अनुपलब्ध रहीं जिनके अभाव में दर्शित व्ययों की समीक्षा एवं जाच नहीं की जा सकी। ग्रांट-3 पत्रिका के अनुसार आलोच्य वर्ष में समस्त योजनाओं जिसका योजनावार विवरण पृष्ठ सं०-4 पर दर्शित है में कुल रु० 2283501-00 का व्यय दर्शाया गया है जिससे संबंधित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गयी जिस हेतु श्री मु० राजिद खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०- 01)

प्रस्तर-25

वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कुल 9688553.00 के सामग्री का क्रय मेसर्स बाबा कंसट्रक्शन एवं बशिष्ट कुमार मिश्र फर्म से किया गया है जिसके सापेक्ष रु० 194181-00 की टी०डी०एस० की कटौती बिलों से की गयी है जिसका विवरण पृष्ठ-8 व 9 पर दर्शाया गया है। जांच में टी०डी०एस० की कटौती की धनराशि को निर्धारित खाते में जमा किये जाने की पुष्टि प्रमाणों/ अभिलेखों से नहीं करायी गयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि को निर्धारित होने में शीर्ष से अब तक जमा न करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिये श्री मु० राजिद खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव सह लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में अविलम्ब जमा कराया जाना चाहिये और उक्त अनियमितता के दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के प्रति निर्धारित कार्यवाही की जानी चाहिये। बिलम्ब से जमा होने पर बिल शुल्क देय होने की दशा में विलम्ब शुल्क तत्कालीन आहरण/वितरण अधिकारी श्री मु० राजिद से वसूल किया जाना चाहिये।
(सा०आ०सं०- 01)

प्रस्तर- 26

कमिशनर वाणिज्य कर उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-एडी०कमि० जी० एस० टी० अनु०/2018-19/1819049/705 वाणिज्य का दिनांक 26.9.2018 के द्वारा जी०एस०टी० 2 प्रतिशत की कटौती निर्माण कार्य की बिलों से माह अक्टूबर 2018 से किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। आलोच्य वर्ष में माह अक्टूबर 2018 से कुल रु० 748242-00 की निर्माण सामग्रियां क्रय की गयी है जिसका विवरण पृष्ठ स0-8 एवं 9 पर दर्शित है जिसके सापेक्ष 149165-00 की कटौती फर्म की बिलों से की जानी चाहिये थी जो नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 149165-00 की कटौती फर्म की बिलों से न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाते हुए गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। अतः रु० 149165-00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मु० राजिद एवं श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव सहा० लेखाकार से संयुक्त रूप से कराते हुए समस्त धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा कराया जाना चाहिये। बिलम्ब से जमा होने पर बिलम्ब शुल्क देय होने की दशा में बिलम्ब शुल्क तत्कालीन आहरण/वितरण अधिकारी श्री मु० राजिद से वसूल किया जाना चाहिये। (सा०आ०सं०- 02)

प्रस्तर-27

कमिशनर वाणिज्य कर उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-एडी०कमि० जी० एस० टी० अनु०/2018-19/1819049/705/वाणिज्य कर दिनांक 26.9.2013 के द्वारा जी०एस०टी० 2 प्रतिशत की कटौती निर्माण कार्य की बिलों से माह अक्टूबर 2018 से किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। इसके पूर्व बिक्री कर 4 प्रतिशत की कटौती का प्रावधान रहा है। ईकाई द्वारा आलोच्य वर्ष में दिनांक 30-9-2018 तक कुल रु० 2230311-00 की निर्माण कार्य सामग्री का क्रय किया गया है जिसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में रु० 8107-00 की कटौती की गयी है जबकि 4 प्रतिशत की दर से रु० 89212-00 होता है। इस प्रकार रु० 81105-00 की कटौती फर्म की बिलों से न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाते हुए गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी एवं सहा. लेखाकार उत्तरदायी है। अतः 81105-00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मु० राजिद एवं श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव सहा० लेखाकार से संयुक्त रूप से कराते हुए समस्त धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा कराया जाना चाहिये। बिलम्ब से जमा होने पर बिलम्ब शुल्क देय होने की दशा में बिलम्ब शुल्क तत्कालीन आहरण/वितरण अधिकारी श्री. मु० राजिद से वसूल किया जाना चाहिये। (सा०आ०सं०-3)

प्रस्तर-28

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष का ग्रांट-2 पंजिका एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां मांगोपरान्त अनुपलब्ध रही जिनके अभाव में दर्शित व्ययों की समीक्षा एवं जांच नहीं की जा सकी। ग्रांट-3 पंजिका के अनुसार आलोच्य वर्ष से समस्त योजनाओं जिसका योजनावार विवरण पृष्ठ सं०-4 पर दर्शित है में कुल रु० 8197777-00 का व्यय दर्शाया गया है जिससे संबंधित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिस हेतु श्री मु० राजिद खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी से वसूली अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-1)

प्रारूप-2

जनपद-बलरामपुर

मण्डल-देवी पटन

क्षेत्र पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2020-21

क्षेत्र पंचायत- उत्तरौला (वर्ष 2020-21)

प्रस्तर संख्या-1

राज्य वित्त मद में कुल बिलों की धनराशि रु 8102306.00 वर्ष दौरान कुल 15 निर्माण कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है, परंतु श्रमिक भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए 1 प्रतिशत लेबर सेस रु. 81023.00 की कटौती करते हुए श्रमिक कल्याण बोर्ड को प्रेषित नहीं की गई। इस प्रकार राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी जो राजकीय आर्थिक अपराध की श्रेणी में रहा है। अतः प्रकरण अधिभार अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाया जाता है। अविलम्ब राजकीय राजस्व की पूर्ति उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा जायसवाल, श्री महेन्द्र देव(उपायुक्त मनरेगा प्रभारी), दिव्या त्रिपाठी व सहायक लेखाकार श्री बनवारी लाल एवं अवर अभियंता श्री अजय पाल सिंह से मय ब्याज कराये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उक्त प्रकार ही विधायक निधि से जो निर्माण कार्य विभिन्न परियोजनाओं पर करके कुल व्यय रु. 598533.00 के बिलों के भुगतान किये गए, पर भी 1 प्रतिशत लेबर सेस रु. 5985.00 की कटौती नहीं की गई जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा जायसवाल, श्री महेन्द्र देव(उपायुक्त मनरेगा प्रभारी), दिव्या त्रिपाठी व सहायक लेखाकार श्री बनवारी लाल एवं अवर अभियंता श्री अजय पाल सिंह से मय ब्याज कराये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है।

प्रस्तर संख्या-2

बैंक खातों का विवरण व अनु.पंजी III के अंतिम अवशेष के सापेक्ष समाधान लेखा अंतर्गत पाया गया कि 31.03.2021 को खातों के अंतिम शेष व अनु.पंजी III के अवशेष वर्षांत में रु. 4248224.00 का अंतर रहा है। कुल 12 खातों से संबंधित विवरणियाँ / बैंक खाता उपलब्ध रही है, जबकि अनु.पंजी III में कुल 22 मदें दर्शित हैं। अनुदान पंजी III के अनुसार आयकर, जी.एस.टी., जमानत राशि, राज्य वित्त आयोग ब्याज, विधायक निधि ब्याज, मनरेगा प्रशासनिक मद ब्याज, क्षेत्र निधि, विविध मद, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदि का लेखा अनु.पंजी III में किया गया है परंतु किस बैंक खाते में उक्त मद की कौन सी धनराशि सम्मिलित की गयी है, का ब्यौरा लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा एवं उक्त वर्णित विभिन्न मदों की धनराशि कौन से बैंक खाते में सम्मिलित की गयी है, की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। फलस्वरूप धनराशि रु. 4248224.00 का अंतर अनु.पंजी III एवं बैंक खातों के अनुसार रहा है। अतः प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में रखते हुए अधिभार अंतर्गत लाया जाता है। उल्लेखनीय है कि लेखाकार द्वारा प्रतिमाह समस्त बैंक खातों का मिलान करके अनु.पंजी III में लेखा नहीं किया गया है। विभागीय

अधिकारियों का ध्यान आवश्यक समाधान एवं लेखाकार श्री बनवारी लाल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत-तुलसीपुर (वर्ष 2020-21)

प्रस्तर संख्या-3

आलोच्य वर्ष 2020-21 में धनराशि रु. 10811063.00 का व्यय चतुर्थ राज्य वित्त से किया गया जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कार्य पत्रावली, माप पुस्तिका, प्राक्कलन रिपोर्ट, तीन स्तर के फोटोग्राफ, टेण्डर प्रक्रिया आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कार्यों की पुष्टि न हो सकी जिसकी पुष्टि हेतु समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा। तत्कालीन लेखाकार श्री विजय पाल सिंह से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4

वर्ष 2020-21 में पंचम राज्य वित्त मद में रु. 8635530.00 का व्यय किया गया। व्यय से संबंधित कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में तत्कालीन लेखाकार श्री विजय पाल सिंह से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5

वर्ष 2020-21 में क्षेत्र निधि 15वें केंद्रीय वित्त मद की रु. 18709186.00 की धनराशि व्यय किया जाना दर्शित है। व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कार्य पत्रावली, माप पुस्तिका, प्राक्कलन रिपोर्ट, तीन स्तर के फोटोग्राफ, टेण्डर प्रक्रिया आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कार्यों की पुष्टि न हो सकी। उल्लेखनीय है कि उक्त मद की कुल धनराशि में से 50 प्रतिशत अनटाइड 50 प्रतिशत धनराशि टाइड (25 प्रतिशत पेयजल व 25 प्रतिशत स्वच्छता) मद में व्यय किया जाना था। अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण उक्त व्यय की भी जांच न की जा सकी। अतः धनराशि रु. 18709186.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में लायी जाती है एवं तत्कालीन लेखाकार श्री विजय पाल सिंह से धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत- श्रीदत्तगंज (ऑडिट अवधि- 2017-18 से 2019-20 तक)

प्रस्तर संख्या-6

संस्था द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम) 1996 ,कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम) 2009 के अनुपालन में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत परियोजनाओं का स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 'लेबर सेंस' की कटौती नहीं की गयी है। जबकि 1% कटौती करके राजस्व श्रम विभाग के नियत मद में जमा कराया जाना था। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में 'लेबर सेंस' राशि का प्रत्यक्ष रूप से अपहरण करके राजकीय निर्देशों के विरुद्ध आर्थिक अपराध खण्ड विकास अधिकारी श्री पूर्णमासी प्रसाद व श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अतः ब्याज सहित रु. 83947.99 की वसूली संयुक्त रूप से करके राज्य राजस्व अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। अतः उपरोक्त राजस्व अधिभार अन्तर्गत 'अपहरण' की श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए रखा जाता है। अविलम्ब ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अंतर्गत रु.6203696.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन0आर0ईजी0ए0 /2008 /लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय व आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारन्टी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड) विकास अधिकारी श्री पूर्णमासी प्रसाद व अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री बनवारी लाल व अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8

लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44 वी0आईपी0 /26-3-2017-4 (88) /93 टी.सी. /लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर 2017 के परिपालन में पात्रता की शर्तों व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व धनराशि रु. 3857999.00 के भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि के अर्न्तगत धनराशि रु. 1351168.00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त विधायक निधि से कराये गये कार्यों की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2305/38-3-2001-500(9) / 99 टी0सी0/लखनऊ दिनांक 05 जुलाई 2001 के परिपालन में विधायक निधि के अर्न्तगत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों की परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग -3 के शासनादेश सं0 91 वि0नि0(1) /38-03-2002 दिनांक 10-04-2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पूर्णमासी प्रसाद व श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री बनवारी लाल व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10

शासनादेश संख्या 1838 / 33 -3 -2015-03 /2015 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 31 जुलाई 2015 में दी गई व्यवस्था/ के अनुसार क्षेत्र पंचायत का कार्य ग्राम पंचायत के अंदर नहीं बल्कि दो ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले निर्माण कार्य कराना है। जवकि क्षेत्र पंचायत द्वारा नियम विरुद्ध एक ही ग्राम पंचायत के अंदर 6837424.00 रुपये का अनियमित व्यय किया गया है।

इस प्रकार शासनादेश का पालन न कर क्षेत्र पंचायत द्वारा नियम विरुद्ध एक ही ग्राम पंचायत के अंदर 6837424.00 रुपये का अनियमित व्यय किया गया है। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पूर्णमासी प्रसाद व श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री बनवारी लाल व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न मदों में व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं किया गया। विवरण निम्नवत् है -

क्र.सं.	मद का नाम	दर्शित व्यय धन राशि
1.	राज्य वित्त ब्याज	54561.00
2.	तेरहवां राज्य वित्त जमानत	151657.00
3.	इंदिरा आवास ब्याज	55190.00
4.	सोशल आडिट टीम मानदेय	101000.00
5.	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	153891.00
6.	विधायक निधि जमानत	97249.00
7.	क्षे0पं0 निधि विभिन्न ब्याज	31907.00
8.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	169790.00
9.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ब्याज	610355.00
10.	राज्य वित्त	2107666.00
11.	क्षेत्र पंचायत निधि जमानत	236210.00
	योग =	3769476.00

वर्ष के दौरान ग्रांट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों / पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी अपेक्षित रही। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमिता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में रु0 3769476.00 की गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्तत नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास

अधिकारी श्री पूर्णमासी प्रसाद एवं लेखाकार श्री बनवारी लाल का दायित्व निर्धारण किया जाता है। नियमानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के दौरान लेखाकार अजय श्रीवास्तव द्वारा मांगोपरान्त वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्य से सम्बन्धित की 22 कार्यों की फाइलें प्रस्तुत की गईं। शेष ग्रांट रजिस्टर तृतीय में दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है -

क्र.सं.	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1.	इंदिरा आवास ब्याज / प्रशासनिक मद	845.00
2.	सोशल आडिट टीम मानदेय	15000.00
3.	आंगनवाड़ी केन्द्र -निर्माण	42823.00
4.	विधायक निधि जमानत	107538.00
5.	सांसद निधि	23772.00
6.	क्षे. पं. विधि विभिन्न मद ब्याज	217990.00
7.	जमानत धनराशि नीलामी	200000.00
8.	टी.डी.एस.	199751.00
9.	क्षेत्र पंचायत निधि जमानत	193015.00
10.	क्षेत्र पंचायत निधि व्यापारकर	152836.00
11.	प्रधानमंत्री आवास प्रशासनिक मद	68501.90
	योग	1222071.90
	=	

उक्त मदों पर धनराशि व्यय रुपये 1222071.90 के सापेक्ष लेखाकार द्वारा आडिट को महत्व न देने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार धनराशि रुपये 1222071.90 रुपये की पुष्टि न की जा सकी। वर्ष के दौरान ग्रांट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों / पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी अपेक्षित रही। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमिता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्ति नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पूर्णमासी प्रसाद व श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री बनवारी लाल व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। नियमानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान लेखाकार अजय श्रीवास्तव द्वारा मांगोपरान्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यों की फाइलें प्रस्तुत नहीं की गईं। शेष ग्रांट रजिस्टर तृतीय में दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है

क्र.सं.	अनुदान का नाम	व्यय
1	क्षेत्र पंचायत निधि विभिन्न मद ब्याज	30852.76
2	क्षेत्र पंचायत निधि - श्रीदत्तगंज (राज्य वित्त)	625692.00
3	क्षेत्र पं० निधि टी०डी एस	63200.00
4	क्षेत्र पं० निधि जमानत	165566.00
5	प्रधानमंत्री आवास प्रशासनिक मद	102241.80
6	विधायक निधि 2	134154.00
7	अनुरक्षण मद आयकर	8942.00
	योग	1130648.56
	=	

उक्त मदों पर धनराशि व्यय रुपये 1130648.56 के सापेक्ष लेखाकार द्वारा आडिट को महत्व न देने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार धनराशि रुपये 1130648.56 रुपये की पुष्टि न की जा सकी। वर्ष के दौरान ग्रांट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों / पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी अपेक्षित रही। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमिता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। नियमानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14

वर्ष 2017-18 की अनुदान रजिस्टर पार्ट 3 की जांच में पाया गया की निम्न मदों में लेख परीक्षा के अनुसार अंतिम अवशेष तथा ग्रांट रजिस्टर अनुसार अंतिम अवशेष में कमी दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है विवरण निम्नवत् है -

मद का नाम	लेखा परीक्षा के अनुसार अंतिम अवशेष	ग्रांट रजिस्टर के अनुसार अन्तिम अवशेष	अन्तर
क्षेत्र पंचायत निधि	1140855.00	1140355.00	500.00
प्रधनमंत्री आवास प्रशा. मद	78981.00	69673.00	9308.00
क्षेत्र पंचायत निधि वि० मद ब्याज	202575.28	202398.28	177.00
ई.आ. ब्याज / प्रशा.मद	58840.00	840.00	58000.00
योग			67985.00

ग्रांट रजिस्टर में उक्त अंतर की धनराशि ₹0 67985.00 का स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियमों के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पूर्णमासी प्रसाद एवं लेखाकार श्री बनवारी लाल का दायित्व निर्धारण किया जाता है। नियमानुसार खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-15

वर्ष 2018-19 की अनुदान रजिस्टर पार्ट 3 की जांच में पाया गया कि निम्नर मदों में ग्रांट रजिस्टर अनुसार माह दिसम्बर 2018 के अंतिम अवशेष एवं माह में कमी दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है -

मद का नाम	माह दिसंबर 2018 में ग्रांट रजिस्टर के अनुसार अंतिम अवशेष	ग्रांट रजिस्टर के अनुसार अन्तिम अवशेष	अन्तर
विधायक निधि टी०डी०एस०	98375.00	00.00	98375.00
विधायक निधि जमानत	212232.00	00.00	212232.00
विधायक निधि व्यापारकर	144517.00	00.00	144517.00
योग			455124.00

ग्रांट रजिस्टर में उक्त धनराशि ₹0 455124.00 के अंतर का स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियमों के विपरीत रहा

एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। कार्यवाही अपेक्षित है। नियमानुसार खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त न हाने की दशा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-16

वर्ष 2019-20 की अनुदान रजिस्टर पार्ट 3 की जांच में पाया गया कि माह अगस्त 2019 में क्षेत्र पंचायत निधि जमानत मद में ₹0 139789.00 अन्तिम अवशेष दर्शाया गया था । जिसके सापेक्ष अनुदान रजिस्टर 3 में माह सितम्बर का प्रा0 अवशेष ₹.102613.00 दर्शित किया गया है जो ₹0 139789.00 होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त मद के माह अगस्त के प्रारम्भिक अवशेष व अंतिम अवशेष में ₹0 37176.00 का अंतर विद्यमान रहा । इस प्रकार प्रारम्भिक शेष में ₹0 37176.00 कमी दिखाकर धन का आहरण कर लिया गया जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियमों के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। कार्यवाही अपेक्षित है। नियमानुसार खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत- श्रीदत्तगंज (ऑडिट अवधि-2020-21)

प्रस्तर संख्या-17

संस्था द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम 1996 (कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार ,नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम 2009 के अनुपालन में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत परियोजनाओं का स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है जबकि 1 प्रतिशत कटौती करके राजस्व श्रम विभाग के नियत मद में जमा कराया जाना था। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में लेबर सेस की धनराशि का प्रत्यक्ष रूप से अपहरण करके राजकीय निर्देशों के विरुद्ध आर्थिक अपराध खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। निर्माण कार्य पर कुल व्यय ₹0 7053462.00 है। अतः दण्डात्मक ब्याज सहित ₹ 70534.62 की वसूली संयुक्त रूप से करके राज्य राजस्व अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। अतः उपरोक्त राजस्व अधिभार अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए रखा जाता है। अविलम्ब ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अंतर्गत रु0 1618643.00 व प्रशासनिक मद ब्याज के सापेक्ष रु0 80004.00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन0आर0ईजी0ए0/2008/लखनऊ, दिनांक 16 जुलाई 2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय व आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारन्टी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत रु0 2045000.00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे समाज कल्याण अनुभाग.3 के शासनादेश सं0 161/2017/44 वी0आईपी0 /26-3-2017-4 (88)/93 टी.सी/लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर 2017 के परिपालन में पात्रता की शर्तों व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट्स की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। नियमानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि के अन्तर्गत रु0 310299.00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त विधायक निधि से कराये गये कार्यों की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2305/38-3-2001-500(9) / 99 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 05 जुलाई 2001 के परिपालन में विधायक निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों की परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 91 वि0नि0(1) /38-03-2002, दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि के मार्गदर्शक सिद्धांतों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी, अभिलेख

उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि ब्याज मद के अर्न्तगत रु0 33402.00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त विधायक निधि से कराये गये कार्यों की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो अनियमित रहा। उल्लेखनीय है कि ग्राम्य विकास अनुभाग 9 के शासनादेश सं0 57/2016/477/अडतीस-9-16-500(22)/ 2016 दिनांक 13 अक्टूबर 2016 द्वारा विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अर्न्तगत कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त ब्याज की धनराशि को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में वापस करना होगा। शासनादेश के अनुसार अर्जित ब्योज की धनराशि को निम्नलिखित लेखा शीर्षक के अर्न्तगत जमा कराया जाना था -

0075 - विविध सामान्य सेवाएं

800- अन्य प्राप्तियाँ

05- राजकीय विभागों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण आदि कार्य हेतु दी गयी धनराशि पर अर्जित ब्याज

इस प्रकार ब्याज की धनराशि व्यय कर लिये जाने की स्थिति में चालान प्रस्तुत न किया जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22

ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार राज्य वित्त में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10287806.00 रुपये व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र 7053462.00 रुपये में व्यय पत्रावली ही प्रस्तुत की गई। इस प्रकार कुल 3234344.00 रुपये की व्यय पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। जिसमें धनराशि 3234344.00 रुपये की पुष्टि, प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23

शासनादेश संख्या 1838 / 33-3-2015-03 /2015 पंचायती राज अनुभाग-3, दिनांक 31 जुलाई 2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायत का कार्य ग्राम पंचायत के अंदर नहीं बल्कि दो गाँवों/ ग्राम पंचायतों को

जोड़ने वाले निर्माण कार्य कराना है। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा नियम विरुद्ध एक ही ग्राम पंचायत के अंदर 5234909.00 रुपये का अनियमित व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	ग्रा.पं.बरदवलिया में मैन रोड अ.अहद के चक से राम लखन के घर तक खड्जा निर्माण	304017.00
2	ग्रा.पं.पिपरी कोल्हुई में राजजव नाई के दुकान से सरफुद्दीन के दुकान तक ई.लाकिंग कार्य	700278.00
3	ग्रा.पं.मुजेहनी शुक्लपुरवा में मैन रोड से गोण्डा उत्तरौला मार्ग पर बाबू राम यादव एडवोकेट के चक तक इंटर लाकिंग कार्य	472282.00
4	ग्रा.पं.रसूलपुर में टांसफार्मर से रफीक के घर तक इंटर लाकिंग कार्य	467945.00
5	ग्रा.पं.कोल्हुई बिनोहनी के सूर्यदयालपुर में लाला बढई के घर से बनिया दाढी केयर तक ई.लाकिंग कार्य	703755.00
6	पिपरी कोल्हुई में अकबर के घर से रज्जाब नाई के दुकान तक सी.सी.रोड मरम्मत कार्य	503071.00
7	ग्रा.सभा रसूलपुर पी.डब्लू.डी. मार्ग से तालाब वाले मस्जिद तक खड्जा मरम्मत	166836.00
8	ग्रा.पं. महमूदनगर के अंतर्गत राजस्व ग्रा.इमिलिया से जौवाद अली के मकान से सरहद तक खड्जा निर्माण	953317.00
9	पिपरा याकूब में बभनी कब्रिस्तान से इस्लामिक स्कूल तक मिटटी पटाई व खड्जा निर्माण कार्य	267393.00
10	ग्रा.वाजिदपुर में डामर रोड से मुसाहिद रजा के घर तक इ.लाकिंग कार्य	696015.00
	कुल योग	5234909.00

शासनादेश का पालन न किये जाने से गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24

भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र सं0 सी0सी0ए0 / पी0आर0/पी0एफ0एम0एस0/ रिपोर्ट/2018-19, दिनांक 29 नवम्बर 2019 में यह निर्देश दिये गये हैं कि पंचायती राज विभाग के केन्द्री पुरोनिधानित समस्ती योजनाओं की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से व्यय की जायेगी। इस क्रम में सभी सम्बन्धित एजेन्सी एवं वेण्डर्स को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर रजिस्टर एवं मैप करने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों एवं वेण्डर्स को भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ही किया जाये। यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी एजेन्सी द्वारा वेण्डर, मजदूर अथवा कार्यालय व्यय हेतु एडवांस का भुगतान आर ई ए टी (रिसीट एक्सपेन्डिचर एडवान्स एण्ड ट्रांसफर मॉडेल) जो पी0एफ0एम0एस0 पर है उसके माध्यम से ही किया जाना है। लेखा परीक्षा में तकनीकी कमियों को आधार बनाकर उक्त का पालन नहीं किया गया है। वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत ₹0 5805765.00 का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष पी0एफ0एम0एस0 के अंतर्गत भुगतान का

कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही व्यय के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये गये। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। संस्थाओं का यह कृत्य पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 34/ 2020 /1817/ 33-3-2020-33/2020 लखनऊ, दिनांक 24 जुलाई 2020 के बिन्दु सं0 06 में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के विपरीत रहा जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार अनुरक्षण मद के अर्न्तगत ₹0 89494.00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अनुरक्षण व्यय की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दूबे एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद-बहराइच

मण्डल-देवीपाटन

क्षेत्र पंचायत-हुजूरपुर

प्रस्तर संख्या

1. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हुजूरपुर कैसरगंज डामर रोड़ से पप्पू शुक्ला के घर तक इंटरलाकिंग कार्य किया गया, जिसके निर्माण पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति की फोटोग्राफ नहीं लगायी गयी। जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लगा है। जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के ₹0 706374.00 का भुगतान किया गया जोकि अनियमित है, जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन जे.ई., आर.ई.एस., खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-32)

क्षेत्र पंचायत-चितौरा

2. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर कटौती ₹0 377157.00, सेस कटौती ₹0 166438.00, जी0एस0टी कटौती ₹0 428029.00 कुल कटौतियां ₹0 971624.00 जो संस्था द्वारा जमा नहीं की गयी। कटौतियों के सापेक्ष काटी गयी धनराशि का राजकोष में जमा के सम्बन्ध में कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जिससे उक्त धनराशि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि धनराशि राजकोष में जमा की गयी

है। उक्त धनराशि को राजकोष में जमा न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-28)

3. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0पं0 मोहम्मद नगर में रामबरन के खेत से हफीजुर्रहमान के खेत तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य की पत्रावली जांच में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात फोटोग्राफ नहीं लगा है। जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। कार्यपूर्ति प्रमाण नहीं लगा है। जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। मास्टर रोल आधा-अधूरा रहा। जिसमें उ0प्र0क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के प्रारूप अनुसार नहीं भरा गया है। कार्य प्रारम्भ, कार्य समाप्ति एवं कार्य की माप की तिथि इत्यादि का उल्लेख नहीं गया है। बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र रु0 829240.00 का भुगतान किया गया। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे0ई0 आर0ई0एस0, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-32)

4. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0पं0 मोहम्मद नगर में प्रेम के खेत से धनु के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण नहीं लगा है। जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। पत्रावली जांच में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात फोटोग्राफ नहीं लगा है। जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। मास्टर रोल आधा-अधूरा रहा। जिसमें उ0प्र0क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के प्रारूप अनुसार नहीं भरा गया है। जैसा की कार्य प्रारम्भ, कार्य समाप्ति एवं कार्य की माप की तिथि इत्यादि का उल्लेख नहीं गया है। बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र रु0 819311.00 का भुगतान किया गया। जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद ही भुगतान होना चाहिए। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे0ई0 आर0ई0एस0, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-33)

क्षेत्र पंचायत-मिर्हीपुरवा

5. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चुरवा में मेन रोड़ खण्डजा से मथुरा के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लगा है। जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। पत्रावली जांच में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात फोटोग्राफ नहीं लगा है। जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। मास्टर रोल आधा-अधूरा रहा। जिसमें उ0प्र0क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के प्रारूप अनुसार नहीं भरा गया है। जैसा की कार्य प्रारम्भ, कार्य समाप्ति एवं कार्य की माप की तिथि इत्यादि का उल्लेख नहीं गया है। बिना कार्यपूर्ति प्रमाण

पत्र रु0 986290.00 का भुगतान किया गया। जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद ही भुगतान होना चाहिए। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे0ई0 आर0ई0एस0, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-32)

6. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्रमकर कटौती रु0 336455.00, टी0डी0एस0 कटौती रु0 703456.00, जी0एस0टी कटौती रु0 627758.00 कुल कटौतियां रु0 1667669.00 जो संस्था द्वारा जमा नहीं की गयी। कटौतियों के सापेक्ष काटी गयी धनराशि का राजकोष में जमा के सम्बन्ध में कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जिससे उक्त धनराशि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि धनराशि राजकोष में जमा की गयी है। उक्त धनराशि को राजकोष में जमा न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-33)

7. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजिका में ब्लाक अनुरक्षण/बिल्डिंग मरम्मत मद में माह अप्रैल का अन्तिम अवशेष रु0 50000.00 रहा जबकि माह मई में प्रारम्भिक अवशेष रु0 322.00 दिखाया गया है। अन्तर रु0 49678.00 का है। अर्थात् माह अप्रैल में रु0 49678.00 का व्यय हुआ। अनुदान पंजिका में व्यय के रूप में नहीं भरा गया है। उक्त धनराशि के सापेक्ष क्या कार्य किये गये/किस प्रयोजन हेतु व्यय किया गया है। उक्त धनराशि के सापेक्ष कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि वित्तीय अनियमितता के रूप में है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-36)

क्षेत्र पंचायत-फखरपुर

8. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर कटौती रु0 478415.00, सेस कटौती रु0 213599.00, जी0एस0टी कटौती रु0 427159.00 कुल कटौतियां रु0 1119173.00 जो संस्था द्वारा जमा नहीं की गयी। कटौतियों के सापेक्ष काटी गयी धनराशि का राजकोष में जमा के सम्बन्ध में कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जिससे उक्त धनराशि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि धनराशि राजकोष में जमा की गयी है। उक्त धनराशि को राजकोष में जमा न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-

9. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संगवा से घुरेहरीपुर सं0 मार्ग पर हनीफ के खेत के पास काजवे पुलिया निर्माण पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण नहीं लगा है। जिससे कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात फोटोग्राफ नहीं लगा है। जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र रु0 935471.00 का भुगतान किया गया। जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता

है, जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद ही भुगतान होना चाहिए। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद ही भुगतान होना चाहिए। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे0ई0 आर0ई0एस0, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-33)

10. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बुबकापुर के कंटूरवा में रामछवि के खेत की ओर खड़न्जा कार्य की पत्रावली जांच में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात फोटोग्राफ नहीं लगा है। जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। कार्यपूर्ति प्रमाण नहीं लगा है। जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। मास्टर रोल आधा-अधूरा रहा। जिसमें उ0प्र0क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के प्रारूप अनुसार नहीं भरा गया है। कार्य प्रारम्भ, कार्य समाप्ति एवं कार्य की माप की तिथि इत्यादि का उल्लेख नहीं किया है। बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र रु0 975919.00 का भुगतान किया गया। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे0ई0 आर0ई0एस0, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-34)

क्षेत्र पंचायत-जरवल

11. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निविदा फार्म बिक्री से आमद का विवरण अप्रस्तुत रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त के अन्तर्गत 27 कार्य, 15 वे वित्त के टाइड फंड के अन्तर्गत 09 कार्य और 15 वे वित्त के अनटाइड फंड के अन्तर्गत 15, कार्य कराये गये, उक्त कुल 51 कार्यों पर 153 निविदाये आमंत्रित की गयी निविदा मूल्य कार्य के अनुमानित मूल्य का 0.1 प्रतिशत दर्शाया गया किन्तु निविदा फार्म की बिक्री आय रुपये 68568.00 को क्षेत्र पंचायत की आय में शामिल नहीं करके उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम वर्मा एवं लेखाकार श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-02)

12. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2 एवं कार्य पत्रावलियों के निम्न विवरणानुसार आयकर कटौती की गयी है-

क्रमा0 मद	कार्यों की संख्या	आयकर कटौती
1. राज्य वित्त	27	254721.00
2. 15 वे वित्त के टाइड फण्ड	09	89014.00
3. 15 वे वित्त के अनटाइड फण्ड	15	124696.00
योग	51	468431.00

कुल आयकर कटौती ₹0 468431.00 के सापेक्ष ग्रांट रजिस्टर 3 में आयकर कटौती ₹0 429789.00 ही दर्शित है जो कि ₹0 38642.00 के अन्तर से कम दर्शित है अतः आयकर ₹0 38642.00 को कम दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम वर्मा एवं लेखाकार श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह से बराबर बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

13. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में टाइड फंड के अन्तर्गत 09 कार्यों का कराया जाना जिसमें सभी कार्य ह्यूम पाइप डालने एवं ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्यों पर ₹0 4448925.00 व्यय किया जाना दर्शित है जबकि 15 वे वित्त आयोग के टाइड फण्ड की धनराशि का व्यय पेयजल तथा स्वच्छता के कार्यों में से प्रत्येक पर 50 प्रतिशत की धनराशि व्यय की जायेगी पेयजल के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य प्रत्येक घर में नल से जल आपूर्ति, जल संचयन तथा जल पुनचक्रण कराया जाना है तथा स्वच्छता के अन्तर्गत ओ.डी.एफ. की स्थिति का रख-रखाव, प्लास्टिक अपशिष्ट, मानव-मल कीचड़ सहित घरेलू कचरे का निस्तारण करना है, इस प्रकार क्षेत्र पंचायत जरवल द्वारा 15 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त टाइड फण्ड की धनराशि का उपयोग दिये गये दिशा निर्देशों एवं अनुमन्य कार्यों के विपरीत ह्यूम पाइप डालने एवं ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्यों पर व्यय करके अनुदान की धनराशि ₹0 4448925.00 का दुरुपयोग किया गया है, जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम वर्मा एवं लेखाकार श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह से बराबर बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

14. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यालय ज्ञाप मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग पत्रांक 9755/एम.टी./सामान्य वर्ग/40 एम.टी.-45/2017 दिनांक 19.12.2017 कर्मकार उपकर (लेबर सेस) की कटौती ठेकेदारों के बिल से की जायेगी और कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा परन्तु ग्रांट रजिस्टर 2 एवं कार्य पत्रावलियों से ज्ञात होता है कि ठेकेदारों को भुगतान करने से पूर्व 1% लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है, इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ठेकेदार को भुगतान किया गया है जिस पर 1% लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है-

क्रमां०	मद	कार्यों की संख्या	कुल खर्च धनराशि	आकलित जी.एस.टी.	आकलित जी.एस.टी.घटाकर भुगतान की गयी धनराशि	1% लेवर सेस
1	राज्य वित्त	27	12721932.00	1363064.00	11358868.00	113589.00
2	15 वे वित्त के टाइड फण्ड	09	4448925.00	476671.00	3972254.00	39723.00
3	15 वे वित्त के अनटाइड फण्ड	15	5685457.00	609156.00	5076301.00	50763.00
	योग	51	22856314.00	2448891.00	20407423.00	204075.00

अतः ठेकेदारों को भुगतान करने से पूर्व 1% लेवर कटौती नहीं करके अनुदान की धनराशि ₹0 204075.00 का दुरुपयोग किया गया है। जोकि उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम वर्मा एवं लेखाकार श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह से बराबर बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-05)

15. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जी.एस.टी. 2017 की धारा 51 के अनुसार 2% की दर से स्रोत पर जीएसटी टीडीएस कटौती की जानी है। यह व्यवस्था उ०प्र० में 01.10.2018 से प्रभावी है के अनुसार टैन/पैन आधारित जीएसटी नम्बर अनिवार्य है। 2.5 लाख से ऊपर के हर भुगतान जीएसटी टीडीएस की कटौती आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। लेखा परीक्षा के दौरान लेखाकार के द्वारा यह बताया गया कि क्षेत्र पंचायत को जीएसटीएन अलॉट न किए जाने के कारण यह कटौती नहीं की जा रही है। जो कि आपत्ति का विषय है, कार्यों का प्राक्कलन तैयार करते समय प्राक्कलन की धनराशि में 12% धनराशि जीएसटी का प्रावधान किया जाता है और ठेकेदारों को भुगतान में 12% जीएसटी जोड़ दी जाती है जिसमें से 1% एसजीएसटी और 1% सीजीएसटी की टीडीएस कटौती करके संस्था द्वारा जमा की जाती है टीडीएस ना करने से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12% जीएसटी को ठेकेदारों द्वारा सम्बंधित विभाग में जमा कराया गया है या नहीं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त के अन्तर्गत 27 कार्य, 15 वे वित्त के टाइड फंड के अन्तर्गत 09 कार्य और 15 वे वित्त के अनटाइड फंड के अन्तर्गत 51 कार्य कराये गये, आकलित जी.एस.टी.निम्नवत रही-

क्रमां०	मद	कार्यों की संख्या	कुल खर्च धनराशि	आकलित जी.एस.टी.
1.	राज्य वित्त	27	12721932.00	1526631.84
2.	15 वे वित्त के टाइड फण्ड	09	4448925.00	533871.00
3.	15 वे वित्त के अनटाइड फण्ड	15	5685457.00	682254.84
	योग	51	22856314.00	2742757.68

अतः 12% जीएसटी को ठेकेदारों द्वारा सम्बंधित विभाग में जमा कराये जाना अप्रमाणित रहा। 12% जीएसटी को ठेकेदारों द्वारा सम्बंधित विभाग में जमा कराये जाने की पुष्टि ना होने की स्थिति में अनुदान की धनराशि ₹0 2742757.68 का दुरुपयोग किया गया है। जोकि उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत

(बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम वर्मा एवं लेखाकार श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह से बराबर बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-06)

क्षेत्र पंचायत - नवाबगंज

16. ग्राम पंचायत केवलपुर में आचार्य रमेश चंद्र गर्ल्स इंटर कालेज के सामने आर सीसी पुलिया निर्माण एवं इंटरलाकिंग कार्य जिसकी स्वीकृत लागत रु0-484072.00 एवं लंबाई 200 मी0 है। उक्त निर्माण के संबंध में निम्न आपत्तियां हैं-

1- निर्माण पत्रावली में कागजातों पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ न तो उनका नाम लिखा है और न ही मुहर।

2- निर्माण पत्रावली में कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्त के पश्चात के फोटोग्राफ नहीं लगा है, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

3- उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं था जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4- उक्त कार्य क्षेत्र पंचायत के एक ही ग्राम पंचायत केवलपुर को लाभान्वित करता है। उक्त कार्य का भुगतान चतुर्थ वित्त आयोग से किया गया है जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश संख्या 1038/33.03.2015/03/2015 दिनांक- 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर ही क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा। अतः यह शासनादेश का स्पष्ट विचलन है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवंत सिंह, ब्लाक प्रमुख श्रीमती बबली एवं लेखाकार श्री संजय जैन जिम्मेदार हैं। इसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती बबली सिंह, श्री तेजवंत सिंह एवं श्री संजय जैन से की जानी अपेक्षित है।

5- उक्त कार्य के लिए मे0 सेंगर कांस्ट्रक्शन, रायपुर राजा बहराइच को बाउचर सं0- चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/P/1 के माध्यम से दिनांक- 04.07.2020 को शुद्ध भुगतान रु0- 484072.00 किया गया। उक्त कार्य में शुद्ध भुगतान के अतिरिक्त रु0-11092.00 की टी0डी0एस0 कटौती एवं रु0- 59420.00 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी। परन्तु उक्त दोनों चालान उपलब्ध कराना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में इस राजस्व हानि के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार हैं। अतः धनराशि रु0- 70512.00 की ब्याज सहित वसूली/जमा कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवंत सिंह एवं लेखाकार श्री संजय जैन से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-24)

क्षेत्र पंचायत - तेजवापुर

17. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत नहकटिया के गोडियन पुरवा में सहजराम के घर से कमल नाथ के घर तक इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य पर रु0-5,09,603.00 का भुगतान मेसर्स अनिल कुमार यादव बहराइच को किया गया, निर्माण कार्य पत्रावलियों में टेण्डर व कोटेशन के विज्ञापन जो वर्ष 2020-21 के हैं संलग्न नहीं पाये गये। टेण्डर व कोटेशन संलग्न किया जाना अपेक्षित है। उक्त कार्य का टेण्डर आमंत्रण व जे.ई. (एम0आई0) श्री अमित निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ दिनांक 24.02.2020 को किया गया, तथा कार्य समाप्ति दिनांक 06.03.2021 को किया गया। टेण्डर व प्रारम्भ तिथि से छह माह में कार्य समाप्त किया जाना टेण्डर में निर्देशित हैं। जोकि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, मेसर्स अनिल कुमार यादव बहराइच का हैसियत प्रमाण

पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र अत्यन्त पुराना पाया गया। पत्रावलियों में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। त्रिस्तरीय फोटोग्राफ फाइल में संलग्न नहीं होने से कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर रु0-5,09,603.00 का भुगतान कर के वित्तीय अनियमितता की गयी है। किया गया। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख श्री पेशकार राव, खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0बी0 यादव एवं लेखाकार श्री लाइकराम, जे.ई.(एम0आई0) श्री अमित निगम उत्तरदायी है। जिसकी वसूली बराबर बराबर हिस्सों में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-29)

18. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति/जमानत कटौती में रु0-1,18,720.00 को वित्त वर्ष 2020-21 तक रोकने का कारण लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत रु0-1,18,720.00 अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0बी0 यादव एवं लेखाकार श्री लाइकराम, जे.ई.(एम0आई0) श्री अमित निगम से बराबर बराबर हिस्सों में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-33)

19. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जी0ए0स0टी0 एक्ट-2017 की धरा 51 के अनुसार 2% की दर से स्रोत पर जी.एस.टी., टी.डी.एस. कटौती की जानी है, यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 01-10-2018 से प्रभावी है के अनुसार टिन/पैन आधारित जी.एस.टी. नम्बर अनिवार्य है, निविदा के अन्तर्गत रु0-2.5 लाख के ऊपर हर भुगतान जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौती आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। 12% जी.एस.टी. को ठेकेदारों द्वारा सम्बंधित विभाग में जमा कराया जाना अप्रमाणित रहा। 12% जी.एस.टी. को ठेकेदारों द्वारा सम्बंधित विभाग में जमा कराये जाने की पुष्टि ना होने की स्थिति में अनुदान की धनराशि रु-21,88,679.00 का दुरुपयोग किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान लेखाकार द्वारा बताया गया कि क्षेत्र पंचायत की जी.एस.टी.एन. आवंटन न किये जाने के कारण यह कटौती नहीं की सकती जो आपत्ति का विषय है। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत रु0- 21,88,679.00 अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली ब्लाक प्रमुख श्री पेशकार राव, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0बी0 यादव एवं लेखाकार श्री लाइकराम, जे.ई.(एम0आई0) श्री अमित निगम से बराबर बराबर हिस्सों में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-35)

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन (क्षेत्र पंचायत), वर्ष 2020-21

क्षेत्र पंचायत -सिरसिया

जनपद - श्रावस्ती

प्रस्तर - 1

क्षेत्र पंचायत सिरसिया में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में थाना सिरसिया में मेन रोड से उत्तर बाउंड्रीवाल तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि प्राक्कलन (स्टीमेट) में दर्शित विवरण तथा माप पुस्तिका में दर्शित विवरण में किये गए भुगतान में निम्न विवरणानुसार अंतर पाया गया है-

क्र० सं०	विवरण	प्राक्कलन के अनुसार धनराशि	माप पुस्तिका के अनुसार धनराशि	अधिक भुगतानित धनराशि
1	ब्रिकवर्क इन 1:4 सीमेंट एण्ड फाईन सैंण्ड मोर्टर विथ 150 ब्रिक	22.98 दर प्रति 4970/ प्रति घनमी० रु० 114210.60	22.73 दर प्रति 5520 प्रति घनमी० रु० 125469.60	11259.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य के स्टीमेट में दर्शित दर के सापेक्ष माप पुस्तिका में दरों में वृद्धि कर कार्य का भुगतान किया गया है जो कि आपति का विषय है। उ०प्र० पं० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 15 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य में तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा जब तक वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो, उसकी स्वीकृत न दे दे, जबकि उक्त परिवर्तन से सम्बंधित कोई भी पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं उसकी स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

इस प्रकार स्टीमेट में दर्शित दर से अधिक दर से माप पुस्तिका में भुगतान करके रु.11259.00 का गबन किया गया है। उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (इ) के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार स्टीमेट में अंकित दर से अधिक दर माप पुस्तिका में अंकित कर अधिक भुगतानित धनराशि रु० 11259.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री बाल गोविन्द शुक्ला तथा लेखाकार श्री मनोज कुमार एवं जे.ई. (आर.ई.डी.) श्री अजय कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-19)

क्षेत्र पंचायत -इकौना

जनपद - श्रावस्ती

प्रस्तर -2

क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2019-20 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि में ग्राम पाण्डेय पुरवा जयचन्दपुर कटघरा में पक्की सड़क से हरिवंश पाण्डेय के घर तक 200 मीटर इण्टर लॉकिंग कार्य कराया गया है। पत्रावली में सलग्न प्राक्कलन में कार्य पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी सहित 7.82 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि प्राक्कलन (स्टीमेट) में दर्शित विवरण तथा माप पुस्तिका में दर्शित विवरण में किये गये भुगतान में निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया :-

क्र० सं०	विवरण	प्राक्कलन के अनुसार धनराशि	माप पुस्तिका के अनुसार धनराशि	अधिक भुगतानित धनराशि
1	सप्लाई एण्ड लेईंग जिगजैग 80मिमी० थिक इण्टरलॉकिंग टाईल्स	420वर्गमी० दर प्रति 815.00 वर्गमी० रु० 342300.00	538.19 वर्गमी०दर प्रति 815.00 वर्गमी० रु० 438624.85	रु० 96324.85
		योग		96324.85
		12 प्रतिशत जी०एस०टी० जोड़ने पर		11558.98
		कुल योग :-		107883.83

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य के स्टीमेट में दर्शित कार्य की मात्रा के सापेक्ष माप पुस्तिका में अप्रत्यक्षित रूप से कार्य में वृद्धि दर्शाकर रु० 107884.00 का अधिक भुगतान किया गया है, जो आपत्ति का विषय है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार “स्वीकृत नक्शे यो अनुमान या निर्माण कार्य में तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा जब तक वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो, उसकी स्वीकृति न दे दे”, जबकि उक्त परिवर्तन से सम्बन्धित कोई भी पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं उसकी स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

इस प्रकार स्टीमेट में दर्शित कार्य से अधिक कार्य माप पुस्तिका में दर्शाकर रु० 107884.00 का दुरुपयोग किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमानुसार 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अंत स्टीमेट में दर्शित कार्य की मात्रा को माप पुस्तिका में अधिक कार्य की मात्रा दर्शित कर अधिक भुगतानित धनराशि रु० 107884.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र तिवारी, अवर अभियन्ता श्री बृजेश कुमार तथा लेखाकार श्री शिवकुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 07)

प्रस्तर -3

क्षेत्र पंचायत इकौना का वर्ष 2019-20 में विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत जयचन्दपुर कटघरा के मजरा कटघरा में लोनियन पुरवा में सी०सी० रोड से त्रिलोकी नाथ चौहान के खेत तक इण्टर लॉकिंग कार्य किया जाना दर्शित कार्य पत्रावली में संलग्न कार्य के स्टीमेट तथा भुगतान हेतु माप पुस्तिका की जांच में पाया गया कि अन्तिम भुगतान 391780.00 की संस्तुति के साथ संलग्न मैनुअल फार्म नं० 123 पर क्रमांक 7 पर 84 घनमी० साईड सपोर्ट + ई०डब्ल्यू० दर प्रति 193.00 रु० 16212.00 की धनराशि को भुगतान में शामिल किया गया है, जबकि कार्य के स्टीमेट में उक्त मद को शामिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य के स्टीमेट उपरोक्त दर्शित मद में शामिल किये बगैर माप पुस्तिका में कार्य दर्शाकर भुगतान किया गया है, जो आपत्ति का विषय है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य

नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य में तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा जब तक वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो, उसकी स्वीकृति न दे दे जबकि उक्त परिवर्तन से सम्बन्धित कोई भी पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं उसकी स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

इस प्रकार स्टीमेट में दर्शाये बगैर माप पुस्तिका में भुगतान रु0 16212.00 का दुरुपयोग किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अधिक भुगतानित रु0 16212.00 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र तिवारी अवर अभियन्ता श्री बृजेश कुमार तथा लेखाकार श्री शिवकुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 08)

प्रस्तर - 4

क्षेत्र पंचायत इकौना लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में विधान मण्डल विकास निधि योजना के अन्तर्गत ग्राम धरमपुर नारायनजोत पक्की सड़क से सेमरी ग्राम में राम सेवक वर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य काराया गया। कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि प्राक्कलन (स्टीमेट) में दर्शित विवरण तथा माप -पुस्तिका में दर्शित में किये गये भुगतान में निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया -

क्र० सं०	विवरण	प्राक्कलन के अनुसार धनराशि	माप पुस्तिका के अनुसार धनराशि	अधिक भुगतानित धनराशि
1	12 मिमी० थिक प्लास्टर इन 1:3 सीमेण्ट एण्ड कोरस सैंड	38.88वर्गमी.प्रतिदर 200.00वर्गमी. रु0 7776.00	76.47वर्गमी.प्रतिदर 200.00वर्गमी. रु0 15294.00	7518.00
2	डिसमेंटलिंग ऑफ ब्रिक ऑन ईज पेमेंट	170वर्गमी. प्रतिदर 7.68वर्गमी. रु0 1305.60	334वर्गमी.प्रतिदर 7.68वर्गमी. रु0 2565.12	1259.52
3	ब्रिक सॉलिंग बिथ सॉलिंग लेड ऑन ईज	170वर्गमी.प्रतिदर. 83वर्गमी. रु0 14110.00	374वर्गमी.प्रतिदर 83 वर्गमी. रु0 31042.00	16932.00
4	ई/डब्ल्यू सपोर्ट वॉल	प्राविधान नहीं किया गया	75.60वर्गमी0प्रतिदर 193 वर्गमी. रु0 14590.80	14590.80

	योग	40300.32
	12 प्रतिशत जी०एस०टी० जोड़ने पर	4836.04
	कुल योग :-	45136.36

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्टीमेट में दर्शित कार्य की मात्रा के सापेक्ष माप पुस्तिका में अधिक कार्य दर्शाकर भुगतान किया गया है तथा स्टीमेट के बिल ऑफ क्वान्टिटी में क्रमांक 8 9 10 तथा 13 पर दर्शित मर्दों एवं कार्यों पर व्यय नहीं किया गया है। जो आपत्ति का विषय है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य में तब कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा जब तक वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो। उसकी स्वीकृति न दे दे। जबकि उक्त परिवर्तन से सम्बन्धित कोई भी पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं उसकी स्वीकृति लेखा परीक्षा में आप्राप्त रही।

इस प्रकार स्वीकृत स्टीमेट में दर्शित कार्य की मात्रा में माप पुस्तिका में अप्रत्याशित रूप से अधिक कार्य की मात्रा दर्शाकर भुगतान करके रु० 45136.00 का दुरुपयोग किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु० 45136.00 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र तिवारी, अवर अभियन्ता बृजेश कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री शिवकुमार से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 09)

प्रस्तर - 5

क्षेत्र पंचायत इकौना में वर्ष 2019-20 में विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत पूरेदीन नामगढ़ मेंलोधन पुरवा से अनन्तराम पुरवा तक 100 मीटर इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य पत्रावली जांच में पाया गया कि.स्वीकृत प्राक्कलन तथा माप पुस्तिका में दर्शित विवरण में किये गये भुगतान में निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया :-

क्र० सं०	विवरण	प्राक्कलन के अनुसार धनराशि	माप पुस्तिका के अनुसार धनराशि	अधिक भुगतानित धनराशि
1	सप्लाई एण्ड लेईंग जिगजैग 80मिमी० थिक इण्टरलॉकिंग टाईल्स	210 वर्गमी० दर प्रति 815.00 वर्गमी० रु० 171150.00	246.345 वर्गमी०दर प्रति 815.00 वर्गमी० रु० 200767.10	रु० 29617.10
		योग		29617.10
		12 प्रतिशत जी०एस०टी० जोड़ने पर		3554.05
		कुल योग :-		33171.15

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वीकृत कार्य के स्टीमेंट में 100 मीटर इण्टरलॉकिंग के सापेक्ष लगभग 117:30- मीटर इण्टरलॉकिंग का कार्य कराया गया है जो आपत्ति का विषय है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य के स्टीमेंट में दर्शित कार्य के सापेक्ष माप पुस्तिका में कार्य की मात्रा में वृद्धि कर कार्य का भुगतान किया गया है। जबकि कार्य स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत कार्य कराया जाना दर्शित है। 100 मीटर इण्टरलॉकिंग कार्य का स्टीमेंट ₹0 394172.80 के सापेक्ष लगाकर 117.30 मीटर इण्टरलॉकिंग का कार्य ₹0 370350.00 में कराया जाना कार्य की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। यह आपत्ति का विषय है उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य में तब कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा जब तक वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया कहे उसकी स्वीकृति न दी हो। जबकि उक्त परिवर्तन से सम्बन्धित कोई भी पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं उसकी स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

इस प्रकार स्टीमेंट में दर्शित कार्य की मात्रा माप पुस्तिका में अप्रत्याशित रूप से अधिक कार्य की मात्रा दर्शाकर भुगतान करके ₹0 33171.00 का दुरुपयोग किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार ₹0 33171.00 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र तिवारी, अवर अभियन्ता बृजेश कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री शिवकुमार से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर - 6

क्षेत्र पंचायत इकौना वर्ष 2020-21 में पन्द्रहवा वित्त आयोग योजनान्तर्गत ग्राम सोनरई में सत्य नरायन पाण्डेय के घर से नान बच्चा पाण्डेय के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य कराया गया है। पत्रावली जांच में पाया गया कि स्वीकृत स्टीमेंट में दर्शित विवरण तथा माप पुस्तिका में दर्शित विवरण में किये गये भुगतान में निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया-

क्र० सं०	विवरण	प्राक्कलन के अनुसार धनराशि	माप पुस्तिका के अनुसार धनराशि	अधिक भुगतानित धनराशि
1	अर्थ इवेकुएशन इन फाउण्डेशन इन ईजिंग	9.90घनमी0प्रतिदर 120.00 ₹0 1188.00	25.8घनमी. प्रतिदर 120.00 ₹0 3096.00	₹0 1908.00
2	फस्ट क्लास बी/डब्ल्यू 1.4 सीमेंट एण्ड कोरस सैंपड मोरंग	8.05घनमी प्रतिदर 5900.00 ₹0 47495.00	14.26 घनमी. प्रतिदर 5900.00 ₹0 84134.00	₹036639.00
		योग		38547.00
		12 प्रतिशत जी०एस०टी० जोड़ने पर		4625.64

	3 प्रतिशत सैस	385.47
	कुल योग :-	43558.11

उपरोक्त दर्शित विवरण के अनुसार स्टीमेट के सापेक्ष जे०ई० बिल फॉर्म में स्वीकृत कार्य के अप्रत्याशित रूप से वृद्धि दर्शित है। जबकि इण्टरलॉकिंग कार्य 50 मीटर के सापेक्ष 41.73 मीटर ही कार्य कराया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल प्रस्तावित स्वीकृत प्राक्कलन में दर्शित कार्य में पर्याप्त वृद्धि एवं परिवर्तन कर कार्य कराया गया है। भले ही कार्य स्वीकृत धनराशि के अन्दर कराया गया हो, जो आपत्ति का विषय है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य में तब कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा जब तक वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो, उसकी स्वीकृति न दी हो। जबकि उक्त परिवर्तन से सम्बन्धित कोई भी पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं उसकी स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। इस प्रकार स्टीमेट में दर्शित कार्य से अधिक माप पुस्तिका में कार्य करना दर्शाकर रु० 43558.00 का दुरुपयोग किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) (ड) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः स्टीमेट में दर्शित कार्य के सापेक्ष माप पुस्तिका में अधिक कार्य दर्शाकर सं० 43558.00 दुरुपयोग किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी अवर अभियन्ता बृजेश कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री शिवकुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 17)

प्रस्तर - 7

क्षेत्र पंचायत इकौना में वर्ष 2020-21 में पन्द्रहवा वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत टण्डवा महन्त में गुड्डू के घर से पुत्र के घर तक इण्टर लॉकिंग का कार्य कराया गया है, जिसमें स्वीकृत स्टीमेट तथा कार्य पत्रावली में सलग्न जे.ई. फॉर्म बिल 27 में निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया-

क्र० सं०	विवरण	प्राक्कलन के अनुसार धनराशि	माप पुस्तिका के अनुसार धनराशि	अधिक भुगतानित धनराशि
1	लेईंग 80 एम.एम. थिक रबर मोल्डिड जिगजैग इण्टरलॉकिंग ब्लॉक	284.00 वर्गमी.प्रतिदर 718.00वर्गमी. रु० 203912.00	339.98 वर्गमी. प्रतिदर 718.00वर्गमी. रु० 236925.00	रु० 33013.60
		योग		33013.60
		12 प्रतिशत जी०एस०टी० जोड़ने पर		3961.63
		1 प्रतिशत सैस		330.00

	कुल योग :-	37305.23

उपरोक्त दर्शित विवरण के अनुसार स्टीमेट के सापेक्ष जेई बिल फॉर्म में कार्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि दर्शित है। उपरोक्त कार्य में स्वीकृत 284.00 वर्गमी० के सापेक्ष जे.ई. बिल फॉर्म में 339.98 वर्गमी० कार्य अर्थात् 19.71 प्रतिशत वृद्धि दर्शित है। अतः मूल प्रस्तावित एवं स्वीकृत प्राक्कलन के कार्य पर्याप्त 19.71 वृद्धि करके कार्य कराया गया है। भले ही कार्य स्वीकृत धनराशि के अन्दर कराया गया हो यह आपत्ति का विषय है। है उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य में तब कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा जब तक यह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो, उसकी स्वीकृति न दी हो। जबकि उक्त परिवर्तन से सम्बंधित कोई भी पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं उसकी स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

इस प्रकार स्टीमेट में दर्शित कार्य से अधिक माप पुस्तिका में कार्य दर्शाकर स्व 37305.00 का दुरुपयोग किया गया है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) (क)से(ड) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः स्टीमेट में दर्शित कार्य से माप पुस्तिका में अधिक कार्य दर्शाकर अधिक भुगतानित धनराशि रु० 37305.00 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी अवर अभियन्ता बृजेश कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री शिवकुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 18)

प्रस्तर -8

क्षेत्र पंचायत की निम्न विवरणानुसार कार्य पत्रावलि की जाँच में पाया गया कि कार्य का प्राक्कलन तैयार करते समय 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को कार्य के स्टीमेट में जोड़ दिया गया है और इसी प्रकार कार्य का भुगतान करते समय क्षेत्र पंचायत द्वारा 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि का भुगतान ठेकेदार को किया गया है। जो आपत्तिजनक है। कार्यालय मुख्य अभियन्ता उ०प्र० लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक 9755 / एम.टी. / सामान्य

वर्ग / 40 एम. टी-45/2017 दिनांक 19.12.2017 में दिये गये निर्देश शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह दिशा-निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिला से की जाये एवं समस्त समावेशी उपबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये। इस प्रकार स्पष्ट है कि लेबर सेसे के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। निम्न विवरणानुसार रूप 234167.00 का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदारों को करके क्षेत्र पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी तथा अवर अभियन्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, रु० 234167.00 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी तथा अवर अभियन्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है-

क्र०सं०	लेबर सेस का विवरण	लेबर सेस

1	ग्राम भरथा में महादेवा तालाब से रघुनाथपुर मुराइनपुरवा अशरफी चमार के घर तक नाला निर्माण कार्य	5915.00
2	जयचन्द कटघरा के मजरा कटघरा में लोनियनपुरवा में सी0सी0रोड से त्रिलोकीनाथ चैहान के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य	8467.00
3	ग्राम पंचायत नारायणजोत में राजकुमार दूबे के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य	9760.00
4	ग्राम पंचायत मलौना खसियारी में पुतन मिश्रा के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य	9205.00
5	ग्राम पंचायत मलौना खसियारी में नाती महाराज के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य	6889.00
6	ग्राम पंचायत किटियौना में पक्की सडक से खडन्जा मार्ग उपाध्याय पुरवा जाने वाली खडन्जा पर पुलिया निर्माण कार्य	9774.00
7	ग्राम पंचायत मुजहनिया में छोटकन्ने गोस्वामी व निबरे पासी के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य	7652.00
8	सेमरी तरहर में मेलहा बाबा के घर के पास नाले पर पुलिया निर्माण कार्य	6773.00
9	ग्राम पंचायत गनेशपुर में चिकनीपुरवा में बाबूराम यादव के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य	6574.00
10	गनेशपुर में भवानीदीन गौड के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य	4285.00
11	राधानगर बेलकर में तालाब के पास पुलिया निर्माण कार्य	8809.00
12	सेमरी तरहर में मोती गौतम के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य	7678.00
13	लक्ष्मनपुर गौडपुरवा में श्याम मनोहर तिवारी के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य	6011.00
14	बैजपुर लक्ष्मनपुर सम्पर्क मार्ग पर बैजपुर गाँव के निकट 04 मुही ट्रयूम पाइप तथा 40 मी0 सी0सी0रोड निर्माण कार्य	1029.00
15	ग्राम सोनरई में सत्यनारायण पाण्डेय के घर से नानबच्चा पाण्डेय के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	1530.00
16	ग्राम टण्डवा महन्त में गुड्डू के घर से पुतु के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	8769.00
17	ग्राम टण्डवा महन्त में मेन रोड से गप्पू तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	5721.00
18	ग्राम टण्डवा महन्त में राम अक्षयवर यादव के घर से रक्षाराम के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	9509.00
19	ग्राम टण्डवा महन्त में मनीराम मेट के घर से महाइदेव के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	9033.00
20	मोहम्मदपुर राजा में सम्पर्क मार्ग प्राइमरी स्कूल से बडकऊ तिवारी के घर होते हुए ब्रजेश मिश्र के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	9833.00

21	ग्राम मनोहरापुर में शिवकुमार श्रीवास्तव के घर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए हरिप्रसाद जायसवाल के घर के पास मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	4829.00
22	ग्राम सरवन्तारा में पक्की सड़क से राम मोहन शुक्ला के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	8995.00
23	ग्राम पंचायत मझौवा सुमाल के मजरा बड़ईपुरवा मार्ग में कपिल देव शुक्ला के घर से ननकऊ मौर्य के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य	9162.00
24	ग्राम सोनरई के मजरा पासीपुरवा में कल्लु प्रसाद शुक्ला के घर तक जाने वाले रास्ते पर इण्टरलॉकिंग कार्य	8340.00
25	पक्की सड़क किढ़ियौना रमपुरवा मार्ग से संजय मिश्रा के घर होते हुए संगल लाल के कोठार तक इण्टरलॉकिंग कार्य	6272.00
26	अमारे मरिया ओझा कुट्टी रामनारायण के घर से बड़ी नहर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	8322.00
27	ग्राम सभा तिलकपुर के मजरा बरईपुरवा में वीरपुर बलरामपुर सम्पर्क मार्ग से बरईपुरवा में संतोष कुमार चैरसिया के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	8306.00
28	ग्राम सभा जोरडीह परशुरामपुर नगर में ए0डी0आर0एस0 गौतमबुद्धनगर कालेज तक इण्टरलॉकिंग कार्य	9570.00
29	इकौना देहात में शिवकुमार के घर से इकौना बलरामपुर मार्ग तक इण्टरलॉकिंग कार्य एवं नाली निर्माण कार्य	6595.00
30	सीताद्वार गौशाला में मेनरोड से अन्दर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	9823.00
31	सोनरई बार्डर पर मेन डाबर रोड से पेशकार तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	4424.00
32	लालपुर खदरा बार्डर पर भापेपारा लालपुर मार्ग पक्की सड़क से पृथ्वी गुप्ता के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	4071.00
33	भटपुरवा कला में महावीर के घर से शोभाराम वर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	726.00
34	चिचड़ी बार्डर पर इकौना भिनगा पक्की सड़क से विनय कुमार मिश्र के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	1516.00
	कुल योग -	234167.00

(मूल आपति संख्या 19)

प्रारूप - 03

वार्षिक प्रतिवेदन-2020-2021

जनपद का नाम- देवरिया मण्डल का नाम-गोरखपुर

क्षेत्र पंचायत के अनिस्तारित आपतियों का विवरण:-

क्षेत्र पंचायत- भाटपार रानी

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-01- अनुदान रजिस्टर तृतीय की जाँच में पाया गया कि ब्याज मद में अंकित धनराशि रु० 5557.00 को माह जुलाई 2020 के बाद माह अगस्त 2020 से अनुदान रजिस्टर तृतीय से विलोपित कर दिया गया है। अतः रु० 5557.00 की धनराशि का बिना व्यय के विलोपित करने का स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा जाँच में दिया जाना आवश्यक है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज लेखाकार श्री दीनदयाल से किया जाना अपेक्षित है।
(आपति संख्या 03)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
5557.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-02- वर्ष लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि रु० 15790800.00 का 1 प्रतिशत धनराशि 157908.00 निदेशक पंचायती राज के खाते में जमा कराया जाना आवश्यक था जिसे जमा नहीं कराया गया है जो नियम विरुद्ध रहा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी डॉ० संतोष कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री दीन दयाल एवं श्री चंदन कुमार (लेखाकार) उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपति संख्या 10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	157908.00

प्रस्तर संख्या-03- वर्ष लेखा परीक्षा में टी. डी. एस. कटौति रु० 341507.74 किया गया है जिसे आयकर विभाग को जमा करने से संबंधित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः रु० 341507.74 को यथाशीघ्र आयकर विभाग में जमा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा कि स्थिति में आयकर विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक प्रक्रिया

अपनाया जाता है तो उसका दायित्व ब्लॉक प्रमुख श्री व्यास यादव, खण्ड विकास अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री चंदन कुमार का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	341507.74

प्रस्तर संख्या-04- वर्ष लेखा परीक्षा में जी. एस. टी. कटौती रु० 305004.64 दर्शाया गया है जिसे निर्धारित लेखा शीर्ष (वाणिज्य कर विभाग) को जमा करने से संबंधित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः रु० 305004.64 को यथाशीघ्र निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा कि स्थिति में वाणिज्य कर विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसका दायित्व ब्लॉक प्रमुख श्री व्यास यादव, खण्ड विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री चंदन कुमार का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	305004.64

क्षेत्र पंचायत- गौरी बाजार

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-05- अनुदान रजिस्टर तृतीय की जाँच से स्पष्ट होता है कि तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में रु.1110379.16 की आमद है जबकि व्यय मद में कोई धनराशि अंकित नहीं है। फिर भी अंतिम अवशेष रु० 1089712.16 दर्शाया गया है जो कि रु० 20662.00 कम है जिसका गबन कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि रु० 20662.00 की वसूली ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीलम चंदेल, खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय पाण्डेय एवं लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्रा से वसूली मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। (आपति संख्या 03)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
20662.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-06- अनुदान रजिस्टर तृतीय की जाँच से स्पष्ट होता है कि ब्लॉक स्वच्छता / स्वच्छ भारत मिशन मद में रु.765878.00 माह फरवरी 2021 तक आमद हुयी एवं रु.662703.00 व्यय हुआ। इस प्रकार रु.103175.00 अंतिम अवशेष माह फरवरी 2021 में दर्शित है। जबकि माह मार्च 2021 के प्रारंभिक अवशेष में रु.103175.00 के बदले रु.89055.00 दर्शाया गया है जो कि रु.14120.00 कम अंकित कर उपरोक्त धनराशि का गबन कर लिया गया है। अतः रु.14120.00 की वसूली ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीलम चंदेल, खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय पाण्डेय एवं लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्रा से वसूली मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। (आपति संख्या 04)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
14120.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-07- वर्ष लेखा परीक्षा में टी.डी.एस. कटौती रु.506932.00 किया गया है जिसे आयकर विभाग को जमा करने से संबंधित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए है। अतः रु. 506932.00 को यथाशीघ्र आयकर विभाग में जमा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा कि स्थिति में आयकर विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक

प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसका दायित्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीलम चंदेल, खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय पाण्डेय एवं लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्रा का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 08)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	506932.00

प्रस्तर संख्या-08- वर्ष लेखा परीक्षा में जी.एस.टी. कटौती रु.452670.00 दर्शाया गया है जिसे वाणिज्य कर विभाग को जमा करने से संबंधित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए हैं। अतः रु.452670.00 को यथाशीघ्र वाणिज्य कर विभाग में जमा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा कि स्थिति में वाणिज्य कर विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसका दायित्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीलम चंदेल, खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय पाण्डेय एवं लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्रा का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 09)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	452670.00

प्रस्तर संख्या-09- वर्ष लेखा परीक्षा में 15 वें वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि रु0 22133915.00 प्राप्त हुआ है जिस पर 1 प्रतिशत की दर से रु0 221339.00 की धनराशि निदेशक पंचायती राज के खाते में जमा कराया जाना आवश्यक था जिसे जमा नहीं कराया गया है जो नियम विरुद्ध रहा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय पाण्डेय एवं लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्रा उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	221339.00	00.00

क्षेत्र पंचायत- रामपुर कारखाना

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-10- वर्ष लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रु0 12777600.00 का 1.00 प्रतिशत धनराशि 127776.00 निदेशक पंचायती राज के खाते में जमा कराया जाना आवश्यक था जिसे जमा नहीं कराया गया है जो नियम विरुद्ध रहा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री महेश नारायण पाण्डेय एवं श्री गजेन्द्र तिवारी एवं लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 06)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	127776.00

प्रस्तर संख्या-11- वर्ष लेखा परीक्षा में टी. डी. एस. कटौती रु० 239634.89 किया गया है जिसे आयकर विभाग को जमा करने से संबंधित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए हैं। अतः रु0 239634.89 को यथाशीघ्र आयकर विभाग में जमा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा कि स्थिति में आयकर विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसका दायित्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती उषा देवी, खण्ड विकास अधिकारी श्री महेश नारायण पाण्डेय एवं श्री गजेन्द्र तिवारी एवं लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 09)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	239634.89

प्रस्तर संख्या-12- वर्ष लेखा परीक्षा में जी. एस. टी. कटौती रु० 199477.52 दर्शाया गया है जिसे निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा करने से संबंधित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए हैं। अतः रु० 199477.52 को यथाशीघ्र निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा कि स्थिति में वाणिज्य कर विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसका दायित्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती उषा देवी, खण्ड विकास अधिकारी श्री महेश नारायण पाण्डेय एवं श्री गजेन्द्र तिवारी एवं लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	199477.52

क्षेत्र पंचायत- रुद्रपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-13- वर्ष लेखा परीक्षा में 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रु० 16837440.00 का 1.00 प्रतिशत धनराशि रु० 168374.40 निदेशक पंचायती राज के खाते में जमा कराया जाना आवश्यक था जिसे जमा नहीं कराया गया है जो नियम विरुद्ध है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कार्तिकेय मिश्र एवं लेखाकार श्री विजय कुमार जायसवाल उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 06)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	168374.40

प्रस्तर संख्या-14- वर्ष लेखा परीक्षा में टी.डी.एस. कटौती रु० 465404.00 किया गया है जिसे आयकर विभाग को जमा करने से संबंधित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए हैं। अतः रु० 465404.00 को यथाशीघ्र आयकर विभाग को जमा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा कि स्थिति में यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसका दायित्व ब्लॉक प्रमुख श्री जटाशंकर द्विवेदी, खण्ड विकास अधिकारी श्री कार्तिकेय मिश्र एवं लेखाकार श्री विजय कुमार जायसवाल का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	465404.00

प्रस्तर संख्या-15- वर्ष लेखा परीक्षा में जी.एस.टी. कटौती रु० 424172.00 की धनराशि दर्शायी गयी है जिसे वाणिज्य कर विभाग को जमा करने से संबंधित कोई साक्ष्य / प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए हैं। अतः रु० 424172.00 को यथाशीघ्र वाणिज्य कर विभाग को जमा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा कि स्थिति में यदि वाणिज्यकर विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसका दायित्व ब्लॉक प्रमुख श्री जटाशंकर द्विवेदी, खण्ड विकास अधिकारी श्री कार्तिकेय मिश्र एवं लेखाकार श्री विजय कुमार जायसवाल का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	424172.00

प्रस्तर संख्या-16- केन्द्रीय वित्त योजना के अन्तर्गत पत्रावली संख्या 11 में जगरनाथपुर परिषदीय विद्यालय में सोलिड एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 40 नग इस्टीमेट दर 6500.00 कुल 260000.00 का क्रय कर स्थापित दर्शाया गया

है। क्रय की गयी 40 इस्टबीन का स्टॉक में अंकन एवं प्रयोगनार्थ निर्गमन की पुष्टि नहीं करायी गयी। पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ भी मात्र 36 नग की पुष्टि करते हैं। अतः 4 नग इस्टबीन क्रय को धनराशि रु० 4x6500=26000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली मय ब्याज खण्ड प्रमुख श्री जटाशंकर द्विवेदी, खण्ड विकास अधिकारी श्री कार्तिकेय मिश्र, लेखाकार श्री विजय कुमार जायसवाल एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेश कुमार मौर्या से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
26000.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-17- केन्द्रीय वित्त योजना के अन्तर्गत पत्रावली संख्या 15 में पचलड़ी परिषदीय विद्यालय में सोलिड एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 40 नग इस्टबीन दर 6500.00 कुल 260000.00 का क्रय कर स्थापित दर्शाया गया है। क्रय की गयी 40 इस्टबीन का स्टॉक में अंकन एवं प्रयोगनार्थ निर्गमन की पुष्टि नहीं करायी गयी। पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ भी मात्र 38 नग की पुष्टि करते हैं। अतः 2 नग इस्टबीन क्रय को धनराशि रु० 2*6500=13000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली मय ब्याज खण्ड प्रमुख श्री जटाशंकर द्विवेदी, खण्ड विकास अधिकारी श्री कार्तिकेय मिश्र, लेखाकार श्री विजय कुमार जायसवाल एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेश कुमार मौर्या से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
13000.00	00.00	00.00

क्षेत्र पंचायत- भागलपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-18- निर्माण कार्य प्रारूप-03 वर्ष 2020-21 में दर्शित विवरण के अनुसार ठेकेदार/फर्म को दिये गये सामग्री भुगतान के अन्तर्गत राज्य वित्त के भुगतान पर आयकर की कटौती रुपया 144347.00 एवं सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. रुपया 87280.00 की कटौती की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ भुगतानों पर आयकर रुपया 1603.00 एवं सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. रुपया 43317.00 की कटौती किये बिना ठेकेदारों/फर्म को भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत आयकर की कटौती रुपया 175173 एवं सी.जी.एस.टी. + एस.जी.एस.टी. रुपया 72265.00 की कटौती की गयी है। यहां भी उल्लेखनीय है कि कटौती किये आयकर की धनराशि रुपया 1784.00 एवं सी.जी.एस.टी. + एस.जी.एस.टी. रुपया 84582.00 ठेकेदारों एवं फर्मों को कर दिया गया है।

इस प्रकार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत आयकर रुपया 319520 एवं सी.जी.एस.टी. + एस.जी.एस.टी. रुपया 159545.00 कुल धनराशि रुपया 479065.00 की आयकर एवं जी.एस.टी. की कटौती कर संबंधित शीर्ष के खाते में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। साथ ही राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत भुगतांकित धनराशि पर आयकर एवं सी.जी.एस.टी. की कटौती न करके रुपया 131286.00 ठेकेदार/फर्म को भुगतान कर अपहरित करा दिया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह एवं लेखाकार श्री चन्द्रगुप्त मौर्य उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या -19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	610351.00

प्रस्तर संख्या-19-

राज्य वित्त/केन्द्रिय वित्त के अन्तर्गत निर्माण जो दर्शाये गये हैं उनके टेण्डर फार्म बिक्री का आंकलन/टेण्डर फार्म बिक्री से प्राप्त धनराशि को नहीं दर्शाया गया है। ठेकेदार फर्मों जिनका टेण्डर किया गया है। अगर सामग्री मूल्य भुगतान के आधार पर भी आकलन कर लिया जाय। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

कार्य का विवरण प्रारूप-1	सामग्री भुगतान का मूल्य	टेण्डर फार्म का मूल्य 2%	18% जीएसटी
1	252600.00	600.00	108.00
2	84849.00	200.00	36.00
3	184157.00	400.00	72.00
4	478055.00	1000.00	180.00
5	308660.00	700.00	126.00
6	508921.00	1100.00	198.00
7	679309.00	1400.00	252.00
8	349018.00	700.00	126.00
9	78378.00	200.00	36.00
10	533550.00	1100.00	198.00
11	495071.00	1000.00	180.00
12	144265.00	300.00	54.00
13	751778.00	1500.00	270.00
14	275783.00	600.00	108.00
15	255845.00	600.00	108.00
16	126483.00	300.00	54.00
17	11725.00	100.00	18.00
18	197006.00	400.00	72.00
19	220759.00	500.00	90.00
20	238505.00	500.00	90.00
21	326777.00	700.00	126.00
22	440449.00	900.00	162.00
23	30089.00	100.00	18.00
	योग	14700.00	2682.00

केन्द्रिय वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य में सामग्री भुगतान

कार्य का विवरण प्रारूप-1	सामग्री भुगतान का मूल्य	टेण्डर फार्म का मूल्य 2%	18% जीएसटी
1	772559	1600	288
2	642818	1300	234
3	571692	1200	216
4	340347	700	126
5	429440	900	162

6	516670	1100	198
7	690017	1400	252
8	301618	700	126
9	310245	700	126
10	288515	600	108
11	288515	600	108
12	281613	600	108
13	641288	1300	234
14	378419	800	144
15	559443	1200	216
16	500234	1000	180
17	385860	800	144
	योग	16500	2970

अगर उपरोक्त कार्यों का टेण्डर किया गया होगा तो कम से कम तीन टेण्डर डालने वाले होंगे। इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर टेण्डर फार्म बिक्री से रुपये 16500X3=49500.00 एवं जीएसटी रुपये 2970X3=8910.00 प्राप्त हुआ होगा कुल 58410.00 जिस न दर्शाकर क्षेत्र पंचायत की क्षति एवं राजकीय राजस्व की क्षति की गयी हैं। जो गंभीर अनियमितता का धोतक है। (सामान्य आपति संख्या-20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
0.00	0.00	58410.00

प्रस्तर संख्या-20- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाइड एवं अनटाइट ग्राण्ट की धनराशि रूपया 13454630.00 प्राप्त हुई। स्थानीय निकायों को दी जा रही सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 15वें वित्त आयोग की धनराशि का 1% धनराशि राज्य स्तर पर नोडल खाता संख्या 39430719992 आई.एफ.एस.सी. कोड एस.बी.आई.एन.0006144 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। प्राप्त धनराशि रूपया 13454630 का 1% रूपया 134546 धनराशि निदेशक पंचायती राज को न उपलब्ध कराना नियम विरुद्ध एवं अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह एवं लेखाकार श्री चन्द्रगुप्त मौर्य उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपति संख्या - 21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	134546.00

क्षेत्र पंचायत- बरहज

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-21- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त पत्रावली संख्या 9 ग्राम पंचायत भड़सरा में रेलवे ढाला से प्रा0वि0 होते हुए शारदा बाबा के खेत तक खण्डजा निर्माण कार्य पर पी.एफ.एम.एस. नं0 सी112023995004 से दिनांक 13.11.2020 को रूपया 117250.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री हृदयनाथ मिश्रा ए०डी०ओ०(ए०जी०) को हुआ ।

मस्टररोल पर दर्शाया गया है। मस्टररोल में मिस्त्री देवनारायण राजेश, सिंगार लालू, राममिलन, शोभा द्वारा दिनांक 21.10.2020 से 31.11.2020 तक कार्य दर्शित है। प्रस्तुत मस्टररोल पर देवनारायण, राजेश, सिंगार का हस्ताक्षर अंगूठा नहीं पाया गया।

देवनारायण	-	7 दिन x 400=2800.00
राजेश	-	7 दिन x 400=2800.00
सिंगार	-	4 दिन x 400=1600.00

योग	7200.00

ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य प्रभारी द्वारा उक्त मिस्त्री पर फर्जी व्यय दर्शाकर समस्त धनराशि को अपहरण कर लिया गया है।

उक्त 7200.00 रुपये के अपहरण के लिए बी०डी०ओ० श्री आलोक दत्त उपाध्याय, कार्य प्रभारी श्री हृदयनाथ मिश्रा ए०डी०ओ०(ए०जी०) तथा लेखाकार श्री दीनदयाल उत्तरदायी है। अतः उक्त अपहरित धनराशि की बराबर-बराबर वसूली मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
7200.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-22- राज्य वित्त पत्रावली संख्या 20, बरहज, नदुआ पिच मार्ग से देवडीहा में रामप्रवेश तिवारी के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य में पी.एफ.एम.एस. नं० 2125351 दिनांक 10.03.2021 को मजदूरी भुगतान 85060.00 रूपया कार्यप्रभारी श्री छेदी प्रसाद ए०डी०ओ० (पं) द्वारा मस्टररोल पर दर्शाया गया है। प्रस्तुत मस्टररोल में कार्य प्रारम्भ तथा

कार्य समाप्ति अंकित नहीं है। साथ ही मुरारी पुत्र रामानन्द, त्रिलोकी पुत्र दयाचन्द, अजय पुत्र दयाचन्द से कार्य दर्शित है। प्रस्तुत मस्टररोल पर उक्त तीनों का हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं पाया गया।

मुरारी	-	4 दिन x 400=1600.00
त्रिलोकी	-	3 दिन x 400=1200.00
अजय	-	2 दिन x 400=800.00

योग	3600.00

ऐसी प्रतीत होता है कि कार्यप्रभारी द्वारा उक्त मजदूरी पर फर्जी व्यय दर्शाकर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

उक्त 3600.00 रुपये के अपहरण के लिए बी०डी०ओ० श्रीमती शशि पाण्डेय, कार्यप्रभारी श्री छेदी प्रसाद एवं लेखाकार श्री दीनदयाल उत्तरदायी हैं। अतः उक्त अपहरित धनराशि की बराबर-बराबर वसूली मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या -16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
3600.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-23- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत बरहज द्वारा केन्द्रिय वित्त योजना के अन्तर्गत कुल 30 कार्य करवाये गये हैं। समस्त प्रस्तुत 30 पत्रावली के अनुसार निम्न आपत्तियां पायी गयी:-

- सामग्री भुगतान हेतु केवल मेसर्स आयुष इण्टरप्राइजेज से ही क्रय किया गया है।
- मेसर्स आयुष इण्टरप्राइजेज का प्रस्तुत समस्त बिल पर न तो बाउचर नं० का अंकन है, और न ही दिनांक का अंकन पाया गया।
- प्रस्तुत पत्रावली तथा मस्टररोलो पर कार्य प्रारम्भ तथा कार्य समाप्ति का भी अंकन नहीं पाया गया, जिससे यह पता लगाना असम्भव है कि कार्य कब करवाये गये।
- प्रस्तुत पत्रावली में पत्रावली संख्या 3,17,18 एवं 24 में प्रस्तुत मस्टररोल पर न तो मिस्त्री का न ही मजदूरों का अंगूठा/हस्ताक्षर पाया गया।

उक्त आपत्ति यह दर्शित करती है कि केन्द्रिय वित्त के 30 कार्यों में घोर लापरवाही बरती गयी है तथा समस्त धनराशि रूपया 8345152.00 के अपहरण से इनकार भी नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त धनराशि रूपया 8345152.00 के अपहरण हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण पाण्डेय, श्री आलोक दत्त उपाध्याय, श्रीमती शशि पाण्डेय, कार्यप्रभारी श्री हृदयनाथ मिश्रा, श्री छेदी प्रसाद तथा लेखाकार श्री दीनदयाल उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या -17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
8345152.00	00.00	00.00

क्षेत्र पंचायत- बैतालपुर**जनपद-देवरिया**

प्रस्तर संख्या-24- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रिय वित्त के अन्तर्गत 60 निर्माण कार्य करवाये गये उक्त निर्माण कार्य हेतु कम से कम 3 फर्मों द्वारा निविदा डाला जाना चाहिए था, जिससे निविदा फर्मों की बिक्री से क्षेत्र पंचायत को $60 \times 3 \times 500 = 90,000.00$ रुपये की आमदनी होती। इस प्रकार रुपया 90000.00 को कैशबुक में अंकित न कर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज श्रीवास्तव, श्री संजीव उपाध्याय, श्री श्रवण कुमार राय तथा लेखाकार श्री नरेन्द्र देव से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
90000.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-25- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के पत्रावली सं0-18 में ग्राम पंचायत अधरंगी में पिच सड़क से शिवानन्द यादव के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य जो दिनांक 20.12.2020 से दिनांक 26.12.2020 तक चला। मस्टररोल में श्रमिक भगरी पिता विदेशी को दो बार मजदूरी दी गयी है। इस प्रकार एक ही कार्य में एक ही मजदूर को पूरे कार्य के दौरान दो बार मजदूरी दी गयी। अतः $7 \text{ दिन} \times 330 = 2310$ का अधिक भुगतान कर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण कर लिया गया है। इस प्रकार रुपया 2310.00 की वसूली मय ब्याज खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री नरेन्द्र देव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या -20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
2310.00	00.00	00.00

क्षेत्र पंचायत- लार**जनपद-देवरिया**

प्रस्तर संख्या-26- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की पत्रावली संख्या 10,12,13 एवं 14 में निम्नांकित आपत्तियां पायी गयी:-

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	बाउचर नं०/दिनांक	मजदूरी धनराशि	सामग्री धनराशि	फर्म का नाम
1	10	0/0	--	116500	मे० नागेन्द्र यादव बी०के०ओ० बरसीपार
2	12	0/20.01.2021 0/23.01.21	-- --	69407 210879	मे० नागेन्द्र यादव बी०के०ओ० बरसीपार मे० पाण्डेय ट्रेडर्स, हरखौली
3	13	0/25.01.2021 0/27.02.2021	-- --	168295 479280	मे० नागेन्द्र यादव बी०के०ओ० बरसीपार मे० पाण्डेय ट्रेडर्स, हरखौली
4	14	0/24.02.2021 0/25.02.2021	-- --	159316 564137	मे० नागेन्द्र यादव बी०के०ओ० बरसीपार मे० पाण्डेय ट्रेडर्स, हरखौली
		योग		1767814	

उपरोक्त फर्मों के प्रस्तुत बिल बाउचर पर बाउचर क्रमांक का अंकन नहीं पाया गया। इस प्रकार प्रस्तुत समस्त बिल फर्जी है। साथ ही साथ सामग्री क्रय पर फर्जी भुगतान के साथ ही साथ मजदूरी पर व्यय भी फर्जी है। अतः उक्त चारों कार्यों पर कुल मजदूरी रूपया 299986.00 भी मनमाने तरीके से दिया गया है।

इस प्रकार सामग्री पर देय 1767814 तथा मजदूरी पर देय 299986.00 कुल रूपया 2067800 का फर्जी भुगतान कर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह एवं लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या-19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
2067800.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-27- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त की 14 पत्रावली में से 13 पत्रावली पर तथा केन्द्रिय वित्त की 10 पत्रावली में निविदा देने की आवश्यकता थी, उक्त निर्माण कार्य हेतु कम से कम 3 फर्मों द्वारा निविदा डाला चाहिए था, जिससे निविदा फार्मों की बिक्री से क्षेत्र पंचायत को $23 \times 3 \times 500 = 34500.00$ रुपये की आमदनी होती। इस प्रकार रूपया 34500.00 को कैशबुक में अंकित न कर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालित खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह एवं लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या-20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
34500.00	00.00	00.00

क्षेत्र पंचायत - भटनी

जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-28- वित्तीय वर्ष 2020-2021 में स्वच्छता कार्यक्रम पर रूपया 794204.00 का व्यय दर्शित है स्वच्छ भारत मिशन को सक्षम संपन्न कराने के लिए वाहन का प्रयोग किया गया है पत्रावली के अनुसार प्रयुक्त वाहन का

नम्बर यू.पी.52ए.यू.2548 है तथा वाहन स्वामी का नाम एस0डी0 इंटरप्राइजेज देवरिया है। लागबुक से स्पष्ट की वाहन का प्रयोग अपने निजी कार्यो या अन्य कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए भी किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है की रुपया 794204.00 का व्यय मनमाने ढंग से कर गंभीर अनियमितता की गयी है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री जीतेन्द्र कुमार जिम्मेदार है। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 24)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	794204.00

क्षेत्र पंचायत- सलेमपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-29- कतिपय कार्यो में किये गये भुगतान पर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	बाउचर क्रमांक व दिनांक	धनराशि	सी.जी.एस.टी.जिसकी कटौती नहीं की गयी।	एस.जी.एस.टी. जिसकी कटौती नहीं की गयी।
1.	ग्रा0पं0 बंजरिया में देवेन्द्र सिंह के घर से बंजरिया विद्यालय तक नाली निर्माण।	08/03.02.21	227044.00	2270.00	2270.00
2	विकास खण्ड सलेमपुर के आवासों का मरम्मत व सुन्दरीकरण।	201/01.03.21	22417.00	224.00	224.00
3	विकास कार्यालय का सुन्दरीकरण / मरम्मत	202/01.03.21	26080.00	261.00	261.00
4	अहिरौली लाला में रामधनी के खेत से धनेश्वर के खेत तक इण्टरलाकिंग।	94/04.02.21	109364.00	1094.00	1094.00
5	धनपुरवां में पिच सड़क से राजडीह टोला में कमलेश के घर तक इ0ला0	98/26.02.21	181887.00	1819.00	1819.00

6	ग्राम पंचायत मधवापुर में बैरिस्टर गुप्ता के खेत से पंचदेव यादव के खेत तक इ0ला0	97/26.02.21	143037.00	1430.00	1430.00
7	ग्राम पंचायत जमुआ नं0-2 मस्जिद से पिच सड़क तक इ0ला0।	100/27.02.21	125246.00	1252.00	1252.00
8	पड़री पाण्डेय / कम्हरिया में विजयशंकर के घर से पिच सड़क तक इ0ला0	99/27.02.21 77/27.02.21	83006.00 236885.00	830.00 2369.00	830.00 2369.00
9	ग्राम पंचायत पकड़ी लाला में विनोद के दुकान से रामाश्रय के घर के पास तक सी0सी0 रोड	96/08.02.21	142736.00	1427.00	1427.00
10	पकड़ी लाला में पू0मा0वि0 से हैरिया टोला तक सी0सी0 रोड	203/01.03.21	179129.00	1791.00	1791.00
11	ग्राम पंचायत बंजरिया में पिच सड़क से वंशराज के घर तक सी0सी0 रोड।	95/28.02.21	96661.00	967.00	967.00
12	सभागार कक्ष का मरम्मत एवं सुन्दरीकरण।	204/28.03.21 x/09.03.21	1543.00 87347.00	15.00 873.00	15.00 873.00
		योग	1662383.00	16622.00	16622.00

उक्त कार्यों में सी.जी.एस.टी. से रु० 16622.00 एवं एस.जी.एस.टी. रु० 16622.00 की कटौती नहीं की गयी इस प्रकार कुल रु० 33244.00 की कटौती नहीं की गयी। लेखाकार द्वारा सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. रु० 33244.00 की कटौती न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश प्रजापति एवं लेखाकार श्री आलोक गुप्ता जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	33244.00

प्रस्तर संख्या-30-

राज्य वित्त / केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्य जो दर्शाए गये हैं उनके टेण्डर फार्म बिक्री का आंकलन / टेण्डर फार्म बिक्री से प्राप्त धनराशि को नहीं दर्शाया गया है। ठेकेदार / फर्मों जिनका टेण्डर किया गया है अगर सामग्री मूल्य भुगतान के आधार पर भी आंकलन कर लिया जाय। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

राज्य वित्त के अन्तर्गत सामग्री मूल्य का भुगतान :-

कार्य का विवरण प्रारूप-1	सामग्री भुगतान का मूल्य	टेण्डर फार्म का मूल्य 2%	18% जीएसटी

1	470265.22	1000	180
2	420465	900	162
3	506943.54	1100	198
4	640914	1300	234
5	734714	1500	270
6	638432	1300	234
7	569086	1200	216
8	463626	1000	180
9	763632	1500	270
10	558011	1200	216
11	603903	1200	216
12	678118	1400	252
13	1153100	300	54
14	493135	1000	180
15	426869	900	162
16	473476	1000	180
17	170298	400	72

केन्द्रिय वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य में सामग्री भुगतान

कार्य का विवरण प्रारूप-1	सामग्री भुगतान का मूल्य	टेण्डर फार्म का मूल्य 2%	18% जीएसटी
1	807676.22	1500.00	270.00
2	785801.00	1500.00	270.00
3	508564.00	1100.00	198.00
4	375125.00	800.00	144.00
5	566305.00	1200.00	216.00
6	498519.00	1000.00	180.00
7	845727.00	1500.00	270.00
8	608086.00	1300.00	234.00
9	668156.00	1400.00	252.00
10	319891.00	700.00	126.00
11	634902.00	1300.00	234.00
12	733862.00	1500.00	270.00
13	419661.00	900.00	162.00
14	622231.00	1300.00	234.00
कुल योग		35200.00	6336.00

अगर उपरोक्त कार्यों का टेण्डर किया गया होगा तो कम से कम तीन टेण्डर डालने वाले होंगे। इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर टेण्डर फार्म बिक्री से ₹0 105600=00 (35200x3) एवं जी०एस०टी० ₹0 19008=00 (6336x3) प्राप्त हुआ होगा जिसे न दर्शाकर क्षेत्र पंचायत की क्षति एवं राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जो गम्भीर अनियमितता का घटक है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
0.00	0.00	124608.00

क्षेत्र पंचायत - देवरिया सदर

जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-31- शासनादेश सं०-4/866/33-2-14-93 जी०/ 2004 टी०सी० दिनांक 24 जून 2014 के पैरा 1 (2) में क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों में प्राप्त होती है। उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जानी चाहिए। उक्त शासनादेश पैरा-3 में निर्देशित किया गया है कि निर्धारित किए गए क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण न हो सके। उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त से समस्त कार्य ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कराया गया जिसका विवरण निम्न है:-

क्र० सं०	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	योग
1.	ग्राम पंचायत पिड़रा में नथुनी प्रजापति के घर से राजमंगल चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	466859.00	47480.00	514339.00
2.	सोन्दा में मेन रोड से हीरा प्रसाद के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।	867570.00	86760.00	954330.00
3.	ग्राम पंचायत सोनूघाट में डीहबाबा के स्थान से मल्ल जी के घर तक खण्डजा कार्य।	298127.00	59850.00	357977.00

4.	ग्राम पंचायत सोनूघाट में गोपालपुर में उमेश यादव के घर से छोटे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	656444.00	65670.00	722114.00
5.	ग्राम पंचायत पकड़ी खास में मेन पीच रोड से मजिस्ट तक इण्टरलाकिंग कार्य।	627429.00	62890.00	690319.00
6.	ग्राम पंचायत बाबू बभनी में बसन्त के घर से रामाकान्त के घोठा तक इण्टरलाकिंग कार्य।	727895.00	71750.00	799645.00
7.	ग्राम पंचायत सोन्दा में मेन रोड से भोला तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	605230.00	60510.00	665740.00
8.	ग्राम पंचायत धनौती खुर्द में अवधेश पंडित के घर से केशव मिश्रा के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	550368.00	55020.00	605388.00
9.	ग्राम पंचायत भटजमुआवं में अमेरिका प्रजापति के घर से विनोद यादव बीडीसी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	438077.00	43710.00	481787.00
10.	ग्राम पंचायत सोनूघाट में अण्डा फार्म से महेश प्रसाद के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।	659319.00	66330.00	725649.00
11.	ग्राम पंचायत सोनूघाट में मदन गुप्ता के खेत से पानी टंकी तक इण्टरलाकिंग कार्य।	330368.00	33460.00	363828.00
	योग	622769100.00	653430.00	6881116.00

इस प्रकार उपरोक्त समस्त कार्य शासनादेश का उल्लंघन एवं गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिसमें ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर समस्त व्यय रू० 6881116.00 अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण दत्त उपाध्याय एवं श्री कृष्णकान्त राय एवं लेखाकार श्री अमित कुमार शर्मा उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या -19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	6881116.00

प्रस्तर संख्या-32- आलोच्य वर्ष 2020-2021 में जो सामग्री क्रय की गयी है, प्रारूप-3 के अनुसार उस पर आयकर (टी0डी0एस0) रू० 131248.00 एवं जी0एस0टी0 दर 2 प्रतिशत 117187.00 की कटौती की गयी है। वार्षिक आय-

व्यय विवरण में (अनुदान रजिस्टर) में आयकर एवं जी0एस0टी0 कटौती से प्राप्त धनराशि दर्शित नहीं की गयी है। यहां ये भी उल्लेखनीय है कि आयकर एवं जी0एस0टी0 कटौती सम्बन्धित शीर्ष में जमा की गयी अथवा नहीं से सम्बन्धित चालान/जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है एवं जमा न करने की स्थिति में राजकीय राजस्व की क्षति है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार क्रमशः श्री आलोक दत्त उपाध्याय एवं श्री कृष्ण कान्त राय तथा श्री अमित कुमार शर्मा उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या -20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	248435.00

प्रस्तर संख्या-33- राज्य वित्त शीर्ष के अन्तर्गत 11 कार्यों को पूर्ण करने के लिए 3 ठेकेदारों / फर्मों को ठेका दिया गया है। इस प्रकार समस्त निर्माण कार्यों का टेण्डर एक ही साथ किया गया है। एक कार्य पर दो-दो फर्मों / ठेकेदारों का टेण्डर स्वीकृत किया गया है जो अनियमित है। अगर राज्य वित्त के 11 कार्यों का अलग-अलग टेण्डर दिया गया होता तो कम से कम 33 टेण्डर फार्म की बिक्री हुई होती। इस प्रकार टेण्डर फार्म बिक्री मूल्य से क्षेत्र पंचायत को $12900 \times 3 = 38700$ एवं $2320 \times 3 = 6960.00$ जी0एस0टी0 मूल्य कुल धनराशि 45660.00 क्षेत्र पंचायत को क्षति एवं राजकीय राजस्व की क्षति की गयी, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय एवं श्री कृष्ण कान्त राय एवं लेखाकार श्री अमित कुमार शर्मा उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या -22)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	45660.00

क्षेत्र पंचायत- पथरदेवा

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-34- आलोच्य वर्ष में अनुदान पंजी० 2 का व्यय निम्न मासिक विवरण के अनुसार दर्शित है -

तिथि	चेक संख्या	सामग्री पार भुगतान
13.05.20	820245	583000
13.05.20	266212	13250
09.06.20	266215	509356
24.06.20	820247	818695
09.07.20	820248	85491
14.08.20	820250	30993
02.09.20	266217	2946117
03.09.20	266218	202628
22.09.20	266220	2513742
26.09.20	820256	272295
13.10.20	820257	485000
15.10.20	266223	826069
19.10.20	820258	38016
04.11.20	820259	460337

9.11.20	820260	270002
11.11.20	872961	1018456
12.11.20	872963	485057
19.11.20	872964	2060662
03.12.20	872967	1309223
09.12.20	266225	1797997
16.12.20	872968	964577
30.12.20	272972	793924
30.12.20	872976	93874
02.01.21	872977	906376
07.01.21	872978	817003
07.01.21	266231	79186
18.01.21	872980	2718428
18.01.21	266233	119366
27.02.21	873801	608406
27.02.21	873803	818794
27.02.21	873805	460580
	योग	25106900

यदि उपरोक्त भुगतानित धनराशि रु० 25106900.00 पर आयकर 2% की दर से रु० 502138.00 एवं जी०एस०टी० 2% की दर से रु० 502138 कुल धनराशि 1004276.00 की कटौती की जानी चाहिये कतिपय फाइलें जो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी हैं उसमें सामग्री क्रय भुगतान पर टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० कटौती की गयी है। इस प्रकार अनुदान रजिस्टर 2 में सामग्री क्रय भुगतान पर रु० 1004276.00 आयकर एवं जी०एस०टी० की कटौती की जानी चाहिए। लेकिन आयकर एवं जी०एस०टी० कटौती से सम्बंधित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए लेखाकार श्री मुकेश श्रीवास्तव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -18)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	1004276.00

प्रस्तर संख्या- 35 लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त से सम्बन्धित कुछ पत्रावलियां 2020-21 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जो पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी उसमें कतिपय कार्यों पर सामग्री भुगतान रु० 7701790.00 एवं मजदूरी भुगतान रु० 1381767.00 कुल रु० 9083557.00 किया गया। उल्लेखनीय है की अनुदान पंजी तीन के अनुसार राज्यवित्त (पी०एन०बी० और एस०बी०आई०) के अन्तर्गत कुल रु० 28157066.38 भुगतानित है। इस प्रकार भुगतानित रु० 19073509.38 की पत्रावली बार बार कहने के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो मनमानेपन एवं गम्भीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह और लेखाकार श्री मुकेश श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या - 19)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	19073509.38

प्रस्तर संख्या-36- वर्ष लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रु० 12027618.00 का 1 प्रतिशत धनराशि 120276.00 निदेशक पंचायती राज के खाते में जमा कराया जाना आवश्यक था उक्त धनराशि जमा न करके नियम विरुद्ध अनियमित कार्य किया गया जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुकेश श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे | आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या -22)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	120276.00

क्षेत्र पंचायत- भलुअनी

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-37- वर्ष लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रु० 17736092.00 का 1 प्रतिशत धनराशि रु० 177360.00 निदेशक पंचायती राज के खाते में जमा कराया जाना आवश्यक था जिसे जमा नहीं कराया गया है उक्त धनराशि जमा न करके नियम विरुद्ध अनियमित कार्य किया गया जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, श्री कृष्ण पाण्डेय और श्री आलोक दत्त उपाध्याय एवं लेखाकार श्री अमरनाथ प्रसाद उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	177360.00

प्रस्तर संख्या-38- वर्ष लेखा परीक्षा में टी०डी०एस० कटौती रु० 405684.00 किया गया है जिसे आयकर विभाग को जमा करने से सम्बन्धित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच में सुलभ नहीं कराये गये हैं। अतः रु० 405684. 00 को यथाशीघ्र आयकर विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण पाण्डेय और श्री आलोक दत्त उपाध्याय तथा लेखाकार श्री अमरनाथ प्रसाद का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	405684.00

प्रस्तर संख्या-39- वर्ष लेखा परीक्षा में जी०एस०टी० कटौती रु० 327791.00 की धनराशि दर्शायी गयी है जिसे वाणिज्यकर विभाग को जमा करने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य / प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच में सुलभ नहीं कराए गए हैं। अतः रु० 327791.00 को यथाशीघ्र वाणिज्यकर विभाग को जमा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में यदि वाणिज्यकर विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण पाण्डेय व श्री आलोक दत्त उपाध्याय तथा लेखाकार श्री अमरनाथ प्रसाद का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	327791.00

क्षेत्र पंचायत- बनकटा**जनपद-देवरिया**

प्रस्तर संख्या-40- संलग्न प्रारूप-3 के अनुसार क्षेत्र पंचायत बनकटा द्वारा सम्पूर्ण वर्ष में जो सामग्री क्रय की गयी। उस पर आयकर की धनराशि ₹0 186759.00 एवं जी०एस०टी० की धनराशि ₹0 166749.00 कुल धनराशि ₹0 353508.00 की कटौती की गयी है। कटौती की धनराशि सम्बन्धित शीर्ष के खातों में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिल सं०-833/13.01.2021 धनराशि ₹0 112662.00, बिल सं०-11/06.03.2021 धनराशि ₹0 97900.00 पर आयकर एवं जी०एस०टी० की कटौती क्रमशः ₹0 4776, ₹0 2803, ₹0 4239 एवं 4151.00 कुल धनराशि ₹0 15969.00 की कटौती नहीं करके ठेकेदारों/फर्मों को भुगतान कर दिया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश एवं लेखाकार श्री रामाशीष उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या.16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	369477.00

प्रारूप-3**वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21****जनपद- महाराजगंज****मंडल-गोरखपुर**

प्रस्तर-01- क्षेत्र पंचायत निचलौल के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार चेक संख्या 374696 द्वारा दिनांक 13.04.20 को उ० प्र० कोविड केयर फण्ड में अपनी निधि से योगदान अंकित करते हुए ₹0 500000.00 (पांच लाख) का भुगतान राज्य वित्त शीर्ष में अंकित है। इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर लेखाकार द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया कि राज्य वित्त शीर्ष में स्वयं की निधि की धनराशि ₹0 पांच लाख कैसे जमा शेष है। स्पष्ट है कि अनुदान की धनराशि को बिना विभागीय उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के कोविड केयर फण्ड में दिया गया है, जो अनियमित एवं आपत्तिजनक है। इस हेतु लेखाकार श्री रविन्द्र त्रिपाठी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रमेन्द्र कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण विभागीय उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-02- क्षेत्र पंचायत निचलौल के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजिका तृतीय पर अंकित विवरणानुसार 15वां वित्त आयोग की अनुदान धनराशि से वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 11210088.00 का व्यय भुगतान किया गया है। जबकि प्रस्तुत कार्य पंजिका के अनुसार व्यय ₹0 11283263.00 का है। इस प्रकार कार्य पंजिका के अनुसार ₹0 73175.00 का अधिक भुगतान है, जो अनुदान पंजी तृतीय पर अंकित नहीं है। अनुदान पंजी द्वितीय पर 09.03.21 के बाद कोई प्रविष्टि नहीं होने से तथा जांच के समय 15वां वित्त अनुदान से कृत समस्त निमार्ण पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण व्यय भुगतान ₹0 11283263.00 तथा अनुदान पंजी के सापेक्ष

अधिक व्यय भुगतान रु0 73175.00 की जांच हेतु अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु लेखाकार श्री रविन्द्र त्रिपाठी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रजत गुप्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण विभागीय उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-03- क्षेत्र पंचायत निचलौल के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा प्रशासनिक मद के भुगतान से सम्बन्धित निम्न व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं होने से व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी-

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	भुगतान का विवरण	धनराशि
1	17.04.20	916888	पुस्तक निकेतन महाराजगंज, स्टेशनरी मद में	25252.00
2	20.04.20	916891	पूर्वांचल ग्रा0 बैंक निचलौल को बूढ़ाडीहकला के निमित्त फर्मों के खाते में ट्रांसफर हेतु	344377.00
3	18.08.20	917780	यादव फ्यूल सेन्टर निचलौल, डीजल क्रय	22110.00
4	18.08.20	917782	श्री विनोद कुमार पत्र वाहक को भुगतान	8826.00
5	08.09.20	917784	अमित फोम हाउस, कुर्सी मेज रैंक आदि	31900.00
6	22.09.20	917785	पुस्तक निकेतन महाराजगंज, लेखन सामग्री	61966.00
7	31.08.20	917786	श्री विनोद कुमार पत्र वाहक, कार्यालय व्यय	16650.00
8	16.10.20	917787	वर्मा मोटर वर्कशाप, जीप गाडी मरम्मत	11590.00
			योग-	522671.00

बिना प्रमाणक व्यय अपहरण की श्रेणी में अन्तर्गत आता है। इस हेतु लेखाकार श्री रविन्द्र त्रिपाठी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रजत गुप्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः रु0 522671.00 की व्याज सहित वसूली उक्त से आधा-आधा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-04- क्षेत्र पंचायत निचलौल के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 17.04.20 को चेक संख्या 916887 द्वारा श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी को रु0 21500.00 जीप गाडी हेतु तथा चेक संख्या 917779.00 द्वारा दिनांक 25.06.20 को श्री शिवेन्द्र सिंह, ए0पी0ओ0 निचलौल को रु0 20000.00 जी0आई0एस0 सिक्योर रूम बनवाने हेतु मनरेगा प्रशासनिक मद से भुगतान अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार किया गया है। उक्त व्ययों की पुष्टि हेतु व्यय समायोजन प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक व्यय अपहरण की श्रेणी में अन्तर्गत आता है। इस स्थिति में भुगतान हेतु उत्तरदायी लेखाकार एवं खण्ड वि0 अधि0 से रु0 41500.00 नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-05- क्षेत्र पंचायत धानी के वर्ष 2018-19 से 20-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग विषयक प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन, शासनादेश सं० - 1639/33-3-2015-03/2015दिनांक:- 19-06-2015, के बिन्दु (2) के अनुसार - क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाएं। परन्तु क्षे० पं० - धानी की लेखा परीक्षा में यह दर्शित हुआ कि

निम्न विवरण के अनुसार रु० 25,75,176.0 के कार्य एक ही ग्राम सभा के अंतर्गत कराये गये हैं। जो कि गंभीर अनियमितता एवं आपत्तिजनक है। विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र.सं.	कार्यका नाम	सामग्री व्यय	श्रम व्यय	कुल व्यय
1	ग्रा.पं.घीवपीड़ में केवल के खेत से आशा के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य	8,30,679.00	92,841.00	9,23,520.00
2	ग्रा.पं.नगवा में सतई के घर से कैलाश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	7,57,455.00	86,142.00	8,43,597.00
3	ग्रा.पं.नगवा में हरिराम के घर से सतई के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	3,50,544.00	37,317.00	3,87,861.00
4	ग्रा.पं.घीवपीड़ में धर्मेन्द्र के घर से सुरेन्द्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	3,76,973.00	43,225.00	4,20,198.00
	योग -	23,15,651.00	2,59,525.00	25,75,176.00

इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती बसन्ती देवी, श्री दुर्योधन व श्री शैलेन्द्र कुमार राय तथा लेखाकार श्री रामसन्तप्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-06- क्षेत्र पंचायत धानी के वर्ष 2018-19 से 20-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक:- 31-03-2021 को क्षेत्र पंचायत के ग्रांट रजिस्टर तीन के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत रु० 2,65,929.19 का अनुदान विगत वर्षों से अनुपयुक्त है। जिसे राज्य सरकार / सम्बन्धित विभागों को वापस न कर अनियमित रूप से क्षेत्र पंचायत के खातों में पड़ा है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से राजकीय धन का दुरुपयोग है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	मदका नाम	अप्रयुक्त धनराशि
1	आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण	60,880.00
2	अन्यमद	1,87,049.19
3	एन.आर.एल.एम.	18,000.00
	योग -	2,65,929.19

इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार राय व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-07- क्षेत्र पंचायत धानी के वर्ष 2018-19 से 20-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष - 2020-21 में कुल रु० 50,20,784.00 की सामग्री व्यय के सापेक्ष रु० 50,211.00 के सीजीएसटी व रु० 50,211.00 के एसजीएसटी की , वर्ष - 2019-20 में कुल रु० 16,50,551.00 की सामग्री व्यय के सापेक्ष रु० 16,508.00 के सीजीएसटी व रु० 16,508.00 के एसजीएसटी की, वर्ष- 2018-19 में कुल रु० 14,56,647.00

की सामग्री व्यय के सापेक्ष रु० 14,567.00 के सीजीएसटी व रु० 14,567.00 के एसजीएसटी की, कुल रु० 1,62,572.00 की जीएसटी की कटौती की गई है। किंतु उक्त कटौती को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार कुल रु० 1,62,572.00 को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष में जमा नहीं करा कर गंभीर अनियमितता की गई है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार राय तथा लेखाकार श्री रामसन्त प्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार काटी गई जीएसटी को राजकोष में जमा कराने हेतु कार्यवाई अपेक्षित है।

क्र.सं.	कार्यका नाम	सामग्री व्यय	श्रम व्यय	कुल व्यय
1	बहरादेवीचरण में लालजी यादव के मकान से रामबेलास के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	5,09,702.89	70,932.00	5,80,634.89
2	रामनगर में बुद्धिराम के मकान से दूधनाथ के मकान के पास तक इंटरलॉकिंग कार्य	8,80,097.00	1,12,656.00	9,92,753.00
3	परसियाबुजुर्ग में सूर्य प्रकाश सिंस के खेत से मारकण्डेय सिंह के खेत के पास पुलियातक इंटरलॉकिंग कार्य	7,95,603.00	1,01,904.00	8,97,507.00
4	रामनगरमें हरिराम भगत के मकान से दूधनाथ भगत के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	7,96,311.00	1,15,626.00	9,11,937.00
5	गा.पं.उदितपुर में सैनिक ग्राम लाल सिंह गुरुंग के घर से केशव बहादुर थापा के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	4,11,008.95	45,576.00	4,56,584.95
6	गा.पं.परसाबेनी में खैरुल्लाह के मकान से मलंग बाबा की मजार तक इंटरलॉकिंग कार्य	5,69,579.03	77,357.00	6,46,936.03
7	वि.खण्डफरेंदा के अंतर्गत एल.बी.एसइंटरकॉलेज में इंटरलॉकिंग कार्य	1,99,576.79	25,356.00	2,24,932.79
8	गा.पं.परसिया बुजुर्ग में सुखारी के मकान से चंद्रेश के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	4,20,953.00	51,873.00	4,72,826.00
	योग -	45,82,831.66	6,01,280.00	51,84,111.66

प्रस्तर-08- क्षेत्र पंचायत धानी के वर्ष 2018-19 से 20-21 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194 (सी) के अनुपालन में वर्ष - 2020-21 में कुल रु० 50,20,784.0 की सामग्री व्यय के सापेक्ष रु० 1,12,471.0, वर्ष - 2019-20 में कुल रु० 16,50,551.0 की सामग्री व्यय के सापेक्ष रु० 36,972.0, वर्ष - 2018-19 में कुल रु० 14,56,647.0 की सामग्री व्यय के सापेक्ष रु० 32,630.0, कुल रु० 1,82,073.0 के आयकर की कटौती की गई है। किंतु उक्त कटौती को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष

में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार कुल रु० 1,82,073.00 को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष में जमा नहीं करा कर गंभीर अनियमितता की गई है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा- 274 (बी) के अनुसार काटे गए आयकर को जमा न कराना गंभीर अनियमितता है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार राय तथा लेखाकार श्री रामसन्त प्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-09- क्षेत्र पंचायत फरेन्दा के वर्ष 2020-21 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि "पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग विषयक प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन, शासनादेश सं० - 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक:- 19-06-2015, के बिन्दु (2) के अनुसार - क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाएं। परन्तु क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में यह दर्शित हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार रु० 51,84,111.7 के कार्य एक ही ग्राम सभा के अंतर्गत कराये गये हैं। जो कि गंभीर अनियमितता एवं आपत्तिजनक है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी डॉ. रणजीत सिंह व श्री वशिष्ठ नारायण सिंह तथा लेखाकार श्री हरेन्द्र कुमार दूबे उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10- क्षेत्र पंचायत फरेन्दा के वर्ष 2020-21 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक:- 31-03-2021 को क्षेत्र पंचायत के ग्रांट रजिस्टर तीन के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत रु० 1,66,589.00 का अनुदान विगत वर्षों से अनुपयुक्त है। जिसे राज्य सरकार / सम्बन्धित विभागों को वापस न कर अनियमित रूप से क्षेत्र पंचायत के खातों में पड़ा है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से राजकीय धन का दुरुपयोग है। विवरण निम्न प्रकार है-

इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री वशिष्ठ नारायण सिंह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार

क्र.सं.	मदका नाम	अप्रयुक्त धनराशि
1	आंगनवाड़ीके0भ0नि0	1,49,646.00
2	जनगणना	4,193.00
3	बायोगैस	12,750.00
	योग -	1,66,589.00

कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 - क्षेत्र पंचायत फरेन्दा के वर्ष 2020-21 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष - 2020-21 में कुल रु० 1,08,94,612.6 की सामग्री व्यय के सापेक्ष रु० 1,08,974.5 के सीजीएसटी व रु० 1,08,974.5 के एसजीएसटी की , कुल रु० 2,17,949.0 की जीएसटी की कटौती की गई है। किंतु उक्त कटौती को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार कुल रु० 2,17,949.00 को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष में जमा नहीं करा कर गंभीर अनियमितता की गई है। इसके लिए

खण्ड विकास अधिकारी श्री वशिष्ठ नारायण सिंह तथा लेखाकार श्री हरेन्द्र कुमार दूबे उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 - क्षेत्र पंचायत फरेन्दा के वर्ष 2020-21 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194 (सी) के अनुपालन में वर्ष - 2020-21 में कुल रु० 1,08,94,612.6 की सामग्री व्यय के सापेक्ष रु० 2,44,055.0, के आयकर की कटौती की गई है। किंतु उक्त कटौती को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार कुल रु० 2,44,055.00 को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष में जमा नहीं करा कर गंभीर अनियमितता की गई है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा-274 (बी) के अनुसार काटे गए आयकर को जमा न कर आपराधिक कृत्य है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री वशिष्ठ नारायण सिंह तथा लेखाकार श्री हरेन्द्र कुमार दूबे उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 - क्षेत्र पंचायत लक्ष्मीपुर के वर्ष 2020-21 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग विषयक प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन, शासनादेश सं० - 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक:- 19-06-2015, के बिन्दु (2) के अनुसार - क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाएं। परन्तु क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में यह दर्शित हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार रु० 61,24,231.0 के कार्य एक ही ग्राम सभा के अंतर्गत कराये गये हैं। जो कि गंभीर अनियमितता एवं आपत्तिजनक है। विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र.सं.	कार्यका नाम	सामग्री व्यय	श्रम व्यय	कुल व्यय
1	नौवाडीहऊर्फदेवपुर में फिरोज के घर से संजय पाण्डेय के बागीचे तक इंटरलॉकिंग कार्य	8,37,624.00	93,671.00	9,31,295.00
2	पिपरहवामें गुड्डू के घर से अशोक के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	2,61,927.00	29,290.00	2,91,217.00
3	परसौनीकला के टोला पिपरहिया में राम समुझ के घर से रमाशंकर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	7,30,734.00	82,710.00	8,13,444.00
4	ग्रा.पं.मानिक तालाब में सुभाष के घर से इंद्रकेश चौधरी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	1,74,896.00	17,853.00	1,92,749.00
5	ग्रा.पं.सिंहपुरकला में अमर के घर से धनराज के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	8,09,335.00	1,02,945.00	9,12,280.00
6	ग्राममदरहाककटही के टोला कोईलपुर में विरेन्द्र के घर से सहदेव के घर होते हुए अलाउद्दीन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	5,01,728.00	49,177.00	5,50,905.00

7	ग्रामबैजनाथपुरचरका में रतन के घर से बिरजू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	4,51,420.00	54,761.00	5,06,181.00
8	बैजनाथपुरऊर्फचरका में श्री चंद के घर से विजय के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	4,42,724.00	51,947.00	4,94,671.00
9	ग्रा.पं.एक्सडवा में रुदल के घर से नाला होते हुए उस्मान के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य	8,21,263.00	91,287.00	9,12,550.00
10	ग्रा.पं.बकैनियाहरैया में चिन्नी के घर से जयन्त्रीमौर्य के घर होते हुए झीनक के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	4,61,929.00	57,010.00	5,18,939.00
	योग -	54,93,580.00	6,30,651.00	61,24,231.00

इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर पाण्डेय व श्री जगदीश त्रिपाठी तथा लेखाकार श्री राम सन्त उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 - क्षेत्र पंचायत लक्ष्मीपुर के वर्ष 2020-21 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक:- 31-03-2021 को क्षेत्र पंचायत के ग्रांट रजिस्टर तीन के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत रु० 1,22,420.00 का अनुदान विगत वर्षों से अनुपयुक्त है। जिसे राज्य सरकार / सम्बन्धित विभागों को वापस न कर अनियमित रूप से क्षेत्र पंचायत के खातों में पड़ा है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से राजकीय धन का दुरुपयोग हैं। विवरण निम्न प्रकार से है:-"

क्र.सं.	मदका नाम	अप्रयुक्त धनराशि
1	बॉयोगैसअनुदान	1,000.00
2	सामाजिकआर्थिक गणना	1,500.00
3	आवास किराया	79,480.00
4	विवाहअनुदान	40,440.00
	योग -	1,22,420.00

इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पुष्पासोनकर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 - क्षेत्र पंचायत लक्ष्मीपुर के वर्ष 2020-21 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष - 2020-21 में कुल रु० 1,83,50,444.0 की सामग्री व्यय के सापेक्ष रु० 1,83,502.5 के सीजीएसटी व रु० 1,83,502.5 के एसजीएसटी की , कुल रु० 3,67,005.0 की जीएसटी की कटौती की गई है। किंतु उक्त कटौती को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार कुल रु० 3,67,005.00 को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष में जमा नहीं करा कर गंभीर अनियमितता की गई है।

इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पुष्पासोनकर तथा लेखाकार श्री राम सन्त उत्तरदायी हैं। नियमानुसार काटी गई जीएसटी को राजकोष में जमा कराने हेतु कार्यवाई अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 - क्षेत्र पंचायत लक्ष्मीपुर के वर्ष 2020-21 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194 (सी) के अनुपालन में वर्ष - 2020-21 में कुल रु० 1,83,50,444.0 की सामग्री व्यय के सापेक्ष रु० 4,11,053.0, के आयकर की कटौती की गई है। किंतु उक्त कटौती को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार कुल रु० 4,11,053.00 को नियमानुसार राजकोष में संबंधित शीर्ष में जमा नहीं करा कर गंभीर अनियमितता की गई है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा-274 (बी) के अनुसार काटे गए आयकर को जमा न कर आपराधिक कृत्य है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पुष्पासोनकर तथा लेखाकार श्री राम सन्त उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

प्रारूप - 3

जनपद का नाम - झांसी

मण्डल का नाम - झांसी

प्रस्तर -1

विकासखण्ड गुरसराय

क्षेत्र पंचायत गुरसराय

वर्ष दौरान कराये गये निम्नलिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये हैं जबकि पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/ 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाने चाहिये। इस प्रकार समस्त कार्य अनियमित रूप से एवं उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये कराये गये जिसके लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री मुकेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित प्रताप सिंह, श्री श्याम प्रताप सिंह एवं श्री राहुल मिश्रा उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। वर्ष दौरान कराये गये कार्यों एवं उनमें व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

क्र0	कार्य विवरण	धनराशि(लाख रु में)
1.	ग्राम खेरी में अहमद खां के मकान से हरगोविन्द के मकान की ओर सीसी रोड	4.508
2.	ग्राम चतुरताई में भगाई वाले नाले पर पुलिया/रिपटा निर्माण	5.54
3.	ग्राम हबुपुरा में छत्रपाल सिंह के मकान से हनुमान मंदिर तक सी सी रोड	9.84
4.	ग्राम चतुरताई में नन्दू अहिरवार के मकान से नाले की ओर सी सी रोड	9.92
5.	ग्राम सिमरधा में मेला ग्राउण्ड में दंगल स्थल के चारों ओर एवं मंच तक एपेक्स रोड	9.638
6.	ग्राम कोटरा में छक्की अहिरवार के बाड़े से हनुमान मंदिर की ओर सीसी रोड	9.65
7.	ग्राम पुछी में खेरापति मंदिर से पानी की टंकी की ओर एपेक्स	7.41
8.	ग्राम सोनकपुरा में बृषभान कुशवाहा के मकान से चन्दन तक सीसी रोड	9.50
योग-		66.006

प्रस्तर -2

विकासखण्ड बबीना

क्षेत्र पंचायत बबीना

आलोच्य वर्ष 2020-21 के दौरान कराये गये कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत है, जबकि पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाने चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत बबीना द्वारा कराये गए समस्त कार्य अनियमित रूप से व शासनादेश का उल्लंघन करते हुए कराये गये हैं। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व श्री रामबाबू पहारिया तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा दौरान कराए गये कार्यों व उनमें व्यय धनराशियों का विवरण निम्नवत है :-

1-	ग्राम पंचायत बसई में बदरपुर से शिवधाम उदल तक एपेक्स रोड -	332065.00
2-	ग्राम पंचायत सिजवाहा में मवई रामसेवक से बलवीर यादव तक एपेक्स रोड निर्माण -	584890.00
3-	ग्राम पंचायत रसोई में सीसी रोड निर्माण -	575585.00
4-	ग्राम पंचायत मुरारी में पातीराम से शंकरजी मन्दिर तक एपेक्स रोड -	658396.00
5-	ग्राम पंचायत रसोई में प्रताप पाल से बुदीपाल तक एपेक्स रोड निर्माण -	878809.00

6- ग्राम पंचायत पुनावली खुर्द में कोमल पाल से मुरारी पण्डित तक एपेक्स रोड निर्माण -	472030.00
7- ग्राम पंचायत पुनावली खुर्द में कालू यादव से प्रकाश परार तक एपेक्स रोड निर्माण -	424088.00
8- ग्राम पंचायत पुनावली खुर्द में पक्की सड़क से सत्यवीर तक एपेक्स रोड निर्माण -	608039.00
9- ग्राम पंचायत डगरवाहा में बरार मोहल्ला में नाले पर पुलिया निर्माण -	46669.00
10- ग्राम पंचायत बसई के बदरपुर में एपेक्स रोड निर्माण -	49093.00
11- ग्राम पंचायत सिजवाहा में मजरा मवई एपेक्स रोड निर्माण -	132850.00

(7)

12- ग्राम पंचायत खजराहाबुजुर्ग में एपेक्स रोड निर्माण -	453745.00
13- ग्राम पंचायत रसोई में एपेक्स व नाली निर्माण -	399120.00
14- ग्राम पंचायत सिमरिया में एपेक्स रोड निर्माण -	460939.00
15- ग्राम पंचायत मानपुर में एपेक्स रोड व नाली निर्माण -	426350.00
योग -	6502668.00

प्रस्तर -3

विकासखण्ड बडागाँव

क्षेत्र पंचायत बडा गाँव

आलोच्य वर्ष 2020-21 के दौरान कराये गये कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत है, जबकि पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाने चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत बडागाँव द्वारा कराये गए समस्त कार्य अनियमित रूप से व शासनादेश का उल्लंघन करते हुए कराये गये हैं। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व श्री महेन्द्र सिंह यादव तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा दौरान कराए गये कार्यों व उनमें व्यय धनराशियों का विवरण निम्नवत है

1- ग्राम तिलैथा में पतरघटा एपैक्स एवं घाट निर्माण कार्य -	790902.00
2- ग्राम तालरमन्ना में परसादी के मकान से लाखन सिंह के मकान तक एपैक्स रोड -	699858.00
3- ग्राम तिलैथा में कल्यान के मकान से नदी की ओर एपैक्स रोड निर्माण कार्य -	278016.00
4- ग्राम तैदोल में खोरन के खिरसक से हुकुम सिंह के मकान की आर एपैक्स एवं ना0नि0-	853330.00
5- ग्राम पंचायत कोलवा में महाराम के मकान से प्रकाश पाल के मकान तक एपैक्स रोड -	538051.00
6- ग्राम मडोरा में कालीचरन से माता मन्दिर होते हुए रामपाल के मकान की ओर एपैक्स रोड-	634814.00
7- ग्राम तैदोल में कबूतरा रोड में पुष्पेन्द्र के मकान से मैन रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण-	700548.00
8- ग्राम कोलवा के बरेठी में कल्लन सहारिया से सिरोवन के बाड़े की ओर एपैक्स रोड -	601130.00
9- ग्राम टांकोरी में खर्ना नाला पुलिया के पास प्रतिधारण दीवार निर्माण कार्य -	353663.00
10- ग्राम बनगुवां में मैन रोड से सटटू कुशवाहा के खिरक की ओर एपैक्स रोड -	658254.00
11- ग्राम चिपलोठा में धमनाई खिरक मैन रोड से प्राथमिक विद्यालय तक एपैक्स रोड निर्माण-	453745.00
योग -	6562311.00

प्रस्तर 4

विकासखण्ड --मोंठ

क्षेत्र पंचायत -मोंठ

उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-01/2015 दिनांक 31-07-2015 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कराए जाने वाले कार्यों में डुप्लीकेशी रोकने के दृष्टिगत क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जा गया है। उक्त शासनादेश में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि क्षेत्र पंचायत को

प्राप्त अनुदान से एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कुरा परन्तु क्षेत्र पंचायत मोंठ द्वारा वर्ष 2020-21 में उक्त शासनादेश के विपरीत एक ही राजस्व ग्राम को लाभान्वित करने वाले कार्य करवाकर 24910000-00 व्यय कर अनियमितता की गई है। जिसके उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष नेमा एवं ब्लाक प्रमुख श्रीचरण सिंह हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कार्यस्थल का विवरण	धनराशि
1 याम शाहजहाँपुर में रामसेवक के मकान से जू००की पुलिया की और स्पैक्स एवं नाली निर्माण	968000-00
2 ग्राम पंचायत सेना में भगवान सिंह के मकान से वी०डी०सी० के मकान की ओर एपेक्स एवं नाली निर्माण	343000-00
3 ग्राम महाराजगंज देरी में पप्पन केवट के मकान से नरिया की और नालानिर्माण	694000-00
4 ग्राम सोहाग में पैकेटी राहे से बीरु के मकान की और एपेक्स एवं नाभीनिर्माण	767000-00
5 याम सारण में बानसिंह के मकान के पास एपेक्स एवं नाली निर्माण	765000-00
6 यामबहादुर पोखर में देयगढ़ से उदयी जाटव के घेत की और एपेक्स एवं नाली निर्माण	756000-00
7 राम बसोबई ने हनुमत के मकान से बोबी के घर की और सीसी रोड का निर्माण	717000-00
8 ग्राम बसोबई में सिया शरण के मकान से माता मन्दिर की और सीसी रोड का निर्माण	704000-00
9 ग्राम बम्होरौली में गोठ कानपुर मार्ग से अजय यादव के मकान की और सीसी रोड निर्माण	978000-00
10 ग्राम सौजमा नै बिरिया में स्कूल के पास से आदिवासी मुहल्ले की और सीसी रोड निर्माण	973000-00
11 ग्राम जाँरा अमबेरा में देवीसिंह के मकान से ईश्वर दयाल के खलिहान की और सी. सी. रोड निर्माण	978000-00
12. याम बम्होरौली में दाल मिल अपी की पुलिया से समय सपार रोड की और सी. सी. रोड निर्माण	970000-00
13 ग्राम बेलमा कल्लों में मलखान के मकान से परशुराम की ओर सीसी रोड निर्माण	963000-00
14 ग्राम सिमिरिया में खिलौनी बरार के मकान से कमलेश पाल के मकान की और सी० सी रोड निर्माण	920000-00
15 ग्राम सौराई में चक्की पटेल के घर से रहीस के घर की ओर सी सी रोड निर्माण	504000 00
16 ग्राम भौराघाट के गोपालपुरा में पुनिया से यमुना प्रसाद के मकान को और सी.सी. रोड निर्माण	977000-00
17 ग्राम कायला से 300 मी. एपेक्स रोड निर्माण	978000-00
18 ग्राम खिल्ली में अमगाव रोड पर गौशाला की ओर सी सी रोड निर्माण	917000-00
19 ग्राम खजुरी में स्कूल से रामगोपाल के मकान की और सीसी रोड निर्माण	944000-00
20 ग्राम सोहागढ़ में समथर पीपरी मार्ग से मातामन्दिर की और सीसी रोड मरम्मत कार्य	934000-00
21 ग्राम पाण्डोरी दासना में मोठ भाडेर द्वार से प्रा० स्कू की ओर सी सी रोड निर्माण	851000-00
22 ग्राम चितगुबा में ठाकुरबाबा के मन्दिर से पंचायत भवन की ओर सी. सी रोड निर्माण	977000-00
23 ग्राम बुढावाली में समथर रोड से शमशानघाट तक सी० सी० रोड निर्माण	928000-00
24 ग्राम बम्होरौली में आजाद नगर में लल्लू मास्टर से कल्लू धोबी के मकान तक सीसी रोड निर्माण	895000-00

25	ग्राम लोहागढ़ में रमागुप्ता के मकान से कडौरे मिर्जा के मकान की ओर एपेकस रोड निर्माण	447000-00
26	ग्राम बुढ़ावली में समथर मोठ मार्ग से गुल्ली यादव के खेत की ओर सी. सी. रोड़ निर्माण	979000-00
27	ग्राम बेलमाकलाँ लक्षीराम के मकान से उमाशंकर के मकान की ओर सी सी रोड निर्माण	979000-00
28	ग्राम साकिन में लला के मकान से रंजीत के प्लाट की ओर सी. सौ. रोड निर्माण	978000-00
29	ग्राम पूछ ने एरच रोड से गब्बर के मकान होते हुए सलीम के मकान की ओर सीसी रोड निर्माण	724000-00
30	ग्राम साकिन में सुरेन्द्र पाल के मकान से हरपाल के मकान की ओर नाला निर्माण	406000-00
	योग	24910000-00

प्रस्तर: 5**विकासखण्ड बंगरा****क्षेत्र पंचायत बंगरा**

आलोच्य वर्ष 2020-21 के दौरान करने व कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत है जबकि पंचायतीराज अनुभाग 3 शासनादेश संख्या 1839/13-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायती को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए किए विकास कार्य कराये जाने चाहिए। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत विकास कार्यों में कुल 1241185517-00 व्यय किए गए। विकास में उपरोक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2020-21 के दौरान कराये गए कार्यों एवं उनमें व्यय धनराशियों का विवरण निम्नवत है-

कार्य	धनराशि
1 ग्राम विजना में मेन रोड से देवी जी मंदिर तक एपेक्स रोड नाली निर्माण	289162-00
2 ग्राम बिजना में मेन रोड से शंकर जी मंदिर तक एपेक्स रोड नाली निर्माण	289162.00
3 ग्राम अमनपुरा में बृजभान पटेल से ओम तिवारी के मकान के सामने एपेक्स रोड निर्माण	206718.00
4 ग्राम हसटी में सतोष पटेल से हरदयाल पटेल के मकान के सामने एक्स रोड निर्माण	380183-00
5 ग्राम सतपुरा में छक्की अहिरवार के घर से दुर्गा की बाई की और एक विनोद अहिरवार के बाड़े तक पुलिया/एपेक्स रोड निर्माण	645658.00
6 ग्राम धवारी में मेन रोड से जगदीश माते एवं श्री पांचाल की ओर एपेक्स रोड निर्माण	600352.00
7 ग्राम गैराहा पलरा रोड से गुमान कुशवाहा की ओर एपेक्स रोड निर्माण ग्राम	8924765.00
8 देवरीसिंहपुरा में भरारों मौजे से बट्टी के खेत के पास पुलिया निर्माण	839948-00
9 ग्राम देवरीसिंहपुरा में धर्मजीत महाराज से महावीरपुरा की ओर सी सी रोड व पुलिया निर्माण	921459.00
10 ग्राम लुहरगाँव रानीपुर में सिकदरा मोहल्ले में ओमप्रकाश के मकान से संतोष के मकान तक सी-सी रोड निर्माण	693119.00
11 ग्राम लुहरगाँव रानीपुर में बड़े महावीर मंदिर से चतुर्भुज दसाई के घर की ओर सीसी/केसी का ड्रेन निर्माण	911920.00
12 ग्राम बसारी में राजेंद्र के मकान से बैजनाथ के मकान तक सीसी के सी० का ड्रेन निर्माण	683031.00
13 ग्राम चिरकना (सेवा) में खरगाई कुशवाहा के मकान से गौड़ बाबा की ओर एपेक्स रोड/के०सी० ड्रेन का निर्माण	841380.00
14 ग्राम सियारो में कारस देव से विमला देवी के मकान तक एपेक्स रोड / के० सी० ड्रेन का निर्माण	122184.00
15 ग्राम कटेरादेहात में चिन्डोले कुशवाहा से रमपुरी के मकान तक एपेक्स रोड/के० सी ड्रेन का निर्माण	346212.00
16 ग्राम चढरउधवारी में नहर से गाँव की ओर सड़क के दोनों ओर एपेक्स रोड निर्माण	961158.00
17 रोड से जुगुल नंदू के मकान की ओर सी०सी०/ के सी ड्रेन का निर्माण	362922.00
18 ग्राम सनौरा में विजय यादव के मकान से बाईपास होते हुए गौरलाल के मकान तक एपेक्स रोड/के सी ड्रेन का निर्माण	939633.00

19 ग्राम टिकरी में गंगा प्रसाद के मकान से शमशान घाट तक एपेक्स रोड के सी ड्रेन का निर्माण	699608.00
20 ग्राम चदधवारी में अशोक के मकान से जि०प०की सी०सी० तक एवं नाली एवं सीसी के बीच में एपेक्स बिछाई कार्य	717600.00

योग -

124118517.00

प्रस्तर 6

विकासखंड बामौर

क्षेत्र पंचायत बामौर

बैंक पासबुक के अनुसार 31.03.2021 को अंतिम अवशेष कुल रु० 28150334.29 है। जबकि अनुदान पंजिका 3 के अनुसार कुल रु 28178959.47 है। इस प्रकार बैंक पासबुक एवं अनुदान पंजिका 3 में 31.03.2021 को कुल रु० (-) 28625.18 का अंतर है। इस अंतर का कारण सम्बंधित लेखाकार श्री आरिफ अहमद स्पष्ट नहीं जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसके लिए सम्बंधित लेखाकार श्री आरिफ अहमद एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामवंत उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 7

शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गए हैं। (जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होता है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाँ तथा शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 25 में व्यवस्थ दी गयी है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले, पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित संपत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जाएगा। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत विकास कार्यों में कुल रु 7883752- व्यय किये गए, जिसका विवरण इस प्रकार है

कार्य का नाम	धनराशि
1- ग्राम पंचायत अस्ता में जू० हा० स्कूल के सामने एक्स रोड निर्माण	843187.00
2 ग्राम पंचायत कुरैठा में सीसी रोड निर्माण मैन सडक से दीनदयाल अहिरवार के मकान तक	878168-00
3 ग्राम पंचायत बिलाही करके में रोड निर्माण	548116-00
4 ग्राम पंचायत भौमई में रोड निर्माण	314714-00
5 विकास खण्ड परिसर की साधन समिति में एपेक्स रोड निर्माण	787393-00
6. ग्रामपंचायत खलार में धुराम के मकान तक एपेक्स रोड निर्माण	795646-00
7 विकास खण्ड परिसर के पशु चिकित्सालय में एपेक्स रोड निर्माण	472197-00
8 ग्राम पंचायत इस्किल मुजुर्ग की साधन समिति में एपेक्स रोड निर्माण	82759-00
9 ग्राम पंचायत मौतों में सीसी रोड निर्माण मुकेश यादव के मकान तक	295470-00
10 ग्राम पंचायत गाती में एपेक्स रोड निर्माण हरि से बाबू सोनी तक	654999-00
11 ग्राम पंचायत अचौसा में एपेक्स रोड निर्माण मातादीन के मकान से सीसी रोड तक	636281-00
12. ग्राम पंचायत गेंदा कबूला के मजरा कठरी में सीसी रोड निर्माण प्रा०वि० प्रांगण में	<u>83002-00</u>
योग-	7883752-00

इन विकास कार्यों में उपरोक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री रमाकांत एवं लेखाकार श्री आरिफ अहमद उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार 31.03.2021 को विभिन्न विलों से आयकर, जी०एस०टी० एवं लेबर सेस की कटौती कर सम्बन्धित पक्षों को भुगतान कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ बिलों में आयकर, जीएसटी एवं लेबर सेस की कटौती कर सम्बन्धित पक्षों को भुगतान नहीं किया गया जो कि यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। यदि भविष्य में विलम्ब शुल्क और दण्ड आरोपित किया जाता है तो वसूली खण्ड विकास अधिकारी (आहरण वितरण अधिकारी से की जानी चाहिए। विदित हो कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271(एच) के अनुसार कटौती किये गए आयकर का निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर विलम्ब शुल्क 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से वसूल किया जाता है। कटौती की गयी धनराशियों को संबंधित मदों में जमा किया जाना अपेक्षित है।

निम्नलिखित कार्यों पर आयकर, जी०एस०टी० एवं लेबर सेस का दिनांक 31.03.2021 तक भुगतान नहीं किया गया है

कार्य का नाम	धनराशि	कटौती
1 ग्राम पंचायत इस्किल बुजुर्ग की साधन समिति में एपेक्स रोड निर्माण	24607-00	827559-00
2 ग्राम पंचायत अचौसा में एपेक्स रोड निर्माण मातादीन के मकान से सी सी रोड तक	18900-00	636281-00
3 ग्राम पंचायत झबरा में मेन रोड से पू० मा वि तक एपेक्स रोड निर्माण	25672-00	32725-00
4 ग्राम पंचायत टिकौली में मेघराज के मकान से प्रहलाद तक एपेक्स रोड निर्माण	25456-00	923897-00
5 ग्राम पंचायत गेंदा कबूला के मजरा कठरी में सी.सी. रोड निर्माण प्राविप्रांगण में	22843-00	830022-00
6 ग्राम पंचायत मैदा कबूला में कन्या पा०वि० में एपेक्स रोड निर्माण,	17718-00	643746-00
7 ग्राम पंचायत गौती में सी. सी. रोड निर्माण मुकेश यादव के मकान तक	8776-00	95470-00
8 ग्राम पंचायत गौती में एपेक्स रोड निर्माण हरिबल्लभ से बाबू सोनी तक	<u>19724-00</u>	<u>654999-00</u>
योग-		5744699-00
	163696-00	

प्रस्तर 9**विकासखण्ड चिरगांव****क्षेत्र पंचायत चिरगांव**

शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 की व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उनसे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाने चाहिए परन्तु उक्त शासनादेश के अनुसार कार्य नहीं कराये गये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

1- शमशान घाट का निर्माण	664167-00
2- ग्राम सितोरा शमशान घाट का निर्माण	500782-
00	
3- ग्राम औपरा में शमशान घाट का निर्माण	930372-
00	
4- ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग में पंचायत भवन के सामने एपेक्स निर्माण	478243-00
5- ग्राम बंगरा बंगरी में शमशानघाट का निर्माण	102120-00
6- ग्राम सिकरी बुजुर्ग में शमशान घाट का निर्माण	898092-00
7- ग्राम ध्वानी में शमशानघाट का निर्माण	898270-00
8- ग्राम ध्वानी में घुसगुंवा के शमशान घाट का निर्माण	896862-0
9- ग्राम जरमाई में ग्यासी के मकान से बालवी के मकान तक सी० सी० रोड में नाली निर्माण	60022-00
10- ग्राम सारोल में पुलिया निर्माण	259928-00
11- ग्राम चिरगाँव देहात में लला प्रधान के मकान से राजेन्द्र राजपूत के मकान तक एपेक्स कार्य	945303-00
12- ग्राम घिनौना में चर्तुभूज मास्टर के मकाल से लली अहिरवार को मकान तक एपेक्स निर्माण	465063-00
13- ग्राम चिरगाव देहात में राघव राजपूत के मकान से मर्द नगर तक एपेक्स निर्माण	362083-00
14- श्याम सिमथरी में मेनरोड से शमशान घाट तक एपेक्स रोड निर्माण	364103-00
15- शाम सेमरी में गोपालजी मन्दिर के सामने नाला निर्माण	32262-00
16- ग्राम पंचायत औपरा में जयराम के मकान से शमशानघाट की ओर एपेक्स रोड निर्माण	456592-00
17- ग्राम औपरा में शमशान घाट से राजपूत के मकान तक एपेक्स निर्माण	936260-00
18- ग्राम औपारा में हरिजन बस्ती से शमशानघाट तक एपेक्स निर्माण	588170-00
19- औपारा में मैन रोड से अमर सिंह राजपूत के मकान तक एपेक्स रोड निर्माण	341772-00
20- ग्राम मडगुवा में राम पटवा के मकान से स्कूल के गेट तक एपेक्स रोड निर्माण	475693-00
21- ग्राम वकुआ बुजुर्ग में हरचटी बलेठा से ट्रान्सफारमर तक सी०सी० रोड निर्माण	923627-00
22- ग्राम मियापुर में मैन सड़क से रामेन्द्र यादव के मकान तक एपेक्स निर्माण	318534-00
23- ग्राम सिया में सीताराम मास्टर के मकान से प्रभुदयाल के मकान तक एपेक्स निर्माण	371496-00
24- ग्राम सिया में पुरुषोत्तम के मकान से तालाब तक एपेक्स निर्माण	362427-00
25- ग्राम मुडेई में मैन सड़क से राजेश यादव के मकान तक एपेक्स निर्माण का भुगतान	163315-00

26-ग्राम चिरगाँव देहात में धनाराम कुशवाहा के मकान से छोटे लाल के मकान तक एपेक्स निर्माण	246673-00
27-ग्राम चेलका में अस्पताल से भरत लाल के मकान तक एपेक्स निर्माण	436527-00
28-ग्राम चिरगाँव देहात में राज कुशवाहा के मकान से धनाराम के मकान तक एपेक्स निर्माण	224548-00
29-ग्राम गुलारा में गोशाला रोड निर्माण	747715-00
30-ग्राम गुलारा में गोशाला में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	292264-00
31-ग्राम चिरगाँव देहात में सरदार पटेल इण्टर कालेज की बाउन्ड्री वाल निर्माण	<u>390741-00</u>
योग -	15134026-00

प्रस्तर -10

विकासखण्ड मऊरानीपुर

क्षेत्र पंचायत मऊरानीपुर

आलोच्य वर्ष 2020-21 के दौरान कराये गये कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हैं जबकि पंचायतीराज अनुभाग 3 के शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों के जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाने चाहिये। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत चिरगाँव द्वारा कराये गये समस्त कार्य अनियमित रूप से व उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये कराये गये हैं, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा दौरान कराये गये कार्यों व उनमें व्यय धनराशियों का विवरण निम्नवत है-

1 ग्राम पंचायत बसरिया में मनोज साहू से कजस्ट तालाब की ओर सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	786577-00
2. ग्राम पंचायत मऊ देहात राम पहाडिया रेलवे क्रासिंग मुख्य सडक से राकेश गुप्ता व सुनील गुप्ता की ओर सी०सी० रोड नाली निर्माण	714327-00
3 ग्राम बडागाँव में उदय सिंह से महेन्द्र सिंह सी०सी० रोड नाली निर्माण	636677-00
4. ग्राम पंचायत डिमलौनी में मुख्य सडक से चौरसिया तक एपेक्स रोड निर्माण -	732841-00
5. ग्राम पंचायत डिमलौनी में मुख्य सडक से हरनाम सिंह	178502-00
6. ग्राम पंचायत हरपुरा में वीरेन्द्र प्रजापति राजू कुशवाहा तक सी०सी० रोड नाली निर्माण -	463057-00
7. ग्राम पंचायत मथुपुरा में एपेक्स रोड व नाली निर्माण -	<u>74080-00</u>

योग-3586061-00

प्रारूप- 3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद का नाम- ललितपुर

मण्डल का नाम- झाँसी

क्षेत्र पंचायत- जखौरा

विकास खण्ड: जखौरा

प्रस्तर- 1

शासनादेश संख्या 4/-866/33-2-14-93जी/2004टी.सी. दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें तथा किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित थे जिनका विवरण निम्न है-

क्र.सं.	कराये गये कार्य का नाम व पूर्ण पता	शुद्ध धनराशि
1	ग्राम बूचा में पंचमपुर रोड़ से बूचा गाँव की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	933614=00
2	ग्राम गनगौरा के नैगाँव कलां में मोहन बरार के मकान से हनुमान जी के मंदिर तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	834326=00
3	ग्राम पनारी में हरदेव तालाब के नीचे पुलिया निर्माण	414554=00
4	ग्राम मैनवारा में सहारिया तस्ती में शमशान घाट निर्माण	835612=00
5	ग्राम मैनवारा में सहारिया बस्ती में शमशान घाट की चहारदिवारी का निर्माण कार्य	883488=00
6	ग्राम कालापहाड़ के गैढोरा में शमशान घाट निर्माण	840457=00
7	ग्राम कालापहाड़ शमशान घाट की चहारदिवारी का निर्माण कार्य	901769=00
8	ग्राम जखौरा में चिटू लाल के मकान से ध्यान चंद के शौचालय तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	468448=00
9	ग्राम रानीपुरा में बहादुर के मकान से गढ़वर के खेत की ओर सोलिंग-गिट्टी रोड़ का कार्य	932851=00
10	ग्राम तिलहरी में कल्याण सिंह के मकान से चौकीदार अतल सिंह के मकान तक सोलिंग-गिट्टी कार्य	544865=00
11	ग्राम तिलहरी में महेंद्र के मकान से कल्याण के मकान तक सोलिंग-गिट्टी कार्य	657935=00
12	ग्राम तिलहरी में माते के महेंद्र के मकान के पास इमली के पेड़ के पास पुलिया निर्माण कार्य	458399=00
13	ग्राम थनवारा में प्रायमरी स्कूल से लेकर गौड़बाबा तक सोलिंग-गिट्टी कार्य	933970=00
14	ग्राम भरतपुरा में भरतपुरा से लेकर थनवारा संपर्क मार्ग निर्माण	923684=00

15	ग्राम सिलगन मे प्रा.वि. के सामने सी. सी. रोड़ निर्माण कार्य	389222=00
16	ग्राम टोरिया में कपूर राजपूत के मकान से जगत लोधी के मकान तक नाली निर्माण	940370=00
17	ग्राम सिरोन खुर्द में सरकारी कुआं से लेकर खैडर नाले तक नाली निर्माण कार्य	943836=00
18	ग्राम बानौली में मानसिंह के मकान से नया स्कूल तक नाली निर्माण कार्य	895174=00
19	ग्राम रसोई में पेयजल व्यवस्था हेतु पानी की टंकी एवं बोर का निर्माण-सोलर लाइट द्वारा	656382=00
20	ग्राम मैनवारा में शेर सिंह यादव के मकान से रमेश लोधी के मकान तक नाली निर्माण कार्य	504159=00
21	ग्राम पंचमपुर में पेयजल व्यवस्था हेतु पानी की टंकी एवं बोर का निर्माण	664589=00
22	ग्राम देवरी में राधाकृष्ण मंदिर के पास पानी की टंकी एवं बोर का निर्माण सोलर लाइट सहित	484420=00
23	ग्राम गनगौरा के नैगांव कला में पेयजल व्यवस्था हेतु पानी की टंकी एवं बोर का निर्माण	648278=00
24	ग्राम किसलवास में किसलवास से लेकर गुरसौरा तक सोलिंग-गिट्टी निर्माण कार्य	808884=00
25	ग्राम सिरोन खुर्द में श्री श्री 1008 पंचमुखी आश्रम एवं राधाकृष्ण मंदिर के पास पेवर ब्रिक्स निर्माण कार्य	550992=00
26	ग्राम नौहर कला के नौहर खुर्द में कैलाश यादव के मकान से भगवानदास के मकान तक सोलिंग गिट्टी निर्माण कार्य	932853=00
27	ग्राम सीरोन से थनवारा टपरियन तक की ओर संपर्क मार्ग की मरम्मत	933059=00
28	ग्राम गनगौरा में राजघाट रोड से दैलवारा रोड तक सोलिंग-गिट्टी कार्य	935495=00
29	ग्राम जखौरा में खण्ड विकास अधिकारी आवास जखौरा की बाउंड्री, किचिन, शौचालय आदि की मरम्मत कार्य	817028=00
30	ग्राम सिलगन में सोलिंग-गिट्टी रोड से पुलिया तक सोलिंग-गिट्टी निर्माण कार्य	523219=00
31	ग्राम कर मुहारा से लागौन के संपर्क मार्ग मरम्मत कार्य	933922=00
32	ग्राम पंचमपुर से बिरोरा गांव तक सोलिंग गिट्टी कार्य	835114=00
33	विकास खण्ड कार्यालय में फ्लोर टाइल कार्य	290631=00
34	ग्राम जैरवारा में रोड से नन्नु सहारिया के मकान तक सोलिंग गिट्टी कार्य	661442=00
35	बीजीआरएफ/एनआरएलएम कार्यालय की मरम्मत	149176=00
36	गेंदोरा में सोलिंग गिट्टी कार्य एवं पुलिया निर्माण	937204=00

37	ग्राम मैलार में करन सहारिया के मकान से पप्पू यादव के मकान तक सोलिंग गिट्टी कार्य	670558=00
38	करमुहारा से देवरी तक सोलिंग गिट्टी रोड़	933732=00
39	चमरऊवा में कपूर सिंह के मकान से हरिराम के मकान तक सीसी रोड़ निर्माण कार्य	765665=00
40	हर्षपुर में शंकर जी मंदिर से सहारिया बस्ती दोनों तरफ सोलिंग गिट्टी संपक मार्ग	938207=00
41	आलापुर में सोलिंग गिट्टी रोड़ से सड़क की ओर सोलिंग गिट्टी संपर्क मार्ग	942834=00
42	ग्राम गुरसौरा में तालाब की पुलिया से हरदेव के कुआं की ओर सोलिंग गिट्टी सम्पर्क मार्ग	913218=00
43	व्यायामशाला की छत की मरम्मत, खिडकी, गेट, फ्लोर टाइल कार्य	305987=00
44	खण्डविकास अधिकारी आवासीय कक्ष की मरम्मत कार्य	306580=00
45	पशु अस्पताल की छत की मरम्मत एवं पेवर ब्रिक्स कार्य	870326=00
46	थनवारा के पठापुरा में पप्पू के मकान के पास एक पुलिया कार्य	914667=00
47	ग्राम भड़रा में नाहर से जयराम के मकान तक सोलिंग गिट्टी कार्य	940617=00
48	ग्राम पंचोरा में चुन्नी के घर से नहर की ओर सोलिंग गिट्टी कार्य	942880=00
49	हर्षपुर में कोडरा सहारिया बस्ती से पप्पू राजा के मकान तक सोलिंग गिट्टी कार्य	843240=00
50	ग्राम अडवाहा में टावर से भजन के मकान तक तथा हिम्मत के खेत से रेलवे लाइन की ओर सोलिंग गिट्टी कार्य	942554=00
51	ग्राम पिपरा में ढलाई मोहल्ला से देव महाराज के चबूतरा तक सोलिंग गिट्टी कार्य	876903=00
52	खडोवरा में रोड़ से बाबा के मंदिर की ओर सोलिंग गिट्टी रोड़	935478=00
53	सिलगन में राजघाट रोड़ से सोलिंग गिट्टी निर्माण कार्य	939025=00
	महायोग	3,99,81,892=00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग योजना अंतर्गत एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में एक ही ग्राम पंचायत में कराये गये निर्माण कार्य में कुल धनराशि ₹0 3,99,81,892=00 व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेश के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य दो या दो से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये थे। इस प्रकार शासनादेश संख्या 4/-866/33-2-14-93जी/2004टी.सी. दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों व प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी एवं श्री अर्जित प्रकाश और

तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री कैलाश यादव उत्तरदायी हैं। उक्त के संबंध में विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्य की पत्रवालियों एवं अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित संपत्ति पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा स्पष्ट नहीं है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृजित संपत्ति को किस संस्था को हैंडओवर किया गया की पुष्टि में कोई भी अभिलेख अप्रस्तुत रहा। साथ ही निर्माण कार्यों से सम्बंधित परिसंपत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। निर्माण कार्य के फलस्वरूप सृजित संपत्ति की वास्तविकता की पुष्टि संबन्धित संस्था (जिसके स्वामित्व में संपत्ति है) को हैंडओवर एवं उसके परिसंपत्ति पंजिका में प्रविष्टि से करायी जानी अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी पत्रवालियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में कार्य के दोहराव से इंकार नहीं किया जा सकता। संस्था द्वारा कराये गये कार्यों से सम्बंधित कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

मूल आपत्ति संख्या- 15

क्षेत्र पंचायत- तालबेहट

विकास खण्ड: तालबेहट

प्रस्तर- 2

शासनादेश संख्या 4/866/33-2-14-93जी/2004टी.सी. दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित थे जिनका विवरण निम्न है-

क्र.सं.	कराये गये कार्य का नाम व पूर्ण पता	शुद्ध धनराशि
1	विकास खण्ड कार्यालय में फर्श मरम्मत कार्य	397019=00
2	हंसारकला के मजरा कबाड़खेड़ा में दयाराम यादव के घर से राजपाल के घर की ओर पेबरब्रिक्स कार्य	612956=00
3	बुदावनी से वनगुवा की ओर सोलिंग गिट्टी कार्य 1500 मीटर	916742=00
4	जमालपुर में बल्लू ठाकुर के घर से राजेन्द्र ठाकुर के घर की ओर पेबरब्रिक्स कार्य	220925=00
5	ग्राम धमकना में नाली निर्माण कार्य हरिश्चंद्र से नीलेश के घर तक	172097=00
6	नत्थीखेड़ा में सिद्ध रोड पर चबूतरा निर्माण	799073=00
7	बिजरौठा में बालकिशन के घर से सियाराम के घर की ओर 120 मीटर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	572418=00
8	तरगुवा के मजरा विसातिया में कन्हैया के घर से नारायण के घर की ओर 100 मीटर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	599339=00

9	विजयपुरा के मजरा मुरली मुहल्ला में गोविन्द से करन के घर की ओर 100 मीटर सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	671743=00
10	पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम विद्यालय तरगुवां में प्रार्थना स्थल पर प्रेबरब्रिक्स कार्य	1016122=00
11	वर्माविहार के मजरा सरखडी में नाली निर्माण कार्य कक्कू अहिरवार से संतोष अहिरवार के घर की ओर	220555=00
12	खाँदी के मजरा गनेशपुरा में सोलिंग गिट्टी रोड निर्माण कार्य	921925=00
13	सामुदायिक भवन में मरम्मत कार्य विकास खण्ड तालबेहट में सामुदायिक भवन के हाल में चबूतरा निर्माण एवं मरम्मत कार्य	624749=00
14	विकास खण्ड तालबेहट में टीनशेड मरम्मत एवं निर्माण कार्य	859097=00
15	विकास खण्ड तालबेहट में टीनशेड निर्माण कार्य	438756=00
16	कडेसराकला के मजरा ऊमरी में सोलिंग गिट्टी रोड़ एवं पुलिया निर्माण कार्य	933388=00
17	पूराकलां के मजरा पठारी में रमेश नन्ना से भागवत के मकान तक सोलिंग गिट्टी रोड़ निर्माण कार्य	794374=00
18	ग्राम वधौरा के हजारिया में रहमान लोधी से शिवलाल लोधी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	940515=00
19	ग्राम खाँदी के सिविल लाईन में राजू से जीतू के घर की ओर पेबरब्रिक्स रोड निर्माण कार्य	959178=00
20	ग्राम खाँदी-पवा रोड से पॉलिटेक्निक कॉलेज की ओर पेबरब्रिक्स रोड निर्माण कार्य	1053876=00
21	ग्राम धमकना में स्कूल से मुख्यमार्ग की ओर पानी निकासी हेतु नाली निर्माण कार्य	983488=00
22	ग्राम बघौरा के हजारिया में मुख्यमार्ग से ढलांन की ओर पेबरब्रिक्स निर्माण कार्य	622856=00
23	ग्राम नत्थीखेड़ा के मजरा आजादपुरा में अहिरवार बस्ती में पन्नालाल से बालकिशन के घर की ओर पेबरब्रिक्स निर्माण कार्य	851854=00
24	कडेसराकला के मजरा भरसन में जल निकासी हेतु नाली निर्माण कार्य	643651=00
25	ग्राम टेटा के मजरा रावतयाना में हाइवे से सहारिया बस्ती की ओर सोलिंग गिट्टी संपर्कमार्ग निर्माण कार्य	653692=00
26	ग्राम वर्मा विहार के मजरा सरखडी में सोलर पम्प पाईप पेयजल की स्थापना कार्य	185699=00
27	ग्राम खांदी के मजरा छोटी टेकरी में सोलर पम्प पाईप पेजल की स्थापना कार्य	187072=00

28 ग्राम गेबरागुंदेरा के मजरा गेबरा में सोलर पम्प पाईप पेजल की स्थापना कार्य

185902=00

महायोग 1,80,39,061=00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग योजना के अंतर्गत एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2020-21 में एक ही ग्राम पंचायत में कराये गये निर्माण कार्यों में कुल धनराशि ₹0 1,80,39,061=00 व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाने चाहिये थे। इस प्रकार शासनादेश संख्या 4/866/33-2-14-93जी/2004 टी.सी. दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1. श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी 2. श्री दीपेन्द्र पाण्डेय 03. श्री आलोक कुमार 04. श्री अर्जित प्रकाश एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती ऊषारानी यादव उत्तरदायी हैं। उक्त के संबंध में विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या-20

क्षेत्र पंचायत- महरौनी

विकास खण्ड: महरौनी

प्रस्तर- 3

शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उनमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें तथा शासनादेश संख्या- 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गई है कि चतुर्थ वित्त राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमिक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का प्रयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों के लिये किया जायेगा। किन्तु उक्त शासनादेशों निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ही ग्राम तक सीमित थे जिनका विवरण निम्न है-

क्र.सं.	कराये गये कार्य का नाम व पूर्ण पता	शुद्ध धनराशि
1	ग्राम भौडी में पेवर ब्रिक्स का निर्माण	461638=00
2	ग्राम समोगर में पेवर ब्रिक्स का निर्माण	468631=00
3	ग्राम छापछौल में पेवर ब्रिक्स का निर्माण	374042=00
4	ग्राम सैदपुर में सक्कू रोड पर पुलिया निर्माण	140486=00
5	ग्राम खिरिया लटकनजूं में टंकी के पास पुलिया एवं सी.सी. रोड़ निर्माण	79416=00
6	ग्राम खटौरा में पेवर ब्रिक्स का निर्माण	284539=00
7	ग्राम छाजन में कुशवाहा बस्ती में पेवर ब्रिक्स	467233=00
8	ग्राम चौमऊ में मैनरोड से इमली तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	330198=00

9	ग्राम धुरवारा में राजासिंह के घर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	53036=00
10	ग्राम कुआंघोषी गेट से दरवाजे तक सी.सी. निर्माण	202859=00
11	ग्राम साढूमल में बस्ती में सी.सी. रोड़ निर्माण	473385=00
12	ग्राम गढ़ौलीकला में बुदनीरोड़ पर आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	354370=00
13	ग्राम छायेन के कछयाना स्कूल पर पुलिया निर्माण	89832=00
14	ग्राम खिरिया लटकनजू में पेवर ब्रिक्स निर्माण	468646=00
15	ग्राम जरया में चबूतरा निर्माण	139957=00
16	ग्राम अजान में पेवर ब्रिक्स का निर्माण	203959=00
17	ग्राम कुआंघोषी में सी.सी. रोड़ निर्माण	63744=00
18	ग्राम गढ़ौली कला में चबूतरा निर्माण	190747=00
19	ग्राम मेंगुवां में तालाब से इमती तक सी.सी. रोड़ निर्माण	567134=00
20	ग्राम पाली में जगभान के घर से शंकर तक रोड़ निर्माण	814622=00
21	ग्राम कुआंघोषी में मुरमीकरण	499694=00
महायोग		70,65,078=00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ही ग्राम में निर्माण कार्य कराये गये हैं, जिसमें नियमानुसार कटौतियां की गई है। इन निर्माण कार्यों की कुल टी.डी.एस. कटौतियां ₹0 336910=00 थी, जबकि शुद्ध भुगतान ₹0 6728168=00 था। इस प्रकार राज्य वित्त द्वारा निर्माण कार्यों में कुल ₹0 7065078=00 का व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाना चाहिये थे शासनादेश के शासनादेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत कराये गये उक्त कार्य अनियमित है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में कार्य के दोहराव से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिस तथ्य की ओर शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में भी उल्लेख किया गया है, शासनादेश की इस व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, कु० दीपिका मेहर, श्री अर्जित प्रकाश तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा लेखाकार श्री सुरेश कुमार जैन उत्तरदायी हैं। उक्त के संबंध में विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्य की पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा स्पष्ट नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृजित सम्पत्ति न तो किसी संस्था को हैण्ड-ओवर की गई है और न ही परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज की गई है। निर्माण कार्य के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति की वास्तविकता की पुष्टि सम्बन्धित संस्था (जिसके स्वामित्व में सम्पत्ति है) को हैंडओवर एवं उसके सम्पत्ति पंजिका में दर्ज करायी जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 16

क्षेत्र पंचायत- बिरधा**विकास खण्ड: बिरधा****प्रस्तर- 4**

शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होन वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें तथा शासनादेश संख्या- 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में यह व्यवस्था दी गई है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमिक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने के पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। किन्तु उक्त शासनादेशों निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ही ग्राम तक सीमित थे जिनका विवरण निम्न है-

क्र.सं.	कराये गये कार्य का नाम व पूर्ण पता	शुद्ध धनराशि
1	ग्राम विरारी के मजरा में कोमल के घर से सोवरन के घर तक पेवर ब्रिक्स का निर्माण	646551=00
2	ग्राम कलौथरा में गिन्नीराजा के घर से सोवरन के घर तक पेवर ब्रिक्स का निर्माण	648354=00
3	ग्राम सिंगेपुर में मनु अहिरवार से शंकर जी तक पेवर ब्रिक्स का निर्माण	641479=00
4	ग्राम पिपरिया पाली में शीतल के मकान से पुलिया तक रोड़ किनारे पेवर ब्रिक्स ओर नाली निर्माण	690005=00
5	ग्राम टीला में पाल के पुलिया से रोशन सिंह के मकान तक पेवर ब्रिक्स का निर्माण	688108=00
6	ग्राम नुनावली के कोमल अहिरवार से बालचन्द्र अहिरवार के घर तक पेवर ब्रिक्स का निर्माण	785474=00
7	ग्राम तेरा में परीक्षित से सादूमल तक सी.सी. रोड़ निर्माण	408396=00
8	ग्राम पाली ग्रामीण में नरयाना मार्ग से मुल्लू कुशवाहा के मकान पेवर ब्रिक्स का निर्माण	641420=00
9	ग्राम कलोथरा में डामर रोड से हैण्डपम्प तक पेवर ब्रिक्स का निर्माण	641152=00
10	ग्राम कलरव में पंचायत भवन से दुर्गा मंदिर की ओर पेवर ब्रिक्स नि	637511=00
11	ग्राम खितवांस में लल्लू के मकान से दुर्जन के मकान तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	637559=00
12	ग्राम चड़रऊ में धमेन्द्र पटेल से शिवचरन तक पेवर ब्रिक्स का निर्माण	689669=00
13	ग्राम झारकौन में रमेश अहिरवार से वीरन के मकान तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	642128=00
14	ग्राम कचनौदा कला में रामचरन से देवी मंदिर तक पेवर ब्रिक्स तथा नाली निर्माण	644204=00
15	ग्राम उत्तमधाना में याकूत अली से खिल्लू विश्वकर्मा की ओर पेवर ब्रिक्स तथा नाली निर्माण	741834=00
16	ग्राम कलौथरा में विश्वकर्मा के मकान से आगे की ओर पेवर ब्रिक्स का निर्माण	837634=00

महायोग 1,06,21,473=00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ही ग्राम में निर्माण कार्य कराये गये है, जिसमें नियमानुसार कटौतियां की गई है। इन निर्माण कार्यों की कुल टी.डी.एस. कटौतियां ₹0 1042426=00 थी, जबकि शुद्ध भुगतान ₹0 9579047=00 हुआ था। इस प्रकार चतुर्थ राज्य वित्त द्वारा एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों में कुल ₹0 10621473=00 का व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाना चाहिये थे। मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विरुद्ध कराये गये उक्त कार्य अनियमित है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में कार्य के दोहराव से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिस तथ्य की ओर शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में भी उल्लेख किया गया है, शासनादेश की इस व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपेन्द्र कुमार पाण्डेय, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री जयराम सिंह निरंजन तथा तत्कालीन ज्येष्ठ लेखाकार श्री घनश्याम दास वर्मा उत्तरदायी हैं। उक्त के संबंध में विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्य की पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा स्पष्ट नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृजित सम्पत्ति न तो किसी संस्था को हैण्ड-ओवर की गई है और न ही परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज की गई है। निर्माण कार्य के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति की वास्तविकता की पुष्टि सम्बन्धित संस्था (जिसके स्वामित्व में सम्पत्ति है) को हैंडओवर एवं उसके सम्पत्ति पंजिका में दर्ज करायी जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 14

क्षेत्र पंचायत- मड़ावरा

विकास खण्ड: मड़ावरा

प्रस्तर- 5

शासनादेश संख्या 4/-866/33-2-14-93जी/2004टी.सी. दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये है। जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित थे जिनका विवरण निम्न है-

क्र.सं.	कराये गये कार्य का नाम व पूर्ण पता	शुद्ध धनराशि
1	उल्दनाखुर्द से सोलदा तक सम्पर्क मार्ग का कार्य	685859=00
2	सेमरा खेड़ा से टोरी तक सम्पर्क मार्ग	852666=00
3	हंसरी मड़ावरा रोड से तालाब मड़ावरा सम्पर्क मार्ग	723458=00

4	नहर की पुलिया से हंसरी मड़ावरा रोड़ तक सम्पर्क मार्ग	882177=00
5	ग्राम दिदौनिया में प्रतिक्षालय का निर्माण	688680=00
6	सामुदायिक हाल वि०खण्ड कार्यालय का प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	468939=00
7	वि०खण्ड मड़ावरा में हनुमंदिर से कल्लू विश्वकर्मा के मकान तक सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण	263430=00
8	मड़ावरा में पाले से नहर की पुलिया तक सोलिंग कार्य	676764=00
9	बम्हौरी खुर्द से गिदवाहा तक सम्पर्क मार्ग	790993=00
10	सीताराम सोनी के मकान से टोरिया मस्जिद तक सी.सी. रोड़	417041=00
11	रमगढ़ा से पिपरिया की ओर सम्पर्क मार्ग	912209=00
12	मड़ावरा में पप्पू साहू के मकान से संजय सिंह तक सी.सी. रोड़	828315=00
13	पाये की पुलिया से तालाब की ओर सोलिंग कार्य	282899=00
14	कार्यालय भवन का सुन्दरीकरण	246711=00
15	ग्राम कारीटोरन से पिपरिया तक सम्पर्क मार्ग	909798=00
16	किशनपुरा से जैतपुर रोड़ तक मरम्मत कार्य	920820=00
17	मड़ावरा में कबीर के मकान से नोने राजा के घर तक सी.सी. रोड़	536441=00
18	मैनरोड़ से शिवकुमार तक सी.सी. रोड़	256056=00
19	मड़ावरा में पीयूष श्रीवास्तव के मकान से मस्जिद तक सी.सी. रोड़	607949=00
20	ग्राम रनगांव में गिरार रोड़ तक सम्पर्क मार्ग	803613=00
21	ग्राम बमराना से गेदौरा तक सम्पर्क मार्ग	879666=00
22	ग्राम मड़ावरा में जगदीश यादव के घर के पास सी.सी. रोड़ का निर्माण	257768=00
23	मड़ावरा के नहर से कोलूघाट तक सम्पर्क मार्ग	818252=00
24	ग्राम हंसरा रोड़ से श्यामपुरा गांव तक लिंक रोड़ मरम्मत	657581=00
25	खेरपुरा में रोहिनी नदी तक सम्पर्क मार्ग	911199=00
26	ग्राम मड़ावरा में रघुवीर के मकान से हरिशचन्द्र तक सी.सी. रोड़	569278=00
27	मड़ावरा में तिवारी बाबा से विककी जैन तक सी.सी. रोड़	411993=00
28	मड़ावरा में काशीराम से कल्लू तक सी.सी. रोड़	217204=00
29	प्रा० स्कूल बनगुवां से थनगाना तक सम्पर्क मार्ग	870203=00
30	ग्राम रनगांव में अरविन्द धायोनी से गुलाल साहू तक नाली निर्माण	934741=00
31	मड़ावरा में नहर से पुलिया तक नाली निर्माण	931479=00

32	मड़ावरा में मनोहर पंथ के पास वोरिंग, सोलर व टंकी	404897=00
33	ग्राम पटना मड़ावरा में सोलर पम्प व वोरिंग	404896=00
34	ग्राम कुरट से धौरी सागर की ओर सम्पर्क मार्ग	920772=00
35	सेमरा खेड़ा से टपरियन तक सम्पर्क मार्ग	886398=00
36	मड़ावरा में बाबासाहब के पास नाली निर्माण	324911=00
37	ग्राम धौरी सागर में किशनपुरा से जैतपुरा तक सम्पर्क मार्ग	807894=00
38	मड़ावरा में सुरेश पिठारिया तक सी.सी. रोड़	269667=00
39	ग्राम जलन्धर से सौरई तक सम्पर्क मार्ग	908877=00
40	मड़ावरा में धूमन के घर से खुटगुवां तक सी.सी. रोड़	379286=00
41	ग्राम रनगांव में भारत पेट्रोलियम से राजू जैन तक नाली निर्माण	868686=00
42	हंसेरा की पुलिया से बम्हौरी रोड़ तक सम्पर्क मार्ग	906378=00
महायोग		2,72,96,844=00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग योजना के अंतर्गत एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायतों में कराये गये निर्माण कार्यों में कुल धनराशि ₹0 2,72,96,844=00 व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य दो से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाने चाहिये थे। इस प्रकार शासनादेश संख्या 4/-866/33-2-14-93जी/2004 टी.सी. दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु श्री सुनील कुमार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री दीपेन्द्र पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख चन्द्रदीप रावत एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार पुरोहित व श्री सुरेन्द्र चन्द्र जैन जिम्मेदार हैं। उक्त के संबंध में विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 15

क्षेत्र पंचायत- बार विकास खण्ड: बार

प्रस्तर- 6

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होन वाली धनराशि के उपयोग के सन्दर्भ में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जिसके प्रस्तर- 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें तथा शासनादेश संख्या- 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमिक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। किन्तु उक्त शासनादेशों निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ही ग्राम तक सीमित थे जिनका विवरण निम्न है-

क्र.सं.	कराये गये कार्य का नाम व पूर्ण पता	शुद्ध धनराशि
1	ग्राम पाह में गोलू राजा के मकान से जामनी नदी तक डब्लू.बी.एम. रोड	980546=00
2	ग्राम बुरागांव में कल्लू पाल के घर से दुर्गापाल के घर तक नाली निर्माण	287795=00
3	ग्राम बुरागांव में बल्लू कुशवाहा के घर से सुखलाल के घर तक डब्लू.बी.एम. रोड	957288=00
4	ग्राम मरौली से म्याँव रोड की ओर सम्पर्क मार्ग मरम्मत एवं डब्लू.बी.एम. कार्य	928493=00
5	ग्राम कैलगुवां से ककरेला सम्पर्क मार्ग मरम्मत एवं डब्लू.बी.एम. कार्य	934313=00
6	वि० खण्ड कालोनी आवास सं०- 1 से 6 तक मरम्मत कार्य एवं टाइल्स कार्य	436689=00
7	वि० खण्ड कालोनी आवास सं०- 7 से 11 तक मरम्मत कार्य	267711=00
8	सामुदायिक विकास भवन का अनुरक्षण एवं सुन्दरीकरण	279912=00
9	बानपुर मार्ग से विकास खण्ड कार्यालय तक सम्पर्क मार्ग, वाउन्ड्रीवाल, मरम्मत, सुन्दरीकरण कार्य एवं शौचालय का पुनः निर्माण कार्य	317843=00
10	ग्राम बुरागांव में स्टेडियम के पास टौरिया पर मुक्ति धाम निर्माण	681486=00
11	ग्राम बिल्ला में मरिया मुहल्ला में जाने वाले रोड पर केशव के मकान के पास पुलिया निर्माण	181920=00
12	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सामने पेवर ब्रिक्स	602732=00
13	ग्राम बिलाटा सूरीकलां मार्ग पर पुलिया मरम्मत कार्य	52326=00
14	ग्राम उदयपुरा में उत्तम सिंह राजा के मकान से प्रा०वि० मुरली तक सॉलिंग गिट्टी कार्य	763083=00
15	ग्राम बुरागांव के विडया रोड से नत्थू कुशवाहा के घर तक सॉलिंग गिट्टी कार्य	655246=00
16	खण्ड विकास अधिकारी आवास में शौचालय निर्माण कार्य	87740=00

17	ग्राम वस्त्रावन में हीरा लाल के घर से रूपलाल के घर तक सी.सी. मरम्मत	460120=0
18	सामुदायिक भवन में विधुतीकरण	95605=00
19	ग्राम गदयाना में मेन रोड से लक्ष्मण अहिरवार के घर तक सी.सी. मरम्मत कार्य	390506=00
20	ग्राम बड़ोखरा में ब्रन्दावन यादव के घर से सहारिया वस्ती तक सोलिंग गिट्टी कार्य	581848=00
21	ग्राम सेमरा भगनगर में जानकी पाल के मकान से रोकश अहिरवार के घर तक सी.सी. मरम्मत कार्य	471563=00
22	ग्राम भेलोनीलोध में इन्द्रभान सिंह लोधी के घर से देवसिंह के घर तक सी.सी. मरम्मत कार्य	451796=0
23	ग्राम वस्त्रावन में रामदीन कुशवाहा के घर से शंकर जी मंदिर तक सी.सी. मरम्मत कार्य	184117=00
24	ग्राम गुगरवारा में मेनरोड़ से भैयन अहिरवार के घर तक सी.सी. मरम्मत	577426=00
25	ग्राम उदयपुरा में भेलोनी मार्ग से मुरली मोहल्ला तक सोलिंग गिट्टी कार्य	772457=00
26	ग्राम पुलवारा में भवीर सिंह के घर से घनश्याम रिछारिया के घर तक पेवर ब्रिक्स	404338=00
27	ग्राम टोड़ी में साधुसिंह के मकान से माते बाबा तक सी.सी. रोड मरम्मत	583371=00
28	ग्राम वस्त्रावन में मंदिर के पास पुलिया/रिपटा निर्माण	8793=00
29	ग्राम बुरागांव में मुक्तिधाम में पेवर ब्रिक्स एवं बैठने के लिये 6 बैठकें शीट एवं बार बानपुर रोड़ तक मार्ग निर्माण	617981=00
30	ग्राम दशरारा में टीन शैड मुक्तिधाम का निर्माण	148506=00
31	ग्राम बुरागांव में बार रोड से पांडे बाबा की ओर जानी वाली रास्ता पर प्रेवर ब्रिक्स एवं नाली निर्माण कार्य	208827=00
32	ग्राम सेमरावड़ा में नब्बू अहिरवार के मकान से संजीवनी अहिरवार के घर तक नाली निर्माण	234619=00
33	ग्राम उदयाटपरन में रमेश के घर से बाबूलाल के घर के आगे तक 70 मी0 नाली निर्माण	482600=00
34	ग्राम तुर्का में रहीश के घर से मदन बरार के घर तक पेवर ब्रिक्स	411591=00
35	ग्राम बानपुर में महरोनी रोड़ पर लिन्सी नाले पर पुलिया/रिपटा निर्माण	391011=00
36	बानपुर में बानपुर टीकमगढ़ रोड से हनुमान मंदिर की ओर जाने वाले रास्ता पर पुलिया निर्माण	180531=00
37	ग्राम बानपुर में उदयारोड़ पर हरप्रसाद शर्मा के मकान से संजय श्रीवास्तव के घर तक नाली निर्माण	860279=00
38	ग्राम गंगचारी में भागीरथ के घर से रक्षपाल के मकान तक 100 मी0 प्रेवर ब्रिक्स	449656=00
	महायोग	1,73,82,658=00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये जिसमें निम्नमानुसार कटौतियां की गई हैं इन निर्माण कार्यों में कुल कटौतियां 921283=00 एवं शुद्ध भुगतान रु0 16461375=00 था। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत एक ही ग्राम पंचायत में कराये निर्माण कार्यों में कुल धनराशि 16461375=00 व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित

करने के लिये कार्य कराये जाने चाहिये थे। इस प्रकार शासनादेश संख्या 4/866/33-2-14-93जी/2004 टी.सी. दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1- श्री अजय कुमार शर्मा, 2- श्री आलोक कुमार 3- श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सरिता रजक उत्तरदायी हैं। उक्त के संबंध में विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 08

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2020-21

जनपद का नाम: औरैया मण्डल : कानपुर

क्षेत्र पंचायत- अजीतमल

प्रस्तर-01 वर्ष:2020-21 ग्रांट रजिस्टर में सांसद निधि ब्याज में रुपये 550844.00 का व्यय दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय वाउचर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः प्रमाणक विहीन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 550844.00 में 50 प्रतिशत की धनराशि रुपये 275422.00 श्री अश्वनी कुमार सोनकर तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि 275422.00 लेखाकार- श्री महेन्द्र कुमार कुरील से ततारीख ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-19)

क्षेत्र पंचायत- एरवाकटरा

प्रस्तर-02 वर्ष:2020-21 ग्रांट रजिस्टर में मनरेगा प्रशासनिक मद में रुपये 759948.00 का व्यय दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय वाउचर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः प्रमाणक विहीन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 759948.00 में 50 प्रतिशत की धनराशि रुपये 379974.00 लेखाकार श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापति तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि 379974.00 खण्ड विकास अधिकारी, श्री करुणापति मिश्रा से ततारीख ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-19)

क्षेत्र पंचायत- अछल्दा

प्रस्तर-3 ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में संस्था के द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹0 11890189.25 व्यय किया गया जबकि प्राप्त अनुदान ₹0 32421422.00 रहा। यदि इस प्राप्त अनुदान में 01-04-2020 को प्रारम्भिक अवशेष ₹0 3822082.32 की धनराशि को मिला लिया जाए तो कुल ₹0 36243504.32 आय मद में प्राप्त हुए। इस प्रकार वित्त वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि का 33 प्रतिशत धनराशि ही व्यय की गयी अर्थात् 31-03-2021 को कुल उपलब्ध धनराशि का 67 प्रतिशत बचा ली गयी है उल्लेखनीय है कि शासन के द्वारा संस्था को अनुदान बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों पर उपभोग हेतु दिया जाता है जिसका उपभोग न होने की दशा में बाजार मूल्य के चढ़ाव से हानि होती है। साथ ही 67 प्रतिशत वर्षान्त अवशेष धनराशि विकास कार्यों के धीमी गति से सम्पादित होने की सूचक है। यह तथ्य इस बात का भी सूचक है कि अनुदान के उपभोग पर विकास खण्ड के प्रबंधक-खण्ड विकास अधिकारी का नियंत्रण ठीक नहीं रहा यह विकास कार्यों के प्रति उदासीनता का भी द्योतक है। जिस हेतु लेखाकार श्री अजय कुमार मिश्रा एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अश्वनी कुमार सोनकर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0 सं017)

प्रस्तर-4 वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा कन्टीन्जेंसी मद से ₹0 156348.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक एवं अन्य सापेक्ष अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्ट धनराशि अपहरण है। अतः अपुष्ट एवं गबन की गई धनराशि ₹0 156348.00 की वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अश्वनी कुमार सोनकर तथा लेखाकार श्री अजय कुमार मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ0 सं018)

प्रस्तर-5 वर्ष:2020-21 में ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार संस्था के द्वारा राज्य वित्त मद से निम्नानुसार माँ वैष्णो फर्नीचर दिवियापुर को फर्नीचर क्रय हेतु भुगतान दर्शाया है।

1.दि017.03.2021 को चैक न0 28584 द्वारा रु 49800.00 भुगतान दर्शित है ,
2.दि017.03.2021 को चैक न0 28588 द्वारा रु 49700.00 भुगतान दर्शित है , 3.दि017.03.2021 को चैक न0 28590 द्वारा रु 49600.00 भुगतान दर्शित है , 4.दि017.03.2021 को चैक न0 28593 द्वारा रु 48900.00 भुगतान दर्शित है , इस प्रकार कुल रु0 198000.00 के व्यय को एक ही दि0 में 4 चैक द्वारा एक ही फर्म को विना विभागीय स्वीकृति के किया जाना गंभीर अनियमितता है। साथ ही उक्त फर्नीचर क्रय का प्रमाणक एवं स्टॉक बुक आदि अन्य सापेक्ष अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्ट धनराशि अपहरण है। अतः अपुष्ट एवं गबन की गई धनराशि रु0 198000.00 की वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री अश्वनी कुमार सोनकर तथा लेखाकार श्री अजय कुमार मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है। (मूल आ0 सं019)

प्रस्तर-6 वर्ष:2020-21 में ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार संस्था के द्वारा राज्य वित्त मद से निम्नानुसार क्षेत्र पंचायत कार्यालय मरम्मत हेतु ग्रीनफील्ड क0 को निम्न भुगतान दर्शाया है।
1.दि011.06.20 को चैक न0 14399 द्वारा रु 232319.00 , 2.दि030.06.20 को चैक न0 14419 द्वारा रु 76775.00 ,
3.दि003.10.20 को चैक न0 14421 द्वारा रु 251165.00 , 4.दि014.10.20 को चैक न0 14423 द्वारा रु 183759.00 , 5. दि021.12.20 को चैक न0 14425 द्वारा रु 68600.00 , 6. दि0 04.01.21 को चैक न0 14426 द्वारा रु 69061.00 , 7. दि015.03.21 को चैक न0210495 द्वारा रु 145702.00 , 8.दि016.03.21 को चैक न0 33209 द्वारा रु 107904.00 भुगतान दर्शित है। इस प्रकार कुल रु0 1135285.00 के व्यय को विना विभागीय स्वीकृति के किया जाना गंभीर अनियमितता है। उक्त कार्य रु0 10 लाख से अधिक के हैं। जिसकी स्वीकृति शासन स्तर से नहीं ली गयी है। स्वीकृति के अभाव में किया गया व्यय अनियमित है। जिस हेतु लेखाकार श्री अजय कुमार मिश्रा एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अश्वनी कुमार सोनकर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आ0 सं020)

क्षेत्रपंचायत-विघूना

प्रस्तर-7 वित्त वर्ष :2020-21 में संस्था के द्वारा राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त से करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों की आगणित धनराशि प्राक्कलन मूल्य के अनुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य वास्तविक से कम निर्धारित कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स मैनुअल. 2016 वित्त पथ. 2016/2022 के अनुसार निविदा प्रपत्र ;टेंडर फॉर्म का मूल्य निविदा सामग्री की धनराशि मूल्य का 0.2 प्रतिशत होगा जबकि टेंडर विज्ञप्ति में प्रत्येक कार्य प्रत्येक सामग्री की आपूर्ति हेतु एक समान रूप 500 निविदा प्रपत्र का मूल्य रखा गया है इस प्रकार अधिक आगणित धनराशि वाले कार्यों के टेंडरों में भी कम मूल्य पर टेंडर फॉर्म की बिक्री कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है , सूची में उल्लिखित 38 कार्य हेतु तुलनात्मक विवरण चार्ट के अनुसार 3-3 फर्मों ने निविदा फॉर्म क्रय किए थे जिनसे कुल रूप 57000 प्राप्त हुए होंगे किंतु आगणित धनराशि/प्राक्कलन मूल्य के अनुसार वास्तविक निविदा मूल्यों का योग रूप 33665 होता है। इस प्रकार कुल रूप 100995 का राजस्व निविदा फॉर्म बिक्री से आना था जिसमें रूप 43995 के राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं.अतः निविदा फॉर्म बिक्री में हुई राजस्व की क्षति रूप 43995 की प्रतिपूर्ति संबंधित फर्मों से न हो पाने की स्थिति में इसकी वसूली लेखाकार श्री राजेंद्र कुमार प्रजापति से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ0सं017)

प्रस्तर-8 वित्त वर्ष :2020-21 में संस्था के द्वारा राज्य वित्त से करवाये जाने वाले 4 कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यों पर हुये व्यय रु 2604540.00 को ग्रांट रजि0.2 में दर्शाया गया है। किंतु

लेखा परीक्षा के दौरान बार बार मांगने के बावजूद कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे प्रतीत होता है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। उक्त अपहरण हेतु तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी-खण्ड विकास अधिकारी-श्री सौरभ श्रीवास्तव व ब्लॉक प्रमुख-श्री कौशलेन्द्र सिंह को उत्तरदायी मानते हुए उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 व उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ;बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली-1965 के तहत वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ०सं०18)

प्रारूप-3

मण्डल- कानपुर

मण्डल कानपुर

जिला - इटावा।

क्षेत्र पंचायत- महेवा 2020-21

प्रस्तर- 1 आलोच्य वर्ष 2020-2021 में मनरेगा के अन्तर्गत निम्नलिखित आंगनवाडी केन्द्रों के निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जिनके बिलों में जी०एस०टी० जोड़ कर बिल प्रस्तुत किये गये हैं किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा बिलों के भुगतान से पूर्व जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

कार्य का नाम	बिल की धनराशि	जी०एस०टी० कटौती जो की जानी थी
01. आंगनवाडी केन्द्र बहेडा	रु० 199160=00	3983=00
02. आंगनवाडी केन्द्र बहेडा	रु० 93523=00	1870=00
03. आंगनवाडी केन्द्र उझियानी	रु० 95666=00	1913=00
04. आंगनवाडी केन्द्र बिधीपुर	रु० 95666=00	1913=00
05. आंगनवाडी केन्द्र नसीदीपुर	रु० 95666=00	1913=00
06. आंगनवाडी केन्द्र चन्द्रपुरा	रु० 93523=00	1870=00
07. आंगनवाडी केन्द्र वीरपुर सलेमपुर	रु० 93523=00	1870=00

15332=00

उक्त से स्पष्ट है कि भुगतान किये गये वाउचरों पर जी०एस०टी० रु० 15,332=00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 15,332=00 की वसूली श्री सतीश चन्द्र पाण्डे, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सरद चन्द्र तिवारी, लेखाकार/सम्बन्धित सहायक लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 चैक सं० 439532 दिनांक 22.03.2021 द्वारा रु० 74,764=00 का भुगतान किया गया है उक्त भुगतान आंगनवाडी केन्द्र व्यासपुर व कुडरिया आंगनवाली केन्द्र निर्माण का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है उक्त किये गये भुगतान से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। जिससे किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। अतः किये गये भुगतान रु० 74,764=00 की वसूली श्री सतीश चन्द्र पाण्डे,

आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सरद चन्द्र तिवारी, लेखाकार/सम्बन्धित सहायक लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त आयोग मद से क्रय सामग्री प्रमाणको एवं टेण्डर प्राप्तकर्ता (ठेकेदार) को भुगतान रु0 1,44,86,223=00 का किया गया है जिस पर जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गई है। जबकि भुगतान की गयी धनराशि पर 2.00 प्रतिशत की दर से रु0 2,89,724=00 की कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार जी0एस0टी0 रु0 2,89,724=00 की कटौती नहीं की गई है। जिससे जी0एस0टी0 रु0 2,89,724=00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 2,89,724=00 की वसूली श्री सतीश चन्द्र पाण्डे, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सरद चन्द्र तिवारी, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष 2020-2021 में विधायक निधि मद से क्रय सामग्री प्रमाणको एवं टेण्डर प्राप्तकर्ता (ठेकेदार) को भुगतान रु0 8,06,850=00 का किया गया है जिस पर जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गई है। जबकि भुगतान की गयी धनराशि पर 2.00 प्रतिशत की दर से रु0 16,137=00 की कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार जी0एस0टी0 रु0 16,137=00 की कटौती नहीं की गई है। जिससे जी0एस0टी0 रु0 16,137=00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 16,137=00 की वसूली श्री सतीश चन्द्र पाण्डे, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सरद चन्द्र तिवारी, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

जिला - इटावा। मण्डल- कानपुर क्षेत्र पंचायत- बसरेहर 2020-21

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम 2009 जो फरवरी 2009 से उ0प्र0 में लागू हैं के नियम4/3 के अनुसार ठेकेदार के बिज से कार्य कुल लागत का एक प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकार (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत उपकार की प्राप्ति को शासनादेश सं-521/36-2-2010 25/एस.एस/95 दिनांक 26.03.2010 में निर्गत निदेशनुसार उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, में जमा किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती की गयी किन्तु लेबर सेस की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसका विवरण निम्न है-

क्रम	मद का नाम	निर्माण कार्य की धनराशि	लेबर सेस एक प्रतिशत
1	राज्यवित्त/पंचम वित्त	15154518.00	151545.18
2	टाइड एवं अनटाइड खण्ड	5322115.00	53221.15
3	विधायक निधि	2356539.00	23565.39

	योग	228333172.00	228331.72

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर लेबर सेस मु0 228331.72 की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाकर गम्भीर अनियमिता की गयी है। जिसके लिये लेखाकार श्री मु0 हाशिम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री उमाकान्त त्रिपाठी उत्तरदायी रहे। उक्त राजकीय राजस्व की क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

मण्डल- कानपुर मण्डल कानपुर

जिला - इटावा।

क्षेत्र पंचायत- बढपुरा 2017-18 से 2019-20

प्रस्तर-6 वर्ष 2018-19 में सामग्री प्रमाणकों के अनुसार भुगतान के समय अंकन सं0257711.00 की आयकर कटौती की गई आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0111711159.00 की दर्शित है जिस पर 2.24 की दर से रु0 262330.00 आयकर इस प्रकार रु 04619.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूल के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है । साथ ही काटे गये आयकर अंकन रु0 257711.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस कारण उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।

जिला - इटावा।

क्षेत्र पंचायत- सैफई 2020-21

प्रस्तर-7 क्षेत्र पंचायत सैफई जनपद- इटावा की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में अपहरण के गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं । जिसके संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है आलोच्य वर्ष में सांसद निधि से ग्राम पंचायत झंगूपुर में शौकीन के घर से बम्बा की पुलिया वाया शिवराम के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य में लेखा परीक्षा के दौरान रु0135473.00 का व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध पाया गया । अतः उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है -

क्र०सं०	आपति संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद	आपति का संक्षिप्त विवरण	संनिहित धनराशि		
				अपहरण	दुरुउपयोग	गम्भीर अनियमिता
1	09	श्री बी०एस० यादव (वी०डी०ओ०)	व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध पाया जाना	677336.50	निल	निल
2		श्री शैलेन्द्र सिंह (लेखाकार)	व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध पाया जाना	677336.50	निल	निल
	योग			135473.00	निल	निल

प्रस्तर-8 कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस)की कटौती न किया जाना

30 प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारी (रोजगार एवं सेवा शर्ते विनियम) नियम 2009 के नियम संख्या 4 (3) के अनुसार, “ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागात का 01 प्रतिशत धनराशि लेबर सेस के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों के लेबर सेस के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए । प्राविधानिक कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दषा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जायेगा ” । संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल ₹022331330.00 के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त आयोग से ₹0 17716857.00, पन्द्रवे वित्त आयोग से ₹02980000.00 विधायक निधि से ₹0149900.00 तथा सांसद निधि से ₹0 135473.00) निर्माण कार्य कराये गये हैं । किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागात का एक प्रतिशत राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है, जिसकी वसूली निम्न विवरणानुसार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना आवश्यक है ।

क्र०सं०	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद	पद नाम	संनिहित धनराशि		
				अपहरण	दुरुउपयोग	गम्भीर अनियमिता
1	09	श्री बी०एस० यादव	खण्ड विकास अधिकारी	-	निल	111656.50
2		श्री शैलेन्द्र सिंह	लेखाकार	-	निल	111656.50
	योग			-	निल	223313.00

प्रारूप -3

जनपद - फर्रुखाबाद

मण्डल-कानपुर

क्षेत्र पंचायत- कायमगंज

वर्ष-2020-21

प्रस्तर-1 दि० 31.03.2021 को अनुदान रजिस्टर तृतीय में दर्शित अवशेष तथा बैंक खातों में दर्शित अवशेष में ₹0 279330.00 का अन्तर रहा जिसका कारण निम्नांकित गैरभुनी चेकें रही । ये समस्त चेकें कालातीत हो गई हैं। अतः इनका रिवर्स लेखा पारित करते हुए पुष्टि उपरान्त अभिलेखों में आवश्यक सुधार किया जाना अपेक्षित रहा परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस आर्थिक अनियमितता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय ,श्री विजय कुमार एवं श्री राहुल उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

कालातीत चेकों का विवरण निम्नलिखित है-

क्र.स.	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि(₹0)
1	चेक सं30626 0	24.05.2018	7000.00
2	चेक सं033875 0	06.11.2018	4330.00
3	चेक सं001684 0	08.02.2019	20000.00
4	चेक सं001686 0	20.02.2019	20000.00
5	चेक सं001687 0	20.02.2019	105000.00
6	चेक सं33202 0	30.03.2019	20000.00
7	चेक सं33204 0	31.05.2019	40000.00
8	चेक सं30654 0	15.06.2019	35500.00
9	चेक सं37660 0	31.08.2019	20000.00
10	चेक सं37661 0	31.08.2019	7500.00
		योग	279330.00

(मूल आपति सं०-16)

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष में विभिन्न माह में की गई टी.डी. एस कटौती रुपये 433073.00 को निर्धारित शीर्ष में जमा न कर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है। टी.डी. एस कटौती वस्तुतः राजस्व का एक स्रोत है, अतः आर्थिक अनियमितता हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय ,श्री विजय कुमार एवं श्री राहुल उत्तरदायी हैं। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति सं०-17)

प्रस्तर-3 दिनांक 31.03.2021 को विभिन्न सरकारी योजनाओं /मदों जैसे राज्य वित्त आयोग में ₹-5426089.50 , विधायक निधि में ₹0-328805.00, तकनीकी व प्रशासनिक मद में ₹0-1429010.00 , क्षेत्र निधि केन्द्रीय वित्त में ₹0 -12733068.00 (कुल ₹0 19916972.50) अवशेष दर्शित होने के कारण स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान का शत प्रतिशत उपभोग न करने से क्षेत्र पंचायत को विकास कार्य का पूर्ण लाभ न मिल सका जोकि अपेक्षित

रहा। आलोच्य वर्ष में अनुदान के शत प्रतिशत उपभोग न किये जाने से हुई आर्थिक अनियमितता हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय ,श्री विजय कुमार एवं श्री राहुल राय उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0--18)**

प्रस्तर-4 क्षेत्र पंचायत कायमगंज में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत कार्य ग्राम पंचायत -पितौरा के उप संभागीय कृषि कार्यालय की बड़ड़ी वाल निर्माण संबन्धी कार्य वर्ष 2020-21 की प्रस्तावित कार्य योजना जो कि दिनांक 19.05.2020 को अनुमोदित हुई के क्रमांक 04 पर अंकित है। इस संबन्ध में प्राप्त निविदाओं के तुलनात्मक विवरण के पश्चात मेसर्स हरेन्द्र सिंह कांट्रेक्टर , कम्पिल , जनपद-फर्रुखाबाद की निविदा स्वीकृत हुई। उक्त निविदा कर्ता के बिल संख्या 005 दिनांकित 03.06.2020 द्वारा धनराशि रु0 398435.00 की सामग्री की आपूर्ति की गई। बिल में अंकित टी.डी.एस कटौती की धनराशि रु0 8228.00 है जबकि नियमानुसार यह धनराशि रु0 9005 .00 (सामग्री का 2.26 प्रतिशत) होनी चाहिए। टी.डी. एस. कटौती वस्तुतः राजकीय राजस्व का हिस्सा है, अतः अन्तर की धनराशि रु0 777.00 अधिभार योग्य है। इस आर्थिक अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0--19(ii))**

प्रस्तर-5 क्षेत्र पंचायत कायमगंज में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत कार्य ग्राम पंचायत -लुधैया के नगरिया प्राथमिक विद्यालय से दयाराम व जदूनाथ के घर तक दिनांक 08.07.2020 एवं 07.08.2020 के बीच काराये गयेमिट्टी खड्गजा निर्माण कार्य संबन्धी संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्य प्रभारी को किये कुल भुगतान में से धनराशि रुपये 94470.00 अधिभार योग्य है क्योंकि यह धनराशि कुल 17 मजदूरों के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा कराकर निर्गत करा ली गई है। अतः यह अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली कार्य प्रभारी श्री कपिलदेव त्रिपाठी से की जानी चाहिए। **(मूल आपति सं0--20(iv))**

प्रस्तर-6 उक्त कार्य हेतु मेसर्स नरेन्द्र सिंह कैट्रेक्टर , चिलौली , कायमगंज के बिल संख्या 015 दिनांकित 03.06.2020 द्वारा धनराशि रु0 544320.00 की सामग्री की आपूर्ति की गई। बिल में अंकित टी.डी.एस कटौती की धनराशि रु0 11715.00 है जबकि नियमानुसार यह धनराशि रु0 12302 .00 (सामग्री का 2.26 प्रतिशत) होनी चाहिए। अतः अन्तर की धनराशि रु0 587.00 अधिभार योग्य है। इस आर्थिक अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0--20(v))**

प्रस्तर-7 क्षेत्र पंचायत कायमगंज में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत कार्य ग्राम पंचायत -लुधैया के मजरा कायमपुर डामर रोड़ तिराहे से अंसार खां की जगह तक निर्माण कार्य कराने हेतु समग्री आपूर्तिकर्ता मेसर्स नरेन्द्र सिंह कांट्रेक्टर , चिलौली , कायमगंज के बिल संख्या 022 दिनांकित 02.08.2020 द्वारा धनराशि रु0 314855.00 की सामग्री की आपूर्ति की गई। बिल में अंकित टी.डी.एस कटौती की धनराशि रु0 6404.00 है जबकि नियमानुसार यह धनराशि रु0 7116.00 (सामग्री का 2.26 प्रतिशत) होनी चाहिए। अतः अन्तर की धनराशि रु0 712.00 अधिभार योग्य है। इस आर्थिक अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0--21(iv))**

क्षेत्र पंचायत-बढ़पुर

वर्ष 2020-21

प्रस्तर-8 -दिनांक 31.03.2021 को निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुदान शेष दर्शाया गया:-

क्र०स०	योजना का नाम	31.03.2021 को अवशेष धनराशि
1	राज्य वित्त योजना	8614025.90
2	तेरहवा/चैदहवा वित्त आयोग अनुदान योजना	26652.00
3.	पन्द्रहवा वित्त आयोग अनुदान योजना	16338215.00
	योग:-	24978892.90

ज्ञातव्य है कि राज्य वित्त आयोग अनुदान एवं तेरहवां/चैदहवां वित्त आयोग अनुदान योजना एवं पन्द्रहवा वित्त आयोग अनुदान योजना की धनराशियों का आवंटन क्षेत्र पंचायत के परिक्षेत्र में विकास कार्यों को कराने, राजकीय सम्पत्तियों के सृजन करने व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु किया जाता है। किन्तु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती भावना यादव एवं श्री भारत प्रसाद (डी०पी०ओ०) तत्कालीन लेखाकार श्री यशवीर सिंह द्वारा अनुदान का समय से उपभोग न कर राष्ट्र निर्माण में अपेक्षित दायित्वो का निर्वहन नहीं किया गया है। जो अपेक्षित था। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-15)

प्रस्तर-9 -वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत-मीरपुर में अमर सिंह के घर से कमलेश के घर तक पेवर ब्रिक सडक निर्माण कार्य कार्य प्रभारी श्री प्रमोद शुक्ला को नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रु०-718097.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर रु०-173446.00 कुल रु०-891543.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपतियाँ पाई गयी-

- (1)ग्राम पंचायत -में पेवर ब्रिक सडक निर्माण कराने हेतु ग्राम पंचायत -से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
- (2)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरों के निशान अंगूठा प्रथम दृष्टया एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये सभी उगलियों के निशान प्रतीत होते हैं एवं हस्ताक्षर भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं।
- (3)उक्त आपूर्तिकर्ता फर्म से प्राप्त धरोहर की धनराशि रु०-13167=00 से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
- (4)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाना (दर्शित उपस्थिति के अनुसार) दर्शित है। जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान रु०-149030.00 दिनांक 11.12.2020 सी-032135155570 को ऑन लाइन पेमेंट द्वारा कार्य प्रभारी श्री राजीव सुमन ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। जबकि श्री सुमन के कार्य प्रभारी नियुक्त किये जाने सम्बन्धित आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के होते हैं। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अन्तर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खाते के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।
- (5)निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (6)उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

- (7) उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य ₹0-1000/- की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी। जो अपेक्षित थी।
- (8) उक्त पत्रावली में ₹0-100/- मूल्य का स्टाम्प पेपर सादा लगा हुआ पाया गया। स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध की शर्तें लिखी ही नहीं गयी। जो अपेक्षित थी।
- (9) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों में दर्शित श्रमिकों की जॉब कार्ड संख्या अंकित नहीं की गयी है। जो अपेक्षित रही।
- (10) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित नहीं है। मस्टर रोल पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित किया जाना अपेक्षित रहा।
- (11) कार्य प्रभारी श्री राजीव सुमन को मस्टर रोलों पर दर्शित मजदूरी का भुगतान ₹0-149030.00 एवं ट्रैक्टर से मिटटी ढुलाई का भुगतान ₹0-24416.00 कुल ₹0-173446.00 दिनांक 11.12.2020 को ऑन लाइन संख्या-सी-122013104984 द्वारा किया गया। किन्तु पत्रावली में संलग्न मिटटी पुराई बाऊचर पर श्री सर्वेश पुत्र श्री रामनाथ द्वारा मिटटी ढुलाई का ₹0-24416.00 दिनांक 14.11.2020 को प्राप्त कर हस्ताक्षरित किया गया। इस प्रकार कार्य प्रभारी श्री राजीव सुमन को उक्त मद का ऑन लाइन पेमेंट दिनांक 11.12.2020 को किया गया है। तो दिनांक 14.11.2020 को श्री सर्वेश ट्रैक्टर मालिक द्वारा किस आधार पर दिनांक 14.11.2020 को कार्य प्रभारी श्री राजीव सुमन से ₹0-24416.00 नकद प्राप्त किया गया। जबकि कार्य प्रभारी के पास उक्त तिथि को मिटटी भराई भुगतान हेतु रुपये थे ही नहीं। उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि पेवर ब्रिक सड़क निर्माण कार्य पर सामग्री पर ₹0-718097.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-173446.00 कुल ₹0-891543.00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भारत प्रसाद (डी0पी0ओ0) एवं तत्कालीन लेखाकार श्री यशवीर सिंह एवं अवर अभियन्ता श्री राजेश बाबू रमन संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-16)

प्रस्तर-10 वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम-ग्राम लखमीपुर तालाब के किनारे दीवार निर्माण कार्य कार्य प्रभारी श्री राजीव सुमन को नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-505382.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-78740.00 कुल ₹0-584122.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपतियाँ पाई गयी-

- (1) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरों के निशान अंगूठा प्रथम दृष्टया एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये सभी उगलियों के निशान प्रतीत होते हैं एवं हस्ताक्षर भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं।
- (2) उक्त आपूर्तिकर्ता फर्म से प्राप्त धरोहर की धनराशि ₹0-11566=00 से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
- (3) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाना (दर्शित उपस्थिति के अनुसार) दर्शित है। जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान ₹0-78740.00 दिनांक 26.03.2021 क्रमशः सी-022128485637 को ऑन लाइन पेमेंट द्वारा कार्य प्रभारी श्री राजीव सुमन ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के होते हैं। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अर्जित जॉब कार्ड बना हुआ है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।
- (4) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (5) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (6) उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य ₹0-1000/- की रसीद पत्रावली में अनुपलब्ध रही है। जो अपेक्षित है।

(7) उक्त पत्रावली में 100/- मूल्य का स्टाम्प पेपर (अनुबन्ध हेतु) संख्या-एफ0टी0-300404 सादा लगा हुआ पाया गया। उक्त में अनुबन्ध की शर्तें लिखी ही नहीं गयीं। जो अपेक्षित रही।

(8) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो में दर्शित श्रमिकों की जॉब कार्ड संख्या अंकित नहीं की गयी है। जो अपेक्षित रही।

(9) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित नहीं है। मस्टर रोलो पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि पेवर बिक्र सड़क निर्माण कार्य पर समाग्री पर ₹0-505382.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-78740.00 कुल ₹0-584122.00 का भुगतान किया गया है जो अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भारत प्रसाद (डी0पी0ओ0) एवं तत्कालीन लेखाकार श्री यशवीर सिंह एवं श्री राजेश बाबू रमन अवर अभियन्ता से संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (मूल आपति संख्या-

17)

प्रस्तर-11 वर्ष 2020-21 में निम्नांकित विवरण के अनुसार के0पी0 फिलिंग स्टेशन डीलर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 बेवर रोड सेन्ट्रल जेल रोड चैराहा फतेहगढ़ फर्रुखाबाद की व्यय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पर्ची के अनुसार गाड़ी संख्या-यू0पी0-76 जी-0312 में डीजल डलवाने हेतु व्यय दर्शाया गया है:

क्र0स0	तिथि	रसीद संख्या	डीजल की मात्रा	दर	कीमत
1	26.03.2020	933	40 लीटर	63.25	2530.00
2	02.04.2020	934	40 लीटर	63.25	2530.00
3	06.04.2020	1000	40 लीटर	63.25	2530.00
4	10.08.2020	952	50 लीटर	74.21	3710.00
5	02.07.2020	948	35 लीटर	72.93	2552.55
6	08.07.2020	949	50 लीटर	73.14	3657.00
7	20.07.2020	950	50 लीटर	73.77	3688.50
8	27.07.2020	951	50 लीटर	74.14	3707.00
9	14.04.2020	935	40 लीटर	63.25	2530.00
10	20.04.2020	936	40 लीटर	63.25	2530.00
11	21.04.2020	937	40 लीटर	63.25	2530.00
12	30.04.2020	938	20 लीटर	63.25	1265.00
13	04.05.2020	939	40 लीटर	63.25	2530.00
14	11.05.2020	940	40 लीटर	64.26	2570.40
15	16.05.2020	941	40 लीटर	64.26	2570.40

16	20.05.2020	942	40 लीटर	64.26	2570.40
17	29.05.2020	943	40 लीटर	64.26	2570.40
18	06.06.2020	944	20 लीटर	65.62	1312.40
19	11.06.2020	945	40 लीटर	66.43	2657.20
20	23.06.2020	946	40 लीटर	71.95	2878.00
21	27.06.2020	947	36 लीटर	73.93	2625.48
	योग:-	-	-	-	56044.58

उपरोक्त दर्शित डीजल खरीद की धनराशि रु0-56045.00 का भुगतान मनरेगा प्रासंगिक मद से निम्नांकित विवरण के अनुसार किया गया है:-

क्र0स0	तिथि	बिल संख्या	चेक संख्या/ चेक की तिथि	बिल की धनराशि
1	06.4.2020	2045	086160/14.04.2020	7590.00
2	31.08.2020	460	086171/14.09.2020	3710.00
3	31.07.2020	307	086171/14.09.2020	13605.00
4	30.04.2020	72	086171/14.09.2020	8855.00
5	31.05.2020	167	086171/14.09.2020	12812.00
6	30.06.2020	221	086171/14.09.2020	9473.00
	योग:-	-	-	56045=00

इस प्रकार उपरोक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में टाटा सूमों गाड़ी संख्या-यू0पी0-76-जी-0312 की लॉगबुक लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जो अपेक्षित रही। साथ यह भी उल्लेखनीय है कि लॉगबुक अप्राप्त रहने से यात्रा का उद्देश्य एवं यात्रा किसके द्वारा की गयी है। आदि की स्थिति अस्पष्ट रही।

इस प्रकार रु0-56045=00 से सम्बन्धित भुगतान अनियमित रहा, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपति संख्या-18)

प्रस्तर-12 -क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में निम्नांकित विवरण के अनुसार मै0 कटियार कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स ग्राम-निनौना पो0-सेन्ट्रल जेल जनपद-फर्रुखाबाद को निर्माण सामग्री के विरुद्ध रु0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है, किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्शन-51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है।

क्र०स०	कार्य का नाम	सामग्रकी कीमत	सामग्रकी की कीमत पर जोड़ी गयी जी०एस०टी० की धनराशि	बिल की कुल धनराशि	2 प्रतिशत जी०एस०टी० कटौती की धनराशि जो सामग्रकी कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी	सामग्रकी आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम
1	कीरतपुर में राम कुमार के खेत से जनार्दन के खेत तक मिट्टी खंरजा निर्माण कार्य।	573238.00	28662.00	601900.00	11465.00	मै० कटियार कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स ग्राम-निनौना पो०-सेन्ट्रल जेल जनपद-फर्रुखाबाद
2.	ग्राम पंचायत-मीरपुर में अमर सिंह के घर से कमलेश के घर तक पेवर बिक्र सडक निर्माण कार्य	641158.00	76939.00	718097.00	12823.00	
3..	रम्पुरा सरूपक मार्ग से ओम प्रकाश के खेत तक पेवर बिक्र इण्टर लाँकिंग कार्य	697503.00	106761.00	804264.00	13950.00	
4.	बुढनामऊ सरूपक मार्ग से रम्पुरा सरूपक मार्ग तक पेवर बिक्र इण्टर लाँकिंग काय	540059.00	85046.00	625105.00	10801.00	
5.	ग्राम पंचायत-लखमीपुर में इकरार के खेतसे रवीश के खेत तक मिट्टी खंरजा निर्माण कार्य	565600.00	28279.00	593879.00	11312.00	
6	ग्राम पंचायत-ग्राम रम्पुरा सरूपक मार्ग से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	385313.00	34914.00	420277.00	7706.00	
7	ग्राम-रम्पुरा में मंदिर से भजन लाल के खेत	686434.00	104813.00	791247.00	13729.00	

	तक पेवर विक्र इण्टर लाँकिंग निर्माण कार्य					
8	ग्राम-लखमीपुर तालाब के किनारे दीवार निर्माण कार्य	464266.00	41116.00	505382.00	9285.00	
क्रमांक01 से 08 तक का योग:-					91071.00	

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार रु0- 91071.00 की जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भारत प्रसाद (डी0पी0ओ0) एवं तत्कालीन लेखाकार श्री यशवीर सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-21)

क्षेत्र पंचायत-कमालगंज

वर्ष 2020-21

प्रस्तर-13 वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि केन्द्रीय वित्त योजना की मद से निम्न विवरणानुसार कराए गए कार्यों में ठेकेदार मैसर्स पेररणा बिल्डर्स, कमालगंज द्वारा प्रस्तुत सामग्री आपूर्ति के बिलों पर जी0एस0टी0 की धारा 51 के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती नहीं की गयी है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	बिल की धनराशि (जी0एस0टी0 रहित)	बिल सं0/दिनांक	टी0डी0एस0 जो नहीं काटा गया है
1	सिंधौली में रनवीर के घर से आनन्दू के घर की तरफ सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	221755.00 168670.00	81/10.01.2021 100/11.02.2021	4435.00 3373.00
2	खुदागंज के मजरा कनकौली में सम्पर्क मार्ग पर खडण्जा निर्माण कार्य	224000.00 78500.00	75/10.01.2021 95/10.02.2021	4480.00 1570.00
3	ग्राम पंतौजा में माजिद के घर से साजिद के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	140285.00	78/10.01.2021	2806.00
4	ग्राम बहोरन टप्पा हवेली में मकू नगला में मेन रोड से निवल प्रताप के घर की तरफ सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	446309.00 182869.00	82/03.01.2021 98/11.02.2021	8926.00 3657.00
5	ईशापुर में मेन रोड से जलील के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य	178547.00 88622.00	74/10.01.2021 94/10.02.2021	3571.00 1772.00

6	निनौरा श्रृंखलापुर में असलम के घर से पूमावि की तरफ सीसी रोड निर्माण कार्य	358630.00 108458.50	80/10.01.2021 01/26.02.2021	7173.00 2169.00
7	ग्राम शर्फाबाद में भंगडी के घर से आरिफ की घर की तरफ सीसी व नाली निर्माण कार्य	316494.00 220258.00	10.01.2021 03.03.2021	6330.00 4405.00
8	बहोरा के मजरा छिछौना में मेन रोड से गैस गोदाम की तरफ खंडजा निर्माण कार्य	108000.00 53800.00	73/10.01.2021 97/11.02.2021	2160.00 1072.00
9	ग्राम मोहनपुर दीनारपुर में जहानगंज रोड की तरफ खंडजा निर्माण कार्य	106400.00 44900.00	76/10.01.2021 96/11.02.2021	2128.00 898.00
10	ग्राम लउवा नगला मानपट्टी में नत्थू बाल्मिकी के घर से सुरेश मास्टर के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य	358331.00 82059.50	79/03.01.2021 93/10.02.2021	7167.00 1641.00
योग				69733.00

अतः उपरोक्त विवरणानुसार कुल ₹0-69733.00 की टीडीएस (जीएसटी) की कटौती नियमानुसार नहीं कर अनियमितता की गयी जिसके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री शिवकिशोर रावत उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूआस-8)

प्रस्तर-14 -सिंधौली में रनवीर के घर से आनन्दू के घर की तरफ सीसी व नाली निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) कार्य की अनुमानित लागत ₹0-5.28 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक हैं

(2) खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज, फर्रुखाबाद के द्वारा जारी नियम एवं शर्तों पर न तो बीडीओ के हस्ताक्षर हैं न ही निविदादाता के हस्ताक्षर हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित

निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(3) श्री अवधेश बाथम ग्राम पंचायत -अधिकारी को कार्यप्रभारी नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(4) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स प्रेरणा बिल्डर्स, शास्त्री नगर कमालगंज की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0टी0-286040 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1)के परिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3)के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(5) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अवधेश बाथम (ग्रा0वि0अ0)को ₹0-74688.00 का भुगतान किया गया है। चूंकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी।

(6) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज के पत्रांक-3575/लेखा-च0राज्य वित्त/के0वित्त/टेण्डर प्रकाशन/2019-20 दिनांक 07.12.2020 द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के अनुसार जमानत धनराशि ₹0-8000.00 है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-517409.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (मू0आ0सं0-9)

प्रस्तर-15खुदागंज के मजरा कनकौली में सम्पर्क मार्ग पर खडण्जा निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज, फर्रुखाबाद के द्वारा जारी नियम एवं शर्तों पर न तो बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर हैं न ही निविदादाता के हस्ताक्षर हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(2) श्री अवधेश बाथम ग्राम पंचायत -अधिकारी को कार्यप्रभारी नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(3) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स प्रेरणा बिल्डर्स, शास्त्री नगर कमागंज की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0टी0-286035 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1)के

परिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3)के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(4) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अवधेश बाथम (ग्रा0वि0अ0)को रु0-106751.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी।

(5) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज के पत्रांक-3575/लेखा-च0राज्य वित्त/के0वित्त/टेण्डर प्रकाशन/2019-20 दिनांक 07.12.2020 द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के अनुसार जमानत धनराशि रु0-7000.00 है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रु0-462795.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (मू0आ0सं0-10)

प्रस्तर-16 -ग्राम पंतौजा में माजिद के घर से साजिद के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज, फर्रुखाबाद के द्वारा जारी नियम एवं शर्तों पर न तो बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर हैं न ही निविदादाता के हस्ताक्षर हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(2) श्री अवधेश बाथम ग्राम पंचायत -अधिकारी को कार्यप्रभारी नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(3) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स प्रेरणा बिल्डर्स, शास्त्री नगर कमागंज की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न रु0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0टी0-286039पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1)के परिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3)के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(4) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अवधेश बाथम (ग्रा0वि0अ0)को रु0-46992.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी।

(5) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज के पत्रांक-3575/लेखा-च0राज्य वित्त/के0वित्त/टेण्डर प्रकाशन/2019-20 दिनांक 07.12.2020 द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के अनुसार

जमानत धनराशि ₹0-4500.00 है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-305354.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी हैं।

अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (मू0आ0सं0-11)

प्रस्तर-17-ग्राम बहोरना टप्प हवेली के मकू नगला में मेन रोड से विमल प्रताप के घर की तरफ सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) कार्य की अनुमानित लागत ₹0-9.21 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक हैं

(2) खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज, फर्रुखाबाद के द्वारा जारी नियम एवं शर्तों पर न तो बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर हैं न ही निविदादाता के हस्ताक्षर हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(3) श्री अवधेश बाथम ग्राम पंचायत -अधिकारी को कार्यप्रभारी नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(4) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स प्रेरणा बिल्डर्स, शास्त्री नगर कमागंज की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0टी0-286046पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1)के परिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3)के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(5) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अवधेश बाथम (ग्रा0वि0अ0)को ₹0-133695.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी।

(6) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज के पत्रांक-3575/लेखा-च0राज्य वित्त/के0वित्त/टेण्डर प्रकाशन/2019-20 दिनांक 07.12.2020 द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के अनुसार जमानत धनराशि ₹0-6200.00 है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-844604.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (मू0आ0सं0-12)

प्रस्तर-18 -ईशापुर में मेन रोड से जलील के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज, फर्रुखाबाद के द्वारा जारी नियम एवं शर्तों पर न तो बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर हैं न ही निविदादाता के हस्ताक्षर हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(2) श्री अवधेश बाथम ग्राम पंचायत -अधिकारी को कार्यप्रभारी नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(3) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स प्रेरणा बिल्डर्स, शास्त्री नगर कमागंज की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0टी0-286037 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1)के परिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3)के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(4) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अवधेश बाथम (ग्रा0वि0अ0)को ₹0-52904.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी।

(5) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज के पत्रांक-3575/लेखा-च0राज्य वित्त/के0वित्त/टेण्डर प्रकाशन/2019-20 दिनांक 07.12.2020 द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के अनुसार जमानत धनराशि ₹0-7000.00 है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-355871.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (मू0आ0सं0-13)

प्रस्तर-19 ग्राम लउवा नगला मानपट्टी में नत्थू बाल्मिकी के घर से सुरेश मास्टर के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) कार्य की अनुमानित लागत ₹0-8.80 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है

कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक हैं

(2) खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज, फर्रुखाबाद के द्वारा जारी नियम एवं शर्तों पर न तो बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर हैं न ही निविदादाता के हस्ताक्षर हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(3) श्री अवधेश बाथम ग्राम पंचायत -अधिकारी को कार्यप्रभारी नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(4) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स प्रेरणा बिल्डर्स, शास्त्री नगर कमांगंज की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न रु0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0टी0-286030पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1)के परिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3)के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(5) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अवधेश बाथम (ग्रा0वि0अ0)को रु0-83220.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी।

(6) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज के पत्रांक-3575/लेखा-च0राज्य वित्त/के0वित्त/टेण्डर प्रकाशन/2019-20 दिनांक 07.12.2020 द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के अनुसार जमानत धनराशि रु0-11500.00 है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रु0-582888.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | **(मू0आ0सं0-14)**

प्रस्तर-20-ग्रान्ट रजिस्टर तीन के अनुसार वर्षान्त में अवशेष रु0-21609940.40.00 है जबकि बैंक खातों में अवशेष रु0-23384306.40 है इस प्रकार रु0-1774366.00 का अन्तर रहा। जिसकी पुष्टि में बैंक समाधान विवरण पत्र नहीं बनाया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री किशोर रावत उत्तरदायी हैं | अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | **(मू0आ0सं0-16)**

प्रस्तर-21-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2021 को राज्य वित्त योजना में रुपये 10621171.00 एवं क्षेत्रीय निधि केन्द्रीय वित्त में रुपये 7332505.00 अवशेष दर्शाया गया है | जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका | अनुदान का शत प्रतिशत उपयोग अपेक्षित रहा | इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री किशोर रावत उत्तरदायी हैं | अतः

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मू0आ0सं0-23)

क्षेत्र पंचायत-मोहम्मदाबाद

वर्ष 2020-21

प्रस्तर-22-वर्ष 2019-20 के ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार दिनांक 31.03.2020 को अन्तिम अवशेष रू0-16912320.00 था जबकि वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में अप्रैल-2020 को प्रारम्भिक शेष कुल रू0-16993757.00 दर्शाया गया है इस प्रकार रू0-81437.00 से प्रारम्भिक अवशेष अधिक दर्शाया गया है। जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	मद का विवरण	31.03.2020 को दर्शित अन्तिम शेष	01.04.2020 को दर्शित प्रारम्भिक शेष	अन्तर
1	बायो गैस संयंत्र अनुदान	12000.00	13300.00	1300.00
2	ब्याज	2602857.00	2682995.00	80138.00
3	राज्य वित्त योजना	12325219.00	12325218.00	(-) 1.00
	योग			81437.00

इस प्रकार अनियमित रूप से उपरोक्त शीर्षों में अवशेष अधिक दर्शाया गया है एवं इसकी पुष्टि में कोई संतोषजनक जबाब भी लेखा परीक्षा दौरान नहीं दिया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ला एवं लेखाकर श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-10)

प्रस्तर-23-वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में रू0-70000.00 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। व्यय की धनराशि की पुष्टि में पत्रावली/प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने से व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त धनराशि रू0-70000.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ला, श्री राजबहादुर एवं लेखाकर श्री सुनील कटियार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-11)

प्रस्तर-24आयकर अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) की धारा 194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में किये गये भुगतानों के सम्बन्ध में श्रोत पर की गयी आयकर कटौती की धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किया जाना चाहिए था

आलोच्य वर्ष में कुल ₹0-157644.00 की कटौती की गयी एवं गतवर्ष की ₹0-371907.00 अवशेष थी इस प्रकार कुल ₹0-529551.00 को निर्धारित शीर्ष में जमा न कर राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ला, श्री राजबहादुर एवं लेखाकर श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मू0आ0सं0-12)

प्रस्तर-25 वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त योजना की मद से निम्न विवरणानुसार कराए गए कार्यों में ठेकेदार मैसर्स बलराम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत सामग्री आपूर्ति के बिलों पर जी0एस0टी0 की धारा 51 के अनुसार 2% की दर से टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती नहीं की गयी है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	बिल की धनराशि (जी0एस0टी0 रहित)	बिल सं0/दिनांक	टी0डी0एस0 जो नहीं काटा गया है
1	घुरूआ नगला में नगला बाग रठौरा नगला घुरूआ से देवस्थान तक इण्टरलॉकिंग कार्य	328738.00	48/02.06.2020	6575.00
2	अवधेश के घर से धुरिहार रामसनेही के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य	393336.00	43/25.06.2020	7867.00
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बजरिया जल्लापुर से माउण्ट लिटेरा स्कूल लिंक रोड तक इण्टरलॉकिंग कार्य	328688.00	47/24.06.2020	6574.00
4	इन्दरपुर से जमुनापुर मोड़ तक इण्टरलॉकिंग कार्य	359569.00	39/26.06.2020	7191.00
5	प्राथमिक पाठशाला जाजपुर बंजारा से तालाब तक नाला निर्माण	429840.00	40/26.06.2020	8597.00
6	विकास खण्ड कार्यालय मुख्य भवन का कायाकल्प	156839.00	49/25.06.2020	3128.00
	योग			39932.00

अतः उपरोक्त विवरणानुसार कुल ₹0-39932.00 की टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0)की कटौती नियमानुसार नहीं कर अनियमितता की गयी जिसके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मू0आ0सं0-13)

प्रस्तर-26चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से वर्ष 2020-21 में घुरूआ नगला में नगला बाग रठौरा नगला घुरूआ से देवस्थान तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) कार्य की अनुमानित लागत ₹0-9.92 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक हैं

(2) खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निविदा शर्तों में किसी भी निविदादाता के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(3) पत्रावली में संलग्न आदेश जिसके द्वारा श्री अनुपम बाजपेई को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।

(4) पत्रावली में संलग्न टेण्डरों के तुलनात्मक चार्ट में दिनांक अंकित नहीं है और न ही खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, आंकिक के हस्ताक्षर पर ही दिनांक अंकित हैं फलतः टेण्डर किस दिनांक को खोले गये अज्ञात रहा।

(5) पत्रावली में मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव को सामग्री आपूर्ति हेतु कोई आदेश संलग्न नहीं है।

(6) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0एल0-776509पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1)के परिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3)के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(7) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अनुपम बाजपेई (ग्रा0वि0अ0)को ₹0-176870.00 का भुगतान किया गया है। चूंकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है।

(8) पत्रावली में कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(9) पत्रावली में संलग्न अल्पकालीन निविदा सूचना में जमानत राशि ₹0-13900.00 दर्शित है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकार किया जाना अनियमित रहा।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-967475.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (मू0आ0सं0-14)

प्रस्तर-27 चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से वर्ष 2020-21 में महेन्द्र मिश्रा के घर बाबूराम कठेरिया के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) कार्य की अनुमानित लागत ₹0-9.88 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक हैं

(2) खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निविदा शर्तों में किसी भी निविदादाता के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(3) पत्रावली में संलग्न आदेश जिसके द्वारा श्री अनुपम बाजपेई को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।

(4) पत्रावली में संलग्न टेण्डरों के तुलनात्मक चार्ट में दिनांक अंकित नहीं है और न ही खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, आंकिक के हस्ताक्षर पर ही दिनांक अंकित हैं फलतः टेण्डर किस दिनांक को खोले गये अज्ञात रहा।

(5) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मोहम्मदाबाद द्वारा मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव को सामग्री आपूर्ति हेतु किये गये आदेश में पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं है।

(6) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0एस0-022897 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट (19) नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(7) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अनुपम बाजपेई (ग्रा0वि0अ0) को ₹0-154300.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं।

(8) पत्रावली में कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(9) पत्रावली में अल्पकालीन निविदा सूचना से सम्बन्धित पत्र भी संलग्न नहीं है। लेखा परीक्षा अनुसार जमानत राशि ₹0-16517.00 होती है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकार किया जाना अनियमित रहा।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-978346.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मू0आ0सं0-15)

प्रस्तर-28 चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से वर्ष 2020-21 में अवधेश के घर से धुरिहार रामसनेही के खेत तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) कार्य की अनुमानित लागत ₹0-9.92 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक हैं

(2) खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निविदा शर्तों में किसी भी निविदादाता के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(3) पत्रावली में संलग्न आदेश जिसके द्वारा श्री अनुपम बाजपेई को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।

(4) पत्रावली में संलग्न टेण्डरों के तुलनात्मक चार्ट में दिनांक अंकित नहीं है और न ही खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, आंकिक के हस्ताक्षर पर ही दिनांक अंकित हैं फलतः टेण्डर किस दिनांक को खोले गये अज्ञात रहा।

(5) पत्रावली में मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव को सामग्री आपूर्ति हेतु कोई आदेश संलग्न नहीं है।

(6) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0एल0-776508 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट (19) नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(7) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अनुपम बाजपेई (ग्रा0वि0अ0) को ₹0-183680.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं।

(8) पत्रावली में कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(9) पत्रावली में संलग्न अल्पकालीन निविदा सूचना में जमानत राशि ₹0-13900.00 दर्शित है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकार किया जाना अनियमित रहा।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-985676.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0-16)**

प्रस्तर-29 चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से वर्ष 2020-21 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बजरिया जल्लापुर से माउण्ट लिटेरा स्कूल लिंक रोड तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयी:-

(1) कार्य की अनुमानित लागत ₹0-9.96 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक हैं।

(2) खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निविदा शर्तों में किसी भी निविदादाता के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(3) पत्रावली में संलग्न आदेश जिसके द्वारा श्री अनुपम बाजपेई को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।

(4) पत्रावली में संलग्न टेण्डरों के तुलनात्मक चार्ट में दिनांक अंकित नहीं है और न ही खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, आंकिक के हस्ताक्षर पर ही दिनांक अंकित हैं फलतः टेण्डर किस दिनांक को खोले गये अज्ञात रहा।

(5) पत्रावली में मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव को सामग्री आपूर्ति हेतु कोई आदेश संलग्न नहीं है।

(6) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0एल0-776501 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1)के परिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3)के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(7) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अनुपम बाजपेई (ग्रा0वि0अ0)को ₹0-185030.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं।

(8) पत्रावली में कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(9) पत्रावली में संलग्न अल्पकालीन निविदा सूचना में जमानत राशि ₹0-13900.00 दर्शित है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकार किया जाना अनियमित रहा।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-989148.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (मू0आ0सं0-17)

प्रस्तर-30 चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से वर्ष 2020-21 में इन्दरपुर से जमुनापुर मोड तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) कार्य की अनुमानित लागत ₹0-9.81 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक हैं

(2) खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निविदा शर्तों में किसी भी निविदादाता के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(3) पत्रावली में संलग्न आदेश जिसके द्वारा श्री अनुपम बाजपेई को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।

(4) पत्रावली में संलग्न टेण्डरों के तुलनात्मक चार्ट में दिनांक अंकित नहीं हैं और न ही खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, आंकिक के हस्ताक्षर पर ही दिनांक अंकित हैं फलतः टेण्डर किस दिनांक को खोले गये अज्ञात रहा।

(5) पत्रावली में मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव को सामग्री आपूर्ति हेतु कोई आदेश संलग्न नहीं है।

(6) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0एल0-776498 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट (19) नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(7) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अनुपम बाजपेई (ग्रा0वि0अ0) को ₹0-165210.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं।

(8) पत्रावली में कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(9) पत्रावली में संलग्न अल्पकालीन निविदा सूचना में जमानत राशि ₹0-13880.00 दर्शित है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकार किया जाना अनियमित रहा।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-959356.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (मू0आ0स0-18)

प्रस्तर-31 चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से वर्ष 2020-21 में प्राथमिक पाठशाला जाजपुर बंजारा से तालाब तक नाला निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) कार्य की अनुमानित लागत ₹0-9.75 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक हैं

(2) खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निविदा शर्तों में किसी भी निविदादाता के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(3) पत्रावली में संलग्न आदेश जिसके द्वारा श्री अनुपम बाजपेई को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।

(4) पत्रावली में संलग्न टेण्डरों के तुलनात्मक चार्ट में दिनांक अंकित नहीं हैं और न ही खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, आंकिक के हस्ताक्षर पर ही दिनांक अंकित हैं फलतः टेण्डर किस दिनांक को खोले गये अज्ञात रहा।

(5) पत्रावली में मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव को सामग्री आपूर्ति हेतु कोई आदेश संलग्न नहीं है।

(6) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0एल0-776497 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट (19) नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(7) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अनुपम बाजपेई (ग्रा0वि0अ0) को ₹0-103170.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं।

(8) पत्रावली में कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(9) पत्रावली में संलग्न अल्पकालीन निविदा सूचना में जमानत राशि ₹0-14780.00 दर्शित है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकार किया जाना अनियमित रहा।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-911913.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | **(मू0आ0सं0-19)**

प्रस्तर-32 चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से वर्ष 2020-21 में विकास खण्ड कार्यालय मुख्य भवन का कार्याकल्प का कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) कार्य की अनुमानित लागत ₹0-5.32 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक हैं

(3) खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निविदा शर्तों में किसी भी निविदादाता के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(4) पत्रावली में संलग्न आदेश जिसके द्वारा श्री अनुपम बाजपेई को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।

(5) पत्रावली में संलग्न टेण्डरों के तुलनात्मक चार्ट में दिनांक अंकित नहीं हैं और न ही खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, आंकिक के हस्ताक्षर पर ही दिनांक अंकित हैं फलतः टेण्डर किस दिनांक को खोले गये अज्ञात रहा।

(6) पत्रावली में मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव को सामग्री आपूर्ति हेतु कोई आदेश संलग्न नहीं है।

(7) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0एल0-776502 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट (19) नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(8) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अनुपम बाजपेई (ग्रा0वि0अ0) को ₹0-156810.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं।

(9) पत्रावली में कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(10) पत्रावली में संलग्न अल्पकालीन निविदा सूचना में जमानत राशि ₹0-5840.00 दर्शित है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकार किया जाना अनियमित रहा।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-496172.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | **(मू0आ0सं0-20)**

प्रस्तर-33चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से वर्ष 2020-21 में सिनौड़ा पृथ्वी में शमशान घाट पर शौचालय निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

(1) कार्य की अनुमानित लागत ₹0-5.79 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक हैं

(2) खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निविदा शर्तों में किसी भी निविदादाता के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(3) पत्रावली में संलग्न आदेश जिसके द्वारा श्री अनुपम बाजपेई को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।

(4) पत्रावली में संलग्न टेण्डरों के तुलनात्मक चार्ट में दिनांक अंकित नहीं हैं और न ही खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, आंकिक के हस्ताक्षर पर ही दिनांक अंकित हैं फलतः टेण्डर किस दिनांक को खोले गये अज्ञात रहा।

(5) पत्रावली में मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव को सामग्री आपूर्ति हेतु कोई आदेश संलग्न नहीं है।

(अप) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0एस0-026349 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित हैं और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट (19) नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(6) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री अनुपम बाजपेई (ग्रा0वि0अ0) को ₹0-147180.00 का भुगतान किया गया है। चूँकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए हैं। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं।

(7) पत्रावली में कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(8) पत्रावली में संलग्न अल्पकालीन निविदा सूचना में जमानत राशि ₹0-7743.00 दर्शित है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकार किया जाना अनियमित रहा।

(9) मैसर्स बलराम सिंह कन्टेन्टर के बिल सं0-60 (दिनांक रहित) द्वारा कुल ₹0-123862.09 (जी0एस0टी0 सहित) की सामग्री आपूर्ति की गयी किन्तु बिल पर जिस संस्था को आपूर्ति की गयी उसका नाम व पता अंकित नहीं है। अतः सम्बन्धित सामग्री कहाँ प्रेषित की गयी की स्थिति अपुष्ट रही।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹0-316528.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (मू0आ0सं0-21)

प्रस्तर-34 वर्ष 2020-21 में प्रासंगिक मद में ग्रांट रजिस्टर III के अनुसार कुल व्यय ₹0-53961.00 दर्शित है जबकि प्राप्त कुल ₹0-46171.00 की ही थी। इसी कारण दिनांक 31.03.2021 को उक्त शीर्ष में अवशेष (-) 7790.00 दर्शित है इस प्रकार उपरोक्त शीर्ष में उपलब्ध धनराशि से अधिक धन व्यय किया गया। जो गम्भीर आपत्तिजनक है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कुमार कटियार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

(मू0आ0सं0-25)

प्रस्तर-35 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यों में की गयी सामग्री आपूर्ति के विरुद्ध ठेकेदारों के बिलों से जी0एस0टी0 की धारा-51 के अनुसार 2% की दर से टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) मद में कुल ₹0-103689.00 की कटौती की गयी है। किन्तु सम्बन्धित धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा जी0एस0टी0में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है साथ ही जी0एस0टी0आर0-7 फार्म भी जेनरेट नहीं किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ला, श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री सुनील कुमार कटियार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (मू0आ0सं0-28)

क्षेत्र पंचायत-राजेपुर

वर्ष 2020-21

प्रस्तर-36-दिनांक 31.03.2021 को निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुदान शेष दर्शाया गया:-

क्र0स0	योजना का नाम	31.03.2021 को अवशेष धनराशि

1	राज्य वित्त योजना/ तेरहवाँ/चैदहवाँ वित्त आयोग अनुदान योजना	1917556=38
2	पन्द्रहवाँ वित्त आयोग अनुदान योजना	11490930=00
	योग:-	13408486=38

ज्ञातव्य है कि राज्य वित्त आयोग अनुदान एवं तेरहवाँ/चैदहवाँ वित्त आयोग अनुदान योजना की धनराशियों का आवंटन क्षेत्र पंचायत के परिक्षेत्र में विकास कार्यों को कराने, राजकीय सम्पत्तियों के सृजन करने व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु किया जाता है। किन्तु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों श्री श्री प्रकाश उपाध्याय एवं श्री गगनदीप सिंह तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं श्री सुनील कुमार कटियार द्वारा अनुदान का समय से उपभोग न कर राष्ट्र निर्माण में अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। जो अपेक्षित था। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर-37-वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत-निबिया में निबिया सम्पक मार्ग से जगरूप फौजी के घर तक पेवर ब्रिक सड़क निर्माण कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-267914.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-28870.00 कुल ₹0-296784.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी:-

- (1)ग्राम पंचायत -में पेवर ब्रिक सड़क निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत -से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
- (2)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरों के निशान अंगूठा प्रथम दृष्ट्या एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये सभी ऊगलियों के निशान प्रतीत होते हैं एवं हस्ताक्षर भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं।
- (3)उक्त आपूर्तिकर्ता फर्म से प्राप्त धरोहर की धनराशि ₹0-4700=00 से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
- (4)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाना (दर्शित उपस्थिति के अनुसार) दर्शित है। जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान ₹0-28870.00 सी-092042126540 दिनांक 24.09.2020 को कार्य प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित, ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के होते हैं। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अर्द्धतक जॉब कार्ड बना हुआ होता है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।
- (5)निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (6)उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (7)पत्रावली में संलग्न ₹0-100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध पत्र पर जमानत की धनराशि अंकित नहीं है एवं अनुबन्ध पत्र में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजेपुर के हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं एवं माधुरी मिश्रा कान्स्ट्रक्टर लोको रोड फरूखाबाद की अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर रहित मुहर मात्र लगी है।
- (8)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों में दर्शित श्रमिकों की जॉब कार्ड संख्या अंकित नहीं की गयी है। जो अपेक्षित है।

(9)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित नहीं है। मस्टर रोलो पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित किया जाना अपेक्षित है।

(10)मस्टर रोल पर दर्शित श्रमिकवार कुल भुगतान के अनुसार 12 श्रमिकों (मिस्त्री\$लेबर) को कुल ₹0-26790=00 का भुगतान किया जाना चाहिये, किन्तु मस्टर रोल पर कुल भुगतान में ₹0-2080=00 से काल्पनिक रूप से बढ़ाकर ₹0-28870=00 दिनांक 24.09.2020 को पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस संख्या-92042126912 द्वारा कार्य प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है।

(11)श्रीमती माधुरी मिश्रा का श्रम विभाग में पत्रावली में संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार कपड़े छपाई के व्यवसाय हेतु पंजीकरण है। किन्तु मै0 माधुरी मिश्रा कान्स्ट्रक्टर द्वारा निर्माण कार्य सामग्री की आपूर्ति की गयी हैं।

(12)ग्राम निबिया में निबिया समूहक मार्ग से जगरूप फौजी के घर तक पेवर ब्रिक सड़क निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 80 मी0 है जिस पर पूर्व में खण्डजा कार्य लगवाया गया था। जो कि क्षति ग्रस्त है। इस तथ्य का उल्लेख पत्रावली में संलग्न इस्टीमेट आख्या में अंकित कर तत्कालीन अवर अभियन्ता (जे0ई0 आर0ई0डी0) एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। किन्तु पत्रावली में संलग्न मै0 माधुरी मिश्रा गंगा नगर कालोनी फरूखाबाद के इन्वाइस संख्या-11 एवं 20 में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नानुसार ब्रिक ब्लास्ट (ईट रोडा) आपूर्ति करना दर्शित हैं।

क्र0स0	इन्वाइस संख्या	तिथि	विवरण	मात्रा घन मी0	दर	कीमत
1	11	15.07.2020	ब्रिक ब्लास्ट (ईट रोडा)	16.50 जी0एस0टी0	800.00	13200.00 660.00
2	20	04.08.2020	ब्रिक ब्लास्ट (ईट रोडा)	6.16 जी0एस0टी0	800.00	4928.00 246.40
					योग:-	19034.40

इस प्रकार यदि पूर्व में क्षति ग्रस्त खण्डजेपर उक्त निर्माण कार्य कराया गया है, तो ईट रोडे की क्रय करने की आवश्यकता ही नहीं थी। किन्तु काल्पनिक रूप से ईट रोडा क्रय पर ₹0-19034.40 का भुगतान कर राजकीय अनुदान को क्षति पहुंचाई गयी।

(13)निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय ₹0-500*3=1500.00 की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी।

(14)उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, मध्य एवं निर्माण कार्य पूर्ण के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी। जो अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि पेवर ब्रिक सड़क निर्माण कार्य पर ₹0-296784.00 का अनिनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिवकिशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री प्रदीप कुमार दीक्षित एवं श्री राजेश बाबू रमन अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-15)

प्रस्तर-38 वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत-गुडैरा पुतूलाल वालें में सम्पक मार्ग से आगें तक पेवर ब्रिक सडक निर्माण कार्य का कार्य प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित को नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-892744.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-95480.00 कुल ₹0-988224.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी:-

- (1) ग्राम पंचायत -में पेवर ब्रिक सडक निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत -से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
- (2) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरी के निशान अंगूठा प्रथम दृष्टया एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये सभी ऊगलियों के निशान प्रतीत होते हैं एवं हस्ताक्षर भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं।
- (3) उक्त आपूर्तिकर्ता फर्म प्राप्त से धरोहर की धनराशि ₹0-15600=00 से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
- (4) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाना (दर्शित उपस्थिति के अनुसार) दर्शित है। जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान ₹0-95480.00 पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस संख्या सी-92042130472 दिनांक 24.09.2020 को कार्य प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित, ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के होते हैं। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अब्जगत जॉब कार्ड बना हुआ होता है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।
- (5) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (6) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (7) पत्रावली में संलग्न ₹0-100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध पत्र पर जमानत की धनराशि अंकित नहीं है एवं अनुबन्ध पत्र में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजेपुर के हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं एवं माधुरी मिश्रा कान्स्ट्रक्टर लोको रोड फरूखाबाद की अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर रहित मुहर मात्र लगी है।
- (8) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों में दर्शित श्रमिकों की जॉब कार्ड संख्या अंकित नहीं की गयी है। जो अपेक्षित है।
- (10) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित नहीं है। मस्टर रोलों पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित किया जाना अपेक्षित है।
- (11) श्रीमती माधुरी मिश्रा का श्रम विभाग में पत्रावली में संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार कपड़े छपाई के व्यवसाय हेतु पंजीकरण है। किन्तु मै0 माधुरी मिश्रा कान्स्ट्रक्टर द्वारा निर्माण कार्य सामग्री की आपूर्ति की गयी है।
- (12) निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय ₹0-500X3=1500.00 की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी। जिसे पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
- (13) उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व मध्य एवं निर्माण कार्य पूर्ण के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी। जो अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि पेवर ब्रिक सडक निर्माण कार्य पर ₹0-988224.00 का अनिनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिवकिशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री प्रदीप कुमार दीक्षित एवं श्री राजेश बाबू रमन अवर अभियन्ता

संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-16)

प्रस्तर-39 वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत-निगार में अजय सिंह के घर से ओम पाल के खेत तक पेवर ब्रिक सडक निर्माण कार्य का कार्य प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित को नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-506469.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-45650.00 कुल ₹0-552119.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपतियाँ पाई गयी-

- (1)ग्राम पंचायत -में पेवर ब्रिक सडक निर्माण कराने हेतु ग्राम पंचायत -से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
- (2)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरी के निशान अंगूठा प्रथम दृष्ट्या एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये सभी ऊगलियों के निशान प्रतीत होते हैं एवं हस्ताक्षर भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं।
- (3)उक्त आपूर्तिकर्ता फर्म से प्राप्त धरोहर की धनराशि ₹0-14800=00 से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
- (4)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाना (दर्शित उपस्थिति के अनुसार) दर्शित है। जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान ₹0-45650.00 पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस संख्या सी-112034239004 दिनांक 23.11.2020 को कार्य प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित, ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के होते हैं। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अन्तर्गत जॉब कार्ड बना हुआ होता है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।
- (5)निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (6)उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (7)पत्रावली में संलग्न ₹0- 100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध पत्र पर जमानत की धनराशि अंकित नहीं है एवं अनुबन्ध पत्र में मै0 माधुरी मिश्रा कान्ट्रेक्टर लोको रोड फर्रुखाबाद की हस्ताक्षर रहित मुहर मात्र लगी है।
- (8)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों में दर्शित श्रमिकों की जॉब कार्ड संख्या अंकित नहीं की गयी है। जो अपेक्षित है।
- (9)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित नहीं है। मस्टर रोलों पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित किया जाना अपेक्षित है।
- (10)उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 माधुरी मिश्रा कान्ट्रेक्टर, गंगा नगर कालोनी फर्रुखाबाद के बिल संख्या-09 ₹0- 451292.00 का दिनांक 18.07.2020 का है, एवं बिल संख्या-07 ₹0-55177.00 का दिनांक 25.07.2020 का है। इस प्रकार बिल संख्या-09 पहले की तिथि का है, एवं बिल संख्या-07 बाद की तिथि का है। उक्त कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि संलग्न बिल पर सामग्री का विवरण क्षेत्र पंचायत द्वारा ही तैयार किया गया है।
- (11)श्रीमती माधुरी मिश्रा का श्रम विभाग में पत्रावली में संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार कपड़े छपाई के व्यवसाय हेतु पंजीकरण है। किन्तु मै0 माधुरी मिश्रा कान्ट्रेक्टर द्वारा निर्माण कार्य सामग्री की आपूर्ति की गयी।

(12)निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय $\text{रु0-500} \times 3 = 1500.00$ की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी। जिसे पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(13)उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, मध्य एवं निर्माण कार्य पूर्ण के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी। जिसे पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि पेवर ब्रिक सडक निर्माण कार्य पर रु0-552119.00 का अनिनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सुनील कटियार एवं कार्य प्रभारी श्री प्रदीप कुमार दीक्षित एवं श्री राजेश बाबू रमन अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-17)

प्रस्तर-40 वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम-कोला में हरिश्चन्द्र के घर से वीरेन्द्र के खेत तक पेवर ब्रिक इण्टरलाॅकिंग निर्माण कार्य, हेतु कार्य प्रभारी श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रु0-397800.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपतियाँ पाई गयीं:-

(1)ग्राम पंचायत -में पेवर ब्रिक इण्टरलाॅकिंग निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत -से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

(2)उक्त कार्य की सामग्री आपूर्ति हेतु मै0 किरन कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स लोको रोड भोलेपुर फतेहगढ़ फरूखाबाद को तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय के कार्य आदेश पत्रांक 983 दिनांक 21.10.2020 के अनुसार फर्म को एक पक्ष के अन्दर सामग्री आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके सापेक्ष सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा दिनांक 09.11.2020 को बिल संख्या-17 द्वारा जी0एस0टी0 सहित रुपया-397800=00 की सामग्री क्रय की गयी। उक्त सामग्री कीमत से रु0-7808=00 की टी0डी0एस0 की कटौती कर एवं रु0-6910=00 की जी0एस0टी0 की कटौती कुल रु0-14718=00 की कटौती कर रु0-383082=00 का भुगतान दिनांक 04.12.2020 को पी0एफ0एम0एस0 संख्या-सी-122002343833 के माध्यम से उक्त फर्म को किया गया है। उक्त कीमत की क्रय की गयी सामग्री का उपभोग कब किया गया की पुष्टि पत्रावली में संलग्न विवरण से नहीं होती है।

(3)उक्त कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्री से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर स्टॉक लेखा तैयार नहीं किया गया है। जिसे तैयार किया जाना अपेक्षित है।

(4)निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय $\text{रु0-500} \times 3 = 1500.00$ की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी। जिसे पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(5)पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कुल अनुमानित धनराशि का 2 प्रतिशत रु0-14000/- धरोहर के रूप में जमा कराई गयी धनराशि से सम्बन्धित कोई भी विवरण/रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी। जिसे पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि पेवर ब्रिक इण्टरलाॅकिंग निर्माण कार्य हेतु आधी अधूरी कागजी औपचारिकता मात्र कर एवं सामग्री क्रय पर काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रु0-397800.00 का अपहरण/गबन कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सुनील कुमार कटियार एवं कार्य प्रभारी श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

एवं श्री राजेश बाबू रमन अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-18)

प्रस्तर-41 वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम-महमदपुर गढ़िया में महमदपुर गढ़िया से तेरह सम्पक मार्ग तक पेवर ब्रिक इण्टरलाॅकिंग सडक निर्माण कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित को नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-751300.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-115630.00 कुल ₹0-866930.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपतियाँ पाई गयी:-

(1)ग्राम पंचायत -में पेवर ब्रिक इण्टरलाॅकिंग सडक निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत -से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

(2)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरो के निशान अंगूठा प्रथम दृष्ट्या एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये सभी ऊगलियों के निशान प्रतीत होते हैं तथा मस्टर रोल पर कार्य कराये जाने की तिथि अंकित नहीं पायी गयी एवं कार्य प्रभारी द्वारा मस्टर रोल पर दर्शित भुगतान प्राप्तकर्ताओ के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा प्रमाणित नहीं किये गये हैं। जो अपेक्षित है।

(3)निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(4)उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(5)पत्रावली में संलग्न ₹0-100/-मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध पत्र पर नियम व शर्तें अंकित न कर सादा स्टाम्प पेपर संलग्न है। ं

(6)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों में दर्शित श्रमिकों की जॉब कार्ड संख्या अंकित नहीं की गयी है। जो अंकित की जानी अपेक्षित है।

(7)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित नहीं है। जिसे अंकित किया जाना अपेक्षित है।

(8)निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय ₹0-500*3=1500.00 की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी। जिसे संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(9)उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, मध्य एवं निर्माण कार्य पूर्ण के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिन्हें पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(10)पत्रावली की जाँच में पाया गया कि धरोहर की धनराशि से सम्बन्धित ₹0-13500/-मूल्य का कोई भी प्रपत्र/एफ0डी0आर0 पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। जिसे पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(11)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार दिनांक 03.10.2020 से 17.10.2020 तक दर्शित मिस्त्री एवं श्रमिकों की उपस्थिति के अनुसार कुल ₹0-111630=00 का मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिये, किन्तु मजदूरी के कुल भुगतान में ₹0-3500=00 से काल्पनिक रूप से बढ़ाकर ₹0-115130=00 का भुगतान दिनांक 23.11.2020 को पी0एफ0एम0एस0 संख्या-सी-112033430160 द्वारा कार्य प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित ग्राम विकास अधिकारी को किया गया। अतः अधिक किया गया भुगतान ₹0-3500=00 कार्य प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित ग्राम विकास अधिकारी से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(12)श्रीमती माधुरी मिश्रा का श्रम विभाग में पत्रावली में संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार कपड़े छापाई के व्यवसाय हेतु पंजीकरण है। किन्तु मै0 माधुरी मिश्रा कान्स्ट्रक्टर द्वारा निर्माण कार्य सामग्री की आपूर्ति की गयी।

(13)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में क्रमांक 01 से 10 तक एवं क्रमांक 19 से 30 तक दर्शित उपस्थिति के अनुसार श्रमिकों एवं मिस्त्री द्वारा दिनांक 03.10.2020 से कार्य किया जाना दर्शित है, एवं क्रमांक 11 से 18 तक 07 मिस्त्री द्वारा 09.10.2020 से कार्य किया जाना दर्शित है। इस प्रकार क्रमांक 11 से 18 तक मस्टर रोल में दर्शित मिस्त्री यदि दिनांक 04.10.2020 से 07.10.2020 तक कार्य पर थे ही नहीं तो किस आधार पर मस्टर रोल में इनके नाम अंकित किये गये हैं।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि पेवर ब्रिक् इण्टरलाॅकिंग सड़क निर्माण कार्य पर रु0-866930.00 का अनिनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री प्रकाश उपाध्याय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सुनील कुमार कटियार एवं कार्य प्रभारी श्री प्रदीप कुमार दीक्षित एवं श्री राजेश बाबू रमन अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-19)

प्रस्तर-42 वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम-पिथनापुर (कोटिया) में मेन सम्प्रक मार्ग से प्रदीप के खेत तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय को नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रु0-646528.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर रु0-76620.00 कुल रु0-723148.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपतियाँ पाई गयीं:-

(1)ग्राम पंचायत -में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत -से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

(2)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरों के निशान अंगूठा प्रथम दृष्ट्या एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये सभी ऊगलियों के निशान प्रतीत होते हैं तथा मस्टर रोल पर कार्य कराये जाने की तिथि अंकित नहीं पायी गयी एवं कार्य प्रभारी द्वारा मस्टर रोल पर दर्शित भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा प्रमाणित नहीं किये गये हैं। जो अपेक्षित थे।

(3)निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(4)उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(5)पत्रावली में संलग्न रु0-100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध की शर्तें अंकित नहीं हैं। जो अपेक्षित थी।

(6)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों में दर्शित श्रमिकों की जॉब कार्ड संख्या अंकित नहीं की गयी है। जिसे अंकित किया जाना अपेक्षित है।

(7)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित नहीं है। मस्टर रोल पर एम0आर0 क्रमांक अंकित किया जाना अपेक्षित है।

(8)निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय रु0-500*3=1500.00 की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिसे पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(9)उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, मध्य एवं निर्माण कार्य पूर्ण के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिसे पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(10)पत्रावली की जाँच में पाया गया कि धरोहर की धनराशि से सम्बन्धित रु0-11600/-मूल्य का कोई भी प्रपत्र/एफ0डी0आर0 पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिसे पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(11)श्रीमती माधुरी मिश्रा का श्रम विभाग में पत्रावली में संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार कपड़े छपाई के व्यवसाय हेतु पंजीकरण है। किन्तु मै0 माधुरी मिश्रा कान्स्ट्रक्टर द्वारा निर्माण कार्य सामग्री की आपूर्ति की गयी।

(12)पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्तिकर्ता मै0 माधुरी मिश्रा गंगा नगर कालोनी फर्रुखाबाद के बिल संख्या-14 के अनुसार दिनांक 19.07.2020 को सीमेन्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, स्टोन गिट, ब्रिक ब्लास्ट,ईट प्रथम श्रेणी आदि जी0एस0टी0 सहित0 रु0-438665.00 की क्रय किया जाना दर्शित है। किन्तु उक्त निर्माण कार्य लगभग 06 माह बाद दिनांक 12.01.2021 से प्रारम्भ कराया गया। इस प्रकार अनियमित रूप से रु0-438665.00 की सामग्री क्रय कर लगभग 06 माह स्टोक रोका गया है।

(13)उक्त सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार दिनांक 25.01.2021 को समाप्त हुआ। किन्तु दिनांक 25.01.2021 को ही सामग्री आपूर्तिकर्ता मै0 माधुरी मिश्रा गंगा नगर कालोनी फर्रुखाबाद के बिल संख्या-09 द्वारा रु0-136477.00 की सामग्री क्रय की गयी और उसी दिन उक्त सामग्री का उपभोग कर लिया गया। जो सम्भव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य पर रु0-723148.00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं श्री सुनील कुमार कटियार एवं कार्य प्रभारी श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्री राजेश बाबू रमन अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-20)

क्षेत्र पंचायत-शमसाबाद

वर्ष 2020-21

प्रस्तर-43 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में निम्नांकित विवरणानुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 ब्रजमोहन सिंह (माँ वैष्णो देवी कांस्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स) नरसिंहपुर कायमगंज को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष रु0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्सन 51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी जबकि नियमानुसार यह आहरण एवं वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की कीमत (जी0एस0टी0 रहित)	2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी।	इनवाइस/ दिनांक	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	ग्राम पंचायत -कटिया में आंगनवाडी केन्द्र कीबाउन्ड्रीवाल, खडण्जा व नाली निर्माण	199200.00	3984.00	65/21.10.2020	तत्कालीन
		102708.00	2054.00	66/21.10.2020	खण्ड विकास
		140000.00	2800.00	68/21.10.2020	अधिकारी श्री

		75760.00	1515.00	201/31.10.2020	विजय कुमार एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार
		113511.00	2270.00	202/31.10.2020	
2	विकास खण्ड परिसर के कार्यालय में बाउन्ड्रीवाल, सी0सी0, कटिले तार, टायल्स, फर्श मरम्मत कार्य	68400.00	1368.00	73/22.10.2020	
		371638.00	7433.00	74/22.10.2020	
		137670.00	2753.00	207/08.11.2020	
3	ग्राम पंचायत -फरीदपुर मंगलीपुर में रामसनेही के घर से दिलावरगंज तक नाला निर्माण	150000.00	3000.00	71/22.10.2020	
		112100.00	2242.00	72/22.10.2020	
		31800.00	636.00	92/09.11.2020	
		44025.00	881.00	93/09.11.2020	
4	ग्राम पंचायत -शरीफपुर छिछनी में मेन डामर रोड से रामजीत की बैठक तक मिट्टी, खडण्जा व नाली निर्माण कार्य	67000.00	1340.00	203/01.11.2020	
		23604.00	472.00	204/01.11.2020	
		69000.00	1380.00	57/21.10.2020	
		57260.00	1145.00	58/21.10.2020	
		140000.00	2800.00	59/21.10.2020	
5	ग्राम पंचायत -बेहटा बल्लू पातीराम के घर से छोटलाल के घर तक मट्टी, खडण्जा व क्रास निर्माण कार्य	196000.00	3920.00	69/22.10.2020	
		168000.00	3360.00	70/22.10.2020	
		117600.00	2352.00	90/09.11.2020	
		8381.00	168.00	91/09.11.2020	
6	ग्राम पंचायत -कुंआ खेडा बजीर आलम खा की पक्की सड़क किशोर के घर से रतीराम के घर तक नाली, मिट्टी, खडण्जा कार्य	100000.00	2000.00	78/23.11.2020	
		84000.00	1680.00	79/23.11.2020	
		224000.00	4480.00	80/23.11.2020	
		82960.00	1659.00	212/30.11.2020	
		17520.00	350.00	213/30.11.2020	
		योग	58042.00		

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार ₹0-58042.00 की टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0)की कटौती सम्बन्धित भुगतानों से नहीं की गयी। जिसके लिए तालिका में दिये गये उपरोक्त विवरणानुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मू0आ0सं0-1)

प्रस्तर-44 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में निम्नांकित विवरणानुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 अजीत सिंह कन्स्ट्रक्टेक्चर एण्ड सप्लायर्स किसरौली कायमगंज को निर्माण सामग्री आपूर्ति के

सापेक्ष रू0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्सन 51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी जबकि नियमानुसार यह आहरण एवं वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री की कीमत (जी0एस0टी0 रहित)	2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी।	इनवाइस/ दिनांक	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	ग्राम पंचायत - रजलामई में कस्तूरबा विद्यालय की बिल्डिंग मरम्मत एवं टायल्स कार्य	13500.00	270.00	82/20.10.2020	तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार
		415500.00	8310.00	83/20.10.2020	
		59564.00	1191.00	110/25.10.2020	
2	कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय रजलामई में भवन मरम्मत कार्य	139200.00	2784.00	84/24.11.2020	
		93600.00	1872.00	85/24.11.2020	
		249120.00	4982.00	86/24.11.2020	
		46400.00	928.00	132/11.12.2020	
		115249.00	2305.00	133/11.12.2020	
		89763.00	1795.00	134/11.12.2020	
3	कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय रजलामई में भवन की पुताई कार्य	236000.00	4720.00	87/24.11.2020	
		206000.00	4120.00	97/30.11.2020	
		140853.00	2817.00	137/11.12.2020	
4	ग्राम पंचायत - गुटेटी दक्षिण में रामबक्श के घर से रामकिशन के घर तक व जैतपुर मार्ग से नन्द वर्मा के	88000.00	1760.00	77/19.10.2020	
		68200.00	1364.00	78/19.10.2020	
		179200.00	3584.00	79/19.10.2020	
		67420.00	1348.00	116/04.11.2020	
		29622.00	592.00	117/04.11.2020	

	घर तक मिट्टी, खडण्जा व नाली कार्य				
5	ग्राम पंचायत - महमदपुर मुसेपुर से ईमादपुर थमरई वाली रोड पर बुढ़ी गंगा पर बड़ी डबल पुलिया व मिट्टी खडण्जा कार्य	282000.00	5640.00	70/19.10.2020	
		72300.00	1446.00	71/19.10.2020	
		57840.00	1157.00	104/03.11.2020	
		63595.00	1272.00	105/03.11.2020	
6	ग्राम पंचायत - भगवानपुर में मेन रोड से महपाल के घर तक मिट्टी खडण्जा व नाली निर्माण	363100.00	7262.00	128/28.01.2021	
		113250.00	2265.00	129/28.01.2021	
		81469.00	1629.00	149/24.02.2021	
7	सैदपुर रहिमादादपुर के खडण्जा से सियाराम के खेत तक मिट्टी खडण्जा कार्य	218400.00	4368.00	94/24.11.2020	
		196000.00	3920.00	93/24.11.2020	
		95200.00	1904.00	138/11.12.2020	
		29587.00	592.00	139/11.12.2020	
8	ग्राम नगला बसोला में रामप्रकाश के घर से रघुवीर के घर तक मिट्टी खडण्जा व नाली निर्माण कार्य	285700.00	5714.00	126/28.01.2021	
		65185.00	1304.00	127/28.01.2021	
		99367.00	1987.00	155/28.02.2021	
9	ग्राम असगरपुर के सुतड़िया में	336000.00	6720.00	123/28.01.2021	
		100128.00	2003.00	153/24.02.2021	

	दुलारे के घर से महेन्द्र के ट्यूबवेल तक मिट्टी, खडण्जा निर्माण कार्य				
10	ग्राम हसनापुर में राकेश वर्मा के घर से राजेन्द्र के घर तक नाली, सी0सी0 निर्माण कार्य	140100.00	2802.00	95/24.11.2020	
		476000.00	9520.00	96/24.11.2020	
		99245.00	1985.00	136/11.12.2020	
		योग	108232.00		

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रु0-108232.00 की टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0)की कटौती सम्बन्धित भुगतानों से नहीं की गयी। जिसके लिए तालिका में दिये गये उपरोक्त विवरणानुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मू0आ0सं0-2)

प्रस्तर-45 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित कार्यों में श्री ओमप्रकाश सचान को कार्यप्रभारी बनाया गया है एवं श्रमिकों से सम्बन्धित मस्ट्रोल की धनराशि सीधे श्रमिकों के खाते में हस्तान्तरित न कर श्री ओमप्रकाश सचान के खाते में हस्तान्तरित की गयी है। चूंकि वर्तमान में सभी श्रमिकों के जॉब कार्ड बने हुये हैं एवं उनके खाते भी क्षेत्र पंचायत स्तर पर उपलब्ध है। अतः श्रमिकों के खाते में सीधे धनराशि हस्तान्तरित न कर निम्न विवरणानुसार कुल रु0-2462270.00 की अनियमितता की गयी जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	श्री ओमप्रकाश सचान को भुगतानित धनराशि
1	ग्राम पंचायत -कटिया में आंगनवाडी केन्द्र की बाउन्ड्रीवाल, खडण्जा व नाली निर्माण	127770.00
2	विकास खण्ड परिसर के कार्यालय में बाउन्ड्रीवाल, सी0सी0, कटिले तार, टायल्स, फर्श मरम्मत कार्य	128720.00
3	ग्राम पंचायत -फरीदपुर मंगलीपुर में रामसनेही के घर से दिलावरगंज तक नाला निर्माण	83320.00

4	ग्राम पंचायत -शरीफपुर छिछनी में मेन डामर रोड से रामजीत की बैठक तक मिट्टी, खडण्जा व नाली निर्माण कार्य	71320.00
5	ग्राम पंचायत -बेहटा बल्लू पातीराम के घर से छोटलाल के घर तक मिट्टी, खडण्जा व क्रास निर्माण कार्य	238830.00
6	ग्राम पंचायत -कुंआ खेडा बजीर आलम खाँ की पक्की सड़क किशोर के घर से रतीराम के घर तक नाली, मिट्टी, खडण्जा कार्य	228520.00
7	ग्राम पंचायत -रजलामई में कस्तूरबा विद्यालय की बिल्डिंग मरम्मत एवं टायल्स कार्य	151380.00
8	कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय रजलामई में भवन मरम्मत कार्य	121290.00
9	ग्राम पंचायत -गुट्टी दक्षिण में रामबक्श के घर से रामकिशन के घर तक व जैतपुर मार्ग से नन्द वर्मा के घर तक मिट्टी, खडण्जा व नाली कार्य	140330.00
10	ग्राम पंचायत -महमदपुर मुसेपुर से ईमादपुर थमरई वाली रोड पर बुढ़ी गंगा पर बड़ी डबल पुलिया व मिट्टी खडण्जा कार्य	251250.00
11	ग्राम पंचायत -भगवानपुर में मेन रोड से महपाल के घर तक मिट्टी खडण्जा व नाली निर्माण	136740.00
12	सैदपुर रहिमादादपुर के खडण्जा से सियाराम के खेत तक मिट्टी खडण्जा कार्य	297210.00
13	ग्राम नगला बसोला में रामप्रकाश के घर से रघुवीर के घर तक मिट्टी खडण्जा व नाली निर्माण कार्य	154850.00
14	ग्राम असगरपुर के सुतड़िया में दुलारे के घर से महेन्द्र के ट्यूबवेल तक मिट्टी, खडण्जा निर्माण कार्य	160140.00
15	ग्राम हसनापुर में राकेश वर्मा के घर से राजेन्द्र के घर तक नाली, सी0सी0 निर्माण कार्य	170600.00
	योग	2462270.00

(मू0आ0सं0-3)

प्रस्तर-46 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों को किये गये भुगतानों से ₹0-87415.00 की निम्न विवरणानुसार (माहवार) टी0डी0एस0 (इनकम टैक्स) की कटौती की गयी है:-

माह जिसमें कटौती की गयी	धनराशि
मई-2020	54416.00
जुलाई-2020	17209.00
सितम्बर-2020	15790.000
योग	87415.00

उपरोक्त शीर्ष में वर्ष के प्रारम्भ में ₹0-211588.00 की देनदारी थी। वर्ष दौरान ₹0-87415.00 की टी0डी0एस0 की कटौती और की गयी इस प्रकार वर्षान्त में ₹0-299003.00 की देनदारी शेष रही। इनकम टैक्स के नियम 30 के अनुसार टी0डी0एस0 कटौती कर्ता का यह उत्तरदायित्व है कि जिस माह में कटौती की गयी है उसके अगले माह की 07 तारीख तक यह धनराशि चालान द्वारा निर्धारित शीर्ष में जमा की जानी चाहिए किन्तु ऐसा न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाई गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजमणि वर्मा, श्री विजय कुमार एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है
(मू0आ0सं0-4)

क्षेत्र पंचायत- नवाबगंज

वर्ष 2020-21

प्रस्तर-47 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 राजवीर सिंह 6/19 आवास विकास फर्रुखाबाद को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष ₹0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है, किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्शन-51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिल पर सामग्री की कीमत में 05,12,18 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़कर बिल प्रस्तुत किया गया, और क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री कीमत पर 05,12,18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित भुगतान किया गया है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	सामग्री की कीमत	सामग्री की कीमत पर 05,12,18 प्रतिशत जोड़ी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि	बिल की कुल धनराशि	2 प्रतिशत जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी	सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम
1	ग्राम बबना में मस्जिद से राम दयाल जाटव	394530.00	47343.00	441874.00	7891.00	मै0 राजवीर सिंह 6/19

	के घर तक 70 मी० सी०सी० निर्माण कार्य					आवास विकास फर्रुखाबाद
2	ग्राम ज्योनी में पंचायत घर से राम रतन के घर तक खडंजा निर्माण कार्य	240531.00	12026.00	252557.00	4811.00	
3	ग्राम गढिया बबना में पक्की सड़क से प्रा०वि० तक खडंजा निर्माण कार्य	636020.00	31801.00	667821.00	12720.00	
4	ग्राम कुतुबुददीनपुर में मेन रोड से सतेन्द्र यादव की जगह तक सी०सी० निर्माण कार्य	856928.00	102831.00	959759.00	17138.00	
5	ग्राम बबना में कन्हैया लाल बाथम के घर से दारा सिंह बाथम के घर तक 110 मी० सी०सी० निर्माण कार्य	325060.00	39007.00	364067.00	6501.00	
6	ग्राम कढिउलली में हरवंश के घर से अजय सिंह यादव के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य	750283.00	90033.00	840316.00	15005.00	
		योग:-			64066.00	

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹0-64066.00 की टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये श्री विक्रान्त तिवारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-14)

प्रस्तर-48-क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष ₹0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है, किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्शन-51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती नहीं की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिल पर सामग्री की कीमत में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़कर बिल प्रस्तुत किया गया, और क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री कीमत पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित भुगतान किया गया है

क्र. सं.	कार्य का नाम	सामग्री की कीमत	सामग्री की कीमत पर 12 प्रतिशत जोड़ी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि	बिल की कुल धनराशि	2 प्रतिशत जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी	सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम
1	ब्लाक परिसर में ओपेन जिम हेतु उपकरण व रोड निर्माण कार्य	591259.00	106426.00	697685.00	11825.00	मै0 पवार एसोशिएशन 205 द्वितीय फ्लोर 75/3 महावीर इन्क्लेव नई दिल्ली
2.	ब्लाक परिसर में पार्क हेतु झूला क्रय	251080.46	45194.48	296275.00	5021.00	केयरडील एक्स्पोट म0न0 102 डी0डी0 फ्लैट सफदरगंज इन्क्लेव नई दिल्ली
क्रमांक 01 व 02 तक का योग:					16846.00	

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹0-16846.00 की टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये श्रीमती नजमा सिद्दीकी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-15)

प्रस्तर-49 दिनांक 31.03.2021 को निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुदान शेष दर्शाया गया:-

क्र.सं.	योजना का नाम	31.03.2021 को अवशेष धनराशि
1	राज्य वित्त योजना	55,45,664=00
2	तेरहवाँ/चैदहवाँ वित्त आयोग अनुदान योजना	5379=00

3	पन्द्रहवाँ वित्त अनुदान योजना	1,37,44,533=00
	योग:-	1,92,95,576=00

जातव्य है कि राज्य वित्त आयोग अनुदान एवं तेरहवाँ/चैदहवाँवित्त आयोग अनुदान योजना की धनराशिओं का आवंटन क्षेत्र पंचायत के परिक्षेत्र में विकास कार्यों को कराने, राजकीय सम्पत्तियों के सृजन करने व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु किया जाता है। किन्तु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों श्री रामजी प्रसाद जायसवाल एवं श्री मनोज कुमार मिश्रा एवं श्री दुर्गा दत्त शुक्ला एवं श्री कमलेश कुमार एवं श्री राजमणि वर्मा एवं तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव द्वारा अनुदान का समय से उपभोग न कर राष्ट्र निर्माण में अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है, जो अपेक्षित था। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | **(मूल आपत्ति संख्या-16)**

प्रस्तर-50 वर्ष 2020-21 में चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त योजना के धन से ब्लाक परिसर में पार्क की बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य कराया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-625642.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-235353.00 का भुगतान कुल ₹0-860995.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

(1) उक्त कार्य की निविदा दिनांक 08.09.2020 को खोली गयी और सामग्री आपूर्ति हेतु मै0 उर्मिला देवी मोहम्मदाबाद फरूखाबाद को स्वीकृति प्रदान की गयी। किन्तु पत्रावली में संलग्न उर्मिला देवी ठेकेदार का चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 17.05.2017 को जिला मजिस्ट्रेट फरूखाबाद द्वारा दिनांक 17.05.2017 से 15.05.2019 तक दो वर्ष के लिये वैद्यता की अवधि दर्शित है। इस प्रकार पत्रावली में संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र की वैद्यता की तिथि समाप्त होने के बाद दिनांक 08.09.2020 को उक्त कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा दी गयी।

(2) उक्त कार्य की पत्रावली में संलग्न कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट फरूखाबाद द्वारा दिनांक 17.03.2017 को जारी हैसियत प्रमाण पत्र में जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये ही हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होगा अंकित है। किन्तु हैसियत प्रमाण पत्र की वैद्यता की अवधि समाप्त होने के बाद दिनांक 08.09.2020 को उक्त कार्य की सामग्री आपूर्ति हेतु मै0 उर्मिला देवी मोहम्मदाबाद फरूखाबाद को स्वीकृति प्रदान की गयी।

(3) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाना (दर्शित उपस्थिति के अनुसार) दर्शित है। जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान ₹0-235353.00 द्वारा कार्य प्रभारी श्री दशरथ सिंह सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को किया गया। कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के होते हैं। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अर्हतागत जॉब कार्ड बना हुआ है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।

(4) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(5) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(6) उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य ₹0-1000/-की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी। जो अपेक्षित थी।

(7) उक्त पत्रावली में ₹0-100/- मूल्य का स्टाम्प पेपर सादा लगा हुआ पाया गया। स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध की शर्त लिखी ही नहीं गयी। जो अपेक्षित थी।

(8) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों में दर्शित श्रमिकों की जॉब कार्ड संख्या अंकित नहीं की गयी है। जो अपेक्षित रही।

(9) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित नहीं है। मस्टर रोल पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित किया जाना अपेक्षित रहा।

(10) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरों के निशान अंगूठा प्रथम दृष्टया एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये सभी उगलियों के निशान प्रतीत होते हैं एवं हस्ताक्षर भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं। उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि बाउड्रीवाल निर्माण कार्य में रु0-860995=00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नजमा सिद्दीकी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्रकुमार यादव एवं कार्य प्रभारी श्री दशरथ सिंह सहायक विकास अधिकारी (कृषि) संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-18)

प्रस्तर-51 वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से ग्राम बबना में मस्जिद से राम दयाल जाटव के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य का ठेका मै0 राजवीर सिंह को दिया गया। उक्त कार्य हेतु मै0 राजवीर सिंह द्वारा रु0-394530=00 कीमत की सामग्री आपूर्ति की गयी उक्त सामग्री कीमत पर ठेकेदार के बिल से रु0-31=00 की आयकर की कटौती की गयी है। जबकि सामग्री कीमत पर 2.00 प्रतिशत की दर से रु0-7891=00 की आयकर की कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार ठेकेदार के बिल से रु0-7891-31=7860.00 से कम आयकर की कटौती कर अनियमित रूप से रु0-7860.00 से ठेकेदार को अर्थिक लाभ दिया गया है, और रु0-7860=00 से राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। अतः ठेकेदार श्री राजवीर सिंह से रु0-7860.00 वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विक्रान्त तिवारी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-19)

प्रस्तर-52 वर्ष 2020-21 में निम्नांकित विवरण के अनुसार आर्यावर्त ग्रामीण बैंक आफ शाखा-नबाबगंज मनरेगा प्रासंगिक व्यय खाता संख्या-24363 से धनराशि आहरित किया जाना दर्शित है। किन्तु इन आहरित धनराशियों से सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये:-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
0.7.04.2020	37490	210000.00	टू ट्रांसफर
07.04.2020	37491	20000.00	विजय कुमार
07.04.2020	37492	5000.00	विजय कुमार
07.04.2020	37493	28000.00	असान सिंह
27.08.2020	37499	10000.00	विवेक कुमार
27.08.2020	37500	20000.00	विजय कुमार
15.10.2020	486357	10000.00	विवेक कुमार
15.10.2020	486358	10000.00	विजय कुमार
11.01.2021	486362	15000.00	विवेक कुमार
11.01.2021	486363	5000.00	विजय कुमार
योग:-		333000=00	

इस प्रकार उपरोक्त व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्ययों की पुष्टि न कराये जाने से समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। उक्त धनराशि ₹0-333000=00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राज मणि वर्मा, श्रीमती नजमा सिद्दीकी, श्री विक्रान्त तिवारी, एवं श्री देवेन्द्र कुमार यादव तत्कालीन लेखाकार से संयुक्त रूप से जमा कराई जानी अपेक्षित है।(मूल आपति संख्या-20)

प्रस्तर-53 वर्ष 2020-21 में निम्नांकित विवरण के अनुसार आर्यावर्त ग्रामीण बैंक आफ शाखा-नबाबगंज मनरेगा प्रासंगिक व्यय खाता संख्या-24363 से धनराशि आहरित किया जाना दर्शित है। किन्तु इन आहरित धनराशियों से सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये:-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
16.04.2020	37494	2565.00	राजीव कुमार
14.10.2020	486355	18095.00	नेशनल स्टेशनरी कचहरी रोड फतेहगढ़
02.02.2021	486369	16315.00	नेशनल स्टेशनरी कचहरी रोड फतेहगढ़
	योग:	36975=00	

इस प्रकार उपरोक्त व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्ययों की पुष्टि न कराये जाने से समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। उक्त धनराशि ₹0-36,975=00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजमणि वर्मा, श्रीमती नजमा सिद्दीकी, श्री विक्रान्त तिवारी, एवं श्री देवेन्द्र कुमार यादव तत्कालीन लेखाकार से संयुक्त रूप से जमा कराई जानी अपेक्षित है।(मूल आपति संख्या-21)

प्रस्तर-54 वर्ष 2020-21 में निम्नांकित विवरण के अनुसार आर्यावर्त ग्रामीण बैंक आफ शाखा-नबाबगंज मनरेगा प्रासंगिक व्यय खाता संख्या-24363 से धनराशि आहरित किया जाना दर्शित है। किन्तु इन आहरित धनराशियों से सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये:-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	प्राप्त कर्ता
08.07.2020	37495	4130.00	प्लस कम्प्यूटर
19.02.2021	486371	41700.00	प्लस कम्प्यूटर
01.10.2020	486353	3800.00	श्री प्रभात चन्द्र
29.01.2021	486364	42700.00	मै0 महेश्वरी टेडर्स
29.01.2021	486368	10875.00	श्री वीर प्रताप सिंह
02.02.2021	486370	4550.00	श्री प्रभात चन्द्र सक्सेना
योग:-		107755=00	

इस प्रकार उपरोक्त व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्ययों की पुष्टि न कराये जाने से समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। उक्त धनराशि ₹0-107755=00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी , श्री विक्रान्त तिवारी, एवं श्री देवेन्द्र कुमार यादव तत्कालीन लेखाकार से सयुक्त रूप से जमा कराई जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर-55 वर्ष 2020-21 में निम्नांकित विवरण के अनुसार आर्यावर्त ग्रामीण बैंक आफ शाखा-नबाबगंज मनरेगा प्रासंगिक व्यय खाता संख्या-24363 से धनराशि आहरित किया जाना दर्शित है। किन्तु इन आहरित धनराशियों से सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये:-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
24.08.2020	37498	18372.00	कौशिली इन्डियन ऑयल
14.10.2020	486354	8162.00	कौशिली इन्डियन ऑयल
07.01.2021	486359	25691.00	कौशिली इन्डियन ऑयल
07.01.2021	486360	8642.00	कौशिली इन्डियन ऑयल
23.01.2021	486366	3563.00	कौशिली इन्डियन ऑयल
08.07.2020	37496	36000.00	श्री उमाशंकर
20.08.2020	37497	18000.00	श्री उमाशंकर
02.09.2020	486351	18000.00	श्री उमाशंकर
15.09.2020	486352	18000.00	श्री उमाशंकर
14.10.2020	486356	18000.00	श्री उमाशंकर
07.01.2021	486361	36000.00	श्री उमाशंकर
19.01.2021	486365	36000.00	श्री उमाशंकर
योग:-		244430=00	

इस प्रकार उपरोक्त व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लॉगबुक, अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्ययों की पुष्टि न कराये जाने से समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। उक्त धनराशि ₹0-244430=00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी , श्री विक्रान्त तिवारी, एवं श्री देवेन्द्र कुमार यादव तत्कालीन लेखाकार से सयुक्त रूप से जमा कराई

जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-23)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष - 2020-21

जनपद- कन्नौज

मण्डल- कानपुर

जनपद- कन्नौज की क्षेत्र पंचायत में लेखा परीक्षा के दौरान अधिभार योग्य पाए गए प्रस्तर -

1- क्षेत्र पंचायत- कन्नौज लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19

प्रस्तर सं० -1:- आलोच्य वर्ष में मनरेगा प्रशासनिक व्यय मद में रु. 2558012.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रु. 2463000.00 मानदेय का तथा शेष रु. 95012.00 स्टेशनरी व अन्य कार्यालय व्यय पर व्यय किया गया। मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई भी विकास कार्य मनरेगा योजना से नहीं कराया गया। जो इस योजना की मंशा के विपरीत रहा। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। अतः मनरेगा प्रशासनिक मद में व्यय रु. 2558012.00 की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी। जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। अतः उक्त व्यय की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। क्योंकि इस व्यय से मनरेगा योजना का लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ। अतः व्यय रु. 2558012.00 हेतु उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव एवं लेखाकार श्री अरुणेश कुमार यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद - कानपुर देहात

मण्डल - कानपुर नगर।

क्षेत्र पंचायत:-अकबरपुर

जनपद - कानपुर देहात

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21

प्रस्तर सं० 01

टेण्डर पत्र का मूल्य 1 लाख से 10 लाख के अनुमानित मूल्य के टेंडर के लिए अनुमानित मूल्य का 0.2 प्रतिशत (न्यूनतम रु. 400.00 अधिकतम रु. 1500.00) और 10 लाख से ऊपर के लिए 0.15 प्रतिशत (अधिकतम 25000.00) जी०एस०टी० जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। संस्था द्वारा पत्रांक 1000/लेखा/च०रा०वि०-निविदा प्रकाशन- पत्रांक/2020-21, दिनांक 01.10.2020 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों हेतु निविदा का प्रकाशन कराया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	कार्य तथा कार्यस्थल का नाम	प्राक्कलन की धनराशि (लाख में)	बिड सिक्योरिटी	निविदा मूल्य (टेण्डर में विज्ञापित)	निविदा मूल्य जो होना चाहिए
1	ग्राम स्वरूपपुर में बनारअलीपुर डामर रोड से रेउना बम्बा पुलिया तक मिट्टी भराई एवं खडंजा निर्माण 500 मीटर	9.81	20000	1000	1500
2	ग्राम शहबाजपुर में पीताम्बरपुर रोड से जगदीशनरायण के खेत तक मिट्टी भराई एवं खडंजा निर्माण 200 मीटर	3.68	7500	400	736
3	ग्राम सरियापुर के कुम्हरान तालाब से बड़ा तालाब तक नाला निर्माण कार्य 110 मीटर	9.50	19000	950	1500
4	ग्राम मिलकिया में नरिहा डामर रोड से जगदीश राजपूत के मकान तक मिट्टी भराई एवं खडंजा निर्माण 200 मीटर	3.95	8000	400	790
5	ग्राम रूरवाहार में जयराज संखवार के दरवाजे से पुलिस चौकी तक मिट्टी भराई एवं खडंजा निर्माण कार्य 350 मीटर	6.88	14000	700	1376
6	ग्राम संगसियापुर में संजय कठेरिया के मकान से बम्बा डामर रोड तक	9.68	19000	1000	1500

	खडंजा,हयूम पाइप,पुलिया निर्माण 500 मीटर				
7	ग्राम बिवाइन में साहबलाल के दरवाजे से कच्दपुरवा में जाने वाले मार्ग में मिट्टी भराई एवं खडंजा निर्माण कार्य 300 मीटर	5.74	11000	600	1148
8	अकबरपुर हाईवे से बनारअलीपुर मार्ग में खडंजा की मरम्मत कार्य 1290 मीटर	4.33	9000	450	866
9	ग्राम चैनपुर में हीरालाल के दरवाजे से महावीर के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य 170 मीटर	6.94	14000	700	1388
10	मेन रोड से ब्लाक कैम्पस तक नाली निर्माण एवं मरम्मत कार्य 150 मीटर	2.32	5000	250	464
11	विकासखण्ड अकबरपुर परिसर में पानी की टंकी स्थापना एवं जलपूर्ति कार्य - 1 नग	3.38	7000	400	676
				6850	11944

तथा संस्था द्वारा वर्ष 2020-21 में ही पुनः पत्रांक 1845/लेखा/च0रा0वि0/दिनांक 02.02.2021 द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग (टाइड फण्ड)/ पं0राज0वि0आ0/की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से कराए जाने वाले कार्य हेतु निविदा का प्रकाशन कराया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

क्रमांक	कार्य तथा कार्यस्थल का नाम	प्राक्कलन की धनराशि (लाख में)	बिड सिक्योरिटी	निविदा मूल्य (टेण्डर में विज्ञापित)	निविदा मूल्य जो होना चाहिए

1	ग्राम रूरवाहार बाजार में पानी टंकी की स्थापना- 01 नग(केन्द्रीय वित्त)	2.8	5600	300	560
2	ग्राम निबौली बुजुर्ग में राजेन्द्र यादव की दुकान के सामने पानी की टंकी की स्थापना- 01 नग(केन्द्रीय वित्त)	2.8	5600	300	560
3	ग्राम गदनपुर में भारत सिंह का पुरवा में प्राथमिक स्कूल के पास पानी की टंकी की स्थापना- 01 नग (केन्द्रीय वित्त)	2.8	5600	300	560
4	ग्राम रहनियापुर जगजीवनपुर घनश्याम राजपूत के प्लाट के सामने पानी की टंकी की स्थापना- 01 नग(केन्द्रीय वित्त)	2.8	5600	300	560
5	ग्राम मडौली मं पंचायत घर के समीप पानी की टंकी की स्थापना- 01 नग(केन्द्रीय वित्त)	2.8	5600	300	560
6	ग्राम भटौली में पंचायत घर के समीप पानी की टंकी की स्थापना- 01 नग(केन्द्रीय वित्त)	2.8	5600	300	560
7	ग्राम ज्योतिष मजरा सहाबापुर में सहाबाबा के स्थान के समीप पानी की टंकी की स्थापना- 01 नग(केन्द्रीय वित्त)	2.8	5600	300	560
8	ग्राम तिगाई में रोड के पास सब्जी मण्डी के समीप पानी की टंकी की स्थापना- 01 नग(केन्द्रीय वित्त)	2.8	5600	300	560
9	ग्राम औरंगाबाद में दयाराम के घर के सामने पानी की टंकी की स्थापना- 01 नग(केन्द्रीय वित्त)	2.8	5600	300	560
10	ग्राम पंचायत दुर्गापुरवा मजरा मिलखिया में रामकुमार के प्लॉट के समीप शौचालय निर्माण- 01 नग केन्द्रीय वित्त	2.24	4800	240	408
11	ग्राम बनारअलीपुर अकबरपुर, कानपुर हाईवे के समीप शौचालय निर्माण- 01 नग केन्द्रीय वित्त	1.50	3000	200	400

12	ग्राम दुर्गापुरवा (मिलकिया) रामप्रकाश के घर से तालाब तक नाला निर्माण - 110 मीटर - 01 नग केन्द्रीय वित्त	2.79	5600	300	558
13	ग्राम बेवन में बाइपास खडंजा से ब्रह्मदेव स्थान तक खडंजा निर्माण - 180 मीटर (पंचम राज्य वित्त)	3.45	7000	350	690
14	ग्राम दरगवाँ में सेवक बाबा के दरवाजे से साहेब कठेरिया के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य - 100 मीटर(पंचम राज्य वित्त)	3.52	7100	360	704
				4150	7800

तथा संस्था द्वारा वर्ष 2020-21 में ही पुनः पत्रांक 2066/लेखा/च0रा0वि0/निविदा प्रकाशन- पत्रांक/2020-21 दिनांक 04.03.2021 द्वारा निविदा का प्रकाशन कराया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

क्रमांक	कार्य तथा कार्यस्थल का नाम	प्राक्कलन की धनराशि (लाख में)	बिड सिक्योरिटी	निविदा मूल्य (टेण्डर में विज्ञापित)	निविदा मूल्य जो होना चाहिए
1	ग्राम सरवा टप्पा में शिवली रूरा डामररोड में श्री कृष्ण गार्डन के पास कूलर सहित पानी की टंकी की स्थापना- 01 नग केन्द्रीय वित्त	3.26	6500	350	652
2	ग्राम डिवाइन में सब्जी मंडी के पास कूलर सहित पानी की टंकी की स्थापना-01 नग केन्द्रीय वित्त	3.26	6500	350	652
3	ग्राम गुटइया में नहर पुल के पास फल मंडी में कूलर सहित पानी की टंकी की	3.26	6500	350	652

	स्थापना-01 नग केन्द्रीय वित्त				
4	ग्राम बनारअलीपुर (सहबाजपुर) में कूलर सहित पानी की टंकी की स्थापना-01 नग केन्द्रीय वित्त	3.26	6500	350	652
5	ग्राम करौंसा में प्राथमिक विद्यालय में ं कूलर सहित पानी की टंकी की स्थापना-01 नग केन्द्रीय वित्त	3.26	6500	350	652
6	ग्राम स्वरूपपुर में प्राथमिक विद्यालय में ं कूलर सहित पानी की टंकी की स्थापना-01 नग केन्द्रीय वित्त	3.26	6500	350	652
7	ग्राम बलिहारा (दस्तमपुर)में नवाब सिंहके घर से मुन्नीलाल के घर तक इन्टरलॉकिंग सड़क कार्य - 150 मीटर	4.53	9100	460	906
8	ग्राम छोटी मिलखिया (दुर्गापुरवा में) सुखना तालाब से हारीस्थल तक नाला निर्माण - 125 मीटर	3.40	6800	350	680
9	ग्राम पंचायत बिगाही डामर रोड से राजेश के खेत तक खडंजा निर्माण - 500 मीटर (केन्द्रीय वित्त)	8.96	18000	900	1500
10	ग्राम रहनियापुर में इस्लाक के खेत से करन सिंह के खेत उचवा मजरा रहनियापुर तक खडंजा निर्माण - 500 मीटर केन्द्रीय वित्त	8.96	18000	900	1500

11	ग्राम पंचायत गैजूमऊ के समीप शिवेन्द्र मास्टर के घर से रेलवे क्रॉसिंग की ओर खड्जा निर्माण	9.99	20000	1000	1500
12	ग्राम इमलिया चाँदी वीरेन्द्र के घर से अजीत के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण - 84 मीटर	3.38	6800	350	676
13	ग्राम बलिहारा (दस्तमपुर) डामर रोड से जय नारायण के खेत तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण - 60 मीटर	2.13	4300	220	426
14	ग्राम स्वरूपपुर में रोशन लाल से अतर लाल बाया अजय और महेश से राजाराम के घर तक सड़क निर्माण - 101 मीटर	2.95	5900	300	590
				6580	11690

तथा संस्था द्वारा वर्ष 2020-21 में ही पुनः पत्रांक 1632/लेखा/च0रा0वि0- निविदा प्रकाशन-पत्रांक/2020-21 दिनांक 05.01.2021 द्वारा निविदा का प्रकाशन कराया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

क्रमांक	कार्य तथा कार्यस्थल का नाम	प्राक्कलन की धनराशि (लाख में)	बिड सिक्योरिटी	निविदा मूल्य (टेण्डर में विज्ञापित)	निविदा मूल्य जो होना चाहिए
1	ग्राम मुडौली में सुरेश कुशवाहा के घर से लल्लन पाठक के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण - 120 मीटर	4.59	9000	500	918
2	ग्राम करौसा में राकेश यादव के घर से प्रेम शंकर तथा	7.54	15000	800	1500

	अमित मास्टर के दरवाजे से माता मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण - 220 मीटर				
3	ग्राम अन्दाँया रूरा रोड से अम्बरपुर प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण - 175 मीटर	6.14	13000	650	1228
4	ग्राम बलभद्रापुर में चन्द्रपाल राजपूत के मकान से शिव प्रसाद के घर से आगे की ओर इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण - 75 मीटर	6.72	14000	700	1344
5	ग्राम स्वरूपपुर में खेमराज से भीखमसिंह वाया विजय सिंह व शिवप्रसाद के घर से महावीर के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य - 175 मीटर	5.56	11000	550	1112
6	ग्राम बिवाइन बैरागी में प्राथमिक विद्यालय से चन्द्रप्रकाश के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य - 160 मीटर	5.00	12000	600	1000
7	ग्राम गुटइया रूरा शिवली रोड से श्रीकृष्ण गार्डन तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य - 32 मीटर	2.19	4500	250	438
8	ग्राम कठरा डामर रोड से सरसी का मजरा भइया जी के स्कूल तक मिट्टी भराई	7.10	14000	700	1420

	खडंजा निर्माण कार्य - 120 मीटर				
9	ग्राम लहरापुर नागेश्वर के मकान से सारनाथ के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य - 120 मीटर	4.35	9000	500	870
10	ग्राम मन्सुरा मुखलिशपुर में कमरूल जमों से रमेश तथा ननकी के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य - 100 मीटर	3.85	7000	400	770
11	ग्राम भुलनीपुरवा डामर रोड से बैजपुरवा रेलवे क्रासिंग तक खडंजा निर्माण कार्य - 516 मीटर	9.99	19000	1000	1500
12	ग्राम दुर्गापुरवा के पास रामकेश पाठक के खेत से रेउवा रजवहां तक मिट्टी भराई खडंजा एवं हयूम पाइप पुलिया निर्माण।	4.83	9000	500	966
				7150	13066

उक्त कार्य हेतु तुलनात्मक विवरण के अनुसार तीन-तीन फर्मों ने निविदा फार्म क्रय किए थे। जिनसे रु. 6850+4150+6580+7150 सहित कुल रु. 24730 गुणा 3 बराबर 74190.00 प्राप्त हुआ है। किन्तु आगणित धनराशि के अनुसार वास्तविक निविदा प्रपत्रों का मूल्य रु. 11944+7800+11690+13066 सहित कुल रु. 44500 गुणा 3 बराबर रु. 133500.00 होता है। इस अनुसार कुल रु0 133500 का राजस्व निविदा फार्म बिक्री से आना था। जिसमें रु0 133500-74190 बराबर 59310.00 के राजस्व की कमी हुई है, जिसके लिए लेखाकार श्री प्रदीप त्रिवेदी व खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय वीर सिंह जिम्मेदार है। अतः निविदा फार्म बिक्री में हुई राजस्व की क्षति रु. 59310.00 की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित फर्मों से न हो पाने की स्थिति में इसकी वसूली उक्त दोनों उत्तरदायी व्यक्तियों से 50-50 प्रतिशत की जानी अपेक्षित है। **मूल आपति सं018**

प्रस्तर सं0 02 क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान कराए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में तीन फर्मों द्वारा टेण्डर डाला गया है। किन्तु निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तों के विपरीत कार्य करवाया गया जिसका विवरण एवं पाई गई कमियाँ निम्नवत् है-

क्र 0 र् र सं .	कार्य तथा कार्यस्थल का नाम	व्यय धनराशि
1	ग्राम गदनपुर में भारत सिंह का पुरवा में प्राथमिक स्कूल के पास पानी की टंकी की स्थापना-01 नग केन्द्रीय वित्त	264442.00
2	ग्राम नौरंगाबाद में दयाराम के घर के सामने पानी की टंकी की स्थापना-01 नग केन्द्रीय वित्त	264907.00
3	ग्राम पंचायत दुर्गापुरवा मजरा मिलखिया में रामकुमार के प्लाट के समीप शौचालय निर्माण-01 नग केन्द्रीय वित्त	204084.00
4	ग्राम दुर्गापुरवा (मिलखिया) रामप्रकाश के घर से तालाब तक नाला निर्माण - 110 मीटर, 01 नग केन्द्रीय वित्त	279000.00
5	ग्राम बेवन में बाइपास खण्डजा से ब्रह्मदेव स्थान तक खण्डजा निर्माण- 180 मीटर (पंचम राज्य वित्त)	343298.00
6	ग्राम दरगवां से सेवक बाबा के दरवाजे से साहेब कठेरिया के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य - 100 मीटर (पंचम राज्य वित्त)	352000.00
7	ग्राम कुढवा मैथा रोड से राजन शुक्ला के खेत तक खण्डजा एवं ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण	618555.00
8	कुढवा ग्राम के पास मनोज के खेत से टिकरी मस्जिद तक खण्डजा निर्माण	579794.00
9	ग्राम बिगाही (मिलकिया) रेउना रजबहा के सामने आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	674578.00
10	ग्राम मडौली से सुरेश कुशवाहो मकान से लल्लन पाठक के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य - 120 मीटर	457432.00
11	ग्राम अन्दायां रूरा रोड से अकबरपुर प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य - 175 मीटर	613395.00
12	ग्राम बलरामपुर में चन्द्रपाल राजपूत के मकान से शिव प्रसाद के घर के आगे की ओर इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य - 175 मीटर	671143.00
13	ग्राम स्वरूपपुर में खेमराज से भीखमसिंह बाया विजय सिंह व शिव प्रसाद के घर से महावीर के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य - 175 मीटर	556014.00

1 4	ग्राम गुटैया रूरा शिवली रोड से कृष्णा गार्डन तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य - 32 मीटर	217639.00
1 5	ग्राम कठरा डामर रोड से सरसी का मजरा भड़या जी स्कूल तक मिट्टी भराई एवं खडंजा निर्माण कार्य - 120 मीटर	709107.00
1 6	ग्राम भुलनीपुरवा डामर रोड से बैजपुरवा रेलवे क्रांसिंग तक खडंजा निर्माण कार्य - 516 मीटर	405136.00
1 7	ग्राम दुर्गापुरवा के पास राकेश पाठक के खेत से रेउवा रजवहा तक मिट्टी भराई खडंजा एवं हयूम पाइप पुलिया निर्माण	480885.00
		7691409.00

कमियाँ -

(1) जिन दो फर्मों की निविदा अस्वीकृत हुई है। उनके द्वारा निविदा पत्र की शर्तों के क्रमांक 1 के अनुसार रु0 100 का स्टाम्प पेपर न लगाए जाने व क्रमांक 4 के अनुसार धरोहर धनराशि वापस करने का प्रमाण पत्र न होने तथा पेपर में टेण्डर विज्ञापित होने से खुलने की तिथि के बीच मात्र पाँच से दस दिन का ही अन्तर होने से ऐसा प्रतीत होता है कि टेण्डर की औपचारिकता मात्र दिखावे के लिए ही की गई है।

2. निविदा प्रपत्र की शर्तों के क्रमांक 6 के अनुसार रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना था। किन्तु विभिन्न कार्यों में जिन फर्मों की निविदा स्वीकृत हुई है, उनके द्वारा रु0 100 का सादा स्टाम्प पेपर ही निविदा फार्म के साथ संलग्न है। अतः कोई शपथ पत्र फर्म से नहीं लिया गया है। अन्य दो फर्मों के निविदा प्रपत्र के साथ रु. 100 का स्टाम्प पेपर भी नहीं संलग्न पाया गया।

3. क्रमांक 5 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी चरित्र व हैसियत प्रमाण पत्र लगाया जाना था। किन्तु मेसर्स ज्ञान सिंह फर्म व मेसर्स श्याम सिंह फर्म द्वारा लगाए गये चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता क्रमशः दिनांक 10.10.2020 और दिनांक 10.08.2020 तक ही थी, तथा फर्मों में मेसर्स श्याम सिंह व मेसर्स सरोज द्वारा लगाए गये हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता क्रमशः 21.07.2019 व दिनांक 19.02.2020 तक ही थी। जबकि टेण्डर वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 01.04.2020 के बाद खोले गये थे।

4. क्रमांक 3 के अनुसार विभाग में पंजीकृत होने का पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति तीनों फर्मों के द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं की गई है।

5. क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए जाने वाले उपरोक्त निर्माण कार्यों में जिन दो फर्मों की निविदा अस्वीकृत हुई है, उनकी धरोहर धनराशि (एफ0डी/एन0एस0सी0)/एकाउन्ट पेयी चेक) वापस किए जाने का आवेदन पत्र व वापस किए जाने के प्रमाण स्वरूप उसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी।

6. विभिन्न निर्माण कार्यों के सापेक्ष स्वीकृत प्राक्कलन स्वीकृति के बिन्दु संख्या 03 में वर्णित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावलियों में संलग्न नहीं है।

7. तकनीकी स्वीकृति के बिन्दु सं0 02 के अनुसार कार्य का 80 प्रतिशत भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरान्त किया जाना था। किन्तु पत्रावली में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन किए जाने का कोई प्रपत्र/प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

8. तकनीकी स्वीकृति के बिन्दु सं0 02 के अनुसार कार्य का 20 प्रतिशत भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त किया जायेगा। किन्तु सहायक अभियन्ता की संस्तुति पत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं पायी गयी।

9. तकनीकी स्वीकृति के बिन्दु सं0 01 के अनुसार स्वीकृति प्राक्कलन कार्य 30 प्र0 क्षेत्र0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 शासनादेश सं0 612-12वीं/33-02-10 आर0 63 यू0पी0ए0-33-19-नियम 1984 लखनऊ 01 मार्च 1985 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप कार्य सम्पादित किया जायेगा। तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर - 3 के उप प्रस्तर - 8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज मापों की 10 प्रतिशत जाँच खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। किन्तु 10 प्रतिशत जाँच किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

10. माप पुस्तिका में कार्य की प्रारम्भ तिथि, समाप्ति तिथि तथा कार्य के मेजरमेन्ट की तिथियाँ अंकित नहीं की गई हैं।

11. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका को निर्गत तो किया गया है, किन्तु माप पुस्तिका निर्गत किये जाने की दिनांक व क्रमांक अंकित नहीं है।

12. कार्य की स्वीकृति हेतु विभिन्न पत्रांक दिनांक द्वारा जारी पत्रों में यह आदेश था कि कार्य स्थल पर साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, लेकिन इसका सामान्यतः पालन नहीं किया गया है।

13. कार्य की स्वीकृति के आदेश में कार्य के पूर्व मध्य व अन्त की फोटोग्राफ लगाना अनिवार्य था, लेकिन कार्य के पूर्व मध्य एवं अन्त के समस्त फोटोग्राफ पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाये गये।

14. कार्य की स्वीकृति हेतु जारी पत्रों के अनुसार कार्यादेश प्राप्ति के 1 सप्ताह के अन्दर जमानत धनराशि जरिये किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचन पत्र, एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 खण्ड विकास अधिकारी के पदनाम से बंधक कराकर अथवा नकद जमा किया जाना था, किन्तु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमानत धनराशि जमा कराये जाने का विवरण पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

15. कार्य की स्वीकृति हेतु जारी पत्रों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध किया जाना था, किन्तु पत्रावलियों में अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

16. समस्त निर्माण कार्यों के पूर्ण होने का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

निष्कर्ष:-

अतः उक्त कमियों को दृष्टिगत रखते हुए ये ज्ञात होता कि निर्माण कार्य हेतु दी गई वित्तीय गाइडलाइन्स के अनुरूप न कराकर अनियमित तरीके से कार्य कराया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी (प्रभारी) श्री अजय वीर सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी (प्रभारी) श्री सुभाष चन्द्रा उत्तरदायी हैं जिन पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 19)

प्रस्तर सं0 03. विकासखण्ड में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना अन्तर्गत कार्यरत एक लेखा सहायक, एक कम्प्यूटर आपरेटर, छः तकनीकी सहायक तथा 41 रोजगार सेवकों के मानदेय से जुलाई 2020 से फरवरी 2021 तक के ई0पी0एफ0 हेतु कर्मचारियों का अंशदान, मानदेय के 12 प्रतिशत की दर से रु. 362448.00 की कटौती की गई है। यह धनराशि कटौती के उपरान्त जमा न कराए जाने से सम्बन्धित पोर्टल पर नहीं दिख रही है। इससे कर्मचारियों को सरकार के अंशदान की 13 प्रतिशत धनराशि रु. 392652.00 एवं इसे मिलाकर कुल रु. 755100.00 की धनराशि पर प्राप्त होने वाली ब्याज की क्षति हो रही है। इस अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी (प्रभारी) श्री सुभाष चन्द्रा उत्तरदायी है। ई0पी0एफ0 का अंशदान अविलम्ब जमा कराये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा तत्कालीन लेखाकार पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 20)

प्रस्तर सं0 04 दिनांक 21.10.2020 को चेक संख्या 504574 द्वारा रु. 34885.00 का भुगतान (वाहन किराया व पी.ओ.एल. माह जनवरी 2020 हेतु श्री वीर सिंह को रु. 16600.00 तथा मेसर्स सिंह फिलिंग स्टेशन को रु. 18235.00) आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय के पत्र संख्या - मनरेगा/08/871/2020-21 दिनांक 29.05.2020 व इसी संदर्भ में पत्रांक मनरेगा/पत्रांक सं0 281/972/2020-21, दिनांक 09.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में रु. 2 लाख विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय के परिचालन व्यय हेतु आवंटित धनराशि से किया गया है। इस आवंटित धनराशि से विकासखण्ड पर कार्यालय के परिचालन पर व्यय किया जाना था। जबकि यह भुगतान उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा कानपुर देहात के साथ अटैच वाहन संख्या यू0पी0 77 एक्स 0353 हेतु किया गया है। (कार्यक्रम अधिकारी अकबरपुर का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा द्वारा इस भुगतान हेतु लिखा गया था।) जो कि नियमानुसार नहीं है। लेखा परीक्षा के अनुसार उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा की गाड़ी के किराये व डीजल का भुगतान उनके कार्यालय व्यय हेतु उपलब्ध धनराशि से किया जाना चाहिए। यदि विकास खण्ड स्तर से इस व्यय को किया जाना चाहिए था तो उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा कानपुर देहात से उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत प्रशासनिक आदेश के क्रम में ही व्यय किया जाना था। अतः इस भुगतान रु. 34885.00 की वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी प्रभारी श्री अजय वीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 21)

प्रस्तर सं0 05 प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- 897, दिनांक 08.04.2020 के क्रम में मुख्यमंत्री राहत कोष (कोविड केयर फण्ड) में सहायता हेतु दिनांक 13.04.2020 को राज्य वित्त आयोग से चेक सं0 000312 द्वारा रु. 800000.00 तथा तेहरवें वित्त आयोग से चेक संख्या 000313 द्वारा रु. 311000.00 इस प्रकार कुल 1111000.00 की धनराशि प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय वीर सिंह द्वारा की गयी थी, जो कि आपत्तिजनक रहा। मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता हेतु स्वयं के स्रोतों से हुई आय से ही सहायता की जानी थी। जबकि खण्ड विकास अधिकारी महोदय द्वारा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अनुदान की धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया गया। अतः इस भुगतान रु. 1111000.00 की वसूली हेतु उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी प्रभारी श्री अजय वीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 22)

प्रस्तर सं0 06 आलोच्य वर्ष दौरान राज्य वित्त आयोग से पत्रांक 1643 दिनांक 06.10.2020 द्वारा दिनांक 07.10.2020 को पेपर में विज्ञापित कराकर निम्न कार्य कराये गये हैं -

क्रमांक	कार्य तथा कार्यस्थल का नाम	कार्य पर व्यय	टेण्डर खुलने का समय व दिनांक	टेण्डर समिति के सदस्यों का नाम
1	ग्राम स्वरूपपुर में बनारअलीपुर डामर रोड से रेउना बम्बा पुलिया तक मिट्टी भराई एवं खडंजा निर्माण कार्य 500 मीटर	980105.00	13.10.2020 3.00 अपराह्न	श्री अजय वीर सिंह, प्रभारी ख0वि0अधि0 श्री विश्वनाथ पाल, स0वि0अधि0(आई.एस.बी.) श्री यशपाल सिंह, जे0ई0ग्रा0अभि0वि0 श्री रामप्रकाश पाठक, स0वि0अधि0(पं0)
2	ग्राम शहबाजपुर में पीताम्बरपुर रोड से जगदीशनरायण के खेत तक मिट्टी भराई एवं खडंजा निर्माण कार्य 200 मीटर	366717.00	--तदैव--	--तदैव--
3	ग्राम सरियापुर में कुम्हारन तालाब से बडा तालाब तक नाला निर्माण कार्य 110 मीटर	715835.00	--तदैव--	--तदैव--
4	ग्राम मिलकिया में नरिहा डामर रोड से जगदीश राजपूत के मकान तक मिट्टी भराई एवं खडंजा निर्माण कार्य 200 मीटर	394918.00	--तदैव--	--तदैव--
5	ग्राम रूरवाहार मे जयराम संखवार के दरवाजे से पुलिस चौकी तक मिट्टी भराई एवं खडंजा निर्माण कार्य 350 मीटर	687439.00	--तदैव--	--तदैव--
6	ग्राम संगसियापुर मे संजय कठेरिया के मकान से बम्बा	941274.00	--तदैव--	--तदैव--

	डामर रोड तक खडंजा, हयूम पाइप, पुलिया निर्माण 500 मीटर			
7	ग्राम बिवाइन में साहबलाल के दरवाजे से कच्दपुरवा में जाने वाले मार्ग में मिट्टी भराई एवं खडंजा निर्माण कार्य 300 मीटर	566398.00	--तदैव--	--तदैव--
8	अकबरपुर हाइवे से बनारअलीपुर मार्ग में खडंजा की मरम्मत कार्य 1290 मीटर	410422.00	--तदैव--	--तदैव--
9	ग्राम चैनपुर हीरालाल के दरवाजे से महावीर के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य 170 मीटर	693400.00	--तदैव--	--तदैव--
10	मेन रोड से ब्लाक कैम्पस तक नाली निर्माण एवं मरम्मत कार्य 150 मीटर	153022.00	--तदैव--	--तदैव--
	योग	5909530.0	--तदैव--	--तदैव--

उपरोक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष टेण्डर खोली जाने वाली कमेटी में श्री अजय वीर सिंह, प्रभारी ख०वि०अधि०, श्री विश्वनाथ पाल, स०वि०अधि०,(आई०एस०बी०), श्री यशपाल सिंह, जे०ई०ग्रा०अभि०वि० तथा श्री रामप्रकाश पाठक, स०वि०अधि०,(पं०) नामित किये गये थे। किन्तु दिनांक 13.10.2020 को टेण्डर खुलने के समय श्री विश्वनाथ पाल, स०वि०अधि० (आई०एस०बी०) के न रहने पर टेण्डर समिति पूर्ण नहीं थी, फिर भी टेण्डर खोलकर गम्भीर अनियमितता की गई है। टेण्डर समिति पूर्ण न होने पर टेण्डर खोलने की तिथि आगे बढ़ाई जा सकती थी या श्री विश्वनाथ पाल, स०वि०अधि०(आई०एस०बी०) की अनुपस्थिति की दशा में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने से उच्च स्तर के अधिकारी की अनुमति से किसी अन्य सहायक विकास अधिकारी को टेण्डर समिति में रखे जाने हेतु आदेश किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न करके उसी दिन टेण्डर खोला गया है।

उक्त के अतिरिक्त निम्न अन्य कमियां भी जाँच दौरान पायी गयीं -

(1) जिन दो फर्मों की निविदा अस्वीकृत हुई है। उनके द्वारा निविदा पत्र की शर्तों के क्रमांक 1 के अनुसार रु० 100 का स्टाम्प पेपर न लगाए जाने व क्रमांक 4 के अनुसार धरोहर धनराशि वापस

करने का प्रमाण पत्र न होने तथा पेपर में टेण्डर विज्ञापित होने से खुलने की तिथि के बीच मात्र पाँच से दस दिन का ही अन्तर होने से ऐसा प्रतीत होता है कि टेण्डर की औपचारिकता मात्र दिखावे के लिए ही की गई है।

2. निविदा प्रपत्र की शर्तों के क्रमांक 6 के अनुसार रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना था। किन्तु विभिन्न कार्यों में जिन फर्मों की निविदा स्वीकृत हुई है, उनके द्वारा रु0 100 का सादा स्टाम्प पेपर ही निविदा फार्म के साथ संलग्न है। अतः कोई शपथ पत्र फर्म से नहीं लिया गया है। अन्य दो फर्मों के निविदा प्रपत्र के साथ रु. 100 का स्टाम्प पेपर भी नहीं संलग्न पाया गया।

3. क्रमांक 5 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी चरित्र व हैसियत प्रमाण पत्र लगाया जाना था। किन्तु मेसर्स ज्ञान सिंह फर्म व मेसर्स श्याम सिंह फर्म द्वारा लगाए गये चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता क्रमशः दिनांक 10.10.2020 और दिनांक 10.08.2020 तक ही थी, तथा फर्मों में मेसर्स श्याम सिंह व मेसर्स सरोज द्वारा लगाए गये हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता क्रमशः 21.07.2019 व दिनांक 19.02.2020 तक ही थी। जबकि टेण्डर वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 01.04.2020 के बाद खोले गये थे।

4. क्रमांक 3 के अनुसार विभाग में पंजीकृत होने का पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति तीनों फर्मों के द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं की गई है।

5. क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए जाने वाले उपरोक्त निर्माण कार्यों में जिन दो फर्मों की निविदा अस्वीकृत हुई है, उनकी धरोहर धनराशि (एफ0डी/एन0एस0सी0)/एकाउन्ट पेयी चेक) वापस किए जाने का आवेदन पत्र व वापस किए जाने के प्रमाण स्वरूप उसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी।

6. विभिन्न निर्माण कार्यों के सापेक्ष स्वीकृत प्राक्कलन स्वीकृति के बिन्दु संख्या 03 में वर्णित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावलियों में संलग्न नहीं है।

7. तकनीकी स्वीकृति के बिन्दु सं0 02 के अनुसार कार्य का 80 प्रतिशत भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरान्त किया जाना था। किन्तु पत्रावली में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन किए जाने का कोई प्रपत्र/प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

8. तकनीकी स्वीकृति के बिन्दु सं0 02 के अनुसार कार्य का 20 प्रतिशत भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त किया जायेगा। किन्तु सहायक अभियन्ता की संस्तुति पत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं पायी गयी।

9. तकनीकी स्वीकृति के बिन्दु सं0 01 के अनुसार स्वीकृति प्राक्कलन कार्य 30प्र0 क्षे0स0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 शासनादेश सं0 612-12वीं/33-02-10 आर0 63 यू0पी0ए0-33-19-नियम 1984 लखनऊ 01 मार्च 1985 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप कार्य सम्पादित किया जायेगा। तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर - 3 के उप प्रस्तर - 8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज मापों की 10 प्रतिशत जाँच खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। किन्तु 10 प्रतिशत जाँच किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

10. माप पुस्तिका में कार्य की प्रारम्भ तिथि, समाप्ति तिथि तथा कार्य के मेजरमेन्ट की तिथियाँ अंकित नहीं की गई हैं।

11. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका को निर्गत तो किया गया है, किन्तु माप पुस्तिका निर्गत किये जाने की दिनांक व क्रमांक अंकित नहीं है।

12.कार्य की स्वीकृति हेतु विभिन्न पत्रांक दिनांक द्वारा जारी पत्रों में यह आदेश था कि कार्य स्थल पर साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, लेकिन इसका सामान्यतः पालन नहीं किया गया है।

13.कार्य की स्वीकृति के आदेश में कार्य के पूर्व मध्य व अन्त की फोटोग्राफ लगाना अनिवार्य था, लेकिन कार्य के पूर्व मध्य एवं अन्त के समस्त फोटोग्राफ पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाये गये।

14.कार्य की स्वीकृति हेतु जारी पत्रों के अनुसार कार्यादेश प्राप्ति के 1 सप्ताह के अन्दर जमानत धनराशि जरिये किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचन पत्र, एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 खण्ड विकास अधिकारी के पदनाम से बंधक कराकर अथवा नकद जमा किया जाना था, किन्तु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमानत धनराशि जमा कराये जाने का विवरण पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

15.कार्य की स्वीकृति हेतु जारी पत्रों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध किया जाना था, किन्तु पत्रावलियों में अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

16.समस्त निर्माण कार्यों के पूर्ण होने का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

इस गम्भीर अनियमितता के लिए श्री अजय वीर सिंह, प्रभारी ख0वि0अधि0, श्री यशपाल सिंह, जे0ई0ग्रा0अभि0वि0 तथा श्री रामप्रकाश पाठक, स0वि0अधि0(पं0) उत्तरदायी हैं। अतः उपयुक्त समस्त पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं0-23)

प्रस्तर सं0 07 आलोच्य वर्ष दौरान ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण पर निम्न विवरण के अनुसार धनराशि व्यय की गई है-

क्रमांक	ऑगनबाड़ी केन्द्र का नाम	धनराशि
1	पतारी	716521.00
2	अंदाया	751926.00
3	सरियापुर	562893.00
4	साहनीखेड़ा	665193.00
	योग	3361726.00

(1) जिन दो फर्मों की निविदा अस्वीकृत हुई है। उनके द्वारा निविदा पत्र की शर्तों के अनुसार रु0 100 का स्टाम्प पेपर न लगाए जाने व धरोहर धनराशि वापस करने का प्रमाण पत्र न होने तथा पेपर में टेण्डर विज्ञापित होने से खुलने की तिथि के बीच मात्र पाँच से दस दिन का ही अन्तर होने से ऐसा प्रतीत होता है कि टेण्डर की औपचारिकता मात्र दिखावे के लिए ही की गई है।

2. निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना था। किन्तु विभिन्न कार्यों में जिन फ़र्मों की निविदा स्वीकृत हुई है, उनके द्वारा रु0 100 का सादा स्टाम्प पेपर ही निविदा फार्म के साथ संलग्न है। अतः कोई शपथ पत्र फर्म से नहीं लिया गया है। अन्य दो फर्मों के निविदा प्रपत्र के साथ रु. 100 का स्टाम्प पेपर भी नहीं संलग्न पाया गया।
3. निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार विभाग में पंजीकृत होने का पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति तीनों फिर्मों के द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं की गई है।
4. क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए जाने वाले उपरोक्त निर्माण कार्यों में जिन दो फर्मों की निविदा अस्वीकृत हुई है, उनकी धरोहर धनराशि (एफ0डी/एन0एस0सी0)/एकाउन्ट पेयी चेक) वापस किए जाने का आवेदन पत्र व वापस किए जाने के प्रमाण स्वरूप उसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी।
5. उपरोक्त निर्माण कार्यों के सापेक्ष स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावलियों में संलग्न नहीं है।
6. तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कार्य का 80 प्रतिशत भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरान्त किया जाना था। किन्तु पत्रावली में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन किए जाने का कोई प्रपत्र/प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।
7. तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कार्य का 20 प्रतिशत भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त किया जायेगा। किन्तु सहायक अभियन्ता की संस्तुति पत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं पायी गयी।
8. तकनीकी स्वीकृति के अनुसार स्वीकृति प्राक्कलन कार्य उ0प्र0 क्षेत्र0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 शासनादेश सं0 612-12वीं/33-02-10 आर0 63 यू0पी0ए0-33-19-नियम 1984 लखनऊ 01 मार्च 1985 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप कार्य सम्पादित किया जायेगा। तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर - 3 के उप प्रस्तर - 8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज मापों की 10 प्रतिशत जाँच खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। किन्तु 10 प्रतिशत जाँच किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।
9. माप पुस्तिका में कार्य की प्रारम्भ तिथि, समाप्ति तिथि तथा कार्य के मेजरमेन्ट की तिथियाँ अंकित नहीं की गई हैं।
10. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका को निर्गत तो किया गया है, किन्तु माप पुस्तिका निर्गत किये जाने की दिनांक व क्रमांक अंकित नहीं है।
11. कार्य की स्वीकृति के आदेश में कार्य के पूर्व मध्य व अन्त की फोटोग्राफ लगाना अनिवार्य था, लेकिन कार्य के पूर्व मध्य एवं अन्त के समस्त फोटोग्राफ पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाये गये।
12. कार्य की स्वीकृति हेतु जारी पत्रों के अनुसार कार्यादेश प्राप्ति के 1 सप्ताह के अन्दर जमानत धनराशि जरिये किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचन पत्र, एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 खण्ड विकास अधिकारी के पदनाम से बंधक कराकर अथवा नकद जमा किया जाना था, किन्तु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमानत धनराशि जमा कराये जाने का विवरण पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

13.कार्य की स्वीकृति हेतु जारी पत्रों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध किया जाना था, किन्तु पत्रावलियों में अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

14.समस्त निर्माण कार्यों के पूर्ण होने का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

इस गम्भीर अनियमितता के लिए श्री सुभाषचन्द्रा, प्रभारी ख0वि0अधि0, उत्तरदायी है। जिन पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपति सं0 24)

क्षेत्र पंचायत:-मलासा

जनपद - कानपुर देहात

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21

प्रस्तर सं0 08 दिनांक 17.03.2021 को रू0 452175.00 का भुगतान लक्ष्मी इंटरप्राइजेज शारदा नगर, कानपुर को किया जाना क्षेत्र निधि खाता ग्रांट रजिस्टर।। के पृष्ठ सं0 17 पर दर्शित है। किन्तु उक्त रुपये 452175.00 का व्यय किस कार्य हेतु किया गया कार्य का विवरण उक्त ग्रांट रजिस्टर में अंकित नहीं है न ही उक्त कार्य से संबन्धित कोई पत्रावली ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी है उक्त रूपए **452175** का व्यय पीएफएमएस नं0 आरओ 32101126949 द्वारा दिनांक 15.03.2021 को किया जाना क्षेत्र निधि खाता सं0 5723 के बैंक स्टेटमेंट में भी दर्शित है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पत्रावली न दिखाया जाना और ग्रांट रजिस्टर 2 में बिना विवरण अंकित किये ही धनराशि आहरित किये जाने से यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः उक्त रूपए 452175.00 की वसूली खंड विकास अधिकारी श्रीमती उषादेवी, एवं लेखाकार श्री आर.बी. गौतम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति सं0 12)

प्रस्तर सं0 09 क्षेत्र पंचायत मलासा के वर्ष 2020-21 में ग्राम लेवामऊ/सनायासालवाहन से दुर्गाफौजी/कल्लन के मकान से नाले की ओर जाने वाले रोड पर खडंजा निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये -

- 1.फोटोग्राफ में निर्माण स्थल पर कार्य का बोर्ड नहीं लगा है।
- 2.जो फोटो पत्रावली में संलग्न है, वो उस कार्य की ना होकर सनायाखेडा में बनाजी बगिया से आगे तक खडंजा कार्य 500 मीटर की है। तथा सनायाखेडा खरंजा कार्य की पत्रावली में भी संलग्न है।
- 3.इस कार्य का कार्यादेश पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
- 4.टेंडर के उपरान्त धरोहर धनराशि की अवशेष 8 प्रतिशत धनराशि जमा कराये जाने या जमा होने संबन्धी प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
- 5.कार्य का कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है और न ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य का बोर्ड न होना, पत्रावली में दूसरे निर्माण कार्य की फोटो संलग्न किया जाना तथा उपरोक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से यह निर्माण कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है अतः उपरोक्त कार्य की जाँच हेतु कमेटी बनाकर जांचोपरान्त पुष्टि ना होने पर इस निर्माण कार्य

पर व्यय 645118.00 की वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती उषादेवी, एवं लेखाकार श्री आर.बी. गौतम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 13)

प्रस्तर सं0 10 क्षेत्र पंचायत मलासा के वर्ष 2020-21 में ग्राम बेडामऊ के दुलिचंदपुर में उदय के खेत से दीवान बाबू के मकान तक 335 मि. खंडजा कार्य पर निम्नलिखित आपतियां हैं -

- 1.पत्रावली में कार्यदेश नहीं है जिससे कार्य प्रारम्भ की तिथि की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2.कार्य प्रभारी की नियुक्ति संबन्धी पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 3.कार्य की पत्रावली में जो फोटोग्राफ लगाये गये हैं वह कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं करते, क्योंकि न तो उसमें कार्य के नाम का बोर्ड दर्शित है और जो फोटोग्राफ लगाये गये हैं वह अलग अलग स्थल के हैं।
- 4.एम.बी. बुक में कार्य माप की तिथि, कार्य प्रारम्भ तथा समाप्ति तिथि अंकित नहीं है तथा बिना

उक्त प्रविष्टियों के अंकन के ही इसे ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा जे.ई. (आर.ई.डी) द्वारा प्रमाणित भी कर दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि कार्य को नियमानुसार न कर अनियमितता की गयी है इस धनराशि रु0 612357.00 की अनियमितता के लिये तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती उषादेवी, एवं तत्कालीन पटलप्रभारी श्री आर.बी. गौतम एवं तत्कालीन जे.ई. (आर.ई.डी) श्री लोकेश त्रिपाठी उत्तरदायी हैं जिन पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है | अतः समस्त उपरोक्त कर्मचारियों/अधिकारियों पर पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है |

(मूल आपति सं0 14)

प्रस्तर सं0 11 क्षेत्र पंचायत मलासा द्वारा आलोच्य वर्ष में हैंडपम्प मरम्मत पर किए गये व्यय रूपए 8803.00, पंडित दीनदयाल जन्मस्थली पर किया गया व्यय रु. 22401.00, कृषि विभाग में व्यय रूपए 8006.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराए गए। व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः रु. 8803+22401+8006 कुल रूपए 39210.00 का व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन मानते हुए, उक्त की वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार श्री आर.बी. गौतम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 08)

प्रस्तर सं0 12

वर्ष 2020-21 में क्षेत्र निधि ब्याज मद में व्यय रूपए 137433.00 कहाँ व किस प्रकार व किस मद व कार्य में व्यय किया गया है, लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराए गए। व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा, अतः रूपए 137433.00 को व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन मानते हुए, उक्त की वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री आर.बी. गौतम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 09)

क्षेत्र पंचायत:-संदलपुर

जनपद - कानपुर देहात

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21

प्रस्तर सं0 13 क्षेत्र पंचायत द्वारा दिनांक 22.10.2020 को चेक सं. 0039 द्वारा रु. 33200.00 का भुगतान वाहन सं0 यू.पी. 77 एक्स 03523 श्री वी.के. सिंह के पक्ष में डीसी मनरेगा के वाहन को किया गया है उपरोक्त

निजी वाहन को मनरेगा में प्रयुक्त करने सम्बन्धी आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्या यह वाहन टैक्सी एक्ट में रजिस्टर्ड है सम्बन्धी प्रपत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। अतः उक्त व्यय धनराशि रूपए 33200.00 का गवन किया गया जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय एवं श्री नृपेन्द्र मिश्रा लेखाकार उत्तदारयी रहे। अतः सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 14)

प्रस्तर सं0 14 दिनांक 22.10.2020 को चेक सं. 0040 द्वारा रूपए 101422.00 चेक सं. 0042 द्वारा रु. 17204.00 का भुगतान कम्प्यूटर व इससे सम्बन्धित अन्य उपकरणों के लिये किया गया है इस कार्य हेतु कोटेशन/टेण्डर, सम्बन्धित पत्रावली एवं के निस्तारण हेतु बनाई गई समिति सम्बन्धी आदेश इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध न हो सकी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय एवं श्री नृपेन्द्र मिश्रा लेखाकार उत्तदारयी हैं। अतः संबंधित से संहित धनराशि की वसूली उत्तरदाई क्रमचारियों से अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 15)

प्रस्तर सं0 15 गोवंश आश्रय केन्द्र मद में क्षेत्र पंचायत द्वारा 516923.10 का व्यय दर्शित है किन्तु इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह व्यय संदिग्ध रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय एवं श्री नृपेन्द्र मिश्रा लेखाकार उत्तदारयी रहे। संबंधित से वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 18)

प्रस्तर सं0 16 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण के कुल रु. 213799.00 की पुष्टि में कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसके कारण सम्पूर्ण व्यय धनराशि संदिग्ध रही और जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय एवं लेखाकार श्री नृपेन्द्र मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 19)

प्रस्तर सं0 17

संस्था की निर्माण पत्रावलियों में नियमतः क्षेत्र पंचायत द्वारा किए गये निर्माण कार्य न्यूनतम 2 गांवों से सम्बद्ध होने चाहिए किन्तु निम्न निर्माण कार्य मात्र एक ही गांव से सम्बन्धित है।

क्र०सं०	निर्माण कार्य०	धनराशि
1	ग्राम असलनापुर में मुख्य मार्ग शिव कुमार के घर होते हुए नन्हे कटियार के मकान तक इण्टरलॉकिंग	5.85 लाख
2	ग्राम निम्दापुर में श्याम मनोहर के गेट से भूराझाल तालाब की ओर पानी निकासी हेतु नाला निर्माण	7.45 लाख
3	ग्राम पंचायत संदलपुर में वाटर टैंक निर्माण	2.48 लाख
4	ग्राम असलनापुर में मुख्य मार्ग रूपराम कटियार के घर से संजय तिवारी के घर इण्टरलॉकिंग	2.92 लाख

5	ग्राम मनकापुर में रिकू यादव दरवाजे के पास वाटर टैंक का निर्माण	2.1 लाख
6	ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर में 40 वाट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट की स्थापना का कार्य	4.68 लाख
7	ग्राम पंचायत असलनापुर में 40 वाट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट की स्थापना का कार्य	4.68 लाख
8	ग्राम पंचायत भड़पुरा में वाटर टैंक का निर्माण	2.48 लाख
	योग	32.64 लाख

अतः यह अनियमितता है। इस अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री बबबन राय एवं श्री नृपेन्द्र मिश्रा लेखाकार उत्तदायी रहे जिन पर प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति सं0 25)**

क्षेत्र पंचायत:-झींझक

जनपद - कानपुर देहात

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21

प्रस्तर सं0 18

कार्य का नाम - धर्मपुर में महिपाल के मकान से पुलिया तक एवं सतीश के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य

फर्म का नाम - मे0 अभ्योदय कन्सट्रक्शन कम्पनी

योजना - चतुर्थ राज्य वित्त

स्वीकृत लागत - 9.90 लाख

वास्तविक भुगतान - 831082.00

उक्त निर्माण पत्रावली के अवलोकन में निम्न कमियां पाई गई -

1.इस्टीमेट में ई/डब्ल्यू इनेक्शवेशन में लम्बाई 480 मीटर स्वीकृत है। परन्तु एम0बी0 बुक नं0 33 पृष्ठ संख्या 01 से 07 तक में ई/डब्ल्यू इनेक्शवेशन में 353.8 मीटर लम्बाई में कार्य कराया गया दर्शित है जो स्वीकृत लम्बाई से 26.29 प्रतिशत कम है। जबकि उ0प्र0, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होने पर पुनः इस्टीमेट तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेना आवश्यक है परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

2.पी/एल (प्रोवाइडिंग एण्ड लॉडिंग) 80 एम.एम. थिक कार्य में इस्टीमेट में लम्बाई 240 मीटर स्वीकृत है परन्तु एम.बी. बुक नं. 33 पृष्ठ संख्या 01 से 07 तक में 176.90 मीटर लम्बाई में कार्य कराया गया दर्शित है। जो स्वीकृत लम्बाई से 26.29 प्रतिशत कम है। जबकि उ0प्र0, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होने पर पुनः इस्टीमेट तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेना आवश्यक है परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

3.नियमानुसार कार्य प्रारम्भ होने से पहले की फोटो, कार्य होते समय की फोटो तथा कार्य पूर्ण होने की फोटो होना चाहिए परन्तु कार्य पूर्ण करने के पश्चात् की फोटो ही पत्रावली में पाई गई।

4. एम0बी0 बुक नं0 33 पृष्ठ संख्या 01 से 07 तक में कन्सम्पशन ऑफ मैटेरियल की एम0बी0 नहीं की गई है जबकि उ0प्र0, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 (1) के अनुसार सामग्री की माप एवं गिनती का अंकन एम0बी0 बुक में किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिससे मैटेरियल की मात्रा एवं गुणवत्ता की जांच नहीं की जा सकी।

उक्त तथ्यों में स्पष्ट है कि रु. 831042.00 का भुगतान जो दिनांक 27.05.2020 को चेक संख्या 353834 के द्वारा किया गया में गम्भीर अनियमितता की गई जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द तथा जे.ई.आर.ई.एस. श्री आर0के0 निगम व लेखाकार श्री रमेश चन्द्र कमल उत्तरदायी रहे। जिन पर प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0 02)

प्रस्तर सं0 19

कार्य का नाम - चिरखिरी के मजरा पाल नगर में डॉमर रोड से वी0डी0सी0 के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण

योजना का नाम-चतुर्थ राज्य वित्त

फर्म का नाम - मे0 जीतेन्द्र कुमार त्रिपाठी

स्वीकृत लागत - 6.77 लाख

भुगतान की धनराशि रु0 483500.00 दिनांक 18.03.2020 प्रथम भुगतान

रु0 92510.00 दिनांक 08.06.2020 द्वितीय भुगतान

.....

योग 576010.00

उक्त निर्माण पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पाई गई -

1.एम0बी0 बुक नं0 32 पृष्ठ संख्या 08 से 11 तक में कन्सम्पशन ऑफ मैटेरियल का अंकन नहीं किया गया है, जबकि उ0प्र0, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 (1) के अनुसार सामग्री की माप एवं गिनती का अंकन एम0बी0 बुक में किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिससे मैटेरियल की मात्रा एवं गुणवत्ता की जांच नहीं की जा सकी। नियम का पालन कर गम्भीर अनियमितता की गई।

2.पत्रावली में रेट ऑफ एनॉलिसिस संलग्न न होने से भुगतान की गई धनराशि रु0 576010.00 की पुष्टि न की जा सकी।

3.नियमानुसार कार्य प्रारम्भ होने से पहले की फोटो, कार्य पूर्ण होने एवं कार्य के मध्य की फोटो पत्रावली में संलग्न की जानी चाहिए परन्तु उक्त फोटो ग्राफ नहीं पाये गये। जिससे निर्माण नियमावली का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गई।

4. 8 प्रतिशत जमानत धनराशि की कटौती प्रथम भुगतान से किया जाना चाहिए परन्तु भुगतान से केवल रु0 39070.00 की ही कटौती की गई। नियमानुसार कटौती न कर गम्भीर अनियमितता की गई।

उक्त तथ्यों में स्पष्ट है कि नियमों का पालन न कर रु. 576010.00 के भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द तथा जे.ई.आर.ई.एस. श्री आर0के0 निगम व लेखाकार श्री रमेश चन्द्र कमल उत्तरदायी रहे। संबंधित पर प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित है | (मूल आपत्ति सं0 03)

प्रस्तर सं0 20

कार्य का नाम - मंगलपुर में छप्पर कालेज से गंगापुरवा मार्ग पर विनोद सिंह के खेत के पास पुलिया निर्माण

योजना का नाम चतुर्थ राज्य वित्त

फर्म का नाम - मे0 जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी

स्वीकृत लागत - 2.02 लाख

भुगतान की धनराशि रु0 180464.45

उक्त निर्माण पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पाई गई -

1).ई/डब्ल्यू कार्य की माप इस्टीमेट में 17.44 घनमी0 स्वीकृत है परन्तु एम0बी0 बुक नं0 36 पृष्ठ सं0 01 से 6 तक में ई/डब्ल्यू कार्य 9.50 घनमी0 में कराया गया दर्शित है। अतः माप में 45.52 प्रतिशत का परिवर्तन पाया गया जबकि उ0प्र0, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होन पर पुनः इस्टीमेट तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत लेना आवश्यक है। परन्तु ऐसा न कर गम्भीर अनियमितता की गई।

2.एम.एस. ईरान कार्य की माप इस्टीमेट में 26.05 घन मीटर स्वीकृत है जबकि एम0बी0 बुक नं0 36 पृष्ठ संख्या 01 से 06 तक में 10.51 घन मी0 में कार्य कराया गया दर्शित है। इस प्रकार 15.54 घनमी0 कम कार्य कराया गया दर्शित है। इस प्रकार इस्टीमेट एवं एम.बी. में 59.65 प्रतिशत का परिवर्तन पाया गया। जबकि उ0प्र0, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होन पर पुनः इस्टीमेट तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत लेना आवश्यक है। परन्तु ऐसा न कर गम्भीर अनियमितता की गई।

इस प्रकार रु. 180464.45 के भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द तथा जे.ई.आर.ई.एस. श्री आर0के0 निगम व लेखाकार श्री रमेश चन्द्र कमल उत्तरदायी रहे। जिन पर प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित है | (मूल आपत्ति सं0 04)

क्षेत्र पंचायत:-राजपुर

जनपद - कानपुर देहात

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 से 2020-21

प्रस्तर सं0 21

कार्य का नाम - ग्राम खोजाफूल में शंकर जी के मंदिर से देवी माँ के मंदिर तक इंटरलॉकिंग नाली व यू टाइप नाली निर्माण कार्य।

योजना का नाम चतुर्थ राज्य वित्त (वर्ष 2018-19)

फर्म का नाम - ज्ञानवती कांस्ट्रक्शन

भुगतान की धनराशि ₹0 897382.00

उक्त कार्य के एम0बी0 नं0 10 पेज नं0 02 में ई/डब्ल्यू इन कटिंग ऑर इन फिलिंग में कार्य में 186.6 मी0 में कराया गया जबकि इस्टीमेट में डिटेल ऑफ मीजरमेन्ट भाग में लम्बाई 15 मी0 ही स्वीकृत है। यह भी उल्लेखनीय है कि एम0बी0 में एस/एल 40 एम0एम0 बी/बी का कार्य 150 मीटर में ही किया गया है इस प्रकार बी/बी 36.6 मीटर क्रय किया गया है। अतः एम0बी0 एवं एस्टीमेट लम्बाई में 24.4 मीटर का विचलन पाया गया जो गंभीर अनियमितता है। क्योंकि उ0प्र0, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार एम0बी0 व इस्टीमेट में 10 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर पुनः इस्टीमेट संशोधित करके स्वीकृत होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है।

इस प्रकार ₹0 897382.00 का अनियमित भुगतान करके गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्रीमती ऊषा देवी, जे0ई0 श्री आर0के0 दुबे एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार मिश्रा उत्तरदाई हैं। जिस हेतु सम्बन्धी से विभागीय कार्यवाही सहित वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0 02)**

प्रस्तर सं0 22

कार्य का नाम - जैनपुर में पहलवान की बगिया से पैना संपर्क मार्ग की ओर खडंजा निर्माण कार्य।

योजना का नाम चतुर्थ राज्य वित्त (वर्ष 2019-20)

फर्म का नाम - ज्ञानवती पत्नी महाराज सिंह करमगंज, चंपकबाग इटावा।

भुगतान की धनराशि ₹0 744964.00

उक्त कार्य की पत्रावली में पाया गया कि इस्टीमेट के डिटेल ऑफ मीजरमेन्ट में एम0एस0 आयरन वर्क इन आरसीसी वर्क में लं0 0.43 मीटर चौ0 78.50 मीटर और डी/एच-0.01 मी0 स्वीकृत है, जो कि संभव प्रतीत नहीं होता क्योंकि खडंजा की चौड़ाई (एस0ओ0बी0 वर्क में) 3 मीटर है। यह भी उल्लेखनीय है कि ऊंचाई 0.01 मीटर में एम0एस0 आइरन वर्क इन आर0सी0सी0 वर्क संभव नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य की एम0बी0 पर एम0बी0 संख्या भी अंकित नहीं की गई है।

जबकि एम0बी0 के पेज नं0 02 में लम्बाई 43 मीटर (37+6) में 37 मीटर लंबाई पर चौड़ाई 0.86 मीटर तथा 6 मीटर लंबाई पर चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई डी/एच - 0.62 मीटर दर्शित है।

इस प्रकार एम0बी0 व इस्टीमेट की तुलना करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि एम0बी0 एवं इस्टीमेट कल्पित रूप से तैयार किये गये हैं। इस प्रकार कल्पित निर्माण पत्रावली तैयार करके ₹. 744964.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली खंड विकास अधिकारी श्रीमती ऊषा देवी, जे0ई0 श्री आर0के0 दुबे एवं लेखाकार श्री सुरेश नारायण अवस्थी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0 03)**

प्रस्तर सं0 23

कार्य का नाम - ग्राम निन्हौरा में जू0हा0 स्कूल से प्रयण नारायण के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य।

योजना का नाम चतुर्थ राज्य वित्त (वर्ष 2019-20)

फर्म का नाम - ज्ञानवती कांस्ट्रक्शन।

भुगतान की धनराशि ₹0 874150.00

उक्त कार्य के एम0बी0 के अवलोकन में पाया गया कि ई/डब्ल्यू इन कटिंग इन इनबैंकमेंट विद् ओ/साँइल इनक्ल्यूडिंग ऑल कार्टेज में कार्य की चौड़ाई 2.90 मीटर दर्शित है, जबकि इस्टीमेट में इसी कार्य की चौड़ाई 3.50 मीटर स्वीकृत की गयी है। अतः इस्टीमेट में स्वीकृत चौड़ाई से 17.14 प्रतिशत कम चौड़ाई में उक्त कार्य कराया गया है। उ0प्र0, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर संशोधित प्राक्कलन बनाकर पुनः स्वीकृत कराया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया गया है जो कि गंभीर अनियमितता का प्रकरण है।

इस प्रकार ₹0 874150.00 का अनियमित भुगतान करके गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्रीमती ऊषा देवी, जे0ई0 श्री आर0के0 दुबे एवं लेखाकार श्री सुरेश नारायण अवस्थी उत्तरदाई हैं। जिन पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 04)

प्रस्तर सं0 24

कार्य का नाम - गुबार (पिचौरा) में मेन सड़क से खरका की ओर इंटरलॉकिंग कार्य।

योजना का नाम चतुर्थ राज्य वित्त (वर्ष 2020-21)

फर्म का नाम - अक्षय इंटरप्राइजेज हरिकिशनपुर अमराहट, कानपुर देहात।

भुगतान की धनराशि ₹0 840367.00

उक्त कार्य के इस्टीमेट में ब्रिक वर्क में 1:4 सीमेंट एण्ड सैंड लगाना स्वीकृत किया गया है। जबकि एम0बी0 के पेज नं0 02 में ब्रिक वर्क में 1:6 सीमेंट एण्ड सैंड का प्रयोग किया गया दर्शित है। इस प्रकार कार्य की गुणवत्ता घटाई गई है जबकि दर (4300) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस प्रकार अनियमित एम0बी0 तैयार करके ₹0 840367.00 का अनियमित भुगतान करके गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह चौहान, जे0ई0 श्री आर0के0 दुबे एवं लेखाकार श्री सुरेश नारायण अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं। जिन पर प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 05)

क्षेत्र पंचायत:-अमरौधा

जनपद - कानपुर देहात

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21

प्रस्तर सं0 25

कार्य का नाम - मेन रोड अकबराबाद से बरौली तक खडंजा मरम्मत कार्य।

योजना का नाम- चतुर्थ राज्य वित्त।

प्रस्ताव संख्या - 77 दिनांक - 11.12.2018

प्राकलन- 9.71 लाख।

तकनीकी स्वीकृति सं0 13 दिनांक 08.05.2020

पे नं0 92035964134 दिनांक 31.09.2020 ₹0 833870.00

क)- उक्त निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि तीनों स्तरों यथा कार्यपूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो नहीं लगा है।

ख)-तीनों टेण्डर के लिफाफे में एक पर नाम व पता नहीं लिखा गया है, निविदा पत्र के बिन्दु 10 में यह होना आवश्यक है।

ग)-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लगा नहीं है।

घ)-निविदा पत्र के बिन्दु-5 में सामग्री की गुणवत्ता निविदा में अंकित गुणवत्ता से भिन्न नहीं होनी चाहिये जबकि गुणवत्ता की उच्चाधिकारियों का जांच का कोई प्रमाणपत्र पत्रावली में नहीं लगाया गया है।

ड)-उक्त निर्माण पत्रावली की जांच में यह भी पाया गया कि उक्त कार्य की एस्टीमेट में स्वीकृति लम्बाई 850 मीटर है, परन्तु एम0बी0 बुक न0 46 पृष्ठ सं0 1 से लेकर 5 तक में कार्य की लम्बाई 925 मीटर दर्शित है। चूंकि कार्य मरम्मत का है। अतः लम्बाई अधिक नहीं हो सकती ।

निम्नलिखित विवरण के अनुसार एम0बी0 बुक में अधिक लागत दर्शितकर रु0 68628 का गबन किया गया

विवरण:- एम0बी0 बुक न0 पृष्ठ सं0 1 से लेकर 3 पर तक

1.डिसमॉल्टिंग वर्क चैनज 850-900 = $50 \times 3 = 150$ मी0 स्कॉयर

900-925 = $25 \times 3 = 75$ मी0 स्कॉयर

टोटल = 225 मी0 स्कॉयर

2.ई/डब्ल्यू वर्क चैनज 850-900 = $50 \times (4.50 + 5.20/2) \times 0.20 = 48.50$ मी0 क्यूब

900-925 = $25 \times (4.50 + 5.20/2) \times 0.20 = 24.25$ मी0 क्यूब

टोटल = 72.75 मी0 क्यूब

वैल्यू $72.75 \times 95 = 6911.23$

3. एस0ओ0बी0 वर्क चैनज 850-900 = $50 \times 3 = 150$ स्कॉयर मी0

900-925 = $25 \times 3 = 75$ स्कॉयर मी0

टोटल = 225 स्कॉयर मी0

वैल्यू $225 \times 256.30 = 57667.50$

टोटल - $4050 + 6911.23 + 57667.50 = 68628.78$

अतः रु0 68628.78 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह चौहान जे0ई0आर0ई0एस श्री रूप सिंह तथा लेखाकार श्री सुरेश कुमार मिश्रा से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति सं0 02)

प्रस्तर सं0 26

कार्य का नाम - रामपुर से ट्यॉगा मार्ग के शेष भाग में खडंजा मरम्मत कार्य।

योजना का नाम - चतुर्थ राज्य वित्त।

फर्म का नाम - कामता नाथ इंटरप्राइजेज

प्राकलन लागत - 9.65 लाख ।

स्वीकृति लागत - 1.2 प्रतिशत कम दर पर

उक्त निर्माण पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पाई गई-

1.कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ्स नहीं पाए गए।

2.कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है अतः नियम का पालन ना कर उक्त नियम का उल्लंघन किया गया।

3.एमबी बुक संख्या 46 एवं एस्टीमेट में सामग्री की माप व गिनती का अंकन नहीं किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1994 में नियम 35 के अनुसार सामग्री की माप गिनती का अंकन किया जाना आवश्यक है अतः उक्त नियम का पालन नहीं किया गया।

4.निविदा पत्र में बिंदु पांच में सामग्री की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाएगा परंतु लेखा परीक्षा उक्त प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

5.एस्टीमेट में खड़जा मरम्मत की लंबाई 800 मीटर चौड़ाई 3 मीटर स्वीकृत किया गया है जबकि एमबी बुक संख्या 46 में खड़जा मरम्मत 850 मीटर कराया गया दर्शित है जबकि पुराना खड़जा 800 मीटर ही था तो 850 मीटर खड़जा मरम्मत संभव नहीं है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन कर रुपया 828335.00 के भुगतान में गंभीर अनियमितता की गई जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह चौहान तथा जेआरईएस श्री रूप सिंह तथा लेखाकार श्री सुरेश कुमार मिश्र उत्तरदाई रहे । जिन पर प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0 03)**

प्रस्तर सं0 27

कार्य का नाम - ग्राम क्योटरा में रोड से झारखंडेश्वर मंदिर तक खड़जा निर्माण

योजना का नाम - चतुर्थ राज्य वित्त

फर्म का नाम - कटियार टेडर्स

प्राकलन लागत - 4.01 लाख

स्वीकृति लागत - 0.50 प्रतिशत कम दर पर

उक्त निर्माण पत्रावली की जांच में निम्न कमियाँ पाई गई-

1 एसओबी कार्य में स्टीमेट में लंबाई 240 मीटर स्वीकृत है जबकि एमबी बुक संख्या 49 में पृष्ठ संख्या 1 से 5 तक में लंबाई 197.10 मी0 में खड़जा निर्माण किया गया है। लंबाई में परिवर्तन 17.875 प्रतिशत रहा, जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार 10 प्रतिशत अधिक या कम परिवर्तन होने पर पुनः एस्टीमेट तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराना चाहिए परंतु उक्त नियम का पालन ना कर गंभीर अनियमितता की गई।

2. प्रतिवेदन में कार्य की लंबाई 600 और चौड़ाई 4 मीटर दर्शित है गहराई 30 सेंटीमीटर तथा लंबाई 600 मीटर चौड़ाई 3 मीटर मिट्टी कार्य की तकनीकी स्वीकृति में उल्लेखित है जो स्टीमेट व एमबी बुक से मेल नहीं खाता

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रुपया 366192.00 के भुगतान में गंभीर अनियमितता की गई जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह चौहान तथा जे0ई0आर0एस0 श्री रूप सिंह तथा लेखाकार श्री सुरेश कुमार मिश्रा उत्तरदाई रहे। जिन पर प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित है | (मूल आपति सं0 04)

प्रस्तर सं0 28

कार्य का नाम - गिरधरपुर से महकापुर मार्ग का खड़जा मरम्मत कार्य

योजना का नाम - चतुर्थ राज्य वित्त

फर्म का नाम - कामतानाथ इंटरप्राइजेज

प्राक्कलन लागत - 9.48 लाख

स्वीकृति लागत - 1.2 प्रतिशत कम दर पर

भुगतान की धनराशि - 814913.00

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि स्टीमेट में ई/डब्लू वर्क में लंबाई 0.25 मी0स्वीकृत है परंतु एमबी बुक संख्या 48 पृष्ठ संख्या 1 से 5 में इसे कम करके 0.18667 मी0 मीटर कर दिया गया है जिसका परिवर्तन 25.332 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 में नियम 15 के अनुसार 10 प्रतिशत से कम या अधिक परिवर्तन होने पर पुनः एस्टीमेट तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन किया जाना चाहिए परंतु उक्त नियम को पालन ना कर रुपया 814913.00 का भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह चौहान तथा जे0ई0आर0ई0डी0 श्री रूप सिंह तथा लेखाकार श्री सुरेश कुमार मिश्रा उत्तरदाई रहे। जिन पर प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित है | (मूल आपति सं0 05)

क्षेत्र पंचायत:-मैथा

जनपद - कानपुर देहात

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21

प्रस्तर सं0 29

क्षेत्र पंचायत द्वारा कोविड केयर महामारी फण्ड हेतु चेक सं0 00208 से रू0 1100000.00 का व्यय अनुदान पंजिका द्वितीय में होना दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय धनराशि की गबन किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता , जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानंद, ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनुपमा सिंह तथा सम्बन्धित पटल प्रभारी उत्तरदाई रहे। जिनसे वसूली अपेक्षित है | (मूल आपति सं0 16)

प्रस्तर सं0 30

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ब्लाक प्रमुख मानदेय दिनांक 15.04.2020 को चेक सं0 219 से रू. 127400.00 व दिनांक 04.03.2021 को रुपया 107800.00 इस प्रकार कुल रू0 235200.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में भुगतान प्राप्त रसीदें अप्राप्त रहीं। देय भुगतान अपुष्ट रहा। अपुष्ट व्यय के कारण गबन की संभावना से इनकार नहीं किया

जा सकता है है। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानंद, ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनुपमा सिंह तथा सम्बन्धित पटल प्रभारी उत्तरदाई रहे। अतः खंड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानंद, एव तत्कालीन लेखाकार से वसूली अपेक्षित है। (मूल आपति सं0 17)

प्रस्तर सं0 31

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यालयी फर्नीचर दिनांक 25.06.2020 को चेक सं0 0234 से रु0 95314.00 आहरित किये गये। उक्त व्यय के सापेक्ष स्टॉक पंजिका व डेड स्टॉक पंजिका तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की गबन किये जाने की आशंका है। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानंद, ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनुपमा सिंह तथा सम्बन्धित पटल प्रभारी उत्तरदाई रहे। संबंधित से वसूली अपेक्षित है। (मूल आपति सं0 18)

क्षेत्र पंचायत:-डेरापुर

जनपद - कानपुर देहात

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 से 2020-21

प्रस्तर सं0 32

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान पंजी तृतीय के माह नवम्बर 2019 में प्रारंभिक अवशेष रु0 314293.00 तथा प्राप्त रु0 75544.00 अंकित था। जिसका कुल योग रु0 389837.00 होना चाहिए था परन्तु अंतिम अवशेष रु0 389837.00 अंकित किया गया। अतः रु0 1000.00 का अन्तर है। जांचोपरान्त स्पष्ट उत्तर न मिलने पर इसकी वसूली तत्कालीन पटल प्रभारी श्री सोनेलाल संखवार तथा पटल प्रभारी श्री रजनीश पाल से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति सं0 10)

प्रस्तर सं0 33

वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक में व्यय पक्ष की धनराशि प्राप्ति मद में दिनांक 11.10.2019 बावत् ब्याज की धनराशि रु0 80495.00 शासकीय प्राप्ति मद में जमा करना दर्शाया गया परन्तु इसके सापेक्ष चालान की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, इस प्रकार उक्त जमा अपुष्ट रहा। इस चालान की प्राप्ति न होने पर इसकी वसूली पटल प्रभारी श्री सोनेलाल संखवार तथा पटल प्रभारी श्री रजनीश पाल से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति सं0 11)

प्रस्तर सं0 34

निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत डेरापुर वित्तीय वर्ष 2019-20 राज्य वित्त ग्राम बड़ागांव भिक्खी से बिन्देश्वरी देवी के घर से अयोध्यापुरवा की ओर बम्बा तक इंटरलॉकिंग कार्य लागत 8.10 लाख फर्म आई एसोसिएट, ठेकेदार सुशील कुमार कार्य की लागत रु. 805992.00 के सापेक्ष कुल जमानत 10 प्रतिशत अर्थात् रु0 80599.20 जमानत जमा करायी जानी अपेक्षित थी, परन्तु टेण्डर के समय 2 प्रतिशत धरोहर रु0 16200.00 तथा रु 36918.00 (प्रथम बिल से कटौती) तथा रु0 20653.00 (द्वितीय बिल से कटौती) को जोड़कर कुल रु0 73771.00 संस्था के पास जमा के रूप में जमा रहीं। अतः जमानत राशि अन्तर रु0 6729.00 कम जमा करायी गयी। यह नियम विरुद्ध रहा। 30प्र0, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय - 2 के नियम 23 के प्राविधानुसार यदि कोई टेंडर स्वीकार किया जाये तो टेंडर देने वाले से यह अपेक्षा की जायेगी कि ठेका

दिये जाने से पूर्व स्वीकृत लागत की धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करें। कार्य से पूर्व टेंडर के समय 2 प्रतिशत तथा शेष धनराशि ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के लिए उसके चालू बिलों से 10 प्रतिशत की दर से तब तक काटी जायेगी जब तक प्रतिभूति की धनराशि पूरी न हो जाये।

इस प्रकार कुल ₹0 6729.00 कम जमानत जमाकर संस्था को हानि कराकर अनियमितता की गयी। जिसके लिये तत्कालीन बीडीओ श्री बब्बन राय तथा तत्कालीन पटल प्रभारी श्री रजनीश पाल उत्तरदायी हैं जिनसे उक्त धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 14)

प्रस्तर सं0 35

क्षेत्र पंचायत डेरापुर जनपद कानपुर देहात की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2019 को ₹0 28800.00 अनकैश चेक/अनिस्तारित चेक खाता सं0 063100002871 में रोजगार सेवक मानदेय डेबिट नहीं किया गया। ऐसा कोषबही में अंकित किया गया है, परन्तु उक्त के संबंध में न तो चेक संख्या और न ही दिनांक अंकित किया गया। तत्पश्चात् आगामी वर्ष 2019-20 में उक्त धनराशि व मद से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार दिनांक 31.03.2019 की अनकैश चेकें आउटडेटेड/कालातीत हो चुकी हैं। उक्त चेकों की धनराशि ₹0 28800.00 को आय में प्राप्त कर दायित्व व अन्तर समाप्त किया जाना अपेक्षित है, इस अनियमितता हेतु तत्कालीन पटल प्रभारी श्री रजनीश पाल उत्तरदायी रहे। संबंधित पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 17)

प्रस्तर सं0 36

क्षेत्र पंचायत डेरापुर के निर्माण कार्य राज्य वित्त ग्राम डिलौलिया में दिनेश कठेरिया के घर से मंगली प्रसाद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य वर्ष 2020-21 प्राक्कलन लागत 7.72 लाख कार्य का साइन बोर्ड स्थापित नहीं किया गया। जबकि कल भुगतान में ₹0 2000.00 का साइन बोर्ड का मूल्य भी सम्मिलित है इस प्रकार उक्त धन अपहरण हेतु तत्कालीन बीडीओ श्री बब्बन राय तथा जेईआरईडी श्री आलोक कुमार एवं तत्कालीन पटल प्रभारी श्री रजनीश पाल से वसूल की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 22)

प्रस्तर सं0 37

निर्माण कार्य का नाम - राज्य वित्त विकासखण्ड परिसर में आर.सी.सी. कार्य टाइल्स व ट्रीगार्ड निर्माण कार्य प्राक्कलन लागत 3.12 लाख वास्तविक लागत 309707.00 कार्य का भुगतान ₹0 309707.00 के सापेक्ष टेंडर के समय 2 प्रतिशत की धरोहर राशि 6240.00 तथा भुगतान बिल से कटौती (जमानत) ₹0 22122.00 का कुल योग 28362.00 जमा कराया गया जबकि प्राविधानित/प्राक्कलित लागत ₹0 3.12 लाख एवं वास्तविक लागत ₹. 309707.00 के सापेक्ष 10 प्रतिशत जमानत ₹. 30970.70 और 30971.00 जमा कराया जाना अपेक्षित था, इस प्रकार कुल ₹0 2608.70 कम जमानत करायी गयी। यह नियम विरुद्ध रहा। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय - 2 के नियम सं0 23 के प्राविधानानुसार यदि कोई टेंडर स्वीकार किया जाये तो कुल लागत का 10 प्रतिशत (कार्य से पूर्व टेंडर स्के समय 2 प्रतिशत) तथा शेष धनराशि ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के लिए उसके चालू बिलों से 10 प्रतिशत तब तक वसूल की जायेगी जब तक प्रतिभूति की धनराशि पूरी न हो जाये। इस प्रकार कुल ₹0 2608.70 कम जमानत जमा हेतु तत्कालीन बीडीओ श्री बब्बन राय तथा तत्कालीन पटल प्रभारी श्री रजनीश पाल से उक्त धनराशि वसूल की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 30)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21**प्रस्तर सं0 38**

निर्माण कार्य विकासखण्ड सरवनखेड़ा के ग्राम पंचायत करबक के मजय जोगीपुर से महेश के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य - कार्य की माप 450 मी0, प्राक्कलन लागत 720000.00 अवधि 03 माह लेखा परीक्षा में पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई जिससे अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार रु0 635855.00 व कटौती रु0 37805.00 भुगतान किया गया। उक्त निर्माण कार्य में रु0 635855.00 का कल्पित भुगतान दर्शाकर रु. 635855.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक सिंह तथा पटल प्रभारी श्री संजय वर्मा से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0 14)**

प्रस्तर सं0 39

निर्माण कार्य विकासखण्ड सरवनखेड़ा के ग्राम पंचायत सेरुआ टप्पा सैंथा में अमर सिंह के घर से गणेश पांडे तक खडंजा निर्माण कार्य- पंचम/राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान कार्य की लं0 400 मी0 प्राक्कलन लागत रु0 640000.00 अवधि 3 माह के सापेक्ष व्यय निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके अनुदान पंजी - द्वितीय के अनुसार, रु. 349959.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में रु. 349959.00 पत्रावली की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त निर्माण कार्य हेतु व्यय राशि की नियम विरुद्ध किए जाने कारण दुरुपयोग किए जाने की आशंका है। उक्त धनराशि रु. 349959.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार तथा पटल प्रभारी श्री संजय वर्मा से की जानी अपेक्षित है। इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। **(मूल आपति सं0 15)**

प्रस्तर सं0 40

कार्य का नाम - विकासखण्ड सरवनखेड़ा के ग्राम पंचायत भदेसा में बम्बा से बादल सिंह के ट्यूबवेल तक खडंजा कार्य राज्य वित्त लं0 150 मी0 अवधि - 03 माह प्राक्कलन लागत - 2.43 लाख कार्य प्रारम्भ तिथि:- 26.02.2020 वास्तविक लागत - 2.38 लाख कार्य समाप्ति तिथि:- 18.06.2020

उपरोक्त कार्य की जमानत राशि के सापेक्ष रु. 24300.00 जोकि 10 प्रतिशत लागत का जमा कराया जाना अपेक्षित था। जबकि कुल जमानत रु. 4860.00 (टेण्डर के समय 2 प्रतिशत धनराशि) तथा 8 प्रतिशत धरोहर राशि रु0 17064.00 कुल रु0 21929.00 ही जमा कराई गई। इस प्रकार रु0 2371.00 जमानत कार्य हेतु कम जमा कराई गई। उपरोक्त कार्य की जमानत पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई।

इस प्रकार निर्माण कार्य के अभिलेखीकरण में शिथिलता हेतु पटल प्रभारी श्री संजय वर्मा तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह को उत्तरदायी ठहराते हुए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है एवं कम जमानत जमा रु0 2371.00 की वसूली तत्कालीन पटल प्रभारी श्री संजय वर्मा व बी0डी0ओ0 श्री अशोक सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0 21)**

प्रस्तर सं0 41

निर्माण कार्य ग्राम पंचायत दुआरी के मजरा मन्नापुरवा में जयपाल सिंह खेत से करन सिंह के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य- कार्य की लं0 347 मी0 प्राक्कलन लागत - 460000.00 एम/एस वीरेन्द्र सिंह तोमर उपरोक्त कार्य में कार्य की कुल जमानत जमा (लागत का 10 प्रतिशत धरोहर राशि) रू0 46000.00 जमा करायी जानी अपेक्षित थी परन्तु निविदा पूर्व 2 प्रतिशत जमानत रू. 9200.00 व 8 प्रतिशत धरोहर राशि रू. 13483.00 कुल रू. 22638.00 ही जमा कराई गई। इस प्रकार कुल रू. 23362.00 कम जमा कराया गया। जो कि उ0प्र0, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय - 2 के नियम 23 के उपनियम (1) के विपरीत है। इस हेतु पटल प्रभारी श्री संजय वर्मा तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। अतः कम जमा कराई धनराशि की वसूली इनसे अपेक्षित है तथा नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 22)

प्रस्तर सं0 42

निर्माण कार्य विकासखण्ड सरवनखेड़ा के ग्राम इटैलिया में मौजीलाल के घर से सफशार के घर तक मिट्टी व खडंजा निर्माण कार्य - राज्य वित्त कार्य की माप - 170 मी0 प्राक्कलित लागत - 3.24 लाख स्वीकृत लागत 3.08 लाख कार्य की लागत -3.08 लाख के 10 प्रतिशत की हिसाब से कार्य की जमानत राशि रू. 30800.00 अथवा प्राक्कलन लागत के 10 प्रतिशत के हिसाब से रू0 32400.00 जमा करानी चाहिए थी, परन्तु कार्य पूर्व निविदा के साथ 2 प्रतिशत जमानत राशि रू0 6000.00 तथा 8 प्रतिशत धरोहर राशि रू. 21264.00 कुल रू0 27264.00 ही जमा कराई गई जो कि अंतर 3536.00 कम जमा कराया गया। जिसकी वसूली पटल प्रभारी श्री संजय वर्मा तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक सिंह से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0 24)**

प्रस्तर सं0 43

क्षेत्र पंचायत सरवनखेड़ा के वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर ।।। में दिनांक 31.03.2021 को अंतिम शेष रू0 20833795.86 की पुष्टि में बैंक समाधान विवरण पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2021 को अंतिम शेष रू0 20823795.86 अंतर रू0 7740.00 की पुष्टि में अनकैस्ड चेकों का विवरण कोषबही में अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार रू0 7740.00 का विवरण न दिये जाने से पटल प्रभारी श्री संजय वर्मा को उत्तरदायी ठहराते हुए जांचोपरान्त स्पष्ट उत्तर न मिलने पर वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 28)

प्रारूप - 3

संस्था का नाम -क्षेत्र पंचायत

जनपद- कानपुर नगर

ले0प0 वर्ष 2020-21

1-क्षेत्र पंचायत-भितरगाँव

प्रस्तर संख्या 01- पत्रांक 1133 /लेखा/अल्पकालीन निविदा सूचना/18-19 दिनांक-14.02.2019 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु निविदा का प्रकाशन कराया गया है। जिसका विवरण निर्माण कार्य प्रारूप-01 से 04 तक में दिया गया है। इस विवरण के अनुसार जो निविदा फार्म का मूल्य विज्ञापन में दिया गया है उसे नीचे की तालिका में दिया जा रहा है-

क्र०	कार्य तथा कार्यस्थल का नाम	प्राक्कलन की धनराशि (लाख में)	धरोहर धनराशि रु०	निविदा मूल्य (टेण्डर मे विज्ञापित)	तीन फर्मों के अनुसार निविदा फार्म बिक्री से अर्जित होने वाली आय
1	निर्माण कार्य प्रारूप 01 के अनुसार वर्ष 2019-20	7.29	15000	1500	4500
2		9.99	20000	2000	6000
3		2.40	7000	700	2100
4		2.59	7000	700	2100
5		6.51	13000	1300	3900
6		6.50	13000	1300	3900
7		5.01	10000	1000	3000
	योग			8500	25500

उक्त कार्यों हेतु तुलनात्मक विवरण के अनुसार तीन-तीन फर्मों ने निविदा फार्म क्रय किये थे। अतः निविदा फार्म बिक्री से कुल रु० 25500.00 प्राप्त होने चाहिए थे। ग्रांट रजिस्ट्रारों की जाँच में उक्त धनराशि आय पक्ष में नहीं दर्शाई गई है। लेखा परीक्षा दौरान कैशबुक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि नकद रूप में उक्त धनराशि को आय पक्ष में शामिल किया गया था कि नहीं। लेखा परीक्षा दौरान जो भी बैंक खाते प्रस्तुत किये गये उनमें कहीं भी उक्त धनराशि किसी भी बैंक खाते में जमा नहीं की गई है।

अतः टेण्डर फार्म बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि रु० 25500.00 का श्री प्रमोद श्रीवास्तव, लेखाकार व श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिली भगत से अपहरण कर लिया गया।

अतः उक्त धनराशि रु0 25500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रमोद श्रीवास्तव, लेखाकार एवं श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव ,खण्ड विकास अधिकारी से कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-18)

प्रस्तर संख्या -2 -वर्ष 2019-20 के ग्रांट रजिस्टर-2 (प्रथम रजिस्टर) में दिनांक 31.3.2019 से दिनांक 31.10.2019 तक अंकन है जिसका विवरण निम्नवत है-

प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 31.3.2019 को	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	दिनांक 31.10.2019 को अवशेष धनराशि
616658.00	498530.00	938770.00	176418.00

इसी प्रकार ग्रांट रजिस्टर-2 (द्वितीय रजिस्टर) में दिनांक 18.12.2019 से दिनांक 31.3.2021 तक अंकन है जिसका विवरण निम्नवत है-

प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 18.12.2019 को	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	दिनांक 31.3.2020 को अवशेष धनराशि
551533.00	857000.00	644050.00	764483.00

दिनांक 31.10.19 के बाद की आय व्यय की प्रविष्टी ग्रांट रजिस्टर में नहीं किया गया, जबकि ग्रांट रजिस्टर-2 (प्रथम) में दिनांक 31.10.2019 के बाद पन्ना खाली था। ग्रांट रजिस्टर-2 का द्वितीय रजिस्टर खोला गया एवं इस तिथि के आगे प्रविष्टी नहीं की गई। दूसरे रजिस्टर में दिनांक 18.12.2019 से प्रविष्ट किया गया। बीच का आय-व्यय का लेखांकन किया ही नहीं गया। उक्त दोनों रजिस्टर के अनुसार कुल व्यय रु0 1582820.00 है। इसके अतिरिक्त अन्तरिम आपति में व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक पत्रावलियां , डीजल व्यय की लाग बुक, मानदेय/वेतन रजिस्टर इत्यादि माँगा गया लेकिन लेखाकार द्वारा मौखिक एवं लिखित आपति के बावजूद कोई अभिलेख, व्यय प्रमाणक, रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया। बैंक स्टेटमेन्ट मनरेगा कन्टीजेन्सी खाता सं0-52150100004138 बैंक आफ बड़ौदा, भीतरगांव के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्नवत है-

दिनांक 01.4.2019 को प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि	प्राप्त अनुदान की धनराशि	व्यय धनराशि	दिनांक 31.3.2020 को अवशेष की धनराशि
392169.00	1989914.00	1613839.00	768244.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 के दौरान मनरेगा कन्टीजेन्सी मद से रु0 1613839.00 व्यय किया गया है। अतः व्यय प्रमाणक एवं अन्य सापेक्ष अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान मागें जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा तथा अपहरण है। अतः अपुष्ट धनराशि की वसूली श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव, ख0वि0अधि0 एवं श्री प्रमोद श्रीवास्तव, लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-19)

प्रस्तर संख्या -3 प्रधानमंत्री रोजगार योजना खाता सं0- 52150100015000 को बैंक स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे वर्ष 2019-20 में ग्रांट रजिस्टर के अनुसार व्यय की गई धनराशि

का खाते से मिलान नहीं किया जा सका। ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार वर्ष 2019-20 में इस मद में दिनांक 31.3.2019 को ₹0 37284.00 तथा ब्याज ₹0 17211.00 अवशेष था। इस मद की जाँच ग्रांट रजिस्टर-2 तथा ग्रांट रजिस्टर-3 से की गई तो कुछ तथ्य प्रकाश में आये जो निम्नवत हैं-

क.ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार जुलाई 2019 में अन्तिम अवशेष ₹0 38478.00 एवं ब्याज ₹0 17211 था, जबकि ग्रांट रजिस्टर- के अनुसार ये क्रमशः ₹0 37284.00 एवं ₹0 17211.00 हैं। अन्तर का कारण स्पष्ट करना अपेक्षित रहा ।

ख.ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार जुलाई 2019 में अन्तिम अवशेष ₹0 38478.00 एवं ब्याज ₹0 17211 था। जिसे इसी रजिस्टर में अगल माह अगस्त 2019 में प्रारम्भिक अवशेष में ₹0 28912.00 अंकित कर दिया गया। तथा ब्याज मद में ₹0 शून्य कर दिया गया। अर्थात् ₹0 9566.00 तथा ₹0 17211.00 अर्थात् कुल ₹0 26777.00 धनराशि कम करके दर्शाया गया।

ग.माह सितम्बर, 2019 में ₹0 205.00 प्राप्त हुआ जिससे अब इस माह का अन्तिम अवशेष ₹0 29117.00 हो गया।

घ.माह नवम्बर 2019 में ₹0 50199.00 आय पक्ष में अंकित है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये धनराशि कहाँ से प्राप्त हुई। तत्पश्चात् ₹0 29117+50199.00 कुल ₹0 79316.00 का आहरण कर लिया गया तथा खाता बन्द लिख दिया गया।

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त मद में कई जगहों पर कूट रचना की गई है, लेकिन बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण स्थिति अस्पष्ट रही। मौखिक एवं लिखित रूप से अन्तरिम आपति का परिपालन उक्त बिन्दु पर प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप जाँच में उक्त आहरित धनराशि ₹0 79316.00 अपुष्ट रही, तथा गबन/अपहरण प्रतीत होती है। अतः अपुष्ट एवं अपहरण की गई धनराशि ₹0 79316.00 की वसूली श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव, ख0वि0अधि0 एवं श्री प्रमोद श्रीवास्तव, लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपति संख्या-20)

प्रस्तर संख्या -4 ग्रांट रजिस्टर -3 में तेरहवा वित्त आयोग से ₹0 94328.00 व्यय किया गया है। उक्त मद का बैंक स्टेटमेन्ट तथा दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, पत्रावलियां इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया । मौखिक एवं लिखित रूप से अन्तरिम आपति पत्र दिनांक 22.2.2022 के माध्यम से व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावली, बैंक स्टेटमेन्ट की माँग की गई थी। परन्तु कोई मौखिक उत्तर एवं अन्तरिम आपति का परिपालन उक्त बिन्दु पर प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप जाँच में उक्त आहरित धनराशि ₹0 94328.00 अपुष्ट रही, तथा अपहरण है। अतः अपुष्ट एवं अपहरण की गई धनराशि ₹0 94328.00 की वसूली श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव, ख0वि0अधि0 एवं श्री प्रमोद श्रीवास्तव, लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-21)

प्रस्तर संख्या -5 कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगाव कानपुर नगर द्वारा पत्रांक 1133 /लेखा/अल्पकालीन निविदा सूचना/18-19 दिनांक-14.02.2019 को अल्पकालीन निविदा सूचना हेतु विज्ञापन दिया गया जो जिसमें कार्य का विवरण निम्नानुसार अंकित पाया गया:-

कार्य सं०	कार्य का नाम	फर्म को भुगतान की गई धनराशि (जी.एस.टी. सहित)
1	ग्राम पं० कुड़नी में रमईपुर मार्ग से बबली मेमोरियल एकेडमी तक खण्डजा लगाने व 01 अदद पुलिया निर्माण कार्य।	437853.00
2	ग्राम पं० सीहूपुर में शीतला मन्दिर में जूनियर हाई स्कूल के बगल में इन्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	252460.00
3	विकास खण्ड भीतरगांव के परिसर में इन्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	879691.00
4	ग्राम पं० सीहूपुर में उमाशंकर के खेत से प्राथमिक विद्यालय पेंटिंग रोड तक खण्डन्जा मरम्मत का कार्य।	572130.00
5	ग्राम पंचायत सीहूपुर में पेंटिंग रोड से शोभित श्रीवास्तव के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।	572313.00
6	विकास खण्ड भीतरगांव में प्रवेश द्वार निर्माण कार्य।	166348.90
7	ग्राम पंचायत नौरंगा में राजेश के घर के सामने पेंटिंग रोड से ओम प्रकाश के घर के पास सी०सी०रोड तक इन्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	726772.00
8	ग्राम पंचायत गोपालपुर नर्वल में दिलीप सैनी के घर से हरीलाल के घर से रामदयाल सैनी के घर तक इन्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	640903.98
		4248471.88

उक्त कार्यों की निर्माण पत्रावलियों की जाँच के दौरान निम्न कमियाँ पाई गई जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है-

क. कार्य सं०-01 से 08 तक की फाइलों में संलग्न तुलनात्मक विवरण के सामने का भाग पर टेण्डर खोले जाने का दिनांक व समय अंकित नहीं है। सामने का भाग ऑब्स्ट्रक्ट आफ कास्ट तथा सादे कागज को जोड़कर बना दिया गया है। इसी के पीछे टेण्डर खोले जाने का दिनांक-28.2.19 अंकित किया गया है तथा 8 प्रतिशत जमानत राशि की एफ.डी.आर. खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष बन्धक बनाये जाने के एवज में टेण्डर स्वीकृत किया जा सकता है, लिखा है एवं बी०डी०ओ० के मुहर एवं हस्ताक्षर अंकित हैं।

ख. उक्त तुलनात्मक विवरण के सामने वाले भाग पर स्वीकृत एवं अस्वीकृत के नीचे या अन्य कहीं भी ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं है। केवल ए०डी०ओ० आई.एस.बी.

तथा ए0डी0ओ0पंचायत के हस्ताक्षर ही अंकित है, इन दोनों के नाम तथा मुहर भी नहीं लगाये गये हैं, जिससे उक्त पदों पर नियुक्त कर्मिक का नाम अज्ञात हैं। जबकि निविदा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में उक्त पदाधिकारियों के हस्ताक्षर, मुहर व दिनांक अनिवार्य होते हैं। हस्ताक्षर नहीं करवाये गये हैं।

ग. कार्य संख्या 01 एवं कार्य सं0 08 को एक ही पत्रांक 1204/रा0वि0आ0/ निर्माण कार्य/ 18-19 दिनांक -2.3.19 द्वारा ही मेसर्स सिंह टेडर्स को कार्यादेश कैसे हो गया, जबकि दोनों अलग अलग कार्य है। इस प्रकार कार्य संख्या 04 एवं 05 भी एक ही पत्रांक 1199/रा0वि0आ0/ निर्माण कार्य/ 18-19 दिनांक -2.3.19 द्वारा ही मेसर्स गगन ट्रेडर्स एवं मे.पी0आर0 कंस्ट्रक्शन दोनों अलग-अलग फर्मों को हो गया। डायरी एवं डिस्पैच रजिस्टर प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

घ. तुलनात्मक विवरण पर जिन फर्मों के नाम अंकित हैं उनके टेण्डर फार्म तथा तुलनात्मक विवरण की जाँच में पाया गया कि किसी भी कार्य के सापेक्ष सामग्री, लेबर मजदूरी पर व्यय का कोई चार्ट या विवरण टेण्डर फार्म के साथ संलग्न नहीं है तथा टेण्डर फार्म भी भरा हुआ नहीं है। टेण्डर फार्म पर साक्षी के विवरण/हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है।

ड. किसी भी कार्य का कार्यपूति प्रमाण पत्र निर्माण कार्य पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

च. कार्य सं0- 03 के तुलनात्मक विवरण के पीछे प्रष्टठ पर भी बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है।

छ. कार्य सं0-01 से 08 तक में अनुबन्ध (स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट) के बिना ही कार्यादेश अनियमित तरीके से किया गया है। जबकि कार्यादेश के साथ उक्त अनुबन्ध अनिवार्य रूप से होना चाहिए जिससे कार्य निर्धारित मानदण्डों पर करने के लिए फर्म बाध्य हो सके तथा राजकीय धन का उचित एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित हो सके।

उक्त समस्त बिन्दुओं के आलोक में प्रतीत होता है कि वर्ष दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय के दौरान नियमों/प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया तथा मनपसन्द फर्म को मनमाने तरीके से ठेका देने हेतु मात्र खानापूर्ति की गई है। समस्त कार्यों का ठेका अनियमित तरीके से फर्म को दिया जाना संदिग्ध है। उक्त निर्माण कार्यों पर वर्ष दौरान ₹0 4248471.88 (₹0 बयालीस लाख अड़तालीस हजार छः सौ उन्तीस) व्यय करने में वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त धनराशि ₹04248471.88 (₹0 बयालीस लाख अड़तालीस हजार छः सौ उन्तीस) की ब्याज सहित वसूली श्री प्रमोद श्रीवास्तव, लेखाकार एवं श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव ,खण्ड विकास अधिकारी से कराया जाना अपेक्षित है । (मूल आपति संख्या-22)

प्रस्तर संख्या-6 आलोच्य वर्ष दौरान दिनांक-15.05.2020 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु निविदा का प्रकाशन कराया गया हैं। जिसका विवरण निर्माण कार्य प्रारूप-01 से 04 तक में दिया गया हैं।

क्रं0	कार्य तथा कार्यस्थल का नाम	निविदा मूल्य (टेण्डर में विज्ञापित)	तीन फर्मों के अनुसार निविदा फार्म बिक्री से अर्जित होने वाली आय
1	निर्माण कार्य प्रारूप 01 के अनुसार वर्ष 2020-21	1500	4500
2		1500	4500
3		1500	4500

4		1300	3900
5		1000	3000
6		500	1500
	योग	7300	21900

उक्त कार्यो हेतु तुलनात्मक विवरण के अनुसार तीन-तीन फर्मो ने निविदा फार्म क्रय किये थे। अतः निविदा फार्म बिक्री से कुल ₹0 21900.00 प्राप्त होने चाहिए थे। ग्रांट रजिस्ट्रारों की जाँच में उक्त धनराशि आय पक्ष में नहीं दर्शाई गई है। लेखा परीक्षा दौरान कैशबुक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि नकद रूप में उक्त धनराशि को आय पक्ष में शामिल किया गया था कि नहीं। लेखा परीक्षा दौरान जो भी बैंक खाते प्रस्तुत किये गये उनमें कहीं भी उक्त धनराशि किसी भी बैंक खाते में जमा नहीं की गई है।

अतः टेण्डर फार्म बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि ₹0 21900.00 का श्री बृजेश कुमार, लेखाकार व श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिली भगत से अपहरण कर लिया गया। इसलिए उक्त धनराशि ₹0 21900.00 की ब्याज सहित वसूली श्री बृजेश कुमार, लेखाकार एवं श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल

आपति संख्या-23)

प्रस्तर संख्या -7 वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा कन्टीन्जेन्सी मद से ₹0 946990.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक एवं अन्य सापेक्ष अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान मौखिक एवं अन्तरिम आपति पत्र दिनांक 22.2.2022 के द्वारा मार्गे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्ट धनराशि अपहरण है। अतः अपुष्ट एवं गबन की गई धनराशि ₹0 946990.00 की वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री बृजेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-24)

प्रस्तर संख्या -8 वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रारूप संख्या-01 (संलग्न है) के क्रम संख्या 01 से 22 तक पर दर्शित कार्यो के सापेक्ष टेण्डर -पत्रांक 1274/लेखा/ अल्पकालिक निविदा सूचना/ 2020-2021 दिनांक 05.12.2020 के अनुसार कुल 22 कार्य पन्द्रहवां वित्त आयोग, चौदहवां वित्त आयोग, चतुर्थ एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से कराया गया है। नोट- उक्त टेण्डर विज्ञापन में क्रमांक 1 पर 15 कार्य एक साथ अंकित किया गया था। प्रारूप 01 के अनुसार दर्शित कार्य संख्या 01 से 22 तक में निम्न धनराशि टेण्डर फार्म के बिक्री से क्षेत्र पंचायत कार्यालय को प्राप्त हुई थी-

प्रारूप 01	प्रति टेण्डर मूल्य एवं फर्मो की संख्या	धनराशि
कार्य सं0 1 से 15 तक	770X 3 = ₹02310 X15= 34650	34650
कार्य सं0 16	855 X3= ₹0 2565	2565
17	770 X3 = ₹0 2310	2310
18	770 X3 = ₹0 2310	2310

19	855 X3 =रु0 2565	2565
20	770 X3 =रु0 2310	2310
21	855 X3 =रु0 2565	2565
22	855 X3=रु0 2565	2565
	योग	51840

कुल धनराशि रु0 51840.00 उक्त टेण्डर से प्राप्त हुई जिसे ग्रांट रजिस्टर के आय पक्ष में शामिल नहीं किया गया है, एव न ही ग्रांट रजिस्टर में दर्शाये गये किसी भी खाते में उक्त धनराशि जमा की गई है। उक्त प्राप्त धनराशि का न तो कोई लेखांकन अभिलेखों में किया गया एवं न ही इसे सम्बन्धित बैंक खाते में जमा किया गया। इस प्रकार धनराशि रु0 51840.00 का गबन श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री बृजेश कुमार, लेखाकार द्वारा कर लिया गया। अतः धनराशि रु0 51840.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त दोनों उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी से किया जाना अपेक्षित है। वसूल की गई धनराशि को सम्बन्धित कैशबुक में लेखांकन किया जाना एवं सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करवाकर अनुपालन में अनिवार्य रूप प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-25)

प्रस्तर संख्या -9 वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रारूप संख्या-01 (संलग्न है) के क्रम संख्या 23 से 33 तक पर दर्शित कार्यों के सापेक्ष टेण्डर -पत्रांक 1273/लेखा/ अल्पकालिक निविदा सूचना/ 2020-2021 दिनांक 05.12.2020 के अनुसार कार्य पन्द्रहवां वित्त आयोग, चौदहवां वित्त आयोग, चतुर्थ एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से कराया गया है। प्रारूप 01 के अनुसार दर्शित कार्य संख्या 22 से 33 तक में निम्न धनराशि टेण्डर फार्म के बिक्री से क्षेत्र पंचायत कार्यालय को प्राप्त हुई थी-

.	प्रति टेण्डर मूल्य एवं फर्मों की संख्या	धनराशि
23	770 X3 =रु0 2310	2310
24	855 X3 =रु0 2565	2565
25	770 X3 =रु0 2310	2310
26	855 X3 =रु0 2565	2565
27	770 X3 =रु0 2310	2310
28	855 X3 =रु0 2565	2565
29	770 X3 =रु0 2310	2310
30	855 X3 =रु0 2565	2565
31	855 X3 =रु0 2565	2565
32	770 X3 =रु0 2310	2310
33	770 X3 =रु0 2310	2310

	योग	26685

कुल धनराशि ₹0 26685.00 उक्त टेण्डर से प्राप्त हुई जिसे ग्रांट रजिस्टर के आय पक्ष में शामिल नहीं किया गया है, एव न ही ग्रांट रजिस्टर में दर्शाये गये किसी भी खाते में उक्त धनराशि जमा की गई है। अर्थात् उक्त प्राप्त धनराशि का न तो कोई लेखांकन अभिलेखों में किया गया एवं न ही इसे सम्बन्धित बैंक खाते में जमा किया गया। इस प्रकार धनराशि ₹0 26685.00 का गबन श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री बृजेश कुमार, लेखाकार द्वारा कर लिया गया। अतः धनराशि ₹0 26685.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त दोनों उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी से किया जाना अपेक्षित है। वसूल की गई धनराशि को सम्बन्धित केशबुक में लेखांकन किया जाना एवं सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करवाकर अनुपालन में अनिवार्य रूप प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। (मूल

आपति संख्या-26)

प्रस्तर संख्या -10 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि वर्ष 2019-20 का ग्रांट रजिस्टर के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष ₹0 6656001.00 है जबकि बैंक खाते के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष ₹0 6134095.00 है। अर्थात् ₹0 521906.00 बैंक में कम जमा किया गया। चूँकि ग्रांट रजिस्टर में ये धनराशि नकद में भी दर्शित नहीं किया गया है तथा अन्तर का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं अन्तर का कारण स्पष्ट न किये जाने के कारण तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें कानपुर नगर के आलेख अनुमोदन पत्र सं0 492/ दिनांक 19.7.2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त धनराशि अपहरण है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री प्रमोद श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। अपहृत धनराशि ₹0 521906.00 की वसूली उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-28)

प्रस्तर संख्या -11 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग तथा पंचम राज्य वित्त, चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग से कराये गये कुछ कार्यों में फर्मों को कार्य करवाने के दौरान एडवान्स भुगतान किया गया है। कार्य का विवरण तथा एडवान्स के रूप में दी गई धनराशि एवं भुगतान किये गये फर्म का विवरण प्रारूप-03 पर दर्शित है। प्रारूप-3 के क्रमांक-01 से 15 तक कुल धनराशि ₹0 3200000.00 (रु0 बत्तीस लाख) एडवान्स के रूप में भुगतान किया गया है। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें कानपुर नगर के आलेख अनुमोदन पत्र सं0 492/ दिनांक 19.7.2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त धनराशि अनियमित रूप से एडवान्स के रूप में सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा तथा लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी हैं। (मूल आपति संख्या-29)

प्रस्तर संख्या-12 आयकर कटौती के रूप में वर्ष 2019-20 के दौरान ₹0 91816.32 की कटौती की गई है, परन्तु इसे आयकर डिपार्टमेन्ट को नहीं भेजा गया जो कि आपतिजनक है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्रेषित न करके ₹0 91816.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा तथा लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी हैं व कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या -13 लेबर सेस कटौती के रूप में वर्ष 2019-20 के दौरान ₹0 40470.68 की कटौती की गई है, परन्तु इसे लेबर डिपार्टमेन्ट को नहीं भेजा गया जो कि आपतिजनक है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्रेषित न करके ₹0 40470.68 की वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा तथा लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी हैं व कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-15)

प्रस्तर संख्या -14 लेबर सेस कटौती के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹0 36009.00 की कटौती की गई है, परन्तु इसे लेबर डिपार्टमेन्ट को नहीं भेजा गया जो कि आपतिजनक है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्रेषित न करके ₹0 36009.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा तथा लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी हैं व कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-17)

2-क्षेत्र पंचायत-घाटमपुर

प्रस्तर संख्या 15-निमधा में निमधा पुल मे सुरक्षा दीवार एवं खडन्जा का निर्माण में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 1098/लेखा/च.रा.वि.आ./2020-21, दिनांक 23.11.2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे-

- (क) उपरोक्त कार्य हेतु निविदाएं सामान्य लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस संबंध में पत्रावली में किसी भी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी दरो पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने एवं रु. 445155.00 का व्यय किया गया जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के
- (ख) उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
- (ख) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि० अधि० द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।
- (ग) फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।
- (घ) फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई बिल पत्रावली में उपलब्ध नहीं रहा जिससे बिल प्रस्तुत किये जाने अकी पुष्टि नहीं होती, मात्र एमबी बुक पर जे०ई० की संस्तुति एवं माप के आधार पर फर्म को भुगतान किया गया है। जो धनराशि का अपहरण किया जाना इंगित करता है।
- (ङ.) कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं पूर्ण होने का कोई भी फोटो नहीं लगा है।
- (च.) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै० राजावत इ०प्रा० को रु.285919.00 का भुगतान पीएफएमएस एडवाईट नंबर सी 122033604344, दिनांक 31.12.2020 एवं रु. 159236.00 भुगतान पीएफएमएस एडवाईट नंबर सी 022125991955, दिनांक 20.02.2021 को कर दिया गया अर्थात् कुल रु. 445155.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं।
- (छ) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।
- (ज) जेई द्वारा कार्य की गुणवत्ता के संबंध में अपनी कोई संस्तुति/रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। जेई द्वारा मात्र कार्य की माप का अंकन एमबी पर किया गया जिसके आधार पर ख०वि०अधिकारी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय बिलों को स्वीकृत कर दिया गया। अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं को नजरअंदाज करते हुए फर्म मै० राजावत इ०प्रा० को कुल रु. 445155.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायन सिंह एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती देविका सिंह घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं व कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप० सं.०४)

प्रस्तर संख्या 16- ग्राम बदले सिमनापुर में मूलचन्द्र निषाद के दरवाजे से मनोज सिंह के दरवाजे तक सीसी रोड का निर्माण में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 1092/लेखा/च.रा.वि.आ./2020-21 दिनांक 23.11.2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे.कार्य 6/83 दिनांक 07.09.2020 की पत्रावली की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरो पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड

विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उपरोक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में पाया गया कि -

(क) एमबी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि० अधि० द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(ख) फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।

(ग) फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई बिल पत्रावली में उपलब्ध नहीं रहा जिससे बिल प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि नहीं होती, मात्र एमबी बुक पर जे०ई० की संस्तुति एवं माप के आधार पर फर्म को भुगतान किया गया है।

(घ.) कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं पूर्ण होने का कोई भी फोटो नहीं लगा है।

(च) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनो फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै० राजावत इ०प्रा० को रु.335349.00 का भुगतान पीएफएमएस एडवाइज नंबर सी 12203443825, दिनांक 31.12.2020 एवं रु. 59598.00 भुगतान पीएफएमएस एडवाइज नंबर सी 032123972188, दिनांक 14.03.2021 को कर दिया गया अर्थात् कुल रु. 394947.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(छ) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

(ज) जेई द्वारा कार्य की गुणवत्ता के संबंध में अपनी कोई संस्तुति/रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। जेई द्वारा मात्र कार्य की माप का अंकन एमबी पर किया गया जिसके आधार पर ख०वि० अधिकारी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय बिलों को स्वीकृत कर दिया गया। समस्त औपचारिकताओं को नजरअंदाज करते हुए फर्म मै० राजावत इ०प्रा० को कुल रु. 394947.00 अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती देविका सिंह घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आप.सं.05)**

प्रस्तर संख्या 17- ग्राम किरांव में दीनदयाल के खेत से करन के खेत तक खडंजा मरम्मत कार्य में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 1088 लेखा 2020.21 दिनांक 23/11/2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे कि निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने एवं रु.404449.00 के भुगतान हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उपरोक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में पाया गया कि -

(क) एमबी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि० अधि० द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(ख) फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।

(ग) पत्रावली में फर्म के मुहर/हस्ताक्षर के बिना प्रथम बिल लगा पाया गया। इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई बिल पत्रावली में उपलब्ध नहीं रहा जिससे बिल प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि नहीं होती, मात्र एमबी बुक पर जे०ई० की संस्तुति एवं माप के आधार पर फर्म को भुगतान किया गया है।

(घ.) कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं पूर्ण होने का कोई भी फोटो नहीं लगा है।

(ड.) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनो फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै० राजावत इ०प्रा० को रु.335349.00 का भुगतान

पीएफएमएस एडवाईज नंबर सी 022116683293, दिनांक 11.02.2021 एवं रु. 226701..00 भुगतान पीएफएमएस एडवाईज नंबर सी 022134699865, दिनांक 28.02.2021 को कर दिया गया अर्थात् कुल रु. 399605..00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(च) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

(छ) जेई द्वारा कार्य की गुणवत्ता के संबंध में अपनी कोई संस्तुति/रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। जेई द्वारा मात्र कार्य की माप का अंकन एमबी पर किया गया जिसके आधार पर ख0वि0अधिकारी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय बिलों को स्वीकृत कर दिया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु.335349.00 का भुगतान पीएफएमएस एडवाईज नंबर सी 022116683293, दिनांक 11.02.2021 एवं रु. 226701..00 भुगतान पीएफएमएस एडवाईज नंबर सी 022134699865, दिनांक 28.02.2021 का भुगतान किया गया है। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं। समस्त औपचारिकताओं के अपूर्ण रहने पर भी फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को कुल रु. 399605..00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती देविका सिंह घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0 सं.06)

प्रस्तर संख्या 18- ग्राम कोहरा में किरार से अलियापुर तक खडंजा निर्माण कार्य में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 1104 लेखा 2020-21 दिनांक 23/11/2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे की .

निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी।

(ख) लिफाफों पर यह निविदा लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया है। अंकित है परन्तु कमेटी के किसी भी अधिकारी/सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसी प्रकार पत्रावली में तुलनात्मक चार्ट तो लगा है परन्तु कमेटी के किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(ग) खण्ड विकास कार्यालय के पत्रांक 1104, दिनांक 23.11.2020 को परमार कंसट्रक्शन को पत्र लिखा गया परन्तु पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं हैं।

(घ) तीनो फोटो लगे हैं परन्तु किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(च) एम बी निर्धारित प्रास्प पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि0 अधि0 द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(छ) फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा

(ज) फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई बिल पत्रावली में उपलब्ध नहीं रहा जिससे बिल प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि नहीं होती, मात्र एमबी बुक पर जे0ई0 की संस्तुति एवं माप के आधार पर फर्म पीएफएमएस एडवाईज सं0 122033612651, दिनांक 31.12.2020 रु.308902.00 एवं एडवाईज सं0 022126343702, दिनांक 20.02.2021 रु.565810.00 अर्थात् कुल रु. 874712.00 का अनियमित भुगतान फर्म को किया गया है।

(झ) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

(इ) जेई द्वारा कार्य की गुणवत्ता के संबंध में अपनी कोई संस्तुति/रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। जेई द्वारा मात्र कार्य की माप का अंकन एमबी पर किया गया जिसके आधार पर ख0वि0अधिकारी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय बिलों को स्वीकृत कर दिया गया।

स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से फर्म को 122033612651, दिनांक 31.12.2020 रु.308902.00 एवं एडवाईज सं0 022126343702, दिनांक 20.02.2021 रु.565810.00 अर्थात् कुल रु. 874712.00 का भुगतान किया गया है। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं। समस्त औपचारिकताओं को

अपूर्ण रहने पर भी फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को कुल रु. 874712.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायन सिंह एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती देविका सिंह घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी है व कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0 सं.07)

प्रस्तर संख्या 19- ग्राम शीतलापुर (राहा) में विजय सिंह के घर से इन्द्र भवन के घर तक सीसी रोड/इंटरलाकिंग कार्य में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 109 लेखा 2020 -21 दिनांक 23/11/2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे कि --

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उपरोक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में पाया गया कि -

(ख) एमबी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि0 अधि0 द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(ग) फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।

(घ) पत्रावली में पहला बिल तो लगा है परन्तु द्वितीय बिल संलग्न नहीं है। साथ ही प्रथम बिल पर वर्क आर्डर संख्या, स्वीकृति संख्या, तिथि, इस्टीमेट संख्या, कार्यादेश संख्या, कार्य प्रारंभ तिथि अंकित नहीं किया गया है।

(च) कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं पूर्ण होने का कोई भी फोटो नहीं लगा है।

(छ) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु.383963.00 पीएफएमएस सं0 सी 0012130863144, दिनांक 28.01.2021 द्वारा किया गया है। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं। समस्त औपचारिकताओं के अपूर्ण होने पर भी फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को कुल रु. रु. 383963.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायन सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी है व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0 सं.08)

प्रस्तर संख्या 20- ग्राम पडरी गंगादीन राजकीय पशु चिकित्सालय का अनुरक्षण कार्य लागत 4.91 लाख की पत्रावली पूर्णतया अपूर्ण पाई गई। पत्रावली में मै0 परमार को लिखे गये पत्र पर बीडीओ के हस्ताक्षर नहीं हैं ना ही पत्रांक दिनांक अंकित है। अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे --

(क) पत्रावली में प्राकलन नहीं लगा है।

(ख) तकनीकी स्वीकृति पत्रावली में नहीं उपलब्ध रही।

(ग) कमेटी का गठन किये जाने संबंधी कोई आदेश /पत्र संलग्न नहीं है।

(घ) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।

(ङ.) तुलनात्मक चार्ट लगा है परन्तु कमेटी सदस्यों में से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हैं।

(च) फर्म को लिखे गये पत्र की कोई पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं रही।

(छ) पत्रावली में संलग्न एम0 बी0 बुक पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। एमबी कापी के पृष्ठ प्रमाणन भी नहीं हैं। एम0बी0 बुक पर हस्ताक्षर न किये जाने हेतु लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

जिससे स्पष्ट होता है कि मात्र मनमानी फर्म से कार्य कराया जाना एवं भुगतान कराये जाने की भावना ही एकमात्र उद्देश्य रहा। लेखा परीक्षा में समस्त औपचारिकताओं के अपूर्ण होने पर भी मै0 परमार कंसल्टेशन को रु.89608.00 का अनियमित भुगतान किया

गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नरायन सिंह एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती देविका सिंह घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी है व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आप0 सं.09)

प्रस्तर संख्या 21- ग्राम मवई मच्छन में डामर रोड से ताराचंद्र के दरवाजे तक खडंजा निर्माण,में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 1097/लेखा 2020-21 दिनांक 23/11/2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे की . --

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी।

(ख) पत्रावली में प्राकलन नहीं लगा है।

(ग) तकनीकी स्वीकृति पत्रावली में नहीं उपलब्ध रही।

(घ) फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा

(ड.) कार्य से संबंधित तीनो फोटो पत्रावली में लगे हैं परन्तु किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(च) एम बी निर्धारित प्रास्प पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि0 अधि0 द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(छ) फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा

(ज) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु.206913.00 पीएफएमएस सं0 सी012130868898, दिनांक 28.01.2021 द्वारा किया गया है। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं। समस्त औपचारिकताओं के अपूर्ण होने पर भी फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को कुल रु. 206913.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नरायन सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी है व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आप0 सं.10)**

प्रस्तर संख्या 22- ग्राम गडाथा में हरिओम के मकान से मनिया सिंह एवं अमिरतेपुर संपर्क मार्ग तक खडंजा मरम्मत/नाली कार्य में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 1089 लेखा 2020-21 दिनांक 23/11/2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे की . --

(क) पत्रावली में कार्य प्रारंभ एवं मध्य का फोटो लगा है परन्तु कार्य पूर्ण होने से संबंधित कार्य समाप्ति का कोई भी फोटो नहीं लगाया गया है। जबकि यह आवश्यक था। कार्य समाप्ति/पूर्णता से संबंधित फोटो प्राप्त कर पत्रावली में सहेजा जाना आवश्यक था। बिना फोटो के ही संबंधित फर्म का बिल रु. 517685.00 के सापेक्ष प्रथम भुगतान एडवाईस सं0 12201992079, दिनांक 31.12.2020 रु.442317.00 एवं अंतिम बिल का भुगतान एडवाईस सं0 सी 022116686439, दिनांक 11.02.2021 रु. 364784.00 कर दिया गया। स्पष्ट है कि भुगतान किये जाने से पूर्व बरती जाने वाली सावधानियें नहीं बरती गई है। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(ख) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

स्पष्ट होता है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु.442317.00 एवं रु.364784.00 अर्थात कुल रु. 807101.00 का भुगतान किया गया है। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं। समस्त औपचारिकताओं के अपूर्ण होने पर भी फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को कुल रु. 807101.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नरायन सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी है व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आप0 सं.11)

प्रस्तर संख्या 23- ग्राम मऊनखत में डामर रोड से च्यवन ऋषि मन्दिर तक खडंजा निर्माण का कार्य में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 1090/लेखा/च.रा.वि.आ./2020-21 दिनांक 23.11.2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे . --

(क) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै0 राजावत इण्टरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत प्रथम बिल रु. 218631.50 के आधार पर पीएफएमएस एडवाईज सं0 सी012130862123, दिनांक 28.01.2021 रु. 216400.00 का भुगतान कर दिया गया। द्वितीय बिल रु. 238080.85 पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हैं। खण्ड विकास अधिकारी के भी नहीं हैं बिल पर पासिंग भी नहीं अंकित हैं मात्र अवर अभियंता की रिपोर्ट लगी है। इसके बावजूद भी फर्म को पीएफएमएस एडवाईज सं0 सी032135204071, दिनांक 17.03.2021, रु.19499.00 का भुगतान कर दिया गया। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(ख) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।

(ग) कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण न कराया जा सका अर्थात् वर्षान्त में हस्तगत रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि फर्म को रु. 216400.00 पीएफएमएस सं0 सी012130862123, दिनांक 28.01.2021 एवं एडवाईज सं0 सी032135204071, दिनांक 17.03.2021, रु.19499.00 का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार कुल रु. 235899.00 अनियमित तरीके से भुगतान किया गया है। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं। समस्त औपचारिकताओं को नजरअंदाज करते हुए फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को कुल रु. 235899.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0 सं.12)

प्रस्तर संख्या 24- ग्राम डोभा में मून्नू यादव के दरवाजे से रमेश यादव के दरवाजे तक सीसी रोड/इण्टरलाकिंग/नाली मरम्मत कार्य की पत्रावली पूर्णतया अपूर्ण पाई गई पत्रावली में मै0 परमार को लिखे गये पत्र पर बीडीओ के हस्ताक्षर नहीं हैं ना ही पत्रांक दिनांक अंकित है। अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे --

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में पाया गया कि -

(ख) तीनों निविदाओं के लिफाफों पर मात्र लेखाकार के हस्ताक्षर पाए गए। अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी की मात्र मुहर लगी है। हस्ताक्षर नहीं हैं।

(ग) श्री शनैश्वर इण्टरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत निविदा के संलग्नकों की छाया प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। श्री शनैश्वर को टेण्डर देने वाले सामान्य अनुदेश पर अवर अभियंता एवं ख0वि0अधिकारी की मात्र मुहर लगी है। हस्ताक्षर नहीं हैं। मात्र लेखाकार के हस्ताक्षर हैं जबकि इसी फर्म को स्वीकृति दी गई है तब भी निविदा प्रपत्र पर खण्ड विकास अधिकारी की स्वीकृति अंकित करते हुए मुहर तो लगाई गई परन्तु ख0वि0अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर ही नहीं करे गये।

(घ) मै0 राजावत की निविदा के साथ भी फोटो कापी संलग्नकों पर फर्म के प्रमाणन हस्ताक्षर नहीं हैं साथ ही टेण्डर देने वालों को सामान्य अनुदेश पर मात्र लेखाकार के हस्ताक्षर हैं अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी की मुहर लगी है। हस्ताक्षर नहीं हैं। साथ ही अस्वीकृति की ख0वि0 अधिकारी की मुहर पर भी ख0वि0अधिष् के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(ड.) परमार कंस्ट्रक्शन के संलग्नकों पर भी फर्म के हस्ताक्षर हैं परन्तु टेण्डर देनेवाले को सामान्य अनुदेशों पर अवर अभियंता एवं ख० वि० अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(च) किसी भी फर्म द्वारा श्रम विभाग का प्रमाण नहीं अंकित किया है

(छ) तुलनात्मक चार्ट पर भी कमेटी की मुहरें लगी हैं। परन्तु मात्र लेखाकार के ही हस्ताक्षर हैं।

(ज) फर्म को लिखे गये पत्रांक 1101, दिनांक 23.11.2020 द्वारा श्री शनेशवर इंटर प्रा० को पत्र लिखा गया परन्तु ख० वि० अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं हैं।

(झ) प्रथम एवं द्वितीय रनिंग बिल लगे हैं परन्तु किसी के भी हस्ताक्षर ही नहीं हैं। मात्र अवर अभियंता की कार्य संतोषजनक है अंकित है।

(श्र) एमबी बुक की जगह कापी पर एमबी बुक तैयार की गई है जिसके कुल 01 से 24 तक पृष्ठों को ख० वि० अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया गया है।

स्पष्ट होता है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु.131993.00 एवं रु.356209.00 अर्थात् कुल रु. 488202.00 का भुगतान किया गया है। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि मात्र मनमानी फर्म से कार्य कराया जाना एवं भुगतान कराये जाने की भावना ही एकमात्र उद्देश्य रहा। लेखा परीक्षा में समस्त औपचारिकताओं के अपूर्ण होने पर भी मै० परमार कंस्ट्रक्शन को कुल रु. 488202.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है (मूल आप० सं.13)

प्रस्तर संख्या 25- विकास खण्ड परिसर में वाटर हार्वेस्टिंग एवं सोखता पिट निर्माण में बीडीओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे -

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में पाया गया कि -

(ख) तीनों निविदाओं के लिफाफों पर मात्र लेखाकार के हस्ताक्षर पाए गए। अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी की मात्र मुहर लगी है। हस्ताक्षर नहीं हैं।

(ग) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै० परमार कंस० द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष क्रमशः रु.199492.00, रु. 113715.00, एवं रु. 101562.00 का भुगतान कर दिया गया। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(घ) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि० अधि० द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(ड.) लिफाफों पर यह लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया है। अंकित है परन्तु कमेटी के किसी भी अधिकारी/सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसी प्रकार पत्रावली में तुलनात्मक चार्ट तो लगा है परन्तु कमेटी के किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं हैं।

(च) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

इससे स्पष्ट होता है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु.199429.00, रु. 113715.00 एवं रु.101562.00 अर्थात कुल रु. 414706 .00 का भुगतान किया गया है। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लॉक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं। समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण कराए बिना ही फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को कुल रु. 414706.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आप0 सं.14)

प्रस्तर संख्या 26- मा0 प्रमुख कक्ष एवं खण्ड विकास अधिकारी के कक्ष में रनिंग वाटर फैसेल्टी में बीडीओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे -

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में पाया गया कि -

(ख) तीनों निविदाओं के लिफाफों पर मात्र लेखाकार के हस्ताक्षर पाए गए। अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी की मात्र मुहर लगी है। हस्ताक्षर नहीं हैं।

(ग) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै0 परमार कंस0 द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष क्रमशः रु.95689.00, एवं रु. 11873.00 का भुगतान कर दिया गया। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(घ) लिफाफों पर यह लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया है। अंकित है परन्तु कमेटी के किसी भी अधिकारी/सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसी प्रकार पत्रावली में तुलनात्मक चार्ट तो लगा है परन्तु चार्ट पर भी कमेटी के किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं हैं।

(ङ.) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

(च) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।

(छ) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि0 अधि0 द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(ज) मै0 परमार के अतिरिक्त किसी भी फर्म के संलग्नकों पर संबंधित के हस्ताक्षर ही नहीं हैं।

(झ) मै0 परमार द्वारा प्रस्तुत बिलों पर अवर अभियंता की कार्य संतोष जनक पूर्ण हुआ अंकित नहीं है।

स्पष्ट होता है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु.95689.00 एवं रु.11873.00 अर्थात कुल रु. 107562.00 का भुगतान किया गया है। समस्त औपचारिकताओं के अपूर्ण होने पर भी फर्म मै0 परमार कंस्ट्रक्शन को कुल रु. 107562.00 अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आप0 सं.15)

प्रस्तर संख्या 27- काटर के गुरइयन सम्पर्क मार्ग में बड़े नाले में पुलिया निर्माण कार्य में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 1086 लेखा 2020-21 दिनांक 23/11/2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे की . -

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर

विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में पाया गया कि -

- (ख) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।
- (ग) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि० अधि० द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।
- (घ) मै० परमार के अतिरिक्त किसी भी फर्म के संलग्नकों पर संबंधित के हस्ताक्षर ही नहीं हैं।
- (ड.) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर/कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै० परमार कंस० द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष क्रमशः ₹78270.00 पीएफएमएस सं० सी-03212191757, दिनांक 12.03.2021 एवं ₹. 220923.00 का भुगतान पीएफएमएस सं० सी032135512938, दिनांक 17.03.2021 को कर दिया गया। स्पष्ट होता है कि समस्त औपचारिकता पूर्ण कराये बिना ही फर्म मै० परमार कंस० को कुल ₹. 299193.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी है व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप० सं. 16)

प्रस्तर संख्या 28- ग्राम बरीपाल में नूर मोहम्मद के दरवाजे से सगरा तालाब तक नाला निर्माण में बीडीओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे -

- (क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में पाया गया कि -

- (क) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।
- (ख) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि० अधि० द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।
- (ग) निविदा पत्र में दर्शाये गये निविदा कर्ता श्री शनिशवर इण्टरप्राइजेज द्वारा निर्धारित दरों से 0.017 प्रतिशत कम पर एवं मै० राजावत इण्टरप्राइजेज द्वारा निर्धारित दरों से 0.02 प्रतिशत कम पर टेण्डर डाला गया इस प्रकार मै० शनिश्वर इ० प्रा० को टेण्डर स्वीकृत किया जाना चाहिए था जबकि राजावत का टेण्डर स्वीकृत करा गया है। स्पष्ट है कि अधिक दर वाला टेण्डर स्वीकृत करते हुए प्रक्रिया को दोषपूर्ण ढंग से लागू किया गया जिससे पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है एवं मनमाने ढंग से फर्मों को कार्य आबंटित/स्वीकृत किये जाना सिद्ध हो रहा है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
- (घ) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै० परमार कंस० द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष क्रमशः पीएफएमएस एडवाईस सं० सी 012130864451 दिनांक 28.01.2021 ₹.147776.00 एवं पीएफएमएस एडवाईस सं०, सी 022128381498, दिनांक 22.02.2021. ₹.104195.00 का भुगतान कर दिया गया। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(ड.) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।

(च) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

इससे स्पष्ट होता है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु. 147776.00 एवं रु. 104195.00 अर्थात् कुल रु. 251971.00 का भुगतान किया गया है। समस्त औपचारिकताओं के अपूर्ण होने पर भी फर्म मै0 राजावत इ0 प्रा0 को कुल रु. 251971.00 का अनियमित भुगतान किया गया इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी है व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0 सं.17)

प्रस्तर संख्या 29- मवई माधौ में राधाकृष्ण मंदिर से गया प्रसाद यादव के घर तक सीसी रोड/नाली निर्माण में बीडीओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे -

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ख) तीनों निविदाओं के लिफाफों पर मात्र लेखाकार के हस्ताक्षर पाए गए। अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी की मात्र मुहर लगी है। हस्ताक्षर नहीं हैं।

(ग) तुलनात्मक चार्ट पर भी कमेटी की मुहरें लगी हैं। परंतु किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, मात्र लेखाकार के ही हस्ताक्षर हैं।

(घ) खण्ड विकास अधि0 द्वारा तुलनात्मक चार्ट पर मै0 शनिस्वर की निविदा स्वीकृत करते समय अपने हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

(ड.) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै0 परमार कंस0 को क्रमशः पीएफएमएस एडवाईस सं0 सी 122033607059, दिनांक 31.12.2020 रु.315801.00 एवं पीएफएमएस एडवाईस सं0, सी 032121917427, दिनांक 12.03.2021. रु. 30246.00 का भुगतान कर दिया गया। जबकि पत्रावली में फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई बिल उपलब्ध नहीं रहा जिससे समीक्षा ना की जा सकी। बिना बिल प्राप्त किये मात्र एमबी के आधार पर भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर लेखाकार एवं अवर अभियंता समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(च) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि0 अधि0 द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(छ) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।

(ज) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

स्पष्ट होता है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु. 315801.00 एवं रु. 30246.00 अर्थात् कुल रु. 346047.00 का भुगतान अनियमित तरीके से किया गया है। समस्त औपचारिकताओं के बिना ही फर्म मै0 परमार कंसट्रक्शन को कुल रु. 346047.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी है व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0 सं.18)

प्रस्तर संख्या 30- मवई माधौ में राधाकृष्ण मंदिर से गया प्रसाद यादव के घर तक सीसी रोड/नाली निर्माण में बीडीओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे -

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ख) तीनों निविदाओं के लिफाफों पर मात्र लेखाकार के हस्ताक्षर पाए गए। अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी की मात्र मुहर लगी है। हस्ताक्षर नहीं हैं।

(ग) तुलनात्मक चार्ट पर भी कमेटी की मुहरें लगी हैं। परंतु किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, मात्र लेखाकार के ही हस्ताक्षर हैं।

(घ) खण्ड विकास अधि० द्वारा तुलनात्मक चार्ट पर मै० शनिश्चर की निविदा स्वीकृत करते समय अपने हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

(ङ.) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै० परमार कंस० को क्रमशः पीएफएमएस एडवाईस सं० सी 122033607059, दिनांक 31.12.2020 रु.315801.00 एवं पीएफएमएस एडवाईस सं०, सी 032121917427, दिनांक 12.03.2021. रु. 30246.00 का भुगतान कर दिया गया। जबकि पत्रावली में फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई बिल उपलब्ध नहीं रहा जिससे समीक्षा ना की जा सकी। बिना बिल प्राप्त किये मात्र एमबी के आधार पर भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर लेखाकार एवं अवर अभियंता समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(च) एम बी निर्धारित प्रास्प पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि० अधि० द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(छ) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।

(ज) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

स्पष्ट होता है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु. 315801.00 एवं रु. 30246.00 अर्थात् कुल रु. 346047.00 का भुगतान अनियमित तरीके से किया गया है। समस्त औपचारिकताओं के बिना ही फर्म मै० परमार कंसट्रक्शन को कुल रु. 346047.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप० सं. 19)

प्रस्तर संख्या 31- ग्राम अकबरपुर में वीरेन्द्र निषाद के घर के पास से पंचायत भवन तक नाली निर्माण में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 1094 /लेखा/च.रा.वि.आ./2020-21 दिनांक 23.11.2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे. ---

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ख) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म को पीएफएमएस एडवाईस सं० सी 012130867687,, दिनांक 28.01.2021 रु.66934.00 का भुगतान कर दिया गया। जबकि पत्रावली में फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई बिल उपलब्ध नहीं रहा जिससे समीक्षा ना की जा सकी। बिना बिल प्राप्त किये मात्र एमबी के आधार पर भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर लेखाकार एवं अवर अभियंता समान रूप से उत्तरदायी हैं।

- (ग) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि० अधि० द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।
- (घ) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।
- (ङ.) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।
- अतएव स्पष्ट होता है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु. 66934.00 का भुगतान अनियमित तरीके से किया गया है। समस्त औपचारिकताओं के अपूर्ण होने पर भी फर्म मै० राजावत इ० प्रा० को कुल रु. 66934.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप० सं.20)

प्रस्तर संख्या 32- धनामितरामपुर में इषाक के दरवाजे से लाल सिंह यादव के घर तक सीसी/इण्टरलाकिंग/नाली मरम्मत कार्य में बीडीओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे -

- (क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
- (ख) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि० अधि० द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।
- (ग) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै० राजावत इ० प्रा० को क्रमशः पीएफएमएस एडवाईस सं० सी 0221234662366, दिनांक 28.02.2021 रु.533173.00 एवं एडवाईज सं० सी 032135383457, दिनांक 17.03.2021 रु. 158715..00 का भुगतान कर दिया गया। जबकि पत्रावली में फर्म द्वारा प्रस्तुत अहस्ताक्षरित बिल उपलब्ध रहा जिस पर खण्ड विकास अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना मात्र एमबी के आधार पर भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर लेखाकार एवं अवर अभियंता समान रूप से उत्तरदायी हैं।
- (घ) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।
- (ङ.) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

स्पष्ट होता है कि समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण कराए बिना ही फर्म मै० राजावत इ० प्रा० को अनियमित तरीके से रु.533173.00 एवं रु. 158715..00 अर्थात् कुल रु. 691888.00 का भुगतान अनियमित तरीके से किया गया है। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप० सं.21)

प्रस्तर संख्या 33- केरिया (डिबरी) में गजोधर के मकान से तालाब तक खडंजा मरम्मत कार्य में बीडीओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे -

- (क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
- (क) तीनों निविदाओं के लिफाफों पर कमेटी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए।

- (ख) तुलनात्मक चार्ट पर भी कमेटी की मुहरें लगी हैं। परंतु किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।
- (ग) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि० अधि० द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।
- (घ) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै० परमार कंस० को क्रमशः पीएफएमएस एडवाईस सं० सी 022117459795, दिनांक 11.02.2021 रु.162981.00 एवं एडवाईज सं० सी 032102585275, दिनांक 04.03.2021 रु. 131254..00 का भुगतान कर दिया गया। जबकि पत्रावली में फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल पर प्रस्तुत कर्ता के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। जिस पर खण्ड विकास अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना मात्र एमबी के आधार पर भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर लेखाकार एवं अवर अभियंता समान रूप से उत्तरदायी हैं।
- (घ) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।
- (च) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

स्पष्ट होता है कि समस्त औपचारिकताओं के अपूर्ण होने पर भी फर्म मै० परमार कंसट्रक्शन को अनियमित तरीके से रु. 162981.00 एवं रु. 131254..00 अर्थात् कुल रु. 294235.00 का भुगतान अनियमित तरीके से किया गया है। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आप० सं.22)**

प्रस्तर संख्या 34- चिल्ली मेन रोड से भुइया रानी तक सीसी रोड निर्माण कार्य में में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 1087 /लेखा/च.रा.वि.आ./2020-21 दिनांक 23.11.2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे. ---

- (क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
- (ख) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि० अधि० द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।
- (ग) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै० राजावत इ० प्रा० को पीएफएमएस एडवाईस सं० सी 03210352718, दिनांक 15.03.2021 रु.479935.00 का भुगतान कर दिया गया। जबकि एमबी के अनुसार द्वितीय बिल रु. 70919..00 के भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उल्लेखनीय है कि पत्रावली में फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई बिल उपलब्ध नहीं रहा जिससे समीक्षा ना की जा सकी। बिना बिल प्राप्त किये मात्र एमबी के आधार पर भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर लेखाकार एवं अवर अभियंता समान रूप से उत्तरदायी हैं।
- (घ) पत्रावली में फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा।
- (ड.) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।
- इससे स्पष्ट होता है कि अनियमित तरीके से फर्म को रु. 479935.00 का भुगतान अनियमित तरीके से किया गया है। इस हेतु लेखाकार, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर समान रूप से उत्तरदायी हैं।
- (च) कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण न कराया जा सका अर्थात् वर्षान्त में हस्तगत रहा।

समस्त औपचारिकताओं के बिना ही फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को कुल रु. 479935.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0 सं.23)

प्रस्तर संख्या 35- विकास खण्ड कार्यालय एवं परिसर का अनुरक्षण एवं विस्तार कार्य एवं उपकरण क्रय में बीडीओ कार्यालय पत्रांक 1085/लेखा/च.रा.वि.आ./2020-21 दिनांक 23.11.2020 द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे ---

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ख) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि0 अधि0 द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(ग) पत्रावली में कार्य प्रारंभ, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति/कार्य पूर्ण होने का फोटो नहीं लगा है।

(घ) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारंभ, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति/कार्य पूर्ण होने का फोटो नहीं लगा है। इसके बावजूद भी लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को पीएफएमएस एडवार्ड्स सी 01213086743, दिनांक 28.01.2021 रु. 237012.00, एडवार्ड्स सं0 सी 0032107078735, दिनांक 08.03.2021 रु. 276828.00 एवं अंतिम बिल का भुगतान एडवार्ड्स सं0 सी- 032121818धू089, दिनांक 11.03.2021 रु. 124616.00 का भुगतान कर दिया गया। बिना समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराये ही भुगतान किया जाना अनियमितता है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर लेखाकार एवं अवर अभियंता समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(ड.) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

(च) मै0 राजावत इण्टरप्राइजेज द्वारा श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सं0 डी35533960 दिनांक 25.11.2021 पत्रावली में लगा पाया गया जबकि भुगतान पूर्व में ही हो गया। शर्तों में उल्लिखित था कि श्रम विभाग में पंजीकरण के उपरांत ही भुगतान होगा। इस प्रकार शर्तों का उल्लंघन होने के उपरांत भी संबंधित फर्म को भुगतान किया जाना वित्तीय अनियमितता है।

इससे स्पष्ट होता है कि समस्त औपचारिकताओं के अपूर्ण होने पर भी फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को अनियमित तरीके से फर्म को रु. 237012.00, 276828.00 एवं 124616.00 अर्थात् कुल रु. 638456.00 का भुगतान अनियमित तरीके से किया गया है। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0 सं.25)

प्रस्तर संख्या 36- बाल विकास परियोजना अधिकारी घाटमपुर के कार्यालय की छत का मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य बीडीओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे -

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ख) लिफाफों पर यह लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया है। अंकित है परन्तु कमेटी के किसी भी अधिकारी/सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसी प्रकार पत्रावली में तुलनात्मक चार्ट लगा है मै0 परमार इण्टरप्राइजेज को घेरा भी गया है परन्तु चार्ट पर भी कमेटी के किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं हैं।

(घ) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि0 अधि0 द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(ग) पत्रावली में कार्य प्रारंभ, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति/कार्य पूर्ण होने का फोटो नहीं लगा है।

(घ) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारंभ, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति/कार्य पूर्ण होने का फोटो नहीं लगा है। इसके बावजूद भी लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनो फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को पीएफएमएस एडवाईस सी 022125994320, दिनांक 20.02.2021 रु. 153814.00, एडवाईज सं0 सी 032123972347, दिनांक 14.03.2021 रु. 458396.00 का भुगतान बिना समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराये ही भुगतान किया जाना अनियमितता है। अंतिम बिल का भुगतान रु. 171568.00 का भुगतान दिनांक 01.11.2021 को अर्थात अगले वित्तीय वर्ष में हुआ है। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही हो जाना चाहिए था। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख घाटमपुर, लेखाकार एवं अवर अभियंता समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(ड.) मै0 परमार इण्टरप्राइजेज द्वारा श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सं0 डी35533960 दिनांक 25.11.2021 पत्रावली में लगा पाया गया जबकि भुगतान पूर्व में ही हो गया। शर्तों में उल्लिखित था कि श्रम विभाग में पंजीकरण के उपरांत ही भुगतान होगा। इस प्रकार शर्तों का उल्लंघन होने के उपरांत भी संबंधित फर्म को भुगतान किया जाना वित्तीय अनियमितता है।

(च) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

, रु. 458396.00 का भुगतान बिना समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराये ही भुगतान किया जाना अनियमितता है अंतिम बिल का भुगतान रु. 171568.00, दिनांक 01.11.2021 को अर्थात अगले वित्तीय वर्ष में हुआ है इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी है व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0 सं.26)

प्रस्तर संख्या 37- ग्राम कोटरा में रामआसरे खंगार के दरवाजे से सन्नीचैर तक नाला निर्माण में बीडीओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे कि -

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ख) एम बी निर्धारित प्रारूप पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि0 अधि0 द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(ग) पत्रावली में कार्य प्रारंभ, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति/कार्य पूर्ण होने का फोटो नहीं लगा है।

(घ) फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा

(ड.) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारंभ, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति/कार्य पूर्ण होने का फोटो नहीं लगा है। इसके बावजूद भी लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनो फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को पीएफएमएस एडवाईस सी 022122909568, दिनांक 16.02.2021 रु. 449449.00 भुगतान बिना समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराये ही भुगतान किया जाना अनियमितता है। अंतिम बिल का भुगतान रु. 417743.00 का भुगतान दिनांक 11.04.2021 को अर्थात अगले वित्तीय वर्ष में हुआ है। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही हो जाना चाहिए था। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर लेखाकार एवं अवर अभियंता समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(च) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

(छ) कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण न कराया जा सका अर्थात् वर्षान्त में हस्तगत रहा।

समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण कराए बिना ही फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को कुल रु. 414769.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायन सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0 सं.27)

प्रस्तर संख्या 38- मदुरी में प्रा0 स्कूल से आगे अनिल के मकान तक खडंजा निर्माण कार्य में बीडीओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं जैसे कि-

(क) निविदाएं सामान्य रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर सहित प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ख) एम बी निर्धारित प्रास्प पर ना तैयार कर एक कापी पर बनाई गई है। जिसके पृष्ठों का प्रमाणन खण्ड वि0 अधि0 द्वारा किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप पर एवं कार्यालय द्वारा निर्गत होनी चाहिए थी।

(ग) पत्रावली में कार्य प्रारंभ, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति/कार्य पूर्ण होने का फोटो नहीं लगा है।

(घ) फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा

(ड.) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारंभ, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति/कार्य पूर्ण होने का फोटो नहीं लगा है। इसके बावजूद भी लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनों फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को पीएफएमएस एडवाईस सी 0122033609934, दिनांक 31.12.2020 रु. 511055.00 एवं एडवाईज सं0 सी-022117412537, दिनांक 11.02.2021, रु. 317845.00 का भुगतान बिना समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराये ही कुल रु. 828900 का भुगतान किया जाना अनियमितता है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, घाटमपुर लेखाकार एवं अवर अभियंता समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(च) कार्य स्थल पर कोविड 19 के नियमों के पालन किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे।

समस्त औपचारिकताओं के बिना ही फर्म मै0 राजावत इ0प्रा0 को कुल रु. रु. 828900 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायन सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0 सं.28)

प्रस्तर संख्या 39-क्षेत्र पंचायत घाटमपुर द्वारा आलोच्य वर्ष में मनरेगा कंटीजेंसी मद में रु. 825014.20 का व्यय किया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे व्यय प्रमाणित नहीं किये जा सके। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायन सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0 सं.30)

प्रस्तर संख्या 40-आंगनवाडी क्षेत्र पंचायत निर्माण पर आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत घाटमपुर द्वारा रु. 2765041.00 का व्यय किया गया है। साथ ही कुल उपलब्ध ब्याज की धनराशि रु. 112842.30 में से रु. 20000.00 की धनराशि का व्यय किया गया है। जबकि ब्याज मद से व्यय किया जाना अनियमितता है। इस प्रकार कुल व्यय रु.2877883.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध कराये गये जिससे उक्त व्यय का प्रमाणन न किया जा सका। इस हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायन सिंह, एवं लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0 सं.31)

प्रस्तर संख्या 41- गोवंश आश्रय संचालन निधि पर क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु. 4291210.00 का व्यय किया गया है परन्तु इससे संबंधित पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध कराया गया। इस हेतु लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या, अवर अभियंता, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नरायन सिंह एवं ब्लाक प्रमुख घाटमपुर श्रीमती देविका सिंह उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आप0 सं.32)**

प्रस्तर संख्या 42- क्षेत्र पंचायत घाटमपुर द्वारा प्राप्त निम्नंकित विवरणानुसार जीएसटी, लेबर सेस एवं आयकर कटौतियों को समयान्तर्गत संबंधित विभागों में जमा नहीं किया गया। विवरण निम्नांकित है -

क्र.	अनुदान का नाम	गत वर्ष का शेष	वष में प्राप्त	उपभोग	वर्षान्त में शेष
1	लेबर सेस कटौती	-	152862.00	-	152862.00
2	जीएसटी कटौती	4737.00	321074.00	86422.00	239389.00
3	आयकर कटौती	13062.00	312749.00	-	325811.00
	योग -	17799.00	786685.00	86422.00	718062.00

वर्ष 2020-21 के उपरोक्त कटौतियों को समय से संबंधित विभागों में जमा ना किया जाना उचित नहीं है। जानकारी करने पर संतोषजनक उत्तर ना मिला। उपरोक्त के अनुसार यह भी स्पष्ट होता है कि जीएसटी एवं आयकर मद में गत वर्ष भी पूर्ण धनराशि संबंधित विभाग में जमा नहीं की गई थी। यह लापरवाही का विषय है। इस हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नरायन सिंह, एवं लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आप0 सं.39)**

प्रस्तर संख्या 43- क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं हेतु निविदा प्रपत्रों की बिक्री की गई है जबकि अपेक्षित धनराशि से कहीं कम धनराशि रु. 7475.00 कम प्राप्त हुई है। टेण्डर फार्म की बिक्री निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर करके क्षेत्र पंचायत की आय रु. 7475.00 से कम की गई है। जिस हेतु संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नरायन सिंह, अवर अभियंता श्री संदीप मिश्रा तथा पटल प्रभारी श्री कपिल कुमार आर्या से समान रूप से उत्तरदायी हैं व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आप0 सं.40)**

3- क्षेत्र पंचायत-बिल्हौर

प्रस्तर संख्या 44- आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निविदा दाता फ़र्म मे.अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड डेवेलोपर्स,कानपुर नगर कि हैसियत प्रमाण पत्र 11/02/19 को दो वर्ष कि अवधि के लिए निर्गत हुआ था ,जिसकी हैसियत 48.75 लाख निर्धारित थी ।परंतु विकास खंड कार्यालय द्वारा उक्त फ़र्म को 72.09 लाख के अनुमानित कार्यदेश निर्गत किये गए व रु.5077955.00 का वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान पारित किया गया जो गंभीर अनियमितता है ।एक ही हैसियत प्रमाण पत्र की छाया प्रति पर सभी निविदा दाताओं से निविदा प्रपत्र स्वीकृत किए गए जबकि नियमानुसार प्रत्येक कार्य के लिए प्रथम हैसियत प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न कराये जाने चाहिए।अतः निर्धारित हैसियत रु.4875000.00 से अधिक भुगतानित धनराशि रु.5077955.00 का अंतर रु.202955.00 गंभीर रूप से अनियमित है और वसूली किए जाने योग्य है ।जिसकी वसूली बराबर/समान रूप से उत्तरदाई अधिकारियों व कर्मचारियों श्री लेखाकार सुनील कुमार यादव ,खण्डविकास अधिकारी श्री दिनकर विद्यार्थी व अवर अभियंता श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह से कि जानी अपेक्षित है । **(मूल आपति सं 14)**

प्रस्तर संख्या 45- आलोच्य वर्ष 2020-21 में शासनादेश सं.5/2017 /ए-1-133 /दस -2017-10(26)/2016 दिनांक 15 /02 /2017 से राजकीय विभागों द्वारा कार्य संविदा व वस्तुओं के क्रय के सापेक्ष किए गए भुगतान पर निर्धारित दर से वैट की कटौती व सर्क्यलर सं. सी/एडिसनल कमि जी एस टी /2018-19 /1819049/705 /वाणिज्यकर

दिनांक 26/09 /2018 से उत्तर प्रदेश माल व सेवाकर अधि.की धारा 51 के अन्तर्गत 1 प्रतिशत सीजीएसटी,1 प्रतिशत एसजीएसटी,2 प्रतिशत आईजीएसटी की दर से वैट की कटौती, राजकीय विभागों द्वारा कार्य संविदा व वस्तुओं के क्रय के सापेक्ष किए गए भुगतान पर,कर के वाणिज्यकर विभाग में संगत खातों में जमा किया जाना 01.10.18 से प्रभावी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में कार्यदायी संस्थाओं को उक्त कटौती कर भुगतान करने व इस धनराशि को वाणिज्यकर विभाग में जमा करने संबंधी अभिलेखीय प्रमाण अपरीक्षित रहे । वाणिज्यकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के आधार पर आहरण वितरण अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आपति सं 16)**

4-क्षेत्र पंचायत- ककवन

प्रस्तर संख्या 46- ग्राम पंचायत विषधन में मजरा हरीपुरवा से मेडा रोड से रघुबीर के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य, खंड विकास अधिकारी कक्ष स्टोर एवं परिसर की मरम्मत व जल निकासी तथा प्रवेश द्वार अनुरक्षण कार्य, ग्राम रहीमपुर विषधन में मिलन केंद्र से कुसुमा देवी स्कूल की पुलिया, ग्राम हरीपुरवा में इंद्रापाल के दरवाजे से रशीद के दरवाजे तक नाला निर्माण-

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 उक्त निर्माण कार्य, पत्रांक 424/लेखा/क्षे.पं/च.रा.वि/निविदा 2020-21 दिनांक 23/01/21 द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य में.ग्रीन अन्तरिक्ष को नियुक्ति पत्र संख्या493,486,490,489, लेखा /च.रा.वि 2020-21 / दिनांक 15/02/21 द्वारा प्रदत्त कर कराया गया जिसकी क्रमशः आई0डी0 सं0 .47083527,47083080,47203675,47203775 है ।जो प्राक्कलन दर से मर्जीनल कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया। मात्र तीन फार्मों का विकास खंड स्तर से पंजीयन किया गया ,जबकि अन्य फार्मों का पंजीकरण कर तुलनात्मक रूप से बेहतर दर प्राप्त की जा सकती थी । एक ही हैसियत प्रमाण पत्र की छाया प्रति पर सभी निविदा दाताओं से निविदा प्रपत्र स्वीकृत किए गए जबकि नियमानुसार प्रत्येक कार्य के लिए प्रथक हैसियत प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है ।में.ग्रीन अन्तरिक्ष का हैसियत प्रमाण पत्र 10/10/18 को दो वर्ष के लिए 40 लाख की हैसियत के साथ निर्गत किया गया था ,इसकी वैधता 09/10/20 तक थी,परंतु नियुक्ति पत्र संख्या493,486,490,489 लेखा /च.रा.वि 2020-21 / दिनांक 15/02/21 द्वारा कार्य आवंटित कर भुगतान किया गया। कार्य आवंटन के समय में.ग्रीन अन्तरिक्ष का हैसियत प्रमाण पत्र वैध नहीं था ,जो गंभीर अनियमितता का विषय है अतः फर्म को ई-ग्राम स्वराज से दिनांक 10/03/21 द्वारा रु.468103.00,दिनांक14/03/21 द्वारा रु.689874.00, दिनांक 10/03/21 द्वारा रु.616359.00, दिनांक 10/03/21 द्वारा रु.680216.00, किया गया कुल भुगतान रु 2454552.00 गंभीर रूप से अनियमित है ,जिसकी वसूली लेखाकार श्री सुनील कुमार यादव ,खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनकर विद्यार्थी व श्री प्रदीप कुमार, अवर अभियंता श्री ईश्वर दयाल व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती निर्मला से की जानी अपेक्षित है । **(मूल आपति सं 19)**

प्रस्तर संख्या 47-आलोच्य वर्ष 2020-21 में शासनादेश सं.5/2017 /ए-1-133 /दस -2017-10(26)/2016 दिनांक 15 /02 /2017 से राजकीय विभागों द्वारा कार्य संविदा व वस्तुओं के क्रय के सापेक्ष किए गए भुगतान पर निर्धारित दर से वैट की कटौती व सरक्यूलर सं. सी/एडिसनल कमि जी एस टी /2018-19 /1819049/705 /वाणिज्यकर दिनांक 26/09 /2018 से उत्तर प्रदेश माल व सेवाकर अधि.की धारा 51 के अन्तर्गत 1 प्रतिशत सीजीएसटी,1 प्रतिशत एसजीएसटी,2 प्रतिशत आईजीएसटी की दर से वैट की कटौती, राजकीय विभागों द्वारा कार्य संविदा व वस्तुओं के क्रय के सापेक्ष किए गए भुगतान पर,कर के वाणिज्यकर विभाग में संगत खातों में जमा किया जाना 01.10.18 से प्रभावी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में कार्यदायी संस्थाओं को उक्त कटौती कर भुगतान करने व इस धनराशि को वाणिज्यकर विभाग में जमा करने संबंधी अभिलेखीय प्रमाण अपरीक्षित रही । वाणिज्यकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के आधार पर आहरण वितरण अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आपति सं 20)**

5-क्षेत्र पंचायत -शिवराजपुर

प्रस्तर संख्या 48- टेंडर प्रपत्र का मूल्य 100000 से 1000000 के अनुमानित मूल्य के टेंडर के लिए अनुमानित मूल्य का 0.2 प्रतिशत न्यूनतम रुपए 400 अधिकतम रु 1500 और 10 लाख से ऊपर के लिए 0.15 प्रतिशत अधिकतम रु25000 जीएसटी जोड़कर सुनिश्चित किया गया है संस्था द्वारा विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त/ पंचम राज्य वित्त एवं 15 वित्त आयोग हेतु विभिन्न पत्रांक से निविदा का प्रकाशन कराया गया है। जिस का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि लाख रुपए में	निविदा मूल्य टेंडर के अनुसार रुपए में
	चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त आयोग वर्ष (2020-21)		
1	ग्राम पंचायत वीरामऊ में जयराम से जिलेदार के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य	5.50	1100
2	ग्राम पंचायत टकटोली में खंड बाकरगंज में सूरज प्रसाद से महंगूलाल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	4.82	970
3	ग्राम पंचायत बोझा में डामर रोड से मलखान सिंह से होते हुए फौजी छविराय तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	2.39	480
4	ग्राम पंचायत भैंसऊ में राजू पाल के दरवाजे से मयंक पाल तक इंटरलॉकिंग कार्य	2.65	530
5	ग्राम पंचायत हिंदूपुर में मुस्ता मुरैनी मार्ग से जखई बाबा मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	3.15	630
6	ग्राम पंचायत गौरी अभय पुर में बृजवासन का मंदिर के पास राजनारायण के घर से श्रीराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	4.51	990
7	ग्राम पंचायत कमालपुर में टकटोली रजवाहा मार्ग से श्रीकांत के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	4.19	840
8	ग्राम पंचायत वीरामऊ में खंड जयकिशन नवादा में छिददा के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य	0.76	400
9	ग्राम पंचायत काकूपुर रबबन में खरेश्वर मार्ग में मंदिर के पास से पुलियातक सड़क मरम्मत कार्य	3.88	780

10	ग्राम पंचायत काकूपुर रब्बन में राजेश बाजपेई से बिंदु बाजपेई के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	2.26	460
11	ग्राम पंचायत काकूपुर में सीताराम से छिददा के घर से काकूपुर निहाल मार्ग तक इंटरलॉकिंग कार्य	4.12	820
	15 वे वित्त टाइड/अनटाइड फंड वर्ष (2020-21)		
12	ग्राम पंचायत गोडरा में पीडब्ल्यूडी मार्ग से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलॉकिंग कार्य	4.26	855
13	ग्राम पंचायत गजफरपुर में सीताराम वर्मा से जयकरण के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	6.66	1335
14	ग्राम पंचायत मुंहपोछा में मैनावती मार्ग से राजे तिवारी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	8 .27	1655
15	ग्राम पंचायत दहारपुर में वीरामऊ मार्ग से इंद्रजीत सिंह मेमोरियल स्कूल तक इंटरलॉकिंग कार्य	2. 66	535
16	ग्राम पंचायत नेवादा सुजान में राधा कृष्ण मंदिर से नीरज के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	5.50	1100
17	ग्राम पंचायत रानेपुर में रामनाथ के दरवाजे से रामबाबू के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	3.76	753
18	ग्राम पंचायत जादेपुर घस्सा में शिव कुमार के दरवाजे से ट्रांसफार्मर तक इंटरलॉकिंग कार्य	8.50	1700
19	ग्राम पंचायत जरेलापुरवा में ममता के दरवाजे से सतीश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	5.50	1100
20	ग्राम पंचायत वीरामऊ में वंशलाल के घर से मेवालाल के दरवाजे से होते हुए छोटे लाल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	1.91	385
	योग		17,418

उपरोक्त 20 कार्यों हेतु तुलनात्मक विवरण के अनुसार 3-3 फॉर्मों ने निविदा फॉर्म क्रय किए थे। जिनसे कुल रु.52,254.00 के राजस्व की प्राप्ति निविदा फॉर्म की बिक्री से हुई है। जिससे संबंधित पुष्टि प्रमाणिक एवं संबंधित कैश बुक लेखा परीक्षा के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके लिए सहायक लेखाकार जिम्मेदार है। इन निविदा फॉर्मों से हुई बिक्री की धनराशि को ग्रांट रजिस्टर- 3 की ठेकेदार रजिस्ट्रेशन एवं निविदा शुल्क मद में ना ले कर धन

का अपहरण कर लिया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान लेखाकार द्वारा निविदा पत्रों का बिक्री रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया तथा निविदा फार्मों की बिक्री की धनराशि जमा करने के लिए सहायक लेखाकार जिम्मेदार हैं। अतः रुपए 52254.00 की वसूली श्री अमित बाजपेई सहायक लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं.17)

प्रस्तर संख्या 49- वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न तिथियों में मनरेगा प्रासंगिक मद से निम्न विवरण अनुसार चेक द्वारा कुल धनराशि रुपए 1044981.00 का आहरण किया गया है। जिसमें से धनराशि रुपए 7,09,405.00 ग्राम रोजगार सेवकों, ऐ.पी.ओ. एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय के रूप में आहरित की गई है। रोजगार सेवकों को भुगतान की गई है धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तथा 2019-20 हेतु की गई है। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के मानदेय की धनराशि इतने विलंब से क्यों भुगतान की गई इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका। इसके समर्थन में रोजगार सेवकों की उपस्थिति पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। रोजगार सेवकों के मानदेय की देयताएं एवं भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष रोजगार सेवकों की प्रमाणिक उपस्थिति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि रुपए 7,09,405.00 संदिग्ध रही। भुगतान का विवरण निम्नवत है:-

मद	तिथि	चेक संख्या	धनराशि रुप ए	चेक जिसके पक्ष में निर्गत किया गया
सहायक कार्यक्रम अधिकारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर मानदेय	08.04.20 20	445067	36000.00	बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबंधक
सहायक कार्यक्रम अधिकारी मानदेय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 हेतु	20.04.20 20	460622	176000.00	बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबंधक
सहायक कार्यक्रम अधिकारी मानदेय वर्ष 2019-20	24.04.20 20	460623	379960.00	बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबंधक
ग्राम रोजगार सेवक मानदेय	13.04.20 20	445068	117445.00	बैंक ऑफ शाखा बडौदा प्रबंधक
		योग	7,09,405.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार धनराशि रुपए 709405.00 आलोच्य वर्ष के मानदेय के रूप में पेश किए गए हैं लेकिन इस कारण इस आहरण के समर्थन में रोजगार सेवकों की उपस्थिति पत्रावली लेखा परीक्षा में कई बार मांगने के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं संबंधित व्यक्तियों के अभाव में मानदेय के रूप में संदिग्ध भुगतान की गई धनराशि रु.709405.00 की वित्तीय अनियमितता के लिए खंड विकास अधिकारी श्री आलोक पांडे तथा लेखाकार श्री राजेंद्र कुमार रजक जिम्मेदार है। उक्त अनियमितता में सन्निहित धनराशि रु.7,09,405.00 की वसूली खंड विकास अधिकारी श्री आलोक पांडे एवं पटल प्रभारी श्री राजेंद्र रजक से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.18)

प्रस्तर संख्या -50 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में विभिन्न तिथियों में मनरेगा प्रासंगिक मद के अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार अनुदान पंजिका 2 एवं 3 में व्यय दर्शाया गया है। जिससे संबंधित व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

मद	तिथि	चेक संख्या	धनराशि	चेक जिसके पक्ष में निर्गत किया गया
शासकीय वाहन जीप के डीजल का भुगतान	13.04.2020 05.11.2020	445069 460627	13500.00 30500.00	लेखाकार श्री राजेंद्र कुमार रजक
स्टेशनरी क्रय का भुगतान	13.04.2020 05.11.2020	445070 460628	15000.00 12401.00	लेखाकार श्री अमित बाजपेई
कंप्यूटर एवं प्रिंटर क्रय	24.04.2020	460624	64500.00	लेखाकार श्री अमित बाजपेई
कंप्यूटर मरम्मत एवं इंक फिलिंग	16.12.2020	460630	4487.00	लेखाकार श्री अमित बाजपेई
प्रिंटर इंक क्रय	24.04.2020	460624	1460.00	लेखाकार श्री अमित बाजपेई
मनरेगा जॉब कार्ड एवं मजदूरी भुगतान	16.12.2020	460629	92300.00	अनुभव इंटरप्राइजेज
मनरेगा प्रासंगिक मद की धनराशि वापसी	24.04.2020	460626	88155.00	बैंक ऑफ बडौदा शाखाप्रबंधक
ग्राम पंचायत निसोन एवं निवादा में ग्राम विकास अधिकारी दीपा के कार्य की वसूली की धनराशि का प्रेषण	20.04.2020	460621	13923.00	जिला रोजगार गारंटी निधि कानपुर नगर
		योग	336226.00	

उपरोक्त व्यय के समर्थन में शासकीय वाहन जीप के लॉग बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः व्यय की गई धनराशि रु.44000.00 अनियमित रहे।

-जीप संख्या यू.आर. डी. 6509 के बिना लॉग बुक एवं रजिस्ट्रेशन प्रपत्र के एवं फिटनेस प्रमाण पत्र के काल्पनिक रूप से परिचालन दर्शा कर धनराशि का आहरण किया जाना अनियमित है।

-स्टेशनरी क्रय के भुगतान की धनराशि 27401.00 भी व्यय प्रमाणको के अभाव में अनियमित रहे।

-कंप्यूटर मरम्मत एवं इंटर फिलिंग तथा प्रिंटर इंक क्रय की धनराशि 68,987.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। कंप्यूटर क्रय जिस संस्था से किया गया है, निर्गमित चेक भी संस्था के नाम

पर जारी किया जाना चाहिए था,ना कि लेखाकार के नाम पर ।लेखाकार के नाम पर निर्गमित चेक भुगतान को संदिग्ध दर्शाता है।

-अन्य व्यय से संबंधित पुष्टि प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए । पुष्टि प्रमाणको के अभाव में समस्त व्यय को अनियमित मानते हुए वसूली की कार्यवाही खंड विकास अधिकारी श्री आलोक पांडे एवं संबंधित पटल प्रभारी श्री अमित बाजपेई से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ.सं.19)

प्रस्तर संख्या -51 चतुर्थ राज्य वित्त अंतर्गत ग्राम पंचायत वीरामऊ खंड जयकिशन नेवादा नाथूराम के घर से जिलेदार के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण का कार्य तकनीकी स्वीकृति संख्या 27/06.07.2020 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 678/29.10.2020 द्वारा कराया गया है । उपरोक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 का है जोकि उक्त वर्ष के कार्य योजना में क्रमांक संख्या 35 पर दर्शित था ।यह कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण किया जाना दर्शाया गया है ।कार्य आदेश की तिथि पत्रावली में 711/ 02.11.2020 दर्शाई गई है। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति विलंब से मिलने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका। तकनीकी स्वीकृति मिलने के पश्चात भी निर्माण कार्य जनवरी 2021 में पूर्ण किया गया है। निर्माण कार्य के विलंब से पूर्ण किए जाने के पश्चात दंडात्मक शुल्क की वसूली की कार्यवाही भी संबंधित कार्यकारी संस्था मैसर्स रामबाबू कंस्ट्रक्शन से नहीं की गई है । जबकि निर्माण कार्य अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य ,कार्य देश के तिथि से 2 माह के भीतर पूर्ण कर दिया जाना था ।अन्यथा की स्थिति में अनुबंध को निरस्त कर देना चाहिए था । खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति ना होने की स्थिति में भी अनुबंध निरस्त नहीं किए जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका । ना ही विलंब के लिए उत्तरदाई संस्था से दंडात्मक शुल्क जो कि नियमानुसार लागत मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत होता है, धनराशि रुपए 55000.00 वसूल किया गया । अतः निर्माण कार्य के विलंब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उत्तरदाई संस्था मैसर्स रामबाबू कंस्ट्रक्शन से दंडात्मक शुल्क धनराशि रुपए 55000.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी चाहिए। ब्लाक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी श्री आलोक पांडे पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.22)

प्रस्तर संख्या -52 क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित निर्माण कार्यों के निर्माण पत्रावली अवलोकन एवं जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई । निम्नांकित सभी निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के हैं जबकि इनसे संबंधित भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया है। निम्नांकित सभी निर्माण कार्य नियत समय पर पूर्ण नहीं किए जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका । सभी निर्माण कार्य नियत समय पर पूर्ण नहीं किए जाने के लिए ब्लाक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी श्री आलोक पांडे पूर्ण रूप से उत्तरदाई हैं। विवरण निम्न है:-

निर्माण कार्य का नाम	वर्ष 2018-19	व्यय की धनराशि
विकासखंड परिसर में मूत्रालय निर्माण कार्य		77796 +1568 +1568+6800=87732.00
ग्राम पंचायत दुवियानामें पंचायत घर से सुनील कोरी के दरवाजे से होते हुए मानीराम के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण		443949++8966+8966+40164=102045.00
ग्राम पंचायत पटकापुर में जीटी रोड से श्याम बाबू के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण		339659+6360+6360+30730 =383109.00
ग्राम पंचायत दिनकरपुर खंड बशीराबाद हरमू मार्ग से विद्या मंदिर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य		246329+4974+4974+22285 =278562.00

ग्राम पंचायत पाठकपुर में जीटी रोड से जगदेव सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य		121884+2462+2462+11027 =137835.00
योग		989283.00

उपरोक्त सभी निर्माण कार्य को नियत समय में पूर्ण नहीं किए जाने के कारण नियमानुसार दायित्व निर्धारित करते हुए सभी निर्माण कार्य के लागत धनराशि के अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से धनराशि रुपए 98928.30 के दंडात्मक शुल्क की वसूली संबंधित कार्यदाई संस्था से की जानी चाहिए। (मूल आ.सं.23)

प्रस्तर संख्या -53 संस्था की लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर -3 की जांच में पाया गया कि टेंडर जमानत धनराशि रुपए 399858.00 वर्ष के प्रारंभ में दिनांक 01.04.2020 को प्रारंभिक अवशेष के रूप में दर्शाई जा रही है जबकि वर्ष दौरान इस मद में प्राप्ति की धनराशि रुपए 633669.00 दर्शाई गई तथा व्यय की धनराशि रुपए 75150.00 दर्शाई जा रहे हैं वर्षांत शेष की धनराशि रुपए 958377.00 दर्शित रहे।

निर्माण पत्रावलीयों को जांच में पाया गया कि 15 वें वित्त योजना अंतर्गत अनटाइड अनुदान अंतर्गत कुल 09 निर्माण कार्य जिनकी लागत धनराशि टेंडर अनुसार कुल रुपए 4702000.00 रही तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अंतर्गत 11 निर्माण कार्य के लागत की धनराशि कुल रुपए 3815000.00 रही। इस प्रकार वर्ष के दौरान कराए गए निर्माण कार्यों की कुल लागत की धनराशि रुपए 8517000.00 के सापेक्ष 10 प्रतिशत की दर से जमानत की कुल धनराशि रुपए 851700.00 होनी चाहिए। जबकि वर्ष दौरान अनुदान रजिस्टर में प्राप्ति की धनराशि रुपए 633669.00 दर्शाई जा रही है। इस प्रकार जमानत धनराशि के मद में प्राप्त होने वाले अंतर की धनराशि रुपए 218031.00 के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाने अपेक्षित रहे।

जबकि निर्माण पत्रावलीयों की जांच में पाया गया कि 15 वें वित्त योजना अंतर्गत अनटाइड अनुदान अंतर्गत कई निर्माण कार्य में एक ही एफ0डी0आर/ बचत पत्र का उपयोग जमानत धनराशि के रूप में किया गया है। यह भी पाया गया कि उपरोक्त एफ.डी.आर./राष्ट्रीय बचत पत्र, करारनामा के अनुसार खंड विकास अधिकारी के पक्ष में ना होकर स्वयं ठेकेदार के पक्ष में निर्गत किया गया है है जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है।

विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	निर्माण कार्य	बैंक का नाम	जमानत/ एफ.डी.आर.सं.	परिपक्वता की धनराशि	पक्ष में निर्गत का नाम
1	ग्राम पंचायत रानेपुर में रामनाथ के घर से रामबाबू के घर के आगे तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण कार्य	एस.बी.आइ.	50000.00/ 85722/19086-4	52547.00	मे.खान इंटरप्राइसेस
2	जरेलापुरवा में ममता के दरवाजे से सतीश के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण कार्य	एस.बी.आइ	50000.00/ 85722/19086-4	52547.00	मे.खान इंटरप्राइसेस
3	ग्राम पंचायत जादेपुर घस्सा में शिवकुमार के घर से	एस.बी.आइ	50000.00/ 85722/19086-4		मे.खान इंटरप्राइसेस

	ट्रांसफार्मर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण कार्य				
4	ग्राम पंचायत गोडरामें पीडब्ल्यूडी मार्ग से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड कार्य	बी.ओ.बी.	52000.00/ 2701215344	54595.00	मे.खान इंटरप्राइसेस
5	ग्राम पंचायत दहारुद्रपुर में वीरामऊ संपर्क मार्ग से इंद्रजीत सिंह मेमोरियल स्कूल तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण कार्य	बी.ओ.बी	52000.00/ 2701215344	54595.00	मे.खान इंटरप्राइसेस
6	ग्राम पंचायत मुंहपोछा में मैनावती मार्ग से राजे तिवारी के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	बी.ओ.बी	52000.00/ 2701215344	54595.00	मे.खान इंटरप्राइसेस

निर्माण कार्य अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य तथा विकास कार्य में टेंडर जमानत धनराशि नियत समय अवधि के अंदर अनुबंध के अनुसार नहीं जमा करके नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इस स्थिति में उत्तरदाई संस्था के अनुबंध को खंड विकास अधिकारी द्वारा निरस्त कर देना चाहिए था। अनुबंध को निरस्त नहीं कर नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। कार्यदाई संस्था को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाने अपेक्षित रहे। नियमानुसार दायित्व निर्धारित करते हुए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।
(मूल आ.सं.25)

प्रस्तर संख्या -54 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में 15 वे वित्त योजना अंतर्गत ग्राम जरैलापुरवा में ममता के घर से सतीश के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य 15 योजना अंतर्गत कराया गया है। यह निर्माण कार्य स्वीकृत लागत धनराशि रुपए 4.55 लाख से 120 मीटर हेतु कराया गया है। कार्यदाई संस्था मैसर्स खान इंटरप्राइजेज एवं अवर अभियंता श्री मान सिंह के द्वारा यह कार्य कराया गया है। कार्य की अवधि दिनांक 03.03.2021 से दिनांक 12.03.2021 दर्शाई गई है तथा निर्माण कार्य का भुगतान पी एफ एम एस द्वारा दिनांक 18.03.2021 को किया जाना दर्शाया गया है। संबंधित निर्माण कार्य में निम्न लेखा आपतियां दृष्टिगत हुई हैं:-

1) निर्माण कार्य की लागत कार्य योजना में क्रमांक 15 पर धनराशि रुपए 5.50 लाख दर्शाई गई है जबकि निर्माण पत्रावली में निर्माण कार्य की लागत धनराशि रुपए 4.50 लाख दर्शाई गई है स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहा।

2) निर्माण पत्रावली में संलग्न बिल ऑफ क्वांटिटी में दर्शित क्रमांक 1 से 8 तक के कार्यों के सापेक्ष संबंधित माप पुस्तिका में मात्र चार कार्य ही किया जाना दर्शाया गया है।

- क्रमांक 1 पर अर्थ वर्क इन ट्रेन्चस 7.20 क्यू.मी एट द रेट 120 रु./ क्यू.मी के सापेक्ष माप पुस्तिका में 4.26 क्यू.मी एट द रेट 120 रु./ क्यू.मी कार्य ही दर्शाया गया है। अंतर 2.94 क्यू.मी एट द रेट 120 रु./ क्यू.मी प्रति की दर से कुल धनराशि रुपए 352.80 का रहा।

- क्रमांक 2 पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेन्यूलर सब बेस 27.90 क्यू.मी एट द रेट रु. /क्यू.मी की दर से कुल धनराशि रुपए 84704.40 ब्लॉक क्वांटिटी के अनुसार किया जाना था परंतु प्रस्तुत माप पुस्तिका में जीएसबी का कार्य 4.46

क्यू.मी एट द रेट 3036रु./ क्यू.मी कराया जाना माप पुस्तिका में दर्शाया गया है। अंतर 23.44 क्यू.मी एट द रेट 3036 /क्यू.मी प्रति की दर से कुल धनराशि रुपए 71,163.84 का रहा।

-क्रमांक 3 पर एम-150 ब्रिक वर्क इन 1:4 सीमेंट इन कोर्स सैंड के 11.04 क्यू.मी एट द रेट 4850/ क्यू.मी कुल रुपए 53544.00 के सापेक्ष प्रस्तुत माप पुस्तिका में 6.55 क्यू.मी एट द रेट 850/ क्यू.मी कुल रुपए 31670.50 का व्यय दर्शाया गया है। अंतर 4.49 क्यू.मी एट द रेट 4850/ क्यू.मी प्रति की दर से कुल धनराशि रुपए 21,776.5 का रहा।

-क्रमांक 4 पर 300 पेवर ब्लॉक इंटरलॉकिंग टाइल्स 800 मि.मी. मोटाई एट द रेट 820/ प्रति की दर से कुल धनराशि रुपए 246000.00 के स्थान पर माप पुस्तिका में 178 पेवर ब्लॉक इंटरलॉकिंग टाइल्स 800 मि.मी. मोटाई एट द रेट 820/ प्रति की दर से कुल धनराशि रुपए 146616.00 का उपभोग एवं व्यय दर्शाया गया है। अंतर 122 पेवर ब्लॉक इंटरलॉकिंग टाइल्स 800 मि.मी. मोटाई एट द रेट 820/ प्रति की दर से कुल धनराशि रुपए 100040.00 का रहा।

-क्रमांक 7 पर मै. आयरन वर्क फॉर आर सी सी 0.57 कुंटल एट द रेट 5600/ कुंटल की दर से रुपए 3165.12 के सापेक्ष माप पुस्तिका में कोई कार्य नहीं कराना दर्शाया नहीं गया है। इंटरलॉकिंग टाइल रोड निर्माण कार्य में आयरन वर्क फॉर आरसीसी कार्य का दर्शाया जाना समझ के परे है। अवर अभियंता श्री मान सिंह द्वारा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाने अपेक्षित रहे। इस प्रकार कराए गए निर्माण कार्य में एवं बिल ऑफ कॉन्ट्रिटी में दर्शाए गए कार्यों में धनराशि रुपए 1,93,333.14 का अंतर रहा। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए। उपरोक्त निर्माण कार्य के माप की तिथि दिनांक 13.03.2021 कार्य के पूर्ण होने की तिथि ही रहे। निर्माण कार्य पूरा होने एवं कार्यदाई संस्था को भुगतान किए जाने की संस्तुति भी दिनांक 13.03.2021 को संस्था के बिल संख्या 577/13.03.2021 के सापेक्ष दिनांक 18.03.2021 को कर दिया गया। निर्माण कार्य अवर अभियंता श्री मान सिंह द्वारा कराया गया है एवं कार्य के माप की पुष्टि भी उनके द्वारा ही की गई है। एवं इस आधार पर ही कार्यदाई संस्था को भुगतान भी कर दिया गया। निर्माण कार्य कराए जाने हेतु उत्तरदाई व्यक्ति द्वारा ही निर्माण कार्य के माप की पुष्टि भी की जा सकती है इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संबंधित शासनादेश प्रस्तुत किया जाना एवं पुष्टि कराई जानी चाहिए। इस वितीय अनियमितता हेतु खंड विकास अधिकारी श्री आलोक पांडे एवं अवर अभियंता श्री मान सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं दायित्व निर्धारित करते हुए भुगतान की समस्त धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.27)

प्रस्तर संख्या -55 सभी निर्माण कार्य की निर्माण पत्रावली में संलग्न कार्य आदेश संख्यामें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि भुगतान हेतु प्रस्तुत करते समय बिल के साथ निर्माण कार्य का लेबर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराकर रजिस्ट्रेशन क्रमांक भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जबकि भुगतान हेतु संस्तुति करते समय रजिस्ट्रेशन क्रमांक की जानकारी पत्रावली में संलग्न नहीं की गई है एवं निर्माण कार्य का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न आ नहीं रहा। ऐसी स्थिति में कार्यदाई संस्था को भुगतान किस आधार पर किया गया लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो सका। निर्माण कार्य की धनराशि रुपए 8525000.00 का भुगतान नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। इस वितीय अनियमितता हेतु खंड विकास अधिकारी श्री आलोक पांडे एवं अवर अभियंता श्री मान सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं व वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.28)

प्रस्तर संख्या -56 चतुर्थ राज्य वित्त अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसऊ में राजू पाल के दरवाजे से मयंक पाल के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण का कार्य स्वीकृत लागत रु 2.65 लाख से कराया गया है। यह निर्माण कार्य मै. बी एस कंस्ट्रक्शन द्वारा स्वीकृत माप 42 मीटर हेतु तकनीकी स्वीकृति संख्या 677/ 29.10.2020 द्वारा तथा वितीय

स्वीकृति संख्या 1132/ 24.02.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराया जाना था। उक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित लेखा आपत्तियां पाई गई:-

1) निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण किया जाना पत्रावली में दर्शाया गया है। निर्माण पत्रावली में तकनीकी स्वीकृति संख्या 23/10.01.2020 पुनः प्राप्त की जाना दर्शाई गई है। यह निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्यों नहीं पूरा हो पाया इसकी जानकारी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई ना ही इसके संबंध में कोई प्रपत्र पत्रावली में संलग्न पाया गया।

2) मैसर्स बी एस कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री नवनीत कुमार, ठेकेदार का अपने पक्ष में प्रस्तुत किया गया/ पत्रावली में संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र संख्या 965/2017-18 की वैधता तिथि दिनांक 19.11.2020 तक ही थे जबकि निर्माण कार्य के प्रारंभ की तिथि 22.11.2020 तथा समाप्ति की तिथि 30.11.2020 रहे। स्पष्ट है कि निर्माण कार्य के दौरान एवं कार्यादेश जारी होने की तिथि 707/02.11.2020 को उपरोक्त चरित्र प्रमाण पत्र मान्य नहीं था फिर भी कार्यदाई संस्था का टेंडर स्वीकृत किया गया। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

3) निर्माण पत्रावली में संलग्न बिल ऑफ क्वांटिटी तथा संलग्न माप पुस्तिका में कार्य की सामग्री में अंतर पाया गया:-

माप पुस्तिका में कार्य की सामग्री	बिल ऑफ क्वांटिटी में कार्य की सामग्री
अर्थ वर्क 2.52 क्यू.मी एटदरेट 95/ क्यू.मी रु. 239.40	अर्थ वर्क 151.20 क्यू.मी एटदरेट 95/ क्यू.मी रु. 14364.00
ब्रिक वर्क 3.86 क्यू.मी एटदरेट 4550/ क्यू.मी रु. 17563.00	ब्रिक वर्क 3.86 क्यू.मी एटदरेट 4550/ क्यू.मी रु. 17581.00
जी.एस.बी. 4.62 क्यू.मी एटदरेट 3036/ रु. 14026.32	जी.एस.बी. 23.94 क्यू.मी एटदरेट 3036/ क्यू.मी रु. 14026.32
अर्थ वर्क भराई में मिटटी एटदरेट 44.1 क्यू.मी एटदरेट 95 रु. 4189.50	अर्थ वर्क भराई में मिटटी एटदरेट 44.1 क्यू.मी एटदरेट 95 रु. 72681.84
12 मि.मी. थिक प्लास्टर 19.32 क्यू.मी एटदरेट 135 रु. 2608.20	12 मि.मी. थिक प्लास्टर 21 क्यू.मी एटदरेट 135 रु. 2835.00
80 मि.मी. टाइल्स 110.92 स्क्.मी. एटदरेट 846 रु. 93838.32	80 मि.मी टाइल्स 147 स्क्.मी एटदरेट 846 रु. 124362.00
कुल रु. 1,32,464.74	कुल रु. 2,31,823.60

निर्माण कार्य की गुणवत्ता संबंधित रिपोर्ट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में जांच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिल ऑफ क्वांटिटी में निर्माण कार्य की मात्रा एवं सामग्री जो दर्शाई गई थी माप पुस्तिका एवं निर्माण कार्य में कार्य का स्तर वह नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य कराया गया है। कार्यदाई संस्था को लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया गया है। इस वित्तीय अनियमितता हेतु ब्लाक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी श्री आलोक पांडे तथा अवर अभियंता श्री मान सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं। इनके उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए तथा निर्माण कार्य में भुगतान की समस्त धनराशि को खंड विकास अधिकारी श्री आलोक पांडे एवं अवर अभियंता श्री मान सिंह से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ.सं.30)

6-क्षेत्र पंचायत -सरसौल

प्रस्तर संख्या-57 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में निम्न मद में धनराशि का व्यय किया गया है:-

क्र0	मद का नाम	धनराशि

1	ऑगन बाडी निर्माण केन्द्र	1095880.00
2	रा0 ग्रामीण आ0 मिशन (एन0आर0एल0एम0)	196173.00
3	नरेगा कन्टीजेन्सी	595188.00
4	किसान कल्याण मेला	86240.00
5	गोवंश आश्रम स्थल	2208000.00
योग:-		4181481.00

उक्त मद में रु. 4181481.00 धनराशि का व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक की बार बार माग करने पर भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सा0 लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड़) एवं वित्तीय लेखा मेनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः रूपया 4181481.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र प्रसाद शुक्ला एवं श्री सौरभ कुमार बरनवाल व लेखाकार श्री राज कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 14)

प्रस्तर संख्या-58 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के अन्तर्गत निम्न कराये गये कार्यों की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित,अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाच से निम्न गंभीर आपतिया प्रकाश में आयी, प्रोजेक्ट कार्य का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	प्रोजेक्ट फाइल का नाम	धनराशि
1	ग्राम दीपापुर में पण्डित यादव के दरवाजे से नहर तक नाला निर्माण कार्य	510588.00
2	ग्राम हाथी पुर मे बढकऊ तिवारी से असलम के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	456278.00
3	ग्राम मथूरा खेडा राजापुर में भागीरथ के दरवाजे से इन्द्रपाल के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	852707.00
4	ग्राम पंचायत पाली पाण्डेय के मेडिकल स्टोर से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	171048.00
5	पाल्हेपुर चैराहा पाली स्थित प्रथम पुलिया (बृजकिशोर पाण्डेय के खेत से) दुसरी पुलिया तक नाला निर्माण कार्य	391811.00
6	देवी प्रसाद के दरवाजे मुरली के दरवाजे तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	237846.00
7	विपौसी में डामर रोड से शमशान घाट तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	72163.00
	योग-	2692441.00

क- उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है।

ख- उत्तरप्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी है संलग्न माप पुस्तिका की जाँच में निम्न कमिया प्रकाश में आई:-

1. उत्तरप्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिन्दु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया है।

2. उत्तरप्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के बिन्दु 03 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु इसका पालन नहीं किया गया। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी, तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है इससे अनियमितता की गयी है।

3. उत्तरप्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के बिन्दु 05 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टिया नहीं की गयी है जो अपेक्षित थी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी, तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है इससे अनियमितता की गयी है।

4. उत्तरप्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के बिन्दु 08 के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्यों पर परिमाण पुस्तिका की जाच लेखाकार द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी, तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है इससे अनियमितता की गयी है।

ग- कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी, तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है इससे अनियमितता की गयी है।

घ- पत्रावली की जाँच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोट शीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014, एवं जुलाई 2015 में जारी दिशानिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया कार्य अनुमन्य नहीं है। अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और अनियमितता की गयी है।

च- निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट पर इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

छ- पत्रावली की जाँच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य की मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएँ की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता तथा कार्यप्रभारी उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त

होने की दशा में रु. 2692441.00 की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है व इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र प्रसाद शुक्ला एवं श्री सौरभ कुमार बरनवाल व लेखाकार श्री राज कुमार सिंह से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है

मूल आपति संख्या 15)

प्रस्तर संख्या-59 उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सा0 लेखा) नियमावली 1965 के नियम 27 व 28 के अनुसार प्राप्ति तथा व्यय व्यवहार के दिन रोकण बही में दर्ज किया जायेगा। किन्तु लेखा परीक्षा के समय रोकण बही उपलब्ध नहीं कराई गयी। ग्रांट रजि0 के अनुसार ठेकेदार रजि0/निविदा मूल्य में आय रु0. 78500.00 एवं व्यय रु. 57631.00 आलोच्य वर्ष कि दौरान पाया गया किन्तु रोकण बही उपलब्ध न होने की दशा में इसकी पुष्टि न हो सकी। अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सा0 लेखा) नियमावली 1965 के नियम (2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में रु. 78500.00 की नियमानुसार खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र प्रसाद शुक्ला एवं श्री सौरभ कुमार बरनवाल व लेखाकार श्री राज कुमार सिंह से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है

7- क्षेत्र पंचायत-चौबेपुर

प्रस्तर संख्या 60-वर्ष 2020-21 में गारंट रजिस्टर-2 के अनुसार गाडी संख्या-यू0पी-77-1998 में डीजल डलवाने हेतु व्यय दर्शाया गया है-दर्शित डीजल खरीद की धनराशि रु0 11000.00 का भुगतान श्री प्रशान्त पाठक,क0 सहायक को मनरेगा प्रासंगिक मद से निम्नांकित विवरण के अनुसार किया गया है:-

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	गाडी संख्या	प्राप्तकर्ता
24-08-2020	056293	11000.00	यू0पी0-77-1998	श्री प्रशान्त पाठक

इस प्रकार उपरोक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में गाडी संख्या-यू0पी0-77-1998 की लागबुक व डीजल फिलिंग-स्टेशन से प्राप्त भुगतान रसीद लेखा परीक्षा में जाच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे प्रतीत होता है कि काल्पनिक रूप से गाडी का परिचालन दिखाकर भुगतान की गयी धनराशि रु0 11000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी-श्री आलोक पाण्डेय व लेखाकार-श्री देवेन्द्र शर्मा से किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0 8)**

प्रस्तर संख्या 61- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर आयकर-टी0डी0एस0 की 2 प्रतिशत कटौती की गयी है। उन कटौतियों का अनुदान पंजिका भाग-2 में पृथक से लेखा तैयार नहीं किया गया है। इससे आयकर-टी0डी0एस0 धनराशि की देयता को खोजना दुष्कर हो जाता है तथा संदर्भित धनराशि के केन्द्र/राज्य वित्त के कार्यों में व्यय होने की संभावना भी बनी रहती है। करो की कटौतियों का पृथक से लेखा तैयार किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आलोच्य वर्ष में आयकर-टी0डी0एस0 की धनराशि रु0 200690.00 जो आय कर विभाग में जमा करने हेतु बिलों से काटी गयी है, लेखा परीक्षा की समाप्ति की तिथि तक संस्था/पटल प्रभारी द्वारा आयकर-टी0डी0एस0 की धनराशि को संबंधित विभाग में जमा नहीं किया गया है जो कि आय कर अधिनियम की धारा-200 का उल्लंघन है। विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान इस आशय से आकृष्ट किया जाता है कि सरकारी राजस्व की क्षति न होने पाए, इसलिए संबंधित पटल प्रभारी द्वारा संदर्भित धनराशि को ब्याज सहित आय कर विभाग के खाता में यथाशीघ्र जमा कराया जाए तथा इस गम्भीर अनियमितता के लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी-खण्ड विकास अधिकारी-श्री आलोक पाण्डेय व श्री अनुरुद्व सिंह चौहान एवं लेखाकार-श्री देवेन्द्र शर्मा उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0 5)**

प्रस्तर संख्या 62-उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली-2009(जो उ0प्र0 में दिनांक: 04 फरवरी-2009 से लागू है) के नियम-4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर/लेबर सेस नियोक्ता के द्वारा काटी जाएगी-प्रमुख अभियंता ने अप्रैल-2010 में इसे नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया है-कटौती उपरांत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत

प्राप्तिया उपशीर्षक-11 में जमा किया जाना है लेकिन इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया है-आलोच्य वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्यों (जो कार्य प्रारूप-1 में क्रमांक 01 से 31 तक अंकित हैं) में कुल लागत/व्यय ₹0 11192982-00 है जिसके सापेक्ष 1 प्रतिशत की दर से आगणित लेबर सेस ₹0111930-00 है-नियमानुसार बिल भुगतान से पूर्व 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि ₹0111930-00 काटकर ही संबंधित ठेकेदारों/फर्म को भुगतान किया जाना था-उल्लेखनीय है कि लेबर सेस की धनराशि से भारत सरकार द्वारा मजदूरों के कल्याण हेतु चलायी जाने वाली योजनाओं का वित्त पोषण होता है-लेबर सेस की कटौती न करना गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी-खण्ड विकास अधिकारी-श्री अनुरूढ़ सिंह चौहान व श्री आलोक पाण्डेय एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं व वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपति सं07)**

प्रस्तर संख्या 63-आलोच्य वर्ष:2020-21के दौरान विभिन्न फर्मों के बिलों से काटी गयी जमानत धनराशि को ग्रांट रजिस्टर-3 में दर्शायी गयी जमानत राशि मद की प्राप्ति में अंकित नहीं किया गया है-ग्रांट रजिस्टर-3 में जमानत राशि मद में प्राप्त धनराशि शून्य अंकित है जबकि केन्द्र/राज्य वित्त से कराए गए निर्माण/मरम्मत कार्य की पत्रावलियों में संलग्न बिलों व भुगतान आदेशों के अनुसार आलोच्य वर्ष में प्रस्तुत बिलों से जमानत राशि के कुल ₹0 621456-00 की कटौती की गयी है|जमानत धनराशि को ग्रांट रजिस्टर-3 में अंकित न करने से जमानत धनराशि की देयता(लायबिलिटी) का खोजना दुष्कर हो जाता है तथा जमानत धनराशि के केन्द्र/राज्य वित्त के कार्यों में व्यय होने की संभावना भी है-इस प्रकार काटी गयी जमानत धनराशि को ग्रांट रजिस्टर-3 में अंकित न कर के गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी-श्री आलोक पाण्डेय व श्री अनुरूढ़ सिंह चौहान एवं लेखाकार-श्री देवेन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं व वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0 13)**

प्रस्तर संख्या 64-जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा-51 के अनुसार समस्त सरकारी विभागों,सरकारी एजेंसियों व स्थानीय निकाय द्वारा किए गए भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती-टी.डी.एस का प्रावधान है और उक्त व्यवस्था दिनांक:01-10-2018 से 30 प्र0 में प्रभावी है-

वित्त वर्ष 2020-21 में खुले टेण्डर/अनुबंध के माध्यम से केन्द्र/राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यों(जो कार्य प्रारूप-1 में क्रमांक 01 से 31 तक अंकित हैं) में ठेकेदारों के प्रस्तुत बिलों की कुल धनराशि ₹0 9993801.00 के सापेक्ष 2 प्रतिशत आयकर काटकर व 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़कर संबंधित फर्मों को भुगतान किया गया है-इस भुगतान में जी0एस0टी0 की 12 प्रतिशत धनराशि ₹0 1199181.00 भी सम्मिलित है-नियमानुसार भुगतान से पूर्व 2 प्रतिशत जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की धनराशि काटकर ही भुगतान किया जाना था|

लेखाकार के अनुसार प्रस्तुत बिल की धनराशि पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान ठेकेदार को इस हेतु किया गया है कि उक्त धनराशि को वाणिज्य कर/जी0एस0टी0 विभाग के खाता में जमा कर दिया जाए लेकिन ठेकेदार को 12 प्रतिशत-जी0एस0टी0 की धनराशि जो जमा करने हेतु दी गयी है,उसकी पुष्टि में जमा चालान की प्रति पत्रावली में संरक्षित कर नहीं रखी गयी है जिससे इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि संबंधित फर्म/ठेकेदार द्वारा जी0एस0टी0 की धनराशि को संबंधित विभाग में जमा किया गया है या नहीं |विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान इस आशय से आकृष्ट किया जाता है कि सरकारी राजस्व की क्षति न होने पाए,इसलिए जी0एस0टी0 धनराशि ₹01199181-00 के जमा चालान की प्रति फर्म से मंगाकर पत्रावली में रखी जाए.यदि फर्म द्वारा उक्त धनराशि को जमा न किया गया हो तो संबंधित फर्मों द्वारा पेनाल्टी व ब्याज सहित संदर्भित धनराशि को जी0एस0टी0 विभाग के खाता में जमा कराया जाए तथा इस गम्भीर अनियमितता के लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी-खण्ड विकास अधिकारी-श्री आलोक पाण्डेय व श्री अनुरूढ़ सिंह चौहान एवं लेखाकार-श्री देवेन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं|सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0 14)**

8-क्षेत्र पंचायत विधनू

प्रस्तर संख्या 65 -आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम सीढ़ी में लक्ष्मण के घर से रामपाल कुरील के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपतियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी । कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा।किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट,नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है।स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई । यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है । अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशा निर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है ।अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1-सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 05.09.2020को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 01.10.2020को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी । सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया ।यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया । निविदा का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया इसका प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं है । अत्यंत खुले ,व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन

दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। जो नहीं किए गए अतः गम्भीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

4-ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष दौरान टेन्डर प्रपत्र की बिक्री से कोई आय दर्शित नहीं की गई है स्पष्ट है फ़र्मों को टेन्डर प्रपत्रों की नियमानुसार बिक्री नहीं की गई। टेन्डर प्रक्रिया को नियमानुसार पालन न कर तथा उक्त बिन्दु 1 से 3 की कमियों के बाद भी वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त से जांच हेतु उपलब्ध कराए गए 11 कार्यों को मात्र दो फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स या मे० दीपेश कान्द्रेक्टर से करवाया गया दर्शित है। उक्त फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स के साथ संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र जो कार्यालय जिला मजीस्ट्रेट कानपूर नगर कार्यालय पत्रांक 170/जे -ए /2017\18 दिनांक 22.2.2018 द्वारा दो वर्ष की वैधता के लिया जारी किया गया था उसकी दिनांक 5.9.2020 को वैधता समाप्त हो गई थी अमान्य चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न कर कपटपूर्ण कार्य किया गया। मैनेज्ड टेन्डर के द्वारा कार्य कराया गया है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण एवं अनियमित है।

(छ) -उक्त कार्य हेतु जारी कार्यदेश में उल्लिखित भुगतान की पूर्व शर्त कि 'कार्यवार बिना श्रम विभाग में पंजीयन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा 'की अवहेलना कर बिना कार्य के पंजीकरण कराए ही समस्त भुगतान कर दिया गया है जबकि कार्य का श्रम विभाग में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज)-उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ट) पत्रावली के कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरांत जारी किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा जो आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएं की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिरुद्र सिंह साचन, लेखाकार ब्रजेश कुमार, अवर अभियंता अशोक साचन, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती शशि यादव उत्तरदायी हैं। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹307301.00 की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ.संख्या -01)

प्रस्तर संख्या 66-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत ऐंती में मिश्रीलाल के घर से सचिव निवास तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क)- उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो, पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी, अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार

करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई। यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में दोहरीकरण की गहन संभावना विद्यमान है। अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ग)-पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ)-लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

(च)-30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1-सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 05.09.2020 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 01.10.2020 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया इसका प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं है। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। जो नहीं किए गए अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

4-ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष दौरान टेन्डर प्रपत्र की बिक्री से कोई आय दर्शित नहीं की गई है स्पष्ट है फ़र्मों को टेन्डर प्रपत्रों की नियमानुसार बिक्री नहीं की गई। टेन्डर प्रक्रिया को नियमानुसार पालन न कर तथा उक्त बिन्दु 1 से 3 की कमियों के बाद भी वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त से जांच हेतु उपलब्ध कराए गए 11 कार्यों को मात्र दो फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स या मे० दीपेश कान्ट्रैक्टर से करवाया गया दर्शित है। उक्त फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स के साथ संलग्न

चरित्र प्रमाण पत्र जो कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर कार्यालय पत्रांक 170/जे -ए /2017\18 दिनांक 22.2.2018 द्वारा दो वर्ष की वैधता के लिया जारी किया गया था उसकी दिनांक 5.9.2020 को वैधता समाप्त हो गई थी अमान्य चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न कर कपटपूर्ण कार्य किया गया। मैनेज्ड टेन्डर के द्वारा कार्य कराया गया प्रतीत होता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण एवं अनियमित है।

(छ) -उक्त कार्य हेतु जारी कार्यादेश में उल्लिखित भुगतान की पूर्वशर्त कि 'कार्यवार बिना श्रम विभाग में पंजीयन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा 'की अवहेलना कर बिना कार्य के पंजीकरण कराए ही समस्त भुगतान कर दिया गया है जबकि कार्य का श्रम विभाग में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन /पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ट) पत्रावली के कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरांत जारी किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा जो आपत्ति पूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिरुद्र सिंह चौहान लेखाकार ब्रजेशकुमार,अवर अभियंता अशोक सचान,कार्य प्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती शशि यादव उत्तरदायी हैं। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹636169.00 की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ.संख्या -02)

प्रस्तर संख्या 67- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में विकास खण्ड कार्यालय में भवन मरम्मत के कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

क- कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी प्रतीत होती है।

ख -उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आईं।

1.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं की गयी। संलग्न माप पुस्तिका इस

कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही (प्रपत्र संख्या 39)लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु इसका पालन नहीं किया गया है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी हैं जो अपेक्षित थीं। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(च)- 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा(दिनांक 05.09.2020 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 01.10.2020 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया इसका उल्लेख नहीं है। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र दो फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है।

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 05-09-2020 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों में सारिका ट्रेडर्स व मे दीपेश कान्स्ट्रक्टर को दी गयी है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

5 -निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे ।

छ -संस्था द्वारा परिसंपत्ति पंजिका न प्रस्तुत करने से भवन(जहां मरम्मत कार्य कराया गया है)क्षेत्र पंचायत की परिसंपत्ति है या नहीं यह अज्ञात रहा अतः कराया गए मरम्मत कार्य के नियमानुसार होने की पुष्टि न की जा सकी |संलग्न प्राक्कलन के अनुसार ' प्रस्तावित कार्य से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या का अंकन नहीं किया गया है |राजकीय अनुदान का उद्देश्य व्यापक जनहित के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना होता है |जिसकी उपेक्षा की गयी है ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों व वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन न कर अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अनिरुद्र सिंह चौहान एवं श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा,लेखाकार ब्रजेश कुमार,अवर अभियंता अशोक सचान,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती शशि यादव उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में ₹ 904254.00 की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आ.संख्या -03)

प्रस्तर संख्या 68- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत कोरिया में सरवन के घर से अमर लाल के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपतियाँ प्रकाश में आयी :

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी । कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा।किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई । यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ख)- उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) - लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

(च) -30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 05.09.2020 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 01.10.2020 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया इसका प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं है। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। जो नहीं किए गए अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

4- ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष दौरान टेन्डर प्रपत्र की बिक्री से कोई आय दर्शित नहीं की गई है स्पष्ट है फ़र्मों को टेन्डर प्रपत्रों की नियमानुसार बिक्री नहीं की गई। टेन्डर प्रक्रिया को नियमानुसार पालन न कर तथा उक्त बिन्दु 1 से 3 की कमियों के बाद भी वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त से जांच हेतु उपलब्ध कराए गए 11 कार्यों को मात्र दो फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स या मे० दीपेश कान्ट्रैक्टर से करवाया गया दर्शित है। उक्त फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स के साथ संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र जो कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर कार्यालय पत्रांक 170/जे -ए /2017\18 दिनांक 22.2.2018 द्वारा दो वर्ष की वैधता के लिया जारी किया गया था उसकी दिनांक 5.9.2020 को वैधता समाप्त हो गई थी अमान्य चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न कर कपटपूर्ण कार्य किया गया। मैनेज्ड टेन्डर के द्वारा कार्य कराया गया है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण एवं अनियमित है।

(छ) -उक्त कार्य हेतु जारी कार्यदेश में उल्लिखित भुगतान की पूर्व शर्त कि 'कार्यवार बिना श्रम विभाग में पंजीयन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा' की अवहेलना कर बिना कार्य के पंजीकरण कराए ही समस्त भुगतान कर दिया गया है जबकि कार्य का श्रम विभाग में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ट) पत्रावली के कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरांत जारी किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा जो आपत्ति पूर्ण है ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अनिरुद्र सिंह चौहान एवं श्री जानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार ब्रजेशकुमार,अवर अभियंता अशोक सचान ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती शशि यादव उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹735097.00 की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आ.संख्या -04)**

प्रस्तर संख्या 69- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत जरकला में शिवशंकर सविता के घर से मेन रोड तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी :-

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी । कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा ।किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं।स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई |यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माण कार्य में डुप्लीकेसी की संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ग) -पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया |जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ)- लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका |सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

(च) -30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 05.09.2020 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 01.10.2020 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी । सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित

की गयी इसका कारण लेखा लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया इसका प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं है | अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | जो नहीं किए गए अतः गम्भीररूप से आपत्तिपूर्ण है |

4- ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष दौरान टेन्डर प्रपत्र की बिक्री से कोई आय दर्शित नहीं की गई है स्पष्ट है फ़र्मों को टेन्डर प्रपत्रों की नियमानुसार बिक्री नहीं की गई | टेन्डर प्रक्रिया को नियमानुसार पालन न कर तथा उक्त बिन्दु 1 से 3 की कमियों के बाद भी वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त से जांच हेतु उपलब्ध कराए गए 11 कार्यों को मात्र दो फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स या मे० दीपेश कान्ट्रैक्टर से करवाया गया दर्शित है | उक्त फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स के साथ संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र जो कार्यालय जिला मजीस्ट्रेट कानपुर नगर कार्यालय पत्रांक 170/जे -ए /2017-18 दिनांक 22.2.2018 द्वारा दो वर्ष की वैधता के लिया जारी किया गया था उसकी दिनांक 5.9.2020 को वैधता समाप्त हो गई थी अमान्य चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न कर कपटपूर्ण कार्य किया गया | मैनेज्ड टेन्डर के द्वारा कार्य कराया गया है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण एवं अनियमित है |

(छ)-उक्त कार्य हेतु जारी कार्यादेश में उल्लिखित भुगतान की पूर्वशर्त कि 'कार्यवार बिना श्रम विभाग में पंजीयन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा 'की अवहेलना कर बिना कार्य के पंजीकरण कराए ही समस्त भुगतान कर दिया गया है जबकि कार्य का श्रम विभाग में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही | उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ट) पत्रावली के कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरांत जारी किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा जो आपत्ति पूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी प्रतीत होती है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अनिरुद्र सिंह चौहान एवं श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार ब्रजेश कुमार, अवर अभियंता अशोक सचान, कार्यप्रभारी

तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती शशि यादव उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹666528.00 नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ.संख्या -05)

प्रस्तर संख्या 70-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत खेरसा में राजेन्द्र के घर से रामपाल कुरील के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी :

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो, पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी, अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई। यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है। अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ग) -पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

(च) -30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ़ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1-सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 05.09.2020 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 01.10.2020 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया इसका

प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं है। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। जो नहीं किए गए अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

4-ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष दौरान टेन्डर प्रपत्र की बिक्री से कोई आय दर्शित नहीं की गई है स्पष्ट है फ़र्मों को टेन्डर प्रपत्रों की नियमानुसार बिक्री नहीं की गई। टेन्डर प्रक्रिया को नियमानुसार पालन न कर तथा उक्त बिन्दु 1 से 3 की कमियों के बाद भी वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त से जांच हेतु उपलब्ध कराए गए 11 कार्यों को मात्र दो फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स या मे० दीपेश कान्ट्रैक्टर से करवाया गया दर्शित है। उक्त फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स के साथ संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र जो कार्यालय जिला मजीस्ट्रेट कानपूर नगर कार्यालय पत्रांक 170/जे -ए /2017-18 दिनांक 22.2.2018 द्वारा दो वर्ष की वैधता के लिया जारी किया गया था उसकी दिनांक 5.9.2020 को वैधता समाप्त हो गई थी अमान्य चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न कर कपटपूर्ण कार्य किया गया। मैनेज़्ड टेन्डर के द्वारा कार्य कराया गया है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण एवं अनियमित है।

(छ) -उक्त कार्य हेतु जारी कार्यदेश में उल्लिखित भुगतान की पूर्व शर्त कि 'कार्यवार बिना श्रम विभाग में पंजीयन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा 'की अवहेलना कर बिना कार्य के पंजीकरण कराए ही समस्त भुगतान कर दिया गया है जबकि कार्य का श्रम विभाग में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ट) पत्रावली के कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरांत जारी किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा जो आपत्ति पूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएं की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान एवं श्री जानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार ब्रिजेश कुमार, अवर अभियंता अशोक सचान, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत श्रीमती शशि यादव प्रमुख उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹561064.00 की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ.संख्या -06)

प्रस्तर संख्या 71-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत न्योरी में किशन प्रजापति के घर से सुंदरलाल के घर तक आर सी सी व नाला निर्माण कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो, पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी, अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी, विस्तृत प्रोजेक्ट

रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई। यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है। अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 05.09.2020 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 01.10.2020 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया इसका प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं है। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। जो नहीं किए गए अतः गम्भीररूप से आपत्तिपूर्ण है।

4-ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष दौरान टेन्डर प्रपत्र की बिक्री से कोई आय दर्शित नहीं की गई है स्पष्ट है फ़र्मों को टेन्डर प्रपत्रों की नियमानुसार बिक्री नहीं की गई। टेन्डर प्रक्रिया को नियमानुसार पालन न कर तथा उक्त

बिन्दु 1 से 3 की कमियों के बाद भी वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त से जांच हेतु उपलब्ध कराए गए 11 कार्यों को मात्र दो फर्मों सारिका ट्रेडर्स या मे० दीपेश कान्स्ट्रक्टर से करवाया गया दर्शित है। उक्त फर्मों सारिका ट्रेडर्स के साथ संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र जो कार्यालय जिला मजीस्ट्रेट कानपूर नगर कार्यालय पत्रांक 170/जे -ए /2017/-18 दिनांक 22.2.2018 द्वारा दो वर्ष की वैधता के लिया जारी किया गया था उसकी दिनांक 5.9.2020 को वैधता समाप्त हो गई थी अमान्य चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न कर कपटपूर्ण कार्य किया गया। मैनेज्ड टेन्डर के द्वारा कार्य कराया गया है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण एवं अनियमित है।

(छ) -उक्त कार्य हेतु जारी कार्यदेश में उल्लिखित भुगतान की पूर्व शर्त कि 'कार्यवार बिना श्रम विभाग में पंजीयन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा' की अवहेलना कर बिना कार्य के पंजीकरण कराए ही समस्त भुगतान कर दिया गया है जबकि कार्य का श्रम विभाग में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन /पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ट) पत्रावली के कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरांत जारी किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा जो आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएं की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान एवं श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार ब्रिजेश कुमार, अवर अभियंता अशोक सचान, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती शशि यादव उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹265261.00 की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ.संख्या -07)

प्रस्तर संख्या 72- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत विधनू में गंगाराम यादव के घर से बाबू भदौरिया के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी :

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो, पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी, अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक

आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया |जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका |सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1-सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 05.09.2020 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 01.10.2020 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी |सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया |यह 30प्र०क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा |जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया |निविदा का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया इसका प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं है |अत्यंत खुले ,व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था |जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे |जो नहीं किए गए अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

4-ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष दौरान टेन्डर प्रपत्र की बिक्री से कोई आय दर्शित नहीं की गई है स्पष्ट है फ़र्मों को टेन्डर प्रपत्रों की नियमानुसार बिक्री नहीं की गई |टेन्डर प्रक्रिया को नियमानुसार पालन न कर तथा उक्त बिन्दु 1 से 3 की कमियों के बाद भी वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त से जांच हेतु उपलब्ध कराए गए 11 कार्यों को मात्र दो फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स या मे० दीपेश कान्ट्रैक्टर से करवाया गया दर्शित है| उक्त फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स के साथ संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र जो कार्यालय जिला मजीस्ट्रेट कानपूर नगर कार्यालय पत्रांक 170/जे-ए/2017\1-18 दिनांक 22.2.2018 द्वारा दो वर्ष की वैधता के लिया जारी किया गया था उसकी दिनांक 5.9.2020 को वैधता समाप्त हो गई थी अमान्य चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न कर कपटपूर्ण कार्य किया गया |मैनेज्ड टेन्डर के द्वारा कार्य कराया गया है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण एवं अनियमित है |

(छ) -उक्त कार्य हेतु जारी कार्यादेश मे उल्लिखित भुगतान की पूर्व शर्त कि 'कार्यवार बिना श्रम विभाग मे पंजीयन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा 'की अवहेलना कर बिना कार्य के पंजीकरण कराए ही समस्त भुगतान कर दिया गया है जबकि कार्य का श्रम विभाग में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना चाहिए था |किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या)पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ |लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन /पत्रावलियों में निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ)वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही|उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ट) पत्रावली के कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरांत जारी किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा जो आपत्ति पूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अनिरुद्र सिंह चौहान एवं श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार श्री ब्रिजेश कुमार, अवर अभियंता अशोक कुमार ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती शशि यादव उत्तरदायी है।जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे किया गए भुगतान ₹638562.00की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है | **(मूल आ.संख्या - 08)**

प्रस्तर संख्या 73-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत पिपरगवां रामेश्वर निषाद के घर से धीरज निषाद के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : (क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी |कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध मे कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के

बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ)-लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1-सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 05.09.2020 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 01.10.2020 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया इसका प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं है। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। जो नहीं किए गए अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

4-ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष दौरान टेन्डर प्रपत्र की बिक्री से कोई आय दर्शित नहीं की गई है स्पष्ट है फ़र्मों को टेन्डर प्रपत्रों की नियमानुसार बिक्री नहीं की गई। टेन्डर प्रक्रिया को नियमानुसार पालन न कर तथा उक्त बिन्दु 1 से 3 की कमियों के बाद भी वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त से जांच हेतु उपलब्ध कराए गए 11 कार्यों को मात्र दो फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स या मे० दीपेश कान्ट्रेक्टर से करवाया गया दर्शित है। उक्त फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स के साथ संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र जो कार्यालय जिला मजीस्ट्रेट कानपूर नगर कार्यालय पत्रांक 170/जे -ए /2017-18 दिनांक 22.2.2018 द्वारा दो वर्ष की वैधता के लिया जारी किया गया था उसकी दिनांक 5.9.2020 को वैधता समाप्त हो गई थी अमान्य चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न कर कपटपूर्ण कार्य किया गया। मैनेज्ड टेन्डर के द्वारा कार्य कराया गया प्रतीत होता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण एवं अनियमित है।

(छ) -उक्त कार्य हेतु जारी कार्यादेश में उल्लिखित भुगतान की पूर्वशर्त कि 'कार्यवार बिना श्रम विभाग में पंजीयन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा'की अवहेलना कर बिना कार्य के पंजीकरण कराए ही समस्त भुगतान कर दिया गया है जबकि कार्य का श्रम विभाग में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न/अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही।

|बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज)-उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन /पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही| उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ट)पत्रावली के कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरांत जारी किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा जो आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अनिरुद्र सिंह चौहान एवं श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार श्री ब्रिजेश कुमार ,अवर अभियंता अशोक सचान ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती शशि यादव उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹904206.00 की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है | **(मूल आ.संख्या -09)**

प्रस्तर संख्या 74-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत जामू के मजरा कुशलपुर में बउआ लाल के घर से राम आसरे के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी |कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा।किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है | अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया |जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ)-लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०)2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1-सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 05.09.2020 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 01.10.2020 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया इसका प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं है। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। जो नहीं किए गए अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

4- ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष दौरान टेन्डर प्रपत्र की बिक्री से कोई आय दर्शित नहीं की गई है स्पष्ट है फ़र्मों को टेन्डर प्रपत्रों की नियमानुसार बिक्री नहीं की गई। टेन्डर प्रक्रिया को नियमानुसार पालन न कर तथा उक्त बिन्दु 1 से 3 की कमियों के बाद भी वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त से जांच हेतु उपलब्ध कराए गए 11 कार्यों को मात्र दो फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स या मे० दीपेश कान्ट्रेक्टर से करवाया गया दर्शित है। उक्त फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स के साथ संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र जो कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर कार्यालय पत्रांक 170/जे -ए /2017/-18 दिनांक 22.2.2018 द्वारा दो वर्ष की वैधता के लिया जारी किया गया था उसकी दिनांक 5.9.2020 को वैधता समाप्त हो गई थी अमान्य चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न कर कपटपूर्ण कार्य किया गया। मैनेज्ड टेन्डर के द्वारा कार्य कराया गया है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण एवं अनियमित है।

(छ) -उक्त कार्य हेतु जारी कार्यदेश में उल्लिखित भुगतान की पूर्व शर्त कि 'कार्यवार बिना श्रम विभाग में पंजीयन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा' की अवहेलना कर बिना कार्य के पंजीकरण कराए ही समस्त भुगतान कर दिया गया है जबकि कार्य का श्रम विभाग में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न/अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ट) पत्रावली के कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरांत जारी किया जाने वाला कार्यपूति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा जो आपत्ति पूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹453065.00 की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिरुद्र सिंह चौहान एवं श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार श्री ब्रिजेश कुमार, अवर अभियंता अशोक सचान, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती शशि यादव उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.संख्या -10)

प्रस्तर संख्या 75-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत अटवा मिर्जापुर में मिलन केंद्र से मुरई देवी मंदिर तक खड़जा निर्माण कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो, पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी, अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई। यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है। अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी

(च) -30प्र0क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-

2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1-सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 05.09.2020को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 01.10.2020 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा |जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया |निविदा का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया इसका प्रमाण पत्रावलियों में संलग्न नहीं है |अत्यंत खुले,व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था |जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे |जो नहीं किए गए अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

4- ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष दौरान टेन्डर प्रपत्र की बिक्री से कोई आय दर्शित नहीं की गई है स्पष्ट है फ़र्मों को टेन्डर प्रपत्रों की नियमानुसार बिक्री नहीं की गई |टेन्डर प्रक्रिया को नियमानुसार पालन न कर तथा उक्त बिन्दु 1 से 3 की कमियों के बाद भी वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त से जांच हेतु उपलब्ध कराए गए 11 कार्यों को मात्र दो फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स या मे०दीपेश कान्स्ट्रक्टर से करवाया गया दर्शित है| उक्त फ़र्मों सारिका ट्रेडर्स के साथ संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र जो कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर कार्यालय पत्रांक 170/जे -ए /2017\18 दिनांक 22.2.2018 द्वारा दो वर्ष की वैधता के लिया जारी किया गया था उसकी दिनांक 5.9.2020 को वैधता समाप्त हो गई थी अमान्य चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न कर कपटपूर्ण कार्य किया गया |मैनेज़्ड टेन्डर के द्वारा कार्य कराया गया है अतःगंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण एवं अनियमित है |

(छ)-उक्त कार्य हेतु जारी कार्यादेश में उल्लिखित भुगतान की पूर्वशर्त कि 'कार्यवार बिना श्रम विभाग में पंजीयन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा 'की अवहेलना कर बिना कार्य के पंजीकरण कराए ही समस्त भुगतान कर दिया गया है जबकि कार्य का श्रम विभाग में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या)पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही |बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज)-उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन /पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ)वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही |उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ट) पत्रावली के कार्य समाप्ति पर निरीक्षणोपरांत जारी किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा जो आपत्ति पूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएं की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिरुद्र सिंह चौहान एवं श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार श्री ब्रिजेश कुमार , अवर अभियंता श्री अशोक सचान कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती शशि यादव उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹436181.00 की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आ.संख्या -11)

प्रस्तर संख्या 76- संस्था द्वारा राज्य वित्त खाते से आहत धनराशि रु 5796699.08 से संबंधित व्यय प्रमाणक व अन्य व्यय पत्रावलियाँ तथा सहवर्ती अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान न प्रस्तुत करने के कारण उक्त धनराशि रु 5796699.08 के व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि न की जा सकी । व्यय वाउचर न प्रस्तुत कर दुरभि-संधि द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिरुद्र सिंह चौहान एवं श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार श्री ब्रिजेश कुमार , अवर अभियंता श्री अशोक सचान ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती शशि यादव उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ.संख्या -12)

9-क्षेत्र पंचायत पतारा

प्रस्तर संख्या 77- दिनांक 31-03-2021 को मनरेगा मद का शेष रु 418441.00 का ब्याज मद का रु 15649.70 से संबंधित सम्पूर्ण वर्ष के आमद व व्यय से संबंधित प्रमाणक लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अतः आलोच्य वर्ष में मनरेगा प्रासंगिक मद की आमद रु 565280.00 व ब्याज आमद रु 7292.00 तथा मनरेगा प्रासंगिक मद का ब्याज 1036575.00 व ब्याज का व्यय रु 61.30 की पुष्टि न की जा सकी जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा तथा लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ.संख्या -04)

प्रस्तर संख्या 78- ग्रांट रजि-3 के अनुसार वर्ष 2020-21 में आंगनवाड़ी का खाता सं 21243 में रु 1980716.00 व ब्याज रु 24869.00 प्राप्त हुआ तथा रु 1232674.00 आंगनवाड़ी अनुदान व रु 410.00 ब्याज से व्यय दर्शाया गया जिससे संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा तथा लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ.संख्या -06)

)

प्रस्तर संख्या 79- संस्था के ग्रांट रजिस्टर 3 तथा ग्रांट रजिस्टर 2 से यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा लेबर सेस के रूप में काटी गयी कुल धनराशि ₹108560.00 को अपने पास रोक कर रखा गया तथा संबंधित विभाग को समयबद्ध रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया । राजकीय धनराशि को रोके जाने तथा उस धनराशि पर उद्भूत बैंक ब्याज की संबंधित विभाग को हानि होने के दृष्टिगत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है । अनुमोदित आलेख के अनुसार उक्त धनराशि को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है अतः उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा तथा लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ.संख्या -09)

प्रस्तर संख्या 80- संस्था द्वारा वर्ष दौरान जी एस टी की कटौती की कुल धनराशि ₹ 141293.00 को संबंधित विभाग को हस्तांतरित न कर अपने पास रोक कर रखा गया है राजकीय धनराशि को रोके जाने तथा उस धनराशि पर उद्भूत बैंक ब्याज की संबंधित विभाग को हानि होने के दृष्टिगत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है । अनुमोदित आलेख के अनुसार

उक्त धनराशि को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है अतः उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री जानेन्द्र मिश्रा तथा लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान से वसूली की जानी अपेक्षित है । **(मूल आ.संख्या -10)**

प्रस्तर संख्या 81- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम स्योदारी में डामर रोड से अंबेडकर पार्क तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपतियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी , विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी ।कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है।स्पष्ट है किप्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -उ० प्र०क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ़ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित

की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मा से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है।

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्माँ माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है।

5- निविदा फ़ॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

6- निविदा फ़ॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया। जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभाव लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेख परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिको व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹525526.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा , लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान , ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.संख्या -19)

प्रस्तर संख्या 82- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम बलहापारा रोड से बलहापारा खुर्द पुलिया तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो , पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी , अतः कार्य तकनीकी रूप से करार जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी , विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी । कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई । यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है । अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ग) -पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व , लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी । सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया । यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले ,व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था |जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है टेंडर प्रक्रिया मैनेज़्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज़्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था |किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही |उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार, सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे किया गए भुगतान ₹450528.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री जानेन्द्र मिश्रा ,लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है । **(मूल आ.संख्या -20)**

प्रस्तर संख्या 83- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत मूसेपुर में महावीर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी |कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है।स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है | अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है | अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका |सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1-सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया |

अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज़्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज़्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज)-उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन /पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ)वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही |उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकासअधिकारी, लेखाकार,सहायक अभियंता,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है।जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹358688.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा ,लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है । (मूल आ.संख्या -21)

प्रस्तर संख्या 84- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम जहांगीराबाद में जहांगीराबाद बलहापारा कलाँ रोड से बऊअन बाजपेई के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क)-उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी |कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र

स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) - उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माण कार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है | अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) - पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है | अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है |

(घ) - लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व , लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) - उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर

निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज़्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज़्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही |उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानककार्यका भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिको व्यय करने में गम्भीर अनियमितताए की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे किया गए भुगतान ₹ 500932.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा , लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है । **(मूल आ.संख्या -22)**

प्रस्तर संख्या 85- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम जहाँगीराबाद में संजय के दरवाजे खेल मैदान से शिव मंदिर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी :

-

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी |कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा

एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनकशा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई। यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ख) - उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है। अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ग) - पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) - लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

(च) - 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ़ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी०) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है।

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) - उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेख परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही | उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानककार्यका भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिको व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹531618.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा , लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ.संख्या -

23)

प्रस्तर संख्या 86- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम दुरौली में घनश्याम पाण्डेय के घर से मंदिर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क्) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी , अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी , विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी |कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है।स्पष्ट है कि प्रारंभिक

आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) - उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है ये स्पष्ट है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज़्ड प्रतीत होती है।

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

(छ) उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया। जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न/अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेख परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से ऐसा स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹338119.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.संख्या -24)

प्रस्तर संख्या 87- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम मिर्जा ओरिया संपर्क मार्ग शिव मंदिर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो, पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी, अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक

आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है | अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) - उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पारदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड प्रतीत होती है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज़्ड है।

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

(छ) - उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया। जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से ऐसा स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिको व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹ 439340.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री जानेन्द्र मिश्रा ,लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.संख्या -25)

प्रस्तर संख्या 88-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम बरौली में पंचायत भवन से नवयुवक मंगल दल तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क्) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो , पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी , अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी , विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक

आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है | अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बने जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पारदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले ,व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज़्ड है।

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया। जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न/अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) -वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से ऐसा स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिको व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी प्रतीत होती है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकासअधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹ 811615.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री जानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ.संख्या -26)

प्रस्तर संख्या 89- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम सरखेलपुर मुगलपुर संपर्क मार्ग से भरत संखवार के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो, पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी, अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक

आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है | अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले ,व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मी से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या)पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेख परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ)वितीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही |उक्त निर्माण कार्य की वितीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से ऐसा स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार,सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹474524.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा ,लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ.संख्या -27)

प्रस्तर संख्या 90-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम मिरानपुर मुख्य मार्ग से अंबेडकर पार्क तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क्) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी | कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है।स्पष्ट है कि प्रारंभिक

आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माण कार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च)- उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1-सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा(दिनांक 30.01.2021को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही |उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹352337.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा , लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ.संख्या -28)

प्रस्तर संख्या 91-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पतारा में सी सी रोड से होरी लाल तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो , पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी , विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी | कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है।स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन

तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है | अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) - पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है | अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ)-लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा(दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज़्ड है।

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया। जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिको व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹878567.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री जानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है

(मूल आ.संख्या -29)

प्रस्तर संख्या 92- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम नंदना पतरसा संपर्क मार्ग से शिव मंदिर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो, पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी, अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन

तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले ,व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड प्रतीत होती है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेख परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही |उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएं की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹444421.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा ,लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ.संख्या -30)

प्रस्तर संख्या 93-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम ओरिया में ओरिया बनहरी मार्ग से मुरली के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) - उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी | कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है।स्पष्ट है किप्रारंभिक

आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है | अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ)-लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज़्ड प्रतीत होती है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही | उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिको व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹364751.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा , लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या -31)

प्रस्तर संख्या 94-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम रहीमपुर में राम बहादुर के दरवाजे से देवी चरण के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी :

-

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी |कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है।स्पष्ट है कि प्रारंभिक

आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा(दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले ,व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है की टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज़्ड है।

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया। जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या)पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) - उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेख परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिको व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार,सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹184539.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा ,लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या -32)

प्रस्तर संख्या 95-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पहेवा में पहेवा नौरंगा मेन रोड से राम औतार के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन

तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) -पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 ,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है|

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -उ० प्र०क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ)-उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या)पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज)-उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ)वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही |उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार,सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹350062.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा ,लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या -33)**

प्रस्तर संख्या 96-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम अमरीपुर में किशनलाल कुशवाहा के घर से भाईयालाल के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) - उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी |कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा।किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है।स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माण कार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है। अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ग) -पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है।

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है।

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ कि कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया। जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न/अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा

परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वितीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वितीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹382362.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या -34)

प्रस्तर संख्या 97-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पतारा में तिलसड़ा रोड से बारात शाला तक सी सी रोड निर्माण कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) - उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो, पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी, अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई। यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है। अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ग) -पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) - लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से

सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था |किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या)पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही |उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकासअधिकारी,लेखाकार,सहायक अभियंता,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। संतोषजनक स्पष्टीकरण

न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹463691.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री जानेन्द्र मिश्रा , लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या -35)

प्रस्तर संख्या 98-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम कंठीपुर देवरा मुख्य मार्ग से राम प्रकाश के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपतियाँ प्रकाश में आयी : -

(क्) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी । कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा।किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है।स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई | यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपतिपूर्ण है ।

(ख) -उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है |अतः गंभीर रूप से आपतिपूर्ण है ।

(ग) -पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपतिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) -लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका | सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी |

(च) -उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपतिपूर्ण है ।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपतिपूर्ण है ।

3- जांच दौरान जात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनेर पासिबिल)से नहीं किया गया । निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया । अत्यंत खुले ,व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था । जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे । उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज़्ड है ।

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज़्ड है ।

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे ।

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे ।

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान जात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया । जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था । किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या)पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ । लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही । बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है ।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से जात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही ।उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिको व्यय करने में गम्भीर अनियमितताए की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकासअधिकारी, लेखाकार,सहायक अभियंता,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे किया गए भुगतान ₹352470.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री जानेन्द्र मिश्रा , लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या -36)

प्रस्तर संख्या 99-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम बलहापारा में जहांगीराबाद मार्ग से राम जानकी मंदिर तक इन्टर लॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क्) -उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो ,पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी ,अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी ,विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी । कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व् लाइन डायग्राम

तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई। यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ख) - उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माण कार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है। अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ग) - पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) - लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

(च) - 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी०) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। उक्त के न किए

जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है ।

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है ।

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे ।

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे ।

(छ) - उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया । जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था । किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न / अंकित प्राप्त नहीं हुआ । लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही । बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है ।

(ज) - उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेख परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही । उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिको व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता , कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹374961.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री जानेन्द्र मिश्रा , लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान , ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या -37)

प्रस्तर संख्या 100- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम बंबूराहा में मेन रोड से रामपाल के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क) - उक्त कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो , पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी , अतः कार्य तकनीकी रूप से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी , विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी । कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त समस्त कार्यों की

पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरीनकशा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई। यह कार्य की सत्यता को संदिग्ध बनाता है अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ख) - उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है। अतः गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ग) - पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई मांग प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण व अनियमित है।

(घ) - लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

(च) - 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी०) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह 30 प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज़्ड है।

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था |किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या)पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) - उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेख परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही |उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएं की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकासअधिकारी, लेखाकार,सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹485120.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा ,लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या -38)

प्रस्तर संख्या 101- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में विकास खण्ड सभाकक्ष की वायरिंग व प्लम्बरिंग कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(च) -उ० प्र०क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1-सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा(दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) - उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही | उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिको व्यय करने में गम्भीर अनियमितताए की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता , कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे किया गए भुगतान ₹185046.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा ,लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या -39)

प्रस्तर संख्या 102-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत पतारा के विकास खण्ड कार्यालय में इन्टरलॉकिंग व द्वितीय गेट का निर्माण कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी :

(च) -30प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 मे उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैन्नुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल)से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था | जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन /पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेख परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही | उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹453214.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री जानेन्द्र मिश्रा , लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान ,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या -40)**

प्रस्तर संख्या 103-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत पतारा विकास खण्ड कार्यालय में अभिलेखागार निर्माण कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(घ)-संस्था द्वारा अभिलेखागार के निर्माण कराए जाने संबंधी कोई आदेश लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया |

(च) -उ०प्र०क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है | निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी | सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया | यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया | निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया | अत्यंत खुले , व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था |जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे | उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है |

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है |

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे |

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया | जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही|बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही|उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकासअधिकारी, लेखाकार,सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न

प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹347335.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या -41)

प्रस्तर संख्या 104-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में विकास खण्ड परिसर में बाउंड्री वाल व जीर्णोद्धार कंटीले तार कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जांच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपतियाँ प्रकाश में आयी : -

(च) -उ०प्र०क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1-सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा(दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना)आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि(ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़र्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज्ड है।

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़र्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज्ड है।

5- निविदा फॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

6- निविदा फॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ की कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया। जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न/अंकित प्राप्त नहीं हुआ। लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही। बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है।

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही। उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में किया गए भुगतान ₹300877.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -42)

प्रस्तर संख्या 105-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत पतारा परिसर में टाइप 2 आवास छत/विद्युतीकरण व मरम्मत कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपतियाँ प्रकाश में आयी : -

(च) -संस्था द्वारा परिसंपत्ति पंजीका न प्रस्तुत करने से टाइप 2 आवास (जहां मरम्मत कार्य कराया गया है) क्षेत्र पंचायत की परिसंपत्ति है या नहीं यह अज्ञात रहा अतः कराया गए मरम्मत कार्य के नियमानुसार होने की पुष्टि न की जा सकी। संलग्न प्राक्कलन के अनुसार 'प्रस्तावित कार्य से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या/लाभार्थी की संख्या अस्पष्ट है। राजकीय अनुदान का उद्देश्य व्यापक जनहित के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना होता है सरकारी आवास / कर्मचारियों को लाभान्वित करके अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है।

(च) उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी :-

1- सामान्य निविदा आमंत्रित न कर अल्पकालीन निविदा (दिनांक 30.01.2021 को निविदा प्रकाशन तथा दिनांक 10.02.2021 को निविदा खोलना) आमंत्रित की गयी। सामान्य की जगह अल्पकालीन निविदा क्यों जारी/ आमंत्रित की गयी इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

2- निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी कार्यालय पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

3- जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा निविदा मांगने का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि (ओपन एंड मोस्ट पब्लिक मैनर पासिबिल) से नहीं किया गया। निविदा का प्रकाशन मात्र एक समाचार पत्र में किया गया। अत्यंत खुले, व्यापक तथा पारदर्शी प्रचार प्रसार के लिए निविदा का प्रकाशन दूर-दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो या तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। जनमहत्व के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निविदा सूचना को चस्पा करना जैसे साधन प्रयोग किए जाने चाहिए थे। उक्त के न किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य के लिए मात्र तीन फ़ॉर्मों से ही निविदा प्राप्त हुयी जिससे स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया मैनेज़्ड है।

4- संस्था द्वारा उक्त कार्य सहित दिनांक 26.09.2020 और दिनांक 30.01.2021 को आमंत्रित निविदा से संबंधित 2020-2021 में कराए गए समस्त 25 कार्यों की निविदा मात्र दो फ़ॉर्मों माँ कात्यायनी डेवलपर्स या शोभित ट्रेडर्स को दी गयी है। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है तथा मैनेज़्ड है।

5- निविदा फ़ॉर्म के साथ प्राप्त धरोहर की धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

6- निविदा फ़ॉर्म के विक्रय से प्राप्त धनराशि के विवरण व प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

(छ) -उक्त कार्य की जांच दौरान ज्ञात हुआ कि कार्य का पंजीकरण नहीं कराया गया। जबकि कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाना चाहिए था। किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य के पंजीकरण के

सापेक्ष जारी किया जाने वाला डी नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण तथा तदनुसार अनियमितता है |

(ज) -उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों व लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(झ) वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही |उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना ही कार्य करवाया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों व वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन न कर अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार,सहायक अभियंता,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में ₹722213.00 की नियमानुसार उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री जानेन्द्र मिश्रा ,लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान,ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा संखवार तथा अवर अभियंता श्री राजकुमार कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या -43)

प्रारूप -03

त्रिस्तरीय पंचायती राज वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद-हरदोई

मण्डल-लखनऊ

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित प्रस्तर

क्षेत्र पंचायत-साण्डी

रु० 7,32,113=00

प्रस्तर 1--क्षेत्र पंचायत साण्डी की वर्ष 2019-20 में कुल रु0 33,87,784=00का व्यय किया गया है, जिसमें से रु0 7,32,113=00 के अभिलेख (व्यय पत्रावलियाँ) अप्राप्त रही । उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाये । अतः किया गया भुगतान अपुष्ट रहा । जिसकी वसूली लेखाकार (1) श्री संजय सिंह व (2) श्री रामनरेश गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शरद कुमार सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, व श्री रोहिताश्व कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

रु०43,00,106=64

प्रस्तर2--क्षेत्र पंचायत साण्डी की वर्ष 2020-21में कुल रु0 1,38,03,146=51 का व्यय किया गया है, जिसमें सेरु0 43,00,106=64के अभिलेख (व्यय पत्रावलियाँ) अप्राप्त रही । उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाये । अतः किया गया भुगतान अपुष्ट रहा

। जिसकी वसूली लेखाकार (1) श्री संजय सिंह व (2) श्री रामनरेश गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रोहिताश्व कुमार, श्री राजेन्द्र प्रसाद व श्री सुरेश कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

रु०1,16,324=00

प्रस्तर3- वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था द्वारा रु0 1,16,324=00

व्यय क्षेत्र पंचायत में विभिन्नकराये गये कार्यों पर मिटटी ढुलाईकर करवाया गया है ।कार्यों का विवरण निम्नवत है -

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	वाहन/ट्राली संख्या	धनराशि
1.	शीतलाबक्स के मकान से डामर रोड तक खडंजा मरम्मत कार्य - ग्राम पं० उल्लामऊ	यूपी30 टी4854	3,655=00
2.	सुरेन्द्र के मकान से डामर रोड तक खडंजा मरम्मत कार्य - ग्राम पं० उल्लामऊ	“	3,010=00
3.	डामर रोड से प्राइमरी पा० तक खडंजा मरम्मत कार्य	“	26,875=00
4.	करणपुर से औरैनी सीमा तक खडंजा मरम्मत कार्य	“	60,424=00
5.	भदरा - औरैनी सम्पर्क मार्ग से बल्ला के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	“	22,360=00
कुल योग			1,16,324=00

उपरोक्त किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही । उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाये । अतः किया गया भुगतान अपुष्ट रहा । जिसकी वसूली लेखाकार (1) श्री संजय सिंह व (2) श्री रामनरेश गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शरद कुमार सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवासव श्री रोहिताश्व कुमारसे संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

रु०78,475=00

प्रस्तर 4- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था द्वारा रु0 78,475=00 व्यय क्षेत्र पंचायत में विभिन्न कराये गये कार्यों पर मिटटी ढुलाईवर / करवाया गया है ।कार्यों का विवरण निम्नवत है -

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	वाहन/ट्राली संख्या	धनराशि
1.	नसीरपुर सादुल्लापुर खडंजा मरम्मत कार्य	यूपी30 टी4854	29,670=00

2.	मलंवा गाँव से वीरपाल के खेत तक खडंजा कार्य	“	48,805=00
		कुल योग	78,475=00

उपरोक्त किये गये व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही । उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाये । अतः किया गया भुगतान अपुष्ट रहा । जिसकी वसूली लेखाकार (1) श्री संजय सिंह व (2) श्री रामनरेश गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रोहिताश्व कुमार, श्री राजेन्द्र प्रसाद व श्री सुरेश कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रारूप-03

जनपद- लखनऊ

मण्डल- लखनऊ

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ

क्षेत्र पंचायत- गोसाईगंज

वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-01 क्षेत्र पंचायत- गोसाईगंज की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान चतुर्थ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्न विवरणानुसार कार्य कराया जाना दर्शित है-

क्रम संख्या	कार्य का नाम/विवरण	आच्छादित ग्राम पंचायत	व्यय धनराशि
1	चाँदसराय कोल्ड स्टोर के पीछे शिवमन्दिर से कोरियानी संपर्क मार्ग तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	चाँदसराय	155252.00
2	मोहम्दाबाद मे सी०सी० रोड से मातादिन के हाता होते हुए सी०सी० रोड तक सी०सी० रोड का निर्माण।	मोहम्दाबाद	448279.00
	योग		603531.00

उक्त व्ययों पर आपति का प्रमुख बिन्दु यह है कि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों संबंधी शासनदेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर-2.5 के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से केवल उन्ही विकास कार्यों को कराया जा सकता है, जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करते हो। इस प्रकार उपरोक्त व्यय इस शासनादेश से स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम संख्या-179 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप समस्त व्यय धनराशि को अनियमित/दुरुपयोग मानते हुए अधिभार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस अनियमित व्यय के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- सरोजिनी नगर

वर्ष-2020-21

जनपद- लखनऊ

क्रम संख्या	कार्य का नाम/विवरण	आच्छादित ग्राम पंचायत	व्यय धनराशि
1	राकेश कुमार के घर से औसान के घर तक खड़जा मरम्मत एवं नाली निर्माण कार्य।	माती	785409.00
2	लतीफ नगर में बद्री प्रसाद लोधी के घर से ओम प्रकाश विश्वकर्मा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	लतीफ नगर	317869.00
3	मिर्जापुर में नरेश के घर के पास से बेचालाल यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	मिर्जापुर	696691.00

4	हुलासखेड़ा में बैजनाथ के घर से बाबू रावत के घर तक खँड़ा निर्माण कार्य।	हुलासखेड़ा	688241.00
	योग		2488210.00

प्रस्तर संख्या-02 क्षेत्र पंचायत- सरोजिनी नगर की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान चतुर्थ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्न विवरणानुसार कार्य कराया जाना दर्शित है-

उक्त व्ययों पर आपत्ति का प्रमुख बिन्दु यह है कि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों संबंधी शासनदेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर-2.5 के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से केवल उन्ही विकास कार्यों को कराया जा सकता है, जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करते हों। इस प्रकार उपरोक्त व्यय इस शासनादेश से स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम संख्या-179 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप समस्त व्यय धनराशि को अनियमित/दुरुपयोग मानते हुए अधिभार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस अनियमित व्यय के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-डलमउ

विकास खण्ड-डलमउ

प्रस्तर-1

क्रम सं.	कार्य का नाम	धनराशि
1	ऐहार में देशराज कुशवाहा के घर से रामेश्वर के घर पक्की रोड तक	732752.00
2	घुरवारा में ए बी एस ए ऑफिस सी सी रोड निर्माण	514206.00
3	बरारा बुजुर्ग के पूरे डुलियन में तेज बहादुर के दरवाजे से राम अवतार के दरवाजे तक सी सी रोड निर्माण	574377.00
4	सोहवल में विपिन के घर से राहुल के घर तक सी सी रोड निर्माण	533637.00
5	पिलखा में भुईयां रानी मंदिर पक्की सड़क से प्राथमिक सड़क तक सी सी रोड निर्माण	646930.00
6	योग	3001902.00

(क) उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 (21) टेंडरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया के अनुसार टेन्डर देने वालों को युक्तियुक्त समय जो नोटिस के प्रकाशन से तीन सप्ताह से कम न होगा दिया जाएगा जिस से कि वह नियत दिनांक के भीतर अपना टेन्डर प्रस्तुत कर सके। टेन्डर के महत्व के अनुसार व्यापक रूप से प्रचार करना एवं उचित समय दिया जाना चाहिए। उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन किया गया है।

(ख) उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो ऐसे एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में टेन्डर प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसे यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खंड विकास अधिकारी उचित समझे

और उसकी प्रतिलिपियाँ क्षेत्र पंचायत के कार्यालय कलेक्टर के कार्यालय जिला न्यायाधीश के कार्यालय या प्रत्येक अपर जिला न्यायाधीश और मुंसिफ के न्यायालय सार्वजनिक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के स्थानीय कार्यालयों में सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना चाहिए। कराया गया है।

उपरोक्त कार्यों के संदर्भ में उक्त नियमों का उल्लंघन करके एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं कराया गया है।

(ग) कार्य के तीनों स्तरों की फोटो नहीं लगाई गई है। राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार तीनों स्तर की फोटो कार्य में योज्य के मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटो उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) टेन्डर की धरोहर धनराशि जमानत धनराशि टेन्डर डालने वाले का हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा के समय न प्रस्तुत कर तथ्य एवं सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया गया है।

(च) उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 (19) (ग) के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य आरंभ करने के पूर्व निर्माण कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक नोटिस चिपकाएगा जिसमें मजदूरी की दरें अंकित होंगी। उस नोटिस की एक प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा लेकिन उपरोक्त कार्यों में इस नियम का उल्लंघन किया गया।

(छ) ग्राम पंचायत ने उपरोक्त कार्यों को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है।

(ज) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं. 17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01/09/2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं. 1839/33-03-2015 दिनांक 19/06/2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किए गये कार्य का मरम्मत एवं नए कार्य कराए जाएंगे। लेकिन उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है उपरोक्त व्यय इस शासनादेश से स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्रीमती सुषमा देवी लेखाकार श्री विजय बहादुर यादव एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती मिथलेश कुमारी उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि 3001902.00 में से खंड विकास अधिकारी श्रीमती सुषमा देवी से 1000634.00 की वसूली लेखाकार श्री विजय बहादुर यादव से रु. 1000634.00 की वसूली तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती मिथलेश कुमारी से 1000634.00 ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 क्षेत्र पंचायत-डलमउ विकास खण्ड-डलमउ

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि	टिप्पणी
1	मनरेगा आकस्मिक निधि	632718.00	प्रमाणक विहीन
2	कोविड-19	1052744.00	प्रमाणक विहीन
	योग	1685462.00	

क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वयं दावेदार का बिल होगा अथवा जहां इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो प्रपत्र संख्या 34 या 35 में वेतन बिल प्रपत्र संख्या 32 में प्रासंगिक बिल प्रपत्र संख्या 36 या 37 में यात्रा बिल प्रपत्र 7 व में ठेकेदार का बिल प्रपत्र - 10 व में उपस्थित नामावली होगी या छोटे मोटे कार्यालय व्ययों की दशा में व्यय की गई धनराशियों का ब्योरेवार लिखित विवरण होगा। लेकिन उक्त नियम का उल्लंघन हुआ है। क्षेत्र पंचायत की 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोविड -19 धनराशि रु.1052744.00 एवं मनरेगा आकस्मिक निधि रु. 632718.00 शाह के व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख प्रमाणक बिल वाउचर एवं पत्रावली बार बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा

में सत्यापित नहीं किया जा सका। इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल वाउचर के कुल रुपये 1685462.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती सुषमा एवं लेखाकार श्री विजय यादव उत्तरदायी हैं। इस प्रकार खंड विकास अधिकारी श्रीमती सुषमा देवी से रु. 842731.00 एवं लेखाकार श्री विजय बहादुर यादव से रु. 842731.00 की वसूली मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 क्षेत्र पंचायत-लालगंज विकास खण्ड-लालगंज

क्रमांक	कार्य का नाम	धनराशि
1.	सहायक विकास अधिकारी पंचायत कार्यालय में टाइल्स लगवाई एवं रंगाई पुताई	626752.00
2.	ग्राम पंचायत बेहटा कला में गोवर्धन सिंह की बाग से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	520640.00
3.	अंबारा पश्चिम में विजय बहादुर के दरवाजे से नीरज तिवारी के घर के पीछे तक नाली निर्माण	312735.00
4.	राम कुमार शर्मा के घर के पास से वन विभाग मोड़ तक खड़जा निर्माण	394753.00
5.	मलपुरा सरेनी रोड से भदौरिया कॉम्प्लेक्स के बगल से इन्टरलॉकिंग का कार्य	418075.00
6.	ग्राम पंचायत रणगाँव में राधे मुंशी के घर से नहर तक नाली निर्माण कार्य	378653.00
7.	दिलीप सिंह के दरवाजे से दुर्गा मंदिर तक पक्की नाली निर्माण	413749.00
8.	कुम्हारौरा रंजीत सिंह के दरवाजे से राम नारायण के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	295499.00
9.	गेंगासो में कपिल तिवारी के घर से संकटा देवी मंदिर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	609192.00
10.	पशु चिकित्सालय रंगाई पुताई	882231.00
11.	सेमरपहा में रमेश के घर से बच्चन के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	552818.00
12.	शिवपुरी मोड़ से निखिल पांडे के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	929341.00
13.	बाँबी गेस्ट हाउस से दिलीप सिंह के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	369093.00
14.	आवासीय भवन टाइप 3 मरम्मत एवं रंगाई पुताई	403906.00
15.	रण गाँव में लखनऊ राजमार्ग से पूरेविजय में सी सी रोड तक खड़जा मरम्मत	661534.00
16.	गोविन्दपुर उलौली में बच्चन मिश्रा के घर से त्रिवेदीपुर वाले पुल तक इन्टरलॉकिंग कार्य	643859.00
17.	नई बस्ती तौधकपुर राम मोहन यादव के घर से सी सी रोड तक इन्टरलॉकिंग	431688.00
18.	आलमपुर में कृषि बीज भंडार मरम्मत एवं रंगाई पुताई	956203.00
19.	पक्की सड़क से लईक के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	545781.00
20.	भुल्लन नाई के दरवाजे से जमुवावां तक इन्टरलॉकिंग कार्य	640108.00
21.	योग	10986610.00

(क) उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (21) टेंडरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया के अनुसार टेन्डर देने वालों को युक्तियुक्त समय जो नोटिस के प्रकाशन से तीन सप्ताह से कम न होगा दिया जाएगा जिस से कि वह नियत दिनांक के भीतर अपना टेन्डर प्रस्तुत कर सके। टेन्डर के महत्व के अनुसार व्यापक रूप से प्रचार करना एवं उचित समय दिया जाना चाहिए। उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन किया गया है।

(ख) उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो ऐसे एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों

में टेन्डर प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसे यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खंड विकास अधिकारी उचित समझे और उसकी प्रतिलिपियाँ क्षेत्र पंचायत के कार्यालय कलेक्टर के कार्यालय जिला न्यायाधीश के कार्यालय या प्रत्येक अपर जिला न्यायाधीश और मुंसिफ़ के न्यायालय सार्वजनिक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के स्थानीय कार्यालयों में सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना चाहिए ।

उपरोक्त कार्यों के संदर्भ में उक्त नियमों का उल्लंघन करके एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं कराया गया है।

(ग) कार्य के तीनों स्तरों की फोटो नहीं लगाई गई है। राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार तीनों स्तर की फोटो कार्य में योज्य के मानकों एवं विशिष्टियों को ध्यान रखते हुए फोटो उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) टेन्डर की धरोहर धनराशि जमानत धनराशि टेन्डर डालने वाले का हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा के समय न प्रस्तुत कर तथ्य एवं सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया गया है।

(च) उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (19)(ग) के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य आरंभ करने के पूर्व निर्माण कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक नोटिस चिपकाएगा जिसमें मजदूरी की दरें अंकित होंगी। उस नोटिस की एक प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा लेकिन उपरोक्त कार्यों में इस नियम का उल्लंघन किया गया।

(छ) ग्राम पंचायत ने उपरोक्त कार्यों को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है।

(ज) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं. 17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01/09/2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं. 1839/33-03-2015 दिनांक 19/06/2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किए गये कार्य का मरम्मत एवं नए कार्य कराए जाएंगे। क्रम सं. 1101418 को छोड़कर उपरोक्त सभी कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करते हैं उपरोक्त व्यय इस शासनादेश से स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह लेखाकार श्री सोनी एवं क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य 1. श्री निखिल पांडे 2. श्री अवधेश कुमार 3. श्रीमती राजकुमारी सिंह उत्तरदायी हैं। इनसे समान मात्र में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के रूप में किए गये कार्य के लिए उक्त धनराशि 10986610.00 में से रु. 3662203.33 की वसूली खंड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से तथा रु.3662203.33 की वसूली लेखाकार श्री सोनी से तथा रु. 3662203.33 की वसूली क्षेत्र पंचायत समिति सदस्यों श्री निखिल पांडे श्री अवधेश कुमार एवं श्रीमती राजकुमारी सिंह प्रत्येक से 1/3-1/3 अर्थात् प्रत्येक से रु. 1220734.33 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 क्षेत्र पंचायत-डलमउ विकास खण्ड-डलमउ

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि	टिप्पणी
1	मनरेगा आकस्मिक निधि	698388.00	प्रमाणक विहीन
2	ब्याज	169244.10	प्रमाणक विहीन
	योग -	867632.10	

क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वयं दावेदार का बिल होगा अथवा जहां इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो प्रपत्र संख्या 34 या 35 में वेतन बिल प्रपत्र संख्या 32 में प्रासंगिक

विल प्रपत्र संख्या 36 या 37 में यात्रा बिल प्रपत्र 7 ब मे ठेकेदार का बिल प्रपत्र 10 व मे उपस्थित नामावली होगी या छोटे मोटे कार्यालय व्ययों की दशा में व्यय की गई धनराशियों का ब्योरेवार लिखित विवरण होगा। लेकिन उक्त नियम का उलंघन हुआ है। क्षेत्र पंचायत की 2020-21 की लेखा परीक्षा में ब्याज धनराशि रु.169244.10 एवं मनरेगा आकस्मिक निधि रु. 698388.00 के व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख प्रमाणक बिल वाउचर एवं पत्रावली बार बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल वाउचर के कुल रुपये 867632.10 का अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री शेलेन्द्र सोनी उत्तरदायी हैं : खंड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु. 433816.005 एवं लेखाकार श्री शेलेन्द्र सोनी से रु. 433816.005 की वसूली मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 क्षेत्र पंचायत-खीरों विकास खण्ड-खीरों

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार-आलोच्य वर्ष में कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	योजना का नाम	निविदा प्रपत्र मूल्य	भुगतान हेतु अनुसंसित धनराशि	लेबर सेस की धनराशि 01 प्रतिशत
1	इण्टर लाकिंग- रमवापुर मेन रोड से शिवमोहन के घर तक	15वां वित्त	500.00	825329.00	8253.29
2	इण्टर लाकिंग- नंदलाल के घर से दयाराम के घर तक	15वां वित्त	550.00	818721.00	8187.21
3	इण्टर लाकिंग - चांदेमऊ सम्पर्क मार्ग से रामखेलावन यादव के घर तक	4 रा. वित्त	500.00	636856.00	6368.56
4	इण्टर लाकिंग-कालीखेडा संदीप के घर से देवतादीन के घर तक	5 रा. वित्त	550.00	869429.00	8694.29
5	ब्लाक परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग	4 रा. वित्त	550.00	140506.00	1405.06
6	नाला निर्माण-कलूईखेडा पावर हाउस गेट से सुरेश के घर तक	15 वां वित्त	550.00	698772.00	6987.72
7	इण्टरलाकिंग - दुकनहा में चन्द्रशेखर के घर से रामदास के घर तक	15 वां वित्त	500.00	537550.00	5375.50

8	इण्टरलाकिंग- मउ मेन रोड चेला की दुकान से राजेश के घर तक	4 रा. वित्त	550.00	892810.00	8928.10
9	इण्टर लाकिंग- अकोहरिया में सैनी के घर से रजउ के घर तक	4 रा. वित्त	550.00	497197.00	4971.97
10	नाला निर्माण- डुमटहर में महोबी के घर से राजाराम के घर तक	15वां वित्त	500.00	237648.00	2376.48
11	इण्टर लाकिंग लालपुर में रायबरेली रोड से विजय तिवारी के पुराने घर तक	4 रा. वित्त	500.00	343600.00	3436.00
12	इण्टर लाकिंग- गरवर के पुरवा में विजय पासी के घर से चंदपाल के घर से होते हुये नौगवा स. मा. तक	4 रा. वित्त	500.00	279079.00	2790.79
13	इण्टर लाकिंग- पूरे विजय सिंह मजरे मेरुई में वीरेन्द्र यादव की चक्की से पक्की सड़क तक	4 रा. वित्त	850.00	334565.00	3345.65
14	इण्टर लाकिंग- चन्द्रावल में भैरों लोध के घर से दयाराम के घर तक	4 रा. वित्त	850.00	111463.00	1114.63
15	इण्टर लाकिंग- जमादार के पुरवा में गंगाराम कुरील के घर से रामनरेश के घर तक	4 रा. वित्त	500.00	279637.00	2796.37
16	इण्टर लाकिंग- मनीराम के घर से बलराम के घर तक	4 रा. वित्त	500.00	636291.00	6362.91
17	ब्लाक परिसर सुंदरीकरण / मरम्मत	4 रा. वित्त	500.00	225590.00	2255.90
18	बीज भंडार खीरों मरम्मत कार्य	4 रा. वित्त	550.00	189205.00	1892.05
19	खडंजा निर्माण- नवगवां सम्पर्क मार्ग से मेरामऊ पप्पू तिवारी के खेत तक	4 रा. वित्त	500.00	981007.00	9810.07
20	राजकीय पशु चिकित्सालय खीरों की मरम्मत का कार्य	4 रा. वित्त	550.00	229553.00	2295.53

21	खडंजा निर्माण- सरदार सिंह के पुरवा से दूलापुर तक	4 रा. वित्त	550.00	928944.00	9289.44
	सम्पूर्ण योग		11650.00	10693752.00	106937.52

उपरोक्त दर्शित व्यय भुगतानों से शासनादेश संख्या-362/9-9-2016-165ज/13 दिनांक 03 मार्च 2016 के अनुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस कुल रु0 106937.52 की कटौती की जानी चाहिये थी परन्तु कुल भुगतान रु0 10693752.00 के सापेक्ष कोई भी कटौती नहीं की गयी है तथा न ही इन कटौतियों से संबंधित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत की गयी। यहाँ यह भी विदित है कि शासनादेश संख्या 37/2016/1448/ छत्तीस-2-2015-170/2009 के अनुसार निर्माण कार्यों से अर्जित लेबर सेस को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना चाहिये। उपरोक्त सारणी में विज्ञापन द्वारा दर्शित निविदा प्रपत्र मूल्य कुल रु 11650.00 रहा जिसके सापेक्ष हर कार्य के लिये तीन-तीन फर्मों को नियमानुसार तुलनात्मक सारणी में जगह दी गयी। इस प्रकार निविदा प्रपत्रों बिकी से कुल आय $11650.00 \times 3 = 34950.00$ रु की गयी। इस धनराशि रु 34950.00 के अंकन से संबंधित कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतएव उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतानों (106937.52+34950.00) कुल रु 141887.52 की पुष्टि समस्त सम्यक अभिलेखों से करायी जानी अपेक्षित है इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं श्री कमला कान्त एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री उमाशंकर यादव तथा लेखाकार श्री अजय कुमार उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

क्षेत्र पंचायत-शिवगढ़

विकास खण्ड-शिवगढ़

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं जिसमें निम्न आपतियां हैं---

क्रम सं०	कार्य का नाम	लागत धनराशि
1	डामर रोड दौलतखेड़ा के अन्दर सी सी रोड निर्माण	811868.00
2	भौसी डामर रोड से हरिजन आबादी होते हुए भौसारे बाबा स्थल तक सी सी रोड निर्माण	460271.00
3	शिवगढ़ दरियाबगंज डामर रोड से कसना में हरिजन आबादी की ओर सीसी रोड निर्माण	759199.00
4	बेडारू में डामर रोड से झील की ओर खडंजा निर्माण	831239.00
5	डामर रोड से इंटरलॉकिंग लक्ष्मणपुर तक सी सी रोड	816927.00
6	पक्की रोड से सरकारी नल माधवखेड़ा तक सी सी रोड निर्माण	465616.00
7	अनुभव सिंह के घर के पास से पुलिया की ओर नाला निर्माण	599540.00
8	शिवली चौराहे से शिवगढ़ सीमा तक नाला निर्माण	869978.00
9	ढेकवा मेन सड़क से हरिजन आबादी तक इंटरलॉकिंग कार्य	492030.00
10	गरीबदास बाबा के स्थान से आशाराम के घर की ओर इंटरलॉकिंग कार्य	792316.00
11	शिवगढ़ रजबहा से हरिजन आबादी की ओर सी सी रोड निर्माण	685972.00
12	गूढा ओसाह रोड से अंकित के घर की ओर सी सी रोड निर्माण	801839.00
13	बृजेश शुक्ला के घर से डामर रोड की ओर सी सी रोड निर्माण (भवानीगढ़)	373886.00
14	हैदरगढ़-बछरावां मार्ग से भवानीगढ़ की ओर सी सी रोड निर्माण	644441.00

15	भवानीगढ़ में डामर रोड से प्राथमिक वि० की ओर सी सी रोड निर्माण	764958.00
16	बुदुर के घर से पिदरही तालाब तक नाली निर्माण	629170.00
17	बड़े बाबा तालाब से नहर तक नाला निर्माण	611364.00
18	पिन्डौली के अन्दर छेदालाल के घर से धीरज के घर तक सी सी रोड निर्माण	414389.00
	योग	11825003.00

(i) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की सड़कों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्मित / मरम्मत की गयी सड़कें दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें थीं एवं क्षेत्र पंचायत को उनका निर्माण / मरम्मत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों में दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 व जून 2014 में दिशा निर्देश जारी किए गए। ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना था दो या दो से ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य क्षेत्र पंचायतों के द्वारा कराया जाना था परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कराकर एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में उक्त समस्त कार्य कराये गए हैं। जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग से संबन्धित शासनादेश संख्या 1839 / 33.03.2015 / 03 / 2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा। स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन कर एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादन वाले कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गए हैं जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

(ii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त समस्त कार्यों में क्रमसंख्या 01 से 18 तक कुल दर्शित धनराशि रु 11825003.00 व्यय किया गया है किन्तु उक्त किसी भी कार्य में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -1 एवं शासनादेश संख्या - ए-1-864-दस / 08- 15 (1) 86 दिनांक 23-9-2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी0)2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण का .प्र. नियमावली 1984 के नियम (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुहर बंद टेंडर आमंत्रित न किये जाये तथा जिसके साथ समुचित प्राधिकारी द्वारा निश्चित धनराशि के बराबर बयाने के धनराशि न हो बयाने की यह धनराशि या तो सरकारी प्रतिभूतियों में दी जाएगी या कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में कोषागार चालान द्वारा नगद जमा की जाएगी या डाकघर बचत बैंक में जमा की जाएगी यदि ऐसी धनराशि डाकघर में जमा की जाए तो पासबुक खंड विकास अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखी जाएगी साथ ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23 के अनुसार कुल 10% धनराशि प्रतिभूति / जमानत के रूप में जमा किया जाएगा यदि कोई टेंडर स्वीकार किया जाए तो ठेकेदार द्वारा ठेके की धनराशि के 5% के बराबर धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा शेष 5% धनराशि ठेकेदार के चालू बिल से काटी जाएगी इसके बगैर ठेका न वैध होगा और न ही तब तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा जब तक कि अपेक्षित प्रतिभूति जमा कर ठेके के विलेख पर ठेकेदार के द्वारा और खंड विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाए। सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में इस प्रक्रिया पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है (iii) आलोच्य वर्ष में उक्त निर्माण/ मरम्मत कार्यों पर (क्रम संख्या 070816 व 17 को छोड़कर) नियमानुसार (शासनादेश संख्या 615 / 77-5-2001-200-77 दिनांक 28.03.2001) 1% लेबर सेस की कटौती ठेकेदार के बिलों से नहीं की गयी है जो

आपत्तिजनक रहा। उक्त की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(iv) क्षेत्र पंचायत ने उपरोक्त कार्यों को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) नहीं संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(v) लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए उक्त निर्माण कार्यों में खनिजों एवं उप खनिजों का उपयोग किया गया है परंतु संबंधित कार्यों की पत्रावली में रॉयल्टी जमा करने की पुष्टि में न तो एम.एम. 11 और न ही रॉयल्टी जमा प्रमाण स्वरूप चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है। जबकि शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एम.एम. 11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016- 292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एम.एम. 11 फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 39/2020/990/86-2020-52(सा)/2019टी सी दिनांक 23 जून 2020 द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रयुक्त उपखनिजों पर देय रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था / विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का भुगतान किया जाये यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(vi) उक्त कृत कार्यों के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जबकि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके। विभागीय अधिकारियों का ध्यान फोटोग्राफ की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया जाता है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर व्यय धनराशि रु 11825003.00 की गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीरज कुमारी तथा तत्कालीन लेखाकार श्री राम खेलावन उत्तरदायी हैं। उक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

क्षेत्र पंचायत-शिवगढ़

विकास खण्ड-शिवगढ़

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं जिसमें निम्न आपत्तियां हैं ----

क्रम सं०	कार्य का नाम	लागत धनराशि
1	साधन सहकारी समिति खजुरो के भवन मरम्मत कार्य	811493.00
2	बैंती पंचायत भवन परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य	625180.00
3	जूनियर हाईस्कूल ओसाह में इंटरलॉकिंग	473258.00
4	विकास खंड कार्यालय में ऑफिस भवन एवं मीटिंग हाल में अवशेष कार्य	610320.00
5	ब्लाक परिसर में अवरअभियंता लघु सिचाई कार्यालय की मरम्मत	196465.00
6	ग्राम पंचायत शिवगढ़ में बी. आर. सी. भवन की मरम्मत कार्य	849551.00

योग	3566267.00

(i) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त समस्त कार्यों में क्रमसंख्या 01 से 06 तक कुल दर्शित धनराशि रु 3566267.00 व्यय किया गया है किन्तु उक्त किसी भी कार्य में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -1 एवं शासनादेश संख्या - ए- 1-864-दस / 08- 15 (1)86 दिनांक 23-9-2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स)2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी0)2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है । इसके अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य .प्र. नियमावली 1984 के नियम (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुहर बंद टेंडर आमंत्रित न किये जाये तथा जिसके साथ समुचित प्राधिकारी द्वारा निश्चित धनराशि के बराबर बयाने के धनराशि न हो बयाने की यह धनराशि या तो सरकारी प्रतिभूतियों में दी जाएगी या कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में कोषागार चालान द्वारा नगद जमा की जाएगी या डाकघर बचत बैंक में जमा की जाएगी यदि ऐसी धनराशि डाकघर में जमा की जाए तो पासबुक खंड विकास अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखी जाएगी साथ ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23 के अनुसार कुल 10% धनराशि प्रतिभूति / जमानत के रूप में जमा किया जाएगा यदि कोई टेंडर स्वीकार किया जाए तो ठेकेदार द्वारा ठेके की धनराशि के 5% के बराबर धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा शेष 5% धनराशि ठेकेदार के चालू बिल से काटी जाएगी इसके बगैर ठेका न वैध होगा और न ही तब तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा जब तक कि अपेक्षित प्रतिभूति जमा कर ठेके के विलेख पर ठेकेदार के द्वारा और खंड विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाए. सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में इस प्रक्रिया पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है . (ii) आलोच्य वर्ष में उक्त निर्माण / मरम्मत कार्यों पर नियमानुसार (शासनादेश संख्या 615/77-5-2001-200-77 दिनांक 28.03.2001) 1% लेबर सेस की कटौती ठेकेदार बिलों से नहीं की गयी है जो आपत्तिजनक रहा । उक्त की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है । इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है ।

(iii) क्षेत्र पंचायत ने उपरोक्त कार्यों को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) नहीं संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(iv) लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए उक्त निर्माण कार्यों में खनिजों एवं उप खनिजों का उपयोग किया गया है परंतु संबंधित कार्यों की पत्रावली में रॉयल्टी जमा करने की पुष्टि में न तो एम.एम. 11 और न ही रॉयल्टी जमा प्रमाण स्वरूप चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है । जबकि शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एम0 एम0 11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016- 292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एम0 एम0 11 फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 39/2020/990/86-2020-52(सा)/2019 टी सी दिनांक 23 जून 2020 द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रयुक्त उपखनिजों पर देय रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था / विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का

भुगतान किया जाये यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया ता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(v) उक्त कृत कार्यो के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जबकि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके। विभागीय अधिकारियों का ध्यान फोटोग्राफ की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया जाता है। उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर व्यय धनराशि रु 3566267.00 की गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीरज कुमारी तथा तत्कालीन लेखाकार श्री राम खेलावन उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 क्षेत्र पंचायत-शिवगढ विकास खण्ड-शिवगढ

ब्लाक परिसर में टाइप 3- आवास की मरम्मत कराया जाना दर्शित है जिसमे निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं- (i) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में सामग्री क्रय हेतु वैभव ट्रेडर्स को रु 191914=00 का भुगतान किया गया है इसी प्रकार ब्लाक परिसर में एक अन्य टाइप 3 -आवास की मरम्मत कराया जाना दर्शित है जिसमे सामग्री क्रय हेतु वैभव ट्रेडर्स को रु 372643.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त दोनों कार्यो के क्रम में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -1 एवं शासनादेश संख्या - ए-1-864- दस / 08-15(1) 86 दिनांक 23-9-2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी0)2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त प्र. पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुहर बंद टेंडर आमंत्रित न किये जाये तथा जिसके साथ समुचित प्राधिकारी द्वारा निश्चित धनराशि के बराबर बयाने के धनराशि न हो बयाने की यह धनराशि या तो सरकारी प्रतिभूतियों में दी जाएगी या कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में कोषागार चालान द्वारा नगद जमा की जाएगी या डाकघर बचत बैंक में जमा की जाएगी। यदि ऐसी धनराशि डाकघर में जमा की जाए तो पासबुक खंड विकास अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखी जाएगी साथ ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23 के अनुसार कुल 10 धनराशि प्रतिभूति/जमानत के रूप में जमा किया जाएगा यदि कोई टेंडर स्वीकार किया जाए तो ठेकेदार द्वारा ठेके की धनराशि के 5% के बराबर धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा शेष 5% धनराशि ठेकेदार के चालू बिल से काटी जाएगी इसके बगैर ठेका न वैध होगा और न ही तब तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा जब तक कि अपेक्षित प्रतिभूति जमा कर ठेके के विलेख पर ठेकेदार के द्वारा और खंड विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाए. सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में इस प्रक्रिया पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(ii) क्षेत्र पंचायत ने उपरोक्त कार्यो को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) नहीं संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(iii) उक्त कृत कार्य के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जबकि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके। विभागीय अधिकारियों का ध्यान फोटोग्राफ की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया जाता है। उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर व्यय धनराशि रु 564557.00 की गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है

। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीरज कुमारी तथा तत्कालीन लेखाकार श्री राम खेलावन उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 क्षेत्र पंचायत-शिवगढ विकास खण्ड-शिवगढ

. ब्लाक परिसर में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय की मरम्मत कराया जाना दर्शित है। जिसमें निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं---

(i) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में प्रमाणक संख्या 150/ दिनांक 10.10.2020 वैभव ट्रेडर्स के द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गयी जिसके सापेक्ष रु 82792.00 का भुगतान वैभव ट्रेडर्स को किया जाना था किन्तु उक्त धनराशि का भुगतान वैभव ट्रेडर्स को न करके वैभव ट्रेडर्स के प्रोपराइटर अनुभव सिंह पुत्र दानबहादुर सिंह के व्यक्तिगत खाते में किया जाना दर्शित है । इस प्रकार फर्म / ट्रेडर्स को भुगतान न करके व्यक्तिगत खाते में भुगतान कर व्यय धनराशि रु 82792.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीरज कुमारी तथा तत्कालीन लेखाकार श्री राम खेलावन उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ii) उक्त कार्य में सामग्री क्रय हेतु रु 16973.00 का भुगतान शांति इन्टर प्राइजेज को किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वयं दावेदार का बिल होगा अथवा जहा इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो। स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक के अभाव किया भुगतान रु 16973.00 लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका व संस्था द्वारा किए गए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल वाउचर के कुल रुपये 16973.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह से रु 5657= 66 ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीरज "कुमारी से रु 5657=66 तथा तत्कालीन लेखाकार श्री राम खेलावन से रु 5657=66 किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-10 क्षेत्र पंचायत-शिवगढ विकास खण्ड-शिवगढ

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र भौसी के निर्माण हेतु श्री सतीश कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) को विभिन्न तिथियों में धनराशि दिया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	भुगतान धनराशि
1	श्री सतीश कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)	17.04.2020	187598.00
2	श्री सतीश कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)	17.04.2020	159042.00
3	श्री सतीश कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)	08.03.2021	133176.00
4	श्री सतीश कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)	15.03.2021	60104.00
	योग -		539920.00

उक्त दर्शित कुल व्यय धनराशि रु 539920.00 के व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख प्रमाणक / बिल वाउचर एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं

किया जा सका। क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वयं दावेदार का बिल होगा अथवा जहां इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो। लेकिन उक्त नियम का उलंघन हुआ है। साथ ही उक्त सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत सचिव को करके अनियमितता की गई है इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल वाउचर के कुल रुपये ₹ 539920.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह से ₹0134980=00 ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीरज कुमारी से ₹0134980=00 तत्कालीन लेखाकार श्री राम खेलावन से ₹0134980=00 तथा श्री सतीश कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) से ₹0134980=00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-11

क्षेत्र पंचायत-शिवगढ़

विकास खण्ड-शिवगढ़

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 769525.00 व्यय किया जाना दर्शित है किन्तु उक्त दर्शित व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख प्रमाणक / बिल वाउचर एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वयं दावेदार का बिल होगा अथवा जहां इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो। लेकिन उक्त नियम का उलंघन हुआ है। इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल वाउचर के कुल रुपये ₹ 769525.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह से ₹0 256508=33 ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीरज कुमारी से ₹0 256508= 33 तथा तत्कालीन लेखाकार श्री राम खेलावन से ₹0 256508= 33 किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ०सं०-18)

प्रस्तर-12 क्षेत्र पंचायत-राही

विकास खण्ड-राही

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं जिसमें निम्न आपत्तियां हैं--

क्रम सं०	कार्य का नाम	लागत धनराशि
1	ग्राम मछेछर से विनोहरा तक खडंजा निर्माण कार्य (फखरुलहसनखेड़ा)	935542.00
2	भैदपुर लिंक रोड से मानसिंह के ट्यूबेल तक खडंजा निर्माण कार्य	971850.00
3	पुरेराऊ से पुरे चौहान तक खडंजा निर्माण कार्य (खुरहटी)	955592.00
4	पुरे बदलू में राजबहादुर के घर से रामप्रसाद के घर तक खडंजा निर्माण कार्य (लोधवारी)	145462.00
5	रामनरेश के नल के पास से सहकारी समिति नाले तक नाली निर्माण (भदोखर)	109954.00
6	सुल्तानपुर आड़मा में पेंटिंग रोड से कृष्ण कुमार पाण्डेय के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	692308.00

7	भईया रानी तालाब से महादेव के घर तक नाला निर्माण (रुस्तमपुर)	417907.00
8	शिवराम रैदास के घर के पास मंदिर से साईफन तक खडंजा निर्माण कार्य (भखरवारा)	157222.00
9	चकवल्लीहार पक्की सड़क से भानू प्रताप सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य - एकौना	971785.00
10	रामआसरे के घर से नहर तक इंटरलॉकिंग कार्य- बालेपुर	714071.00
11	रामगंज मेन रोड से कोटेदार के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-मोहगवां	631836.00
12	राकेश की चक्की से झिंगरी तालाब तक इंटरलॉकिंग कार्य- सेमरा	849223.00
13	बारात घर से प्राथमिक वि० तक इंटरलॉकिंग कार्य-मुलिहामऊ	801752.00
14	रामनरेश के घर से विनोद मिश्रा के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य - मोनई	304874.00
15	विशम्भरनाथ के घर से राम प्रवेश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-बेला भेला	836325.00
	योग -	9495703.00

(i) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत सड़कों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्मित / मरम्मत की गयी सड़कें दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें थीं एवं क्षेत्र पंचायत को उनका निर्माण / मरम्मत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों में दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 व जून 2014 में दिशा निर्देश जारी किए गए। ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना था दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य क्षेत्र पंचायतों के द्वारा कराया जाना था परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कार्य न कराकर एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में उक्त समस्त कार्य कराये गए हैं। जबकि चतुर्थ वित्त आयोग उपभोग से संबन्धित शासनादेश संख्या 1839 / 33.03.2015 / 03 / 2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा। स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन कर एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादन वाले कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गए हैं जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि भैदपुर लिंक रोड से मानसिंह के ट्यूबेल तक खडंजा निर्माण में एम-275 सीधा खंड ईट (134000दर5.245) क्रय हेतु मेसर्स विशाल ब्रिक फील्ड को रु 702830.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय प्रक्रिया में निविदा के दौरान धरोहर राशि तथा कार्य प्रारंभ होने से पूर्व स्वीकृत फर्म से जमानत धनराशि 10% जमा नहीं करायी गयी है जब कि उ. प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुहर बंद टेंडर आमंत्रित न किये जाये तथा जिसके साथ समुचित प्राधिकारी द्वारा निश्चित धनराशि के बराबर बयाने के धनराशि न हो बयाने की यह धनराशि या तो सरकारी प्रतिभूतियों में दी जाएगी या कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में कोषागार चालान द्वारा नगद जमा की जाएगी या डाकघर बचत बैंक में जमा की जाएगी. यदि ऐसी धनराशि डाकघर में जमा की जाए तो पासबुक खंड विकास अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखी जाएगी साथ ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23 के अनुसार कुल 10% धनराशि प्रतिभूति / जमानत के रूप में जमा किया जाएगा यदि कोई टेंडर स्वीकार किया जाए तो ठेकेदार द्वारा ठेके की धनराशि के 5% के बराबर धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा शेष 5% धनराशि ठेकेदार के चालू बिल से काटी जाएगी इसके बगैर

ठेका न वैध होगा और न ही तब तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा जब तक कि अपेक्षित प्रतिभूति जमा कर ठेके के विलेख पर ठेकेदार के द्वारा और खंड विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाए. सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में इस प्रक्रिया पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है. स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है | जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री अमरेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(iii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पुरेराऊ से पुरे चौहान तक खंडजा निर्माण कार्य (खुरहटी) एम - 275 सीधा खंजड ईट (130000दर5.248) क्रय हेतु श्याम ब्रिक फील्ड को रु 682240.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय में जमानत धनराशि रु 68224.00 जमा नहीं करायी गयी है और न ही बिलों से कटौती की गयी है जब कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23के अनुसार कुल 10% धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा यदि कोई टेंडर स्वीकार किया जाए तो ठेकेदार द्वारा ठेके की धनराशि के 5 % के बराबर धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा शेष 5 % धनराशि ठेकेदार के चालू बिल से काटी जाएगी इसके बगैर ठेका न वैध होगा और न ही तब तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा जब तक कि अपेक्षित प्रतिभूति जमा कर ठेके के विलेख पर ठेकेदार के द्वारा और खंड विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाए. सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में इस प्रक्रिया पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है . स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है | जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी लेखाकार श्री तथा अमरेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(iv) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सुल्तानपुर आइमा में पेंटिंग रोड से कृष्ण कुमार पाण्डेय के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण में जी. एस. बी. एवं जिग जैग ईट क्रय हेतु न्यू मैहर इंटर प्राइजेज को रु 460926.00 का भुगतान किया गया है तथा सीमेंट प ट फाइन सैंड कोर्ससैंड आदि क्रय हेतु मैहर इंटर प्राइजेज को रु 108214.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -1 एवं शासनादेश संख्या -ए-1-864- दस/08 - 15 (1) 86 दिनांक 23-9- 2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी0) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में इस प्रक्रिया पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री अमरेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(v) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि चकवल्लीहार पक्की सड़क से भानू प्रताप सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (एकौना) में जी. एस. बी. क्रय हेतु शिव इंटर प्राइजेज को वाउचर क्रमांक 157/16.02.21 द्वारा रु 176617.00 का तथा रामआसरे के घर 'नहर तक इंटरलॉकिंग कार्य (बालेपुर) में सीमेंट फाइन सैंड कोर्ससैंड आदि क्रय हेतु शिव इंटर प्राइजेज को वाउचर क्रमांक 155/18.02.21 द्वारा रु 58869.00 का भुगतान किया गया है किन्तु प्रस्तुत वाउचर पर क्रम संख्या हस्तलिखित है तथा दोनों वाउचर के क्रमांक में व्यतिक्रम है अर्थात दिनांक के अनुसार क्रम संख्या बढ़ते क्रम में होनी चाहिए न कि घटते क्रम में | स्पष्ट है कि उक्त प्रमाणक फर्जी है तथा उक्त के सापेक्ष किया गये कुल भुगतान

रु 235486.00 गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथकांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(vi) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि चकवल्लीहार पक्की सड़क से भानू प्रताप सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (एकौना) में जिग जैग ईट क्रय हेतु न्यू मैहर इंटर प्राइजेज को वाउचर क्रमांक घर तक इंटरलॉकिंग कार्य 88/10.02.21 द्वारा रु 519588.00 का तथा रामगंज मेन रोड से कोटेदार (मोहगवां) में जिग जैग ईट क्रय हेतु न्यू मैहर इंटर प्राइजेज को वाउचर क्रमांक 89/08.02.21 द्वारा रु 280736.00 का भुगतान किया गया है किन्तु प्रस्तुत वाउचर पर क्रम संख्या हस्तलिखित है तथा दोनों वाउचर के क्रमांक में व्यतिक्रम है अर्थात् दिनांक के अनुसार क्रम संख्या बढ़ते क्रम में होनी चाहिए न कि घटते क्रम में। स्पष्ट है कि उक्त प्रमाणक फर्जी है तथा उक्त के सापेक्ष किया गये कुल भुगतान रु 800324.00 में गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथकांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(vii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि रामगंज मेन रोड से कोटेदार के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (मोहगवां) में सीमेंट फाइन सैंड कोर्ससैंड आदि क्रय हेतु शौर्य इंटर प्राइजेज को रु 188388.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -1 एवं शासनादेश संख्या - ए-1-864-दस / 08-15 (1) 86 दिनांक 23-9-2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016 / 253/18-2-2016-3 (एस पी0) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(viii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि विशम्भरनाथ के घर से राम प्रवेश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (बेलाभेला) में सीमेंट फाइन सैंड कोर्ससैंड लोकल सैंड स्टोन ग्रेट आदि क्रय हेतु शिवम इंटर प्राइजेज को रु 121376.00 का भुगतान किया गया है एवं एम-150 ईट तथा ईट गिट्टी क्रय हेतु मंगलम ब्रिक को रु 128850.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड - 1 एवं शासनादेश संख्या - ए - 1- 864- दस / 08-15 (1) 86 दिनांक 23-9-2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016 - 3 (एस पी0) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ix) क्षेत्र पंचायत ने उपरोक्त कार्यों को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(x) उक्त कृत कार्यों के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जबकि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान

रखते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके । विभागीय अधिकारियों का ध्यान फोटोग्राफ की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(xi) लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए उक्त निर्माण कार्यों में खनिजों एवं उप खनिजों का उपयोग किया गया है परंतु संबंधित कार्यों की पत्रावली में रॉयल्टी जमा करने की पुष्टि में न तो एम.एम. 11 और न ही रॉयल्टी जमा प्रमाण स्वरूप चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है । जबकि शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एम.एम. 11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016- 292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एम.एम. 11 फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 39/2020/990/86-2020-52(सा)/2019टी सी दिनांक 23 जून 2020 द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रयुक्त उपखनिजों पर देय रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था / विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का भुगतान किया जाये यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-13 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में केंद्रीय वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं जिसमें निम्न आपतियां हैं-

क्रम सं०	कार्य का नाम	लागत धनराशि
1	राकेश तिवारी के घर से चन्द्रिका प्रसाद के घर तक नाली निर्माण (बेहटा खुर्द)	233408.00
2	हनुमानगंज बाजार में नाली निर्माण (अयासपुरडीही)	175403.00
3	सुरेश पासी के घर से राममनी के घर तक नाली निर्माण कासिमपुर बघेल में (प्रेमराजपुर)	336952.00
4	मानपुर सहावा से वीरेंद्र के घर से तालाब तक नाली निर्माण (चकलोदीपुर)	95582.00
5	गदियानी नहर से श्री कृष्ण के घर तक नाली निर्माण (झकरासी)	184459.00
6	रामशंकर गौड़ के घर से औघड़ भगवान के मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य (दरियापुर)	450976.00
7	श्री राम के दरवाजे से सुरेश नाई के घर तक खडंजा निर्माण कार्य (तालागोपालपुर)	664580.00
8	दिनेश यादव के खेत के पास से चौराहे गाँव तक खडंजा निर्माण कार्य (जरियारी)	503288.00
9	नथुवापुर में अनोखे के घर से रतिलाल के कुँआ तक इंटरलॉकिंग कार्य (चकरार)	497085.00
10	राधे सेठ के घर से प्राथमिक विद्यालय तक खडंजा मरम्मत (बेलाखारा)	586858.00
11	रामदास के घर से दीपक यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (कलंदरपुर)	538608.00
12	चकसिरिहा से कचौंदामुहीददीनपुर बॉर्डर तक खडंजा निर्माण कार्य (कनौली)	640082.00

13	शिवमंदिर से औसान मौर्या के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (सनही)	474289.00
	योग	5381570.00

(i) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की सड़कों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्मित / मरम्मत की गयी सड़कें दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें थीं एवं क्षेत्र पंचायत को उनका निर्माण / मरम्मत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों में दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 व जून 2014 दिशा निर्देश जारी किए गए। ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना था दो या दो से ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य क्षेत्र पंचायतों के द्वारा कराया जाना था परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कार्य न कराकर एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में उक्त समस्त कार्य कराये गए हैं। जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग से संबन्धित शासनादेश संख्या 1839 / 33.03.2015 / 03 / 2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा। स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन कर एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादन वाले कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गए हैं जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ii) आलोच्य वर्ष में पाया गया कि राकेश तिवारी के घर से चन्द्रिका प्रसाद के घर तक नाली निर्माण (बेहट्टाखुर्द) कार्य में माप पुस्तिका के अनुसार सामग्री हेतु रु 233408.00 तथा मजदूरी हेतु रु 73806.00 आकलित की गयी है किन्तु वर्ष दौरान मजदूरी हेतु भुगतान नहीं किया गया और न ही लेखा परीक्षा में उक्त मजदूरी का मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त निर्माण कार्य कब प्रारंभ एवं समाप्त किया गया। अतः उक्त कार्य में सामग्री हेतु किये गए सम्पूर्ण भुगतान में गंभीर अनियमितता कि गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथकांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(iii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सुरेश पासी के घर से राममनी के घर तक नाली निर्माण कासिमपुर बघेल में (प्रेमराजपुर) में सीमेंट फाइन सैंड कोर्ससैंड आदि क्रय हेतु डी. के. कंस्ट्रक्शन को रु 203534.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -1 एवं शासनादेश संख्या - ए-1-864-दस / 08-15(1)86 दिनांक 23-9-2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स)2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी0) 2010 दिनांक 1 अप्रैल के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(iv) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि हनुमानगंज बाजार में नाली निर्माण (अयासपुरडीही) में सीमेंट फाइन सैंड कोर्ससैंड आदि क्रय हेतु शौर्य इंटर प्राइजेज को वाउचर क्रमांक 205 / 10.02.21 द्वारा रु 61670.00 का तथा मानपुर सहावा से वीरेंद के घर से तालाब तक नाली निर्माण (चकलोदीपुर) में सीमेंट फाइन सैंड कोर्ससैंड आदि क्रय हेतु शौर्य

इंटर प्राइजेज को वाउचर क्रमांक 206/08.02.21 द्वारा रु 41427.00 का भुगतान किया गया है किन्तु प्रस्तुत वाउचर के क्रमांक में व्यतिक्रम है अर्थात दिनांक के अनुसार क्रम संख्या बढ़ते क्रम में होनी चाहिए न कि घटते क्रम में । स्पष्ट है कि उक्त प्रमाणक फर्जी है तथा उक्त के सापेक्ष किया गये कुल भुगतान रु 103097.00 में गंभीर अनियमितता की गयी है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथकांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(v) आलोच्य वर्ष में पाया गया कि गदियानी नहर से श्री कृष्ण के घर तक नाली निर्माण (झकरासी) कार्य में माप पुस्तिका के अनुसार सामग्री हेतु रु0 184459.00 तथा मजदूरी हेतु रु 63612.00(50दर420+212दर201) आकलित की गयी है किन्तु वर्ष दौरान मजदूरी हेतु भुगतान नहीं किया गया और न ही लेखा परीक्षा में उक्त मजदूरी का मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त निर्माण कार्य कब प्रारंभ एवं समाप्त किया गया । अतः उक्त कार्य में सामग्री हेतु किये गए सम्पूर्ण भुगतान गंभीर अनियमितता की गयी है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथकांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(vi) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि चकवल्लीहार पक्की सड़क से भानू प्रताप सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य (एकौना) में जी. एस. बी. क्रय हेतु शिव इंटर प्राइजेज को वाउचर क्रमांक 157/16.02.21 द्वारा भुगतान किया गया है जबकि शिवमंदिर से औसान मौर्या के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (सनही) में सीमेंटफाइन सैंड कोर्ससैंड आदि क्रय हेतु शिव इंटर प्राइजेज को वाउचर क्रमांक 152/18.02.21 द्वारा रु 113444.00 का भुगतान किया गया है किन्तु प्रस्तुत वाउचर पर क्रम संख्या हस्तलिखित है तथा दोनों वाउचर के क्रमांक में व्यतिक्रम है अर्थात दिनांक के अनुसार क्रम संख्या बढ़ते क्रम में होनी चाहिए न कि घटते क्रम में । स्पष्ट है कि उक्त प्रमाणक फर्जी है तथा उक्त के सापेक्ष किया गये कुल भुगतान रु 113444.00 में गंभीर अनियमितता की गयी है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथकांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(vii) शासन के गाइडलाइन के अनुसार अनुमोदित कार्ययोजना खाते में उपलब्ध धनराशि के अनुसार कार्यों के अनुमानित लागत के अनुरूप कार्य को शुरू किया जाना सुनिश्चित किया जाना निर्धारित किया गया है लेकिन विकासखंड राही में केंद्रीय वित्त के अंतर्गत टाइड एवं अनटाइड मद में कराये गए उक्त कार्यों की कुल मजदूरी रु 835884.00 का भुगतान केंद्रीय वित्त के खाते से न करके राज्य वित्त के खाते से किया गया है । तात्कालिक संस्था सचिव एवं लेखाकार के द्वारा मनमाने ढंग से राज्य वित्त के मद से केंद्रीय वित्त आयोग के मद का भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं ।

(viii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि हनुमानगंज बाज़ार में नाली निर्माण (अयासपुरडीही) कार्य में प्राक्कलित धनराशि रु 334793.92 के सापेक्ष माप पुस्तिका के अनुसार रु 175403.00 व्यय किया गया अर्थात 10% से अधिक का अंतर प्राक्कलित धनराशि एवं वास्तविक व्यय धनराशि के मध्य किया गया है। जिससे स्पष्ट कि उक्त कार्य का प्राक्कलन कार्य स्थल पर नहीं किया गया अथवा कार्य की गुणवत्ता में कमी की गयी है इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ix) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि राकेश तिवारी के घर से चन्द्रिका प्रसाद के घर तक नाली निर्माण (बेहटाखुर्द) कार्य में प्राक्कलित धनराशि रु 519907.24 के सापेक्ष माप पुस्तिका के अनुसार रु 307214.00 व्यय किया गया अर्थात 10% से अधिक का अंतर प्राक्कलित धनराशि एवं वास्तविक व्यय धनराशि के मध्य किया गया है जिससे

स्पष्ट है कि उक्त कार्य का प्राक्कलन कार्य स्थल पर नहीं किया गया अथवा कार्य की गुणवत्ता में कमी की गयी है इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(x) क्षेत्र पंचायत ने उपरोक्त कार्यों को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) नहीं 'संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(xi) उक्त कृत कार्यों के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जबकि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत की पुष्टि की जा सके । विभागीय अधिकारियों का ध्यान फोटोग्राफ की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(xii) लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए उक्त अधिकांश निर्माण कार्यों में खनिजों एवं उप खनिजों का उपयोग किया गया है परंतु संबंधित कार्यों की पत्रावली में रॉयल्टी जमा करने की पुष्टि में न तो एम.एम. 11 और न ही रॉयल्टी जमा प्रमाण स्वरूप चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है । जबकि शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह निश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एम0एम0 11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016- 292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एम0एम0 11 फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 39/2020/990/86-2020-52(सा)/2019टी सी दिनांक 23 जून 2020 द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रयुक्त उपखनिजों पर देय रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था / विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का भुगतान किया जाये यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-14 क्षेत्र पंचायत-राही

विकास खण्ड-राही

आलोच्य वर्ष में धोबिन घाट बकवारा में पुलिया निर्माण दिनांक 06.02.21 से 22.02.21 तक कराया जाना दर्शित है जिसमें निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

(i) उक्त कार्य में ह्यूमपाइप 900एम एम (45दर8643) क्रय हेतु मेसर्स क्लासिक इंटर प्राइजेज को रु 388935.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय प्रक्रिया में निविदा के दौरान धरोहर राशि तथा कार्य प्रारंभ होने से पूर्व स्वीकृत फ़र्म से जमानत धनराशि 10% जमा नहीं करायी गयी है जब कि उ. प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुहर बंद टेंडर आमंत्रित न किये जाये तथा जिसके साथ समुचित प्राधिकारी द्वारा निश्चित धनराशि के बराबर बयाने के धनराशि न हो बयाने की यह धनराशि या तो सरकारी प्रतिभूतियों में दी जाएगी या कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में कोषागार चालान द्वारा नगद जमा की जाएगी या डाकघर बचत बैंक में जमा की जाएगी. यदि ऐसी धनराशि डाकघर में जमा की जाए तो पासबुक खंड विकास अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखी जाएगी साथ ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23 के अनुसार कुल 10% धनराशि प्रतिभूति / जमानत के रूप में जमा किया जाएगा यदि कोई टेंडर स्वीकार किया जाए तो ठेकेदार द्वारा ठेके की धनराशि के 5% के बराबर धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा शेष 5% धनराशि ठेकेदार चालू बिल से काटी जाएगी इसके बगैर ठेका न वैध होगा और न ही तब तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा जब तक कि अपेक्षित

प्रतिभूति जमा कर ठेके के विलेख पर ठेकेदार के द्वारा और खंड विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाए। सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में इस प्रक्रिया पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं ।

(ii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में ईट एम-150 एवं ईट गिट्टी क्रय हेतु पूजा ब्रिक फील्ड को रु 113994.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -1 एवं शासनादेश संख्या - ए-1-864-दस/08-15 (1) 86 दिनांक 23-9-2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी0) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों दिया गया है । स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता गई है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं ।

(iii) क्षेत्र पंचायत ने उपरोक्त कार्यों को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र (कार्यपूति प्रमाण पत्र) नहीं संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(iv) उक्त कृत कार्य के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जबकि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके । विभागीय अधिकारियों का ध्यान फोटोग्राफ की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(v) लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए उक्त अधिकांश निर्माण कार्यों में खनिजों एवं उप खनिजों का उपयोग किया गया है परंतु संबंधित कार्यों की पत्रावली में रॉयल्टी जमा करने की पुष्टि में न तो एम एम 11 और न ही रॉयल्टी जमा प्रमाण स्वरूप चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है । जबकि शासनादेश संख्या 3385 / 86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एम0एम0 11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016- 292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एम0एम0 11 फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 39/2020/990/86-2020-52(सा)/2019टी सी दिनांक 23 जून 2020 द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रयुक्त उपखनिज पर देय रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था / विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का भुगतान किया जाये यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-15 क्षेत्र पंचायत-राही

विकास खण्ड-राही

आलोच्य वर्ष में रायपुर महेरी में पुलिया निर्माण दिनांक (हेतु जल निकासी) 08.02.21 से 23.02.21 तक कराया जाना दर्शित है जिसमें निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—

(i) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में सीमेंट फाइन सैंड कोर्ससैंड एवं ह्यूमपाइप आदि क्रय हेतु कान्हा इंटर प्राइजेज को रु 111070.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -1 एवं शासनादेश संख्या - ए-1-864-दस / 08- 15(1)86दिनांक 23-9-2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी0)2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ii) क्षेत्र पंचायत ने उपरोक्त कार्यों को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र (कार्यपूति प्रमाण पत्र) नहीं संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(iii) उक्त कृत कार्य के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे . जबकि राज्य वित्त आयोग के 'निर्देशानुसार कार्य के पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके । विभागीय अधिकारियों का ध्यान फोटोग्राफ की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(iv) लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए उक्त निर्माण कार्यों में खनिजों एवं उप खनिजों का उपयोग किया गया है परंतु संबंधित कार्यों की पत्रावली में रॉयल्टी जमा करने की पुष्टि में न तो एम एम 11 और न ही रॉयल्टी जमा प्रमाण स्वरूप चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है । जबकि शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण 'कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और तक्रम अनुवर्ती शासनादेश में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एम.एम. 11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016- 292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एम.एम. 11 फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 39/2020/990/86-2020-52(सा)/2019टी सी दिनांक 23 जून 2020 द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रयुक्त उपखनिज पर देय रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था / विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का भुगतान किया जाये यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-16 क्षेत्र पंचायत-राही

विकास खण्ड-राही

रामलखन साहू के घर से नाला तक नाली निर्माण (रतनसीपुर) कार्य दिनांक 09.02.21 से 11.03.21तक कराया जाना दर्शित है जिसमें व्यय धनराशि रु 690285.00 है मैं निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं---

(i) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की सड़कों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्मित / मरम्मत की गयी सड़कें दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें थीं एवं क्षेत्र पंचायत को उनका निर्माण / मरम्मत त्रिस्तरीय पंचायती

राज संस्थाओं द्वारा कार्यों में दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 व जून 2014 में दिशा निर्देश जारी किए गए। ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना था दो या दो से ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य क्षेत्र पंचायतों के द्वारा कराया जाना था परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कार्य कराकर एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में उक्त कार्य कराये गए हैं। जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग से संबन्धित शासनादेश संख्या 1839 / 33.03.2015 / 03 / 2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा। स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन कर एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादन वाले कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गए हैं जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में फाइन सैंड कोर्ससैंड स्टोन ग्रेट एम एस आयरन एवं ब्रिक ब्लास्ट आदि क्रय हेतु मेसर्स मौर्या ट्रेडर्स को रु 161641.00 का भुगतान किया गया है। किन्तु उक्त क्रय में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -1 एवं शासनादेश संख्या - ए-1-864-दस / 08-15 (1) 86 दिनांक 23-9-2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी0) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं।

(iii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में एम-150 ईट क्रय हेतु पूजा ब्रिक फील्ड को रु 259875.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। क्योंकि उ.प्र.क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुहर बंद टेंडर आमंत्रित न किये थे तथा जिसके साथ समुचित प्राधिकारी द्वारा निश्चित धनराशि के बराबर बयाने के धनराशि न हो बयाने की यह धनराशि या तो सरकारी प्रतिभूतियों में दी जाएगी या कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में कोषागार चालान द्वारा नगद जमा की जाएगी या डाकघर बचत बैंक में जमा की जाएगी यदि ऐसी धनराशि डाकघर में जमा की जाए तो पासबुक खंड विकास अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखी जाएगी ऐसा सुनिश्चित किया जाना है। उक्त क्रय में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं।

(iv) लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्य में प्राक्कलित धनराशि रु 997308.09 के सापेक्ष माप पुस्तिका के अनुसार रु 690286.00 व्यय किया गया अर्थात 10% से अधिक का अंतर प्राक्कलित धनराशि एवं वास्तविक व्यय धनराशि के मध्य किया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य का प्राक्कलन कार्य स्थल पर नहीं किया गया अथवा कार्य की गुणवत्ता में कमी की गयी है इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(v) क्षेत्र पंचायत ने उपरोक्त कार्यों को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) नहीं संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।"

(vi) उक्त कृत कार्य के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जबकि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान

रखते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके। विभागीय अधिकारियों का ध्यान फोटोग्राफ की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(vii) लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए उक्त निर्माण कार्यों में खनिजों एवं उप खनिजों का उपयोग किया गया है परंतु संबंधित कार्यों की पत्रावली में रॉयल्टी जमा करने की पुष्टि में न तो एम.एम. 11 और न ही रॉयल्टी जमा प्रमाण स्वरूप चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई हैं। जबकि शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एम.एम. 11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016- 292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एम.एम. 11 फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 39/2020/990/86-2020-52(सा)/2019टी सी दिनांक 23 जून 2020 द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रयुक्त उपखनिजों पर देय रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था / विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का भुगतान किया जाये यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (सा०आ० सं०-16)

प्रस्तर-17 क्षेत्र पंचायत-राही

विकास खण्ड-राही

. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय की मरम्मत कार्य दिनांक 07.02.21 से 27.02.21 तक कराया जाना दर्शित है जिसमें निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं.

(i) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में चित्रवेशा इलेक्ट्रिकल्स के प्रमाणक संख्या 37/38 दिनांक 02.03.21 के द्वारा इलेक्ट्रिक सामग्री क्रय हेतु रु 210145.00 एवं प्रमाणक संख्या 36 / दिनांक 02.03.21 के द्वारा सीमेंट फाइन सैंड लोकल सैंड एवं ब्रिक ब्लास्ट आदि क्रय हेतु रु 182460.00 कुल रु 392605.00 में से 292605.00 का भुगतान राज्य वित्त के खाता संख्या 0917000102056863 से किया गया अवशेष धनराशि रु 100000.00 का भुगतान राज्य वित्त के उक्त खाते से न होने की दशा में तत्कालीन लेखाकार श्री अमरेन्द्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवशेष धनराशि रु 100000.00 का भुगतान कार्यालय उपायुक्त (स्वतः रोजगार) रायबरेली द्वारा दिनांक 17.12.2020 को . खाता संख्या 6127000100042669 (पी. एन. बी.) में हस्तांतरित किया जा चुका है। स्पष्ट है कि जब कार्य का प्रारंभ दिनांक 07.02.21 को किया गया तो पूर्व में किये गए भुगतान का कोई भी औचित्य नहीं पाया गया एवं उक्त अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म (चित्रवेशा इलेक्ट्रिकल्स) के खाते में हस्तांतरित की गई अथवा अन्यत्र का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्था सचिव ब्लाक प्रमुख एवं तत्कालीन लेखाकार द्वारा कूटकरण कर कपटपूर्ण मंशा से उक्त अवशेष धनराशि रु 100000.00 का अपहरण /गबन कर लिया गया जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथकांतब्लॉक से रु 33333.33 प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी से रु 33333.33 तथा लेखाकार श्री अमरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(ii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में चित्रवेशा इलेक्ट्रिकल्स के प्रमाणक संख्या 37/38 दिनांक 02.03.21 के द्वारा इलेक्ट्रिक सामग्री क्रय हेतु रु 210145.00 एवं प्रमाणक संख्या 36 / दिनांक 02.03.21 के द्वारा सीमेंट फाइन सैंड लोकल सैंड एवं ब्रिक ब्लास्ट आदि क्रय हेतु रु 182460.00 392605.00 में से 292605.00 का भुगतान राज्य वित्त के खाता संख्या 0917000102056863 से किया गया किन्तु उक्त क्रय में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया

गया है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड – 1 एवं शासनादेश संख्या - ए-1-864- दस / 08-15 (1) 86 दिनांक 23-9-2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी0)2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी है उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(iii) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में चित्रवेशा इलेक्ट्रिक फ़र्म से इलेक्ट्रिक सामग्री के अतिरिक्त सीमेंट फाइन सैंड लोकल सैंड एवं ब्रिक ब्लास्ट आदि क्रय किया जाना क्रय प्रक्रिया को भी संदिग्ध बनाता है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(iv) क्षेत्र पंचायत ने उपरोक्त कार्यों को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र (कार्यपूति प्रमाण पत्र) नहीं संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(v) उक्त कृत कार्य के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जबकि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके। विभागीय अधिकारियों का ध्यान फोटोग्राफ की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(vi) लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए उक्त निर्माण कार्यों में खनिजों एवं उप खनिजों का उपयोग किया गया है परंतु संबंधित कार्यों की पत्रावली में रॉयल्टी जमा करने की पुष्टि में न तो एम एम 11 और न ही रॉयल्टी जमा प्रमाण स्वरूप चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है। जबकि शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और तत्काल अनुवर्ती शासनादेश में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एम.एम. 11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016- 292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एम.एम. 11 फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 39/2020/990/86-2020-52(सा) / 2019टी सी दिनांक 23 जून 2020 द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रयुक्त उपखनिजों पर देय रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था / विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का भुगतान किया जाये यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (सा०आ०सं०-17)

प्रस्तर-18 क्षेत्र पंचायत-राही

विकास खण्ड-राही

ब्लाक प्रमुख कक्ष की छत मरम्मत पुताई एवं पीने की व्यवस्था कार्य इंटरलॉकिंग दिनांक 02.01.21 से 25.01.21 तक कराया जाना दर्शित है जिसमें निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं ---

(i) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में जिग जैग ईट क्रय हेतु श्याम इंटर प्राइजेज को रु 270972.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -1 एवं शासनादेश संख्या - ए-1-864- दस / 08-15 (1) 86 दिनांक 23-9-2008 के अनुसार सामग्री क्रय के लिए

कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016 - 3 (एस पी0) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री रामफेर रावत उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(ii) क्षेत्र पंचायत ने उपरोक्त कार्यों को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) नहीं संलग्न है। कार्य के दोहराव की संभावना है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।"

(iii) उक्त कृत कार्य के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जबकि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके। विभागीय अधिकारियों का ध्यान फोटोग्राफ की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया जाता है। (सा० आ० सं०- 18)

प्रस्तर-19 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ब्लॉक परिसर में जे.सी.बी. से कूड़ा हटाने हेतु रु 6000.00 का भुगतान ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार द्वारा माँ संतोषी ट्रेडर्स को दिया जाना ग्रांट रजिस्टर -2 में दिनांक 06.08.2020 को दर्शित है किन्तु उक्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक एवं पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वयं दावेदार का बिल होगा अथवा जहां इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो। स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक के अभाव किया भुगतान रु 6000.00 लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका व संस्था द्वारा किए गए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा लेखाकार श्री अमरेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं जिसरी वसूली रु 2000.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत से रु 2000.00 ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी से तथा रु 2000.00 लेखाकार श्री अमरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है (सा० आ० सं०-19)

प्रस्तर-20 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं जिसमें निम्न आपत्तियां हैं -

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि	टिप्पणी
1-	भदोखर पशु चिकित्सालय	475596.00	पत्रावलियां अप्राप्त
2-	जमालपुर में हनुमान मंदिर तक खंडजा निर्माण में	286666.00	पत्रावलियां अप्राप्त
3-	भदोखर के खानपुर में नाली निर्माण	236278.00	पत्रावलियां अप्राप्त
4-	मनरेगा कंटीजेंसी	2663121.00	पत्रावलियां अप्राप्त
5-	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	584745.00	पत्रावलियां अप्राप्त
	योग	4246406.00	

क्षेत्र पंचायत की 2020-21 की लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय धनराशि रु 4246406.00 के व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख प्रमाणक / बिल वाउचर एवं पत्रावली बार बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। क्षेत्र पंचायत

तथाजिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जो या तो स्वयं दावेदार का बिल होगा अथवा जहां इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो । लेकिन उक्त नियम का उलंघन हुआ है। इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल बाउचर के कुल रुपये 4246406.00का अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कांत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा तत्कालीन लेखाकार श्री रामफेर रावत एवं मनरेगा कंटीजेंसी हेतु श्री राकेश कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी हैं । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(ii) उक्त कृत निर्माण कार्य के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जबकि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके । विभागीय अधिकारियों का ध्यान फोटोग्राफ की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया जाता है। (सा०आ०सं०-20)

प्रारूप =03

क्षेत्र पंचायत – मछरेहटा

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-01—क्षेत्र पंचायत मछरेहटा की लेखा परीक्षा में फण्ड रजिस्टर-2 के अनुसार आलोक्य वर्षों में विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष विभिन्न मदों/योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में वर्षवार निम्न विवरणानुसार व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है

वर्ष	योजना/मद	क्र०सं०	कार्य का नाम एवं विवरण	धनराशि
2011-12	राज्य वित्त एवं 14वाँ वित्त आयोग	1	डामर रोड से संत सावित्री देवी इण्टर कालेज गायबाद तक सी०सी० रोड	322000.00

क्र०सं०	मद	कार्य का विवरण	फर्म का नाम	धनराशि	4% वैट
1-	तृतीय वित्त	डामर रोड से मुन्ना सिंह के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	जनता ब्रिक फील्ड सिंह ट्रेडर्स	147030.00 303010.00	5881.40 12120.40
2-	"	डामर रोड से उमाशंकर के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	सिंह ट्रेडर्स जनता ब्रिक फील्ड	52439.00 4400.00	2097.56 176.00
3-	"	कुदौली में श्रीकान्त के घर से डामर रोड सी०सी० कार्य एवं नाली मरम्मत	जनता ब्रिक फील्ड श्री दुर्गा ट्रेडर्स	428305.00 272723.00	17132.00 10908.92
4-	"	कुदौली में कन्या विद्यालय होते हुए अनिल के मकान तक सी०सी० कार्य	जनता ब्रिक फील्ड श्री दुर्गा ट्रेडर्स	124282.00 503930.00	4971.28 20157.20
5-	"	हरिहरपुर में डामर रोड से जीतू, विनोद, रामनरेश के मकान से होते हुए डामर रोड तक सी०सी० कार्य	जनता ब्रिक फील्ड सिंह ट्रेडर्स	126899.00 303404.00	5075.96 12136.08
6-	"	गोपरामऊ रोड से पुरैनी नहर पुलिया मन्दिर चेताराम के खेत तक खडन्जा निर्माण	पूर्णागिरि ब्रिक फील्ड	143708.00	5748.32
7-	"	कुदौली से हनुमान मन्दिर के पास तालाब मरम्मत कार्य	न्यू कुमार पाइप एजेन्सी, श्रीदुर्गा ट्रेडर्स	39298.00 86024.00	1571.92 3440.96

8-	"	राजेन्द्र के मकान से तालाब तक नाली खुदाई कुदौली	जनता ब्रिक फील्ड सिंह ट्रेडर्स	207145.00 217739.00	8285.80 8709.56
9-	"	कुदौली में सरकारी नल से जंगल तक नाली निर्माण	जनता ब्रिक फील्ड सिंह ट्रेडर्स	243951.00 177944.00	9758.04 7117.76
10-	"	विकास खण्ड सोलर लाईट कार्य	मे० चरनस गोंडा	407660.00	16306.40
11-	"	गोपरामऊ रोड से पुरेना नहर पुलिया तक खडन्जा निर्माण	पूर्णागिरि ब्रिक फील्ड	17532.00	741.28
12-	"	हरिहरपुर में डामर रोड से जीतू, रामनरेश, विनोद के घर तक सी०सी० रोड	सिंह ट्रेडर्स जनता ब्रिक फील्ड	368545.00 115300.00	14741.80 4612.00
13-	"	कुदौली में डामर रोड कन्या जू०हा० होते हुए अनिल के मकान तक सी०सी० कार्य	श्री दुर्गा ट्रेडर्स जनता ब्रिक फील्ड	209514.00 345899.00	8380.56 1383.56
14-	"	कुदौली में हनुमान मन्दिर के पास तीर्थ तालाब का मरम्मत कार्य	न्यू कुमार पाइप एजेन्सी, श्री दुर्गा ट्रेडर्स	1094.00 11342.00	43.76 453.68
15-	"	बजरंग के मकान से बी०आर०जी० एफ० रोड तक सी०सी० रोड कार्य	अमन ब्रिक फील्ड श्रीदुर्गा ट्रेडर्स	129265.00 541275.00	5170.60 21651.00
16-	"	कुदौली में अनिल के मकान से अशोक के घर तक सी०सी० रोड कार्य	जनता ब्रिक फील्ड सचिन ट्रेडर्स	62685.00 303326.00	2507.40 12133.04
17-	"	ग्राम बसुआ में नाली निर्माण कार्य	दुर्गा ट्रेडर्स अमन ब्रिक फील्ड	282128.00 300710.00	11285.12 12028.40
18-	"	रूद्रपुर तालाब से बेतवा तक नाला निर्माण	जनता ब्रिक फील्ड जयमहाकाल कान्स०	510072.00 345828.00	20402.88 13833.12
19-	"	सोलर लाइट स्थापना हेतु	मे० चरनस गोंडा	128000.00	5120.00
		योग –			286084.00

किन्तु समीक्ष्य वर्षों में उपरोक्तानुसार कराये गये कार्य एवं उन पर किये गये व्यय भुगतानों की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ कार्य योजना, अनुमानित व्यय, प्राक्कलन, प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन एवं टेण्डर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, डी०पी०सी०-9 आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त अभिलेख अप्राप्त होने के कारण रु० 320000.00 के व्यय की विधिक पुष्टि नहीं की जा सकी सिजके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार जिम्मेदार है। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्र०सं०-02- क्षेत्र पंचायत **मछरेहटा** की वर्ष **2012-13 से 2013-14** तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु सम्बन्धित फर्मों से सामग्री खरीदी गयी जिस पर 4% वैट की कटौती नहीं की गयी, जबकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कान्ट्रैक्ट के भुगतान की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार से निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से लागू 4%) से मूल्य संवर्धित कर के कटौती की जिम्मेदारी संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी की है।

उपरोक्त नियमों व शासनादेशों की अवहेलना करके सम्बन्धित फर्मों के ठेकेदारों के बिलों से निम्न विवरणानुसार 4% की वैट कटौती न करे गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 4% वैट की कुल धनराशि **रु० 206084.00** की राजकीय क्षति हुई जिसकी वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – लहरपुर

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-03- क्षेत्र पंचायत **लहरपुर** की वर्ष **2011-12 से 2013-14** तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु सम्बन्धित फर्म से सामग्री क्रय की गयी है, जिस पर 4% वैट की कटौती नहीं की गयी जबकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कान्ट्रैक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से लागू 4%) से मूल्य संवर्धित कर की कटौती की जानी है, तथा शासनादेश संख्या-ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30-08-2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी०डी०एस० सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी की है।

उपरोक्त नियमों व शासनादेशों का अतिक्रमण करके सम्बन्धित फर्मों/ठेकेदारों के बिलों से निम्न विवरणानुसार 4% वैट की कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	मद	कार्य का विवरण	फर्म का नाम	धनराशि	4% वैट
1-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में हाई मास्ट लाइट एवं सोडियम लाइट लगवायी कार्य	मे० चरन चौक बाजार गोण्डा को चेक सं० 213697 दिनांक 08-04-2011	1191300.00	47652.00
2-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	विकास खण्ड लहरपुर के परिसर में जलपूर्ति कार्य	मे० साहबदीन ठेकेदार	112042.00	4482.00
3-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	बसन्तीपुर में सूरजकुण्ड मार्ग पर पुलिया निर्माण	1-सावित्री स्पन पाइप उद्योग खैराबाद 2-आफताब ट्रेडर्स लहरपुर 3-महाराजा ब्रिक फील्ड	48194.00 39740.00 64435.00	1928.00 1589.00 2577.00
4-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	अकबरपुर पुल से अंदेशनगर मार्ग पर पुलिया निर्माण	1-आफताब ट्रेडर्स लहरपुर 2-दयाल ब्रिक फील्ड जीतामऊ	128755.00 117502.00	5150.00 4700.00
5-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	बरगदहा पुल से दर्जिनपुरवा मार्ग पर खडन्जा निर्माण	1-महाराज ब्रिक फील्ड लहरपुर 2-इस्लामुद्दीन ईट भट्टा लहरपुर	118244.00 190000.00	4729.00 7600.00

6-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	बर्तलाव के पास पुलिया निर्माण (आर०सी०सी०)	1-आफताब ट्रेडर्स वर्मा मार्केट लहरपुर 2-आदर्श ब्रिक फील्ड गनेशपुर	151806.00 98226.00	6072.00 3929.00
7-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	भदपुर रोड से पावन हाउस तक खडन्जा निर्माण कार्य	महाराज ब्रिक फील्ड लहरपुर	146167.00	5846.00
8-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	हाईमास्ट लाइट हेतु 13 स्टेप्लाइजर क्रय	मे० चरन चौक बाजार गोण्डा	342308.00	13692.00
9-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	रमुआपुर पेन्टेड रोड के कुल्ताजपुर सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा मरम्मत कार्य	सिराजुद्दीन ईट भट्टा गनेशपुर नेवादा	82645.00	3305.00
10-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	नयागाँव कौसर रोड से शाहाबाद मार्ग पर खडन्जा मरम्मत कार्य	सिराजुद्दीन ईट भट्टा गनेशपुर नेवादा	249872.00	9994.00
11-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	सीतापुर लहरपुर रोड से बाकरगंज मार्ग पर सोलिंग कार्य	आदर्श ब्रिक फील्ड गनेशपुर	167328.00	6693.00
12-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	ढखेरा ग्राम पंचायत ठेकेदार टाण्डा गाँव में सी०सी० रोड निर्माण	1-सर्वेश कुमार वर्मा लालपुर बाजार लहरपुर 2-गोविन्दा ब्रिक फील्ड अकबरपुर सीतापुर	238351.00 88377.00	9534.00 3535.00
13-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	ढखेरा पेन्टेड रोड से प्रेमनाथ के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण	1-मे० भार्गव कान्सट्रक्शन नवीनगर 2-मुनीर अहमद ईट भट्टा नवीनगर 3- मे० भार्गव कान्सट्रक्शन नवीनगर 4- मुनीर अहमद ईट भट्टा नवीनगर 5- मे० भार्गव कान्सट्रक्शन नवीनगर	84863.00 118545.00 410815.00 23424.00 50654.00	3394.00 4741.00 16432.00 936.00 2026.00
14-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	गुलरीपुरवा में सचिवालय से जू०हा० स्कूल तक नाली निर्माण	1- मुनीर अहमद ईट भट्टा नवीनगर 2- मे० भार्गव कान्सट्रक्शन नवीनगर	110212.00 91741.00	4408.00 3669.00
15-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	ग्राम बहबूदपुर के भुलभुलिया में पुलिया निर्माण कार्य	1-मे० यूनिटी ब्रिक फील्ड 2-मे० यूनिटी ब्रिक फील्ड जीतामऊ	93605.00 37352.00	3744.00 1494.00

16-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	मन्नापुरवा में रामविलास के मकान से चन्दा के मकान तक नाली निर्माण व खडन्जा निर्माण	1-मे० भारत ब्रिक फील्ड अकबरपुर 2-गोविन्दा ब्रिक फील्ड अकबरपुर	154799.00 164331.00	6191.00 6573.00
17-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	मन्नापुरवा से कटेहरी बाग सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण	1-कटियार बिल्डिंग मैटेरियल नवीनगर 2-गोविन्दा ब्रिक फील्ड अकबरपुर	89247.00 99514.00	3569.00 3980.00
18-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	सुल्तानपुर शाहपुर में बन्धा निर्माण	आफताब ट्रेडर्स वर्मा मार्केट लहरपुर	103769.00	4150.00
		योग -			208314.00

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि 4% वेट की कुल धनराशि रू० 208314.00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुई जिसकी अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव कुमार पाण्डेय, श्री उमाकान्त त्रिपाठी, श्री जगदीश प्रसाद (प्रभारी), श्री लालाराम गुप्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	मद	कार्य का विवरण	फर्म का नाम	धनराशि	2.24% आयकर
1-	दशम वित्त/ राज्य वित्त	विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में हाईमास्ट लाइट एवं सोडियम लाइट लगवायी कार्य	मे० चरन चौक बाजार गोण्डा का चेक संख्या 213697 दिनांक 08-04-2011	1191300.00	26685.00
2-	12वें वित्त/ राज्य वित्त	विकास खण्ड लहरपुर के परिसर में जलापूर्ति कार्य	मे० साहबदीन ठेकेदार	112042.00	2510.00
3-	12वें वित्त/ राज्य वित्त	बसन्तीपुर में सूरजकुण्ड मार्ग पर पुलिया निर्माण	1-सावित्री स्पन पाइप उद्योग खैराबाद 2-आफताब ट्रेडर्स लहरपुर 3-महाराजा ब्रिक फील्ड	48194.00 39740.00 64435.00	1080.00 890.00 1443.00
4-	12वें वित्त/ राज्य वित्त	अकबरपुर पुल से अन्देशनगर मार्ग पर निर्माण	1-आफताब ट्रेडर्स लहरपुर 2-दयाल ब्रिक फील्ड जीतामऊ	128755.00 117502.00	2884.00 2632.00

5-	12वें वित्त/राज्य वित्त	बरगदहा पुल से दर्जिनपुरवा मार्ग पर खडन्जा निर्माण	1-महाराजा ब्रिक फील्ड लहरपुर 2-इस्लामुद्दीन ईट भट्टा लहरपुर	118244.00 190000.00	2648.00 4256.00
6-	12वें वित्त/राज्य वित्त	वर्तलाव के पास पुलिया निर्माण कार्य (आर०सी०सी०)	1-आफताब ट्रेडर्स वर्मा मार्केट लहरपुर 2-आदर्श ब्रिक फील्ड गनेशपुर	151806.00 98255.00	3400.00 2200.00
7-	12वें वित्त/राज्य वित्त	भदपुर रोड से पावर हाउस तक खडन्जा निर्माण कार्य	महाराजा ब्रिक फील्ड लहरपुर	146167.00	3274.00
8-	12वें वित्त/राज्य वित्त	हाईमास्ट लाइट हेतु 13 स्टेप्लाइजर क्रय	मे० चरन चौक बाजार गोण्डा	342308.00	7667.00
9-	12वें वित्त/राज्य वित्त	रमुआपुर पेन्टेड रोड से कुल्ताजपुर सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा मरम्मत कार्य	सिराजुद्दीन ईट भट्टा गनेशपुर नेवादा	82645.00	1851.00
10-	12वें वित्त/राज्य वित्त	नयागाँव कौसर रोड से शाहाबाद मार्ग पर खडन्जा मरम्मत कार्य	सिराजुद्दीन ईट भट्टा गनेशपुर नेवादा	249872.00	5597.00
		योग -			69017.00

प्र०सं०-04- क्षेत्र पंचायत लहरपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक अनुदानों से सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति के बिलों पर 2.24% की दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी। जो कि गम्भीर अनियमितता का द्योतक है।

आयकर अधिनियम 1961(यथा संशोधित) की धारा-194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्राविधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि को लेखा शीर्ष-21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है -

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि संस्था के अधिकारियों ने शासनादेश का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से आयकर की धनराशि ₹ 69017.00 की कटौती नहीं की जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद (प्रभारी), श्री लालाराम गुप्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्र०सं०-05- क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा निर्माण कार्य में भराई आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी क्रय की गयी है परन्तु रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी है जिसके कारण संस्था को राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।

उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा-संशोधित 39वाँ संशोधन) के नियम-21 के अनुसार और शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर के अनुसार निर्माण कार्य में उपयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञा पत्र खनन एम एम 11 एवं रॉयल्टी का देय सुनिश्चित किया गया है। लेकिन क्षेत्र पंचायत के द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी। जिसके कारण संस्था को ₹ 104187.00 के राजस्व की क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी श्री शिव कुमार पाण्डेय, श्री उमाकान्त त्रिपाठी, श्री जगदीश प्रसाद (प्रभारी), श्री लालाराम गुप्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम व पता	मिट्टी क्रय का स्रोत	मिट्टी की मात्रा (घनमीटर)	भुगतान	रॉयल्टी 9 रू०/घ०मी०
1-	बरगदहा पुल से अर्जिनपुरवा मार्ग पर खडन्जा निर्माण कार्य	कटियार बिल्डिंग मैटेरियल केशरीगंज सीतापुर	434.70	28902.00	3912.00
2-	बर्तलाब के पास पुलिया निर्माण कार्य	आफताब ट्रेडर्स वर्मा मार्केट लहरपुर	1008.47	62828.00	9076.00
3-	रमुआपुर पेन्टेड रोड से कुल्ताजपुर रोड पर खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु मिट्टी ढुलाई	श्री सोबरन लाल	1548.50	80522.00	13936.50
4-	अकैचनपुर फरीदपुर से भैसहा मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य	श्री सोबरन लाल	1523.03	79666.00	13788.00
5-	नहर पटरी से जुलाहनपुरवा तक खडन्जा मरम्मत कार्य	श्री सुशील चन्द्र	659.71	78500.00	5937.00
6-	ढखेरा पेन्टेड रोड से प्रेमनाथ के मकान तक नाली निर्माण	श्री सोबरन लाल	696.35	82866.00	6267.00
7-	अम्बर सराय से केशरीगंज सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी पटाई।	कटियार बिल्डिंग मैटेरियल केशरीगंज	2293.81	170200.00	20644.00
8-	इब्राहिम से बैजनाथपुरवा तक मिट्टी कार्य	कटियार बिल्डिंग मैटेरियल केशरीगंज	606.20	37766.00	5456.00
9-	ब्रह्मदत्त के खेत से कृष्णराज सिंह के मकान तक खडन्जा निर्माण	श्री सुभाष चन्द्र	448.00	42112.00	4032.00
10-	ग्राम पंचायत गुरेपारा में कमल के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य	श्री विपुल चन्द्र	698.50	65659.00	6286.50
11-	निबौचीपुरवा से गेरूही पेन्टेड रोड तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी पटाई	श्री सुशील चन्द्र ग्रा०पं० गुरेपारा (ठेकेदार)	533.42	31472.00	48001.00
12-	अन्देशनगर खलिहान के पास पुलिया निर्माण कार्य	शहाबुद्दीन ग्रा० खैरुबलापुर	1116.66	65883.00	10050.00
		योग -	11576.35	826381.00	104187.00

प्र०सं०-06- क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की लेखा परीक्षा में उपलब्ध पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न परियोजनाओं में वर्ष में किये गये मजदूरी भुगतान में लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी, तथा न ही इस्टीमेट में इसका प्राविधान किया गया है, जबकि यह आवश्यक रहा। इस प्रकार लेबर सेस की धनराशि रू० 40830.00 की कटौती करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है, जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री आर० पी० सिंह व श्री विमल कुमार वर्मा तथा कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार मिश्रा (ए०डी०ओ०.), श्री रतिराम (ए०डी०ओ०.), श्री भारत प्रसाद (ए०डी०ओ०.), श्री रामलखन मिश्रा (ए०डी०ओ०.), श्री प्रेमचन्द्र शुक्ला (ए०डी०ओ०.), श्री प्रेयस गहोई (ग्राम विकास अधिकारी), श्री सुरेश चन्द्र वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी) संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	मजदूरी भुगतान की धनराशि	अनुमन्य लेबर सेस दर 01% की धनराशि जो	कार्य प्रभारी का नाम

			नहीं काटा गया	
1-	बसन्तीपुर में सूरजकुण्ड मार्ग पर पुलिया निर्माण	58875.00	589.00	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा (ए0डी0ओ0.)
2-	अकबरपुर पुल से अन्देशनगर मार्ग पर पुलिया निर्माण	57660.00	577.00	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा (ए0डी0ओ0.)
3-	बरगदहा पुल से दर्जिनपुरवा मार्ग पर खडन्जा निर्माण	177405.00	1774.00	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा (ए0डी0ओ0.)
4-	शारदा नहर से बिलरिया मार्ग पर पुलिया निर्माण	28935.00	289.00	श्री रतीराम (ए0डी0ओ0.)सी
5-	वर्तलाव के पास पुलिया निर्माण कार्य	71550.00	715.00	श्री रतीराम(ए0डी0ओ0.)सी
6-	भदपुर रोड से पावर हाउस तक खडन्जा निर्माण कार्य	33900.00	339.00	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा (ए0डी0ओ0.)
7-	रमुआपुर पेन्टेड रोड से कुल्ताजपुर रोड पर खडन्जा मरम्मत	165860.00	1659.00	श्री प्रेयस गहोई (ग्रा०वि०अ०)
8-	रमुआपुर पेन्टेड रोड से कुल्ताजपुर सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा मरम्मत	715300.00	7153.00	श्री भारत प्रसाद (ए0डी0ओ0.) आई0 एस0 बी0
9-	अकैचनपुर फरीदपुर से भैसहा मार्ग पर पुलिया निर्माण	238270.00	2382.00	श्री भारत प्रसाद (ए0डी0ओ0.) आई0 एस0 बी0
10-	नयागाँव कौसर रोड से शाहाबाद मार्ग पर खडन्जा मरम्मत कार्य	261700.00	2617.00	श्री प्रेयस गहोई (ग्रा०वि०अ०)
11-	सीतापुर लहरपुर रोड से बाकरगंज मार्ग पर सोलिंग कार्य	27595.00	276.00	श्री भारत प्रसाद (ए0डी0ओ0.) आई0 एस0 बी0
12-	ढखेरा पेन्टेड रोड से प्रेमनाथ के घर तक नाली निर्माण	119196.00	1192.00	श्री कौशलेन्द्र वर्मा (ग्रा०वि०अ०)
13-	खैरुल्लापुर में पुलिया निर्माण कार्य	99540.00	995.00	1-श्री प्रमोद कुमार मिश्रा (ए0डी0ओ0.) ए0जी0 2-श्री आर० पी० सिंह (जे0ई0)आर0ई0एस0
14-	बहबूदपुर के भुलभुलिया में पुलिया निर्माण कार्य	130920.00	1309.00	1-श्री प्रमोद कुमार मिश्रा (ए0डी0ओ0.) ए0जी0 2-श्री आर० पी० सिंह (जे0ई0)आर0ई0एस0
15-	वर्तलाव से आजादपुर तक मिट्टी पटाई कार्य	172800.00	1728.00	1-श्री प्रमोद कुमार मिश्रा (ए0डी0ओ0.) ए0जी0 2-श्री आर० पी० सिंह (जे0ई0)आर0ई0एस0
16-	अम्बरसराय से केसरीगंज सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी पटाई	258120.00	2581.00	1-श्री रामलखन मिश्रा (ए0डी0ओ0.) एस0टी0

				2-श्री आर० पी० सिंह (जे०ई०)आर०ई०एस०
17-	बन्दरहा तालाब से भगौतीपुर तक सड़क पटाई कार्य	304200.00	3042.00	1-श्री रामलखन मिश्रा (ए०डी०ओ०.) एस०टी० 2-श्री आर० पी० सिंह (जे०ई०)आर०ई०एस०
18-	इब्राहीम से बैजनाथपुरवा तक मिट्टी कार्य	189600.00	1896.00	1-श्री रामलखन मिश्रा (ए०डी०ओ०.) एस०टी० 2-श्री आर० पी० सिंह (जे०ई०)आर०ई०एस०
19-	तलवीपुर से रतनपुरवा रोड तक मिट्टी कार्य	201480.00	2015.00	1-श्री रामलखन मिश्रा (ए०डी०ओ०.) एस०टी० 2-श्री आर० पी० सिंह (जे०ई०)आर०ई०एस०
20-	कुल्लाजपुर से रमुआपुर तक मिट्टी पटाई कार्य	91200.00	912.00	1-श्री प्रमोद कुमार मिश्रा(ए०डी०ओ०.) ए०जी० 2-श्री आर० पी० सिंह (जे०ई०)आर०ई०एस०
21-	शाहाबाद गाँव के पूरब डिग्री कालेज तक मिट्टी कार्य	101125.00	1011.00	1-श्री प्रेयस गहोई (ग्रा०वि०अ०) 2-श्री आर० पी० सिंह (जे०ई०)आर०ई०एस०
22-	गोविन्द शुक्ला के खेत से तेवला मार्ग तक मिट्टी कार्य	264000.00	2640.00	1-श्री प्रेयस गहोई (ग्रा०वि०अ०) 2-श्री आर० पी० सिंह (जे०ई०)आर०ई०एस०
23-	गेरूहा सम्पर्क मार्ग से नकैला बार्डर तक मिट्टी पटाई	169620.00	1696.00	1-श्री प्रेमचन्द्र शुक्ला(ग्रा०वि०अ०) 2-श्री आर० पी० सिंह (जे०ई०)आर०ई०एस०
24-	भदपुर रोड से अकैचनपुर बरेली तक नाला सफाई कार्य	144320.00	1443.00	1-श्री सुरेश चन्द्र वर्मा(ग्रा०वि०अ०) 2-श्री आर० पी० सिंह (जे०ई०)आर०ई०एस०
	योग -	4083171.00	40830.00	

क्षेत्र पंचायत – पिसावां

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जनपद-सीतापुर

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता

प्र०सं०-07-

1-	जसवन्तपुर में पंकज के मकान से देवस्थान तक नाली निर्माण	521857	07-07-2011	86064.00	भुवनेश्वरी फील्ड शहापुर
	उपरोक्त	521858	07-07-2011	78492.00	शर्मा सीमेंट स्टोर पिसावां
	उपरोक्त	521859	07-07-2011	34280.00	श्री हरीश कुमार ग्राम विकास अधिकारी
2-	सरवाड़ में भगवती के मकान से दक्षिण तालाब तक नाली निर्माण	521860	22-07-2011	44462.00	भुवनेश्वरी फील्ड शहापुर
	उपरोक्त	521861	22-07-2011	37350.00	शर्मा सीमेंट स्टोर पिसावां
	उपरोक्त	521862	22-07-2011	17720.00	श्री हरीश कुमार ग्राम विकास अधिकारी
	योग -			298368.00	
3-	ग्राम पथरी में नाली निर्माण कार्य	307424	03-09-2011	102452.00	भुवनेश्वरी फील्ड शहापुर
		307425	03-09-2011	58964.00	शर्मा सीमेंट स्टोर पिसावां
		307426	03-09-2011	36720.00	श्री हरीश कुमार ग्राम विकास अधिकारी
4-	सरवाड़ में भगवती के मकान से दक्षिण तालाब तक नाली	307701	03-09-2011	122572.00	भुवनेश्वरी फील्ड शहापुर
	उपरोक्त	307702	03-09-2011	149798.00	शर्मा सीमेंट स्टोर पिसावां
	उपरोक्त	307103	03-09-2011	59520.00	श्री हरीश कुमार ग्राम विकास अधिकारी
	योग -			530026.00	
	महायोग -			828394.00	

क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2011-12 के 13वें वित्त की धनराशि को निम्न प्रकार से व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित प्राप्तियाँ अप्राप्त रहे।

उपरोक्त धनराशि विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में इनसे सम्बन्धित कोई विवरण/पत्रावलियाँ/प्रमाणक पर अवश्य अप्राप्त रही। अतः धनराशि को गबन मानते हुए रू० **680154.00** की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री ए० आर० सिद्दीकी** एवं सहायक लेखाकार **श्री हरिओम श्रीवास्तव** से की जानी अपेक्षित है। शेष धनराशि रू० **148240.00** की वसूली **श्री हरीश कुमार** ग्राम विकास अधिकारी से की जानी चाहिए।

प्र०सं०-08-

क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2012-13 के राज्य वित्त के लेखा परीक्षा में जो कि ग्रान्ट रजिस्टर के भाग-2 से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न विवरण के अनुसार धनराशि व्यय की गई परन्तु तत्कालीन लेखाकार द्वारा बिना प्रमाणिक जो कि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे के बिना ही भुगतान किया गया होगा विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	चेक संख्या	दिनांक
1-	जसवन्तपुर में पेन्टेड रोड से पौथे के मकान होते हुए पंकज के मकान तक सी०सी० रोड	196123.00	शर्मा सीमेन्ट स्टोर पिसावां	005839	07-07-2012
2-	उपरोक्त	181826.00	भुवनेश्वरी ब्रिक फील्ड शहापुर	275407	07-07-2012
3-	उपरोक्त	317954.00	शर्मा सीमेन्ट स्टोर पिसावां	005840	07-07-2012
4-	उपरोक्त	160620.00	श्री विनोद मिश्रा		
5-	उपरोक्त	36795.00	भुवनेश्वरी ब्रिक फील्ड शहापुर		
6-	उपरोक्त	328076.00	शर्मा सीमेन्ट स्टोर पिसावां	008522	29-09-2012
7-	उपरोक्त	11786.00	श्री रूप शंकर प्रसाद		
	योग -	1233180.00			

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के निर्णय 66 के तहत क्षेत्र निधि से सम्बन्ध भुगतान के दावे बिल के रूप में प्रस्तुत किए जायेंगे जो कि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 179(2) के तहत व्यय धनराशि को गबने मानते हुए रू० **1233180.00** तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री दयाराम** एवं सहायक लेखाकार **श्री हरिओम श्रीवास्तव** से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-09-

क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2012-13 के 13वाँ वित्त के व्ययों को ग्रांट रजिस्टर के भाग-II से जाँच में पाया जिसमें कार्यों के अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1-	577906	05-11-2012	पत्तेपुर में बंशी के मकान से गठिया तालाब तक नाला	19052.00	शर्मा सीमेन्ट स्टोर पिसावां
2-	577907	05-11-2012	उपरोक्त	173543.00	बजरंगबली ब्रिक फील्ड
3-	577908	05-11-2012	उपरोक्त	53975.00	विनोद मिश्रा
4-	577909	05-11-2012	उपरोक्त	2933.00	एस०के० पेंट महोली
5-	577914	05-11-2012	अलीपुर में राजाराम के मकान तिराहा से दक्षिण हैण्डपम्प तक नाला निर्माण	172048.00	बजरंगबली ब्रिक फील्ड भावापुर
6-	577915	05-11-2012	उपरोक्त	122513.00	शर्मा सीमेन्ट स्टोर पिसावां
7-	577912	05-11-2012	उपरोक्त	23825.00	श्री सीताराम
8-	577913	05-11-2012	उपरोक्त	2933.00	एस० के० पेंट महोली

9-	577916	05-11-2012	ग्राम पंचायत महतनिया के ग्राम पड़रिया में नाला निर्माण	126070.00	सिंघल ब्रिक फील्ड दहेलिया
10-	275418	05-11-2012	उपरोक्त	86576.00	शर्मा सीमेन्ट स्टोर पिसावां
11-	275419	05-11-2012	उपरोक्त	28095.00	श्री सीताराम
12-	279918	05-11-2012	उपरोक्त	2933.00	एस० के० पेंट महोली
13-	577919	05-11-2012	दुपहिया सी०सी०/नाला निर्माण का भुगतान	90252.00	जय बजरंगबली ब्रिक फील्ड
14-	577920	05-11-2012	उपरोक्त	64298.00	जय महाकाल कान्स० शाहुवापुर
15-	577921	05-11-2012	उपरोक्त	20895.00	श्री सीताराम कार्य प्रभारी
16-	577922	05-11-2012	उपरोक्त	2933.00	एस० के० पेंटर्स महोली
			योग -	992874.00	

उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 66 के तहत बिल बाउचर दावे के रूप में प्रस्तुत किए जायेंगे जो कि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत बजट का लेखा नियमावली 1965 के नियम 179(2) के तहत उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए रू० **992874.00** की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री राम सिंह** एवं सहायक लेखाकार **श्री हरिओम श्रीवास्तव** से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-10-

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2013-14 की क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था की धनराशि का व्यय विवरण ग्रांट रजिस्टर के भाग-II से ज्ञात हुआ कि धनराशि निम्नलिखित कार्यों पर व्यय की गई परन्तु लेखा परीक्षा में फाइलें पत्रावली व प्रमाण-पत्र अप्राप्त रहे विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता
1-	पिपरी शादीपुर से कौक सं० मरम्मत	59640.00	243866	30-10-2013	पंजाब नेशनल बैंक विश्वा
2-	उपरोक्त	34080.00	243867	30-10-2013	इलाहाबाद यू०पी० ग्रा०बैं० बड़ागाँव
3-	हदीर में शेर सिंह झांकी से किक खडन्जा	330536.00	369077	30-10-2013	भुवनेश्वरी ब्रिक फील्ड शाहुवापुर
4-	सेजखुर्द बाजार से कपास कका सं० मरम्मत	126522.00	369078	30-10-2013	इलाहाबाद यू०पी० ग्रा०बैं० भरगावां
5-	हदीरा में शेर सिंह झाका से किक खडन्जा	270051.00	369478	30-10-2013	भुवनेश्वरी ब्रिक फील्ड शाहुवापुर
6-	उपरोक्त	109272.00	048607	30-10-2013	उपरोक्त

7-	उपरोक्त	115872.00	048608	30-10-2013	इलाहाबाद यु०पी० ग्रा०बैं० विश्व
	योग -	1045973.00			

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के नियम सेक्टर 6 के तहत बिल बाउचर दावे के रूप में लेखाकार द्वारा प्राप्त किया जाना अपेक्षित है परन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित बिल बाउचर व पत्रावलियाँ अप्राप्त रही अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 1792 के तहत धनराशि को अपव्यय मानते हुए धनराशि रू० **1045973.00** की वसूली नियमानुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री एम० नसीम** एवं सहायक लेखाकार **श्री हरिओम श्रीवास्तव** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-11-

क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2013-14 के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना (बी जी आर एफ) की धनराशि को निम्न दो कार्यों पर व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित कार्यों की पत्रावली या अप्राप्त रही विवरण निम्नवत है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	प्राप्तकर्ता
1-	सवैलिया के मजरे के कमाउ के मकान से मन्दिर तक सी०सी० का भुगतान	536593.00	04888	11-12-2014	श्री सुशील कुमार गुप्ता, ठेकेदार
2-	बीसवाँ बीहट मार्ग से अमित का मकान तक सी०सी० रोड	129916.00	048802	19-03-2014	श्री जयकरन सिंह, ठेकेदार
	योग -	666509.00			

उपरोक्त धनराशि रू० 666509.00 के सापेक्ष पत्रावलियाँ व प्रमाणक इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 66 के अनुसार लेखाकार बिना प्रमाणिक के दावे के बिना भुगतान नहीं करेगा सम्भवतः लेखाकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के तहत उपरोक्त धनराशि का दुरुपयोग मानते हुए उक्त में से रू० **536593.00** तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री एम० नसीम** एवं सहायक लेखाकार **श्री हरिओम श्रीवास्तव** से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है। धनराशि रू० 129916.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्रीमती सरिता गुप्ता** एवं सहायक लेखाकार **श्री हरिओम श्रीवास्तव** से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - हरगाँव

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-12(i)-

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-12 की 13वाँ वित्त के व्यय की लेखा परीक्षा अनुदान रजिस्टर पार्ट-II के अनुसार निम्न कार्यों पर व्यय धनराशियों के सापेक्ष कोई अभिलेख लेखा परीक्षा अप्राप्त रहे।

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
1-	अमी में इण्टर लॉकिंग बहड़ पातू के पास	984209/ 20-04-2011	60040.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला, (ए०डी०ओ०)(ए०जी०.)
2-	उपरोक्त	800814/ 23-12-2011	113195.00	मेसर्स टेक चन्द्र लाल चन्द्र विकास संस्था, नैपालापुर, सीतापुर

3-	उपरोक्त	000815/ 23-12-2011	408075.00	मेसर्स बालाजी विकास संस्थान, हरगाँव
4-	उपरोक्त	000816/ 23-12-2011	44060.00	-
5-	उपरोक्त	000819/ 02-01-2012	1038361.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला, (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
6-	उपरोक्त	027901/ 30-03-2012	295627.00	बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान, हरगाँव
7-	उपरोक्त	027902/ 30-03-2012	24050.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
8-	उपरोक्त	027903/ 30-03-2012	73882.00	मेसर्स टेक चन्द्र लाल चन्द्र विकास संस्था, नैपालापुर, सीतापुर
	योग -		2057290.00	

उपरोक्त धनराशि रू० 2057290.00 में से रू० 1892707.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी से की जानी चाहिए एवं शेष धनराशि रू० 164583.00 की वसूली श्री अनिल कुमार शुक्ला ए0डी0ओ0.(ए0जी0.) तत्कालीन से की जानी चाहिए।

(ii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
1-	मीरपुर में पक्की नाली निर्माण	984218/ 17-08-2011	95011.00	मेसर्स बालाजी विकास संस्थान, हरगाँव
2-	उपरोक्त	984219/ 17-08-2011	27701.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला, (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
	योग -		122712.00	

उपरोक्त धनराशि 122712.00 में से रू० 95011.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी एवं श्री सतीश कुमार गुप्ता से की जानी चाहिए एवं शेष धनराशि रू० 27701.00 की वसूली श्री अनिल कुमार शुक्ला ए0डी0ओ0.(ए0जी0.) तत्कालीन से की जानी चाहिए

(iii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
1-	अमी से देव स्थान तक इण्टर लॉकिंग	000817/ 23-12-2011	72410.00	मेसर्स बालाजी विकास संस्थान, हरगाँव
2-	उपरोक्त	000818/ 23-12-2011	20786.00	मेसर्स बालाजी विकास संस्थान, हरगाँव

3-	उपरोक्त	000819/ 23-12-2011	20840.00	मेसर्स टेक चन्द्र लाल चन्द्र विकास संस्था, नैपालापुर, सीतापुर
4-	उपरोक्त	984236/ 02-01-2012	21633.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला, (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
	योग -		135669.00	

उपरोक्त धनराशि 135669.00 में से रू० 114036.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी एवं श्री सतीश कुमार गुप्ता से की जानी चाहिए एवं शेष धनराशि रू० 21633.00 की वसूली श्री अनिल कुमार शुक्ला ए0डी0ओ0.(ए0जी0.) तत्कालीन से की जानी चाहिए।

प्र०सं०-13(i)-

क्षेत्र पंचायत हरगाँव के वर्ष 2011-12 के ग्रांट रजिस्टर के भाग-II की लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि निम्न कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे उक्त धनराशियों को फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
1-	शंकरपुर में इण्टर लॉकिंग कार्य	984307/ 20-04-2011	98280.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	984208/ 20-04-2000	90328.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
3-	उपरोक्त	984210/ 01-08-2011	91400.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
4-	उपरोक्त	984211/ 06-06-2012	121451.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
5-	उपरोक्त	984210/ 01-08-2011	176947.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
	योग -		578406.00	

उपरोक्त धनराशि 578406.00 में से रू० 358675.00 की वसूली श्री अनिल कुमार शुक्ला ए0डी0ओ0.(ए0जी0.) तथा रू० 219731.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी एवं सहायक लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

(ii)

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
1-	अमी में इण्टर लॉकिंग कार्य	984213/ 08-06-2011	137970.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	984214/ 08-06-2011	57624.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव

3-	उपरोक्त	984215/ 08-06-2011	119267.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
	योग –		314861.00	

उपरोक्त धनराशि 314861.00 में से रू० 195594.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी एवं सहायक लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। शेष धनराशि रू० 119267.00 की वसूली श्री अनिल कुमार शुक्ला ए0डी0ओ0.(ए0जी0.) तत्कालीन से की जानी अपेक्षित है।

(iii)

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
1-	काबिल का में इण्टर लॉकिंग कार्य	984217/ 17-08-2011	169218.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
	योग –		169218.00	

उपरोक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी एवं सहायक लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता एवं श्री अनिल कुमार शुक्ला ए0डी0ओ0.(ए0जी0.) से की जानी अपेक्षित है।

(iv)

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
1-	महादेवअटवा में खडन्जा से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग कार्य	000811/ 20-10-2011	295444.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	000812/ 20-10-2011	82329.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
3-	उपरोक्त	984220/ 15-11-2011	145375.00	मेसर्स टेक चन्द्र लाल चन्द्र विकास संस्था, नैपालापुर, सीतापुर
4-	उपरोक्त	000813/ 15-11-2011	58660.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
	योग –		581808.00	

उपरोक्त धनराशि 581808.00 में से रू० 440819.00 की वसूली श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सतीश कुमार गुप्ता सहायक लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। शेष धनराशि रू० 140929.00 श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी, श्री सतीश कुमार गुप्ता सहायक लेखाकार व श्री अनिल कुमार शुक्ला ए0डी0ओ0.(ए0जी0.) तत्कालीन से की जानी अपेक्षित है।

(v)

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
1-	इस्माइलनगर में लालजी के घर से बिन्द्रा के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	984221/ 23-10-2011	305309.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	984222/ 23-10-2011	6675.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	984223/ 23-10-2011	164774.00	मेसर्स टेक चन्द्र लाल चन्द्र विकास संस्था, नैपालापुर, सीतापुर
4-	उपरोक्त	984224/ 23-10-2011	66483.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
5-	उपरोक्त	984225/ 23-10-2011	111327.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
	योग –		654568.00	

उपरोक्त धनराशि **654568.00** में से रू० **543241.00** की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी** एवं सहायक लेखाकार **श्री सतीश कुमार गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है। अवशेष धनराशि रू० **111327.00** की वसूली खण्ड विकास अधिकारी **श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी**, सहायक लेखाकार **श्री सतीश कुमार गुप्ता** व **श्री अनिल कुमार शुक्ला ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)** से की जानी अपेक्षित है।

(vi)

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
1-	इस्माइलपुर में बिन्द्रा के घर से इण्टर लॉकिंग कार्य	984226/ 23-10-2011	26090.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	984227/ 23-10-2011	89797.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	984228/ 23-10-2011	53107.00	मेसर्स टेक चन्द्र लाल चन्द्र विकास संस्था, नैपालापुर, सीतापुर
4-	उपरोक्त	984234/ 23-10-2011	34150.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0.)
	योग –		203144.00	

उपरोक्त धनराशि **203144.00** में से रू० **168994.00** की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी** एवं सहायक लेखाकार **श्री सतीश कुमार गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

है। अवशेष धनराशि रू० **34150.00** की वसूली श्री अनिल कुमार शुक्ला ए०डी०ओ०.(ए०जी०.) से की जानी अपेक्षित है।

(vii)

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
1-	भदेवां में जगदीश के घर से राकेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	984229/ 23-10-2011	36530.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	984238/ 23-10-2011	157880.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	984231/ 23-10-2011	84707.00	मेसर्स टेक चन्द्र लाल चन्द्र विकास संस्था, नैपालापुर, सीतापुर
4-	उपरोक्त	984232/ 23-10-2011	54740.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए०डी०ओ०.) (ए०जी०.)
	योग –		333857.00	

उपरोक्त धनराशि **333857.00** के सापेक्ष कोई अभिलेख प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः उक्त धनराशि में से रू० **279117.00** की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी एवं शेष धनराशि रू० **54740.00** की वसूली श्री अनिल कुमार शुक्ला ए०डी०ओ०.(ए०जी०.) से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-14- क्षेत्र पंचायत हरगाँव के वर्ष 2011-12 के अनुदार रजिस्टर के भाग तीन से ज्ञात हुआ कि वर्ष के दौरान ब्याज खाते से रू० 744779.00 की धनराशि व्यय की गयी परन्तु इस धनराशि को कहाँ व्यय किया गया अथवा शासन को लौटाया गया, विवरण अप्राप्त रहा। स्पष्टीकरण अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्र०सं०-15- वर्ष 2012-13 में राजकीय क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों से सामग्री क्रय किया गया है परन्तु सम्बन्धित फर्म से वैट की कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई। यह स्थिति गम्भीर अनियमितता के प्रकरण है। विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	कार्य का नाम व पता	फर्म का नाम व पता	सामग्री का मूल्य	वैट 4%
1-	मदनापुर के उमरी में पक्की नाली का निर्माण	बालाजी ग्राम विकास संस्थान हरगाँव	309980.00	12399.00
		शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	29328.00	1173.00
		विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	35804.00	1432.00
2-	भट्ठापुरवा से दीपपुर में इण्टर लॉकिंग	विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	80768.00	3230.00
		शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	81000.00	3240.00
		बालाजी ग्राम विकास संस्थान हरगाँव	356336.00	14253.00
3-	मदनापुर कैथाभारी में पक्की नाली का निर्माण	विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	23310.00	932.00
		शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	38582.00	1543.00

4-	दीपपुर में भट्टापुरवा मार्ग पर इण्टर लॉकिंग	विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	31120.00	1244.00
		शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	43790.00	1751.00
		बालाजी ग्राम विकास संस्थान हरगाँव	72570.00	2908.00
5-	विकास खण्ड में संस्थान के सामने इण्टर लॉकिंग	शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	23142.00	925.00
		विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	2612.00	1044.00
6-	बी०डी०ओ० आवास के चारों ओर इण्टर लॉकिंग	विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	22794.00	911.00
		शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	23142.00	925.00
		बालाजी ग्राम विकास संस्थान हरगाँव	118780.00	4751.00
7-	दीपपुर के भट्टा मार्ग पर इण्टर लॉकिंग	विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	28700.00	1148.00
		शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	32560.00	1302.00
		बालाजी ग्राम विकास संस्थान हरगाँव	65210.00	2608.00
8-	बी०डी०ओ० आवास के चारों ओर इण्टर लॉकिंग	विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	4370.00	174.00
		शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	17524.00	700.00
		बालाजी ग्राम विकास संस्थान हरगाँव	105258.00	4221.00
9-	रिसार्स सेन्टर के सामने इण्टर लॉकिंग	बालाजी ग्राम विकास संस्थान हरगाँव	59390.00	2375.00
		शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	8488.00	339.00
		विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	8678.00	347.00
10-	बेहड़पाटू में इण्टर लॉकिंग नेनौर रोड से गाँव के बाहर तक	बालाजी ग्राम विकास संस्थान हरगाँव	237557.00	9502.00
		शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	43992.00	1759.00
		विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	67685.00	2707.00
11-	फाजिलपुर में पेन्टेड रोड से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग	बालाजी ग्राम विकास संस्थान हरगाँव	257354.00	10294.00
		शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	43992.00	17590.00
		विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	72108.00	2884.00
12-	बेहड़पाटू में इण्टर लॉकिंग नेनौर रोड से गाँव के बाहर तक	बालाजी ग्राम विकास संस्थान हरगाँव	237557.00	9502.00
		शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	43992.00	1759.00
		विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव	72108.00	2884.00
	योग –			124756.00

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रू० 124756.00 के वैट राजकीय राजस्व की क्षति हुई। इसके प्रति तत्कालीन **खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता गुप्ता एवं सहायक लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता** से वसूली की जानी अपेक्षित है। जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही/वसूली किया जाना अपेक्षित है। ऐसे में नकारे गये वैट कर धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना चाहिए। अनुदान पंजी (ii) व (iii) पर राजकीय राजस्व सम्बन्धी वैट का खाता भी नहीं खोला गया है फलतः प्रारम्भिक अनुदान जमा अवशेष की स्थिति अज्ञात रही।

प्र०सं०-16-

दिनांक 19-07-2012 को चेक संख्या 027905 द्वारा रू० 29800.00 की धनराशि बी०डी०सी० बैठक हेतु अनुदान रजिस्टर के भाग-11 में व्यय दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 की कार्यवाही पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे उक्त बैठक की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः धनराशि रू० 29800.00 का व्यय

गलत तरीके से किया गया जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार **श्री सतीश कुमार गुप्ता** से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-17- दिनांक 29-08-2012 को श्री अनिल कुमार शुक्ला द्वारा अर्मी में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु रू० 47580.00 चेक संख्या 027909 द्वारा प्राप्त किया गया। अतः इस धनराशि को फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया। अतः यह धनराशि रू० 47580.00 की वसूली **श्री अनिल कुमार गुप्ता सहायक विकास अधिकारी (कृषि)** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-18- क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2012-13 के अनुदान पंजी के भाग-II से ज्ञात हुआ कि सामाजिक आर्थिक जनगणना की धनराशि जो दिनांक 19-06-2012 को रू० 25000.00 प्राप्त हुई थी। इस धनराशि को तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता विविध व्यय के नाम पर दिनांक 02-07-2012 को चेक संख्या 1060571 द्वारा व्यय किये गये जिसके सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः इस धनराशि की वसूली तत्कालीन **सहायक लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-19- इसी प्रकार पुनः सामाजिक आर्थिक जनगणना की धनराशि रू० 25000.00 जो दिनांक 09-11-2012 को प्राप्त हुई थी। पुनः सहायक लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 21-12-2012 को चेक संख्या 1060572 द्वारा रू० 10000.00 विविध व्यय के नाम पर खर्च किये गये जिसके सापेक्ष कोई बाउचर (प्रमाणक) लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन **सहायक लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-20- क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2013-14 की राज्य वित्त की निम्न धनराशियों को व्यय किया गया जिनका विवरण ग्रान्ट रजिस्टर के पार्ट-II में उल्लिखित है परन्तु इन व्ययों के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई प्रपत्र/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति जिसको धनराशि दी गयी
1-	कुश पाटी रोड से शंकरपुर मार्ग पर व्यय	003783/ 05-05-2013	117352.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए०डी०ओ०)(ए०जी०)
2-	फिरोजपुर गड़सारी में लखीमपुर मार्ग पर व्यय	003784/ 05-05-2013	76427.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए०डी०ओ०)(ए०जी०)
	योग -		193779.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रू० 193779.00 के सापेक्ष कोई विवरण प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय धनराशि को फर्जी तरीके से व्यय करके धनराशि का अपहरण किया गया। अतः धनराशि रू० 193779.00 की वसूली **श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए०डी०ओ०)(ए०जी०)** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-21-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति जिसको धनराशि दी गयी
1-	बेहड़ पाटू में पंचम के घर से प्रताप के घर से मन्दिर तक कार्य	003788/ 01-06-2013	188110.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान, हरगाँव
2-	उपरोक्त	003789/ 	63790.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव

		01-06-2013		
3-	उपरोक्त	003790/ 01-06-2013	89908.00	विजय ब्रिक फील्ड हरगाँव सरिता
4-	उपरोक्त	003791/ 01-06-2013	49932.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		391740.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रू० **391740.00** के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन **खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता गुप्ता एवं सहायक लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता** से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-22-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति जिसको धनराशि दी गयी
1-	फाजिलनगर में पेन्टेड रोड से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग	003806/ 26-07-2013	70674.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान, हरगाँव
2-	उपरोक्त	003807/ 26-07-2013	13360.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	003808/ 26-07-2013	46740.00	श्री श्रीकान्त मिश्रा (ए0डी0ओ0.)(एस0टी0)
	योग -		130774.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रू० **130774.00** के सापेक्ष कोई भी प्रपत्र/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उपरोक्त व्यय धनराशि रू० **130774.00** की वसूली तत्कालीन **खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता गुप्ता एवं सहायक लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता** से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-23(i)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति जिसको धनराशि दी गयी
1-	कुलबुली गाँव में नहर तक मिट्टी पट्टाई कार्य	007035/ 01-11-2013	136846.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
2-	उपरोक्त	007036/ 07-12-2013	463285.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
3-	उपरोक्त	007040/ 11-12-2013	155064.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		755195.00	

(ii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति जिसको धनराशि दी गयी
1-	कबीरपुर से परसेहरा नाथ रोड से गनेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	009884/ 28-12-2013	101760.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
2-	उपरोक्त	009885/ 28-12-2013	22143.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	009886/ 28-12-2013	292616.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
4-	उपरोक्त	009887/ 28-12-2013	49988.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए०डी०ओ०)(ए०जी०)
	योग -		466507.00	

“(iii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति जिसको धनराशि दी गयी
1-	कबीरपुर के मजरा बुढ़ानपुर में इण्टर लॉकिंग	009888/ 28-12-2013	117125.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
2-	उपरोक्त	009889/ 28-12-2013	22143.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	009890/ 28-12-2013	271715.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
4-	उपरोक्त	009891/ 28-12-2013	49988.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए०डी०ओ०)(ए०जी०)
	योग -		460971.00	

उपरोक्त क्रम संख्या (i), (ii) व (iii) तक के कार्य के लिए कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः धनराशियों का फर्जी तरीके से व्यय दिखा कर अपहरण किया गया है। अतः रू० 755195.00 की वसूली श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए०डी०ओ०)(ए०जी०) से की जानी अपेक्षित है। क्रम संख्या (i) से (iii) में सभी चेकों का भुगतान दिनांक 28-12-2013 को किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि सभी व्यय फर्जी हैं। अतः व्यय धनराशि रू० **927478.00** की वसूली तत्कालीन **खण्ड**

विकास अधिकारी श्रीमती सरिता गुप्ता एवं लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-24(i)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	कबीरपुर के मजरा बुढ़ानपुर में इण्टर लॉकिंग	009888/ 28-12-2013	117125.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
2-	उपरोक्त	009889/ 28-12-2013	22143.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	009890/ 28-12-2013	271715.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
4-	उपरोक्त	009891/ 28-12-2013	49988.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए०डी०ओ०)(ए०जी०)
	योग -		460971.00	

(ii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	बुढ़ानपुर के मजरा कबीरपुर में इण्टर लॉकिंग(ii)	009892/ 20-01-2014	122246.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
2-	उपरोक्त	009893/ 20-01-2014	22143.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	009894/ 20-01-2014	271715.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
4-	उपरोक्त	009895/ 20-01-2014	44904.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए०डी०ओ०)(ए०जी०)
	योग -		461008.00	

(iii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	कबीरपुर से परसेहरा नाथ रोड से गनेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	009896/ 20-01-2014	111368.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
2-	उपरोक्त	009897/ 20-01-2014	22143.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
3-	उपरोक्त	009898/ 20-01-2014	250814.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
4-	उपरोक्त	009899/ 20-01-2014	39962.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग –		424287.00	

(iv)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	कबीरपुर से परसेहरा नाथ रोड से गनेश के घर तक इण्टर लॉकिंग (I)	001681/ 01-02-2014	71566.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	001682/ 01-02-2014	29428.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	001683/ 01-02-2014	78594.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग –		179588.00	

(v)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	कबीरपुर से परसेहरा नाथ रोड से गनेश के घर तक इण्टर लॉकिंग (II)	001688/ 05-02-2014	71983.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	001689/ 05-02-2014	22064.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव

3-	उपरोक्त	001690/ 05-02-2014	75589.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		169636.00	

^(vi)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	बुढ़ानपुर के मजरा कबीरपुर में इण्टर लॉकिंग(द्वितीय)	001691/ 06-02-2014	72903.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	001692/ 06-02-2014	26567.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	001693/ 06-02-2014	80277.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
4-	उपरोक्त	001694/ 06-02-2014	28293.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
	योग -		208040.00	

^(vii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	नयागाँव फिरोजपुर में हरगाँव महोली रोड से मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग	003001/ 10-02-2014	271714.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त कार्य	003002/ 10-02-2014	20774.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त कार्य	003003/ 10-02-2014	80637.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
4-	उपरोक्त कार्य	003004/ 10-02-2014	49946.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		423071.00	

(viii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	कबीरपुर से परसेहरा नाथ रोड से गनेश के मकान तक इण्टर लॉकिंग पार्ट (II)	003005/ 10-02-2014	120975.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	003006/ 10-02-2014	23813.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव

		10-02-2014		
3-	उपरोक्त	003007/ 10-02-2014	36553.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
4-	उपरोक्त	003008/ 10-02-2014	74178.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
5-	उपरोक्त	003009/ 10-02-2014	43684.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		299203.00	

(xi)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	बुढ़ानपुर के मजरा कबीरपुर में इण्टर लॉकिंग कार्य	001695/ 06-02- 2014	64626.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त कार्य	001696/ 06-02- 2014	77764.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		142390.00	

(x)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	नयागाँव फिरोजपुर में हरगाँव महोली रोड से मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग पार्ट (II)	001697/ 10-02-2014	250813.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	001698/ 10-02-2014	20774.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	001699/ 10-02-2014	91517.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
4-	उपरोक्त	001700/ 10-02-2014	54980.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		418084.00	
	महायोग -		3186278.00	

उपरोक्त व्यय धनराशियों (i) से (x) रू० **3186278.00** के सापेक्ष कोई भी फाइल/बाउचर्स/ प्रपत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्य की धनराशि का चेक एक निश्चित तिथि को काटा गया है। जैसे कार्य संख्या (x) के चारों व्ययों का चेक दिनांक 10-02-2014 को ही व्यय दिखाया गया है। अतः यह कैसे सम्भव है कि सामग्री व मस्टररोल के सभी व्यय एक ही दिन किया जायेगा। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय धनराशि रू०

3186278.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता गुप्ता एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-25(i)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	नयागाँव फिरोजपुर में हरगाँव महोली रोड से मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग पार्ट (II)	003024/ 29-03-2014	31649.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
2-	उपरोक्त	003025/ 29-03-2014	83605.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	003876/ 29-03-2014	20326.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए०डी०ओ०)(ए०जी०)
	योग -		135580.00	

(ii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	नयागाँव फिरोजपुर में हरगाँव महोली रोड से मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग पार्ट (II)	003877/ 29-03-2014	62704.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
2-	उपरोक्त	003878/ 29-03-2014	42880.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	003879/ 29-03-2014	19884.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
	योग -		125468.00	

उपरोक्त व्यय धनराशियों (i) से (ii) रू० 261048.00 के सापेक्ष कोई भी प्रपत्र/बाउचर्स/ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपर्युक्त व्ययों को देखने से प्रतीत होता है कि सभी चेक दिनांक 29-03-2014 को ही काटे गये हैं। यह कैसे सम्भव है कि सभी धनराशि एक ही दिन व्यय की जाये व कार्य भी एक दिवस में पूरा कर दिया जायेगा। इससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय धनराशि रू० **261048.00** को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव से रू० **130524.00** एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता से रू० **130524.00** की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-26-

क्षेत्र पंचायत हरगाँव के वर्ष 2013-14 के तेरहवें वित्त की निम्न धनराशियों का ग्रांट रजिस्टर के भाग-II में व्यय किया गया परन्तु इनके सापेक्ष सम्बन्धित कोई अभिलेख/प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। विवरण निम्नवत् है -

(i)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	बेहड़ापातू में पक्की नाली निर्माण	003792/ 01-06-2013	165340.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	003793/ 01-06-2013	37725.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	003794/ 01-06-2013	62080.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		265145.00	

(ii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	मल्लापुर में श्रीकृष्ण के मकान तक पक्की नाली निर्माण	003810/ 04-08-2013	86108.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	003811/ 04-08-2013	209020.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	003812/ 04-08-2013	120638.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
4-	उपरोक्त	003813/ 04-08-2013	49432.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		465198.00	

(iii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	मल्लापुर में मेन रोड से शिवपाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	003814 05-08-2013	65840.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	003815 05-08-2013	209010.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	003816 05-08-2013	79665.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
4-	उपरोक्त	003817 05-08-2013	39974.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
5-	उपरोक्त	003824/ 22-08-2013	26056.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव

6-	उपरोक्त	003814/ 22-08-2013	108723.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
7-	उपरोक्त	007021/ 31-08-2013	58391.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		587659.00	

(iv)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	मल्लापुर में विश्राम के घर से श्रीकृष्ण के घर तक	007022/ 31-08-2013	5238.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	007023/ 31-08-2013	20000.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	007024/ 31-08-2013	79404.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
4-	उपरोक्त	007025/ 31-08-2013	58132.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		162774.00	

(v)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	बिड़ला मन्दिर के पीछे से सीताराम के खेत से बनेहटा नाला तक पक्की नाली	007028/ 01-11-2013	183910.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
2-	उपरोक्त	007028/ 01-11-2013	82990.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	007028/ 01-11-2013	69898.00	श्री श्रीकान्त मिश्रा (ए0डी0ओ0.)(एस0टी0)
4-	उपरोक्त	007037/ 07-12-2013	81995.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
5-	उपरोक्त	007038/ 07-12-2013	116028.00	श्री श्रीकान्त मिश्रा (ए0डी0ओ0.)(एस0टी0)
	योग -		534821.00	

(vi)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	वजीरपुर में धनेश के मकान से तालाब तक पक्की नाली	007031/ 01-11-2013	27862.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	007032/ 01-11-2013	234748.00	श्री रमेश कुमार बाजपेयी (ए0डी0ओ0.)(आई0 एस0 बी0)
3-	उपरोक्त	007033/ 01-11-2013	85662.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
4-	उपरोक्त	009881/ 13-12-2013	80921.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
5-	उपरोक्त	009882/ 13-12-2013	8013.00	श्री श्रीकान्त मिश्रा (ए0डी0ओ0.)(एस0टी0)
6-	उपरोक्त	009883/ 13-12-2013	15042.00	श्री रमेश कुमार बाजपेयी (ए0डी0ओ0.)(आई0 एस0 बी0)
	योग -		452248.00	

(vii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	परसेहरामाल में इण्टर लॉकिंग कार्य	009900/ 20-01-2014	110732.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
2-	उपरोक्त	001676/ 20-01-2014	22143.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	001677/ 20-01-2014	31357.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
4-	उपरोक्त	001678/ 20-01-2014	49988.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
5-	उपरोक्त	001684/ 20-01-2014	61198.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
6-	उपरोक्त	001685/ 20-01-2014	22417.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव

7-	उपरोक्त	001686/ 20-01-2014	38118.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
8-	उपरोक्त	001687/ 20-01-2014	45134.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		663297.00	

(viii)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	परसेहरामाल में पक्की नाली एवं इण्टर लॉकिंग कार्य	003010/ 10-02-2014	31325.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	003011/ 10-02-2014	17034.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	003012/ 10-02-2014	13930.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
4-	उपरोक्त	003013/ 10-02-2014	24953.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
5-	उपरोक्त	003014/ 10-02-2014	14976.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		102218.00	

(ix)-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	जगन्नाथपुर में अमी रोड से जगन्नाथ के मकान तक इण्टर लॉकिंग	003015/ 13-12-2014	313517.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
2-	उपरोक्त	003016/ 13-12-2014	24245.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	003017/ 13-12-2014	122882.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
4-	उपरोक्त	003018/ 13-12-2014	60000.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए0डी0ओ0.)(ए0जी0)
	योग -		520644.00	
	महायोग -		3754004.00	

उपरोक्त कार्यों (i) से (ix) तक की जाँच में यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक कार्य की चेक निश्चित तिथि को ही काटी गयी है। यह कैसे सम्भव है कि प्रत्येक कार्य एक ही दिन में सम्पादित हो जायेगा। अतः उपरोक्त

व्यय धनराशि रू० **3754004.00** को फर्जी तरीके से व्यय किया गया है। अतः रू० **3754004.00** की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री सरिता गुप्ता** एवं लेखाकार **श्री सतीश कुमार गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-27-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	जिसे धनराशि दी गयी
1-	जगन्नाथपुर में अर्मी रोड से प्रदीप सिंह के मकान तक इण्टर लॉकिंग	003020/ 21-03-2014	43315.00	मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड जोगीपुर हरगाँव
2-	उपरोक्त	003021/ 21-03-2014	83605.00	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव
3-	उपरोक्त	003022/ 21-03-2014	4106.00	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव
4-	उपरोक्त	003023/ 21-03-2014	20042.00	श्री अनिल कुमार शुक्ला (ए०डी०ओ०)(ए०जी०)
	योग -		151068.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रू० 151068.00 के सापेक्ष कोई अभिलेख बाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पूरी धनराशि को दिनांक 21-03-2014 को व्यय दिखाया गया है। यह कैसे सम्भव है कि पूरा कार्य एक ही दिन में समाप्त हो जाये। उपरोक्त धनराशि को फर्जी तरीके से व्यय किया गया है। जो गबन की श्रेणी में आता है। उपरोक्त धनराशि रू० **151068.00** की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव** से एवं शेष धनराशि की वसूली तत्कालीन लेखाकार **श्री सतीश कुमार गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-28-

संस्था के वर्ष 2013-14 के ग्रांट रजिस्टर की जाँच में ज्ञात हुआ कि पिछले वर्ष अनुदान खाता संख्या 50011951724 से वर्ष दौरान रू० 65381.00 का व्यय माह दिसम्बर 2013 एवं रू० 801.00 का व्यय माह जनवरी 2014 में किया गया। कुल व्यय धनराशि रू० **66182.00** के सापेक्ष कोई भी विवरण अप्राप्त रहा। अतः विवरण रहित धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्रीमती सरिता गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-29-

संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से विभिन्न कार्य कराये गये थे। जिसमें विभिन्न कार्यों द्वारा कार्य कराया गया था। परन्तु वैट वसूली के प्रमाण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः निम्न कार्यों से वैट का विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	कार्य का विवरण	फर्म का नाम	धनराशि	4% वैट
1-	बेहड़पातू में इण्टर लॉकिंग कार्य	मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव	142633.00	5705.32
		मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	45290.00	1811.00
		मेसर्स बालाजी ग्रामीण विकास संस्थान हरगाँव	130100.00	5204.00
		मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	31907.00	1276.28
2-		मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	22675.00	907.00

	रिसोर्स सेन्टर के सामने इण्टर लॉकिंग	मेसर्स बालाजी ग्रामणि विकास संस्थान हरगाँव	22648.00	905.92
3-	संशोधन केन्द्र के सामने इण्टर लॉकिंग कार्य	मेसर्स शक्ति विकास संस्थान हरगाँव	18430.00	737.20
		मेसर्स बालाजी ग्रामणि विकास संस्थान हरगाँव	54936.00	2197.44
	योग -			18744.16

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रू० 18744.76 के वैट की वसूली के सरकार के राजस्व का हानि हुई है इसके जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता गुप्ता एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सतीश कुमार गुप्ता है। जो कि गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। अतः काटे गये वैट के बराबर की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्रीमती सरिता गुप्ता** एवं तत्कालीन लेखाकार **श्री सतीश कुमार गुप्ता** से खण्ड विकास अधिकारी लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना चाहिए। अनुदान पंजी दो एवं तीन पर राजकीय राजस्व सम्बन्धी वैट का खाता भी नहीं खोला गया है। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्र०सं०-30- संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 में सामाजिक आर्थिक जनाजन खाता संख्या 5803 में से रू० 3965.00 को व्यय किया गया परन्तु व्यय सम्बन्धित विवरण अप्राप्त रहा जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्रीमती सरिता गुप्ता** एवं तत्कालीन लेखाकार **श्री सतीश कुमार गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-31- उपरोक्त की ही भाँति राष्ट्रीय पेयजल निगम की धनराशि रू० 50510.00 का व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विवरण रहित धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्रीमती सरिता गुप्ता** एवं तत्कालीन लेखाकार **श्री सतीश कुमार गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-32- वर्ष 2013-14 में निर्मल भारत के तहत आवंटित धनराशि रू० 10000.00 को व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में खर्च से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विवरण रहित धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्रीमती सरिता गुप्ता** एवं तत्कालीन लेखाकार **श्री सतीश कुमार गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - महोली

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-33- क्षेत्र पंचायत महोली की वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि वर्ष में बायो गैस अनुदान पर निम्न प्रकार से धनराशि व्यय की गई। परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ अप्राप्त रहीं।

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1-	बायोगैस अनुदान	0162832/04-04-2011	8000.00	श्री मथुरा प्रसाद पुत्र श्री बट्टी प्रसाद, निवासी हरदासपुर
2-	बायोगैस अनुदान	0162833/11-03-2012	3500.00	श्री सुधीर कुमार
3-	बायोगैस अनुदान	0162834/16-03-2012	3500.00	श्री गोकर्न प्रसाद
4-	बायोगैस अनुदान	0162835/16-03-2012	3500.00	श्री संकटा प्रसाद
5-	बायोगैस अनुदान	0162838/16-03-2012	1500.00	श्री गया प्रसाद
	योग -		20000.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रू० 20000.00 व्यय हेतु कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः धनराशि रू० 20000.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री पी० के० श्रीवास्तव** एवं लेखाकार **श्री बाबूराम** से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-34-

क्षेत्र पंचायत की महोली वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग की ग्रांट रजिस्टर के भाग-दो की जाँच से प्राप्त हुआ कि निम्न कार्यो पर धनराशि व्यय की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रही।

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम चेक संख्या	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1-	विकास खण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में खडन्जा कार्य	003145 से 003158 दिनांक 18-08-2011	882718.00	विभिन्न फर्मों को भुगतान जैसे अग्रवाल ब्रिक फील्ड एवं भारत ब्रिक फील्ड
2-	विकास खण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में खडन्जा कार्य	003159 से 003177 दिनांक 08-08-2011	1195577.00	श्री राम लखन वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी
3-	ग्राम पंचायत अदौरा में सी०सी० निर्माण	202238/26-12-2011	58015.00	गंगा ब्रिक फील्ड
		002239/26-12-2011	180947.00	अग्रवाल ब्रिक फील्ड
		002240/26-12-2011	7800.00	श्री रामलखन वर्मा, ग्रा०वि०अ०
		योग -	2325057.00	

अतः उपरोक्त धनराशि को गलत तरीके से व्यय किया गया। अतः उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए रू० **882718.00** की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री पी० के० श्रीवास्तव** से की जानी चाहिए। अवशेष धनराशि रू० **1442339.00** की वसूली **श्री रामलखन वर्मा**, ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-35-

क्षेत्र पंचायत महोली के वर्ष 2011-12 में निम्न मदों से प्राप्त धनराशि को व्यय किया परन्तु व्यय की गयी धनराशि का विवरण एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहीं।

क्र०सं०	मद	धनराशि	विवरण
1-	प्रासंगिक मद	318404.00	व्यय पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहीं।
2-	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	91031.00	
3-	लघु सिंचाई योजना (मनरेगा)	423150.00	
	योग -	832585.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रू० **832585.00** के सापेक्ष अभिलेख अप्राप्त रहे। अतः उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री पी० के० श्रीवास्तव** से एवं सहायक लेखाकार **श्री बाबूराम** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-36-

क्षेत्र पंचायत महोली की वर्ष 2012-13 की राज्य वित्त के कार्यो की पत्रावलियाँ अप्राप्त रहीं परन्तु ग्रांट रजिस्टर के भाग-2 की जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2012-13 में विभिन्न कार्यो पर निम्न विवरण के अनुसार धनराशि व्यय की गयी।

क्र०सं०	मद	धनराशि	विवरण
1-	क्षेत्र पंचायत महोली के विभिन्न ग्राम पंचायतों में खडन्जा व पुलिया निर्माण खण्ड विकास	5179425.00	श्री रामलखन वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री

	कार्यालय परिसर में विभिन्न कार्य		आशीष यादव ग्राम विकास अधिकारी
	योग -	5179425.00	

व्यय धनराशि रू० 5179425.00 के सापेक्ष जाँच में व्यय पत्रावलियाँ एवं बाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उपरोक्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन **खण्ड विकास अधिकारी श्री दयाराम** से एवं **सहायक लेखाकार श्री बाबूराम** से की जानी अपेक्षित है। धनराशि रू० 5179425.00 को नियमानुसार अर्थात् रू० 2589712.50 की वसूली प्रत्येक व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-37- क्षेत्र पंचायत महोली की वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अन्तर्गत प्राप्त बायोगैस अनुदान की धनराशि को व्यय किया गया परन्तु उसके सापेक्ष अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	मद	धनराशि	विवरण
1-	बायोगैस अनुदान वर्ष 2012-13	24000.00	श्री दयाराम, ख०वि०अ० श्री बाबूराम, सहायक लेखाकार
2-	बायोगैस अनुदान वर्ष 2013-14	36954.00	श्री रामआसरे सिंह, ख०वि०अ० श्री बाबूराम, सहायक लेखाकार
	योग -	60954.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रू० 24000.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री दयाराम** एवं **श्री बाबूराम**, सहायक लेखाकार से एवं रू० 36954.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री रामआसरे सिंह** एवं **श्री बाबूराम**, सहायक लेखाकार से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-38- क्षेत्र पंचायत महोली के वर्ष 2012-13 के ग्रान्ट रजिस्टर के भाग-2 के बारहवाँ तेरहवें वित्त की लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ कि इस वित्त से निम्न विवरण के अनुसार धनराशि व्यय की गयी। परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी पत्रावलियाँ/अभिलेख अप्राप्त रहे। बारहवाँ वित्त/तेरहवाँ वित्त के खाता संख्या 50072938155 में पूर्व वर्ष 2011-12 की अवशेष धनराशि रू० 666707.00 थी एवं दिनांक 13-12-2012 को धनराशि रू० 735781.00 प्राप्त हुयी थी अर्थात् कुल धनराशि रू० 1402488.00 के सापेक्ष रू० 1183402.00 धनराशि का कार्य वर्ष के दौरान कराया गया परन्तु अभिलेख अप्राप्त रहे। विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	मद	धनराशि	विवरण
1-	रघुवरदयाल से सीतापुर मार्ग पर पुलिया निर्माण	51389.00	श्री दयाराम, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री बाबूराम, सहायक लेखाकार
2-	बसारा से रघुवरदयाल मार्ग पर पुलिया निर्माण	51389.00	
3-	बसारा से रघुवरदयाल मार्ग पर ह्यूम पाइप एवं पुलिया	245004.00	
4-	रघुवरदयाल से सीतापुर मार्ग पर पुलिया निर्माण	266549.00	
	योग -	614331.00	

5-	भगवानपुर ग्रंट के मजरा जमुनिया से तालाब के पास पुलिया निर्माण	307531.00	श्री दयाराम, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री बाबूराम, सहायक लेखाकार
6-	भगवानपुर के मजरा सीतारामपुर से अर्मी घाट तक खडन्जा निर्माण	261540.00	
	योग -	569071.00	
	महायोग (1 से 6 तक)-	1183402.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रू० 1183402.00 विभिन्न छः कार्यों पर व्यय की गयी। जिसके सापेक्ष कार्य की पत्रावलियाँ, व्यय बाउचर्स लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशि रू० 1183402.00 की वसूली नियमानुसार खण्ड विकास अधिकारी **श्री दयाराम** एवं **श्री बाबूराम** सहायक लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-39-

क्षेत्र पंचायत महोली के वर्ष 2012-13 के कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा खाता संख्या 24370 के ग्रान्ट रजिस्टर के भाग-2 के व्यय विवरण से ज्ञात हुआ कि कन्टीजेन्सी के नाम पर धनराशि व्यय की गयी। परन्तु लेखा परीक्षा में बाउचर्स अप्राप्त रहे। विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	मद	धनराशि	विवरण
1-	कन्टीजेन्सी व्यय	65129.00	श्री बाबूराम, सहायक लेखाकार
2-	कन्टीजेन्सी व्यय	28532.00	श्री लक्ष्मी प्रकाश तिवारी, स०ले०
	योग -	93661.00	
3-	मनरेगा कर्मियों के वेतन एवं अन्य व्यय	732371.00	इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक महोली को ट्रांसफर
	योग -	826032.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रू० 826032.00 में से धनराशि रू० 732371.00 मनरेगा कर्मियों के वेतन इत्यादि पर व्यय जो कि इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक महोली में स्थानान्तरित की गयी। अतः उक्त धनराशि को छोड़ते हुये अवशेष धनराशि रू० 93661.00 के व्यय विवरण अप्राप्त रहे। अतः धनराशि में से रू० **65129.00** की वसूली **श्री बाबूराम**, सहायक लेखाकार एवं रू० **28532.00** की वसूली **श्री लक्ष्मी प्रकाश तिवारी** सहायक लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-40-

क्षेत्र पंचायत महोली के वर्ष 2013-14 के तेरहवें वित्त की धनराशि को निम्न प्रकार से व्यय दर्शित है -

क्र० सं०	कार्य का विवरण	धनराशि	चेक संख्या/ दिनांक	प्राप्त कर्ता
1-	इनायतनगर ग्राम के पूरब ह्यूम पाइप पुलिया	50793.00	035029/11-05-13	सिंह स्पन पाइप
		106538.00	035030/11-05-13	सरस्वती ब्रिक फील्ड
		29650.00	035031/11-05-13	वर्मा सीमेन्ट स्टोर

		102497.00	035032/11-05-13	श्री रामलखन वर्मा
	योग -	289478.00		

उपरोक्त कार्य पर व्यय धनराशि रू० 289478.00 क अभिलेख जाँच में अप्राप्त रहे। अतः धनराशि को गबन मानते हुए उक्त की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री रामआसरे सिंह** एवं **श्री बाबूराम**, सहायक लेखाकार से की जानी चाहिए।

प्र०सं०-41- क्षेत्र पंचायत महोली के वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से निम्न कार्यों पर धनराशि व्यय की गई -

क्र०सं०	मद	धनराशि	विवरण
1-	भगवानपुर गेट के कैमरा रघुवर में सुरेश के खेत पर पुलिया	41998.00	सरस्वती ब्रिक फील्ड बंधिया
		164468.00	वर्मा सीमेन्ट स्टोर
		29940.00	श्री रामलखन वर्मा जी
		18634.00	सरस्वती ब्रिक फील्ड
		102200.00	वर्मा सीमेन्ट स्टोर मस्जिद
		17174.00	श्री रामलखन वर्मा
	योग -	374414.00	
2-	इनायतनगर में मेन खडन्जा से विजय के मकान तक सी०सी०	25694.00	सिंह स्पन पाइप लखीमपुर
		120828.00	सरस्वती ब्रिक फील्ड बंजरिया
		18131.00	वर्मा सीमेन्ट स्टोर मस्जिद
		110909.00	श्री आशीष कुमार यादव
	योग -	275562.00	
	महायोग -	649976.00	

उपरोक्त धनराशियों का दिनांक 11-05-2013 को विभिन्न चेकों द्वारा विभिन्न फर्मों एवं व्यक्तियों को भुगतान किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त किसी भी कार्य की पत्रावली जाँच में प्राप्त नहीं पता उपरोक्त वह धनराशि रू० 649976.00 को गबन मानते हुए धनराशि रू० 649976.00 की वसूली नियमानुसार खण्ड विकास अधिकारी **श्री दयाराम** एवं सहायक लेखाकार **श्री बाबूराम** से की जानी अपेक्षित है।

- क्षेत्र पंचायत – महमूदाबाद** **वर्ष 2011-12 से 2013-14** **जनपद-सीतापुर**
- प्र०सं०-42-** क्षेत्र पंचायत महमूदाबाद में वर्ष 2012-13 में उस्मानपुर में सचिवालय निर्माण कार्य पर हुए विभिन्न मदों में रू० 88000.00 रू० 121000.00 व रू० 70000.00 कुल रू० 279000.00 के भुगतान से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायत राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत न होने की स्थिति में व्यय को अपहरण मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार रू० 279000.00 के अपहरण हेतु कार्य प्रभारी **श्री सचिस कुमार श्रीवास्तव** तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
- प्र०सं०-43-** क्षेत्र पंचायत महमूदाबाद की वर्ष 2011-12 में अनुदान पंजिका के अनुसार मनरेगा योजना के अन्तर्गत दलेलनगर में मजीद के घर से जगदीश के घर तक नाली निर्माण पर हुए व्यय रू० 163580.00 से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायत राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत न होने की स्थिति में व्यय को अपहरण मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार रू० 163580.00 के अपहरण हेतु तत्कालीन कार्य प्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित रही।
- प्र०सं०-44-** क्षेत्र पंचायत महमूदाबाद की दिनांक 24-10-2011 को व्यय प्रमाणक संख्या 26 द्वारा श्री हरिशंकर को मिट्टी ढुलाई पर व्यय (33 ट्राली दर रू० 300.00 प्रति ट्राली) कुल रू० 9900.00 हेतु भुगतान किया गया जबकि उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री अरूण कुमार रावत द्वारा रू० 21000.00 अग्रिम प्राप्त किया गया है। इस प्रकार श्री रावत द्वारा क्षेत्र पंचायत निधि तें शेष धन रू० 11100.00 जमा न कर धन अपहृत किया गया है। जिसकी वसूली श्री रावत से की जानी अपेक्षित रही।

- क्षेत्र पंचायत – खैराबाद** **वर्ष 2011-12 से 2013-14** **जनपद-सीतापुर**
- प्र०सं०-45-** क्षेत्र पंचायत खैराबाद के आलोच्य वर्ष में बायोगैस अनुदान शीर्ष अन्तर्गत लाभार्थियों को रू० 8000.00 की दर से कुल रू० 48000.00 अनुदान का भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि में स्वीकृत अनुदान सूची एवं भुगतान प्राप्ति से सम्बन्धित कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, पुष्टि के अभाव में रू० 48000.00 का भुगतान अनियमित पाया गया। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है
- प्र०सं०-46-** क्षेत्र पंचायत खैराबाद के आलोच्य वर्ष में बायो गैस अनुदान शीर्ष अन्तर्गत दिनांक 31-03-2012 को रू० 51300.00 जिला विकास अधिकारी, सीतापुर को वापसी दर्शाया गया हैं वापसी की पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा। पुष्टि के अभाव में रू० 51300.00 के व्यय हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।
- प्र०सं०-47-** क्षेत्र पंचायत खैराबाद के आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त अन्तर्गत कराये गये कार्यों की पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक, टेण्डर, कोटेशन, अनुबन्ध पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिनका विवरण निम्नानुसार है –

(ii)- रामकोट में हनुमान मन्दिर के सामने मिश्रिख रोड तक इण्टर लॉकिंग –

दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
24-08-2011	249395	94500.00	बाला जी टाइल्स
24-08-2011	249396	43843.00	मे० नव्या कान्सट्रक्शन कम्पनी
24-08-2011	249397	92954.00	जनता ब्रिक फील्ड
योग –		231297.00	

(iii)- जी०टी० रोड से महाविद्यालय तक इण्टर लॉकिंग –

दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता

24-08-2011	249398	46843.00	मे० नव्या कान्सट्रक्शन कम्पनी
24-08-2011	249399	37624.00	जनता ब्रिक फील्ड
24-08-2011	249400	75600.00	सेठ टेक चन्द्र लाल चन्द्र
	योग -	157067.00	

उक्त कार्यो पर कुल रू० 388364.00, (233622.00 + 157067.00) का भुगतान पुष्टि के अभाव में अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्र०सं०-48- क्षेत्र पंचायत खैराबाद द्वारा वर्ष 2012-13 में रू० 131142.00 स्वच्छता उत्सव शीर्ष अन्तर्गत भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की पुष्टि में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न की जा सकी, पुष्टि के अभाव में भुगतान अनियमित रहा।

प्र०सं०-49- क्षेत्र पंचायत खैराबाद द्वारा वर्ष 2012-13 में बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाये गये, जिनका भुगतान निम्नानुसार किया गया। शासनादेश संख्या-ए-1-864/10-08-15-01/86 दिनांक 23-02-2008 के परिपालन में कम से कम तीन (3) फर्मों का कोटेशन टेण्डर न प्राप्त करके मनमाने ढंग से निम्न दर्शित विवरणानुसार फर्मों से स्ट्रीट लाइट क्रय कर भुगतान किया गया, जो निम्नवत् रहा इस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01-05-2012	005702	660000.00	मे० चरनस, चौक बाजार गोण्डा
31-10-2012	676720	830000.00	इण्डिया इलेक्ट्रानिक, गोमती नगर, लखनऊ
04-01-2013	659897	834260.00	इण्डिया इलेक्ट्रानिक, गोमती नगर, लखनऊ
13-09-2013	016041	786834.00	मेगा इलेक्ट्रिकल
	योग -	3111094.00	

प्र०सं०-50- क्षेत्र पंचायत खैराबाद द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त शीर्ष अन्तर्गत कराये गये कार्यो की पत्रावली एवं टेण्डर, कोटेशन, अनुबन्ध पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिनका विवरण निम्नानुसार है -

(i)- **जमैयतपुर से रामकुमार के घर तक खडन्जा निर्माण -**

दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
20-04-2012	003146	203681.00	जनता ब्रिक फील्ड मंसूनगर, सीतापुर
03-05-2012	003147	242857.00	जनता ब्रिक फील्ड मंसूनगर, सीतापुर
25-05-2012	005706	43449.00	देवीदयाल
11-07-2012	005707	139131.00	जनता ब्रिक फील्ड मंसूनगर, सीतापुर
11-07-2012	005708	8551.00	मे० नव्या कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	योग -	637669.00	

(ii)- **जमैयतपुर से रामकुमार के घर तक खडन्जा निर्माण -**

दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
21-09-2012	008271	123773.00	मे० नव्या कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर

21-09-2012	008272	490455.00	जयलक्ष्मी लाइल्स
24-09-2012	008273	305427.00	धीरज ब्रिक फील्ड
24-09-2012	008274	28118.00	राजेश कुमार
24-09-2012	008279	123900.00	जे० बी० सिंह ए०डी०ओ०
योग -		1071673.00	

पत्रावली अप्राप्त होने के कारण कार्य की क्या स्थिति रही एवं एम०बी० भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण सम्बन्धित अभियन्ता का प्रमाण-पत्र अपुष्टित रहा, उक्त के अभाव में रू० 1709342.00 (673669.00 + 1071673.00) अनियमित पाया गया।

प्र०सं०-51- क्षेत्र पंचायत खैराबाद द्वारा वर्ष 2012-13 के राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रांट रजिस्टर-II में दिनांक 25-07-2012 को शेष रू० 2630767.00 दर्शाया गया है जबकि वास्तविक शेष रू० 2349797.00 को मानते हुए अग्रिम तिथियों में त्रुटिपूर्ण शेष दर्शाया गया है। इस प्रकार अन्तर रू० 280970.00 शेष कम दर्शाकर अपहरण किया गया है। वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

प्र०सं०-52- क्षेत्र पंचायत खैराबाद द्वारा वर्ष 2013-14 में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत गणना शीर्ष अन्तर्गत रू० 20000.00 का भुगतान दर्शाया गया है, यह भुगतान किसे एवं किस कार्य हेतु किया गया है, अपुष्टित रहा। भुगतान अपुष्टित होने के कारण रू० 20000.00 की वसूली तत्कालीन कैशियर/लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्र०सं०-53- क्षेत्र पंचायत खैराबाद द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त शीर्ष अन्तर्गत कराये गये कार्यों की पत्रावली, टेण्डर/कोटेशन एवं अनुबन्ध पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसका विवरण निम्नानुसार है कार्यवाही अपेक्षित है।-

(i)- **अतुल सक्सेना के मकान से नेपालापुर मुख्य मार्ग तक सी०सी० कार्य -**

दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
02-07-2013	008790	25566.00	जगदीश एण्ड कम्पनी ब्रिक फील्ड
02-07-2013	008791	101070.00	मे० नव्या कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर
02-07-2013	008793	59160.00	जे० बी० सिंह ए०डी०ओ०
योग -		185796.00	

(ii)- **सुरेन्द्र के मकान से रामचन्द्र के मकान तक -**

दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
13-09-2013	016042	247368.00	खालसा ब्रिक फील्ड
13-09-2013	016043	17200.00	अमित सोनकर एण्ड सप्लायर
13-09-2013	016044	7910.00	मनोज (मिट्टी ढुलाई)
13-09-2013	016045	95115.00	जे० बी० सिंह ए०डी०ओ०
योग -		367593.00	

उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली, एम०बी० अप्राप्त रहने के कारण एवं उस पर व्यय की प्रमाणिकता अपुष्टित रही। कार्यपूर्ति जाँच प्रमाण-पत्र भी अप्राप्त रहा।

उक्त के अभाव में कार्यों पर किये गये रू० 553389.00 (185796.00 + 367593.00) अनियमित पाया गया।

क्षेत्र पंचायत - लहरपुर
वर्ष -2014-15 से 2016-17
विकास खंड- लहरपुर

प्रस्तर संख्या-54- क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2014-15 व 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बंधित निर्माण कार्य हेतु सम्बंधित फर्म से सामग्री क्रय की गयी है किन्तु उस पर 4% वैट व 2.24% आयकर की कटौती नहीं की गयी है |जोकि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है जिसका विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है-

क्र सं	मद	कार्य का विवरण	फार्म का नाम	धनराशि	4%वैट	2.24% टी.डी.एस.
1	राज्यवित्त/तेरहवां वित्त	अकैचनपुर टप्पा रोड से महतानियाँ मार्ग पर पुलिया एवं एप्रोच निर्माण कार्य	किसान सेवा केंद्र लालपुर बाजार लहरपुर	23455	938	525
2	राज्यवित्त/तेरहवां वित्त	भवानीपुर से रमुआपुर तक मार्ग पर खडंजा मरम्मत कार्य	सिराजुद्दीन ईट भट्टा गणेशपुर लहरपुर	37267	1491	835
3	राज्यवित्त/तेरहवां वित्त	महतनियाँ गाँव मे मेवालाल के मकान से में रोड तक सी.सी. निर्माण	शमीम अली ईट भट्टा कुल्ताजपुर	449330	17973	10065
4	राज्यवित्त/तेरहवां वित्त	प्रहलादपुर के मजरा गौरिया में इब्राहिम मकान से नंदलाल के मकान तक सी.सी नाली निर्माण	बशीर अहमद सुबराती ईट भट्टा	179208	7168	4014
			आफताब ट्रेडर्स वर्मा मार्केट	187000	7480	4188
			अली अहमद कादिल बक्श ईट	32737	1309	733
			आफताब ट्रेडर्स वर्मा मार्केट	198074	7923	4437
5	राज्यवित्त/तेरहवां वित्त	विकास खंड परिसर की रंगाई एवं मरम्मत कार्य	कटियार बिल्डिंग मैटेरियल नवीनगर	103312	4132	2314
6	राज्यवित्त/तेरहवां वित्त	बरेती जलालपुर में शिव अंगद के मकान से मेदई के मकान तक सी सी व नाली निर्माण	पटेल ट्रेडर्स केसरीगंज	320210	12808	7173
			ताज ब्रिक फिल्ड	125307	5012	2807
7	राज्यवित्त/तेरहवां वित्त	मूढीखेरा में शेखावत के मकान से अब्दुल कयूम के मकान तक सी सी व नाली निर्माण	शमीम अली ईट भट्टा कुल्ताजपुर	45174	1807	1012
			आफताब ट्रेडर्स वर्मा मार्केट	130156	5206	2915

8	राज्यवित्त/ तेरहवां वित्त	खानपुर मोहददीनपुर के मजरा बरगदहा में बिहारी के मकान से सुल्तान के मकान तक सी.सी रोड व नाली निर्माण	शमीम अली ईट भट्टा कुल्ताजपुर	130310	5212	2919
			पटेल ट्रेडर्स केसरीगंज	420462	16818	9418
9	राज्यवित्त/ तेरहवां वित्त	बरगदहा में रामबालक के मकान से उमेश के खेत तक नाली निर्माण	ताज ब्रिक फिल्ड	62059	2482	1390
			पटेल ट्रेडर्स केसरीगंज	185532	7421	4156
1 0	राज्यवित्त/ तेरहवां वित्त	तारनपुर में करार के मकान से मुजाहिद के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण	शमीम अली ईट भट्टा कुल्ताजपुर	39915	1596	894
			पटेल ट्रेडर्स केसरीगंज	110376	4415	2472
1 1	राज्यवित्त/ तेरहवां वित्त	गोकुलपुर पेंटेड रोड से टकेली पेंटेड रोड तक खंडजा निर्माण कार्य	दो फूल ईट भट्टा मकनपुर	301476	12059	6753
योग				3081360	123250	69020

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि रु 123250.00वैट की धनराशि तथा रु 70038.00 आयकर की धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि रु 192270.00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह व श्री राजेन्द्र प्रसाद संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही वसूली किया जाना अपेक्षित है। ऐसे में न काटे गये आयकर व वैट की धनराशि के बराबर वसूलनीय धनराशिपेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खंड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर संख्या -55- आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में अनुदान पंजिका की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु मिट्टी क्रय की गयी है, जिस पर रायल्टी की धनराशि की कटौती नहीं की गयी है अथवा रायल्टी जमा की रसीद/चालान सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त राजस्व की पुष्टि न हो सकी। विवरण निम्नवत रहा-

क्र.सं.	कार्य का नाम	मिट्टी क्रय का स्रोत	मिट्टी की मात्रा(घन मीटर)	भुगतान	रायल्टी 9 रु.प्रति घन मीटर
1(राज्य वित्त/ते रहवां वित्त)	अकैचनपुर टप्पा रोड से महतानियाँ मार्ग पर पुलिया एवं एप्रोच निर्माण कार्य	घनश्याम पुत्र श्री बदलूराम ग्रा.अंदेशनगर को 99 रु प्रति घन	1615.01 905.32	159886.00 89627.00	14535.00 8148.00

		मीटर की डॉ से भुगतान			
			2520.33	249513.00	22683.00

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि मिट्टी दुलाई/क्रय भुगतान कुल रु 249513/श्री घनश्याम पुत्र श्री बदलूराम को किया जाना चाहिय था जबकि ऐसा न करके उक्त भुगतान कार्यप्रभारी श्री कौशलेन्द्र वर्मा गा.वि.अधि.को चेक संख्या 22071 दिनांक 10-04-2014 द्वारा रु 159886.00 व चेक संख्या 22070 दिनांक 10-04-2014 द्वारा रु 89627.00 का किया गया तथा रायल्टी की धनराशि रु.22683.00 की कटौती भी नहीं की गयी। उ.प्र.जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा)नियमावली 1965के नियम 66 के अनुसार “क्षेत्रनिधि लेखे से सम्बद्ध भुगतान के लिए दावे के रूप में प्रस्तुत किये वर्मा दावे के रूप में प्रस्तुत किये गये बिल तथा अन्य प्रमाणक परिक्षणोंपरांत ही भुगतान हेतु अनुमन्य किय जायेगे” भुगतान नियमों का उल्लंघन कर किये गये समस्त भुगतान रु.249513.00 को अनियमित मानते हुए वसूली की कार्यवाही खंड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह व कार्य प्रभारी श्री कौशलेन्द्र वर्मा गा.वि.अधि.से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56- क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान रजिस्टर/पत्रावलियों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लेबर सेस व रायल्टी की कटौती तो की गयी किन्तु इनके सापेक्ष जमा रशीद/चालान व कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया,जिससे उक्त राजस्व कटौती की जमा की पुष्टि न हो सकी,जोकि अनियमित एवं गंभीर आपत्तिपूर्ण रहा। विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	कटौती का मद	वर्ष	चेक सं./दिनांक	धनराशि
1	रायल्टी की धनराशि	2016-17	104855/31-08-16	30565/-
2	लेबर सेस की धनराशि	2016-17	104856/31-08-16	5975/-
3	रायल्टी की धनराशि	2016-17	104863/02-09-16	11953/-
4	लेबर सेस की धनराशि	2016-17	104860/02-09-16	5050/-
5	रायल्टी की धनराशि	2016-17	104854/20-08-16	48377/-
6	लेबर सेस की धनराशि	2016-17	104850/20-08-16	4685/-
			योग	106605/-

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि रायल्टी व सेस की कुल धनराशि रु. 106605/- की वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह व लेखाकार श्री मुशिरुद्दीन खां से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - खैराबाद

वर्ष -2014-15 से 2016-17

विकास खंड- खैराबाद

प्रस्तर संख्या-57- वर्ष 2014-15 में ग्रांट रजिस्टर-2 के निम्न शीर्षों में विवरणहीन व्यय दर्शाकर धनराशि का अपरहण/गबन किया गया है-

- (1) राज्यवित्त/तेरहवां वित्त ब्याज दिनांक 09-09-2014 रु. 22,223-
- (2) मनरेगा लघु सिंचाई तिथि विहीन रु. 17,632-

योग - 39855-

अतः तत्कालीन खं.वि.अधि. एवं लेखाकार से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-58- क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार वापस की गयी धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिससे यह पुष्टित नहीं हो सका कि ग्रांट रजिस्टर-2 में दर्शित धनराशि वास्तव में सक्षम अधिकारी को ही वापस की गयी है। विवरण निम्नानुसार है-

तिथि	शीर्ष	धनराशि	अंकित अधिकारी
28-01-2014	स्वच्छता उत्सव	1,31,142=00	डी.पी.आर.ओ. सीतापुर
24-07-2014	पेयजल स्वच्छता कार्य.	10,000=00	पेयजल स्वच्छता समिति सीतापुर
28-01-2015	निर्मल भारत बेसलाइन सर्वे	10,000=00	डी.पी.आर.ओ. सीतापुर
	योग	1,51,142=00	

अतः प्रमाणक से वापसी की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। पुष्टि के अभाव में तत्कालीन खंड वि.अधि.व लेखाकार से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-59- ग्रांट रजिस्टर-2 में प्रारम्भिक एवं अंतिम शेष त्रुटिपूर्ण दर्शाकर धनराशि का गबन किया गया है। वर्ष 2014-15 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि शीर्ष में प्रारम्भिक शेष रु.931274=00 दर्शाकर गया है, जबकि ग्रांट रजि-3 के अनुसार रु.10,12,619=00 होना चाहिए। इस प्रकार प्रा.शेष रु.81,345=00 से कम पाया गया। इसी प्रकार आग्रिम ग्रांट रजिस्टर -3 के अनुसार रु. 2812699=00 होना चाहिए। जबकि ग्रांट रजिस्टर -2 में आय-व्यय के आधार पर रु.266500=00 ही दर्शाया गया है। जो रु. 147699=00 से कम है।

उपरोक्तानुसार प्रारम्भिक एवं अंतिम शेष कुल रु.229044=00(81345+147699) से कम दर्शित पाया गया, जिसकी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-60- क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट सोडियम लाईट क्रय हेतु तुषार इले.वर्क्स को चेक सं.0016073 दिनांक 02-07-14 द्वारा रु.23,18,943=00 भुगतान किया गया। जिस पर टीडीएस रु. 55401=00 एवं व्यापार कर रु.98931=00 का भुगतान किया गया।

उक्त कार्य प्रभारी श्री छोटेला(ए.डी.ओ.पंचायत) एवं श्री नवीन कुमार अभियंता की देखरेख में किया गया। पत्रावली के अवलोकन में तुषार इले.वर्क्स के नाम स्वीकृत टेंडर अनियमित पाया गया। क्रय किए गये सोडियम लाईट की संख्या व मूल्य अंकन की पुष्टि स्टॉक रजि.से नहीं करायी जा सकी। क्रय की गयी सोडियम लाईट की फिटिंग से सम्बंधित मस्टररोल भी अनुपलब्ध रहा। साथ ही क्रय की गयी सोडियम लाईट का प्रयोग कहा कहा किया गया इसकी पुष्टि में उपभोग प्रमाण पत्र क्षेत्र पंचायत द्वारा मांगे जाने पर भी श्री छोटेला द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

शासनादेशसंख्या ए-1-864/दस-08-15-1/86 दिनांक 23.09.2008 का परिपालन न किये जाने एवं उक्त तथ्यों के आधार पर किया गया व्यय रु.24,73,275=00 अनियमित पाया गया। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री छोटेला(ए.डी.ओ.पंचायत), श्री नवीन कुमार अभियंता, लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-61- क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में दिनांक 11.11.2014 एवं दिनांक 05.11.2014 को क्रमशः आर्ष इलेक्ट्रॉनिक गाजियाबाद को रु. 92,872=00 एवं श्री अर्जुन सिंह को रु. 2277=00 सोलर लैम्प क्रय हेतु विधायक निधि से भुगतान किया गया है। जिस पर रु. 2128=00 आयकर की कटौती की गयी है। बिक्री कर कटौती शून्य है। लेखा परीक्षा में विदित हुआ कि क्षेत्र पंचायत में न तो सोलर लैम्प प्राप्त किया गया और न ही कही वितरित किया गया। स्टॉक पंजी भी पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इस प्रकार काल्पनिक भुगतान रु.97277=00 की वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-62- क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में कराये गये निर्माण कार्यों के अंतर्गत विधायक निधि से संबंधित निम्न पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की जा सकी, जिससे इस अवधि में इन कार्यों पर किये गये व्यय अपुष्टित रहें। विधायक निधि के अंतर्गत कराये गये कार्य एवं उन पर किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार पाया गया-

(अ) अकबरपुर में पिचरोड़ से रणवीर के प्लाट तक सी.सी.रोड निर्माण रु. 24,77,952=00

(ब) सदर शमशान घाट बाउंड्री एवं गेट निर्माण रु. 24,77,145=00

(स) कोटावाली दूकान निकट राजा कालेज, बट्सगंज मज्जिद तक सी.सी.रोड रु. 11,50,519=00

(द) बट्सगंज मज्जिद से मुजीब अहमद के घर तक सी.सी.रोड निर्माण रु. 603727=00

योग = 6709343=00

उक्त विवरणानुसार क्रमांक अ,ब,स एवं द पर किये गये व्यय कुल रु. 6709343=00 पत्रावली के अभाव में अपुष्टित रहे | पुष्टि अपेक्षित है | अतः पत्रावली के अभाव में अपुष्टित व्यय अनियमित रहे |

प्रस्तर संख्या-63- क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत कराए गये निम्न कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकी | पत्रावली के अभाव में कार्यों पर किये गये व्यय रु 54,11,377=00 अपुष्टित रहे एवं अनियमित पाए गये विवरण निम्नानुसार है-

(अ) गोगापुर उल्फत्राय में मुख्य मार्ग से परसपुर तक सी.सी. रोड निर्माण- रु. 2006178=00

(ब) अशरफपुर में डामर रोड से नहर तक सी.सी. रोड निर्माण रु. 454036=00

(स) पुलिया से मस्जिद तक सी.सी. रोड निर्माण रु. 894287=00

(द) चिलावाय में रामेन्द्र के मकान से डामर रोड तक सी.सी. रोड निर्माण रु. 1171838=00

(य) सुनील के मकान से राजाराम के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण रु. 885038=00

योग 5411377=00

उक्त कार्यों पर 1% लेकर सेस भुगतान की स्थिति भी पत्रावली के अभाव में अपुष्टित रही | पत्रावली खोजकर व्ययों की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-64- लेखा परीक्षा अवधि में निम्न विवरणानुसार किये गये भुगतान का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका, साथ ही भुगतान की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका |

अतः औचित्यहीन एवं अपुष्टित भुगतान की वसूली सम्बंधित से की जानी अपेक्षित है | विवरण निम्नानुसार है-

(1) चतुर्थ रा.वित्त/रा.वि.शीर्ष -

दिनांक 05-12-16 चेक सं.116974 रु 15,450=00 श्री हरपाल सिंह अवर अभि.

दिनांक 23-09-16 चेक सं.101138 रु.18,884=00 श्री हरपाल सिंह अवर अभि.

दिनांक 30-09-16 चेक सं.101840 रु.18,884=00 श्री हरपाल सिंह अवर अभि.

योग- 53218=00

(2) इंदिरा आवास कं.-

दिनांक 03-11-16 चेक सं.113305 रु 10,206=00 श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक

दिनांक 29-09-16 चेक सं.101138 रु 3945=00 श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक

दिनांक 30-09-16 चेक सं.101840 रु 7850=00 श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक

योग-22001=00

जनपद—उन्नाव

क्षेत्र पंचायत- सिकंदरपुर

करण

प्रस्तर-1 वर्ष 2020-21 में विवरण रहित एवं प्रमाण रहित भुगतान दर्शाकर अवशेष कम करके अपहरण रुपया 277400-00 विवरण रहित एवं प्रमाण रहित भुगतान अपहरण रुपया 327043-00 विवरण रहित एवं प्रमाण रहित भुगतान अपहरण रुपया 418472-00 विवरण रहित एवं प्रमाण रहित भुगतान अपहरण रुपया 527885-00 निर्माण पत्रावली एवं अन्य प्रमाणिक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण भुगतान राशि आपुष्ट अपहरण रुपया 419252-00 कुल अपहरण रुपया- 1970052-00 जिसकी वसूली तत्कालीन वी0डी0ओ0, लेखाकार एवं जे0ई0 से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत - असोहा

प्रस्तर-2 वर्ष 2019-20 में अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल में भरण पोषण के मद में आहरित धनराशि रुपया- 2393073-00 संगत अभिलेखों के अप्रस्तुत रहने से अपुष्टिकृत है । जिसकी वसूली तत्कालीन वी0डी0ओ0, श्री प्रमोद कुमार निगम, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-3 वर्ष 2020-21 में उक्त मद में आहरित धनराशि रुपया- 4657920-00 संगत अभिलेखों के अप्रस्तुत रहने से अपुष्टिकृत है कुल अपहरण रुपया- 4657920-00 जिसकी वसूली तत्कालीन वी0डी0ओ0, श्री प्रमोद कुमार निगम, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-4 वर्ष 2020-21 में शासकीय आदेशों एवं वित्तीय अनुशासन के विपरीत वर्ष 2020-21 की अवधि में 15वें वित्त (टेण्डर वर्क) के कार्य पत्रावलियों में भुगतान बिल मैनुअल फार्म 123/18 उ० प्र० पब्लिक वर्क डिपार्टमेन्ट चैप्टर 6 पैरा 144 संलग्न नहीं हैं। रुपया- 1851228-00 भुगतान अपुष्टिकृत है। कुल अपहरण रुपया- 1851228-00 जिसकी वसूली तत्कालीन वी0डी0ओ0, श्री प्रमोद कुमार निगम, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 वर्ष 2020-21 की अवधि में 15वें वित्त (टेण्डर वर्क) के कार्य पत्रावलियों में जिसमें कार्यपूर्ति नहीं संलग्न है। भुगतान अपुष्टिकृत है। कुल अपहरण रुपया- 2560128-00 जिसकी वसूली तत्कालीन वी0डी0ओ0, श्री प्रमोद कुमार निगम, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-6 वर्ष 2020-21 की अवधि में 15वें वित्त (टेण्डर वर्क) कार्य पत्रावलियां अप्रस्तुत रहीं, प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित किए जाने की स्थिति है, जो कि संदिग्ध एवं अपहरण के अन्तर्गत है। कुल अपहरण रुपया- 2672903-00-00 जिसकी वसूली तत्कालीन वी0डी0ओ0, श्री प्रमोद कुमार निगम, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 वर्ष 2019-20 व 2020-21 में जी पी डी पी कान्टीजेन्सी से सम्बन्धित बिल/बाउचर के अभाव में कार्य का प्रयोजन तथा वास्तविक व्यय के सदुपयोग की स्थिति में रुपया 75,349 अज्ञात है। कुल अपहरण रुपया- 75349-00 जिसकी वसूली तत्कालीन वी0डी0ओ0, श्री प्रमोद कुमार निगम, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-8 वर्ष 2019-20 व 2020-21 में मनरेगा कान्टीजेन्सी सम्बन्धित बिल/बाउचर के अभाव में कार्य का प्रयोजन तथा वास्तविक व्यय के सदुपयोग की स्थिति में रुपया 298321-00 अज्ञात है। कुल अपहरण रुपया- 298321-00 जिसकी वसूली तत्कालीन वी0डी0ओ0, श्री प्रमोद कुमार निगम, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-9 वर्ष 2019-20 में पी. एम. जी. ए. वाई. कान्टीजेन्सी के मद में सम्बन्धित बिल/बाउचर के अभाव में कार्य का प्रयोजन तथा वास्तविक व्यय के सदुपयोग की स्थिति अज्ञात है। 9,60,188 क्र०सं० 1,2, व 3 में उल्लिखित व्यय अपुष्ट / अनियमित है, जो कि संदिग्ध एवं अपहरण के अंतर्गत है। कुल अपहरण रुपया- 960188-00 जिसकी वसूली तत्कालीन वी0डी0ओ0, श्री प्रमोद कुमार निगम, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत - हिलौली

प्रस्तर-10 वर्ष 2020-21 में टेंडर बिक्री फार्म की धनराशि का अपहरण रुपया -126024-00, आयकर जी0एस0टी0 की कर कटौती के रुपया- 715493-00 के जामा की पुष्टि ना होना, कर कटौती कम करना रुपया- 164560-00 राज्य

वित्त मद ग्रांट -3 से कम व्यय दर्शाया जाना रुपया- 3230068-00 गोवंश आश्रय स्थल मद का विवरण ग्रांट -3 में रुपया- 3681540-00 दर्शाया ना जाना, मंरेगा कंटीजेंसी मद में बिना बिल बाऊचर रुपया -1417130-00 का व्यय दर्शाया जाना, राज्य वित्त से ब्लाक प्रमुख मानदेय का भुगतान करना रुपया- 68600-00 कुल अपहरण रुपया- 9403415-00 जिसकी वसूली तत्कालीन श्री विकास शुक्ला, वी0डी0ओ0, श्री संतोष कुमार ,लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत - बांगरमऊ

प्रस्तर-11 वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत बांगरमऊ ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर, वर्ष 19-20 में राज्य वित्त मद से अनुदान का आहरण कर ग्राम पंचायतों जगत नगर, जिरिक पुर व अरगूपुर की सीमा में अनाधिकृत व अनियमित रूप से निर्माण कार्य कराकर अनियमितता की कुल अपहरण रुपया- 2792121-00 जिसकी वसूली श्रीमती सुनीता दिवाकर, ब्लाक प्रमुख व श्री अमित कुमार सिंह , खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-12 क्षेत्र पंचायत बांगरमऊ ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर, वर्ष 20-21 में 15वाँ वित्त मद से अनुदान का आहरण कर ग्राम पंचायतों - जगत नगर, नसीरपुर, जमुनिहा बांगर व साईपुर सगौडा की सीमा में अनाधिकृत व अनियमित रूप से निर्माण कार्य कराकर अनियमितता की कुल अपहरण रुपया- 3767509-00 जिसकी वसूली श्रीमती सुनीता दिवाकर, ब्लाक प्रमुख व श्री अमित कुमार सिंह , खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-13 क्षेत्र पंचायत बांगरमऊ ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर, वर्ष 20-21 में राज्य वित्त मद से अनुदान का आहरण कर ग्राम पंचायतों हीरापुर, माढापुर व साईपुर सगौडा की सीमा में अनाधिकृत व अनियमित रूप से निर्माण कार्य कराकर अनियमितता की कुल अपहरण रुपया- 3385245-00 जिसकी वसूली श्रीमती सुनीता दिवाकर, ब्लाक प्रमुख व श्री अमित कुमार सिंह , खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-14 व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना करके धनराशि रुपया- 106200-00 का अपहरण किया |जिसकी वसूली श्रीमती सुनीता दिवाकर, ब्लाक प्रमुख व श्री अमित कुमार सिंह , खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत - मियागंज

प्रस्तर-15 वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय राज्य वित्त आयोग शीर्ष कराये गये निम्न कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही फलतः इन कार्यों पर किये गये व्यय रु0 7971293.00 अपुष्टित रहा पुष्टि के अभाव में वर्ष 2020-21 में किये गये व्यय रु० 7971293.00 की वसूली तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी, श्री राजीव कुमार सिंह व एकाउन्टेन्ट श्री अमित कुमार तिवारी से ब्याज सहित आधी धनराशि वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग शीर्ष के अन्तर्गत कराये गये निम्न कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही परन्तु इन कार्यों पर किये गये व्यय रु0 4712970 अपुष्टित रहा। अतः पुष्टि के अभाव में वर्ष 2020-21 में किये गये निम्न व्यय रु0 4712970 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह व एकाउन्टेन्ट श्री अमित कुमार तिवारी से ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त अनुदान निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की निम्नलिखित कार्यों की पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः इन कार्यों पर व्यय किये गये रु0 4477669 अपुष्ट रहा पुष्टि के अभाव में 2019-20 किये गये व्यय रु0 4477669 खण्ड विकास अधिकारी श्री के०एन० पाण्डेय व एकाउन्टेन्ट श्री कुलदीप सिंह से आधी-आधी वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप 03

संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत लोनी

वर्ष 2020-21

जनपद-गाजियाबाद

मण्डल का नाम-मेरठ।

प्रस्तर 01- क्षेत्र पंचायत लोनी की वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि ₹0 29855395.80 के सापेक्ष निर्माण कार्यपंजिका, निर्माण कार्यो के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही पंजिका चैक इश्यू पंजिका, प्रियासाफ्ट की फीडिंग पंजिका वाउचर पत्रावली आदि अन्य सभी अभिलेखों से पुष्टि नहीं करायी गयी जो कि गम्भीर अनियमितता है। इस हेतु बी0डी0ओ0 श्री अजितेश सिंह, अभियन्ता श्री करनवीर सिंह व लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 02- क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश के विपरीत राजकीय अनुदान से प्राप्त ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ₹0 789230.07 को राजकोष में जमा न किया जाना अनियमितता है। इस हेतु लेखाकार श्री मदनपाल व बी0डी0ओ0 श्री अजितेश सिंह उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 03- क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासन से प्राप्त अनुदान राशि का समय से उपयोग न करके व अनुदान राशि शासन को वापस न करके अवशेष के रूप में ₹0 22949367.66 को रोक कर रखा जाना अनियमितता है। उक्त हेतु लेखाकार श्री मदनपाल व बी0डी0ओ0 श्री अजितेश सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 04- क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि गोवंश आश्रय स्थल मद में व्यय ₹0 1230660.00 एवं सांसद निधि मद में व्यय ₹0 787844.00 (कुल ₹0 2018504.00) से सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख अप्राप्त रहना। उक्त अनियमितता हेतु बी0डी0ओ0 श्री अजितेश सिंह व लेखाकार श्री मदनपाल उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 05- क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो पर टी0डी0एस0, वैट एवं सेस की कटौती की गई है। परन्तु कटौती की धनराशि ₹0 1274871.00 को संगत शीर्ष में जमा करने सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए। उक्त अनियमितता हेतु बी0डी0ओ0 श्री अजितेश सिंह, अभियन्ता श्री आर.के.सागर व लेखाकार श्री मदनपाल उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 06- क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में व्यय ₹0 1977302.10 तथा पन्द्रहवें वित्त की धनराशि से व्यय ₹0 1623134.00 कुल ₹0 3600436.10 की पुष्टि में पत्रावली/अभिलेख अप्राप्त रहना। अतएव उक्त अनियमितता हेतु बी0डी0ओ0 श्री अजितेश सिंह व लेखाकार श्री मदनपाल उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 07- क्षेत्र पंचायत रजापुर जनपद गाजियाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्यो पर व्यय पर आयकर, जी0एस0टी0 एवं सेस की कटौती का सही निर्धारित सीमा से कम किया जाना तथा धनराशि ₹0 103610.00 को राजकोष में जमा न किया जाना गम्भीर अनियमितता है। इस हेतु लेखाकार श्री प्रदीप कुमार व बी0डी0ओ0 श्री भालचन्द्र त्रिपाठी उत्तरदायी है। 103610=00 रुपये राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

जनपद हापुड़

मण्डल मेरठ

क्षेत्र पंचायत - सिम्भावली

प्रस्तर संख्या-01 विकास खण्ड-सिम्भावली वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया कि वर्ष मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अंतर्गत रु0 40,13,000.00 प्राप्त हुआ है तथा रु0 40,57,720.00 सामुहिक विवाह योजना के अंतर्गत व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि अनुदान पंजिका तीन से होती है। उक्त योजना पर व्यय की गयी धनराशि रु0 40,57,720.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक जैसे-व्यय बाउचर्स, पत्रावली व व्यय किये जाने से संबंधित शासनादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त धनराशि के अपहरण/गम्भीर अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये संबंधित सचिव व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किये गये व्यय के संबंध में कोई भी व्यय बाउचर्स उपलब्ध न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम में व्यय की गयी धनराशि को क्षेत्र पंचायत सचिव व लेखाकार द्वारा अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इसकी जाच कराकर अपहरण की स्थिति में कुल व्यय की धनराशि रु0 40,57,720.00 वसूली क्षेत्र पंचायत के संबंधित बी0डी0ओ0 व संबंधित लेखाकार से की जाय। उक्त के लिए उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री प्रेमचन्द , श्री संजयकुमार श्री अरविन्द कुमार, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री अरविन्द प्रकाश व लेखाकार श्री सोहन लाल से वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-02

विकास खण्ड-सिम्भावली वर्ष 2019-

20 की लेखा परीक्षा में पाया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निम्न निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य ग्राम पंचायत के अंदर ही कराया गया है, जबकि शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि का उपभोग कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य कराकर किया जाना चाहिये। क्षेत्र पंचायत का कार्य एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने का कार्य है। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से हटकर ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है जो गम्भीर अनियमितता है नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

क्र0	कृत कार्य का विवरण	भुगतान की धनराशि
01	ग्राम बक्सर में चामुण्डा वाले सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य।	377753
02	ग्राम बहरामपुर बाडली में क्रबिस्तान वाले सम्पर्क मार्ग पर इंटरलाकिंग कार्य।	611247
03	ग्राम धनपुरा में मुख्य सम्पर्क मार्ग पर स्कूल से ब्रजपाल के मकान तक इंटरलाकिंग कार्य।	997419
04	ग्राम राजपुर में शमशान वाले रास्ते पर खडंजा निर्माण कार्य।	752972
05	ग्राम बंगौली में अम्बेडर भवन में इंटरलाकिंग कार्य।	447187
06	ग्राम खुराना जहागीराबाद में सम्पर्क मार्ग पर खडंजा निर्माण।	662554
07	ग्राम बंगौली में शमशान वाले सम्पर्क मार्ग पर खडंजा निर्माण कार्य।	251852
08	ग्राम दरियापुर में मुख्य सम्पर्क मार्ग से शमशान तक खडंजा निर्माण कार्य।	680735
	योग-	4781719

उक्त के लिए उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री प्रेमचन्द , श्री संजयकुमार श्री अरविन्द कुमार, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री अरविन्द प्रकाश व लेखाकार श्री सोहन लाल है।

प्रस्तर संख्या-03 विकास खण्ड-सिम्भावली वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया कि लेखा परीक्षा वर्ष दौरान गौवंश आश्रय स्थल के अन्तर्गत रु0 6,13,200.00 प्राप्त हुआ है तथा रु0 6,13,200.00 व्यय किया गया है। जिसकी

पुष्टि अनुदान पंजिका तीन से होती है। उक्त योजना पर व्यय की गयी धनराशि रु0 6,13,200.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक जैसे-व्यय बाउचर्स, पत्रावली व व्यय किये जाने से संबंधित शासनादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त धनराशि के अपहरण/गम्भीर अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये संबंधित सचिव व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किये गये व्यय के संबंध में कोई भी व्यय बाउचर्स उपलब्ध न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम में व्यय की गयी धनराशि को क्षेत्र पंचायत सचिव व लेखाकार द्वारा अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इसकी जांच कराकर अपहरण की स्थिति में कुल व्यय की धनराशि रु0 6,13,200.00 वसूली क्षेत्र पंचायत के सम्बन्धित सचिव व सम्बन्धित लेखाकार से की जाय। उक्त के लिए उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री प्रेमचन्द , श्री संजयकुमार श्री अरविन्द कुमार, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री अरविन्द प्रकाश व लेखाकार श्री सोहन लाल से वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-04 क्षेत्र पंचायत हापुड़ वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार कुल रु0 1,44,44,897.70 सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि अनुदान पंजिका तीन से होती है। उक्त योजना पर व्यय की गयी धनराशि रु0 1,44,44,897.70 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक जैसे-व्यय बाउचर्स, पत्रावली व व्यय किये जाने से संबंधित शासनादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त धनराशि के अपहरण/गम्भीर अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये सम्बन्धित सचिव व लेखाकार उत्तरदायी हैं । उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किये गये व्यय के संबंध में कोई भी व्यय बाउचर्स उपलब्ध न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम में व्यय की गयी धनराशि को क्षेत्र पंचायत सचिव श्री निशांत पाण्डेय, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राजेन्द्र पाण्डेय द्वारा गम्भीर अनियमितता/अपहरण माना जाय। अतः इसकी जांच कराकर गम्भीर अनियमितता/अपहरण की स्थिति में कुल व्यय की धनराशि रु01,44,44,897.70 की वसूली क्षेत्र पंचायत के संबंधित सचिव व लेखाकार से तात्परीख ब्याज सहित की जाय।

क्र0 लेखा परीक्षा वर्ष वर्ष दौरान व्यय की गयी धनराशि

01	2017-18	21,94,891.00
02	2018-19	39,22,940.00
03	2019-20	83,27,066.70
योग:-		1,44,44,897.70

उक्त के उत्तरदायी सचिव श्री निशान्त पाण्डेय व लेखाकार श्री राजेन्द्र पाण्डेय है।

प्रस्तर संख्या-05 क्षेत्र पंचायत हापुड़ वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निम्न निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य ग्राम पंचायत के अंदर ही कराया गया है, जबकि शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि का उपभोग कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य कराकर किया जाना चाहिये। क्षेत्र पंचायत का कार्य एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने का कार्य है। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से हटकर ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है जो गम्भीर अनियमितता है जिसे तत्कालीन सचिव श्रीमती ज्योतिबाला व श्री निशांत शर्मा खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार राजेन्द्र पाण्डेय जिम्मेदार हैं नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:-

क्र०	कार्य का नाम	कुल भुगतान की धनराशि
	2017-18	
01	ग्राम नली में गुरुदत्त मास्टर से देवेन्द्र की टियूबेल तक खडंजा निर्माण	518059
	2018-19	
02	भटेल में संदीप के खेत से नरेन्द्र के खेत तक खडंजा निर्माण	767187
03	पीरनगर सूदना में राजकुमार के खेत से लाल सिंह के खेत तक खडंजा निर्माण	608167
04	नली हुसैनपुर में भूदेव शर्मा के खेत तक खडंजा निर्माण	350380
05	भटियाना में सुधीर के खेत से देवेन्द्र के खेत तक खडंजा निर्माण	1243442
06	भडंगपुर में हरेन्द्र बी.डी.सी. के धर से नाली निर्माण	1279042
07	नूरपुर में मुन्नू नाई के मकान से काली सडक तक खडंजा निर्माण	899809
08	जरोठी में जरोठी विजली घर मार्ग पर खडंजा निर्माण	384508
09	कावी की मढैया से चेताराम के बाग तक खडंजा निर्माण	795799
10	शेषपुर में कान्ति दत्त शर्मा के खेत से एस.डी.एम. के बाग तक खडंजा निर्माण	1487495
11	गिरधरपुर में होनी चैक से जगपाल प्रधान तक नाली निर्माण	159594
12	छपकौली में मोहित के खेत से अजयपाल के खेत तक खडंजा निर्माण	763271
13	विकास खण्ड में मीटिंग हाल मरम्मत कार्य	1527913
14	बछलौता में होईया से पप्पू के खेत तक खडंजा निर्माण	281956
15	होशियारपुर गढी में रहीम पाल के खेत से गिरराजकी टयूबेल तक खडंजा निर्माण	709904
16	धनौरा में सतू मूखिया के खेत से राजवीर के खेत तक खडंजा निर्माण	480517
17	दयानतपुर में सूरज के कुए से रजवाहे तक खडंजा निर्माण	663613
18	काकौडी में विजली घर से पीपल वाले तालाब तक नाली निर्माण	572616
19	हाजीपुर में मंदिर के पास नाली निर्माण	314432
20	जोगीपुर में मैन रोड से वाया ईदगाह तक खडंजा निर्माण	694074
21	गिरधरपुर में अरुण चेरर मैन के खेत से टियूबेल तक खडंजा निर्माण	781314
22	नूरपुर में विजयपाल की टियूबेल से प्रा०पा० की ओर खडंजा निर्माण	315650
23	होशियारपुर गढी में पप्पू के खेत से रोड तक खडंजा निर्माण	119377
24	नूरपुर में राजेन्द्र के खेत से वारिस के खेत तक खडंजा निर्माण	126479
25	लुकराडा में धनराम के प्लाट से बच्चे के शमशान तक इ०ला०	878266
26	भमैडा में बजीर के घर से ईदगाह तक खडंजा निर्माण	954573
27	चितौली में महावीर के खेत से शिवराज के खेत तक खडंजा	707169
28	सलाई में चूना के चक से पुराने नाले तक नाला निर्माण कार्या	953904
29	नली में मांगे नाई के खेत से सी.ओ. राकेश शर्मा के खेत तक खडंजा निर्माण	291359
30	नली में भोपाल शर्मा के घर से सर्विस रोड तक खडंजा निर्माण	606197
31	काकौडी में ओमी के म० से लीलू के म० तक दोनों ओर नाली निर्माण	618211
32	बाबूगढ में महेन्द्र के खेत से भगतजी के टियूबेल तक खडंजा निर्माण	714747
33	कुराना में फैयाज के बाग से खलील के टियूबेल तक खडंजा निर्माण	451313
34	धुधराला में प्रमोद के प्लाट से इमरान के खेत तक खडंजा निर्माण	679551
35	उबारपुर में नत्थू सिंह के बाग से विपिन जयपाल तक खडंजा निर्माण	356671

36	ततारपुर में संदेश के भट्टे से बुन्दू के खेत तक खडंजा निर्माण	197997
37	दोयमी में सतीश त्यागी के खेत से सोमदत्त त्यागी के खेत तक खडंजा निर्माण	627050
38	दोयमी में लज्जा के खदान से एस.सी. बस्ती तक खडंजा निर्माण	259680
	योग-	2,36,23,227.00
2019-20		
39	जरौठी में राजेन्द्र के खेत से मुकेश शर्मा तक खडंजा निर्माण	151386
40	हाजीपुर उदयपुर मार्ग से लीला के टियूबेल तक खडंजा निर्माण	130015
41	कावी की मढैया में मैन खडंजे से श्यौराज के खेत से उदयवीर के खेत तक खडंजा निर्माण	338318
42	दादरी जोगीपुरा लिंक मार्ग तक खडंजा निर्माण	258278
43	जोगीपुर में ईश्वर माली की टियूबेल से कुवर दानिश माली के बाग तक खडंजा निर्माण	570696
44	विकास खण्ड कार्यालय की मरम्मत रगाई पोताई कार्य	2242594
45	श्यामपुर में शमशान मार्ग पर खडंजा निर्माण	627270
46	लुखराडा में पाले के खेत से सडक तक खडंजा निर्माण	72570
47	शेखपुर में स्कूल से शोभराज के खेत तक खडंजा मरम्मत	280382
48	महमूदपुर में भीष्म के खेत से बवल के खेत तक खडंजा निर्माण	516435
49	शेखपुर में धर्मवीर के नलकूप से तालाब तक नाली निर्माण	235995
50	आयाद नगर उत्तरी में मैन सडक से माता मंदिर तक इं0ला0 कार्य	894612
51	दोयमी में तरुण त्यागी के कुए से मंगू सैनी के कुए तक सी0सी0	990721
52	कमालपुर में मदरसे से सडक तक खडंजा निर्माण	446641
	योग-	77,55,913.00
	कुल योग-	3,18,97,199.00

प्रस्तर संख्या-06 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर वर्ष 2019-20 व 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष दौरान मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अंतर्गत क्रमशः रु0 67,03,000.00 व 20,40,000.00 प्राप्त हुआ है तथा क्रमशः रु0 63,26,372.00 व 26,21,828.00 कुल रु0 89,48,200.00 सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि अनुदान पंजिका तीन से होती है। उक्त योजना पर व्यय की गयी धनराशि रु0 89,48,200.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक जैसे-व्यय बाउचर्स, पत्रावली व व्यय किये जाने से संबंधित शासनादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त धनराशि के अपहरण/गम्भीर अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये सम्बन्धित सचिव व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किये गये व्यय के संबंध में कोई भी व्यय बाउचर्स उपलब्ध न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम में व्यय की गयी धनराशि को क्षेत्र पंचायत सचिव व लेखाकार द्वारा अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इसकी जांच कराकर अपहरण की स्थिति में कुल व्यय की धनराशि रु0 89,48,200.00 वसूली क्षेत्र पंचायत के सम्बन्धित सचिव व सम्बन्धित लेखाकार श्री सुधीर कुमार से की जाय। उक्त के लिए उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र, श्री संजय कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री डी0के0 अग्रवाल व लेखाकार श्री सुधीर कुमार है।

प्रस्तर संख्या-07 क्षेत्र पंचायत हापुड़ वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा दौरान ग्राम पंचायत-भटैल में गौशाला के अंतर्गत कुल रु0 30,82,599.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि अनुदान पंजिका तीन से होती है। उक्त योजना पर व्यय की गयी धनराशि रु0 30,82,599.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक जैसे-व्यय बाउचर्स, पत्रावली व व्यय किये जाने से संबंधित शासनादेश, सक्षम अधिकारियों का गौशाला निर्माण से संबंधित आदेश आदि

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त धनराशि के अपहरण/गम्भीर अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये संबंधित सचिव व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किये गये व्यय के संबंध में कोई भी व्यय बाउचर्स उपलब्ध न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम में व्यय की गयी धनराशि को क्षेत्र पंचायत सचिव व लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता/अपहरण माना जाय। अतः इसकी जांच कराकर गम्भीर अनियमितता/अपहरण की स्थिति में कुल व्यय की धनराशि रु० 30,82,599.00 की वसूली क्षेत्र पंचायत के सम्बन्धित सचिव व लेखाकार से तातारीख-+ज सहित की जाय। उक्त के उत्तरदायी सचिव श्री निशांत पाण्डेय ,श्री आनंद विजय यादव व लेखाकार श्री राजेन्द्र पाण्डेय हैं।

प्रस्तर संख्या-08 क्षेत्र पंचायत हापुड़ वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा दौरान मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल रु० 34,20,084.00 सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि अनुदान पंजिका तीन से होती है। उक्त योजना पर व्यय की गयी धनराशि रु० 3420084.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक जैसे-व्यय बाउचर्स, पत्रावली व व्यय किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त धनराशि के अपहरण/गम्भीर अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये संबंधित सचिव व लेखाकार उत्तरदायी हैं । उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किये गये व्यय के संबंध में कोई भी व्यय बाउचर्स उपलब्ध न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम में व्यय की गयी धनराशि को क्षेत्र पंचायत सचिव व लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता/अपहरण माना जाय। अतः इसकी जांच कराकर गम्भीर अनियमितता/अपहरण की स्थिति में कुल व्यय की धनराशि रु० 3420084.00 की वसूली क्षेत्र पंचायत के सम्बन्धित सचिव व लेखाकार से तातारीख ब्याज सहित की जाय। उक्त के उत्तरदायी सचिव श्री निशांत पाण्डेय ,श्री आनंद विजय यादव व लेखाकार श्री राजेन्द्र पाण्डेय हैं।

प्रस्तर संख्या-09 क्षेत्र पंचायत हापुड़ वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्न कार्यों को अपने कार्य क्षेत्र से इतर हटकर निर्माण कार्य किया गया है जबकि शासनादेश संख्या 8307/33-02-2004-93 सी/2004 दिनांक 17.01.2005 के अनुसार ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराना ग्राम पंचायत का कार्य है। क्षेत्र पंचायत का कार्य एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत को जोड़ने का है। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा ऐसा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी:-

क्र०	योजना का नाम	कराये गये कार्य का नाम	शुद्ध भुगतान की धनराशि
01	15 वा वित्त ग्राम पंचायत नली में पिंटू के मकान से भूदेव शर्मा तक नाली निर्माण।		458514.00
02	15 वा वित्त ग्राम पंचायत नली में बगिया से सतवीर के मकान से मनोज के घर की ओर इंटरलाँकिंग कार्य।		712172.00
03	15 वा वित्तग्राम पंचायत दयानतपुर में सतीश के घर से नीरज के घर तक इंटरलाँकिंग कार्य।		744638.00
04	राज्य वित्त छपकौली मंदिर के पास रास्ते पर सोलर लाईट		224534.00
05	राज्य वित्त ग्राम पंचायत भटैल में हरिजन बस्ती से आजादनगर की ओर इंटरलाँकिंग कार्य।		924523.00
06	राज्य वित्त ग्राम पंचायत दोयमी में मनोज त्यागी के घर से शिव मंदिर तक नाला निर्माण।		927139.00

07	राज्य वित्त ग्राम पंचायत नूरपुर में तिनाया से सतवीर के मकान तक मंदिर गली में सी0सी0 कार्य।	475714.00
08	राज्य वित्त ग्राम पंचायत शेखपुर में राकेश के घर से जगदीश के घर तक इंटरलाकिंग कार्य।	441603.00
09	राज्य वित्त ग्राम पंचायत पीरनगर सूदना में अनुज त्यागी के मकान से तालाब तक सी0सी0 रोड।	805113.00
	योग-	5713950.00

उक्त के उत्तरदायी सचिव श्री निशांत पाण्डेय ,श्री आनंद विजय यादव व लेखाकार श्री राजेन्द्र पाण्डेय है। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-10 क्षेत्र पंचायत सिम्भावली वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रु0 20,40,000.00 प्राप्त हुआ है तथा रु0 20,46,320.00 सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि अनुदान पंजिका तीन से होती है। उक्त योजना पर व्यय की गयी धनराशि रु0 20,46,320.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक जैसे-व्यय बाउचर्स, पत्रावली व व्यय किये जाने से संबंधित शासनादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त धनराशि के अपहरण/गम्भीर अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये संबंधित सचिव व लेखाकार उत्तरदायी हैं । उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किये गये व्यय के संबंध में कोई भी व्यय बाउचर्स उपलब्ध न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम में व्यय की गयी धनराशि को क्षेत्र पंचायत सचिव व लेखाकार द्वारा अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इसकी जांच कराकर अपहरण की स्थिति में कुल व्यय की धनराशि रु0 20,46,320.00 वसूली क्षेत्र पंचायत के सम्बन्धित सचिव श्री अरविन्द प्रकाश व श्री सुरेन्द्र सिंह खण्ड विकास अधिकारी व संबंधित लेखाकार श्री सोहन लाल से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-11 क्षेत्र पंचायत सिम्भावली वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निम्न निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य ग्राम पंचायत के अंदर ही कराया गया है, जबकि शासनादेश संख्या1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि का उपभोग कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य कराकर किया जाना चाहिये। क्षेत्र पंचायत का कार्य एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने का कार्य है। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से हटकर ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है जो गम्भीर अनियमितता है:-

क्र0	कार्य का नाम	कुल भुगतान की धनराशि
01	ग्राम जखैडा रहमतपुर में कोआपरेटिव सोसाईटी वाले सम्पर्क मार्ग पर इंटरलाक	864797
02	ग्राम मतनौरा में मैन सम्पर्क मार्ग से महेन्द्र भगवती जी के मकान तक इंटरलाकिंग	321246
03	ग्राम मुक्तेश्वरा में मैन रोड से प्राईमरी स्कूल के बराबर से सुभाष नेता जी के मकान तक इंटरलाकिंग कार्य।	255970
04	ग्राम रझैडा में रजवाहे वाले मुख्य मार्ग पर इंटरलाकिंग कार्य।	992274
05	ग्राम धनावली उर्फ अटटा में मुख्य सम्पर्क मार्ग से अजीत के मकान वाले रास्ते पर सी0सी0रोड निर्माण कार्य।	362560

06	ग्राम रझैटी में मुख्य मार्ग पर इंटरलाकिंग कार्य।	988470
07	सिम्भावली में किसान पी0जी0 कालेज के बराबर में रजवाहे से अशोक की तरफ इंटरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	984679
08	ग्राम खुराना जहागीराबाद में सम्पर्क मार्ग पर ध्यान सिंह वाले रास्ते पर इंटरलाकिंग नाली/निर्माण।	830432
09	ग्राम राजपुर में सैनी बस्ती वाले सम्पर्क मार्ग पर इंटरलाकिंग /नाली निर्माण।	993636
10	ग्राम खागोई सहसपुरा में सम्पर्क मार्ग पर इंटरलाकिंग /नाली निर्माण।	961835
11	ग्राम जमालपुर में मुख्य मार्ग पर इंटरलाकिंग नाली निर्माण कार्य।	966422
12	ग्राम भरना में शमशान वाले रास्ते का अवशेष कार्य पर इंटरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य। 973427	
13	ग्राम हिम्मतपुर में शेर सिंह के मकान से भल्लन सिंह के खेत तक इंटरलाकिंग कार्य।	633195
14	ग्राम रतुपुरा में मुख्य सम्पर्क मार्ग पर इंटरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	934759
15	ग्राम दरियापुर में सुजीत के खेत से लव कुमार के खेत तक खण्डजा निर्माण।	767351
16	ग्राम रझैटी में मेन रोड से हाजी अंसार तक इंटरलाकिंग कार्य।	568990
17	ग्राम रझैडा में रजवाहे से नदीम के खेत तक रजवाहे से राजू के मठ तक मुख्य सड़क से कहरी तक इंटरलाकिंग कार्य।	764466
18	ग्राम हरौडा में मुख्य सड़क पर बैंक के पास सड़क के दोनो ओर नाली निर्माण कार्य।	237056
19	ग्राम सलोनी में महिपाल के मकान से ग्राम की तरफ उमो शर्मा के मकान की तरफ इंटरलाकिंग कार्य।	942305
20	ग्राम जखैडा में महिपाल के मकान से तालाब की ओर नाली निर्माण कार्य।	669447
21	ग्राम मुजफरा बागडपुर राम कुमार सेठ जी के खेत से मेनरोड की ओर नाला निर्माण।	936704
22	ग्राम मुरादपुर रजवाहे वाले मार्ग पर इंटरलाकिंग कार्य।	932452
23	ग्राम भगवानपुर में भोपाल के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य।	619281
24	ग्राम रजापुर में अजयवीर के मकान से सोदान मुनिम जी तक इंटरलाकिंग कार्य।	524710
25	ग्राम हरौडा में हरौडा के मेनरोड के दोनो साईड इंटरलाकिंग कार्य।	781657
26	ग्राम मुरादपुर में कब्रिस्तान वाले रास्ते पर इंटरलाकिंग कार्य।	933412
27	ग्राम रझैडा में शमशान सेड निर्माण,दीवार मरम्मत व शमशान स्थल का कार्य।	828960
28	ग्राम दतियाना में कानि प्रसाद शर्मा के यहा से ओम प्रकाश के खेत तक खडण्जा कार्य।	577502
29	ग्राम खुराना जहागीराबाद में धनमान सिंह के घर से तालाब तक इंटरलाकिंग कार्य।	765070
30	ग्राम फुलडी में मुख्य मार्ग पर कब्रिस्तान पर इंटरलाकिंग कार्य।	576186

31	ग्राम दरियापुर में गौशाला तक इंटरलाकिंग कार्य।	535888
32	ग्राम सरुरपुर में सम्पर्क मार्ग रोड से भोवापुर लिंग रोड तक खडण्जा।	696850
33	ग्राम दरियापुर में शौचालय स्थल निर्माण ।	369953
34	ग्राम तिगरी में मुख्य सम्पर्क मार्ग से मो0पुर सम्पर्क मार्ग पर इंटरलाकिंग कार्य।	942937
35	ग्राम मो0पुर आजमपुर में कनिया सम्पर्क मार्ग पर इंटरलाकिंग कार्य।	853103
36	ग्राम भोवापुर मस्तान नगर में मंदिर वाले रास्ते पर इंटरलाकिंग कार्य।	774247
37	ग्राम मुबारिकपुर में मुख्य सम्पर्क मार्ग पर शकरपुर की ओर इंटरलाकिंग कार्य।	935713
38	ग्राम फुलडी में मुस्ताक से साजिद तक इंटरलाकिंग कार्य।	928086
39	ग्राम रझैटी में ब्रह्म पाल के माकान से इलियास के ट्यूबेल के पास गन्दे नाले तक नाली निर्माण।	720678

योग- 2,92,46,708

उक्त के लिए श्री अरविन्द प्रकाश व श्री सुरेन्द्र सिंह खण्ड विकास अधिकारी व संबंधित लेखाकार श्री सोहन लाल उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-12 क्षेत्र पंचायत गढमुक्तेश्वर वर्ष 2019-2020 व 2020-2021 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों की जाच में पाया गया कि किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा व्यय अनुमान पर इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं अंकित किया गया है कि संबंधित कार्य ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर एवं एक ग्राम से दूसरे ग्राम के जोड़ने का कार्य है। पत्रावलियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य ग्राम पंचायत के सीमा के अंतर्गत कार्य कराये गये है। पत्रावलियों में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा एक ही कार्य पर ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय दिखाकर राजकीय धन के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ग्राम पंचायत के अंदर कराये गये कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	कार्य का नाम	धनराशि
01	पावटी में बबीता के खेत से बबली के खेत का तक का खंडजा निर्माण कार्य	349407
02	पलवाडा मे काली सडक से रवि यादव के प्लाट तक इंटरलाकिंग कार्य।	87955
03	पसवाडा में मेन रोड में शिव मंदिर तक शेष भाग पर इंटरलाकिंग कार्य।	760867
04	बहादुरगढ में कामिल की काठी के सामने इंटरलाकिंग कार्य।	401095
05	ग्राम ठेरा में मेन रोड से क्रबिस्तान की तरफ इंटरलाकिंग कार्य	327723
06	पलवाडा में राम अवतार के मकान से सुख सिंह के प्लाट तक इंटरलाकिंग कार्य।	208486
07	सलारपुर में स्वतंत्र भारत इंटर कालिज के सामने इंटरलाकिंग कार्य।	920614

2020-21

08	हैदरपुर सैदपुर में मेन रोड से शमशान तक खंडजा निर्माण कार्य	352063

09	पूठ में सुखन के प्लाट से स्कूल तक इंटरलांकिंग कार्य।	947589
10	हसुपुर में सुखवीर के खेत से प्राईमरी स्कूल तक इंटरलांकिंग टाईल्स कार्य।	706975
11	शंकरटीला में सतवीर से हरेन्द्र तक इंटरलांकिंग टाईल्स कार्य।	430055
12	अल्लावकसपुर में मेजर मुहम्मद के खेत में शौकिन के खेत की तरफ खंडजा निर्माण कार्य।	915193
13	खेडा में मेनरोड से रविन्द्र प्रधान के खेत की तरफ खंडजा निर्माण कार्य।	403336
14.	गारम बदरखा में हाईवे से मदरसे तक इंटरलांकिंग टाईल्स व नाला निर्माण।	218860
15.	लोदीपुर सोभन में पार्क का नव निर्माण व नाली निर्माण कार्य।	597870
16	अठसैनी में जीमल के खेत से सतवीर प्रधान के खेत की तरफ खंडजा निर्माण।	98293
17	हैदरपुर में मेन अड्डे से अजित त्यागी के खेत की तरफ इंटरलांकिंग व नाली निर्माण कार्य।	652648
18	खिलवाई में दिनेश के प्लाट से अंकित कमलि के खेत तक इंटरलांकिंग कार्य।	205839
19	खेडा में मेन रोड से ब्रह्मदत्त यादव के फार्म की तरफ इंटरलांकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	949001
20	मानकचैक में उदयवीर के खेत से इन्द्रपाल के खेत की तरफ इंटरलांकिंग निर्माण कार्य।	448484
21	रामपुर न्यामतपुर में मेनरोड से त्रिलोक के खेत की तरफ इंटरलांकिंग व नाली निर्माण कार्य।	559849
22	नानई में मेनरोड पर स्थित प्रा0स्कूल से लटूर के खेत तक इंटरलांकिंग कार्य।	951527
23	डेहरा रामपुर में टीटु के घर पर कुटी की तरफ नाला निर्माण कार्य।	932307
24	नंगली कन्नौर में माता वाले पुल से चांमड की तरफ इंटरलांकिंग कार्य।	950040
25	रामपुर न्यामतपुर में ज्ञान सिंह मास्टर के खेत से किशन पाल के खेत तक इंटरलांकिंग कार्य।	258423
26	शाहपुर चौधरी से डी एम स्कूल के छात्रावास के सामने इंटरलांकिंग कार्य।	242747
27	रहरवा में यादव फार्म से स्वामी शास्त्रानन्द जी के आश्रम तक खंडजा निर्माण कार्य।	947957
28	सादुल्लापुर में तालाब के पास से प्रधान जी कुंवरपाल के खेत की तरफ इंटरलांकिंग निर्माण कार्य।	835445
29	अठसैनी में मेनरोड से प्रधान की आरा मशीन तक इंटरलांकिंग कार्य।	420695
30	जनुपुरा में सतेन्द्र के खेत से सरकारी नाली तक इंटरलांकिंग व नाली निर्माण कार्य।	907535
31	इनायतपुर में मेनरोड पर की गई सीसी के दोनो तरफ इंटरलांकिंग व नाली मरम्मत कार्य।	857507
32	गढ में अंकित के प्लाट से देवराज के प्लाट की तरफ सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	951698
33.	गढ में मेन रोड पलाई ओवर से नितिन के प्लाट की तरफ सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	952739
34	ग्राम दौताई में अब्दुल के खेत से राशिद प्रधानजी के ट्यूबवेल की तरफ खंडला निर्माण कार्य।	952047
35	पौपाई में चुने प्रधान जी के बाग से सरकारी स्कूल की तरफ इंटरलांकिंग कार्य।	947795
36	सिकन्दरपुर में बाबुलराम मास्टर जी से तेजपाल तक इंटरलांकिंग कार्य।	947755

37	पावटी में मेनरोड से अशोक की खेत की तरफ इंटरलांकिंग कार्य।	483348
38	पावटी में रामवीर के खेत की तरफ सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	615111
39	अल्लाबकसपुर में मेन रास्ते से तेजपाल के स्कूल तक इंटरलांकिंग कार्य।	408409
40	बहादुरगढ में शनि मंदिर के पास इंटरलांकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	311971
41	बहादुरगढ में कैच के पुल से शनि मंदिर के पास इंटरलांकिंग निर्माण कार्य।	462628
42	पसवाडा में शिव मंदिर से मनोज के खेत की तरफ नाला निर्माण कार्य।	932076
43	ग्राम भैना में स्कूल के कोने से बाग की तरफ खंडजा निर्माण कार्य।	929543

योग 26051505

उक्त के लिए उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र, श्री संजय कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री डी0के0 अग्रवाल व लेखाकार श्री सुधीर कुमार है। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-13 धौलाना, वर्ष 2020-21 आलोच्य वर्ष के निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों में कार्य कराने से पूर्व प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिये गये हैं। जो आवश्यक है। इस संबंध में स्थिति की जानी अपेक्षित है एवं निर्माण पत्रावली जाच में पाया गया कि दर्शाये गये इंटरलांकिंग कार्यों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में ईट खंडजा लगा था। इंटरलांकिंग कार्य करने से पूर्व उक्त ईटो के संबंधित स्टेटमेंट/बिलो पर अंकित नहीं है। अतः कार्य से पूर्व लगी ईट का क्या हुआ स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। सूची संलग्नक क्षे0पं0 धौलाना, वर्ष 2020-21

क्र0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	लागत/धनराशि
01	छिजारसी में नाले की पटरी पर खंडजा निर्माण	420527
02	ग्राम सिखेडा में सुक्कन के भट्टे से मदन के ट्यूबवैल तक खंडजा निर्माण कार्य	504067
03	ग्राम भोवापुर में मंदरसे वाले रास्ते में दौलत के खेत तक खंडजा	10605
04	ग्राम हिम्मतनगर में इस्लामबाद साह के भट्टे से नजर हसन के खेत तक खंडजा	824057
05	ग्राम कन्दौली में पंखा व्यापारी के यहा से देहपा रोड इ0 ला0 खंडजा	230284
06	ग्राम पिपलहेडा में इदावा के मकान से मैन रोड तक खंडजा	9120703
07	जटपुरा पिलखवा देहात में मौदान के यहा से जगदीश वाल मंदिर तक खंडजा कार्य	709583
08	ग्राम खैरपुर खैराबाद में कैलास के खेत से माता मंदिर तक खंडजा निर्माण कार्य	142088
09	देहपा में शिवमंदिर के गेट से शनि मंदिर तक इंटरलांकिंग कार्य	544956
10	निधावली में पंचायत घर से धौलाना रोड तक खंडजा निर्माण	72272
11	निधावली में पुराने शिवमंदिर से सुरेश के घर तक इंटरलांकिंग	312185
12	उ0मा0 में कलवा के यहा से फगौता मेन रोड तक खंडजा	194527
13	शेखपुर खिचरा में इशरार के यहा से ईदगाह तक खंडजा	521361

14	इकलैडी में शमाशाद घाट की बाउडरी एंव इंटरलांकिंग	468314
15	कन्दौली में मुनेश की ट्यूबवैल से शमशान तक खंडजा	13134
16	परतापुर में अम्बेडकर परिवर्तन चैक की बाउडरी इंटरलांकिंग	451879
17	भूडिया से प्रतीत के किला रोड तक खंडजा	388549
18	इकलैडी में शमशान की बाउडरी व इंटरलांकिंग कार्य	434022
19	हावल के तालाब से मदापुर मैन रोड खंडजा कार्य	234913
20	ग्राम शेखपुर में इशरार के यहा से इदगाह खंडजा निर्माण	82272
21	आजमपुर में इरशाद के ट्यूबवैल से प्रधान अखलाक के खेत तक का खंडजा कार्य	101625
22	समाना में गौ आश्रम स्थल के अन्दर खंडजा निर्माण	148874
23	उदयरायपुर में सिकन्दर के यहा से सतपाल के घर तक खंडजा	241034

योग 16171831

उक्त के लिए उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र, श्री संजय कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री डी०के० अग्रवाल व लेखाकार श्री सुधीर कुमार है। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 क्षे०पं० धौलाना, वर्ष 2020-21 ग्राम सिखेडा में उम्मेद के खेत से नौशाद के भट्टे तक खण्डजा निर्माण कार्य मै० साहिर कान्टैक्टर द्वारा रू० 94375.00 में किया गया।

उक्त कार्य से संबंधित निम्न आपत्ति रही:-

क- पत्रावली में संलग्न फोटो से खंडजा निर्माण कार्य होना प्रतीत नहीं होता।

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

उक्त के लिए उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र, श्री संजय कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री डी०के० अग्रवाल व लेखाकार श्री सुधीर कुमार है।

प्रस्तर संख्या-15 क्षे०पं० धौलाना, वर्ष 2020-21 ग्राम हसनपुर में गौशाला के पास पक्की सडक से मंदिर तक सी०सी० रोड कार्य मै० साहिर कान्टैक्टर द्वारा रू० 4217600.00 में किया गया।

उक्त के संबंध में निम्न आपत्ति रही:-

क- पत्रावली में संलग्न फोटो स्पष्ट नहीं है।

उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

उक्त के लिए उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र, श्री संजय कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री डी०के० अग्रवाल व लेखाकार श्री सुधीर कुमार है।

प्रारूप-3

जनपद का नाम-मेरठ

मण्डल का नाम-मेरठ।

क्षेत्र पंचायत - दौराला

प्रस्तर-01-आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत दौराला वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत ग्रांट रजिस्टर 3 अनुसार तेरहवाँ वित्त की अवशेष राशि अंकन ₹0 101799.00 जो वर्षान्त में 31.03.2019 को भी उक्त राशि अंकन 101799.00 रही उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय नहीं किया गया। उक्त के विषय में स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि का समय से निस्तारण अपेक्षित है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिस हेतु ब्लॉक प्रमुख सचिन अहलावत, बी0डी0ओ0 श्री सुरेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री रमेश पाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-6)

प्रस्तर-02-क्षेत्र पंचायत दौराला वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में यदि किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त (प्राप्त) धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है, तो शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुपालन में उक्त अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकीय कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए किन्तु संस्था/क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त आदेशों/निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वर्ष में अर्जित व्याज राशि 106719.00 रही, जिसकी वापसी की कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिस हेतु ब्लॉक प्रमुख सचिन अहलावत, बी0डी0ओ0 श्री सुरेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री रमेश पाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-7)

प्रस्तर-03-क्षेत्र पंचायत दौराला वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत स्तर पर ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी (प्राप्त) टी0डी0एस0 राशि अंकन ₹0 175423.00 तथा जी0एस0टी0 अन्तर्गत प्राप्त की गयी राशि अंकन ₹0 886234.00 की जमा की पुष्टि में चालान रसीद आदि उपलब्ध नहीं रहे, जिसके फलस्वरूप उक्त राशि के जमा होने की पूर्ण पुष्टि नहीं की जा सकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिस हेतु ब्लॉक प्रमुख सचिन अहलावत, बी0डी0ओ0 श्री सुरेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री रमेश पाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-9)

प्रस्तर-04-क्षेत्र पंचायत दौराला वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान एवं प्रयुक्त आदि का विवरण निम्नवत् रहा-

मद का नाम	प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में प्रयुक्त	अवशेष
क्षेत्र पंच0 राज्य वित्त	4708642.88	5687757.00	5139486.50	5363632.68
व्याज	-	106719.00	-	-
योग	4708642.88	5794476.00	5139486.50	5363632.68

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है। इसके कारण न केवल राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ रहा है, बल्कि सरकार द्वारा प्रेषित धनराशि क्षेत्र की जनता के कल्याण में व्यय न होकर मात्र बैंक खातों में अवशेष/निष्क्रिय दर्शित की जा रही है। उक्त स्थिति अत्यन्त गम्भीर एवं आदेश/निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है एवं गम्भीर अनियमितता की गई है, ब्लॉक प्रमुख सचिन अहलावत, बी0डी0ओ0 श्री सुरेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री रमेश पाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर-05-क्षेत्र पंचायत दौराला वर्ष 2018-19 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत ₹0 33188.00 व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की प्रवावली प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन0आर0ई0जी0ए0/2008/लखनऊ दिनांक 16.07.2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। प्रवावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारण्टी आयुक्त द्वारा गये निर्देशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक

स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में न हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री सुरेन्द्र कुमार एवं लेखाकार रमेश पाल सिंह का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-17)

प्रस्तर-06-क्षेत्र पंचायत दौराला वर्ष 2018-19 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत ₹0 280000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.2017-4(88)/93टीसी/ लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पत्रावली की शर्त व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री सुरेन्द्र कुमार एवं लेखाकार रमेश पाल सिंह का दायित्व निर्धारित किया जाता है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सं0-18)

प्रस्तर-07-क्षेत्र पंचायत दौराला वर्ष 2018-19 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि के अन्तर्गत ₹0 4567353.00 कुल ₹0 165265.70 का व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2305/38-3-2001-500(9)/99टीसी/लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 91वी0नि0(1)/38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि/सांसद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री सुरेन्द्र कुमार एवं लेखाकार रमेश पाल सिंह का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर-08-क्षेत्र पंचायत दौराला वर्ष 2018-19 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	पिछड़ी जाति रेपिड सर्वे	21000.00
2	इन्दिरा आवास कन्टी0	10989.00
3	लेबर सेस	76272.00
	योग	108261.00

वर्ष के दारौन ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली

1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री सुरेन्द्र कुमार एवं लेखाकार रमेश पाल सिंह का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर-09-क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2019-20 में ₹0 15000.00 टैण्डर बिक्री की आय दर्शित है जिस पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से ₹0 2700.00 जी0एस0टी0 सम्बन्धित विभाग को जमा नहीं की गयी है। साथ ही उक्त मद से ग्रांट रजिस्टर-3 अनुसार ₹0 16380.00 व्यय भी किया जाना दर्शित है, जिसकी लेखा परीक्षा में पुष्टि नहीं करायी गयी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री सतीश कुमार गोयल का दायित्व निर्धारित किया जाता है। अतः ₹0 2700.00 एवं ₹0 16380.00 कुल धनराशि ₹0 19080.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री सतीश कुमार गोयल से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-09)

प्रस्तर-10-क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2019-20 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत ₹0 90712.00 व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन0आर0ई0जी0ए0/2008/लखनऊ दिनांक 16.07.2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारण्टी आयुक्त द्वारा गये निदेशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेन्ट की जानकारी लेखा परीक्षा में न हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री राजीव कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री सतीश कुमार गोयल का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर-11-क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2019-20 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष वर्ष 2019-20 में ₹0 2812280.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.2017-4(88)/93टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्तें व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेन्ट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री राजीव कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री सतीश कुमार गोयल का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर-12-क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2019-20 में वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत् है-

वर्ष 2019-20

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	गोवंश	1888500.00
2	स्वच्छता	70.80
3	इन्द्रा आवास कन्टी0	6420.00
4	लेबर सैस	41598.00
5	जमानत निर्माण	908808.00

योग 2845396.80

वर्ष के दारौन ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री राजीव कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री सतीश कुमार गोयल का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर-13-क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में ₹0 95715.50 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन0आर0ई0जी0ए0/2008/ लखनऊ दिनांक 16.07.2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारण्टी आयुक्त द्वारा गये निदेशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में न हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री राजीव कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री राकेश कुमार वर्मा, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-30)

प्रस्तर-14-क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में 306000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.2017-4(88)/93टीसी/ लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्तें व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री राजीव कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री राकेश कुमार वर्मा, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-31)

प्रस्तर-15-क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2020-21 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	जमानत की धनराशि	623407.00
2	स्वच्छ भारत मिशन	153370.80
3	गौवंश स्थल	1610460.00
4	खेलकूद	12000.00
5	सामूदायिक रसोई	50000.00
6	आयकर	225188.00
7	लेबर सेस	225188.00

वर्ष के दारौन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री राजीव कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री राकेश कुमार वर्मा, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-32)

प्रस्तर-16-क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2020-21 में ₹0 82500.00 टैण्डर बिक्री से प्राप्त आय दर्शित है जिस पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से ₹0 14850.00 जी0एस0टी0 सम्बन्धित विभाग को जमा नहीं की गयी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री सतीश कुमार गोयल का दायित्व निर्धारित किया जाता है। अतः ₹0 14850.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित श्री राजीव कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री राकेश कुमार वर्मा, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-33)

प्रस्तर-17-क्षेत्र पंचायत मवाना वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में क्षेत्र पंचायत स्तर पर निम्नांकित मदों के अंतर्गत दर्शित धनराशि विगत वर्षों से दर्शायी जा रही है। जिसका समयान्तर्गत निस्तारण नहीं किया गया है। उक्त स्थिति गम्भीर आपत्तिजनक रही। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0 मद का नाम	31.03.2021 को शेष
1 पर्यावरण एवं वृक्षारोपण	10500.00
2 क्रस्टिल शिट्स	98953.30
3 सिक्क्योरिटी मै0 महालक्ष्मी एन्ट0	57630.00
4 सिक्क्योरिटी मै0 कपिल कुमार	32121.00

उक्त राशि का शीघ्र निस्तारण/समायोजन नियमानुसार किया जाये अन्यथा की स्थिति में धनराशि वापसी की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर-18-क्षेत्र पंचायत मवाना वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में शाणसंणू..1.122/स.2012.10 33/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में नियत खाते (हैड) में जमा करा दिया जाना चाहिये। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए कुल अंकन ₹0 68338-00 की राशि को वर्षान्त में रोककर रखा गया, जो गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जबकि उक्त राशि को नियम समय के अंतर्गत जमा किया जाना अपेक्षित है, जिस हेतु श्री प्रेमसिंह तथा श्रीमती गीता पायल ब्लॉक प्रमुख, सुनीत कुमार, श्री गोपाल एवं सुरेन्द्र सिंह, बी0डी0ओ0 तथा श्री सोहनलाल व विनोद कुमार, लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-15)

प्रस्तर-19-क्षेत्र पंचायत मवाना वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में ₹0 121303.00 व वर्ष 2020-21 में ₹0 151750.01 कुल ₹0 272053.01 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन0आर0ई0जी0ए0/2008/लखनऊ दिनांक 16.07.2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारण्टी आयुक्त द्वारा गये निदेशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में न हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं

किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री सुनीत कुमार, श्री गोपाल एवं श्री सुरेन्द्र सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री सोहनलाल व श्री विनोद कुमार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर-20-क्षेत्र पंचायत मवाना वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में ₹0 2461800.00 व वर्ष 2020-21 में ₹0 645999.00 कुल ₹0 3107799.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.2017-4(88)/93टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्तें व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री सुनीत कुमार, श्री गोपाल एवं श्री सुरेन्द्र सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री सोहनलाल व श्री विनोद कुमार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-22)

प्रस्तर-21-क्षेत्र पंचायत मवाना वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि एवं सांसद निधि के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में ₹0 6183988.00 व वर्ष 2020-21 में ₹0 6100474.00 कुल ₹0 12284462.00 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2305/38-3-2001-500(9)/99टीसी/लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 91वी0नि0(1)/38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि/सांसद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री सुनीत कुमार, श्री गोपाल एवं श्री सुरेन्द्र सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री सोहनलाल व श्री विनोद कुमार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-23)

प्रस्तर-22-क्षेत्र पंचायत मवाना वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत् है-

वर्ष 2019-20

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	गोवंश	995818.56
2	पशु सेवा केन्द्र पिलौना	894907.00
3	पेड नीलामी	43000.00
	योग	1933725.56

वर्ष 2020-21

क्र0सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	गोवंश	770567.60
2	खेलकूद	24000.00

3	स्वच्छता	88603.00
4	कोविड-19	97280.00
	योग	980450.60

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का महायोग 2914176.16

वर्ष के दारौन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री सुनीत कुमार, श्री गोपाल एवं श्री सुरेन्द्र सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री सोहनलाल व श्री विनोद कुमार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-24)

प्रस्तर-23-क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ़ वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में शाणसंण...1.122धदस.2012.10 33धु2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में नियत खाते ;हैडद्धमें जमा करा दिया जाना चाहिये। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2017.18 में 5536.31 तथा वर्ष 2018.19 में ₹0 16435.65 कुल अंकन ₹0 21971.96 की राशि को वर्षान्त में रोककर रखा गया जबकि उक्त राशि को नियम समय के अंतर्गत जमा किया जाना अपेक्षित है जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं श्री रविप्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राकेश कुमार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-13)

प्रस्तर-24-क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ़ वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ₹0 70502.00 व वर्ष 2018-19 में ₹0 0.00 कुल ₹0 70502.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन0आर0ई0जी0ए0/2008/लखनऊ दिनांक 16.07.2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारण्टी आयुक्त द्वारा गये निदेशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में न हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं श्री रविप्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राकेश कुमार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर-25-क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ़ वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ₹0 0.00 व वर्ष 2018-19 में ₹0 490000.00 कुल ₹0 490000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.2017-4 (88)/93टीसी/ लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्तें व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश

जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं श्री रविप्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राकेश कुमार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर-26-क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि एवं सांसद निधि के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ₹0 2590636.00 व वर्ष 2018-19 में ₹0 124637.50 कुल ₹0 2715273.50 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2305/38-3-2001-500(9)/99टीसी/ लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 91वी0नि0(1)/38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि/सांसद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं श्री रविप्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राकेश कुमार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर-27-क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत् है-

वर्ष 2017-18

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	रेपिड सर्वे	2000.00
2	आयकर	168119.58
3	जमानत निर्माण	824609.00
4	रायल्टी	18608.00
5	सैस	132563.00
6	स्वान केन्द्र कन्टी0	3250.00
7	इन्दिरा आवास कन्टी0	14839.00
	योग	1163988.58

वर्ष 2018-19

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	जमानत निर्माण	569116.00
2	इन्दिरा आवास कन्टी0	35194.00
3	केन्द्रीय वित्त आयोग	17889.87
4	रायल्टी	54423.00
5	सैस	114793.00
6	मतदान स्थल	27480.00
7	आयकर	35252.00

8	विधानसभा निर्वाचन	49380.00
9	प्रधानमंत्री आवास	15000.00
10	सामूहिक विवाह	490000.00
	योग	980450.60

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का महायोग 2144439.18

वर्ष के दारौन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं श्री रविप्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राकेश कुमार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-22)

प्रस्तर-28-क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में शासनादेश सं0 1838/33-3- 2015-03/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 31.07.2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत का कार्य ग्राम पंचायत के अंदर नहीं बल्कि दो गांवो/ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले निर्माण कार्य कराना है। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा नियम विरुद्ध एक ही ग्राम पंचायत के अंदर धनराशि रू0 6778690.98 का अनियमित व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0	सं0 कार्य का नाम	कुल भुगतानित धनराशि
1	परीक्षितगढ देहात में विभिन्न गलियों में सी0सी0/इन्टरलॉकिंग	531107.00
2	नांरगपुर खुटी से गेसू के मकान से कुएं तक इन्टरलॉकिंग	330293.70
3	आलमगीरपुर बढला में सुधीर के मकान वाली गली में इन्टरलॉकिंग	329315.73
4	समसपुर में देवी गिरी के मकान से मुन्ना गिरी के मकान तक सी0सी0	830290.00
5	अतलपुर में तेजवीर के मकान से सोमनाथ के मकान तक सी0सी0	215141.00
6	नांरगपुर खुटी में विभिन्न गलियों में सी0सी0 एवं इन्टरलॉकिंग	460994.00
7	अतलपुर में तेजपाल के घर तक इन्टरलॉकिंग	198535.00
8	ऐंचीखुर्द में भुलेराज से जयपाल के मकान तक सी0सी0	156474.00
9	नांरगपुर खुटी ग्राम में मन्दिर से उदयरज तक इन्टरलॉकिंग	942129.00
10	अगवानपुर ग्राम में मन्दिर से उदयरज तक इन्टरलॉकिंग	401676.55
11	अगवानपुर में बुलन्दखाँ के मकान से बली के मकान तक सी0सी0	517460.00
12	झटकापुरी में दिलशान से सितारा के मकान तक सी0सी0	577568.00
13	सिखेडा में सरताज के मकान से सुभाष के मकान तक इन्टरलॉकिंग	287847.66
14	नंगला गोसाई में लोटन के मकान से बिल्लू के मकान तक टाईल्स	447735.00
15	शिवपुरी में जयसिंह के मकान से महाराज के मकान तक इन्टरलॉकिंग	552325.00
	योग	6778690.98

अतः उक्त कराये गये कार्य उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं श्री रविप्रकाश, खण्ड विकास

अधिकारी एवं लेखाकार श्री राकेश कुमार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-23)

प्रस्तर-29-क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ़ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में ₹0 122231.10 व वर्ष 2020-21 में ₹0 471005.68 कुल ₹0 593236.78 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन0आर0ई0जी0ए0/2008/ लखनऊ दिनांक 16.07.2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारण्टी आयुक्त द्वारा गये निदेशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में न हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तथा शैलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री जेम्स कुमार, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-29)

प्रस्तर-30-क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ़ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 559790.00 व वर्ष 2020-21 में ₹0 1600030.00 कुल ₹0 7197930.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.2017-4(88)/93टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पत्रावली की शर्तें व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तथा शैलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री जेम्स कुमार, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-30)

प्रस्तर-31-क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ़ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि एवं सांसद निधि के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में ₹0 67053.00 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2305/38-3-2001-500(9)/ 99टीसी/लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 91वी0नि0(1)/38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि/सांसद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तथा शैलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री जेम्स कुमार, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-31)

प्रस्तर-32-क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ़ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत् है-
वर्ष 2019-20

क्र०सं०	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	प्रधानमंत्री माडल हाउस	98141.00
2	प्रधानमंत्री आवास कन्टी०	94105.00
3	गंगा यात्रा	40000.00
	योग	232246.00

वर्ष 2020-21

क्र० सं०	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	सामूहिक रसोई	169400.00
2	जिला युवा कल्याण	24000.00
3	जमानत	553334.00
	योग	746734.00

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का महायोग 978980.00

वर्ष के दारौन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तथा शैलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री जेम्स कुमार, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं०-32)

प्रस्तर-33-क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ़ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निम्नांकित मदों में धनराशि प्राप्त दर्शित है, जिसका उक्त दोनो वर्षों में न तो उपभोग किया गया है एवं न ही सम्बन्धित एजेंसी को वापिस किया गया है। विवरण निम्नानुसार है-

क्र० सं०	मद का नाम	धनराशि 01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष	धनराशि 31.03.2021 को अन्तिम शेष	अभ्युक्ति
1	रेपिड सर्वे मानदेय	73500-00	73500-00	
2	एन०आर०एल०एम० योजना	2100-00	2100-00	
3	एम०एस०डी०पी०	8200-00	8200-00	
4	वृक्षारोपण कार्यक्रम	5000-00	5000-00	
5	स्वाँन केन्द्र मरम्मत	10000-00	10000-00	

6	रायली	28311-00	28311-00	
7	जी0एस0टी0, टी0डी0एस0, लेबर सैस	324924-00	324924-00	
योग	127111ण00	452035-00		

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में जी0एस0टी0, टी0डी0एस0, लेबर सैस मद में रू0 324924.00 प्राप्त हुआ, जिसे 31.03.2021 तक सम्बन्धित विभागों में जमा न कर अनियमितता की गयी है। अतः रू0 452035.00 सम्बन्धित विभागों को वापस न कर लेखाकार द्वारा अनियमितता की गयी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तथा शैलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री जेम्स कुमार, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-33)

प्रस्तर-34-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2019-20 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत रू0 64466.50 व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369एन0आर0ई0जी0ए0/2008/लखनऊ दिनांक 16.07.2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारण्टी आयुक्त द्वारा गये निदेशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में न हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं लेखाकार श्री अमरनाथ तिवारी का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-17)

प्रस्तर-35-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2019-20 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष वर्ष 2019-20 में रू0 30000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.2017-4(88)/93टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्तें व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं लेखाकार श्री अमरनाथ तिवारी का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर-36-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2019-20 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत् है-

वर्ष 2019-20

क्र० सं०	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	गोवंश	543690.00
2	ग्रा०म०सा०वि० योजना	4010000.00
3	टी०डी०एस०	269135.00
4	लेबर सैस	118686.00
5	जमानत निर्माण	218192.00
6	जी०एस०टी०	230503.00
	योग	5390206.00

वर्ष के दारौन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं लेखाकार श्री अमरनाथ तिवारी का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-19)

प्रस्तर-37-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2019-20 में ₹0 86564.00 टैण्डर बिक्री की आय दर्शित है जिस पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से ₹0 15581.50 जी०एस०टी० सम्बन्धित विभाग को जमा नहीं की गयी है। साथ ही उक्त मद से ग्रांट रजिस्टर-3 अनुसार ₹0 20729.00 व्यय भी किया जाना दर्शित है, जिसकी लेखा परीक्षा में पुष्टि नहीं करायी गयी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री सतीश कुमार गोयल का दायित्व निर्धारित किया जाता है। अतः ₹0 15581.50 एवं ₹0 20729.00 कुल धनराशि ₹0 36310.50 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं लेखाकार श्री अमरनाथ तिवारी से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-20)

प्रस्तर-38-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2019-20 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत ₹0 16771887.27 कि का व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 2305/38-3-2001-500(9)/99टीसी/लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 91वी०नि०(1)/38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि/सांसद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं लेखाकार श्री अमरनाथ तिवारी का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं०-21)

प्रस्तर-39-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2020-21 में द्वारा दिसम्बर 2020 से मार्च 2021 तक ठेकेदारों के बिलों के टी0डी0एस0 के रूप में अंकन 362765.00 की कटौती की गई है जिसे जमा नहीं कराकर जानबूझकर रोककर रखा गया है जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार राजकीय राजस्व की क्षति कारित की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री अमरनाथ त्यागी एवं श्री ईशान जैन उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को अविलम्ब जमा कराया जाना एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-28)

प्रस्तर-40-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2020-21 में दिसम्बर 2020 से मार्च 2021 तक ठेकेदारों के बिलों से अंकन 181383.00 लेबर सेस की कटौती की गई है जिसे जमा नहीं कराकर जानबूझकर रोककर रखा गया है जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री अमरनाथ त्यागी एवं श्री ईशान जैन द्वारा लेबर सेस का 181383.00 सम्बन्धित विभाग में जमा न कराकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है उक्त लेबर सेस को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जाना एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-29)

प्रस्तर-41-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में रु0 122185.50 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन0आर0ई0जी0ए0/2008/ लखनऊ दिनांक 16.07.2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारण्टी आयुक्त द्वारा गये निदेशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में न हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री अमरनाथ त्यागी एवं श्री ईशान जैन का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-30)

प्रस्तर-42-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में 641000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.2017-4(88)/ 93टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्तें व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री अमरनाथ त्यागी एवं श्री ईशान जैन का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-31)

प्रस्तर-43-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2020-21 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	जमानत की धनराशि	363450-00
2	गौवंश स्थल	548700-00

3	अन्य मद	189692-00
4	आंगनवाडी शौचालय	46000-00
5	सामूदायिक रसोई	48850-00
6	अन्य लघु मद	12280-00
	योग	1208972.00

वर्ष के दारौन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री अमरनाथ त्यागी एवं श्री ईशान जैन का दायित्व निर्धारित किया जाता है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-32)

प्रस्तर-44-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2020-21 में ₹0 371255.00 टैण्डर बिक्री से प्राप्त आय दर्शित है जिस पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से ₹0 66826.00 जी0एस0टी0 सम्बन्धित विभाग को जमा नहीं की गयी है। साथ ही उक्त मद से ग्रांट रजिस्टर-3 अनुसार ₹0 291371.00 व्यय भी किया जाना दर्शित है, जिसकी लेखा परीक्षा में पुष्टि नहीं करायी गयी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री अमरनाथ त्यागी एवं श्री ईशान जैन का दायित्व निर्धारित किया जाता है। अतः ₹0 66826.00 एवं ₹0 291371.00 कुल धनराशि ₹0 358197.00 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री अमरनाथ त्यागी एवं श्री ईशान जैन से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-33)

प्रस्तर-45-क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2020-21 में विधायक निधि में 20189935.70 एवं सांसद निधि में 2448445.05 कुल ₹0 22638380.75 का व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2305/38-3-2001-500(9)/ 99टीसी/लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 91वी0नि0(1)/38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि/सांसद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री अमरनाथ त्यागी एवं श्री ईशान जैन का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-34)

प्रस्तर-46-क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द वर्ष 2017-18 से 2018-19 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ₹0 17988.00 व वर्ष 2018-19 में ₹0 27328.00 कुल ₹0 45316.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन0आर0ई0जी0ए0/2008/ लखनऊ दिनांक

16.07.2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारण्टी आयुक्त द्वारा गये निदेशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में न हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री अमित कुमार, श्री चन्दन देव पाण्डेय, श्री परितोष श्रीवास्तव, श्रीमती सुधा आर्या, श्री भानु प्रताप सिंह, डा0 वीरेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री अवधेश कुमार राणा, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-29)

प्रस्तर-47-क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुरद वर्ष 2017-18 से 2018-19 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 350000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.2017-4(88)/93टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्तें व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री अमित कुमार, श्री चन्दन देव पाण्डेय, श्री परितोष श्रीवास्तव, श्रीमती सुधा आर्या, श्री भानु प्रताप सिंह, डा0 वीरेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री अवधेश कुमार राणा, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-30)

प्रस्तर-48-क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुरद वर्ष 2017-18 से 2018-19 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि एवं सांसद निधि के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में रू0 1425540.00 व वर्ष 2018-19 में रू0 1223447.20 कुल रू0 2648987.20 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2305/38-3-2001-500(9)/ 99टीसी/लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 91वी0नि0(1)/38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि/सांसद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा

क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री अमित कुमार, श्री चन्दन देव पाण्डेय, श्री परितोष श्रीवास्तव, श्रीमती सुधा आर्या, श्री भानु प्रताप सिंह, डा0 वीरेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री अवधेश कुमार राणा, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-31)

प्रस्तर-49-क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द वर्ष 2017-18 से 2018-19 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत् है-

वर्ष 2017-18

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रशिक्षण	100000.00
2	रा0ग्रा0अ0 मिशन प्रशिक्षण	1500.00
3	जमानत धनराशि	296677.00
4	पिछड़ा रेपिड सर्वे मानदेय	52000.00
5	इन्दिरा आवास	12287.00
	योग	462464.00

वर्ष 2018-19

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	गोवंश	83196.00
2	जमानत धनराशि	466365.90
3	इन्दिरा आवास	14116.00
4	सामूहिक विवाह	350000.00
	योग	913677.90

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का महायोग 1376141.90

वर्ष के दारौन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री अमित कुमार, श्री चन्दन देव पाण्डेय, श्री परितोष श्रीवास्तव, श्रीमती सुधा आर्या, श्री भानु प्रताप सिंह, डा0 वीरेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री अवधेश कुमार राणा, लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-32)

प्रस्तर-50-क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द वर्ष 2017-18 से 2018-19 में ₹0 51428.00 टैण्डर बिक्री की आय दर्शित है जिस पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से ₹0 9257.00 जी0एस0टी0 सम्बन्धित विभाग को जमा नहीं की गयी है। साथ ही उक्त मद से ग्रांट रजिस्टर-3 अनुसार ₹0 19803.00 व्यय भी किया जाना दर्शित है, जिसकी लेखा परीक्षा में पुष्टि नहीं करायी गयी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री सतीश कुमार गोयल का दायित्व निर्धारित किया जाता है। अतः ₹0 9257.00 एवं ₹0 19803.00 कुल धनराशि ₹0 29060.00 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित कुमार, श्री चन्दन देव पाण्डेय, श्री परितोष श्रीवास्तव, श्रीमती सुधा आर्या, श्री भानु प्रताप सिंह, डा0 वीरेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री अवधेश कुमार राणा, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-33)

प्रस्तर-51-क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिक्री किये गये टैण्डर फार्म से प्राप्त आय का कोई भी विवरण लेखाकार द्वारा मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त फार्म की बिक्री से हुई आय अज्ञात रही एवं उक्त आय पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 सम्बन्धित कार्यालय को जमा की गयी अथवा नहीं? की स्थिति अज्ञात रही, जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपक तेवतिया एवं श्री अमित कुमार, एवं लेखाकार श्री अवधेश राणा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0-2)**

प्रस्तर-52-क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द वर्ष 2020-21 की राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से सम्बन्धित समस्त निर्माण पत्रावलियां लेखाकार से मांगोपरान्त लेखा परीक्षा जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिसके सापेक्ष ग्रांट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त आयोग में ₹0 9728095.85 एवं राज्य वित्त में ₹0 2564610.00 कुल ₹0 12292705.85 का व्यय किया जाना दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई भी निर्माण पत्रावली एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये हैं, जिसका समस्त दायित्व लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का है। अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दीपक तेवतिया एवं श्री अमित कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अवधेश राणा का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0-3)**

प्रस्तर-53-क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष वर्ष 2020-21 में ₹0 240000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.2017-4(88)/93टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्तें व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक

प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दीपक तेवतिया एवं श्री अमित कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अवधेश राणा का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर-54-क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खर्द वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि में वर्ष 2020-21 में ₹0 757307.00 एवं सांसद निधि में ₹0 2403582.80 कुल 3160889.80 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2305/38-3-2001-500(9)/99टीसी/लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 91वी0नि0(1)/38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि/सांसद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दीपक तेवतिया एवं श्री अमित कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अवधेश राणा का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-13)

प्रस्तर-55-क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खर्द वर्ष 2020-21 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत् है-

वर्ष 2020-21

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	गोवंश	1430609.00
2	खेलकूद	12000.00
3	क्रिटीकल गैप्स	775972.00
4	कोविड-19	131320.00
5	जमानत निर्माण	277858.00
6	कीटनाश दवाईया	14000.00
	योग	2641759.00

वर्ष के दारौन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दीपक तेवतिया एवं श्री अमित कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अवधेश राणा का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-14)

प्रारूप-3

नाम संस्था-क्षेत्र पंचायत -धाता

मंडल- प्रयागराज

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम रजिस्टर-3 के अनुसार माह अप्रैल-2020 के अंत में रोजगार सेवक मानदेय में धनराशि रु०574600.00 शेष दर्शित रहा जबकि माह मई-2020 के प्रारंभ से मार्च-21 के अंत तक उपरोक्त धनराशि दर्शित नहीं पायी गयी। उक्त धनराशि को दर्शित न करके की गयी गंभीर अनियमितता के लिए 1. श्री शिवलाल क्षेत्राध्यक्ष 2. श्री मुकेश कुमार-क्षेत्राध्यक्ष 3. श्री दिवाकर-लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त प्रकरण को नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप -3

क्षेत्र पंचायत- कौशाम्बी, जनपद- कौशाम्बी लेखा परीक्षा वर्ष 2020-2021

प्रस्तर -1 क्षेत्र पंचायत कौशाम्बी द्वारा वर्ष 2020-21 में केन्द्रिय वित्त आयोग (15 वॉ वित्त आयोग) द्वारा निम्नलिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायत की परिधि में कराये गये हैं, जबकि नियमानुसार कम से कम दो ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्य कराये जाने चाहिए थे। पन्द्रहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत टाईड व अनटाईड ग्रांट के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-1817/33-3-2020-23/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया गया है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि पन्द्रहवॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को दो भागों में 50.00 प्रतिशत अनुदान की धनराशि अनटाईड ग्रांट के रूप में तथा 50.00 प्रतिशत धनराशि टाईड ग्रांट के रूप में अनुमन्य की गई है। नियमानुसार उक्त आवंटित मद के सापेक्ष ही अनुदान का उपयोग किया जाना है, इसकी पुष्टि में प्राप्त अनुदान एवं व्यय का विवरण (टाईड/ अनटाईड वार) प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त विवरणी के अभाव में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि एक मद का अनुदान दूसरे मद के कार्यों में व्यय किया गया हो। इस प्रकार निम्नांकित कार्य पर दर्शित व्यय रूपया 7212941.76 अनियमित रहा। अतः वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रहा।

क्र०स०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
01	ग्राम पंचायत महंगूपुर में सुन्दर पासी के घर से वेद प्रकाश पासी के घर तक पक्का नाला निर्माण	410984.00
02	रसूलपुर सुकवारा में केदार के घर से रामदेव के घर तक खडन्जा निर्माण	140035.00
03	महिला में बुद्धन चमार के घर से श्याम नारायण के डेरा तक खडन्जा निर्माण कार्य	559363.00
04	उरई अशरफपुर में दयाशंकर के घर से भगततारा तालाब तक पक्का नाला निर्माण कार्य	568822.00
05	ग्राम पंचायत ढोकसहा में पप्पू जायसवाल के घर से तालाब तक पक्का नाला निर्माण कार्य	373227.00
06	महिला में मैकू चुडिहार के घर से काली मंदिर तक नाला निर्माण कार्य	980317.00
07	सोधिया बेलहना में श्री कृष्ण मोहन मंदिर से आर०सी०सी० रोड तक इण्टर लॉकिंग का कार्य एवं नाली कार्य	509580.49
08	गोहरा मारुफपुर में समीम के बाग से करबला तक इण्टर लॉकिंग का निर्माण कार्य	387573.17
09	गोपसहसा में प्राथमिक विद्यालय से सी०सी०रोड तक इण्टर लॉकिंग का निर्माण कार्य	197023.94

10	बेरौचा में श्री प्रकाश के घर से नहर तक पक्का नाला निर्माण कार्य	425521.00
11	गोइठा में डेलैया में पुलिया से नहरी तक इण्टर लॉकिंग कार्य	383939.48
12	म्योहर में पुत्री लाल के घर से पितई लाल के घर तक पक्का नाला निर्माण कार्य	851545.68
13	भखेदा में लवकुश के घर से मिलन दिवाकर के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य	152152.00
14	मेडरहा में दर्शन पासी के घर से चित्ता पासी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	396699.00
15	कायमपुर में शंकर जी के मंदिर से भारत के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	396836.00
16	म्योहर के राधे शुक्ला के घर से ज्ञान सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	479323.00
	योग	7212941.76

इस प्रकार केन्द्रीय वित्त आयोग से व्यय की गई धनराशि रूपया 7212941.76 का व्यय अनियमित रहा इसके लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती मैकी देवी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार उत्तरदायी है। वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -2 शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत के अंश के वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं, जिसके प्रस्तर 2.5 के अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/ सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार से नए निर्माण कार्यों पर किया जायेगा एवं शासनादेश संख्या 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को जो अनुदान प्राप्त होते हैं उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाये किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश के विरुद्ध एक ही ग्राम पंचायत की परिधि के अन्तर्गत कराया गया है। जो अनियमित रहा।

क्र०स०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
01	बजहा खुरमपुर में रमाशंकर के घर से बली लोधी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	392701.14
02	कोलुहा में श्रीनाथ पाल के घर से गोरई पाल के घर तक पक्का नाला निर्माण	269373.00
03	इटैला में भण्डारा खेत के सामने पुलिया निर्माण का कार्य	65640.96
04	सहायक विकास अधिकारियों के आवासों के सामने इण्टर लॉकिंग कार्य	583032.75
05	म्योहर में बट्टी के घर से डा० महेश के घर तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	705989.50
06	नंदौली में बरमबाबा से सी०सी०रोड तक इण्टर लॉकिंग का निर्माण कार्य	389789.00
07	बारा में राम भवन पासी के घर से रोशन चमार के घर तक इण्टर लॉकिंग का निर्माण कार्य	126646.56
08	पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय के सामने इण्टर लॉकिंग कार्य	288160.26
09	मोहिउद्दीन पुर कोराँव में सीता मौर्या के खेत तक पक्का नाला निर्माण कार्य	644661.86
10	मोहिउद्दीन पुर कोराँव में सूर्यमणि के खेत से बडकी तालाब तक पक्का नाला निर्माण	355083.06

11	महिला में राम लौटन पासी के घर से कलानी नाला तक पक्का नाला निर्माण	526512.00
12	बेरौचा के तारा का पुरा में गडेरियन के डेरा से तारा का पुरा तक इण्टर लॉकिंग कार्य	746120.00
13	गोपसहसा के मजरा बेलौहन के पूरा में पक्की सड़क से दयाशंकर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	370983.00
14	महिला में मक्खन के घर से कल्लू पाठक के घर तक पक्का नाला निर्माण	209667.00
15	महिला कालोनी से पाठक के डेरा तक खडन्जा कार्य	375701.00
16	सहायक विकास अधिकारियों के आवासों की मरम्मत व सुन्दरीकरण	808853.26
	योग	6858914.35

इस प्रकार रूपया 6858914.35 व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में अनियमित रहा, जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती मैकी देवी उत्तरदायी है। वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत सिराथू, जनपद कौशाम्बी वर्ष 2020-21

क्षेत्र पंचायत सिराथू, जनपद कौशाम्बी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा, प्रदत्त जानकारी और प्राप्त उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गयी, लेखा परीक्षा में अपहरण, दुर्विनियोग एवं गंभीर अनियमितता के तथ्य प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्नवत् है:-\

प्रस्तर -3 बाकराबाद रोड से गुड्डू गुप्ता के घर होते हुए कशिया रोड मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग व निर्माण कार्य की पत्रावली जाँच करने पर पाया गया कि शासनादेश संख्या 1639/3333-3-2015-पंचायत राज्य अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 19.06.2015 एवं तत्क्रम शासनादेश संख्या 1838/337-3-2015-03/2015 व पंचायत राज्य अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31.07.2015 के आदेश के क्रम में 10 लाख से अधिक के लागत वित्तीय स्वीकृति उत्तर-प्रदेश शासन से लेना चाहिए, जिसे नहीं लिया गया है। उक्त निर्माण कार्य की लागत 13.83 लाख है तथा ठेकेदार के द्वितीय बिल रु०-480166.00 दिनांक 29.05.2020 से जीएसटी लेबर सेस रायल्टी, आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश के विपरीत निर्माण कार्य दर्शाकर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। अतः रुपये 136977.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रखर उत्तम एवं लेखाकार श्री अवनीशचन्द्र श्रीवास्तव से व्याज सहित बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -4 मोहम्मदपुर पाइंसा में मोगला ग्राम से पहाड़पुर में गुलाब के डेरा तक मिट्टी भरायी व खडन्जा मरम्मत के कार्य के इस्टीमेट में 46000 ईट लगाने का प्राविधान था। किन्तु ठेकेदार के प्रथम बिल में 30 हजार ईट द्वितीय बिल में 30 हजार ईट एवं तृतीय बिल में 15400 ईट लगाना दर्शित हैं इस प्रकार 29400 नग ईट अधिक दर्शाया गया है। रुपये 5423.00 की दर से रु०-159436.00 का राजकीय अनुदान का अपहरण किया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती श्वेता सिंह एवं लेखाकार श्री अवनीशचन्द्र श्रीवास्तव से व्याज सहित बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -5 ग्राम कैनी पक्की सड़क से कमलेश गौतम के घर तक नाली एवं खडन्जा निर्माण कार्य पत्रावली में 1500 घन काली गिट्टी लगाना दर्शित है जिसका एम एम- 11 (रबन्ना) संलग्न एवं रबन्ना का सत्यापन खनिज विभाग से नहीं कराया गया है जिससे रायल्टी जमा कटौती का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा निर्माण कार्य में गिट्टी प्रयोग किया जाना सिद्ध नहीं होता है। अतः गिट्टी का मूल्य रु०-92066.00 के राजकीय अनुदान का अपहरण किया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती श्वेता सिंह एवं लेखाकार श्री अवनीशचन्द्र श्रीवास्तव एवं ठेकेदार श्री सुरेश कुमार से व्याज सहित बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -6 समस्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में पाया गया कि टेन्डरिंग की कार्यवाही नियमानुसार नहीं किया गया है। विज्ञापन में कम से कम तीन (3) सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। किन्तु नियमों का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है।
विवरण निम्नवत है:-

क्र०	कार्य का नाम	विज्ञापन तिथि	टेण्डर खोलने की तिथि	भुगतान की धनराशि
1.	कैनी मजरा चकिया में पक्की सड़क से धर्मपाल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	22.02.2021	02.03.2021	315915.00
2.	नारा में बुद्धिपाल के घर से जसवन्त के घर तक तक इन्टरलाकिंग कार्य	16.01.2021	27.01.2021	776610.00
3.	सेलरहा पश्चिम पक्की रोड से कहार के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	16.01.2021	27.01.2021	794638.300
4.	रघुनाथपुर मजरा से शोधियामई रोड से बच्चा के खेत तक इन्टरलाकिंग कार्य	02.03.2021	09.3.2021	340050.00
5.	ग्राम नारा मजरा में मोहम्दापुर से रामबली के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	22.02.2021	02.03.2021	733319.00
6.	ग्राम कशिया में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में टाइल्स लगाने का कार्य	16.02.2021	23.02.2021	341511.00
7.	ग्राम निजामपुर नौगीरन में अनिल के घर से रामनौमी के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	22.02.2021	02.03.2021	411532.00
8.	ग्राम नारा पक्की सड़क से भुरतुर्ज के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	22.02.2021	02.03.2021	746074.00
9.	मोःपुर पाइन्सा में मोगला ग्राम से पहाड़पुर में गुलाब के डेरा तक खडन्जा मरम्मत कार्य	19.01.2021	27.01.2021	517994.00
10.	ग्राम विदनपुर आमद करारी से डेरा ग्राम तक इन्टरलाकिंग कार्य	19.01.2021	27.01.2021	831898.00
11.	नारा मजरा में मोहम्दापुर में कालीमाता से चन्दा के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	22.02.2021	02.03.2021	818647.00
12.	विदनपुर आमद करारी में काली सड़क से खारा डेरा तक इन्टरलाकिंग कार्य	19.01.2021	27.01.2021	835203.00
13.	ग्राम थोन में लल्लू यादव के घर से थोन सम्पर्क मार्ग तक इन्टरलाकिंग कार्य	19.01.2021	27.01.2021	787232.00
14.	ग्राम भदवां में रामू के घर से नन्दराम के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	16.12.2021	23.12.2021	227854.00
15.	ग्राम कैनी पक्की सड़क के कमलेश गौतम के घर तक नाली एवं खडन्जा के निर्माण कार्य	22.02.2021	02.03.2021	148233.00
16.	ग्राम भदवां में सजनलाल के घर से बलराम के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	19.01.2021	27.01.2021	513153.00

17.	विकास खण्ड परिसर में आवास सं०-6 के पीछे बाउन्ड्रीवाल मरम्मत कार्य	13.12.2020	23.12.2020	182725.00
	योग:-			10105318.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि टेण्डर प्रक्रिया का पालन नियमानुसार न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। अतः रू०-10105318.00 की ख०वि०अ० क्रमशः श्री प्रखर उत्तम, श्रीमती श्वेता सिंह, श्री मनीष कुमार यादव एवं लेखाकार श्री अवनीशचन्द्र श्रीवास्तव से बराबर-बराबर दण्डात्म व्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत मूरतगंज, जनपद कौशाम्बी वर्ष 2020-21

क्षेत्र पंचायत मूरतगंज, जनपद कौशाम्बी की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा, प्रदत्त जानकारी और प्राप्त उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गयी, लेखा परीक्षा में अपहरण, दुर्विनियोग एवं गंभीर अनियमितता के तथ्य प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्नवत है:-

प्रस्तर -7 निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सामग्री आपूर्तिकर्ता से जीएसटी/ आयकर /लेबरसेस की कटौती नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत है

क्र. °	कार्यकानाम	आपूर्तिकर्ता केबिलकी धनराशि (जिसमें आयकर/ लेबरसेस की कटौती नहीं की गयी)	जीएसटी 12 प्रतिशत	लेबरसेस 1 प्रतिशत	आयकर 2 प्रतिशत	योग (4+5+6)	उत्तरदायित्व व्यक्तिकानाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सैयदसरावाँ दलितबसही मजरामादपुर सरहद तक अवशेष खडन्जा निर्माण	262073.00		2621.00	5241.00	7862.00	श्रीशैलेशराय (ख०वि०अ०)
2	अरईसुमेरपुर राजबहादुरपटेल के घर से दिवाकर के घर तक इन्टरलार्किंग कार्य	825246.00		8252.00	1705.00	9957.00	2 श्रीशिवप्रकाश कौशल
3	काजू जलीलपुर रोड पट्टी परवेजाबाद सरहद से दिनेशदुबे के घर तक सीसी रोड मरम्मत कार्य	632085.00		6320.00	12642.00	18962.00	श्रीशैलेशराय (ख०वि०अ०)
4	लोहरा में श्यामलाल के घर से लल्लू के पुरवा सरहद तक इन्टरलार्किंग व पुलिया निर्माण कार्य	825246.00		8252.00	16505.00	24757.00	श्रीशिवप्रकाश कौशल
5	काजू जलीलपुर रोड पट्टी परवेजाबाद सरहद से दिनेशदुबे के घर तक सीसी रोड का अवशेष मरम्मत कार्य	353769.00		3537.00	7075.00	10612.00	श्रीशैलेशराय (ख०वि०अ०)
6	लोहरा में पुल के सोखदामजरा में भीटा से लड्डू के घर इन्टरलार्किंग व पुलिया निर्माण कार्य	409278.00		4093.00	8186.00	12279.00	श्रीशिवप्रकाश कौशल
7	लोहरा में पुल के सोखदामजरा में भीटा से लड्डू के घर तक अवशेष	350519.00		3505.00	7010.00	10515.00	श्रीशैलेशराय (ख०वि०अ०)

	इन्टरलाकिंग व पुलिया निर्माण कार्य						
8	मोदनापुर के मजरानाउपुर से मदगाँव वाली पक्की सड़क तक खडन्जा निर्माण कार्य	742546.00	89108.00	7425.00	14851.00	76025.00	श्रीशिवप्रकाश कौशल
9	सोकदा के मजराखोदायपुर से होते हुए भीटा तक इन्टरलाकिंग कार्य	714356.00	जिसमें 35359.00 रु.कीजीएस टीकाटीगयीहै ,शेष 53749.00 रुपयेकीकटौतीकरनीहै।	7143.00	14287.00	21430.00	श्रीशैलेश्वराय (खंवि०अ०)
10	जीटीरोड सिकन्दपुर बजहाटावर से सिकन्दपुर तक अवशेष सीसीरोड व इन्टरलाकिंग कार्य	307312.00		3073.00	6146.00	9219.00	श्रीशिवप्रकाश कौशल
11	ग्राम उजहिनीखालसा में रामचन्द्रमौर्य के घर कासवीरमियाँ केघरतइंलांकार्य	691087.00		6910.00	13822.00	20732.00	श्रीशैलेश्वराय (खंवि०अ०)
12	ग्राम सिकन्दरपुरबजहा में अफजल के भट्टेसे सेरसिंहईदगाह तक इंलांकार्य	580656.00		5806.00	11613.00	17419.00	2श्रीशिवप्रकाश कौशल
13	सिरियावाँपट्टीपरवेजाबाद लिंक मार्ग सेबरकतपुर के मस्जिद तकइंलांकार्य	409498.00		4094.00	81890.00	12284.00	श्रीशैलेश्वराय (खंवि०अ०)
14	जीटीरोड पंचायत हुसैन मईकेमजरा उमरपुर मजराप्राइमरी स्कूलतकइंलांकार्य	349674.00			7833.00	7833.00	श्रीशिवप्रकाश कौशल
15	विकासखण्डप रिसर चबूतरा निर्माण का अवशेष कार्य	42909.00		429.00	858.00	1287.00	श्रीशैलेश्वराय (खंवि०अ०)
16	विरौलीजलीलपुर मार्ग से दुर्गापासी के घर तकइंलांव पुलिया निर्माण कार्य	672036.00		6720.00	13441.00	20161.00	श्रीशिवप्रकाश कौशल
17	सैयदसरावाँ से जुनैदपुरतक नाला निर्माण कार्य	773385.00		7733.00	15468.00	23201.000	श्रीशैलेश्वराय (खंवि०अ०)

18	सोखदा के कब्रिस्तान के पास से नूरउल्ला के घर तक नाला व पुलिया के निर्माण कार्य	683805.00		6838.00	13676.00	20514.00	2श्रीशिवप्रकाश कौशल
19	सोखदा के मजरा से शेरसिंह घर तक इलाका कार्य	721424.00		7214.00	14428.00	21642.00	श्रीशैलेषराय (खंविअं)
20	लोहरा में लालूलोहार के घर होते हुए भींटी सोखदा तक इलाका कार्य	789901.00		7799.00	15598.00	23397.00	श्रीशिवप्रकाश कौशल
21	लोहरा में लालूलोहार के घर होते हुए भींटी सोखदा तक अ वशेष इलाका कार्य	350519.00		3505.00	7010.00	10515.00	श्रीशैलेषराय (खंविअं)
22	ललूलोहार के घर से होते हुए नूरउल्ला के घर तक नाली निर्माण कार्य	157005.00		1570.00	3140.00	4710.00	श्रीशिवप्रकाश कौशल
	योग	11644329.00		112839.00	292425.00	385313.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹ 385313.00 की जी0एस0टी0, लेबरसेस व आयकर की कटौती न कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेषराय एवं लेखाकार श्री शिवप्रसाद कौशल से बराबर-बराब व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- सरसंवाविकास खण्ड- सरसंवा, जनपद- कौशाम्बी लेखा परीक्षा वर्ष 2020-2021

प्रस्तर -8 आलोच्य वर्ष 2020-21 में भुगतान सप्लायरों को दो माध्यम से किया जना बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित है प्रथम चेक द्वारा दूसरा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से। चैको के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू (अक्टूबर 2019) होने के पश्चात बन्द कर दी गई थी। इस प्रकार चैकों से भुगतान की गई धनराशि रूपया 2538576.00 अनियमित रही। चैको से भुगतान न कर पी0एफ0एम0एस0 से भुगतान किए जाने की व्यवस्था नीतिगत व्यवस्था है जिसे लागू करवाना खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का दायित्व था जिसके पूर्ण रूप से लागू करवाने में दोनों असफल रहे। जिसमें प्रमुख श्रीमती विद्या देवी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री देवकुमार यादव उत्तरदायी रहे। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0स0	दिनांक	चैक	धनराशि	फर्म का नाम	अभ्युक्ति
01	17-04-2020	623	602338.00	जय जगदम्बा ट्रेडर्स	
02	17-04-2020	624	13018.00	जय जगदम्बा ट्रेडर्स	
03	17-04-2020	626	8639.00	जय जगदम्बा ट्रेडर्स	
04	28-08-2020	662	439790.00	जय जगदम्बा ट्रेडर्स	
05	28-08-2020	661	428997.00	जय जगदम्बा ट्रेडर्स	

06	28-08-2020	645	533135.00	जय जगदम्बा ट्रेडर्स	
07	16-09-2020	665	512659.00	जय जगदम्बा ट्रेडर्स	
			2538576.00		

प्रस्तर -9 वर्ष 2020-21 में 04/2020 से 03/2021 तक पूरे वर्ष में समस्त कार्यो मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से न कर कुछ में चौकों द्वारा कार्य प्रभारियों को और कुछ में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से कार्य प्रभारियों व मेठों के बैंक खाते में भुगतान रही है जो कि अनियमित रहा। पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू होने के पश्चात मजदूरी मजदूरों के बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 द्वारा स्थानान्तरित की जानी थी जो कि नहीं किया गया जबकि कार्य प्रभारियों द्वारा नकद मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल उपलब्ध रहे। इस प्रकार का अनियमित कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार यादव एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती विद्या देवी उत्तरदायी है। मजदूरी में कुल रूपया 3750045.00 का भुगतान किया गया है वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- कड़ा, वर्ष- 2020-21, वि0ख0- कड़ा, जनपद- कौशाम्बी।

प्रस्तर -10 क्षेत्र पंचायत कड़ा, आलोच्य वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम - 2009, जो फरवरी 20009 से उ0प्र0 में लागू है। के नियम- 413 के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर लेबर सेस नियोक्ता द्वारा काटा जायेगा। भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत उपकर की प्राप्ति को शासनादेश सं0- 521/ 36-02-2010-25/ एस. एन./ 95, दिनांक 26-03-2010 में निर्गत निर्देशानुसार राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना चाहिए।

आलोच्य वर्ष में आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। किन्तु लेबर सेस की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	कार्य/परियोजना का नाम	सामग्री मूल्य	जी0 एस0 टी0	आयकर	लेबर सेस 1 प्रतिशत
1.	लेहदरी लिंक मार्ग से आफताब के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य।	82,787=00	1230=00	1860=00	828=00
2.	अम्बाई बुजुर्ग में लेहदरी लिंक रोड से ग्राम पंचायत भवन तक खडंजा मरम्मत कार्य।	83,923=00	1240=00	1339=00	839=00
3.	ग्राम सभा केन के प्रा0वि0 से अहिरन के पुरवा होते हुए अमाव तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	3,15,260=00	7050=00	7890=00	3152=00
4.	ग्राम सभा कनवार मजरा अखाड़ा पर से अमाव सीमा तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	7,84,965=00	16472=00	18450=00	7,849=00
5.	ग्राम कनवार आदि कुमारी की स्थल पर चबूतरा /पक्की रोड निर्माण कार्य।	1,24,393=00	2,852=00	3,200=00	1,244=00
6.	ग्राम पं0 नांदेमई से केन सरहद तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	3,56,519=00	7,130=00	7,990=00	3,566=00

7.	ग्राम सभा साढो से ग्राम सभा भडेहरी रोड तक दोनों ग्राम सभा लिंक मार्ग तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	5,76,591=00	11530=00	12910=00	5,765=00
8.	ग्राम सभा जोरावरपुर कनवार से स्व0 शारदा प्रसाद उ0मा0वि0 होते हुए फतेहपुर सीमा तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	8,19,133=00	15106=00	18340=00	8,191=00
9.	ग्राम सभा केन से अहिरन के पुरवा होते हुए अमाव सीमा तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	6,94,847=00	13890=00	15940=00	6,948=00
10.	ग्राम सभा अम्बाई में लेहदरी लिंक मार्ग से ग्राम पं0 अम्बाई की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	5,78,217=00	11790=00	13200=00	5,782=00
11.	ग्राम सभा चक मानिकपुर सयैद राजे में सिराथू लिंग मार्ग से ग्राम पं0 सयैद राजे तक खड़जा मरम्मत कार्य।	1,32,433=00	2260=00	2525=00	1,324=00
12.	ग्राम सभा नरसिंहपुर खछुवा मजरा छकमोचरा खास से ग्राम सभा सैती लिंक मार्ग तक खड़जा मरम्मत कार्य।	1,52,809=00	2620=00	2930=00	1,528=00
13.	ख्वाचकीमई में ओमकार नाथ के घर से फरीदगंज सम्पर्क मार्ग तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	1,43,431=00	2670=00	2990=00	1,434=00
14.	ग्राम सभा केन में दीपू के घर से कैथन के पुरवा तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	3,75,438=00	7510=00	8410=00	3,754=00
15.	ग्राम सभा डोरमा में ननकू यादव के घर से हाइवे लिंक मार्ग की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	5,83,655=00	13070=00	14640=00	5,836=00
16.	ग्राम सभा नरसिंहपुर कछुवा मजरा मोचराखास से सिराथू लिंक मार्ग की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	5,48,423=00	11090=00	14320=00	5484=00
17.	रहिमापुर दौलतपुर में मुख्य मार्ग से अजय सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	3,36,144=00	7510=00	8410=00	3,361=00
	योग -	-	-	-	66885=00

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर लेबर सेस रुपया- 66885=00 की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति करा दिया गया। जिसके लिए लेखाकार श्री प्रदीप कुमार मौर्य एवं ख0वि0अ0 श्रीमती श्वेता सिंह उत्तरदायी हैं जिससे उक्त राजस्व की वसूली कर ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- मंझनपुर वर्ष-2020-21

प्रस्तर -11 निम्नलिखित दर्शित कार्यों में आगणन व निर्माण पत्रावली और बिल में विचलन पाया गया विवरण निम्नवत है-

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री का नाम	एस्टीमेट के अनुसारमात्रा\ दर	एस्टीमेट के अनुसारके अनुसारधनराशि	बिल/एँम बी के अनुसारमात्रा	बिल/एँम बी के अनुसारधनराशि	विचलन
1	थम्बा अलावलपुरपक्की सड़कसे सोनादेवीजूनियरहाई स्कूलतक इंटरलॉकिंगकार्य	सीमेंट- 152बोरीईटा	273.00	41496.00	176	48048.00	6552.00
		11426लोकल सैंड(बालू)	6470.00	73926.00	23805	154018.25	80092.15
		27.90धन मी०	1155.00	32224.00	30 धन मीटर	34650.00	2425.50
2	मंझनपुरविकास खंडके बाँउण्डीवालाका उच्चीकरण	गेट ग्रिल21.87 कू0	5330.00	116567.00	28.20 कू०	150306.00	33739.00
						योग-	122808.65

उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली १९८४ के नियम-८ तथा नियम-१५ में स्पष्ट उल्लेख है की स्वीकृतकर्ता द्वारा आगणन में अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा रु० 500.00 जो भी कम हो को स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु उक्त नियम का पालन न कर स्वेच्छा से मनमाने विचलन किया गया है अतः रु० 122808.65 की वसूली श्री सुधीर कुमार खंड विकास अधिकारी तथा श्री सुरेंद्र कुमार (लेखाकर) से बराबर-बराबर व्याज सहित वसूली अपेक्षित है/

प्रस्तर 12 - निम्नलिखित दर्शित कार्यों में मस्टर रोल पर श्रीमाको के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा नहीं पाया गया तथा किसी तिथि से किस तिथि क निर्माण कार्य किया गया का उल्लेख नहीं किया गया है विवरण निम्नयावत है -

क्र०	कार्य का नाम	श्रमिकों की संख्या	धनराशि
1	विकास खंड मंझनपुर कौशाम्बी वाटर सप्लाई और रंगाई पुताई	23दिन मिस्त्री81दिन लेबर	81150.00
2	ग्राम चकसहनपुर में इंटरलॉकिंग रोड सेतालाब तकनाली निर्माण कार्य	96दिन लेबर29 दिन मिस्त्री	136119.00
3	अमीनपुर सबरी में आरसीसी रोड से जरीदपुर सबरीसरहद तक इंटरलॉकिंग कार्य	38 दिन मिस्त्री129 दिन लेबर	40566.00
4	पंडीरी माजरा तुर्तीपुर में मु०अली घर से जाहिदके घर तक नाली वा इंटरलॉकिंग कार्य	123 दिन मिस्त्री426दिन लेबर	133029.00
		योग-	390864.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया है जिसके वसूली 390864.00 रु० की वसूली श्री सुधीर कुमार और श्री नवदीप शुक्ल- खंड विकास अधिकारी तथा श्री सुरेंद्र कुमार (लेखाकार) से बराबर-बराबर दंडात्मक व्याज सहितवसूली अपेक्षित है/

क्षेत्र पंचायत- नेवादा

वर्ष-2020-21

प्रस्तर -13 निर्माणकार्य पत्रावली में पाया गया की रसूलपुर ब्यूर से औधनपीपर हाई मार्ग से छेदूदन के गोडा तक इंटरलॉकिंग कार्य मेंटेंडर की प्रक्रिया नियमानुसार नहीं कि गयी (टेंडर तिथि 13.10.2020 और खोलने की तिथि 26.10.2020.) पत्रावलीमें ठकेदार की हैसियत प्रमाण पत्र और जमानत धनराशि की संलग्न नहीं है तथासाइन बोर्ड की छायाप्रति नहीं लगी है तथालेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है और बिल सप्लायर के आपूर्ति की तिथि अंकित नहीं है तथा बिल पर सप्लायर के हस्ताक्षर नहीं है इससे स्पष्ट है की फ़र्जी प्रमाणक दर्शाकर बिल रूपए 596543.00 की राजकीय अनुदानका अपहरण कर लिया गया है जिसकीवसूली दंडात्मक व्याज सहित बराबर-बराबर श्री विजय शंकर त्रिपाठी खंड विकास अधिकारी और रामध्यान यादव (लेखाकार) और श्री शिव प्रकाश कौशल (लेखाकार) से वसूली किया जाना अपेक्षित है/

प्रस्तर – 14 निम्नलिखित कार्य में इस्टीमेट एमबी और बिल निर्माण पत्रावली में विचलन पाया गया जो निम्नवत है-

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री का नाम व मात्रा दर	एस्टीमेट के अनुसारधनराशि	बिल/एँम वी के अनुसारमात्रा	बिल/एँम वी के अनुसारधनराशि	विचलन
1	अमवा से सेवथा तकइंटरलॉकिंग कार्य	सीमेंट-121./262 ईटा गिट्टी 556.00लोकल सैंड (बालू)498.00	31702.00	123	32226.00	524.00
			22217.76	42 धन मी०	23352.00	1134.24
			4372.44	11 धन मी०	5478.00	1105.56
2	ग्राम बिरनेर हनुमान तिवारी के घरसेराम लोचन शर्मा के घर तकइंटरलॉकिंग कार्य	लोकल सैंड (बालू)680.00 / धन मी०5.58 धन मी०	3794.00	7.64 धन मी०	5195.00	1401.00
		इंटरलॉकिंग ईटा 7200	158400.00	8020	176440.00	18040.00
		योग-----	220486.20		242691.00	22204.80

उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली १९८४ के नियम-८ तथा नियम-१५ में स्पष्ट उल्लेख है की स्वीकृतकर्ता द्वारा आगणन में अधिनियम १० प्रतिशत अथवा रु० 500.00 जो भी कम हो को स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु उक्त नियम का पालन न कर स्वेच्छा से मनमाने विचलन किया गया है अतः रु० 22204.80 श्री विजय शंकर त्रिपाठी खंड विकास अधिकारी और रामध्यान यादव (लेखाकार)और श्री शिव प्रकाश कौशल (लेखाकार) से बराबर-बराबर व्याज सहितवसूली अपेक्षित है/

प्रस्तर -15 निम्नलिखित दर्शित कार्यों में टेंडर नियामवली का पालन न करके नियम विरुद्ध टेंडरिंग की कार्यवाही की गयी है जबकि नियमानुसार कम से कम ०३ सप्ताह का विज्ञापन के पश्चात समय दिया जाना चाहिए जो नहीं दिया गया है तथा कई निर्माण कार्यों में दो लोगो से ही टेंडर/ आवेदन लिया गया है जबकि कम से कम तीन टेंडर लेना अनिवार्य है यदि टेंडर तीन से कम पड़ता है तो पुनः टेंडर की कार्यवाही की जानी चाहिए जो नहीं की गयी है/ विवरणनिम्नवत है-

क्र० कार्य का नाम टेंडर दाता का नाम टेंडर आमंत्रण तिथि टेंडर खोलने की तिथि

क्र०	कार्य का नाम	टेंडर दाता का नाम	टेंडर आमंत्रण तिथि	टेंडर खोलने की तिथि	धनराशि जो भुगतान की गयी
1	वसुहार में राम पाल के घर से पक्कीसड़क तक इंटरलॉकिंग कार्य	सुनील ट्रेडर्स माँ दुर्गा इंटरप्राइजेज	27.02.2021	16.03.2021	787748.00
2	हासिमपुर कितराम संगम लाल मौयिके घर से गौरव बाबा के मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	में० माँ दुर्गा इंटरप्राइजेज में० श्याम नारायण पाण्डेय	15.01.2021	25.02.2021	696042.00
3	नेवादा ब्लॉक मुख्य भवन मरमतसुन्दरिकरण	माँ दुर्गा इंटरप्राइजेज में० श्याम नारायण पाण्डेय	15.02.2021	25.02.2021	33000.00
4	अमवा चन्द्रा भूषण के लिंक मार्ग तक इंटरलॉकिंग कार्य घर से पुरखास	सुनील ट्रेडर्स में० श्याम नारायण पाण्डेय	27.02.2021	16.03.2021	640732.72
5	अकबराबाद गोहनी में अर्जुन पंडित के घरसे मुख्य मार्ग स्थित लवलेश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	सुनील ट्रेडर्स में० श्याम नारायण पाण्डेय	29.01.2021	12.02.2021	821892.00
6	ग्राम किशुनपुर अम्बरी से बलराहीतक इंटरलॉकिंग कार्य	सुनील ट्रेडर्स में० श्याम नारायण पाण्डेय	29.01.2021	12.02.2021	837301.00
7	ब्लॉक कार्यालय में वाटर कूलर लगाने का कार्य	सुनील ट्रेडर्स में० श्याम नारायण पाण्डेय	29.01.2021	12.02.2021	237574.00
8	तिल्हापुर कसहाई से हरिहरनाथ तक इंटरलॉकिंग कार्य	सुनील ट्रेडर्स में० श्याम नारायण पाण्डेय	29.01.2021	12.02.2021	288962.00
9	चिरारी से ककरही लिंक मार्ग सेधनपत के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	सुनील ट्रेडर्स में० श्याम नारायण पाण्डेय	29.01.2021	12.02.2021	742512.00

				योग-	50,85,763. 72

उपरोक्त दर्शित निर्माण कार्यों में न तोसाइन बोर्ड का फोटो लगाया गया है तथा न ही ठेकेदार से जमानत/ धरोहरधनराशि ली गयी है/ अतः रु 5085763.72. की गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है / जिसकी वसूली दंडात्मक व्याज सहित श्री विजय शंकर त्रिपाठी खंड विकास अधिकारी और रामध्यान यादव (लेखाकार) और श्री शिव प्रकाश कौशल (लेखाकार) से बराबर-बराबर वसूली किया जाना अपेक्षित है/

क्षेत्र पंचायत -चायल लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21 जनपद -कौशांबी

प्रस्तर -16 केन्द्रीय वित्त आयोग वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत कराए गए कार्यों की लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों की जांच में पाया गया कि परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत केवल सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है जबकि कार्य के अन्य मदों में व्यय नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है होता है कि निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया गया और न ही सामग्री प्राप्त होने की पुष्टि हेतु संबंधित अभिलेख आर. एम.आर.मांगने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि नियमानुसार सामग्री कार्यस्थल के लिए ही क्रय की जाती

परियोजना का नाम	फार्म का नाम	प्रमाणक संख्या व दिनांक	सामग्री की धनराशि
1. हरदुआ में सार्वजनिक शौचालय निर्माण धनराशि	मेसर्स अजित	326/17.02.2021	102424.00
2. विकास खंड परिसर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण	मेसर्स पल ब्रदर्स	20/18.02.2021	102425.00
3. ग्रां. प.कोइल्हा में आजाद के घर से मनोज के घर तक नाली निर्माण प्राकलन	मेसर्स पाल ब्रदर्स	49/27.02.2021	294371.00
4. ग्राम पं.फरीदपुर सलेम होते हुते लाल पासी के घर से तालाब तक कवर्ड नाली	मेसर्स सुनील ब्रदर्स	26/26.02.2021	159178.00
		221/27.01.2021	90032.00
		योग	748430.00

है और उसका आर. एम. आर. में अंकन कर कार्यालयाध्यक्ष को समायोजन हेतु प्रस्तुत किया जाता है किन्तु ऐसा नहीं किया गया। अतएव स्पष्ट होता है की केवल कागजी घोड़ा दौड़ाया गया है वास्तव में न सामग्री क्रय की गई और न तो कार्य कराया प्रारम्भ कराया गया। इस प्रकार बिना कार्य कराए मु. 748430.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर त्रिपाठी, लेखाकार श्री शिव प्रकाश कौशल अवर अभियंता श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री सोनू कुमार उत्तरदायी रहे। अतः रु.748430.00 की व्याज सहित वसूली श्री विजय शंकर त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिव प्रकाश कौशल, अवर अभियंता श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत श्री सोनू कुमार से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-1- क्षेत्र पंचायत - संड़वा चन्द्रिका (वर्ष - 2020-21)

जनपद-प्रतापगढ़

आपतियों का विस्तृत विवरण -

1. अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार आलोच्य वर्ष 2018-19 से 2020-21 में व्यय निम्नवत रहा

1. वर्ष 2018-19 -2289361.95
2. वर्ष 2019-20 -6040706.50
3. वर्ष 2020-21 -10374598.01

योग - 18704666.46

उक्त मदों में व्यय से संबंधित कोई भी निमार्ण पत्रवाली /व्यय प्रमाणक /आदि कई बार लिखित व मौखिक मांगोंपरांत उपलब्ध नहीं कराए गए । जिससे स्पष्ट है कि फर्जी व्यय व काल्पनिक कार्य दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है अन्यथा व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है । अन्यथा उक्त की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह, श्रीमती आकांक्षा श्रीमती शमा एवं तत्कालीन लेखाकार श्री मोती बाबू एवं श्रीमती रामकली (ब्लाक प्रमुख)से क्रमशःकार्यरत अवधि के सापेक्ष ततारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-2- क्षेत्रपंचायत-बिहार (वर्ष - 2020-21)

जनपद-प्रतापगढ़

आपतियों का विस्तृत विवरण -

2. अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 में व्यय निम्नवत रहा -

1. विधायक निधि - 3149192.88
2. मनरेगा कंटीजेन्सी - 6301052.62
3. राज्य वित्त - 16559350.00
4. विभिन्न मदों पर ब्याज - 659913.25
5. सामूहिक विवाह योजना - 229621.00
6. गोआश्रय स्थल - 2010637.41

योग - 2,89,09,767.16

उक्त मदों में व्यय से संबंधित कोई भी पत्रवाली /व्यय प्रमाणक /बिल /बाउचर आदि कई बार लिखित व मौखिक मांगोंपरांत उपलब्ध नहीं कराए गए । जिससे स्पष्ट है कि फर्जी व्यय व काल्पनिक कार्य दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है अन्यथा व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाय । अन्यथा उक्त की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित प्रताप सिंह ब्लॉक प्रमुख श्री अनुभव यादव एवं लेखाकार श्री श्रीनाथ प्रजापति से समान अनुपात में ततारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रारूप - 3

क्षेत्र पंचायतें

प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत सैदाबाद

जिला प्रयागराज

2011-12 से 2013-14

प्रस्तर - 1 क्षेत्र पंचायत सैदाबाद, जिला इलाहाबाद के वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी जिसमें निम्नांकित अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

भारत सरकार के त्रैमासिक बजटिंग मैनुअल के अध्याय-6 के प्रस्तर 29 के अनुसार संसाधनों के उपभोग के सम्बन्ध में तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम तिमाही 20/-, द्वितीय तिमाही 20/- तृतीय तिमाही 25/- तथा चतुर्थ तिमाही 35/- निर्धारित की गयी है। शासनादेश संख्या 1568/38-4-1993-42/93 के अनुसार प्राप्त धनराशि का शत-प्रतिशत वर्ष में उपभोग किया जाना अनिवार्य है, किसी भी दशा में प्राप्त धनराशि के 15/- से अधिक अवशेष नहीं बचनी चाहिए।

सम्प्रेक्षण वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में संस्था द्वारा उक्त नियम का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	मद	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
1.	ब्याज	462606.05	830815.05	297778.05
2.	अन्य अनुदान	6134207.00	7953141.00	1196794.00
	योग	6596813.05	8783956.05	1494572.05

इस प्रकार दिनांक 31.03.2014 को रु0 1494572.05 अवशेष अनुदान की धनराशि में से ब्याज मद में रु0 297778.05[4] एवं अन्य मद में रु0 1196794.00 रहा, जिसे नियमानुसार ब्याज की धनराशि रु0 297778.05 को राजकीय कोषागार में जमा एवं अन्य मद की धनराशि रु0 1196794.00 को योजनावार विकास कार्य में उपयोग शत-प्रतिशत अपेक्षित था, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभाग को, वापस किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। विभागीय वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -2 आलोच्य वर्ष 2013-14 में ब्याज की धनराशि रु0 802109.00 से विकास कार्य कराया गया है, जो नियम विरुद्ध है, नियमानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज राज्य सरकार की आय है, जिसे सरकार को राजकीय कोषागार के माध्यम से वापस किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह व लेखाकार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार हैं। विभागीय वांछित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -3 आलोच्य वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 में क्रमशः अनुदान की धनराशि रु0 2855243, रु0 5767386 व रु0 20125791.00 (जिसमें ब्याज की धनराशि सम्मिलित नहीं) है। इस प्रकार कुल व्यय रु0 28748420.00 विकास कार्यों पर दर्शाया गया है, किन्तु व्यय पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि व्यय पत्रावलियों में न तो सामग्री आपूर्ति की बिल / कैंश मेमो संलग्न रहा और न ही निविदा प्रक्रिया की पुष्टि में प्रकाशित विज्ञापनों की समाचार पत्रों की कटिंग संलग्न रही। ठेकेदार / सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को फार्म-27सी रनिंग एकाउन्ट बिल के आधार पर भुगतान किया गया दर्शित है। इस प्रकार निविदा प्रक्रियाओं के पालन व बिल के अभाव में सामग्री आपूर्ति की दरें व गुणवत्ता की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। इस प्रकार आलोच्य वर्षों में दर्शित कुल व्यय रूपया 27534954.00 गम्भीर अनियमितता प्रतीत होती है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी शालिनी वर्मा, अभिमन्यु कुमार

सिंह, श्रीमती विनिता श्रीवास्तव, श्री विजय शंकर राय, श्री आर०आर० मिश्रा, श्री चन्द्रमणि तिवारी, श्री जितेन्द्र प्रसाद व लेखाकार, कार्य प्रभारी, अवर अभियंता (आर०ई०एस०) आदि उत्तरदायी है। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। प्रस्तर -4 आलोच्य वर्ष 2011-12 में हरीपुर यादव बस्ती से जमशेदपुर रोड पर मिट्टी व खड़जा कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल दिनांक 09.10.2011 से 23.10.2011 में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी रु0 24940.00 भुगतान किया गया है, किन्तु प्रस्तुत मस्टर रोल पर किसी भी श्रमिक का हस्ताक्षर / अ०नि० नहीं पाया गया, जो लेखा परीक्षा कार्मिक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भी किया गया है। इस प्रकार श्रमिकों को रु0 24940.00 फर्जी मजदूरी दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय व्यज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, व कार्य प्रभारी श्री विवेक कुमार मिश्र ग्रा०प०अ० से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -5 आलोच्य वर्ष 2011-12 में हरीपुर यादव बस्ती से जगदीशपुर रोड पर मिट्टी व खड़जा कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल दिनांक 09.10.2011 से 23.10.2011 तक के क्रमांक 02 पर श्रमिक बजरंगी पुत्र पाले (अनु० जाति) नि०-हरीपुर व दिनांक 09.10.2011 से 16.10.2011 के क्रमांक 12 पर उक्त श्रमिक बजरंगी पुत्र पाले (अनु० जाति) नि० हरीपुर को एक ही अवधि में दो जगहों में कार्यरत दर्शाकर दोनों मस्टर रोल के अनुसार क्रमशः रु० 3500.00 व रु0 960.00 मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है, जो संदिग्ध है, कोई भी श्रमिक एक अवधि में एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है। इस प्रकार एक अवधि की मजदूरी रु0 3500.00 फर्जी रहा, जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी विजय शंकर राय लेखाकार विजय शंकर राय व कार्य प्रभारी से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -6 आलोच्य वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड की पुताई में प्रयुक्त मस्टर रोल दिनांक 14.12.2011 से 28.11.2011 तक में मजदूरी रु0 28000.00 व दिनांक 01.12.2011 से 12.12.2011 तक की मजदूरी रु0 11520.00 भुगतान किया गया है, किन्तु दोनों मस्टर रोल पर किसी भी श्रमिक के अंगूठा निशानी /हस्ताक्षर नहीं पाया गया, जिस पर लेखा परीक्षा कार्मिक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। इस प्रकार बिना श्रमिकों के नि०अ० / हस्ताक्षर के भुगतान रु0 39520.00 फर्जी रहा, जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी विजय शंकर राय लेखाकार विजय शंकर राय, कार्य प्रभारी से किया जाना अपेक्षित है।

नाम क्षेत्र पंचायत - सैदाबाद

जनपद - प्रयागराज

2014-15 से 2016-17

प्रस्तर -7 क्षेत्र पंचायत सैदाबाद, जिला प्रयागराज के वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी जिसमें निम्नांकित अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

आलोच्य वर्ष 2014-15 में पुरुषोत्तमपुर में गालिब बी०डी०सी० के घर से लेकर पक्की सड़क तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु मस्टररोल के अनुसार 10 श्रमिकों को दिनांक 11.11.2014 को चेक संख्या 000092 द्वारा रु0 25128.00 का भुगतान किया गया है, किन्तु मस्टररोल पर किसी भी श्रमिक का नि०अ०/ हस्ताक्षर नहीं पाया गया। मस्टररोल या अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया है, जिसे भविष्य में नष्ट/बदला नहीं जा सके। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री धारा सिंह, ग्रा०वि०अ०, लेखाकार श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव एवं ख०वि०अ० तत्कालीन उत्तरदायी हैं। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -8 आलोच्य वर्ष 2014-15 व 2015-16 में राज्य वित्त आयोग/13वां वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में व्यय रु0 70,21,364.00 व वर्ष 2015-16 में व्यय रु0 91,28,649.00 रहा। इस प्रकार कुल व्यय रु० 16150013.00 के सापेक्ष व्यय पत्रावली में टेण्डर / कोटेशन सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे टेण्डर/कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। जिसके अभाव में सामग्री की न्यूनतम दरें एवं सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि नहीं हो सकी और न ही बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ की पुष्टि हो सकी। अतः उक्त प्रक्रिया के पालन के अभाव में किया गया कुल व्यय रु0 16150013.00 अनियमित रहा, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री

जनार्दन, श्री अशोक कुमार, अरुण कुमार, तेजभान सिंह, रामवन्त व लेखाकार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। विभागीय वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -9 आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग /13वां वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल व्यय ₹0 35,97,576.00 किया गया है, जिसके सापेक्ष व्यय पत्रावली में टेण्डर / कोटेशन सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे टेण्डर / कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। जिसके अभाव में सामग्री की न्यूनतम दरें एवं सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि नहीं हो सकी और न ही बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ ही लिया जा सका है। अतः उक्त प्रक्रिया के पालन के अभाव में किया गया कुल व्यय ₹0 35,97,576.00 अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रामवन्त, अनिल कुमार, नवीन कुमार गुप्ता एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -10 शासनादेश संख्या 35/2015/656/45-वी (अति उर्जा श्रोत वि०) 2015 दिनांक 2 जुलाई 2015 द्वारा यू०पी० नेडा को ऊर्जा संरक्षण हेतु अधिनियम 2001 में निहित प्राविधानों को क्रियान्वित कराये जाने हेतु रेजीगनेट एजेन्सी को नामित किया गया है, किन्तु उक्त नेडा से सोलर लाइट न क्रय करके निजी एजेन्सी/फर्म से वर्ष 2015-16 में ₹0 6,40,076.00 व वर्ष 2016-17 में ₹0 8,79,742.00 का क्रय किया गया है। इस प्रकार कुल व्यय ₹0 15,19,818.00 का सोलर लाइट पर किया गया है। जिससे सम्बन्धित सोलर लाइट लगाये जाने का कार्यस्थल की सूची भी उपलब्ध नहीं रही। इस प्रकार सोलर लाइट पर किया गया व्यय ₹0 15,19,818.00 अनियमित रहा, जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अ० श्री अशोक कुमार, श्री अरुण कुमार, श्री तेजभान सिंह, श्री रामवन्त, श्री अनिल कुमार व लेखाकार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -11 भारत सरकार के त्रैमासिक वजटिंग मैनुअल के अध्याय 06 के प्रस्तर 29 के अनुसार संसाधनों के उपभोग के सम्बन्ध में तिमाही भौतिक एवं वित्तीय साक्ष्यों की पूर्ति प्रथम तिमाही 20/-, द्वितीय तिमाही 20/- तृतीय तिमाही 25/-,चतुर्थ तिमाही 35/- निर्धारित की गयी है। शासनादेश संख्या 1568/ 38-4-1993-42/93 के अनुसार प्राप्त धनराशि का शत प्रतिशत वर्ष में उपयोग किया जाना अनिवार्य है। किसी भी दशा में प्राप्त धनराशि के 15/- से अधिक धनराशि अवशेष नहीं बचनी चाहिए। सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में संस्था द्वारा उक्त नियम का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। विवरण निम्नानुसार हैं-

क्र०सं०	मद	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1	ब्याज	297778.00	297778.00	297778.00
2	अन्य अनुदान	5939565.00	2309921.00	3133134.00
	योग-	6237343.00	2607699.00	3430912.00

इस प्रकार वर्षान्त 31.03.2017 को ₹0 34,30,912.00 अवशेष अनुदान की धनराशि में से ब्याज मद में ₹0 297778.00 एवं अन्य मद में ₹0 31,33,134.00 रहा, जिसके नियमानुसार ब्याज की धनराशि ₹0 297778.00 राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था एवं अन्य मद की धनराशि ₹0 31,33,134.00 को योजनावार विकास कार्यों में उपयोग शत प्रतिशत अपेक्षित था अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा न करके ब्याज को वापस न किया जाना एवं अन्य अनुदान को रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी है। वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति का विस्तृत विवरण 2018-19

नाम क्षेत्र पंचायत - सैदाबाद

जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -12 पुरुषोत्तमपुर हरिजन बस्ती पक्की रोड से ध्यान सिंह प्रधान के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य बागीश कुमार मिश्र को दिया गया। कार्य प्रभारी के रूप में विवेक कुमार मिश्र, गा०वि०अ० को दायित्व दिया गया, जिस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

(अ) टेण्डर आमंत्रित किये जाने सम्बन्धी कोई पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

(ब) सामग्री आपूर्ति किये गये टेण्डर सम्बन्धी तीन लिफाफे पत्रावली में संलग्न हैं, परन्तु इस पर किसके द्वारा भेजा गया है, कोई नाम अंकित नहीं है।

(सी) वागीश कुमार मिश्र द्वारा सामान आपूर्ति का बिल संख्या-04 दिनांक शून्य रु0 403322.41 + 48398 जी०एस०टी० कुल रु0 451127.41 प्रस्तुत किया गया है। बिल पर ही कार्य प्रभारी द्वारा सामान प्रस्तुत किया गया है। परन्तु उसकी इन्ट्री स्टॉक रजिस्टर पर नहीं किया गया है क्योंकि एमबी एवं स्टॉक बिल पर स्टॉक पंजिका में अंकन का स्पष्ट लेखन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसकी वसूली कार्य प्रभारी श्री विवेक कुमार मिश्र, ग्रा०वि०अ० से की जानी अपेक्षित है।

(द) इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री पर होने वाले व्यय का अनुमानित विवरण पत्र तैयार किया गया है, परन्तु श्रम पर होने वाले व्यय का विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है, जो अपेक्षित रहा।

प्रस्तर -13 भदवां भाई लाल यादव के घर से हिन्चलाल यादव के घर तक (115×2.5) इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सामान आपूर्ति का टेण्डर बागीश कुमार मिश्र ग्रा०प०अ० को बनाया गया, जिस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

(अ) टेण्डर सम्बन्धित तीन लिफाफे पत्रावली में संलग्न हैं, जिसमें से एक घनश्याम पटेल का नाम अंकित है, शेष दो पर प्रस्तुतकर्ता का नाम अंकित नहीं है।

(ब) मजदूरी पर होने वाले व्यय का कोई आकलन पत्र तैयार नहीं है।

(स) प्रस्तुत आपूर्ति बिल संख्या-3 दिनांक शून्य रु0 315224.77 + जी०एस०टी० 37826.97 कुल रु0 353052.00 पर आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसकी वसूली कार्य प्रभारी श्री विवेक कुमार मिश्र, ग्रा०वि०अ० से की जानी अपेक्षित है।

(डी) मस्टर रोल पर मजदूरों की हाजिरी प्रमाणक किये जाने की पुष्टि में कार्य प्रभारी का / अन्य का हस्ताक्षर नहीं है।

(इ) मजदूरी का भुगतान रु0 69350.00 चेक संख्या-309 दिनांक 06.10.2018 को कार्य प्रभारी विवेक कुमार मिश्र को किया गया है, परन्तु मजदूरों को कब भुगतान किया गया है यह मस्टर रोल में अंकित नहीं है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसकी वसूली कार्य प्रभारी श्री विवेक कुमार मिश्र, ग्रा०वि०अ० से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -14 बरेली में पक्की सड़क से राम अभिलाष पाण्डेय के घर तक (160×2.5मी) इण्टरलाकिंग का कार्य हेतु अनुमानित लागत 5.81 लाख हेतु सामान आपूर्ति हेतु टेण्डर आमंत्रित किया गया, जिस हेतु बागीश कुमार मिश्र का टेण्डर स्वीकृत किया गया और श्री सर्वेश कुमार मिश्र ग्रा०प०अ० को कार्य प्रभारी बनाया गया जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

(1) टेण्डर पत्रावली में टेण्डर आमंत्रित किये जाने का कोई आदेश संलग्न नहीं है।

(2) टेण्डर प्राप्ति सम्बन्धी तीन लिफाफे की पत्रावली संलग्न है परन्तु किसके द्वारा दिये गये हैं, उस पर अंकित नहीं है।

(3) खण्ड विकास अधिकारी सैदाबाद द्वारा आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश में पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।

(4) सामान आपूर्ति बिल संख्या 05 दिनांक शून्य पर आपूर्तिकर्ता अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं है।

(5) संलग्न मस्टर रोल पर 12 मजदूरों की 16 दिन की उपस्थिति दर्शायी गयी जिसमें 28.10.2018 की उपस्थिति दो बार दर्ज है। इस प्रकार 5725.00 का अधिक भुगतान फर्जी तरीके से किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी क्षतिपूर्ति कार्य प्रभारी श्री सर्वेश कुमार मिश्र ग्रा०प०अ० से अपेक्षित है।

(एफ) इण्टरलाकिंग हेतु 80एम.एम. टाइल्स की 12800 नग की आवश्यकता प्राक्कलन में दर्शायी गयी, परन्तु बिल में 13700 नग आपूर्ति प्राप्त की गयी जिसकी कीमत रु0 19800.00 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः स्पष्ट है

कि उपरोक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी क्षतिपूर्ति कार्य प्रभारी श्री सर्वेश कुमार मिश्र ग्रा०प०अ० से अपेक्षित है।

प्रस्तर -15 बढौली काली सड़क से पप्पू पाण्डेय के घर से प्रकाश चन्द्र दुबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु टेण्डर आमंत्रित किया गया है, जिस पर श्री बागीश कुमार मिश्र को आपूर्ति का टेण्डर स्वीकृत किया गया और श्री विवेक कुमार मिश्र को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया, जिस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

(1) टेण्डर आमंत्रण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

(2) टेण्डर प्राप्ति के जो तीन लिफाफे प्राप्त हुए हैं, उनमें से किसी भी लिफाफे पर टेण्डर प्रस्तुत करने वाले के नाम नहीं हैं।

(3) खण्ड विकास अधिकारी सैदाबाद के कार्यालय पत्रांक शून्य दिनांक शून्य द्वारा श्री विवेक कुमार मिश्र को आपूर्ति का ठेका दिया गया जो आपत्तिजनक है।

(4) खण्ड विकास अधिकारी सैदाबाद द्वारा बिल आफ क्वांटिटी में 80 एम.एम. को इण्टरलाकिंग टाइल्स 10000.00 नग की आपूर्ति हेतु स्वीकृत हुआ। परन्तु बागीश कुमार मिश्र द्वारा प्रस्तुत बिल में 10420 नग दर्शाया गया है। इस प्रकार कुल 420 नग अधिक दर्शाया गया है। जिसका कुल मूल्य रु० 22.00 प्रति नग के आधार पर रु० 9240.00 होता है। इसकी क्षतिपूर्ति जे०ई०आर०ई०डी/कार्य प्रभारी श्री विवेक कुमार मिश्र (ग्रा०प०अ०) से अपेक्षित है। बिल का भुगतान चेक संख्या 289 दिनांक 15.09.2018 द्वारा किया गया।

प्रस्तर -16 ग्राम बडगांव पक्की सड़क से राजेश यादव (बी०डी०सी०) के घर तक इण्टरलाकिंग के कार्य के लिए समान आपूर्ति का ठेका (रु० 384818.27) बागीश कुमार मिश्र को दिया गया। कार्य प्रभारी के रूप में श्री विवेक कुमार मिश्र की नियुक्ति की गयी, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

(1) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

(2) टेण्डर प्राप्ति के रूप में तीन लिफाफे टेण्डर पत्रावली में हैं परन्तु इन पर न तो भेजने वाले का नाम/पद अंकित है और ना ही पाने वाले का नाम व पद अंकित है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा तीनों लिफाफे प्रस्तुत किये गये हैं जो कि आपत्तिजनक है।

(3) सामान आपूर्ति हेतु दिये गये पत्र में पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है जो आपत्तिजनक है।

(4) क्षेत्र पंचायत द्वारा तैयार किये गये बिल आफ क्वांटिटी में 80 एम.एम. की इण्टरलाकिंग टाइल्स को आपूर्ति हेतु 10000 नग अंकित है जबकि आपूर्ति बिल संख्या 06 दिनांक शून्य में 10930.00 टाइल्स की आपूर्ति दर्शायी गयी है। इस प्रकार 930 टाइल्स अधिक की आपूर्ति की गयी है जिसका मूल्य रु० 20460.00 दर 22.00 प्रति नग होता है। बिल का भुगतान चेक संख्या 320 दिनांक 12.10.2018 द्वारा किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है अधिक भुगतान रु० 20460.00 की क्षतिपूर्ति कार्य प्रभारी श्री विवेक कुमार मिश्र ग्रा०प०अ० से अपेक्षित है।

वर्ष - 2020-21

क्षेत्र पंचायत -सैदाबाद

जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर- 17- दौरान लेखा परीक्षा स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र पंचायत सैदाबाद द्वारा जमानत और फार्म मद एक साथ ही दिखायी गयी है जबकि जमानत की मद और फार्म बिक्री की मद अलग अलग दर्शाया जाना चाहिए । दिनांक 31-03-2020 को उक्त मद मे संयुक्त रूप से रु. 346375.00 अवशेष थे और वर्ष 2020-21 में रु. 316911.00 की आय हुई। 31/03/2021 को उक्त मद में रु. 663286.00 अवशेष रखे गये थे । संस्था द्वारा दोनों ही मद की धनराशि एक साथ रखने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितनी धनराशि जमानत मद की रही तथा कितनी धनराशि फार्म बिक्री की रही। अतएव दोनों ही मद को अलग कर प्रत्येक मद की धनराशि स्पष्ट किया जाना चाहिए और नियमानुसार कार्यवाही की

जानी चाहिए। जमानत पंजी बना कर नियमानुसार वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए । फार्म बिक्री से प्राप्त धनराशि क्षेत्र पंचायत के निजी आय का स्रोत है जिसे क्षेत्र निधि में जमा कर लिया जाना चाहिए था। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपति क्रमांक 16)

प्रस्तर- 18- दौरान लेखा परीक्षा स्पष्ट हुआ कि दिनांक 01-04-2020 को पुराना ब्याज रु. 297778.00 एवं विभिन्न खातों पर प्राप्त ब्याज रु. 149331.00 दो अलग अलग मद के रूप में अवशेष दिखाई गयी । दौरान वर्ष पुराना ब्याज की धनराशि व्यय की गयी । विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज मद में रु. 916009.00 की आय दिखाया गया और रु. 304641.00 व्यय किया गया। इस मद में रु. 760699.00 अवशेष दिखाया गया है। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि संस्था द्वारा विभिन्न योजनाओं के विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज की धनराशि को आय पक्ष में नहीं दिखाया गया जिससे अनुदान पंजी 03 में संबंधित योजनाओं में प्राप्त ब्याज की धनराशि नहीं जुड़ सकी और अनुदान पंजी 03 में दर्शित अवशेष और बैंक खातों में अवशेष की धनराशि में अंतर बनता गया। वर्ष 2020-21 में विवरण निम्नवत रहा-

माह	बैंक खाते का अवशेष	अनुदान पंजी 03 का अवशेष	अंतर	दर्शाये गये कैश/चेक	प्रभावी अंतर
अप्रैल 2020	10610590.80	10119742.00	490848.80	195556.00	686404.80
मई 2020	10244547.00	9360692.00	883855.00	581524.00	302331.00
जून 2020	9145068.00	8192415.00	952653.00	566128.00	386525.00
जुलाई 2020	8665153.00	7834752.00	830401.00	439602.00	390799.00
अगस्त 2020	9307780.00	8594245.30	713534.70	72742.00	640792.70
सितंबर 2020	15190506.85	144441830.30	748676.55	48597.00	700079.55
अक्टूबर 2020	17653971.80	17018501.30	635470.50	00	635470.50
नवंबर 2020	19034369.85	18228621.30	805748.55	125621.00	680127.55
दिसंबर 2020	26199554.15	25318705.30	880848.85	9122.00	871726.85
जनवरी 2020	27484412.00	27442292.30	42119.70	42120.00	00

उपरोक्त विवरण के अनुसार अनुदान पंजी 03 और बैंक खातों के अवशेष में अंतर बना रहा। प्राप्त ब्याज की धनराशि को अनाहरित चेक के रूप में भी दिखाया जाता रहा, जबकि कोई चेक नहीं काटा जा रहा था। इस प्रकार बैंक के खातों में ब्याज की आय जमा होती रही किंतु संबंधित योजनाओं में तथा अनुदान पंजी 03 में ब्याज की धनराशि जमा नहीं हुई और दोनों में अंतर बनता रहा। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जनवरी 2021 में विभिन्न खातों में ब्याज प्राप्ति से रु. 603467.00 एकमुश्त आय दिखा कर अंतर समाप्त किया गया जबकि ब्याज से आय गत कई वर्षों में विभिन्न मदों में अलग अलग हुई थी । स्पष्ट है कि अनुदान पंजी 03 में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि लगातार की जाती रही जिसका निरीक्षण भी समय समय पर नहीं किया गया। अतएव उक्त ब्याज की धनराशि की जाँच कर विभिन्न वर्षों में प्राप्त ब्याज की धनराशि को योजना वार अलग कर सही प्रविष्टि की जानी चाहिए । विभागीय अधिकारियों का ध्यान उचित कार्यवाही की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति क्रमांक 20)

प्रस्तर- 19- आलोच्य वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त मद से कराये गये निम्नलिखित कार्यों में नियमानुसार आयकर (2 प्रतिशत) 2 प्रतिशत जीएसटी कटौती तथा 8 प्रतिशत जमानत की धनराशि तथा लेबर सेस (1 प्रतिशत) नहीं लिया गया

क्र .	कार्य	धनराशि	2 प्रतिशत एफटी	2 प्रतिशत जीएसटी	8 प्रतिशत जमानत	1 प्रतिशत लेबर सेस
1	बजहा मिश्रान सीसी रोड से चौस पर सामान	227149.00	4543.00	4543.00	18172.00	2271.00
2	रसूलपुर में संतोष सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	265390.00	5308.00	5308.00	21231.00	2654.00
3	पौडन में इंटरलॉकिंग सामग्री	424738.00	8494.00	8494.00	33976.00	4247.00
4	हकीमपट्टी इंटरलॉकिंग कार्य पर सामग्री	357515.00	7150.00	7150.00	28600.00	3575.00
5	मकसूदना में बहादुर यादव के घर तक इंटरलॉकिंग	411804.00	8236.00	8236.00	32944.00	4118.00
6	ग्राम पंचायत बडौली में इंटरलॉकिंग	241088.00	4822.00	4822.00	19288.00	2411.00
7	दुदुआ में पक्की सड़क से होते हुए इंटरलॉकिंग	361798.00	7236.00	7236.00	28944.00	3618.00
	योग	2289482.00	45789.00	45789.00	183155.00	22894.00

इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार विभिन्न कटौतियां

(क)- आयकर 2 प्रतिशत रु. 45789.00, जिसे तत्कालीन वर्ष में कार्यरत रहे विकास खंड अधिकारियों (श्री विनोद पाण्डेय रु. 12747.50 एवं श्री अखिलेश तिवारी रु.10147.50) तथा लेखाकार श्री सचिन कुमार से रु. 22895.00 बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(ख)- 1 प्रतिशत लेबर सेस रु. 22894.00 की कटौती नहीं की गयी हैं जिसे तत्कालीन वर्ष में कार्यरत रहे विकास खंड अधिकारियों श्री विनोद पाण्डेय से रु.6373.50 एवं श्री अखिलेश तिवारी से रु. 5073.50 तथा लेखाकार श्री सचिन कुमार से रु. 11447.00 बराबर बराबर वसूली कर श्रम विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जानी चाहिये । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ग)- 2 प्रतिशत की दर से जी एस टी रु.45789.00, जिसे जॉचोपरांत तत्कालीन वर्ष में कार्यरत रहे विकास खंड अधिकारियों श्री विनोद पाण्डेय रु.12747.50 एवं श्री अखिलेश तिवारी रु. 10147.50 तथा लेखा कार श्री सचिन कुमार रु. 22895.00 से बराबर मात्रा में आधा आधा वसूली अपेक्षित है।

(ध)- 8 प्रतिशत जमानत रु.183155.00 जॉचोपरांत संबंधित ठेकेदारों से जमा करायी जानी चाहिये । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपति क्रमांक 17)

प्रस्तर- 20 - आलोच्य वर्ष 2020-21 में पंचम राज्य वित्त से कराये गये कार्यों में किये गये व्यय रु. 2279348.00 में से नियमानुसार 1 प्रतिशत लेबर सेस नहीं काटा गया जो रु. 22793.00 होता है अतएव उक्त धनराशि का आधा रु. 11397.00 विकास खंड अधिकारी श्री श्रीश गुप्ता तथा आधा रु. 11397.00 लेखाकार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपति क्रमांक 16)

वर्ष 2017-18 से 2019-20

नाम क्षेत्र पंचायत - हँडिया

जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -21 क्षेत्र पंचायत हण्डिया की लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से 2019-20 में यह स्पष्ट हुआ कि संस्था द्वारा विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज की धनराशि को अनुदान पंजी -3 में नहीं दर्शाया गया। जिससे संस्था में 31-03-2019 तक आय पक्ष में ब्याज की धनराशि नहीं जोड़ी जा सकी, जबकि खातों में ब्याज की धनराशि जुड़ती गयी और ग्रांट रजिस्टर 03 के अवशेष से अंतर बनता रहा जिसका विवरण नहीं दिया गया। अतएव ब्याज की आय के आंकड़ों का पुनः परीक्षण कर ब्याज में दर्शित प्राप्त आय को ग्रांट रजिस्टर प्रथम में आय के रूप में लिया जाना अपेक्षित है। स्पष्ट है कि लेखा नियमों के विपरीत कार्य संचालन किया जा रहा है जो गंभीर अनियमितता है। दिनांक 01/04/2019 को रु. 159493.84 एकमुश्त ब्याज प्राप्ति में दर्शाकर आय दिखायी गयी है जबकि 31/03/2019 को दिये गये समाधान विवरण में विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज के विवरण के अनुसार रु. 178784.00 ब्याज से आय (वर्ष 2015-16 से 23/03/2019 तक) दिखायी गयी है। इस प्रकार रु. 19290.16 कम आय दर्ज कर आय पक्ष प्रभावित रखा गया है और अवशेष कम कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान उचित कार्यवाही की ओर अपेक्षित है। दिनांक 31/03/2020 को अनुदान पंजी 03 के अनुसार रु.8376502.00 अवशेष थे जबकि संस्था के संचालित 07 बैंक खातों में रु. 9087108.21 अवशेष थे। इस प्रकार रु. 705761.00 का अंतर बैंक और अनुदान पंजी में बन गया जिसका कारण विविध वर्षों में, ब्याज से प्राप्त आय को न दर्शाना रहा। अतएव संबंधित वर्षों के ब्याज की धनराशि का मदवार विभाजन कर संबंधित मदों में जोड़ कर अवशेष दिखाया जाना अपेक्षित रहा। विभागीय अधिकारियों का ध्यान गंभीर अनियमितता की ओर आकृष्ट किया जाता है जिससे उचित कार्यवाही कर ब्याज की आय को ग्रांट रजिस्टर प्रथम में आय के रूप में अंकित कर अंतर रु. 705761.00 को समाप्त किया जा सके। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ०क्र०-20)

प्रस्तर -22 लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि अनुदान पंजी भाग -03 में जमानत एवं फार्म बिक्री मद एक साथ ही प्रविष्ट कर दी गयी है। दिनांक 31-03-2017 को इस संयुक्त मद में रु. 62826.00 अवशेष दर्शाया गया था। आलोच्य वर्ष 2017-18 से 2019-20 में इसमें कोई आय नहीं प्राप्त दिखाई गयी जबकि वर्ष 2017-18 में रु. 16300.00 तथा 2018-19 में रु.9355.00 व्यय किया गया। इस प्रकार 31/03/2020 को रु. 37171.00 अवशेष रहे। लेखा परीक्षा में जमानत पंजी तथा फार्म बिक्री पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी । नियमानुसार जमानत मद तथा फार्म बिक्री से आय अलग-अलग दिखाना चाहिए था तथा जमानत नियमानुसार वापस की जानी चाहिए थी एवं फार्म बिक्री से आय क्षेत्र पंचायत के निजी स्रोत की आय मान कर तदनुसार क्षेत्र निधि में जमा की जानी चाहिए। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस गंभीर अनियमितता की ओर आकृष्ट किया जाता है जिससे रु. 37171.00 का वर्षवार वर्गीकरण कर उचित मद में प्रविष्टि कर नियमानुसार उचित कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मू०आ०क्र० - 24)

प्रस्तर -23 आलोच्य वर्षों में 2017-18 में तेरहवें वित्त मद से रु. 58288.00, चतुर्थ राज्य वित्त मद से रु. 2874895.00, वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त मद से रु. 3787938.00, वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त मद से रु. 2525493.42 व्यय किये गये किंतु धनराशियों से अनिवार्य 2 प्रतिशत की आयकर कटौती तथा 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी। आयकर की कटौती आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के तहत ठेकेदार से 2 प्रतिशत की दर से किए जाने का प्रावधान है। समस्त कार्य ठेकेदार से कराए गए हैं। अतएव निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि रु. 277401.00 के लिए संबंधित वर्षों में कार्यरत रहे तदनुसार नियमानुसार दोषी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित रही ।

वर्ष	मद	व्यय धनराशि	आयकर	लेबर सेस	कुल धनराशि
2017-18	तेरहवां वित्त	58288.00	1165.00	583.00	1748.00
2017-18	चतुर्थ राज्य वित्त	2874895.00	57498.00	28749.00	86247.00
2018-19	चतुर्थ राज्य वित्त	3787938.00	75759.00	37880.00	113639.00
2019-20	चतुर्थ राज्य वित्त	2525493.42	50510.00	25255.00	75765.00
	योग	9246614.42	184932.00	92469.00	277399.00

(मूल आपति क्रमांक 25)

क्षेत्र पंचायत - हँडिया

जनपद - प्रयागराज

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 24- लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों के बिल से लेबर सेस 1 प्रतिशत जीएसटी 2 प्रतिशत की धनराशि की कटौती नहीं की गयी है जो गंभीर अनियमितता खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीश गुप्ता व लेखाकार श्री यज्ञ श्री धर्मेन्द्र द्वारा की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र.	कार्य का नाम	सामग्री आपूर्ति की धनराशि	जीएसटी 2 प्रतिशत	जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम
1	रिखीपुर में परमानन्दपुर लालचन्द्र शुक्ल के घर के पीछे से दूबे जी के खेत तक नाली निर्माण	435921.00	52311.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञश्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
2	ग्राम औरा में पीच रोड से । रामसूचित मिश्रा के घर तक इंटरलाकिंग कार्य।	357482.00	42898.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञश्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
3	रिखीपुर परमानन्दपुर में काली । सड़क से मुन्ना शुक्ला के घर तक इंटरलाकिंग कार्य।	892536.00	107104.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञश्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
4	ग्राम सभा कस्तुरिया में इंटरलाकिंग से लालचन्द्र भारतीया के घर सड़क तक इंटरलाकिंग कार्य।	407292.00	48899.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञश्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
5	ग्राम सभा औरा काली सड़क से किशोरी लाल मौर्या के घर से श्यामचरन नौर्य के घर होते हुए मनोज मौर्य के घर तक इंटरलाकिंग कार्य।	893117.00	107174.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञश्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
	योग	2986548.00	358386.00	

(1) उपरोक्त दर्शित कार्यों में जीएसटी अधिनियम 2017 के अन्तर्गत धारा 5 में 25 लाख से अधिक के सप्लाई पर आपूर्तिकर्ता के बिल से 2 प्रतिशत जीएसटी की कटौती की जायेगी जिसे जीएसटी कार्यालय में ऑनलाइन जीएसटी जमा किया जायेगा किन्तु उक्त नियम का पालन न कर आपूर्तिकर्ता को 12 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है। तथा ऑनलाइन / ऑफलाइन जीएसटी जमा किये जाने का कोई प्रमाणक भी संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, यदि 2 प्रतिशत जीएसटी कटौती कर जीएसटी जमा किया गया होता तो जीएसटी की पूरी जानकारी की ऑनलाइन जाँच की जा सकी थी किन्तु धनराशि की कटौती न किये जाने के कारण जीएसटी जमा का कोई साक्ष्य न होने के कारण जीएसटी जमा किये जाने की पुष्टि नहीं होती अतः स्पष्ट है कि राजकीय राजस्व का गम्भीर अनियमितता खण्ड

विकास अधिकारी श्री श्रीश गुप्ता तथा लेखाकार श्री यज्ञ श्री धर्मेन्द्र से रु० 2986548.00 के लिए श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० व श्री यज्ञ श्री धर्मेन्द्र, लेखाकार व श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए इनके विरुद्ध विभागीय / वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त दर्शित विवरण में लेबर की धनराशि रु० 2986548.00 को आपूर्तिकर्ता के बिल से कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। शासनादेश संख्या 362/9-9-2016- 165ज / 13 दिनांक 03 मार्च 2016 के क्रम में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का 1 प्रतिशत देय उपकर उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कार्य कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा किया जाना अनिवार्य है किन्तु उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। अतः रु० 358386.00 लेबर सेस कटौती न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० व श्री यज्ञ श्री धर्मेन्द्र, लेखाकार व श्री रामफल भारतीया ब्लाक प्रमुख द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए इनके विरुद्ध विभागीय/ वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र.	कार्य का नाम	सामग्री आपूर्ति की धनराशि	1 प्रतिशत लेबर सेस	जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम
1	रिखीपुर में परमानन्दपुर लाल चन्द्र शुक्ल के घर के पीछे से दूबे जी के खेत तक नाली निर्माण	435921.00	4359.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञश्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
2	ग्राम औरा में पीच रोड से । रामसूचित मिश्रा के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	357482.00	3575.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञश्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
3	रिखीपुर परमानन्दपुर में काली । सड़क से मुन्ना शुक्ला के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	892536.00	8925.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञश्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
4	ग्राम समा कस्तुरिया में इंटरलाकिंग से लालचन्द भारतीया के घर सड़क तक इंटरलाकिंग कार्य	407292.00	4075.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञश्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
5	ग्राम सभा औरा काली सड़क से किशोरी लाल मौर्या के घर से श्यामचरन नौर्य के घर होते हुए मनोज मौर्य के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	893117.00	8931.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञश्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
	योग	2986548.00	29865.00	

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती नहीं की गयी है तथा आयकर की धनराशि को सम्बन्धित लेखा शीर्षक में भी जमा नहीं किया गया है एवं कार्यालय द्वारा आयकर का रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र	कार्य का नाम	सामग्री आपूर्ति की धनराशि	2 प्रतिशत आगणित आयकर	कटौती की गयी आयकर की धनराशि	अंतर	योग	जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम
1	रिखीपुर में परमानन्दपुर	435921.00	9791.00	7785.00	2006.00	9791.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ०

	लालचन्द्र शुक्ल के घर के पीछे से दूबे जी के खेत तक नाली निर्माण						2- श्री यज्ञ श्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
2	ग्राम औरा में पीच रोड से रामसूचित मिश्रा के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	357482.00	7150.00	6384.00	766.00	7150.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञ श्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
3	रिखीपुर परमानन्दपुर में काली । सड़क से मुन्ना शुक्ला के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	892536.00	17851.00	15939.00	1912.00	17851.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञ श्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
4	ग्राम समा कस्तुरिया में इंटरलाकिंग से लालचन्द भारतीया के घर सड़क तक इंटरलाकिंग कार्य	407292.00	8150.00	7277.00	873.00	8150.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञ श्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
5	ग्राम सभा औरा काली सड़क से किशोरी लाल मौर्या के घर से श्यामचरन नौर्य के घर होते हुए मनोज मौर्य के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	893117.00	17862.00	15939.00	1913.00	17862.00	1. श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० 2- श्री यज्ञ श्री धर्मेन्द्र, लेखाकार 3- श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख
	योग	2986548.00	60804.00	38984.00	7470.00	60804.00	

रूपये 60804.00 के स्थान पर 38984.00 आयकर काट करके राजकीय राजस्व की क्षति क्षेत्र पंचायत द्वारा पहुँचाकर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री श्रीश गुप्ता, ख०वि०अ० व श्री यज्ञ श्री धर्मेन्द्र, लेखाकार व श्री रामफल भारतीया, ब्लाक प्रमुख द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए इनके विरुद्ध विभागीय /वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -24 (1) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 21 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि टेण्डर प्रकाशन तिथि से कम से कम तीन सप्ताह का समय दिया जायेगा

ग- ग्राम पंचायतों एवं अन्य विभागों द्वारा पूर्व में सम्बन्धित कार्य को नहीं कराये जाने का प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

घ- कार्य पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों का क्रमांकन कर फाइल को नियमानुसार बन्द नहीं किया गया है।

ड. - प्रायः निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्थल के पूर्व एवं निर्माण कार्य मध्य व निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद का फोटोग्राफी पत्रावली में संलग्न नहीं रहा जो संदेहास्पद प्रतीत होता है।

च- दो ग्राम पंचायतों के मध्य जोड़ने वाले कार्य कराये जाने सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत - धनूपुर जनपद - प्रयागराज वर्ष - 2017-18 से 19-20

आपति में संलग्न धनराशि का विस्तृत विवरण -

प्रस्तर -25 लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि अनुदान पंजी भाग -03 में जमानत एवं फार्म बिक्री मद एक साथ ही प्रविष्टि कर दी गयी है। दिनांक 31-03-2017 को इस संयुक्त मद में रु 56700.00 अवशेष दर्शाया गया था। आलोच्य वर्ष 2017-18 में रु.10950.00 आय हुई तथा रु.49200.00 व्यय किये गये । वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कोई आय अथवा व्यय नहीं किया गया। इस प्रकार 31-03-2020 को रु. 18450.00 अवशेष रहे। लेखा परीक्षा में जमानत पंजी तथा फार्म बिक्री पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी । नियमानुसार जमानत मद तथा फार्म बिक्री से आय अलग अलग दिखाना चाहिए था तथा जमानत नियमानुसार वापस की जानी चाहिए थी एवं फार्म बिक्री से आय शासन के खाते में जमा की जानी चाहिए थी । विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस गंभीर अनियमितता की ओर आकृष्ट किया जाता है जिससे रु. 56700.00 का वर्षवार वर्गीकरण कर उचित मद में प्रविष्टि कर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा सके (मूल आपति क्रमांक 22)

प्रस्तर -26 आलोच्य वर्षों में 2017-18 में, चतुर्थ राज्य वित्त मद से रु.1095522.00, वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त मद से रु.6806494.00, तथा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त मद से रु. 4993164.42 व्यय किये गये किंतु धनराशियाँ से अनिवार्य 2.25 प्रतिशत की आयकर कटौती, 2 प्रतिशत जीएसटी तथा 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी । अतएव निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि रु.300518.00 की वसूली संबंधित वर्षों में कार्यरत रहे विकास खंड अधिकारि श्री अखिलेश तिवारी, श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, श्री कुलदीप कुमार, श्रीमती मृदुला और लेखाकार श्री सचिन कुमार व श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित रहा । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

वर्ष	मद	व्यय धनराशि	आयकर	लेबर सेस	2प्रतिशत जीएसटी
2017-18	चतुर्थ राज्य वित्त	1095522.00	24649.00	10955.00	21910.00
2018-19	चतुर्थ राज्य वित्त	6806494.00	170162.00	68065.00	136130.00
2019-20	चतुर्थ राज्य वित्त	4993164.00	112346.00	49932.00	99864.00
	योग	9246614.42	307157.00	128952.00	257904.00

(क)- आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) धारा 194-सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण' कार्यों अथवा किसी काम के लिए श्रम की पूर्ति के प्रतिफल में किये गए भुगतानों के संबंध में स्रोतपर आयकर कटौती भुगतान की धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से की जाएगी। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समय के अंदर प्रत्येक तिमाही के अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण वितरण अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 200 के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति का स्रोत पर काटी गयी कर की राशि को नियम 30 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कोष में निर्धारित समयावधि

के अंदर जमा कराना होता है। परन्तु यदि कोई कर काटने वाला व्यक्ति स्रोत पर कर नहीं काटता अथवा कर काट कर निर्धारित समय में सरकारी खजाने में जमा करवाने में असमर्थ रहता है तो उसे चूक करदाता माना जाता है। धारा 201 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। नहीं काटी गयी धनराशि के बराबर अर्थदंड लगाया जा सकता है। विलंब से जमा करने की दशा में 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा। आयकर 2.24 प्रतिशत रु. 307157.00 जिसे तत्कालीन वर्ष में कार्यरत रहे विकास खंड अधिकारियों (1) श्री अखिलेश तिवारी 01/03/2019 से 16/06/2020 (2) श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय 16/06/2020 से 23/06/2020 (3) श्री कुलदीप कुमार 23/06/2020 से 04/07/2020 (4) श्रीमती मृदुला 04/07/2020 से 31/10/2021 तथा लेखाकार (1) श्री सचिन कुमार (2)- श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव से बराबर बराबर वसूली की अपेक्षित है ।

(ख) उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियम 2009 के अनुसार ठेकेदार के बिल से लागत का एक प्रतिशत कर्मकार उपकर काटा जाएगा। जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया दिया जाना चाहिए। 1 प्रतिशत लेबर सेस रु.128952.00 नहीं की गयी हैं जिसे तत्कालीन वर्ष में कार्यरत रहे विकास खंड अधिकारियों (1) श्री अखिलेश तिवारी 01/03/2019 से 16/06/2020 (2) श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय 16/06/2020 से 23/06/2020 (3) श्री कुलदीप कुमार 23/06/2020 से 04/07/2020 (4) श्रीमती मृदुला 04/07/2020 से 31/10/2021 तथा लेखाकार (1) श्री सचिन कुमार, (2)- श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव से बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है ।

ग) जी एस टी टी डी एस प्रणाली के अंतर्गत सीजीएसटी अधिनियम 2017 जो 30.06.2018 में 1/10/2018 से प्रभावी है के संबंध में कमिशनर वाणिज्य कर ने 26 सितंबर 2018 को यह निर्देशित किया है कि समस्त सरकारी विभागों स्थानीय निकायों सरकारी एजेंसियों द्वारा रु. 2.50 लाख से अधिक के सप्लाई भुगतान पर 1 प्रतिशत सीजीएसटी तथा 1 प्रतिशत एसजीएसटी काटी जाएगी। नियमानुसार उक्त के अनुसार कटौती नहीं की गयी। 02 प्रतिशत जी एस टी रु. 257904.00, जिसे जॉचोपरांत तत्कालीन वर्ष में कार्यरत रहे विकास खंड अधिकारियों (1) श्री अखिलेश तिवारी 01/03/2019 से 16/06/2020 (2) श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय 16/06/2020 से 23/06/2020 (3) श्री कुलदीप कुमार 23/06/2020 से 04/07/2020 (4) श्रीमती मृदुला 04/07/2020 से 31/10/202 तथा लेखा कार (1) श्री सचिन कुमार, (2)- श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव से बराबर मात्रा में आधा आधा वसूली की जानी चाहिये ।(मूल आपति क्रमांक 23)

प्रस्तर -27 संस्था द्वारा आलोच्य वर्षों में विभिन्न योजनाओं में संचालित खातों में प्राप्त ब्याज को योजनावार नहीं दर्शाकर एक साथ आय प्राप्ति के रूप में दिखा कर विभिन्न व्यय किये गये हैं जबकि नियमानुसार जिस योजना में आय हुई उसी मद में ब्याज जोड़कर अवशेष रखा जाना चाहिए था एवं व्यय किया जाना चाहिए था । दिनांक 31/03/2017 को अर्जित ब्याज मद में रु. 814409.00 अवशेष थे। वर्ष 2017-18 में आय रु. 44286.00 तथा व्यय रु. 3647.00 हुआ । वर्ष 2018-19 में ब्याज प्राप्ति रु. 39568.00 तथा वर्ष 2019-20 में रु. 31053.00 ब्याज प्राप्ति हुई। कोई व्यय नहीं किया गया। दिनांक 31/03/2020 को रु. 925669.22 अवशेष रहे । इस प्रकार लेखांकन नियमानुसार पारित नहीं कर गंभीर अनियमितता की गयी जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ताकि ब्याज की धनराशि सही खातों में अंतरित कर यथोचित अवशेष दर्शित किया जा सके और बैंक खातों में अवशेष धनराशि से पुष्टि की जा सके । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

वर्ष 2011-12 से 2013-14

नाम क्षेत्र पंचायत - सोराव

जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर 28- शासन के आदेश सं०- 10/2015/ए-1-502/दस- 2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित आय (ब्याज) संख्या की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाये। आलोच्य वर्ष में संख्या द्वारा निम्नांकित प्रकार से ब्याज अर्जित एवं व्यय किया गया है-

क्र स	वर्ष	विविध खातों में अर्जित आय/मद	ब्याज की धनराशि	क्रय	शेष
1	2011-12	राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	26815-00	-	26815-00
2		विधायक निधि/सांसद निधि	42263-00	-	42263-00
3	2012-13	राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	20003-00		20003-00
4	2012-13	विधायक निधि/सांसद निधि	19186-00		19186-00
5	2013-14	राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	40866-00		40866-00
6	2013-14	विधायक निधि/सांसद निधि	58267-00		58267-00
7	2011-12 एवं 12-13	खाद्यान्न ढुलाई	47781-00		47781-00
8	2012-13 एवं 13-14	मनरेगा कन्टीजेन्सी	4842-00		4842-00
		योग -	260023-00		260023-00

अतः उपरोक्तानुसार शासन के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्याज की धनराशि सं० 260023=00 की संस्था में रोककर रखा गया है। ब्याज में अर्जित धनराशि ₹0 260023=00 को राजकीय कोषागार में जमा न करना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है अतः उक्त धनराशि ₹0 260023=00 की वसूली सम्बन्धित खण्ड वि० अ० अभिमन्यु सिंह, श्रीमती शालिनी वर्मा, श्रीमती राबिया बेगम, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री प्रदीप कुमार तिवारी एवं लेखाकार श्री जगपति सिंह से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 29- आलोच्य वर्ष 11-12 में राज्य वित्त, तेरहवां वित्त, विधायक निधि एवं सांसद निधि के कार्यों पर सामग्री पर ₹0 3788059-00 एवं श्रमांश (मजदूरी) पर ₹0 1634178-00 का भुगतान किया गया है इस प्रकार कुल ₹0 5422237-00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री पर टी०डी०एस० की 86065-N कटौती 2.266प्रतिशत की दर से ₹० एवं वैट की कटौती 4प्रतिशत की दर से ₹0 151924-00 की जानी चाहिए जबकि आलोच्य वर्ष 11-12 में टी.डी.एस की कटौती ₹0 73366-00 एवं वैट की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार सं० 12699-00 टी०डी०एस० एवं ₹० 151924-00 वैट की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार कुल ₹० 164623-00 की कटौती कम की गई है।

अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित खण्ड वि० अ० श्री अभिमन्यु सिंह, श्रीमती शालिनी वर्मा, श्रीमती राबिया बेगम एवं लेखाकार श्री जगपति सिंह से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 30- आलोच्य वर्ष 12-13 में राज्य वित्त, तेरहवां वित्त एवं सांसद निधि के कार्यों पर सामग्री पर ₹0 2398218-00 एवं श्रमांश (मजदूरी) पर ₹0 1204170-00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल ₹0 3602388-00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री पर टी०डी०एस० की कटौती 2.266प्रतिशत की दर से ₹0 54343.00 एवं वैट की कटौती 4प्रतिशत की दर से ₹० 95929-00 की होनी चाहिए जबकि आलोच्य वर्ष 12-13 में कुल टी०डी०एस० कटौती ₹0 26636.00 एवं वैट की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार ₹0 27707-00

टी०डी०एस० एवं रू० 95929-00 वैट की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार कुल रू० 123636-00 की कटौती कम की गई है।

अतः उक्त धन रू० 123636=00 की वसूली सम्बन्धित खण्ड वि०अ० श्रीमती राबिया बेगम, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री प्रदीप कुमार तिवारी एवं लेखाकार श्री जगपति सिंह से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 31- आलोच्य वर्ष 13-14 में राज्य वित्त, तेरहवां वित्त, विधायक, निधि एवं सांसद निधि के कार्यों पर सामग्री पर रू० 8083130-00 एवं श्रमांश (मजदूरी) पर रू० 1850440-00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल रू० 9933570-00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री पर टी०डी०एस० की कटौती 2.266प्रतिशत की दर से रू० 183163-00 एवं वैट की कटौती 4: की दर से रू० 323323-00 की जानी चाहिए। जबकि आलोच्य वर्ष में टी०डी०एस० की कटौती 91212-00 एवं वैट की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार रू० 91951-00 टी०डी०एस० एवं रू० 323323-00 वैट की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार कुल रू० 415274-00 की कटौती कम की गई है।

अतः उक्त धन रू० 415274-00 की वसूली सम्बन्धित खण्ड वि०अ० श्री प्रदीप कुमार तिवारी एवं लेखाकार श्री जगपति सिंह से बराबर- बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 32- उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ०प्र० में लागू है, के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जानी चाहिए। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 11-12 में कार्य की कुल लागत दर्शित सामग्री एवं श्रमांश सं० 5422237.00 का 1प्रतिशत रू० 54222-00 लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है। अतः उक्त धनराशि रू० 54222-00 की वसूली सम्बन्धित खण्ड वि०अधि० श्री अभिमन्यु सिंह, श्रीमती शालिनी वर्मा, श्रीमती राबिया बेगम एवं लेखाकार श्री जगपति सिंह से बराबर- बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 33- उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ० प्र० में लागू है, के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जानी चाहिए। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 12-13 में कार्य की कुल लागत सामग्री एवं श्रमांश रू० 3602388-00 का 1प्रतिशत रू० 36024=00 लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है। जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है।

अतः उक्त धनराशि रू० 36024-00 की वसूली सम्बन्धित खण्ड वि० अधि० श्रीमती राबिया बेगम, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री प्रदीप कुमार तिवारी एवं लेखाकार श्री जगपति सिंह से बराबर- बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 34- उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ०प्र० में लागू है, के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जानी चाहिए। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 13-14 में कार्य की कुल लागत सामग्री एवं श्रमांश रू० 9933570-00 का 1प्रतिशत रू० 99336-00 लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है।

अतः उक्त धन रू० 99336-00 की वसूली सम्बन्धित खण्ड वि० अ० श्री प्रदीप कुमार तिवारी एवं लेखाकार श्री जगपति सिंह से बराबर- बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

नाम क्षेत्र पंचायत - सोराव**जनपद - प्रयागराज**

प्रस्तर 35- शासन के आदेश सं० 10/2015/ए-1-502/दस- 2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित आय (ब्याज) संख्या की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाये। आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा निम्नांकित प्रकार से ब्याज अर्जित एवं व्यय किया गया है-

क्र०स	वर्ष	विविध खातों में अर्जित आय/मद	ब्याजकी धनराशि	क्रय	शेष
1		राज्य वित्त	88860-00	-	88860-00
2		विधायक निधि/सांसद निधि	77348-00	-	77348-00
		योग -	166208-00	-	166208-00

अतः उपरोक्तानुसार शासन के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्याज की धनराशि रु0 166208-00 को संस्था में रोककर रखा गया है। ब्याज में अर्जित धनराशि रु0 166208-00 को राजकीय कोषागार में जमा न करना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है अतः उक्त धनराशि रु0 166208-00 की वसूली सम्बन्धित खण्ड वि०अ० श्री प्रदीप कुमार तिवारी एवं लेखाकार श्री जगपति सिंह से बराबर बराबर के उत्तरदायी है। दोनों से बराबर बराबर धनराशि वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 36- आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त, तेरहवां वित्त, विधायक निधि एवं सांसद निधि के कार्यों पर सामग्री पर रु0 5458776-00 एवं श्रमांश (मजदूरी) पर रु0 1342073-00 का भुगतान किया गया है इस प्रकार कुल रु0 6800849-00 का भुगतान किया गया है।

इस प्रकार ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री पर टी०डी०एस० की कटौती 2.266प्रतिशत की दर से रु० 123561-00 एवं वैट की कटौती 4प्रतिशत की दर से रु0 218112-00 की जानी चाहिए जबकि आलोच्य वर्ष 14-15 में टी०डी०एस० की कटौती रु0 39021-00 एवं वैट की कटौती नहीं की गई है।

इस प्रकार रु० 84540-00 टी०डी०एस० एवं रु० 218112-00 वैट की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार कुल रु० 302652-00 की कटौती कम की गई है।

अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित खण्ड वि० अ० प्रदीप कुमार तिवारी एवं लेखाकार श्री जगपती सिंह से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 37- उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से 30प्र० में लागू है, के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जानी चाहिए। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में दर्शित सामग्री एवं श्रमांश रु० 6800849-00 का 1प्रतिशत रु० 68008-00 लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार तिवारी एवं लेखाकार श्री जगपती सिंह से बराबर-बराबर धनराशि के लिए उत्तरदायी है। उक्त धनराशि रु0 68008-00 की वसूली दोनों अधिकारियों से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

जनपद - मुजफ्फरनगर**मण्डल -सहारनपुर**

क्षेत्र पंचायत - बुढाना, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2020-21 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-01

वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 03.09.2020 को राज्य वित्त खाते से अंकन रु0 90,000.00 (दिनांक 04.09.2020 को बी0डी0सी0 सदस्यों की होने वाली बैठक में उपस्थित सदस्य को मानदेय भुगतान हेतु) आहरित किये थे परन्तु दिनांक 04.09.2020 को सम्पन्न हुई बैठक में उपस्थिति पंजिका के अनुसार मात्र 60 सदस्य ही उपस्थित थे। 60 सदस्यों की 500.00 प्रति सदस्य की दर से कुल अंकन रु0 30,000.00 का भुगतान किया गया। शेष धनराशि अंकन रु0 60000.00 किन-किन सदस्यों को और क्यों किया गया लेखा परीक्षा में अपुष्ट रहा। उक्त धनराशि की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने पर अंकन रु0 60000.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सुशील कुमार त्यागी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 13)

क्षेत्र पंचायत - शाहपुर, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2017-18 व 2018-19 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-02

ग्राम शौरो में राजकीय पशु चिकित्सालय की मरम्मत एवं दीवार निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार से अंकन 4371.00 की सेस की कटौती नहीं की गयी है। जो अपेक्षित है। अतः अंकन रु0 4371.00 की वसूली श्री ब्रिजेश कुमार सैनी अवर अभियन्ता श्री राजकुमार लेखाकार एवं श्री योगेन्द्र लाल भारती खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 06)

प्रस्तर-03

ग्राम पंचायत शौरो में कल्याणपुर मार्ग में शिवचरण के खेत तक पुराने खण्डजे से नया खण्डजा व मिट्टी कार्य कराया गया। जिसकी लम्बाई 130 मीटर व चौड़ाई 59 मीटर है। उक्त कार्य पर कुल 25311 ईट प्रयुक्त की गई है। जबकि पुराने खण्डजे से प्राप्त ईट का स्टीमेट में कही आंकलन नहीं किया गया है। तथा पुराने खण्डजे से प्राप्त 30 प्रतिशत ईट (कुल लगी ईट 25311 का 30 प्रतिशत ईट जिनकी संख्या 7593 आती है।) नये खण्डजे में प्रयुक्त की जानी चाहिये थी। अतः 7593 ईट 4500 प्रति हजार की दर से 34168.00 ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया है। अतः अंकन रु0 34168.00 की वसूली अवर अभियन्ता श्री ब्रिजेश सैनी, तथा लेखाकार श्री राजकुमार व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 08)

क्षेत्र पंचायत - मोरना, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2018-19 व 2019-20 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-04

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अंकन रु0 45150.00 व वित्तीय वर्ष 2019-20 में अंकन रु0 18900.00 कुल अंकन रु0 64050.00 की टेण्डर की धनराशि प्राप्त की गई है। जिस पर 18 प्रतिशत की दर से अंकन रु0 11529.00 की जी0एस0टी0 प्राप्त नहीं की गई है। तथा उक्त राशि को राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार अंकन रु0 11529.00 की तात्वारिख ब्याज सहित जी0एस0टी0 जमा की जानी अपेक्षित है। जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री महेश कुमार मित्तल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री ब्रह्मपाल सिंह व श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 06)

क्षेत्र पंचायत - सदर, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2019-20 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-05

क्षेत्र पंचायत सदर मुजफ्फरनगर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पर निम्न अपहरण एवं दुरुपयोग प्रकरण प्रकाश में आये, जिसके प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है -

क्षेत्र पंचायत सदर की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 09.06.2019 ग्रांट रजिस्टर 2 के अनुसार रु0 90000.00 का व्यय चेक सं0 685564 के माध्यम से किया गया है। उक्त चेक सेल्फ के नाम से कटा है। भुगतान किस कार्य के लिए किस व्यक्ति को दिया गया भी अस्पष्ट रहा है। यह धनराशि किसी फर्म को न देकर व्यक्तिगत तौर पर किसी अन्य को की गयी है। अतः इस भुगतान से सम्बन्धित समस्त जानकारी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की दशा में रुपये 90000.00 की वसूली श्री जय सिंह यादव खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अमित चौधरी ब्लाक प्रमुख से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0 21)

क्षेत्र पंचायत - जानसठ, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2017-18 व 2018-19 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-06

दिनांक 26-09-2017 को टी0डी0एस0 पेनाल्टी रु0 3310-00 का भुगतान संस्था के खाते से किया जाना गंभीर रूप से अनियमित पाया गया। जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सुनील त्यागी एवं खंड विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 18)

2.क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा अधिभार सम्बन्धी आपत्तिया:-

1. क्षेत्र पंचायत - थानाभवन

प्रस्तर-01 क्षेत्र पंचायत थानाभवन वर्ष 2020-21 में ग्रांट रजिस्टर तृतीय 3 के पृष्ठ संख्या पर 12 मार्च 2020-21 में विभिन्न व्यय मद योजना में अन्तिम अवशेष रु 380256.00 दर्शित है जबकि अप्रैल के 2020 प्रारम्भ में उक्त मद में रु 180256.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार 200000.00 कम दर्शाकर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली लेखाकार श्री चरतलाल एवं तत्काली खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-02 क्षेत्र पंचायत थानाभवन वर्ष 2020-21 ग्रांट रजिस्टर 3 के माह अक्टूबर 2020 में सस्था द्वारा ब्याज मद में से रु 30 लाख निकालकर रु 24 लाख राजवित्त में एवं रु 6 लाख विधायक निधि योजना में आवंटित दर्शाकर अनियमिता की गयी है जबकि नियम यह है कि ब्याज को पृथक से कार्ययोजना तैयार व स्वीकृत कराने के उपरान्त ही व्यय किए जाने का प्रावधान है। उक्त अनियमित कृत्य के सम्बन्ध में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डॉ पंकज कुमार एवं पटल प्रभारी चरतलाल के विरुद्ध कार्यावाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 क्षेत्र पंचायत थानाभवन वर्ष 2020-21 में विधायक निधि योजना पर एवं राजवित्त योजना के अन्तर्गत किए गए कुल व्यय क्रमशः 15724527.00 एवं 5132984.00 की पुष्टि में पत्रावलियाँ लेखापरीक्षा में सुलभ नहीं करायी गयी है। पत्रावलियों के अभाव में उक्त मदों पर व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त मदों पर किए गए व्यय की वसूली खण्ड विकास अधिकारी डॉ0 पंकज कुमार एवं पटल प्रभारी चरतलाल से की जानी अपेक्षित है।

2. क्षेत्र पंचायत शामिली

प्रस्तर-04 क्षेत्र पंचायत शामिली शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/ 2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरित है। क्षेत्र पंचायत शामिली वर्ष 2019-20 व 20-21 में अनुदान पंजी व बैंक खाते के अनुसार शासकीय अनुदानों पर रु 745192.00 ब्याज कमाया गया है। जिसे सम्बन्धित एजेन्सियों को वापस नहीं किया गया है। जो वापस किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति श्री राजकुमार तायल एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद उत्तरदायी है।

प्रस्तर-05 क्षेत्र पंचायत शामली वर्ष 2019-20 व 2020-21 में क्रमशः क्रिटिकल गेप्स योजना का रु 269814.00 आरम्भिक शेष ग्राट रजि0 3 के अनुसार दर्शित था। उक्त से रु 1130614.00 का उपभोग किया जाना दर्शाया गया है। वर्ष 20-21 में उक्त योजना में उपभोग रु 185800.00 किया जाना दर्शाया गया है। उक्त किये गये उपभोग की पुष्टि में सम्बन्धित बिल/बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में उक्त उपभोग प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त धन की वसूली आहरण वितरण अधिकारी प्रवीण कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-06 क्षेत्र पंचायत शामली की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 व 2020-21 में लेखा परीक्षा जाँच में निम्न निर्माण पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिससे निम्न के सापेक्ष किया गया व्यय अप्रमाणित रहा। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र सं	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	23.04.19	विकास खण्ड कार्यालय परिसर में इन्टरलॉकिंग कार्य	108192.00	मैसर्स रिधिमा एन्ट0
2	23.04.19	जलालपुर- समसपुर में खडंजा निर्माण कार्य	519326.00	मैसर्स रिधिमा एन्ट0
3	23.04.19	करौदा हाथी खा0ता0माजरामें खडंजा निर्माण कार्य	369918.00	मैसर्स रिधिमा एन्ट0
4	23.04.19	करौदा हाथी में सोमपाल के मकान तक खडंजा निर्माण कार्य	902153.00	मैसर्स रिधिमा एन्ट0
5	18.07.19	विकास खण्ड कार्यालय भवन मरम्मत कार्य	177331.00	मैसर्स रिधिमा एन्ट0
6	22.07.20	सिम्भालका में नहर की पटरी से जगपाल के खेत की ओर मिट्टी/ खडंजा कार्य	542094.00	मै0 अविका कन्स0
7	22.07.20	सिलावर में ओमसिंह के खेत से सिलावर बाईपास तक मिट्टी /खडंजा कार्य	725213.00	मै0 अविका कन्स0
8	22.07.20	बलवा में जमरूद के खेत तक रेलवे लाईन तक खडंजा कार्य	569812.00	मै0 अविका कन्स0

9	06.08.20	नगली जमालपुर में ओमपाल के खेत से करौदा हाथी तक मिट्टी/खडंजा कार्य	905503.00	मै0 अविका कन्स0
10	03.07.20	विकास खण्ड परिसर में आवासीय भवनो का जीर्णो द्वारा कार्य	196329.00	मै0 अविका कन्स0
		योग	5045871.00	

उक्त कार्यों में किया गया व्यय निर्माण पत्रावलियों के अभाव में अपुष्ट रहा। अतः रुपये 5045871.00 की वसूली विकास खण्ड अधिकारी प्रवीण कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-07 क्षेत्र पंचायत शामली की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रु 21000.00 व 20-21 में रु 96000.00 टेण्डर फार्म बिक्री से ग्रांट रजि0 के अनुसार आय दर्शित है। जिस पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 सम्बन्धित विभाग को चालान द्वारा जमा किया जाना चाहिए था जिसे जमा न कर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकास खण्ड अधिकारी प्रवीण कुमार की है अतः उक्त आय पर जी0एस0टी0 की गणना कर यथाशीघ्र सम्बन्धित विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-08 क्षेत्र पंचायत शामली की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20, 2020-21 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था द्वारा लेबर सेस को जोड़कर निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार किया गया । निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेबर सेस की धनराशि को ठेकेदार को भुगतान की जानी वाली राशि में प्रथमतः जोड़ा गया तदोपरान्त उसके बराबर धनराशि को लेबर सेस के रूप में बिलो से काटा गया जो कि अनौचित्यपूर्ण तथा अनियमित है । शासनादेश संख्या 1213/33-2-11-30 जी /2011 के अनुसार ठेकेदारो के बिलो से लेबर सेस की कटौती कर जमा करायी जाये । परन्तु ऐसा न करके क्रमशः 61069.00 व 202236.00 कुल 263305.00 का अलग से भुगतान कर ठेकेदारो को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है जिसकी वसूली विकास खण्ड अधिकारी प्रवीण कुमार, अवर अभियन्ता ब्रह्मप्रकाश व लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद व राजकुमार तायल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-09 शासनादेश संख्या 1883/33-3-2015-03-2015 दिनांक 31.07.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायत एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कराये जाने निर्माण कार्यों में डूप्लीकेसी की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि तीनों स्तर की पंचायतें सब्सिडायरिटी के सिद्धान्त पर कार्यों का चयन करेगी। पदनुसार क्षेत्र पंचायत शामली बहुत छोटे-छोटे कार्य ग्राम सभा अथवा मजरे को जोड़ने के लिए न कराकर प्राप्त विभिन्न अनुदानो से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करेगी। परन्तु क्षेत्र पंचायत ने ग्राम लाख में हरपाल के मकान से मागे के मकान तक सी0सी0 कार्य सम्पन्न कराया जिसका कुल भुगतान 268010.00 मै0 अविका कन्स0 को किया गया। तथा ग्राम लांक में राजेन्द्र के मकान से पीलू के मकान तक मिट्टी/खडंजा कार्य पर रु 200756.00 का व्यय दर्शाया गया। (साथ ही इस कार्य की एम0बी0 व प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं) व ग्राम लांक में मा0राजपाल सिंह के मकान से सोनू के मकान तक सी0सी0 सडक के दोनों तरफ मिट्टी/ खडंजा कार्य में रु 310323.00 का भुगतान किया। (निविदाओ के तुलनात्मक चार्ट पर अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर अंकित नहीं) करौदा हाथी में जयपाल के घर से सुरेश के घर तक सी0सी0 कार्य में भुगतान रु 273934.00 का भुगतान किया गया। जो कि शासनादेश के विरुद्ध अनियमित रहा। अतः रु 1053023.0 की वसूली विकास खण्ड अधिकारी श्री प्रवीण कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 क्षेत्र पंचायत शामली द्वारा किसान सेवा सहकारी समिति लाक के प्रागण में इन्टर लॉकिंग कार्य कराया जाना दर्शित है। जिसमें चैक सं0575368 दिनांक 10.02.20 को मौ0 अविा कन्स0 को रु 302397.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य क्षेत्र पंचायत ने अपने कार्य क्षेत्र से एवं विभाग के शासनादेश के विरुद्ध सम्पन्न कराया गया है। अतः उक्त किये गये कार्य के सापेक्ष किया गया भुगतान अनियमित रहा। अतः उक्त धन की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 क्षेत्र पंचायत शामली वर्ष 2019-20 व 20-21 में जाँच की गयी निर्माण पत्रावलियों पर निम्न विवरणनुसार कमियाँ पायी गयी-

क्र.स.	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण
1	विकास खण्ड कार्यालय में मिटिंग हॉल की रंगाई पुताई कार्य	65350.00	एस्टीमेट संलग्न नहीं।
2	ग्राम करौदा हाथी में राजेन्द्र मा0 के खेत सोम पाल के खेत एवं सतपाल की ट्यूबवैल से भंवर सिंह के खेत तक मिट्टी/खंडजा कार्य	577169.00	तुलानात्मक दरों पर मात्र खण्ड विकास अधिकारी के ही हस्ताक्षर है अन्य कमैटी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
3	ग्राम लांक में हरपाल के मकान से मार्ग के मकान तक सी0सी0कार्य	268010.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
4	ग्राम नगली जमालपुर में रोहित के खेत से अनंगपाल के खेत तक मिट्टी/खंडजा कार्य	96265.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
5	ग्राम तलवा मांजरा में मुख्य रास्तों से शमसान खाट तक सी0सी0कार्य	198931.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
6	ग्राम करौदा हाथी में संजीव की ट्यूबवैल से हरबीर के खेत तक मिट्टी/खंडजा कार्य	442480.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
7	ग्राम धनैना मे गढीपुख्ता मार्ग से शमशान घाट तक सी0सी0 कार्य	651337.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
8	ग्राम सिलावर में काली सडंक राजपाल की ट्यूबवैल से दलबीर की ट्यूबवैल की ओर मिट्टी/खंडजा कार्य	907327.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
9	ग्राम करौदा हाथी में धर्मेन्द्र के खेत से रिशिपाल फौजी के घर तक रोड के दोनों तरफ टायल्स कार्य	649552.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।

10	ग्राम करौदा हाथी में मुख्य रास्ते से ओमबीर के तक रोड के दोनो तरफ टायल्स कार्य	756257.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
11	ग्राम लांक में धनराज के खेत से ओमकार के खेत तक संपर्क पर मिट्टी/खंडजा कार्य	301392.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
12	ग्राम लांक में काबडौत संपर्क मार्ग से धनवीर की ट्यूबवैल की ओर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खंडजा कार्य	450503.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
13	ग्राम नंगली जमालपुर में बिजलीघर वाला रास्ते पर गौ आश्रम स्थल पर मिट्टी/खंडजा कार्य	492375.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
14	ग्राम लांक में विनोद के खेत से मेरठ करनाल रोड संपर्क मार्ग पर मिट्टी/खंडजा कार्य	314340.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
15	ग्राम सिम्भालका नितिन के खेत से बाईपास सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खंडजा कार्य	499918.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है। संलग्न प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है।
16	ग्राम झाल में प्राथमिक विद्यालय के गेट से विरेन्द्र के खेत से संपर्क मार्ग पर मिट्टी/खंडजा कार्य	189132.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है। संलग्न प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है।
17	ग्राम कुरमाली में जयवीर के खेत से निरंजन के खेत तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खंडजा कार्य	359852.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है। संलग्न प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है।
18	ग्राम कुरमाली करौदा हाथी सम्पर्क मार्ग से सतबीर के खेत तक मिट्टी/खंडजा कार्य	215181.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है। संलग्न प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है। तथा कार्य आदेश संलग्न नहीं।
19	ग्राम गोहरपुर में हरीश की ट्यूबवैल से बलजोर के खेत तक सम्पर्क मार्ग में मिट्टी/खंडजा कार्य	286272.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।

20	ग्राम करौदा हाथी में सुरेन्द्र के खेत से रणबीर पुत्र दाताराम के खेत तक सी0सी0निर्माण कार्य	586532.00	एम0 बी0 संलग्न नहीं है।
		7306175.00	

अतः उक्त किये गये कार्य अनियमित- अप्रमाणित रहे। जिस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

प्रारूप-3

1-क्षेत्र पंचायत - चंदौली

जनपद - चंदौली

मण्डल - वाराणसी

वर्ष -2020-2021

प्रस्तर-1

अंगनबाड़ी केंद्रों की रंगाई-पुताई मद में रु0 21000.00 वर्ष के प्रारंभ में जमा रहा जिसे एक वर्ष से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा सका तथा वर्षात में यथावत जमा रहा। यह धनराशि उपयोग न हो सकने की स्थिति में, संबंधित विभाग को वापस कर देनी चाहिए थी, परंतु ऐसा न कर वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन किया गया है जिसके प्रति खंड विकास अधिकारी श्री राहुल सागर एवं लेखाकार श्री श्यामजी पाल उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध विभागीय अधिकारियों का ध्यान उचित कार्यवाही हेतु किया जाता है।

प्रस्तर-2

टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 मदमें क्रमशः 157478.00 व 157478.00 वर्षात में अवशेष रहा जिसे आलोच्य वर्ष में ही संबंधित खातों में जमा कर देना चाहिए था ऐसा न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है जिसके प्रति खंड विकास अधिकारी श्री राहुल सागर तथा लेखाकार श्री श्यामजी पाल उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध विभागीय अधिकारियों का ध्यान उचित कार्यवाही हेतु किया जाता है।

2-क्षेत्र पंचायत - धानापुर

विकास क्षेत्र - धानापुर

वर्ष -2020-2021

प्रस्तर-3

मनरेगा प्राशासनिक मद से रु0 632730.00 किस प्रकार क्षेत्र निधि (मनरेगा) / बी0डी0ओ0 प्राशासन को ट्रांसफर किया गया है, से सम्बंधित सक्षम अधिकारी का आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः लेखा परीक्षा में उपरोक्त धनराशि दुरुपयोगित आंकलित की जाती है। जिसके लिये ख0 वि0 अ0 श्री सुशील कुमार मिश्रा एवं श्री गुलाब चंद्र सोनकर और लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

मनरेगा प्रशासनिक मद से रु0 116733.50 किस प्रकार ग्राम विकास आयुक्त को ट्रांसफर किया गया है, से सम्बंधित सक्षम अधिकारी का आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः लेखा परीक्षा में उपरोक्त धनराशि दुरुपयोगित आंकलित की जाती है। जिसके लिये ख0 वि0 अ0 श्री सुशील कुमार मिश्रा एवं श्री गुलाब चंद्र सोनकर और लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

दिनांक 31-03-2021 को अनुदान पंजिका-3 के अनुसार रु0 246869.00 अनुदान की धनराशि उपभोग हेतु अवशेष दर्शित है। उल्लेखनिय है कि दिनांक 01-04-2020 को भी रु0 246869.00 अनुदान की धनराशि उपभोग हेतु अवशेष था। स्पष्ट है कि राजकीय अनुदान की धनराशि को निरन्तर अवशेष रोककर दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार अनुदान की धनराशि प्राप्त तिथि से 12 माह के अंदर उपभोग कर लिया जाना चाहिए था। साथ ही सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212(5) के अनुसार भी प्राप्त अनुदान का उपभोग कर उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था। उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही अग्रेतर किश्ते अवमुक्त किया जाना अपेक्षित थी। अतएव इस

सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि संस्था द्वारा काल्पनिक उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित कर अग्रेतर किश्ते प्राप्त की जा रही है , वही अनुदान की धनराशि रोककर दुरुपयोग किया जा रहा है । जिसके लिये ख0 वि0 अ0 श्री सुशील कुमार मिश्रा एवं श्री गुलाब चंद्र सोनकर और लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार है । समुचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-6

अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष में रु0 999000.00 का टेंडर हुआ जिससे धानापुर विकास खण्ड के टाइप 1 के 3 आवासों और टाइप 3 के 6 आवासों अर्थात् कुल 9 आवासों के मरम्मत कार्य पर रु0 730565.00 व्यय किया गया । ग्रांट रजिस्टर दो के अनुसार अनुरक्षण मद का चालान नंबर 0001 के अनुसार दिनांक 24-07-2020 को रु 0 39935.00 का टीडीएस जमा किया गया है । लेखा परीक्षा में टीडीएस जमा से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी । लेखा परीक्षा में उपरोक्त धनराशि अनियमित आंकलित की जाती है । जिसके लिये ख0 वि0 अ0 श्री सुशील कुमार मिश्रा एवं श्री गुलाब चंद्र सोनकर और लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार है । आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-7

क्षेत्र निधि (मनरेगा) में वित्तीय -वर्ष में रु0 632730.00 प्राप्त हुआ । वर्ष दौरान ग्रांट रजि0 3 के अनुसार रु0 292367.00 व्यय हुआ । इस निधि से व्यय सम्बंधी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई । लेखा परीक्षा में रु0 292367.00 अनियमित आंकलित की जाती है । जिसके लिये ख0 वि0 अ0 श्री सुशील कुमार मिश्रा एवं श्री गुलाब चंद्र सोनकर और लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार है । आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-8

ग्रांट रजिस्टर दो के अनुसार आयकर की कटौती का ,दिनांक 03-04-2021 को चालान संख्या 00013 के अनुसार रु 0 267227.00 टीडीएस जमा किया गया है । आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सीके अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती दर 2% की धनराशि को निर्धारित समायान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किए जाने का प्रावधान किया गया है । टीडीएस जमा से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा -परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । लेखा परीक्षा में उपरोक्त धनराशि अनियमित आंकलित की जाती है । जिसके लिये ख0 वि0 अ0 श्री सुशील कुमार मिश्रा एवं श्री गुलाब चंद्र सोनकर और लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार है । आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-9

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सम्बंधित निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में हुए कार्य - ग्राम सभा बभनियांव कमालपुर में नरायन चौहान के घर से गठरु पाल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर वाउचर संख्या 0065/20-11-2020 के द्वारा रु0 338488.85 सामग्री का भुगतान मेसर्स दिव्या ट्रेडर्स को किया गया है । पुनः ग्राम सभा नवलीपट्टी में कमालपुर मार्ग से छोटी रमरजाय में दशरथ प्रधान के घर से शंकर जी मंदिर तक खड.न्जा मरम्मत कार्य पर वाउचर संख्या 0072/07-11-2020 द्वारा रु0 428539.00 सामग्री का भुगतान मेसर्स दिव्या ट्रेडर्स को किया गया है । वाउचर संख्या 0072/07-11-2020 को वाउचर संख्या 0065/20-11-2020 से पूर्ववर्ती भुगतान यह प्रदर्शित करता है कि दोनों ही कार्यों के सामग्री भुगतान में अनियमितता की गई है । अतः वाउचर संख्या 0072/07-11-2020 के भुगतान की धनराशि रु0 428539.00 एवं वाउचर संख्या 0065/20-11-2020 के भुगतान की धनराशि रु0 338488.85 अर्थात् कुल रु0 767027.85 लेखा परीक्षा में अनियमित आंकलित की जाती

है ।।जिसके लिये ख० वि० अ० श्री सुशील कुमार मिश्रा एवं श्री गुलाब चंद्र सोनकर और लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार है । आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

3-क्षेत्र पंचायत - बरहनी

विकास क्षेत्र - बरहनी

वर्ष -2020-2021

प्रस्तर-10

केन्द्रीय वित्त से ग्राम पंचायत कवरुवा में गिरजा प्रधान के घर से ट्यूबवेल होते हुए रामपति बिन्द के बगीचा तक मिट्टी/खड़जा कार्य कराया गया है,जिसमें श्री राजकुमार चौधरी ,सहायक विकास अधिकारी (एस० के०)को कार्य प्रभारी बनाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु मेसर्स नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल्स ,कमालपुर को भुगतान निम्न प्रकार से किया गया है:-

क्रम संख्या	प्रमाणक का दिनांक एवं धनराशि	संस्था द्वारा की गयी कटौतियां	फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान	चेक सं./ पी.एफ.एम.एस. व दिनांक
1	27-01-21 ₹528736.95	जी.एस.टी.- 10575.00 टी.डी.एस.-10575.00	₹507586.00	पी.एफ.एम.एस. दि.13-03-21
2	27-01-21 ₹219290.54	जी.एस.टी.-4386.00 टी.डी.एस.-4386.00 रायल्टी-8314.00	₹202204.00	पी.एफ.एम.एस. दि.13-03-21
मजदूरी				
1	दि.27-01-21 से 18-02-21	₹149476.00	पी.एफ.एम.एस.	दि. 24-02-21
2	दि. 21-02-21 से 08-03-21	₹61900.00	पी.एफ.एम.एस.	दि. 10-03-21

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं :-

(अ)-पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण एवं खुलने का समय क्रमशः दिनांक 09-10-2020 एवं 25-10-2020 है,जो नियमतः नहीं है।उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए ।

(ब)-सामग्री क्रय हेतु टेण्डर मेसर्स नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल्स ,कमालपुर का स्वीकृत किया गया है। नियमानुसार टेण्डर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है।

(स)-उपरोक्त दर्शित कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है,जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्ही कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक की सीमा में आते हैं ।

(द)-प्रथम पक्ष खंड विकास अधिकारी एवं द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म के मध्य अनुबंध पत्र संलग्न नहीं है।

(च)-कार्यपूति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। जबकि प्राक्कलीत सामग्री एवं मजदूरी के अनुरूप व्यय किया जा चुका है।

(छ)-कार्य के तीन चरणों में से दो चरणों का -(1)कार्य प्रारंभ से पूर्व का एवं (2)कार्य करते हुए श्रमिकों का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है। साइन बोर्ड का भी फोटोग्राफ संलग्न नहीं है,जबकि साइन बोर्ड हेतु ₹3000.00 एवं फोटोग्राफ हेतु ₹300.00 प्राक्कलीत है।

(ज)-सामग्री दरों के तुलनात्मक चार्ट पर टेण्डर आमंत्रित किये जाने की तिथि,टेण्डर खोले जाने की तिथि अंकित नहीं है। उक्त चार्ट पर स.वि.अ. (सह),स.वि.अ. (एस.के.)अवर अभियंता (एम.आइ.),लेखाकार व खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर तो है परंतु किसी के भी द्वारा तिथि अंकित नहीं किया गया है।

इस प्रकार सामग्री पर व्यय ₹709790.00 एवं मजदूरी पर व्यय ₹211376.00 कुल ₹921166.00 व्यय अनियमित है ,जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री राजकुमार चौधरी,सहायक विकाश अधिकारी (एस० के०),तकनीकी प्रभारी श्री कमलेश कुमार मौर्य,अवर अभियंता (एम० आइ०),लेखाकार श्री सियालाल यादव व खंड विकास अधिकारी श्री महेंद्र प्रसाद चौबे जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-11

केन्द्रीय वित्त से ग्राम पंचायत सिधना (बेलवानी)में सोसायटी भवन मरम्मत कार्य कराया गया है,जिसमें श्री राजेश कुमार सिंह ,सहायक विकास अधिकारी(सह)को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु मेसर्स नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल्स ,कमालपुर को निम्न प्रकार से भुगतान किया है:-

क्रम संख्या	प्रमाणक का दिनांक एवं धनराशि	संस्था द्वारा की गयी कटौतियां	फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान	चेक सं./ पी.एफ.एम.एस. व दिनांक
1	04-12-2020 ₹296228.00	जी.एस.टी-5925.00 टी.डी.एस-5925.00 रायल्टी-2756.00	₹281622.00	पी.एफ.एम.एस दि.14-03-21
	योग -	14606.00		
	मजदूरी			
1	04-12-20 से 23-12-20	₹115698.00	पी.एफ.एम.एस दि. 12-01-2021	

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत है:-

(अ)-पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण एवं खुलने का समय क्रमशः दिनांक 09-10-2020 एवं 25-10-2020 है,जो नियमतः नहीं है। उ०प्र०जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए । नियमानुसार टेण्डर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है।

(ब)-मस्टर रोल पर कार्य प्रारंभ की तिथि,समाप्ति की तिथि एवं कार्य का नाम अंकित नहीं है।

(स)-मस्टर रोल क्रमांकित एवं दिनांकित नहीं है तथा खंड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

(द)-कार्य के तीन चरणों के फोटोग्राफ में कार्य समाप्ति के पश्चात का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(क)- प्रथम पक्ष खंड विकास अधिकारी एवं द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म के मध्य अनुबंध पत्र एवं एम. एम. 11 संलग्न नहीं है।

(ख)- कार्यपूति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

(ग)-सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यालय आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(घ)-विक्रेता का हैसियत प्रमाण पत्र ,चरित्र प्रमाण पत्र ,पैन कार्ड की छाया प्रति इत्यादि संलग्न नहीं है।

इस प्रकार सामग्री पर व्यय ₹281622.00 एवं मजदूरी पर व्यय ₹115698.00 कुल ₹397320.00 व्यय अनियमित है। जिसके लिये लेखाकार श्री सियालाल यादव,खंड विकास अधिकारी श्री महेंद्र प्रसाद चौबे,कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह,सहायक विकास अधिकारी (सह) एवं तकनीकी प्रभारी श्री कमलेश कुमार मौर्य ,अवर अभियंता (एम० आइ०) उत्तरदायी हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12

राज्य वित्त से ग्राम पंचायत नूरी तंबागढ़ में जितन उपाध्याय के घर से टुनटुन जायसवाल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य कराया गया है,जिसमें श्री राजेश कुमार सिंह ,सहायक विकास अधिकारी (सह)को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु मेसर्स नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल्स,कमालपुर को निम्न प्रकार से भुगतान किया गया है:-

क्रम संख्या	प्रमाणक का दिनांक एवं धनराशि	संस्था द्वारा की गयी कटौतियां	फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान	चेक सं./ पी.एफ.एम.एस. व दिनांक
1	07-09-2020 ₹791526.82	जी.एस.टी-15831.00 टी.डी.एस-15831.00 रायल्टी-4226.00	₹755638.00	000395 दिनांक 16-09-2020
	योग :-	35888.00		
	मजदूरी			
	12-08-20 से 05-09-20	₹147126.00	चेक संख्या 000396 दिनांक 06-09-20	

उपरोक्त दर्शित कार्य पर आपत्तियाँ निम्नानुसार हैं:-

(1)-पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण एवं खुलने का समय क्रमशः दिनांक 28-07--2020 एवं 04-08-2020 रखा गया,जबकि उ०प्र०जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए । नियमानुसार टेण्डर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है।

(2)- उपरोक्त दर्शित कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है,जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्ही कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक की सीमा में आते हैं ।

(3)-मापन पंजिका पर खंड विकास अधिकारी ,ब्लाक प्रमुख व मंपकर्ता का हस्ताक्षर तो है,परंतु हस्ताक्षर की तिथि अंकित नहीं है।

(4)-फोटोग्राफी के तीन चरणों में कार्य करते हुए श्रमिकों का फोटोग्राफ पत्रावली मे संलग्न नहीं है,जबकि साइन बोर्ड हेतु ₹3000.00 प्राक्कलीत है।

(5)-विगत तीन वर्षों में किसी योजना के अंतर्गत दर्शित कार्य को नहीं कराया गया है,इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

(6)- विक्रेता का हैसियत प्रमाण पत्र ,चरित्र प्रमाण पत्र ,पैन कार्ड की छाया प्रति, सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यालय आदेश एवं एम. एम. 11 पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(7)- प्रथम पक्ष खंड विकास अधिकारी एवं द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म के मध्य अनुबंध पत्र संलग्न नहीं है।

(8)- मस्टर रोल क्रमांकित एवं दिनांकित नहीं है तथा खंड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सामग्री पर व्यय ₹755638.00 एवं मजदूरी पर व्यय ₹147126.00 कुल ₹902764.00 व्यय अनियमित है,जिसके लिये लेखाकार श्री सियालाल यादव,खंड विकास अधिकारी श्री महेंद्र प्रसाद चौबे,कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह,सहायक विकास अधिकारी (सह) एवं तकनीकी प्रभारी श्री कमलेश कुमार मौर्य ,अवर अभियंता (एम० आइ०) जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13

राज्य वित्त से ग्राम सभा चील्हारी में नहर से काली मां के मन्दिर होते हुए शम्भू सिंह,त्रिभुवन सिंह के घर तक रिटरनिंग वाल एवं खंडजा मरम्मत कार्य कराया गया है,जिसमें श्री राजेश कुमार सिंह,सहायक विकास अधिकारी (सह)को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु मेसर्स नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल्स ,कमालपुर को निम्न प्रकार से भुगतान किया गया है:-

क्रम संख्या	प्रमाणक का दिनांक एवं धनराशि	संस्था द्वारा की गयी कटौतियां	फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान	चेक सं./ पी.एफ.एम.एस. व दिनांक
1	06-10-20 ₹803549.13	जी.एस.टी-16071.00, टी.डी.एस-16071.00 रायल्टी-4013.00, जमानत-80355.00	₹687039.00	पी.एफ.एम.एस. दिनांक 28-10-20
	योग -	116510.00		
	मजदूरी			
	दि.17-09-20 से 09-10-20	₹142905.00	पी.एफ.एम.एस. दि. 07-11-2020	

उक्त दर्शित व्यय पर पर आपत्तियाँ इस प्रकार है :-

- 1- निविदा आमंत्रण एवं खुलने का समय क्रमशः दिनांक 28-07--2020 एवं 04-08-2020 रहा, जो नियमतः नहीं है। उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए।
- 2- नियमानुसार टेण्डर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है। समाचार पत्र की मूल प्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
- 3 -कार्य के तीन चरणों में से कार्य प्रारंभ से पूर्व का एवं कार्य करते हुए श्रमिकों का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 4 - कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। जबकि प्राक्कलन के अनुरूप व्यय किया जा चुका है।
- 5 -साइन बोर्ड का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है, जबकि साइन बोर्ड हेतु ₹3000.00 एवं फोटोग्राफ हेतु ₹300.00 प्राक्कलीत है।
- 6 - मस्टर रोल क्रमांकित एवं दिनांकित नहीं है तथा खंड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
- 7 -मस्टर रोल पर कुल 30 मजदूरों को कार्य करते हुए दर्शाया गया है, जिसमें से 29 श्रमिकों का निशानी अंगूठा अंकित है। सभी निशानी अंगूठा असत्यापित हैं।
- 8 - प्रथम पक्ष खंड विकास अधिकारी एवं द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म के मध्य अनुबंध पत्र संलग्न नहीं है।
- 9 - विगत तीन वर्षों में किसी योजना के अंतर्गत दर्शित कार्य को नहीं कराया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- 10- विक्रेता का हैसियत प्रमाण पत्र ,चरित्र प्रमाण पत्र ,पैन कार्ड की छाया प्रति, सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यालय आदेश एवं एम. एम. 11 पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 11- उपरोक्त दर्शित कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है, जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्ही कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक की सीमा में आते हैं।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेने से स्पष्ट है की सामग्री पर व्यय ₹767394.00(₹687039.00 एवं वापस की जाने वाली जमानत की धनराशि ₹80355.00) एवं मजदूरी पर व्यय ₹142905.00 कुल व्यय ₹910299.00 अनियमित है। जिसके लिये लेखाकार श्री सियालाल यादव, खंड विकास अधिकारी श्री महेंद्र प्रसाद चौबे, कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी (सह) एवं तकनीकी प्रभारी श्री कमलेश कुमार मौर्य ,अवर अभियंता (एम० आइ०) उत्तरदायी हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14

राज्य वित्त से ग्राम सभा पिपरीभैंसा में गजाराम के गेट से भैंसा दलित बस्ती तक इन्टरलाकिंग कार्य कराया गया है, जिसमें श्री राजेश कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सह) को कार्य प्रभारी बनाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय मेसर्स नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल्स, कमालपुर से किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	प्रमाणक का दिनांक एवं धनराशि	संस्था द्वारा की गयी कटौतियां	फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान	चेक सं./ पी.एफ.एम.एस. व दिनांक
1	14-08-20 ₹848672.45	जी.एस.टी-16973.00 टी.डी.एस-16973.00 रायल्टी-3304.00	₹811422.00	चेक संख्या 000398 दिनांक 06-09-2020
	योग	37250.00		

	मजदूरी		
	13-08-20 से 04-09-20	₹138348.00	चेक संख्या 000397 दिनांक 06-09-2020

उपरोक्त कार्य हेतु दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नानुसार हैं:-

1-निविदा आमंत्रण एवं खुलने का समय क्रमशः दिनांक 28-07--2020 एवं 04-08-2020 रहा, जो नियमतः नहीं है। 30^{प्र०} जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए ।

2-नियमानुसार टेण्डर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है। समाचार पत्र की मूल प्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। निविदा प्रपत्रों पर खंड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।

3-नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल्स ,जिसकी निविदा स्वीकृत की गयी है,द्वारा प्रस्तुत सावधि जमा का फोटो स्टेट प्रति पत्रावली में संलग्न है। जबकि मूल सावधि जमा प्रमाण पत्र जो खंड विकास अधिकारी के पक्ष में प्लेज हो,की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न होना चाहिए था। स्पष्ट है की मूल सावधि जमा प्रमाण पत्र को संस्था के पक्ष में बिना प्लेज किये पत्रावली में संरक्षित कर कार्य पूर्ण होने तक रखा गया था,जो अनियमित रहा।

4-मस्टर रोल पर अंकित 15 निशानी अंगूठा पर क्रमांक अंकित कर अथवा श्रमिकों का नाम लिखकर उनके निशानी अंगूठा को सत्यापित नहीं किया गया है।

5-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर कार्य प्रभारी एवं खंड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

6- कार्य के तीन चरणों में से कार्य प्रारंभ से पूर्व का एवं कार्य करते हुए श्रमिकों का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

7- साइन बोर्ड का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है,जबकि साइन बोर्ड हेतु ₹3000.00 एवं फोटोग्राफ हेतु ₹300.00 प्राक्कलीत है।

8- विगत तीन वर्षों में किसी योजना के अंतर्गत दर्शित कार्य को नहीं कराया गया है,इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

9- उपरोक्त दर्शित कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है,जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्ही कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक की सीमा में आते हैं ।

10- विक्रेता का हैसियत प्रमाण पत्र ,चरित्र प्रमाण पत्र ,पैन कार्ड की छाया प्रति, सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यालय आदेश एवं एम. एम. 11 पत्रावली में संलग्न नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सामग्री पर व्यय ₹811422.00 एवं मजदूरी पर व्यय ₹138348.00 कुल ₹949770.00 व्यय अनियमित है,जिसके लिये लेखाकार श्री सियालाल यादव,खंड विकास अधिकारी श्री महेंद्र प्रसाद चौबे,कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह,सहायक विकास अधिकारी (सह) एवं तकनीकी प्रभारी श्री कमलेश कुमार मोर्य ,अवर अभियंता (एम० आइ०) जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

4-क्षेत्र पंचायत - चहनियां

विकास क्षेत्र -चहनियां

वर्ष -2020-2021

प्रस्तर-15

आयकर कटौती-आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194(सी.) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक

तिमाही की अन्तिम तिथि को लेखा शीर्षक 21 में जमा किये जाने में विफल रहने पर आहरण-वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण-वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम 3 माह की कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है।

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयकर पर टी.डी.एस. नहीं काटा गया है-

क्र.	कार्य का विवरण	बिल का विवरण/धनराशि	आयकर कटौती
1	पलिया मं सैदपुर रोड़ से रामगढ़ सम्पर्क मार्ग तक सी.सी. रोड़ व इंटरलॉकिंग	बाबा किनाराम कंस्ट्रक्शन 023/24.11.2020 रु0 483409.00	9668.00
2	टाड़ा में बसावन सिंह के घर से पिच रोड़ तक सी.सी. रोड़ निर्माण	सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स 01/30.06.2020 रु0 531567.00	10631.00
3	शेरपुर में पिचरोड़ से आर.पी.एस. स्कूल तक मिट्टी खडंजा कार्य	मेसर्स जे0पी0 कंस्ट्रक्शन 01/05.07.2020 रु0 117090.00	2342.00
4	बलुआ में डेरवा शीतला माता मंदिर के पास सीवर नाली कार्य	अरविन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी रु0 154220.00	3084.00
5	बंशीपुर में पिच रोड़ से केशव के घर तक नाली व सी0सी0 कार्य	मेसर्स लाल साहब चौहान 01/26.09.2020 रु0 437805.00	8756.00
6	सोनहुला में महेन्द्र के घर से अजय राय के घर तक मिट्टी खडंजा कार्य	मेसर्स लाल साहब चौहान रु0 225412.00	4508.00
7	सोनहुला में पिच रोड़ से शिवपूजन साव के घर तक सी0सी0 रोड़ कार्य	माँ दुर्गा इण्टरप्राइजेज 6/17.11.2020 रु0 799871.00	15997.00
8	विशुनपुरा-बंशीपुर में प्याराराम के घर से नहर तक भूमिगत नाली व सी0सी0 रोड़ कार्य।	मेसर्स लाल साहब चौहान 25.11.2020 रु0 567490.00	11350.00
9	कैलावर पोखरे के किनारे ट्रैक पिच पर इंटरलॉकिंग	माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज 21/28.12.2020 रु0 884639.00	17693.00
10	खोनपुर सिवान में अवतार यादव के घर से प्रमोद के मड़ई तक मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य	मेसर्स प्रभु कंस्ट्रक्शन 8/18.01.2021 रु0 232620.00	4652.00

11	ग्राम विशेषपुर में मिट्टी, खडंजा, नाली निर्माण कार्य	मेसर्स प्रभु कन्स्ट्रक्शन09/20.01.2021 रु0 228158.00	4563.00
12	वैराठ में नवोदय विद्यालय के उत्तरी चहारदीवारी के बगल में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मेसर्स लाल साहब चौहान26/28.01.2021 रु0 730773.00	14615.00
13	मजीदहाँ में अरून के घर के सामने तालाब की सुन्दरीकरण	मेसर्स चंदन कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स 08/25.11.2020 रु0 530377.00	10608.00
14	टांडाकलां में श्रीप्रकाश के घर से पिच रोड तक सी0सी0 रोड कार्य	मेसर्स सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स रु0 786603.00	15732.00
15	धानापुर मेन रोड से बाढ़ ड्रेन तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	माँ दुर्गा इण्टरप्राइजेज34/28.01.2021 रु0 239333.00	4387.00
16	रामगढ़ बरिया में गुरुचरण यादव के घर के सामने आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	अरविन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनीरु0 297536.00	5951.00
17	मारुफपुर में सीताराम के खेत से विश्वनाथ प्रजापति के घर तक मिट्टी खडंजा कार्य।	जे0पी0 कंस्ट्रक्शन4/19.12.2020 रु0 274400.00	5488.00
18	डेरवा कलां में रामेश्वर गुप्ता के घर से लक्ष्मी के घर तक नाली सी0सी0 निर्माण कार्य।	माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज28/23.01.2021 रु0 529992.00	10600.00
19	ग्राम पंचायतों में हैण्डपम्प स्थापन कार्य	मेसर्स लाल साहब इण्टर प्राइजेज 23,23,25/28.01.2021 रु0 947602.00	18952.00
20	सोनहुला में रमेश पासवान के घर से चौथी कन्नौजिया के घर तक भूमिगत नाली व सी0सी0 निर्माण	माँ दुर्गा इण्टरप्राइजेज13/24.11.2020 रु0 267098.00	5342.00
21	कैलावर में पोखरे के किनारे अवशेष ट्रैक पिच कार्य	लाल साहब चौहान27/28.01.2021 रु0 414268.00	8285.00
22	त्रिपाठ में प्रा0वि0 में टाइल्स निर्माण और मरम्मत कार्य	सूर्या गुप एण्ड कम्पनी42/20.11.2020 रु0 382930.00	7659.00

23	कांवर में गुप्तेश्वर के घर से त्रिवेणी के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	मेसर्स उमरावती इण्टर प्राइजेज 69/28.10.2020 रु0 294946.00	5899.00
24	ग्रामसभा समुदपुर से माइनर को भूमिगत करने के लिए पक्की नाली निर्माण	जय बजरंग कंस्ट्रक्शन कम्पनी 02/09.02.2021 रु0 572176.00	11444.00
25	कैथी में डीह बाबा मंदिर से रामअवतार यादव के घर तक मिट्टी खडंजा कार्य	माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज0030/15.02.2021 रु0 78026.00	1561.00
26	कैलावर में रिटेनिंग वाल की मरम्मत	विकास कंस्ट्रक्शन05/01.01.2021रु0 304492.00	6090.00
27	सोनहुला में महेन्द्र पंडित के घर से कुंज विश्वकर्मा के घर तक भूमिगत नाली व सी0सी0 मरम्मत कार्य	माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज 12/24.11.2020	7249.00
28	सर्वदानन्द में तिवारीपुर में क्षतिग्रस्त नाली मरम्मत कार्य	1. माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज2/06.07.2020 रु0 167330.00 2. माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज10/22.11.2020 रु0 83514.00	3347.00 1670.00
29	कावर में कमला पाण्डेय के घर से सी0सी0 रोड़ तक सी0सी0 निर्माण कार्य	उमरावती इण्टर प्राइजेज68/21.10.2020 रु0 263474.00	6599.00
30	समुदपुर में पी.डब्लू.डी. रोड़ से माइनर तक आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	मे0 जय बजरंग कंस्ट्रक्शन1/11.01.2021 रु0 524195.00	10484.00
31	पूरा कटारू में प्रा0वि0 में यादव बस्ती तक इण्टर लाँकिंग कार्य	जे0पी0 कंस्ट्रक्शन2/30.09.2020 रु0 364042.00	7281.00
32	सराय में पिच रोड़ से अनिरुद्ध सिंह के घर तक मिट्टी खडंजा कार्य	माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज16/15.12.2020 रु0 79497.00	1590.00
33	हरधन में सीताराम यादव के घर से महेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0 निर्माण	मेसर्स जे0पी0 कंस्ट्रक्शन3/07.11.2020 रु0 225485.00	4510.00
34	अमिलाई में कल्लू यादव के घर तक सी.सी. रोड़ अवशेष कार्य	माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज31/15.01.2021 रु0 67542.00	1351.00

35	सकलडीहा मार्ग से मोहनपुरवां यादव बस्ती तक मिट्टी खडंजा कार्य	माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज27/28.12.2020 रु0 314439.00	6289.00
36	खण्ड विकास अधिकारी आवास में टाइल्स निर्माण मरम्मत कार्य	मे0 प्रभु कन्स्ट्रक्शन10/21.01.2021 रु0 118529.00	2371.00
37	कैलावर में वारात घर से बंशी के बाउन्ड्री तक बाउण्ड्री वाल का निर्माण	माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज17/15.12.2020 रु0 226361.00	4527.00
38	ग्राम ओरवा में दुलारे यादव के घर तक इण्टरलाकिंग	मे0 प्रभु कन्स्ट्रक्शन05/26.11.2021 रु0 336895.00	6738.00
39	चहनियां में अवशेष सी0सी0 से चाहन देवी मंदिर तक सीवर व सी0सी0 निर्माण कार्य	माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज18/26.12.2020 रु0 744403.00	14888.00
40	हाई मास्ट लाईट स्थापना कार्य	माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज54,56/05.01.2021 रु0 984136.00	19683.00
41	पुरा सोनहुला में शंकर यादव के घर से गुलाब सिंह के घर तक सी0सी0 रोड कार्य	माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज20/28.12.2020 रु0 643948.00	12879.00
	योग		337303.00

इस प्रकार आयकर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर कटौती न कर रु0 337303.00 की अनियमितता की गयी, जिसके प्रति तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी व श्री गुलाब चंद्र सोनकर एवं तत्कालीन लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी हैं, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

टेण्डर प्रक्रिया का पालन न कर अनियमितता -

1- पलिया में सैदपुर रोड से रामगढ़ सम्पर्क मार्ग तक सी.सी. रोड इण्टरलाकिंग कार्य में निम्नलिखित आपत्तिजनक प्रकरण प्रकाश में आये-

क-टेण्डर नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार सामग्री आपूर्ति हेतु न्यूनतम तीन फर्मों से टेण्डर प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा की दशा में पुनः टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए। संदर्भित कार्य में केवल 2 टेण्डर प्राप्त किया गया।

(अ) बाबा कीनाराम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी मनिहरा खंडेहरा, चन्दौली

(ब) चन्दन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, मजिदहाँ, चन्दौली

ख-रु0 6 लाख की तकनीकी स्वीकृति (सं0 83/21.10.2020) प्रदान की गयी तथा टेण्डर बिक्री 11.11.2020 से शुरू की गयी, परन्तु सामग्री आपूर्ति अनुबंध दिनांक 30.10.2020 को ही बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कम्पनी से कर लिया गया।

ग-उक्त कार्य के क्रम में बिल सं0 023 दिनांक 24.11.2020 मेसर्स बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी तथा बिल धनराशि रु0 483409.00 के सापेक्ष विभिन्न कटौतियों के उपरान्त रु0 464701.00 का भुगतान श्री अतुल कुमार सिंह (मेसर्स

बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी) को किया गया। वहीं बैंक एडवाइस के द्वारा मजदूरी हेतु पी0यफ0यम0यस0 न0 सी12201380854 दिनांक 14.02.2020 को कुल रू0 109785.00 का भुगतान किया गया।

अतः रू0 464701.00 सामग्री हेतु तथा रू0 109785.00 लेबर हेतु कुल रू0 574486.00 का अनियमित भुगतान किया गया। जिसके प्रति जे. ई. अवधेश चौहान (ग्रामीण विकास अभियंता) बी0डी0ओ0 श्रीमती आशा देवी व श्री गुलाब चंद्र सोनकर एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदाई है, विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

टाण्डा में सावन सिंह के घर से पिच रोड़ तक सी0सी0 रोड़ निर्माण में निम्नांकित विवरण के अनुसार मात्र दो ही टेण्डर प्राप्त किये गये। प्रथम चन्द्रावती सिंह (12 % कम दर पर) तथा द्वितीय मे0 सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स रामजानकी धाम कालोनी शिवपुर (27 % विभागीय दर से कम पर) दिनांक 11.06.2020 को ख0वि0अ0 तथा सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स की बीच सामग्री आपूर्ति का अनुबंध कर लिया गया। चन्द्रावती सिंह द्वारा डाला गया टेण्डर निम्नांकित कारणों से अपूर्ण था-

(अ) हैसियत प्रमाण पत्र नहीं पाया गया।

(ब) चरित्र प्रमाण पत्र नहीं पाया गया।

अतः केवल एक ही नियमित टेण्डर प्राप्त कर अनुबंध कर लिया गया।

तकनीकी स्वीकृति (लेन देन संख्या 27/26.06.2020) कुल 9.00 लाख के क्रम में सामग्री आपूर्ति हेतु मेसर्स सिद्धार्थ कम्पनी एण्ड सप्लायर्स के बिल सं0 01 दिनांक 30.06.2020 बिल धनराशि 531567.56 विभिन्न कटौतियों के उपरोक्त पी0यफ0यम0यस0 लेन देन संख्या -सी092048556395 दिनांक 29.09.2020, रू0 478411.00 का भुगतान किया गया। वहीं मजदूरी पर बैंक एडवाइस द्वारा रू0 171129.00 का भुगतान किया गया। अतः कुल रू0 649540.00 का अनियमित भुगतान किया गया। जिसके प्रति जे. ई. अवधेश चौहान (ग्रामीण विकास अभियंता) बी0डी0ओ0 श्रीमती आशा देवी व श्री गुलाब चंद्र सोनकर एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदाई है, विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

शेरपुर में पिच रोड़ से आर.पी.एस. स्कूल तक मिट्टी खडंजा केवल दो निविदा प्राप्त की गई-

अरविन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी

यम0/ यस0 जे0पी0 कंस्ट्रक्शन कम्पनी

तकनीकी स्वीकृति सं0 25/26.06.2020 सामग्री-रू0 122641.00 तथा लेबर रू0 50788.00 उक्त स्वीकृति के क्रम में अनियमित टेण्डर प्रक्रिया के द्वारा यम0/ यस0 जे0पी0 कंस्ट्रक्शन कम्पनी से पी0यफ0यम0यस0 सं0 . सी 092057850878 द्वारा कुल रू0 114,748.00 दिनांक 02.10.2020 को किया गया। वही कुल मजदूरी का भुगतान रू0 50367.00 किया गया। अतः कुल भुगतान रू0 165115.00 जो अनियमित है,।

बलुआ में डेरवा शीतला माता मंदिर के पास सीवर नाली का कार्य केवल दो निविदा प्राप्त की गई-

(अ) अरविन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रो0 किरोधी यादव

(ब) जे0पी0 कंस्ट्रक्शन कम्पनी

जिसमें अरविन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी जो कि विभागीय दर पर कार्य करने के लिए तैयार थे, अतः सामग्री आपूर्ति का अनुबंध कर लिया गया। अरविन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी के बिल धनराशि 154220.00 के सापेक्ष रू0 138104.00 पी0यफ0यम0यस0 सं0-सी092048946649 दिनांक 28.09.2020 को किया गया, वहीं मजदूरी पर रू0 29185.00 का भुगतान किया गया।

अतः उक्त कार्य पर कुल रू0 167289.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

बंशीपुर में पिच रोड़ से केशव के घर तक नाली निर्माण व सी0सी0 कार्य आपूर्ति आदेश मेसर्स लालसाहब चौहान के पक्ष में निर्गत किया गया। आपूर्ति के अनुबंध पत्र पर द्वितीय पक्ष अर्थात आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स लाल साहब चौहान के हस्ताक्षर तथा गवाह द्वितीय पक्ष के विवरण अंकित नहीं किये गये थे। मेसर्स लाल साहब चौहान द्वारा प्रस्तुत बिल

सं0 1/26.09.2020, धनराशि 437805.00 के क्रम में विभिन्न मानक कटौतियों के उपरान्त रू0 419986.00 पी0यफ0यम0यस0 सं0-सी102025179010 (26.10.2020) का भुगतान किया गया, वहीं मजदूरी पर कुल भुगतान रू0 130,626.00 अर्थात कुल रू0 550612.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

सोनहुला में महेन्द्र के घर से अजय राम के घर तक मिट्टी खड़जा कार्य-

टेण्डर प्रक्रिया की जाँच में मात्र दो निविदा प्राप्त हुई पाई गयी-

(1) मेसर्स लाल साहब चौहान (विभागीय दर से 5% कम)

(2) माँ दुर्गा इण्टरप्राइजेज (विभागीय दर से 5% ज्यादा)

अनुबंध (23.06.2020) पर फर्म प्रोप्राइटर के हस्ताक्षर नहीं पाये गये और ना ही फर्म के पक्ष में गवाह भी पाये गये।

कटौती के उपरान्त मेसर्स लाल साहब को रू0 220904.00 पी0यफ0यम0यस0 सं0. सी102017175516 दिनांक 16.10.2020 का भुगतान किया गया। वहीं मजदूरी पर रू0 69729.00 का भुगतान किया गया। अतः कुल रू0 290633.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

विशुनपुरा-बंशीपुर में प्यारे राम के घर से नहर तक भूमिगत नाली व सी0सी0 रोड़ कार्य-मात्र दो फर्मों से निविदा प्राप्त की गई प्रथम माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज (8% एबोवए) तथा मेसर्स लाल साहब चौहान (पी 0डब्ल्यू 0डी0 दर पर)/अनुबंध दिनांक 30.10.2020 बी.डी.ओ. और मेसर्स लाल साहब चौहान के बीच किया गया। परन्तु द्वितीय पक्ष का नाम, पता व हस्ताक्षर नहीं पाया गया।

मेसर्स लाल साहब चौहान को दिनांक 25.11.2020 के बिल धनराशि 567490.00 के क्रम में रू0 546833.00 का भुगतान पी0यफ0यम0यस0 सं0.-पी 0046060220215164ई दिनांक 06.02.2021 को किया गया।

वहीं मजदूरी पर कुल भुगतान रू0 28748.00 दिनांक 01.03.2021 को किया गया अतः रू0 675581.00 का कुल अनियमित भुगतान किया गया।

कैलावर पोखरे के किनारे ट्रैक पिच पर इण्टरलाकिंग कार्य-

दो निविदाएं प्राप्त की गयी दोनों प्रपत्र की संख्या 001 अंकित पाई गयी।

(क) मेसर्स लाल साहब चौहान (विभागीय दर से 5% अधिक)

(ख) माँ दुर्गा इण्टरप्राइजेज (विभागीय दर पर)

अनुबंध पत्र हस्ताक्षरविहीन अतः अमान्य है।

द्वितीय पक्ष का नाम, पता, हस्ताक्षर तीनों का अंकन नहीं पाया गया।

बिल क्रमांक 21/28.12.2021 धनराशि 884639.00 के क्रम में रू0 846108.00 का भुगतान पी0यफ0यम0यस0 सं0 पी 00462022025470ई द्वारा दिनांक 20.02.2021 को किया गया।

मजदूरी पर कुल भुगतान रू0 98571.00 किया गया अतः कुल 944679.00 का भुगतान किया गया।

खोनपुर सिवान में अवतार यादव के घर से प्रमोद के मड़ई तक मिट्टी खड़जा कार्य।

उक्त कार्य में तकनीकी स्वीकृति सं0 233 दिनांक 11.01.2021 को प्राप्त की गई जिसके विवरण इस प्रकार है-

231446.00 सामग्री

68496.00 लेबर

300.00 फोटोग्राफी

300242.00

मेसर्स प्रभु कंस्ट्रक्शन (फेकू यादव) के बिल सं0 08/18.01.2021 में धनराशि रू0 232620.00 के क्रम में रू0 227968.00 प्रिया सॉफ्ट आइडी-16716-ई द्वारा की गई।

वहीं मजदूरी पर कुल भुगतान रू0 64194.00 का भुगतान किया गया।

अतः कुल भुगतान रु0 292162.00 का अनियमित भुगतान किया गया।
वैराठ में नवोदय विद्यालय के उत्तरी चहारदीवारी के बगल में सी0सी0 रोड़ निर्माण। दो टेण्डर प्राप्त किये गये-

(क) माँ दुर्गा इण्टरप्राइजेज (2% अधिक)

(ख) मेसर्स लाल साहब चौहान (विभागीय दर पर)

तकनीकी स्वीकृति 98/13.11.2020 के क्रम में प्रस्तुत बिल मेसर्स लाल साहब इण्टर प्राइजेज 26/28.01.2021, धनराशि रु0 730773.00 के सापेक्ष रु0 643279.00 दिनांक 17.03.2021, खाता संख्या 371602010946423 में भुगतान किया गया। उक्त कार्य में कुल मजदूरी रु0 162633.00 का भुगतान किया गया। प्रस्तुत मस्टर रोल के किसी भी कार्य का प्रारम्भ व समाप्ति का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। अतः कुल रु0 805912.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी।

2- मजिदहा में अरुण के घर के सामने तालाब का सुन्दरीकरण। मात्र दो टेण्डर प्राप्त किया गया-

(क) बाबा किनाराम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (5% अधिक)

(ख) चन्दन कन्स्ट्रक्शन व सप्लायर्स (विभागीय दर)

सामग्री आपूर्ति का अनुबंध 10-10रु0 के दो स्टाम्प नं0-35ईई234954 एवं 551 अनुबन्ध दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को किया गया। जबकि निविदा 12 नवम्बर 2020 को खोली गयी है। बिना टेण्डर खोले सामग्री आपूर्ति का अनुबंध अनियमित है। अनुबंध पर केवल प्रथम पक्ष (बी डी ओ) के हस्ताक्षर हैं, द्वितीय पक्ष (चन्दन कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स) का न तो नाम/हस्ताक्षर न ही गवाहों का ही कोई विवरण रहा। तकनीकी स्वीकृति 84/21.10.2020 के क्रम में बिल सं0 08 दिनांक 25.11.2020 धनराशि रु0 530377.00 से विभिन्न कटौतियों के उपरान्त दिनांक 01.03.2021 पी0यफ0यम0यस0 (खाता सं0)-488302011002753 रु0 519346.00 का भुगतान किया गया।

मस्टर रोल के जाँचोपरान्त पाया गया कि कुल रु0 96963.00 का भुगतान दिनांक 03.03.2021 को किया गया। अतः कुल धनराशि रु0 616309.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी।

3- टाण्डाकला में श्री प्रकाश सिंह के घर से पिच रोड़ सी.सी. निर्माण। मात्र दो निविदा प्राप्त की गई-

(क) चन्दन कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स (5%अधिक)

(ख) सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स (विभागीय दर)

टेण्डर मात्र एक दैनिक समाचार पत्र पायनियर में दिनांक 17.11.2020 को प्रकाशित हुआ। अनुबंध तिथि 30.10.2020 सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स तथा बी0डी0ओ0 के बीच हुआ। अनुबंध टेण्डर प्रक्रिया के पहले कैसे सम्भव है। अनुबंध पत्र पर द्वितीय पक्ष का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया। मेसर्स सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स के बिल धनराशि रु0 786603.00 से विभिन्न कटौतियों के बाद रु0 770871.00 पी0यफ0यम0यस0 संख्या सी -122019993, दिनांक 17.12.2020 को किया गया।

मजदूरी का कुल भुगतान रु0 176460.00, आठ मस्टररोलों के सापेक्ष किया गया। मस्टररोलों पर जारीकर्ता के न तो हस्ताक्षर हैं न ही मजदूरों के प्रमाणित हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित पाये गये। अतः रु0 176460.00 का अनियमित भुगतान किया गया, जिसके लिए तत्कालीन लिए बी0डी0ओ0श्रीमती आशा देवी व श्री गुलाब चंद्र सोनकर एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या, जे0ई0 (आर0ई0डी0) श्री अवधेश चौहान उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः रु0 947331.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

4- धानापुर मेन रोड़ से बाढ़ गंगा (ड्रेन) तक सी0सी0 निर्माण कार्य में तीन निविदा प्राप्त की गई। निविदा संख्या 8631/लेखा/चतुर्थ राज्य वित्त/निविदा/2020-21/ दैनिक समाचार पत्र जनवार्ता में दिनांक 09.12.2020 को

प्रकाशित की गई। निविदा प्रकाशन के अनुसार दिनांक 08.12.2020 से 15.12.2020 अपरान्ह 3.00 बजे तक टेण्डर डालने का समय निर्धारित था।

निविदा फार्मों की जाँच व निविदा खोलने से पहले की दिनांक 08.12.2020 को स्टाम्प सं० 39ए ई 229715 के द्वारा मेसर्स माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज से सामग्री आपूर्ति का अनुबन्ध कर लिया गया जो कि अनियमित है।

तकनीकी स्वीकृति 161/24.12.2020 के क्रम में माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज द्वारा बिल संख्या 34/18.01.2021, बिल धनराशि ₹0 239333.00 में से विभिन्न कटौतियाँ के उपरान्त ₹0 229276.00 दिनांक 13.03.2021 को पी०य०फ०य०म०य०स० द्वारा भुगतान किया गया।

वहीं कुल मजदूरी ₹0 58200.00 का भी किया गया। अतः कुल ₹0 287476.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

- 5- रामगढ़ बरिया में गुरुचरण के घर के सामने आर.सी.सी पुलिया निर्माण कार्य मात्र दो निविदा प्राप्त की गई-(क) अरविन्द कन्ट्रक्शन कम्पनी (विभागीय दर) (ख) मेसर्स जे०पी० कंट्रक्शन (4% अधिक दर पर) अनुबंध दिनांक 11.06.2020 को किया गया जिसमें द्वितीय पक्ष के नाम, पता हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

तकनीकी स्वीकृति 24/ई०ई०/आर०ई०डी० 2020-21 दिनांक 26.06.2020 ₹0 4 लाख के क्रम में अरविन्द कन्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत बिल जिसकी धनराशि ₹0 297536.00 थी। विभिन्न कटौतियों के उपरान्त कुल ₹0 287985.00 पी एफ एम एस सी-920578030736 दिनांक 02.10.2020 को किया गया।

मजदूरी पर कुल भुगतान ₹0 66126.00 का किया गया। कुल ₹0 354111.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

- 6- ग्राम पंचायतों में हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य। मात्र दो निविदा प्राप्त की गई- (क) माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज (5% अधिक) (ख) लाल साहब चौहान इण्टर प्राइजेज (विभागीय दर) सामग्री आपूर्ति का अनुबंध 30 अक्टूबर को किया गया। कुल 23 हैण्डपम्प लगे हैं।

तकनीकी स्वीकृति सं० 227/21.01.2021 को प्राप्त किया गया अतः तकनीकी स्वीकृति से पहले ही अनुबंध करना अनियमित है। मेसर्स लाल साहब इण्टर प्राइजेज के प्रस्तुत 4 बिल 22, 23, 24, 25 दिनांक 28.01.2021 देय धनराशि ₹0 947602.00 से विभिन्न कटौतियों के उपरान्त दिनांक 17.03.2021 को ₹0 852842.00 का भुगतान किया गया जो कि अनियमित है।

- 7- कैलावर में पोखरे के किनारे अवशेष ट्रैक पिच कार्य। मात्र दो निविदाएं प्राप्त की गई- (क) अमरावती इण्टर प्राइजेज (15% अधिक) (2) लाल साहब चौहान (विभागीय दर)

अनुबंध प्रपत्र पर प्रथम पक्ष (बी डी ओ) के हस्ताक्षर नहीं थे। द्वितीय पक्ष में किसी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। मेसर्स लाल साहब चौहान द्वारा प्रस्तुत बिल 27/28.01.2020 धनराशि ₹0 414268.01 से विभिन्न कटौतियों के बाद दिनांक 13.03.2021 को ₹0 404539.00 का भुगतान किया गया, मजदूरी पर कुल भुगतान ₹0 45258.00 किया गया।

इस प्रकार कुल भुगतान ₹0 449798.00 अनियमित व्यय किया गया।

- 8- त्रिपाठ में प्रा०वि० में टाईल्स निर्माण व मरम्मत- दो ही निविदा प्राप्त की गई (क) सूर्या ग्रुप एण्ड कम्पनी (ख) मेसर्स चन्द्रावती सिंह/ सामग्री आपूर्ति का अनुबंध दिनांक 30.10.2020 को भारतीय गैर न्यायिक स्टैम्प 42 ए ए -388630 द्वारा बी०डी०ओ० चहनियां तथा सूर्या ग्रुप एण्ड कम्पनी के मध्य किया गया जबकि टेण्डर खुलने का दिनांक 12.11.2020 अपरान्ह 3.00 च था।

अनुबंध प्रपत्र पर द्वितीय पक्ष (सूर्या ग्रुप एण्ड कम्पनी) के विवरण यथा फर्म का नाम, पता, हस्ताक्षर अंकित नहीं किया गया। सूर्या ग्रुप एण्ड कम्पनी की बिल संख्या 42/20.11.2020 धनराशि ₹0 382929.84 के क्रम में

विभिन्न कटौतियों के उपरान्त रु0 343794.00 का भुगतान 27.02.2021 को पी0यफ0यम0यस0 संख्या 20214507ई द्वारा किया गया, जो कि अनियमित है।

- 9- कैलावर से रिटेनिंग वाल की मरम्मत-मात्र दो ही निविदा प्राप्त की गई (क) मेसर्स सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स (ख) विकास कन्स्ट्रक्शन।

मेसर्स विकास कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत बिल संख्या 05/01.01.2021, बिल धनराशि रु0 304492.00 के क्रम में रु0 296595.00 यफ0टी0ओ0 संख्या 19630ई दिनांक 19.02.2021 द्वारा किया गया।

टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करते हुए रु0 296595.00 अनियमित व्यय किया गया।

- 10- सोनहुला में महेन्द्र पंडित के घर से कुंज विश्वकर्मा के घर तक भूमिगत नाली व सी.सी. कार्य। केवल दो ही निविदा प्राप्त हुई-(क) मेसर्स लाल साहब चौहान (ख) मेसर्स दुर्गा इण्टर प्राइजेज।।

माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज संख्या 12/24.11.2020, धनराशि रु0 362433.00 के क्रम में रु0 348080.00 दिनांक 05.02.2021, यफ0टी0ओ0 संख्या 17738ई द्वारा किया गया।

टेण्डर प्रक्रिया का न पालन करते हुए रु0 348080.00 का अनियमित व्यय किया गया।

- 11- सर्वदानन्दपुर में तिवारीपुर में क्षतिग्रस्त नाली मरम्मत-मात्र दो निविदा प्राप्त की गई-(क) मेसर्स लाल साहब चौहान (ख) माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज।

मेसर्स माँ दुर्गा इण्टरप्राइजेज बिल सं0 2/06.07.2021 धनराशि रु0 167330.00 में विभिन्न कटौतियों के उपरान्त रु0 149576.00 दिनांक 28.09.2020 को किया गया। माँ दुर्गा इण्टर प्राइजेज के दूसरे बिल 10/22.11.2020 रु0 83514.00 के क्रम में रु0 81336.00 का भुगतान 12.12.2020 को भुगतान आइ डी -ई 122013239366 द्वारा किया गया। अतः टेण्डर प्रक्रिया का न पालन कर रु0 230912.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस प्रकार उपरोक्त बिन्दु संख्या 2(1) से 2(20) तक निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 9843257.00 की गम्भीर अनियमितता प्रकाश में आई। जिसके प्रति जे. ई. श्री अवधेश चौहान (आर. ई. डी.) बी0डी0ओ0श्रीमती आशा देवी व श्री गुलाब चंद्र सोनकर एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्याउत्तरदाई है, विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

बिन्दु संख्या	धनराशि
2(1)	574486.00
2(2)	649540.00
2(3)	165115.00
2(4)	167289.00
2(5)	550612.00
2(6)	290633.00
2(7)	675581.00
2(8)	944679.00
2(9)	292162.000
2(10)	805912.00
2(11)	616309.00
2(12)	947331.00

2(13)	287476.00
2(14)	354111.00
2(15)	852842.00
2(16)	449798.00
2(17)	343794.00
2(18)	296595.00
2(19)	348080.00
2(20)	230912.00
योग	9843257.00

प्रस्तर -17

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विधायक निधि का प्रारम्भिक अवशेष ₹0 485352.00 रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्त में भी अन्तिम अवशेष ₹0 485352.00 रहा। अतः विधायक निधि में प्राप्त उपलब्ध धन का उपभोग न कर विकास कार्य बाधित किया गया। इस प्रकार ₹0 485352.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके प्रति तत्कालीन श्रीमती आशा देवी व श्री गुलाब चंद्र सोनकर एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -18

ग्राण्ट रजिस्टर ii एवं iii की लेखा परीक्षा में रायल्टी मद के अधीन ₹0 159222.00 की धनराशि दिनांक 31.03.2021 को उपलब्ध रही। उक्त धनराशि को उ0प्र0 सरकार के राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए था, अतः ₹0 159222.00 की राजकीय धन को राजकोष में जमा न कर अनियमितता की गयी है। इस प्रकार ₹0 159222.00 की अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी व श्री गुलाब चंद्र सोनकर एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -19

कैलावर में बारात घर से बंशी के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराया गया। उक्त कार्य की वर्क आई.डी. 44938105 है।

स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान ₹0 50978.00 किया जाना था जबकि पत्रावली में संलग्न एडवाइस (बैंक) के अनुसार ₹0 51240.00 का मजदूरी का भुगतान किया गया। स्वीकृत मजदूरी से ₹0 267.00 का अधिक भुगतान कर ₹0 267.00 का दुरुपयोग किया गया, जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी व श्री गुलाब चंद्र सोनकर एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी हैं, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष -2020-2021**प्रस्तर -20**

(क)लेखा परीक्षा वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के सामग्री अंश पर रु0 7413667.00 एवं 15वां केन्द्रीय वित्तयोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के सामग्री अंश पर रु0 11504200.00 कुल रु0 18917867.00 सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान किया गया है किन्तु किसी भी बिल से जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। वर्ष में सामग्री आपूर्ति हेतु अनुबन्धित सभी फर्मों को रु0 2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है। केन्द्रीय कर विभाग की अधिसूचना संख्या 50/2018 दि0 13 सितम्बर 2018 में सभी डीडीओ को 2.5 लाख से अधिक भुगतान पर 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 (1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0) प्रत्येक बिल से काटने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष कुल भुगतान रु0 18917867.00 का 2 प्रतिशत अर्थात् रु0 378357.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री गुलाबचन्द एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी रहे जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(ख) उक्त बिन्दु 'क' के अनुसार सामग्री क्रय पर आयकर की भी कटौती न कर 2 प्रतिशत की दर से रु0 378357 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री गुलाबचन्द एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी रहे जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -21

केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत ग्राम उकनी (मुण्डेहरा) में पुल से सोनकर बस्ती तक सीसी रोड निर्माण कार्य पर महाबीर इण्टरप्राइजेज, नागेपुर, सकलडीहा को भुगतान निम्नवत् किया गया है-

क्रम सं०	मद	इनवॉइस सं० तिथि	बिल की धनराशि	रायल्टी कटौती	शुद्ध भुगतान
1	सीमेंट ,बालू	491दर 15-11-2020	136311	3285	305761
2	सीमेंट बालू ईट,गिट्टी	492दर 16-11-2020	172735		
योग			309046		

उक्त दोनों इनवायस में सं0 491 एवं 492 कूटरचित कर बनाया गया है। इनवायस के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों इनवायस मूल क्रम सं0 49 की दो प्रतियां (लाल एवं सफेद रंग की) हैं, जिनकी संख्या को कूटरचित कर 491 एवं 492 बनाया गया है। लेखा परीक्षा की तिथि तक उक्त कार्य पर मजदूरी का कोई भुगतान नहीं किया गया है और न ही सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया गया है। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि सीसीरोड का कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया और कूटरचित प्रमाणकों के आधार पर फर्म से मिलीभगत करके रु0 309046.00 का भुगतान दर्शित कर गबन कर लिया गया जिसके प्रति कार्य प्रभारी श्री अभिषेक कुमार सिंह, जे0ई0 श्री जगदीश प्रसाद, लेखाकार श्री विजय कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री गुलाब चन्द उत्तर दायी रहे। अतः उत्तर दायी व्यक्तियों से रु0 309046.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। साथ ही प्रमाणकों में कूटरचना के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं ।

प्रस्तर -22

केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत ग्राम धूसखास में संतोष के घर से देवमूर्ति के घर के पास तालाब तक सीसी रोड निर्माण कार्य के संलग्न पत्रावली में माप पुस्तिका के अनुसार श्रमांश पर रु0 128364.00 दिनांक 20.12.2020 को अनुमन्य किया गया है जबकि संलग्न मस्टर रोल (तिथि अंकित नहीं) के अनुसार रु0 137010.00 का भुगतान किया

गया है। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रु0 8646.00 का अधिक भुगतान कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री गुलाबचन्द एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी रहे जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -23

संस्था के रायल्टी मद में प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01.04.2020 को रु 53834.00 रहा। वर्ष के दौरान रु0 164178.00 वसूल की गयी और रु0 93847.00 जमा किया गया। इस प्रकार रु0 124165.00 दिनांक 31.03.2021 को अन्तिम अवशेष रहा। राजकीय राजस्व के धनराशि को रोक कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री गुलाबचन्द एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी रहे आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं ।

6-क्षेत्र पंचायत - चकिया

विकास क्षेत्र - चकिया

वर्ष - 2020-2021

प्रस्तर -24

लेखा परीक्षा वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य के सामग्री अंश पर रु0 364147.00 जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। जिसमें से मात्र रु0 48587.00 जमा किया गया। इस प्रकार रु0 315560.00 दिनांक 31.03.2021 को अन्तिम अवशेष रहा। जी0एस0टी0 अवशेष रु0 315560.00 कोषागार में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह एवं लेखाकार श्री अंजनी सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही एवं रु0 315560.00 कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -25

आयकर मद में प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01.04.2020 को रु शून्य रहा। वर्ष के दौरान रु0 367345.00 वसूल की गयी और रु0 48587.00 जमा किया गया। इस प्रकार रु0 318758.00 दिनांक 31.03.2021 को अन्तिम अवशेष रहा। आयकर अवशेष रु0 318758.00 कोषागार में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह एवं लेखाकार श्री अंजनी सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही एवं रु0 318758.00 कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -26

सामग्री आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमा जमानत मद में प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01.04.2020 को रु0 112252.00 रहा। वर्ष के दौरान रु0 1582038.00 ठेकेदार के बिलों से कटौती की गयी और रु0 142702.00 वापस किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.03.2021 को अन्तिम अवशेष रु0 1551588.00 रहा। संस्था द्वारा जमानत का रजिस्टर नहीं रखा गया है जिससे जमानत मद में आय-व्यय एवं अवशेष की पुष्टि की जा सके। लेखा परीक्षा में जमानत की पुष्टि न कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह एवं लेखाकार श्री अंजनी सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। रजिस्टर तैयार कर आवश्यक पुष्टि के उपरान्त ही जमानत का भुगतान अपेक्षित है।

प्रस्तर -27

विधायक निधि मद के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2020 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 747194.54.00 रहा तथा वर्ष के दौरान कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष में कोई रु0 32088.00 व्यय किया गया। दिनांक 31.03.2021 को इस मद में रु0 715106.56 अन्तिम अवशेष था। इस धनराशि का विगत वर्षों में ही उपभोग कर लिया जाना था, अन्यथा की स्थिति में इसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। जो अनियमित रहा। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह एवं लेखाकार श्री अंजनी सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -28

आंगनबाड़ी मद के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2020 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 352000.00 रहा जो वर्ष पर्यन्त यथावत रहा, वर्ष में कोई आय-व्यय नहीं रहा। दिनांक 31.03.2021 को भी इस मद में रु0 352000.00 अन्तिम अवशेष था। इस धनराशि का वर्षान्त तक उपभोग कर लिया जाना था, अन्यथा की स्थिति में इसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना था, किन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह एवं लेखाकार श्री अंजनी सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -29

राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजना में कराये गये निर्माण कार्यों पर वर्ष में कुल रु0 18033851.90 व्यय किया गया है जिसमें से केवल 06 पत्रावलियां जिसमें रु0 2638814.00 का व्यय दर्शित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहीं जो निम्नवत हैं-

क्र० सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	भागूपुर में बाहा पर पुल व दो पटरा सीढ़ी व घाट दोनों तरफ निर्माण	55077
2	ग्राम ककोरिया में कंचनपुर सिकन्दरपुर मार्ग से स्व० राजेन्द्र बहादुर सिंह शिक्षण संस्थान में आरसीसी पुलिया निर्माण	264599
3	ग्राम कोदोचक में पुल मरम्मत	151394
4	विकास खण्ड परिसर में अभिलेखागार निर्माण	219724
5	ग्राम बियासड़ में मुसहर बस्ती के सामने पुल निर्माण	507030
6	ग्राम गोगहरा के ककोरिया मेन रोड से गोड़ बस्ती तक चौका साइडवाल निर्माण कार्य	945990
	योग	2638814

शेष पत्रावलियां जिसमें रु0 15395037.90 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जो गम्भीर अनियमितता है इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह एवं लेखाकार श्री अंजनी सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -30

मा० मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह मद में दिनांक 01.04.2019 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 100200.00 रहा। वर्ष के दौरान रु0 4829000 प्राप्त हुआ। वर्ष में सामूहिक विवाह पर रु0 3903015.00 किया गया। दिनांक 31.03.2021 को इस मद में रु0 1026185.00 अन्तिम अवशेष था। सामूहिक विवाह हेतु जोड़ों के चयन सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी और न ही व्यय की पत्रावली प्रस्तुत रही जिससे इस मद में व्यय की समीक्षा न की जा सकी। लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली के अभाव में व्यय अनियमित रहा जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह एवं लेखाकार श्री अंजनी सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

7-क्षेत्र पंचायत - नौगढ़

विकास क्षेत्र - नौगढ़

वर्ष - 2020-2021

प्रस्तर -31

लेखा परीक्षा वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के सामग्री अंश पर ₹0 266755.00 जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। जिसमें से मात्र ₹0 185113.00 जमा किया गया। इस प्रकार ₹0 81642.00 दिनांक 31.03.2021 को अन्तिम अवशेष रहा। जी0एस0टी0 अवशेष ₹0 81642.00 कोषागार में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुदामा यादव एवं लेखाकार श्री बिहारी लाल बिन्द उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही एवं ₹0 81642.00 कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -32

आयकर मद में प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01.04.2020 को रु शून्य रहा। वर्ष के दौरान रु0 281708.00 वसूल की गयी और रु0 209140.00 जमा किया गया। इस प्रकार रु0 72568.00 दिनांक 31.03.2021 को अन्तिम अवशेष रहा। आयकर अवशेष रु0 72568.00 कोषागार में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुदामा यादव एवं लेखाकार श्री बिहारी लाल बिन्द उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही एवं रु0 72568.00 कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -33

सामग्री आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमा जमानत मद में प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01.04.2020 को रु0 261932.00 रहा। वर्ष के दौरान रु0 1147126.00 ठेकेदार के बिलों से कटौती की गयी और रु0 4953.00 वापस किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.03.2021 को अन्तिम अवशेष रु0 1404105.00 रहा। संस्था द्वारा जमानत का रजिस्टर नहीं रखा गया है जिससे जमानत मद में आय-व्यय एवं अवशेष की पुष्टि की जा सके। लेखा परीक्षा में जमानत की पुष्टि न कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुदामा यादव एवं लेखाकार श्री बिहारी लाल बिन्द उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। रजिस्टर तैयार कर आवश्यक पुष्टि के उपरान्त ही जमानत का भुगतान अपेक्षित है।

प्रस्तर -34

विधायक निधि मद के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2020 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 442452.00 रहा तथा वर्ष के दौरान रु0 13739.00 (ब्याज) प्राप्त हुआ। वर्ष में कोई व्यय नहीं किया गया। दिनांक 31.03.2021 को इस मद में रु0 456191.00 अन्तिम अवशेष था। इस धनराशि का वर्षान्त तक उपभोग कर लिया जाना था, अन्यथा की स्थिति में इसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। जो अनियमित रहा। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुदामा यादव एवं लेखाकार श्री बिहारी लाल बिन्द उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -35

आंगनबाड़ी मद के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2020 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 307000.00 रहा जो वर्ष पर्यन्त यथावत रहा, वर्ष में कोई आय-व्यय नहीं रहा। दिनांक 31.03.2021 को भी इस मद में रु0 307000.00 अन्तिम अवशेष था। इस धनराशि का वर्षान्त तक उपभोग कर लिया जाना था, अन्यथा की स्थिति में इसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना था, किन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुदामा यादव एवं लेखाकार श्री बिहारी लाल बिन्द उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

8-क्षेत्र पंचायत -नियमताबाद**विकास क्षेत्र - नियमताबाद****वर्ष - 2020-2021****प्रस्तर -36**

केन्द्रीय वित्त योजना में कराये गये निर्माण कार्यों पर वर्ष में कुल रु0 8990812.00 व्यय किया गया है जिसमें से केवल 10 पत्रावलियां जिसमें रु0 5607505.00 का व्यय दर्शित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहीं जो निम्नवत हैं-

क्र0सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	विकास खण्ड परिसर में सामुदायिक शौचालय	797639
2	भिसौड़ी में किशोर के घर से राधेश्याम के दुकान तक सीवर	707030
3	विकास खण्ड परिसर में टाइप-2 आवासों का मरम्मत	522903
4	जलीलपुर धरकार बस्ती में इण्टरलाकिंग व नाली	801181
5	सतपंखरी में अकरम के घर से इरसाद व अली अहमद के घर तक इण्टरलाकिंगरोड	298860
6	खजूरगांव में गिरधारी के घर से शिवशंकर के घर तक सीसी व नाली मरम्मत	128721
7	विकास खण्ड परिसर में टाइप-1 आवासीय भवनों का मरम्मत	838303
8	नियमताबाद के लाखापुर में विजय के घर से शंकर के घर तक ह्यूम पाइप पुलिया व इण्टरलाकिंग	897488
9	भिसौड़ी में महानन्द के घर से हरीराम के घर तक सीवर	215591
10	भरछा के पोखरा में घाट निर्माण	399789
	योग	5607505

शेष पत्रावलियां जिसमें रु0 3383307.00 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जो गम्भीर अनियमितता है इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह व श्री सुदामा यादव एवं लेखा कार श्री बिहारी लाल बिन्द व श्री अमित कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -37

राज्य वित्त योजना में कराये गये निर्माण कार्यों पर वर्ष में कुल रु0 12239301.92 व्यय किया गया है जिसमें से केवल 08 पत्रावलियां जिसमें रु0 5817688.00 का व्यय दर्शित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहीं जो निम्नवत हैं-

क्र0सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	धरना में लवकुश के घर से राजाराम के घर तक साइडवाल व पुलिया से राजाराम के घर तक साइडवाल सीवर व सीसीरोड	845666
2	डिहवा में श्यामलाल के बंगला से मारकण्डे के घर तक सीसी नाली	669889
3	बौरी में राजनाथ के घर से अघर बियार/अवतार के घर तक नाली मरम्मत व इण्टरलाकिंग	935973
4	मढ़िया में चन्दन के घर से सरोज देवी के घर तक साइडवाल व इण्टरलाकिंग	591678
5	महाबलपुर में हरिनाथ के घर से श्रीवास्तव जी के घर तक साइडवाल व इण्टरलाकिंग	785248

6	एकौनी में नहर पुलिया से सोमारू के खेत तक सीसीरोड	765891
7	कुड़ेखुर्द में यासीन के घर से भगवानदास घर से विश्वनाथ के घर तक ढक्कनदार नाली	671450
8	दुलहीपुर में रिशी के मकान से गुफरान जावेद के मकान तक साइडवाल व इण्टरलाकिंग	551893
	योग	5817688

शेष पत्रावलियां जिसमें रु0 6421613.92 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जो गम्भीर अनियमितता है इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह व श्री सुदामा यादव एवं लेखा कार श्री बिहारी लाल बिन्द व श्री अमित कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -38

लेखा परीक्षा वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के किसी भी बिल से जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। वर्ष में सामग्री आपूर्ति हेतु अनुबन्धित सभी फर्म को रु0 2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है। केन्द्रीय कर विभाग की अधिसूचना संख्या 50/2018 दि0 13 सितम्बर 2018 में सभी डीडीओ को 2.5 लाख से अधिक भुगतान पर 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 (1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0) प्रत्येक बिल से काटने का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ताओं से 2 प्रतिशत की दर से रु0 355372.00 टीडीएस की कटौती की गयी है किन्तु 2 प्रतिशत की दर से रु0 355372.00 जी0एस0टी0 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह व श्री सुदामा यादव एवं लेखा कार श्री बिहारी लाल बिन्द व श्री अमित कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी रहे। जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूलकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -39

आंगनबाड़ी मद के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2020 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 320000.00 रहा जो वर्ष पर्यन्त यथावत रहा, वर्ष में कोई आय-व्यय नहीं रहा। दिनांक 31.03.2021 को भी इस मद में रु0 320000.00 अन्तिम अवशेष था। इस धनराशि का वर्षान्त तक उपभोग कर लिया जाना था, अन्यथा की स्थिति में इसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना था, किन्तु ऐसा न कर अनियमिता की गयी। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह व श्री सुदामा यादव एवं लेखाकार श्री बिहारी लाल बिन्द व श्री अमित कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -40

सामग्री आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमा जमानत मद वर्ष के दौरान रु0 1238324.00 ठेकेदार के बिलों से कटौती की गयी और कोई धनराशि वापस नहीं किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.03.2021 को अन्तिम अवशेष रु0 1238324.00 रहा। संस्था द्वारा जमानत का रजिस्टर नहीं रखा गया है जिससे जमानत मद में आय-व्यय एवं अवशेष की पुष्टि की जा सके। लेखा परीक्षा में जमानत की पुष्टि न कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह व श्री सुदामा यादव एवं लेखाकार श्री बिहारी लाल बिन्द व श्री अमित कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। रजिस्टर तैयार कर आवश्यक पुष्टि के उपरान्त ही जमानत का भुगतान अपेक्षित है।

वर्ष - 2020-2021

प्रस्तर -41

संस्था द्वारा केवल राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है और इन्ही योजनाओं हेतु टेण्डर भी प्रकाशित किया गया है। किन्तु 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा प्राप्त धनराशियों का उपयोग उन्ही कार्यों हेतु किया गया है जो राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत थीं। इस प्रकार केन्द्रीय वित्त आयोग मद में वर्ष के दौरान कुल रु0 7457672.00 बिना स्वीकृति के व्यय कर धनराशि का विचलन कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके प्रति जिसके प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री जितेन्द्र कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मजीत सिंह एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -42

वर्ष में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये निम्नांकित 04 कार्यों पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत् है-

क्र. सं.	कार्य का नाम (राज्य वित्त)	व्यय सामग्री					व्यय श्रमांश	कुल व्यय	सामग्री सप्लायर ठेकेदार
		जी एस टी कटौती	जमानत कटौती	रायल्टी कटौती	शुद्ध भुगतान	योग			
1	खिलची में रमाशंकर सिंह के खेत के पास आर सीसी पुलिया	2413	9650	2134	106432	120629	24958	305472	नूर कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
		3198	12790	1953	141944	159885			
2	बेन में अश्विनी के घर से मेन रोड तक सीवर व सीसी	5003	20011	4005	221120	250139	39973	723248	
		8663	34651	10577	379245	433136			
3	भुड़कुड़ा में प्रा0वि0 से मुरली के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग	7375	21500	3508	328372	360755	27819	590666	
		4042	16160	3442	178448	202092			
4		4427	17710	5246	193986	221369	24958	419418	

खोजापुर में रामशाला बेलावर मार्ग रामजी यादव के धर तक नाली चौका सीसी	400 0	1600 3	212 9	1759 17	1980 49			

उपरोक्त कार्य पर ही पत्रावली में नूर कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स के कूटरचित प्रमाणकों (राज्य वित्त योजना के उक्त प्रमाणकों के डुप्लीकेट पर ओवर राइटिंग करके) के आधार पर 15वें केन्द्रीय वित्त योजना मद से निम्न प्रकार सामग्री अंश पर रु0 995164.00 एवं श्रमांश पर रु0 257774.00 कुल रु0 1252938.00 व्यय दर्शित किया गया है।

क्र सं	कार्य का नाम (राज्य वित्त)	व्यय सामग्री					व्यय श्रमांश	कुल व्यय	सामग्री सप्लायर ठेकेदार
		जीएटी कटौती	जमानत कटौती	रायल्टी कटौती	शुद्ध भुगतान	योग			
1	खिलची में रमाशंकर सिंह के खेत के पास आर सीसी पुलिया	3198	12790	1953	141944	159885	26613	186498	नूर कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
2	बेन में अश्विनी के घर से मेन रोड तक सीवर व सीसी	8663	34651	10577	379245	433136	85467	518603	
3	भुडकुड़ा में प्रा0वि0 से मुरली के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग	4042	16168	3442	178448	202100	99135	301235	
4	खोजापुर में रामशाला बेलावर मार्ग रामजी यादव के धर तक नाली चौका सीसी	4000	16003	4129	175911	200043	46559	246602	
	योग	19903	79612	20101	875548	995164	257774	1252938	

उक्तानुसार कूटरचित प्रमाणकों के आधार पर 15वें केन्द्रीय वित्त योजना मद से रु0 1252933.00 व्यय दर्शित कर ठेकेदार की मदद से धनराशि का एक मद से दूसरे मद में विचलन करते हुए का अपहरण कर लिया गया जिसके प्रति जिसके प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री जितेन्द्र कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मजीत सिंह तथा सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0 1252933.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -43

टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 मद के अन्तर्गत दि0 01.04.2020 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 150175.00 रहा तथा वर्ष के दौरान राज्य वित्त मद से रु0 129094.00, केन्द्रीय वित्त मद से रु0 127428.00 एवं सांसद निधि से रु0 16797.00 कुल रु0 273319.00 की कटौती की गयी। किन्तु वर्ष में मात्र रु0 165672.00 ही कोषागार में जमा किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.03.2021 को इस मद में रु0 257822.00 अन्तिम अवशेष था। जी0एस0टी0 अवशेष रु0 257822.00 कोषागार में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मजीत सिंह एवं लेखाकार श्री जितेन्द्र कुमार उत्तरदायी रहे। जीएसटी मद की धनराशि रु0 257822.00 कोषागार में जमा कराये जाने के साथ ही उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -44

रायल्टी मद में प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01.04.2020 को रु 23790.00 रहा। वर्ष के दौरान राज्य वित्त मद से रु0 117381.00, केन्द्रीय वित्त मद से रु0 145930.00 एवं सांसद निधि से रु0 10225.00 कुल रु0 273536.00 की

कटौती की गयी। किन्तु वर्ष में कोई धनराशि कोषागार में जमा नहीं किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.03.2021 को इस मद में ₹0 297326.00 अन्तिम अवशेष था। रायल्टी अवशेष ₹0 297326.00 कोषागार में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्री धर्मजीत सिंह एवं लेखाकारश्री जितेन्द्र कुमार उत्तरदायी रहे। रायल्टी मद की धनराशि ₹0 297326.00 कोषागार में जमा कराये जाने के साथ ही उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -45

पूर्वाञ्चल निधि मद में प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01.04.2020 को ₹ 79924.00 रहा। वर्ष के दौरान कोई आय-व्यय नहीं रहा। इस प्रकार दिनांक 31.03.2020 को अन्तिम अवशेष ₹0 79924.00 रहा। इस योजना की अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः इस धनराशि को शासन को वापस किया जाना चाहिये था किन्तु इसे वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्री धर्मजीत सिंह एवं लेखाकारश्री जितेन्द्र कुमार उत्तरदायी रहे, उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -46

ग्राण्ट रजिस्टर-2 व 3 के अनुसार वसूली मद में गत वर्ष की भांति ₹0 240000.00 प्रारम्भिक अवशेष रहा वर्ष में इस मद में कोई आय-व्यय नहीं रहा। यह किस मद की धनराशि है अज्ञात रहा, लेखा परीक्षा में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इसकी पुष्टि न हो सकी। इस धनराशि की पुष्टि न कराया जाना अनियमित रहा जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्री धर्मजीत सिंह एवं लेखाकारश्री जितेन्द्र कुमार उत्तरदायी रहे, उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -47

वर्ष 2020-21 में ग्राण्ट रजिस्टर-3 अपूर्ण पाया गया। प्रविष्टियां माह सितम्बर 2020 तक ही पूर्ण की गयी हैं। माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक का प्रा0 शेष, आय, व्यय एवं अवशेष ग्राण्ट रजिस्टर-3 में लेखा परीक्षा की तिथि (माह मार्च 2022) तक अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राण्ट रजिस्टर-2 जिसमें पूरे वर्ष की प्रविष्टियां दर्ज हैं, की लेखा परीक्षा में मदवार एवं तिथिवार समीक्षा करते हुए पूरे वर्ष का योग मदवार अलग-अलग करके वर्ष की आय, व्यय एवं शेष की गणना की गयी। लेखा परीक्षा की गणना के अनुसार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है। अनुदान रजिस्टर तैयार न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति लेखा कार श्री जितेन्द्र प्रसाद जिम्मेदार रहे। साथ ही खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मजीत सिंह अपने पर्यवेक्षणीय दायित्व के प्रति उदासीन रहे। ग्राण्ट रजिस्टर-3 अद्यतन पूर्ण कराया जाना चाहिये तथा उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जाना चाहिये।

प्रारूप - 3

जनपद - गाजीपुर

संभाग - वाराणसी

1- क्षेत्र पंचायत - देवकली

ले0प0 वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 1

वर्ष 2020-21 के राज्य वित्त से सम्बन्धित कुल ₹0 7094505.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जबकि व्यय ₹0 17758911.00 है। इस प्रकार ₹0 10664406.00 के अभिलेख अप्राप्त रहा। जिसे जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस अनियमितता के प्रति तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री मनोज कुमार वर्मा व लेखाकार श्री रामजी यादव उत्तरदायी है। तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री मनोज कुमार वर्मा व लेखाकार श्री रामजी यादव उत्तरदायी हैं उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ० सं०-02)

प्रस्तर - 2

वर्ष 2020-21 के केन्द्रीय वित्त से सम्बन्धित कुल ₹0 9204192.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जबकि कुल व्यय वर्ष में ₹0 13773764.00 है। इस प्रकार ₹0 4569572.00 के अभिलेख/पत्रावली अप्राप्त रहा। जिसे जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त अनियमितता के प्रति तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री मनोज कुमार वर्मा व लेखाकार श्री रामजी यादव उत्तरदायी है। तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री मनोज कुमार वर्मा व लेखाकार श्री रामजी यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 - 03)

2- क्षेत्र पंचायत - रेवतीपुर

ले0प0 वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 3

वर्ष 2020-21 के राज्य वित्त से सम्बन्धित कुल ₹0 8878321.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जबकि व्यय ₹0 14268606.00 है। इस प्रकार ₹0 5390285.00 के अभिलेख अप्राप्त रहा। जिसे जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस अनियमितता के प्रति तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सुरेन्द्र सिंह राणा व लेखाकार श्री कौशल किशोर मिश्रा उत्तरदायी है। तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सुरेन्द्र सिंह राणा व लेखाकार श्री कौशल किशोर मिश्रा के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 02)

प्रस्तर - 4

वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई अभिलेखा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है।

क्रमांक	शीर्ष	व्यय (रुपए)
1	ब्याज	188.80
2	सांसद निधि	638340.00
3	इन्दिरा आवास प्रशासनिक	84855.00
4	टेण्डर फार्म की बिक्री	23247.00
5	आयकर	248210.00
6	जी0एस0टी0	236590.00
7	जमानत की धनराशि	104122.00
8	निराश्रित गोवंश चारा	395070.00
9	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	633500.00
	योग -	2364202.80

उक्त व्यय के जांच हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सुरेन्द्र सिंह राणा व लेखाकार श्री कौशल किशोर मिश्रा उत्तरदायी है। तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सुरेन्द्र सिंह राणा व लेखाकार श्री कौशल किशोर मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 03)

3- क्षेत्र पंचायत - सदर

ले0प0 वर्ष - 2020-21

प्रस्तर -5

वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में विविध कन्टीजेन्सी मद के अन्तर्गत रु0 31307 व्यय किया गया है ग्राण्ट पंजी तृतीय व द्वितीय में दर्शित है। परन्तु व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त रहा जिससे व्यय धन की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि का अपहरण लेखाकार श्री कमलेश कुमार सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री अंकित कुमार और श्री अनिल कुमार राय द्वारा किया गया है। वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 07)

4- क्षेत्र पंचायत - कासिमाबाद

ले0प0 वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 6

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से कराये गये कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्न कार्यों पर कुल रु० 998310 की सामग्री क्रय का भुगतान फर्मों को किया गया है परन्तु सम्बन्धित पत्रावलियों में लेखा परीक्षा समाप्ति तिथि तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। जबकि कार्य समाप्त (या पूर्ण) हुए करीब एक वर्ष व्यतीत हो चुका है। मजदूरी के लिये मजदूरों द्वारा तुरन्त दबाव बनाया जाता है।

अतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुल रु० 998310 सामग्री क्रयकर अनियमितता की गयी है। सामग्री क्रय का भुगतान तो हो गया लेकिन मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया इसका स्पष्ट उत्तर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। अतः रु0 998310 के अनियमित भुगतान के प्रति लेखाकार श्री अशोक कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री किशोर कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। तत्कालीन ख०वि०अ० किशोर कुमार सिंह व लेखाकार श्री अशोक कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्रारंभ/ समाप्ति तिथि	सामग्री पर व्यय धनराशि	फर्म का नाम
1	नगवा परजीपार सम्पर्क मार्ग से कैलाश के घर होते हुए शिव मन्दिर तक सी सी रोड निर्माण	06.05.2020/ 26.05.2020	617951	मा दुर्गा इन्टरप्राइजेज
2	खेताबपुर में रमाकान्त के खेत से सरकारी नाली तक मिट्टी खड़जा कार्य	06.05.2020/ 26.05.2020	205718	मा दुर्गा इन्टरप्राइजेज
3	नसीरुउद्दीनपुर में पिच रोड से अनिल के घर से लालबहादुर के घर तक मरम्मत	06.05.2020/ 26.05.2020	174641	मा दुर्गा इन्टरप्राइजेज
		योग -	998310.00	

(सा0आ0क्र0 - 03)

प्रस्तर - 7

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत 1961 की धारा 86 के अनुसार क्षेत्र पंचायत अपने विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करते हुए खण्ड विकास हेतु प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी जो किसी ग्राम विशेष में न होकर दो या दो से अधिक गाँवों के हितों को लाभान्वित करें। इसी प्रकार चतुर्थ राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान के उपभोग के सन्दर्भ में मार्गदर्शन सिद्धान्त का निर्धारण किया गया है, इस सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग तीन शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-3-2015 दिनांक 19 जून 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% तक व्यय क्षेत्र पंचायत की स्वयं की तथा उन्हें हस्तांतरित

सम्पत्तियों यथा प्रा०स्वा० केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि तथा विपणन गोदाम, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि के मरम्मत एवं रख रखाव पर अवश्य व्यय किया जाय तथा शेष 50% धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों / सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव एवं नये निर्माण- कार्यों पर व्यय किया जायेगा। जबकि क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि उपर्युक्त शासनादेशों का परिपालन नहीं किया गया है तथा प्रत्येक निर्माण कार्य प्राय किसी ग्राम :विशेष में ही कराये गये हैं तथा राज्य वित्त मद से प्राप्त अनुदान का मनमाने ढंग से व्यय कर वित्तीय अनियमितता की गई है।

वितरण निम्नांकित है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतान
1	परजीपार प्रा०वि० से श्यामदेव कुशवाहा के घर तक सी०सी० रोड	381181
2	सनेहुआ में पिचरोड से विनोद के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	411446
3	सुकहाँ में रामहरख मास्टर के घर से शेखर सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य	372786
4	ग्राम जीयनपुर में विनोद के घर से रामदरस के घर तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य	242908
5	कासिमाबाद मुहम्मदाबाद पिचरोड से जैनुद्दीन के घर तक सी०सी० रोड	314641
6	पिचरोड से कुटी के सिद्ध स्थान तक मिट्टी खडन्जा कार्य	134511
7	राजापुर में चन्द्रमा बिन्द के खेत से अली हसन के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य	280624
8	ग्राम दरियापुर में केदार के घर से उमा राजभर के दरवाजे तक मिट्टी खडन्जा कार्य	294567
9	विशुनपुर में करबला से रामबदन के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	302553
10	शहबाजपुर में सरजू चौहान के खेत के पास ट्रांसफार्मर से राजेन्द्र चौहान के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य	276860
11	सोनवरसा में रहीम अंसारी के घर से हफीउर्रहमान के घर तक सी०सी० रोड निर्माण तक	426683
12	हसनपुर में शरीफ के घर से जैनुलवसर के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	101941
13	चकजैनब में अजीमुल्लाह के घर से मस्जिद होते हुए वकील के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	494366
14	गंगोली में मेन पिचरोड से जे०पी० सिंह के हास्पिटल तक सी०सी० रोड निर्माण	281085
15	रसूलपुर में किसमती के ट्यूबवेल से रामचन्द्र मुनीब के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	290807
16	महेशपुर में श्यामराज के खेत से मानसिंह राजभर के ट्यूबवेल तक मिट्टी खडन्जा कार्य	291059
	योग -	4898018.00

इस प्रकार नियमों/ निर्देशों के विरुद्ध कार्य कराकर रु० 4898018 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री किशोर कुमार सिंह व लेखाकर श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं। तत्कालीन खण्ड

विकास अधिकारी श्री किशोर कुमार सिंह व लेखाकार श्री अशोक कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।
(सा0आ0क्र0 - 04)

5- क्षेत्र पंचायत - सैदपुर

ले0प0 वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 8

कार्य पत्रावलियों की जाँच करते समय प्रकाश में आया कि राज्यवित्त मद से कराये गये कई कार्यों का भुगतान करते समय 2% जी0एस0टी0 कटौती न कर रु0 29465.00 के राजकीय राजस्व की हानि कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र मौर्य एवं लेखाकार श्री दिवाकर पाण्डेय उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र मौर्य व लेखाकार श्री दिवाकर पाण्डेय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

कार्य का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की धनराशि	जी0एस0टी0 (2%)
(1) ग्राम पंचायत करमपुर में पिचरोड से नेशनल स्टेडियम तक इण्टरलाकिंग कार्य।	दीपक बि0 मै0	78287	1565.74
	टी.वी.एस.ईट उद्योग	73080	1461.60
	दीपक बि0 मै0	92895	1857.90
(2) ग्राम पंचायत करमपुर में रामसुख राजभर के घर से पोखरी तक पक्की नाली एवं इण्टरलाकिंग।	दीपक बि0 मै0	22125	442.50
	मान्या इन्टरप्राइजेज	153750	3075.00
	दीपक बि0 मै0	188929	3778.58
	टी.वी.एस.ईट उद्योग	272959	5459.18
(3) ग्राम पंचायत करमपुर में हनीफ के घर से पोखरी तक ढक्कनदार पक्की नाली।	टी.वी.एस.ईट उद्योग	195797	3915.94
	दीपक बि0 मै0	156670	3133.40
(4) ग्राम पंचायत अमेदा में गोठली नहर से पल्टूराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	सीता बि0 मै0	46766	935.32
	मा वैष्णो ईट उद्योग	131101	2622.00
(5)	टी.वी.एस.ईट उद्योग	60900	1218.00
योग -		1473259	29465.16

(सा0आ0क्र0 - 02)

प्रस्तर - 9

राज्यवित्त मद से दिनांक 07.10.2020 को रु0 62500.00 क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रधान को यात्रा भत्ता देय ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में दर्शित है। जबकि यह धनराशि वरिष्ठ सहायक श्री संतोष कुमार सिंह के नाम आहरित की गयी है एवं इसके व्यय की पुष्टि में क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रधान यात्रा भत्ता देय रजिस्टर/अन्य प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा, जिससे रु0 62500.00 देय यात्रा भत्ता की पुष्टि नहीं होती है। अतः रु0 62500.00 काल्पनिक व्यय दर्शित कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र

मौर्य से ₹0 20834.00, लेखाकार श्री दिवाकर पाण्डेय से ₹0 20833.00 तथा वरिष्ठ सहायक श्री संतोष कुमार सिंह से ₹0 20833.00 किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 03)

6- क्षेत्र पंचायत - जखनिया

ले0प0 वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 10

वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्रांट रजिस्टर-II में ₹0 1856210.00 का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नांकित ग्राम पंचायतों में स्थापित अस्थाई गोवंश आश्रयों के चारा, दवा एवं रखरखाव के मद में किया गया दर्शित है। परन्तु सम्बन्धित भुगतानों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक (वाउचर) प्राप्त नहीं किया गया है केवल डिमाण्ड नोट (माँग पत्र) के आधार पर उक्त भुगतानों को किया गया है जो सम्बन्धित पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित भी नहीं है। अतः बिना वाउचर एवं पशु चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के अभाव में किया गया भुगतान अनियमित रहा है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी सन्दीप कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार सम्पत राम उत्तरदायी है, विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है -

क- करई	- अस्थाई गोवंश आश्रय	₹0 219600.00
ख- बुढानपुर	- अस्थाई गोवंश आश्रय	₹0 113730.00
ग- जलालाबाद	- अस्थाई गोवंश आश्रय	₹0 969980.00
घ- बेलहरा	- अस्थाई गोवंश आश्रय	₹0 552900.00
		₹0 1856210.00

(सा0आ0क्र0 - 03)

प्रस्तर - 11

आलोच्य वर्ष 2020-21 के ग्रांट रजिस्टर द्वितीय के निम्नांकित तिथियों में 15वाँ वित्त आयोग मद से ₹0 1355834.00 का भुगतान विभिन्न निर्माण कार्यों पर किया गया दर्शित है। परन्तु बार-बार पत्राचार एवं माँगे जाने के बाद भी उक्त निर्माण कार्यों की वाद पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में काल्पनिक निर्माण कार्य दर्शित कर पन्द्रहवाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का दुरुपयोग खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री सम्पति राम के मिलीभगत से किया गया है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव से ₹0 677917.00 व लेखाकार श्री सम्पति कुमार से ₹0 677917.00 किया जाना अपेक्षित है।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	12.03.2021	658408	वि०ख० परिसर में सामुदायिक शौचालय निर्माण	मे0 पार्थ कन्स्ट्रक्शन आगासानी
2	04.03.2021	507450	जखनियाँ गोविन्द के ब्लाक संसाधन केन्द्र में सामुदायिक शौचालय निर्माण	मे0 पार्थ कन्स्ट्रक्शन आगासानी
3	12.03.2021	189976	जखनियाँ गोविन्द में राजकुमार पाण्डेय के घर से ब्लाक बाउण्ड्री तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	मे0 पार्थ कन्स्ट्रक्शन आगासानी
	योग -	1355834		

(सा0आ0क्र0 - 04)

7- क्षेत्र पंचायत - जमानिया

ले0प0 वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 12

व्यय प्रमाणक / कार्य पत्रवाली का प्रस्तुत न किया जाना -

(अ) राज्य वित्त - आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त मद में प्रारम्भिक शेष रु. 2653580.00 था एवं वर्ष में रु 19979968.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार वर्ष में उपलब्ध कुल रु 22633548.00 के सापेक्ष रु 18753810.00 व्यय किया गया तथा वर्षांत में रु 3879738.00 शेष रह गया।

राज्य वित्त मद से मानदेय, निर्माण व मरम्मत कार्यों पर रु. 18753810.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रवाली / प्रमाणक / बिल / बाउचर/ मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे जिससे उक्त व्यय धनराशि रु. 18753810.00 अपुष्टित रही। इस प्रकार समस्त धनराशि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। अतः तत्कालीन लेखाकार श्री संजय गुप्ता व खण्ड विकास अधिकारी श्री हरी नारायण से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ब) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना - अनुदान पंजिका के अनुसार इस मद में प्रारम्भिक अवशेष रु 154275.00 था, तथा वर्ष में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं रहा जबकि इस मद में से रु 150430.00 व्यय दर्शित है। इस धनराशि के सापेक्ष कोई प्रमाणक / बिल / बाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा जिससे उक्त व्यय धनराशि रु 150430.00 अपुष्टित रही। इस प्रकार समस्त धनराशि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। अतः तत्कालीन लेखाकार श्री संजय गुप्ता व खण्ड विकास अधिकारी श्री हरी नारायण से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(स) अनुदान पंजिका के अनुसार टेन्डर फॉर्म बिक्री मद में व्यय रु. 25406 किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय से संबंधित अनुदान पंजिका के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे फलतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार इस मद में व्यय धनराशि रु. 25406.00 धनराशि व्यय प्रमाणक/पत्रवाली के अभाव में अपुष्टित रही। इस प्रकार समस्त धनराशि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। अतः तत्कालीन लेखाकार श्री संजय गुप्ता व खण्ड विकास अधिकारी श्री हरी नारायण से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(द) पंद्रहवाँ वित्त - आलोच्य वर्ष में पंद्रहवाँ वित्त मद में प्रारम्भिक शेष रु. शून्य था एवं वर्ष में रु 24019491.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार वर्ष में उपलब्ध कुल रु 24019491.00 के सापेक्ष रु 17472120.00 व्यय किया गया तथा वर्षांत में रु 6547371.0 शेष रह गया।

पंद्रहवाँ वित्त मद से , निर्माण व मरम्मत कार्यों पर रु 17472120.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रवाली / प्रमाणक / बिल / बाउचर आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त व्यय धनराशि रु. 17472120.00 अपुष्टित रही। इस प्रकार समस्त धनराशि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। अतः तत्कालीन लेखाकार श्री संजय गुप्ता व खण्ड विकास अधिकारी श्री हरी नारायण से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 - 02)

प्रस्तर - 13

आयकर कटौती - अनुदान पंजिका के अनुसार आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा आयकर की कटौती मद में प्रारम्भिक शेष रु.16219.00 और वर्ष में काटी गई धनराशि रु. 560401.00 दर्शित है, परंतु मात्र रु 267511.00 जमा किया जाना दर्शित किया जा रहा है और वर्षांत शेष धनराशि रु. 309109.00 दर्शित की जा रही है। संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से आयकर की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं करके दुरुपयोग की गई है। इस प्रकार आयकर कटौती के अंतर्गत काटी गई कुल धनराशि रु. 576620.00 का दुरुपयोग

किया गया है। इस हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री संजय गुप्ता व खण्ड विकास अधिकारी श्री हरी नारायण उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरी नारायण से रु० 288310.00 व लेखाकार श्री संजय गुप्ता से रु० 288310.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र०- 03)

प्रस्तर - 14

जी० एस० टी० कटौती - अनुदान पंजिका के अनुसार आलोच्य वर्ष में रु० 571072.00 जी०एस० टी० कटौती की गई है। और प्रारम्भिक शेष रु० 16223.00 कुल रु० 576620.00 के सापेक्ष राजकोष में मात्र रु० 267511.00 जमा अंकित है। और जमा का कोई प्रमाणक चालान/रिटर्न भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। वर्षांत रु० 309093.00 अवशेष दर्शित किया जा रहा है। संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उलंघन कर मनमाने ढंग से जी०एस०टी० की धनराशि काट कर राजकोष में जमा न करके कुल धनराशि रु० 571072.00 का दुरुपयोग किया गया है। इस दुरुपयोग हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री संजय गुप्ता व खण्ड विकास अधिकारी श्री हरी नारायण उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में लेखाकार श्री संजय कुमार गुप्ता से रु० 285536.00 व खण्ड विकास अधिकारी श्री हरी नारायण से रु० 285536.00 किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र० - 04)

8- क्षेत्र पंचायत - भदौरा

ले०प० वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 15

अनुदान पंजिका के अनुसार आलोच्य वर्ष में आयकर कटौती मद में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 108412.00 के सापेक्ष किसी भी प्रकार की कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे आयकर मद में व्यय धनराशि रुपये 108412.00 की पुष्टि की जा सके। जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पत्रावली प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख प्रमाणक उपलब्ध न क /राये जाने स्थिति में स्पष्ट है की उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के 177-के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 174 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री संजय कुमार गुप्ता एवं कन्हैया सिंह दायित्व निर्धारण किया जाता है नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र० - 02)

प्रस्तर - 16

अनुदान पंजिका के अनुसार आलोच्य वर्ष में जी एस टी मद में कुल रुपये 108410.00 व्यय दर्शित है। लेकिन आलोच्य वर्ष के किसी भी प्रकार की कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे आयकर मद में व्यय धनराशि रुपये 108410.00 की पुष्टि की जा सके। जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अभिलेख प्रमाणक / उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में स्पष्ट है की उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) के 177 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 174 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा व लेखाकार श्री संजय गुप्ता एवं कन्हैया सिंह का दायित्व निर्धारण किया जाता है नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र० - 03)

प्रस्तर - 17

अनुदान पंजिका के अनुसार आलोच्य वर्ष में लेबर सेस की धनराशि मद में कुल रुपये 28526.00 व्यय दर्शित है। लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष किसी भी प्रकार की कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे लेबर सेस की धनराशि मद में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 28526.00 की पुष्टि की जा सके। जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत

कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अभिलेख प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के 174 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री संजय गुप्ता एवं श्री कन्हैया सिंह का दायित्व निर्धारण किया जाता है। नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 - 04)

प्रस्तर - 18

अनुदान पंजिका के अनुसार आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त के मद में आलोच्य वर्ष में व्यय रुपये 10179610.00 दर्शित है। लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष किसी भी प्रकार की कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे चतुर्थ राज्य वित्त मद में व्यय धनराशि रुपये 10179610.00 की पुष्टि नहीं की जा सके। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अभिलेख प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में स्पष्ट है कि उक्त धनराशि गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। अतः उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री संजय गुप्ता एवं श्री कन्हैया सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 - 05)

प्रस्तर -19

अनुदान पंजिका के अनुसार आलोच्य वर्ष में पंचम राज्य वित्त के मद में रुपये 2784335.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष किसी भी प्रकार की कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे पंचम राज्य वित्त आयोग मद में व्यय धनराशि रुपये 2784335.00 की पुष्टि की जा सके। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अभिलेख प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में स्पष्ट है कि उक्त धनराशि गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। अतः उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री संजय गुप्ता एवं श्री कन्हैया सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 06)

प्रस्तर - 20

अनुदान पंजिका के अनुसार आलोच्य वर्ष में 15वाँ वित्त आयोग (केन्द्रीय) के मद में कुल रुपये 6791058.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अभिलेख प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में स्पष्ट है कि उक्त धनराशि गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। अतः उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा व लेखाकार श्री संजय गुप्ता एवं श्री कन्हैया सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 - 07)

9- क्षेत्र पंचायत - भावरकोल

ले0प0 वर्ष - 2020-21

प्रस्तर -21

अनुदान पंजिका के अनुसार आयकर में काटी गई धनराशि रु. 286003.00 के सापेक्ष रु. 67269.00 को आयकर विभाग में जमा किया जाना दर्शित है, परन्तु लेखा परीक्षा में आयकर कटौती के जमा का कोई चालान/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में जमा धनराशि का चेक कई बार वापस / रिजेक्ट हो चुका है। इससे स्पष्ट है संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से आयकर की कटौती और जमा दर्शित की जा रही है जिससे आयकर कटौती की धनराशि के राजकोष में जमा का कार्य संदिग्ध हो जाता है। अभिलेख

/ प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में स्पष्ट है की उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री हरिशंकर प्रसाद का दायित्व निर्धारण किया जाता है। स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 - 02)

प्रस्तर - 22

जी एस टी कटौती - संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में जीसटी मद में रु. 248793.00 कटौती करके रु. 54119 जमा दर्शित किया जा रहा है परंतु जमा के संदर्भ में कोई भी प्रमाणक यथा चालान/जमा रसीद आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में स्पष्ट है की उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री हरिशंकर प्रसाद का दायित्व निर्धारण किया जाता है। स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 - 03)

प्रस्तर - 23

व्यय प्रमाणक कार्य पत्रवाली / का प्रस्तुत न किया जाना -

(1) आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा सांसद निधि से रु. 374193.00 व्यय किया जाना अनुदान पंजिका में दर्शित है, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित कोई भी फाइल प्रस्तुत नहीं रही। अतः रुपये 374193.00 के व्यय संबंधी प्रमाणक न होने से उक्त की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेख/प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में स्पष्ट है की उक्त धनराशि गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। अतः उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री हरिशंकर प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(2) आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा निराश्रित गो वंश चारा मद से रुपये 200000.00 (दो लाख) व्यय किया जाना अनुदान पंजिका में दर्शित है परंतु लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई भी फाइल/पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। अतः रुपये 200000.00 के व्यय संबंधी प्रमाणक न होने से उक्त की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में स्पष्ट है की उक्त धनराशि गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। अतः उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री हरिशंकर प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(3) आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा पन्द्रहवाँ वित्त मद (अन टाइड फंड) मद में प्रारम्भिक शेष रु0 शून्य था एवं वर्ष में प्राप्त रु0 8800551 प्राप्त हुआ। इस प्रकार वर्ष में उपलब्ध कुल रु0 8800551 के सापेक्ष रु0 6364476.00 व्यय किया गया तथा वर्षांत में रु0 2436075 शेष रह गया।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित कोई भी फाइल प्रस्तुत नहीं रही। अतः रु. 6364476.00 के व्यय संबंधी प्रमाणक न होने से उक्त की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति स्पष्ट है की उक्त धनराशि गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। अतः उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री हरिशंकर प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 - 04)

10-क्षेत्र पंचायत - मुहम्मदाबाद

ले0प0 वर्ष - 2019-20 से 2020-21

प्रस्तर -24

वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त से 12 कार्य तथा सांसद निधि से 06 कार्य तथा वर्ष 2020-21 में रा0वि0 से 24 कार्य तथा क्रिटीकल गैस से 1 कार्य कुल 43 निर्माण कार्य दर्शित है। जिनमें से प्रत्येक निर्माण कार्य पर

तीन-तीन निविदाएं प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक निविदा फार्म का मूल्य 500 रु0 है। इस प्रकार वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में (43x3x500) कुल रु0 64500 की आय होनी चाहिए। जिनमें से वर्ष 2019-20 में मात्र 7150 तथा वर्ष 2020-21 में मात्र रु0 12000 कुल रु0 19150 दर्शित है। इस प्रकार रु0 45350 कम दिखाकर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री सुशील कुमार सिंह और सहायक लेखाकार श्री विनय राय उत्तरदायी है। वित्तीय अनियमितता के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 02)

प्रस्तर - 25

- वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त मद से ग्राण्ट रजि0 द्वितीय के अनुसार कुल 5 कार्य। जिनका विवरण निम्न है-
- 1- मोहनपुरा में मिथिलेश के घर से संत रविदास जी तक इण्टरलाकिंग कार्य - रु0 422918
 - 2- खेमपुर में रामाश्रय के घर से बंशीधर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य - रु0 452879
 - 3- रजौली में पीच रोड से रामवृक्ष के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य - 435259
 - 4- सादिकपुर में मुहम्मदाबाद मेन रोड से बृजनाथ यादव के घर तक यू टाइप नाली व इण्टरलाकिंग - 281207
 - 5- रजेला में लालू राजभर के खेत से काली मां के मन्दिर तक सी0सी0 निर्माण - रु0 502057

पर विभिन्न तिथियों में कुल रु0 2094320 ग्राण्ट रजि0 द्वितीय में दर्शित है। बार-बार मांग के बावजूद भी लेखा परीक्षा में इसकी कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। पत्रावली प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री विनय कुमार राय द्वारा रु0 2094320 की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 03)

प्रस्तर - 26

वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य हैंसी में प्रकाश यादव के घर से सुबेदार यादव के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य में प्रस्तुत कार्य पत्रावली में दो मस्टरोल जिनकी संख्या 173, 174 है दर्शित है जिन पर कुल रु0 82866.00 दर्शित है। लेकिन लेखा परीक्षा में केवल एक मस्टरोल ही प्रस्तुत किया गया जो रु0 4017.00 का है। शेष रु0 78849.00 का मस्टरोल बार-बार मौखिक मांग के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने से वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह व लेखाकार श्री विनय कुमार राय एवं कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 04)

प्रस्तर - 27

अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार वर्ष 2020-21 में आयकर से रु0 271774 प्राप्त हुए तथा प्रारम्भिक अवशेष रु0 151215 कुल धनराशि रु0 422989 को दिनांक 31-03-2021 तक जमा नहीं कराया गया है तथा रोककर दुरुपयोग की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह व लेखाकार विनय कुमार राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 05)

प्रस्तर - 28

अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार वर्ष 2020-21 में जी0एस0टी0 से प्राप्त धनराशि रु0 243719 तथा प्रारम्भिक अवशेष रु0 149937 था जो कुल धनराशि रु0 393656 था, जिससे वर्ष में रु0 196162 जमा किया गया तथा शेष रु0 197494 जमा न करके दुरुपयोग की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह व लेखाकार श्री विनय कुमार राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 06)

प्रस्तर -29

वर्ष 2020-21 में क्रिटिकल गैप्स मद से गा0 पं0 गौसपुर में शम्भू यादव के घर से कार्य पर दिनांक 11-09-2019 को दो चेको (28651/028652) के माध्यम से कुल रु0 294033 ग्राण्ट रजि0 द्वितीय में व्यय दर्शित है। अस्तु

बार-बार मांगने के बाद भी लेखा परीक्षा में इसकी कार्य पत्रावली प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि बिना कार्य कराये ही भुगतान कर दिया गया है। अतः खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह व लेखाकार श्री राजकुमार केशरी द्वारा रु0 294033 की गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0- 07)

प्रस्तर -30

वर्ष 2020-21 में सामाग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय जमानत धनराशि के रूप में रु0 869472 की वापसी की गयी है, जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब कितनी-कितनी और किन-किन माध्यमों से की गयी या नहीं की गयी। कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाय। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह व लेखाकार श्री विनय कुमार राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। (सा0आ0क्र0 - 09)

11-क्षेत्र पंचायत - बिरनो

ले0प0 वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 31

सहादतपुर में बहम बाबा के स्थान से संजय यादव के घर तक सी0सी0 रोड में टेन्डर की प्रक्रिया नहीं की गयी है। टेन्डर प्रक्रिया न होने से कार्य पर सामाग्री का भुगतान मनमाने ढंग से विभागीय नियमों के विरुद्ध की गयी है।

उपरोक्त कार्य पर आयकर, जी0एस0टी0, जमानत की राशि का पूर्ण योग 20350/- रु0 बाउचर पर दर्शित है। कुल धनराशि रु0 176268 में से 20350 रु0 काटकर शुद्ध भुगतान 145918.00 होना चाहिए। परन्तु बाउचर का टोटल भुगतान 166268.00 किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि रु0 20350.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप से रु0 10175.00 व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी से रु0 10175.00 किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त कार्य पर जे0पी0वाई ईट उद्योग को कुल भुगतान रु0 87475 बाउचर पर दर्शित है। जिसके आयकर, जी0एस0टी0 जमानत की कुल रु0 10906.00 बाउचर दर्शित है। इसे काटकर शुद्ध भुगतान 76569.00 का होना चाहिए जबकि आर्डर सीट पर संस्था द्वारा दिनांक 08-12-2020 को 76768.00 का भुगतान दर्शित किया गया है। संस्था द्वारा 199.00 रु0 का अधिक भुगतान कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अधिक भुगतानिक राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 04)

प्रस्तर -32

गोपालपुर में चन्दा के ट्यूबवेल से धीरज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य टेन्डर की कार्यवाही नहीं की गयी है न ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र है न ही टेन्डर स्वीकृति का तुलनात्मक चार्ट लगा है।

उक्त कार्य पर मा0 रोल सं0-9335 जो 11-03-2021 से 16-03-2021 तक का 20 मजदूरों का है वह मात्र मस्टर रोल बनाकर लेवर/मिस्त्री का नाम लिखकर रु0 28890.00 आहरण एडीओ आईएसबी द्वारा किया गया है। उपरोक्त धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन कार्य प्रभारी एडीओ आईएसबी रामराज कुशवाहा से रु0 14445.00 व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी से रु0 14445.00 किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 08)

प्रस्तर - 33

चौथी में डीह बाबा के स्थान से लेकर फेकू यादव तक मिट्टी खडण्जजा की पत्रावली की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त पत्रावली में उक्त कार्य पर सामाग्री आदि का भुगतान दर्शित है उक्त कार्य पर का भुगतान एडीओ आईएसबी को होता दर्शित है। लेकिन उक्त धनराशि के सापेक्ष कोई भी मा0 रोल पत्रावली में दर्शित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बिना लेवर, मिस्त्री के किस रूप से कार्य कराया गया तथा बिना मा0 रोल के भुगतान रु0 30399.00 अपने नाम से एडीओ आईएसबी द्वारा करा लिया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण एडीओ आईएसबी एवं लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप/श्रीमती प्रीति सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 09)

प्रस्तर -34

हरदासपुर में सोमारू लोहर के घर से दीना राजभर के घर तक सी0सी0 रोड के टेन्डर का पेपर नहीं लगा है एक ही प्रोपराइटर के एक ही जी0एस0टी0 का दो बाउचर लगाकर उसकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। जो नियमानुसार गलत है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के समय पत्रावली में उपलब्ध नहीं था इससे स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी तथा लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी तथा विकास खण्ड अधिकारी प्रीति सिंह/संदीप द्वारा अनियमित रूप से कार्य कराया गया है तथा इनके लोगों द्वारा रु0 378297.00 अनियमित ढंग से व्यय किया गया है। अतः विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 10)

प्रस्तर - 35

भिखानपुर में साथीपुर पीच रोड से बुद्धिराम पाली के घर होते हुए रामकरन के घर तक खण्डजा एवं मिट्टी के कार्य पर टेन्डर प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। मनमाने ढंग से अपने करीबी को भुगतान किया गया है। जब टेन्डर हुआ ही नहीं तो सामग्री का भुगतान किस नियम के तहत किया गया उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक पत्रावली बनाकर कार्य पर भुगतान दर्शित कर धनराशि रु0 227979.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए पूर्ण रूप से खण्ड विकास अधिकारी कार्य प्रभारी श्री संदीप/श्रीमती प्रीति सिंह व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तथा वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 11)

प्रस्तर - 36

गजपतपुर में पीच रोड सदानन्द के घर होते हुए रामानन्द दुकान तक खण्डजा मरम्मत कार्य पर प्रभारी ए0डी0ओ0 समाज कल्याण का आदेश लेकिन अधिक भुगतान मनोज कुमार ग्राम विकास अधिकारी के नाम किया गया है जो नियमानुसार गलत है। इससे स्पष्ट है कि श्रमिक भुगतान मनोज कुमार ग्राम विकास अधिकारी को द्वारा धनराशि रु0 103305.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप से रु0 51652.50 व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी से रु0 51652.50 किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 12)

प्रस्तर - 37

गोपालपुर में रामबचन के पल्लीपुर पोखरी तक नाला खुदाई कार्य पर चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल का फर्म स्वीकृत है। लेकिन पत्रावली में चौधरी इण्टर प्राइजेज का भुगतान बाउचर लगा है। चौधरी इण्टरप्राइजेज को कुल भुगतान 113121 है। बाउचर क्रमांक 446 दिनांक 02-11-20 पर आयकर 2534, जी0एस0टी0 2262 जमानत 9050 की कटौती की गयी है। परन्तु पेमेन्ट वाई नं0-ब012132030046 दिनांक 30-01-2021 को 116828 का चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल को किया गया है। रु0 3707 का अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप से रु0 1853.50 व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी से रु0 1853.50 किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 13)

प्रस्तर - 38

वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि निविदाताओं से शपथ पत्र तथा जमानत राशि, जी0एस0टी0 तथा आयकर के रूप समस्त कार्यों से सामग्री बाउचर से कटौती की गयी है।

(1) वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार जमानत मद से 54000 रु0 व्यय किया गया है। परन्तु यह धन सरकार के खाते में जमा हुआ कि नहीं इसके प्रमाण के रूप में लेखा परीक्षा में सी0टी0आर0 अप्रस्तुत रहा। जिससे इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। यह मात्र अनुदान पंजी पर जमा किया जाना दर्शित है। इसमें स्पष्ट है कि उक्त धनराशि मात्र ग्रांट तृतीय पर दर्शित कर खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अपहरण किया है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप से रु0 27000.00 व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी से रु0 27000.00 किया जाना अपेक्षित है।

(2) वर्ष 2020-21 में जमानत मद में कुल धन 484871/- प्राप्त हुआ है। ग्रांट पंजी तृतीय में जमानत मद में मात्र 5000.00 रु0 दर्शित है। शेष रु0 479871/- किस मद में या कहा रखा गया इसका कोई प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि रु0 479871/- अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप/श्रीमती प्रीति सिंह से रु0 239935.50 व लेखाकार ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी से रु0 239935.50 किया जाना अपेक्षित है।

(3) वर्ष 2021 में लेखा परीक्षा में यह विभिन्न कार्यों पर लगे सामग्री पर आयकर की कटौती कुल रु0 182968.00 की गयी है। लेकिन उक्त धनराशि ग्रांट तृतीय में आयकर मद में दर्शित नहीं है। तथा ग्रांट तृतीय में आयकर मद का उल्लेख भी नहीं किया गया है और न ही लेखा परीक्षा के समय आयकर जमा से सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि मात्र कटौती कर लेखाकार ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप/श्रीमती प्रीति सिंह से रु0 91484.00 व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी से रु0 91484.00 किया जाना अपेक्षित है।

(4) वर्ष 2020-21 में कार्यों पर लगे सामग्री पर जी0एस0टी0 की कटौती रु0 142083.00 की गयी है। लेकिन उक्त धनराशि का ग्रांट तृतीय या कहीं भी उल्लेख लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया गया कि उक्त धनराशि मात्र बाउचर पर कटौती कर सम्पूर्ण धनराशि लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप/ श्रीमती प्रीति सिंह से रु0 71041.50 व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी से रु0 71041.50.00 किया जाना अपेक्षित है।

(5) वर्ष 2020-21 में कुल कार्य की 30 पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी हर कार्य पर सामग्री हेतु टेन्डर की प्रक्रिया की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। हर टेन्डर कार्य 200 रु0 में दिया गया। जब एक कार्य पर तीन कार्यों का टेन्डर लिया गया है। एक कार्य पर 600.00 रु0 टेन्डर कार्य का लिया गया है सम्पूर्ण वर्ष में 30 कार्य पर $30 \times 3 = 90$ टेन्डर 200 के दर से 18000 लिया गया। परन्तु उक्त धनराशि कहा जमा की गयी या किस मद में जमा की गयी। उक्त धनराशि के संबंध में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु0 18000 टेन्डर से प्राप्त कर लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी तथा विकास खण्ड अधिकारी प्रीति सिंह/संदीप द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती प्रीति सिंह/श्री संदीप से रु0 9000.00 व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी से रु0 9000.00 किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 21)

12- क्षेत्र पंचायत - बाराचवर

ले0प0 वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 39

आयकर कटौती -आयकर अधिनियम की धारा 200 के सोत्र पर काटी गई धनराशि को केन्द्रीय सरकार के कोष में निर्धारित समय अवधि के अन्दर जमा कराना होता है।

आलोच्य वर्ष में सामग्री खरीद के बिल से कुल रुपये 924924.00 की कटौती सुनिश्चित की गई है लेकिन इसे लेखा परीक्षा तिथि तक नियमित रूप से जमा न कर दुरुपयोग की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवाँकित वर्मा और लेखाकार श्री रवींद्र प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी है। उक्त धनराशि जमा किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0क्र0 - 02)

प्रस्तर - 40

जीएसटी एक्ट के अनुसार 2 प्रतिशत दर से टीडीएस की कटौती किया जाना है। आलोच्य वर्ष 20-21 में सामग्री खरीद के बिल से 2% की दर से जीएसटी टीडीएस की कुल रुपये 510586.00 की कटौती सुनिश्चित की गई है जिसमे से रुपये 208382.00 जमा किये गए है। ग्रांट तृतीय के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष 517122 रु0 थे। इस प्रकार अवशेष रुपये 820026.00 लेखा परीक्षा तिथि तक नियमानुसार नियमित रूप से जमा न कर दुरुपयोग की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवाँकित वर्मा और लेखाकार श्री रवींद्र प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी धनराशि जमा किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0क्र0 - 03)

प्रस्तर - 41

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्रांट 2 और 3 के अनुसार केन्द्रीय वित्त मद में कुल रुपये 10845146.00 का व्यय दर्शित है, लेकिन लेखा परीक्षा में इस व्यय के सापेक्ष कोई भी निर्माण मरम्मत पत्रावली उपलब्ध नहीं कारायी गई है।

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री	फर्म	मजदूरी
1	बेनी पुर मेन सड़क से बीबीपुर खड़जा मरम्मत	678340	आर्या इन्टर प्रा0	287945
2	सिसई टौफिर प्राथमिक विद्यालय से चौहान	340419	आर्या इन्टर प्रा0	109099
3	ताजपुर बाजार सुंदरीकरण	739460	आर्या इन्टर प्रा0	78243
4	अतौली मे मेन पिच रोड से अं0 स्थल तक इन0	841628	आर्या इन्टर प्रा0	118144
5	उपाध्याय पुर से चौथी बांध तक खड़जा म0	680423	आर्या इन्टर प्रा0	285528
6	ब्लॉक परिसर मे सामुदायिक शौचालय	755276	आर्या इन्टर प्रा0	144110
7	अमवा सती स्थान पर सामुदायिक शौचालय	755276	आर्या इन्टर प्रा0	144110
8	नसीराबाद मे विहान सिंह राजेन्द्र सिंह सीसी रोड	544528	आर्या इन्टर प्रा0	107300
9	दिलशादपुर मे प्राथमिक वि0 दुर्गा म0 ई0	345699	आर्या इन्टर प्रा0	36900
10	ब्लॉक मे इंटरलॉकिंग कार्य	896998	आर्या इन्टर प्रा0	60750
11	बददोपुर मे सामुदायिक शौचालय	755276	आर्या इन्टर प्रा0	144110
12	बीबी पुर मे काली स्थान प्राथमिक विद्यालय ख0	218578	आर्या इन्टर प्रा0	64350
13	मूसेपुर मे पिच से रामनिवास घर तक ई0	258889	आर्या इन्टर प्रा0	28630
14	बरेजी मे प्राथमिक वि0 हनुमान मंदिर ई0	609584	आर्या इन्टर प्रा0	66080
15	सेमऊर मे मेन रोड से जयशंकर के दरवाजे ई0	121034	आर्या इन्टर प्रा0	11650
16	सलहरखान से मोहब्बतपुर रोड तक खड़जा	476215	आर्या इन्टर प्रा0	-
17	नाली काशी नाथ इंटरनेशनल प0 स्कूल	101544	-	-

18	शेरपुर मे मिन्दु सिंह के दरवाजे से अखिलेश ई0	-	-	39030
	सम्पूर्ण योग	9119167	-	1725979
			10845146.00	

उपर्युक्त भुगतान के सापेक्ष निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली टेंडर कोटेशन, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय तकनीकी) अनुमति, कार्यदेश, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, त्रिस्तरीय फोटो, निरीक्षण पत्रावली आदि) लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसे प्रमाणक विहीन व्ययगंभीर अनियमितता की श्रेणी मे आते है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवांकित वर्मा और लेखाकार श्री रवींद्र प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 - 04)

13- क्षेत्र पंचायत - करण्डा

ले0प0 वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 42

वर्ष 2021-21 में कराये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित कुल 16 परियोजनाओं की सामाग्रियों के मुख्य सापेक्ष जी०एस०टी० की धनराशियाँ सम्पूर्ण रूप से कटौती नहीं पायी गयी। वर्ष आलोच्य में क्रय दर्शित रु0 4514288 (परिशिष्ट 2 में) के सामाग्रियों के सापेक्ष मात्र रु0 38242 की जी०एस०टी० की कटौती की गई है जबकि निर्माण सामाग्रियों की धनराशि के सापेक्ष 2 प्रतिशत की दर से 90286 जी०एस०टी० की धनराशि आती है। तदनुसार 90286-38242= 52044 से जी०एस०टी० की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से रहा। यह भी उल्लेखनीय है कि काटी गई जी०एस०टी० की धनराशि रु0 38242 नियत शीर्ष में जमा न कर रोक रखकर दुरुपयोग किया जा रहा है। जी० एस ०टी० जमा किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0 -06)

प्रस्तर -43

वर्ष आलोच्य 2021 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत रु0 14775.00 अनुदान की धनराशि व्यय दर्शित की गई है। किन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। अतः इस व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष आलोच्य में सामूहिक विवाह योजना क्रियान्वित होने की भी कोई पुष्टि नहीं होती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा से रु0 7387.50 व लेखाकार श्री शोभनाथ यादव से रु0 7387.50 किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 09)

प्रस्तर - 44

आयकर की कटौती लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित निर्माण सामाग्रियों के भुगतान के सापेक्ष कुल रु0 99536.00 की गई है। इस राजकीय राजस्व की स्थिति अनुदान पंजी के अनुरूप तैयार किये गए आय-व्यय विवरणी के अनुसार निम्नवत पाई गयी।

प्रारम्भिक शेष	वर्ष में की गई कटौती	वर्ष में जमा	वर्षान्त में शेष
75787	99536	134068	41255

उपरोक्त विवरण के अनुसार 134068 वर्ष में जमा दर्शित धनराशि की पुष्टि जमा चालान के अभाव में नहीं की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि आयकर की धनराशियाँ सम्पूर्ण रूप में जमा न कर रोक रखकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। वर्ष 20-21 में रोक रखी गई धनराशि 41255.00 से दुरुपयोगित पाई गई। तत्काल नियत शीर्ष में जमा कराया जाना आवश्यक है। अतः विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0 - 05)

प्रस्तर - 45

वर्ष 2020-21 में कराये गए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित चतुर्थ रा०वि०/पंचम रा०वित्त के कुल 16 परियोजनाओं के सापेक्ष लेखाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रावलियों से तैयार सूचना के अनुसार सामग्री एवं श्रम की धनराशियाँ निम्नानुसार पाई गई।

सामग्री	श्रम	योग
4514288	1231494	5745782

जबकि अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार चतुर्थ रा०वि०/ पंचम रा०वि० के अन्तर्गत व्यय की धनराशि रु० 5922932.00 आती है। अतः 5922932-5745782 = 177150 से अनुदान पंजी तृतीय में दर्शित व्यय की धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित 50:50 के अनुपात में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा खण्ड विकास अधिकारी से रु० 88575.00 व लेखाकार श्री शोभनाथ यादव से रु० 88575.00 किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-07)

प्रस्तर - 46

चतुर्थ रा०वि०/पंचम रा०वि० योजना से सम्बन्धित निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति कर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री मूल्य से 10 प्रतिशत की दर से जमानत की धनराशि अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार 395755 कराई गई है जो प्रस्तुत परियोजनाओं की पत्रावली से भी पुष्टि है। तथा आपूर्ति कर्ताओं की जमानत की धनराशियों के सापेक्ष रु० 608571 जमानत की धनराशि वापस दर्शित है। लेखा परीक्षा में जमानत सम्बन्धित आपूर्ति कर्ताओं का लेजर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वापस दर्शित धनराशि रु० 608571 की पुष्टि नहीं की जा सकी। तथा यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि आपूर्ति कर्ताओं की प्रा० जमा शेष वर्ष कटौती एवं वापसी के पश्चात वर्षान्त शेष की स्थिति क्या रही। लेजर प्रस्तुत कर वापसी की धनराशि की पुष्टि के साथ-साथ अवशेष की स्थिति स्पष्ट करायी जानी आवश्यक है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०क्र० - 10)

प्रारूप-4

क्षेत्र पंचायत - बदलापुर

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-1 आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने के उपरांत ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। आयकर की काटी गई धनराशि को निर्धारित समय के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष- 21 में जमा किए जाने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होता है। ऐसा किए जाने से विफल रहने से पर आहरण वितरण अधिकारी पर न कटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किए जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावाश के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है -

लेखा परीक्षा वर्ष में रु० 405336.81 की टी०डी०एस० कटौती की गयी। किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा से संबंधित कोई भी चालान/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 405336.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गौरवेन्द्र सिंह एवं लेखाकार सिद्धार्थ कुमार उत्तरदायी है।

अतः इस धनराशि रु० 405336.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गौरवेन्द्र सिंह एवं लेखाकार सिद्धार्थ कुमार की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित हैं-

प्रस्तर-2 लेखा परीक्षा वर्ष में ₹0 450693.12 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी । किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा से संबंधित कोई भी चालान/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 450693.12 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गौरवेन्द्र सिंह एवं लेखाकार सिद्धार्थ कुमार उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि ₹0 450693.12 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गौरवेन्द्र सिंह एवं लेखाकार सिद्धार्थ कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित हैं

प्रस्तर-3 उपरोक्त दर्शित कार्य के फाइल/पत्रावली जांच में निम्नलिखित कमियां पायी गई-

क्र० स०	कार्य का नाम	बाउचर न० /दिनांक	सामग्री	कटौतिया		शुद्ध भुगतान	मोड आफ पैमेंट		
			धनराशि	टीडीएस 2.24 %	जी0एस0टी0		चेक	दिनांक	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता
1	पहेतियापुर ब्राह्मण बस्ती से दक्षिण सर्वेश पाण्डेय के घर तक इंटरलाकिंग	109/12.03.2021	95792	2145.75	1915.84	91731	पीएफएमएस	17/03/2021	दिलीप कुमार, सुरेन्द्र कुमार , ईट भट्टा
		11/11.03.2021	319852	7164.7	6397.04	306291	पीएफएमएस	17/03/2021	अस्था इण्टरप्राइजेज
2	विकास खण्ड परिसर में सामुदायिक शौचालय निर्माण	178/20.2.2021	126313	2829.42	2526.26	120957	पीएफएमएस	17/03/2021	एम एस इण्टरप्राइजेज
		179/21.2.2021	83964	1880.8	1679.28	80404	पीएफएमएस	17/03/2021	एम एस इण्टरप्राइजेज
		181/21.2.2021	18543	415.36	370.86	17757	पीएफएमएस	17/03/2021	एम एस इण्टरप्राइजेज
		182/23.2.2021	40298	902.67	805.96	38589	पीएफएमएस	17/03/2021	एम एस इण्टरप्राइजेज
		401/23.2.2021	115359	2584	2307	110468	पीएफएमएस	17/03/2021	एम एस इण्टरप्राइजेज
		309/20.2.2021	85814	1922	1716	82175	पीएफएमएस	17/03/2021	दिव्यांश ,ईट उद्योग
		892/26.2.2021	96537	2162.43	1930.74	92444	पीएफएमएस	17/03/2021	दिव्यांश , ईट उद्योग
3	रामपुर में जोखानालाल मौर्या के घर से वीरेंदर	104/10.3.2021	99937	2238.58	1998.74	95699	पीएफएमएस	17/03/2021	कमला देवी बिल्डिंग मैटेरियल
		105/10.3.2021	168504	3774.48	3370.08	161359	पीएफएमएस	17/03/2021	कमला देवी बिल्डिंग मैटेरियल

पाण्डेय के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	4/9.3.2021	68880	1542.91	1377.6	65959	पीएफएमएस	17/03/2021	राम ईंट उद्योग

- 1- उपरोक्त दर्शित किसी भी कार्य का मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई प्रमाणक नहीं है।
- 2- कार्य के प्रारम्भ/मध्य एवं समाप्ति का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।
- 3- धनराशि भुगतान के लिये कार्यप्रभारी/जे0ई0 का अनुशंसा नहीं है।
- 4- किसी भी बिल/बाउचर को बी0डी0ओ0 द्वारा पेड एवं कैंसिल नहीं किया गया है।
- 5- स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा।
- 6- कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न /प्राप्त नहीं रहा।
- 7- एम0बी0की पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 8- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा कि उक्त परियोजनाओं पर विगत पांच वर्ष में कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा भी कार्य नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त कार्य में सामग्री पर व्यय रु0 1263833.00 के व्यय में गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गौरवेन्द्र सिंह एवं लेखाकार सिद्धार्थ कुमार एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती प्रभावती उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी प्रति के आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं। सा0आ0सं013

क्षेत्र पंचायत -बरसठी

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-4 लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली (भैंसहां में अटल मनरेगा पार्क का निर्माण) के अनुसार रु0 484950.00 का सामग्री क्रय हेतु भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 10863.00 की टी0डी0एस0 (आयकर) काटौती तथा 2 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 रु0 9699.00 की कटौती की जानी चाहिए थी। किन्तु जी0एस0टी0 एवं टी0डी0एस0 की कुल धनराशि रु0 20562.00 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय तथा लेखाकार राजकुमार पांडे उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि रु0 20562.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार राजकुमार पांडे से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 लेखा परीक्षा वर्ष में रु0 324471.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 324471.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय तथा लेखाकार राजकुमार पांडे उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि रु0 324471.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार राजकुमार पांडे की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी प्रति के आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर-6 लेखा परीक्षा वर्ष में रु0 289668.00 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी। किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 289668.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय तथा लेखाकार राजकुमार पांडे उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि ₹0 289668.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार राजकुमार पांडे की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी प्रति के आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर-7 अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष के दौरान ₹0 31560469.00 व्यय किया गया है। किन्तु मांगोपरान्त मात्र ₹0 16585345.00(सामग्री ₹0 14968751+श्रम1616594) से सम्बन्धित 33 कार्यों की पत्रावली ही लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है-

- 1- बरेठी में पक्की सड़क से उदय यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 2- गारोपुर में हनुमान मन्दिर से राजाराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 3- सरसरा में सुरेश सरोज के मुर्गी फार्म से मदेरन की पाही तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 4- राजापुर में रामपुर निगोह मार्ग से राजापुर हरिजन बस्ती तक खडण्जा कार्य।
- 5- गनेशपुर में पक्की सड़क से ईदगाह तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 6- पाली में पिच रोड से कैलाश मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 7- महुआरी में प्रेम बहादुर के घर से तेज बहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 8- विजयगिरी पोखरा में प्रा0मं0स0 से प्रा0पा0 के बगल से उपाध्याय बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 9- धनापुर में पक्की रोड से अम्बेडकर मूर्ति तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 10- बनकट महुआरी में कल्लू पाल के घर से समरजीत पाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 11- गारोपुर में पी0डब्लू0डी0 रोड से चमरहा खडण्जा तक खडण्जा कार्य।
- 12- भैसहा में जियालाल यादव के खेत से सत्यानारायण के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 13- पैबौनाकला में बबुरी गाँव पक्की सड़क से कंशराज यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 14- सिरौली में धनापुर रोड से सोनू दूबे के प्लाट तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 15- परियत में पक्की सड़क से पासी बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 16- मनौरा में मायाशंकर के घर से गौरीशंकर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।
- 17- पाली मकें चौरामाता मंदिर से पाली सीमा तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 18- मनौरा में केशव प्रसाद यादव के घर से कृष्ण कुमार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 19- आदमपुर में भानू के मशीन से नहर पुलिया तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 20- सिरौली में मुक्तेश्वर के घर से पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 21- कटवार में शोभनाथ चौरसिया के घर से शमशेर के घर तक खडण्जा कार्य
- 22- सहरमा में मगरू यादव के घर से श्री यादव के घर तक खडण्जा कार्य।
- 23- पिलकेथुआ में रमाकान्त के चक से बनारसी के चक तक खडण्जा कार्य
- 24- भैसहा में मेहीलाल के घर से महेन्द्र के घर तक खडण्जा कार्य
- 25- कारो में पक्की सड़क से अशोक के घर के पास तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 26- कारो में घनश्याम के घर से दूधनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 27- बरेठी में पक्की सड़क से संतोष के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 28- स्वास्थ्य केन्द्र बरसठी परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य
- 29- आमदपुर में पक्की सड़क से मुखिराम के चक तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 30- आदमपुर में पक्की सड़क से पाल बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य
- 31- सभागार हाल का सुन्दरीकरण (खिडकियों का बदलना)
- 32- कार्यालय का सुन्दरीकरण (खिडकियों का बदलना)

33- भैसहा में अटल मनरेगा पार्क का निर्माण

इस प्रकार : 14975124.00 से सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार श्री राजकुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी प्रति के आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।(आ0सं0-14)

क्षेत्र पंचायत- बक्शा

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-8 लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार रु0 22420944.00 का सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2-24 प्रतिशत की दर से रु0 502229.00 की टी0डी0एस0 (आयकर) काटौती की जानी चाहिए थी । किन्तु कटौती नहीं की गई ।

इस प्रकार रु0 502229.00 की टी0डी0एस0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल तिवारी, श्री सलीम अंसारी, श्री अनुराग प्रसाद, श्री राजीव सिंह एवं लेखाकार श्री आमोद कुमार उत्तरदायी हैं।

अतः नियमानुसार इस धनराशि रु0 502229.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल तिवारी, श्री सलीम अंसारी, श्री अनुराग प्रसाद, श्री राजीव सिंह (कार्यकाल अनुसार) एवं लेखाकार श्री आमोद कुमार से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी प्रति के आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर-9 लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार रु0 22420944.00 का सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से रु0 448419.00 की जी0एस0टी0 काटौती की जानी चाहिए थी । किन्तु कटौती नहीं की गई ।

इस प्रकार रु0 448419.00 की जी0एस0टी0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल तिवारी, श्री सलीम अंसारी, श्री अनुराग प्रसाद, श्री राजीव सिंह एवं लेखाकार श्री आमोद कुमार उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि रु0 448419.00 की वसूली सम्बन्धित विभाग के नियमानुसार के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल तिवारी, श्री सलीम अंसारी, श्री अनुराग प्रसाद, श्री राजीव सिंह एवं लेखाकार श्री आमोद कुमार से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी प्रति के आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर-10

केन्द्रीय वित्त आयोग टाइड मद में वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यों पर समाग्री खरीद हेतु रू0 3027855-00 का व्यय अभिलेखों के अनुसार किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	दिनांक	सामग्री की धनराशि
1	जंगीपुर में जोखूराम यादव के घर से धनियामऊ हैदरमार्ग पर पुलिया निर्माण।	15-2-2021/06-03-21	396153
2	मरगूपुर वटर सप्लाई पानी की टंकी का निर्माण	06-03-2021	553179
3	भिवरहां में वाटर सप्लाई टंकी का निर्माण	06-03-2021	306980
4	जंगीपुर वाटर सप्लाई टंकी का निर्माण	06-03-2021	198938
5	मरगूपुर में वाटर सप्लाई हेतु पानी की टंकी का निर्माण	06-03-2021	10848
6	भिवरहां में वाटर सप्लाई टंकी का निर्माण	10-03-2021	11190
7	जंगीपुर में वाहर सप्लाई हेतु पानी टंकी का निर्माण	10-03-2021	10848
8	भिवरहां में वाहर वाटर सप्लाई टंकी का निर्माण	15-03-2021	88819
9	जंगीपुर में जोखूराम यादव के घर से धनियामऊ हैदरपुर मार्ग पुलिया तक नाली निर्माण	15-03-2021	215943
10	मरगूपुर वटर सप्लाई हेतु पानी की टंकी	15-03-2021	93203
11	मरगूपुर में वाटर सप्लाई हेतु पानी की टंकी का निर्माण	15-03-2021	244606
12	जंगीपुर में वाटर सप्लाई हेतु पानी टंकी का निर्माण	15-03-2021	545319
13	भिवरहां में वाटर सप्लाई टंकी का निर्माण	15-03-2021	351829
		योग	3027855

उक्त दर्शित कार्यों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया है। जिससे कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही मजदूरों की मजदूरी न देना भी नियमानुसार अनियमित/शोषण है। मजदूरी भुगतान न होना दर्शाता है कि केवल फर्मों को सामग्री हेतु भुगतान कर दिया गया है। एवं कार्य नहीं हुआ है। इस धनराशि का 4.24 प्रतिशत जी0एस0टी0 एवं टी0डी0एस0 की धनराशि रू0 128381.00 को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 2899474.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल तिवारीएश्री सलीम अंसारीए श्री अनुराग प्रसादए श्री राजीव सिंह एवं लेखाकार श्री आमोद कुमार से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी प्रति के आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं। ।

प्रस्तर-11 (क) लेखा परीक्षा वर्ष में ₹0 476706.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 476706.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश एवं लेखाकार लालजीराम उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि ₹0 476706.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश एवं लेखाकार लालजीराम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी प्रति के आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं। -

प्रस्तर-11 (ख) लेखा परीक्षा वर्ष में ₹0 105540.00 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी। किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 105540.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश एवं लेखाकार लालजीराम उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि ₹0 105540.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश एवं लेखाकार लालजीराम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी प्रति के आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं। ।

प्रस्तर-12 (क) लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार ₹0 23245842.00 का सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से ₹0 520701.00 की टी0डी0एस0 (आयकर) काटौती की जानी चाहिए थी किन्तु मात्र 476706.00 ₹0 की कटौती की गई। इस प्रकार ₹0 44001.00 की टी0डी0एस0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश एवं लेखाकार लालजीराम उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि ₹0 44001.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश एवं लेखाकार लालजीराम से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी प्रति के आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं। -

प्रस्तर-12 (ख) लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार ₹0 23245842.00 का सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से ₹0 464917.00 की जी0एस0टी0 काटौती की जानी चाहिए थी किन्तु मात्र 105540.00 ₹0 की कटौती की गई। इस प्रकार ₹0 359377.00 की जी0एस0टी0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश एवं लेखाकार लालजीराम उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि ₹0 359377.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश एवं लेखाकार लालजीराम से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 -विकास खण्ड- डोभी के वर्ष-2020-21 में अनुदान रजिस्टर की जांच में पाया गया कि निम्न कार्यों पर सामग्री खरीद एवं मजदूरी पर भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का नाम	धनराशि
1	विकास खण्ड मुख्यालय पर सीमेंट बालू व गिटटी सरिया का भुगतान	पंचम राज्य वित्त	44750-00
2	विकास खण्ड मुख्यालय पर कार्य में लगे हुए श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान	पंचम राज्य वित्त	10500-00
3	विकास खण्ड मुख्यालय पर अवशेष कार्य पर ईट आदि भुगतान	पंचम राज्य वित्त	14787-00
4	विकास खण्ड मुख्यालय पर अवशेष कार्य हेतु सीमेंट आदि का भुगतान	पंचम राज्य वित्त	72049-00
5	विकास खण्ड मुख्यालय पर अवशेष कार्य पर मजदूरी भुगतान	पंचम राज्य वित्त	5600-00
6	क्षेत्र पंचायत के विभिन्न स्थलों पर पेयजल हेतु आर०ओ० प्लान्ट पर सामग्री आपूर्ति का भुगतान	पंचम राज्य वित्त	596336-00
		योग	744022-00

उक्त कार्यों से सम्बन्धित कोई फाइलएबिल बाउचर, मस्टररोल तथा अन्य औपचारिकताओं जैसे टेण्डर, कार्य योजना, स्टीमेट, एम०बी० प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इत्यादि लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं रही जिससे स्पष्ट है कि अनुदान रजिस्टर में फर्जी लेखा पारित करते हुए ₹ 744022.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश एवं लेखाकार लालजीराम से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-जलालपुर

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-14 लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार ₹ 18825205.00 का सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से ₹ 421384.00 की टी०डी०एस० (आयकर) काटौती की जानी चाहिए थी। किन्तु कटौती नहीं की गई। इस प्रकार ₹ 421384.00 की टी०डी०एस० कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि ₹ 421384.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 लेखा परीक्षा वर्ष में ₹ 375346.00 की जी०एस०टी० कटौती की गयी किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में ₹ 375346.00 जमा नहीं किया गया। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 375346.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि ₹0 375346.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 अनुदान रजिस्टर के अनुसार आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न योजनान्तर्गत व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियां मांगोपरान्त लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	योजना का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	एस०बी०एम०(प्रशासनिक मद)	228000.00
2	क्षेत्र निधि	99180.00
	योग	327180.00

इस प्रकार ₹0 327180.00 से सम्बन्धित पत्रावलियां अप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष के दौरान ₹0 21647323.00 व्यय किया गया है। किन्तु मांगोपरान्त मात्र ₹0 20433261.00 से सम्बन्धित पत्रावली ही लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है-

राज्य वित्त कार्य का नाम व पूर्ण पता

1. विकास खण्ड जलालपुर चरिसर में शौचालय निर्माण कार्य
2. ग्राम पंचायत पुरेब में बेदा पर इन्टरलाकिंग से विनय सिंह के घर तक मिट्टी व खडन्जा कार्य
3. रेहारी-थौर-जगापुर रोड वाया मदन के घर से बनवारी के घर तक मिट्टी व खडन्जा कार्य
4. नहोरा इन्टरलाकिंग से राम राज यादव के घर होते हुए बगीचे तक इन्टरलाकिंग कार्य
5. ग्राम पंचायत कुसांव में भगवती मिश्रा के दरवाजे से बेचन सिंह के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग कार्य
6. ग्रा०पं० सलेमपुर खडन्जा से डीह बाबा मन्दिर तक इन्टरलाकिंग कार्य
7. लालजी के घर से हरिजन बस्ती तक खडन्जा मरम्मत कार्य
8. ग्रा०पं० कुसांव मौनी बाबा मन्दिर से सड़क तक इन्टरलाकिंग कार्य
9. ग्रा०पं० कुसांव इन्टरलाकिंग से राजेश मिश्र के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
10. ग्रा०पं० छितौना दूबेपुर राजभर बस्ती दुर्गा माता मन्दिर तक इन्टरलाकिंग कार्य
11. ग्रा०पं० मई पहाडीपट्टी जू०हा०स्कूल से रणन्जय सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
12. ग्रा०पं० जगापुर नहर पुलिया से गजराज सिंह के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग कार्य
13. ग्रा०पं० रेहटी त्रिलोचन महादेव मन्दिर पर हाईमास्क स्थापना कार्य
14. ग्रा०पं० नेवादा मनरेगा पार्क में हाईमास्क स्थापना कार्य
15. ग्रा०पं० बराई मनरेगा पार्क में हाईमास्क स्थापना कार्य
16. ग्रा०पं० बराई सीसी रोड से धरिंकार बस्ती तक इन्टरलाकिंग कार्य
17. ग्रा०पं० लखमीपुर पक्की सड़क से मोहन निषाद के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
18. ग्रा०पं० रेहटी बी०एल० सिंह के सक जयप्रकाश के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
19. ग्रा०पं० लोहगाजर पक्की सड़क से भानू मिश्र के मशीन तक खडन्जा मरम्मत कार्य

20. ग्रा0पं0 रेहारी में पिच रोड से सभाजी यादव के चक तक खडन्जा निर्माण कार्य
21. ग्रा0पं0 मरही में पक्की सड़क से जे0एच0एस0 स्कूल तक खडन्जा निर्माण कार्य
22. नाहरपट्टी में सुदामा के घर से विजेन्द्र सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
23. ग्रा0पं0पुरेब पिच रोड से दानबहादुर सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
24. ग्रा0पं0नाहरपट्टी में जोगेन्द्र मौयौ के घर से घोसाव सड़क तक खडन्जा निर्माण कार्य
25. ग्रा0पं0 खेवसीपुर में लोटनराम के घर से बढौना सरहद तक खडन्जा निर्माण कार्य
26. ग्रा0पं0 ओईना में डिंगुरपुर पुलिया से ओईना माइनर तक खडन्जा निर्माण कार्य

केन्द्रीय वित्त (अनटाइड एवं टाइड)कार्य का नाम व पूर्ण पता

1. असबरनपुर में श्यामा के घर से हरिजन बस्ती तक मिट्टी खडन्जा कार्य
2. रामपुर सोईरी पिच रोड से अम्बेडकर चबुतरा तक इन्टरलाकिंग कार्य
3. ओईना में गुड्डु कोटेदार के घर से मृत्युन्जय सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
4. मकरा में अदालत के चक से लालचन्द के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य
5. वीबनमऊ नेशनल हाइवे से बाजार पिच रोड तक इन्टरलाकिंग कार्य
6. रेहारी बेला पिच रोड से महेन्द्र सिंह के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य
7. पुरेब में केराव सड़क से हनुमान मन्दिर ते खडन्जा निर्माण कार्य
8. उदपुर में समर बहादुर के घर से अमित सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
9. थौर में नहररोड से बी0डी0 मिश्रा के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
10. नेवादा में खडन्जा से विपिन सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
11. औवार में नरेन्द्र सिंह के घर से इन्द्र प्रकाश के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
12. कुसांव पिच रोड से लाल बहादुर मिश्रा के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
13. लहगंपुर में अटहनु हनुमान वर्मा के घर से राजेन्द्र के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
14. नहोरा में पिच रोड से सुरेन्द्र सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
15. भाउपुर में पिच रोड से गिरजा शंकर तिवारी के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
16. रेहटी में रेहटी लिंक मार्ग से धर्मेन्द्र सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
17. विकास खण्ड मुख्यालय मिटिंग हाल का मरम्मत
18. छितौना में दूबेपुर लिंक मार्ग से जयप्रकाश दूबे के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
19. मोजरा में पक्की सड़क से अशोक दूबे के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
20. खालिसपुर खुर्द में कुटीर इन्टर कालेज चक्के के उत्तर गेट से गुलाब गुप्ता के सामने तक इन्टरलाकिंग कार्य
21. लहगंपुर में श्रीराम के घर से राजेन्द्र यादव के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
22. महरब में जमुला प्रसाद के घर से नाले तक हनयुम पाइप नाली निर्माण कार्य
23. कुसांव में राजेश सिंह के दरवाजे से पुराली तालाब तक अण्डरग्राउण्ड नाली निर्माण कार्य
24. पुरेब में यूनियन बैंक से नाला तक हनयुम पाइप नाली निर्माण कार्य
25. सामुदायिक 6 सीटर शौचालय धरावं निर्माण कार्य
26. बराई में कैलाश बेनबंशी के घर से गायत्री सिंह के घर तक हनयुम पाइप नाली निर्माण कार्य

इस प्रकार 1214062.00 से सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । जिसके लिए खण्ड विकास

अधिकारी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 1 एवं शासनादेश संख्या ए.1.864/दस 0815; (1) 86 दिनांक 23.9.2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय के लिए टेंडर की प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है साथ ही साथ उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल ; प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स 2016 शासनादेश संख्या 5.10.2016/ 253/ 18.2.2016/3;(एसपी) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 का पालन किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत अभिलेखों पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्नलिखित कार्यों पर रु0 390000.00 का सामग्री क्रय किया गया। किन्तु टेंडर की प्रक्रिया को लागू नहीं किया गया है। जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता होने के साथ-साथ संस्था को टेंडर प्रक्रिया से होने वाले लाभ से वंचित किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। जिसका विवरण निम्नवत है-

1. ग्रा0पं0 रेहटी त्रिलोचन महादेव मन्दिर पर हाईमास्क स्थापना कार्य।
2. ग्रा0पं0 नेवादा मनरेगा पार्क में हाई मास्क स्थापना कार्य।
3. ग्रा0पं0 बराई मनरेगा पार्क में हाई मास्क स्थापना कार्य।

क्षेत्र पंचायत- करंजाकला

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-19 वर्ष 20-21 में सामग्री खरीद के सापेक्ष जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती क्रमशः रु0 233700 एवं रु0 261827 की गयी है। लेकिन कटौती हेतु बनाये गये रजिस्टर में निम्न फर्मों के बिलों से कटौती दर्शित है लेकिन जमा विवरण दर्ज नहीं है।

धनराशि	जी0एस0टी0	आयकर	फर्म का नाम
46646-00	22004-00	24642-00	जगदीश ईट भट्ठा एवं डेला इण्टर प्राइजेज
64887-00	30608-00	34279-00	जगदीश ईट भट्ठा एवं डेला इण्टर प्राइजेज
योग- 111533-00	52612-00	58921-00	

कुल योग. रु0 111533-00

उक्त धनराशि रु0 111533.00 सम्बन्धित शीर्ष में नियमानुसार ब्याज / दण्ड सहित जमा किया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित शीर्ष में राजकीय राजस्व जमा करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी श्री वीरभानु सिंह एवं लेखाकार श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव की होती है अन्य दशा में बराबर-बराबर की धनराशि ब्याज सहित वसूल करके सम्बन्धित शीर्ष में जमा की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-महराजगंज

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-20 वर्ष-2020-21 के अनुदान पंजिका के अनुसार टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 कटौती तथा भुगतान का विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	मद का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में की गयी कटौती	वर्ष में जमा	वर्षांत शेष

1	टी0डी0एस0	-	259001		259001
2	जी0एस0टी0	18250	431642	66402	381490
	योग -	18250	690643	66402	640491

उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी-

1. टी0डी0एस0कटौती की धनराशि को ससमय सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है।
2. जी0एस0टी0 कटौती की कुल धनराशि रु0 449892.00 (प्रारम्भिक शेष 18250+वर्ष में कटौती 431642.00) दर्शित है। जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान मात्र 66402.00 ही जमा है। इस प्रकार शेष धनराशि रु0 381490.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है।
3. अनुदान रजिस्टर के अनुसार वर्ष के दौरान जी0एस0टी0 कटौती की गयी धनराशि 66402.00 जमा दर्शित है। किन्तु जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 66402.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है।

इस प्रकार जी0एस0टी0 कटौती की कुल धनराशि रु0 449892.00 तथा टी0डी0एस0 कटौती की कुल धनराशि 259001.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लालब्रत यादव, श्री पीयूष कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार श्री रमेश कुमार सरोज उत्तरदायी हैं।

अतः इस धनराशि रु0 708893.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लालब्रत यादव, श्री पीयूष कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार श्री रमेश कुमार सरोज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-21 आलोच्य वर्ष क्षेत्र पंचायत बैठक भत्ता वितरण कुल रु0 87500.00 व्यय किया गया है। बैठक में भाग लेने वाले तथा अनुपस्थित सदस्यों का तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की भत्ता वितरण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। जिससे वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लालब्रत यादव, पीयूष कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार श्री रमेश कुमार सरोज उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर-22 आलोच्य वर्ष में ग्राण्ट रजिस्टर एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत् है-

	आय	व्यय	अंतिम अवशेष
ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार	27905748.00	24871421.00	8989230.94
बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार	27045850.00	24009534.00	8991277.99
अन्तर	859898.00	861887.00	2047.05

आकड़ों से स्पष्ट है कि आय में रु0 859898.00 तथा व्यय में रु0 861887.00 तथा अन्तिम अवशेष में 2047.05 का अन्तर विद्यमान है। आय का अन्तर व्यय एवं अन्तिम अवशेष के अन्तर का पूरक है। जो किसी गम्भीर

अनियमितता को छिपाने का प्रयास है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लालब्रत यादव, श्री पीयूष कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार श्री रमेश कुमार सरोज उत्तरदायी है। समाधान विवरण पत्र बनाकर लेखों में आवश्यक सुधार तथा जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-23 अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष के दौरान ₹0 23223512.00 व्यय किया गया है। किन्तु मांगोपरान्त मात्र ₹0 15424376.00 व्यय से सम्बन्धित पत्रावली ही लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है-

पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त

1. ग्रा0पं0 भटौली में वीर सेन के घर के सामने शौचालय निर्माण
2. ग्रा0पं0 भटौली में आनन्द के घर के सामने शौचालय निर्माण
3. ग्रा0पं0 फत्तपुर में मेन रोड से दिनेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
4. भटौली में विपिन के घर के पास शौचालय निर्माण
5. ग्रा0पं0 सदरूद्दीनपुर में थाना परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य
6. ग्रा0पं0 लाहरियाँ में मेन रोड से रत्नाकर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
7. ग्रा0पं0 मजीठी में खडंजा से भोले मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
8. भटौली में आशुतोष के घर के सामने शौचालय निर्माण
9. ग्रा0पं0 गजाधरपुर में सभा यादव के घर से नहर तक नाली निर्माण
10. भटौली में विपुल के घर के सामने शौचालय निर्माण
11. भटौली में रवीश के घर के सामने शौचालय निर्माण
12. वि0खं0 महाराजगंज प्रमुख कक्ष, बी0डी0ओ0 कक्ष, एवं सभागार में फाल सिलींग
13. ग्रा पं0 भटौली में लल्लू के घर के सामने शौचालय निर्माण
14. ग्रा0पं0 सदरूद्दीनपुर में मनरेगा पार्क के पास मिट्टी भराई व नाली निर्माण
15. ग्रा0पं0 भटौली में सरद के घर के सामने शौचालय निर्माण
16. ग्रा0पं0 भटौली में अब्दुल के घर के सामने शौचालय निर्माण
17. ग्रा0पं0 सवंसा में शंकर मन्दिर परिसर में इण्टरलाकिंग
18. ग्रा0पं0 मजीठी में मेन रोड से अलगू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
19. भटौली में मुकुल के घर के सामने शौचालय निर्माण
20. ग्रा0पं0 फत्तपुर में चार सीटर शौचालय निर्माण
21. ग्रा0पं0 सरायदुर्गादास मेन रोड से चन्द्रावती लालमणि मिश्रा के तक इण्टरलाकिंग
22. ग्रा0पं0 मीरापुर शिरोमणि में लालप्रताप के घर के सामने शौचालय निर्माण
23. ग्रा0पं0 सरायपरशुराम में सूर्यलाल के घर से रामजी के घर तक इण्टरलाकिंग
24. वि0खं0 महाराजगंज सभागार में फाल सिलींग दीवाल पर फ्लोरिंग कार्य
25. ग्रा0पं0 रसिकापुर में मेन रोड से सत्यम के घर तक इण्टरलाकिंग
26. ग्रा0पं0 डडवा में मेन रोड से नीरज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
27. ग्रा0पं0 गजाधरपुर में रवि सिंह के घर के सामने शौचालय निर्माण
28. पूराबलई में रामसूरत के घर के सामने शौचालय निर्माण
29. असुआपार में लालजी पाल के घर के सामने शौचालय निर्माण

30. सरायदुर्गादास में जवाहर के घर से मेन रोड तक मिट्टी कार्य
31. पूराबलई में केसरी तिवारी के घर से सिद्धनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
32. ब्लाक परिसर में गेट निर्माण एवं टाइल्स
33. वि०खं० परिसर में स्वतंत्रता सेनानी नेम प्लेट
34. ग्रा०पं० गाधरपुर में देवी प्रसाद सिंह के घर के सामने शौचालय निर्माण
35. वि०खं० महाराजगंज कार्यालय में फाल सीलिंग कार्य
36. ब्लाक परिसर मनेरगा सेल फाल सीलिंग कार्य
37. ग्रा०पं० शिवनगर में ओम प्रकाश के घर के सामने शौचालय निर्माण
38. भटौली में उमा यादव के घर के सामने शौचालय निर्माण
39. पूराबलई में कल्लू तिवारी के घर से सिद्धनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
40. ब्लाक परिसर में वाटर कूलर
41. कोल्हूआ में ब्रम्हनाथ के घर के साने शौचालय निर्माण
42. पूराबलई में मेन रोड से धर्मेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य

चतुर्थ राज्य वित्त

1. सार्वजनिक स्थलों पर 100 नग स्ट्रीट लाइट
2. सार्वजनिक स्थलों पर 100 नग स्ट्रीट लाइट
2. सार्वजनिक स्थलों पर 50 नग स्ट्रीट लाइट
3. सार्वजनिक स्थलों पर 8 नग सोलर लाइट
4. प्रमुख कक्ष में इन्वर्टर बैटरी
5. आपूर्तिकता द्वारा चार्ज किया गया बैट
6. क्षेत्र पंचायत बैठक में भत्त वितरण
7. जी०एस०टी० जमा करने हेतु
8. गजाधरपुर में मेन रोड से राजेन्द्र प्रसाद के घर तक खण्डजा निर्माण
9. भटौली में मेन रोड से नन्हकू हरिन के घर तक खण्डजा निर्माण
10. शिवनगर में लालमणि सरोज के घर से रामकरन सरोज के घर तक खण्डजा
11. भटौली में मेन रोड से जयसिंह के घर तक खण्डजा निर्माण
12. मेन रोड से वि०खं० कैम्पस तक इण्टरलाकिंग कार्य
13. गजाधरपुर में मेन रोड से नागेन्द्र के घर तक खण्डजा निर्माण
14. वि०खं० महाराजगंज के ब्लाक कैम्पस की रंगाई पुताई कार्य
15. जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन
16. वि०खं० महाराजगंज सभाकक्ष में ए०सी०
17. वि०खं० महाराजगंज सभाकक्ष में ए०सी०
18. वि०खं० महाराजगंज सभाकक्ष में ए०सी०
19. वि०खं० महाराजगंज सभाकक्ष में ए०सी०
20. वि०खं० महाराजगंज सभाकक्ष में ए०सी०
21. प्रमुख कक्ष में ए०सी०
22. प्रमुख विश्राम कक्ष में ए०सी०
23. बी०डी०ओ० कक्ष में ए०सी०

24. ग्रा0पं0 शाहपुर नेवादा में रामसिंह के घर से केशरी के घर तक इण्टरलाकिंग
25. ग्रा0पं0शाहपुर नेवादा में पिच रोड से अनुराग के घर तक खड़जा निर्माण
26. ग्रा0पं0 ढेमा में खड़जा से विनय यादव के घर तक मिट्टी खड़जा कार्य
27. ग्रा0पं0 शाहपुर नेवादा में जान्हवी के घर से रामसिंह के घर तक इण्टरलाकिंग
28. ग्रा0पं0 हिलाली में सरसरा मेन रोड से श्याम सूरज के घर तक मि0/खड़जा
29. ग्रा0पं0 पूरालाल में मेन रोड से संदीप के घर तक मि0/खड़जा कार्य
30. ग्रा0पं0 ढेमा में विनय सिंह के बाग तक मि0/खड़जा कार्य
31. प्रमुख का मानदेय भुगतान
32. प्रमुख का मानदेय भुगतान
33. ग्रा0पं0 लोहरियाव में नहर से यादव बस्ती में खड़जा मरम्मत
34. ग्रा0पं0 बनकट लोदी में मुख्य मार्ग से नन्हकूराम गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग
35. ग्रा0पं0 ढेमा में मेन रोड से प्रदीप मिश्रा के घर तक खड़जा मरम्मत
36. ग्रा0पं0 पूराबलई में सम्पर्क मार्ग से राजकुमार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
37. ग्रा0पं0 घुसकुरी में सामुदायिक शौचालय निर्माण
38. ग्रा0पं0 इब्राहिमपुर में खड़जा से रामबली उपाध्याय के घर तक इण्टरलाकिंग
39. सदरूद्दीनपुर में मनरेगा पार्क निर्माण
40. आनापुर में मंदिर के पास ठाकुर बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य
41. वि0खं0 परिसर में सी0सी0टी0बी कैमरा का भुगतान
42. ग्रा0पं0 बगौझर में पिच रोड से संदीप के घर तक सम्पर्क मार्ग
43. ग्रा0पं0 कल्याणपुर में मनरेगा पार्क
44. ग्रा0पं0 मानापुर में कटरा से पाल जी के स्कूल तक मि0/खड़जा
45. वि0खं0 महाराजगंज परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य
46. ग्रा0पं0 गद्दोपुर में मेन रोड से इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग कार्य

इस प्रकार रू0 7799136.10 के उपभोग से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। परिणाम स्वरूप वित्तीय अनियमिताता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उक्त के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लालब्रत यादव, पीयूष कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार श्री रमेश कुमार सरोज उत्तरदायी हैं। विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।(सा0आ0सं0.11)

क्षेत्र पंचायत-मछलीशहर**जनपद-जौनपुर****वर्ष- 2020-21**

प्रस्तर-24 ले0प0वर्ष-2020-21 में राज्य वित्त योजना एवं केन्द्रीय वित्त योजना के अन्तर्गत आयकर एवं जी0एस0टी0 से सम्बन्धित आपति-

(i) रा0वि0यो0 में ऐसे कार्य, जिन पर संस्था द्वारा आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती नहीं किया गया-

क्र0सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	सामग्री क्रय पर भुगतानित धनराशि	आयकर कटौती किये जाने योग्य धन(2.24%)	जी0एस0टी0 कटौती किये जाने योग्य धनराशि (2%)
1-	रा0वि0यो0	कटाहित खास में खडण्जा से अरुण यादव के घर तक इ0ला0	579789.00 248951.00	12987.00 5576.00	- -
2-	रा0वि0यो0	कोटा में राम लाल पटेल के घर से छोटे लाल पटेल के घर तक इ0ला0	335892.00 86296.00	7524.00 1933.00	- -
3-	रा0वि0यो0	जमालपुर में खडण्जा से पिच रोड से महाबली के घर तक इ0ला0	459175.00 109478.00	10285.00 2452.00	- -
			योग-	40757.00रु0	-

(ii) केन्द्रीय वित्त योजना (15वाँ वि0आ0) में समस्त कार्य जिन पर संस्था द्वारा आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गई हैं-

1	के0वि0 ओ0	वर्ष-2020-21 में करार्ये गये समस्त कार्यो पर	कुल ब्यय- 9482297.00	212403.00	189646.00
			योग-	212403.00	189646.00

टिप्पणी-(i) इस प्रकार ले0प0वर्ष-2020-21 में नियमानुसार आयकर कटौती के रूप में राज्य वित्त योजना से 40757.00रु0 तथा के0वि0यो0 (15वाँ वित्त) से 212403.00रु0 कुल- 253160.00रु0 की कटौती किया जाना अपेक्षित था ।

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष-2020-21 में कुल-253160.00रु0 आयकर की कटौती न कर तथा 31-3-21 तक आयकर हेड (राजकोष) में जमा न कर गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। (आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग-194-सी)

(ii) इसी प्रकार ले0प0 वर्ष 2020-21 में नियमानुसार जी0एस0टी0 के रूप में के0वि0यो0 (15 वाँ वित्त) से कुल- 189646.00रु0 की कटौती किया जाना अपेक्षित था

अतः वर्ष-2020-21 में कुल-189646.00रु0 जी0एस0टी0 की कटौती न कर तथा 31-3-2021 तक जी0एस0टी0 हेड (राजकोष) में जमा न कर गम्भीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ख-वि-अ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(पत्र सं0- एडि0 कमि0 जी0एस0टी0 अनु0 /2018-1/1819049 /05 /वाणिज्यकर (2 सितम्बर 2018) उ0प्र0 माल एवं सेवाकर अधि0 की धारा-51)

प्रस्तर-25 रा0वि0यो0 में ऐसे कार्यो के सापेक्ष सामग्री क्रय, जिसक भुगतान फर्म को आयकर एवं जी0एस0टी0 काट कर किया गया है,परन्तु ग्राण्ट-2 एवं ग्राण्ट-3 में कटौती दर्शाया नहीं गया है-

क्र 0 सं 0	कार्य का नाम	बिल-बाउचर के अनुसार सामग्री क्रय की धनराशि(रु0)	संस्था द्वारा फर्म को शुद्ध भुगतानित धनराशि(रु0में)	संस्था द्वारा आयकर कटौती (2%)	संस्था द्वारा जी0एस0टी0 कटौती (2%)
1 -	बसेरवा में इ0ला0 से देवराजी देवी मंदिर तक ख0का0	472410.00	453514.00	9448.00	9448.00
2 -	वारी में पिचरोड से मौर्या बस्ती तक इण्टर लाकिंग	149895.00 35874.00	143899.00 34439.00	2998.00 718.00	2998.00 717.00
3 -	जमालपुर के भोलनापुर ब्राह्मण बस्ती में इण्टर लाकिंग	245295.00 56173.00 121365.00 31241.00	116510.00 29992.00	4906.00 1123.00 2428.00 625.00	4906.00 1123.00 2427.00 624.00
4 -	ग्रा0पं0कोरमलपुर में गोधूपुर मार्ग से मुस्ताक के घर तक ख0का0	151373.00 38493.00	145318.00 37727.00	3028.00 -	3027.00 766.00
5 -	ग्रा0पं0पूरा फगुई में रामचन्दर बी0डी0सी0 के घर तक इ0ला0	374270.00 87166.00 95783.00 25153.00	359304.00 83679.00 91951.00 24146.00	7486.00 1744.00 1916.00 504.00	7486.00 1743.00 1916.00 503.00
6 -	खण्ड विकास अधिकारी कक्ष का सौन्दर्यीकरण	167162.00 101700.00	160475.00 97632.00	3344.00 2034.00	3343.00 2034.00
7 -	वि0ख0 परिसर में आवास टाईप-3 का मरम्मत	218509.00	209769.00	4370.00	4370.00
			योग-	46672.00	47431.00

टिप्पणी- इस प्रकार ले0प0 वर्ष- 2020-21, में रा0वि0यो0 से उपरोक्त तालिका में दर्शित कार्यो पर सामग्री क्रय के सापेक्ष संस्था द्वारा कुल- 46672.00रु0 आयकर एवं 47431.00रु0 जी0एस0टी0 काट कर भुगतान किया गया, परन्तु उक्त धनराशि को ग्राण्ट-2 में कार्य के समक्ष कटौती के रूप में तथा ग्राण्ट-3 में आयकर एवं जी0एस0टी0 मद में प्राप्त नहीं दर्शाया, गया, जो अपेक्षित रहा।

ले0 प0वर्ष-2020-21, रा0वि0यो0 में ग्राण्ट-3 के अनुसार जी0एस0टी0 एवं आयकर का विवरण निम्नवत रहा-

क्र 0 सं 0	मद का नाम	प्रा0अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अ0 अवशेष

1-	जी0एस0टी0	120591.00	258610.00	331671.00	47530.
2-	आयकर कटौती	00.00	228426.00	180899.00	47527.00

इसी प्रकार ग्राण्ट-2 एवं निर्माण कार्यों का विवरण- (प्रारूप-03) के अनुसार वर्ष के दौरान जी0एस0टी0 मद में 258610.00रु0 तथा आयकर मद में 228426.00रु0 कटौती के रूप में प्राप्त रहा। अर्थात् ग्राण्ट-2,3 एवं प्रारूप-03 में जी0एस0टी0 एवं आयकर वर्ष में प्राप्ति समान रूप से रहा जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त तालिका की कटौती को ग्राण्ट-3 में प्राप्ति के रूप में अंकित नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त तालिका में दर्शित आयकर एवं जी0एस0टी0 की धनराशि (46672+47431=94103.00)रु0 फर्म को भुगतान के समय संस्था द्वारा काटा तो गया, परन्तु ग्राण्ट-2 एवं ग्राण्ट-3 में आयकर एवं जी0एस0टी0 की प्राप्ति के रूप में दर्शाया नहीं गया। ग्राण्ट-2 एवं ग्राण्ट-3 में उक्त कटौती से प्राप्त धनराशि को न दर्शा कर, न केवल तथ्यों को छिपाया गया है, बल्कि आयकर एवं जी0एस0टी0 की धनराशि को सम्बन्धित हेड (राजकोष) में जमा न कराये जाने की गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार श्री शकील अहमद अंसारी, श्री राजकुमार पाण्डेय, श्री संजय चौहान कार्य काल अनुसार उत्तरदायी है।

प्रस्तर-26 जमालपुर-पिचरोड से महाबली के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य दो बार कराया गया:- यह कार्य वर्ष-2019-20 एवं 2020-21 दोनों वर्ष में अलग-अलग स्टीमेट बना कर कराया गया है। अतः एक ही कार्य पर दो बार भुगतान किया गया है।

वर्ष-2019-20 में भुगतान का विवरण:-

कार्य वर्ष- 2019-20

- कार्य नाप- 200 एम0टी0.
- स्टीमेट धनराशि- सामग्री- 590315+श्रमांश- 66192.00 कुल-6.57 लाख
- टी एस नं0.-05 , दि0- 01-06-2019
- एम0बी0- सामग्री- 512140.00+ श्रमांश- 57921.00 कुल- 570061.00
- कार्य प्रभारी- अमित कुमार, पत्रांक- 133/01-06-2019
- सामग्री आपूर्ति आदेश-(i) मे0 अशोक ईट उद्योग,पत्रांक- मेमो/टेण्डर/सामग्री/13-11-18
- (ii) मे0 गणेश वि0 मैटे0, पत्रांक- मेमो/टेण्डर/सामग्री/13-11-18-टेण्डर प्रकाशन- अज्ञात

बिल-वाउचर्स के अनुसार वास्तविक व्यय

अशोक ईट उद्योग- बा0सं0- 26 /02-06-2019 - 422769.00रु0 (8455 जी0एस0टी0.+414314.00)

चेक नं0-013602 / 13-06-19

गणेश वि0मैटे0 - वा-सं0- 20/02-06-2019-89371.00 रु0 (1787.00 जी0सी0टी0+87583.00)

चेक नं0- 013601 / 13-06-19

श्रमांश भुगतान - 02-06-19 से 13-06-19 (279 श्रम)- 57834.00रु0 (इनवाईस द्वारा)

चेक नं0- 013603 / 13-06-19

इसी कार्य पर वर्ष-2020-21 में भुगतान विवरण:-

- कार्य वर्ष-2020-21

- स्टीमेट की धनराशि- सामग्री- 904104.00+श्रमांश- 93088.00 कुल- 9.97 लाख
- एम0बी0 - सामग्री - 806686.00+ श्रमांश- 84712.00 कुल- 891398.00
- कार्य प्रभारी- राजेन्द्र प्रसाद पटेल, पत्रांक-133/01-06-2019
- टेण्डर की स्थिति- अज्ञात,

बिल-वाउचर्स के अनुसार वास्तविक व्यय**जी0एस0टी0 व आयकर कटौती के पश्चात्****शुद्ध भुगतानित धनराशि**

प्रसाद ईट उद्योग- वा0सं0- 21/09-06-20- 459175.00 (झोंगल)	449991.00
प्रसाद ईट उद्योग- वा0सं0- 09/अज्ञात - 187786.00 (झोंगल)	179824.00
गणेश वि0 मैटे0- वा0सं0- 32/09-06-20- 109478.00 (झोंगल)	107288.00
गणेश वि0 मैटे0- वा0सं0- 09/अज्ञात - 50247.00 (झोंगल)	48117.00
श्रमांश भुगतान- 09-06-20 से 22-06-20 (249 श्रम) 56857.00	56857.00
श्रमांश भुगतान- 24-06-2020 से 29-06-20 (121 श्रम) 27633.00	27633.00

योग-869710.00

टिप्पणी- प्रथम दृष्टया दोनों वर्षों- 2019-20 एवं 2020-21 में कार्य का नाम समान है। एक ही है। आलोच्य वर्ष- 2020-21 के स्टीमेट में या पत्रावलियों के कार्य नाम में 'अवशेष' कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि वर्ष-2019-20, एवं 2020-21 में जमालपुर पिचरोड से महाबली के घर तक इ0ला0 कार्य दो बार प्रारम्भ से लेकर कार्य समाप्ति तक किया गया है। न कि एक ही कार्य को दो भाग में किया गया है

- वर्ष-2019-20 में कराये गये कार्य के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावली में बिल-वाउचर व मस्टर रोल के साथ एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटों ग्राफ एवं कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र संलग्न रहा, अर्थात् कार्य को वर्ष-2019-20 में पूर्ण करा लिया गया था। अतः वर्ष-2020-21 में उसी कार्य पर पुनः भुगतान किया जाना पूर्णतः फर्जी है।

- वर्ष- 2020-21 में वर्ष-2019-20 के सापेक्ष उसी कार्य पर अधिक भुगतान किया गया है, प्रश्न यह कि एक वर्ष पश्चात उसी कार्य की स्टीमेंट लागत एवं एम0बी0 व वास्तविक व्यय में वृद्धि किस आधार पर किया गया है। जबकि कार्य नाम एक होने पर कार्य की नाप भी एक ही होना चाहिए।

- वर्ष-2019-20 की एम0बी0 में कहीं भी रनिंग पेमेंट का जिक्र नहीं किया गया है। अतः इस आधार पर और स्टीमेंट के अनुसार कार्य की समाप्ति के पश्चात ही जे0ई0(आरईडी) द्वारा एम0बी0 किया गया है, जिसका अवलोकन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है।

- पत्रावली में संलग्न त्रिस्तरीय फोटो से स्पष्ट है कि फोटो ग्राफ तीनों चरण कार्य प्रारम्भ, कार्य की प्रगति एवं कार्य की समाप्ति के पश्चात की ली गई है। अतः 2020-21 में उसी कार्य पर व्यय पूर्णतया फर्जी है।

- किसी कार्य के सापेक्ष कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र रुपपत्र-41 (नियम-206) तभी निर्गत किया जाता है, जब कार्य को पूर्ण करा लिया जाता है। वर्ष-2019-20 की पत्रावली में संलग्न कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र में कार्य प्रारम्भ-02-06-2019 एवं कार्य समाप्ति- 13-06-19 अंकित किया गया है। मस्टर रोल में भी कार्य समाप्ति की तिथि- 13-06-19 है। अतः उक्त कार्य को 13-06-19 को ही समाप्त कर लिया गया था, उक्त कार्य पर दोबारा भुगतान पूर्णतया फर्जी है।

- सम्बन्धित पटल के लेखाकार द्वारा तैयार आख्या आदेश वर्ष-2019-20 जिसमें भुगतान की माँग की गई है, में लेखाकार द्वारा खण्ड वि0अधि0 को अवगत कराया गया है कि कार्य प्रभारी द्वारा कार्य को पूर्ण कर लिया गया है तथा अवर अभियंता द्वारा कार्य की माप कर ली गई है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य को वर्ष-2019-20 में ही पूर्ण कर लिया गया था।

- महत्वपूर्ण तथ्य यह कि उक्त कार्य पर दोनों भुगतान एक ही खण्ड वि0अधि0 द्वारा किया गया है। खण्ड वि0अधि0 द्वारा कार्य का भौतिक निरीक्षण किया गया अथवा नहीं की पुष्टि हेतु निरीक्षण पुस्तिका लॉग बुक ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त कार्य वर्ष-2019-20 में ही पूर्ण कर लिया गया था, कोई कार्य अवशेष नहीं बचा था। इस प्रकार वर्ष-2020-21 में उक्त कार्य पर सुनियोजित तरीके से कुल शुद्ध भुगतान- सामग्री- 785220.00₹+श्रमांश-84490.00₹ कुल- 869710.00₹ का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार श्री शकील अहमद अंसारी, श्री राजकुमार पाण्डेय, श्री संजय चैहान (कार्य काल अनुसार) उत्तरदायी है।

प्रस्तर-27 टेण्डर (निविदा) से सम्बन्धित आपति

ले0प0वर्ष-2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष टेण्डर प्रक्रिया हेतु टेण्डर आमंत्रण विज्ञापन-दि0-21-09-20 से 27-09-20 एवं 11-01-21 से 23-01-21 तक तथा 15-03-21 को प्रकाशित किया गया परन्तु निम्न लिखित कार्यों हेतु टेण्डर एवं विज्ञापन की पत्रावली ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया-

क्र0सं0	कार्य का नाम	एक लाख से ऊपर क्रय की गई सामग्री की धनराशि
1-	कटाहित खास में खण्डजा से अरुण यादव के घर तक इ0ला0कार्य	579789.00 248951.00
2-	कोढ़ा में रामलाल पटेल के घर से छोटे लाल पटेल के घर तक इ0ला0	432607.00 125128.00

3-	जमालपुर में पक्की सड़क से गौतम बस्ती तक इ0ला0	560301.00 145194.00
4-	उमापुर में पिचरोड़ से वशिष्ठ यादव के घर तक इ0ला0	591420.00 187681.00
5-	बसेरवां में इण्टर लॉकिंग से देवराजी देवी विद्या मन्दिर तक ख0का0	472410.00
6-	वारी में पिचरोड़ से मौर्या बस्ती तक इ0ला0	149895.00
7-	जमालपुर के भोलनापुर ब्राह्मण बस्ती में इ0ला0	366660.00
8-	रामपुर सवाई में पक्की सड़क से लाल बहादुर के घर तक इ0ला0	443375.00 132198.00
9-	खण्ड विकास अधिकारी आवास की मरम्मत	155077.00
10-	ग्राम पंचायत कोरमलपुर में गोधूपुर मार्ग से मुस्ताक के घर तक ख0का0	189866.00
11-	ग्रा0पं0 पूराफगुई में रामचन्द्र बी0डी0सी0 के घर तक इ0ला0	470053.00 112319.00
	योग-	5362924.00
	नोट- जमालपुर खण्डजा से पिचरोड़ से महाबली के घर तक इ0ला0 की टेण्डर पत्रावली ले0प0 में अप्राप्त रहा, इस कार्य की धनराशि आ0सं0-03 में सम्मिलित की जा चुकी है अतः आयकर व जी0एस0टी कटौती के पश्चात शुद्ध भुगतानित धनराशि 869710.00 रुपया को सम्मिलित नहीं किया गया है।	

टिप्पणी-

- तालिका में दर्शित उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित टेण्डर पत्रावली ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित टेण्डर हेतु विज्ञापन कब कराया गया एवं टेण्डर आमंत्रण एवं स्वीकृति कब की गई की स्थिति अज्ञात रहा।
- उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष सामग्री आपूर्ति हेतु प्रसाद ईट उद्योग एवं गणेश वि0मैटे0 की आपूर्ति आदेश स्वीकृत किया गया है।
- जबकि किसी कार्य पर एक लाख से ऊपर की आपूर्ति हेतु टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित निम्न लिखित नियमों का पालन किया जाना अपेक्षित है-
 - (i) सार्वजनिक नोटिस द्वारा एक या अधिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन (उ0प्र0क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम-19)
 - (ii) टेण्डर प्रपत्र में अनुबन्ध या करार पत्र (उ0प्र0क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-21)
 - (iii) निविदा डालने वाले से बयाने/अर्नेस्टमनी 1% (उ0प्र0क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली - 1984 के नियम-24(1))
 - (iv) प्रतिभूति / जमानत की धनराशि 10% (उ0प्र0क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली - 1984 के नियम-23(1))
 - (v) अनुमोदित फर्म / स्वीकृति फर्म का रजि0 एवं निर्धारित रजिस्ट्रीकरण शुल्क (उ0प्र0क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-18)

अतः उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने से अपेक्षित नियमों का पालन किया गया अथवा नहीं तथा संस्था को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ पहुँचा की नहीं की पुष्टि नहीं की जा सकी स्पष्ट है कि उपरोक्त आपति उ0प्र0क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सा0 लेखा नियमावली 1965 के नियम 179(2) (क) से (ड) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार श्री शकील अहमद अंसारी, श्री राजकुमार पाण्डेय, श्री संजय चौहान कार्य काल अनुसार उत्तरदायी है।

प्रस्तर-28 मनरेगा प्रशासनिक मद से सम्बन्धित आपति-

मनरेगा प्रशा0मद, ग्राण्ट रजि0-2 के अनुसार निम्नलिखित भुगतान के सापेक्ष बिल-वाउचर / प्रमाणक अप्राप्त रहा-

ग्राम रोजगार सेवक ईपीएफ/पी0पी0एफ धनराशि का स्थानान्तरण- 72000.00

i) खण्ड विकास अधि0 कक्ष हेतु कुर्सी मूल्य का भुगतान- 3600.00

योग- 75600.00

आपति-(i) मनरेगा प्रशा0 मद, ग्राण्ट-2 एवं पासबुक दि0- 24-04-20(के.जी.एस.जी.बी.. म0 शहर) के अनुसार दि0- 20-04-2020 को 72000.00रु0 ईपीएफ(ग्रा0रो0से0) का स्थानान्तरण शाखा प्रबन्धक का0गो0सं0ग्रा0 बैंक मछलीशहर को किया गया, जब कि ग्राण्ट-3 में 31-3-2021 को उक्त मद की धनराशि-72000.00रु0 अन्तिम अवशेष के रूप में बचा रहा।- आपति यह कि यदि म0 प्रशा0 मद से ईपीएफ खाता खुलने हेतु उक्त धनराशि के.जी.एस.जी.बी.. को स्थानान्तरित कर दी गई, तो ग्राण्ट-3 में उक्त मद की धनराशि कहाँ से प्राप्त हुई, जो अवशेष के रूप में बचा रहा।- स्थानान्तरित धनराशि से किस आदेश से तथा कितने रो0से0 का ईपीएफ खाता खोला गया, से सम्बन्धित प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया है।- नियमानुसार ईपीएफ खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खोला जाना अपेक्षित है। उपरोक्त आपतियों से स्पष्ट है कि खाता (ईपीएफ.) खोले जाने एवं अवशेष रहने की स्थिति संदिग्ध है अवशेष रहने की दशा में उक्त धनराशि 72000.00 अपुष्टित रहा तथा खाता खोलने सम्बन्धी आदेश एवं प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तुत न किये जाने की दशा नें उ0प्र0क्षे0पं0 तथा जि0पं0 कार्य नियमावली-1965 के नियम-66,81,82 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए, तत्कालीन खण्ड विकास अधि0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(ii)- म0प्रशा0 मद, ग्राण्ट-2 के अनुसार दि0-20-04-20 को ख0वि0अ0 कक्ष हेतु कुर्सी मूल्य का भुगतान में साई फर्नीचर, जेसीज चौराहा, जौनपुर को 3600.00 भुगतान किया गया।

-उक्त ब्यय का बिल-वाउचर ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।

-पासबुक के अनुसार उक्त धनराशि- दि0- 01-05-2020 को एससी आटो को दिया गया।

- ग्राण्ट-2 के भुगतान विवरण एवं पासबुक के भुगतान में कोई ताल-मेल नहीं है। अतः स्पष्ट है कि उक्त धनराशि 3600.00रु0 अनियमित तरीके से ब्यय की गई जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार श्री शकील अहमद अंसारी, श्री राजकुमार पाण्डेय, श्री संजय चौहान कार्य काल अनुसार उत्तरदायी है।

प्रस्तर-29 निम्न लिखित मदों में (ग्राण्ट-3) विगत वर्ष से धनराशि का अवशेष होना

- ग्राण्ट-रजि0-3 के अनुसार दि0-31-03-2021 को (i) धरोहर/जमानत राशि रु0-45215.00 विगत वर्ष से चला आ रहा है, जो 31-3-21 को अन्तिम अवशेष के रूप में रहा।

(ii) इसी प्रकार तकनीकी एवं प्रशिक्षण मद (3%) की धनराशि-01-04-20 को 1675005.20 प्रा0 अ0 तथा वर्ष में 110787.00 प्राप्त एवं 31-3-21 को अन्तिम अवशेष के रूप में 1785792.20रु0 रहा। वर्ष के दौरान उक्त मद से कोई धनराशि ब्यय नहीं की गई। अतः दोनों मदों से कुल-(45215+1785792=1831007.00) 31.03.2021 को अवशेष रहा।

आपति:- (i)- धरोहर/जमानत राशि रु- 45215.00 किस वित्तीय वर्ष में जमा कराया गया की पुष्टि नहीं कराया गया।

- उक्त धनराशि किस फर्म से प्राप्त किया गया की स्थिति अज्ञात रहा।

- कार्य समाप्ति के 6 माह से एक वर्ष के मध्य उक्त धनराशि सम्बन्धित फर्म को क्यों नहीं वापस किया गया, की पुष्टि नहीं कराया गया।

- नियमानुसार निर्माण कार्य पूरा होने के 6 माह समाप्ति के पश्चात उक्त धनराशि सम्बन्धित फर्म को वापस कर दिया जाना अपेक्षित था। (उ0प्र0 क्षेत्र0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम 23(2)) अतः उक्त नियम के अधीन उक्त धनराशि अधिभार योग्य है, जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(ii)- **तकनीकी एवं प्रशिक्षण मद** की धनराशि किस उद्देश्य से प्राप्त की गई की पुष्टि नहीं कराया गया।

- जिस भी उद्देश्य से उक्त धनराशि प्राप्त किया गया, उस उद्देश्य की पूर्ति पर व्यय क्यों नहीं किया गया, कि पुष्टि नहीं कराया गया।

- उक्त धनराशि विगत वर्ष में भी अवशेष रहा तथा कुछ प्राप्तियों के साथ आलोच्य वर्ष में भी अवशेष रहा, अवशेष रहने के कारणों पर लेखाकार द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई।

- नियमानुसार किसी भी मद की धनराशि उपयोग न होने की दशा में सम्बन्धित पक्ष को वर्षान्त में वापस किया जाना अपेक्षित है।

अतः स्पष्ट है कि बिना किसी उद्देश्य के तथा बिना उपयोग के उक्त मद में धनराशि प्राप्त की जा रही है, जिससे उक्त मद में अवशेष बना हुआ है। इस प्रकार नियमानुसार उपयोग न किये जाने की दशा में भविष्य में उक्त मद की धनराशि की दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लम्बी अवधि से किसी धनराशि को रोका जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार श्री शकील अहमद अंसारी, श्री राजकुमार पाण्डेय, श्री संजय चौहान कार्य काल अनुसार उत्तरदायी है।

प्रस्तर-30 मनरेगा प्रशासनिक मद एवं प्रधान मंत्री आवास योजना प्रशासनिक मद की कुछ प्राप्ति एवं भुगतान

ग्राण्ट-3 के लेखे में दर्ज न किया जाना:-

म0प्रशा0मद- ग्राण्ट-3 एवं आय-व्यय विवरण (प्रारूप-3) के अनुसार मन0प्रशा0 मद में 31-3-21 को अन्तिम अवशेष शून्य दिखाया गया है, जो 30-4-20 तक का आँकड़ा है। शेष इण्ट्री (आय-व्यय) पासबुक एवं ग्राण्ट-2 के अनुसार दि0 8-06-20 से 03-01-21 अर्थात् 31-3-21 तक कुल-183649.00रु0 आहरण एवं 202894.00रु0 प्राप्ति को ग्राण्ट-3 में अंकित नहीं किया गया है, जबकि ग्राण्ट-2 में अंकित है। अतः 183649.00रु0 व्यय, जिसकी पत्रावली ले0पं0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।

- पासबुक के अनुसार उक्त मद में आलोच्य वर्ष-2020-21 में आय-व्यय का विवरण निम्नवत रहा-

<u>प्रा0अवशेष</u>	<u>वर्ष में प्राप्त</u>	<u>वर्ष में व्यय</u>	<u>अन्तिम अवशेष</u>
<u>268398.40</u>	<u>808585.00</u>	<u>1057738.00</u>	<u>19245.40</u>

अतः सम्बन्धित पटल के लेखाकार द्वारा उक्त आँकड़ों को ग्राण्ट-3 में अंकित न कर न केवल तथ्यों को छिपाया गया है, बल्कि 183649.00रु0 की पत्रावली प्रस्तुत न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार श्री शकील अहमद अंसारी, श्री राजकुमार पाण्डेय, श्री संजय चौहान कार्य काल अनुसार उत्तरदायी है।

प्रधा0मं0 आ0यो0 प्रशा0मद

- आलोच्य वर्ष-2020-21 में ग्राण्ट रजि03 में उक्त मद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही पासबुक विवरण में उक्त मद की पासबुक का उल्लेख है

- ग्राण्ट रजि0-2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष-2020-21 में उक्त मद का प्रा0 अव0- 13878.69, वर्ष में प्राप्त- 38784.00रु0, वर्ष में व्यय- 42212.00 तथा अ0अ0- 10451.69रु0 दर्शित रहा।

- ले0प0वर्ष में उक्त मद में व्यय 42212.00रु0 की पत्रावली ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि सम्बन्धित पटल के लेखाकार द्वारा उक्त आँकड़ों को ग्राण्ट रजि0-3 में अंकित न कर न केवल तथ्यों को छिपाया गया है, बल्कि 42212.00रु0 की पत्रावली प्रस्तुत न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार श्री शकील अहमद अंसारी, श्री राजकुमार पाण्डेय, श्री संजय चौहान कार्य काल अनुसार उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत-मुफ्तीगंज

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-31 -राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार निम्नलिखित कार्यों पर धनराशि का भुगतान/व्यय दर्शित है।

क्र 0 सं 0	कार्य का नाम	संलग्न बिल/बाउचर				भुगतान प्राप्त कर्ता		
		बिल सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म/दुकान का नाम	बिल सं0	दिनांक	धनराशि
1	ब्लाक कैम्पस मुफ्तीगंज में इंटरलाकिंग	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	04.02.21 04.02. 20 04.02. 21	279536 442445 16645	अतुल कुमार/राज कुमार यादव गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक	04- 02-21 04- 02-21 04.02 .21	279536 442445 16645	अतुल कुमार/राज कुमार यादव गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक
2	ब्लाक कैम्पस में बी0डी0ओ0 आफिस के बगल बाया मंदिर से बड़े हाल तक इंटरलाकिंग	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	04.02.21 04.02.21 04.02.21	215948 56133 283235	अतुल कुमार/राज कुमार यादव गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक	04.02 .21 04.02 .21 04.02 .21	215948 56133 283235	अतुल कुमार/राज कुमार यादव गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक
3	ब्लाक कैम्पस में बाउड्रीवाल निर्माण	अ ज्ञात अ ज्ञात	04.02.21 04.02.21	20755 0 331301	अतुल कुमार/राज कुमार यादव गौरव ईट उद्योग	04.02 .21 04.02 .21	207550 331301	अतुल कुमार/राज कुमार यादव गौरव ईट उद्योग
4	मूर्तजाबाद में कृपाशंकर के	165	अज्ञात	158531 133357	दिल सीमेन्ट एजेन्शी गौरव	02.03 .21	158531 133357	दिल सीमेन्ट एजेन्शी गौरव ईट

	घर से जगदीश के घर तक इंटरलांकिंग	205 9 66	अज्ञात अज्ञात	337725	ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक	02.03 .21 02.03 .21	337725	उद्योग इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक
5	भोगीपट्टी पिचरोड़ से लोकेश शुक्ला के खेत तक इंटरलांकिंग	68 61 186	अज्ञात अज्ञात अज्ञात		इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक दिल सीमेन्ट एजेन्सी गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल	02.03 .21 02.03 .21 02.03 .21	535144	इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक दिल सीमेन्ट एजेन्सी गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल
6	सोसापट्टी में कोतवाल गुरु के मशीन से गुम्बदी के घर तक इ0ला0	205 1 161 64	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	120107 128515 285522	गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल र हैण्डमेड ब्रिक	02.03 .21 02.03 .21 02.03 .21	120107 128515 285522	गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक
7	भोगीपट्टी में पिचरोड़ से निश्चय के घर तक इ0ल0	अ ज्ञात अ ज्ञात अ ज्ञात	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	31277 30715 67830	अतुल कुमार/राज कुमार यादव गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक	02.03 .21 02.03 .21 02.03 .21	31277 30715 67830	अतुल कुमार/राज कुमार यादव गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक
8	कदहरा में रेलवे लाइन से नाला तक 350 एम0एम0ह्यूम पाइप नाली निर्माण	270 171 205 3	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	194560 21756 23431	सावित्री इ0प्रा0 दिल सीमेन्ट गौरव ईट उद्योग	04.03 .21 04.03 .21 04.03 .21	194560 21756 23431	प्रवीण कु0पाठक अतुल कु0/राज कु0 यादव गौरव ईट उद्योग
9	सुरतपुर में पिचरोड़ से रामराज के घर तक	205 2	अज्ञात	229356	गौरव ईट उद्योग	02.03 .21	229356	गौरव ईट उद्योग

	मिट्टी खडन्जा							
1 0	पसेवा में संकठा के घर से रामदुलार के धर तक मिट्टी खडन्जा	205 5	अज्ञात	256185	गौरव ईट उद्योग	04.03 .21	256185	गौरव ईट उद्योग
1 1	भदेवरा में पिच रोड़ से तलाब तक खडनजा कार्य	205 6	अज्ञात	398937	गौरव ईट उद्योग	04.03 .21	398937	गौरव ईट उद्योग
1 2	पिचरोड़ से मुसाफिर के घर तक इ0ल0कार्य	205 7 162 65	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	144486 160144 342936	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक	04.03 .21 04.03 .21 04.03 .21	144486 160144 342936	गौरव ईट उद्योग अतुल कु0/राज कुमार यादव इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक
1 3	गददीपुर में बुझारत यादव के खडन्जा से दूधनाथ के घर तक इ0ल0कार्य	173 205 3 68	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	101534 94815 201875	दिल सीमेन्ट गौरव ईट उद्योग एजेन्सी इम्पेरियल हैण्डमेड ब्रिक	04.03 .21 04.03 .21 04.03 .21	101534 94815 201875	अतुल कु0/राज कु0 यादव गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल रैडमैप
1 4	सुरैला में इस्लाम के घर से नेता राय तलाब तक भूमिगत नाली	206 6 272 176	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	46499 604160 54208	गौरव ईट उद्योग सावित्री इ0प्रा0 दिल सीमेन्ट	04.03 .21 04.03 .21 04.03 .21	46499 604160 54208	गौरव ईट उद्योग प्रवीण कुमार अतुल कु0/राज कु0 यादव
1 5	जयप्रकाश सिंह के पोखरा से भुइली सम्पर्क मार्ग खडन्जा मिट्टी कार्य	47 364 44	अज्ञात	383319 21120 150300	नारायण ईट उद्योग सावित्री इण्टर प्रा0 नारायण ईट उद्योग	19.01. 21 19.01. 21 19.01. 21	383319 21120 150300	अबिकेश्वर ंसिंह प्रवीण कुमार अबिकेश्वर ंसिंह

1	मंगरू के घर	284	अज्ञा	335100	गौरव ईट	19.01.	335100	गौरव ईट उद्योग
6	से बहादुर के	286	त	158400	उद्योग	21	158400	गौरव ईट उद्योग
	घर तक	361	अज्ञा	16890	गौरव ईट	19.01.	16890	प्रवीण कुमार पाठक
	खडन्जा		त		उद्योग	21		
	मरम्मत कार्य		अज्ञा		सावित्री इ0प्रा0	19.01.		
			त			21		
1	रामधनी मौर्य	339	16.01	134927	ओम साई ईट	19.01.	134927	ओम साई ईट
7	के घर से	362	.21	21120	सावित्री इ0प्रा0	21	21120	प्रवीण कुमार पाठक
	महेन्द्र के खेत	338	16.01	64800	ओम साई ईट	19.01.	64800	ओम साई ईट
	तक मिट्टी		.21			21		
	खडन्जा		16.01			19.01.		
			.21			21		
1	सुरैला पिचरोड़	282	20.0	417047	गौरव ईट	19.01.	417047	गौरव ईट उद्योग
8	से नहर तक	363	1.21	21120	उद्योग	21	21120	प्रवीण कु0पाठक
	ब्रिक सोलिंग	294	20.0	136350	प्रवीण	19.01.	136350	गौरव ईट उद्योग
	एम0150		1.21		कु0पाठक	21		
			20.0		गौरव ईट	19.01.		
			1.21		उद्योग	21		
				839689			839689	
				1.00			.00	

उपरोक्त दर्शित 18 कार्य के फाइल/पत्रावली जांच में निम्नलिखित कमियां पायी गई-

- 1.उपरोक्त दर्शित किसी भी कार्य का मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई प्रमाण नहीं है।
- 2.कार्य प्रभारी के नियुक्ति सम्बन्धी कोई पत्र संलग्न नहीं है।
- 3.कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि अज्ञात रहा।
- 4.सामग्री क्रय सम्बन्धी टेण्डर/कोटेशन संलग्न नहीं रहा।
- 5.कार्य के प्रारम्भ/मध्य एवं समाप्ति का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।
- 6.धनराशि भुगतान के लिये कार्यप्रभारी/जे0ई0 का अनुशंसा नहीं है।
- 7.किसी भी बिल/बाउचर को बी0डी0ओ0 द्वारा पेड एवं कैंसिल नहीं किया गया है।
- 8.सामग्री क्रय के प्रमाणकों से टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 की कटौत नहीं की गयी है।
- 9.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न /प्राप्त नहीं रहा।
- 10.पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा कि उक्त परियोजनाओं पर विगत पांच वर्ष में कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा भी कार्य नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त कार्य में सामग्री पर व्यय रू0 **8396890.00** के व्यय में गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार,श्री लालव्रत यादव,लेखाकार श्री हरिदयाल एवं ब्लाक प्रमुख श्री विनय कुमार सिंह उत्तरदायी है।

प्रस्तर-32 केन्द्र वित्त योजना अर्न्तगत ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय अनुसार निम्नलिखित कार्य पर धनराशि का भुगतान/व्यय दर्शित है-

क्र 0 सं 0	कार्य का नाम	संलग्न बिल/बाउचर				भुगतान प्राप्त कर्ता		प्राप्तकर्ता का नाम
		बिल सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म/दुकान का नाम	दिनांक	धनराशि	
1	बीरमपुर केवटी में पिच रोड़ से अशोक के घर तक इण्टर लाकिंग	2062 78 182	15-02-21 15-02-21 15-02-21	52453 120101 67000	गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक सावित्री इ0प्रा0izk0	11-03-21 11-03-21 11-03-21	52453 120101 67000	गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक सावित्री इ0प्रा0
2	पेसारा में गंगाराम के घर से हरिजन बस्ती तक गिट्टी खडण्जा कार्य	-		155000	गौरव ईट उद्योग	11-03-21	155000	गौरव ईट उद्योग
3	विजयीपुर में खडण्जा से हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग	184 2078 87	15-02-21 15-02-21 15-02-21	57485 89646 171360	दिल सीमेन्ट एजेन्सी गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक	11-03-21 11-03-21 11-03-21	57485 89646 171360	दिल सीमेन्ट एजेन्सी गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक
4	भूइली से पतिराम मौर्य के घर से शंकर मौर्य के घर तक इण्टर लाकिंग	2073 158 84	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	65267 67808 144138	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक	11-03-21 11-03-21 11-03-21	65267 67808 144138	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक
5	भूइली से जंगबाहादुर	157 2071	अज्ञात अज्ञात	35008 35443	दिल सीमेन्ट एजेन्सी	11-03-21 11-03-21	35008 35443	दिल सीमेन्ट एजेन्सी

	के घर से रामबचन के घर तक इण्टर लाकिंग	83	अज्ञात	66072	गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक	11-03-21	66072	गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक
6	नैपुरा मे सर्वेश के खेत से प्रदीप के खेत तक इंटरलाकिंग	- 76 88 187	- 16-02-21 16-02-21 16-02-21	47200 71021 234696 69286	सावित्री इ0प्रा0 गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक दिल सीमेन्ट एजेन्सी	11-03-21 11-03-21 11-03-21	47200 71021 234696 69286	सावित्री इ0प्रा0 गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक दिल सीमेन्ट एजेन्सी
7	भोगीपट्टी मुख्य मार्ग से त्रिभुवन तिवारी के खेत होत हंसा प्रजापति के खेत तक इंटरलाकिंग	- - -	- - -	286522 120515 110107	इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक दिल सीमेन्ट गौरव ईट उद्योग	11-03-21 11-03-21 11-03-21	286522 120515 110107	इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक दिल सीमेन्ट गौरव ईट उद्योग
8	कदहरा में पिचरोड़ से ठाकुर दूबे के घर तक इंटरलाकिंग	70 2064 159	18-02-21 17-02-21 17-02-21	239904 83762 79536	इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट	11-03-21 11-03-21 11-03-21	239904 83762 79536	इम्पेरियल हैण्ड मेड ब्रिक गौरव ईट उद्योग
9	बेलावां में पिचरोड़ से सरस्वती फार्म हाउस तक इंटरलाकिंग	2063 69 156	अज्ञात 10-03-21 अज्ञात	68377 133680 68547	गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड मेड दिल सीमेन्ट एजेन्सी	11-03-21 11-03-21 11-03-21	68377 133680 68547	गौरव ईट उद्योग
10	मेहौड़ा में लोरिक के घर से	181 2072 79	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	96289 87542 255768	दिल सीमेन्ट एजेन्सी	12-03-21 12-03-21 12-03-21	96289 87542 255768	दिल सीमेन्ट एजेन्सी गौरव ईट उद्योग

	बहादुर के घर तक इंटरलाकिंग				गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड मेड			इम्पेरियल हैण्ड मेड
1 1	बीरमपुर में इंटरलाकिंग	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	171360 79536 83762	इम्पेरियल हैण्डमेड दिल सीमेन्ट एजेन्सी गौरव ईट उद्योग	12-03-21 12-03-21 12-03-21	171360 79536 83762	इम्पेरियल हैण्डमेड दिल सीमेन्ट एजेन्सी गौरव ईट उद्योग
1 2	रिकन्ट्रक्क्स न आॅफ साइकिल स्टैंड इंटरलाकिंग और सुन्दरीकरण कार्य मुफ्तीगंज ब्लाक	372 185 2077	05-03-21 05-03-21 05-03-21	300000 52217 92788	सावित्री इ0प्रा0 दिल सीमेन्ट गौरव ईट उद्योग	12-03-21 12-03-21 12-03-21	300000 52217 92788	सावित्री इ0प्रा0 दिल सीमेन्ट गौरव ईट उद्योग
1 3	काकोरी देवकलपुर में पिचरोड़ से गणेश के घर तक मिट्टी खडण्जा कार्य	188 2054	अज्ञात अज्ञात	28230 429954	दिल सीमेन्ट गौरव ईट उद्योग	12-03-21 12-03-21 12-03-21	28230 429954	दिल सीमेन्ट गौरव ईट उद्योग एजेन्सी
1 4	पेन्टिंग आफ बाउड्रीवाल सप्लाई एंगल बारटेड बलाक कैम्पस में	192 376 79 79	16-02-21 16-02-21 अज्ञात अज्ञात	32218 536444 182925 202400	दिल सीमेन्ट एजेन्सी सावित्री इ0प्रा0 गौरव ईट उद्योग गौरव ईट उद्योग	12-03-21 12-03-21 12-03-21	32218 536444 182925 202400	दिल सीमेन्ट एजेन्सी सावित्री इ0प्रा0 गौरव ईट उद्योग गौरव ईट उद्योग

1 5	ब्लाक परिसर में आवासीय भवन मरम्मत	11 373 2080	अज्ञात 04.03.21 अज्ञात	64445 157781 42052	दिल सीमेन्ट सावित्री इ0प्रा0 इम्पेरियल हैण्ड	13-03-21 13-03-21 13-03-21	64445 157781 42052	दिल सीमेन्ट सावित्री इ0प्रा0 इम्पेरियल हैण्ड
1 6	ब्लाक परिसर में आवासीय भवन मरम्मत	374 200	12-03-21 12-03-21	157781 64445	सावित्री इ0प्रा0 दिल सीमेन्ट ऐजेन्सी	12-03-21 12-03-21	157781 64445	सावित्री इ0प्रा0 दिल सीमेन्ट ऐजेन्सी
1 7	ब्लाक परिसर में आवासीय 2 भवन मरम्मत	375 177	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	157810 64445	सावित्री इ0प्रा0 दिल सीमेन्ट ऐजेन्सी	13.03.2 1 13.03.2 1	157810 64445	सावित्री इ0प्रा0 दिल सीमेन्ट ऐजेन्सी
1 8	सकरा में राजनाथ के घर से देवनाथ के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	2074	अज्ञात	164574	गौरव ईट उद्योग	13.03.2 1	164574	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट
1 9	यू0पी0एस0 सकरा में बाउड्री वाल निर्माण	197 2091	12-02-21 12-02-21	133169 223047	दिल सीमेन्ट ऐजेन्सी गौरव ईट उद्योग	13.03.2 1 13.03.2 1	133169 223047	दिल सीमेन्ट ऐजेन्सी गौरव ईट उद्योग
2 0	पेसारा में पिचरोडसे कृष्णा तिवारी के कालेज तक इण्टर लाकिंग	167 अज्ञात 71	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	46244 41447 128256	दिल सीमेन्ट ऐजेन्सी गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड	13.03.2 1 13.03.2 1 13.03.2 1	46244 41447 128256	दिल सीमेन्ट ऐजेन्सी गौरव ईट उद्योग इम्पेरियल हैण्ड

2 1	ब्लाक परिसर में सामुदायिक शौचालय	369 196 2098	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	312000 320745 256771	सावित्री इ0प्रा0 दिल सीमेन्ट एजेन्सी गौरव ईट उद्योग	13.03.2 1 13.03.2 1	312000 320745 256771	सावित्री इ0प्रा0 दिल सीमेन्ट एजेन्सी गौरव ईट उद्योग
2 2	निशान में पिचरोड़ से पुरानी इण्टर कालेज तक इण्टरलाकि ग कार्य	2083 193 76	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	135075 131532 256032	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्ड	13.03.2 1 13.03.2 1	135075 131532 256032	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्ड
2 3	घुरहुपुर में इंटरलाकिंग से शिवमंदिर तक इंटरलाकिंग ग कार्य	2081 180 73	अज्ञात अज्ञात अज्ञात	27831 27831 71952	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्ड	13.03.2 1 13.03.2 1	27831 27831 71952	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्ड
2 4	उमरी में प्यारेलाल के घर से मुन्ना के मशीन तक इंटर लाकिंग कार्य	2099 12 92	15-02-21 15-02-21 15-02-21	73923 76076 255360	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्ड	13.03.2 1 13.03.2 1	73923 76076 255360	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्ड
2 5	देवकली में बददुपुर से खडन्जा से प्रा0प्रा0 देवकली प्रथम स्कूल पर	2082 179 75 अज्ञात अज्ञात अज्ञात	अज्ञात अज्ञात अज्ञात अज्ञात अज्ञात	20421 69730 96000 12000 115000 40000	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्ड इन्द्रा इ0प्रा0 देव एसोसिएट सावित्री इ0प्रा0	13.03.2 1 13.03.2 1 13.03.2 1 15.03.2 1	20421 69730 96000 12000 115000 40000	गौरव ईट उद्योग दिल सीमेन्ट एजेन्सी इम्पेरियल हैण्ड इन्द्रा इ0प्रा0

	इंटरलाकिंग कार्य					15.03.21		
						15.03.21		
26	ब्लाक परिसर में सी0सी0टी0 वी0 की स्थापना	137	13-03-21	100,000	यश इ0प्रा0	17.03.21	100,000	यश इ0प्रा0
				9215142			9215142	

उपरोक्त दर्शित कार्य के फाइल/पत्रावली जांच में निम्नलिखित कमियां पायी गई-

1. उपरोक्त दर्शित किसी भी कार्य का मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई प्रमाण नहीं है।
 2. कार्य प्रभारी के नियुक्ति सम्बन्धी कोई पत्र संलग्न नहीं है।
 3. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि अज्ञात रहा।
 4. सामग्री क्रय सम्बन्धी टेण्डर/कोटेशन संलग्न नहीं रहा।
 5. कार्य के प्रारम्भ/मध्य एवं समाप्ति का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।
 6. धनराशि भुगतान के लिये कार्यप्रभारी/जे0ई0 का अनुशंसा नहीं है।
 7. किसी भी बिल/बाउचर को बी0डी0ओ0 द्वारा पेड एवं कैंसिल नहीं किया गया है।
 8. सामग्री क्रय के प्रमाणकों से टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 की कटौत नहीं की गयी है।
 9. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न /प्राप्त नहीं रहा।
10. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा कि उक्त परियोजनाओं पर विगत पांच वर्ष में कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा भी कार्य नहीं कराया गया है। अतः उपरोक्त कार्य में सामग्री पर व्यय रु 9215142.00 के व्यय में गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार, श्री लालव्रत यादव, लेखाकार श्री हरिदयाल एवं ब्लाक प्रमुख श्री विनय कुमार सिंह उत्तरदायी है। (सा0आ0सं0.03)

प्रस्तर-33 आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 c के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने के उपरांत ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है आयकर की काटी गई धनराशि को निर्धारित समय के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष- 21 में जमा किए जाने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होता है 1 ऐसा किए जाने से विफल रहने से पर आहरण वितरण अधिकारी पर न कटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किए जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है ।

आलोच्य लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार रु0 18601542-00 का सामग्री क्रय (टेबल-03 अनुसार) पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 416675-00 की टी0डी0एस0 काटौती की जानी थी किन्तु रु0 416675-00 की जी0एस0टी0 कटौती न करना तथा कटौती योग्य समस्त धनराशि को सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। इस धनराशि रु0 416675-00 की वसूली मय

ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं श्री लालब्रत यादव तथा लेखाकार श्री हरिदयाल से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। ।

प्रस्तर-34 लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार रु0 18601542.00 का सामग्री क्रय (टेबल-03 अनुसार) पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 02 प्रतिशत की दर से रु0 372030.00 की जी0एस0टी0 काटौती की जानी थी किन्तु रु0 372030.00 की जी0एस0टी0 काटौती न करना तथा काटौती योग्य समस्त धनराशि को सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न कर गम्भीर अनियमतिता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। इस धनराशि रु0 372030.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं श्री लालब्रत यादव तथा लेखाकार श्री हरिदयाल से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। ।

प्रस्तर-35 ग्राण्ट रजिस्टर-2 अनुसार राज्य वित्त योजना अर्न्तगत निम्न लिखित तिथियों में भुगतान धनराशि के समायोजन में बिल/प्रमाणक प्राप्त नहीं रहा-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण/प्राप्तकर्ता का नाम
1	14-01-2021	58500	हिन्दुस्तान मीडिया को निविदा प्रकाशन हेतु
2	03-03-2021	80370	श्री बालाजी इंटर प्राइजेज को निविदा प्रकाशन हेतु
3	03-03-21	22365	श्री विनय कुमार सिंह को विवरण अज्ञात
4	05-03-2021	196000	गौरा ईट उद्योग को विवरण अज्ञात
5	17-02-2021	92252	गौरा ईट उद्योग को विवरण अज्ञात
6	17-02-2021	264195	गौरा ईट उद्योग को विवरण अज्ञात
7	17-02-2021	152910	गौरा ईट उद्योग को विवरण अज्ञात
8	17-02-2021	122917	हिन्दुस्तान मीडिया को निविदा प्रकाशन हेतु
		989509	

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8(क)के अनुसार यदि दर्शाये गये धनराशि की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है।तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली का प्रावधान है।अतः रु0 989509.00 की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार,श्री लालब्रत यादव,लेखाकार श्री हरिदयाल उत्तरदायी है।

प्रस्तर-36 ग्राण्ट तृतीय के अनुसार फरवरी 2021 में टेण्डर से प्राप्त मद में रु0 8400.00 शेष दर्शित है। मार्च 2021 में उक्त मद में कोई व्यय नहीं है। फिर भी 31.03.2021 को शेष शून्य दर्शित है। इस प्रकार ग्राण्ट-3 में 31.03.2021 को कुल अवशेष 7880880.61 होना चाहिए जबकि दर्शित है 7872480.61 इस प्रकार रु0 8400.00 से ग्राण्ट रजिस्टर में 31.03.2021 को कुल अवशेष कम दर्शित है। बैंक खाते से ग्राण्ट रजिस्टर में दर्शित व्यय धनराशि का मिलान कर अन्तर का समाधान किया जाय। समाधान न होने की स्थिति में अन्तर की धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार,श्री लालब्रत यादव,लेखाकार श्री हरिदयाल अपेक्षित है

क्षेत्र पंचायत-रामनगर

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-37 लेखा परीक्षा वर्ष में अनुदान रजिस्टर के अनुसार रु0 649457.00 की टी0डी0एस0 काटौती की गयी किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया

गया । इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 649457.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह श्री वीरभान सिंह तथा लेखाकार श्री निलेशचन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

अतः इस धनराशि रु0 649457.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह श्री वीरभान सिंह तथा लेखाकार श्री निलेशचन्द्र श्रीवास्तव की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-38 लेखा परीक्षा वर्ष में अनुदान रजिस्टर के अनुसार रु0 783029.00 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी । किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 783029.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह श्री वीरभान सिंह तथा लेखाकार श्री निलेशचन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है

अतः इस धनराशि रु0 783029.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह , एवं वीरभान सिंह लेखाकार निलेश चन्द्र श्रीवास्तव की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-39 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ग्राण्ट से संबंधित शासनादेश संख्या 1693/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-215-03/2015 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तथा संशोधित शासनादेश संख्या 97/2016/2811/33-3-2016/03/2015 दिनांक 28 नवम्बर 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत में पारित होने के पश्चात् कराये जाने वाले कार्यों का प्राक्कलन एवं कार्ययोजना का अनुमोदन रु. दस लाख के ऊपर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा तथा कराये गये प्रत्येक कार्य की एम.आई.एस. फिडिंग करायी जायेगी तथा कार्य की फिडिंग के उपरान्त ही दूसरा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। शासनादेशों के अनुपालन का पूर्ण दायित्व सचिव क्षेत्र पंचायत का होगा। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि रु. दस लाख के ऊपर की निम्नलिखित परियोजनाओं की निर्माणकार्य पत्रावली में निर्माण कार्यों का प्राक्कलन एवं कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने का अनुमोदनपत्र संलग्न नहीं पाया गया।

क्रं. सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम	स्टीमेट की धनराशि	व्यय की धनराशि		
				व्यय की धनराशि	सामग्री मजदूरी	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	नोकरा -पक्की सड़क से शिवनाथ के घर तक खड.जा निर्माण कार्य	राज्य वित्त योजना	12-02 लाख	525506-00	201-00	525707-00
2	गुटवन -पक्की रोड से मिश्रान पक्की रोड तक मिट्टी खडंजा निर्माण		11-10 लाख	251904-00	201-00	252105-00

3	औरा - नहर पुलिया से सुरेश श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य		10-08 लाख	827418-00	77586-00	905004-00
		योग(1+2+3)	33-20 लाख	1604828-00	77988-00-	1682816-00
4	जवंशीपुर -पक्की सड़क से कसियांव मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	15वां वित्त अनटाइड	14-10 लाख	1203000-00	85881-00	1288881-00
5	बासापुर -मंदिर से नाला तक पक्की नाली निर्माण	15वां वित्त टाइड	10-97 लाख	935749-00	117585-00	1053334-00
6	जवंशीपुर -कारबारी सिंह के घर से नाला तक पक्की नाली निर्माण		13-71 लाख	1169808-00	165825-00	1335633-00
		योग(4+5+6)	38-78 लाख	3308557-00	369291-00	3677848-00

इस प्रकार रु. 3677848.00 की धनराशि का व्यय में उक्त शासनादेश का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह व श्री वीरभानु सिंह -खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री निलेश चन्द्र श्रीवास्तव -लेखाकार उत्तरदायी है। (सा0अ0सं0-05)

प्रस्तर-40 आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अन्तिम आवशेष निम्नवत् है-

	ग्रांट रजिस्टर के अनुसार अंतिम अवशेष	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंतिम अवशेष	अंतर
राज्य वित्त	2989795.99	3294820.99	305025.00
15 वां वित्त	4446469.00	4885418.00	438949.00
योग			743974.00

आकड़ों से स्पष्ट है कि अन्तिम अवशेष में 743974.00 का अन्तर विद्यमान है। वर्षान्त में प्रत्येक खाते का अन्तर समाधान विवरण पत्र बनाया जाना चाहिए। किन्तु कोई समाधान विवरण पत्र नहीं बनाया गया है। जिससे यह धनराशि अपुष्टित रही परिणामतः किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, एवं वीरभानु सिंह तथा लेखाकार निलेश चन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है। समाधान विवरण पत्र बनाकर लेखों में आवश्यक सुधार तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-40(क) निर्माण कार्य बुद्धिपुर शिवनन्दन यादव के घर से नाला तक पक्की नाली का निर्माण पत्रावली की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियां पायी गयी है-

1. उक्त कार्य के सन्दर्भ में मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई प्रमाण संलग्न नहीं है। स्पष्ट है बिना श्रम के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य सम्भव नहीं है।

2. कार्य के प्रारम्भ/मध्य एवं समाप्ति का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।
3. धनराशि भुगतान के लिये कार्यप्रभारी/जे०ई० का अनुशंसा नहीं है।
4. किसी भी बिल/बाउचर को बी०डी०ओ० द्वारा पेड एवं कैंसिल नहीं किया गया है।
5. स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा।
6. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न /प्राप्त नहीं रहा।
7. एम०बी०की पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया।
8. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा कि उक्त परियोजनाओं पर विगत पांच वर्ष में कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा भी कार्य नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त कार्य के सन्दर्भ में सामग्री पर रू० 206530 भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह व श्री वीरभानु सिंह -खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री निलेश चन्द्र श्रीवास्तव -लेखाकार उत्तरदायी है। (सा०अ०सं०-17)

प्रस्तर-41 अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष के दौरान रू० 29688985.00 किया गया है। किन्तु मांगोपरान्त मात्र रू० 25698774.00 से सम्बन्धित पत्रावली ही लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है- चतुर्थ राज्य वित्त निर्माण कार्य का विवरण चतुर्थ राज्य वित्त निर्माण कार्य का विवरण

1. जमालापुर: पक्की सड़क से बब्बन सिंह के चक तक मिट्टी व ख० निर्माण कार्य
2. जोगापुर: राजनारायण के चक से अजय सिंह के चक तक मिट्टी/ख० निर्माण कार्य
1. वासापुर: चन्द्रशेखर गौड़ के घर से खोराबीर चैरा माता मंदिर तक मिट्टी /ख० निर्माण
2. कटघर: रोहित के घर से चन्द्रशेखर के घर तक मिट्टी व ख० निर्माण
3. जवंशीपुर: राजकुमार के घर से पक्की सड़क के समीप मुसहर बस्ती तक ख० निर्माण कार्य
4. दुबान: पक्की सड़क से जोगीवीर देव स्थल तक मिट्टी व ख० निर्माण कार्य
5. कटघर: पक्की सड़क से नाला तक मिट्टी /ख० निर्माण कार्य
6. बासापुर: खोराबीर प्राइमरी स्कूल से लेकर पिंटु सिंह के घर तक मिट्टी व ख० निर्माण कार्य
7. बासापुर: नेवढिया मार्ग से श्यामलाल यादव के घर तक ख० निर्माण
8. उसरांव पारस के घर अभय सिंह के घर तक मि०/ख० निर्माण
9. बुजुर्गा: राजेश के घर से कन्हैया लाल के घर तक मि०/ख० कार्य
10. रसूलहा: छविनाथ पटेल के घर से सरकारी ट्रयूवेल तक मिट्टी /ख० कार्य
11. छांगापुर - 2.: तलाशपुर पटेल बस्ती से ज्ञानप्रकाश के घर तक ख० निर्माण कार्य
12. नोकरा: पक्की सड़क से शिवनाथ के घर तक ख० निर्माण
13. इटार्यै: पिचरोड ;डीह बाबा दध से पप्पू पटेल के घर तक ख० निर्माण
14. गुटवन पक्की रोड से मिश्रान पक्की रोड मिट्टी /ख० निर्माण कार्य
15. हृदयपुर: राजबहादुर के घर से रहमत खाँ के घर तक मिट्टी /ख० निर्माण
16. रसूलहाँ: अच्चेलाल के चक से दयाशंकर पटेल के चक तक ख० निर्माण
17. इटार्यै: पिच रोड से पाल बस्ती तक मिट्टी /ख० निर्माण
18. जवंशीपुर: राजकीय हास्पिटल से मनरेगा पार्क तक खड,जा निर्माण
19. औरा: नहर पुलिया से सुरेश श्रीवास्तव के घर तक इंटर लाकिंग कार्य

अनटाइड निर्माण कार्य का विवरण

1. चढईढ,कहा: दूधनाथ के घर से राजमन के घर तक मिट्टी . खड,जा निर्माण

2. बासापुर: पक्की सड़क से बलभद्रपुर मिश्रान तक खड,जा निर्माण
 3. वासापुर . पक्की सड़क से वावूनाथ के घर होते हुए नहर तक मिट्टी ख0 निर्माण
 4. नोकरा: छेदीलाल प्रजापति के घर से रुपनारायण प्रजापति के घर तक खड,जा निर्माण कार्य
 5. जूड,पुर: मुसहर से शेरबहादुर के मशीन तक मिट्टी . खडजा कार्य
 6. वासापुर - जूड,पुर: दयाशंकर के घर से पक्की सड़क तक मिट्टी . ख0 निर्माण कार्य
 7. बासापुर - हौरैया मार्ग से जेठूपाल के घर तक मिट्टी व खड,जा निर्माण
 8. हौरैया: लखन प्रजापति के घर के समीप पावर हाउस होते हुए सारनाथ सिंह के घर तक मिट्टी व खड,जा निर्माण
 9. वासापुर - जूड,पुर: मुसहर वस्ती से रामनगर वार्डर तक मिट्टी व ख0 नि0 कार्य
 10. हौरैया: पक्की सड़क से पन्ना सिंह के घर तक मिट्टी व ख0 निर्माण कार्य
 11. वासापुर : भार्गव के घर से पिच रोड तक इंटरलाकिंग कार्य
 12. हौरैया: पोखरा से राधेश्याम के घर तक मिट्टी व ख0 निर्माण कार्य
 13. नोकरा: संजय हरिजन के घर से मंटू के घर होते हुए पक्की सड़क तक मिट्टी व ख0 कार्य
 14. बसीरपुर - नयेपुर: यादव वस्ती से कंचन यादव के घर तक मिट्टी व ख0 निर्माण
 15. कुम्भापुर: मंगरू हरिजन के घर से काशीनाथ के घर तक ख0 नि0
 16. बलभद्रपुर: मेहीलाल पटेल के घर से लाल चन्द्र पटेल के घर तक मिट्टी व ख0 नि0 कार्य
 17. शेखपुर: डा ईस्लाम के घर से शकील के घर तक मिट्टी व ख0 नि0
 18. सलारपुर: राधेश्याम के घर से पक्की रोड तक खडजा निर्माण
 19. बलभद्रपुर: शोभनाथ के घर से काशीनाथ के घर तक मिट्टी व ख0 कार्य
 20. गोपालापुर: रमईपुर चैराहा से रकवा मार्ग तक पक्की नाली एवं खड,जा निर्माण कार्य
 21. तिवरान: मौर्या वस्ती से अशोक तिवारी के घर तक ख0 निर्माण
 22. शेषपुर: भैयालाल कनौजिया के चक से रियाजुद्दीनके घर तक मिट्टी व ख0 निर्माण
 23. वासापुर: पक्की सड़क से दीपक सिंह के मुर्गी फार्म तक मिट्टी व ख0 कार्य
 24. रनापुर . मुख्य खड,जा से झगडू के चक तक मिट्टी व खड,जा निर्माण
 25. चढईढ.कहा: अंकित सिंह के घर से हनुमान मंदिर तक मिट्टी व ख0 निर्माण
 26. दुवान: जिलाजीत यादव के घर से गोपी यादव के घर तक मिट्टी व ख0 निर्माण
 27. पड,राव: पक्की सड़क से ब्राह्मण वस्ती के आगे शिव मंदिर तक खड,जा निर्माण
 28. कुम्भापुर: प्रेमचन्द्र तिवारी के चक से हनुमानधीवर के घर तक मिट्टी व ख0 निर्माण
 29. जवांशीपुर: चैरा माता मंदिर से कसियाँव तक मिट्टी व ख0 कार्य
 30. जवांशीपुर: पक्की सड़क से कसियाँव मार्ग तक इंटरलाकिंग
 31. गोपालापुर: रमईपुर चैराहा से मटरू गौतम के घर तक मिट्टी व खड,जा निर्माण कार्य
 32. बारीगाँव: पक्की सड़क से ब्राह्मण वस्ती वाया शिव मंदिर तक ख0 नि0
 33. वासापुर: पक्की नाली निर्माण सुबाष दूबे के घर से मंदिर एवं ताल तक टाइड निर्माण कार्य का विवरण
1. बासापुर: मन्दिर से नाला तक पक्की नाली निर्माण
 2. बुद्धिपुर: शिवनन्दन यादव के घर से नाला तक पक्की नाली निर्माण
 3. शेखपुर . शेर अली के कारखाने से नाला तक पक्की नाली निर्माण

4. जमलियाँ: रमेश पटेल व गौड बस्ती से पक्की नाली निर्माण
5. शेखपुर . में हदी मास्टर के घर नाला तक पक्की नाली निर्माण
6. रामनगर न0 -1: हास्पिटल बाउण्ड,ी के पीछे नाला तक पक्की नाली निर्माण
7. जवंशीपुर: कारवारी सिंह के घर नाला तक पक्की नाली निर्माण
8. रनापुर: असलम के घर से नाला तक पक्की नाली निर्माण

इस प्रकार 3990211.00 से सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । जिसके लिए श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह व श्री वीरभानु सिंह -खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री निलेश चन्द्र श्रीवास्तव -लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। व्यय की पुष्टि कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0अ0सं0-18)

प्रस्तर-42 बी0 आर0 जी0 एफ0 मद में रु0 4943-00 निष्प्रयोज्य अवशेष के रूप में खाते में रोक कर रखी गयी है । या तो इसे अनुदानदाता/सरकार को वापस किया जाना चाहिए था अथवा सम्बंधित मद के उद्देश्यानुसार उपभोग किया जाना चाहिए था । परन्तु ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह श्री वीरभान सिंह तथा लेखाकार श्री निलेशचन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है । विभागीय अधिकारियों का ध्यान त्वरित कार्यवाही हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है।(सा0अ0सं0-19)

क्षेत्र पंचायत- सुजानगंज

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-43 वर्ष-2020-21 के अनुदान पंजिका के अनुसार टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 कटौती तथा भुगतान का विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	मद का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में की गयी कटौती	वर्ष में जमा	वर्षांत शेष
1	टी0डी0एस0	-	299473.00	-	299473.00
2	जी0एस0टी0	94641.00	482783.00	2603030.00	314394.00
	योग -	94641.00	782256.00	2603030.00	613867.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयीं.

1. टी0डी0एस0 कटौती की धनराशि को ससमय सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिये किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है ।
 2. जी0एस0टी0 कटौती की कुल धनराशि रु0 577424.00 प्रारम्भिक शेष 94641.00 वर्ष में कटौती 482783.00 दर्शित है। जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान मात्र 260303.00 ही जमा है । इस प्रकार शेष धनराशि रु0 314394.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है ।
 3. अनुदान रजिस्टर के अनुसार वर्ष के दौरान जी0एस0टी0 कटौती की गयी धनराशि 260303.00 जमा दर्शित है । किन्तु जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 260303.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है ।
- इस प्रकार जी0एस0टी0 कटौती की कुल धनराशि रु0 577424.00 तथा टी0डी0एस0 कटौती की कुल धनराशि 299473.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है

अतः इस धनराशि ₹0 782256.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नितिन कुमार एवं वीरभानु सिंह तथा लेखाकार दिनेश कुमार गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-44 अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना अर्न्तगत वर्ष के दौरान ₹0 26768290.00 किया गया है। किन्तु मांगोपरान्त मात्र ₹0 25093984.00 से सम्बन्धित पत्रावली ही लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है-

1. पिचरोड से पारसनाथ यादव के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य
2. मेन रोड से जफर खान के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य
3. समीम शेख के घर से सरोज बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य
4. मेन रोड से नन्दलाल सरोज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
5. मेन रोड से राधेश्याम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
6. पक्की सड़क से पटेल बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य
7. मेन रोड से अमजद के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य
8. केसरी के घर से पंकज के घर होते हुये रामलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
9. बड़ी नहर से सरोज बस्ती तक मि0/खं0 कार्य
10. मेन रोड से शिवराम सरोज के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण
11. मेन रोड से तरसाव यादव बस्ती तक मि0/ख0 कार्य
12. कमला शंकर दूबे के घर से डा0 दिनेश के घर तक मि0/ख0 कार्य
13. बड़ी नहर से प्रेमचन्द्र के घर तक मि0/खं0 कार्य,
14. राजाराम के मशीन से हरिजन बस्ती तक मि0/खं0 कार्य
15. विकास खण्ड परिसर सुजानगंज में सामुदायिक शौचालय निर्माण
16. आयर दुर्गा माता मन्दिर से रामाश्रय मिश्रा के घर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य
17. मेन रोड से मुसलमान बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य
18. विकास खण्ड परिसर सुजानगंज में मरम्मत एव शौचालय में टाइल्स कार्य
19. खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में टाइल्स
20. प्राथमिक विद्यालय से रामतीरथ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
21. भिखारीपुर बड़ी नहर से मध्य गांव होते हुये दुर्गा माता मन्दिर तक मि0/खं0 कार्य
22. मेन रोड से मुस्लिम बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य
23. रामचन्द्र के खेत से पारसनाथ के घर तक मि0/सो0 कार्य
24. सूर्य नारायण के चक से सीता मता मन्दिर तक खड़ण्जा निर्माण कार्य
25. रामफेर शर्मा के घर से अनिल गौड़ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
26. मेन रोड से समीर खान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
27. मेन रोड से महेन्द्र यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
28. दयाराम के चक से कुरावां मेन रोड तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य
29. विकास खण्ड परिसर में पार्क में बैडमिन्टन बालीवाल कोर्ट निर्माण कार्य
30. बेचन लाल के घर से होते हुये अरविन्द के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य
31. मेन रोड से अजीम खां के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
32. मौर्या बस्ती से मकबूल के चक्की तक नाली निर्माण कार्य

33. सुरेश विश्वकर्मा के चक से हरीलाल के मशीन तक मि0/सो0 कार्य
34. मथुरा में मतरी में अम्बेडकर पार्क में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य
35. बदलापुर मेन रोड से विद्यालय होते हुये कौलीपुर रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य
36. गाहीवार खड़ण्जा से मदिरहा बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य?
37. मुख्य मार्ग से भैसहारामपुर बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य
38. हरीलाल के घर से गामा के घर होते हुये नाला तक पक्की नाली निर्माण कार्य
39. राकेशराव के घर से दूधनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
40. सी0सी0 रोड से गुलाब के मशीन तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य
41. ग्राम पंचायत भिखारीपुर में चार सीटर शौचालय का निर्माण कार्य
42. विरन्जे के घर से राजकुमार के घर तक नाली निर्माण कार्य
43. मेन रोड से मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य
44. खड़ण्जा से विरन्जे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
45. रामपुरहरिगिर मनरेगा पार्क में ओपन जिम, झूला बैडमिन्टन बालीवाल कोर्ट निर्माण कार्य
46. करौरा मनरेगा पार्क में ओपन जिम, झूला बैडमिन्टन बालीवाल कोर्ट निर्माण कार्य
47. पक्की सड़क से मौर्या बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य
48. विकास खण्ड परिसर में पार्क में इण्टरलाकिंग व बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य
49. छोटी नहर से दिवाकर दूबे के चक से गणेशपुर विद्यालय तक मि0/सो0 कार्य
50. मने रोड से रानू की दुकान से होते हुये फूलचन्द्र की दुकान तक इण्टरलाकिंग कार्य
51. मेनरोड से लल्लू सरोज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
52. मेन रोड से काशीराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
53. रामफेर गौतम के घर से खड़ारी वार्डर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य
54. देवापुर में सुजानगंज बेलवार रोड से इन्द्र देव के सामने तक मि0/सो0 कार्य
55. सम्पर्क मार्ग से लालमणि के घर होते हुये अरुवां पंचायत भवन तक मि0/सो0 कार्य
56. राधेश्याम मौर्या के घर से पाल बस्ती तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य
57. सेंवालाल के घर के सामने चौराहे पर हाईमास्क लाईट की स्थापना कार्य
58. नन्दलाल के घर के सामने हाईमास्क लाईट की स्थापना
59. ग्राम पंचायत तरसांव में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाईट
60. भिखारीपुर में मन्दिर पर हाईमास्क लाईट की स्थापना
61. ग्राम पंचायत तरसांव में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाईट
62. मेन रोड से भारत पटेल के स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य
63. मेन खड़ण्जा से प्लारेलाल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
64. अढ़नपुर पिचरोड से अमरपाल विन्द के घर तक मि0/सो0 कार्य
65. लालबहादर के मकान से बाग तक इण्टरलाकिंग कार्य
66. महेन्द्र यादव के घर से गुड्डु यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
67. मेन रोड से अमरचन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
68. मेन रोड से राजकुमार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
69. मेन रोड से सन्नन खां के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
70. मेन सड़क से बेचन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य

71. बड़ी नहर से प्रजापति बस्ती तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य
72. रबीन्द्र के चक से मेन रोड तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य
73. मेन रोड से डा0 के घर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य
74. मुसहर बस्ती से बड़ा नाला तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य
75. मेन रोड से चौरामाई मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य
76. तरहरिया पिच सड़क से अमित यादव के घर तक मि0/सो0

इस प्रकार 1050734.00 से सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नितिन कुमार एवं वीरभानु सिंह तथा लेखाकार दिनेश कुमार गुप्ता संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। व्यय की पुष्टि कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।;सा0आ0सा0.17

क्षेत्र पंचायत- सिकरारा

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-45 क्षेत्र पंचायत सिकरारा वर्ष-2020-21 की प्रस्तुत व्यय पत्रावली एवं संलग्न तालिका -2 के अनुसार सामग्री आपूर्ति पर की गयी आयकर एवं जी0एस0टी0 कटौती तथा अनुदान रजिस्टर-3 में दर्शित अवशेषों का विवरण निम्नवत है-

अनुदान रजिस्टर के अनुसार				
प्रा0शेष	वर्ष में कटौती	वर्ष में जमा	वर्षान्त अपशेष	
जी0एस0टी0	256602.00	185208.00	441206.00	604.00
आयकर-	-	207428.00	207428.00	-
सामग्री आपूर्ति तालिका-2 के अनुसार-				
जी0एस0टी0-			222459.00	
आयकर-			249180.00	

इस प्रकार अनुदान रजिस्टर एवं सामग्री आपूर्ति के बिलों में की गयी कटौती में जी0एस0टी0 एवं आयकर में क्रमशः ₹0 37251.00 एवं ₹0 41752.00 का अन्तर विद्यमान है। जिससे लेखों में अनियमितता किया जाना परिलक्षित होता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल तिवारी एवं श्री साहब सरन रावत तथा लेखाकार श्री सुनील सिंह उत्तरदायी हैं। समाधान विवरण पत्र बनाकर लेखों में आवश्यक सुधार तथा धनराशि सम्बन्धित शीर्ष में जमा किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-46 क्षेत्र पंचायत सिकरारा वर्ष 2020.21 के लेखापरीक्षा के समय ग्राण्ट रजिस्टर 2 के अनुसार निम्नलिखित कार्यों पर सामग्री का भुगतान मेसर्स प्रगति कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर को ₹ 4383852.00 किया गया है। मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को ₹0 297090.00 किया गया है। कतिपय कार्यों की मजदूरी अज्ञात रही। इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 4680942.00 की पुष्टि में व्यय पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसे इन कार्यों पर दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत न किया जाना किसी गम्भीर अनियमितता को छिपाये जाने की ओर संकेत करता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल तिवारी एवं श्री साहब सरन रावत तथा लेखाकार श्री सुनील सिंह उत्तरदायी हैं।

विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि समाग्रीयाँ	मजदूरी
1-	ग्रा० पं० इब्राहिमबाद में सुल्तान दरवेश अली में पक्की सड़क से कर्बाला तक इण्टरलाकिंग कार्य	164478/-	अज्ञात
2-	मीरगंज विकासखण्ड परिसर में पार्क निर्माण एवं सुन्दरीकरण	566019/-	72840/-
3-	कुबरदा में पक्की सड़क से खहगण बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	216463/-	22610/-
4-	पचोपर में पक्की सड़क से संजय तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	270692/-	19380/-
5-	सरायरैचन्दा में पक्की सड़क से विनय यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	198072/-	20500/-
6-	सरायरैचन्दा में पक्की सड़क से रामबली यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	299768/-	29070/-
7 -	कुवरदा में पक्की सड़क से यादव बस्ती (कन्हैया यादव) प्रधान के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	284726/-	29070/-
8 -	कन्धरपुर में पक्की सड़क से रमासरे के घर होते हुए पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य	327547/-	34540/-
9 -	अहिरौली में पक्की सड़क से यादव बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	340128/-	अज्ञात
10-	कुवरदा में पक्की सड़क से अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	267376/-	27632/-
11-	कुवरदा में कुवरदा सम्पर्क मार्ग से मेहदी मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	392835/-	41448/-
12-	अहिरौली में डा० विजय यादव के घर से दशरथ यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	542031/-	अज्ञात
13-	बढ़ौली नोनियान में पक्की सड़क से यादव बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	151574/-	अज्ञात
14-	पचोखर में पक्की सड़क से हनुमान मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	325452/-	अज्ञात
	योग	4347161.00	297090/-

क्षेत्र पंचायत- सिरकोनी

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-47

अनुदान रजिस्टर के अनुसार आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न योजान्तर्गत व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियां मागोंपरान्त लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	योजना का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	क्रिटीकल गैप्स	875631

2	सामूहिक विवाह योजना	280000
		1155631.00

इस प्रकार ₹0 1155631.00 से सम्बन्धित पत्रावलियां अप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना नहीं किया जा सकता । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनिहोर सरोज श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं व्यय की पुष्टि कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

प्रस्तर-48 अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष के दौरान ₹0 22206693.00 किया गया है। किन्तु मांगोपरान्त मात्र ₹0 20818255.00 से सम्बन्धित पत्रावली ही लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं० कार्य का नाम व पूर्ण पता

- 1 संन्तोष के घर से कोल्ड स्टोरेज तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण
2. संन्तोष के घर से विद्यमान सिंह के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण
- 3 राम कुमार के घर से मेन नाले तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण
- 4 हरिनाथ सरोज के घर से भैयालाल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
- 5 बकराबाद में ओम प्रकाश चर्तुवेदी के घरसे मादीपुर सीमा तक इन्टर लाकिंग कार्य
- 6 पिच रोड से राम आसरे के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य
- 7 पक्की सड़क से दिवाकर के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
- 8 नत्थूपुर पिच रोड से कठिलापुर यादव बस्ती तक इन्टरलाकिंग कार्य
- 9 श्राजू मिस्त्री के घर से विरेन्द्र यादव के घर होते हुए रमेश यादव के चक तक इन्टरलकिंग कार्य
- 10 विजय कन्नौजिया के घर से सरोज के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
- 11 सिरकोनी ब्लाक के पास बरम बाबा मन्दिर परिसर निर्माण एवं मरम्मत कार्य
- 12 पंधारी के घर से बरमबाबा मन्दिर तक इन्टरलाकिंग कार्य
- 13 फेकू के घर से मेन नाले तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण
- 14 सूरपुर में सम्पर्क मार्ग से हरदेव यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य
- 15 चन्द्रशेखर उपध्याय के घर से बबलू के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण
- 16 नारे यादव के घर से कुवर अजित सिंह कालेज आफ फार्मसी तक इन्टरलाकिंग कार्य
- 17 पिच रो से अमर बहादुर के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
- 18 म्नेरेगा पार्क के बगल में खडंजा से सामुदायिक शौचालय तक इन्टरलाकिंग कार्य
- 19 पिच रोड से अनिल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
- 20 मेहन के घर से विजय कन्नौजिया के घर तक ह्यूम पाइप निर्माण
- 21 स्ीताराम के घर से विजयशंकर के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण
- 22 मनरेगा पार्क के बगल में तालाब के पास इन्टर लाकिंग कार्य
- 23 विकास रोड कार्यालय में मरम्मत एवं टाइल्स कार्य
- 24 विकास रोड कार्यालय में रंगाई पुताई मरम्मत कार्य

इस प्रकार 1388438.00 से सम्बन्धित पत्रावली आप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना नहीं किया जा सकता । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री

रामनिहोर सरोज श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं व्यय की पुष्टि कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। -

प्रस्तर-49 लेखा परीक्षा वर्ष में ₹0 423786-00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 423786-00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 423786-00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास श्री रामनिहोर सरोज श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव क विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-50 -लेखा परीक्षा वर्ष में ₹0 378380-00 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी। किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि -378380-00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनिहोर सरोज श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। अतः इस धनराशि ₹0 378380-00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत- सुइथाकला

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-51 (क)- लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार ₹0 11315452-00 का सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से ₹0 253466-00 की टी0डी0एस0 (आयकर) काटौती की जानी चाहिए थी किन्तु मात्र 247839-00 ₹0 की कटौती की गई। इस प्रकार ₹0 5627-00 की टी0डी0एस0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 5627-00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश यादव एवं लेखाकार श्री भरत राज सिंह एवं श्री अनिल कुमार सिंह से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 (ख)- लेखा परीक्षा वर्ष में ₹0 247839-00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा से सम्बंधित कोई भी अभिलेख/चालान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जमा की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 247839-00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 247839-00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-52 (क) लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार ₹0 11315452-00 का सामग्री क्रय (टेबल-03 अनुसार) पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से ₹0 226309-00 की जी0एस0टी0 काटौती की जानी चाहिए थी किन्तु मात्र 95126-00 ₹0 की कटौती की गई। इस प्रकार ₹0 131183-00 की जी0एस0टी0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0

131183-00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश यादव एवं लेखाकार श्री भरत राज सिंह एवं श्री अनिल कुमार सिंह से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 (ख) लेखा परीक्षा वर्ष में रु0 95126-00 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी कटौती की गयी किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/चालान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जमा की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 95126-00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 95126-00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-53 इस प्रकार रु0 1155631.00 से सम्बन्धित पत्रावलियां अप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना नहीं किया जा सकता। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। व्यय की पुष्टि कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।;सा0आ0सं00.

श्रमांश का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में न कर कार्यप्रभारी श्री संदीप कुमार ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी को रु0 346452.00,मो0शाहिद ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी 760240.00 श्री संदीप यादव ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी 27012.00 एवं श्री कृष्ण कुमार तिवारी (तकनीकी) को 6850.00 किया गया।उल्लेखनीय है की मात्र 112288 रु0 का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में किया गया है।

1- पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर मस्टररोल क्रमांक अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।

2. मस्टररोल पर जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है।

3. कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं का भी उल्लेख मस्टररोल में नहीं है।

4. श्रमांश भुगतान निर्माण कार्य समिति से स्वीकृत नहीं है।

5. पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं रहा की उक्त परियोजनाओं पर विगत पांच वर्ष में कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा भी कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य पर किये गये मजदूरी भुगतान रु0 1140554.00 में नियमों का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये बी0डी0ओ0 श्री रामदरस यादव/ लेखाकार श्री भरत राज सिंह एवं श्री अनिल कुमार सिंह, कार्य प्रभारी श्री संदीप कुमार, ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी मो0शाहिद ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री संदीप यादव ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी एवं श्री कृष्ण कुमार तिवारी (तकनीकी) समान रूप से उत्तरदायी है। सा0आ0सं004

प्रस्तर-54 विकास खण्ड- सुइथाकला के वर्ष-2020-21 में

अनुदान रजिस्टर की जांच पाया गया कि निम्न कार्या पर सामग्री खरीद एवं मजदूरी पर भुगतान किया गया है।विवरण निम्नवत है

केन्द्रीय वित्त योजना के अंतर्गत कराये गए कार्य

क्र0सं0	नाम कार्य	धनराशि(रु0में)
1	सवायन में सम्पर्क मार्ग से संतोष के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	66214.00

2	लालपुर में राजेश पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	116413.00
3	सवायन में बुधिराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	199855.00
4	सवायन में घनश्याम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	104757.00
5	विकास खण्ड बाउन्ड्रीवाल रंगाई पुताई मजदूरी	152898.00
6	विकास खण्ड कार्यालय में मीटिंग हाल आवास मरम्मत	238255.00
7	सवायन में पिच रोड से वकील के घर तक इण्टरलाकिंग मजदूरी	100533.00
8	चेतरहा में बलई के घर से गनई के घर तक इण्टरलाकिंग	97215.00
9	सवायन में रामबरन के घर से प्रा0 विद्यालय से लीलाबिन्द के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	565532.00
10	सवायन में मेन रोड से रामरूप के घर तक खडण्जा निर्माण	76787.00
11	चेतरहा में सोलिंग से तालाब तक खडण्जा निर्माण	55216.00
12	बाँसगाँव में मेन रोड से अखिलेश तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग	276472.00
13	सवायन में खेलकूद मैदान	3152278.00
14	ग्राम पंचायत भुसौड़ी में खडण्जा निर्माण कार्य	98895.00
15	विकास खण्ड सुइथाकला में सीमेंट बेंच	596106.00
16	विकास खण्ड सुइथाकला में गेट आयरन	179260.00
17	पिपरौल में भोला के घर तक इण्टरलाकिंग	245661.00
	योग -	6322347.00

राज्य वित्त योजना के अंतर्गत कराये गए कार्य

क्र0सं 0	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि (रु0में)
1	पूराराम सिंह में नाली निर्माण	अजीज इ0प्रा0	27.05.20	219789.00
2	बासूपुर खडण्जा निर्माण व मजदूरी	एस0के0वाई ईट भट्टा व संदीप कुमार	27.05.20	220167.00
3	बाँसगाँव में खडण्जा निर्माण	बाबा ईट उद्योग	24.06.20	195113.00
4	सरपतहाँ में खडण्जा निर्माण	एस0जे0वाई ईट	27.05.20	70456.00
5	चौबाहा बाँसगाँव में खडण्जा निर्माण	एस0जे0वाई ईट व मजदूरी	21.08.20 व 07.11.20	184960.00

6	भगासा पठखौली में खडण्जा निर्माण व मजदूरी	एस0जे0वाई ईट व मजदूरी	21.08.20 व 07.11.20	93800.00
7	अमारी में पिच रोड से महेशचन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रोहित यादव व अजीज इ0प्रा0	18.09.20 व 07.11.20	288472.00
8	दुमदुमा में रोड से सुनील के घर तक इण्टरलाकिंग	रोहित यादव अजीज इ0प्रा0 व मजदूरी	18.09.20 व 07.11.20	272428.00
9	मनरेगा पार्क कम्हरपुर में चिल्ड्रेन पार्क डस्टबिन	पूजा इ0प्रा0 व मजदूरी	16.12.20	1577452.00
10	कटघर में राहुल के घर तक खडण्जा मरम्मत	मिश्रा ईट भट्ठा	02.01.21	164405.00
11	कोहडा में खडण्जा निर्माण	एस0जे0वाई ईट व मजदूरी	07.01.21 व 08.01.21	138512.00
12	ग्राम पंचायत हुसेनाबाद में अशोक पाल के घर तक खडण्जा निर्माण	एस0जे0वाई ईट व मजदूरी	07.01.21 व 08.01.21	89180.00
13	अमावौखुर्द में अजीत सिंह के घर के सामने भूमिगत नाली	अजीज इ0प्रा0 व मजदूरी	07.08.21 व 08.01.21 व 17.03.21	222976.00
14	ग्राम पंचायत बघरवारा में पुन्नवासी के घर तक इण्टरलाकिंग	अजीज इ0प्रा0 व मजदूरी	07.01.21 व 08.01.21	166689.00
15	स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइट	अजीज इ0प्रा0 व मजदूरी	14.03.21	2124453.00
16	राज्य मार्ग से पप्पू पंडित के घर तक इण्टरलाकिंग	जयबजरंग ईट उद्योग	14.03.21	130046.00
17	चिलबिला में माइनर से रामकृपाल के घर तक खडण्जा मरम्मत	बाबा ईट उद्योग व मजदूरी	14.03.21 व 16.03.21	440655.00
18	सारी में अलका के दुकान से प्रदीप के घर तक खडण्जा निर्माण	बाबा ईट उद्योग व मजदूरी	14.03.21 व 15.03.21	55683.00
19	ईशापुर में राजेन्द्र के घर से रामलखन के घर तक खडण्जा निर्माण	एस0जे0वाई ईट व अजीज इ0प्रा0 व मजदूरी	14.03.21 व 15.03.21	81127.00
20	रोशनी इलेक्ट्रानिक्स		19.03.21	195909.00

21	कार्यालय परिसर में कुर्सी मेंज इत्यादि	अजीज इ0प्रा0	17.03.21	198000.00
22	मदरियापुर भेला में समोधपुर सम्पर्क मार्ग से सीता राम के घर तक खडण्जा मरम्मत	एस0जे0वाई0 ईट व मजदूरी	17.03.21	148937.00
23	चिलबिला पिच रोड से बाबाहरदास तक इण्टरलाकिंग	अजीज इ0प्रा0	17.03.21	506563.00
24	बुमकहा मेन रोड से सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग	रोहित यादव व मजदूरी	17.03.21	258412.00
			योग-	8044166.00

उक्त कार्यो से सम्बन्धित कोई फाइल,बिल बाउचर, मस्टररोल तथा अन्य औपचारिकताओं जैसे टेण्डर,कार्ययोजना,स्टीटमेन्ट,एम0बी0 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इत्यादि लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं रही जिससे स्पष्ट है कि अनुदान रजिस्टर में फर्जी लेखा पारित करते हुए रू0 14366513.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश यादव एवं लेखाकार श्री भरत राज सिंह एवं श्री अनिल कुमार सिंह संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

क्षेत्र पंचायत- रामपुर

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-55 क्षेत्र पंचायत रामपुर में वर्ष 2020.21 में चतुर्थचम राज्य वित्त मद से ग्राम पंचायत मढ़ी में पिचरोड से लालजी यादव के चक तक सिंचाई नाली निर्माण कार्य कराया गया है। जिसकी लम्बाई 400 मीटर है तथा अनुमानित लागत 10.05 लाख है।

उक्त कार्य हेतु निम्न प्रकार भुगतान किया गया है.

क्रम सं0	फर्म का नाम	कुल धनराशि	भुगतानित धनराशि	कटौती	विवरण
1.	आनन्द ईट उद्योग	422772.00	404846.00	17926.00	प्रथम श्रेणी ईट क्रय
2.	श्री राजाराम श्रीबल ईट उद्योग, खेतापुर नेवढ़ियां	422772.00	404846.00	17926.00	"
3.	जायसवाल आयरन स्टोर्स रामपुर	278793.00	266972.00	11821.00	सीमेंट बालू आदि
4.	1. मजदूरी भुगतान	-	74913.00	-	मजदूर संख्या 12
	2. मजदूरी	-	104004.00	-	मजदूर संख्या 16
	योग		1255581.00		

उक्त भुगतानित धनराशि के विरुद्ध निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई।

1. आनंद ईट उद्योग परमालपुर पेमेंट एडवाइज़ न० सी०ओ० 32135186522 जिन्हें पी०एफ०एम०एस० सी०ओ० 32135186396 द्वारा खाता संख्या 00005480 में कुल रूपए 404846.00 का भुगतान किया गया है को ईट आपूर्ति हेतु कोई आदेश प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।
2. पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।
3. बाँउचर संख्या 239 में दिनांक का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथा बी० डी० ओ० व फर्म के मालिक का हस्ताक्षर भी नहीं है।
4. एम० बी० के अनुसार रूपए 894256.00 मूल्य का कार्य कराया गया है, जब की कुल भुगतान रूपए 1255581.00 का किया गया है। इस प्रकार रूपए 361325.00 एम० बी० से अधिक भुगतान करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया। जिसके लिए ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नंदिनी जायसवाल खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार एवं लेखाकार श्री धनंजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनसे तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- मडियाहू

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-56 वर्ष-2020-21 की लेखा परीक्षा में अभिलेखों एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार वर्ष के दौरान निर्माण सामग्री खरीद पर रू० 22571000.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी-

1. उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम 66,81 एवं 82 के अनुसार प्रत्येक खरीद सामग्री का बिल/इनवायस बिल नं० एवं दिनांक सहित नियमानुसार उचित समस्त राजस्व विवरण सहित होना चाहिए लेकिन निर्माण फाइलों में संलग्न प्रमाणक कच्चे बिल पर बनाये गये जिस पर बिल/इनवायस क्रमांक जी०एस०टी० नं०अंकित नहीं।
2. प्रस्तुत बिल/इनवाइस पर भुगतान सम्बन्धी विवरण अंकित नहीं हैं कि कितनी जी०एस०टी० और आयकर की कटौती की गयी है। एवं शुद्ध भुगतान कितना हुआ है।
3. सामग्री बिल पर कार्य का नाम विवरण सहित दर्ज हैं जबकि बिल पर खरीददार का नाम एवं पता ही होता है। कार्य क्या होना है इसको लिखने का क्या औचित्य है जो इसके फर्जी तरह से बनाये जाने की ओर संकेत करता है।
4. मस्टरोल में कार्य प्रारम्भ होने से समाप्त तक के मध्य कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया है। जबकि साप्ताहिक अवकाश नियमानुसार दिया जाना आवश्यक है।
5. उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36(1) के अनुसार प्रपत्र संख्या निर्माण कार्य-7 माप पुस्तिका रखी जायेगी जबकि निर्माण फाइलों के अनुसार एम०बी० किये जाने का विवरण अंकित नहीं है।
6. जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० कटौती एवं जमा का विवरण पूर्ण विवरण सहित नहीं रखा गया है।
7. निर्माण कार्य पत्रावली कार्य का नाम-ग्राम पंचायत सुदनीपुर में घमहापुर में सी०सी० रोड़ से पतिराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य के अनुसार सामग्री आपूर्ति का टेण्डर स्वीकृत दिनांक-14.02.2021 है। जबकि कार्य प्रारम्भ 13.02.2021 एवं सामग्री की आपूर्ति दिनांक-14.02.2021 को टेण्डर स्वीकृति के पहले की गयी है।
8. निर्माण कार्य पत्रावली कार्य का नाम-ग्राम पंचायत जोगापुर में पक्की सड़क के पुलिया से कस्तूरबा गांधी विद्यालय तक इण्टर लाकिंग कार्य के अनुसार सामग्री आपूर्ति का टेण्डर स्वीकृत दिनांक-14.02.2021 है। जबकि कार्य प्रारम्भ 01.02.2021 एवं सामग्री की आपूर्ति दिनांक-01.02.2021 को टेण्डर स्वीकृति के पहले की गयी है।

9. निर्माण कार्य पत्रावली कार्य का नाम-ग्राम पंचायत कुढ़ा में सुरेश यादव के घर से बाया रामलखन यादव के कुआ के आगे दूधनाथ के खेत तक सी0सी0रोड़ का निर्माण के अनुसार सामग्री आपूर्ति का टेण्डर स्वीकृत दिनांक-14.02.2021 है। जबकि कार्य प्रारम्भ 05.02.2021 हैं।
10. निर्माण कार्य पत्रावली कार्य का नाम-ग्राम पंचायत रानी पट्टी के कम्पोजिट विद्यालय परिसर में मनरेगा पार्क का निर्माण कार्य के अनुसार सामग्री आपूर्ति का टेण्डर स्वीकृत दिनांक-25.11.2020 है। जबकि कार्य प्रारम्भ 17.11.2020 हैं।
11. कार्य पत्रावली कार्य का नाम-ग्राम पंचायत गनापुर में मनरेगा पार्क का निर्माण कार्य के अनुसार सामग्री आपूर्ति का टेण्डर स्वीकृत दिनांक-25.11.2020 है। जबकि कार्य प्रारम्भ 18.11.2020 हैं।
12. निर्माण कार्य पत्रावली कार्य का नाम-ग्राम पंचायत रखवा में मड़ियाहूँ मछलीशहर मार्ग से मुस्लिम अनुसूचित बस्ती होते हुए गोपी गौतम के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य के अनुसार सामग्री आपूर्ति का टेण्डर स्वीकृत दिनांक-23.11.2020 है। जबकि कार्य प्रारम्भ 01.02.2021 एवं सामग्री की आपूर्ति दिनांक-21.02.2020 को टेण्डर स्वीकृति के पहले की गयी है।

इस प्रकार वर्ष दौरान निर्माण सामग्री की खरीद में गम्भीर वित्तीय अनियमितता करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री विक्रेता को लाभ पहुंचाने के साथ निजी हित को ध्यान में रखा जाना परिलक्षित होता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार एवं लेखाकार श्री कृष्ण कुमार उत्तरदायी है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-57(क) लेखा परीक्षा वर्ष में ₹0 491000.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 491000.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 491000.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार एवं लेखाकार श्री कृष्ण कुमार भाष्कर की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-57(ख) लेखा परीक्षा वर्ष में ₹0 438000.00 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी । किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 438000.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 438000.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार एवं लेखाकार कृष्ण कुमार की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-58(क) लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार ₹0 22571000.00 का सामग्री क्रय (टेबल-03 अनुसार) पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से ₹0 505590.00 की टी0डी0एस0 (आयकर) काटौती की जानी चाहिए थी किन्तु मात्र 491000.00 ₹0 की कटौती की गई । इस प्रकार ₹0 14590.00 की टी0डी0एस0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 14590.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार एवं लेखाकार कृष्ण कुमार से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-58 (ख)- लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार ₹0 22571000.00 का सामग्री क्रय (टेबल-03 अनुसार) पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से ₹0 451420.00 की जी0एस0टी0 काटौती की जानी चाहिए थी किन्तु मात्र 438000.00 ₹0 की कटौती की गई । इस प्रकार ₹0 13420.00 की जी0एस0टी0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है।

अतः इस धनराशि ₹0 13420.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार एवं लेखाकार कृष्ण कुमार से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। प्रस्तर-59 अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना अर्न्तगत वर्ष के दौरान ₹0 25948734.00 किया गया है। किन्तु मांगोपरन्त मात्र ₹0 24898000.00 से सम्बन्धित पत्रावली ही लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है-

1. ग्राम पंचायत मलिकानपुर में चौधी चौहान बस्ती से पिच रोड तक खडण्जा कार्य।
2. ग्राम पंचायत बीरबलपुर में बनपुरवा में हरीलाल व भोलानाथ के अवादी से देवापार रेलवे लाईन तक खडण्जा कार्य।
3. ग्राम पंचायत कुम्भ में साधन सहकारी समिति भवन कुम्भ की मरम्मत कार्य।
4. ग्राम पंचायत हसनपुर में खडण्जा से रामलखन के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।
5. ग्राम पंचायत मलिकानपुर में मुख्य नहर से यादव बस्ती तक इण्टर लाकिंग कार्य।
6. ग्राम पंचायत सुदनीपुर में धमहापुर में सी0सी0 रोड से पतिराम के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।
7. ग्राम पंचायत जोगापुर में पक्की सड़क के पुलिया से कस्तूरबा गाँधी विद्यालय तक इण्टर लाकिंग कार्य।
8. ग्राम पंचायत कुढा में सुरेश यादव के घर से वाया रामलखन यादव के कुआ के आगे दूधनाथ के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।
9. ग्राम पंचायत बासदेवपट्टी में सिकरारा शीतलगंज पिच रोड से ब्लाक मुख्यालय के जाने वाले मार्ग पर इण्टर लाकिंग कार्य।
10. ग्राम पंचायत बासदेवपट्टी में कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय को जाने वाली सड़क पर सी0सी0/इण्टरलाकिंग कार्य।
11. ग्राम पंचायत याकूतपुर में गौहर -बरौली पिचमार्ग से पाल यादव बस्ती होते हुये पूरब माइनर तक इ0ला0 कार्य।
12. ग्राम पंचायत राजापुर नं0 2 शोभनाथ दूबे के चक से अभयराज यादव के चक तक ख0 निर्माण कार्य।
13. ग्राम पंचायत ब्रम्हदेवा में राधेश्याम यादव के घर से शेष नरायन के घर तक सी0सी0 रोड कार्य।
14. ग्राम पंचायत कठार में पक्की सड़क से प्रा0पा0 सरैया कठार तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।
15. ग्राम पंचायत जीयनपुर में काजीपुर जियनपुर मार्ग से अच्छेलाल यादव (हिनाँती) के घर तक इ0ला0 कार्य।
16. ग्राम पंचायत कसनही में मघईपुर पिच मार्ग से विजली सरोज के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण।
17. ग्राम पंचायत कुरनी में दूधनाथ यादव के घर से डा0 दिवाकर यादव के घर तक इ0ला0 कार्य।
18. ग्राम पंचायत कुरनी में बरसाती यादव के घर से भगौती प्रसाद सरोज के घर तक सी0सी0 रोड मि0 कार्य।
19. ग्राम पंचायत केडवारी में लालमनी के घर से प्रा0पा0 केडवारी तक इण्टर लाकिंग कार्य।
20. ग्राम पंचायत मेहदी में राम नरेश के घर से राम नरेश के पाही तक सी0सी0 रोड निर्माण
21. ग्राम पंचायत सिउरा में लालता के घर से यादव बस्ती तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।
22. ग्राम पंचायत रखवाँ में मड़ियाहूँ मछलीशहर मार्ग (उमाशंकर कहार के घर के बगल) से मुस्लिम अनुसूचित बस्ती होते हुये गोपी गौतम के घर तक इ0ला0 कार्य।

23. ग्राम पंचायत मनीपुर सहजरा पुलिया से सुदनीपुर रेलवे लाईन तक इ0ला0 कार्य।
24. ग्राम पंचायत जगरनाथपुर में रामपाल यादव के खेत से बौदु विहार तक इण्टर लाकिंग कार्य।
25. ग्राम पंचायत अवरैला में पिच रोड से दिनेश सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।
26. ग्राम पंचायत बेलवाँ में पिच रोड से लालजी महाविद्यालय तक सी0सी0रोड
27. ग्राम पंचायत ब्रम्हदेवा में पिच रोड से बौद्ध बिहार स्थल तक इ0ला0 कार्य
28. ग्राम पंचायत कुम्भ में हरिजन बस्ती से रामसूरत विश्वकर्मा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।
29. ग्राम पंचायत परऊपुर में राधेश्याम पटेल के चक से भैयालाल यादव (केड़वारी) के घर तक ख0नि0 कार्य।
30. ग्राम पंचायत जमालपुर में पक्की सड़क से शिव प्रसाद यादव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।
31. ग्राम पंचायत अजोसी में सबाब के घर से शिव बहादुर के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।
32. ग्राम पंचायत अजोसी में रामनाथ के घर से सभाजीत के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।
33. ग्राम पंचायत कुम्भ में श्याम लाल कनौजिया के घर से सुरेन्द्र नाथ यादव के मशीन तक इण्टर लाकिंग कार्य
34. ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में रविशंकर पटेल के घर से भूल्लनबीर मन्दिर तक इण्टर लाकिंग कार्य ।
35. ग्राम पंचायत हसनपुर में बंश बहादुर के घर से लक्ष्मण के मकान तक इण्टर लाकिंग कार्य।
36. ग्राम पंचायत बेलवाँ में पिपरिया पिच रोड से लोरिक यादव के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।
37. ग्राम पंचायत अजोसी में सामुदायिक केन्द्र से प्रा0पा0 बेलगहन तक सी0सी0 रोड निर्माण।
38. ग्राम पंचायत बेलगहन में चन्द्रशेखर के घर से अजोसी सरहद तक सी0सी0 रोड निर्माण।
39. ग्राम पंचायत पाली में बच्चू मौर्य के दूकान से गंगा विश्वकर्मा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।
40. ग्राम पंचायत अवरैला बाजार में पक्की नाली का निर्माण
41. ग्राम पंचायत में रानीपट्टी के कम्पोजिट विद्यालय परिसर में मनरेगा पार्क का निर्माण
42. ग्राम पंचायत गनापुर में मनरेगा पार्क का निर्माण

इस प्रकार 1050734.00 से सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना नहीं किया जा सकता । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार एवं लेखाकार श्री कृष्ण कुमार भाष्कर संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। व्यय की पुष्टि कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

क्षेत्र पंचायत- खुटहन

जनपद-जौनपुर

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-60 वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत खुटहन में संगठन प्रारूप -3 के अनुसार निर्माण सामग्री खरीद रु0 8956206.00 किया गया है। लेकिन नियमानुसार 2.24 प्रतिशत टी0डी0एस0 एवं 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे टी0डी0एस0 रु0 200619.00 एवं जी0एस0टी0 रु0 179124.00 कुल रु0 379743.00 की राजस्व हानि संस्था लेखाकार श्री मनोज कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री गौरवेन्द्र सिंह द्वारा की गयी है। विभागीय नियमानुसार ब्याज की गणना तातारीख करते हुए बराबर-बराबर वसूली करके राजस्व जमा की क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रदत्त बैंक स्टेटमेंट एवं ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार बैंक खातों एवं ग्राण्ट रजिस्टर में दर्शित प्रारम्भिक अवशेष एवं वर्ष की आय वर्ष के व्यय एवं अन्तिम अवशेष में निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया है। विवरण निम्न है:-

बैंक पासबुक के अनुसार आय-व्यय

क्र0सं0 बैंक खाता सं0	प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम अवशेष	अभ्युक्ति
1 581702010015330	37926.00	841783.00	853100.00	26609.00	

2	581702010015826	-	20063480.00	9412619.00	10650861.00
3	581702010000012	55199.35	446437.00	44290.90	457345.45
4	581702010004358	2797653.00	1357717.00	3845584.00	309786.00
5	369302010051995	105787.00	103131.00	121570.90	87347.10
6	581702010005953	5387147.00	11413750.00	10719832.00	6081065.00
7	6803 297400.00	-	297400.00	पासबुक अप्राप्त	
8	4955 136474.00	-	136474.00	पासबुक अप्राप्त	
9	योग-	8817586.35	34226298.00	24996996.80	18046887.55
10	ग्राण्ट रजि0 के अनुसार	11074220.00	26944834.00	25138612.00	128880442.0
11	अन्तर की धनराशि	2256633.55	7281464.00	1416152.00	5230741.55

ग्राण्ट रजिस्टर से निम्न अन्तर प्रकाश में आये जो गम्भीर अनियमितता लेखे में करके हेराफेरी किया जाना परिलक्षित करता है।

क्र0सं0 विवरण धनराशि (रु0में)

1	प्रारम्भिक शेष में अन्तर	2256633.65
2	वर्ष की आय में अन्तर	7281464.00
3	वर्ष के व्यय में अन्तर	1416152.00
4	अन्तिम अवशेष में अन्तर	5230741.55
	कुल अन्तर	14184991.20

दिनांक 31.03.2021 के ग्राण्ट रजिस्टर में बैंक अवशेष एवं रजिस्टर का अवशेष बराबर दर्शाया गया है। अर्थात् कोई आय-व्यय एवं चेक निर्गमन की स्थिति कम अधिक रही है। जबकि खाता सं0 581702010005953 केन्द्रीय वित्त आयोग मद में ही रु0 4675023.00 वर्ष में कम ही अन्तर है समस्त बैंक खातों में दर्शित धनराशियों एवं ग्राण्ट रजिस्टर में दर्शित धनराशियों का समाधान विवरण पत्र बनाकर लेखा उचित साक्ष्य के आधार पर किया जाय तथा लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पर अन्तर की धनराशि का दायित्व निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर.62 वर्ष 2020-21 के ग्राण्ट रजिस्टर-3 की जाँच में निम्न विवरणानुसार धनराशिया अंकित है।

अनुदान रजिस्टर-3 के अनुसार आय-व्यय

क्र0सं0 मद का नाम	प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	वर्षान्त शेष	ग्राण्टरजि0के अनुसार
1.राज्य वित्त योजना	5387147.00	5030903.00	9017008.00	1401042.00	1406042.00
2.बायोगैस अनुदान	4776.00	0.00	0.00	4776.00	4776.00
3 निर्धूम चूल्हा की धनराशि	1730.00	0.00	0.00	1730.00	1730.00
4 ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाने हेतु	11018.00	0.00	0.00	11018.00	11018.00
5 श्री रामराज स0वि0अधि0 से वसूली	4464.00	0.00	0.00	4464.00	4464.00
6 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2000 की जमानत	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00
7 सम्पूर्ण स्वच्छता की धनराशि	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00
8 अम्बेडकर जन्म दिवस समारोह	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00

9 सम्पूर्ण रोजगार योजना 20 प्रतिशत की धनराशि

	101.00	0.00	0.00	101.00	101.00
10 मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना	79199.00	2367.00	0.00	81566.00	छोड़ दिया गया है
11 इन्दिरा आवास /प्रधान मंत्री आवास योजना।	297400.00	0.00	0.00	297400.00	297400.00
12 सम्पूर्ण रोजगार योजना खाद्यान्न ढुलाई	113588.00	0.00	0.00	113588.00	0.00
13 प्रशासनिक मद की धनराशि	514.00	0.00	514.00	514.00	0.00
14 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी प्रशासनिक मद	2835381.00	521179.00	3085891.00	270669.00	259626.00
15 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना डी0पी0सी0प्रा0	2214650.00	476547.00	2722240.00	-31043.00	छोड़ दिया गया है
16 स्वच्छ भारत मिशन प्रशासनिक धनराशि	106643.00	0.00	67900.00	38743.00	38743.00
17 गौशाला मद की धनराशि	16326.00	842728.00	832954.00	26100.00	26100.00
18 केन्द्रीय वित्त	0.00	20071110	9412619	10658491	106509891
योग-	11074220	26944834	25138612	12880442	12816146

उक्त विवरण में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी:-

- 1- राज्यवित्त योजना के अन्तिम अवशेष एवं ग्राण्ट रजिस्टर में दर्शित अवशेष में ₹0 5000.00 का अन्तर पाया गया।
- 2- रा0रो0ग्राण्ट योजना प्रमाणक मद में ₹0 11043.00 का अन्तर पाया गया।
- 3- रा0रो0ग्राण्ट योजना डी0पी0सी0प्रा0 में ₹0 31043.00 का अन्तर पाया गया।
- 4- मुख्य मंत्री सा0विवाह योजना में ₹0 81566.00 का अन्तर पाया गया।
- 5- गौशाला मद में ₹0 100.00 का अन्तर पाया गया।
- 6- केन्द्रीय वित्त आयोग मद में ₹0 7630.00 का अन्तर पाया गया।

योग-₹0 136382.00 कुल अन्तर पाया गया।

प्रस्तर.63 ग्राण्ट रजिस्टर -3 मार्च 2021 को बैंक खाता सं0 6803 में ₹0 297400.00 इन्दिरा आवास योजना की धनराशि पिछले वर्षों से ज्यों की त्यों ही दर्शायी जा रही है। इस बैंक खाते की पासबुक /स्टेटमेंट /प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया। जिससे इसमें जमा धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त करके जाँचोपरान्त मद की धनराशि सम्बन्धित पक्ष को वापस की जानी अपेक्षित है।(सा0आ0सं0-15)

प्रस्तर.64 ग्राण्ट रजिस्टर -3 में मार्च 2021 को बैंक खाता सं0 4955 में ₹0 136474.00 जमा विभिन्न मदों का पिछले वर्षों से ज्यों का त्यों ही दर्शाया जा रहा है। इस बैंक खाते की पासबुक /स्टेटमेंट /प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया। जिससे इसमें जमा धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त करके जाँचोपरान्त मदों की धनराशि सम्बन्धित पक्ष में वापस की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	बायोगैस अनुदान	4776.00
2	निर्धूम चूल्हा	1730.00

3	ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाने	11018.00
4	स0वि0अधिकारी से वसूली की धनराशि	4464.00
5	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2000 की जमा धन	250.00
6	सम्पूर्ण स्वच्छता की धनराशि	33.00
7	स0 ग्रा0 रोजगार योजना 2 प्रतिशत की धनराशि	101.00
8	स0 रोजगार योजना खाद्यान्न ढुलाई	113588.00
9	प्रशासनिक मद की धनराशि	514.00

योग- 136474.00

प्रारूप --3

1-क्षेत्र पंचायत - अराजीलाइन

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर-1

पी. एफ. एम. एस. के माध्यम से भुगतान - पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या (1017/33-3-2020 11 / 2020 दिनांक 6 जून, 2020 के अनुसार भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2019 में यह निर्देश है कि दिनांक 30.06.2020 के उपरान्त सभी भुगतान पी. एफ. एम. एस. की व्यवस्था के अनुसार ही किए जाने हैं। क्षेत्र पंचायत में मजदूर को उसकी मजदूरी का भुगतान निम्न विवरण के अनुसार किया गया है लेकिन इसे मजदूर के खाते में सीधे न भेज कर कार्यप्रभारी मेठ / सचिव ग्राम पंचायत को दे कर कुल रुपये 5061170.00 की गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह और लेखाकार श्री कैलाश सोनकर उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है--

क्रम	मद	कार्य का नाम	धनराशि	भुगतान प्रा0/पद नाम	
1	15विआ	मरुई में बबलू ..अन्डरग्राउन्ड नाली	99760	श्री श्यामधर सिंह/मेठ	
2		कोरौती में शंकर जी मंदिर सुन्दरिकरण	166040	राजू पटेल मेठ	
		चदापुर खड़जा	40280	विजय कुमार मेठ	
		वीरभानपुर खड़जा	8120	बसंती देवी मेठ	
		देउरा इंटरलॉकिंग	26680	श्री हरिशंकर प्र0 /मेठ	
		गंगापुर इंटरलॉकिंग	79120	श्री हरिशंकर प्र0 /मेठ	
		बभनीयाव विद्यालय में टाइल्स	4200	रमेश कुमार मेठ	
		गजापुर इंटरलॉकिंग	21480	श्री हरिशंकर प्र0 / मेठ	
		रामराय पुर खड़जा	19760	दीपक प्रजापति मेठ	
		बैरवन इंटरलॉकिंग	50200	उमाशंकर यादव	
		दरेखू इंटरलॉकिंग	52200	बेचू राम मेठ	
		गणेशपुर खड़जा	7920	बसंती देवी मेठ	
		भतसार लहिया इंटरलॉकिंग	28600	बेचू राम मेठ	
		गजापुर नाली अन्डरग्राउन्ड	64920	रमेश कुमार मेठ	

		पनियरा नाली	27080	विजय कुमार मेठ	
		मरुई इंटरलॉकिंग	78280	श्यामधर सिंह मेठ	
		बसंतपट्टी खड़जा (अरुण मास्टर)	19320	श्यामधर सिंह मेठ	
		सिंगही इंटरलॉकिंग	44040	राजू पटेल मेठ	
		प्रतापपुर लालचंद खड़जा	28160	श्री कमलापति / मेठ	
		प्रतापपुर छन्नुलाल इंटरलॉकिंग	43280	श्री कमलापति / मेठ	
		कपर फोरवा नाला	103760	श्री राजू पटेल / मेठ	
		कपर फोरवा विद्यालय मे टाईलस	8800	श्री राजू पटेल / मेठ	
		कनेरी इंटरलॉकिंग	52480	श्री कमलापति / मेठ	
		वीरभानपुर इंटरलॉकिंग	19560	श्री हरिशंकर प्र० / मेठ	
		भतसार नाला	39240	श्यामधर सिंह मेठ	
		बहोरनपुर इंटरलॉकिंग	47880	सुरेश मेठ	
		महगाँव इंटरलॉकिंग	22600	अजीत पटेल मेठ	
		कनेरी इंटरलॉकिंग	13560	श्री राजू पटेल / मेठ	
		कृष्णदत्तपुर इंटरलॉकिंग	27760	उमा शंकर यादव मेठ	
		बसंतपुर खड़जा	52360	श्री हरिशंकर प्र० / मेठ	
		कुरसातो इंटरलॉकिंग	37520	महेश पटेल मेठ	
		चौखंडी खड़जा	53160	मनीष कुमार पटेल मेठ	
		भोजपुर इंटरलॉकिंग	15960	श्री राजू पटेल / मेठ	
		शहंशाहपुर अंबेडकर प्रतिमा	24880	विद्यासागर मेठ	
		दीपापुर खड़जा	21440	विजय कुमार मेठ	
		चन्दापुर इंटरलॉकिंग	34960	विजय कुमार मेठ	
		पयागपुर मिर्किचक इंटरलॉकिंग	30640	कमलापति मेठ	
		बेलौड़ी नाली	27080	कमलापति मेठ	
		गंजारी खड़जा	19360	श्यामधर सिंहमेठ	
		बसंत पट्टी खड़जा (बच्चेलाल)	22640	श्यामधर सिंहमेठ	
	वि.नि.	शहंशाह पुर मे नाली	28080	श्री रामजी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	पू०वि० नि०	प्रतापपुर इंटरलॉकिंग	11520	अंकित चौबे ग्रा०प०अ०	
	”	” ”	7120	अंकित चौबे ग्रा०प०अ०	
	”	वादीपुर खड़जा	14080	श्रीकान्त उपा० ग्रा०वि०अ०	
	राविआ	ब्लॉक पेंटिंग	159520	देवेन्द्र कु० सिंह ए०डी०ओ० (सह०)	
		ब्लॉक मरम्मत	9600	” ”	
		चिकित्सालय मरम्मत (गौर)	49760	श्रीकान्त उपा० ग्रा०वि०अ०	
		बसंतपट्टी खड़जा	72020	श्रीकान्त उपा० ग्रा०वि०अ०	

	बेनीपुर इंटरलॉकिंग	14620	श्रीकान्त उपा० ग्रा०वि०अ०	
	बूढ़ापुर खड़जा	119400	श्री अंकित चौबे ग्रा०प०अ०	
	कृषक इंटर कॉलेज मरम्मत	82000	श्री राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	वीरभानपुर खड़जा	54360	श्री राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	बसंतपुर खड़जा	25280	श्रीकान्त उपा० ग्रा०वि०अ०	
	चित्तापुर खड़जा	100720	श्रीकान्त उपा० ग्रा०वि०अ०	
	ब्लॉक मरम्मत	83200	देवेन्द्रकु०सिंहए०डी०ओ० (सह०)	
	ब्लॉक पेंटिंग	21120	देवेन्द्र कु० सिंह ए०डी०ओ० (सह०)	
	वीरभानपुर खड़जा	50400	श्री राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	वीरभानपुर खड़जा	73360	श्री कान्त उपा० ग्रा०वि०अ०	
	कुरौना पोखरा	100320	श्री राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	शहंशाहपुर अंबेडकर प्रतिमा	14240	श्री राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	सिंगही खड़जा	94960	श्री प्रमोद सिंह ग्रा०वि०अ०	
	सरौनी टंकी	7800	श्री राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	गांगपुर इंटरलॉकिंग	40400	अंजनी कुमार राय ग्रा०प०अ०	
	कचहरीया नाला	11920	राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	पनियरा नाला	38520	राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	गांगपुर इंटरलॉकिंग	26840	अंजनी कुमार राय ग्रा०प०अ०	
	बूढ़ा पुर खड़जा	114080	अंकित चौबे ग्रा०प०अ०	
	सिंगही खड़जा	7280	श्री प्रमोद सिंह ग्रा०वि०अ०	
	जकिखनी साधन स० समिति मरम्मत	172440	श्री राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	जकिखनी साधन स० समिति मरम्मत	76800	श्री राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	खेवली खड़जा	99920	श्री प्रमोद सिंह ग्रा०वि०अ०	
	कुरौना पोखरा	27080	श्री राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	गौरा इंटरलॉकिंग	7720	श्री अंकित चौबे ग्रा०प०अ०	
	हरसोस खड़जा	53480	श्री राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	हरसोस खड़जा	52040	श्री राम जी सिंह ग्रा०वि०अ०	
	गौर मरम्मत (चिकित्सालय)	4970	श्रीकान्त उपा० ग्रा०वि०अ०	
	गांगपुर इंटरलॉकिंग	9760	हरिशंकर मेठ	
	भीम चंडी खड़जा	54960	कमलापति मेठ	
	बभनियाव इंटरलॉकिंग	14760	कमलापति मेठ	
	डंगहरियाँ खड़जा	83160	बसंती देवी मेठ	
	भवानीपुर इंटरलॉकिंग	19920	श्यामधर सिंह	
	मरूई इंटरलॉकिंग	49320	हरिशंकर प्रजापति मेठ	

	जनसा इंटरलॉकिंग	16960	मनीष कुमार पटेल मेठ	
	भतसार इंटरलॉकिंग	21640	मनीष कुमार पटेल मेठ	
	डगहरिया खड़जा	46040	बसंती देवी मेठ	
	कोरौती खड़जा	79480	हरिशंकर प्रजापति मेठ	
	शहाबाबाद इंटरलॉकिंग	60320	शिवलाल मेठ	
	असवारी खड़जा	20120	अनिल पटेल मेठ	
	पिलौरी इंटरलॉकिंग	48080	सुरेश मेठ	
	वीरभानपुर सी सी रोड	24080	अजीत पटेल मेठ	
	वीरभानपुर सी सी रोड	93440	अजीत पटेल मेठ	
	राजपुर खड़जा	59440	कमलापति मेठ	
	सिहोरवा इंटरलॉकिंग (दक्षिण)	12040	विजय कुमार मेठ	
	दीपापुर इंटरलॉकिंग	44600	विद्यासागर मेठ	
	गजापुर खड़जा	17160	सचिन पटेल मेठ	
	कोरौती खड़जा	92240	हरिशंकर प्रजापति मेठ	
	वादीपुर खड़जा	35000	बेचू राम मेठ	
	जयापुर इंटरलॉकिंग	56840	बेचू राम मेठ	
	मेहंदीगंज खड़जा	105560	शिवलाल मेठ	
	कचनार रानी बाजार इंटरलॉकिंग	90480	शिवलाल मेठ	
	मानियारी पुर खड़जा	100920	बेचूराम मेठ	
	शहाबाबाद इंटरलॉकिंग	60320	शिवलाल मेठ	
	भवानीपुर इंटरलॉकिंग	23000	श्यामधर मेठ	
	जमूनीपुर इंटरलॉकिंग	45360	विजय कुमार मेठ	
	मानियारीपुर खड़जा	117000	बसंती देवी	
	पनियरा खड़जा मरम्मत	27200	विद्यासागर मेठ	
	दीपापुर इंटरलॉकिंग	19920	विद्यासागर मेठ	
	योग	5061170		

प्रस्तर- 2

स्ट्रीट लाइट - पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है जिस पर निम्न गम्भीर आपत्तियाँ हैं।

क) ग्राम सभा में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के खंभों पर लाइट लगवाने हेतु एनओसी और विद्युत् कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गई है।

ख) एलईडी स्ट्रीट लाइट के सन्दर्भ में वाट एवं उसके सापेक्ष क्रय दर के निर्धारण में जिलाधिकारी की समिति से किया जाने सम्बन्धी पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं रही।

ग) क्रय प्रक्रिया में भी दिनांक 19.6.20 के शासनादेशानुसार जेम से क्रय के नियम का पालन नहीं किया गया है।

घ) स्थापना के स्थान चयन की प्रक्रिया क्या रही।

ङ) पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1838 / 33-3-2015-03 / 2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य करने से प्रतिबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रतिबन्ध मुख्यतः डुप्लीकेसी को रोकने के लिए किया गया है।

च) यदि इसकी स्थापना पुराने लाइट के स्थान पर की गयी है तो पुराने के निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही।

इस प्रकार रुपये 570958.00 की गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है | जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह और लेखाकार श्री कैलाश सोनकर उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

ग्राम पंचायत	संख्या स्ट्रीट लाइट	मूल्य सामग्री	जीएसटी टी डी एस	शुद्ध भुगतान	फर्म का नाम	
मरुई	45	127890.00	2558.00	125332.00	अर्क इले 0	
वीरभानपुर	110	312620.00	6252.00	306368.00	“	
कोरौती	50	142100.00	2842.00	139258.00	श्री जी0 इंफ्रा0 0	
योग				570958.00		

प्रस्तर- 3

आयकर कटौती - आलोच्य वर्ष 2020-21 में सामग्री खरीद के अधोलिखित बिल से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती रुपये 704232.92 सुनिश्चित न कर गंभीर अनियमितता की गयी है | जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह और लेखाकार श्री कैलाश सोनकर उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्र सं	मद	कार्य का नाम	शुद्ध भुगतान	आईटी टीडीएस
1	15	मरुई में बबलू के घर से .. अन्डरग्राउन्ड नाली	621761	12435.22
2	वि० आ०	कोरौती में शंकर जी मंदिर सुन्दरीकरण	742111	14842.22
3		चंदापुर खड़जा	421080	8421.6
4		वीरभानपुर खड़जा	209096	4181.92
5		देउरा इंटरलॉकिंग	417591	8351.82
6		गांगपुर इंटरलॉकिंग	809784	16195.68
7		बभनियांव विद्यालय में टाइल्स	113365	2267.3
8		गंजापुर इंटरलॉकिंग	183631	3672.62
9		रामरायपुर खड़जा	248699	4973.98

10		बैरवन इंटरलॉकिंग	831159	16623.18
11		दरेखू इंटरलॉकिंग	612250	12245
12		गणेशपुर खड़जा	138258	2765.16
13		भतसार लहिया इंटरलॉकिंग	414766	8295.32
14		गजापुर नाली अन्डरग्राउन्ड	319311	6386.22
15		पनियरा नाली	183994	3679.88
16		मरुई इंटरलॉकिंग	363255	7265.1
17		बसंतपट्टी खड़जा अरुण मास्टर	181856	3637.12
18		बसंतपट्टी खड़जा बच्चे लाल	350561	7011.22
19		सिंगही इंटरलॉकिंग	379136	7582.72
20		प्रतापपुर लालचंद खड़जा	180385	3607.7
21		प्रतापपुर छन्नुलाल इंटरलॉकिंग	300229	6004.58
22		कपरफोरवां नाला	655834	13116.68
23		कपरफोरवां विद्यालय मे टाईलस	330173	6603.46
24		कनेरी इंटरलॉकिंग	419706	8394.12
25		वीरभानपुर इंटरलॉकिंग	319872	6397.44
26		भतसार नाला	295838	5916.76
27		बहोरनपुर इंटरलॉकिंग	385412	7708.24
28		महगाँव इंटरलॉकिंग	188151	3763.02
29		कनेरी इंटरलॉकिंग	233534	4670.68
30		कृष्णदत्तपुर खड़जा	344238	6884.76
31		बसंतपुर खड़जा	549858	10997.16
32		कुरसातों इंटरलॉकिंग	214568	4291.36
33		चौखंडी खड़जा	244897	4897.94
34		भोजपुर इंटरलॉकिंग	247833	4956.66
35		शहंशाहपुर अंबेडकर प्रतिमा	263614	5272.28
36		दीपापुर खड़जा	115721	2314.42
37		चन्दापुर इंटरलॉकिंग	157978	3159.56
38		पयागपुर मिल्किचक इंटरलॉकिंग	459213	9184.26
39		बेलौड़ी नाली	189937	3798.74
40		गंजारी खड़जा	92638	1852.76
41		सोलर लाइट	1466828	29336.56
42		स्ट्रीट लाइट	570958	11419.16
43	वि०नि०	शहंशाहपुर मे नाली	145539	2910.78
44	पू०वि०नि०	प्रतापपुर इंटरलॉकिंग	275589	5511.78

45	,, राविआ	वादीपुर खड़जा	62972	1259.44
46		ब्लॉक पेंटिंग	125601	2512.02
47		ब्लॉक मरम्मत	189665	3793.3
48		चिकित्सालय मरम्मत (गौर)	235460	4709.2
49		बसंतपट्टी खड़जा	350087	7001.74
50		बेनीपुर इंटरलॉकिंग	180551	3611.02
51		बूढ़ापुर खड़जा	270420	5408.4
52		कृषक इंटर कॉलेज मरम्मत	184295	3685.9
53		वीरभानपुर खड़जा	279633	5592.66
54		बसंतपुर खड़जा	89296	1785.92
55		चितापुर खड़जा	497272	9945.44
56		वीरभानपुर खड़जा	405348	8106.96
57		वीरभानपुर खड़जा	133472	2669.44
58		ब्लॉक मरम्मत	162968	3259.36
59		ब्लॉक पेंटिंग	75954	1519.08
60		कुरौना पोखरा	422401	8448.02
61		शहंशाहपुर अंबेडकर प्रतिमा	83308	1666.16
62		सिंगही खड़जा	461154	9223.08
63		सरौनी टंकी	56078	1121.56
64		गांगपुर इंटरलॉकिंग	720880	14417.6
65		कचहरिया नाला	31300	626
66		पनियरा नाला	258359	5167.18
67		गांगपुर इंटरलॉकिंग	185290	3705.8
68		बूढ़ापुर खड़जा	525849	10516.98
69		सिंगही खड़जा	35383	707.66
70		जकिखनी साधन सहकारी समिति मरम्मत	588753	11775.06
71		जकिखनी साधन सहकारी समिति मरम्मत	116526	2330.52
72		खेवली खड़जा	449136	8982.72
73		कुरौना पोखरा	73940	1478.8
74		गौरा इंटरलॉकिंग	62380	1247.6
75		हरसोस खड़जा	269611	5392.22
76		हरसोस खड़जा	266083	5321.66
77		गौर मरम्मत (चिकित्सालय)	72756	1455.12
78		गांगपुर इंटरलॉकिंग	169390	3387.8
79		भीम चंडी खड़जा	287062	5741.24
80		बभनियाव इंटरलॉकिंग	234086	4681.72

81	डंगहरियाँ खड़जा	350972	7019.44
82	भवानीपुर इंटरलॉकिंग	173065	3461.3
83	मरुई इंटरलॉकिंग	388199	7763.98
84	जन्सा इंटरलॉकिंग	380884	7617.68
85	भतसार इंटरलॉकिंग	497284	9945.68
86	डंगहरिया खड़जा	213493	4269.86
87	कोरौती खड़जा	351154	7023.08
88	शहाबाबाद इंटरलॉकिंग	687122	13742.44
89	असवारी खड़जा	87225	1744.5
90	पिलौरी इंटरलॉकिंग	627150	12543
91	वीरभानपुर सी सी रोड	362165	7243.3
92	वीरभानपुर सी सी रोड	499892	9997.84
93	राजपुर खड़जा	509493	10189.86
94	सिहोरवा द0 इंटरलॉकिंग	143253	2865.06
95	दीपापुर इंटरलॉकिंग	512457	10249.14
96	गजापुर खड़जा	183355	3667.1
97	कोरौती खड़जा	438345	8766.9
98	वादीपुर खड़जा	344628	6892.56
99	जयापुर इंटरलॉकिंग	435588	8711.76
100	मेहंदीगंज खड़जा	284496	5689.92
101	कचनार रानी बाजार इंटरलॉकिंग	882583	17651.66
102	मानियारी पुर खड़जा	465819	9316.38
103	भवानीपुर इंटरलॉकिंग	193745	3874.9
104	जमूनीपुर इंटरलॉकिंग	809401	16188.02
105	मानियारीपुर खड़जा	290084	5801.68
106	पनियरा खड़जा मरम्मत	102086	2041.72
107	दीपापुर इंटरलॉकिंग	194782	3895.64
	सम्पूर्ण योग	35211646	704232.92

प्रस्तर-4

सोलर लाइट - सोलर लाइट स्थापना के संबंध में अधोलिखित आपत्ति है -

अ) सोलर लाइट एक प्रोजेक्ट है जीपीडीपी कार्य योजना में एक कार्य है लेकिन उच्च और सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक और तकनीकी अनुमति से बचने के लिए इसे टुकड़ों में तोड़ के संपादित किया गया है। इसके लिए अलग से टेंडर प्रक्रिया का पालन किया गया है लेकिन

टुकड़ों में क्रय कर निविदा का उल्लंघन किया गया है।

आ) स्थान का चयन कार्ययोजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है यह अस्पष्ट रहा।

इ) शासनादेश संख्या1838/33-3-2015-03/2015-, दिनांक 31.06.2015-में पंचायत राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं जिसके प्रस्तर दो के अनुसार पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाने हैं किन्तु संगत पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि एक से अधिक राजस्व ग्राम को जोड़े जाने वाले नियम का पालन किया गया है या नहीं। विभागीय अधिकारियों का ध्यान स्पष्ट विवरण अंकन की ओर आकृष्ट किया जाता है। ई) शासनादेश संख्या38/2017/1378/45-वि0 (अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017 दिनांक17 अक्टूबर 2017 के अनुसार सोलर लाइट क्रय हेतु यूपीनेडा के अतिरिक्त अन्य संस्था का नियमानुसार चयन किया जा सकता है किन्तु मानक यूपी नेडा के ही होने चाहिए। यूपी नेडा द्वारा बेबसाइट पर घोषित स्वीकृत दर को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए और 5 वर्ष की वारंटी और वार्षिक रखरखाव भी इसमें सम्मिलित होगा। लेकिन मानक, दर और वारंटी की जांच संगत पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।

उ) निर्माण कार्य पत्रावली के अवलोकन में यह पाया गया कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात सृजित संपत्ति पर जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत किसका स्वामित्व होगा यह स्पष्ट नहीं है ,क्योंकि सृजित संपत्ति न तो परिसंपत्ति पंजिका में अंकित कर लेखा परीक्षा प्रस्तुत रही और न ही किसी को हैण्डओवर की गयी है।

ऊ) जेम से क्रय- समस्त विभागों में शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही करनेके संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-23/2020/279/18-2-2020-97 (30)/2016 दिनांक 19.6.2000 के अनुसार दिनांक 23 अगस्त, 2017 के शासनादेश 11/2017/523/18-2-2017 97 (30) (ल0उ0) /2016 द्वारा समस्त शासकीय क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि कोई वस्तु सामग्री, सेवा जैम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो पत्रावली पर विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष स्वयं प्रमाणित करेंगे कि वह वस्तु जैम पर उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रमाणीकरण के पश्चात ही वह सामग्री ई-टेंडर के माध्यम से क्रय की जा सकेगी। वर्णित प्रक्रिया के इतर यदि कोई भी अन्य क्रय प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानी जाएगी तथा तदनुसार शासन के संज्ञान में आने पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार रुपये **1466828.00** की गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है | जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह और लेखाकार श्री कैलाश सोनकर उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

ग्राम पंचायत	सं.	लागत सामग्री	टीडीएस / जीएसटी	शुद्ध भुगतान	फर्म का नाम
दयापुर मे	4	78600	1572	77028.00	श्री जी0 इं0 प्रा0
असवारी	5	98250	1966	96284.00	„

रखौना	5	98250	1966	96284.00	,,
धानापुर	4	78600	1712	76888.00	,,
मोहनसराय	6	117900	2358	115542.00	,,
रखौना	3	58960	1180	57780.00	मे० अर्क इले०
कल्लीपुर	7	137550	2752	134798.00	, अर्क इले०
गौर/मिर्जामुराद	1	19650	394	19256.00	, अर्क इले०
गुरुदासपुर	3	58960	1180	57780.00	,,
मोंगलावीर	4	78600	1572	77028.00	,,
भवानीपुर	3	58950	1180	57770.00	,,
बहेड़वा	2	39300	786	38514.00	,,
बेनीपुर	3	58950	1180	57770.00	,,
परमपुर	3	58950	1180	57770.00	,,
महमदपुर	4	78600	1572	77028.00	,,
अयोध्यापुर	3	58950	1180	57770.00	,,
वीरभानपुर	1	19650	394	19256.00	,,
ढढोरपुर	1	21400	428	20972.00	,,
मेहंदीगंज	1	21400	428	20972.00	,,
मिल्कीचक	3	58950	1180	57770.00	,,
कोरौती	5	98250	1966	96284.00	श्री जी इंटर प्रा०
कोरौती HMSL	1	98250	1966	96284.00	,,
			योग	1466828.00	

प्रस्तर- 5

मानदेय भुगतान -आलोच्य वर्ष 2020-21 बी डी सी बैठक मानदेय के नाम पर रुपये **93500.00** चेक संख्या 5245 दिनांक 10-01-2021 को श्री कैलाश सोनकर (लेखाकार) को भुगतान किये गये हैं लेखा परीक्षा में इससे सम्बंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही जिससे यह अज्ञात रहा कि कितने सदस्यों के द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया जिनको भुगतान की दर क्या रही। साथ ही यह भुगतान खाते में न कर एक व्यक्ति को कर पी .एस.एम.एफ.गाइडलाइन का पालन न कर रुपये **93500.00** की गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह और लेखाकार श्री कैलाश सोनकर उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 6

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के लेखाकार श्री कैलाश सोनकर और खंड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह को निर्गत अंतरिम आपति के माध्यम से समाधान और व्यय प्रमाणक की अपेक्षा की गई थी लेकिन अंतरिम आपति के निर्गत के बाद संस्था के अधिकारियों के द्वारा कुल रुपये 17235741.00 (ग्रांट रजिस्टर दो के अनुसार) राज्य वित्त मद में 42 व्यय प्रमाणक तथा केन्द्रीय वित्त मद

में 58 व्यय प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं कराये गये हैं। ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आते हैं जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री कैलाश सोनकर उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से आधा-आधा रूपया 8617870.50 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है -

क्रम	मद	कार्य का नाम	मे महेश्वर	आईबीएफ	योग
1	15विआ	कोरौती मे शंकर जी मंदिर सुन्दरीकरण	627272	114839	742111.00
2		चंदापुर खड़जा	72530	348550	421080.00
3		वीरभानपुर खड़जा	15058	194038	209096.00
4		देउरा इंटरलॉकिंग	356011	61580	417591.00
5		गंगापुर इंटरलॉकिंग	757348	52436	809784.00
6		बभनियाव विद्यालय मे टाइल्स	113365	0	113365.00
7		गजापुर इंटरलॉकिंग	166335	17296	183631.00
8		रामरायपुर खड़जा	219353	29346	248699.00
9		बैरवन इंटरलॉकिंग	756860	74299	831159.00
10		दरेखू इंटरलॉकिंग	552538	59712	612250.00
11		गणेशपुर खड़जा	14830	123428	138258.00
12		भतसार लहिया इंटरलॉकिंग	355771	58995	414766.00
13		गजापुर नाली अन्डरग्राउन्ड	254709	64602	319311.00
14		पनियरा नाली	167396	16598	183994.00
15		मरुई इंटरलॉकिंग	287445	75810	363255.00
16		बसंतपट्टी खड़जा (अरुण मास्टर)	39909	141947	181856.00
17		कनेरी इंटरलॉकिंग	316372	103334	419706.00
18		वीरभानपुर इंटरलॉकिंग	291321	28551	319872.00
19		महगाँव इंटरलॉकिंग	121331	66820	188151.00
20		कनेरी इंटरलॉकिंग	210641	22893	233534.00
21		कृष्णदत्तपुर इंटरलॉकिंग	316618	27620	344238.00
22		कुरसातो इंटरलॉकिंग	180346	34222	214568.00
23		चौखंडी खड़जा	60403	184494	244897.00
24		भोजपुर इंटरलॉकिंग	230338	17495	247833.00

25		शहंशाहपुर अंबेडकर प्रतिमा	263614	0	263614.00
26		दीपापुर खड़जा	27217	88504	115721.00
27		चन्दापुर इंटरलॉकिंग	138876	19102	157978.00
28		पयागपुर मिल्किचक इंटरलॉकिंग	399545	59668	459213.00
29		बेलौड़ी नाली	169951	19986	189937.00
30		बसंत पट्टी खड़जा (बच्चेलाल)	33869	316692	350561.00
1	राविआ	सिंगही खड़जा	93096	368058	461154.00
2		सरौनी टंकी	56078	0	56078.00
3		कचहरिया नाला	24860	6440	31300.00
4		पनियारा नाला	258359	0	258359.00
5		सिंगही खड़जा	7073	28310	35383.00
6		खेवली खड़जा	100447	348689	449136.00
7		भीमचंडी खड़जा	67673	219389	287062.00
8		बभनियाव इंटरलॉकिंग	214952	19134	234086.00
9		भवानीपुर इंटरलॉकिंग	151927	21138	173065.00
10		मरुई इंटरलॉकिंग	336723	51476	388199.00
11		भतसार इंटरलॉकिंग	483915	13369	497284.00
12		कोरौती खड़जा	75731	275423	351154.00
13		असवारी खड़जा	52314	34911	87225.00
14		राजपुर खड़जा	107915	401578	509493.00
15		कोरौती खड़जा	102375	335970	438345.00
16		वादीपुर खड़जा	63641	280987	344628.00
17		जयापुर इंटरलॉकिंग	388864	46724	435588.00
18		मानियारीपुर खड़जा	102358	363461	465819.00
19		शहाबाबाद इंटरलॉकिंग	652423	34699	687122.00
20		भवानीपुर इंटरलॉकिंग	174732	19013	193745.00
21		जमूनीपुर इंटरलॉकिंग	739615	69786	809401.00
22		पनियारा खड़जा मरम्मत	92646	9440	102086.00
		योग	11864889	5370852	17235741.00

2-क्षेत्र

पंचायत- हरहुआ

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर-7

ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार आगनबाड़ी / अनुरक्षण मद में रुपये 1204775.00, और पूर्वाञ्चल विकास निधि में रुपये 198997.00, ब्याज मद में रुपये 57594.00, का वर्ष में उपभोग किया गया है इस धनराशि की पुष्टि में पत्रावली नहीं उपलब्ध कराई गई। संस्था के तात्कालिक लेखाकार को अंतरिम आपति द्वारा संज्ञान में लाया गया लेकिन संस्था के द्वारा इसके समाधान हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख के अभाव में सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1461366.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी और लेखाकार श्री कल्लू कन्नौजिया उत्तरदायी है। प्रत्येक से रु 730683.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-8

निराश्रित गोवंश मद में विभिन्न खातों में रुपये 1249999.00/- का हस्तांतरण ग्राम पंचायत के विभिन्न खातों में किया गया जिस हेतु डिमांड पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली में पाई गई लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा डिमांड और उपभोग धनराशि की डिमांड की पुष्टि में पशुओं की संख्या और उनके ऊपर नियमानुसार उपभोग की स्थिति अज्ञात रही। किस आधार पर इस धनराशि का हस्तांतरण किया गया है यह अज्ञात रहा। इस धनराशि की पुष्टि में पत्रावली नहीं उपलब्ध कराई गई। संस्था को अंतरिम आपति के द्वारा संज्ञान में लाया गया लेकिन संस्था के द्वारा इसके समाधान हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख के अभाव में सम्पूर्ण धनराशि के अपहरण के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी और लेखाकार श्री कल्लू कन्नौजिया उत्तरदायी है। प्रत्येक से रुपये 624999.50 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-9

आयकर कटौती -आलोच्य वर्ष 2020-21 में सामग्री खरीद के अधोलिखित बिल से रुपये 186442.06/- आयकर की कटौती न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी और लेखाकार श्री कल्लू कन्नौजिया उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्र म	वाउचर न0/ दिनांक	बिल धनराशि	सामग्री धनराशी	कटौती आईटीटीडीएस	शुद्ध भुगतान	पीएफ एम एस	दिनांक	कटौती नहीं आईटीटीडीएस
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	112/19.9.2020	159915.00	138079.00		156717.00	72006	3.10.2020	2761.58
	130/7.10.2020	518698.00	463124.00		508324.00	70038	13.10.2020	9262.48
	226-227/24.11.20	213947.00	191185.00	4279	205390.00	52617	4.1.2021	
2	120/25.9.2020	536328.00	476609		525603.00	58252	3.10.2020	9532.18
	131/7.10.2020	273376.00	244086.00		267908.00	26645	13.10.2020	4881.72
	228-229/24.11.20	110842.70	99215.00	2216	106409.00	40815	4.1.2021	
3	121/20.9.2020	79146.00	68092.00		77564.00	12214	6.10.2020	1361.84
	136/8.10.2020	402304.00	359200.00		394258.00	62210	21.10.2021	7184.00
	147/10.10.2020	285928.00	255292.00		280210.00	01634	9.11.2020	5105.84
	231/24.11.2020	118256.00	105834.00	2365	113525.00	29167	4.1.2021	
4	123/6.10.20	79146.00	68092.00		77564.00	89487	6.10.2020	1361.84
	135/8.10.20	436800.00	390000.00		428064.00	52383	21.10.2020	7800.00
	146/10.10.2020	285928.00	255292.00		280210.00	04409	9.11.20	5105.84
	233/24.11.2020	116361.00	104280.84	2327.00	111706.00	32963	12.1.20	
5	122/20.9.2020	89315.00	77547.00		87529.00	5709	6.10.2020	1550.94
	134/8.10.2020	338688.00	302400.00		331914.00	89180	21.10.2020	6048.00
	148/10.10.20	322858.00	288266.00		316400.00	98631	9.11.2020	5765.32

	235/24.10.2020	118329.00	105900.00	2367	113596.00	35356	4.1.21	
6	113/19.9.2020	90592.00	81406.00		88780.16			1628.12
	125/30.9.2020	637181.00	569559.00		624437.38	40061	6.10.2020	11391.18
	132/2.10.2020	178317.00	157029.00		174751.00	70488	13.10.20	3140.58
7	126/30.9.20	754254.00	665252.00		739168.00	63233	30.10.2020	13305.04
	155/11.10.2020	57058.00	49766.00		55916.00	82055	25.11.2020	995.32
	133/9.10.2020	5480.00	5220.00	110	5260.00	16057	2.11.2020	
8	110/20.9.2020	821721.00	733719.00		805287.00	61830	30.10.2020	14674.38
	153/11.10.2020	51291.00	45317.00		50265.00	42797	25.11.20	906.34
	162/28.10.2020	5480.00	5220.00	110	5260.00	13278	2.1.2021	
9	111/20.9.2020	597096.00	533106.00		585154.00	66958	30.10.2020	10662.12
	154/11.10.2020	43280.00	37946.00		42414.00	59119	25.11.2020	758.92
	157/18.10.2020	5480.00	5220.00	110	5260.00	11210	2.1.2021	
10	142/9.10.2020	635723.00	559539.00		623009.00	61590	9.11.2020	11190.78
	172/24.10.2020	5480.00	5220.00	110	5260.00	16021	23.01.2021	
11	143/9.10.2020	241753.00	213405.00		236917.00	62522	9.11.2020	4268.10
	175/4.11.2020	5480.00	5220.00					104.40
12	145/9.10.2020	231278.00	204976.00		226652.00	42649	8.11.2020	4099.52
	173/24.10.2020	27781.00	24093.00	556	26640.00	40567	25.1.2021	
13	144/9.10.2020	370511.00	328365.00		363101.00	70968	8.11.2020	6567.30
	159/25.10.2020	5480.00	5220.00	110	5260.00	98957	14.11.2020	
14	149/10.10.2020	394470.00	351097.00		386529.00	10414	9.11.2020	7021.94
	156/16.10.2020	46974.00	41362.00		46034.00	93828	25.11.2020	827.24
	174/4.11.2020	5480.00	5220.00	110	5260.00	16777	2.1.2021	
15	151/10.10.2020	704347.00	628365.00		690261.00	08083	9.11.2020	12567.30
	176/4.11.2020	175105.00	152815.00	3502	168101.00	74784	14.1.2021	
16	152/10.10.2020	245336.00	217370.00		240430.00	10920	9.11.2020	4347.40
17	124/20.9.2020	525643.00	461843.00		515131.00	71084	24.11.2020	9236.86
	वर्ष 19-20 का भुगतान							
	वा 0 न 0 /दि 0	बिल धन 0	सामग्री ध 0	आईटी टीडीएस	भुगतान	चेक	दिनांक	
1	108/3.4.20	5490	4902		5392	31087	14.8.20	98.04
	70/27.03.20	112771	100688	2013	108745	531	8.4.20	

2	57/6.3.20	145922	135802	2716	140490	534	17.4.20	
	185/28.8.20	5490	4902		5392	31084	4.8.20	98.04
3	104/27.3.20	5490	4902	-	5392	31085	14.8.20	98.04
	65/7.3.20	103489	95181	1904	99681	538	24.4.20	
4	70/19.3.20	111210	99295	1986	107238	540	20.5.20	
	74/23.3.20	343768	306934	6139	331490	530	8.4.20	
5	71/19.3.2020	267104	238486	4770.72	257565	532	17.4.20	
	106/2.4.20	35586	31774	-	34951	31086	14.8.20	635.48
6	103/15.3.20	5490	4902		5392	31088	14.8.20	98.04
	66/7.3.2020	16586	15276	306	15974	536	28.4.20	
7	53/1.3.2020	351092	312004	6240	338612	539	6.5.20	
	64/4.3.2020	68721	62447	1249	66223	540	20.5.20	
		23817889.70	21242239.84	263305.90	22675183.54			186442.06

प्रस्तर-10

आलोच्य वर्ष 2020-21 में निर्माण मरम्मत पत्रावलियों में कतिपय मजदूरों को एक तिथि को भिन्न-भिन्न स्थानों पर कार्य करते हुए दिखाकर भुगतान किया गया है। एक मजदूर एक स्थान पर एक ही कार्य कर सकता है भिन्न-भिन्न स्थान पर नहीं। इस प्रकार रुपये 223034.00 का दुहरा भुगतान कर अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी से रु 55758.50, अवर अभियंता श्रीकान्त तिवारी से रु 55758.50, लेखाकार श्री कल्लू कन्नौजिया से रु 55758.50 और कार्य प्रभारी श्री अरविन्द सिंह ग्राविअ से रु 35845.00 कार्य प्रभारी श्री शत्रुघ्न मिश्रा अ.अ.ल.सि. से रु 12435.75 और कार्य प्रभारी श्री अनुराग शुक्ला ग्राविअ से रु 601.50 और कार्यप्रभारी श्री अवधेश कुमार सिंह सविअ(सह.) से रु 6876.25 (प्रत्येक से एक चौथाई) ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

विकासखण्ड परिसर में सामुदायिक भवन 4 अ -द तक मरम्मत					कार्यप्रभारी अरविन्द कुमार सिंह ग्रा.वि.अ.				
क्र म					क्र म	विकासखण्ड परिसर में सामुदायिक भवन 5 अ-ब विद्युत इंटरलॉकिंग			
	मस्टर रोल दिनांक	21.9.20 से 27.9.20 तक	28.9.20 से 4.10.20 तक	5.10.20 से 11.10.20 तक		मस्टर रोल दिनांक	26.9.20 से 2.10.20 तक	3.10.20 से 8.10.20 तक	
		MR 3	MR4	MR5			म.रो. 26	म.रो. 27	
	दिवस	2 दिवस	7 दिवस	4 दिवस			7 दिवस	6 दिवस	
1	महेंद्र				1	महेंद्र	2800	2400	
3	रविशंकर				2	रविशंकर	2800	2000	
2	विजय प्रकाश				3	विजय प्रकाश	2800	1600	
4	कमलेश				4	कमलेश	1407	1206	
5	सोनू कुमार				5	सोनू कुमार	1407	1206	
6	वीरेंद्र				6	वीरेंद्र	1407	1206	
7	परदेशी				7	परदेशी	1407	1206	
8	राजेश				8	राजेश	1407	1005	
9	दीपक				9	दीपक	1407	1005	
10	दक्कन				10	दक्कन	1407	1005	
11	लालमन				11	लालमन	1407	1005	

12	राजकुमार				12	राजकुमार	1407	1005	
	योग					योग	21063	15849	
						सम्पूर्ण योग -- 36912.00			
						कार्यप्रभारी	श्री शत्रुघ्न मिश्रा	अ0अ0ल0सि	
10	विकासखण्ड परिसर मे सामुदायिक भवन 4 अ - द तक मरम्मत				म.रोल 3,4		विकासखण्ड परिसर मे सरदार पटेल की मूर्ति का जीर्णोधार		
	क्र म	म.रो. दिनांक	21.9.20 से 27.9.20 तक	28.9.20 से 4.10.20 तक		क्र म	म.रो. दिनांक	20.9.20 से 26.9.20 तक	27.9.20 से 30.9.20 तक
		दिवस	7 दिवस	3 दिवस				6 दिवस	4 दिवस
1	महेंद्र				1	महेंद्र	2400	1600	
3	रविशंकर				2	रविशंकर	2400	1600	
2	विजय प्रकाश				3	विजयप्रकाश	2400	1200	
4	कमलेश				4	कमलेश	1206	804	
5	सोनू कुमार				5	सोनू कुमार	1206	804	
6	वीरेंद्र				6	वीरेंद्र	1206	804	
7	परदेशी				7	परदेशी	1206	804	
8	राजेश				8	राजेश	1206	804	
9	दीपक				9	दीपक	1206	804	
10	दक्कन				10	दक्कन	1206	804	
11	लालमन				11	लालमन	1206	603	
12	राजकुमार				12	राजकुमार	1206	603	
	योग						18054	11234	
						सम्पूर्ण योग	29288		
पेज 1 कुल योग - 36912.00 +29288.00 = 66200.00									

				कार्यप्रभारी श्री शत्रुघ्न मिश्रा अ.अ.ल. सि.				
	पिसौर मे खनझाटी राजभर के घर से संतोष के घर तक इंटरलॉकिंग म.रो. 34,35			क्र म	नकछेदपुर मे पिच रोड से इंदु वर्मा के प्लांट वाले रास्ते पर इंटर0 म.रो. 18,19			
म.रो. दिनांक		11.10.20	18.10.20 से 24.10.20 तक			17.10.20 23.10.20 तक		
		म.रो. 34	म.रो. 35			म.रो. 18	म.रो. 19	
क्र.	मजदूर नाम	1 दिवस	6 दिवस		क्रम		7 दिवस	
1	बिंदोस	मिस्त्री			1	बिंदोस	2800	मजदूर
3	रमेश				10	रमेश	2407	
4	किरन				8	किरन	1407	
5	भूल्लन				7	भूल्लन	1407	
6	नंदन				6	नंदन	1407	

7	धर्मनंद		5	धर्मनंद	1407	
8	सरोज		4	सरोज	1206	
9	जितेंद्र	मिस्त्री	3	जितेंद्र	2800	मजदूर
10	अनिल	मिस्त्री	2	अनिल	2800	मजदूर
11	आशा		11	आशा	1407	
13	शकुंतला		9	शकुंतला	1407	
			योग		20455.00	

				कार्यप्रभारी श्री अनुराग शुक्ला ग्रा वि अ			
26	वीरापट्टी मे शिवबली के दुकान से शोभनाथ के दुकान घर तक इंटरलॉकिंग			22	गोसाईपुर मे पिच रोड से पुलिस चौकी तक इंटरलॉकिंग		
क्र म	म.रो. दिनांक	3.11.20 से 5.11.20 तक		क्र म	5.11.20 से 11.11.20 तक		
		1 दिवस			1 दिवस		
		म.रो 28			म.रो. 30		
1	महेंद्र		1	महेंद्र	400		
2	रविशंकर		2	रविशंकर	400		
3	विजय प्रकाश		3	प्रकाश	400		
4	कमलेश		4	कमलेश	-		
5	सोन्		5	सोन्	201		
6	वीरेंद्र		6	वीरेंद्र	201		
7	परदेशी राम		7	परदेशी राम	201		
8	राजेश		8	राजेश	201		
9	दीपक		9	दीपक	201		
10	दक्कन		10	दक्कन	201		
11	लालमन		11	लालमन	-		
12	राजकुमार		12	राजकुमार	-		
			योग		2406.00		
			पेज 2 सम्पूर्ण योग				22861.00

वर्ष 2019-20 के भुगतान							
				कार्य प्रभारी अरविन्द कुमार सिंह सविअ (आईएसबी)			
2	भटपुरवा कला मे सचानू पटेल के घर से कैलाश राजभर के घर तक खड़जा मरम्मत			3	शिवरामपुर मे पंचम चौहान के घर से राजेन्द्र चौहान के घर तक खड़जा		
क्र म	म.रो. दिनांक	4.3.20 से 10.3.20 तक	11.3.20 से 17.3.20 तक	क्र म	5.3.20 से 11.3.20 तक	12.3.20 से 18.3.20 तक	
	दिवस	6 दिवस	7 दिवस		7 दिवस	7 दिवस	टिप्पणी
1	अरविन्द			1	अरविन्द	2625	3.3.20 के '
2	रामसूरत			2	रामसूरत	2625	सुधार की

3	प्रदूमन	21	प्रदूमन	1274	1274	अपेक्षा की
4	दल्लू	5	दल्लू	1274	1274	गई थी।
5	रमेश	7	रमेश	1274	1274	इसे 5.3.20
9	बबलू	3	बबलू	2625	1500	मानकर
13	जितेंद्र	9	जितेंद्र	1274	1274	आकलन
15	कल्लू	4	कल्लू	2625	1274	किया गया
16	राजकुमार	15	राजकुमार	1274	1274	है
17	कल्लू	14	कल्लू	1274	1274	
19	हथौड़ा	18	हथौड़ा	1274	1274	
20	बिस्सू					
			योग	19418	46923	
सम्पूर्ण योग ==			19418.00 +46923.00 =66341.00			

				कार्य प्रभारी		अवधेश कुमार सिंह		सविअ(सह)	
क्र म	भटपुरवा कला मे सचानू पटेल के घर से कैलाश राजभर के घर तक खड़जा मरम्मत			क्र म	भटपुरवा कला मे सचानू पटेल के घर से कैलाश राजभर के घर तक खड़जा मरम्मत				
म.रो. दिवस 11.3.20 से 17.3.20				म.रो. दिवस 4.3.20 से 17.3.20					
	पेज 2	पेज 1			पेज 1		पेज 2		
21	बिस्सू	19	1274	20	बिस्सू	21	बिस्सू		1274
22	हथौड़ा	18	1274	19	हथौड़ा	22	हथौड़ा		1274
23	राजकुमार	16	1274	16	राजकुमार	23	राजकुमार		1274
24	कल्लू	17	1274	15	कल्लू	24	कल्लू		1274
25	शंभू	20	1274	18	शंभू	25	शंभू		1274
26	सेवालाल	14	1274	14	सेवालाल	26	सेवालाल		1274
27	जितेंद्र	13	1274	13	जितेंद्र	27	जितेंद्र		1274
28	वंशराज	12	1274	12	वंशराज	28	वंशराज		1274
29	गुलाब	11	1274	11	गुलाब	29	गुलाब		1274
30	बबलूकुमार	15	1274	9	बबलूकुमार	30	बबलूकुमार		1274
31	शिवकुमार	8	1275						
32	पगगल	7	750						
योग			14765	योग 12740					
		पेज 3 सम्पूर्ण योग		93846.00					

				सविअ कार्य प्रभारी			

2	रामसूरत	1	रामसूरत	2625	1	750
1	अरविन्द	2	अरविन्द	2625	2	750
4	दल्लू	13	दल्लू	1274	10	364
5	रमेश	12	रमेश	1274	7	364
6	ईशा	17	ईशा	1274	11	364
7	पगगल	18	पगगल	1274	12	364
8	शिवकुमार	19	शिवकुमार	1274	-	-
9	बबलू	5	बबलू	1274	4	364
10	रामसरन	8	रामसरन	1274		
15	कल्लू	6	कल्लू	1274	3	364
18	शंभू	3	शंभू	2625		
		योग		18067	3684	
सम्पूर्ण योग				21751.00		

शिवरामपुर मे पंचम चौहान के घर से राजेन्द्र चौहान के घर तक खड़जा				सविअ (आईएसबी)			
3				7			
क्र म	म.रो. दिनांक	5.3.20 से 11.3.20 तक	12.3.20 से 18.3.20 तक	क्र म	म.रो. दिनांक	4.3.20 से 10.3.20 तक	13.3.20 से 14.3.20 तक
दिवस		6 दिवस	2 दिवस	दिवस		6 दिवस	2 दिवस
1	अरविन्द	3.3.20 के		2	अरविन्द	2250	750
2	रामसूरत	'		1	रामसूरत	2250	750
3	बबलू	सुधार		5	बबलू	1092	-
4	कल्लू	की		6	कल्लू	1092	364
5	दल्लू	अपेक्षा		13	दल्लू	1092	364
7	रमेश	की		12	रमेश	1092	364
8	पांडु	गई थी।		7	पांडु	1092	364
10	दिनेश	इसे		20	दिनेश	1092	-
11	सूरज	5.3.20		10	सूरज	1092	364
12	राजेश	मानकर		16	राजेश	1092	364
13	पाँचू	आकलन		14	पाँचू	1092	364
		किया					
		गया					
		है					
योग				14328 4048			

पेज 4 सम्पूर्ण योग	40127.00
सम्पूर्ण योग पेज 1+2+3+4	223034.00

3- क्षेत्र पंचायत -चिरईगाँव लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -11

आलोच्य वर्ष 2020-21 में आयकर कटौती रु 152795.00 व जी.एस.टी. कटौती रु 94638.00 कुल रु 247433.00 रोककर दुर्विनियोग किया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी पाण्डेय व लेखाकार श्री रवीन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -12

निर्माण कार्यों में सन्निहित श्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों/श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों/श्रमिकों के खाते में न करके अनियमित तरीके से कार्य प्रभारी के नाम से निर्गत चेक के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2020-21 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 1861889.00 श्रमांश भुगतान किया गया है। यह धनराशि विभिन्न कार्य प्रभारियों के नाम से निर्गत चेक/पीएफएमएस के माध्यम से आहरित की गयी है।

उल्लेखनीय है कार्य प्रभारी के नाम निर्गत चेक के माध्यम से श्रमांश भुगतान होने से मजदूरों/श्रमिकों को उचित मजदूरी प्राप्त होने की पूर्णतः पुष्टि नहीं होती है जो वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के पूर्णतः प्रतिकूल है तथा वित्तीय अनियमितता है। मस्टररोल तैयार किया गया है लेकिन कुछ मस्टररोल पर क्रमांक नहीं अंकित है। इस प्रकार रु0 1861889.00 का अनियमित भुगतान हुआ। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी पाण्डेय व लेखाकार श्री रवीन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

4-क्षेत्र पंचायत -चोलापुर लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -13

लेखा परीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के रु 35,000.00 की धनराशि प्रत्येक लाभार्थी के खाते में न देकर एकमुश्त निकाला गया है। दिनांक 01.01.2021 को 38 लाभार्थियों के लिए रु 1330000.00, चेक संख्या 331486 के माध्यम से तथा दिनांक 10.02.2021 को 15 लाभार्थियों के लिए रु 525000.00, चेक संख्या 331491 के माध्यम से खाते से निकाला गया है। पासबुक से ये भी नहीं स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये धनराशि किसके खाते में गई है। इस प्रकार एकमुश्त निकाले जाने से लाभार्थियों को अनुदान प्राप्त होने की पुष्टि नहीं होती तथा रु 1855000.00 का व्यय कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से रु 927500.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -14

निर्माण कार्यों में सन्निहित श्रमांश का भुगतान सीधे प्रत्येक मजदूर/श्रमिक के खाते में किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि केन्द्रीय वित्त योजना के अंतर्गत कराए गए समस्त कार्यों (सूची संलग्न) हेतु श्रमांश का भुगतान प्रत्येक मजदूर/श्रमिक के खाते में न करके अनियमित तरीके से एक या दो खाते में किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल रु 2137640.00 श्रमांश भुगतान इसी तरीके से किया गया है। विवरण निम्नवत है :-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	मजदूरी (रु)

1	ग्राम पंचायत कटारी (धरांग) राजेन्द्र यादव के घर के सामने जल निकासी पुलिया का निर्माण	33460.00
2	ग्राम पंचायत हाजीपुर में कब्रिस्तान के पास नाला से दक्षिण शरीफ के घर होते हुये रामजी के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण	40340.00
3	विकास खण्ड में गेट से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय तक इन्टरलाकिंग	87900.00
4	ग्राम पंचायत खरदाहा में धरमू यादव के घर से मुरेरी सरहद तक खंडजा मरम्मत	150520.00
5	ग्राम पंचायत चोलापुर में (गोला) में रामकृष्ण के घर से रामकिसुन के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण कार्य	24520.00
6	ग्राम पंचायत भवानीपुर धरसौना में देवरहवा बाबा आश्रम व सरजू यादव के घर से एन एच ए आई रोड तक खंडजा निर्माण	88620.00
7	ग्राम पंचायत रामपुर (मदनावीर) में पिच रोड से रामचन्द्र के घर तक खंडजा कार्य	24380.00
8	ग्राम पंचायत लश्करपुर में पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय से होते हुये उच्च प्राथमिक विद्यालय तक खंडजा निर्माण कार्य	105680.00
9	ग्राम पंचायत धरसौना में राम आसरे सिंह के घर से मेंन रोड तक इन्टरलाकिंग कार्य	34560.00
10	ग्राम पंचायत कपिसा (तराव) में पिच रोड से कहार बस्ती तक विनोद व रामआसरे के घर तक खंडजा मरम्मत कार्य	58840.00
11	ग्राम पंचायत कपिसा पिच रोड एन एच ए आई से व्यायामशाला व रामजीत के घर तक खंडजा निर्माण कार्य	141000.00
12	ग्राम पंचायत पहाड़पुर में मेंन रोड से सगू साव के मकान से अरविन्द साव के मकान तक खंडजा मरम्मत	21080.00
13	ग्राम पंचायत कपिसा में वाराणसी आजमगढ़ रोड राजेन्द्र सिंह के घर से शारदा के खेत तक इन्टरलाकिंग कार्य	43880.00
14	ग्राम पंचायत महमूदपुर (गुलरी) में सी सी रोड से खुटहा नाला तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण कार्य	95360.00
15	ग्राम पंचायत जगदीशपुर में पलटू यादव के घर से राजभर बस्ती होते हुये नरेंद्र यादव के घर तक खंडजा निर्माण	58360.00
16	ग्राम पंचायत नयारडीह में अरविन्द के घर से नहर तक खंडजा निर्माण	83120.00
17	ग्राम पंचायत छितमपुर (चुमकनी) में मेवालाल के घर से गौरी शंकर के घर तक खंडजा कार्य	91200.00
18	ग्राम पंचायत बर्थरा खुर्द में पिच रोड से रामनरेश के घर होते हुये रामसेवक के घर तक खंडजा मरम्मत	131200.00
19	ग्राम पंचायत चोलापुर में सहजानंद के घर से मुस्लिम बस्ती तक साइडवाल सहित खंडजा मरम्मत	153720.00
20	ग्राम पंचायत मवड़ियाँ में ब्रजेश मिश्रा के घर से नहर तक इन्टरलाकिंग कार्य	31120.00
21	खैरवार के घर से शंकर जी मंदिर होते हुये रामपूजन के घर तक इन्टरलाकिंग	52100.00
22	ग्राम पंचायत मंगोलेपुर में माइनर खंडजा से मनोज सिंह के घर तक खंडजा निर्माण	43640.00
23	ग्राम पंचायत शहडीह सुखराम पटेल के खेत से बचाई पटेल के घर तक इन्टरलाकिंग	59700.00
24	ग्राम पंचायत महमूदपुर में मिश्री पासी के घर से पाल बस्ती तक खंडजा मरम्मत	86280.00

25	ग्राम पंचायत टेकारी में पिचरोड से राम जीत के खेत तक खड़जा निर्माण	68400.00
26	विकास खण्ड परिसर में स्थित सभा कछ में टाइल्स रंगाई पुताई विद्युतीकरण एम एस ग्रिल का कार्य	21700.00
27	ग्राम पंचायत पहाड़पुर में पिच रोड से अतुल सिंह के घर तक खड़जा कार्य	22560.00
28	ग्राम पंचायत महमूदपुर में पिच रोड से खूँटहा सरहद तक खड़जा मरम्मत	194540.00
29	विकास खण्ड कार्यालय द्वितीय गेट से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं कैंपस तक इन्टरलाकिंग	89860.00
	योग	2137640. 00

उल्लेखनीय है कि इस तरीके से श्रमांश भुगतान होने से मजदूरों/श्रमिकों को उचित मजदूरी प्राप्त होने की पूर्णतः पुष्टि नहीं होती है, जो वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के पूर्णतः प्रतिकूल है तथा वित्तीय अनियमितता है। मस्टररोल तैयार किया गया है लेकिन मस्टररोल पर क्रमांक नहीं अंकित है। इस प्रकार रु0 2137640.00 का अनियमित भुगतान हुआ। इस अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री कौशल कुमार एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -15

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि, वर्षांत में ₹ 582761.00 की जी०एस०टी० कटौती आयकर कटौती ₹ 118321.00 व लेबर सेस कटौती ₹ 4458.00 राजकीय कोषागार में जमा कराई जानी शेष है। इस प्रकार राजकीय धन (₹ 705540 .00) को रोक कर रखा जाना दुर्विनियोग है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

5-क्षेत्र पंचायत- बड़ागाँव

लेखा परीक्षा वर्ष-2020-21

प्रस्तर - 16

ग्राम पंचायत साईपुर में मनबोध सिंह के दरवाजे पर एवं साईपुर में कराये गये इन्टरलाकिंग कार्य पर कुल रु0 349994.00 भुगतान किया गया है. जिसमें व्यय का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर - II/वर्क रजिस्टर के अनुसार इस प्रकार है।

साम ग्री	फर्म का नाम	चेक नव दिनांक 0	सामग्री की धनराशि	कटौती)2%टी.डी.(एस./जी.एस.टी	शुद्ध भुगतान

1	पटेल ईट उद्योग देईपुर बड़ौरा -	058255/23.07.2020	76723.00	1461 .00	75262.00
2	माँ वैष्णो कन्स्ट्रक्शन फतेपुर बड़ागाँव	058256/23.07.2020	236751.00	4013 .00	232738.00
	योग		313474.00	5474 .00	308000.00

मजदूरी	कार्य अवधि	चेक नव दिनांक 0	धनराशि
	-	058257/23.07.2020	36520.00

उक्त कार्य की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 349994.00 (जिसमें सामग्री-313474.00+मजदूरी -36520.00) अपहरित कर ली गयी जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी. लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -17

ग्राम पंचायत नथईपुर अहिरानी सरहद पर लगे खड़न्जा के ईट का एवं बोर्ड का भुगतान कुल रु0 22709.00 भुगतान किया गया है. जिसमें व्यय का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर - II/वर्क रजिस्टर के अनुसार इस प्रकार है।

सामग्री	फर्म का नाम	चेक नव दिनांक 0	सामग्री की धनराशि	कटौती)2% (टी.डी.एस./जी.एस.टी	शुद्ध भुगतान
1	पटेल ईट उद्योग देईपुर बड़ौरा -	058258/23.07.2020	14994.00	286 .00	14708.00
2	माँ वैष्णो कन्स्ट्रक्शन फतेपुर बड़ागाँव	058259/23.07.2020	4515.00	86 .00	4429.00
	योग -		19509.00	372 . 00	19137.00

मजदूरी	कार्य अवधि	चेक नव दिनांक 0	धनराशि
	-	058260/23.07.2020	3200.00

उक्त कार्य की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 22709.00 (जिसमें सामग्री -19509.00 +मजदूरी -3200.00) अपहरित कर ली गयी जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी .लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -18

मधुमखिया गौशाला की बाउण्ड्री पर कुल ₹0 462066.00 का भुगतान किया गया है. जिसमें व्यय का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर - II/वर्क रजिस्टर के अनुसार इस प्रकार है।

सामग्री	फर्म का नाम	चेक नव दिनांक 0	सामग्री की धनराशि	कटौती)2% (टी.डी.एस./जी.एस.टी	शुद्ध भुगतान
1 .	हर्ष बिल्डिंग मैटेरियल चंगवार बड़ागाँव	021707/16.02.2021	220086.00	4402 .00	215684.00
2 .	वर्षा ईट उद्योग सरावांबड़ागाँव .	021708/16.02.2021	107835.00	2157 .00	105678.00
3 .	एम .एम. इण्टरप्राइजेज ईश्वरपुर.बड़ा गाँव	021709/16.02.2021	115145.00	2308 .00	112837.00
	योग		443066.00	8867 .00	434199.00

मजदूरी	कार्य अवधि	चेक नव दिनांक 0	धनराशि
	-	021710/16.02.2021	19000.00

उक्त कार्य की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹0 462066.00 (जिसमें सामग्री - 443066.00 +मजदूरी -19000.00) अपहरित कर ली गयी जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी .लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -19

अधोलिखित बिलो से आईटी0टी0टी0डी0एस की ₹0 220114.95 की कटौती न कर संस्था के द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है। नियमानुसार न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर अर्थदण्ड/ पेनाल्टी लगाये जाने का प्रावधान है। जिसके लिए लेखाकार श्री विजयकान्त सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र प्रसाद द्विवेदी एवं दिपांकर आर्य उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र० सं	वाउचर नम्बर	धनराशि	आई०टी०टी०डी०एस०)2 (%)
1.	119, 35 90	118063.00 94332.00 4515.00	2362.00 1886.00 90.00
2.	125 87	215460.00 4515.00	4309.20 90.00
3.	113 88	151536.00 193572.00 4515.00	3150.00 3872.00 90.00
4.	128 40	23776.00 174985.00	476.00 3500.00

5.	136	105121.00	2102.00
6.	116	56133.00	1122.00
7.	137 47	105548.00 388393.00 154747.11 17158.00	2110.00 7767.00 3096.00 4387.00
8.	105 30 111 118	219450.00 20857.00 57750.00 19057.00 8654.00 19268.36 13932.70 4515.00	4386.00 417.00 1155.00 381.00 173.00 - - 90.00
9.	108	295633.80 4515.00	5912.00 90.00
10.	110 33	72646.00 354777.00 4515.00	1452.00 7095.00 90.00
11.	122	97155.00 4515.00	1944.00 90.00
12.	179 130 105 41	22654.00 61055.29 129086.79 349325.00	453.00 1221.00 2581.00 6986.00
13.	158 74	107468.00 611028.00	2149.00 12221.00
14.	727	45496.00	910.00
15.	69 157	156112.00 20749.68	3122.00 414.00
16.	124 39	27333.00 132375.00 4515.00 811.02	456.66 2648.00 90.00 -
17.	126	177471.00 4515.00 4322.00	3549.00 90.00 -
18.	48 241	25150.00 45461.00	504.00 910.00
19.	37 121 79	630207.00 113482.00 4515.00	12604.00 2270.00 90.00

20.	112	57750.00	1156.00
	31	23252.93	465.00
	135	231000.00	4620.00
	44	40425.00	808.00
		14712.00	294.00
		18917.00	-
		9909.00	.-
21.	160	11366.00	227.00
	71	73727.00	1474.00
22.	152	19561.00	391.00
	65	4515.00	90.00
		5353.45	
23.	188	245011.00	4900.00
	85	339377.00	6788.00
24.	150	96954.00	1938.00
	57	559803.00	11196.00
25.	169	15066.00	301.00
	72	92311.00	1846.00
26.	156	64350.00	1287.00
	60	305808.00	15290.00
27.	172	31735.00	635.00
	94	145672.00	2913.00
		4515.00	90.00
28.	169	76133.10	1523.00
	78	352130.00	7043.00
29.	170	36923.00	738.00
	86	223041.00	4461.00
		6122.15	-
30.	167	53376.00	1067.00
	76	626432.00	12529.00
31.	75	447704.80	8954.09
	164	101339.91	2027.00
32.	148	66236.00	1324.00
33.	143	120430.00	2408.00
34.	98	239.00	5.00
	174	65980.00	1320.00
35.	99	55149.00	1103.00
	176	21899.00	438.00
	185	75042.00	1429.00
	186	4428.00	84.00
	योग -		220114.95

प्रस्तर-20

जी0एस0टी0 एक्ट के तहत बिलों से जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है, लेकिन नियमानुसार रु0 367128.00 को जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। कटौती की गयी धनराशि को माह समाप्त होने के 10 दिन के भीतर रिटर्न फाइल किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा धारा-47(1) के अनुसार लेट फीस रु0 100/-(अधिकतम रु05000/-) अलग से देय होगा। लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 07.07.2021 को आंशिक धनराशि 79600.00 जमा किया गया है। जिसके लिए लेखाकार श्री विजयकान्त सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र प्रसाद द्विवेदी एवं दिपांकर आर्य उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21

आलोच्य वर्ष 2020-21 में अधोलिखित मदों की धनराशि वर्षान्त व्यय करने हेतु रोककर एवं वर्ष में उपभोग न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिए लेखाकार श्री विजयकान्त सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र प्रसाद द्विवेदी एवं दिपांकर आर्य उत्तरदायी है। जिसकी ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्रं.सं 0	मद	वर्षान्त अवशेष
1	सांसद निधि	43 .00
2	आँगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	190971.00
	योग	191014.00

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 प्रारूप -03

जनपद - भदोही

मण्डल का नाम - विन्ध्याचलधाम

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ

(1) क्षेत्र पंचायत का नाम ज्ञानपुर

प्रस्तर-1 आलोच्य वर्ष में आयकर मद में रु0 695265.00 प्राप्त हुआ तथा गत वर्ष का अवशेष शून्य था इस प्रकार वर्षान्त में अवशेष रु0 695265.00 रहा । वर्षान्त तक आयकर मद की धनराशि रु0 695265.00 सम्बन्धित विभाग में जमा न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलजीत सिंह एवं श्री सुरेन्द्र कुमार मौर्य तथा लेखाकार श्री सत्येन्द्र नाथ दूबे उत्तरदायी है।

(साधारण आपति सं0-02)

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष में जी0एस0टी मद में ₹0 621380.00 प्राप्त हुआ तथ गत वर्ष का अवशेष शून्य था इस प्रकार वर्षान्त में अवशेष ₹0 621380.00 रहा । वर्षान्त तक आयकर मद की धनराशि ₹0 621380.00 सम्बन्धित विभाग में जमा न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलजीत सिंह एवं श्री सुरेन्द्र कुमार मौर्य तथा लेखाकर श्री सत्येन्द्र नाथ दूबे उत्तरदायी हैं। **(साधारण आपति सं0-03)**

(2)क्षेत्र पंचायत का नाम सुरियावा

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में देखा गया की जमानत मद में ₹ 1037148.00 अवशेष है, जिसे वापस किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया । इस प्रकार उक्त राशि को रोके रखकर धन की अनियमितता की गयी है।। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नवीन गुप्ता तथा लेखाकार श्री प्रमोद पाण्डेय पूर्णरूप से उत्तरदायी रहे ।

(साधारण आपति सं0-03)

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में देखा गया की आयकर मद में ₹ 1396-00 अवशेष है, जो आयकर के मद में सम्बन्धित विभाग में धनराशि जमा नहीं की गयी । जो की अनियमितता का द्योतक है । इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नवीन गुप्ता तथा लेखाकार श्री प्रमोद पाण्डेय पूर्णरूप से उत्तरदायी रहे ।

(साधारण आपति सं0-02)

(3)क्षेत्र पंचायत का नाम- भदोही

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष में आयकर मद में ₹0741495.00 प्राप्त हुआ तथा पूर्व वर्षों का शेष ₹0369964.77 अवशेष था । इस प्रकार वर्षान्त में शेष ₹0 1111459.77 हुआ वर्ष में आयकर के मद में सम्बन्धित विभाग में धनराशि जमा नहीं की गयी । जो कि अनियमितता का द्योतक है इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम तथा लेखाकार श्री कपूर चन्द्र पूर्ण रूप से उत्तर दायी हैं। **(साधारण आपति सं0-02)**

प्रस्तर-6 शासनादेश संख्या 1838 / 33-3-2015-3/2015 दिनांक 31/07/2015 के प्रस्तर दी गयी व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग के अन्तर्गत संकृमित धन का उपयोग एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कराये जाने चाहिए थे । किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत रहा आलोच्य वर्ष में कतिपय ऐसे कार्य कराये गए हैं। जो की एक राजस्व ग्राम तक सीमित थे -उदाहरण

क० सं०	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
1-	ग्राम सभा जोगीपुर में मेनरोड से शारदा सिंह के घर तक खण्डजा कार्य	116700=00
2-	ग्राम पंचायत पल्हैया में गोपाल यादव के घर से फूलचन्द यादव के घर तक खण्डजा मरम्मत	326000=00
3-	ग्राम पंचायत चक हरि वंश मयन मैदान सुनीता शर्मा के घर से दिनेश वर्मा के घर तक खण्डजा कार्य	141000=00
4-	वरीब पुर में इण्टर लाकिंग रोड से मेही लाल केघर तक इण्टर लाकिंग कार्य	

योग 687169.00

(साधारण आपति सं0- 03)

(4)क्षेत्र पंचायत का नाम- औराई

प्रस्तर-7 लेखा परीक्षा में देखा गया कि रायल्टी मद में आलोच्य वर्ष में प्रारंभिक अवशेष ₹15186-00 रहा वर्ष में 257345.00 प्राप्त हुआ। वर्ष में उक्त मद में व्यय शून्य रहा। इस प्रकार वर्षान्त में ₹ 272531-00 अवशेष रहा। वर्ष पर्यंत रायल्टी की धनराशि रोक कर रखा जाना अनियमित रहा जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री श्याम जी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी रहे हैं। **(साधारण आपति सं0- 12)**

प्रस्तर-8 लेखा परीक्षा में देखा गया कि दिनांक 30/3/21 को आपकर कटौती की धनराशि रुपया 298190.00 संस्था पर अवशेष रहा आपकर कटौती एवं काटी गई धनराशि को निर्धारित समय अंतर्गत लेखा शीर्षक "0021" आयकर में

जमा करना होता है। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करते हुए आयकर की धनराशि रुपया 298190.00 रोककर अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री श्याम जी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदाई रहे हैं।
(साधारण आपति सं0- 13)

(5) क्षेत्र पंचायत का नाम अभोली

प्रस्तर-9 दिनांक 31-3-21 को वैट गत वर्षों की भांति रु. 33329-00 रहा उक्त धनराशि को संबंधित के पक्ष में जमा न करके वित्तीय अनियमितता की गई। उक्त धनराशि को नियमानुसार असिस्टेंट कमिशनर वाणिज्यकर भदोही के पक्ष में जमा किया जाना चाहिए। इस प्रकार रु. 33329-00 बैट जमा न करके तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती - शांति देवी तत्कालीन लेखाकार -सत्येंद्रनाथ दुबे सयुक्त रूप से वित्तीय अनियमितता के उत्तरदाई है। अतः उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। (साधारण आपति सं0- 02)

प्रस्तर-10 जी० एस० टी० मद रु०25089=00 अवशेष था वर्ष में 334289.00 प्राप्त हुआ इस प्रकार कुल 359378.00 दिनांक 31-3-21 रहा । इस प्रकार स्पष्ट है की पूर्व वर्षों एवं आलोच्य वर्ष का जी० एस० टी० संस्था पर रोक कर वित्तीय अनियमितता की गई। जी०एस०टी० की सम्पूर्ण धनराशि संबंधित को जमा किया जाना चाहिए । इस प्रकार रु. 359378.00 जी० एस० टी० जमा न करके तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती शांति देवी तत्कालीन लेखाकार -सत्येंद्रनाथदुबे सयुक्त रूप से उत्तरदाई है । अतः उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(साधारण आपति सं0- 03)

प्रस्तर-11 आयकर मद में रु०140954.00 अवशेष था वर्ष में 376644.00 प्राप्त हुआ इस प्रकार कुल 517598.00 दिनांक 31-3-21 रहा । इस प्रकार स्पष्ट है की पूर्व वर्षों एवं आलोच्य वर्ष का आयकर संस्था पर रोक कर वित्तीय अनियमितता की गई । आयकर की सम्पूर्ण धनराशि संबंधित को जमा किया जाना चाहिए । इस प्रकार रु. 517598.00 आयकर जमा न करके तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती शांति देवी तत्कालीन लेखाकार -सत्येंद्रनाथ दुबे सयुक्त रूप से उत्तरदाई है अतः उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(साधारण आपति सं0- 04)

प्रस्तर-12 उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं पंचायत चल अचल संपत्ति नियमावली 1965 के नियम 3(1) के अनुसार क्षेत्रपंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मार्गों के साथ-साथ अन्य सृजित संपत्तियों के विवरण को अभिलेखित करने के लिए परिसंपत्ति पंजिका का रखरखाव अपेक्षित है। उक्त नियमावली के नियम संख्या 4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखित करने हेतु मार्ग पंजिका का रखरखाव अपेक्षित है। किंतु आलोच्य वर्ष में क्षेत्र द्वारा अनुरक्षित नवनिर्मित कार्य का क्षेत्रपंचायत के परिसंपत्ति पंजिका के अभाव में अंकन के संदर्भ में जानकारी हो सकी और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा लग से कोई मार्ग पंजिका ही तैयार कर प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनों पंजिका के आभाव में यह स्पष्ट न हो सका कि क्षेत्र पंचायत द्वारा जिन मार्गों के मरम्मत / नव निर्माण व अन्य कार्य करवाया जाना दर्शाया गया है, वे

पूर्व में कब-कब मरम्मत करवाए गए थे अथवा उनका निर्माण कब कराया गया था जो निर्माण कराए गए हैं। उनसे एक से अधिक ग्राम पंचायत लाभान्वित भी नहीं हुए हैं। उदाहरणार्थ विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि	उत्तरदाई व्यक्ति का नाम
1	चतुर्थ राज्य वित्त	खर्योखर में घमहा बिन्द बस्ती से सरोज बस्ती तक इंटर लॉकिंग कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायत लाभान्वित भी	918422.00	तत्कालीन खंड विकास अधिकारी- श्रीमती शांति देवी तत्कालीन लेखाकार

		नहीं हुए हैं। एक ही ग्रामसभा तक सीमित है।		-सत्येंद्रनाथ दुबे
			918422.00	

उक्त धनराशि 918422.00 से करे कार्य वित्तीय अनियमितता के अंतर्गत तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती शांति देवी तत्कालीन लेखाकार -सत्येंद्रनाथ दुबे सयुक्त रूप से उत्तरदाई है अतः उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।
(साधारण आपति सं०- 05)

प्रारूप-03

1- क्षेत्र पंचायत- हलिया

वर्ष- 2020-21

जनपद- मीरजापुर

प्रस्तर-1 वर्षारम्भ तथा वर्षान्त में विधायक निधि में रु० 154172.00 की धनराशि शेष दर्शित की जैसा कि अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है। वर्ष में इस शीर्ष में कोई भी कार्य नहीं कराया गया तथा वापस भी नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त धनराशि को अकारण अवरुद्ध कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। इसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण श्री नन्दलाल, श्री मुहम्मद नफीस तथा श्री राम दरश पर जाता है। इसके लिये तीनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिये।
(मूल आपति संख्या-16)

प्रस्तर-2 वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग योजना में कुल मिलाकर रु० 23468012.00 की प्राप्ति क्षेत्र पंचायत को हुई किन्तु इसके सापेक्ष विकास कार्यों पर व्यय शून्य रहा। जो विकास के प्रति शिथिलता का होना है। इस प्रकार विकास कार्य हेतु प्राप्त इस धनराशि को रोककर गम्भीर अनियमितता की गई जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीगण श्री नन्द लाल, श्री मुहम्मद नफीस तथा श्री राम दरश पर जाता है जिसके लिये इन पर विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए।
(मूल आपति संख्या-17)

प्रस्तर-3 वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना में कुल मिलाकर रु० 3558670.00 की प्राप्ति क्षेत्र पंचायत को हुई। इसके सापेक्ष वर्ष में व्यय मात्र रु० 345422.00 का किया गया तथा रु० 3213248.00 का उपयोग नहीं किया गया। यह योजना अति महत्वपूर्ण है। अतः इस योजना में वर्ष में व्यय किया जाना चाहिए था। धनराशि को व्ययित न करना शिथिलता का द्योतक है। इस प्रकार उक्त शेष दर्शित धनराशि को रोककर गम्भीर अनियमितता की गई जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण श्री नन्दलाल, श्री मुहम्मद नफीस तथा श्री राम दरश पर जाता है। इसके लिये इन पर विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए।
(मूल आपति संख्या-18)

2- क्षेत्र पंचायत- राजगढ़

वर्ष- 2020-21

जनपद- मीरजापुर

प्रस्तर-4 वर्ष 2020-21 में गोवंश आश्रय स्थल शीर्ष में कुल रु० 1,35,900.00 व्यय किये गए हैं जैसा कि अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है। किन्तु इससे सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि होती हो। उक्त अभिलेखों की अनुपलब्धता से सिद्ध होता है कि व्यय किये गए धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसका दायित्व तत्कालीन विकास खण्ड अधिकारीगण पर जाता है। अतः उक्त व्ययित धनराशि रु० 135900.00 श्री रामचंद्र राम खण्ड

विकास अधिकारी एवं श्री नन्दलाल राम खण्ड विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर-5

वर्ष 2020-21 की अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है कि अधोलिखित शीर्षों में दिनांक 31.03.21 को उनके सम्मुख अंकित धनराशि शेष थीं-

(1) आयकर की कटौती	50938.00
(2) वैट कटौती	90613.00
(3) लेबर सैश कटौती	16160.00
(4) आई० ए० पी० योजना	391005.00
योग	548716.00

उक्त शीर्षों की धनराशियों का वर्ष में उपभोग किया जाना चाहिए था या वर्षांत में इन्हें सम्बंधित विभागों को वापास किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा न करके वर्षांत में इन्हें शेष रखकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों पर जाता है। अतः इसके लिये श्री रामचंद्र राम खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री नन्दलाल राम खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर-6

वर्ष 2020-21 में चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवां / केन्द्रीय वित्त आयोग शीर्ष में विकास कार्यों में सामग्री पर कुल रु० 27367992.00 का व्यय किया गया है जिसपर 2% की दर से आयकर रु० 547360.00 होता है। अनुदान पंजिका-3 में आयकर अवधारण, जमा तथा शेष का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि वर्ष में आयकर जमा नहीं किया गया है, जो एक गंभीर प्रकरण है। अतः आयकर के उक्त अवधारित धनराशि रु० 547360.00 (पांच लाख सैंतालीस हजार तीन सौ साठ मात्र) उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी द्वय श्री रामचंद्र राम, श्री नन्दलाल राम एवं लेखाकार श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर से वसूल कर आयकर विभाग में जमा किया जाना चाहिए। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई अर्थदंड आरोपित किया जाता है तो उसे भी उक्त तीनों उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूल कर जमा किया जाना चाहिए।

(मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर-7

वर्ष 2020-21 में सामग्री पर कुल रु० 27367992.00 व्यय किया गया है जिस पर 2% की दर से जी०एस०टी० रु० 547360.00 होता है। वर्ष में अनुदान पंजिका-3 में जी०एस०टी० अवधारण, जमा तथा शेष का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि वर्ष में जी०एस०टी० नहीं जमा किया गया है जो एक गंभीर प्रकरण है। अतः जी० एस० टी० के उक्त आगणित धनराशि रु० 547360.00 श्री रामचंद्र राम, श्री नन्दलाल राम खण्ड विकास अधिकारीगण एवं लेखाकार श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर से वसूल किया जाना चाहिये।

(मूल आपति संख्या-06)

प्रस्तर-8

वर्ष 2020-21 चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवां / केन्द्रीय वित्त शीर्ष से विकास कार्यों में श्रमांश पर रु० 3229148.00 व्यय किया गया है जिस पर 1% लेबर सेस रु० 32291.00 होता है। वर्ष में अनुदान पंजिका-3 में लेबर सेस अवधारण, जमा तथा शेष का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि लेबर सेस नहीं जमा किया गया है। जो एक गंभीर प्रकरण है। अतः लेबर सेस की आगणित धनराशि रु० 32291.00 उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारीगण श्री रामचंद्र राम, श्री नन्दलाल राम एवं लेखाकार श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर से वसूल किया जाना चाहिए। (मूल आपति संख्या-07)

3- क्षेत्र पंचायत- नारायनपुर**वर्ष- 2020-21****जनपद- मीरजापुर****प्रस्तर-9**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में जिला खनीज न्यास निधि योजनान्तर्ग निम्नांकित कार्यो हेतु धनराशि ग्राण्ट रजिस्टर से खारिज किया गया है-

क्र० सं०	माह / तिथि	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	फर्म का नाम
1	जनवरी 21	प्रा०वि० घासीपुर बसादी में निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति	211443.00	एस०पी०एस० इण्टरप्राइजेज वाराणसी
2	जनवरी 21	प्रा०वि० मीरापुर में शौचालय निर्माण हैण्डवाशिंग यूनिट व फर्नीचर पर व्यय	2102720.00	एस०पी०एस० इण्टरप्राइजेज वाराणसी
योग :-			421765.00	

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्नांकित आपत्तियाँ हैं-

(क) माह जनवरी 2021 में घासीपुर बसादी में सिर्फ सामग्री आपूर्ति हेतु रु० 211443.00 का भुगतान इण्टरप्राइजेज वाराणसी से किया गया है। मजदूरी या अन्य कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। स्टाक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। भौतिक सत्यापन एवं मौखिक पूछ-ताछ में विद्यालय के स्टाफ द्वारा बताया गया कि विकास खण्ड द्वारा यहाँ पर कोई भी सामग्री की आपूर्ति नहीं हुई है और न ही कोई कार्य कराया गया है।

(ख) प्रा० विद्यालय मीरापुर में शौचालय निर्माण हैण्ड वाशिंग यूनिट एवं फर्नीचर पर रु० 210272.00 ग्राण्ट रजिस्टर से खारिज किया गया है। भौतिक सत्यापन एवं मौखिक पूछ-ताछ में विद्यालय के स्टाफ द्वारा बताया गया कि विकास खण्ड द्वारा यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कराया गया है।

उक्त से स्पष्ट है, कि बगैर कार्य कराये कुल धनराशि रुपया 421765.00 ग्राण्ट रजिस्टर से खारिज कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली आधिकारी श्री पवन कुमार सिंह कार्य प्रभारी श्री रमाकान्त मिश्र ए.डी.ओ. (एस.के.) एवं श्री अच्छेलाल जे० ई० से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-15)**4- क्षेत्र पंचायत- सीखड़****वर्ष- 2020-21****जनपद- मीरजापुर****प्रस्तर-10**

अनुदान पंजिका -3 से विदित होता है कि वर्ष 2020-21 में 'लेबर सेस' शीर्ष में गत शेष सहित कुल रु० 47,513.00 का अवधारण हुआ तथा रु० 26,887.00 जमा किया गया। वर्षांत में रु० 20,632.00 शेष दर्शित रहा। इसके अवलोकन से विदित होता है कि जो धनराशि जमा की गयी है वह माह मई में ही जमा की गयी है तथा शेष धनराशि रु० 20,632.00 वह धनराशि रही जो माह अक्टूबर 2020 तथा उसके बाद अवधारित धनराशि का योग है। इस प्रकार माह अक्टूबर 20 से मार्च 21 तक लेबर सेस जमा ही नहीं किया गया जो गंभीर अनियमितता का परिचायक है तथा इसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वय पर है। इसके लिये तत्कालीन खंड विकास अधिकारी द्वय श्री अमीर राम एवं श्री पवन कुमार सिंह के विरुद्ध कार्यवाही तथा उक्त शेष धनराशि रु० 20,632.00 को अविलम्ब जमा किया जाना चाहिये।

(मूल आपति संख्या-16)

- प्रस्तर-11 वर्ष 2020-21 में "विधायक निधि" शीर्ष में कुल रु0 26,54,878.00 का व्यय किया जाना अनुदान-3 में दर्शित रहा, जिसके कोई भी प्रमाणक / अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उक्त धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है इसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वय श्री अमीर राम एवं पवन कुमार सिंह पर जाता है। अतः उक्त धनराशि रु0 26, 54,878.00 (छब्बीस लाख चौवन हजार आठ सौ अठहत्तर मात्र) की वसूली उक्त दोनों खण्ड विकास अधिकारी द्वय से ब्याज के साथ किया जाना चाहिए। **(मूल आपति संख्या-17)**
- प्रस्तर-12 वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग में रु0 36,72,341.00 का व्यय किया गया जैसा कि अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है। इस व्ययित धनराशि से सम्बंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए। इस प्रकार इन परिस्थितियों में उक्त धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वय श्री अमीर राम एवं श्री पवन कुमार सिंह पर जाता है। अतः रु0 36,72,341.00 (छत्तीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ इकतालीस मात्र) की वसूली ब्याज के साथ श्री अमीर राम एवं श्री पवन कुमार सिंह, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वय से किया जाना चाहिए। **(मूल आपति संख्या-21)**
- प्रस्तर-13 वर्ष 2020-21 की अनुदान पंजिका -3 से विदित होता है कि 'धरोहर' शीर्ष में कुल रु0 1,99,003.00 व्यय / जमा किया जाना दर्शित जिसका कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इस परिस्थिति में इस धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है। इसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीगण श्री अमीर राम एवं श्री पवन कुमार सिंह पर जाता है। अतः इस धनराशि रु० 1,99,003.00 (एक लाख निन्यानबे हजार तीन मात्र) की वसूली उक्त दोनों खण्ड विकास अधिकारी द्वय से व्याज के साथ किया जाना चाहिए। **(मूल आ0 सं0-22)**
- प्रस्तर-14 वर्ष 2020-21 में "रायल्टी" शीर्ष में गत शेष सहित कुल रु0 57,843.00 का अवधारण अनुदान पंजिका-3 में दर्शाया गया है किन्तु यह धनराशि जमा न करके वर्षांत तक रोककर रखी गयी जो गंभीर अनियमितता का परिचायक है। इस गंभीर अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वय श्री अमीर राम एवं श्री पवन कुमार सिंह के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए और उक्त धनराशि को तत्काल जमा किया जाना चाहिए। **(मूल आपति संख्या-18)**
- प्रस्तर-15 वर्ष 2020-21 में 'मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना' शीर्ष में गत शेष सहित कुल रु0 1,02,872.00 प्राप्त हुए जैसा कि अनुदान पंजिका -3 से विदित होता है। किन्तु वर्ष में इस योजना में व्यय शून्य रहा तथा वर्षांत तक यह धनराशि शेष दर्शित रही जो गंभीर अनियमितता की परिचायक है। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वय श्री अमीर राम एवं श्री पवन कुमार सिंह के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिये। **(मूल आपति संख्या-19)**
- प्रस्तर-16 गत शेष सहित वर्ष 2020-21 में कुल रु0 1,61,610.00 की धनराशि "ग्रा०पं०वि० योजना में क्षेत्र पंचायत को प्राप्त होना अनुदान पंजिका-3 में दर्शित रहा। इस योजना में वर्ष में कोई कार्य नहीं हुआ है तथा विभाग को धनराशि वापस भी नहीं की गयी। इस प्रकार उक्त धनराशि को रोककर गंभीर अनियमितता की गयी। इस गंभीर अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वय श्री अमीर राम एवं श्री पवन कुमार सिंह के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए। **(मूल आपति संख्या-20)**
- प्रस्तर-17 अधोलिखित कार्य पत्रावलियों के अवलोकन से विदित होता है कि कार्य पर श्रम पर भुगतान तो दर्शित है किन्तु मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा : -

(1) नानक के घर से आकाश प्रजापति के घर तक नाली निर्माण -

सामग्री पर व्यय = 2,31,287.00 (दिनांक 27.02.2021 को)

श्रम पर व्यय = 35,670.00 (मस्टररोल अनुपलब्ध)

योग = 2,66,957.00

(2) पुलिस चौकी अदलपुरा से मुजाहिदपुर धिलहनिया मार्ग पर पवन राजभर के घर तक पट्टी के दोनों ओर इंटरलाकिंग (1) सामग्री पर व्यय = 3,90,761.00 (दि० 03.01.2021 को)

श्रम पर व्यय = 90,750.00 (मस्टररोल अप्राप्त)

योग = 4, 81, 511.00

उक्त दोनों प्रकरणों में मस्टररोल अनुपलब्ध होने के कारण कार्य कराने के अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं तथा धनराशियों का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है।

अतः उक्त धनराशि रु 2,66,957.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह, कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार सिंह तथा कार्य पर्यवेक्षक श्री आनंद कुमार से तथा धनराशि रु 4,81,511.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह, कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं कार्य पर्यवेक्षक श्री आनंद कुमार से किया जाना चाहिए। (मूल आपति संख्या-23)

5- क्षेत्र पंचायत- कोन

वर्ष- 2020-21

जनपद- मीरजापुर

प्रस्तर-18 क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल धनराशि रु 164206.00 की रायल्टी का गयी दर्शित है परन्तु संस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उक्त धनराशि राजकीय कोष में जमा नहीं किया जो कि ससमय जमा किया जाना आवश्यक था। अतः संस्था द्वारा रायल्टी राजकोष में जमा न किया जाना घोर वित्तीय अनियमितता है जिसके जिम्मेदार लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी हैं, इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर-19 क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 - 21 के दौरान कुल धनराशि रु 48319.00 श्रमिक सेस की कटौती की गयी दर्शित है परन्तु संस्था द्वारा उक्त धनराशि राजकोष में जमा नहीं किया गया, ससमय उक्त धनराशि राजकोष में जमा न किया जाना घोर वित्तीय अनियमितता है जिसके जिम्मेदार लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-03)

6- क्षेत्र पंचायत- मझवां

वर्ष- 2020-21

जनपद- मीरजापुर

प्रस्तर-20 दिनांक 31.03.2021 को कुल रु 2,69,067.95 की धनराशि जी०डी०पी०डी० योजना में शेष दर्शित थी जो वर्षारंभ में कुल रु 10.00 इस शीर्ष में प्राप्त तथा रु 53.10 मात्र की धनराशि व्यय दर्शित रही, जैसा कि अनुदानपंजिका-3 से विदित होता है। इस प्रकार वर्ष में इस योजना के अंतर्गत कोई कार्य नहीं कराया गया तथा विभाग को वापस भी नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 2,69,067.95 रोककर गंभीर अनियमितता की गयी। इसके लिये उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारीगण श्री घनश्याम प्रसाद एवं श्री श्वेतांक सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए। (मूल आपति संख्या-17)

प्रस्तर-21 दिनांक 31.03.2021 को रु 203087.00+126034.00 = कुल रु 3,29,121.00 की धनराशि आयकर के विरुद्ध जमा करने हेतु शेष दर्शित थी जैसा कि अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है। इसे वर्ष के अंतर्गत ही आयकर विभाग में जमा किया जाना चाहिए था जो न करके गंभीर अनियमितता की गयी। अतः प्राथमिकताधार पर इसे जमा किया जाना चाहिए और इस गंभीर अनियमितता हेतु खण्ड विकास

अधिकारीगण श्री घनश्याम प्रसाद एवं श्री श्वेतांक सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई अर्थदंड (पेनाल्टी) आरोपित की जाती है तो यह धनराशि उक्त खण्ड विकास अधिकारीगण से उत्तरदायित्व निर्धारित कर वसूल किया जाना चाहिए।

(मूल आपति संख्या-18)

प्रस्तर-22 अनुदान पंजिका-3 में दिनांक 31.03.2021 को दर्शित शेष धनराशि तथा बैंक लेखों में दर्शित कुल शेष धनराशि में रु0 1,38,854.00 का अंतर दर्शाया गया है। बैंक समाशोधन विवरण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अंतर की इस धनराशि के चेक संख्या, दिनांक, धनराशि आदि का विवरण ज्ञात नहीं हो सका और इस अंतर की अभिलेखीय पुष्टि तथा जाँच नहीं करायी गयी जो गंभीर अनियमितता का प्रतीक है।

अतः सम्बंधित साक्ष्यों के साथ पुष्टि कराया जाना चाहिए और इस गंभीर अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारीगण श्री घनश्याम प्रसाद एवं श्री श्वेतांक सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी किया जाना चाहिए।

(मूल आपति संख्या-19)

प्रस्तर-23 अनुदान पंजिका-3 में दिनांक 31.03.2021 को दर्शित शेष धनराशि तथा बैंक लेखों में दर्शित कुल शेष धनराशि रु0 12,21,868.00 का अंतर दर्शाया गया है। बैंक समाशोधन विवरण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अंतर की इस धनराशि के चेक संख्या, दिनांक, धनराशि आदि का विवरण ज्ञात नहीं हो सका और इस अंतर की अभिलेखीय पुष्टि तथा जाँच नहीं करायी गयी जो गंभीर अनियमितता का प्रतीक है। अतः सम्बंधित साक्ष्यों के साथ पुष्टि कराया जाना चाहिए और इस गंभीर अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारीगण श्री घनश्याम प्रसाद एवं श्री श्वेतांक सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए। (मूल आपति संख्या-20)

7- क्षेत्र पंचायत- छानबे

वर्ष- 2020-21

जनपद- मीरजापुर

प्रस्तर-24 वित्तीय वर्ष 2020-21 में जी०एस०टी० कटौती मद में 01.04.2020 को प्रा० अवशेष रु० 1382.00 था और वर्ष दौरान रु0 901056.00 की कटौती करने के उपरान्त रु0 502154.00 सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया परन्तु दिनांक-31.03.2021 को रु0 400284.00 सम्बन्धित विभाग की धनराशि को रोककर सम्बन्धित विभाग को क्षति पहुंचाकर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ऋषिमुनि उपाध्याय व श्री राजेन्द्र कुमार सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर-25 वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयकर कटौती मद में 01.04.2020 को प्रा० अवशेष रु0 0.00 था और वर्ष दौरान रु0 901056.00 की कटौती करने के उपरान्त रु0 502145.00 सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया परन्तु दिनांक-31.03.2021 को रु0 398911.00 सम्बन्धित विभाग की धनराशि को रोककर सम्बन्धित विभाग को क्षति पहुंचाकर वित्तीय अनियमितता किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ऋषिमुनि उपाध्याय व श्री राजेन्द्र कुमार सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर-26 वित्तीय वर्ष 2020-21 में रायल्टी कटौती मद में 01.04.2020 को प्रा० अवशेष रु० 1382.00 था और वर्ष दौरान रु0 1140121.00 की कटौती करने के उपरान्त रु0 195188.00 सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया परन्तु दिनांक-31.03.2021 को रु0 944933.00 सम्बन्धित विभाग की धनराशि को रोककर सम्बन्धित विभाग को क्षति पहुंचाकर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए खण्ड

विकास अधिकारी श्री ऋषिमुनि उपाध्याय व श्री राजेन्द्र कुमार सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-04)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत नन्दिनी में नहर के पटरी से सी. सी. रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य के परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 9.98 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रक- 1669 दिनांक-26.12. 2020 को श्री अवनीश कुमार यादव सहायक विकास अधिकारी (सी) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर एवं टेण्डर फार्म को डाक प्राप्त / प्रेषण पंजिका में अंकित किये बिना ही और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर मे० विकेश कुमार सिंह, बिल्डिंग मैटेरियल आर्डर सप्लायर मीरजापुर को कार्यालय पत्रांक- 1694 दिनांक- 30.12.2020 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत / आदेश किया गया आदेश के उपरान्त मे० विकेश कुमार सिंह, बिल्डिंग मैटेरियल आर्डर सप्लायर मीरजापुर द्वारा अपने फर्म के विभिन्न कैशमीमो के विभिन्न तिथियों के माध्यम से कुल रु0 910681.00 का बिल प्रस्तुत किया एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट रायल्टी, बिलों आदि कटौती रु0 57247.00 के करने के उपरान्त कुल रु0 853434.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

(1) उ०प्र० क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23 (1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाए का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

(2) उ० प्र० क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24 (2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

(3) शासनादेश संख्या-4430/33-1-99- एस०पी०आर० / 99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः, स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समिति या जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति /निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग-1 के परिशिष्ट XVIII मे उल्लिखित नियम सं0-2 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है नियमानुसार टेण्डर फार्म को जिला पंचायत मीरजापुर क्रमांक अंकित किया हुआ फार्म प्राप्त करने के उपरान्त स्टॉक पंजिका में अंकित करते हुए टेण्डर फार्मों की बिक्री किया जाना चाहिए जबकि उक्त कार्य में प्रथम में० पंच बहादुर सिंह, जिगना वारी मीरजापुर द्वितीय मे० विकेश कुमार सिंह बिल्डिंग मैटेरियल आर्डर सप्लायर मीरजापुर एवं तृतीय मे० अशोक कुमार एण्ड आर्डर साप्लायर महडौरा मीरजापुर को हस्तलिपि द्वारा क्रमांक अंकित करके टेण्डर फार्म बिक्री किया गया जो फार्म काल्पनिक प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा / बन्द

लिफफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर मे० विकेश कुमार रि सिंह, बिल्डिंग मटेरियल आर्डरसप्लायर मीरजापुर को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टिया टेण्डर नियम के विरुद्ध / काल्पनिक है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

(5) उपरोक्त निर्माण के मस्टर रोल की जाँच में निम्न कमियां प्रकाश में आयी हैं।

(ए) दिनांक- 13.01.2021 से 28.02.2021 तक के मास्टर रोल में-

मजदूरों का नाम	दिन	दर	धनराशि
1. विकास कुमार मिस्त्री	27	400.00	10800.00
2. संतोष कुमार	27	400.00	10800.00
3. जुगरातन	27	201.00	5427.00
4. खुशबू	27	201.00	5427.00
5. मदीना	27	201.00	5427.00
6. सहाना	27	201.00	5427.00
7. जवेदा	15	201.00	3015.00
8. दीप कुमारी	27	201.00	5427.00
योग			51750.00

(बी) दिनांक - 13.01.2021 से 28.02.2021 तक के मास्टर रोल में-

मजदूरों का नाम	दिन	दर	धनराशि
1. विकास कुमार मिस्त्री	15	400.00	6000.00
2. संतोष कुमार	01	400.00	400.00
3. जुगरातन	13	201.00	2613.00
4. खुशबू	13	201.00	2613.00
5. मदीना	13	201.00	2613.00
6. सहाना	13	201.00	2613.00
7. चिप कुमारी	27	201.00	2613.00
योग			19465.00

उपरोक्त दोनो मस्टर रोल में मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं। दोनो मास्टर रोल के अवधि एक ही तिथि के एवं दोनो मस्टर रोल के मजदूरों के नाम एक ही पाये गये हैं। जिससे उक्त कर्मियों से स्पष्ट है कि उक्त दोनो मस्टर रोल काल्पनिक तैयार करके अंकन रु०71215.00 भुगतान फर्जी किया गया है।

(6) साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मस्टर रोल अंकित किया जाना ही प्रथम दृष्टिता काल्पनिक है।

(7) लेखा परीक्षा में एम०बी० बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, है।

(8) आलोच्य कार्य में लेबर सेस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है

(9) उक्त कार्य की पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम के विरुद्ध है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु० 9.98 लाख के सापेक्ष सामग्री / मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु० 937513.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टिता काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु० 937513.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री अवनीश कुमार यादव सहायक विकास अधिकारी (सी०) एवं जे०ई०एम०आई० तत्कालीन वखण्ड विकास अधिकारी श्री ऋषिमुनि उपाध्याय व श्री राजेन्द्र कुमार सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर-28

वित्तीय वर्ष 2020-21 में पन्द्रहवों वित्त आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत कामापुर कला में गहरवार बस्ती के पास चकडैम निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 9.98 लाख का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक-1653 दिनांक 26.12.2020 को श्री अवनीश कुमार यादव सहायक विकास अधिकारी (C) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर एवं टेण्डर फार्म को डाक प्राप्त / प्रेषण पंजिका में अंकित किये बिना ही और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर मे० विकेश कुमार सिंह, बिल्डिंग मैटेरियल आर्डर सप्लायर को अधिकृत /आदेश किया गया। आदेश के सप्लायर मीरजापुर को कार्यालय पत्रांक-1694 दिनांक- 30.12.2020 को सामग्री सप्लायर को अधिकृत /आदेश किया गया। आदेश के उपरान्त मे० विकेश कुमार सिंह बिल्डिंग मैटेरियल आर्डर सप्लायर मीरजापुर द्वारा अपने फर्म के विभिन्न कैशमीमो के विभिन्न तिथियों के माध्यम से कुल रु० 718105.00 मे० विकेश कुमार सिंह, बिल्डिंग मैटेरियल आर्डर सप्लायर मीरजापुर द्वारा का बिल प्रस्तुत किया एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट रायल्टी, बिलों आदि कटौती रु० 61581.00 करने के उपरान्त कुल रु० 656524.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री कय का भुगतान किया गया है जबकि-

- 1- उ०प्र० क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23 (1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाए का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।
- 2- उ० प्र० क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24 (2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।
- 3- शासनादेश संख्या-4430 / 33-1-99- एस०पी०आर० / 99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा छः, स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति /निर्माण

कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

- 4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग-1 के परिशिष्ट XVIII में उल्लिखित नियम सं0-2 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है नियमानुसार टेण्डर फार्म को जिला पंचायत मीरजापुर क्रमांक अंकित किया हुआ फार्म प्राप्त करने के उपरान्त स्टॉक पंजिका में अंकित करते हुए टेण्डर फार्मों की बिक्री किया जाना चाहिए जबकि उक्त कार्य में प्रथम में० पंच बहादुर सिंह, जिगना वारी मीरजापुर द्वितीय में० विकेश कुमार सिंह बिल्डिंग मटेरियल आर्डर सप्लायर मीरजापुर एव तृतीय में० अशोक कुमार एण्ड आर्डर सप्लायर महडौरा मीरजापुर को हस्तलिपि द्वारा क्रमांक अंकित करके टेण्डर फार्म बिक्री किया गया जो फार्म काल्पनिक प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा / बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर में० विकेश कुमार सिंह, बिल्डिंग मटेरियल आर्डर सप्लायर मीरजापुर को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टिया टेण्डर नियम के विरुद्ध / काल्पनिक है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।
- 5- उपरोक्त निर्माण के मस्टर रोल दिनांक- 12.02.2021 से 28.02.2021 तक की जाँच में निम्न कमियां प्रकाश में आयी हैं-

मजदूरों का नाम	दिन	दर	धनराशि	
1. कमलेश	16	201.00	3216.00	
2. मुख्ता	16	201.00	3216.00	
3. मुनिया	16	201.00	3216.00	
4. सरोज कुमार	16	201.00	3216.00	
5. पन्ना	16	201.00	3216.00	
6. राकेश	16	201.00	3216.00	
7. मालती	16	201.00	3216.00	
8. सुनीता देवी	16	201.00	3216.00	
9. अश्वनी	16	201.00	3216.00	
10. मंजय कुमार	16	201.00	3216.00	
11. नौरंगी देवी	16	201.00	3216.00	
12. अनीता बानों	16	201.00	3216.00	
13. सकीना बेगम	16	201.00	3216.00	
14. वजीर मुहम्मद	16	201.00	3216.00	
15. शिव बहादुर	16	201.00	3216.00	
16. उषा देवी	16	201.00	3216.00	
17. इन्द्र बहादुर	08	201.00	1608.00	
18. सरिता देवी	07	201.00	1407.00	
19. जंगबहादुर	07	201.00	1407.00	
20. सभाजीत	07	201.00	1407.00	
योग			57486.00	

उपरोक्त मस्टर रोल में क्रमांक 17 से 34 तक के मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं। साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मस्टर मस्टररोल अंकित किया जाना ही प्रथम दृष्टता कल्पनिक है। जिससे उक्त कमियों से स्पष्ट है कि उक्त मस्टर रोल काल्पनिक तैयार करके अंकन रु0 57486.00 भुगतान फर्जी किया गया है।

- 6- लेखा परीक्षा में एम०बी० बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है।
- 7- आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।
- 8- उक्त कार्य की पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जो नियम के विरुद्ध है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 9.98 लाख के सापेक्ष सामग्री / मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 918104.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है। उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टता काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 918104.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री अवनीश कुमार यादव सहायक विकास अधिकारी (सी०) एवं जे०ई०एम०आई० तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री ऋषिमुनि उपाध्याय व श्री राजेन्द्र कुमार सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-06)

8- क्षेत्र पंचायत- पहाड़ी

वर्ष- 2020-21

जनपद- मीरजापुर

प्रस्तर-29

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत पहाड़ी द्वारा आयकर की कटौती नहीं की जा रही है विवरण निम्न है-

क्र. स.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	व्यय धनराशि	देय आयकर 2%	आय कर	अंतर
1	2020-21	विधायक निधि	8447209.00	168944.00	शून्य	168944.00
2	2020-21	चतुर्थ राज्य वित्त	68140.00	1363.00	शून्य	1363.00
3	2020-21	पन्द्रहवां वित्त टाइड	984867.00	19697.00	शून्य	19697.00
4	2020-21	पन्द्रहवां वित्त अनटाइड	5925225.00	118505.00	शून्य	118505.00
5	2020-21	जिला खनिज न्यास	1485668.00	29713.00	शून्य	29713.00
6	2020-21	पंचम राज्य वित्त	3559380.00	71188.00	शून्य	71188.00
योग :-			20470489.00	409410.00	शून्य	409410.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत पहाड़ी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्धारित दर अनुसार आयकर कटौती न किए जाने के कारण रु0 409410.00 आयकर ठेकेदारों / सप्लायर को अप्रत्यक्ष

रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है। जिससे केन्द्रीय राजस्व की प्रत्यक्ष क्षति हुई है। जिसकी वसूली आयकर अधिनियम की धारा 234-F के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की दर सहित निम्नानुसार की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

क्र०स०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
1	श्रीमती उषापाल	ख०वि० अधि०	204705.00
2	श्री सुरेश कुमार पाण्डेय	लेखाकार	204705.00
योग :--			4089410.00

उपरोक्त धनराशि की वसूली कर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-15)

9- क्षेत्र पंचायत- जमालपुर वर्ष- 2020-21 जनपद- मीरजापुर
प्रस्तर-30 ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार निम्न लिखित विवरण के अनुसार अनुदान की धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत दर्शित चला आ रहा है-

क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि
1	पूर्वाचन विकास निधि	653864.00
2	उ०प्र० सड़क निधि योजना	14982.00
3	ग्राम पंचायत विकास योजना	70064.00
योग :--		1369510.00

उपरोक्तानुसार अनुदान की धनराशि का उपभोग लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं किया गया है। उपरोक्त अनुदान की धनराशि क्षेत्र पंचायत के द्वारा, संचालित किस बैंक खाते में है, पुष्टि नहीं कराई गई। इस हेतु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंतरिम आपत्ति पत्र संस्था के दिया गया, किन्तु उत्तर नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा संस्था को अनुदान बजट के अनुसार विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु दिया जाता है। जिसका उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में न होने के दशा में बाजार मूल्य के चढ़ाव से हानि होती है। यह इस तथ्य / बात का सूचक है कि अनुदान के उपभोग पर ख०वि०अ० का नियन्त्रण ठीक-ठाक नहीं रहा।

इस प्रकार अनुदान की धनराशि रु० 1369510.00 विगत कई वर्षों से रोके रखने / दुरुपयोग हेतु संस्था के ख०वि०अ० एवं लेखाकार उत्तरदायी रहे। अतः उक्त दोनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य विकास अधिकारी मीरजापुर एवं पंचायत राज निदेशक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उक्त धनराशि धनदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर- 31 आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत जमालपुर द्वारा चयनित जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, उनमें अधिकतर निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराए गए हैं। शासन के शासनादेश संख्या 04/866/33-2-14-93 जी० / 2004 टी०सी० दिनांक 24 जून 2016 के अनुसार तीनों स्तर की पंचायतें सबसीडायरिटी सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करेगी अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरह से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाए, और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए। इसी शासनादेश में क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विकास कार्य हेतु अनुदानों से दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराया जाएगा। इसका उल्लंघन शासनादेश संख्या-8307/33-2-2004-93 जी० / 2004 दिनांक 31

जुलाई 2015द्वारा निर्देशित किया गया कि क्षेत्र पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराएगी पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या-5837/33-2-2017-122 जौ0/17 दिनांक 20-12-2017 द्वारा निर्देशित किया गया कि क्षेत्र पंचायते गाँव के अंदर कार्य नहीं कराएगी। अगर ऐसा किया जाता है, तो इसके लिए ख०वि०अ० व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त सभी आदेशों / निर्देशों का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र पंचायत जमालपुर द्वारा रु० 37366501.00 का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अंदर एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे के घर तक अथवा एक विशिष्ट स्थान से दूसरे स्थान तक स्वीकृति देकर निर्माण कार्य कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अ० व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पंचायतराज निदेशक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।
(मूल आपति संख्या-02)

10- क्षेत्र पंचायत- पटेहरा कला**वर्ष- 2020-21****जनपद- मीरजापुर****प्रस्तर-32**

ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार निम्न लिखित विवरण के अनुसार अनुदान की धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत दर्शित चला आ रहा है-

क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि
1	विधायक निधि	1606478.00
2	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	308655.00
योग :--		1915133.00

उपरोक्तानुसार अनुदान की धनराशि का उपभोग लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं किया गया है। उपरोक्त अनुदान की धनराशि क्षेत्र पंचायत के द्वारा, संचालित किस बैंक खाते में है, पुष्टि नहीं कराई गई। इस हेतु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंतरिम आपति पत्र संस्था को दिया गया, किन्तु उत्तर नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा संस्था को अनुदान बजट के अनुसार विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु दिया जाता है। जिसका उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में न होने की दशा में बाजार मूल्य के चढ़ाव से हानि होती है। यह इस तथ्य / बात का सूचक है कि अनुदान के उपभोग पर ख०वि०अ० का नियन्त्रण ठीक-ठाक नहीं रहा।

इस स्थिति में धनराशि धनदाता को वापस की जानी अपेक्षित है इस प्रकार अनुदान की धनराशि रु० 1915133.00 विगत कई वर्षों से रोके रखने / दुरुपयोग हेतु संस्था के ख०वि०अ० एवं लेखाकार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहे। अतः उक्त दोनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य विकास अधिकारी मीरजापुर एवं पंचायत राज निदेशक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर-33

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत पटेहरा कला द्वारा चयनित जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, उनमें अधिकतर निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराए गए हैं। शासन के शासनादेश संख्या 04/866/33-2-14-93 जी०/ 2004 टी०सी० दिनांक 24 जून 2014 के अनुसार तीनों स्तर की पंचायतें सब्सिडायरिटी सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करेगी अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरह से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाए, और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए। इसी शासनादेश में क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विकास कार्य हेतु अनुदानों से दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराया जाएगा। इसका उल्लंघन शासनादेश संख्या-8307/33-2-2004-93 जी० / 2004 दिनांक 12-01-2015 के निर्देशों का उल्लंघन होगा। पुनः पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1838/33-2-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा निर्देशित किया गया कि क्षेत्र पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराएगी। पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या-5837/33-2-2017-122 जी०/17 दिनांक 20-12-2017 द्वारा निर्देशित किया गया कि क्षेत्र पंचायतें गाँव के अंदर कार्य नहीं कराएगी। अगर ऐसा किया जाता है, तो इसके लिए ख०वि०अ० व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त सभी आदेशों / निर्देशों का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र पंचायत पटेहरा कला द्वारा रु० 2,82,86,493.00 का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अंदर एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे के घर तक अथवा एक विशिष्ट स्थान से दूसरे स्थान तक स्वीकृति देकर निर्माण कार्य कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अ० व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पंचायतराज निदेशक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रारूप -2

क्षेत्र पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2020-21

जनपद-सोनभद्र

मण्डल-विन्ध्याचलधाम

क्षेत्र पंचायत- बभनी (वर्ष-2020-21)

प्रस्तर संख्या-1

दिनांक 01.07.2017 से वैट आदि समस्त करों को समाप्त कर पूरे देश में एकरूपता हेतु जी०एस०टी० एक्ट 2017 लागू किया जिसके तहत सामग्री और सेवा पर अलग अलग दर से जी०एस०टी० लागू की गयी। इसी एक्ट की धारा 51 जो की उत्तर प्रदेश में 01.10.2018 से प्रभावी है के अनुसार 02% की दर से स्रोत पर जी०एस०टी०-टी०डी०एस० कटौती किया जाना अनिवार्य है। इस एक्ट के अनुसार टैन/पैन आधारित जी०एस०टी नम्बर भी अनिवार्य है। इस आधारित जी०एस०टी०-टी०डी०एस० की कटौती आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त पत्रावलियों में कुल सामग्री भुगतान हेतु रु० 2530575.00 का बिल मौजूद हैं, परन्तु किसी भी बिल से 02% की दर से जी०एस०टी०-टी०डी०एस० की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार रु० 50612.00 की जी०एस०टी०-टी०डी०एस० कटौती न करके वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, व ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। (आपत्ति संख्या-2.1)

प्रस्तर संख्या-2

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि, वर्ष के दौरान मौजूद बिलों से कुल रु० 31172.00 की लेबर सेस कटौती एवं रु० 82832.00 की रायल्टी कटौती की गई है, परन्तु वर्षांत तक उक्त धनराशियों को क्रमशः उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण के खाते में व राजकीय कोषागार में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-2.2)

प्रस्तर संख्या-3

आलोच्य वर्ष के अनुदान पंजिका तृतीय की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान विधायक निधि मद में कुल रु० 319576.00 तथा सांसद निधि मद में कुल रु० 556437.00 का व्यय दर्शित है। परन्तु इन व्ययों से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे ये ज्ञात नहीं हो पाया कि उक्त व्यय किस कार्य हेतु किए गए हैं तथा कृत व्ययों की पुष्टि नहीं हो पाई। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कार्य पत्रावलियों के अभाव में उक्त समस्त व्यय अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, व ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-2.3)

क्षेत्र पंचायत- मयोरपुर (वर्ष-2020-21)

प्रस्तर संख्या-4

दिनांक 01.07.2017 से वैट आदि समस्त करों को समाप्त कर पूरे देश में एकरूपता हेतु जी०एस०टी० एक्ट 2017 जिसके तहत सामग्री और सेवा पर अलग अलग दर से जी०एस०टी० लागू की गयी। इसी एक्ट की धारा 51 जो की उत्तर प्रदेश में 01.10.2018 से प्रभावी है के अनुसार 02% की दर से खोत पर जी०एस०टी०-टी०डी०एस० कटौती किया जाना अनिवार्य है। इस एक्ट के अनुसार टैन/पैन आधारित जी०एस०टी० नम्बर भी अनिवार्य है। इस आधारित जी०एस०टी०-टी०डी०एस० को कटौती आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त पत्रावलियों में कुल सामग्री भुगतान हेतु रु० 18776367.00 का बिल मौजूद है, परन्तु किसी भी बिल से 02% की दर से जी०एस०टी०-टी०डी०एस० की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार रु० 375527.00 की जी०एस०टी०-टी०डी०एस० कटौती न करके वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं।- (आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-5

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 के अन्त में कुल रु० 458957.00 की लेबर सेस कटौती एवं रु० 1285912.00 की रॉयल्टी कटौती की धनराशियों को क्रमशः उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण के खाते में व राजकीय कोषागार में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोका रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या- 06

लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2020-21 के अनुदान पंजिका तृतीय की जांच में पाया गया कि 13वें वित्त आयोग की धनराशि रु० 581107.00 मौजूद है, जो विगत कई वर्षों से यथावत है। नियमानुसार प्राप्त धनराशियों का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। किसी अपरिहार्य स्थिति में उपभोग कर पाना संभव न हो तो आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति ली जानी चाहिए। इस प्रकार लम्बे समय तक राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि को सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर केन्द्रीय वित्त आयोग के खाते में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। (आपत्ति संख्या-04)

क्षेत्र पंचायत- नगवां (वर्ष-2020-21)

प्रस्तर संख्या- 07

दिनांक 01.07.2017 से वैट आदि समस्त करों को समाप्त कर पूरे देश में एकरूपता हेतु जी०एस०टी० एक्ट 2017 लागू किया जिसके तहत सामग्री और सेवा पर अलग अलग दर से जी०एस०टी० लागू की गयी। इसी एक्ट की धारा 51 जो की उत्तर प्रदेश में 01.10.2018 से प्रभावी है के अनुसार 02% की दर से स्रोत पर जी०एस०टी०-टी०डी०एस० कटौती किया जाना अनिवार्य है। इस एक्ट के अनुसार टैन/पैन आधारित जी०एस०टी० नम्बर भी अनिवार्य है। इस आधारित जी०एस०टी०-टी०डी०एस० की कटौती

आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त पत्रावलियों में कुल सामग्री भुगतान हेतु रु० 7875079.00 का बिल मौजूद है, परन्तु किसी भी बिल से 02% की दर से जी०एस०टी०-टी०डी०एस० की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार रु० 157502.00 की जी०एस०टी०-टी०डी०एस० कटौती न करके वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। (आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर संख्या- 08

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 के अन्त में कुल रु० 43815.00 की लेबर सेस कटौती धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर संख्या- 09

लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2020-21 के अनुदान पंजिका तृतीय की जांच में पाया गया कि 12वें/13वें वित्त आयोग की धनराशि रु० 603520.00 मौजूद है, जो विगत कई वर्षों से यथावत है। नियमानुसार प्राप्त धनराशियों का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। किसी अपरिहार्य स्थिति में उपभोग कर पाना संभव न हो तो आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति ली जानी चाहिए। इस प्रकार लम्बे समय तक राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि को सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर केन्द्रीय वित्त आयोग के खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए।

(आपत्ति संख्या-4)

क्षेत्र पंचायत- राबर्टसगंज (वर्ष-2020-21)

प्रस्तर संख्या- 10

आयकर अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों से सामग्री आपूर्ति के बिलों में स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरांत ही भुगतान किये जाने का प्राविधान है तथा कटौती की गई धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत राजकोष में जमा किया जाना है। दिनांक 01.04.2019 में आयकर की कटौती 2.24% की दर से सुनिश्चित की जानी अपेक्षित रही इस प्रकार लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 तक की उपलब्ध पत्रावली के सामग्री पर कुल व्यय रु० 7808966.00 रहा जिसपर नियमतः 2.24% की दर से रु० 174921.00 आयकर की कटौती किये जानी थी किन्तु संस्था द्वारा आयकर की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है, जिसकी वसूली उत्तरदायी से कर के राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर संख्या- 11

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कुसरट में ड्राइवर के घर से आनंद के खेत तक डब्ल्यू०बि०एम० कार्य जिसका प्रकलन 9.98 लाख है जिसमें समग्री पर भुगतान रु० 462921.45 दर्शित है तथा श्रमांश पर

रु० 118360.00 दर्शित है जबकि पत्रावली में मस्टररोल अप्राप्त है। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार तथा धारा 8(क) में प्राविधान है की दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जाएगी। (आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर संख्या- 12

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पवर में कलवारी मेन रोड से फूल सिंह के खेत तक सड़क निर्माण में मस्टररोल संख्या 1316, 1317 व 1318 तीनों से रु० 60300.00 का भुगतान दर्शित है तथा मस्टररोल संख्या 02 पर रु० 4442.00 का भुगतान दर्शित है। इस प्रकार श्रमांश पर कुल रु० 185382.00 का भुगतान किया गया है जबकि मस्टररोल बिलकुल सादा है। मजदूरों का नाम, दिनांक, हस्ताक्षर, अंगूठा निशान अंकित नहीं है। इसप्रकार भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित है जिस हेतु तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। (आपत्ति संख्या-08)

क्षेत्र पंचायत- दुद्धी (वर्ष-2020-21)

प्रस्तर संख्या- 13

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न मदों में किए गये रु० 11226188.00 के व्यय के सापेक्ष कोई अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये। इस प्रकार पत्रावली या अभिलेखों के अभाव पुष्टिकृत नहीं हो सके और ये व्यय अनियमित प्रतीत होते हैं, जिनका मदवार विवरण इस प्रकार है:-

क्रम०सं०	मद का नाम	कृत व्यय
1	विधायक निधि	6392354.00
2	सांसद निधि	1510573.00
3	मनरेगा प्रशासनिक	1258262.00
4	डी०एम०एफ० (टंका निर्माण)	1278074.00
5	आजीविका मिशन	555980.00
6	आंगनवाड़ी केन्द्र पर मरम्मत	230945.00
	योग	11226188.00

प्रस्तर संख्या- 14

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावतियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 के अन्त में कुल रु० 142758.00 की रायल्टी कटौती की धनराशि को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण के खाते में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण के खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-03)

क्षेत्र पंचायत- चोपन (वर्ष-2020-21)

प्रस्तर संख्या- 15

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 1719/33-3-2010-48/2007 लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को संक्रमित किये जाने वाली धनराशि के आधे भाग तक यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायत को स्वयं की एवं हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथा स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन केन्द्र आदि के मरम्मत एवं रखरखाव पर आवश्यक व्यय किया जाय। शेष आधे भाग की धनराशि को एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जाएगा।

क्षेत्र पंचायत चोपन की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों में उपरोक्त शासनादेश में दिये गए निर्देश का पालन किये बिना ही निम्नलिखित कार्यों में केवल एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये गए। जबकि उपरोक्त शासनादेश में एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये जाने का निर्देश है विवरण निम्नवत है-

क्रम०सं०	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि(रु० में)
1	2020-21	ग्राम चोपन में गडईडीह में मेन रोड से धनंजय श्रीवास्तव के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	176092.00
2	2020-21	ग्राम हर्षा में शिवदास चैरो के घर से अमेरिका के घर तक इण्टरलॉकिंग खडंजा निर्माण	437012.00
3	2020-21	ग्राम वर्दिया में वर्दिया सम्पर्क मार्ग से डंगर पाण्डे के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	407292.00
4	2020-21	ग्राम कोटा में मलिन बस्ती पुलिया से मुहम्मद हुसैन के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	157781.00
5	2020-21	ग्राम करइल के टोलामहुरांवा में तौसीफ के घर से मस्जिद तक इण्टरलॉकिंग खडंजा निर्माण	347955.00
6	2020-21	ग्राम गिधिया में कुर्बान अली के घर से मस्जिद तक इण्टरलॉकिंग खडंजा निर्माण	452173.00
7	2020-21	ग्राम पंचायत बिल्ली वार्ड- 4 के कन्हैया यादव के घर से बिल्ली गांव रोड तक सी०सी० रोड निर्माण	366519.00
8	2020-21 एवं 2019-20	ग्राम चतवार में रमेश पुत्र कुज बिहारी के घर के पास में कूप मरम्मत एवं जगत निर्माण	473872.00

9	2020-21 एवं 2019- 20	ग्राम सिन्दुरिया में मेन रोड से उदय पाण्डे के घर से होते हुए आदित्य नारायण के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	239496.00
		योग-	3058192.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में कराये गए हैं जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त स्थल पर उपरोक्त कार्यपूर्व में न कराये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिससे कार्यों के दोहराव/पुनरावृत्ति की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रु० 3058192.00 का व्यय शासनादेश का उल्लंघन करते हुए किया गया। जिसके लिये संयुक्त रूप से ब्लाक प्रमुख श्रीमती बबली, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार राय एवं अरुण कुमार जौहरी एवं लेखाकार श्री रमाशंकर पाण्डे उत्तरदायी रहे। उपरोक्त व्यय में शासनादेश का उल्लंघन वित्तीय अनियमितता है।

(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या- 16

आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटी गयी आयकर की धनराशि” के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ-साथ जुर्माने भी किये जा सकते हैं।

01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 02 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2020-21 की उपलब्ध करायी गयी राज्य वित्त की पत्रावलियों के अनुसार कुल सामग्री क्रय पर व्यय रु० 3153507.00 का रहा। इस पर नियमानुसार 02 प्रतिशत की दर से रु० 63070.00 की आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी किन्तु बिलों पर कोई भी आयकर की कटौती नहीं की गयी है और न ही ग्रांट रजिस्टर तृतीय के आय-व्यय में ही शामिल किया गया है। इस प्रकार रु० 63070.00 की आयकर की कटौती नहीं करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। अगर यह कटौती सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं/ सीधे जमा किया गया है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर पत्रावलियों में संलग्न किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पदम कुमार राम एवं श्री अरुण कुमार जौहरी एवं लेखाकार श्री रमाशंकर पाण्डे संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे।

(आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या- 17

जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार 02 प्रतिशत की दर से स्रोत पर जी०एस०टी० टी०डी०एस० की कटौती की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी है। इसके अनुसार स्रोत पर 02 प्रतिशत दर से जी०एस०टी० टी०डी०एस० की कटौती किया जाना अनिवार्य है। इस एक्ट के प्रभावी होने के पश्चात जी०एस०टी० टी०डी०एस० की कटौती आहरण वितरण

अधिकारी एवं लेखाकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। लेकिन संस्था द्वारा कोई भी जी०एस०टी० टी०डी०एस० की कटौती नहीं की गयी है। राज्यवित्त की उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों में रू० 3153507.00 की सामग्री क्रय किया गया है। जिस पर नियमानुसार 02 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० टी०डी०एस० की धनराशि रू० 63070.00 होगी। जिसकी कटौती नहीं करके वित्तीय अनियमितता की गयी है और न ही ग्रांट रजिस्टर III के आय व्यय में ही शामिल किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार राय एवं श्री अरुण कुमार जौहरी एवं लेखाकार श्री रमाशंकर पाण्डे संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे। (आपत्ति संख्या-14)

क्षेत्र पंचायत- चतरा (वर्ष-2020-21)

प्रस्तर संख्या- 18

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार दो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा क्षेत्र पंचायत के निर्माण कार्य हेतु सामाग्री आपूर्ति की गयी है। परन्तु आपूर्ति के सापेक्ष किए गए भुगतान से जी०एस०टी० नियमों के अनुसार 2% स्रोत पर कटौती न कर आपूर्तिकर्ताओं को परोक्ष लाभ प्रदान किया गया। अतः कालम 4 में योग की धनराशि रुपये 94766.08 का भुगतान अनियमित पाया गया।

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता	कुल भुगतान (रूपये)	टी०डी०एस०@2%(रूपये)
1	2	3	4
1	मे० श्रीकान्त सिंह, पतरहा, रामगढ़, सोनभद्र (उ०प्र०)	3551787.00	71035.74
2	मे० उदय नारसयण देव पाण्डेय, रामगढ़, सोनभद्र (उ०प्र०)	1186517.00	23730.34
	योग-	4738304.00	94766.08

(सामान्य आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या- 19

वित्तीय वर्ष 20-21 में अनुदान पंजिका-III के अनुसार अन्य निम्न 04 मदों में कुल रू० 2525876.00 व्यय दर्शित रहा, परन्तु आवश्यक अभिलेख यथा पत्रावलियाँ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, लाभार्थियों की प्रमाणित सूची, प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणकों के अभाव में इस व्यय की अनियमित पाया गया। इसकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा।

क्रम संख्या	मद का नाम	धनराशि (रूपये में)
1	विधायक निधि	1455208.00
2	सांसद विकास मण्डल निधि	295264.00
3	डी०एफ०एम०एस० आगनवाड़ी की धनराशि	286400.00
4	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गेट, बाउंडेड वॉल निर्माण	489004.00
	योग-	2525876.00

प्रस्तर संख्या- 20

ग्राम पंचायत सेहुआ में हरनहिया नगर से नन्द लाल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य (संख्या-01) पर बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रुपये 159645.00 का भुगतान मे० श्रीकांत सिंह, पतरहा, रामगढ़, सोनभद्र को सामाग्री आपूर्ति के लिए किया गया है। जबकि अन्य लेखों में रुपये 158049.00 दर्शित है। यह भुगतान प्रस्तुत बिल के सापेक्ष रु० 1596.00 अधिक पाया गया। सबन्धित बिल पर रुपये 158049.00 का भुगतान किया जाना चाहिए था और रुपये 1596.00 लेबर सेस के रूप में कटौती की जानी थी। यह उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य ख) नियमावली 1965 के भुगतान नियम 66 के अधीन अनियमित पाया गया।

(सामान्य आपति संख्या-16)

क्षेत्र पंचायत- घोरावल (वर्ष-2020-21)

प्रस्तर संख्या- 21

आलोच्य वर्ष में अवशेष रॉयल्टी तथा लेबर सेस मद की धनराशि क्रमशः रु० 1063666.00 तथा रु० 206129.00 राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए जबकि ऐसा न करके संस्था द्वारा अनियमितता की गई है। जिसके लिए लेखाकार श्री श्याम बिहारी व खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश यादव उत्तरदायी रहे ।

(सामान्य आपति संख्या-17)

प्रस्तर संख्या- 22

आलोच्य वर्ष 2020-21 के वर्षान्त में क्षेत्र पंचायत घोरावल में पंचम राज्य वित्त आयोग मद में तथा 15वां वित्त आयोग मद में क्रमशः रु० 3669479.47 तथा रु० 22995174.62, कुल रु० 26664654.00 धनराशि अवशेष रही। जिसे वर्षान्त में अप्रयुक्त रहने की दशा में शासन को वापस किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा न करके संस्था द्वारा अनियमितता की गई है। जबकि ऐसा न करके संस्था द्वारा अनियमितता की गई है जिसके लिए लेखाकार श्री श्याम बिहारी व खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश यादव उत्तरदायी रहे ।

(सामान्य आपति संख्या-18)

क्षेत्र पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2019-20

जनपद-सोनभद्र

मण्डल-विन्ध्याचल

क्षेत्र पंचायत- म्योरपुर (वर्ष-2019-20)

प्रस्तर संख्या- 23

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो से सामाग्री आपूर्ति के बिलों में स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरांत ही भुगतान किये जाने का प्राविधान है तथा कटौती की गई धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत राजकोष में जमा किया जाना चाहिये जबकि ऐसा नहीं किया गया है।

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 हेतु उपलब्ध पत्रावली में निर्माण कार्यो में प्रयुक्त सामग्री पर कुल व्यय रुपये 4188934.00 रहा जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रुपये 93833.00 आयकर की कटौती किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न करके संस्था द्वारा अनियमित रूप से आयकर के रूप में राजकीय राजस्व

की क्षति पहुँचायी गई है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति लेखाकार श्री नरेन्द्र सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार राय से किया जाना अपेक्षित रहा । (सामान्य आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर संख्या- 24

आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत म्योरपुर में परासी में सुकत राम के घर से छेदी विश्वकर्मा के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य में प्रयुक्त श्रमांश पर धनराशि रु० 113095.00 भुगतान दर्शित है, के विरुद्ध मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसके लिए लेखाकार श्री नरेन्द्र सिंह, कार्यप्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह (ए०डी०ओ-आई०एस०बी०) व खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार राय उत्तरदायी रहें।

वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के धारा 8(क) में प्राविधान है कि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को अनियमित मानते हुए इसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित रहा ।